

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY
CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY

CLASS _____

CALL No. 954.09 Bha.

D.G.A. 79





भारत वर्ष

और उसका

10104 स्वातन्त्र्य-संग्राम

अर्थात्

भारतवर्ष द्वारा

स्वाधीनता प्राप्ति केलिये किये गये
विविध संघर्ष और आन्दोलनों
का प्रामाणिक और विस्तृत इतिहास

केलकः—

मुख्यसम्पादिकाय मण्डारी

954.09

Bha

प्रकाशकः—

डिक्सनेरी पब्लिशिंग हाऊस

मण्डपुरी, अजमेर ।



LIBRARY OF THE CENTRAL ARCHAEOLOGICAL DEPARTMENT (संस्कृत संस्करण ८॥)

LIBRARY OF THE CENTRAL ARCHAEOLOGICAL DEPARTMENT (दिल्ली-मुनहरी जिल्द सं० १०॥)

88

No. 954.09

विषय सूची

नाम	पृष्ठ संख्या
१ प्राचीन भारत की सभ्यता	
२ मोहेंजोदड़ो और प्रागैतिहासिक भारतीय सभ्यता	
३ प्राचीन भारत का राजकीय इतिहास	१२-२२
४ मौर्य साम्राज्य का आदर्श शासन	२३-२८
५ भारत में ग्राम पंचायतें	२९-३०
६ भारत की आर्थिक समृद्धि	३१-४२
७ भारत में यूरोपियों का आगमन	४३-४८
८ भारत में अंग्रेज कब और कैसे आये	४९-५५
९ बंगाल में अंग्रेजों का प्रवेश	
१० सिराजुद्दौला	
११ मीरकासीम	१२३
१२ क्लाइव का पुनः आगमन	१४०-१४५
१३ वारनहेस्टिंग्स का शासन और स्वदेशी राज्यपद्धति का नाश	१५२-१५६
१४ उद्योगधन्धे और व्यापार का नाश	१५६-१७६
१५ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में समृद्धिशाली भारत कैसे दरिद्र हुआ ।	१७७-१८८
१६ किसानों की दीनहीन दशा क्यों हुई	१८९-२०६
१७ भारतवर्ष की साम्प्रतिक अवस्था	२०७-२१६
१८ भारतीय जागृति की प्रथम ज्योति	२१७-२२५
१९ भारत में विचार-क्रान्ति का आरम्भ	२२
२० समाचार पत्रों का प्रकाशन और मानव-अधिकारों का आन्दोलन	२२५-२४४
२१ दक्षिण भारत में प्रथम सुधार-आन्दोलन	२४५-२४८
२२ मार्क्स और भारतवर्ष	२४९-२५२

Acc. No. 10104 (R.)

Date.....21.5.59

Call No. 954 नाम Bha.

	पृष्ठ
२३ सन् १८२७ ई० से पूर्व के सशस्त्र विद्रोह	२१३
२४ सन् १८२७ ई० का स्वातन्त्र्य-युद्ध	२११
२५ आतङ्क का राज्य	२१२
२६ विद्रोह की असफलता के कारण	२१६
२७ सन् १८२७ ई० के विद्रोह के बाद	३०१
२८ कांग्रेस की उत्पत्ति	३०४
२९ महान् आत्माओं का उदय-सङ्ग-जागृति	३१२
३० भारतवर्ष में धार्मिक और सामाजिक जागृति	३३२
जागृति की लहर	३४१
लॉर्ड कर्जन का आगमन	३४७
बंगभंग का आन्दोलन	३४८
३४ १९०७ की कांग्रेस	३६०
३५ बंगभंग के बाद	३६३
३६ बंगाल में क्रान्तिकारक उपाय	३६४
बंगाल में साहित्यिक जागरण	३६८
बंग भंग के समय के भारतीय नेता	३७०
सरकारी दमन	३७६
मास्टेगु-चेम्सफोर्ड योजना	३८०
प्रथम महायुद्ध का आरम्भ	३८१
३८ सन् १९१६ ई० की संयुक्त कांग्रेस	३८८
३९ क्रान्तिकारी पद्धतियों का इतिहास	३९०
४४ बंगाल में क्रान्तिकारी आन्दोलन	३९६
४५ बंगाल में क्रान्तिकारी सङ्गठन	४०८
४६ गांधी युग का आरम्भ	४३१
४७ गांधीजी और उनके सत्याग्रह संग्राम	४३१

नाम	पृष्ठ
४८ पंजाब में अमानुषिक अत्याचार	४०५
४९ कसूर में अत्याचार	५१
५० अमृतसर की कांग्रेस	५१५
५१ गांधीजी और अहिंसात्मक असहयोग	५१७
५२ सन् १९२१ ई० का महान् आन्दोलन	५२६
५३ अहमदाबाद की कांग्रेस	५३७
५४ बारडोली का सत्याग्रह	५३६
५५ चौरीचौरा का काण्ड	
५६ गवा कांग्रेस के बाद स्वराज्य	
५७ पार्टी की गतिविधि	
५८ राष्ट्रीय जीवन में सुस्ती	
५९ हिन्दू-मुस्लिम दंगे	
६० साइमन कमीशन का बहिष्कार	
६१ उग्रवादी दल और क्रान्तिकारी दल	५७७
६२ लाहौर कांग्रेस	६०१
६३ सन् १९३० ई० का महान् स्वतंत्रता-संग्राम	६०३
६४ नमक-सत्याग्रह आन्दोलन	६१३
६५ प्रथम गोखलेज कान्फ्रेंस	६३२
६६ कराची की कांग्रेस	६४५
६७ द्वितीय गोखलेज कान्फ्रेंस और गांधीजी	६४६
६८ महात्माजी का भारत आगमन	६५१
६९ अहिंसात्मक युद्ध का जोर	६६५
७० महात्मा गांधी का अनशन	६६६
७१ तृतीय गोखलेज परिषद्	६७३
७२ आतंकवादी आन्दोलन का जोर	६७५

नाम

पृष्ठ

७३ सन् १९३३ ई० का राजनैतिक आन्दोलन	६७६
७४ महात्मा गांधी का २१ दिन का उपवास	६८३
७५ व्यक्तिगत सत्याग्रह	६८६
७६ गांधीजी का फिर से अनशन	६९१
७७ साम्प्रदायिक निर्णय पर मतभेद	६९४
७८ कन्नड़ का कांग्रेस अधिवेशन	७०३
७९ प्रान्तों में कांग्रेस सरकारों की स्थापना	७०७
८० कृषक तथा मजदूर आन्दोलन	७१८
८१ सन् १९३८ ई० का कांग्रेस अधिवेशन	७२२
८२ द्वितीय महायुद्ध और कांग्रेस की नीति	७२३
८३ व्यक्तिगत सत्याग्रह	७२७
८४ क्रिप्स योजना	७३१
८५ भारत छोड़ो आन्दोलन	७३७
८६ बंगाल का भीषण अकाल	७५७
८७ महात्मा गांधी का उपवास	७६५
८८ गांधी जिन्ना वार्तालाप के पूर्व की स्थिति	७६६
८९ राजाजी का फार्मूला	७७७
९० मुस्लिम राजनीति	७८१
९१ मुस्लिम राज्य संघ की कल्पना	७९९
९२ पाकिस्तान की उत्पत्ति	८०९
९३ मि० जिन्ना और पाकिस्तान	८०५
९४ देसाई-लियाकत समझौता	८१२
९५ शिमला कॉन्फ्रेंस	८१५
९६ ब्रिटेन में मजदूर राज्य की स्थापना	८१८
९७ केबिनेट मिशन	८२१

नाम	पृष्ठ
१८८ केबिनेट मिशन और अन्तर्काळीन सरकार	८२६
१८९ संविधान सभा का संगठन	८३०
१९० ऐडविकल्प महोदय का निर्णय-देश विभाजन	८३६
१९१ साम्प्रदायिक उपद्रव	८६६
१९२ लोकिक राज्य	८७२
१९३ देश-विभाजन और विशाल जन-समूह का आवागमन	८६६
१९४ देशी राज्यों का विच्छिनीकरण	८८२
१९५ हैदराबाद की समस्या	८९०
१९६ काश्मीर	८९२
१९७ महात्मा गांधी की हत्या	८९६
१९८ भारत का समानतन्त्र का सदस्य होना	९०७
१९९ भारत सर्वोच्चसत्ताधारी स्वतंत्र जन्तन्त्र की स्थापना	९०९



भूमिका



सैकड़ों वर्षों के बाद भारतवर्ष को पूर्ण स्वातन्त्र्य प्राप्ति का सुभ्रवसर प्राप्त हुआ है। मानव-जाति के इतिहास में यह एक चिरस्मरणीय घटना रहेगी। इस शुभ घटना ने भारतवर्ष को संसार के महान् स्वतन्त्र राष्ट्रों की पंक्ति में जग बिठाया है। अगर हमारे शासकगण इस स्वर्ण अवसर का योग्य ढंग से उपयोग करें और हमारे प्राचीन आदर्शों के साथ वर्तमान आदर्शों का समन्वय कर शासनसूत्र का संचालन करें तो यह निःसन्देह विश्वास किया जा सकता है कि भारतवर्ष संसार को एक नवीन संदेश देकर मानव जाति के आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति के मार्ग को प्रकाशमान कर सकता है। अगर उसके शासकगण इस देश की संस्कृति और परम्परा को अक्षयहेतु बना कर केवल मात्र विदेशी विचारधारा के प्रभाव में बहते रहे तो इस देश का भविष्य सन्देहास्पद हो जायगा। इसीलिए कवि सच्चाट् रवीन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविन्द घोष और स्वामी विवेकानन्द प्रभृति महान् विचारकों ने पूर्व-पश्चिम (East and west) के मधुर सम्मेलन को भारतवर्ष ही बना, पर सारी मानव जाति के लिए परम हितकर बतलाया है। महात्मा गांधी का तत्त्वज्ञान विशुद्ध भारतीय था और उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की कटु आलोचना कर भारत की प्राचीन सभ्यता और आध्यात्मिक संस्कृति पर अपने आन्दोलन की नींव रखी थी।

भारत स्वातन्त्र्य-संप्राप्त की आत्मा को समझने के लिए उसकी पृष्ठ भूमि का ज्ञान होना आवश्यक है। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, श्रीमान् तिलक, श्री अरविन्द घोष और महात्मा गांधी

जिन्होंने इस प्राचीन राष्ट्र में नवचेतना और नवप्रकाश का संचार किया; भारतीय संस्कृति को आधार भूत मानकर अपने कार्यक्रम बनाए थे। हां, उन्होंने बाहरी प्रकाश की अवहेलना न की। बाहर से जो कुछ उन्होंने लिया उसे अपनी भूमि पर खड़े रहकर आत्मसात किया। इन महा पुरुषों के ग्रन्थों से यह बात स्पष्टतया प्रकट होती है।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने इस ग्रन्थ में भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारत की विभिन्न राज्य-प्रणालियां, प्राचीन भारत के जनतन्त्रों तथा भारत की प्राचीन मानव हितकारी शासन-प्रणालियों पर भी प्रकाश डालने की चेष्टा की है।

साथ ही मैं प्राचीन गौरवशाली भारत का किस प्रकार और किन कारणों से पतन हुआ, इसका ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया गया है, जिससे कि हमारे पाठक यह जानें कि जिन कारणों से मध्ययुग में भारतवर्ष का पतन हुआ था, जिनसे वे राष्ट्र को भविष्य में बचाते रहें।

संसार परिवर्तनशील है। प्रकाश के बाद अन्धकार और अन्धकार के बाद प्रकाश आता है। इसी नियमानुसार पराधीन भारत में स्वातंत्र्य भावना की फिर से ज्योति चमकने लगी। ईस्वी सन् १८२० के लगभग कलकत्ते के हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों और प्रिन्सिपल ने भारतवर्ष के लिए पूर्ण स्वातंत्र्य का समाचार पत्रों में जो आन्दोलन किया था, उसका उल्लेख भी इस ग्रन्थ में किया गया है। इसके बाद राजा राममोहनराय, श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर प्रभृति महानुभावों ने भी भारतीय जनता के राज-नैतिक अधिकारों के लिए जोरदार आवाज उठाई। इन महापुरुषों के द्वारा की गई सेवाओं पर भी इस ग्रन्थ में कुछ प्रकाश डाला गया है।

इसके बाद ईस्वी सन् १८५७ के भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध पर भी इसमें समुचित प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। साथ में यह भी दिखलाया गया है कि किन कारणों से उक्त संग्राम का इतना देश-

ध्यायी संगठन असफल हुआ ।

ईस्वी सन् १८२७ के बाद महागृष्ट आदि प्रान्तों में स्वराज्य और स्वातन्त्र्य भावना का जिसे प्रकार उदय और विकास हुआ उसका भी ऐतिहासिक विवेचन इस ग्रन्थ में किया गया है । स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द प्रभृति महान् विचारकों ने देश की स्वतन्त्र मनोवृत्ति को बनाने में जो बहुमूल्य सहायता दी है, उसका भी यथा अवसर विवेचन किया गया है । लोकमान्य तिलक, बाला बाजपतराय, श्री अरविन्द घोष, बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि पुण्य श्लोक महान् नेताओं ने अनेक कष्ट सहकर राष्ट्र को उस समय स्वातन्त्र्य भावना के प्रकाश से आलोकित किया था, उसका संक्षिप्त विवरण भी पाठकों को इस ग्रन्थ में मिलेगा । यहां यह कहना आवश्यक है कि उक्त देशभक्त महानुभावों ने अपने अनुपम त्याग कष्ट-सहन और दूरदर्शितापूर्ण राजनीति के द्वारा महात्मा गांधी के आन्दोलन के लिए ज्वरा भूमि तैयार कर रखी थी ।

बंगभंग के आन्दोलन ने भी स्वराज्य भावना की ज्योति को अधिक प्रज्वलित करने में बड़ी सहायता दी । इस आन्दोलन के नेताओं ने सारे देश में राजनैतिक चेतना फैलाने में बड़ा काम किया । इस आन्दोलन में सैकड़ों युवकों का बलिदान हुआ और इस बलिदान से राष्ट्र की आत्मा को बल मिला । बंगभंग के समय और उसके बाद भारत में यत्र-तत्र क्रान्तिकारी आन्दोलन चलते रहे और उनका संचालन अधिकतर नवयुवकों ने किया । इन्हीं क्रान्तिकारी आन्दोलनों को दवाने के लिए रौलेटएक्ट बनाया गया, जिसके खिलाफ देश में घोर आन्दोलन हुआ । इसी समय जलियानवाला बाग का भीषण हत्या काण्ड हुआ, जिसने राष्ट्र की आत्मा को क्रमपा दिया । इसके कुछ समय बाद लोकमान्य तिलक का स्वर्गवास हो गया और सारे राष्ट्र के नेतृत्व का सूत्र महात्मा गांधी के हाथ में आया । इन्होंने देश के सामने भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र अहिंसा को आधारभूत रखकर सत्य-

ग्रह का दिव्यास्त्र जनता के सामने रक्खा । जनता ने उसे अपनाया और यह महान् संग्राम अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए प्रगति करता गया । संसार इस दिव्यास्त्र से विमुग्ध सा हुआ और इसे अन्तर्राष्ट्रीय सहानुभूति भी प्राप्त होती गई । मानवता के महान् सिद्धांत पर इसकी नींव रखी गई और इसका उद्देश्य भारत के स्वातन्त्र्य के साथ साथ अखिल मानवजाति का कल्याण रक्खा गया । ईश्वर ने इस आन्दोलन में सहायता दी और इससे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी अनुकूल होती गईं । ब्रिटेन में मजदूर दल का मंत्रिमंडल बन जाने से भी इस आन्दोलन को बड़ी अनुकूलता मिली । अखिर महात्मा गांधी के इस अभूतपूर्व आन्दोलन को सफलता मिली और देश सैकड़ों वर्षों के बाद सर्वोच्च सत्त धारी जनतन्त्र बनने में समर्थ हुआ । संसार के इतिहास में यह एक अद्भुत घटना समझी जाती है ।

महात्मा गांधी के आन्दोलन के साथ साथ और भी कई प्रकार के आन्दोलन चलते रहे, जिन्होंने अपने अपने ढंग से देश को स्वातन्त्र्य मार्ग पर बढ़ाने में बड़ी सहायता की । इन आन्दोलनों पर भी इस ग्रन्थ में प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है ।

इस ग्रन्थ के लिखने में मुझे जिन ग्रन्थों से सहायता मिली है, मैं उनका और इनके कर्त्तव्यों का कृतज्ञतापूर्व उल्लेख अन्यत्र कर रहा हूँ ।

इस ग्रन्थ के बाद विदेशों में होने वाले भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन पर भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने के लिये भी सामग्री जमा कर रहा हूँ ।

२०-६-२० }

सुखसम्पत्तिराय भन्डारी

भारतवर्ष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम



प्राचीन भारत की सम्यता

अंग्रेजी के संसार प्रख्यात लेखक और बड़ा एगडमस्ट बर्क का कथन है कि संसार का कोई देश किसी बुरे शासन की आधीनता में उन्नति नहीं कर सकता। किसी देश की सम्यता तब तक विकसित नहीं हो सकती, जब तक कि उसे वहाँ की सरकार की सौम्य अनुकूलता प्राप्त न हो। बर्क महोदय का यह कथन कितना सत्य है, इसकी साची संसार का इतिहास दे रहा है। अगर किसी देश ने किसी समय में प्रशंसनीय उन्नति प्राप्त की है और संसार के सामने उसने गौरवपूर्ण होकर अपना मस्तक ऊँचा उठाया है, तो यह एक निश्चित बात है कि उस देश की सरकार ने उस समय में उस देश की उन्नति में तथा सम्यता के विकास में पूर्ण सहयोग दिया होगा। हाँ, अन्य भी कुछ साधन हैं, जिनसे देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़कर अपनी सम्यता का विकास करता है तथा अपनी गौरव वृद्धि करता है; पर सरकार की अनुकूलता तथा सहायता इन सब में मुख्य है, क्योंकि बिना सरकार की सहायता तथा अनुकूलता के देश की उन्नति तथा विकास में जो बाधाएँ उपस्थित होती हैं उनके प्रत्यक्ष उदाहरण ब्रिटिश भारत में और अन्यत्र कई जगह देख रहे थे। हम यह भी देख रहे हैं कि किसी अव्यवस्थित शासन में प्रजा के उठते हुए उन्नति और स्वाधीनता के भाव किस बुरी तरह से दबाये जाते

हैं और किस तरह प्रजा के भावों को कुचलकर उसे ऊँचा उठाने की बजाय अन्धेरे गड्ढे में गिराया जाता है। हाँ, यह अवश्य होता है कि मानवीय हृदय में उठने वाले स्वाधीनता और समानता के इन भावों को चाहे कोई सरकार कुछ समय के लिये अपनी अत्याचारपूर्ण नीति से दबा दे, पर वह इन भावों का समूल नाश नहीं कर सकती। मानवी अंतःकरण में बारम्बार दबाये जाने पर भी, किसी विशेष परिस्थिति के कारण, ये भाव भीतर ही भीतर इकट्ठे होते रहते हैं और जब इन्हें अपने आविष्करण का मार्ग नहीं मिलता, तब ये स्फोट की तरह फूट निकलते हैं और वे पहले मानसिक क्रान्ति को उत्पन्न कर फिर उस भाषण क्रान्ति ज्वाला को उत्पन्न करते हैं जिसमें पुरानी शासन पद्धति की आहुति पड़कर किसी ऐसी शासन पद्धति का जन्म होता है, जो मानवी स्वाधीनता और समानता की रक्षक होती है और जिसमें मानवी भावों की रूख के अनुसार कार्य किया जाता है। फिर एक नया युग शुरू होता है और इसमें मानवी स्वाधीनता के नगारे जोर से बजने लगते हैं, इसमें हर एक मनुष्य को चाहे वह उच्च कुल में पैदा हुआ हो या नीच कुल में, अपनी आत्मा के पूर्ण आविष्करण करने का मौका मिलता है और उसका दृष्टि-बिन्दु हमेशा “उन्नति” रहता है। एक नीच कुल में जन्मा हुआ बालक भी समझने लगता है कि पूर्ण योग्यता प्राप्त करने पर वह इस देश का बड़ा से बड़ा प्रेसिडेंट हो सकता है। महत्वाकांक्षा की यह दिव्य भावना देश के प्रत्येक होनहार नवयुवक के हृदय में एक ईश्वरीय शक्ति का संचार करती है और इससे देश में नयी जान पड़ती है। इससे सभ्यता का आश्चर्यकारक विकास होता है और मानवी आत्मा को उन्नति के पथ पर पहुँचाने वाले साधनों का बहुत प्रादुर्भाव होता है। इससे साहित्य, विज्ञान, दर्शनशास्त्र तथा अनेक कला कौशल्य की अपूर्व वृद्धि होती है और वह देश संसार का नेता बनने का अभिमानपूर्ण गौरव प्राप्त कर सकता है। हमारे कहने का मतलब यह कि जहाँ हमें यह मालूम हो कि अमुक देश अमुक समय में सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान

होकर जगद्गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त किये हुए था, तो हमें यह तत्काल जान लेना चाहिये कि उस समय में उस देश की शासन पद्धति भी अत्यन्त श्रेष्ठ, उदार और दिव्य रही होगी; क्योंकि जब तक किसी देश में शान्ति न हो, लोगों के अन्तःकरण निर्व्याकुल न हों तथा योग्य मनुष्यों को अपनी बुद्धि और प्रतिभा विकसित करने के अनकूल साधन न मिलें, तब तक ऊँचे २ विचारों का, तत्त्वों का तथा आविष्कारों का जन्म नहीं हो सकता। सम्भव है कि किसी समय इस देश में अत्याचार पूर्ण शासन रहा हो, पर जिस वक्त इस देश से संसार को प्रकाशित करने वाली दिव्य ज्ञानज्योति का आविष्कार हुआ हो उस समय तो देश की शासन पद्धति अवश्य ही उत्कृष्ट और दिव्य रही होगी।

हम अपने इसी तत्व को भारतवर्ष पर लगाना चाहते हैं। यह बात तो प्रायः पाश्चात्य विद्वान् भी स्वीकार करते हैं प्राचीन काल में एक समय भारतवर्ष की सभ्यता संसार की सिरमौर थी। भारत ने अपनी दिव्य ज्ञानज्योति से अंधकार में गिरे हुए संसार के कई देशों को प्रकाश बतलाया था। यहाँ तत्त्वज्ञान के उन ऊँचे सिद्धान्तों का जन्म हुआ था जिन पर आज घमण्डी पाश्चात्य संसार भी लट्टू है और वह मुक्त कंठ से यह स्वीकार कर रहा है कि जहाँ उसके तत्व ज्ञान का अन्त होता है, वहाँ भारतीय तत्व ज्ञान का आरम्भ होता है। जब हमारे अभिमानी युरोपियन बन्धु वृत्तों के पत्तों से अपने गरीर को ढकते थे और असभ्य मनुष्यों की तरह इधर उधर घुमते फिरते थे, तब हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे सिद्धान्तों का—ऐसे ऐसे आविष्कारों का—विकास हो रहा था जिन्के लिये हमें ही नहीं पर सारी मनुष्य जाति को अभिमान होना चाहिये।

हमारे उक्त कथन की पुष्टि कई सुप्रख्यात पाश्चात्य ग्रन्थकारों के लेखों से होती है। उन्होंने दिखलाया है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष ने संसार में ज्ञान की ज्योति फैलायी थी और पाश्चात्य देशों के तथा चीन प्रभृति अन्य देशों के महान् पुरुषों ने यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त

किया था। ग्रीक का महान् तत्त्वज्ञानी पायथागोरस हिन्दू तत्त्वज्ञान का अध्ययन करने के लिये यहां आया था और आत्मा के आवागमन का सिद्धान्त वह यहाँ से ले गया था। डाक्टर एनफिल्ल अपनी History of philosophy में लिखते हैं:—

“ We find that it (India) was visited for the purpose of acquiring knowledge by pythagoras Anaxarches, pyrrho, and others who afterwards became eminent philosophers in Greece. ”

अर्थात् हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में पायथागोरस Anaxarches और पायरो (pyrrho) ज्ञान प्राप्त करने के लिये आये थे। वे महानुभाव ग्रीस के नामाङ्कित तत्त्वज्ञानी हो गये।

इसी ग्रन्थ में आगे चल कर लेखक महाराज कहते हैं:—

“ Some of the doctrines of Greeks concerning nature are said to have been derived from the Indians

अर्थात् प्रकृति सम्बन्धी ग्रीक लोगों के कुछ सिद्धान्त, कहा जाता है, हिन्दुओं से लिये गये।

एक स्वेडिन काउन्ट का कथन है:—

“Pythagoras and plato hold the same doctrine, that of pythagoras being probably derived from India whither he travelled to complete his philosophical studies ”

अर्थात् पायथागोरस और प्लेटो एक ही सिद्धान्त को मानते थे, जो कि हिन्दुस्तान से लिया गया है। पायथागोरस ने अपना तत्त्वज्ञान का अभ्यास पूर्ण करने के लिये हिन्दुस्तान में सफर की थी।

प्रोफेसर शेगेल का कथन है ।

“The doctrine of transmigration of souls was indigenous to India and was brought into Greece by Pythagoras.”

पुनर्जन्म का सिद्धान्त हिन्दुस्तान का है और वह ग्रीस में पायथागोरस के द्वारा लाया गया ।

जब ग्रीस में तत्त्वज्ञान का विकास हो रहा था, जब ग्रीक तत्त्वज्ञान में, यूरोप का शिरोमणि माना जा रहा था, तब भारतवर्ष ग्रीस का गुरु माना जाता था और उस समय तत्त्वज्ञान का मूल और निर्मल भ्रूना चहुँ ओर हिन्दुस्तान से ही प्रवाहित होता था । ईसा की दूसरी शताब्दी तक हिन्दू तत्त्वज्ञान की यूरोप में बड़ी कीर्ति फैली हुई थी । यहाँ तक की ग्रीस के दो मशहूर तत्त्वज्ञानी अपनी सब मिलिक्रत अपने एक मित्र को सौंप कर तत्त्वज्ञान का अध्ययन करने के लिये हिन्दुस्तान आये थे । वे ब्राह्मणों के मध्य रहकर अपने जीवन का शेष अंश बिताना चाहते थे ।

मि० प्रिन्सेप कहते हैं :—

“The fact however that he (Pythagoras) derived his doctrines from India is very generally admitted”

अर्थात् यह बात बहुत ही सर्व साधारण तौर से स्वीकृत की जाती है कि पायथागोरस ने अपने सिद्धान्त हिन्दुस्तान से लिये थे ।

सर मॉनियर विलियम ने भी यह बात मुक्तकंठ से स्वीकार की है कि उपरोक्त दोनों तत्त्वज्ञानी अपने तत्त्वज्ञान के लिये हिन्दुओं के श्रेणी हैं । एलेक्जेंडर पॉलिस्टर का कथन है पाचरो Pyrrhon महान सिफ्टर बादशाह के साथ भारत गया था और उसका संशयवाद (Scepticism)

बौद्ध धर्म से लिया गया है ।” रेन्डेरगड वार्ड कहते हैं ‘यह बात निश्चित है कि पायथागोरस भारत गया था और वह गौतम बुद्ध का समकालीन था ।’ प्रोफेसर मेकडॉनल्ड कहते हैं कि :—

“According to Greek tradition Thales, Empedocles, Anaxagoras, Democritus, and others undertook journeys to oriental countries in order to Study Philosophy” अर्थात् ग्रीक दन्तकथाओं के अनुसार थेल्स एम्पिडोकल्स, एनेक्समोगोरस और डिमाक्रेटिस ने तत्त्वज्ञान का अध्ययन करने के लिये पूर्वीय देशों में सफर की थी । प्रोफेसर मेकडॉनल्ड कहते हैं कि दूसरी और तीसरी शताब्दि में क्रिश्चियन संशयवाद (Gnosticism) पर हिन्दू तत्त्वज्ञान का प्रभाव अवश्य गिरा था । काउन्ट Bjornstjerna कहते हैं कि ग्रीक तत्त्वज्ञान में बहुत समता पाई जाती है ।” हिन्दू लोग तत्त्वज्ञान में ग्रीकों से बहुत चढ़े बढ़े थे और इससे हिन्दू ग्रीकों के गुरु थे, न कि शिष्य । मि: कॉलब्रूक फरमाते हैं:—

“The Hindus were in this respect the teachers & not learners” अर्थात् इस विषय में हिन्दू गुरु थे, न कि शिष्य ।

एक फ्रेन्च पंडित का कथन है:—

The traces of Hindu philosophy which appear at each step in the doctrines professed by the illustrious men of Greece abundantly prove that it was from the East came their science, & that many of them no doubt drank deeply at the principal fountain अर्थात् ग्रीस के कीर्तिमान महानुभावों के द्वारा प्रकट किये गये सिद्धान्तों में पद पद पर हिन्दू तत्त्वज्ञान के चिन्ह मिलते हैं । उनसे यह बात सिद्ध होती है कि उनका (ग्रीकों का) विज्ञान

पूर्वीय देशों से आया था और उनमें से बहुतों ने निःसन्देह मूल स्तोत्र से तत्त्वज्ञान का जलासृत पान किया था ।

इस प्रकार सैकड़ों पश्चात्य विद्वानों ने हमारे भारतीय तत्त्वज्ञान व साहित्य की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि तत्त्वज्ञान (Philosophy) के दिव्य ज्ञान का करना, सबसे पहले वहीं से सारे संसार में प्रवाहित हुआ था और मानवी आत्मा को परम विकास और परमोन्नति की दिव्य अवस्था पर पहुँचानेवाले कई बड़े-बड़े सिद्धान्तों के मूल आविष्कार वहाँ हुए । संसार में सबसे पहले संस्कृति और सम्यता का प्रकाश वहीं से फैला और यही दिव्य भूमि संसार की सबसे पहली ज्ञानदात्री थी ।



मोहेंजोदड़ों और प्रागैतिहासिक

भारतीय सभ्यता

मोहेंजोदड़ों और हड़प्पा में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा जो खुदाइयों की गई हैं उनसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर नवीन प्रकाश पड़ा है। अनेक भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि सिन्धु प्रान्त की सभ्यता, तत्कालीन अन्य देशों से, बढ़चढ़ कर थी। यह प्रागैतिहासिक सभ्यता का उत्कृष्ट नमूना था। संसार की संस्कृति के इतिहास की विचारधारा को इसने एक नवीन मार्ग दिखाया है।

मोहेंजोदड़ों से प्राप्त सामग्री से पता लगता है कि यह नगर उस काल में (ईसवी सन् से लगभग ३०००-४००० वर्ष पूर्व) सभ्यता और संस्कृति तथा वैभव के ऊँचे शिखर पर पहुँचा हुआ था। यह सभ्यता सिन्धु प्रान्त तक ही सीमित नहीं थी, वरन्, सर जॉन मार्शल के मतानुसार, इसका प्रभाव गंगा, यमुना, नर्मदा तथा ताप्ती की घाटी तक पहुँची हुई थी। हड़प्पा तथा मोहेंजोदड़ों की खुदाइयों से ज्ञात हुआ कि पंजाब में इस सभ्यता का दृढ़ प्रभाव था। उत्तर-पूर्व में इस सभ्यता के अवशेष रूपक तक मिले हैं। डेरा जाट, बन्नु, तथा मोव की ओर भी प्रस्तर-ताम्र-युग की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। श्री माधव स्वरूप बरस ने काठियावाड़ की लिम्बडी स्टेट में भी सिन्धु आदर्श की अनेक वस्तुएं प्राप्त की थीं। पश्चिम में नाब (कलात स्टेट) तथा बलुचिस्तान के पूर्वी भाग में भी सिन्धु सभ्यता का प्रभाव फैला हुआ था। उस

समय बलुचिस्थान अधिक सम्य देश नहीं था, इसलिये वह और सुसंस्कृत देशों की सम्यताओं से ज्ञान तथा प्रकाश पाता था ।

मोहेंजोदड़ों का शासन-प्रबन्ध

यहां की खुदाइयों से जो बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हुई है, उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस समय संसार के देशों में यहाँ का शासन प्रबन्ध सर्वोत्कृष्ट रहा होगा । उस प्रागैतिहासिक युग में शासन और सम्यता का इतना विकास देख कर सचमुच आश्चर्य होता है । मि० मैके का कथन है कि मोहेंजोदड़ों एक प्रतिनिधि (Governor) के अधीन था । कुछ प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि सुविधा तथा सुचारु प्रबन्ध के लिये नगर कई भागों में विभक्त था । प्रत्येक भाग के लिये एक रक्षक नियुक्त था । इन रक्षकों के लिये सड़कों के कोनों पर मकान बने हुए थे । एक सड़क के बीच में दीवार बनाकर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया था । इन सड़कों पर रोशनी (Light) का भी प्रबन्ध था । स्थान स्थान पर कूड़ा कर्कट रखने के लिये पीपों का रखना, नालियों को ठीक समय पर साफ करना, मकानों का ठीक स्थानों पर बनवाना, जल की सुन्दर व्यवस्था करना तथा सड़कों का उचित निरीक्षण करना आदि बातों से ज्ञात होता है कि मोहेंजोदड़ों में अवश्य कोई जानपद या म्यूनिसिपल बोर्ड था और वही संस्था नगर के स्वास्थ्य तथा सुविधा के लिये योजनाएँ करती थी । यह बतलाना कठिन है कि शहर में कौन कौन से अफसर थे, किन्तु इनमें शायद ६ मुख्य अधिकारी रहे होंगे जिनका उल्लेख शुक्राचार्य ने शुक्रनीतिसार में किया है या इस नगर में नगरपति या कौटिल्य वर्णित "नागरक" रहा हो । सफाई के लिये अवश्य कोई हेतु आफिसर नियुक्त रहा होगा । नगर की स्वास्थ्य रक्षा के लिये अनेक वैसे ही विधान रहें होंगे, जिनका वर्णन धर्म-शास्त्रों में प्रायः मिला करता है ।

मि० हन्टर का कथन है कि मोहेंजोदड़ों में प्रजातन्त्र सरकार थी। प्रजातन्त्र सभा के सदस्य ही सम्भवतः नगर का प्रबन्ध करते थे। इस सभा में अनेक राजनैतिक दलों के मतानुयायी प्रतिनिधी थे। नगर का प्रबन्ध बड़े ही सुचारु रूप से संचालित किया जाता है।

नगर निर्माण-कला का विकास

मोहेंजोदड़ों की नगर निर्माण प्रणाली बड़ी सुन्दर और विशद थी। सुविख्यात पुरातत्त्वविद् श्री दाँचित्त महोदय का कथन है कि “ऐसी सुन्दर और सुव्यवस्थित प्रणाली संसार के किसी भी प्राचीन देश में देखने को नहीं मिलती।”

नगर निर्माण के समय वहाँ के निवासी उचित स्थान चुनते थे और इसके बाद वे नक्शा बनाते थे। इस नक्शे में यह दिखाया जाता था कि कहां पर कौनसा मकान बनेगा और किस दिशा की ओर प्रधान सड़कें बनाई जावेंगी। सड़कें एक दूसरी से प्रायः समकोण पर कटती थीं। ये सड़कें बिल्कुल सीधी थीं। एक लम्बी सड़क, जिसको राजपथ नाम दिया गया है, पौन मील तक साफ काँ गई है। यह सड़क कहीं कहीं पर ३३ फीट चौड़ी थी। गलियों ३ फीट से ७ फीट तक चौड़ी होती थीं। प्रधान सड़कें पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की जाती थी। इन सड़कों पर स्थित भवनों को शुद्ध हवा मिलती रही होगी। हवा का एक कौने से दूसरे कौने तक की हवा को शुद्ध कर देता रहा होगा। इधर उधर की सब गलियाँ राजपथ से मिल जाती थीं। प्रायः सभी सड़कें समानान्तर हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण सड़क वह थी जो दक्षिण की ओर जाती हुई स्तूप भाग को दो भागों में बाँटती थी। इन सड़कों पर पहिये वाली तीन गाड़ियाँ और पैदल मनुष्य अच्छी तरह चल सकते थे।

नगर निर्माण की तरह मोहेंजोदड़ों तथा हड़प्पा की तत्कालीन

सभ्यता ने और भी अनेक दिशाओं में बड़ी प्रगति की थी, जिसका उल्लेख सर जॉन मार्शल, डी० ए० मैके, श्री काशीनाथ दीक्षित आदि महोदयों ने अपने खोजपूर्ण ग्रन्थों में किया है। इसमें सन्देह नहीं सिन्धु प्रान्त की खुदाइयों से इतिहासवेत्ताओं के दृष्टिकोण में भारत के प्राचीन इतिहास को एक नवीन रूप प्राप्त हुआ है।



प्राचीन भारत का राजकीय विकास



प्राचीन भारत में न केवल आध्यात्मिक, साहित्यिक और दार्शनिक विषयों में प्रगति की थी, पर उसने राजनैतिक विषय में भी बड़ी उन्नति की थी। जब से कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रकाशन हुआ है, तब से संसार के विचारशील व मनस्वी सज्जनों का भारतीय राजनीति के विषय में बड़ा मत-परिवर्तन हो गया है। उस समय से इस दिशा में इतिहास के विद्वानों द्वारा काफी अन्वेषण हुए और तत्कालीन राजनीति पर बहुत कुछ प्रकाश डाला गया। सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल, श्री घोषाल महोदय, श्री विनयकुमार सरकार, श्री प्रमथनाथ बनर्जी, श्री नगेन्द्रनाथ गुप्त आदि कई इतिहास के धुरन्धर विद्वानों ने इस विषय पर अन्वेषणात्मक ग्रन्थ लिख कर यह दिखलाया है कि भारतवर्ष ने जनतन्त्र के विकास में उस समय की परिस्थिति के अनुसार, बड़ी प्रगति की थी।

सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल अपने अन्वेषणात्मक ग्रन्थ "Hindu Polity" में लिखते हैं:—

“हमें इस विषय का ज्ञान प्राप्त कराने वाले साधन हिन्दू साहित्य के विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं। वैदिक, संस्कृत तथा प्राकृत ग्रन्थों और इस देश के शिलालेखों तथा सिक्कों में रचित लेखों से हमें इस विषय की बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। सौभाग्यवश इस समय हमें हिन्दू राजनीति शास्त्र के कुछ मूल ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। ये थोड़े से ग्रन्थ

उस विशाल ग्रन्थ भस्डार का अवशेष मात्र हैं, जिन्हें समय समय पर हिन्दू भारत के अनेकानेक राजनीतिज्ञों और शासकों ने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार के अवशिष्ट ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ कौटिल्य का अर्थशास्त्र (ई० पू० ३००) है जिसमें पूर्व या आरंभिक मौर्यों के साम्राज्य शासन विधान आदि दिये हुए हैं। यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों के आधार पर प्रस्तुत हुआ था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ऐसे अठारह, उन्नीस आचार्यों के नाम दिये हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और भी आचार्य हैं जिनका उल्लेख ग्रन्थान्ध स्थानों पर हुआ है। उदाहरण स्वरूप महाभारत को लीजिये, जिसमें हिन्दू राजनीति विज्ञान का संचित इतिहास दिया है और जिसमें इन आचार्यों के अतिरिक्त एक और आचार्य 'गौर शिरा' का उल्लेख है। आश्वलायन गृह्यसूत्र में एक और आचार्य का उल्लेख है जिसका नाम "आदित्य" दिया है। आचार्यों और लेखकों की इस विस्तृत सूची से पता चलता है कि कौटिल्य के समय से शताब्दियों पूर्व इस देश में राजनीति शास्त्र का अध्ययन होता था और जिस समय कल्पसूत्रों की रचना समाप्त हो रही थी, उस समय तक यह एक प्रामाणिक विषय हो गया था।"

वैदिक काल की जनतन्त्रीय संस्थायें

युरप के अनेक विद्वानों ने अपनी अन्वेषणाओं के बाद यह स्वीकार किया है कि ऋग्वेद संसार के उपलब्ध ग्रन्थों में सबसे प्राचीन हैं। लोकमान्य तिलक ने अपने एक अत्यन्त खोजपूर्ण ग्रन्थ Orion (ओरायन) में इसका कार्यकाल ई० पू० ७०००-८००० वर्ष क्त-लाया है। ऋग्वेद के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि उस प्राचीन काल में भी भारतवर्ष ने जन-तन्त्रीय शासन संस्थाओं की संस्थापना की थी। श्रीयुत अविनाशचन्द्र दास ने अपने खोजपूर्ण ग्रन्थ

“Rigvedic Culture” में ऋग्वेद कालीन ‘सभा’ और ‘समिति’ नामक दो राजनीतिक संस्थाओं पर प्रकाश डाला है। आप लिखते हैं—

“वैदिक आर्यों में जन-तन्त्रीय प्रवृत्तियाँ थीं। वे अपने दखलगत (Tribal) हितों की रक्षा में तत्पर रहते थे। सार्वजनिक तथा अपने ग्राम सम्बन्धी शासन कार्यों पर विचार करने के लिये वे सभाओं में इकट्ठे होते थे और उन विषयों पर सुबे दिख से वादानुवाद करते थे। हर एक महत्वपूर्ण ग्राम में एक स्थायी संस्था थी जिसका नाम ‘सभा’ था। (Rv VI-286; VIII, 4. 9; X. 34. 6) इस सभा का स्वतन्त्र मकन होता था, जिसमें ग्राम के वृद्ध और सम्माननीय सज्जन ग्राम-शासन सम्बन्धी विषयों पर विचार विनिमय करते थे। ऋग्वेद में एक दो स्थानों पर (१६०, ३) ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि स्त्रियाँ भी इसमें भाग लेती थीं। उपनिषद्-काल में तो इस प्रकार की लोक सभाओं में स्त्रियों के भाग लेने के स्पष्ट उदाहरण मौजूद हैं।”

कौटिल्य अर्थशास्त्र के आविष्कारक डा० श्याम शास्त्री अपने The evolution of Indian polity नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

“इन सभाओं या परिषदों की सदस्यता के सम्बन्ध में यह दिखलाई देता है कि इसमें जाने के लिये किसी के लिये किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। वृद्ध और युवक, शिक्षित और अशिक्षित सभी इनमें स्वतन्त्रता के साथ सहयोग दे सकते थे। इनमें कोरम (Quorum) का कोई सवाल नहीं था और सभा को पूर्ण रूप से अधिकार युक्त बनाने के लिये प्रत्येक बालिग ग्रामवासी का उपस्थित होना आवश्यक था।”

कृष्ण बज्रवेद नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि ये सभाएँ बहुत बड़े पैमाने पर होती थीं और किसी को भी अपने विचार करने के अधिकार से च्युत नहीं किया जाता था।

इन सभाओं में पुरोहितगण सिद्धित लोगों का और सामन्तगण कृषक तथा व्यापारी लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन सभाओं में, राजाओं के निर्वाचन के प्रश्न तथा राजाओं को राजच्युत करने या सिंहासन पर वापिस अधिष्ठित करना आदि के विषयों पर सुखी चर्चा होती थी। यह बात सन्देहास्पद है कि राजा लोग इनमें उपस्थित होते थे या नहीं। अगर वे उपस्थित होते थे तो सभाध्यक्ष के रूप में होते थे। जब किसी राजा के चुनाव या उसे वापस राज्याधिकार प्राप्त करने के विषय में लोक सभा में विचार होता था, तब वह राजा नियमानुसार उस सभा में उपस्थित नहीं रहता था।

ऋग्वेद में 'सभा' व 'समिति' का उल्लेख कई स्थानों पर आया है। सुप्रसिद्ध लेखक Hillebraldt का कथन है कि ये दोनों संस्थाएँ एक थीं। पर प्रख्यात जर्मन इतिहासवेत्ता लुडविग (Ludwig) ने अपने ऋग्वेद के अनुवाद में यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि 'समिति' एक विशुद्ध लोक सभा होती थी जिसमें सब लोग सहयोग दे सकते थे। इसमें राजा और अमीर उमराव भी शामिल होते थे। भीमर (Zimmer) महोदय का कथन है कि समिति में राजा का निर्वाचन होता था। ऋग्वेद में इसके स्पष्ट उल्लेख हैं (X. 173. 1) इन समितियों की बैठकें बड़े नगरों में होती थीं और लोक तथा उनके प्रतिनिधि उनमें शामिल होते थे।

प्रजा द्वारा राजा का चुनाव

इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष में राजतन्त्र की संस्था (Monarchy) अति प्राचीन काल से चली आ रही है, पर वैदिक काल में राजाओं के प्रजा द्वारा चुने जाने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। भीमर महोदय का कथन है कि "वैदिक काल में राजा प्रजा द्वारा चुना जाता था।" (Vedic Index) आगे चल कर भीमर महोदय फिर कहते

हैं कि “लोक या उनके प्रतिनिधि, सभा या समिति में इकट्ठे होते थे और राजा के चुनाव के लिये अपनी सम्मति प्रदर्शित करते थे।” ऋग्वेद में एक मन्त्र है जिसमें लोक या प्रजा द्वारा राजा के चुने जाने का स्पष्ट उल्लेख है। (१०. १२४. ८) ।

ऋग्वेद के दूसरे मन्त्रों से यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय राजा का चुनाव उसकी योग्यता को दृष्टि में रख कर होता था और राजा को अपने पद की रक्षा के लिये जनता की सदिच्छा पर निर्भर रहना पड़ता था । जब तक प्रजा उसके शासन प्रबन्ध से खुश रहती थी तब तक वह उसे कर देती थी, पर ज्योंही उसे शासन में अन्याय या अत्याचार दिखाई देता वह कर देना बन्द कर देती थी । लोगों को अपने अधिकार, स्वत्व व कर्तव्यों का पक्का ज्ञान था और उनकी आवाज को राजा किसी तरह भी अवहेलना की दृष्टि से नहीं देख सकता था । (See Rigveda the Culture by Avinash Chandra Das).

ऋग्वेद से अथर्ववेद का रचनाकाल उत्तरकालीन है । उसमें भी कई ऐसे मन्त्र हैं जिनमें राजा के प्रजा द्वारा चुने जाने के स्पष्ट उल्लेख हैं । इस विषय में कुछ मन्त्र नीचे उद्धृत किये जाते हैं:—

“इन्द्रेन्द्र मनुष्या परेहि संहयज्ञास्था वरुणौ संविदानः ।
सत्वायमहवत स्वे सधस्थे सदेवान यत्तत् स ३ कल्पयाद् विशः ॥
३. ४. ६ ।”

अर्थात् हे राजन ! आप जनता के सामने आइये । आप अपने निर्वाचन करने वालों के अनुकूल हैं । इस पुरुष (पुरोहित) ने आपको आपके योग्य स्थान पर यह कह कर बुलाया है कि “इसे देश की स्तुति करने दो, और जाति (विश०) को भी सुमार्ग पर चलाने दो” ।

“त्वां विशो वृणुता राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्चदेवी ।
वर्ध्मान राष्ट्रस्यं ककुदि श्रयस्व ततोऽन उग्रो विभजा वसुनि ॥ ३-४

अच्छात्वायन्तु हविनः सजाता अनिदूर्तो अजिर संचरातै ।
जायाः पुत्राः समनसोभवन्तु बहुबलिं प्रति पथ्यासा उग्रः ॥

अर्थात् हे राजन ! राज्य-कार्य चलाने के लिये प्रजा तुम्हें निर्वाचित करे । इन पाँचों प्रकाशयुक्त दिशाओं में प्रजा तुम्हें निर्वाचित करे । राजा के श्रेष्ठ सिंहासन का आश्रय लेकर तू हम लोगों में उग्र होते हुए भी धन की बांट किया कर । तेरे अपने देश निवासी ही तुम्हें बुलाते हुए तेरे पास आवें । तेरे साथ चतुर तेज युक्त एक दूत हों । राष्ट्र में जितनी स्त्रियाँ और उनके पुत्र हों वे तेरी ओर मित्र भाव से देखें, तबही तू उग्र होकर बहुबलि ग्रहण करेगा ।

इस प्रकार के कई मन्त्र अथर्ववेद में मिलते हैं जिनमें प्रजा द्वारा राजा के निर्वाचन करने के उल्लेख हैं । एक तरह से देखा जाय तो अथर्ववेद के काल में राजा प्रेसीडेन्ट की तरह होता था । उसे प्रजा ही चुनती थी और प्रजा ही निकाल सकती थी । इन मन्त्रों से यह स्पष्ट मालूम होता है कि जिस प्रकार राजा को निर्वाचित करने का प्रजा को अधिकार था, उसी प्रकार राजा को शासन च्युत करने का भी उसे पूर्ण अधिकार था । इसके साथ साथ वैदिक मन्त्रों से यह भी पाया जाता है कि उस समय वंशानुगत राज्य की प्रथा नहीं थी । जो भी पुरुष योग्य, अनुभवी, विद्वान्, बलवान् और सदाचारी होता था वही प्रजा द्वारा निर्वाचित किया जाता था । अलौकिक तेज, दिव्य प्रतिभा तथा प्रशंसनीय सद्गुण देखकर ही प्रजा राजा को चुनती थी । राज गद्दी पर बैठ जाने के बाद भी कोई राजा अयोग्य और अत्याचारी निकल जाता तो प्रजा को यह अधिकार था कि वह उसे गद्दी से उतार दे । राजा को राज्याधिकार लेते समय इस आशय की पुरोहित से प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी, "मैं नियमानुसार शासन करूँगा । यदि नहीं करूँ तो आप मुझे सब प्रकार के दण्ड दे सकते हैं । मेरी निंदा, प्रशंसा, पुत्र, कलत्र, और जीवन तक तुम्हारे हाथ में है । तुम्हें अधिकार है कि यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूँ और

स्वेच्छाचारी होकर प्रजा को हानि पहुंचाऊं व उसके प्रति द्रोह करूं तो तुम मुझे अपने प्रिय परिजनों से अलग कर सकते हो। मुझे बन्दी गृह में बन्द कर सकते हो।”

बदि कोई राजा अपनी प्रतिज्ञा पालन न कर अन्याय और अधर्म करता था तो उसके लिये दण्ड विधि भी थी। शुक्राचार्य के शब्दों में वह इस प्रकार थी:—

गुणनीति बल द्वेषी कुलभूतोऽप्य धार्मिकः ।
 क्षुपो यदिभवेत् तन्तुत्यजेदाष्ट विनाशकम् ॥
 तत्पदे तस्य कुलजं गुण युक्तं पुरोहितः ।
 प्रकृत्यनुमतं कृत्वा स्थापयेद्राज्य गुप्तये ॥

अर्थात् जो राजा गुण, नीति, राज्य के प्रचलित नियमों और बल का अभाव हो गया हो; जो अच्छे कुल में पैदा होकर भी अधार्मिक हो गया हो; उस विनाशक को राज्य से हटा देना चाहिये। उसके स्थान पर, राष्ट्र की रक्षा के लिये, राज पुरोहित और राज कर्मचारियों का मत लेकर, उसके कुल में उत्पन्न हुए किन्तु गुण युक्त, उसके सम्बन्धी को अधिष्ठित करना चाहिये।

इसी प्रकार का आदेश मनुस्मृति में भी है:—

मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयः त्यन वेक्षया ।
 सोऽचिराद् भृश्यते राज्याज्जीविञ्च स बान्धवः ॥

अर्थात् जो राजा मूर्खता तथा मोहवश होकर अपनी प्रजा को सताता है, वह शीघ्र ही राज्य से च्युत किया जाता है और बन्धुओं सहित मृत्यु लोक को प्राप्त होता है।

इसी प्रकार राजा को उसके पापों के प्रायश्चित्त देने के अनेक विधान हमारे धर्म शास्त्रों में मिलते हैं। कई बातों में तो हमारे भारत के प्राचीन राजा महाराजाओं की शक्ति आधुनिक युरोपिय देशों के

सम्राटों से भी अधिक मर्यादित थी। यहां तक कि अपराध करने पर जो दण्ड साधारण नागरिक को मिलता था, उससे भी अधिक दण्ड राजा को दिये जाने का विधान था। यथा

कार्षापण भदेहण्डय सहस्त्रमिति धारणा ।

अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेयं भवति किल्बिषम् ॥

अर्थात् जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो, उसी अपराध में राजा को सहस्र रुपये दण्ड होने चाहिये।

उक्त वर्णन से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि उस समय राजा प्रजा द्वारा निर्वाचित होते थे। उनके अधिकार नियमित रहते थे। प्रजा को जिस प्रकार राजा को निर्वाचित करने का अधिकार था, उसी प्रकार राजा को, अत्याचारी, दुर्व्यसनी और प्रजा पीड़क होने पर राज्यच्युत करने का भी प्रजा को अधिकार था। प्रजा द्वारा राजा को राज्यच्युत करने के और उसे उसके अपराधों के लिये योग्य दण्ड देने के हिन्दू शास्त्रों में उल्लेख हैं।

रामायण और महा भारत में जनमत का आदर

रामायण में लिखा है कि जब महाराजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचन्द्र को राजसिंहासन देना चाहा, तब उन्होंने अपने प्रजाजनों की सभा बुलाकर उनकी अनुमति ली थी। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में यह भी उल्लेख है कि महाराजा दशरथ अकेले राज्य कार्य नहीं करते थे, वरन् वे विद्वान् और योग्य मन्त्रियों की परिषद् की सहायता से राज्य संकट चलाते थे। महाभारत में राजा पृथु का प्रजा द्वारा चुने जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

प्राचीन भारत में गणतन्त्र राज्य

वेदों के गम्भीर अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वैदिक युग के आरम्भ में केवल राजाओं द्वारा ही शासन हुवा करता था। पर उत्तर काखीन वैदिक युग में, ऐसा प्रतीत होता है, राजतन्त्र की प्रथा तोड़ दी गई थी। इस बात को सुप्रख्यात प्रवासी मैगस्थेनीज ने भी स्वीकार किया है*। प्रजातन्त्र शासन के प्रमाण परवर्ती वैदिक साहित्य, ऋग्वेद के ब्राह्मण भाग तथा यजुर्वेद और अन्य ग्रन्थों में मिलते हैं। बौद्ध साहित्य की जातक कथाओं में भी गणतन्त्र राज्यों के स्थान स्थान पर उल्लेख आये हैं। जैन साहित्य में भी गणतन्त्रों के वर्णन हैं। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इन्हें संघ कहा है। सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ 'मज्झिम-निकाय' में संघ और गण साथ साथ आये हैं और बिना किसी सन्देह के यह कहा जा सकता है कि उनसे भगवान् बुद्धदेव के समय के गण तन्त्रों का अभिप्राय है। सुप्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने अपने विख्यात ग्रन्थ अष्टाध्यायी में हिन्दू प्रजा तन्त्रों का महत्त्वपूर्ण उल्लेख किया है। पाणिनि का समय ५०० ई० पू० बतलाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि के समय प्रजातन्त्रों का कितना महत्त्व था। पाणिनि ने कई प्रजातन्त्रों या संघों का उल्लेख किया है।

बौद्धयुग के गणतन्त्र राज्य

भगवान् बुद्धदेव के समय भारतवर्ष में कई गणतन्त्र राज्य थे। बुद्धदेव का जन्म, जिस स्थान में हुआ था, वह भी एक गणतन्त्रीय राज्य में था। ये गणतन्त्र पूर्व में कौशल और कौशाभी के राज्यों तक और पश्चिम में अंग राज्य तक विस्तृत थे, अर्थात् उनका विस्तार गोरख-

(*) Epitome of Megasthenes Divd II 38 Mc Crindle, Megasthenes pp. 38, 40.

पुर और बलिया के जिले से भागलपुर जिले तक तथा मगध के उत्तर में हिमालय के दक्षिण तक था। सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री काशी-प्रसाद जायसवाल ने इन गणतन्त्रों का उल्लेख इस प्रकार किया है—

- (१) शाक्यों का गणतन्त्र—इनकी राजधानी गोरखपुर जिले के कपिलवस्तु नामक नगर में थी और जिसमें उनके बहुत ही समीपवर्ती राज्य भी सम्मिलित थे।
- (२) कोलियों राम ग्राम।
- (३) लिच्छवियों का राज्य—इनकी राजधानी वैसाली में थी, जिसे आजकल बसाढ़ कहते हैं और जो मुजफ्फरपुर जिले में है।
- (४) विदेहों का राज्य—इनकी राजधानी मिथिला (जिला दरभंगा) में थी। ये अंतिम दोनों मिल कर वृज्जी अथवा वज्जी कहलाते थे।
- (५) मल्लों का राज्य—यह बहुत दूर तक फैला हुआ था और यह दक्षिण में शाक्यों तथा वृजियों के राज्य तक चला गया था, अर्थात् आधुनिक गोरखपुर जिले से पटने तक चला गया था और जो दो भागों में विभक्त था। इनमें से एक राज्य की राजधानी कुशी नगर (कुसीनारा) तथा दूसरे की पावां में थी। इस प्रकार बौद्ध युग में और भी गणतन्त्र राज्य थे।

कौटिल्य अर्थशास्त्र और गणतन्त्र

कौटिल्य सम्राट चन्द्रगुप्त का प्रधान मन्त्री था। उसने राजनीति का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है, जो 'अर्थ-शास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध है। उक्त ग्रन्थ में राजनीति तथा राजधर्म के साथ साथ तत्कालीन गणतन्त्रों का भी उल्लेख किया है। इन गणतन्त्रों में मुख्य मुख्य ये थे—

- १ लिच्छविक २ वृज्जिक ३ मल्लिक ४ कुकुर ५ कुकुर
- ६ पांचाल ७ कामोज ८ सुराष्ट्र ९ इन्द्रिय ११ अश्वी।

इनके अतिरिक्त उस समय छद्मकों व मालकों के भी प्रजातन्त्र राज्य थे, जिनका वर्णन कौटिल्य के ग्रन्थ में नहीं है।

सम्राट् सिकन्दर ने जब भारतवर्ष पर चढ़ाई की थी तब उसके साथ कई इतिहास लेखक आये थे, जिनमें मेगास्थनीज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसने अपने प्रवास-वर्णन में कुछ प्रजातन्त्र राज्यों का उल्लेख किया है। वह लिखता है:—

“वे लोग………जहाँ राजा होता है वहाँ सब बातों की सूचना राजा को देते हैं और जहाँ लोग स्वाधीन होते हैं, अपना शासन आप करते हैं, वहाँ मजिस्ट्रेटों—स्थानीय अधिकारियों—को सूचना देते हैं।”

सिकन्दर के साथ आनेवाले दूसरे इतिहास-लेखक मैकक्रिडल ने अपने ग्रन्थ “Invasion of India by Alexander” में लिखा है “भारतवर्ष के प्रत्येक गाँव को उन्होंने (यूनानियों) एक स्वतंत्र प्रजातन्त्र समझा था।”

यूनान के एक अन्य लेखक ‘पेरियन’ ने भी अपने ग्रन्थ में कुछ ऐसे राज्यों का उल्लेख किया है जिनमें प्रजातन्त्री शासन व्यवस्था थी। जब सिकन्दर व्यास नदी के तट पर पहुँचा, तब उसने सुना कि व्यास नदी के पार एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सुन्दर प्रजातन्त्री शासन प्रणाली प्रचलित है, और जहाँ लोग अपने अधिकारों का उपयोग बहुत ही न्याय तथा विचार पूर्वक करते हैं।

जब सिकन्दर वापस लौटा तब उसे सिन्धु नदी के तट पर और भारतीय सीमा पर कितने ही ऐसे राज्य मिले जो प्रजातन्त्री थे। इन लेखकों ने कुछ और भी प्रजातन्त्रीय राज्यों का वर्णन किया है, जिनका उल्लेख हम यहाँ विस्तार भय के कारण नहीं करेंगे।

कहने का सारांश है कि यहाँ भारतवर्ष में जहाँ एक तन्त्र राज्य प्रणाली (Monarchy) थी, वहाँ कई स्थानों में प्रजातन्त्र राज्य प्रणाली (Republic) होने के भी उल्लेख मिलते हैं। यह कहना भ्रमपूर्ण है कि प्राचीन भारतवासी प्रजातन्त्र शासन प्रणाली से अनजान थे, तथा भारतवासियों में जनतन्त्र की भावना का अभाव रहा है।

मौर्य साम्राज्य का आदर्श शासन

मौर्य—शासन का पूर्ण विवरण हमें कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र और मैगास्थनीज के प्रवास वर्णन में मिलता है। ये दोनों ग्रन्थ तत्कालीन इतिहास और राजनीति पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। सम्राट् चन्द्रगुप्त की शासन व्यवस्था को देख कर वास्तव में आश्चर्य होता है। कौटिल्य ने सम्राट् चन्द्रगुप्त के अनेक शासन विभागों पर विलुप्त विवेचन किया है, जिनकी ओर वर्तमान भारतीय राजनितिज्ञों का ध्यान अवश्य जाना चाहिये। इस समय सारे भारतवर्ष में राजनैतिक एकता स्थापित थी और देश बड़ा शक्तिशाली हो गया था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि देश एकतंत्रीय शासन में था पर उसके अन्तर्गत कई छोटे मोटे प्रजातन्त्र भी थे, जिन्हें मौर्य सम्राट् की ओर से पर्याप्त उतेजना मिलती थी। मौर्य साम्राज्य के समय के शासन तन्त्र पर हम किसी स्वतंत्र ग्रन्थ में विस्तृत रूप से प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे। पर यहां हम सम्राट् चन्द्रगुप्त के पौत्र सम्राट् अशोक के दिव्य शासन पर कुछ पंक्तियाँ लिखकर पाठकों को उस समय की दिव्य शासन-व्यवस्था का थोड़ा सा दिग्दर्शन करा देना चाहते हैं।

सम्राट् अशोक के शिलालेख देश के विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं। उन शिलालेखों से हमें सम्राट् अशोक के राजनैतिक व धार्मिक आदर्शों का और उनके धर्म राज्य का पर्याप्त परिचय मिलता है। संसार प्रसिद्ध पाश्चात्य ग्रन्थकार एच० जी० वेल्स (H. G. Wells) ने कहा है:—

“सम्राट् अशोक के २८ वर्ष का शासन मानव जाति के इतिहास में सबसे अधिक प्रकाशमान घटना है। उन्होंने भारतवर्ष में स्थान स्थान पर कुएँ खुदवाये और छाया के लिये वृक्ष लगवाये। उन्होंने रोगियों के लिये स्थान स्थान पर औषधालय खुलवाये और उद्यान लगवाये जिनमें

फस, फूस और औषधियाँ पैदा होती थीं, उन्होंने विदेशियों के लिये अलग सचिवालय कायम किये । स्त्री-शिक्षा का प्रबंध किया, और मगधवर्ष बुद्धदेव के सन्देश को फैलाने के लिये दूर दूर तक प्रचारक भेजे ।

इस प्रकार महाराज अशोक सम्राटों में सबसे महान् थे और अपने समय से १०० वर्ष आगे थे ।”

(A short history of world by H. G. Wells)

इन्हीं महाशय ने इसी ग्रन्थ में लिखा है:—

“Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, their Majesties and Graciousnesses, and Serenities and Royal Highnesses, and the like, the name of Asoke shines, and shines almost alone, a star. From the Volga to Japan, his name is still honoured. China, Tibet and even India, though it has left his doctrine, preserve the tradition of his greatness. More living men cherish his memory to-day than have ever heard the names of Constantine or Charlemagn.”

(H. G. Wells)

इसका आशय यह है कि संसार के सहस्र सहस्र उन सम्राटों में जिन्होंने इतिहास के पृष्ठों को सुशोभित किया है, महाराजा अशोक का नाम प्रकाशमान् सितारे की तरह अकेला ही चमकता है । बोलगा से जापान तक उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है । चीन, तिब्बत और यहां तक कि भारतवर्ष में भी उनकी महानता का इतिहास सुरक्षित है । आज भी संसार में कांस्टेन्टाइन से चार्ल्समन तक अधिक मनुष्य उनके नाम को आदर सहित स्मरण करते हैं ।

महाराजा अशोक का राजनैतिक आदर्श इतना उच्च और दिव्य था कि उसकी तुलना संसार के किसी भी उन्नत से उन्नत शासन से नहीं की जा सकती। अहिंसा के महान् धर्म का उन्होंने सार्वत्रिक प्रचार किया था। न केवल मनुष्य जाति का ही, पर सकल प्राणियों का सुख उनकी राजनीति का प्रधान आदर्श था। उनके शासन में हम मानवता और दिव्यता का उच्च आदर्श देखते हैं। उनके शिलालेखों से प्रगट होता है कि वे अपने को सिर्फ लोगों के इह-लौकिक कल्याण के लिये ही उत्तरदायी नहीं समझते थे, पर उनके पारलौकिक सुख के लिये भी वे अपने आपको जिम्मेवार समझते थे। प्रजा के लिये उनके द्वार हर दम खुले रहते थे। यद्यपि वे बौद्ध धर्मावलम्बी थे और उनके शासन पर भगवान् बुद्धदेव का बड़ा प्रभाव था, पर वे अन्य धर्मावलम्बियों को भी समदृष्टि से देखते थे और उनके कल्याण के लिये उतना ही प्रयत्न करते थे जितना कि बौद्ध मतावलम्बियों के लिये करते थे। उन्होंने अपने राज्य में प्राणीवध को बिल्कुल बन्द कर दिया था। इससे उनके धर्म राज्य में जीव मात्र सुख और शान्ति से विचरते थे। संसार के इतिहास में सम्राट् अशोक का शासन सदा अमर रहेगा और वह शासन-कर्ताओं के लिये एक उच्च आदर्श का काम देगा।

गुप्त सम्राटों का शासन

सम्राट् अशोक के बाद गुप्त साम्राज्य का शासन-काल भारत के लिये स्वर्णयुग कहा जाता है। गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय का नाम भारत के इतिहास के पृष्ठों को सदा गौरवान्वित करेगा। कई इतिहास-वेत्ता इन्हीं महाराजा चन्द्रगुप्त को भारतीय इतिहास के अमर रत्न विक्रमादित्य भी मानते हैं। उनके मतानुसार विक्रमादित्य उनकी उपाधि थी। इसके लिये वे प्रमाण देते हैं कि जितने शिलालेखों में विक्रम सम्राट् का नाम आया है वे सब छठी शताब्दि या उसके बाद के हैं। इस विषय में

इतिहासवेत्ताओं में मतभेद है। पर यह बात निश्चित है कि सम्राट् द्वितीय चन्द्रगुप्त एक महान् नृपति हुए जिन्होंने भारतवर्ष में सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने प्रजा कल्याण की भावना को ही अपने शासन का आदर्श बनाया था।

इन्हीं महाराज चन्द्रगुप्त के राज्य काल में एक चीनी प्रवासी-फाहियान-भारतवर्ष में आया। इसने महाराजा चन्द्रगुप्त के राज्य का जो सुमनोहर वर्णन किया है उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है।

“भारतवासी बड़े धर्मनिष्ठ और दयावान् थे। जिन लोगों को परमात्मा ने धन और वैभव दिया था, उनके हृदय में कसूरिया और उदारता भी भरदी थी। वे केवल स्वार्थ ही के लिये अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं करते थे, परोपकार में भी साधारणतया उसका कुछ भाग लगाया करते थे। देश में धर्मार्थ संस्थायें बहुत थीं। जगह जगह अच्छे-बुरे हुए थे। मार्गों पर यात्रियों के रहने के लिये धर्मशालायें बनी हुई थीं। राजधानी में धर्मार्थ औषधालय भी थे जिनमें असहाय, अनाथ तथा बीन दुखिया लोगों की मुफ्त चिकित्सा की जाती थी। सब रोगों के रोगी इन अस्पतालों में लिये जाते थे। उनकी देख भाळ के लिये वहां चिकित्सक सदा रहते थे। उनकी दशा के अनुसार पथ्य भी उन्हें औषधालय से ही मिलता था। पूरा आराम होने तक वे वहाँ रह सकते थे। इन औषधालयों के व्यय का सारा भार नगर के कुछ दानशील बनाह्य पुरुषों ने अपने ऊपर ले रखा था।

इतिहासकार विल्सेट स्मिथ का कथन है कि “उस समय संसार भर में कहीं भी ऐसे अच्छे सार्वजनिक औषधालय बने हों इसमें सन्देह है। अशोक की मृत्यु के बाद भी उसके उपदेशों का इस प्रकार शुभ फल फलते रहना उसकी दूरदर्शिता की अपने आप प्रशंसा कर रहा है।”

फाहियान ने अपने ग्रन्थ में भारतीय शासन के विषय में जो कुछ लिखा है उससे स्पष्ट मालूम होता है कि राजा सर्व प्रिय था और शान्ति-

मथ उपायों से काम लेता था । प्रजा पर कोई कठोर अंकुश नहीं था । राज्य की तरफ से प्रजा के कामों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था । दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डाले बिना लोग जो चाहते, कर सकते थे । सारा मध्य देश जनपदों में विभक्त था । जनपदों के अधिपति भी दयालु थे और शासन करने में अपने सम्राट् का अनुकरण करते थे । प्रजा भी नागरिकों के उच्च आदर्श को जानती थी और उसके अनुसार व्यवहार करती थी । फ्राहियान ने उन्हें सद्गुणों में परस्पर स्पर्धा सा करते देखा । अतएव अपराध बहुत कम होते थे । हजारों मील के खम्बे सफ़र में फ्राहियान को कोई डाकू या ठग नहीं मिला । इसलिये राज-नियम भी कड़े नहीं थे । राष्ट्र में मृत्युदण्ड का अभाव था और शारीरिक दण्ड की न्यूनता यह प्रमाणित करती है राज्य-सत्ता के लिये लोगों के हृदय में अत्यन्त उंचा स्थान था । साधारणतः जुमाना ही काफी समझा जाता था । राजद्रोह सरीखे अपराध के लिये कभी कभी हाथ कटाने का डंड दिया जाता था । पदाधिकारियों के नियत वेतन भोगी होने से उनको प्रजा पर अत्याचार करने का अवसर नहीं था । उदार और चतुर शासक के शासन काल में प्रजा सब प्रकार सुखी थी । देश में संपत्ति अपार थी । चांदी सोने की कमी नहीं थी । खाने पीने के पदार्थ और नित्य के व्यवहार की अन्य चीजें इतनी सस्ती थीं कि कौंसियों में काम चला जाता था । फ्राहियान ने भारतवर्ष को अत्यन्त सुख और समृद्धि में पाया उसके भाग्य की सराहना की । ऐसा सुख और शान्ति मय शासन उसके देशवासियों को प्राप्त नहीं था और यह बात उसे भारत में रह रह कर बाद आती थी ।

गुप्त साम्राज्य के बाद हर्ष का राज्य काल भी भारतवर्ष के लिये बड़ा सुखकारक था । लोग सुखी और धन धान्य पूर्ण थे ।

हमारे कहने का आशय यह है कि प्राचीन भारत के जन्तुओं और राज तन्त्रों में प्रजा सुखी और समृद्धिशाही थी । इस विषय का विस्तृत वर्णन करने का यहाँ क्षेत्र नहीं है ।

मनु कृत्यों में हमने सिर्फ यही दिखलाया था कि प्राचीन भारत में बीसों गणतन्त्र राज्य हो गये हैं जहाँ लोक प्रतिनिधियों द्वारा राज्य का शासन संचालित किया जाता था। राजतन्त्रों में भी राजा अपने आप को प्रजा का सेवक समझता था और वह प्रजा द्वारा चुन कर अधिष्ठित किया जाता था। महाराजा अशोक और महाराजा चन्द्रगुप्त द्वितीय सरीखे प्रजा सेवक और प्रजा कल्याणकारी सम्राटों के उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं मिल सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने "The Discovery of India" नामक ग्रन्थ में इस बात को स्पष्टतया स्वीकार किया है कि यद्यपि अशोक एक सम्राट् थे, पर वे एक ऐसे सम्राट् थे जिनकी शानी का सम्राट् संसार में दूसरा नहीं हुआ।



भारत में ग्राम पंचायतें

प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतों का एक जाल सा बिछा हुआ था। ये ग्राम पंचायतें इस प्रकार के छोटे गणतन्त्र राज्य (Republic) थे जिनमें ग्राम जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे।

भारतवर्ष के भूतपूर्व गवर्नर जनरल लार्ड मेटकाफ ने सन् १८३० के खलीते में हिन्दू ग्राम मंडल के सम्बन्ध में लिखा है :—

The communities are little republics, having nearly every thing of want within themselves and almost independent of any foreign relations. They seem to last when nothing else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down, revolution succeeds to revolution. Hindu, Pathan, Moghal, Maratha, Sikh, English, all are masters in turn but the village Communities remain the same. In times of trouble they arm and fortify themselves. As hostile army passes through the Country, the village Communities collect their cattle within their walls and let the enemy pass unprovoked..... This Union of village communities, each one forming a state in itself, has, I believe, contributed more than any other cause to preservation of the people of India thro-

ugh all the revolutions and changes which they have suffered, and is in a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of a great portion of freedom and independence."

अर्थात् भारतवर्ष के ग्राम मण्डल छोटे छोटे लोक सत्तात्मक राज्य हैं । वे आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं । अतः किसी बस्तु के लिये उन्हें दूसरे पर अवलम्बित नहीं रहना पड़ता । अन्य संस्थायें बहू हो गईं किन्तु वे सजीव हैं । एक के बाद एक कई राजवराने तट हो गये, कई राज्यक्रांतियाँ हुईं । हिन्दू, पठान, मुगल, मरहटे, सिख और अंग्रेजों ने अनुक्रम से देश जीता, किन्तु ग्राम मण्डल पूर्ववत् बने ही रहे । शत्रु के आक्रमण के समय प्रत्येक गांव अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तैयार रहता है । जब शत्रु गांव के पास से निकलता है तो वे अपने पशु शहर-पनाह में बन्द कर देते हैं और शत्रु को बिना छेद छ़ाद किये ही जाने देते हैं । ग्राम मण्डलों के इस ऐक्य के कारण वे एक प्रकार के छोटे से राज्य मालूम होते हैं । इसीसे वे सब विघ्न बाधाओं को पार कर केवल स्वतन्त्र ही नहीं रहे, परन्तु उनके सुख और स्वातंत्र्य रक्षक के लिये भी, यह ऐक्य बहुत काम आया ।"

सर चार्ल्स ट्रेवेलियन लिखते हैं :—

"One foreign conqueror after another has swept over India but the Village municipalities have stuck to the soil like their own kusa grass."

अर्थात् अनेक विदेशी विजेताओं ने एक के बाद एक चढ़ाईबाँ कीं, किन्तु वहाँ के ग्राम मण्डल पूर्ववत् कुस की तरह जमीन से चिपके ही रहे ।

भारत की आर्थिक समृद्धि

जिस प्रकार दर्शक-शास्त्रों के गूढातिगूढ़ सिद्धान्तों के आविष्कार में, आध्यात्मिक और आत्मिक रहस्यों के प्रकाशित करने में, भारतवर्ष ने संसार में सर्वोपरि आसन प्राप्त कर रखा था, उसी प्रकार विविध कलाओं की उन्नति में और व्यापार-विस्तार में भी इसका बड़ा नाम था। सारे संसार के बाजारों पर भारतीय माख का प्रभुत्व था और वहाँ का बना माख संसार में सर्व श्रेष्ठ समझा जाता था। जिस प्रकार आजकल पारन्नात्य देश अपना पक्का माख भारत भेजकर माखामाख हो रहे हैं इसी प्रकार पहले भारत अपना पक्का माख विदेशों को भेजकर अटूट सम्पत्ति प्राप्त करता था। सुप्रसिद्ध डाक्टर बूखर (Buhler) ने ऋग्वेद के कई मन्त्रों को उद्धृत कर के यह दिखाने की चेष्टा की है कि वैदिक समय में भी आर्य लोग अन्य राष्ट्रों के साथ अपना व्यापारिक सम्बन्ध करके अग्रणीत द्रव्य प्राप्त करते थे। नाव और जहाज बनाने का हुनर भी उस समय मौजूद था। ऋग्वेद मन्त्र १/११६/५ में अगाध समुद्र को चीरते हुए सौ पलवारों से सज्जित जहाज का वर्णन है। कई विदेशियों के ग्रन्थों में भारतवासियों के विस्तृत व्यापार के, उनके अतुलनीय वैभव के, उनके बड़े बड़े उद्योग धन्धों के उल्लेख मिलते हैं। इन ग्रन्थों से यह भी पता चलता है कि पूरे तीन हजार वर्ष तक भारतवर्ष व्यापारिक संसार का शिरोमणि रहा था और फिनासियन्स, ज्यू, अलेरियन, घुनानी मिसरानी और रोमन लोगों के साथ इसका सम्बन्ध था। भारतवर्ष से कई प्रकार का पक्का माख उन देशों को जाता था। बढिया बढिया रेशमी कपड़े, कई की अत्यन्त बारीक और

मुखायम मलमलें, ऊन के कपड़े, मित्र मित्र प्रकार के उत्कृष्ट सुगन्धित तेल, शक्कर की बनी हुई विविध प्रकार की चीजें, तरह तरह की औषधियां, भांति भांति के रंग, पिपरमेन्ट, दाखचीनी, सख्खे-सतारे और कसीदे के कपड़े आदि कई प्रकार के पदार्थ यहां से यूरोप आदि देशों को भेजे जाते थे। इन चीजों की वहां पर बड़ी कदर होती थी लोग बड़े प्यार से इन्हें खरीदते थे। हां, विदेशों से भी कुछ चीजें यहां आती थीं। पुर व्यापार का पलड़ा हमेशा हमारे पक्ष में रहता था। आज भी हमारे ही पक्ष में रहता है, पर उसमें और इसमें जमीन आसमान का अन्तर है। आज विदेश हम से वह अन्नादि सामग्री लेते हैं जो मनुष्य जीवन के लिये परम आवश्यक है और इसके बदले में हमें विलास की अनावश्यक सामग्री देते हैं जिसके अभाव में भी हमारा जीवन सुख पूर्वक चल सकता है। और इसमें भी जो रूपया बाकी (Balance) का बचता है वह भी होम चार्जेज (Home Charges) आदि कई रूपों में विदेश चला जाता है, अर्थात् आजकल जिस तरह भारत का धन विदेशों में खींचा जा रहा है वैसा पहले नहीं खींचा जाता था। हम भी प्रायः पक्का माल विदेशों को भेजते थे और विदेशों से भी पक्का ही माल पाते थे, एवं इसमें हमारे व्यापार का पलड़ा बहुत भारी रहता था। हिन्दुस्तान बढिया बढिया माल तैयार कर विदेशों को भेजता था और उसके बदले में सोना, चांदी आदि बहुमूल्य धातुएँ तथा माणिक्य, रत्न इत्यादि जवाहिरात पाता था। इस प्रकार एक समय हिन्दुस्तान खनों की खान सा हो गया था। यहाँ की सम्पत्ति अतुलनीय हो गई थी। यहां के समान खादिक कहीं न थे।

अनेक प्रमायों का अन्वेषण करके सुप्रसिद्ध डाक्टर साईंस ने यह सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है ईसवी सन् के तीन हजार वर्ष पहले भारतवर्ष और असेरिया के बीच अव्याहत रूप से व्यापारिक सम्बन्ध था। हिन्दुस्थान से बना हुआ पक्का और कच्चा माल, उक्त देश को जाता था और इसके बदले में हिन्दुस्थान मूल्यवान् धातु के रूप में

मूल्य का
स्वीकार था

था। यह प्रमाण है कि भारत से चीन
बहुत ही जल्दी ही मिलता था। मे समझें के गजे
हैं कि भारतीय व्यापारियों और बेबीलोनिया के
से ७००-६०० ई.पू. का व्यापार होता था और
से स्वयं इसके प्रमाण हैं। जिस और हिन्दुस्तान
पहले व्यापार संबंधित था। वह कस हिरोडोटस आदि यूनान
के ग्रन्थों से पाये जाते हैं। अमेरिका के कुछ विश्व-विद्यालय
मि० डे० ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "History of

में प्रयोग प्रमाण और यह दिखाना है कि ईसा
हेन्दुस्तान और चीन के बीच और और से व्यापार
जमना पहिले का है। (Von Bohlen)
अमेरिका के एक एक जर्मन विद्वान की पुत्र

हो हिन्दुस्तान और चीन के बीच व्यापार शुरू था। अमेरिका
ने अपने ग्रन्थ "A Geologist contri
History of Ancient India) में यह दिख
से १२०० ई.पू. के अरबों के जमाने और सम्पत्ति में हिन्दुस्तान
शिलोन्स का। यह प्रमाण है कि
र के अरबों के अरबों के अरबों का

अरबों के अरबों के अरबों के अरबों का
के अरबों के अरबों के अरबों के अरबों का
के अरबों के अरबों के अरबों के अरबों का

जिनमें एक जगह हिरोडोट्स का लिखा हुआ यह वाक्य भी उद्धृत है। "न सोने से भरा पूरा और मालामाल है।" प्रोफेसर बाब्ल ने भी इसकी अद्वैत सम्पत्ति के अस्तित्व को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया। सम्राट अशोक के समय में भी विदेशों के साथ हिन्दुस्तानी की व्यापारिक गति-विधि होने के उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में पाये जाते हैं। अशोक के बाद आन्ध्र और कुशान (Kushan) काल में इसका वैदेशिक व्यापार बहुत चढ़ा बढ़ा था। यह बात उस काल के विदेशी लेखकों के लेखों से स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त सम्बन्ध में कई मुद्रा सम्बन्धी प्रमाण भी मिलते हैं। आन्ध्र काल समय ईसा से २०० वर्ष पूर्व से लेकर ईसवी सन् २५० वर्ष तक। दक्षिण हिन्दुस्थान के प्रमाणभूत इतिहासज्ञ मि० आर, सेवेल (R. Sewele) लिखते हैं "आन्ध्र युग, भारतवर्ष के लिये अत्यन्त समृद्धिशाली युग था। इस समय स्थल और समुद्र का व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा था। और पश्चिमी यूनान, रोम, मिस्र, चीन और पूर्वी देशों के साथ इसका व्यापारिक सम्बन्ध था।" प्लिनी नामक इतिहास लेखक लिखता है कि रोम से भी हिन्दुस्तान में कई प्रकार के धात्विक द्रव्य आते थे। आन्ध्र युग के लिये डाक्टर भाण्डारकर ने लिखा है:—

Trade and commerce must have been in a flourishing condition during this early period"

अर्थात् इस युग में (आन्ध्र युग में) भारत का व्यवसाय और व्यापार अवश्य उन्नतावस्था में होना चाहिये। एक पाश्चात्य इतिहासज्ञ के मतानुसार इस काल में रोम से हिन्दुस्तान को ढेरों सोना आता था। इसके बदले यहां के रेशम के बढिया बढिया वस्त्र, जवाहरात, और कई प्रकार की धातु की बनी हुई चीजें बाहर जाती थी।

रोम सम्राट् आगस्टस से लगा कर सम्राट् निरो तक भारतवर्ष और पाश्चात्य देशों का व्यापार बड़ी उन्नत अवस्था में रहा। हिन्दुस्तान की

बनी हुई विलास सामग्री के प्रति धनिक रोम लोगों की रुचि बढ़ने लगी। यह रुचि इतनी बढ़ी कि इससे उस समय कई विचारवान् लोगों को यह डर होने लगा कि कहीं इससे रोम दिवालिया न हो जावे ! प्लिनी नामक ग्रन्थकार जो ईसवी सन् ७७ में हुआ, इस बात पर बड़ा दुःखः प्रगट करता है कि रोमन लोग फजूल-स्वर्च और विलासप्रिय होते जाते हैं। वे इत्र आदि सुगन्धित द्रव्यों तथा बढ़िया वस्त्रों, जेवर आदि में इतना बेशुमार स्वर्च करते हैं कि कुछ पूछिए नहीं। कोई साल ऐसा नहीं जात जिसमें हिन्दुस्थान रोम से करोड़ों रूपया न खींचता हो। मामसेन अपने "Provinces of the Roman Empire" नामक ग्रन्थ में लिखता है कि हिन्दुस्तान से रोम को प्रति वर्ष ५०,००,०००) पौण्ड मूल्य की विलास-सामग्री जाती थी। इसमें प्रधानतः सुगन्धित द्रव्य, रेशमी वस्त्र, बढ़िया मलमल आदि आदि होते थे। इनके अतिरिक्त रोम में अदरक की मांग भी अधिक थी। प्लिनी लिखता है कि यह सोने, चांदी की तरह तोल कर बिकता था। मि० विन्सेन्ट स्मिथ भारत और रोम के बीच में होनेवाले व्यापार के विषय में लिखते हैं:—

“तामिल भूमि का वह सौभाग्य है कि वह तीन ऐसी मूल्यवान् वस्तुएं उत्पन्न करती है, जो अन्य स्थान में अप्राप्य हैं। काखीमिर्च, मोती और पिरोजा (Beryls)। काखीमिर्च यूरोप के बाजारों में बड़े दामों पर बिकती है। दक्षिण भारत में मोती निकालने का उद्योग हजारों वर्ष के पहले भी बढ़ी सफलता के साथ चल रहा था। दक्षिण हिन्दुस्तान के पैडिपुर ग्राम में पिरोजा की जो खान है उसी से प्राचीन संसार पिरोजा प्राप्त करता था। प्लिनी ने भारतवर्ष को जवाहिरात का केन्द्र स्थान कहा है। संसार का सबसे महान् और सबसे अधिक मूल्यवान् हीरा 'कोहेनूर' जो संसार के अनेक देशों में घूमता हुआ कुछ वर्षों से लण्डन पहुँचा है, मूल में भारतवर्ष ही का था।

सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ मि० थार्नटन्स ने अपने "Description of Ancient India" नामक ग्रन्थ में प्राचीन भारत के लिये इस आशय के वचन लिखे हैं।

“यूरोपिय सभ्यता के मूल जनक यूनान और इटली जब निरी जंगली अवस्था में थे तब भी भारतवर्ष वैभव और सम्पत्ति का केन्द्र स्थान था। यहां चारों ओर बड़े बड़े उद्योग-धन्धे जारी थे। यहां की जनता दिन रात काम में लगी रहती थी। यहां की भूमि उर्वरा थी, जिससे यहां फसल खूब पैदा होती थी। यहां किसानों को अपने परिश्रम का फल बहुत ही अच्छा मिलता था। वे धन धान्य पूर्ण होते थे। यहां बड़े बड़े चतुर कारीगर थे जो यहां के कच्चे माल से इतना नफीस उमदा पक्का माल तैयार करते थे जिसकी संसार भर में मांग होती थी और कई पाश्चात्य और पौराण्य राष्ट्र इसे बड़े चाव से खरीदते थे। यहां सूत और वस्त्र इतने मुलायम और खूबसूरत बनते थे कि जिनकी तुलना नहीं हो सकती।”

पाठक ! देखिये, यह एक निष्पक्ष अंग्रेज इतिहासवेत्ता ने भारतीय वैभव का चित्र खींचा है। हम यदि स्वयं अपनी प्रशंसा करें तो पक्षपात का दोषारोप किया जा सकता है, पर एक विदेशी अंग्रेज इतिहास लेखक का खींचा हुआ यह चित्र कभी पक्षपात युक्त नहीं कहा जा सकता। यहीं क्यों, प्राचीन काल में जो अनेक विदेशी यात्री भारत में आये उन्होंने भारत की सुस्थिति का जिक्र अपने ग्रन्थों में जगह जगह किया है। मेगस्थनीज जो यहां विक्रम से २५३ वर्ष पूर्व आया था, लिखता है “भारत में बहुत से ऊंचे पहाड हैं, जिन पर हर किस्म के मेवे और फल होते हैं। और बहुत सी नदियों से प्लावित उपजाऊ मैदान है। यहां पर सब तरह के कद के बलवान पशु भी पाये जाते हैं। हस्त कौशल तथा दस्तकारी आदि के कामों में ये लोग दक्ष हैं। गेहूं, जौ, चना आदि अन्न के सिवाय ज्वार, बाजरा तथा बहुत प्रकार की दालें

भी यहां अधिकता से होती हैं। पशुओं के बाने शोभ्य और कई प्रकार के अन्न उपजते हैं।" चीनी यात्री फाहियान जो ४५७ में हिन्दुस्तान में आया सा लिखता है:—“यहाँ की प्रजा समृद्धिशालिनी है। यहां किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता और न अफसरों की डाली हुई किसी भी प्रकार की रुकावटें हैं। जो राज्य की भूमि जोतते हैं, वे लाभ का थोड़ासा अंश राजा को कर रूप में देते हैं। गजा किसी को शारीरिक दण्ड नहीं देते हैं।”

इस बात को पाश्चात्य विद्वान् भी स्वीकार करते हैं कि सिकन्दर के हमले से लेकर मुहम्मद गौरी के हमले तक भारतवर्ष अटूट सम्पत्ति और अनुलनीय वैभव से परिपूर्ण था; अर्थात् ईसा से ३२७ वर्ष पूर्व से ईसवी सन् १००० तक भारत के साम्पत्तिक सांभल्य सूर्य की प्रकाशमय किरणों सारे संसार को प्रकाशित कर रही थीं। मइमूद गजनवी ने जब भारतवर्ष पर आक्रमण किया था तब उसने इस देश की सम्पत्ति से लबालब भरा हुआ देखा था। उस समय चारों ओर अस्त्रण्ड सम्पत्ति भरी हुई थी। रिफार्म पेम्फलेट नं० ९ में लिखा है:—

“Writers both Hindu & Musalman unite in bearing testimony to the state of prosperity in which India was found at the time of the first mohammedan Conquest. They dwell with admiration on the extent and magnificence of the capital of Kanauj and of the inexhaustible riches of the temple of Somnath.

अर्थात् मुसलमानों के प्रथम आक्रमण के समय हिन्दुस्तान की जो समृद्ध अवस्था थी, उसे हिन्दू और मुसलमान दोनों लेखक एक स्वर से स्वीकार करते हैं। वे कन्नौज की राजधानी के विस्तार और वैभव की तथा सोमनाथ के मन्दिर की अपार सम्पत्ति की बड़ी प्रशंसा करते हैं।

Nicolo di conti नामक सुप्रसिद्ध यात्री जो इसवी सन् १४८० में भारतवर्ष में आया था, अपने प्रवास-वर्णन में भारतवर्ष के विषय में लिखता है:—

“गङ्गा के किनारे बड़े बड़े सुन्दर शहर बसे हुए हैं जिनके आसपास रमणीय बर्गाचे और फुलवारियाँ लगी हुई हैं। शहरों के बाहर नयन मनोहर लता मण्डपों की बहार है। यहाँ मानों स्वर्ण की नदियाँ बह रही हैं। मोती और माणिक्य अटूट भरे हुए हैं।”

Casar Frederic & Ilen Batuta नामक दो सज्जनों ने मुहम्मद तुगलक के समय भारतवर्ष में यात्रा की थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय हिन्दुस्तान में बड़ी अशान्ति व्याप्त हो रही थी। लूटमार का बाजार गर्म था। इतने पर भी उक्त सज्जन कहते हैं कि “हिन्दुस्थान में बड़े बड़े शहर हैं जिनकी घनी और विशाल बस्ती है और यहाँ समृद्धि की बाढ़ें आ रहीं हैं।”

बादशाह बाबर जो सोलहवीं सदी के आरम्भ में हिन्दुस्तान में आया था, वह यहां की अतुलनीय सम्पत्ति, अपार सोना, चांदी, जवाहरात, प्रचुर जन संख्या, महान् व्यापार, अपूर्व कलाकौशल देखकर दङ्ग रह गया। उसने अपने “बाबरनामा” में हिन्दुस्थान की इस वैभवपूर्ण अवस्था को प्रगट किया है। Sebastian Manrique नामक एक यूरोपियन भारत प्रवासी ने सन् १६१२ में भारत में भ्रमण किया था। उसने यहां के उमदा और नफीस वस्त्रों का वर्णन किया है और लिखा है कि यहां से समस्त पूर्वी और पश्चिमी देशों को कपड़ा जाता था। इसने बङ्गाल की तत्कालीन राजधानी ढाका का वर्णन किया है और कहा है कि इसमें दो लाख मनुष्यों की बस्ती थी। यहां बनने वाली संसार प्रसिद्ध मुल्तायम और बारीक मलमलों का भी उसने विवरण दिया है। इसने लाहौर और मुल्तान के बीच के प्रदेश में भी यात्रा की थी। रास्ते में वह कई छोटे छोटे गांवों में ठहरा था। इसने इन ग्रामों के विषय में

लिखा है कि ये धन-धान्य पूर्ण थे। इनमें गेहूँ, चावल, रुई आदि पदार्थ कसरत से भरे हुए थे। ये लोग धन-धान्य सम्पन्न थे। ग्राम बड़े सुन्दर ढंग से बसे हुये थे। सिन्ध के ताता ग्राम में भी वह कुछ दिन ठहरा था। उसने इस ग्राम को अत्यन्त समृद्धिशाली बतलाया है। इसके अतिरिक्त उसने सिन्ध के आस पास के प्रदेश की असाधारण सम्पत्ति का जो वर्णन किया है उससे चित्त आनन्दित हो उठता है। वह लिखता है:—

“इस प्रदेश में बढिया रुई के वस्त्र तैयार होते हैं, और इसके लिये हजारों कर्घ (Looms) चल रहे हैं। यहाँ बढिया रेशम भी पैदा होती है। नफीस और नयन-रंजक वस्त्र भी बुने जाते हैं। इन वस्त्रों पर सोना चांदी की जरी का और सल्लमें सितारे का जैसा काम बढिया होता है वह एक वारगी अपूर्व है। लोग खूब धनवान हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी सुलभता से कर के कुछ द्रव्य बचा भी लेते हैं।”

मेन्डेरली नामक एक जर्मन यात्री जो लगभग १६३८ ई० में हिन्दुस्तान आया था, लिखता है:—

भड़ौच नगर की आबादी घनी है। यह जुलाहों से भरा हुआ है। ये जुलाहे सबसे उमदा और नफीज वस्त्र तैयार करते हैं। अहमदाबाद जाते समय रास्ते में बड़ौदरा (बड़ौदा) आया। यह नगर भी जुलाहों से परिपूर्ण है। यह अत्यन्त सुन्दर और समृद्धिशाली नगर है। यहां बढिया सूती और रेशमी वस्त्र तैयार होते हैं। खम्भात नगर सूरत से बड़ा है और यहां बहुत भारी व्यापार होता है। आगरा जो हिन्दुस्तान की राजधानी है, इस्फान नगर से दुना है। यहाँ के रास्ते बड़े ही सुन्दर और विस्तृत हैं। यह नगर बड़ी ही सुन्दरता से बसा हुआ है और व्यापार भी खूब होता है। प्रजा बहुत समृद्धिवान है।”

इस बात के सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं कि ईस्ट इण्डिया क० के शासन काल के पहले हमारी साम्पत्तिक और औद्योगिक अवस्था बहुत चढ़ी बढ़ी थी। संसार का कोई देश भारत के समान समृद्धि

और वैभवशाली न था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हम विदेशों को अधिक माल बेचते थे और उनसे कम खरीदते थे; अर्थात् व्यापार का पलड़ा हमेशा हमारी ओर झुका हुआ रहता था।

भारतवर्ष कई बार लूटा गया। महमूद ने तीस वर्ष के असें में, इस पर सत्रह बार चढ़ाई कीं। वह नगरकोट का मन्दिर लूट कर ७०० मन स्वर्ण मुद्रा, ७०० मन सोने चांदी के बर्तन, ४० मन विशुद्ध स्वर्ण, २००० मन विशुद्ध चांदी एवं २० मन मणि मुक्त स्वदेश ले गया। महमूद मथुरा नगर के आक्रमण में विशुद्ध की ६ मूर्तियां और उनके शरीर पर से ११ रत्न ले गया। मथुरा नगरी इस वक्त बड़ी समृद्ध अवस्था में थी। खुद महमूद ने इस नगरी के लिये लिखा है।

“यहां सहस्रों अष्टनिर्माणों विश्वासी के विश्वास की तरह दृढ़ भाव से खड़ी हैं। उनमें से अधिकांश सङ्गमर्मर की बनी हुई हैं। यहां असंख्य हिन्दू मन्दिर हैं। अपरिग्रित अर्थ व्यय के बिना इस नगरी की ऐसी सुन्दर अवस्था नहीं हुई है। दो सौ वर्ष के यत्न और परिश्रम के बिना ऐसी दूसरी नगरी निर्मित नहीं हो सकती।”

महमूद जब सोमनाथ के मन्दिर के पास पहुँचा, तब वहां की अतुलनीय सम्पत्ति देखकर मुग्ध हो गया। वह क्या देखता है कि इस मन्दिर की दिवारों और स्तम्भों पर विविध भांति के रत्न जड़े हुए हैं। सोने की जंजीर में झंपक लटक रहे हैं, जिससे मन्दिर आलोक-मय हो रहा है। चालीस मन भारी सोने की जंजीर से एक वृहत् घण्टा बज रहा है। महमूद ने इस मन्दिर को लूट कर नष्ट कर दिया। उसने जब सोने की मूर्ति तोड़ी तब उसमें से अमूल्य रत्नों का ढेर बाहर निकल पड़ा। इन रत्नों का मूल्य अपार था। महमूद ने हिन्दुस्तान से जो द्रव्य लूटा, वह इतना अपार था कि, उसे देखकर वह पागल सा हो गया था। जब उसका अन्तकाल समाप्त प्राया, तब वह उस विशाल द्रव्य को

देखकर फूट फूट कर रोने लगा, और कहने लगा कि हाय ! आज इस अटूट सम्पत्ति को छोड़कर मैं इस दुनियां से कूच कर रहा हूँ ।

महमूद गज़नवी की तरह तैमूरलङ्ग और नादिरशाह आदि बादशाहों ने भी उसे लूटा । बात यह है कि दुनियां की खालची आंखें सदा से इस स्वर्णभूमि भारतवर्ष पर रहीं और एक इतिहासज्ञ के मतानुसार यहाँ की अक्षय सम्पत्ति ही यहाँ की अधोगति का कारण हुई ।

खैर, अब हम यह बतलाना चाहते हैं कि इतनी सम्पत्ति लूट जाने पर भी हिन्दुस्तान की दशा वैसी दीन हीन नहीं हुई थी जैसी की अब है । महमूद, तैमूरलङ्ग, नादिरशाह आदि की लूट के बाद भी भारत समृद्ध अवस्था में था । हमने पीछे कई प्रवासियों के वर्णनों का उल्लेख किया है, उनसे यह बात और भी साफ़ मालूम होती है । एक यह बात न भूलना चाहिये कि मुसलमानों ने सारे हिन्दुस्थान को नहीं लूटा, उसके कुछ हिस्सों को लूटा । महमूद जो सम्पत्ति लूट कर ले गया था, वह विशाल होते हुए भी उस सम्पत्ति की तुलना में कुछ न थी, जो यहां रह गई थी । उसके हमले हिन्दुस्थान के केवल उत्तरी पश्चिमी प्रान्तों तक ही परिमित थे । सारा का सारा मध्यभारत, दक्षिण भारत, पूर्वीय भारत, बंगाल, आसाम आदि कई समृद्धिशाली प्रान्त उसके हमलों से बिल्कुल बचे हुए थे । इससे सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है कि महमूद के हमलों का साम्पत्तिक प्रभाव ज्यादातर देश के कुछ हिस्सों पर पड़ा था, समग्र देश पर नहीं । इसके बाद तेरहवीं से अठारहवीं सदी के मध्य तक, केवल दो हमले हिन्दुस्थान पर हुए थे । इसमें पहला हमला तैमूरलङ्ग का था । इसने सन् १३९८ में दिल्ली को लूटा था और कहा जाता है कि वह अपने साथ लूट का बहुत सा माल ले गया था । इसने हिन्दुस्थान के थोड़े से हिस्से पर हमला किया था । वह दिल्ली के आगे नहीं बढ़ा । यही कारण है कि उसके बाद भी हिन्दुस्तान के अधिकांश हिस्सों की साम्पत्तिक स्थिति अच्छी थी । यदि ऐसा नहीं होता तो महमूद

की लूट के बाद आये हुये विदेशी यात्री भारत की अटूट समृद्धि की क्यों प्रशंसा करते ?

दूसरा हमला सन् १७०६ में नादिरशाह का हुआ । कहा जाता है कि वह भी अपने साथ अपार सम्पत्ति ले गया । पर वह भी दिल्ली से आगे नहीं बढ़ा था । हिन्दुस्थान का अधिकांश भाग इसके जुल्मी हमलों से बचा रहा, और यही कारण है कि इसके बाद भी हिन्दुस्थान संसार के राष्ट्रों में सबसे अधिक समृद्धिशाली बना रहा । यहाँ की औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति सर्वोपरि थी । यह सर्वोपरि स्थिति ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्य काल के आरम्भ तथा मध्य तक बनी रही, यह बात कितने ही निष्पक्ष अंग्रेज लेखकों ने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार की है ।



भारत में यरोपियनों का आगमन

जैसा कि हम गत अध्याय में कह चुके हैं, संसार में भारतवर्ष स्वर्ण-भूमि कहलाता था और संसार की लालची आँखें इसकी ओर सदा से रही थीं। हमारे शास्त्रों में तो कहा है कि देवता तक इस भूमि से लालचाते हैं, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। सिकन्दर को इस स्वर्ण-भूमि ने आकर्षित किया और महमूद गजनवी व मुहम्मद गौरी आदि मुसलमान बादशाहों को भी इसके लालच ने ही खींचा। इसी प्रकार इस स्वर्ण-भूमि की ओर यूरोप निवासियों का भी ध्यान आकर्षित हुआ। क्योंकि सुप्रख्यात ग्रीक प्रवासी हिरोडोट्स ने हिन्दुस्थान को सोने की खान बतलाया था। हिरोडोट्स के ग्रन्थ में कई ऐसे प्रमाण हैं जिनसे भारतवर्ष व ग्रीस का व्यापारिक सम्बन्ध सिद्ध होता है।

यूनानियों के बाद रोमन लोगों का उदय हुआ। हिन्दुस्थान के साथ इनका भी, बहुत बड़ा व्यापारिक सम्बन्ध था। रेशमी कपड़े, विविध प्रकार के जवाहिरात, मोती, सुगन्धित द्रव्य, हाथीदांत आदि कई पदार्थ हिन्दुस्थान से रोम जाते थे। यहां यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि उस समय हिन्दुस्थान से यूरोप को कच्चा माल नहीं जाता था। यहां से विलास सामग्री का पक्का माला जाता था। मेमसेन अपने, "Provinces of the Roman Empire" में लिखता है कि हिन्दुस्थान से रोम को प्रति साल ४००००००० पौंड की विलास सामग्री जाती थी।

रोमन लोगों का पतन होने पर ब्रेनिशिअन लोग वैभव के शिखर पर चढ़े। इनका लक्ष्य खास तौर से व्यापार की ओर था। अभी तक

हिन्दुस्थान के साथ युरोप का जो सम्बन्ध होता था, वह बड़े कठिन मार्गों द्वारा होता था। इन मार्गों में बहुत अड़चनें पड़ती थीं। खर्च भी बहुत पड़ता था। सुप्रसिद्ध पोर्च्युगीज़ व्हासको-डे-गामा ने सन् १४९९ में हिन्दुस्थान के लिये एक नया मार्ग ढूँढ निकाला, तब से हिन्दुस्थान और युरोप का आवागमन पथ किञ्चित् सरल होगया। १६ वीं सदी में हिन्दुस्थान में पोर्च्युगीज़ों का, १७ वीं सदी में डच लोगों का और १८ वीं सदी में फ्रेंच लोगों का वर्चस्व हो गया। इसके बाद अंग्रेजों की श्वजा फहराने लगी।

इसी नये मार्ग का पता चलते ही पोर्च्युगीज़ लोगों के साथ साथ ईसाई धर्म का भी खुले तौर से प्रवेश होने लगा। इसके पहले भी थोड़ा सा ईसाई धर्म का सिलसिला शुरू हो गया था। ईसवी सन् ६९ में सेंट थामस नाम के एक ईसाई पादरी ने मद्रास के पास शरीर त्याग किया था। इसके पहले कितने ही वर्ष तक वह मलावार व कारोमण्डल के किनारों पर ईसाई धर्म का उपदेश देता फिरता था। ईसवी सन् १८९ में टघाटीनस नामक ईसाई पादरी हिन्दुस्थान में आया था। ईसवी सन् की तीसरी सदी के अन्त में मलावार के किनारे ईसाई धर्म ने अच्छा प्रभाव जमा लिया था। सन् ४८६ में ब्रेबिलोन से नेस्टोरियन नामक ईसाई पादरी मलावार के किनारे पर उतरा था, और यहाँ उसने अपना धर्म-प्रचार-कार्य शुरू कर दिया था। आठवीं सदी में आर्मेनियन् मिशनरी सेंट थामस ने मलावार के किनारे पर ईसाई धर्म का गिर्जा बनाया था। हिन्दुस्थान में यही सबसे पहला गिर्जा है। सन् ८८३ में इज़्ज़ेल्ड के राजा आलफूड ने अपने दो धार्मिक प्रतिनिधि सेंट थामस के कस्मिस्तान की यात्रा को भेजे थे।

धर्म-प्रचार और व्यापार-वृद्धि इन दो उद्देशों को सामने रखकर पोर्च्युगीज़ लोग हिन्दुस्थान में आये थे। यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं कि पहला उद्देश दूसरे का पृष्ठपोषक नहीं था। वह उल्टा उसका

विधानक था। वास्कोडे-गामा पहले पहल कालीकट में आकर दाखिल हुआ। इस वक्त कालीकट नगर अत्यन्त समृद्धिशाली अवस्था में था। का राजा जामारिन कहलाता था। उस देश का व्यापार लगभग छः सौ वर्षों से अरब के मुसलमानों के हाथ में था। वास्को-डे गामा ने उस राजा को किसी तरह प्रसन्न कर लिया। जब गामा वापस पोर्चुगाल के लिये रवाना होने लगा, तब उक्त राजा ने पोर्चुगाल राजा को इस आशय का पत्र लिखा:—

“आपके धराने के सरदार वास्को-डे गामा का हमारे राज्य में शुभागमन होने से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे राज्य में दाखलीनी, खोंग, सोंड, कालीमिर्च और जवाहिरात आदि की खूब समृद्धि है। हमारी इच्छा है कि हमें इन चीजों के बदले में आपकी ओर से सोना चांदी मिले।”

इस प्रकार पोर्चुगीजों को जाने का जलमार्ग मिल जाने के कारण संसार के इतिहास में बड़ी भारी क्रान्ति हो गई। यूरोप में उस समय पोर्चुगीज लोगों का महत्व बहुत बढ़ गया। वेनिस, जिनोआ आदि राष्ट्रों का व्यापार डूब गया और वे राष्ट्र उदय होने लगे, जों नौकानयन विद्या में कुशल थे।

सन् १५०३ में पोर्चुगाल से अलबुर्क नाम का मनुष्य हिन्दुस्थान में आया। जहां वास्को-डे गामा केवल व्यापार-वृद्धि के लिये आया था, वहां अलबुर्क राज्यस्थापना की कल्पना लिये हुए आया। सन् १५१० में उसने गोआ पर अधिकार कर लिया। सन् १५१५ में उसका गोआ ही में शरीरान्त हो गया। सन् १५२४ में वास्को-डे गामा तीसरी मर्तबा हिन्दुस्थान को आया और सन् १५२७ में उसका कोचीन मुकाम पर देहान्त हो गया। सन् १५०० से लगाकर सन् १६०० तक पोर्चुगीजों की खूब चहल पहल रही। इस के बाद इन की उत्तरती कला लगी। यूरोप में पोर्चुगीज सत्ता स्पेन की राज्यसत्ता के ताबे में

चली गई। आगे जाकर सन् १६४० में पोर्च्युगीज स्वतन्त्र हो गये। पर इस अर्से में डच लोगों ने हिन्दुस्थान में पोर्च्युगीज लोगों के व्यापार पर अधिकार कर लिया। हिन्दुस्थान में पोर्च्युगीजों के पतन के और भी कई कारण हैं। उन्होंने यहां अनेक राक्षसी और निष्ठुर कार्य किये। वे हद्द दर्जे के विलास प्रिय होगये। उनके राज्य में धर्म-छल बहुत बढ़ गया। उन्होंने यहां की स्त्रियों पर अमानुषिक अत्याचार किये। इससे वे लोगों की निगाह में बहुत गिर गये और उनके लिये लोगों के मन में बुरे भाव पैदा हो गये। पोर्च्युगीजों के बाद हिन्दुस्थान में डच लोगों का सितारा चमका।

अंग्रेजों की तरह डच लोग भी हिन्दुस्थान में जाने के लिये उत्तर की ओर से मार्ग ढूँढ रहे थे पर उसमें उन्हें सफलता नहीं हुई। अतएव उन्होंने पोर्च्युगीजों की शोध से लाभ उठाना चाहा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दुस्थान में लगातार सौ वर्ष तक व्यापार करने के कारण पोर्च्युगीजों का प्रधान नगर लिस्बन शहर में लाये हुये माल को युरोप के बाजारों में बेचने के लिये पोर्च्युगीज लोगों को डच लोगों को सहायता लेनी पड़ी। डच जहाज लिस्बन से माल लेजाकर सारे युरोप में फैलाते थे। इसके बाद डच लोगों का मोर्चा भी हिन्दुस्थान की तरफ फिरा। लिन्सकोटेनस नाम का एक डच व्यापारी लिस्बन शहर में थोड़े समय तक रह कर वहां से वह पोर्च्युगीज लोगों के साथ हिन्दुस्थान के गोआ नगर को आया। वहां तेहर वर्ष रह कर उसने व्यापार सम्बन्धी बहुतसी जानकारी प्राप्त की। सन् १५५२ में वह अपने देश को वापिस लौटा और सन् १५६६ में उसने हिन्दुस्थान के सम्बन्ध में प्राप्त की हुई जानकारी को प्रकाशित कर दिया। इसके बाद हाब्सबर्ग की राजधानी एम्सटर्डम में व्यापारियों की एक सभा हुई और उसमें हिन्दुस्थान में व्यापार के अर्थ सफर करने का निश्चय हुआ। इस निश्चय के अनुसार कार्नेलियस होमन नामक एक व्यापारी की आधीनता में सन् १५६५ में

चार जहाज अफ्रीका के रास्ते से हिन्दुस्थान आये। वे डार्इ वर्षों में वापस गये। फिर चार पांच वर्षों में डच लोगों ने हिन्दुस्थान की ओर पन्द्रह यात्राएँ की। उन्होंने हिन्दुस्थान में व्यापार करने के अर्थ कई कम्पनियाँ भी सङ्गठित कीं। पीछे जाकर इन सब कम्पनियों का एकीकरण कर डच पार्लियामेंट ने सन् १६०२ में डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी नामक एक बृहत् कम्पनी स्थापित की।

समग्र सतरहवीं सदी में डच लोगों का पूर्व की ओर की व्यापार पर अधिपत्य रहा। इसका कारण उनका समुद्र पर अबाधित अधिकार था। यहां यह बात कह देना आवश्यक है कि डच लोगों का उद्देश केवल व्यापार-वृद्धि था। पोर्चुगीजों की तरह यहां का व्यापार डुबोकर ईसाई धर्म की वृद्धि करना और नये प्रदेश जीत कर अपना राज्य बढ़ाना आदि उद्देश उन्होंने अपने सामने नहीं रखे। किसी भी प्रदेश की राजकीय अन्तर्व्यवस्था में उन्होंने हाथ नहीं डाला।

सन् १६१२ में उन्होंने मद्रास के निकटवर्ती पाखकालु स्थान में अपनी बस्ती (settlement) बसाई। उसके छः वर्ष बाद सन् १६१८ में उन्होंने सीलोन का जफ़यापटण किला पोर्चुगीजों से हस्तगत किया। सन् १६६४ में उन्होंने मल्लावार किनारे के पोर्चुगीज लोगों के ताबे के सब स्थानों पर अधिकार कर लिया। सन् १६६९ में उन्होंने सेंट थामी स्थान से पोर्चुगीज लोगों को निकाल दिया। इस प्रकार डच लोगों की तूती कुछ समय तक हिन्दुस्थान में बजने लगी, पर उनके वैभव को खय करने वाली एक दूसरी सत्ता का उदय हो रहा था और वह सत्ता अंग्रेजों की थी।

सन् १६२३ में डच लोगों ने अंबोयाना स्थान में अंग्रेजों को निर्दयता से कत्ल किया। बस, इसी समय से हिन्दुस्थान में ब्रिटिश सत्ता से बीज रूप सूत्रपात हुआ। डच लोगों की सँकीर्ण व्यापारिक नीति के कारण उनकी सत्ता डगमगाने लगी। निर्दयता और पाशविकता में डच लोगों ने

पोच्युर्मीजों को भी नीचा दिखा दिया । वे स्थानीय लोगों की सहानुभूति से हाथ धो बैठे । हिन्दुस्थान के लोग उनसे घृणा करने लगे । सन् १७५८ में क्लाइव ने चिकसुरा में डच लोगों को भारी शिकस्त दी । उन्हें पूर्ण रूप से पादाक्रांत कर दिया । डचों के बाद अंग्रेजों और फ्रेञ्चों का नम्बर आया । इन दोनों में खूब ठनी । आखिर फ्रेञ्चों का नाश होकर अंग्रेजों की सत्ता का किस प्रकार उदय हुआ, इस पर विशेष प्रकाश अगले अध्याय में डाला जायगा ।



भारत में अंगरेज कब और कैसे आये

हिन्दुस्थान में अंग्रेज पहले पहल कब आये, इस बात का अन्वेषण करने से मालूम होता है कि ९ वीं सदी में इंग्लैण्ड के राजा आल्फ्रेड का भेजा हुआ प्रतिनिधि यहां सबके पहले आया। इसके बाद चारसौ पांचसौ वर्ष बाद चौदहवीं सदी में सर जार्ज मेडिबहेल नाम का अंग्रेज आया। ऐतिहासिक दृष्टि से इन दोनों अंग्रेजों के आगमन में अभी थोड़ा बहुत सन्देह प्रकट किया जाता है, पर यह बात सच है कि १३९९ में मेडिबहेल ने हिन्दुस्थान के प्रवास के सम्बन्ध में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। इंग्लैण्ड में सबसे पहले यही पुस्तक छपी थी। दूसरे शब्दों में यह कह लीजिये कि इंग्लैण्ड में जो सब से पहली बार पुस्तक छपी, वह हिन्दुस्थान के सम्बन्ध में थी। अगर उक्त दोनों अंग्रेजों की भारत यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से सच भी हो तो भी वह विशेष महत्त्व नहीं रखती, क्योंकि वे किसी खास उद्देश को लेकर नहीं आये थे। वे देश देखकर वापस चले गये। आधुनिक काल में जो सब से पहला अंग्रेज आया और यहां बस्ती करके रहा, उसका नाम फ़ादर स्टीफन था। सन् १५६९ के अक्टोबर मास में स्टीफन ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए व्यापार के अर्थ गोआ गया। उसकी आयु वहीं पुरी हो गई। इसने हिन्दुस्थान का अत्यन्त मनोरंजक वृत्तान्त लिख कर विलायत भेजा। मि० स्टीफन ने “खिस्त पुराण” नाम का कोंकण-मराठी भाषा में ईसाई धर्म पर एक मनोरंजक ग्रन्थ लिखा। यह ग्रन्थ रोमन लिपि में लिखा गया है। इसने पौच्युंगीज़ भाषा में मराठी-कोंकणी भाषा का एक व्याकरण भी लिखा था। सन् १५८६ में राल्फ फ्रिच नामक एक अंग्रेज

सुरकी के मार्ग से हिन्दुस्थान आने के लिये रवाना हुआ । ईरान के आखात पर पहुँचने पर पोर्चुगीज लोगों ने उसे कैद कर गोआ भेज दिया । जब यह हिन्दुस्थान से विल्लायत को वापस पहुँचा तब उसने यहाँ के लोगों के चरित्र और सम्पत्ति के विषय में अत्यन्त मनोरंजक वृत्तान्त प्रकाशित किया । इससे वहाँ के लोगों के चित्त में हिन्दुस्थान के लिये बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हो गई । इसके तीन वर्ष बाद यानी सन् १५८६ में टामस कव्हेडिश नामक अंग्रेज पृथ्वी का पर्यटन करते करते हिन्दुस्थान आ पहुँचा । उसने यहाँ से बहुत जानकारी प्राप्त की । जब वह वापस इंग्लेण्ड पहुँचा तब उसने भी हिन्दुस्थान की अतुलनीय सम्पत्ति और अलौकिक वैभव के मनोरंजक वृत्तान्त छपवाये । इससे हिन्दुस्थान के लिये अंग्रेजों की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई । अब हम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के निर्माण होने का और अंग्रेजों की उन यात्राओं का वर्णन लिखते हैं जो शुरू शुरू में हिन्दुस्थान में आने के लिये की गई थीं ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का संगठन

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का नाम हमारे पाठकों ने अवश्य ही सुना होगा । इस कम्पनी के प्रतिनिधि या गुमारते व्यापार के लिये सात समुद्र पार इंग्लेण्ड से यहाँ आये और उन्होंने अपनी कूटनीति से धीरे २ अपना विशाल साम्राज्य संगठित कर लिया । आज हम अपने पाठकों को इसी कम्पनी का शुरू शुरू का कच्चा चिट्ठा सुनाते हैं । पाठकों को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि जिस कम्पनी ने एक महान् साम्राज्य की नींव डाली, उसका सूत्रपात कितने छोटे पाये पर हुआ था ।

सतरहवीं सदी में इंग्लेण्ड की महारानी एलिजाबेथ राज्य कर रही थीं । इन्होंने अपने प्रजा-प्रेम के कारण साधारण जनता की अच्छी सहानुभूति प्राप्त करली थी । महारानी मेरी के बाद महारानी एलिजाबेथ

इंग्लैण्ड के राज्य शासन पर जब आसीन हुई थीं, उस समय उस देश में बड़ी अन्यायवस्था फैली हुई थी। राज्यकोष खाली पड़ा हुआ था। देश दिवालिया हो रहा था। उद्योग धन्धों की अवोगति हो रही थी। फ्रांस से लड़ाई भगदा शुरू था। इस वक्त इंग्लैण्ड की बड़ी शोचनीय अवस्था हो रही थी। पैसे की अज़हद तंगी थी। महारानी एलिजाबेथ इस दशा का सुधार करना चाहती थी। वह एक अच्छे विचारों की महिला थी। इंग्लैण्ड के इतिहास में उनका नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। उनके वक्त में इंग्लैण्ड में कई व्यापारी कम्पनियों का संगठन हुआ। उनसे हमें वास्ता नहीं। हम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के संगठन पर ही दो शब्द लिखना चाहते हैं। एक समिति (Haq Society.) द्वारा प्रकाशित "Lancaster's voyages" नामक ग्रन्थ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के विषय में जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है:—

“सन् १६०७ में लंडन नगर के कुछ व्यापारियों ने मिल कर ७२००० पौंड की पूँजी से हिन्दुस्थान से व्यापार करने के लिये एक जॉइन्ट स्टॉक कम्पनी स्थापित की। इस कम्पनी का उद्देश भारत से (Spices) मसाले और दूसरे पदार्थ लाना था। इन व्यापारियों ने डेगोन, हेक्टर और एसेंसन आदि नाम के बड़े २ जहाज खरीदे। इन्होंने तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ से हिन्दुस्थान में व्यापार करने के लिये इजाज़त चाही। श्रीमती महारानी ने उन्हें प्रसन्नता के साथ इजाज़त का परवाना दे दिया। इतना ही नहीं भारत के तत्कालीन सम्राट् के नाम भी एक सिफारिशी पत्र लिख दिया।”

हां, यहां एक बात ऐतिहासिक महत्व की है, जिसे न भूलना चाहिये। महारानानी एलिजाबेथ को यह परवाना Charter देते समय बड़ा विचार पड़ा। उन्होंने सोचा कि भारतवर्ष में व्यापार करने के

सम्पूर्ण अधिकार स्पेन के राजा को प्राप्त हैं और स्पेन से सुलह करने का मौका आ रहा है, ऐसी दशा में हम लोगों को भारतवर्ष में व्यापार करने की इजाजत दे देना मानो स्पेन के साथ शत्रुता करना है। इस विचार ने महारानी एलिजाबेथ को बड़े असमंजस में डाल दिया। उन्होंने अपनी इस स्थिति को प्रकट भी कर दिया। इस पर इंग्लैण्ड के कुछ व्यापारियों ने महारानी की सेवा में एक प्रार्थना-पत्र भेजा, जिसका आशय यह था,—“हमारी समझ में नहीं आता कि भारत जैसे समृद्धिशाली और धनवान प्रदेश में हमें व्यापार करने की इजाजत देने में क्यों हिचकिचाहट की जाती है। हिन्दुस्थान में कई प्रदेश ऐसे हैं जो स्पेन या पोर्चुगाल के व्यापारिक अधिकार सीमा के बाहर हैं। यहां व्यापार करने में कौन सी हानि है।” इसके अतिरिक्त इंग्लैण्ड के व्यापारियों ने हिन्दुस्थान में कई देश, प्रांत और बन्दर ऐसे बतलाये जिनसे स्पेनिश या पोर्चुगाल लोगों का कोई सम्बन्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्थान के अमुक अमुक प्रदेशों में पोर्चुगाल या स्पेनिश लोगों को कोई विशेष हक प्राप्त नहीं हैं +। हमें एक विशाल प्रदेश में व्यापार करने से क्यों रोका जाता है।” एलिजाबेथ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रतिनिधियों के लिये सम्राट् अकबर को निम्न लिखित आशय का पत्र लिखा:—

☞ हम ऊपर लिख चुके हैं कि एक सदी तक हिन्दुस्थान में पोर्चुगीजों की बड़ी व्यापारिक गति विधि रही और जब युरोप में पोर्चुगाल स्पेन के ताबे में चला गया तब जो व्यापारिक हक पोर्चुगाल को प्राप्त थे प्राप्त हो गये।

+ The merchants, however, after enumerating the ports and territories which had been in any way under the influence of the former Government of Portugal, gave a long list of countries to which the Spaniards could make no pretensions.

“सर्वशक्तिमान् प्रभु ने संसार में उत्तम वस्तुएं उत्पन्न कर सर्वत्र सुव्यवस्था स्थापित कर रखी है। उस सर्वशक्तिमान् का यह संकेत दिखलाई देता है कि सब राष्ट्र मिल कर उस प्रभु की उदारता का एक सा फायदा उठावें। आप पर-राष्ट्रीय लोगों का अपने देश में अच्छा सत्कार करते हैं। अतएव हमें व्यापारियों को आपके राज्य में जाने की इजाजत देते हुए प्रसन्नता होती है। जब आप इनसे मिलेंगे तब आपको मालूम होगा कि वे व्यवहार में सभ्य हैं, आपको इनसे कभी किसी प्रकार की अप्रसन्नता न होगी। इनके पहले हिन्दुस्थान में स्पेनिश व पोर्चुगीज़ व्यापारी इधर का माल आपके देश में ले जा रहे हैं। ये लोग व्यापार के कार्य में हमारे लोगों को तथा अन्य लोगों को नाहक तङ्ग करते हैं। सच पूछिये तो वे लोग (स्पेनिश और पोर्चुगीज़) केवल व्यापार ही के उद्देश को लेकर हिन्दुस्थान नहीं गये हैं। वे लोग अपने आपको वहां का (हिन्दुस्थान का) बादशाह समझते हैं। वे यहां के (यूरोप के) लोगों को साफ़ कहते हैं कि वहां (हिन्दुस्थान) के लोग हमारी प्रजा हैं। हमारे लोग व्यापार के सौम्य उद्देश को लेते हुए आपके देश में आ रहे हैं। हमें आशा है कि आप कृपा कर उन्हें अपने देश में आने देंगे, और आप हमारे देश के साथ व्यापार और स्नेह की वृद्धि करेंगे। हमारा पत्र लेकर जो गृहस्थ आप के पास आवेंगे और आपके साथ जो कुछ समझौता करेंगे उसे हम ईमानदारी से पालन करेंगे और आप उनके साथ जो उपकार करेंगे उसका बदला हम बड़ी प्रसन्नता से देंगे।”

and defied them to show why they should bar Her majesty's subjects from the use of vast, wide and open ocean, sea and of access to the territories of so many free princes and kings in whose dominions, they have no more authority than we.

अब हम यह दिखलाना चाहते हैं, कि मुग़ल सम्राट् के दरबार में अंग्रेजों का कैसे प्रवेश हुआ और उन्होंने किस प्रकार से कौन कौन-सी सुविधाएँ (Concessions) प्राप्त कीं! "Purchas's Pilgrims" नामक भ्रमण-वृत्तान्त में लिखा है:—

“सबसे पहला अंग्रेज जिसने महान् मुग़ल सम्राट् से अपने देश के लिये हक़ प्राप्त किये, वह जान मिलडेनहाल था। वह सन् १६०० में लंडन से हिन्दुस्थान के लिये रवाना हुआ। वह सन् १६०३ में आगरे पहुँचा और मुग़ल दरबार में उपस्थित हुआ। सम्राट् ने उसका और उसके द्वारा लाये हुए पत्रों का बड़ा सत्कार किया। उसने सम्राट् को उन्तीस उम्दा घोड़े और जवाहिरात नज़र किये। इटालियन पादरियों के षडयन्त्रों से उसे बहुत तङ्ग होना पड़ा था। उसे यहां की भाषा का ज्ञान नहीं था, जिससे उसे अपने कार्य के मार्ग को साफ करने में बड़ी अड़चने पड़ीं। अतएव उसने फ़ारसी भाषा का अभ्यास करना शुरू किया और खूब परिश्रम कर उस पर खासा अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह बादशाह को अपने भाव अच्छी तरह समझा सका और उसने अपने संतोष के लायक बादशाह से फ़र्मान हासिल कर लिये। दुःख है कि इन फ़र्मानों का इस वक्त पता नहीं लगता।

सन् १६११ में मि० थॉमस बेस्ट + इंग्लैण्ड के तत्कालीन राजा जेम्स के सिफ़ारिशी पत्रों सहित सम्राट् ज़हांगीर की सेवा में उपस्थित हुआ। सन् १६१२ को २१ वीं अक्टोबर को उसने अहमदाबाद और सुरत के शासकों से अपनी व्यापार सम्बन्धी कुछ शर्तें तय कीं। पीछे जाकर मुग़ल सम्राट् से भी इन शर्तों को मंजूर करवा कर उनसे निम्न लिखित आशय का फ़रमान प्राप्त कर लिया:—

“मुग़ल सम्राट् की प्रजा और अंग्रेजों के बीच निरन्तर शान्ति रहे। इनका आपसी व्यापार पूर्ण रूप से खुला रहे। सब प्रकार के अंग्रेजों

माल पर ३॥) सैकड़ा सायर महसूल लिया जावे। इंग्लैण्ड के राजा के लिये यह बात न्याय-सङ्गत होगी कि वे अपना राजदूत मुगल दरबार में रवें, जिससे कई पेचीदा सवालों का आसानी से निपटारा हो सके !”

सन् १६०९ में केप्टन हाकिन्स नामक एक अंग्रेज दिल्ली के बादशाह से मिलने गया। अंग्रेज कम्पनी के लिये सूरत में व्यापार करने की इजाजत इसने प्राप्त कर ली। सन् १६११ में केप्टन हिपान नामक एक अंग्रेज ने कारोमंडल के किनारे पर मञ्जलीपट्टन के पास पेटापुल्ली में एक कोठी कायम की। हाकिन्स के बाद और कई अंग्रेज मुगल दरबार में आये थे। सन् १६११ व १६१४ में पोच्युर्गोज और अंग्रेज जहाजी बेड़ों के बीच दो दो हाथ हुए। इसमें अंग्रेजों को सफलता हुई। सन् १६१६ में केप्टन कीलिंग नामक एक अंग्रेज कालीकत पहुँचा और उसने वहां सामूरी से व्यापारी सुलह की। इसी समय केप्टन डाउटन नामक अंग्रेज व्यापारी आया। उसने सूरत के व्यापारियों की सहायता से कपास, कपड़ा नील आदि के व्यापार बढ़ाने की योजना की। सन् १६१४ में इंग्लैण्ड के राजा जेम्स ने सर थामस रो को राजदूत की हैसियत से सम्राट् जहांगीर के पास नजराना और निम्न लिखित आशय का पत्र देकर भेजा।

“श्रीमान् ! आपने शाही फर्मान देकर हमारे प्रति, हमारी प्रजा के प्रति, इङ्ग्लिश राष्ट्र के प्रति, जो कृपा प्रदर्शित की है, उसे हम स्मरण रखेंगे। अब हमारी प्रजा आपके राज्य में शान्ति और अमन चैन से और बिना किसी रुकावट के व्यापार कर सकेगी। हम आपके दरबार में अपने राजदूत सर थामस रो को भेजते हैं। हमने इन्हें सूचना करदी है कि वे ऐसा कार्य करें जिनसे दोनों राष्ट्रों की प्रजा का हित और कल्याण साधन हो। आशा है, आप इन पर कृपा रखेंगे। हम आपके प्रति जो सद्भाव और प्रीति रखते हैं, उसे बाह्य रूप में प्रकट करने के लिये आपकी सेवा में नजराना भेजते हैं। यह नजराना हमारे राजदूत आपको नजर करेंगे। दयामय ईश्वर आपको प्रसन्न रखे।”

दिसवी सन् १६१६ की १० वीं जनवरी को पहले पहल सर थॉमस रो अजमेर मुकाम पर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। इङ्ग्लैण्ड सम्राट् के पत्र के उत्तर में बादशाह जहांगीर ने राजा जेम्स को जो पत्र लिखा, उसका आशय यह है:—

“आपने अपने व्यापारियों के लिये मेरे पास जो पत्र भेजा, वह पढ़ूँचा। आपने मेरे प्रति जो कोमल प्रेम (tender love) प्रकट किया है, उससे मुझे बहुत सन्तोष हुआ है। मैंने आपको अब तक पत्र नहीं लिखा, इसके लिये मुझे उम्मीद है कि आप बुरा न मानेंगे। मैं आपको यह पत्र अपना प्रेम ताजा करने के लिये भेज रहा हूँ। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि मैंने अपने सब प्रान्तों में इस आशय का फर्मान भेज दिये हैं कि अगर कोई अंग्रेजी जहाज या व्यापारी मेरे राज्य के किसी बन्दर में पहुँचे तो उन्हें स्वतन्त्रता पूर्वक व्यापार करने की इजाजत दी जावे। दुःख सुख के समय में उन्हें योग्य सहायता दी जावे। उनके प्रति किसी प्रकार की अशिष्टता न दिखलाई जावे। वे मेरी प्रजा की तरह स्वतन्त्रता-पूर्वक रह सकें। आपने पहले और अब अपने प्रेम-पुरस्कार के रूप में जो नजर भेजी है, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है। आपके व्यापारियों के लिये मैंने साफ़ साफ़ यह आज्ञा प्रकाशित कर दी है कि उनकी खरीद फ़रोस्त, माल की आमद रफ्त आदि किसी काम में कोई विघ्न उपस्थित न किया जावे। अगर मेरे देश में कोई मनुष्य ईश्वर से न डर कर एवं राजा का हुकम न मान कर-धर्म हीन होकर-मित्रता के इस संघ को (League of friendship) तोड़ेगा तो मैं अपने पुत्र सुखतान कोरम को भेजकर उसे कटवा डालूँगा। हमारे पारस्परिक प्रेम की वृद्धि में कोई बाधा उपस्थित न हो—यह हमारी इच्छा है।”

दिल्ली के तत्कालीन सम्राट् ने इस प्रकार के फ़र्मान अंग्रेज व्यापारियों के लिये जारी किये थे। पाठक देख सकते हैं कि हिन्दुस्थान ने सात

समुद्र पार के विदेशियों के साथ कैसा अच्छा सुलूक किया था। आज कल अंग्रेजी उपनिवेशों में हमारे हिन्दुस्थानियों के साथ जैसा सुलूक किया जाता है, उसका मुक़ाबला उस सुलूक से कीजिये, जो सम्राट् अकबर और सम्राट् जहांगीर ने अंग्रेज व्यापारियों के साथ किया था। भारत का इतिहास इस प्रकार के आदर्शों से भरा पड़ा है। अस्तु

मुग़ल सरकार की इजाज़त से अंग्रेजों ने हुगली में उसी स्थान पर अपनी फेक्टरी खोली, जहां कि सन् १६२५ में डच लोगों ने अपनी बस्ती कायम की थी। बंगाल के अंग्रेज फेक्टरी वाले चीनी पट्टम या मद्रास के फेक्टरी के आधीन थे। हुगली बंदर उस समय व्यापारिक गतिविधि का मानों केन्द्रस्थल हो रहा था। वहां बहुत से विदेशी जमा हो रहे थे। पर इस वक्त बंगाल में किसी विदेशी को क़िला बनाने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिये स्थानीय सरकार के आधीन रहना पड़ता था।

पर, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, अंग्रेज व्यापारियों को बादशाही फ़र्मानों से व्यापार करने की कई सुभीताएं और रियायतें प्रदान की गई थीं। यह बात यहां के निवासियों को अच्छी न लगी। वे अंग्रेजों से स्वाभाविक रीति ही से द्वेष करने लगे। अंग्रेजों से यह बातें सुलभसुलहा कही जाने लगी कि अपनी स्वाधीनता की भावनाओं के अनुसार यहां आचरण नहीं कर सकते। इसके सिवा मुग़ल शासकों को (Mughul Governors) भी अंग्रेजों से निराशा होने लगी। क्योंकि अंग्रेज उनकी हुकूमत के सामने उतना अधिक सिर झुकाना पसन्द नहीं करते थे, जितना यहां के देशी लोग करते थे +। इससे कई प्रकार की गदबद पैदा हो गई थी।

इन भगदों ने कम्पनी के व्यापार को निःसन्देह धक्का पहुँचाया। वे भगदें बढ़ते ही चले गये। मलावार किनारे पर तो इन भगदों ने और

भी उग्ररूप धारण कर लिया। सन् १६१८ में तो कम्पनी ने विचार किया कि या तो यहां से हट जाना चाहिये या नवाब के अन्याचारों का जोर और शक्ति से मुकाबला या प्रतिरोध करना चाहिये। नवाब के जुल्मों को बम्बई के तत्कालीन गवर्नर ने + बढ़ा चढ़ा कर बतलाया था। बस, कम्पनी के लोग

एक नीच कार्य

पर उतर पड़े। उन्हें अपनी जलशक्ति का घमण्ड था, उन्होंने देखा था कि जलशक्ति से पोर्चुगीजों ने सफलता प्राप्त की है, हमें भी सफलता होगी। अब कम्पनी ने अपनी शक्ति (force) लेकर सूरत को लूटमार करने और सब हिन्दुस्थानी जहाजों को नष्ट करने के लिये अपना जहाजी बेड़ा भेजा। इसी प्रकार एक दूसरा बेड़ा इसी लूटमार के नीच कार्य के लिये बंगाल भेजा गया। इसका नतीजा क्या हुआ, इसे पाठक बड़ी दिलचस्पी से पढ़ेंगे। मलावार से जो जहाजी बेड़ा भेजा गया था, उसने बहुत कुछ लूट खसोट की, डाकेजनी की। बम्बई के तत्कालीन गवर्नर ने इस बेड़े से ऐसे ऐसे नीच कार्य करवाये, जिन से आज भी अंग्रेजों का मुंह शर्म से नीचा होना चाहिये। जो काम डाकू, बदमाश और उचक्के करते हैं, वैसे काम इस बेड़े ने किये। पर इसका नतीजा उसी वक्त कम्पनी के लिये बड़ी शर्म पैदा करने वाला हुआ। इस कार्य में उनका बहुत खर्च हुआ इसके अतिरिक्त मुगल सम्राट् से कम्पनी को

+ प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता हेमिल्टन ने अपने "Account of East Indies" में इस गवर्नर के लिये लिखा है— "इस गवर्नर का नाम मि० चाइल्ड था। इसने यहां के लोगों पर बड़े बड़े जुल्म, अन्याचार और अन्याय किये। इसने लूटमार मचवाई। इसने कम्पनी को व्यर्थ के लिये लड़ाई में लगा दिया, जिसका अन्त कम्पनी के लिये बहुत बुरा और अपमानजनक हुआ।

जी अधिकार और रिआयतें प्राप्त हुई थी, वे सब जप्त कर ली गईं । हिन्दुस्थानियों की निगाह में, उस वक्त कम्पनी की इज्जत बहुत गिर गई । उसकी साख (credit) को बड़ा धक्का पहुँचा । इसके अतिरिक्त कम्पनी के संचालकों की बुरी दशा हुई ? एलेक्मेन्डर हेमिलटन ने अपने "Account of the Eastern Indies" में लिखा है "मुग़ल बादशाह के सूरत स्थित गवर्नर याकूब ने बम्बई पर हमला कर उसे अंग्रेजों से छीन लिया, और उसने अंग्रेज फैक्टरी वालों को कैद कर लिया । इतनाही नहीं उसने इनकी बड़ी दुर्दशा की । उसने

गले और हाथ पैरों में लोहे की जंजीरें

डाल कर इन्हें आम सड़कों पर निकाला । इस समय इन अंग्रेज फैक्टरीवालों को अपने पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित्त मिला । इसके बाद इन्होंने तत्कालीन भारत साम्राट औरङ्गजेब से क्षमा की भिच्चा मांगी । उन्होंने बड़ी दीनता और नम्रता के साथ सम्राट से क्षमा-याचना की । इस क्षमा-याचना के लिये इन्होंने मि० जार्ज वेल्डन और एब्राहम नेव्हेर नामक दो अंग्रेजों को सम्राट की सेवा में भेजा । ये दोनों सम्राट की सेवा में उपस्थित किये गये । पाठक ! इस समय ये दोनों अंग्रेज हाथ जोड़े हुए क्षमा की याचना कर रहे थे ! इन दोनों के हाथ डुपट्टे से बंधे हुए थे । सम्राट ने इन्हें धिक्कारा ! इनकी खूब लानतमलामत की !! इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया । दया के लिए गिड़गिड़ाने लगे । इन्होंने प्रार्थना की कि श्रीमान् ! आप हमें अपने पूर्व अधिकारों को फिर से प्रदान कीजिये और बम्बई से अपनी फौजें हटा लेने की दया कीजिये + । सम्राट औरङ्गजेब का हृदय इनकी कर्ण-ध्वनि से पिघल गया । उसने दया पूर्वक इन्हें क्षमा कर दिया । केवल यह शर्त मंजूर

+ इस वृत्तान्त को वॉल्ट ने अपने Considerations on Indian affairs में लिखा है ।

करवाली कि “बम्बई का गवर्नर चाइल्ड नौ भास के अन्दर अन्दर बम्बई से निकाल दिया जावे और उसे फिर हिन्दुस्थान आने की इजाजत नहीं दी जावे। इसके अलावा मेरी प्रजा को यह विश्वास दिला दिया जावे कि अंग्रेज किसी प्रकार की बदमाशी, डकैती, चोरी नहीं करेंगे और मेरी प्रजा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचावेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेरी प्रजा की जो क्षति की है, उसकी पूर्ति भी उन्हें करनी होगी।”

इस घटना के छः वर्ष बाद १६९३ में बरदान—राजा की अध्यक्षता में बंगाल के कई पुरतौनी जमींदारों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी। उन्होंने साफ़ कह दिया कि हम बंगाल के आधीन नहीं हैं। उन्होंने खासी फौज जमा कर ली वे दुगली, मुर्शिदाबाद और राजमहल पर अधिकार करने तथा उन्हें लूटने के लिये आगे बढ़े—एक खासा विद्रोह खड़ा हो गया। इस वक्त अंग्रेजों, फ्रेंचों और डचों ने अपने स्वार्थ-वश नवाब का पक्ष ग्रहण किया। उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाकर अपने बस्ती (Settlement) की किले बन्दी करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इस प्रकार डचों ने चिनसुरा में, फ्रेंचों ने चन्द्रनगर और अंग्रेजों ने कलकत्ते में फोर्ट विलियम नाम का एक किला खड़ा कर दिया।

जिस विद्रोह का हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं, उसे मिथाने के लिये सम्राट औरंगजेब ने आजीम-अख्तरान को भेजा। यह मनुष्य बड़े ही बलाढ्य और दुष्ट स्वभाव का था। अंग्रेजों ने इसे रिश्वत देकर इस बात की मंजूरी ले ली, जिससे अंग्रेज लोग जमींदारों से जमींदारी के हक खरीद सकें। इसकी मंजूरी से अंग्रेजों ने कोई एक मील चौरस रकबे की जमीन खरीद ली। इस खरीदी हुई जमीन के अन्दर गोविन्दपुर और कलकत्ता नगर बसे हुए थे कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय कलकत्ता एक बिलकुल छोटा-सा देहात था सन् १७०७ में इसी कलकत्ता को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों ने प्रेसिडेन्सी बना लिया और इसे मद्रास की आधीनता से स्वतन्त्र कर दिया।

अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता ही चला गया। हाँ, इस में मुगल शासकों की ओर से बाधाएँ उपस्थित हुआ करती थीं। सन् १७१५ में कम्पनी ने दिल्ली के तत्कालीन सम्राट् की सेवा में एक डेप्युटेशन भेजा। इस डेप्युटेशन में जान सरनम नामक एक अंग्रेज और काजी सरहद (Serhau) नामक एक अर्मेनियन व्यापारी था। इस डेप्युटेशन ने सम्राट् की सेवा में पहुँच कर अपनी उन तकलीफों का बयान किया, जो उन्हें मुगल हाकिमों के हाथ समय समय पर सहनी पड़ती थी। उन्होंने यह भी अर्ज की कि आगे ऐसा प्रबन्ध कर दिया जावे, जिससे हमें भविष्य में ऐसी तकलीफों और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिक रिआयतों के लिये भी प्रार्थना की। इस पर तत्कालीन सम्राट् फरूखशियर ने उन्हें यह फर्मान (Grand Firman) दिया। इस फरमान में अंग्रेजों को अपने व्यापार में बहुत रिआयतें मिलीं। मुगल राज्य में उनके व्यापार पर सब प्रकार के कर माफ़ कर दिये गये। केवल उन्हें उसके बदले में १०,००० रु० प्रति वर्ष सरकार को देना पड़ता था। इस फर्मान का विवेचन मि० जेम्स फ्रॉफर ने अपने ग्रन्थ "History of Nadir Shah" में किया है। उसमें अंग्रेजों को महसूल सम्बन्धी कई और भी रिआयतें दी गई थीं।



बङ्गाल में अङ्गरेजों का प्रवेश

हमने गत पूर्व अध्याय में यह दिखलाया है कि भारतवर्ष में अंग्रेज कब और कैसे आये ? अब हम यहाँ बङ्गाल में अंग्रेजों की प्रारम्भिक बस्ती (Settlement) पर थोड़ासा प्रकाश डालना चाहते हैं ।

हिजरी सन् १०४६ में अर्थात् ईसवी सन् १६३७ में सम्राट् शाह-जहाँ की लड़की के वस्त्रों में आग लग जाने से वह बुरी तरह जल गई । इसका इलाज करने के लिये बर्ज़ीर आसदख़ाँ के द्वारा सुरत से एक युरोपियन सर्जन बुलाया गया । सुरत की अंग्रेज—कौंसिल ने इस कार्य के लिये मि० गेबरियल बाउटन (Gabriel Boughton) को भेजा । इसने शाहजादी का इलाज किया । सौभाग्य से उसे सफलता हो गई । इसका परिणाम यह हुआ कि उक्त सर्जन मुगल सम्राट् का बहुत प्रिय पात्र हो गया । मुगल सम्राट् ने उससे पूछा—“आप क्या इनाम चाहते हैं ?” इस पर सर्जन महोदय ने अपने लिये कुछ न चाहा । उन्होंने अपने स्वार्थ के लिये सम्राट् से कुछ नहीं माँगा । उन्होंने जो कुछ माँगा अपने देश के लिये माँगा । उन्होंने सम्राट् से अर्ज की कि मेरे देश-वासियों को बङ्गाल में बिना महसूल के व्यापार करने तथा फेक्टरियाँ खोलने की इजाज़त दी जावे । उनकी प्रार्थना सम्राट् ने स्वीकार कर ली और उन्हें बड़ी इज्जत के साथ बङ्गाल रवाना किया गया । सर्जन महाशय बङ्गाल पहुँचे । यहाँ पहुँचते ही वे बङ्गाल के पीपली (Pepley) नामक स्थान के लिये रवाना ही गये । इसी साल याने ईसवी सन् १६३८ में इङ्ग्लेण्ड से उक्त स्थान पर एक जहाज पहुँचा । इसमें जो माल आया था, उसका सम्राट् के फर्मान के कारण महसूल नहीं लिखा गया ।

इसके दूसरे ही साल बङ्गाल सरकार का अधिकार शाहजादा शुज्जा को प्राप्त हुआ। जब यह खबर उक्त सर्जन बाउटन को लगी तो वे शाहजादे साहब से मुजरा करने के लिये राजमहल पहुँचे। शाहजादा ने इनका बड़ा सत्कार किया। इस वक्त शाहजादे की एक बेगम को कोई व्याधि हो रही थी। इनका इलाज करवाया गया। इस वक्त भी सर्जन साहब को पूर्ण सफलता हुई। इससे शाहजादे के दरबार में भी उनकी इज्जत हो गई। दरबार में उनका खासा प्रभाव हो गया। उन्हें शाहजादे को ओर से कई प्रकार की सुभीताएँ दी गईं।

इसके बाद सन् १६४० में वही जहाज फिर इङ्ग्लैण्ड से लौट कर आया। इसमें बिगमन प्रभृति कई अंग्रेज आये। ये लोग बङ्गाल में अपनी फेक्टरियाँ स्थापित करना चाहते थे। मि० सर्जन बाउटन ने यह बात शाहजादा से कही। मि० बिगमन राजमहल बुलाये गये और शाहजादा से उनका परिचय करवाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पीपली के अतिरिक्त बालासोर (Ballasore) और हुगली में भी अंग्रेजों को फेक्टरियाँ खोलने की इजाजत दे दी गई। इसके कुछ समय बाद सर्जन बाउटन मर गये! पर पीछे शाहजादा ने अंग्रेजों के साथ बड़ी उदारता का व्यवहार किया। कुछ इतिहासवेत्ताओं ने बाउटन के ऐतिहासिक अस्तित्व पर सन्देह प्रकट किया है। पर उनका यह सन्देह निर्मूल है। लण्डन के इण्डिया ऑफिस के पुराने कागज़-पत्रों में ३ जनवरी सन् १६४४ का लिखा हुआ एक पत्र मिला है। यह पत्र सूरत की अंग्रेजी कौंसिल के अध्यक्ष ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को लिखा था। उसका संचित आशय यह है:—

“सम्राट् ने हम से एक अच्छा और सुचतुर सर्जन भेजने की इच्छा प्रकट की थी। हमने होपवेल जहाज के सर्जन बाउटन को भेजना मुनासिब समझा। उन्होंने कम्पनी के लिये स्वतन्त्र व्यापार (Free trade) करने का फ़र्मान प्राप्त किया है।”

इसके अतिरिक्त और भी कुछ तत्कालीन पत्रों से सर्जन बाउटन का ऐतिहासिक अस्तित्व सिद्ध होता है, और यह स्पष्टतया मालूम होता है कि बङ्गाल में अंग्रेजों के लिये बिना महसूल के व्यापार करने का सब से पहला अधिकार सर्जन बाउटन ने प्राप्त किया। सन् १६६४ की Court Book में निम्न लिखित आशय का मजमून लिखा हुआ है:—

“हमने मि० ब्रिगज और अन्यो से बिना महसूल के व्यापार करने के फर्मान के सम्बन्ध में बातचीत की। इससे हमें मालूम हुआ कि मि० बाउटन ने सब से पहले बङ्गाल में बिना महसूल व्यापार करने का फर्मान प्राप्त किया।”

कई अंग्रेज इतिहासवेत्ता फर्मान प्राप्त करने का यश सर्जन बाउटन को नहीं देना चाहते हैं। वे सर थॉमस रो को यह यश देना चाहते हैं। सर थॉमस रो ने अपने बन्धु अंग्रेजों के लिये सम्राट् जहाँगीर से जी फर्मान प्राप्त किया था, उसका उल्लेख इतिहासवेत्ताओं ने किया है, पर बंगाल के सम्बन्ध में खास तौर से सर्जन बाउटन ने किया था। सर थॉमस रो की डायरी से भी पता चलता है कि बङ्गाल में सर थॉमस रो के प्राप्त किये हुए फर्मान ने विशेष काम नहीं किया। कुछ भी हो, अंग्रेजों के व्यापार का बङ्गाल में इसी समय से प्रधान रूप से सूत्रपात हुआ, और इसी समय से अंग्रेजों को नाम-मात्र के लिये ३०००) रुपया सालाना देने पर बङ्गाल और उड़ीसा में स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने की इजाजत मिल गई।

इसके थोड़े ही समय बाद बङ्गाल में घोर राज्य—परिवर्तन हुआ। पर एक अर्से तक अंग्रेजों के कारोबार पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। पर सन् १६८९ में नवाब शायस्ता खान और कम्पनी के एजेन्ट मि० जाब के साथ अनबन हो गई। इण्डिया ऑफिस के पुराने कागज-पत्रों से यह प्रकट होता है कि नवाब ने अंग्रेजों के मुख्य एजेन्ट मि० जाब को अपने मातहत नौकरों के साथ दुगली छोड़ने के लिये बाध्य किया। पर उसी

साब शायस्त खाँ की जगह पर इब्राहीम खाँ नवाब हुआ। यह अंग्रेजों पर बड़ा महरबान था। इण्डिया आफिस के पुराने कागज़ पत्रों में इसे न्यायवान नवाब कहा है। इसने मि० कारनक जाँब को वापिस बंगाल में लौट आने के लिये अनुरोध किया। मि० कारनक जाँब ने वह अनुरोध सादर स्वीकार किया और वे बंगाल को लौट आये। पर उस समय उन्होंने हुगली के बजाय कलकत्ते के उत्तर में चटानटी* नामक स्थान पर अपनी फेक्टरी कायम की।

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस वक्त तक अंग्रेजों को किलेबन्दी करने का अधिकार नहीं था। आत्मरक्षा के लिये केवल सौ सैनिक रखने की उन्हें इजाज़त थी। पर इसी समय के लगभग सन् १६९५ में बङ्गाल के नवाब के खिल्लाफ़ एक भयङ्कर विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह के नेता बर्दवान के हिन्दू जमींदार सुरेन्द्रसिंह थे। बङ्गाल में इस समय बड़ी अराजकता फैल रही थी। नवाब की स्थिति खतरे में गिर गई थी। इस समय का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने नवाब से किले बनाने की इजाज़त ले ली। फोर्ट विलियम नामक किले की नींव इसी समय से लगी। इण्डिया आफिस में रखे हुए पुराने पत्रों से पता चलता है कि उक्त किले की दीवारें पूरी भी न बनने पाई थी कि कुछ बलवाइयों ने उस पर हमला करना चाहा। पर वे भगा दिये गये।

बङ्गाल में बलवा हो जाने के कारण दिल्ली के सम्राट् द्वारा इब्राहीम खाँ बङ्गाल की नवाबी से हटा दिये गये और उनके स्थान पर शाहजादा अज़ीमुशाह बङ्गाल के नवाब बनाये गये। इन शाहजादा साहब से अंग्रेजों ने (१६००) रु० के नज़राने पर चटानटी, गोविन्दपुर और चटानटी नाम के तीन ग्रामों पर जमींदारी प्राप्त की। इसी समय अंग्रेज बङ्गाल में

* प्रोफेसर ब्लैकमेन के मतानुसार चटानटी गांव वहीं बसा हुआ था जहां आजकल सोबाबाजार बसा हुआ है।

पहले पहल ज़मींदार हुए। इन्हें अपनी ज़मींदारी में कुछ शासन सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हुए। धीरे धीरे अंग्रेजों के पैर फैलने लगे और उन्होंने ख़ासी शक्ति भी प्राप्त कर ली। सन् १७१३ में एक ऐसी घटना हुई जिसने अंग्रेजों के सौभाग्य को और भी बढ़ाया। इस समय दिल्ली के सम्राट् फ़र्रुख़सियर किसी ब्याधि द्वारा भयङ्कर रूप से आक्रान्त हो गये। हकीम और वैद्यों ने इनकी बड़े परिश्रम से चिकित्सा की, पर दुर्भाग्यवश सफलता न हुई। इस पर अंग्रेज सर्जन बुलाये गये। तत्कालीन सुप्रख्यात् अंग्रेज सर्जन मि० विलियम हेमिलटन सम्राट् की चिकित्सा करने के लिये दिल्ली पहुँचे। उन्हें इस चिकित्सा में सफलता हुई। सम्राट् ने उनसे पूछा, “कहिये आप क्या चाहते हैं”। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ऊपर कथित अंग्रेज सर्जनों की तरह आप भी स्वदेश-भक्त थे। आपने अपने निजी स्वार्थ के लिये सम्राट् से कुछ नहीं मांगा। आपने सम्राट् से निवेदन किया कि अंग्रेजों के व्यापार करने के अधिकार और भी विस्तृत कर दिये जावे, तथा बङ्गाल के नवाब के अत्याचारों से उनकी रक्षा की जावे। सम्राट् ने मि० विलियम हेमिलटन की बात स्वीकार कर ली और उन्होंने उन्हें एक फ़र्मान दिया जिसका उल्लेख हम किसी गत अध्याय में कर चुके हैं।

सम्राट् की इस कृपा से अंग्रेजों की सौभाग्य-श्री बढ़ी तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद दस वर्षों में अंग्रेजों ने व्यापार में बहुत तरक्की कर ली। वे बङ्गाल में समृद्धिशाली व्यापारी समझे जाने लगे, पर बङ्गाल में मुर्शिदकुलीख़ां द्वारा इनके कार्य में समय समय पर बाधण् उपस्थित होती रहती थीं। इसका कारण यह था कि नवाब को यह बात सहन न होती थी कि देशी लोगों की अपेक्षा अंग्रेजों को क्यों ज्यादा रिआयतें दी जाती हैं। मुर्शिदकुलीख़ां के बाद उनके दामाद शुजोद्दीनख़ां बङ्गाल के नवाब हुए। उन्होंने १४ वर्ष तक शासन किया। इन्होंने बड़ी मजबूती से अंग्रेजों की नाजायज़ कार्यवाहियों का विरोध किया। सन् १७३९ में उनकी मृत्यु हो गई, और इनके पुत्र शरफ़राज ख़ां को बङ्गाल की नवाबी

मिली। शरफराजखाँ बड़ा विलासी था। एक शासक में जो गुण होने चाहिये उनका उसमें लेश भी नहीं था। इसी के समय में दिल्ली पर नादिरशाह का हमला हुआ। इस हमले ने मुग़ल साम्राज्य की शक्ति को क्षिप्त-भिन्न कर दिया। मुग़ल सम्राट् का रहा सहा आतङ्क भी इस समय नष्ट हो गया। विभिन्न प्रान्तों के नवाब मुग़ल सम्राट् से स्वतन्त्र होकर अपने अपने प्रान्तों को दबा बैठे। इस समय 'जिसकी खाँटी उसकी भैंस' की कहावत पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रही थी। इसी समय बङ्गाल के नवाब का एक हलके दर्जे का नौकर अलीवर्दीखाँ ने, जो कि होशियारी और बहादुरी के कारण बिहार का नायब हो गया था, बङ्गाल के नवाब के खिलाफ़ विद्रोह का भण्डा उठाया। हम पहले कह चुके हैं कि बङ्गाल का तत्कालीन नवाब बड़ा विलासी और कायर था। प्रजा और जमींदारों को इसके साथ तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। राज्य के कर्मचारी भी इसके खिलाफ़ थे। इन सब लोगों ने अलीवर्दीखाँ की सहायता की। शरफराजखाँ लड़ाई में मारा गया और सन् १७४१ में अलीवर्दीखाँ बङ्गाल बिहार और उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया गया। नवाब अलीवर्दीखाँ बहादुर और दिलेर था। उसने १५ वर्ष तक योग्यता से शासन किया। उसके शासन काल में बङ्गाल पर बाहर के बड़े २ हमले हुए। इन आक्रमणों के कारण नवाब अलीवर्दीखाँ अपनी शक्ति का भली प्रकार सङ्गठन नहीं कर सका। इतना होते हुए भी उसकी धाक तत्कालीन सब शक्तियाँ मानती थीं। उसने बङ्गाल की रक्षा के लिये अंग्रेजों को भी कुछ रकम देने के लिये मजबूर किया। नवाब अलीवर्दीखाँ बड़ा दूरदर्शी था, यह बात उसके उस उद्देश से प्रकट होती है, जो उसने अपने मृत्यु के समय सिराजुद्दौला को बतलाया था। उसने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की कुटिल नीति (Diplomacy) का परिचय करवा कर उनसे सावधान रहने के लिए सचेत कर दिया था। इस बहादुर और राजनीति कुशल नवाब की मृत्यु सन् १७५६ की ९ वीं एप्रिल को हो गई। इसके बाद सिराजुद्दौला नवाब की गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला

भारतवर्ष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम

किस प्रकृति का मनुष्य था और उसके समय के किस प्रकार की राजनै-
तिक घटनाएँ हुईं और उनका भारत के भविष्य पर कैसा असर पड़ा, इन
सब बातों का वर्णन आगामी अध्याय में किया जायगा ।



सिराजुद्दौला

पिछले पृष्ठों में अंग्रेजों के बङ्गाल प्रवेश पर कुछ प्रकाश डाला गया है । जिस समय यह घटना चक्र घुम रहा था, उस समय भारततत्त्व में चारों ओर घोर अराजकता फैली हुई थी । 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की कहावत पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रही थी । किसी केन्द्रीभूत प्रबल शक्ति के अभाव में जो बलवान् और धूर्त होता था, उसकी तूती बजने लगती थी । देश की कई शक्तियों में परस्पर संवर्ष हो रहा था । चारों ओर बड़ी गड़बड़ मची हुई थी । इसी परिस्थिति का राजनीति में निष्पान्त अंग्रेजों ने फायदा उठाने का निश्चय किया । उन्होंने देखा कि अपना प्रभुत्व कायम करने का यह अच्छा अवसर है ।

बङ्गाल का शासन कई हाथ परिवर्तन करते हुए जिस प्रकार नवाब अलीवर्दीखां के हाथ में आया, उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । अंग्रेज लेखकों के मतानुसार अलीवर्दीखां एक योग्य और समर्थ शासक था । उसने राजकाज योग्यता पूर्वक सञ्चालित किया था । वह दूरदर्शी भी था । अंग्रेजों की कुटिल नीति को वह भली प्रकार समझ चुका था । उसने अपनी मृत्यु के कुछ पहले अपने दोहित्र सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की कूटनीति का परिचय कराते हुए उनसे सावधान रहने का आग्रह किया था, और उसे यह आदेश दिया था कि वह अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने की चेष्टा करे ।

सिराजुद्दौला जिन परिस्थितियों में गद्दीनशीन हुआ था-उन पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में वही शासक सफल हो सकता था जो योग्य, दूरदर्शी, शासन-चतुर और दृढ़ चित्त हो, पर दुःख की बात है कि सिराजुद्दौला में इनमें से एक भी गुण न था । वह, जैसा कि तत्कालीन लेखकों ने लिखा है, अपने नाना के अत्यन्त खाद

प्यार से बिगाड़ गया था। उसमें न तो शासन योग्यता थी और न इतनी राजनैतिक बुद्धि थी कि जिससे वह राजनीति में मंजे हुये और कुशल-अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। ऐसे अपारिपक्व और अनुभव शून्य युवक का उस समय बङ्गाल की गद्दी पर आना वास्तव में एक दुर्भाग्य-पूर्ण घटना थी। फिर भी बहुतसे अंग्रेज लेखकों ने उसे जितना निकृष्ट रूप से चित्रित किया है वह उतना नहीं था। कर्नल मालेसन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ *Decisive battles of India* में लिखते हैं—

“This prince, who has been painted by historians in the blackest colours, was not worse than the majority of the eastern princes. He was rather weak than vicious, unstable rather than tyrannical, had been petted and spoilt by his grandfather, had had but little education, and was still a minor. Without experience and without stability of character, suddenly called upon to administer the fairest provinces of India and to assume irresponsible power, what wonder that he should have inaugurated his accession by acts of folly?” “अर्थात् वह नवाब (सिराजुद्दौला) जिसे कि इतिहासकारों ने निकृष्टतम प्रकट किया है, उतना बुरा नहीं था जितना कि दिखलाया गया है वह अधिकांश पूर्वीय राजाओं से बुरा नहीं कहा जा सकता। वह दुष्ट नहीं था वरन् कमजोर था, जुल्मी नहीं था पर डांवाडोल चित्त का था। वह अपने नाना के लाडलप्यार से बिगाड़ दिया गया था। उसे बहुत ही कम शिक्षा मिली थी और अभी वह नाबालिग ही था। बिना अनुभव के और बिना चारित्रिक दृढ़ता के होते हुए भी उसे हिन्दुस्थान के सबसे अच्छे प्रान्त के शासन की बागडोर लेनी पड़ी थी। ऐसी दशा में उससे मूर्खता-पूर्ण कोई कार्य हो जावे तो आश्चर्य ही क्या है।”

सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का मनमुटाव



सिराजुद्दौला के सिंहासनारूढ़ होने के कुछ ही समय बाद उसका और अंग्रेजों का मनमुटाव शुरू हो गया। सिराजुद्दौला ने अपने प्रमोद भवन के पास मैसूरगंज नामक एक बाजार कायम किया था। उस बाजार की सारी आमदनी पर सिराजुद्दौला का अधिकार था। सिराजुद्दौला हमेशा इस प्रयत्न में रहता था, जिससे इस बाजार की आमदनी में वृद्धि हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि देशी वाणिज्य की उन्नति बिना बाजार की उन्नति असम्भव थी। अंग्रेज लोग प्रकट और गुप्त वाणिज्य से देशी व्यापारियों को हानि पहुँचा कर विदेशियों के लाभ का मार्ग जितना ही सुलभ करते गये, सिराजुद्दौला इन विदेशी वणिकों से उतना ही असन्तुष्ट होता गया। फ्रान्स, डेनमार्क, हॉलैंड आदि देशों के व्यापारियों को बिना महसूल के वाणिज्य करने का अधिकार नहीं था, इसलिये उनकी प्रतियोगिता से स्वदेशी व्यापार को विशेष हानि पहुँचाने की सम्भावना नहीं थी। किन्तु अंग्रेज लोग दिल्ली के बादशाह से फर्मान लेकर जल और स्थल सर्वत्र बिना महसूल अदा किये व्यापार करने लगे थे। वे स्वदेशी व्यापारियों के पथ पर बुरी तरह कांटे बिछाते थे। अतएव सिराजुद्दौला प्रधान रूप से अंग्रेजों ही से विशेष द्वेष रखने लगा। यहां एक बात और कह देना आवश्यक है, जिसने सिराजुद्दौला को बहुत चिढ़ाया। वह यह कि बिना महसूल का व्यापार केवल ईस्ट इण्डिया कम्पनी ही नहीं करती थी, पर कम्पनी के कर्मचारियों के प्रिय रिश्तेदार भी इस देश में आकर गुप्तरीति से बिना महसूल के व्यापार करते थे। जॉन उब नामक

इसी तरह के एक अंग्रेज़ सौदागर ने कम्पनी के पास निःशुल्क व्यापार का परवाना प्राप्त करने के लिये जो आवेदन—पत्र भेजा था, उसमें साफ़ साफ़ लिखा था कि “कम्पनी की तरह अन्य अंग्रेज़ सौदागरों को भी निःशुल्क व्यापार करने का परवाना न देने से सर्वनाश होगा।” मतलब यह इस वक्त क्या ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी और क्या उनके अजीज रिश्तेदार सब ही बिना महसूल के व्यापार करते थे। इससे सिराजुद्दौला को तो भारी हानि पहुँचती ही थी, पर साथ ही में देशी व्यापारियों का भी सर्वनाश होता जा रहा था। इससे सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर बड़ा क्रुद्ध था, और वह उन्हें निकालने का अवसर ढूँढ़ करता था। सेनापति मुस्तफाखां भी सिराज के इस प्रस्ताव का समर्थन करता था।

इसके अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक कारण हुए, जिनसे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का मनोमालीन्य बढ़ता ही चला गया। हम उन कारणों में से दो एक का ‘सिराजुद्दौला’ नामक ग्रन्थ के आधार पर यहां उल्लेख करते हैं। अलीवर्दीखां की जीवित अवस्था में ढाका के दीवान राजबल्लभ के पुत्र कृष्णदास ने कलकत्ते में अंग्रेजों का आश्रय ग्रहण किया था। इस कृष्णदास के जिम्मे मालगुजारी का बहुत सा रूपया निकलता था। रुपये न वसूल होने के कारण सिराजुद्दौला ने इन्हें कैद करने का निश्चय किया था। कृष्णदास ज्यों त्यों कर कुल छिद्र से कलकत्ते पहुँच गया। वह अपने साथ विपुल सम्पत्ति ले गया। कम्पनी की शरण ली। तत्कालीन इतिहास लेखक अमीं महाशय ने इस घटना का यों जिक्र किया है।

अमीं कहते हैं—“राजबल्लभ ने देखा कि सिराजुद्दौला मुझ पर नाराज़ है; अतएव ढाके में रहना ठीक निरापद नहीं। यह समझ कर उसने अपने पुत्र को अपनी सम्पत्ति के साथ कलकत्ते भेज दिया। उसने मुर्शिदाबाद-कासिम-बाजार की अंग्रेज कोठी के मालिक वाट्स साहब से

अनुरोध किया कि वे ऐसा यत्न करें जिससे कलकत्ते की अंग्रेज कम्पनी की कौन्सिल कृष्णदास को आश्रय प्रदान करे। इस समय कलकत्ते की कौन्सिल का प्रधान डेक आबहवा बदलने के लिये उड़ीसा गया हुआ था। कौन्सिल के अन्यान्य सदस्यों ने बाट्स साहब की सिफारिश स्वीकार कर ली और वे कृष्णदास को आश्रय देने में राजी हो गये। यह बात सिराजुद्दौला को अच्छी न लगी। वह अंग्रेजों से बदला लेने के लिये सोचने लगा।

इसके कुछ समय बाद ही सिराजुद्दौला ने कलकत्ते की अंग्रेज कम्पनी को एक पत्र लिखा, जिसमें कृष्णदास को लौटा देने के लिये जोर दिया। इस पत्र के भेजने के सम्बन्ध में अर्मी के इतिहास में एक रहस्य प्रकट किया गया है। मुसलमानों के लिखे हुए इतिहास में इस रहस्य का जिक्र तक नहीं है। अर्मी ने लिखा है—“जो पत्र—वाहक सिराजुद्दौला का पत्र लाये थे, वे अलीवर्दीखां के एक प्रियपात्र कर्मचारी राजा रामसिंह के भाई थे। वे एक छोटी सी नांव से कलकत्ते के साधारण सौदागर की सूरत में उमीचन्द के मकान पर उपस्थित हुए। उमीचन्द ने उन्हें साथ लेजाकर हालवेल साहब से उनका परिचय करा दिया। हालवेल साहब उस समय कलकत्ते के पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट थे।”

“सिराजुद्दौला द्वारा भेजे हुए पत्र पर विचार करने के लिये कौन्सिल का एक अधिवेशन हुआ। उस समय कौन्सिल का एक सदस्य, उमीचन्द के खिलाफ था। उसने कहा कि यह आदमी सिराजुद्दौला का भेजा हुआ नहीं है, यह सब उमीचन्द का षड्यन्त्र है। इससे कौन्सिल ने उस आदमी को कोरा लौटा दिया। इससे सिराजुद्दौला आग बबुला होगया। उसने अंग्रेजों के दमन का निश्चय कर लिया।

इसके अतिरिक्त जब सिराजुद्दौला ने यह सुना कि अंग्रेज कलकत्ते में किलेबन्दी कर रहे हैं, तब उसने तत्काल ही अपने संकल्प को पूरा करने का ह्रादा किया।

सिराजुद्दौला का कासिम बाजार पर आक्रमण

उपरोक्त घटनाओं से हमारे पाठकों की यह कल्पना हो गई होगी कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच किस प्रकार मनोमालीन्य बढ़ता गया। नवाब ने तुरन्त ही कासिम बाजार के अंग्रेजी किले पर आक्रमण करने के लिये तीन हजार सिपाही भेजे। सन् १७५६ ईसवी की २२ मई को इस फौज ने कासिम बाजार पहुँच कर अंग्रेजी किले को घेर लिया। दूसरी जून को नवाब सिराजुद्दौला ससैन्य वहाँ उपस्थित हुआ। कासिम बाजार किले के आदमियों ने आत्म-रक्षा के लिये भी युद्ध नहीं किया। उन्होंने बिना शर्त के सिराजुद्दौला को आत्म समर्पण कर दिया। कासिम बाजार किले के पतन का समाचार जब कलकत्ते पहुँचा तो वहाँ के अंग्रेजों में भारी भय छा गया! वे भय से कांप गये! कलकत्ते की अंग्रेज कम्पनी ने सहायता के लिये बम्बई और मद्रास आदमी भेजे। किन्तु वहाँ से समय पर सहायता पहुँचने की संभावना किसी तरह नहीं की जा सकती थी। डच और फ्रान्सीसियों की सहायता मांगी गई। डच बिल्कुल इन्कार हो गये। फ्रान्सीसी राजी हुए तो सही, किन्तु उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता छोड़ चन्द्रनगर चले जाने के लिये कहा। अंग्रेज फ्रान्सीसियों के इस प्रस्ताव से सहमत न हुए। इसी समय नवाब ने भी डच और फ्रान्सीसियों की सहायता मांगी, पर इसमें वह कृत-कार्य नहीं हुआ।

सिराजुद्दौला ने ६ जून को ससैन्य कलकत्ते की ओर कूच किया। १२ जून को उसकी सब फौज हुगली पहुँची। जब से अंग्रेजों ने यह सुना कि सिराजुद्दौला कलकत्ता में आक्रमण करने के लिये युद्ध थात्रा कर रहा है, तब ही से ढाका, वासेरवर, जगदिया आदि विविध स्थानों की

अंग्रेजी कोठियों के कर्मचारियों को पत्र लिख गये कि बही खाता काग़रह समेट कर वे पौरन सुरक्षित स्थानों में चले जावें । राजर डेक उस समय कलकत्ते के गवर्नर थे । वे भी मुकाबले की तैयारी करने लगे ।

इस ओर नवाब सिराजुद्दौला ने बाहरी शत्रुओं के हमले रोकने के लिये कलकत्ते से डाई कोस दक्षिण गंगा के पश्चिमी किनारे के टाना नामक स्थान पर एक छोटा किला बनाया था । पचास सिपाही तेरह तोपों के साथ मुहाने की रक्षा के लिये उस किले में तईनात थे, और बहुत दिनों से उस पर किसी शत्रु का आक्रमण न होने के कारण वे मजे से पदे पदे विश्राम सुख का उपभोग कर रहे थे । अंग्रेजों ने तेरहवीं जून के प्रातःकाल को चार फौजी जहाज लेकर एकाएक उक्त किले पर हमला कर उस पर भीषण गोलावृष्टि शुरू कर दी । इस आकस्मिक हमले से नवाब के सिपाही किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये । वे तितर बितर होकर हुगली की ओर भग गये । टाना की दुर्गप्राचीर पर अंग्रेजों की विजय-पताका फहराने लगी और अंग्रेजी सेना ने किले की चार दीवारी में लगी हुई नवाबी तोपों को तोड़ फोड़कर गंगा जी में फेंकना आरम्भ किया ।

जब यह खबर हुगली पहुँची, तब सिराजुद्दौला आग बबुला हो गया । किले पर पुनः अधिकार करने के लिये फिर फौजें भेजी गईं । १४ जून को टाना के किले के फाटक पर लड़ाई हुई । इसमें नवाब की सेना को सफलता मिली । अंग्रेज सेना पराजित हुई । अंग्रेजी इतिहास लेखक अर्मी ने इस युद्ध का वृत्तान्त लिखा है:--

“ नवाब ने निश्चय कर लिया था कि टाना के किले पर अधिकार कर लिया जावे । वह किला कलकत्ते से पाँच मील पर हुगली नदी और संमुद्र के बीच में था । उसमें सिर्फ १३ तोपें थीं । दो जहाज तीन तीन सौ टन के थे । इनके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे जहाज थे परन्तु दूसरे दिन नवाब के २००० सिपाहियों ने जो हुगली से भेजे गये थे, आकर किले

को घेर लिया और वे तोपों से गोलाबारी शुरु कर दी। कुछ थोड़े से अंग्रेजी सिपाही उनका मुकाबला करने के लिये कलकत्ते से भेजे गये। पर उनकी भी दाल न गली और कलकत्ते वे वापस लौट आये।

अर्मी के अतिरिक्त और किसी अंग्रेज इतिहास लेखक के किसी इतिहास में अंग्रेजों की इस पराजय का उल्लेख नहीं है।



नवाब का कलकत्ता विजय

याना के युद्ध-कांड का वर्णन पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। याना के युद्ध के बाद नवाब ने अपनी फौज के साथ कलकत्ते की ओर कूच किया। पन्द्रहवीं जून को नवाब और उसकी फौज हुगली जा पहुँची। सोलहवीं जून को कलकत्ते के दुर्ग निवासी अंग्रेजों को नवाब की चढ़ाई का समाचार मिला। इससे उनमें बड़ी घबराहट फैल गई। उनकी हालत 'किं कर्त्तव्यःविमूढ' सी हो गई। उस समय किले में जो अंग्रेज थे उनमें से एक ने अंग्रेजों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि किले में स्थित सभी अंग्रेज सलाह देने के लिये तैयार थे, किन्तु ठीक ठीक सलाह देने की शक्ति किसी में नहीं थी।

नवाब की फौजों ने अंग्रेजों के किले पर भीषण गोलावृष्टि करना शुरू कर दिया। दुर्गवासी अंग्रेज सेना ने आत्मरक्षा की चेष्टा की पर वह सफल न हो सकी। दुर्ग रक्षा का कार्य असम्भव समझकर दुर्गस्थ स्त्रियां जहाजों के द्वारा अन्यत्र भेज दी गईं। उन्हें जहाज में पहुँचाने का भार लेकर मानिङ्गहम और फ्राकलेण्ड नामक दो सिविलियन जहाज से भागे। क्रम से कितनों ही ने उनका पथानुसरण किया। कलकत्ते के तत्कालीन गवर्नर ड्रेक और सेनापति कप्तान मेनचिन ने भी जहाज की राह देखी। जहाज की ओर भागने में नाव डूबने से कितने ही लोग काल-कवलित हुए!

दुर्ग अब रक्षक हीन हो गया! जो लोग दुर्ग से न भाग पाये थे, वे पुनः आत्मरक्षा की चेष्टा करने लगे। उन लोगों ने कौन्सिल के अन्यत्तम सदस्य हालवेल पर रक्षा का सब भार सौंप दिया। हालवेल बड़े साहस के साथ दुर्ग रक्षा के लिये शत्रु की ओर गोला बरसाने लगे।

Ives journey में लिखा है कि “हालवेल साहसी नहीं थे । कोई उपाय न रहने के कारण उन्हें इस समय लड़ना पड़ा था ।”

कुछ भी हो, हालवेल दुर्ग की रक्षा न कर सके । नवाब ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया । दुर्ग अधिकृत होने पर नवाब ने सेनापति मीरजाफर के साथ दुर्ग में प्रवेश किया । अमीचन्द और कृष्णचन्द्र उनके सामने खाये गये । नवाब ने इनके प्रति किसी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं किया । अंग्रेजों ही के इतिहास में लिखा है कि जिस समय अमीचन्द और कृष्णचन्द्र ने नवाब के सामने उपस्थित होकर नवाब से अभिवादन किया तो नवाब ने इनका तिरस्कार करना तो दूर रहा, बडे सन्मान के साथ इन्हें आसन प्रदान किया । हालवेल साहब ने “Halwelle’s Indian tracts” में यह बात मुकद्दत से स्वीकार की है ।



कलकत्ते का ब्लैक होल

कालकोठड़ी के हत्याकांड का रहस्य



अंग्रेज इतिहासवेत्ताओं ने नवाब सिराजुद्दौला की कलकत्ता विजय के साथ कालकोठड़ी के हत्याकांड को सम्बन्धित किया है। यह कालकोठड़ी ब्लैक होल "Black Hole" के नाम से प्रसिद्ध है। हमने पूर्व अध्याय में सिराजुद्दौला की कुछ भी प्रशंसा नहीं की है। हम उसका अनुचित समर्थन करना नहीं चाहते। पर किसी घटना का शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना इतिहासवेत्ता का प्रधान कर्तव्य है। ऐतिहासिक प्रमाणों की छानबीन के बाद कालकोठड़ी के अस्तित्व में संदेह होने लगता है। इस पर प्रकाश डालने के पहले अंग्रेज इतिहासवेत्ताओं ने कालकोठड़ी के हत्याकांड का जैसा वर्णन किया है उसका सारांश हम नीचे देते हैं।

“कलकत्ते में नवाब के हाथों १४६ अंग्रेज कैद हुए। एक कर्न फीट खम्बी चौड़ी कोठड़ी में ये सब भर दिये गये और उस कोठड़ी के द्वार बंद कर दिये ! इस दिन सूर्य अपनी सहस्रों किरणों से तप रहा था। भयङ्कर गर्मी पड़ रही थी ! इस कोठड़ी में हवा आने के लिये दो छोटे छोटे हवादानों को छोड़ कर और कुछ भी नहीं था। खोग एक के ऊपर एक भर दिये गये थे। १४६ प्राणियों के देह के घर्षण और दारुण ग्रीष्म के अत्यधिक प्रादुर्भाव से इस बन्द कोठड़ी में रहना असह्य हो गया। सभी ने आत्मरक्षा के लिये दरवाजे पर आघात करके उसे तोड़ देना चाहा। उनका यह प्रयास निष्फल हुआ। सभी उन्मत्त हो गये। हास्यवेद भी इन ही में थे। इन्होंने कभी डाटडप्पट बतलाकर और कभी कुत्सामद कर सब को शान्त करने की चेष्टा की, किन्तु सफलता नहीं हुई। इन्होंने दरवान को कहा कि “भाई, तुम्हें एक हजार रुपया दूंगा

...की, पर वह भी सफल न हुआ। इसलिए उसे उससे अधिक रुपया देना स्वीकार किया। दूसरा... छोट कर उसने कहा—“बकी सुरिकल है, नवाब... सकता है?”

धीरे यन्त्रणा बढ़ने लगी। पसीने की धारें... मूखे मूखे गये! छाती फटने लगी! दम लेना... अपने कपडे उतार डाले। टोपियां उतार... हो उठा! अकिराम पत्नीना बहने... मूर्च्छित होने लगे! कितने ही लोग गिर... के पैरों तले पड़ कर वे मर गये! इस... था! “पानी पानी” चिल्लाहट हुई! जमादार... कर हवादान के पास रखी। सब “ग्राही ग्राही”... और लपके। किन्तु जबदर्शन से और भी... होकर पानी पीने की चेष्टा करने लगे। जो... कर पानी पीने के लिये अग्रसर होने लगे...

...किये। किसी किसी ने हवादान के पास... कर लोगों को दिया। किन्तु उससे... म किहार उत्पन्न हुए। पहरेदार देख कर... किसी किसी ने हवादान के पास... की हंसी की। गोली खाकर मरने के... को कहने लगे। कोई अपना... लेने लगे। धीरे धीरे सब मर गये!... अनेक होकर मृतवत् पड़े थे। सब... अमित कैरी नवाब के पास...

पाठक ! देखिये, उपर कितने भयानक अमानुषिक कारक का दिग्दर्शन करवाया गया है ! अंग्रेज खेसकों ने कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का जो वर्णन किया है, उपयुक्त पंक्तियों में उसकी कृपा बतलाई गई है। अगर उक्त कारक सच्चा होता तो अवश्य ही वे लोग जो इस क्रूर कारक के जिम्मेदार थे, राबस और नरपिशाच के अतिरिक्त दूसरी उपमा नहीं पा सकते थे। पर अनेक ऐतिहासिक अन्वेषणाओं से काल कोठड़ी का हत्याकाण्ड केवल कपोल कल्पित और मिथ्या आविष्कार जान पड़ता है।

अंग्रेजों के लिखे इतिहासों में कालकोठड़ी का जो जिक्र है, वह वृत्तान्त उन्होंने हाखवेख के वर्णन से लिखा है। पर ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिनसे कालकोठड़ी के अस्तित्व ही में घोर सन्देह उत्पन्न होता है। तत्कालीन मुसलमानों के लिखे हुए इतिहासों में कालकोठड़ी का विशिष्ट जिक्र नहीं है। “मुताखिरीन” एक प्रामाणिक इतिहास संग्रह जाता है। यह तत्कालीन एक मुसलमान सज्जन का लिखा हुआ है। इसमें सिराजुद्दौला की अनेक कुकीर्तियों का उल्लेख है। सारा “मुताखिरीन” ग्रन्थ देख जाने पर भी इसमें कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का वर्णन नहीं मिला। “मुताखिरीन” में केवल इतना ही लिखा है, “दुर्ग पर अधिकार करने के बाद लूट खसोट हुई। कितने ही अंग्रेज कैद किये गये। कितनी ही बीनियां भीरजाफर के अनुचर अमीरवेग के हस्तगत हुईं।” “मुताखिरीन” के अंग्रेजी अनुवादक कहते हैं कि इस घटना के विषय में सारे सज्जद की बात तो अलग रही, खास कलकत्तावासी भी नहीं जानते।” मुहम्मदअलीशां के “नारीरफी मुजफफरी” ग्रन्थ में इस कालकोठड़ी का नाम—मात्र का भी उल्लेख नहीं है। अंग्रेज इतिहास-लेखक भी इस ग्रन्थ को प्रामाणिक बतलाते हैं। इस ग्रन्थ में लिखा है—इक साहब के भाग जाने पर किले के बाकी लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ युद्ध किया। किन्तु उनकी बारूद समाप्त हो गई जिससे दुर्ग शत्रुओं के हाथ जा पड़ा। लड़ाई में कितने ही लोग मारे गये। कितने ही बाद में

कैद किये गये । हरिचरणकृत "बहार गुलजार" में भी कालकोठड़ी का नामोउल्लेख तक नहीं है । ब्रिटिश एडमिरल वाटसन साहब ने नवाब को जो पत्र लिखा, उसमें कालकोठड़ी का जिक्र तक नहीं किया । वाटसन के पत्र में लिखा है:—हमारे कारखाने लूट लिये गये । बहुतों को मार डाला गया ।" स्वयं लार्ड क्लाइव के पत्रों में इस हत्याकाण्ड का जिक्र तक नहीं है । क्लाइव ने कोर्ट आफ डायरेक्टर्स को निम्न लिखित आशय की चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी उक्त हत्याकाण्ड का कहीं उल्लेख नहीं है । उन्होंने चिट्ठी में लिखा था—“कुछ पत्र जो सिराजुद्दौला ने फरसियों को लिखे थे वे मेरे हाथ आ गये । उनमें से मैं एक का अनुवाद आपके पास भेज रहा हूँ, जिससे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि हम लोग सिराजुद्दौला का नाश करने के लिये मजबूर हो गये थे ।” युद्धक्षेत्र से भाग कर जो अंग्रेज पलता में जाकर रहे थे और जो रोज तरह तरह की गुप्त मन्त्रणाएँ किया करते थे, उनके विवरणों की पुस्तक में किसी स्थान पर भी कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का उल्लेख नहीं है । दूरस्थित समुद्र के किनारे पर रहने वाले मद्रास के अंग्रेजों ने अलकत्तों पर पुनः अधिकार करने के लिये सेना भेजने के जिस वादविवाद में बहुत सा समय बिताया था, उसमें भी कहीं कालकोठड़ी का जिक्र नहीं है । मद्रास के अंग्रेजी दरबार के प्रार्थनानुसार हैदराबाद के निजाम और अरकाट के नवाब ने सिराजुद्दौला को जो चिट्ठियाँ लिखी थी, उनमें भी कहीं कालकोठड़ी की घटना का नामोउल्लेख नहीं है । मद्रास कौन्सिल के तत्कालीन कर्ताधर्ता पिगट साहब ने बड़ी डाटडपट के साथ सिराजुद्दौला को जो पत्र भेजा था उसमें भी कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का नाम तक नहीं है । क्लाइव और वाटसन ने प्रसियों के युद्ध छिड़ने के पहले तक सिराजुद्दौला के साथ जो पत्र-व्यवहार किया था, उसमें किसी जगह पर भी कालकोठड़ी की उक्त विषम घटना का आभास नहीं पाया जाता । सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो सुलह हुई, उसमें भी इस हत्याकाण्ड का उल्लेख नहीं था । इस पर सुप्रख्यात अंग्रेज लेखक परटन ने बड़ा अफसोस जाहिर किया है

और लिखा—है “कालकोठड़ी के कर्षों का कुल बदला नहीं मिला और इसका न मिलना सन्धि पर बड़ा भारी धब्बा है। उस घोर अत्याचार के लिये इस सन्धि-पत्र में कहीं भी उचित क्षमाप्रार्थना नहीं की गई है। शान्ति अवश्य चाहिये थी, परन्तु एसी शान्ति बहुत ही महँगी है, जिसमें जातीय अपमान हो ?” थरटन के इन वाक्यों से क्या ध्वनित होता है ? यही न कि सन्धि—पत्र में उक्त घटना का कहीं पता तक नहीं था। कलकत्ते पर पुनः अधिकार जमाने के लिये एक एक करके जो अंग्रेज मद्रास से बङ्गाल आये थे, उन सभी ने नवाब सिराजुद्दौला को पत्र लिखे थे। अगर कालकोठड़ी की घटना सत्य होती तो इन सभी पत्रों में उसका अवश्य ही उल्लेख होता। १२ अगस्त को मेजर क्लाइपेट्रिक ने एक नम्रता—पूर्ण पत्र नवाब सिराजुद्दौला के नाम भेजा था, उसमें उन्होंने उस सक्ती के बर्ताव की शिकायत की थी जो नवाब की ओर से अंग्रेजों की कम्पनी के साथ किया गया था और साथ ही में इस बात का विरवास दिखाया गया था कि इतना होजाने पर भी उनके विचार नवाब के लिये उतने ही अच्छे हैं, जितने पहले थे। कर्नल क्लाइव के एक पत्र का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। एक दूसरे पत्र में कर्नल क्लाइव ने नवाब को लिखा था—“एडमिरल वाट्सन जो बादशाह के विजयी जहाजों के कप्तान हैं और मैं स्वयं जो एक सिपाही हूँ और जिस की दक्षिण की विजय का वृत्तान्त आपके कानों तक पहुँचा होगा, दोनों उस हानि का बदला लेने आ रहे हैं जो आपने अंग्रेज कम्पनी को पहुँचाई है, और वह आपके न्यायोचित विचारों के अनुकूल होगा कि आप अपने देश को लड़ाई का मैदान न बनाकर कम्पनी के नुकसान को भरपाई कर दें।

कालकोठड़ी हत्याकाण्ड के आविष्कर्ता स्वयं हाखवेस साहब ने सन् १७६० की चौथी अगस्त को सिलेक्ट कमेटी के सामने जिन मन्तव्यों को पढ़ा था, उनमें भी कहीं स्पष्ट शब्दों में कालकोठड़ी की घटना का उल्लेख

नहीं है। मीरजाफ़र के साथ अंग्रेजों की जो सन्धि हुई भी उसमें भी कालकोठड़ी का नामोनिशान नहीं है। कुछ वर्ष हुए डाक्टर भोखानाथ ने कालकोठड़ी पर एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड को अस्वीकार किया है। राजसाही के वकील और "सिराजुद्दौला" नामक ग्रन्थ के लेखक "भारती" ने इस सम्बन्ध में एक लेख लिखा था, जिसमें आपने प्रकट किया था—

“हालवेल कथित १४६ कैदियों का कारागृह होना विशेष सन्देह जनक है। इसका कारण यह है कि जिस दिन हालवेल साहब ने दुर्गराजा का भार ग्रहण किया उस दिन दुर्ग में १६० आदमी होने की बात इतिहास में खिली है। इन १६० आदमियों में दो दिनों की खड़ाई में कितने ही मीरजाफ़र की कृपा से सुरक्षित रूप से कलकत्ते पहुँच गये थे तब १४६ आदमी आये कहां से? इस प्रकार और भी अनेक प्रमाणों से यह प्रमायित होता है कि कालकोठड़ी की घटना घटित नहीं हुई। यह हालवेल साहब की कल्पना का आविष्कार-मात्र है।” अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि हालवेल साहब ने इस हत्याकाण्ड की कल्पना कब और क्यों की?

हालवेल और कालकोठड़ी

कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड की कहानी कब और किसके द्वारा प्रकट हुई। इसका हाल दिखचस्पी से खाली नहीं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसका प्रधान प्रचारक या आविष्कर्ता हालवेल था। सन् १७५७ ईस्वी की २१ वीं फरवरी को उन्होंने अपने प्रियबन्धु विलियम डेविस को जो पत्र लिखा था, उसी से कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का पहला और विस्तीर्ण परिचय मिला था। जब १७५७ में उन्होंने साइरन नामक जहाज पर चढ़ कर विखायत की यात्रा की तो जहाज पर बैठे बैठे उसी बेकारी की हास्यत में उन्होंने इस विषाद-पूर्ण कहानी की रचना की थी। इसी-लिये इसका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता कि प्लासी युद्ध के पहले तक

सर्वसाधारण को इसका कुछ भी ज्ञान था। प्रासी युद्ध के पश्चात् जिस समय इङ्ग्लैण्ड के निवासियों ने भारत प्रवासी अंग्रेज सौदागरों की अपकीर्ति और अत्याचारों के विषय में रौरा भ्रमना शुरु किया था उसी समय हाखवेल साहब का उक्त-पत्र जनता के सामने उपस्थित किया गया था, जिसे पढ़कर इङ्ग्लैण्ड के स्त्री पुरुषों का हृदय कांप उठा ? वे सिराजुद्दौला को राक्षस और पिशाच समझने लगे। इससे अंग्रेजों के अत्याचारों की कहानियाँ विस्तृति के गर्भ में विखीन हो गईं ? सम्य संसार में सिराजुद्दौला के कलकत्ते का शोर मचने लगा।

उस समय की चारों ओर की अवस्था का सूक्ष्मभाव से आलोचना करने पर कालकोठड़ी के अस्तित्व में दरअसल घोर सन्देह उत्पन्न होता है। अब सवाल यह है कि इस घटना का आविष्कार करने में हाखवेल ने क्या लाभ सोचा ? इसका थोड़ा सा उत्तर ऊपर की पंक्तियों में दिया गया है। हाखवेल साहब की यह कल्पना अहेतुक नहीं थी। यह कल्पना क्यों हुई थी ? इसके कई कारण हैं ! फ्रान्सीसी हाकिम दुग््रे ने भारत में अपने देश के हाकिमों की सहानुभूति और सहायता नहीं पाई, इसलिये उनका अधःपतन हुआ। उनके अधःपतन से भारत में फ्रान्सीसियों का अधःपतन हुआ। हाखवेल की शायद इस बात की चिन्ता रही हो कि कहीं-भारत के अंग्रेज भी विधायक की सहानुभूति और सहायता न लो बैठे। शायद इसी चिन्ता के फल से सिराजुद्दौला के चरित्र में चरम नुकसता का आरोप करके हाखवेल की कल्पना ने कालकोठड़ी का हत्याकाण्ड तैयार किया होगा ? हम ऊपर कह चुके हैं कि कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का समाचार सुनकर विधायकवासियों का हृदय कांप उठा था। कितने ही लोगों का लफाड़ा है कि एक स्वाधीन नवाब के अकारण ही राजच्युत किये जाने से शायद भारतस्थित अंग्रेजों के नाम पर घोर कलह खड़ेगा, बस इसी कलह से सुटकारा पाने के लिये उक्त हत्याकाण्ड का आविष्कार किया था। इस प्रकार इस विषय में अनेक लोगों के अनेक मत हैं, पर बहुत से इतिहासकार कालकोठड़ी के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते।

कालकोठड़ी का स्मारक

अंग्रेजी इतिहास लेखकों के मतानुसार कालकोठड़ी का बड़ा महत्व है। उसने हिन्दुस्थान में ब्रिटिश राज्य-शक्ति की नींव डाली। यदि यह सत्य है तो क्या कारण है कि कम्पनी का बनाया हुआ कालकोठड़ी का कोई स्मारक नहीं पाया जाता। कानपुर के हत्याकाण्ड का स्मृति-स्तम्भ बड़े पक्ष के साथ सुरक्षित रखा गया है। मथुरा के हत्याकाण्ड को शिरस्मरणीय बनाने के लिये भी स्मारक बनवाया गया है। ऐसी दशा में कोई कारण मालूम नहीं होता है कि कालकोठड़ी जैसी भयानक और महत्वपूर्ण घटना के लिये कम्पनी की ओर से स्मारक क्यों नहीं बनवाया गया। कहा जाता है कि हालवेल ने अपने निजी खर्च से एक स्मारक बनवाया था। स्मारक बनवाना कम्पनी का काम था। वह कम्पनी ने क्यों नहीं किया? इसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य होना चाहिये और बुद्धिमान पाठक इस रहस्य का पता बड़ी खूबी से लगा सकते हैं। कालकोठड़ी के वर्णन में जिन सब इतिहासों के नाम दिये हैं, उन सबमें इस स्मारक के सम्बन्ध में किसी बात का उल्लेख नहीं है। लार्ड क्लॉन के शासन-काल के पहले तक कालकोठड़ी का कोई स्मारक नहीं पाया जाता था। कलकत्ते की हलमूस कम्पनी द्वारा प्रकाशित एक ग्रन्थ के पढ़ने से मालूम होता है कि सन् १८१८ में "कस्टम हाउस" बनने के लिये यह स्मारक तोड़ डाला गया। वेष्टिड नामक एक अंग्रेज ने भी इस बात की पुष्टि की है। वेष्टिड लिखता है "कालकोठड़ी में जो लोग मारे गये थे, सिर्फ उन्हीं के लिये नहीं, परन्तु जिन लोगों ने दुर्ग रक्षा के लिये आत्म-विसर्जन किया था, उनके स्मारक के लिये भी यह कीर्ति स्तम्भ बनवाया गया था।" पर यहां सवाल यह उठता है कि एक मामूली कस्टम-घर बनवाने के लिये यह स्मारक क्यों तोड़ा गया? क्या यह स्मारक इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि एक मामूली कस्टमघर के बनवाने के लिये यह तोड़ डाला गया। जिस स्थान पर, अंग्रेज इतिहास लेखकों के मतानुसार

उनके १२३ भाईयों ने प्राण विसर्जन किये, जो ब्रिटिश शासन की नींव है, उसे गिरा देना क्या कोई अंग्रेज बरदाश्त कर सकता था। यह बातें ऐसी हैं, जिनपर ज़रा गहरे विचार की आवश्यकता है। हमें तो दो बातें मालूम होती हैं या तो स्मारक था ही नहीं, अगर था तो वह असत्य या महत्व-हीन समझ कर गिरा दिया गया।

बहुत वर्षों के बाद हमारे आला दिमाग़ लार्ड कर्जन ने कलकत्ते के खालदीवी के उत्तर—पश्चिम में इस कालकोठड़ी के स्मारक की प्रतिष्ठा की थी। कहा जाता है कि वर्षों से लार्ड कर्जन के दिमाग़ में यह क्या सोचा रहा था कि कालकोठड़ी के स्मारक बनने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने इस स्मारक का उद्घाटन किया था, उस समय आपने यह बात कही थी। उनके कथन से जान पड़ा कि जब वे भारत के लिये रवाना हुए थे तब उनके साथ वेष्टिड साहब कृत कलकत्ता—पुरातत्त्व की पुस्तक थी। आपके कथनानुसार इसी पुस्तक से आपने कलकत्ते की कालकोठड़ी का विशेष हाल जाना था। पर यह स्मारक पहले क्यों तोड़ा गया इसका समुचित निर्णय लार्ड कर्जन नहीं कर सके। उन्होंने कहा था—
“No one quite knows why” अर्थात् यह कोई नहीं जानता कि यह स्मारक क्यों तोड़ा गया ?

लार्ड कर्जन ही के कथन से मालूम हुआ कि वेष्टिड की पुस्तक पढ़कर जब उन्होंने हालवेल् द्वारा एक स्मारक प्रतिष्ठा का हाल जाना, तब उन्हें उसके सम्बन्ध में पूरी पूरी बातें जानने का आसुक्य हुआ। उन्होंने अपनी जांच के बाद यह निर्णय किया—“इस समय जिस जगह कलकत्ते का टाकवर है उसी जगह पुराने किले के भीतर कालकोठड़ी थी” इसी स्थान को लार्ड कर्जन महोदय ने सर्व साधारण के दृष्टि गोचर करने की व्यवस्था की। इसके अलावा लार्ड कर्जन महोदय ने हालवेल् से भी आगे बढ़कर एक कार्य किया। लार्ड महाशय फरमाते हैं—“हालवेल् ने जिस स्मारक की प्रतिष्ठा की है उसमें सिर्फ पचास आदमियों का

नाम लिखा था । मैंने और भी बीस आदमियों के नाम संग्रह किये हैं जिन्होंने कासकोठड़ी में जीवनविसर्जित किया था ! इसके अलावा जो बीस आदमी कासकोठड़ी से निकल कर बाद को उसकी यन्त्रणा से मर गये, मैंने उनका भी नाम संग्रह किया है । फलतः कुल अस्सी आदमियों के नाम मेरे द्वारा स्मारक पर खगाये गये हैं ।”

कहा जाता है कि कासकोठड़ी में १४६ आदमी कैद हुए । इनमें से सिर्फ २३ बचे थे । यदि २३ बचे तो १२३ मरे । स्मारक में नाम दिये गये हैं सिर्फ ८० आदमियों के । क्या लार्ड कर्जन इतना बल करने पर भी सब के नाम नहीं जान सके ? अगर शेष के भी नाम प्रकट हो जाते तो लार्ड कर्जन के हक में भी कुछ अच्छा होता । हम तो यह बात साफ कहेंगे कि लार्ड कर्जन इस बात का कोई पक्का प्रमाण न दे सके कि पहले कासकोठड़ी का कोई स्मारक था । अगर था, तो वह क्यों गिराया गया ? अगर बिजली आदि से गिरा तो उसका पुनरुद्धार क्यों नहीं किया गया ? इन सब बातों की मीमांसा लार्ड कर्जन को कर देनी थी । उन्होंने इन बातों पर कुछ भी प्रकाश न डाला । जब उनके इस स्मारक स्थापना का विरोध होने लगा और बङ्गाल के इतिहास मर्मज्ञ श्रीयुक्त विहारीदास सरकार ने अनेक सुदृढ़ ऐतिहासिक प्रमायों से यह सिद्ध कर दिया कि कासकोठड़ी के हत्याकाण्ड का अस्तित्व ही नहीं था, तब लार्ड कर्जन बहुत बिगड़े और उन्होंने अपनी एक वक्तृता में कहा—

“मैंने सुना है कि अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि कलकत्ते का कासकोठड़ीवाला हत्याकाण्ड-कानपुर हत्याकाण्ड आदि जो घटनायें हुई हैं उनकी स्मृतिरक्षा का कोई उपयोग नहीं होना चाहिये । बल्कि ऐसी चेष्टा करनी चाहिये जिससे यह घटनाएं विस्मृत के गर्भ में चिरकाल तक विहीन हो जायं । कितने ही लोगों ने युक्ति प्रमाण दे कर इस विषय में तर्क वितर्क भी किया है । किसी व्योद सयाने ने तो एक खम्बा चौड़ा प्रबन्ध लिखकर यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि कलकत्ते की कासकोठड़ी

का। काश्मीर की हत्या नहीं हुई
 है कि जो लोग उसे समझ नहीं उपस्थित थे उन
 को उल्लेख नहीं किया। इस सम्बन्ध में मेरा
 है। मोपक्ष दुर्घटना मानवी इतिहास का
 ही हुआ ही करती है। इन सब बातों का
 मात्र है। भारत के इतिहास में ऐसी
 जहाँ जातिगत द्वेष है, वहीं ऐसे निर्मम, कठोर,
 का अनुष्ठान हुआ करता है। सिपाही विद्रोह
 इसी से इन सब घटनाओं को अस्वीकार
 है।" इसके बाद लार्ड कर्जन महोदय उपदेश
 के विद्वांस पौछ डाखों—शमगुष से उसे शान्त
 के सुचित संस्कार के व्यवर्त्ती होकर तथा उसे
 व्यक्तिगत के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का
 है। सब घटनाएँ काश्मीर का पथ-चिन्ह है
 है इसका निबन्ता है। जिस सोपान मार्ग के
 भारतवासी एकता और बन्धुत्व के अङ्ग में
 पथ का कोई अंश या पाया नररक्त से —
 उपेक्षणीय या परिवर्जनीय नहीं,
 से इसकी रक्षा करना कर्त्तव्य है, जिस से हमारा
 ही मित्रा लाभ कर सकें।" + कितनी अच्छी
 है उक्त क्या दिया गया ? प्रश्न था, इतिहास के
 में ही गई तत्त्वज्ञान की बातें। बख्तियारी है !
 की इतिहास का मूल्य समझ लें। इसके अन्तर्गत
 है कि लार्ड कर्जन कैसे इत्ये के आदर्श

विश्वासघात

अंग्रेजों की कूटनीति संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने कूटनीति (diplomacy) ही के बल पर इस विशाल—साम्राज्य का संगठन किया था। सिराजुद्दौला ने जब से कलकत्ते पर अधिकार कर लिया था तब से अंग्रेज बड़े बेचैन थे। वे नाना प्रकार के षड्यन्त्रों को संगठित करने में लगे हुए थे। इधर पुर्निया की बग़ावत में फंसे रहने के कारण सिराजुद्दौला को अंग्रेजों पर यथेष्ट देखरेख करने का अवसर नहीं मिला। इस बीच में उन्होंने सिराजुद्दौला के कुछ आदमियों को फोड़ लिया। वेन्द नामक एक पादरी अंग्रेजों के अनुरोध से कई सप्ताह तक कलकत्ते में रहा और वह गुप्त रूप से वहाँ की खबरें इकट्ठी कर अंग्रेजों के पास भेजता रहा था। इसकी चिट्ठी से पल्लता के अंग्रेजों को मालूम हुआ कि “सिराजुद्दौला के आदमी-मानिकचन्द ने नदी की ओर बहुत सी तोपें लगा कर अपना प्रभाव जमा रखा है। पर ये सब उसके दिखावे हैं। तोपें निकम्मे और टूटी फूटी अवस्था में हैं। टारना के किले में सिर्फ २०० सिपाही हैं, बुगढी के किले में १० आदमी और बाहर १०० आदमियों से ज्यादा नहीं हैं।” निर्रज्ज अमीचन्द ने लिखा था—“लोग नवाब के दर से कुछ कहने का साहस नहीं करते हैं, परन्तु अंग्रेजों के पुनर्गमन के लिये ख़ाज़ावाज़िद आदि प्रधान सौदागर बड़े उत्सुक हो रहे हैं।” इन्हें साहब को खबर मिली:— “कलकत्ते का किला एक प्रकार से अरक्षित है। उसके चारों बुरुज टूटे फूटे निकम्मे पड़े हैं। शहर के निवासी बेसठके सरटि की नींद सो रहे हैं।” अंग्रेज लोग किस कूटनीतिज्ञता से काम करते थे, उपर्युक्त बातें उसका नमूना है। मानिकचन्द, जिसका पहले कई दफ़ा आ चुका है और जो सिराजुद्दौला का बनाया हुआ आदमी था, वह विरवास किये बैठा था कि पुर्निया के

सिराजुद्दौला का नाश हो जायगा । जब ऐसा नहीं हुआ तो वह गुरसरूप से अंग्रेजों की मदद और प्रकट रूप से कलकत्ते की रक्षा के लिये बाहरी आडम्बर रचने लगा ।

इस तरफ के तो इस प्रकार के समाचार अंग्रेजों को मिल रहे थे और उस तरफ मद्रास स्थित अंग्रेज लोग कलकत्ते के पुनरुद्धार के लिये विचार कर रहे थे । मद्रास में अंग्रेजों में किस प्रकार की मन्त्रबाण हुई, इस पर विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । क्लाइव और वाट्सन की अध्यक्षता में मद्रास से एक फौज रवाना की गई । यहां यह लिखना आवश्यक है कि जिन्होंने क्लाइव और वाट्सन को बंगाल भेजा था उन्होंने किसी न किसी तरह कलकत्ते के वाणिज्याधिकार ही को फिर से प्राप्त करने की कोशिश की थी और बिना मारकाट और रक्तपात के यह कार्य सिद्ध करने के लिये उन्होंने दक्षिण के निज़ाम और अरकाट के नवाब से सिफारिश की चिट्ठियां लिखा कर भेजी थीं । परन्तु आगे क्लाइव और वाट्सन ने क्या किया ? वे हमेशा इसी चिन्ता में निमग्न रहने लगे कि सेना की सहायता से बंगाल को लूट कर कौन कितना धन प्राप्त करें ।

कुछ भी हो अंग्रेजों ने बहुत सी सैनिक तैयारी के साथ मद्रास से आकर पल्लता बंदर पर जहाजों के लँगर डाले । सेनापति वाट्सन ने सिराजुद्दौला को इस आशय का एक पत्र लिखा "मेरे मालिक, इम्बेड के नरेश ने (जिनका नाम संसार के अन्य राजाओं में आदरणीय है) मुझे इस प्रदेश में ईस्टइन्डिया कंपनी के स्वर्चों और अधिकारों की रक्षा के लिये एक बड़ी जहाजी सेना के साथ भेजा है । जो लाभ मेरे प्रिय राजा की प्रजा के व्यापार से मुगल राज्य को हुए हैं उन्हें गिनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्पष्ट ही हैं । ऐसी दशा में यह सुन कर मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि आपने एक बड़ी फौज लेकर कंपनी की कोठियों पर आक्रमण किया और नौकरों को जबरदस्ती निकाल दिया एवं उनका माल असबाब, जो बहुत कीमती था, लूट

लिया और मेरे राजा की बहुत सी प्रजा को मार डाला। मैं कंपनी के नौकरों को फिर उनकी कोठियों तथा मकानों में बसाने आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप उन्हें फिर वे ही पुराने हक और स्वतंत्रता देंगे, जो उन्हें पहले हासिल थे। आपको वे भलाइयाँ याद रखनी चाहिये जो आपके देश में अंग्रेजों के रहने के कारण हुई हैं। मैं निःसन्देह आशा करता हूँ कि आप इनके उन घावों को भरने और हानियों को पूरी करने के लिये राजी हो जावेंगे जो आपने पहुँचायी हैं और इस प्रकार शान्ति—पूर्वक इन क्लेशों का अन्त करके मेरे उस राजा के मित्र बन जावेंगे जो शान्तिप्रिय और न्याय परायण है। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ ?”

कलकत्ते पर आक्रमण

कलकत्ते के किले का क्या हाल हो रहा था, इसका पता, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, अंग्रेजों को लग गया था। क्लाइव ससैन्य कलकत्ते पर आक्रमण करने के लिये निकला। २७ दिसम्बर को वह मायापुर पहुँचा। यहीं सिपाहियों ने जहाज से उतर कर बजबज किले की ओर यात्रा की। बजबज के किले पर सहज ही अधिकार कर लिया गया। वह खबर ज्योंही कलकत्ते के हाकिम मानिकचन्द्र को लगी, त्योंही वह ससैन्य, चाहे दिखावे के लिये ही क्यों न हो, दौड़ आया। फौरन ही दोनों दलों में युद्ध शुरू हो गया। कितने ही इतिहासवेत्ता कहते हैं कि इस रणपरीक्षा में मानिकचन्द्र ने अपने वीरोचित कर्चव्य पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अंग्रेजों द्वारा दो चार ही गोले चलाये जाने पर वह भग गया। एक अंग्रेज इतिहासलेखक ने मजाक करते हुए लिखा है:—

“मानिकचन्द्र की पगड़ी के पास से होकर ज्यों ही बन्दूक की गोली सनसनाती हुई निकली कि वह चट चम्पत हो गया। मैदान में फिर वह ण्य मात्र भी न उठरा। बज बज छोड़ कर, कलकत्ता छोड़ कर, कांपता हुआ वह सीधा एक दम मुर्शिदाबाद भाग गया।” हमारे

उक्त इतिहास लेखक ने उसका कुछ निर्णय न करके उसे भीरू तथा कायर कह कर उसका मजाक उड़ाया है। अंग्रेजों के साथ माणिकचन्द्र का जो मेल जोल चल रहा था, क्या माणिकचन्द्र के भागने से उसका कोई सम्बन्ध न था।

इसके बाद युद्ध बन्द हो गया। क्लाइव और वाटसन दूसरी जनवरी को जिस समय कलकत्ते के किले के पास पहुँचे तो किले के सिपाहियों ने दो चार ही गोले चला कर पीठ दिखादी। सूने किले पर क्लाइव अपनी विजय पताका बड़ी जोरों के साथ उड़ाने लगा।

हुगली में लूटमार

कलकत्ते के प्रायः अरक्षित किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेज विजय के मद से उन्मत्त हो गये। वे तरह तरह के अन्याचार करने लगे। अंग्रेज इतिहासकारों ने अंग्रेजों की अन्धेरी बाजू को छिपाने की चेष्टा की है। पर सत्य को आप एक समय तक दबा सकते हैं, सदा के लिये नहीं। सत्य कभी प्रकट हो ही जाता है। कलकत्ते पर अधिकार करने के बाद तत्कालीन कुछ अंग्रेज सैनिकों ने जो काम किया, वह सैनिकों के योग्य नहीं था। उन्होंने हुगली में लूटमार करना शुरू कर दिया।

हुगली की लूटमार के विषय में मुसलमान इतिहास लेखक सैयद गुलाम हुसेन ने लिखा है—

“अंग्रेज लोग जिस समय हुगली को लूटने में व्यस्त हो रहे थे, उस समय विश्वायत से उन्हें यह समाचार मिला कि फ्रान्स के साथ इङ्ग्लैण्ड फिर से युद्ध आरम्भ हो गया है।” हुगली की लूट का जिक्र करते हुए एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास लेखक ने लिखा था—“बस लोग कह रहे थे कि बड़ी मुद्दत से अंग्रेजों की नौका पाप-भार से पूर्ण हुई है।”

अंग्रेजी सैनिकों ने हुगली को बुरी तरह लूटा। उन्होंने उस समय एक तरह से हुगली का सर्वनाश कर डाला। हुगली के बड़े बड़े आलीशान और विशाल भवनों को धूल में मिला दिया। कितने ही भूखे कल्लियों की कुटिया जलाकर खाक कर दी गईं। हुगली का इतिहास प्रसिद्ध समृद्धिशाली नगर स्मशान की राख में परिणत हो गया। इस लूट का समाचार पाकर नौजवान सिराजुद्दौला के मन पर क्या असर होना चाहिये था ? इसका अनुमान पाठक स्वयं लगा लें। इतने पर भी सिराजुद्दौला ने युद्ध को टाखने की बड़ी चेष्टा की। इसका यह कारण था कि सिराजुद्दौला यह जान गया था कि अंग्रेजों ने कई प्रकार के प्रलोभन देकर उसके अधिकारियों को फोड़ लिया है और उसकी आन्तरिक स्थिति निर्बल हो गई है। सिराजुद्दौला के उक्त पत्र का अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी मांगे दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ाते रहे।

सिराजुद्दौला ने सुबह की बातचीत करने के लिये कलकत्ते के पास मुकाम किया। यहाँ एक और घटना घटी जिसने सिराजुद्दौला को दुःखित और सशंक किया। क्लाइव के दो प्रतिनिधि नवाब से सुबह की बातचीत करने आये थे। वे दूसरे दिन रात को गुम हो गये। नवाब को मालूम हुआ कि ये लोग सुबह के लिये नहीं पर उसकी स्थिति का भेद लेने आये थे। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस समय नवाब की स्थिति किर्तन्यविमूढ़ सी हो रही थी। उसके अन्तःकरण में निराशा और भय के बादल मण्डरा रहे थे। अंग्रेजों के अतिरिक्त उसे बाहर के अन्य आक्रमणों का भी भय था। वह इस समय केवल २० वर्ष का नवयुवक था। आपने नाना अलीवर्दीखान के खाद प्यार के कारण उसका जीवन संगठित न हो पाया था। कठोर परिस्थियों में जिन लोगों के जीवन का उद्गम और विकास होता है, वे संसार की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने को सचम हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वे अपने धैर्य का नहीं खोते। पर सिराजुद्दौला में यह बात

नहीं थी। उसके आस पास प्रतिकूल वायुमण्डल था। उसकी फौजें समय पर वेतन न मिलने के कारण असन्तुष्ट थी। उसके अधिकारी भी उससे अन्दर ही अन्दर खिन्ना हो गये थे। अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी रिश्वतें देकर उन्हें अपनी ओर फोड़ लिया था। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से जो सन्धि की थी, उसमें उसकी पराजय-मनोवृत्ति का पता चलता है। यह सन्धि अलीनगर की सन्धि के नाम से मशहूर है। इसकी निम्न लिखित धाराएं थीं।

“ईश्वर और उसके दूतगण साक्षी हैं कि आज अंग्रेजों के साथ जो सन्धि की है, उससे च्युत न होऊंगा। उन पर मैं सदा अनुग्रह प्रकाश करूंगा” नवाब

१ दिल्ली के बादशाह द्वारा अंग्रेज कम्पनी को जो अधिकार और स्वत्व दिये गये हैं, उन पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी। उसमें जो माफी है वह भी स्वीकार की जायगी। वह कभी नहीं छिनी जायगी। फरमान में जो सब गांव दिये हैं—यद्यपि पहले के सुबेदारों ने उनके देने में आपत्ति की थी, किन्तु अब वे सब दिये जावेंगे। पर अंग्रेज कम्पनी इन गांवों के जमींदारों को बिना कारण क्षति नहीं पहुँचा सकेगी।

२ अंग्रेजों के हस्ताक्षर के साथ, बङ्गाल, बिहार और उड़ीसे के भीतर जिस किसी जगह से अंग्रेजों का माल आया या जायगा उसका टेक्स या महसूल नहीं लिया जायगा।

३ नवाब ने जो कम्पनी की कोठियां खोलीं हैं, उन्हें उनको लौटा देना होगा। इसी के साथ कम्पनी के खोगों का जो रुपया पैसा आदि ले लिया गया है, वह भी लौटा देना पड़ेगा। जो चीजें लूट ली गई हैं, उनका वाजिब मूल्य नवाब को अदा करना पड़ेगा।

४ हम अंग्रेज जिस तरह आवश्यक और उचित समझेंगे, उसी तरह अपने कर्तव्य के किले को बनावेंगे या मजबूत करेंगे।

५ मुर्शिदाबाद में जैसे सिक्के चलते हैं, उतने वजन के वैसे ही सिक्के अंग्रेज प्रस्तुत करेंगे। वे भी देश में चलेंगे और उन पर कोई बढ़ा न ले सकेगा।

उपरोक्त सन्धिपत्र से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि सिराजुद्दौला की इच्छा अंग्रेजों से युद्ध छेड़ने की नहीं थी। इस बात को कर्नल मालेसन (Col. Malleson) प्रभृति अंग्रेज लेखकों ने भी स्वीकार की है।

नवाब की कमजोरी और उसकी विपरीत परिस्थितियों ने अंग्रेजों के उत्साह को बहुत बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि नवाब की अपेक्षा अंग्रेज अधिक चतुर, चालाक राजनीतिज्ञ और अवसर का फायदा उठाने वाले थे। सेना संचालन में भी इनकी विशेष योग्यता थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने ग्रन्थ "Discovery of India" में इस बात को स्वीकार किया है। कुछ भी हो, नवाब शान्ति चाहता था। उधर अंग्रेज कम्पनी किसी न किसी प्रकार छेड़छाड़ करने पर तुली हुई थी।

इसी बीच में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय घटना चक्र चला। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रेञ्चों में युद्ध घोषित हो गया। अतएव, अंग्रेज लोग भारत में फ्रान्सीसियों का सर्वनाश करने को तुल गये। उन्होंने फ्रान्सीसियों की बस्ती चन्द्रनगर पर आक्रमण कर दिया। यह भी नवाब को बुरा लगा; क्योंकि फ्रान्सीसियों के साथ उसके अच्छे सम्बन्ध थे। इस आक्रमण में भी अंग्रेजों की कुटिल नीति की विजय हुई।

फ्रान्सीसियों ने वीरतापूर्वक किले की रक्षा करने का संकल्प किया। पास ही नन्द कुमार की सेना तैयार खड़ी थी। इससे छाड़व्द भयभीत हुआ। परन्तु विपत्ति पड़ने पर तत्कालीन उपाय सोचने में वह पूरा प्रवीण था। उसने शाम, दाम, दण्ड भेद आदि, सभी नीतियों से काम लेना शुरू किया। उसने अमीचन्द को नन्दकुमार के डेरे में भेजा। काम बन गया। अमीचन्द सहज ही में कृतकार्य्य हो गया। नन्दकुमार अपनी

सेना लेकर डंका बजाते हुए दूर स्थान में चले गये । जिन प्रतिभाशाली इतिहास लेखकों ने क्लाइव्ह का गौरव बढ़ाने के लिये लेखनी उठाई है, वे भी स्पष्ट शब्दों में लिख गये हैं—“इस युद्ध में केवल घूस ही के जोर से नन्दकुमार परास्त हुआ था ।” थरटन लिखता है:—“हुगली के फौजदार नन्दकुमार की आधीनता में नवाब के कुछ सिपाही चन्द्रनगर की सहायता के लिये पहले ही से वहां ठहरे हुये थे। परन्तु अमीचन्द ने नन्दकुमार को अंग्रेजों के अनुकूल रहने के लिये कुछ रुपया दे दिया, और जब वे पहुँचे तो सिराजुद्दौला के सिपाही चन्द्रनगर से हटा लिये गये ।” इस स्थान पर नन्दकुमार ने जैसी घृणित वृत्ति का परिचय दिया, उसे हम किसी भी दशा में नहीं सराह सकते । उनके इस कार्य पर प्रत्येक देश-वासी को घृणा होगी । हां, आगे चलकर उन्होंने जिस अलौकिक आदर्श का परिचय दिया वह स्तुत्य है । इसी प्रकार इस युद्ध में अंग्रेजों ने और भी षडयन्त्र किये । अंग्रेजों के इतिहास से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि अबतक उनकी विजय कूटनीति की थी । इसी चन्द्रनगर की विजय को ले लीजिये । इसे अंग्रेजों ने “चन्द्रनगर की अलौकिक विजय” कहा है । इस विजय के एक रहस्य का उद्घाटन तो ऊपर हो ही चुका है । अब दूसरे रहस्य का उद्घाटन करते हैं जिस पर आधुनिक इतिहासवेत्ताओं ने जान या बेजान कर पर्दा डाल रखा है ।

अंग्रेजों की अग्रगति को रोकने के लिये फ्रान्सीसियों ने गुप्त रूप से अनेक जहाज जलमग्न कर रखे थे । फ्रान्सीसियों के डेरान नामक जल-सैनिक को अंग्रेजों ने किसी तरह फोड़ लिया । इसने फ्रान्सीसियों के सब गुप्त रहस्य को प्रकट कर चन्द्रनगर के सर्वनाश में बड़ी सहायता दी । अगर डेरान इस गुप्त रहस्य को प्रकट न करता तो यह दुःसाध्य था कि अंग्रेज लोग इतने शीघ्र चन्द्रनगर के पास पहुँच सकते । खुद लार्ड क्लाइव्ह ने भी इस बात को स्वीकार किया है ।

यह सेना फ्रान्सीसियों की सहायता के लिये नवाब ने भेजी थी ।

चन्द्रनगर की विजय के लिये १० अप्रैल सन् १७५७ को चुने हुए सदस्यों की सभा में क्लाइव ने कहा था:—

“ईस्टइंडिया कम्पनी को तथा उसके कर्मचारियों को उस बुद्धिमान और धनिक अमीचन्द का चिर कृतज्ञ होना चाहिये जिसकी बदौलत हमें दीवान नन्दकुमार की सहायता और सहानुभूति प्राप्त हुई। जिस समय हमने हुगली पर आक्रमण किया था, उस समय नवाब की वह सेना जो हुगली के तोपखानों से सम्बन्ध रखती थी, नन्द कुमार की आश्रीनता में, चन्द्रनगर के पास ही डेरा डाले पड़ी थी। यदि यह फौज वहाँ से न हटजाती तो हम लोगों के लिये चन्द्रनगर पर विजय पाना सर्वथा असम्भव था।”

इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने एक और चाल चली। हम ऊपर कह चुके हैं कि अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में भयंकर षडयन्त्र की सृष्टि कर रखी थी। उन्होंने मीर जाफर, जगत सेठ और राय दुर्लभ आदि से नवाब पर यह असर डलवाया कि अहमदशाह अब्दाली बंगाल पर आक्रमण करने आ रहा है। इसी से नवाब का ध्यान चन्द्रनगर से हट कर अहमदाबाद के आक्रमण की ओर लग गया और वह फ्रान्सीसियों की जैसी चाहिये वैसी सहायता न कर सका। इससे अंग्रेजों की बन आई। उनकी कूट नीति की विजय हुई। फ्रान्सीसियों की पराजय से सिराजुद्दौला की स्थिति और भी निर्बल हो गई।

भयंकर षड्यन्त्र

सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास लेखक कर्नल मालेसन ने लिखा है:—
'नवाब को गिराने के लिये अंग्रेज निरन्तर चेष्टाएं कर रहे थे और अनेक हीन उपायों से वे उसके सेनापतियों को फोड़कर अपनी ओर मिला रहे थे ।'

लॉर्ड क्लाइव ने हाऊस ऑफ कॉमन्स में गवाह देते हुए कहा था:—
मैंने कभी इस बात को छुपाने की चेष्टा नहीं की । मेरा मत है कि ऐसी दशा में साधारणतः इस तरह के दगा फरेबों से काम निकाळा जा सकता है । एक ही बार क्यों, जरूरत पड़ने पर मैं ओर भी सौ बार ऐसे काम करने को तैयार हूँ ।

कहने का मतलब यह है कि कंपनी के अधिकारियों ने पदपद पर कुदिलता से काम लिया । नवाब के प्रधान सेनापति मीरजाफर को नवाब बनाने का प्रलोभन देकर फोड़ लिया । उससे गुप्त रूप से एक सन्धि की, जिसकी निम्न लिखित धाराएँ थीं ।

“मैं जितने दिनों तक जीता रहूँगा, उतने दिनों तक इस सन्धि पत्र के नियमों का पालन करूँगा । ईश्वर और उसके दूत के सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ ।

१ नवाब सिराजुद्दौला के साथ शान्ति के समय जो सन्धि हुई थी, उसकी शर्तें पालन करने में मैं सहमत हूँ ।

२ देशी हो या विदेशी, जो अंग्रेजों का शत्रु होगा, वह मेरा भी होगा ।

३ बंगाल में फ्रान्सीसियों की जो कोठियाँ हैं वे अंग्रेजों के अधिकार में चली जावेंगी । फ्रान्सीसियों को इस देश में बसने न दूँगा ।

४ नवाब के कलकत्ते पर आक्रमण करने में अंग्रेजों की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिये और सिपाहियों का खर्च अदा करने के लिये मैं उन्हें एक करोड़ रुपया दूंगा ।

५ कलकत्ते के अंग्रेजों की जो चीजें लूटी गईं हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिये पचास लाख रुपये दिये जावेंगे ।

६ जेम्स मूर प्रभृति को माल लूटने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के बीस लाख रुपया देना मैं स्वीकार करता हूँ ।

७ अर्मेनियों को क्षतिपूर्ति के लिए मैं ७ लाख रुपये दूंगा । जिस जिस परिमाण से क्षति पूर्ति की रकम देना होगी, उसका फैसला, एडमिरल वाट्सन, कर्नल क्लाइव, राजर डेकर, विलियम वाट्स, जेम्स क्लिपेट्रिक और रिचर्ड साहब करेंगे ।

८ नाले के बाहर ६ हजार गज जमीन अंग्रेज कम्पनी को दूंगा ।

९ कलकत्ते के दक्षिण कुलपी तक सब जगहों में अंग्रेजों की जमींदारी रहेगी । वहां के सब कर्मचारी अंग्रेजों के आधीन रहेंगे । वे सब दूसरे जमींदारों को जिस तरह माल गुजारी देते हैं, उसी तरह कम्पनी को देंगे ।

१० जब मैं अंग्रेजों से सहायता के लिये फौज लूंगा तो उसका खर्च दूंगा ।

११ हुगली के दक्षिण में मैं कहीं किला न बनाऊंगा

उक्त सन्धि प्लासी के युद्ध के पहले हुई थी । इससे भी पाठक समझ सकते हैं कि वाट्सन, क्लाइव प्रभृति ने प्लासी के युद्ध के पहले ही से सिराजुद्दौला को राज्यच्युत कर मीरजाफर को नवाब बनाने का निश्चय कर लिया था और इसी कार्य के लिये ये विविध षड्यन्त्रों की सृष्टि कर रहे थे । कहा जाता है कि इस षड्यन्त्र में कई उच्च वंश के लोग भी सम्मिश्रित हुए थे । कृष्ण नगर के महाराज कृष्णचन्द्र और

रानी भवानी भी इस षड्यन्त्र में शामिल थी। रानी भवानी और कृष्णचन्द्र की बात बङ्गाल के सुप्रख्यात कवि बाबू नवीनचन्द्र सेन ने “प्लासी युद्ध” में उल्लेख की है। बङ्गला भाषा के ग्रन्थ “शितीशवंशावलीचरित” में लिखा है:—

“नवाब सिराजुद्दौला का सर्वनाश करने के लिये मीरजाफर प्रभृति ने जो षड्यन्त्र रचा था, कृष्णचन्द्र भी उसमें शामिल थे। उस समय वे काली दर्शन का बहाना कर कार्त्तिकाघाट आकर क्वाइव से मिले और उन्होंने सिराजुद्दौला को राजव्युत् करने की सलाह की। कृष्णचन्द्र भी इस षड्यन्त्र के प्रधान सञ्चालकों में थे। यही कारण है कि नवद्वीप में वे नमक हराम के नाम से धिक्कारे जाते हैं।”

इस प्रकार नवाब के अनेक उच्च कर्मचारी और देश के अनेक धनीमानियों को मिला कर अंग्रेज भीतर ही भीतर षड्यन्त्रों को सृष्टि कर रहे थे। इस पर भी मजा यह है कि ये ऊपर से नवाब के प्रति प्रेम दिखाने में त्रुटि नहीं करते थे। इसका एक उदाहरण देखिये। जिस समय मीरजाफर के साथ षड्यन्त्र चल रहा था, उसी समय एक आदमी ने पेशवा के पास से एक पत्र ला कर अंग्रेजों से भेट की थी। उक्त पत्र में लिखा था कि मराठे २२ हजार सिपाहियों के साथ बङ्गाल पर आक्रमण करेंगे। यदि अंग्रेज उन्हें सहायता दें तो वे छः सप्ताह के अन्दर कलकत्ते पर आक्रमण कर सकेंगे। जो आदमी यह चिट्ठी लाया था, उसे अंग्रेज नहीं जानते थे। उसके लिये अंग्रेजों के मन में घोर सदेह हुआ। उन्होंने ख्याल किया कि हमारा अभिप्राय जानने के लिये सिराजुद्दौला ने यह प्रपञ्च रचा है। कह नहीं सकते कि उक्त पत्र असली था या जाली, अंग्रेजों ने अपनी हितैषिता दिखलाने के लिये यह पत्र नवाब के पास भेज दिया। पत्र भेजने का और भी एक उद्देश यह हो सकता है कि यह पत्र पाकर नवाब, क्वाइव प्रभृति के जाल में, फँस जावे।

इसी प्रकार अंग्रेजों ने बड़े बड़े प्रलोभन देकर नवाब के कई बड़े अधिकारियों को फोड़ लिया था। ये अधिकारी ऊपर से तां अपने

आपको नबाब के हितैषी प्रगट करते थे, पर अन्दर ही अन्दर उसके नाश का भीष्ण षड्यन्त्र रच रहे थे।

सिराजुद्दौला की घबराहट

जब नबाब को विश्वासनीय साधन द्वारा यह मालूम हुआ कि उसका प्रधान सेनापति मीरजाफर भीतर ही भीतर अंग्रेजों से मिल गया है तो वह बहुत घबराया और उसने मीरजाफर को बुलवा भेजा। पर मीरजाफर नबाब के पास नहीं आया। इस पर नबाब खुद पालकी पर सवार होकर मीरजाफर की कोठी पर गया और गिड़गिड़ा कर वह अलीवर्दी खां की गद्दी को रक्षा करने का अनुरोध करने लगा। मीरजाफर ने कुरान पर हाथ रखकर नबाब को यह आश्वासन दिया कि वह नबाब को बंधोखा न देगा और नबाब के पक्ष में तलवार उठाने से न हिचकेगा। सब प्रकार से मीरजाफर ने नबाब को ढाढस बंधाई। पर जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं अंग्रेजों के साथ उसकी सांठ-गांठ हो चुकी थी और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नबाब बनानेका उसे स्पष्ट वचन दे दिया था। इसलिये वह कुरान की कसम खाने पर भी नबाब के नाश का अन्दर ही अन्दर षड्यन्त्र करता रहा।

अन्य घटनायें।

हमने गत पृष्ठों में अंग्रेजों द्वारा चन्द्रनगर पर आक्रमण करने और फ्रान्सीसियों की पराजय का उल्लेख किया है। इस पराजय के बाद अंग्रेज सेना ने कितने ही प्रामों और नगरों को बरबाद कर डाला। बट्टमान और नदिया के विस्तीर्ण प्रदेशों को तहस नहस कर डाला। फ्रान्सीसी लोग भगकर नबाब की शरण में, मुर्शिदाबाद जाने लगे। नबाब यह मानता था कि अंग्रेजों ने बिना किसी उचित कारण के फ्रान्सीसियों पर आक्रमण किया है, अतएव शासक की दृष्टि से उन्हें आश्रय देना उसका कर्तव्य

है। इसी विचार धारा से प्रभावित होकर उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में फ्रांसीसियों को आश्रय प्रदान किया। यह बात अंग्रेजों को अच्छी न लगी। वाट्सन ने (Watson) इस समय सिराजुद्दौला को एक पत्र लिखा जिसका आशय निम्न लिखित है।

“आपने और हमने बन्धुत्व स्थापन करने ही के लिये सन्धि की है। इस बातको आप न भूलियेगा। भागे हुए फ्रांसीसियों को बांध कर भिजवा दीजिये। यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत आचरण करने की राय दे तो निश्चय जानिये कि वह आपका शुभ चिन्तक नहीं है। ऐसी बात से देश में युद्ध की अग्नि प्रज्वलित हो जायगी। हमें सूचना मिली है कि फ्रांसीसी लोग भाग कर आपके पास पहुँचे हैं, और उन्होंने आपके सिपाहियों में भर्ती होने की प्रार्थना की है। यदि आप स्वीकार करेंगे तो फिर आपकी हमारी मित्रता का सम्बन्ध स्थिर नहीं रह सकेगा।”

सिराजुद्दौला पर बहुत जोर डाला गया कि वह शरणागत फ्रांसीसियों को निकाल दे। युद्ध की धमकियां दी गईं। युद्ध से देश की जो बरबादी होती है, सिराजुद्दौला इसे खूब समझता था। उसने अपने इन भावों को वाट्सन साहब पर प्रकट भी किया था:—


“यदि सन्धि होती तो दोनों ओर के सेनाओं के प्रचण्ड युद्ध से देश का सर्वनाश होता। प्रजा बरबाद होती। राज्यकर अदा नहीं होता। सब तरह से राज्य का अमङ्गल होता। इन्हीं बातों को रोकने के लिये सन्धि की गई।”

उपरोक्त वाक्यों से भी सिराजुद्दौला की मनोवृत्ति का पता लगता है। यह भी पता लगता है कि सिराजुद्दौला ने युद्ध से होने वाली खून खराबी और विविध हानियों को रोकने के लिये ही सन्धि के लिये आग्रह प्रगट किया था। पर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को एक न सुनी। वे बारबार सिराजुद्दौला को दबाने लगे कि वह फ्रांसीसियों को व उनके सेनापति लो को निकाल दें।

सिराजुद्दौला ने बड़े दुख के साथ अंग्रेजों की यह बात भी स्वीकार कर ली । जब उसने सेनापति लॉ पर यह बात प्रगट की तब लॉ ने अंग्रेजों की कुटिल चालों का और सिराजुद्दौला के भावी विनाश का संकेत किया । उन्होंने यह भी कहा कि जब तक मैं और मेरे अनुचर वर्ग आपके पास रहेंगे तब तक अंग्रेजों को उनके षड्यन्त्रों में सफलता नहीं होगी । फिर आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कीजिये ।

लॉ साहब की बातों का सिराजुद्दौला पर बड़ा प्रभाव पड़ा, पर विशेष परिस्थिति के कारण उसने उस समय अंग्रेजों को सन्तुष्ट रखना मुनासिब समझा । अतएव उन्होंने लॉ साहब को कहा “लॉ, इस समय तुम अजीमाबाद जाकर रहो । समय होने पर मैं तुमको फिर बुलालूंगा ।” नवाब की बात सुनकर लॉ साहब ने एक दुःखभरा दीर्घ श्वास छोड़ कर कहा, ‘नवाब बहादुर’, यह हमारी अन्तिम मुलाकात है । फिर मिलना कहां ! यह बात कहकर लॉ साहब दरबार छोड़कर चले गये !!

❀ श्रीयुत बिहारीलाल सरकार के एक लेख से सङ्कलित ।



प्लासी का युद्ध



भारत के इतिहास में प्लासी के युद्ध का बड़ा महत्त्व है। इसी समय से भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ी थी। अब यह देखना है कि क्या इस युद्ध में अंग्रेजों ने सैनिक विजय पाई थी। क्या यह युद्ध तलवार के जोर से अंग्रेजों ने फतह किया था? क्या क्लाइव को इस युद्ध के कारण “प्लासी विजेता या प्लासी का वीर” (Hero of Plassy) कह सकते हैं? क्या यह विजय अंग्रेजों की कूटनीति (diplomacy) की विजय नहीं थी? इन्हीं सब बातों पर संक्षिप्त रूप से विचार करना आवश्यक है।

हम नवाब के प्रधान सेनापति मीरजाफर के विश्वासघात के लिये ऊपर बहुत कुछ लिख चुके हैं। हमने यह दिखलाया है कि सिराजुद्दौला के सामने राज-भक्ति और स्वामिनिष्ठा की प्रतिज्ञा कर लेने पर भी किस प्रकार वह भीतर ही भीतर सिराजुद्दौला के सर्वनाश की तैयारियां कर रहा था? आगे चल कर मीरजाफर ने जिस तरह नवाब का विश्वासघात किया और उससे सिराजुद्दौला का जिस प्रकार सर्वनाश हुआ, इन सब बातों का उल्लेख इस अध्याय में होगा।

कुरान जैसे धर्मग्रन्थ पर हाथ रख कर सौगंध खा लेने पर भी मीरजाफर अपनी बेजा कार्रवाइयों से बाज नहीं आया। मीरजाफर ने १६ जून गुरुवार के दिन क्लाइव को एक पत्र लिखा। क्लाइव को मीरजाफर का यह पत्र पाटुखी की छावनी में मिला। इस पत्र में मीरजाफर ने यह स्वीकार किया कि:—“मेरी सिराजुद्दौला के साथ मित्रता की बातचीत हुई थी। विशेष परिस्थिति में गिर कर मैंने ऐसा किया।

पर इससे आप यह न समझियेगा कि मैं अंग्रेजों को सहायता करने में विमुख रहूँगा। आपके साथ मैंने जो प्रतिज्ञा की है—उससे मैं तनिक भी न हटूँगा”। यह पत्र पाकर भी क्लाइव को मीरजाफर का पूरा विश्वास न हुआ। क्लाइव सोचने लगा कि इसने जैसा अपने स्वामी को धोखा दिया है, क्या आश्चर्य है कि यह वैसा ही धोखा मुझे भी न देदे। लोगों को विश्वासघातकों का विश्वास बहुत कम होता है। अतएव क्लाइव की आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। क्लाइव के सामने ही काटोया का किला था। अमी ने लिखा है:—“यह निश्चय हो चुका था कि इस किले के अध्यक्ष केवल दिखावे के लिये थोड़ा सा बनावटी युद्ध करके इसे अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे और खुद परजित हो जावेंगे”। पड़्यन्त्रों की सृष्टि पहले हो चुकी थी। क्लाइव ने यह जानने के लिये कि नवाब के विश्वासघाती कर्मचारी-गण अपनी बात का कहां तक पालन करते हैं, उक्त किले पर आक्रमण करने के लिये मेजर कूट को २०० गोरे और ३०० काले सिपाहियों सहित काटोया की ओर रवाना किया। यह किल्ला युद्ध के लिये मशहूर है। भारातों के समय यहां कई भीषण युद्ध हुए। अतएव यह वीरों की खीला-भूमि प्रसिद्ध हो गया था। पर इस बार किले के फाटक पर युद्ध नहीं हुआ। किले के भीतरवाली नवाबी फौज ने अंग्रेजों की गति रोकने के लिये कोई चेष्टा नहीं की। कुछ देर तक बनावटी लड़ाई का नाटक खेल कर नवाब की फौज अपने ही हाथों से किले के भीतर के छप्परो में आग लगा कर भग गई। काटोया का किला सुनसान हो गया। अंग्रेजी सेना ने उस पर अधिकार कर लिया। प्राणों के भय से नगर निवासी अपना माल असबाब छोड़ कर भागने लगे। काटोया नगर में इस समय क्लाइव के हाथ इतना चावल लगा कि जिससे दस हजार सिपाही एक वर्ष तक गुज़र कर सकें। क्लाइव ने अपनी सेना सहित काटोया में डेरे डाले।

यहां आकर क्लाइव बड़े सोच विचार में पड़ा। यद्यपि काटोया का किल्ला उसके सहज ही में हाथ लग गया था, पर उसके मन में मीरजा-

फर के लिये फिर भी सन्देह बना रहा। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। आशा निराशा की मूर्तियाँ उसकी आँखों के सामने नाचने लगीं। कुछ और सम्वाद पाने के लिये दो दिन तक वह बाट देखता रहा। क्लाइव ने सोचा कि इस समय बरसात न होने से नदी का पार कर जाना सहज है, पर नदी का पार कर जाना जितना सहज है, क्या वहाँ से वापस लौट आना भी उतना ही सहज है। मेकाले ने लिखा है कि इस समय क्लाइव “किं कर्त्तव्य विमूढ” सा हो गया। उसके होश-हवास जाते रहे। उसका इतिहास प्रसिद्ध रणकौशल और बाहूबल मानों पृकापृक शिथिल पड़ गया। क्लाइव ने हाऊस आफ् कामन्स में गवाही देते हुये कहा था:—

“मैं बड़ा सशक्त हो गया। मैं सोचने लगा कि कहीं हार गया तो हार का समाचार लेजाने के लिये एक आदमी भी जिम्दा न बचेगा।” इसके बाद थोड़े ही समय में क्लाइव को मीरजाफ़र की और से एक पत्र मिला इससे क्लाइव का शक बहुत कुछ दूर हो गया। इसी समय क्लाइव ने महाराजा वर्द्धमान को लिखा कि—“आप अपनी छुड़ सवार सेना के साथ मुझ से आकर मिलिये।”

इसके आगे भी क्लाइव का मन बहुत चल विचल होने लगा। भय का भूत उसकी आँखों के सामने नाचने लगा। कभी कभी वह कटोया से आगे बढ़ने में भी हिचकने लगा। एक वक्त उसने अपने साथी अफसरों से कहा—“मेरी राय है कि जहां तक आये हैं वहीं ठहर जावें। आपकी क्या राय है।” क्लाइव की इस बात को उसके बारह सहयोगी सरदारों ने स्वीकार किया, परन्तु मेजर कूट ने इसका तीव्र विरोध किया और कहा—“आप लोग सख्त ग़लती कर रहे हैं। फ़ौज को अपनी विजय में पूरा पूरा विश्वास है। शत्रु के सामने आने पर साइस छोड़ कर बैठ जाने से सेना की हिम्मत टूट जायगी और फिर उसका उन्नीत किया जाना प्रायः असम्भव हो जायगा। फ़्रांसीसी सेनापति लॉ खबर पाते ही नवाब की

सेना के साथ मिल जायगा, इससे नवाब की ताकत बढ़ जायगी। वह हम लोगों को घेर लेगा और हमारा कलकत्ते जाने का रास्ता भी बन्द कर देगा। इससे कई ऐसी आपदाएँ खड़ी हो जावेंगी, जिनका अभी आपको ख्याल भी नहीं है। इससे आप हार जावेंगे। इस लिये, आइये! शीघ्र आगे बढ़िये। नहीं तो भग चलिये। इस जगह ठहरना बड़ा खतरनाक है।” छः सेनापतियों ने मेजर कूट का समर्थन किया, परन्तु उनकी बात इस समय नहीं मानी गई। क्लाइव ही की राय मानी गई। उस समय युद्ध यात्रा रोक दी गई।

इसके बाद क्लाइव के मनोभावों में एकाएक परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ, इसके सम्बन्ध में इतिहासवेत्ताओं में मतभेद है। तत्कालीन अंग्रेज इतिहासवेत्ता अमी ने लिखा है—“सभा विसर्जित होते ही क्लाइव एक घने जंगल में चला गया। वह वहाँ गम्भीर ध्यान में निमग्न हो गया। वहाँ उसे यह आत्मिक प्रेरणा हुई कि आगे न बढ़ना सख्त बेवकूफी है। इसलिये उसने डेरे पर वापस आते ही फौज को सवेरे तैयार रहने के लिये हुक्म दिया। यह तो हुई एक पक्ष के इतिहासकारों की बात। दूसरे इतिहासकार इस सम्बन्ध में और ही बात कहते हैं। क्लाइव के एक साथी स्क्राफ्टन ने लिखा है—“२२ जून को मीरजाफर का पत्र पाते ही क्लाइव का इरादा बदल गया था और उसकी आज्ञा से २२ जून शाम के ५ बजे अंग्रेजी फौज गङ्गा के पार हुई थी।” कुछ भी हो अंग्रेजी फौज आगे बढ़ी और प्लासी मुकाम पर दोनों का मुकाबला हुआ। अब यह देखना है कि क्या प्लासी के युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों ने वास्तविक विजय प्राप्त की? क्या क्लाइव ने ऐसी वीरता दिखाई, जिससे वह प्लासी विजेता या Hero of Plassy कहला सकता है।

जब अंग्रेजी फौज प्लासी के मुकाम पर पहुँची तो क्लाइव ने शिकार-गाह पर चढ़कर नवाब की फौज देखी। वह विशाल थी। उसे देखकर क्लाइव स्तम्भित हो गया। पर उसने अपनी फौज लड़ने के लिये तैयार

की। दोनों फौजों का मुकाबला हुआ। सन् १७५७ की जून भारतवर्ष के इतिहास में चीरस्मरणीय रहेगा। इसी दिन सबेरे नवाब की ओर से फ्रान्सीसी सेनापति सेण्टफ्रे ने सबसे पहले तोप का वार किया। उनकी तोप के दगते ही नवाब की फौज से दनादन गोले बरसने लगे। मुहूर्त भर में रणभूमि तोपों के धूप से ढक गई। क्लाइव के इशारे से अंग्रेजी फौज भी शत्रु पर गोले मारने लगी। अंग्रेजी फौज के गोलों से भी नवाब के आदमी तडातड़ मरने लगे। यह कहने का आवश्यकता नहीं कि ब्रिटिश फौज नवाब की फौज से अधिक सुदृढ़ और सुशिक्षित थी। उसके पास अस्त्रशस्त्र भी बढ़िया थे। पर नवाब की फौज ने भी गोले बरसाने में कसर न की। आध घण्टे ही के भीतर तीस अंग्रेज सेनापति घरा-शायी हुए। इस वक्त प्लासी के विजेता क्लाइव की बहादुरी का नमूना देखिये। वह अपनी सेना सहित पीछे हट गया और पास के बाग में आकर छिप गया। इस समय अंग्रेजी फौज की दो तोपें भी बाहर रह गईं। क्लाइव को आज्ञा से सब लोग वृक्षों की आड़ में आकर बैठ गये। वृक्षों की आड़ में छिपे रहने पर भी क्लाइव की आशंका दूर नहीं हुई। वह झुंभला कर अमीचन्द को कहने लगा:—“मैंने तुम्हारा विश्वास कर बड़ा बुरा काम किया। मैंने धोखा खाया। तुमने मुझे वचन दिया था कि थोड़ी सी देर के लिये युद्ध का नाटक खेला जायगा, उसके बाद सारी कामनाएँ सफल हो जावेंगी। सिराजुद्दौला की फौज रणक्षेत्र में अपनी वीरता नहीं दिखलायेगी। इस समय तो इसके बिलकुल विपरीत हो रहा है।” मुताखिरान में भी लिखा है—

“क्लाइव ने अमीचन्द से बदगुमान होकर गुस्से में आकर कहा कि ऐसा वादा था कि खफ़ीफ़ लड़ाई में मुहाबदिली हासिल हो जायगा। तेरी सब बातें खिल्लाफ़ पाई जाती हैं”। इस पर अमीचन्द ने जवाब दिया “केवल मीरमदन और मोहनलाल की सेनाएँ लड़ रही हैं। ये ही दोनों सिराजुद्दौला के सच्चे सहायक और स्वामी भक्त हैं। सिर्फ़ इन्हें ही

किसी न किसी तरह पराजित करना है। अन्यान्य सेनापतियों में से कोई भी शस्त्र नहीं चलायगा।” ❀

सिराजुद्दौला के विश्वासपात्र और नमकहलाल सेनापति बड़ी वीरता से युद्ध करने लगे। कहा जाता है कि इस समय यदि मीरजाफ़र की सेना आगे बढ़कर तोंपो में आग लगाती तो अंग्रेजों का बचना कठिन हो जाता, परन्तु मीरजाफ़र, यार खतीफ़ और रायदुल्लभ ने जहाँ जहाँ अपनी सेनाएँ जुटाई थीं, वे उन्हीं स्थानों पर चित्रवत् खड़े खड़े रण का तमाशा देख रहे थे। पसीने में तर हुए क्लांडव ने १२ बजे सम्मति लेने के लिये अपनी सैनिक सभा का अधिवेशन किया। इस में निश्चय हुआ कि सारे दिन बाग में रह कर किसी न किसी तरह आत्मरक्षा करना चाहिये। “महावीर प्लासी के विजेता” ने इस तरह छिप छिपा कर अपने प्राणों की रक्षा करके ही समर में विजय प्राप्त की। इस बात को वह स्वयं ही प्रकाशित कर गया है।

दैव ने अंग्रेजों का साथ दिया।

हम कह चुके हैं कि नवाब के मीरजाफर दुर्लभराय आदि सेनापति विश्वासघात कर अपनी सेनाओं को लेकर तटस्थ खड़े रहे। इससे अंग्रेजों को अप्रत्यक्ष सहायता हुई। पर इसके साथ ही साथ दैव ने भी इस समय अंग्रेजों का साथ दिया। हम यह भी कह चुके हैं कि नवाब के विश्वासपात्र सेनापति मीरमदन बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। फ़्रैन्च सेनापति भी अपनी अतुलनीय वीरता का परिचय दे रहे थे। इन वीरों ने अंग्रेजी सेना के झुके झुड़ा दिये थे। पर इसी बीच में क्या हुआ? बड़े जोर का पानी बरसा। इस वक्त अंग्रेजों ने सावधानी कर अपना बारूद आदि फ़ौजी समान पाल से ढक दिया। नवाब की ओर यह व्यवस्था न हो सकी। नवाब का सब सैनिक समान पानी में भीग गया। इसका

परिणाम यह हुआ कि जिस तेजी से अंग्रेजों के गोले बरसने लगे, उस तेजी और जोर से नवाब के गोले नहीं बरस रहे थे। नवाब के सेनापति मीरमदन यहां भी युद्ध करते रहे। वे गोले बरसाते हुए अंग्रेजों की तरफ बढ़ने लगे। इसी समय अंग्रेजों के एक गोले से मीरमदन की जांघ टूट गई। अब उनके बचने की आशा न रही। सेवकगण उन्हें उठा कर नवाब के डेरे में ले गये। मीरमदन की यह स्थिति देख नवाब रो पड़ा। वह हाथ हाथ करने लगा ! मनुष्य का सर्वस्व या प्रिय से प्रिय चीज खो जाने से जो दशा होती है, वही नवाब की हुई। नवाब ने ख्याल किया था कि चारों ओर के विश्वासघातकों के पङ्क्यन्त्र में महावीर प्रभु भक्त मीरमदन उनकी रक्षा करेंगे। पर आज वे ही मीरमदन धायल होकर इस असार संसार से कूच बोल रहे हैं। नवाब सतृप्या नयनों से मीरमदन की ओर देखने लगे। इस समय मीरमदन ने धीमे स्वर से नवाब को कहा—

“+ शत्रु की सेना बाग में भग गई है, पर आपका कोई भी सरदार युद्ध नहीं कर रहा है। वे अपनी अपनी फौजों के साथ चित्रवत खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं।” बस, इतना कहते कहते मीरमदन की विशाल भुजाएं निर्जीव हो गईं। सिराजुद्दौला के सिर पर मानों आकाश टूट पड़ा ! उनकी आकस्मिक मृत्यु से सिराजुद्दौला का बल और भरोसा एकाएक विलुप्त होगया।

इस समय नवाब को चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। निराशा का समुद्र उसके सामने उमड़ पड़ा। इस वक्त दूमरा कोई उपाय न देख कर सिराजुद्दौला ने फिर मीरजाफर को बुलाया। बड़े बहाने बाजी के बाद मीरजाफर अपने पुत्र मीरन और अन्य अनेक अमीर उमरावों के साथ सिराजुद्दौला के डेरे में गया। मीरजाफर को मन्देह था कि शायद सिराजुद्दौला उसे कैद कर लेगा। पर उसका यह मन्देह अमूर्ण सिद्ध हुआ। ज्योंही मीरजाफर डेरे में घुसा कि सिराजुद्दौला ने

+ “सिराजुद्दौला” से सङ्कलित—

अपना राजमुकुट मीरजाफर के पैरों में रख दिया और व्याकुलचित्त होकर कहने लगा—“मीरजाफर अब भूतकाल की बात पर ध्यान मत दो। पहले जो होना था वह हो चुका। अब तुम मेरे इस राजमुकुट की रक्षा करो। नाना अलीवर्दीखां का कुछ लिहाज कर मेरी इज्जत बचाओ और मेरी जिन्दगी के सहायक बनो।” मीरजाफर के अन्तःकरण पर कुछ असर न हुआ। वह उपर से तो सिराजुद्दौला को कहने लगा कि “अबश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त करूंगा, परन्तु अब शाम हो गई है। फौजे थक गई हैं। आज सारी फौजें रणक्षेत्र से वापस आजावें। सबेरे फिर युद्ध होगा।” इस पर सिराजुद्दौला ने कहा—“क्या रात में अंग्रेजी सेना के आक्रमण करते ही सर्वनाश सङ्गठित न होगा?” इस पर विश्वासघातक मीरजाफर ने कहा—“फिर हम किस लिये हैं?” “विनाश काले विपरीत बुद्धिः” की उक्ति चरितार्थ हुई और मन से कहिये अथवा बेमन से, सिराजुद्दौला ने मीरजाफर की बात मान ली और फौजों को पड़ाव में वापस आने की आज्ञा दे दी। मीरजाफर मुहूर्त भर में विद्युद्देग से अपना घोड़ा उड़ा कर अपनी फौज में चला गया और वहां से क्लाइव को सब बातें लिख भेजी और साथ साथ यह भी लिख भेजा कि अब फौज लेकर आगे बढ़ो। यह पत्र समय पर क्लाइव को नहीं मिला।

मीरजाफर के चले जाने पर नवाब अपने दूसरे विश्वासघातक और नमक हराम दुर्लभराय के शरणापन्न हुआ। नवाब ने उससे भी वे ही बातें कहीं जो उसने मीरजाफर से कहीं थीं। इस पर दुर्लभराय ने नवाब को बड़ी नम्रता से जवाब दिया—“हज़र डरते क्यों हैं? आज फौज को लौटने की आज्ञा दीजिये और मुझ पर सब बोझ देकर मुर्शिदाबाद लौट जाइये।” जैसा हम उपर कह चुके हैं नवाब ने मीरजाफर और दुर्लभराय की बात मान कर फौज को वापस डेरें में आने की आज्ञा दे दी।

इस वक्त नवाब की ओर से बङ्गाली वीर प्रभुभक्त मोहनलाल अतुल-विक्रम से युद्ध कर रहे थे। ऐसे समय में नवाब के दूत ने जाकर उन्हें

खड़ाई रोकने के लिये कहा। मोहनलाल ने यह बात न सुनी। उन्होंने समझा कि ऐसा करने से नवाब का सर्वनाश हो जायगा। नवाब का दूत फिर मोहनलाल के पास गया। इस समय भी मोहनलाल ने उसकी बात नहीं मानी। वह बड़ी वीरता से युद्ध करते रहे। तीसरी बार नवाब ने मोहनलाल के पास विशेष आज्ञा भेज दी। अब मोहनलाल ने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि नवाब की फौजें छिन्नभिन्न हो गईं। कई लौट गई थीं। कई लौटने की तैयारी कर रही थीं। यह देख कर वे समझ गये कि नवाब का अधःपतन अनिवार्य है। वे क्षण भर भी विलम्ब न कर, किसी से कुछ न कह, चोभ और क्रोध से परिपूर्ण होकर, रणभूमि त्याग कर चले गये। उन्हें रणभूमि से जाते देख सिपाहियों ने भी मैदान छोड़ दिया। मीरजाफर की इच्छा पूरी हुई। इस समय मीरजाफर ने क्लाइव को लिखा—“मीरमदन मर गया। अब छिपने का कोई काम नहीं। इच्छा हो तो इसी समय, नहीं तो रात के तीन बजे, पड़ाव पर आक्रमण करना। सहज ही मेरा सब काम बन जायगा।”

मोहनलाल को पड़ाव की ओर वापस आते देखकर अंग्रेजी फौज बाग के बाहर निकली। कहा जाता है कि इस समय ‘प्लासी विजेता’ क्लाइव नींद के खुराटे भर रहा था। मेजर किल्प्याट्रिक बाग में फौज को तैयार कर रहा था। अंग्रेजी सेना बाग के बाहर हुई। क्लाइव भी नींद से जगाया गया। इस समय जब उसने सुना कि मेजर अपनी सेना को आगे बढ़ाया चाहता है तो वह दौड़ा हुआ फौज में घुस पड़ा। उसने मेजर किल्प्याट्रिक को बांध लिया और कहा—“बिना मेरी आज्ञा के तुमने ऐसा साहस क्यों किया?” पर पीछे जाकर जब क्लाइव को असली हालत मालूम हुई, तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ और खुद फौज कश्मीका भार लेने में उत्सुकता प्रकट करने लगा। क्लाइव ससैन्य आगे बढ़ने लगा। इस समय रणक्षेत्र में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ फ्रान्सीसी वीर सेवक जॉन डट कर युद्ध कर रहे थे। वे नवाब की

आज्ञा न सुनकर, मीरजाफर की बात पर कान न देकर, थोड़े से सिपाहियों के साथ बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। पर बेचारे सेरगढ़के अपनी थोड़ी सी फौज के साथ अंग्रेजों का कहां तक मुकाबला कर सकते थे। आखिर उन्हें पीछे हटना पड़ा।

सिराजुद्दौला के ओर की फौज के बहुत कुछ विश्वस्तहित होने का वृत्तान्त हम कहीं ऊपर लिख चुके हैं। हमने उपर दिखलाया है कि किन किन चालबाजियों से सिराजुद्दौला की फौज की हिम्मत टूटी। वह इधर उधर भागने लगी। इस समय स्वार्थान्ध रायदुल्लाह सिराजुद्दौला के पास गया और उसने रणक्षेत्र का भयङ्कर चित्र उसके सामने रखा। उसने सिराजुद्दौला को यह बात समझाना शुरू किया कि:—“हज़ूर ! इस समय रणक्षेत्र छोड़ कर चले जाइये। इसी में खैर है।” मुसलमान इतिहास लेखक ने लिखा है जिस समय दिन का अन्त हो रहा था, उस समय सिराजुद्दौला ने देखा कि असंख्य सेना तथा सरदारों में से कुछ थोड़े ही से आदमी उसके पक्ष में लड़ रहे हैं ! ऐसी दशा में प्लासी से मुर्शिदाबाद को लौट चलना चाहिये। यह सोचकर सिराजुद्दौला ने दो हजार घुड़ सवारों के साथ जंट पर सवार होकर रणभूमि से प्रस्थान किया।

इस तरफ अंग्रेजों ने प्लासी के मैदान में विजय प्राप्त कर ली। यह विजय किस ढङ्ग से प्राप्त की गई। यह किस प्रकार की थी, इस बात पर यहां प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। हमने अब तक जो कुछ भी लिखा है इससे पाठक इस बात का खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। कुछ भी हो, अंग्रेजों ने बड़ी सस्ती और बिना बहादुरी की विजय प्राप्त करली। अंग्रेजों के सुप्रख्यात इतिहास लेखक कर्नल मालेसन ने लिखा है—“प्लासी युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं कहा जा सकता।”

सिराजुद्दौला की हत्या

पाठक ! अब हम आपको सिराजुद्दौला के जीवन-नाटक का अन्तिम अङ्क दिखलाते हैं। यह अङ्क अत्यन्त दुःखान्तक (Tragedy) है। इससे सँसारिक वैभव की क्षणभङ्गुरता प्रकट होती है। अच्छा, अब नवाब सिराजुद्दौला के जीवन का यह दुःखान्तक दृश्य ज़रा धैर्य के साथ देखिये।

हमने पूर्व परिच्छेदों में दिखलाया है कि विश्वासघातकों के विश्वासघात और कूटनीतिज्ञ क्लाइव आदि के षड्यन्त्रों से किस प्रकार प्लासी के नामधारी युद्ध में नवाब की पराजय हुई। हमने दिखलाया है कि किस प्रकार रणक्षेत्र त्याग कर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद गया और वहाँ शक्ति सङ्गठित करने का उद्योग करने लगा। अब हम आगे का हास्य सुनाते हैं।

मुर्शिदाबाद छोड़कर नवाब ने पहले राजमहल जाने का इरादा किया, किन्तु बाद में यह संकल्प परित्याग कर वह भगवानगोले गया। वहाँ से वह नाव पर सवार होकर फ्रांसीसी सेनापति लॉ की आज्ञा से आजीमगंज की ओर चला। विधि कि लीला देखिये ! जिस नवाब के हुक्म में लाखों आदमी थे, आज वह भूखों मर रहा है। नवाब, उसकी स्त्री, कन्या तथा अन्यान्य साथी तीन दिन तक भूखे रहे। तीन दिनों के उपरान्त राजमहल के उस पार एक फकीर के आश्रम में उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। इस फकीर का नाम दानाशाह था। कहते हैं कि यह दानाशाह किसी समय सिराजुद्दौला द्वारा लाम्बित हुआ था। कुछ इतिहास लेखक कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने उसके कान कटवा लिये थे। पहले उसने सोचा अन्य मुसाफ़िर होगा। किन्तु नवाब का जूता देखकर उसे कुछ सन्देह हुआ। उसने उसी समय नाव के मस्लाह से असली

बात मालूम करली। फकीर का हृदय प्रतिहिंसा से जल उठा ! फकीर ने इस वक्त कोई बात न कह कर सपरिवार नवाब के आश्रित्य सत्कार का अच्छी तरह बन्दोबस्त कर दिया। नवाब के परिवार ने दारुण चूधा मिटाने के लिये खिचड़ी पकाई थी। इसी समय फकीर ने एक आदमी भेज कर चुपके से उस पार राजमहल में सिराजुद्दौला के शत्रुओं को खबर भेज दी। + समाचार पाते ही मीरजाफर के दामाद मीरकासिम मीर दाऊदखां सदलबल वहां आ पहुँचे। सिराजुद्दौला शत्रु की फौज से घिर गया। नवाब की स्त्री लुत्फुन्निसा मीरकासिम के हाथ पड़ी। मीरकासिम ने डरा धमका कर उसके कुछ जेवर ले लिये। * मीरकासिम की देखा देख मीरदाऊद ने भी अन्यान्य रमणियों के अलङ्कार उतरवा लिये। इन दोनों के देखा देखी अन्य साथियों ने भी नवाब का सर्वस्व लूट लिया ! एक दिन जो लोग नवाब के सामने जाने तक का साहस नहीं करते थे, जो लोग नवाब के करुणा-कटाक्ष के लिये सदा उत्सुक रहते थे, आज वे ही लोग विपदग्रस्त हतभाग्य नवाब को बुरी तरह लूट रहे हैं। नवाब ने उनसे कातर स्वर से कहा—“मैं धनजन, साम्राज्य नहीं चाहता। मुझे कुछ माहवार दो और इस लम्बे चौड़े बङ्गाल के एक कोने में रहने दो।” नवाब की यह कातरोक्ति व्यर्थ हुई ! उसकी बात पर किसी ने कान तक नहीं दिया। नवाब सिराजुद्दौला सपरिवार बन्दी हुआ !

नवाब सिराजुद्दौला ने जिस दिन मुर्शिदाबाद परित्याग किया, ठीक उसके आठ दिन बाद बह कैदी के रूप में मुर्शिदाबाद लाया गया। इस समय उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुईं थीं। बिहारी-बाल सरकार प्रभृति भारतीय इतिहासकारों का मत है कि यदि कुछ दिन और सिराजुद्दौला कैद नहीं होता, तो शायद उसकी किस्मत का पासा

+ मुताखिरून

* S-crofton-Clive's Evidance

पलट जाता। फ्रांसीसी सेनापति लॉ साहब उनकी सहायता के लिये राजमहल तक आ पहुँचे थे। राजमहल में उन्हें खबर मिली कि नवाब कैद हो गया है। तब वे निरुपाय होकर वापस लौट गये। उन्होंने प्रदेश की सीमा पार कर बक्सर से बहुत दूर पहुँच डेरा डाला।

मुर्शिदाबाद के निवासियों ने जब देखा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं; वह भयङ्कर दुर्दशा में है तब उन्हें महाशोक हुआ! मुसलमान इतिहास लेखकों ने इस संस्मरणीय घटना को लक्ष्य कर लिखा है:—“ऐ विचारवान मनुष्यों! इस उदाहरण से सावधान हो जाओ और भाग्य के परिवर्तन को भली भाँति देखो। संसार की सफलताओं पर अधिक विश्वास न करो। क्योंकि ये उसी प्रकार अस्थायी और अनिश्चित हैं, जिस प्रकार एक सार्वजनिक व्यक्ति रोज इस घर से उस घर जाता है।” ❀

अमीरों के इतिहास से पता चलता है कि सिराजुद्दौला आधीरात के वक्त चोर और डाकुओं तरह हथकड़ी और बेड़ियों से बांध कर मीरजाफर के सामने उपस्थित किया गया। श्रीयुत दत्त महाशय लिखते हैं:—जो राज प्रसाद एक दिन सिराजुद्दौला के अखण्ड प्रताप से राजकीय गौरव का सम्भोग करता था, उसी महल में सिराजुद्दौला को बन्दी के रूप में प्रवेश करना पड़ा। यह दशा देख कर मीरजाफर का हृदय भी द्रवित होने लगा और ऐसा होना अनिवार्य भी था, क्योंकि सिराजुद्दौला ने स्वयं उसके साथ कोई बुराई न की थी और वह उस अलीवर्दी खां का स्नेह-भाजन दौहित्र था जिसकी दयालुता और उदारता के बदौलत मीरजाफर का भाग्य उदय हुआ था और मरते दम तक अलीवर्दीखां का विश्वास रहा था कि मीरजाफर मेरे गोद लिये हुए प्यारे बच्चे का साथ देगा। बेचारा सिराजुद्दौला बारबार उसके निकट प्राणों की भिक्षा मांगने लगा! मीरजाफर इस दृश्य को नहीं देख सका और सिपाहियों को उसने इसे

दूसरे स्थान पर ले जाने की आज्ञा दी।" एक दूसरे इतिहास लेखक ने लिखा है—“सिराजुद्दौला मीरजाफर को देखते हुए सजल नौओं से भूमि पर गिर पड़ा और गिड़-गिड़ा कर मीरजाफर से प्रार्थना करने लगा, “मेरी जान बचा लो, किन्तु मीरजाफर के नृशंस पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला को मारने के लिये बारबार अनुरोध किया। मीरजाफर ने उसी क्षण सिराजुद्दौला को अपने सामने से ले जाने का हुक्म दिया। इसके बाद मीरन के इशारे से उपस्थित पहरेदारों ने सिराजुद्दौला को वहां से खेजाकर एक गंदी कोठड़ी में कैद कर लिया और वहां प्रत्येक मुहुर्त्त में सिराजुद्दौला के प्राण-दण्डाज्ञा लिये प्रतीक्षा करने लगे। अनेक कर्मचारी गण उस समय मीरजाफर के पास उपस्थित थे। मीरजाफर ने उन से पूछा “अब क्या करना चाहिये?” उनमें बहुतों ने सिराजुद्दौला को कैद रखने की सलाह दी। इसी समय पापी मीरन ने मीरजाफर से कहा:— “आप इस समय महल में जाइये। मैं कैदी की उचित व्यवस्था कर देता हूँ”।

मीरजाफर पुत्र का मनीगत भाव समझ कर उस स्थान से चला गया। सिराजुद्दौला की मैले कुचैले जघन्य स्थान में कैद करा कर भी मीरन निश्चिन्त नहीं हुआ। * मोरन अभागो सिराजुद्दौला को कत्ल करने पर तुल गया ! कितने ही लोग मीरन के इस कुविचार से असहमत हुए। किन्तु दुष्ट मीरन अपने निश्चय पर डटा रहा। वह अब उस आदमी की खोज करने लगा जो सिराजुद्दौला को तलवार से काट सके। बहुत खोज करने पर इस पैशाचिक हत्याकाण्ड के करने के लिये एक बाल मुहम्मद नामक नर-पिशाच मिल गया, जो सिराजुद्दौला के घर पर पाला गया था। इसी कृतघ्न मुहम्मदखां ने अपने पर अपने भूतपूर्व स्वामी और अन्नदाता सिराजुद्दौला को तेज तलवार से काटने का भार लिया !

सिराजुद्दौला का इत्या

दो तीन घंटों के बाद ही मुहम्मदवेग सिराजुद्दौला को लिये तेज तलवार हाथ में ले उसके बन्दीगृह में गया । उसे ही सिराजुद्दौला घबड़ा उठा ! चण मात्र में उसको सारी आशाएं हो गईं । वह बड़ी निर्दयता से कत्ल कर दिया गया !

दुष्ट मुहम्मद वेग इतने ही से सन्तुष्ट न हुआ । उसने मृत के जिस्म के टुकड़े-टुकड़े कर डाले !! उन टुकड़ों को उसने हाथी की पर खदवाया ! फौजवान उस हाथी को लिये लिये शहर के चारों फिसा । किसी प्रकार वह हाथी एकाएक हुसेनकुली खां के सामने जा खड़ा हुआ । इसके बाद नगर प्रदक्षिणा करते हुए जब सिराजुद्दौला की माता अमीनाबेगम के मकान के सामने पहुँचा, तो को टुकड़े टुकड़े करनेवाला कोलाहल उपस्थित हो गया । अभागी अमीनाबेगम को अपने प्राणप्यारे सिराजुद्दौला की इस दशा का हाल हुआ था !! उन्होंने फाटक पर शोरगुल सुन कर पूछा—“यह किस का है” । प्रकृत उत्तर पाते ही हतभागिनी अन्तः पुर वासिनी ज्ञान शून्या हो, लज्जा शर्म परित्याग कर उन्मादिनी वेश में खुले केश से नंगे पैर उद्धर्वास से दौड़ बाहर निकल आई । कितनी लौंडियां बांदियां भी उनके साथ निकल आईं ! हाथी पर प्यारे पुत्र लाश के टुकड़े देख अभागी बेगम जमीन पर गिर कर, छाती पीटपीट कर जोर जोर से रोने लगी ! बेगम का यह शोकभाव देख कर उपस्थित दर्शक भी हाहाकार करने लगे ! उस समय का वह शोक दृश्य वर्णनीय है ! खुद फौजवान भी इस हृदयद्रावक दृश्य को देख कर रो पड़ा फौजवान के इशारे से ही था अन्य किसी कारण से हाथी भी वहाँ गया । उपस्थित दर्शकगण हाथी को घेर कर खड़े हो गये । अमीना भी बिजली की तरह दौड़ कर, पुत्र के खण्डित मांसपिण्ड गिर कर उन्हें चुम्बने लगी । कितना हृदयद्रावक और कल्याजनक ! इसी समय मीरजाफर का अनुगत सहचर खादिमहुसेन खां की क्षत पर खड़े होकर सतृप्या दृष्टि से सिराजुद्दौला की कटी

महानगर की ओर हम

जिसे है कि मीरब ने
। वह और भी कितना
। वह भी कहा जाता है कि
मारा गया था । कलकत्ता
बसीटीवेगम, अमीनावेगम,
— तथा ७० दिनों को
की १ अक्टोबर को
जो चिट्ठी लिखी थी, देकर
अमीनावेगम मारी गई थी



सिराजुद्दौला और क्लाइव


कर्मल मालेसन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ *Decisive battles of India* में कहा है:—

“Whatever may have been his faults, Sirajuddaula had neither betrayed his master nor sold his country—nay more, an unbiased Englishman sitting in judgment on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Sirajuddaula stands higher in the scale of honour than does the name of Clive.”


अर्थात् सिराजुद्दौला में चाहे जो कुछ दोष रहे हों, परन्तु न तो उसने देश को बेचा था और न अपने स्वामी को धोखा दिया था। एवं हम वहां तक कहने को प्रस्तुत हैं कि कोई भी पक्षपात शून्य अंग्रेज यदि उन घटनाओं का फैसला करने बैठे जो ६ फरवरी से २३ जून तक सङ्घटित हुईं थीं तो वह इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि क्लाइव की अपेक्षा सिराजुद्दौला का नाम प्रतिष्ठा के पक्ष में भारी है। उस शोकान्त नाटक में वही एक मात्र व्यक्ति था, जिसने धोखा देने की चेष्टा नहीं की।



मीरजाफर की नवाबी



मीरजाफर नवाब बना दिया गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी और उसके कर्मचारियों को नवाबी के परोस्त करने में करोड़ों रुपये मिले। इन लोगों के यहां सोने चांदी की नदियां बहने लगीं। मीरजाफर का खजाना खाली हो गया। मीरजाफर केवल नाम का नवाब था। अधिकांश तो सब अंग्रेजों के हाथ में थे। वह तो एक पुतला था, जो क्लाइव के इशारे पर नाचता था। इसी से कितने ही अंग्रेज लेखकों ने उस को क्लाइव का गधा कहा है। इस वक्त क्लाइव की कीर्ति-पताका खिलायत में चारों ओर उड़ने लगी। वड बज़ार का गवर्नर भी बना दिया गया। डचों पर भी उसने भारी विजय प्राप्त की। उनके जहाज़ी बेड़े को उसने पूरी तरह से परास्त किया। डचों के साथ व्यवहार करने में क्लाइव ने जो अन्याय किया, उसको कोई अंग्रेज इतिहास लेखक समर्थन नहीं कर सका है। अब तक तो अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में मशहूर थे, अब वे एक प्रबल-राजशक्ति के रूप में माने जाने लगे। फ्रांसीसी, पोर्चुगीज, डच आदि अन्य यूरोपीय शक्तियों का पतन सा हो गया। कहने का अर्थ यह है कि बंगाल में अंग्रेजों की पूरे तौर से शक्ति बजने लगी। क्लाइव कम्पनी के लाभ में इतना काम कर सन् १७६० में इम्बेयड के लिये रवाना हो गया। इसके पहले उसने मीरजाफर पर खूब हाथ साफ किया। उसने न केवल कंपनी ही को मालामाल किया, पर खुद ने भी लाखों रुपयों का फायदा उठाया।



मीरकासिम

खूट पाट का बाजार गर्म

मीरजाफर अधिक दिनों तक राज्य का उपभोग न कर सका। जब तक उसके द्वारा कम्पनी की और कम्पनी के नौकरों की जेबें गर्म होती रहीं, जब तक खूब अच्छी तरह से उनका मतलब बनता रहा, तब तक मीरजाफर नवाब की गद्दी पर आसीन रह सका। यद्यपि इस वक्त भी मीरजाफर, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, बाम ही का नवाब था। पर जब खजाना बिल्कुल खाली हो गया, सैनिकों को तनख्वाह न मिलने के कारण, उनके बगावत करने का डर होने लगा, तब हतभाग्य मीरजाफर अपनी नाममात्र की नवाबी से भी अलग कर दिया गया उन पर कुप्रबन्ध का आरोप लगाया गया। मीरजाफर को नवाबी से अलग करने के लिये कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स ने अपना विरोध भी प्रकट किया, पर इसका कुछ नतीजा न निकला। मीरजाफर के स्थान पर मीरकासिम नवाब बनाया गया। इसके बदले में कम्पनी को बर्धमान, मीदनापुर और चितगांव के परगने मिले। इन समृद्धिप्रद परगनों के अतिरिक्त मीरकासिम को कर्नाटक के युद्ध खर्च के लिये पांच लाख रुपया देना पड़ा। मीरकासिम को गुप्त रूप से यह भी चेतावनी दी गई कि जिन्होंने उसे नवाब बनाया है, वह उनका स्वार्थ न भूले। नवाब बनाने के उपलक्ष्य में तत्कालीन गवर्नर डेनिस्टार्ट को १०००० पौंड, हाइवेल्ड को २०००० पौंड और अन्य कौंसिल के मेम्बरों को पच्चीस पच्चीस हजार पौंड मिले। कर्नल कौलौड ने (Colonel Coillaud), जिन्होंने शाह आखम को शिकस्त दी थी, इस प्रकार पहले तो रिरबत लेना मुनासिब न समझा, पर पीछे जाकर उन्होंने २००० पौंड स्वीकार कर लिया। और भी कई कर्मचारियों को बड़ी बड़ी रकमें मिलीं।

इस प्रकार इस वक्त भी कम्पनी ने और उसके कर्मचारियों ने नवाब पर खूब हाथ साफ किया। वे मालामाल हो गये। इस अतुलनीय धन के प्रभाव से इन लोगों ने, जब ये विख्यात गये, उंची स्थिति प्राप्त कर ली। समाज में उन का मान भरतबा खूब बढ़ गया। इस और तो कम्पनी और उसके कर्मचारियों के यहां सोने चांदी की नदियां बहने लगीं, और इस और मीरकासिम का खज़ाना खाली हो गया। केप्टन डॉक्टर लिखते हैं कि मीरकासिम दरिद्री हो गया और कम्पनी को जो धन मिला, उसके प्रभाव से अंग्रेजों ने पांडचेरी में फ़्रेंचों पर विजय प्राप्त की। मतलब यह कि प्लासी के युद्ध के बाद कम्पनी की किस्मत ने पलटा खाया और दिन बदिन उसके व्यापारिक प्रभाव के साथ साथ उसकी राजनैतिक सत्ता भी बढ़ने लगी।

मीरकासिम मीरजाफर की तरह निर्बल हृदय नहीं था। उसने अपने शासन कार्य में पूरी योग्यता का परिचय दिया। उसने अंग्रेजों के इशारे पर नाचना पसन्द नहीं किया। उसे यह बात नहीं रुची कि दूसरे उसे काठ का उड्डू बना दें और उससे नाजाबज़ फ़ायदा उठावें। केप्टन डॉक्टर अपने "warren Hasting" नामक ग्रन्थ में कहते हैं,—

"मीरकासिम ने शासन के आरम्भ में तो अंग्रेजों की मर्जी सम्पादन करने का अच्छा प्रयत्न किया। उसने मीरजाफर के मुंह लगे नौकरों को बरखास्त कर दिये और उनसे वह सम्पत्ति छीन ली, जो उन्होंने नाजाबज़ तौर से प्राप्त की थी। मीरजाफर के समथ तनखाह न मिलने से जो सैनिक बग़ावत कर रहे थे, उन्हें भी उसने तनखाह का बकाया (arrears) दे दिया। इतना ही नहीं उसने कम्पनी के सैनिकों को भी तनखाह दे दी। जो धन उसने कलकत्ते भेजा उससे अंग्रेजों को मद्रास में फ़्रान्सीसियों के नाश करने में बड़ी सहायता पहुँची। मीरकासिम के शासन में हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में महत्त्व पूर्ण सुधार हुआ। मीरकासिम के शासन काल के प्रथम दो वर्षों में जितनी सुदृढ़ता से न्याय का अमल किया गया और जितनी अच्छी तरह राज्य की आमदनी का

उपभोग किया गया, वैसा शायद ही कभी पहले बङ्गाल में किया गया होगा।” इसके अतिरिक्त और भी कई अंग्रेज इतिहासवेत्ताओं ने मीरकासिम के शासन की बड़ी प्रशंसा की है। मि० रॉबर्ट अपनी “History of British India” में लिखते हैं:—

Mirqasim was a ruler of considerable administrative ability and in many ways improved the position of his province अर्थात् “मीरकासिम एक ऐसा शासक था, जिसकी शासन सम्बन्धी योग्यता खूब चढ़ी बढ़ी थी और उसने कई तरह से अपने प्रान्त की स्थिति सुधारी थी।” पर दुःख है कि तत्कालीन कम्पनी के कर्मचारियों की बेईमानी और डाकूपन ने मीर कासिम के योग्य शासन को अधिक दिनों न चलने दिया। कम्पनी के कर्मचारियों ने मीरकासिम के साथ कैसी कैसी बदमाशियाँ की इस का जिक्र ज़रा विस्तृतरूप से आगे किया जायगा।

हम किसी पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि दिल्ली के बादशाह फर्रुखसिअर ने ईस्टइन्डिया कम्पनी को फ़र्मान देकर उनके व्यापार पर महसूल माफ़ कर दिया था। वह फ़र्मान केवल कम्पनी को दिया गया था। इसका आशय यह नहीं था कि इस फ़र्मान का उपभोग कर कम्पनी के नौकर या अन्य अंग्रेज बिना राज्यकर दिये हुए मनमानी रीति से व्यापार करें और उक्त फ़र्मान का नाजायज़ फायदा उठावें। इस के अतिरिक्त यहाँ यह बात भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिन दिनों में कम्पनी को यह फ़र्मान दिया गया था, उस वक्त कम्पनी की स्थिति इस वक्त से कित्कुछ जुदा थी। उस का व्यापार उस वक्त बहुत ही संकुचित था। पर अब कम्पनी का व्यापार बहुत बढ़ चुका था। ऐसी हालत में बिना महसूल दिये व्यापार करने से नबाब की आब में बहुत हति होती थी। अगर वह बुराई वहीं तक रह जाती तो भी ठीक थी, पर कम्पनी के नौकरों ने उक्त फ़र्मान का उपयोग अपने प्राइव्हेट व्यापार में भी करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वे उसके बल पर दूसरे अंग्रेजों को भी, अपना स्वार्थ साधन कर

बिना महसूल दिये व्यापार करने की अनुमति देने लगे। इस वक्त चारों ओर अन्धेरा छा गया ! जहाँ किसी ने अंग्रेज गवर्नर के दस्तखत का पास लिया कि फिर उसके माल पर महसूल नहीं लगता था। कम्पनी के नौकर रिश्वत लेकर यह पास चाहे जिस अंग्रेज या गुमास्ते को दे देते थे। कहा जाता है कि इससे उस वक्त कम्पनी का अदना से अदना नौकर तक इस प्रकार पास का दुरुपयोग कर दो तीन हजार रुपया मासिक पा लेता था। इससे यहाँ के व्यापारियों का व्यापार बुरी तरह नष्ट होता जा रहा था। नवाब ने इन अत्याचारों की, कम्पनी के जिम्मेदार अफसरों के पास, शिकायतें की, पर कुछ सुनवाई न हुई। इस प्रकार के व्यापार से देशी व्यापारियों की कैसी दुर्गति हुई। इस सम्बन्ध में वारेन हेस्टिंग्स ने सन् १७६२ के अप्रैल मास में तत्कालीन गवर्नर को लिखा था "मैंने— देखा है कि हर एक देहात में देशी व्यापारियों की दूकानें बन्द हो गई हैं। और अंग्रेजी व्यापारियों और उनके अनुचरों के दर से खोग भागे जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि मेरे देश के लोगों के (अंग्रेजों के) उच्छृङ्खल (lawless) व्यवहार से नवाब की आमदनी को भयङ्कर नुकसान पहुँच रहा है। देश की शान्ति नष्ट हो रही है और हमारे राष्ट्र (इङ्ग्लैण्ड) की इज्जत को घब्रा लग रहा है। बख्तवान लोगों के द्वारा इस वक्त निर्बलों पर अत्याचार हो रहा है।" यह तो हुई महसूल की बात। इसके अतिरिक्त उस समय कम्पनी के कर्मचारियों ने और ऐसे ऐसे भयङ्कर अत्याचार किये हैं जिनसे सहृदय मनुष्य का कब्जे कांप उठता है।

पाठक जानते हैं कि प्राचीन समय में इस देश का व्यापार बहुत अच्छी दशा में था। यूरोप के कवियों, लेखकों और प्रवासियों ने इस देश की कारीगरी, कलाकुशलता और वैभव की बड़ी प्रशंसा की है। उस समय इस देश की वस्तुएँ दुनियाँ के सब भागों में भेजी जाती थीं और वे अन्य देशों की वस्तुओं से ज्यादा पसन्द की जाती थीं। अकेले बंगाल से १५ करोड़ रुपये का महीन कपड़ा हर साल विदेशों को भेजा जाता था। पटना में ३३०४२६ किलों, शाहाबाद में १५३५०० किलों

श्रीर गोरखपुर में १७२६०० स्त्रियां चरखों पर सूत कात कर ३२ लाख रुपये कमाती थीं। इसी प्रकार दीनापुर की स्त्रियां ६ लाख और पुर्निया जिले की स्त्रियां १० लाख रुपये का सूत कातने का काम करती थीं। सन् १७२७ में जब लार्ड क्लाइव मुर्शिदाबाद गया था तब उस के सम्बन्ध में उसने लिखा था कि—‘यह शहर लण्डन के समान विस्तृत, आबाद और धनी है। इस शहर के लोग लण्डन से भी बढ़ कर मालदार हैं’। परन्तु जब से अंग्रेज व्यापारी इस देश में आये तब से ये लोग हमारे व्यापार को नष्ट करने का उद्योग करने लगे। जब इनकी राज्य-पत्ता का प्रभाव बढ़ा, तब तो इनके अत्याचार हृद दर्जे को पहुँच गये। ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने तथा उसके कर्मचारियों ने जिस बेदर्दी और क्रूरता के साथ हमारे व्यापार को—हमारे कला कौशल को—नष्ट किया, उसका वर्णन हृदयद्रावक है। कई निष्पक्ष अंग्रेज लेखकों ने भी इस अत्याचार का हृदयद्रावक चित्र खींचा है। हम भी पाठकों को कच्चा चिट्ठा सुनाते हैं।

इतिहास के पाठकों से यह बात छिपी नहीं है कि मुगल शासन काल में और अलीवर्दीखान की नवाबी में बंगाल में कपड़े का व्यापार उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था। जुलाहे लोग स्वतन्त्रता के साथ कपड़ा बुनते थे और जहाँ उन्हें अच्छा पैसा मिलता था वहीं वे उसे फरोस्त कर देते थे। इन के कारोबार में राज्य की तरफ से कोई रुकावट न थी, बल्कि राज्य की ओर से इन्हें काफी उद्योजन मिलता था। इसी से जुलाहे लोग खूब समृद्धिशाही हो गये थे। उनके बनाये हुए कपड़ों की मांग न केवल एशिया ही में थी, बल्कि यूरोप में भी बहुतायत से थी। यूरोप के बाजारों पर वहाँ के बनाये हुए बढ़िया कपड़ों का पूर्ण अधिकार था। कहा जाता है कि वहाँ के बने हुए नफ़ीस और उम्दा मलमल और रेशमी कपड़ों का व्यवहार करके इन्डिस्तान की बीवियां अपने पतियों को रिक्तया करती थीं। उनके की मलमल दुनियां भर में मशहूर थी। जुलाहों लोगों के घर सोने चाँदी की नदियां बहा करती थीं। मि० वेल्स नामक एक

तत्कालीन अंग्रेज सज्जन अपनी Considerations on Indian affairs में लिखते हैं—“हाल में इङ्ग्लैंड में एक सज्जन है, जिन्होंने सिराजुद्दौला के शासन काल में केवल एक जुलाहों के यहां से बहुत बढ़िया और कीमती मलमलों के ८०० थान खरोदे थे।” हमारे कहने का मतलब यह है कि सिराजुद्दौला के शासन काल में भी बङ्गाल के जुलाहों की स्थिति अच्छी थी। पर जबसे अंग्रेजों की राज्यसत्ता का आरम्भ हुई, तब ही से यहां के उच्चतिथील और संसार प्रख्यात उद्योग धन्धों को शनिभर की दशा लगी ! जिस प्रकार मनोहर और शान्तिमय चन्द्रमा को राहुग्रस्त कर लेता है, उसी प्रकार यहां के उद्योगधन्धों को इन लोगों ने पूर्णरूप से ग्रस्त कर लिया। सिराजुद्दौला के बाद बङ्गाल में अंग्रेजों की पूरी तूती बोलने लगी थी। इस वक्त ये लोग बङ्गाल के कर्त्ता-घर्त्ता और हर्त्ता हो गये थे। इस वक्त इन लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से लूट मचाने में कसर न की। नादिरशाह और चङ्गेजखां की लूट से भारतवर्ष को जो नुकसान नहीं पहुँचा, वह इन लोगों ने पहुँचाया। यह मत हमारा ही नहीं है। एडमण्ड बर्क ने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के सामने गर्ज कर यही बात कही थी। तत्कालीन गवर्नर जेनिस्टार्ट ने भी अपने narrative में इस लूट का हृदयद्रावक चित्र खींचा है।

कम्पनी ने बड़ी तरकीब से यहां का व्यापार दुबोधा और यहां के उद्योगधन्धों को बहुराष्ट्र किया ! कम्पनी ने और उसके नौकरों ने कैसे कैसे भीषण अत्याचार किये, इस सम्बन्ध में हम कुछ अंग्रेजों की राय नीचे देते हैं।

“Considerations on Indian affairs” नाम के उक्त ग्रन्थ में चोस्टस साहब लिखते हैं—“यह बात बहुत सच है कि जिस तरह कम्पनी इस देश में व्यापार कर रही है, यह जुल्म और उपद्रव का एक लगातार दृश्य है, जिसके हानि कारक परिणाम प्रत्येक जुलाहे और कारीगर पर देख पड़ रहे हैं। अंग्रेज लोग इस देश में होने वाली प्रत्येक वस्तु का ठेका ले लेते हैं और अपनी ही कुत्ती से उनका भाव मुकदरि

करते हैं। जब उनका गुमाश्ता किसी गांव में पहुँचता है तो वह अपने चपरासी को भेज कर वहाँ के दस्खालों और जुलाहों को अपनी कचहरी में बुलवाता है और उनको कुछ रुपये पेशगी देकर एक तमस्सुक इस आशय का लिखवा लेता है कि इतना माल, इतने दिनों में, इस भाव से दिया जायगा। यह काम जुलाहों की रज़ामन्दी से नहीं किया जाता। कम्पनी के गुमाश्ते झोग, अपनी इच्छानुसार, जुलाहों से मनमानी शर्तें लिखवा लेते हैं। यदि कोई पेशगी लेने से इन्कार करता है तो रुपये उसकी कमर में बांध दिये जाते हैं और उसे कोढ़े मार कर कचहरी से निकाल देते हैं। बहुतेरे जुलाहों के नाम कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज रहते हैं। उन्हें किसी दूसरे पुरुष का काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती। इस व्यवहार से जो दुःख होता है वह सचमुच कल्पनातीत है और उसका अन्तिम फल बही होता है कि बेचारे जुलाहे ठगे जाते हैं। जिस वस्तु की कीमत खुले बाजार में सौ रुपये होती है उसके लिये उन्हें सिर्फ २०—६० रुपये दिये जाते हैं। जब जुलाहे इस प्रकार की कड़ी शर्तें पूरी नहीं कर सकते—जब वे तमस्सुक में लिखी हुई शर्तों के मुताबिक माल तैय्यार नहीं कर सकते तब उनकी सब जायदाद छीन ली जाती है और उसे बेचकर कम्पनी के लिये रुपये वसूल कर लिये जाते हैं। रोम में लपेटने वालों के साथ ऐसा अन्याय का बर्ताव किया गया है कि उन लोगों ने अपने अँगूठे तक काट डाले, इस हेतु से कि, उन्हें रोम लपेटने का काम ही न करना पड़े।”

इस प्रकार के कितने ही भयङ्कर अत्याचार उस समय गरीब और अभागे भारतवासियों पर हो रहे थे। बंगाल में चारों ओर त्राहि-त्राहि मच रही थी। बंगाल का संत्यानाश हुआ जा रहा था। घर के घर बरबाद हो रहे थे! भयङ्कर लूट मच रही थी! इस लूट के विषय में एडमण्ड बर्क ने ब्रिटिश पार्लियामेन्टके सामने व्याख्यान देते हुए कहा था—

“The English army of traders, in their march savaged worse than a Tartar conqueror” अर्थात्

अंग्रेजी व्यापारियों की फौज तातारी विजेता से भी अधिक निकट बरबादी करती जाती थी।

देश को बरबाद करने के लिये—उसे भिखमंगी हाखत में कर देने के लिये—उस समय जैसे २ नीच उपायों का अवलम्बन किया गया था, वह संसार के इतिहास में अपूर्व अत्याचार था। बंगाल के गांवों में परवाने भेज दिये जाते थे कि सिवा अंग्रेजी कम्पनी के गुमारतों के और किसी के हाथ माल न बेचा जावे। इससे बेचारे देशी व्यापारियों का व्यापार बिलकुल नेस्तनाबूद हो गया। यहां के व्यापारियों को इस बात की शोक कर दी गई थी कि वे अपने गुमारतों को माल खरीदने के लिये देहातों में भी न भेजें। इस प्रकार अनेक भीषण और राक्षसी अत्याचारों पर मि० वोल्स्टन ने अपने "Considerations on Indian affairs" में एक पूरा अध्याय रंगा है। हम यहां उसका थोड़ा सारांश देते हैं:—

“व्यापार करने में जो सुविधाएं अंग्रेजों को दी गई थीं, उनका उन्होंने बड़ा नाजायज़ फायदा उठाया। अंग्रेजों ने जुलाहों के साथ व्यवहार करने के लिये गुमारते रख छोड़े थे। इन गुमारतों ने अपना ऐसा अधिकार प्रकट किया जैसा कि नबाब आदि ने भी प्रकट नहीं किया था। इन्होंने जुलाहों पर तरह तरह के अत्याचार करने में हद्द कर दी थी। उस समय बंगाल में कोई जुलाहा ऐसा नहीं था जिस पर इन अत्याचारों का असर न हुआ हो। हर एक पदार्थ जो बंगाल में बनता था, उसका ठेका (monopoly) ले लिया गया था। इससे उन पदार्थों का व्यापार सिवा अंग्रेजी कम्पनी, उसके कर्मचारियों और गुमारतों के और कोई नहीं कर सकता था। पदार्थों का मूल्य भी अपनी मर्जी के अनुसार वे ही लोग मुकर्रर कर दिया करते थे। कारीगरों के साथ बड़ी बड़ी सख्तियां और जुल्म किये जाते थे। कम्पनी ने न केवल पदार्थों का बल्कि कारीगरों तक का ठेका सा ले लिया था। ये बेचारे सिवा कंपनी और उस के गुमारतों के और किसी के लिये माल तैयार नहीं कर सकते थे। अंग्रेज

और डच लोगों को तो माल देने की मनाही थी, पर वहाँ के देसी व्यापारी भी जुलाहों के साथ क्रय विक्रय नहीं कर पाते थे। इन लोगों ने अपने नीच स्वार्थ के लिये कारीगरों और जुलाहों का सत्यानाश कर दिया !

“वेचारे जुलाहों को इस प्रकार के तमसुक पर दस्तखत करने पर मजबूर किया जाता था कि अमुक अमुक माल अमुक तादाद में इतने नियमित मूल्य पर देंगे। अगर कोई जुलाहा या कारीगर इस पर दस्तखत करने से इन्कार करता तो वह बांध दिया जाता और उस पर भयङ्कर कष्ट से कोड़े पड़ते। वे अंधेरी कोठड़ियों में बन्द कर दिये जाते थे। इस प्रकार के जुल्मों-अत्याचारों का सिद्धसिद्धा जारी था। बना बनाया माल तक उन लोगों से ज़बर्दस्ती छीन लिया जाता”।

इसके अलावा और भी बातें देखिये कम्पनी के तत्कालीन अधिकारियों को इन अत्याचारों से भी तुष्टि नहीं हुई। कलकत्ते के गवर्नर और कौन्सिल ने १८ मई सन् १७६८ में एक घोषणा पत्र निकाल कर अमनियनों, पोर्चर्गियों और फ्रान्सीसियों के लिये कारीगरों के साथ व्यापार करने का रास्ता बिल्कुल बन्द कर दिया।

ईस्ट इन्डिया कम्पनी इतने ही से सन्तुष्ट नहीं हुई। उसने “नमक” जैसी आवश्यक मोजन सामग्री का भी ठेका ले लिया। इसके पहले वहाँ नमक का ठेका नहीं था। सन् १७६१ की १८ सितम्बर को अंग्रेजों की सिलेक्ट कमेटी की ओर से एक लम्बा चौड़ा घोषणापत्र निकला था उसमें एक जगह लिखा था:—

“That the salt, bettlenut and tobacco produced in or imported into Bengal shall be purchased by this established company and public advertisements shall be issued strictly prohibiting all other persons to deal in those articles.” अर्थात् नमक जुपारी

तथा तम्बाकू आदि पदार्थ जितने बँगाल में पैदा होते हैं या बाहर से बङ्गाल में आते हैं, वह सब संस्थापित कंपनी द्वारा खरीद लिये जावेंगे, और विज्ञप्तियां निकाल कर दूसरे शहरों को इन चीजों का व्यापार करने की सख्त मनाई कर दी जायगी।” इसके अलावा उक्त घोषणापत्र में यह भी कहा गया था कि बङ्गाल के नवाब द्वारा वहां के जमींदारों को यह परवाना भिजवा दिया जायगा कि वे अपनी जमींदारी में पैदा होने वाले नमक का ठेका केवल मात्र अंग्रेजों को को दें, दूसरों को नहीं।” इससे बेचारी गरीब प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ। अंग्रेज व्यापारियों ने मनमाने तौर से नमक का भाव बढ़ा दिया। उनका कोई प्रतिस्पर्धी न होने से बेचारी प्रजा को इन के मुँहमांगे दाम देने पड़ते थे। पहले हमारे यहां रुपये का सात आठ मन नमक मिलता था, पर जब से इसका व्यापार अकेले अंग्रेजों के हाथ आया तब से वह क्या भाव बिकता रहा था, इसका परिचय, हम समझते हैं, पाठकों को काफी तौर से होगा। और भी अनेक तरह से, भांति भांति के उपायों का अवलम्बन कर हमारा व्यापार दुबोया गया ! हमारी प्यारीगरी नष्ट की गई और भारतभूमि की यह दशा कर दी गई कि आज दस करोड़ भारतवासियों को एक समय भी यथेष्ट भोजन नहीं मिलता है। कंपनी के व्यापारियों ने हमारे व्यापार को जिस बेदर्दी के साथ नष्ट किया है, उसे कई निष्पक्ष और सहृदय अंग्रेज भी स्वीकार करते हैं। ट्रोवीलियन साहब कहते हैं,—“हम लोगों ने हिन्दुस्थानियों का व्यापार चौपट कर दिया ! अब उन लोगों को भूमि की उपज के सिवा और कोई आधार नहीं है।”

☞ It is agreed that application be made to the Nawab for parwana on the several Zamindars of those districts strictly ordering and requiring them to contract of all the salt, that can be made on their lands, with the English alone.

शौरसाहब कहते हैं—“बहुधा ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैण्ड के व्यापार के लिये हिन्दुस्थान के व्यापार का लोप करना, अंग्रेजों की प्रवीणता का; एक दीसिमान उदाहरण है। मेरी समझ में यह इस बात का दृढ़ प्रमाण है कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्थान में किस तरह जुल्म और उपद्रव किये और उन लोगों ने अपने देश की भलाई के लिये हिन्दुस्थान को किस तरह निर्धन—दरिद्र—सत्त्वहीन—कर डाला।”

खारपेन्टर साहब कहते हैं—“हम लोगों ने हिन्दुस्थान की कारीगरी का नाश कर दिया।” और भी कितने ही अंग्रेजों ने इस अत्याचार को मुक्त कबठ से स्वीकार किया है।

मीरकासिम से ये अत्याचार नहीं देखे गये। उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से बार बार इन अत्याचारों को मिटाने की प्रार्थनाएं कीं। उसने कम्पनी को लिखा कि इस प्रकार के अत्याचारों से देश बरबाद हुआ जा रहा है! व्यापार डूब गया है! चारों ओर हाहाकार मच रहा है! भयङ्कर रूप से लोग लूटे जा रहे हैं, पर उसकी बात पर कान न दिया गया। तब निराश होकर उसने एक उचित पथ का अवलम्बन किया। उसने सब लोगों के लिये व्यापार पर महसूल माफ़ कर दिया, तब तो इन लुटेरे स्वार्थी कर्मचारियों के क्रोध का पार न रहा। ये मीरकासिम पर दांत पीसने लगे। मीरकासिम से यह हुक्म वापिस लेने के लिये कहा गया। उसने यह बात मँजूर न की। बस फिर क्या था? कम्पनी के क्रोधान्ध और स्वार्थी कर्मचारियों ने युद्ध की तैयारियां कीं। जहां जहां अंग्रेजों की फ़ैक्टरियां थीं वहां युद्ध के लिये तैयारी करने के हुक्म भेजे गये। मीरकासिम इस पर बड़ा हैरान हुआ। उसे इस अजीब व्यवहार से बड़ा दुःख हुआ। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिये कहां तक नीचता कर सकता है, उसकी परमावधि देख कर उसके अन्तःकरण को बड़ी चोट पहुँची। उसने कलकत्ते में कम्पनी को लिखा—

“मैं नहीं समझता कि मैंने किस तरह आपको धोका दिया या आपके साथ विश्वासघात किया। मैंने मीरजापुर के खज़ाने के दो तीन

करोड़ रुपये हज़म नहीं किये, मैंने आपकी एक बीघे जमीन पर भी कच्चा नहीं किया। क्या मैंने उस कर्ज को भदा नहीं किया जो मीरजाफ़र के सिर था ? क्या मैंने आपसे अंग्रेज़ का बकाया बसूल किया है ? मैंने आपको ऐसा देश दिया जिसकी आमदनी एक करोड़ रुपया है ! क्या ये बातें मैंने इस लिये कीं कि आप दूसरे को निज़ामत की मसनद पर बैठावें ?”

कम्पनी के स्वार्थी कर्मचारियों ने इस प्रार्थना पर भी ध्यान नहीं दिया। वे मीरकासिम का सर्वनाश करने पर तुल्य गये। हाँ, यहाँ हम वारेनहेस्टिम्स की प्रशंसा किये बिना न रहेंगे। उन्होंने इस समय मीरकासिम के न्याययुक्त पक्ष का समर्थन किया। उन्होंने इस युद्ध को रोकने की चेष्टा की, पर कुछ फल नहीं हुआ। फल यह हुआ कि कौन्सिल में एक अंग्रेज़ सदस्य ने मीरकासिम का पक्ष समर्थन करने के लिये हेस्टिम्स को एक जोर का घूँसा मारा, जिसके लिये वाट्सन साहब को उनसे माफ़ी मागनी पड़ी। हेस्टिम्स ने सब परिस्थिति का विचार कर कौंसिल से इस बात का अनुरोध किया कि इन सब खराबियों का मूलोद्घेदन करने के लिये नवाब के अधिकार और हमारे स्वत्वों के बीच कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।” हेस्टिम्स के इस अनुरोध का भी कुछ फल नहीं हुआ।

इसी अगड़े को मिटाने के लिये ‘वारेन हेस्टिम्स’ कमीशन लेकर मीरकासिम के पास गये थे इस कमीशन ने नवाब के सामने उसके कई एक न्यायानुमोदित प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था—पर जब कमीशन की रिपोर्ट कलकत्ते की कौंसिल में पढ़ी गई, तब कौंसिल के अधिकांश स्वार्थी अंग्रेज़ों ने उस रिपोर्ट का बोर प्रतिवाद किया। हेस्टिम्स और तत्कालीन गवर्नर व्हेनिस्टार्ट के स्वीकृत प्रस्ताव कौंसिल वालों ने रद्द कर दिये। जब मीरकासिम को कलकत्ते की कौंसिल की कार्रवाईयों के समाचार मिले, तब वह बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने देशी व्यापारियों के माध्यम पर महसूल न लेने का नियम बहाल रखा।

नवाब के इस निश्चय को सुन कर कौन्सिल के स्वार्थी और अन्यायी सदस्यों ने नवाब को राज्यच्युत करने का निश्चय किया। मीरजाफर को नवाबी से च्युत करने का संकल्प अंग्रेजों की आज्ञामात्र से कार्य में परिणत हो गया था। किन्तु मीरकासिम मीरजाफर जैसा कायर, निरक्रमा भौक और अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। उसे राज्यच्युत करना जरा टेढ़ी खीर थी। कौन्सिल की धारणा थी कि जो व्यक्ति कोई वस्तु किसी को देने का अधिकार रखता है तो वह उस दी हुई वस्तु को छीन लेने का अधिकारी भी है। मीरकासिम की धारणा इससे सर्वथा विपरीत थी। उसके विचार में अंग्रेजों की धारणा कृथा और तर्क शून्य थी। वह समझता था कि बङ्गाल न्याय से न तो अंग्रेजों का देश था और न उन्हें न्याय की दृष्टि से बङ्गाल को देने का अधिकार था, और न उसे फिर छीन लेने का।

जब नवाब ने देखा कि कौन्सिल के सदस्य अपनी अत्याचारी और अन्याय—युक्त नीति को पकड़ कर युद्ध करना चाहते हैं तब वह भी सतर्क हो गया। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा कर मुंगेर ले गया। नवाब भी युद्ध की तैयारियां करने लगा। मीरकासिम बङ्गाल की स्वाधीनता के लिये अन्तिम चेष्टा करने लगा। इस ओर अंग्रेजों ने चुपके चुपके पटना पर धावा मार उस पर अपना अधिकार जमा लिया। पहले नवाब की सेना, अचानक अंग्रेजों के आ दूटने पर विस्मित और किङ्कर्तव्य विमूढ़ हो नगर छोड़ भाग गई, किन्तु पीछे से जब अंग्रेज विजय प्राप्त करने का आनन्द मना रहे थे और शराब के नशे में चूर हो रहे थे; उस समय नवाबी सेना ने सहसा आक्रमण कर अंग्रेजी सेना को मार भगाया और पटना पर फिर अधिकार कर लिया। इस आक्रमण में बहुत से अंग्रेज नवाब के हाथ पड़े। जब पटने के बखेदे का समाचार नवाब को मिला तब उसने समझ लिया कि युद्ध का अंग्रेजोंश हो गया है। उसने अंग्रेजों की कोठियों पर आक्रमण करना आरम्भ किया। अंग्रेजों की कोठियों पर अधिकार कर वह उन कोठियों के अंग्रेजों को कैद कर मुहरे

भेजने लगा । कहा जाता है कि नवाब ने आज्ञा दी थी कि जहां कोई अंग्रेज मिले, वह वहीं मार दिया जावे । अमायट (Amayat) नामक एक अंग्रेज कम्पनी की ओर से नवाब के साथ बातचीत करके कलकत्ते जा रहे थे, रास्ते में खोंगों ने मार डाला और उनका काटा हुआ सिर बड़ी धूम धाम के साथ मुजरे भेजा गया ।

अंग्रेजों ने भी मुर्शिदाबाद पर हमला करने के लिये फौज भेजी । यद्यपि नवाब की सुशिक्षित सेना के रहते मुर्शिदाबाद ले लेना सामान्य बात नहीं थी, पर स्वदेशद्रोही, स्वार्थ-तत्पर और विश्वासी खोंगों के विश्वासघात से मीरकासिमकी की हुई आत्मरक्षा की सभी तैयारियां निष्फल हुईं । मुर्शिदाबाद अंग्रेज सेना के हाथ पड़ा । इसके बाद अभागे नवाब की कटवा में भी हार हुई । कटवा के बाद गिरिया में अंग्रेजी और नवाबी सेना का मुकाबला हुआ । यहां नवाब के सेनापति मीरबदरुद्दीन का पतन हुआ । सेनापति के मरते ही नवाब की सेना रबाचेत्र छोड़ कर भागी । इसके बाद उदयानल का युद्ध हुआ । झासी की तरह उदयानल का युद्ध भी भारत के इतिहास में चिरकाल तक प्रसिद्ध रहेगा । झासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के दुर्भाग्य से मीरजाफर उसकी सेना का सेनापति था और उदयानल के युद्ध में मीरकासिम के भाग्यदोष से विश्वासघाती गुरमखान नवाब की सेना का सेनापति हुआ था । झासी की खड़ाई में बङ्गाल की स्वाधीनता का मार्तण्ड अस्ताचलगामी हुआ, और उदयानल के युद्ध में बङ्गाल की स्वतन्त्रता का दिवाकर अस्त हो गया । उदयानल में मीरकासिम के लगभग पचास सहस्र सैनिक थे । अंग्रेज केवल पांच सहस्र सैनिकों के साथ रात के समय उदयानल के दुर्ग में घुस गये । और नवाब के निराल सिपाहियों पर महावेग से दूट पड़े । नवाब के सिपाही भयभीत और निरुपाय होकर भाग गये । कहते हैं कि यह दुर्घटना मीरकासिम के एक नमक हराम, नृशंस विश्वासघातक सिपाही की दुर-भिसन्धि का परिणाम थी । धीरे धीरे अंग्रेज नवाब के नगरों पर अधिकार


करते गये । मुग़ेर और मुर्शिदाबाद को भी अंग्रेजों ने प्रस्र लिखा । मीरकासिम डेहसौ कैदियों को साथ लेकर पटना भाग गया । जिस समय नवाब ने सुना कि अंग्रेजों ने मुग़ेर भी ले लिया, उसी समय उसने उन अंग्रेज कैदियों को कत्ल करने का हुकम दिया । समरू नामक एक फ्रान्सीसी ने बड़ी निर्दयता के साथ इन निरस्त्र अंग्रेजों का कत्ल किया !! चारों ओर की परिस्थिति को देखते हुए, नवाब का क्रोधान्वित होना स्वाभाविक था और क्रोध के आवेश में उसने इन निरस्त्र अंग्रेज कैदियों को कत्ल करने का हुकम दिया, पर इस निर्दय हत्याकाण्ड का समर्थन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता । अस्तु ।

इस हत्याकाण्ड से अंग्रेजों का खून उबलने लगा । अब तो उन्होंने मीरकासिम का सर्वनाश करने का पूरा पूरा निश्चय कर लिया । इन अंग्रेजों कैदियों की हत्या होने के बाद एडम साहब ने पटना घेरा । मीरकासिम सकुटुम्ब अवध भाग गये । मीरकासिम ने अवध के नवाब से मिलकर अंग्रेजों के हाथ से बंगाल को मुक्त कराने की एक बार फिर चेष्टा की । मेजर मनरोने नवाब सिराजुद्दौला, मीरकासिम और बादशाह शाहआलम को वक्सर के युद्ध में हराया । सरजेम्स स्टेफिन कहते हैं—
 “भारतवर्ष में ब्रिटिश शक्ति की नींव लगाने का उसना अर्थ ग्रासी को नहीं है, जितना वक्सर को है । यहां बड़ी भयङ्कर लड़ाई हुई । मीरकासिम की फौज ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया । इसमें अंग्रेजों के ८४७ मनुष्य हताहत हुए । नवाब की ओर के २००० मरे । इसमें ग्रासी की तरह केवल बङ्गाल के नवाब ही न थे, पर हिन्दुस्थान के बादशाह और उनके सचिव भी थे, जिन्होंने कि हार खाई ।” मीरकासिम चारों ओर से निराश होकर भाग गये । वे फर्हा गये । इसका पता नहीं लगा । कहा जाता है कि वे फकीर बन कर देश त्यागी हुए । उपरोक्त घटना के बहुत दिनों बाद दिल्ली की सड़क पर लोगों ने एक लाश देखी थी, जो एक बहुमूल्य शास्त्र से ढकी थी । उस शास्त्र के एक कोने पर लिखा था,—“मीरकासिम अब कंपनी के स्वामी और अत्याचारी

कर्मचारियों के पथ का एक जबरदस्त कांटा दूर हो गया” । कलकत्ते की स्वार्थपरायण कौन्सिल ने बङ्गाल की नवाबी पर फिर “झाड़व के गधे” मीरजाफर को बिठाया । इस वक्त भी इन स्वार्थियों ने नीति नियमों को को ताक में रख कर बङ्गाल के खजाने पर खूब हाथ साफ किया । मीरजाफर से वह सब खर्च लिया गया जो अंग्रेजों का मीरकासिम के साथ युद्ध करने से हुआ था और भी मजा देखिये, मीरकासिम ने सब लोगों के लिये बिना महसूली खुला व्यापार कर देने के लिये अंग्रेजों का जो नुकसान हुआ था, उसकी पूर्ति भी मीरजाफर से की गई । धनखोलुप कौन्सिल ने मीरजाफर से, कंपनी के कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य सब लोगों के लिये बिना महसूली व्यापार करने का मार्ग बन्द करवा दिया । अब फिर अंग्रेज लोग बिना महसूल के व्यापार करने लगे और इस तरह यहां के देशी व्यापारियों का व्यापार नष्ट होने लगा । फिर वही बेदुकी रफ्तार शुरू हो गई । अत्याचारों और जुल्मों का बाज़ार गर्म हो गया । धनखोलुप कंपनी के कर्मचारियों को भूखे व्याघ्र की तरह बङ्गाल को निरीह प्रजा के अवशिष्ट धनरूपी रक्त से अनन्त और राक्षसी लुभा मिटाने का फिर अवसर प्राप्त हुआ । चिरपददलित भारत की शस्य श्यामला बङ्गभूमि को भस्मसात् करने का उपक्रम रचा गया । बङ्गाल की गरीब प्रजा पर फिर वहां लूट शुरू हो गई, जिसे मिटाने के लिये हतभाम्य मीरकासिम ने असफल प्रयत्न किया था ।

हतभाम्य मीरजाफर अधिक दिन तक जीवित नहीं रहा । वह बूढ़ा हो चुका था । नाना व्याधियों से उसका शरीर भी जीर्ण हो गया था । कुछ रोग से उसकी अँगुलियां गिर गई थीं । कितने लोग कहते हैं कि उसने सिराजुद्दौला के सामने नमकहखाल रहने के लिये इन्हीं अँगुलियों को कुरान पर रख कर कसम खाई थी । मीरजाफर ने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया और ईश्वर ने उसे यह दण्ड दिया, अस्तु । मीरजाफर के मरने के बाद बङ्गाल की कौन्सिल ने उसके पोते को गद्दी पर न बैठाते हुए उसके दूसरे लड़के को नवाबी की मसनद पर बैठाया ।

इसे भी अंग्रेजों ने पूरी तरह अपने हाथ का कठपुतला बनाया। असल में सारी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। नाम के लिये इसे नवाबी का मसनद पर बैठा दिया गया था। इसके मिनिस्टर तक को अंग्रेज मुकर्रर करते थे। इससे कहा गया कि,—“खबरदार, हमारे व्यापारिक हकों को स्पर्श तक मत करना। इंग्लैंड से कम्पनी के डायरेक्टर इन स्वार्थी कर्मचारियों के अत्याचारी कामों के लिये विरोध सूचक प्रस्ताव भेजते रहे। पर ये लोग स्वार्थ में इतने अन्धे हो गये थे कि इन्होंने अपने मालिकों को भी बात न सुनी। जिस प्रकार किसी को खून की चाट लग जाने से फिर वह हमेशा खून का प्यासा रहता है, ठीक यही हालत कम्पनी के स्वार्थी कर्मचारियों की थी। उक्त नवाब से कलकत्ते के गवर्नर और उसके अन्ध सहयोगियों ने १३६३५७ पौंड नजराना के लिये थे। हद्द दर्जे की रिश्वतखोरी चलने लगी। नीतिनियमों के सारे बन्धन तोड़ दिये गये। जब इस अन्धेर की खबर विलायत पहुँची तब इन बुराइयों का प्रतिकार करने के लिये लार्ड क्लाइव को फिर हिन्दुस्थान भेजने की योजना हुई। इस वक्त क्लाइव बंगाल का गवर्नर और कमांडर—इन चीफ बनाया गया। क्लाइव को इस बात का आश्वासन दिया गया कि भारत में उसने जो जागीर प्राप्त की है, उसका वह दस वर्ष तक सानन्द उप भोग कर सकेगा। इस तरह कई प्रकार के अधिकार और आरवा-सन लेकर क्लाइव फिर भारत के लिये रवाना हुआ।



क्लाइव का पुनः आगमन

क्लाइव हिन्दुस्थान में सकुशल पहुँच गया। उसने आकर देखा कि हिन्दुस्थान में ब्रिटिश सत्ता का सूर्य बड़ी तेजी से चमक रहा है। उसने देखा कि चारों ओर ब्रिटिश सत्ता का दबदबा छा गया है। इसके साथ ही उसने कम्पनी के कर्मचारियों की स्थिति देखी। देखा कि चारों ओर एक प्रकार की व्यापारिक लूट मची हुई है। रिश्वत, अत्याचार और जुल्म का बाजार बहुत गर्म है। चारों ओर कम्पनी के कर्मचारियों ने अन्धेरे मचा रक्खा है। नीति-नियम सब कुछ ताक में रख दिये गये हैं। केवल स्वार्थ अपनी सत्ता अबाधित रूप से चला रहा है। जैसा कि पहले कह चुके हैं क्लाइव इन ही सब खराबियों को दूर करने के लिये विलायत से यहाँ भेजा गया था। क्लाइव ने यहाँ पहुँच कर इस बिगड़ी हुई रफ्तार में कुछ सुधार करना चाहा। उसने समझा कि मौजूदा कौन्सिल को रखते हुए सुधार होना असम्भव है, अतएव उसने उस कौन्सिल को तोड़ दिया और अपनी इच्छानुसार एक सिंकेट कमेटी कायम की। इस कमेटी में क्लाइव ने ऐसे आदमियों को रक्खा, जिन से उसकी अच्छी पट सकती थी और जिनके सहयोग से वह बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने की आशा करता था। इसके बाद उसने एक इकरारनामा तैयार किया, जिस में कम्पनी के नौकरों के लिये नज़राना लेने की तथा बिना महसूल दिये रवानगी व्यापार करने की मनाही की गई थी। उसने इस में सफलता पाने के लिये कम्पनी से नौकरों की तनखाह बढ़ाने का प्रस्ताव किया, पर कम्पनी के डायरेक्टरों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस पर क्लाइव ने कम्पनी के ऊँचे नौकरों के लिये नमक का ठेका लेने का पथ खोल दिया। इसमें कम्पनी के नौकरों को खास मुनाफ़ा मिलने लगा। कहा जाता है कि इस व्यापार में

तत्कालीन गवर्नर को १८६०० पौंड, फ़ौज के कर्नल को ७०७० पौंड साखाना मुनाफ़ा हुआ। इसी प्रकार अन्य नौकरों को भी उनकी हैसियत के अनुसार मुनाफ़ा हुआ। इस व्यवस्था के लिये क्लाइव की विलायत में बड़ी निन्दा हुई। कहा गया कि जब डाइरेक्टरों ने कम्पनी के नौकरों के लिये सब प्रकार का रवानगी व्यापार बन्द कर दिया, तब क्लाइव को क्या अधिकार था कि वह नमक का व्यापार उनके लिये खुला रख दे। इसके दो वर्ष बाद डाइरेक्टरों ने कम्पनी के नौकरों के लिये प्राइव्हेट व्यापार करने की पद्धति कतई बन्द कर दी और उनके लिये एक खास तरह का कमीशन मुकर्रर कर दिया। कम्पनी को अपने व्यापार में जितना मुनाफ़ा होता था, उसी की औसत से कर्मचारियों को अपने दर्जे और तनखाह के मान से यह कमीशन दिया जाता था। इससे भी कर्मचारियों की अच्छी प्राप्ति हो जाती थी। गवर्नर को अपनी तनखाह के सिवा १८२०० पौंड कमीशन के मिलते थे। इसी प्रकार अन्य नौकरों को अपने अपने दर्जे और तनखाह के मान से कमीशन मिलता था।

यहां यह बतलाना आवश्यक है कि क्लाइव को अपने सुधार कार्यों में पुरानी कौंसिल के मेम्बरों से तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। वे लोग क्लाइव को कहने लगे कि “तुम अपनी ओर तो देखो। खुद तुमने कितने जायज़ और नाजायज़ ज़रियों से तथा नज़रानों से विपुल धन संग्रह किया है। तुम तो “भट्टजी भट्टे खावें और दूसरों को पच बतलावें की कहावत को चरितार्थ कर रहे हो।” क्लाइव पर इन लोगों की प्रसक्तियों का खासा असर पड़ा; क्योंकि वह खुद पहले नज़राना लेकर खासा बढनाम ही खुला था। उसने सोचा कि इस बात पर और देने से शाब्द बात का बर्तगव न बन जावे और पार्लामेंट जांच करना शुरू न कर दे। इसके सिवा ऐसा करने से शाब्द वे गुल खिलें जिनसे क्लाइव भी अछूता न बचे। इस लिये सुधारों की हज़ार रकते हुए भी उसने काफी सक्ती से काम नहीं लिया। हां, यहां एक बात और कह देना आवश्यक

है। क्लाइव ने खुद नमक के शेअर नहीं लिये, पर उसने बहुतेरे शेअर अपने रिश्तेदारों को दिलवाये, जिनसे उन्हें अच्छा मुनाफा मिला।

क्लाइव और दीवानी

इस वक्त क्लाइव ने कंपनी के लिये एक बड़े ही लाभ का कार्य किया। उसने तत्कालीन नामधारी सम्राट् शाह आलम से दीवानी की सनद प्राप्त कर ली। यह दीवानी क्या थी, इस पर भी यहां थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक है। मि० व्हेनिस्टार्ट, जो क्लाइव के पहले कलकत्ते के गवर्नर रह चुके थे, दीवानी की व्याख्या इस प्रकार करते हैं,— “प्रान्त के दूसरे दर्जे के + अफसर का पद दीवान का पद (Office) था। जमीन की देख रेख करना, भूमि कर वसूल करना यही दीवान का काम था। यह अफसर दिल्ली के सम्राट् द्वारा नियुक्त होता था और इसका पद नवाब से बिल्कुल स्वतन्त्र था। दीवान के कार्यक्रम में नवाब को हस्तक्षेप करने का अधिकार न था। हां, जब से मुगल सम्राट् शक्ति हीन हो गये, तब से नवाब ने दीवानी का अधिकार भी हस्तगत कर लिया था।” मि० हालवेल ने, जिनका जिक्र हम ऊपर कई दफा कर चुके हैं और जो उस जमाने में किसी समय कलकत्ते के गवर्नर रह चुके थे, लिखा है:—

“भूमि कर पर सम्राट् का स्वामित्व रहता है। जो इस भूमिकर को वसूल करता है वह दीवान कहलाता है। हर एक नवाबी में एक एक दीवान भी रहता था, जो भूमिकर और अन्य इस प्रकार के कर वसूल किया करता था। यह नवाब से बिल्कुल स्वतन्त्र रहता था। भूमि कर वसूल कर सम्राट् के खजाने में भेज दिया जाता था।”

मतलब यह कि अब से दीवान का काम कंपनी के जिम्मे आ गया। दीवान तो सम्राट् का एक नौकर रहता था, जो भूमिकर वसूल

+ पहले दर्जे का अफसर वजीर कहलाता है।

कर बादशाही खजाने में भेज दिया करता था, पर अंग्रेज तो दीवानी के पूरे पूरे मालिक बन बैठे। अब उन की पांचों अँगुलियां धी में तर रहने लगीं। अब वे बङ्गाल के कर्त्ता—धर्त्ता हो गये। दीवानी की प्राप्ति होने के बाद लॉर्ड क्लाइव और उनकी सिलेक्ट कमेटी ने कोर्ट आफ डायरेक्टरर्स को ३० सितम्बर सन् १७६५ को निम्न लिखित आशय का एक पत्र लिखा था:—

“नवाब और आपके नौकरों के बीच उच्च सत्ता के लिये जो निरन्तर झगड़े चल रहे हैं तथा आपके नौकरों में रिश्ततखोरी और भ्रष्टता का बाजार जिस प्रकार गर्म हो रहा है, उन सब खराबियों को दूर करने के लिये इससे कोई अच्छा उपाय नहीं सूचित किया जा सकता कि बंगाल, बिहार और उड़ीसे की दीवानी ले ली जावे। इस से इन खराबियों की जड़ में अपने आप कुठाराघात हो जायगा।”

“दीवानी के प्राप्त हो जाने से हिन्दुस्थान में आपका अधिकार स्थायी और सुरक्षित हो गया है। भविष्य में न तो किसी नवाब के पास इतनी सम्पत्ति रह जायगी और न इतनी शक्ति रह जायगी कि वह आपको उलटने (overthrow) का प्रयत्न कर सके। वर्षों के अनुभव से हमारा यह निश्चय हो गया है कि बिना असन्तोष उत्पन्न किये और बिना ऐक्य में बाधा डाले शक्तियों में फूट उत्पन्न करना असम्भव है। हमारा तो विश्वास है कि स्थिति तब ही ठीक हो सकती है जब या तो सब कुछ हमारा ही हो जावे या सब कुछ पर नवाब ही का अधिकार रहे।”

इसके बाद सन् १७६५ के ३० सितम्बर को लॉर्ड क्लाइव और उनकी सिलेक्ट कमेटी ने कोर्ट आफ डायरेक्टरर्स को लिखा था:—

“You have, now, become the sovereigns of a rich and potent kingdom. अर्थात् आप अब एक समृद्धि

शाही और शक्तिशाली राज्य के राजा हो गये हैं। इसी पत्र में कम्पनी एक स्थान पर लिखा था:—

“You are now not only the collectors but the proprietors of the Nawab's dominions. अर्थात् अब आप केवल नवाब के राज्य के कर वसूल करने वाले (collectors) ही नहीं रहे हैं, अब आप एक तरह से नवाब के राज्य के मालिक भी होगये हैं।” इसी तरह क्लाइव ने दूसरी बार भी कम्पनी के किये वह कार्य किया, जिससे कम्पनी की सत्ता बहुत बढ़ गई। इसी प्रकार के कार्य कर क्लाइव फिर दिव्वायत को लौट गया।

अत्याचारों का लगातार दृश्य

क्लाइव के लौट जाने के पांच वर्ष बाद लार्ड हेस्टिंग्स बङ्गाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। इस मध्यवर्ती पांच वर्ष के समय में Vereli (१७६७-६) और कार्नुवर (१७७०-२) अनुक्रम में बङ्गाल के गवर्नर रहे। ये दोनों बड़ी कमजोर प्रकृति के थे। चारित्र्य-बल का इनमें एक तरह से अभाव था। इनके वक्त में फिर वही अन्धाधुन्धी शुरु हो गई। रिश्वतखोरी, अत्याचार, धोखेबाजी और जुल्म का बाजार फिर गर्म हो गया। कम्पनी के नौकर बेचारे देशी आदमियों के व्यापार की बुरी तरह बलि देने लगे। क्लाइव के किये हुये सुधारों पर पानी फिर गया। इसी अर्थ में बङ्गाल में एक महाभीषण अकाल पड़ा। इस अकाल का वृत्तान्त पढ़कर कौन पाषाण हृदय होगा जिसका कलेजा पानी पानी न हो जाये और जिसकी आंखों से आंसुओं की धाराएँ न बह निकले ! कहा-जाता है कि इस भयङ्कर अकाल ने कोई डेढ़ करोड़ आदमियों की बलि ली। इस अकाल की भीषणता के विषय में कम्पनी के नौकर ने लिखा था:—

“The scene of misery shocks human hearts too much. Certain it is that in several parts

the livnig have fed on the dead, अर्थात् कष्ट और दुःख का दृश्य इतना भयङ्कर था कि उससे मनुष्य जाति का हृदय कांप उठे ! कई जगह जिन्हे मनुष्य मुर्दों को खाते हुए दिखलाई पड़ते थे ।” ऐसे समय में भी कम्पनी के नौकरों ने बड़ी बेदर्री और असीम पाशविकता से भूमिकर वसूल किया था ! प्रजा की आर्थिक स्थिति का इस समय कुछ भी ख्याल नहीं किया गया । कम्पनी ने इस महाकरुणाजनक दुःस्थिति में भी मालगुजारी कौड़ी कौड़ी वसूल की । भूखे किसानों पर मालगुजारी वसूल करते समय बड़ी बड़ी सख्तियां की गईं । ब्रजाल के हतभाग्य किसानों को मालगुजारी अदा करने के लिये बीज का धान तक बेच डालना पड़ा ! आबर साहब (Auber) ने अपनी “British power in India” में लिखा है—

“The Gomasthas of English gentlemen not barely for monopolizing grain but for compelling the ryots to sell even the seed requisite for the next harvest.” अर्थात् अंग्रेज सन्तानों के गुमाशतों ने न केवल प्रस्तुत धानों ही का ठेका लेकर उस पर अधिकार कर लिया है, वरन उन्होंने बेचारे किसानों को दूसरी फसल के लिये आवश्यक बीज का धान तक बेचने के लिये मजबूर किया है । हाय ! इस वक्त कम्पनी के कर्मचारियों ने जिस पाशविकता और स्वार्थान्धता का परिचय दिया, उससे हृदय पर बड़ा ही खेदजनक प्रभाव पड़ता है । अन्न के दाने के लिये त्राहि त्राहि करती हुई हतभाग्य प्रजा के लिये कम्पनी ने कुछ नहीं छोड़ा । वेबरिंग महोदय अपनी “History of India” में लिखते हैं—

“Before the famine reached its height almost all the rice in the country was bought up by the servants of the company.

अर्थात् “अन्न के अपनी सर्वोच्चसीमा पर पहुँचने के पहले ही देश

का सारा चावल कम्पनी के नौकरों ने खरीद लिया था।” इसके अतिरिक्त इस वक्त जितनी मालगुजारी वसूल की गई उतनी सन् १७६१ से सन् १७७१ तक दस वर्ष के भीतर किसी वर्ष में वसूल नहीं की गई। हम कम्पनी की मालगुजारी का दस वर्ष का खसरा नीचे देते हैं। इस आमदनी की रकम में भूमि कर की आमदनी के अतिरिक्त कम्पनी की अन्य प्रकार की आय भी शामिल है।

(मई से अप्रैल तक)

सन्	पौंड
सन् १७६१ से १७६२ तक	X X X X X १२६५६५६
सन् १७६२ से १७६३ तक	X X X X X १३५०६५१
सन् १७६३ से १७६४ तक	X X X X X १३६६४६३
सन् १७६४ से १७६५ तक	X X X X X १६६१६२६
सन् १७६५ से १७६६ तक	X X X X X २६६६३५७
सन् १७६६ से १७६७ तक	X X X X X ३१६१७६३
सन् १७६७ से १७६८ तक	X X X X X २६६६५३६
सन् १७६८ से १७६९ तक	X X X X X ३०३३२५५
सन् १७६९ से १७७० तक	X X X X X ३२६७७०६
सन् १७७० से १७७१ तक	X X X X X २७६७३०६

पाठकगण ! ऊपर लिखे हुए खसरे के अङ्कों को देखकर तथा दुर्भिक्ष की भीषणता का विचार कर प्रजा के कष्टों और कम्पनी के गुमारतों के अत्याचारों के विषय में स्वयं अनुमान कर लें।

सन् १७६९-७० ईसवी के दुर्भिक्ष में बंगाल प्रदेश में बड़ी अराजकता विद्यमान थी। बङ्गाल की प्रजा के भाग्यदोष से स्वार्थी व्यापारियों की सत्ता जोर पकड़े हुए थी। उन्हें कोई परवाह न थी, चाहे बङ्गाली जीवें या मरें। उन्हें तो अपना मतलब बनाने की गर्ज थी। देश में उस समय खनी आवश्यक थे, पर उनका धन ऐसी दशा में किस काम आ सकता था।

क्या धनी और क्या किसान किसी के घर में अन्न न था। धनवानों के घरों में रुपये और सोने की कलकत्ता थीं पर उनके नगर या ग्राम में खरीदने के लिये किसान तथा दुकानदारों की दुकानों में अन्न न था !

अंग्रेजों ने बहुत सा चावल बेचने के लिये जमा कर रखा था। अतएव बहुत से लोग पुर्निबा, दीनाजपुर, बांकुडा, बर्दमान आदि नगरों से कलकत्ता की ओर रवाना हुए। गृहस्थों की कुछ कामिनिबां अपने प्राणाधिक सन्तानों को गोद में लेकर कलकत्ते की ओर रवाना हुईं। जिन कुलीन गृहस्थों की कुछ ललनाओं ने अपने घर की देहली को बांध कर कभी पैर नहीं दिखा था आज वेड़ी अपने बालबच्चों को गोद में लेकर भिखारिणी के वेश कलकत्ते की ओर रवाना हुईं। किन्तु इनमें से बहुतसी कलकत्ते पहुँचने भी न पाईं। ऐसी सैकड़ों कुलकामिनिबां और सहस्रों शुष्क काय पुरुष रास्ते ही में हाय अन्न ! हाय अन्न ! करते हुए मर गये ! भूख शान्त करने के लिये इन्हें मुट्ठी भर भी अन्न न मिला। कई बड़े बड़े बच्चे भूख के मारे मार्ग ही में कालकवधित हो गये ! हाय ! घर से चलते समय माताओं की गोद भरी थी, अब वह सूनी हो गई ! सन्तान-वत्सला माता ने शोक एवं भूख से व्याकुल होकर मानव शरीर परित्याग कर दिया।

बाबू चबड़ीचरण सेन ने बङ्गाल के नर नारी गण को सम्बोधन करते लिखा है :—

“हे बङ्गाल देश के नरनारी गण ! तुम आशा से प्रेरित होकर बुधा ही कलकत्ते जा रहे हो। कलकत्ते में जो चावल रखे हैं, वे तुम्हारे भान्ज में नहीं बदे हैं। तुम्हारे जीने से न तो कुछ लाभ है न मरने से कुछ हानि है। तुम्हारी किसी को चिन्ता नहीं है। तुम्हारे भान्जदोष से आज प्रजावत्सल श्री रामचन्द्र का राम राज्य नहीं है। उदारचेता अकबर आज इस मृत्यु लोक में नहीं हैं। जो शासक आज तुम्हारी रक्षा का भार उठा चुके हैं, वे स्वयं अर्थागृह होने से प्रजा की मङ्गल कामना क्यों करेंगे ?

उन्हें तो आज इस घोर दुर्भिक्ष के समय अपने सजातीय बन्धु बांधवों की और सेना की प्राण रक्षा करने की चिन्ता है। तुम्हारी अपेक्षा उनके सैनिकों के प्राण अधिकतर मूल्यवान् हैं। यदि सैनिकगण मर गये तो मानवी स्वतन्त्रता के मूल पर कौन कुठाराघात करेगा ?”

‘हे बंगाल के विपद्ग्रस्त किसानों ! तुम किस आशा पर कलकत्ते जा रहे हो ? हम मानते हैं कि तुम देश को अन्न देते हो। पर तुम्हें मुट्ठी भर अन्न कौन देगा ? इस देश की कुछ कामिनिवां यदि चाहें तो उन्हें मुट्ठी भर अन्न मिल सकता है, क्यों कि उनके आंचलों में मोहरें बंची हैं। किन्तु क्या तुम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों से बिना मूल्य दिये ही मुट्ठी अन्न पाने की आशा से कलकत्ते जा रहे हो ? हे कृष्ण गण ! तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी परमायु का यह अन्तिम दिन है ! तुम्हारे लिये इस संसार को छोड़ देने ही में लाभ है। दयामय भगवान तुम्हें अपनी दयामय गोद में लेने के लिये दोनों हाथ फैलाये बैठे हैं। इस नरपिशाच पूर्ण स्मशान सदृश्य बंगदेश में रह कर अब तुम्हें सुख शान्ति नहीं मिल सकती है।”

आगे चलकर उक्त सेन बाबू महोदय ने कलकत्ते के मार्गों का वर्णन करते हुए लिखा है:—

घोर दुर्भिक्ष उपस्थित है ! दुर्भिक्ष पीड़ित नर नारियों से कलकत्ते का रास्ता परिपूर्ण है। गंगा के उस पार सहस्रों नर नारी अन्न के लिये हाहाकार कर रहे हैं !! उनका आर्तनाद सुनकर मानो भगवती माता गंगा कलकत्त शब्द कर यह कह रही है “हमारी गोद में तुम्हारे लिये स्मशान तैयार हैं। दुःख सन्ताप छोड़ो। आओ तुम्हारे सब कष्ट और दुःख दूर हो जावेंगे, मैं तुम्हें निज गोद में स्थान दूंगी।”

अन्न बिना सहस्रों नरनारी मृत्यु के प्रास बन चुके हैं। भगवती ब्रह्म अपने तीव्र प्रवृत्ति से बङ्ग देश की भूख से मारी हुई प्रजा के सुत

शरीरों को सागर की ओर बहाये ले जा रही है। छाती से बच्चों को लगाये सैकड़ों बियां गंगा पार अचेतनावस्था में पड़ी हुई हैं। किन्तु पापी प्राण अब भी शरीर का मोह छोड़ कर बाहर नहीं होते। डोम अन्य मुर्दों के साथ साथ टांगे पकड़ कर गङ्गा की ओर उन्हें घसीट कर ले जा रहे हैं, तथा उन्हें गंगा में फेंक रहे हैं। वह देखो दस पांच मनुष्यों का समूह हिताहित-शून्य हो कर वृक्षों के पत्तों को खा रहा है। गङ्गा के पार्श्ववर्ती वृक्षों में पत्तों का नामों निशान तक नहीं रहा है। सभी वृक्ष प्रायः पत्तों से शून्य हो गये हैं।”

“कलकत्ता नगर के भीतर एक मुट्ठी अनाज के लिये दुर्भिक्ष पीड़ित रमणियां गोद के बालकों को बेचने के लिये इधर उधर घूम रही हैं। इस घोर दुर्भिक्ष ने माता के हृदय को स्नेहशून्य कर दिया है। नर नारी पैशाचिक प्रकृति के हो गये हैं।

यह भयङ्कर अकाल केवल बंगाल ही में अपना स्वरूप प्रकट नहीं कर रहा था। बिहार उड़ीसा में भी उसका भयङ्कर प्रकोप था। खिताब-राय कंपनी की ओर से पटने के नायब दीवान थे। सन् १७७० ईसवी की ४ जनवरी को वे लिख गये हैं—“पटने की स्थिति बड़ी ही शोचनीय है।” उनकी अप्रेस की रिपोर्ट से फिर मालूम होता है—“पटना शहर में प्रति दिन डेढ़ सौ मनुष्य मर रहे हैं।” पुरनिया के तत्त्वावधारक ने चारों परगनों में गांव गांव घूम कर जो दृश्य देखा था, उसकी रिपोर्ट में लिखा है—“एक मुहल्ले में पुरनिया के हजार घर की प्रजा वास करती थी, किन्तु इस समय एक प्रजा भी मौजूद नहीं। इस अञ्चल में दो लाख प्रजा ने अन्न कष्ट से प्राण त्याग किया।” दीनाजपुर की रिपोर्ट में इस दुर्भिक्ष की महा भयावकता का वर्णन करते हुए लिखा है—“प्रजा खाकी हाथ है। मांसगुजारी देने के लिये बोट, थाली, गो बन्दे बेच गयीं हैं। स्वयं रिजाखाने ने भी यह बात स्वीकार की है—“मेरी चेत में कुछ भी श्रुति नहीं है। देवता प्रतिकूल हैं। इसी से देव यह प्रायः ही

रहा है। जलाशय सूखे हुए हैं। लगातार आग लग रही है। प्रजा दुर्दशाग्रस्त है। सहस्र सहस्र मनुष्य नित्य काल के गाल में समा रहे हैं।”

एक सहृदय अंग्रेज ने अपनी आंखों से इस कल्याणजनक दृश्य को देख कर इसके चालीस वर्ष बाद अंग्रेजी में एक हृदयस्पर्शिणी कविता लिखी थी। इन अंग्रेजमहानुभाव का नाम सर जान शोर था। आप एक समय भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। वह हृदय द्रावक कविता यह है:—

“Still fresh in my memory’s eye the scene,
I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes and lifeless hue.
Still hear the mother’s shrieks and infants
moans,
Cries of despairs and agonising moans,
In wild confusion dead and dying be
Hark to the jackal yell and vultures cry,
The dogs fell howl, amidst the lare of day.
The riot unmolested on their prey!
Dire scenes of horror, which no pen can trace
Nor rolling year from memory’s page efface.

कहा जाता है कि इस दुर्भिक्ष में बंगाल की एक तिहाई प्रजा अन्न कष्ट से हाय हाय करती हुई मर गई! इन मरने वालों में अधिक संख्या हतभान्य किसानों ही की थी। किसानों के अभाव से बंगाल की कितनी ही भूमि बहुत काल तक बिना जुती पड़ी रही। मास्युजारी के रुपये कसूल करना कठिन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य में भी धक्का लगा था। अतएव कम्पनी के अर्थस्रोतों पर कर्मचारी बंगाल की वास्तविक स्थिति को बहुत काल तक नहीं धिया सके। इस भीषण

दुर्भिक्ष का सम्बाद इंग्लैण्ड पहुँचते ही सहृदय दण्डस (Dandas) और कर्नल वरगोई ने कम्पनी के कर्मचारियों के असद आचरणों और अत्याचारों के अनुसन्धान के लिये एक कमेटी नियुक्त किये जाने की प्रार्थना की । कमेटी नियुक्त की गई । उस में वेनसीटार्ट और वरसिलट आदि कलकत्ते के कई एक गवर्नरों का एवं कलकत्ते की कौन्सिल के कई एक अर्थ पिशाच मेम्बरों के अत्याचार एवं कुकर्मों का भयदा फूट गया । ब्रह्म के ऊपर अभियोग चलाने का उपक्रम भी रचा गया ।

कम्पनी के कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने पार्लामेन्ट के तिरस्कार और धिक्कार से बचने के लिये कई एक सच्चरित्र लोगों को इस देश में भेजने की प्रतिज्ञा की । कम्पनी ने सुप्रख्यात वक्ता और भारत हितैषी एडव-मण्ड वर्क को बंगाल की कौन्सिल की प्रेसिडेन्टी एवं गवर्नरी के पद पर नियुक्त करना चाहा । किन्तु बँगाल की प्रजा को निज पापों का फल भोगने के लिये अभी कितने ही दिनों तक अत्याचारों की चक्री में पिसना बदा था । अतएव वर्क महोदय ने वहाँ आने से इन्कार किया । उनके अस्वी-कार करने पर हेस्टिन्स बंगाल के गवर्नर नियुक्त किये गये ।



वारन हेस्टिंग्स का शासन

स्वदेशी राज्यपद्धति का नाश

इस्ट इण्डिया कंपनी ने किस प्रकार बंगाल पर अपनी प्रभुता कायम की ? किस प्रकार कंपनी के नौकरों ने बंगाल को लूट कर उसे दरिद्र किया ? बंगाल पर अधिकार करने में किस प्रकार के हीन और झूठकपट पूर्ण मायावी उपायों से काम लिया गया, इस पर गत अध्यायों में कुछ प्रकाश डाला गया है। साथ ही में यह भी ध्वनित किया गया है कि राजनीति के अस्वादे में बंगाल के तत्कालीन मुसलमान शासक अंग्रेजों के मुकाबले में कमजोर थे। इसके अतिरिक्त बंगाल का चारित्र्य-बल उस समय कितना गिरा हुआ था, इसका परिचय भी परवर्ती घटनाओं से स्पष्ट मिलता है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये कई लोगों ने किस प्रकार राष्ट्र के सामूहिक स्वार्थ को पादाक्रान्त कर देश को विदेशी दासता की शृंखला में जकड़ने में सहायता दी, इसका दुःखद ज्ञान उक्त घटनाचक्र में प्रत्यक्ष है। इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अंग्रेजों का सैनिक सङ्गठन अधिक वैज्ञानिक था और उनकी विजय के जितने कारण थे, उनमें यह भी एक प्रधान था। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पं० जवाहरलालजी नेहरू ने अपने प्रख्यात और विचार-पूर्ण ग्रन्थ 'Discovery of India' में प्रकाश डाला है, भारतवर्ष शरीर और आत्मा से जर्जरित हो चुका था, उसकी प्रगतिशीलता कुचिन्तित हो चुकी थी, और युरोपियन राष्ट्रों में बड़े बड़े प्रगतिशील परिवर्तन हो रहे थे। उनमें एक नवीन जीवन शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा था। वैज्ञानिक अन्वेषणों में वे जोर की प्रगति कर रहे थे। उद्योगधन्धों में

कोरा ज़ोन कर वज़ीर को दे दिये। मित्र ने लिखा है कि सोने के खोंस से (रिश्वत) आकर्षित होकर ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य किया गया। हेस्टिंग्स का खोभ दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने ४०,००,००० चांदीस खानस अपना वज़ीर से लेकर रोहिदों का नाश किया। मि० जे० एच० क्लार्क (J. H. Clarke) ने अपनी 'British India and England's Responsibilities' नामक ग्रन्थ में लिखा है:—'there is no other instance of a civilised power entering into a war with the avowed object of destroying a people with which it had no quarrel' अर्थात् किसी भी सभ्य राष्ट्र के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि जिसमें उस राष्ट्र ने केवल ऐसे लोगों का नाश करने के लिए, जिनके साथ उसका कोई झगड़ा नहीं था, लड़ाई छेदी हो।

जैसा कि इतिहास के पाठकों को ज्ञात है, वारन हेस्टिंग्स की शासन में सहायता करने की एक सभा (Council) थी जिसके ५ सदस्य थे। इन सदस्यों में सर फिलिप्स फ्रान्सिस का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये बड़े निष्पक्ष और भारत-हितैषी थे। वारन हेस्टिंग्स के अत्याचार पूर्व शासन का ये सदा जोरदार विरोध किया करते थे। इन्होंने महाराजा नन्दकुमार के एक पत्र को, जिसमें वारन हेस्टिंग्स की रिश्वतखोरी के प्रमाण थे, कौंसिल के सामने रखा। इस पर वारन हेस्टिंग्स बड़ा क्रोधित हुआ और उसने कौंसिल से चुबे तौर से कहा कि उसे उक्त विषय पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

इतना ही नहीं वारन हेस्टिंग्स ने उल्टा नन्दकुमार पर जाही इस्तेमाल बनाने का आरोप लगाया और कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाया। उस समय सर एलिया इम्पे (Sir Elijah Impey) उक्त न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश था। वह वारन हेस्टिंग्स का मित्र व सहायक था। उसने न्यायान्याय व स्थानीय कानून का कोई विचार न कर महाराज नन्दकुमार को फांसी की सजा दे दी! यहां यह

वात ध्यान में रखना चाहिये कि तुलकाहीन स्वदेशी कानून में प्राचीन दस्तावेजों के लिए फ्रांसीसी का विधान नहीं था। कई निष्पक्ष इतिहास वेत्ताओं ने तो इस पत्र को जाही भी नहीं बताया है वरन् यह सारा महाराज नन्दकुमार को फ्रांस के एक यन्त्र था।

जब महाराज नन्दकुमार को फ्रांसीसी दी जाने वाली थी, तब घटना स्थल पर हजारों-बाराहों आदमी जमा हो गये थे। ज्यों ही उन्हें फ्रांसीसी के तहते पर ले जाया गया कि चारों तरफ हाहकार मच गया! कई लोग दुःख से बेहोश हो गये। दुःख और शोक का गहरा सन्नाटा छा गया। इसका हृदयद्रावक वर्णन 'Trial of Maharaja Nand Kumar' नामक ग्रन्थ में बड़े समस्पर्शी शब्दों में किया गया है।

टॉल्बोय (Talboys), व्हीलर (Wheeler), कोलब्रुक (Cole brooke) आदि अंग्रेज इतिहासवेत्ताओं ने वारेन हेस्टिंग्स के अत्याचारों और विरवासवातों का मार्मिक विवेचन किया है। उसके अन्वय की बेगमों पर जो पानाविक अत्याचार किये, उनका बर्क महोदय ने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के सामने दिख दहलाने वाला चित्र खींचा था। इन अधियों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में जो मुकदमा चला, उसमें बर्क और सेरेयान के जो ब्याख्यान हुए वे अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में एक अनमोच्य देन माने जाते हैं। इनके हृदयस्पर्शी ब्याख्यान सुनकर वारेन हेस्टिंग्स के भीषण अत्याचारों की कथा सुनकर—कई महिषासुर बेहोश होकर गिर पड़े! इन्फैंट में सन्नाटा छा गया। पर राजनीति के दृष्टिकोण सामने रखकर वारेन हेस्टिंग्स इन अधियों से मुक्त कर सिद्धा किया गया। पर इन पापों का प्रावणित उसे कुछ न कुछ भोगना पड़ा और अत्यन्त दरिद्रावस्था में उसका प्रायान्त हुआ।

कोलब्रुक (Cole brooke) नामक एक महान् इतिहास वेत्ता ने लिखा है "Warren Hastings's yoke was the heaviest that ever conquerors put upon the necks of conquered nations."

उद्योगधन्धे और व्यापार का नाश।

इस इण्डिया कम्पनी के नौकरों ने विविध प्रकार के क्रियाचारों से, भारत की व्यापार सम्पत्ति को किस प्रकार लूटा, इस का विवरण हम कर चुके हैं। उससे पाठकों को यह ज्ञात हुए किन्ना न रहा होगा कि अत्यन्त अपने स्वार्थ के लिये कैसे कैसे नीच कार्यों करने पर उतराक हो जाता है। अब हम यह विस्ताराना चाहते हैं कि हमारे उद्योग धन्धों का किस प्रकार नाश किया गया। किस प्रकार हमारा भारतवर्ष औद्योगिक शक्ति से नीचे गिराया गया। कितने ही लोग शायद यह कह सकते हैं कि भारत के उद्योग धन्धे विदेशी कारखानों के बने हुए मासुका मुकामका न कर सकने के कारण अपनी मौत आप मर गये थे। विदेशी नौ शक्ति-शाली बन्नों का आविष्कार हुआ और उनसे इतना सस्ता मासु निकलने लगा कि भारतीय मासु उनकी बराबरी न कर सका और वही उसकी शक्ति-शक्ति का कारण हुआ। हम किसी शंका तक इस बात को मानने के लिये तैयार हैं कि विद्यायत के शक्तिशाली बन्नों के द्वारा बने हुए मासु न कर सकने के कारण भारत के उद्योग धन्धों को चोट पहुँची। पर जिन लोगों को इन बन्नों के आविष्कार होने का हाल मालूम है, वे समझे हैं कि इन बन्नों की लक्ष्यता का कारण भारतवर्ष ही था। भारतवर्ष के उद्योग धन्धों पर अनुचित प्रहार न किये जाते और इन बन्नों के द्वारा बना हुआ मासु भारत न करीबता तो वे बन्त्र अपनी मौत का कारण बन गये। इन बन्नों के आविष्कार के पहले ही भारत के उद्योग-धन्धे उद्योगधन्धों पर किस किस प्रकार प्रहार पहुँचाये गये, इसका हमने हमने हमने इस पाठकों को सुनाते हैं। हम पहले बन्त्र के कारणों को बताने हैं।

के सुमनोहर रंगों से रंगे भी जाते थे और उन पर कसावत का बढिया काम भी किया जाता था ।

वाल्मीकि रामायण में भी सुमनोहर, मुलाबम और शारीक कपों का कई स्थानों पर वर्णन आया है । भारतवर्ष के अत्य प्राचीन ग्रन्थों में भी इस प्रकार के कई वर्णन आये हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि हजारों वर्ष पहिले भी हमारे यहां बढिया से बढिया सुन्दर वस्त्र काम में लाये जाते थे ।

कई प्राचीन ग्रीक और रोमन ग्रन्थकारों के ग्रन्थों से भी यह बात सिद्ध होती है । एक ग्रीक इतिहास वेत्ता ने स्वीकार किया कि ईसा के १००० वर्ष पहले हिन्दुस्तान में वस्त्र बनाने का उद्योग तरकी पर का और हिन्दुस्तान का सूती वस्त्र बनाने का उद्योग उतनाही प्राचीन है जितना इजिप्त का ऊनी वस्त्र बनाने का उद्योग है । ग्रीस से हीराडोटस नामक एक मशहूर प्रवासी ईसा के ४२० वर्ष पहिले भारतवर्ष में आया था । उसमें लिखा है कि भारतवासी अक्सर रुई के बने हुये बढिया और मुलाबम कपडे पहन्ते हैं । सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता स्ट्रैबो लिखता है कि "हिन्दुस्तान में अत्यन्त प्राचीन काल से रंग विरंगी झींटे, बढिया और मुलाबम मजामर्ज और सुन्दर रंग बनते थे । वेस नामक इतिहास वेत्ता ने तो यह मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है कि—

"The birth-place of cotton manufacture" is India where it probably flourished long before the dawn of authentic history" अर्थात् रुई से बनाये जानेवाले वस्त्र का जन्मस्थान भारतवर्ष है और प्रामाण्यभूत इतिहास काल के बहुत पहले ही यह उद्योग तरकी पर पहुँचा हुआ था ।

एसावस नाम का एक ग्रीक प्रवासी जो ईसा की पहली या दूसरी सदी में हुआ, उसने अपने "The circum-navigation

of the Erythraean sea" नामक ग्रन्थ में हिन्दुस्तान के बड़िया और सुन्दर बस्तों की बड़ी प्रशंसा की है। इस ग्रन्थ से यह भी मातृम होता है कि हिन्दुस्तान से चीटें, मसमसों और रई तथा रेशम के बने हुए विविध प्रकार के कपड़े अर्थात् व्यापार आदि दूर दूर देशों को जाते थे। इस समय मसमसों रई के बस्तों के बिकने संसार भर में प्रसिद्ध था। बङ्गाल में जैसी बड़िया मसमसों बनती थीं उस समय संसार के किसी भी देश में जैसी बड़िया मसमसों नहीं बनती थी। ग्रीक लोग यहां की बनी हुई मसमसों खरीदते थे। इन मसमसों को ग्रीक लोग "Gangi" के नाम से पुकारते थे क्योंकि गंगा नदी के किनारे ये बनती थी।

बौद्धकाल में यहाँ बड़िया मसमसों और विविध प्रकार के सूती और रेशमी कपड़े बनने के उद्योग मिलते हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता थॉमसन ने अपने इतिहास में लिखा है कि "बुद्ध ने धार्मिक लोगों को बारीक मसमस के कपड़े पहनने से मना किया था, क्योंकि उन्होंने गंगा नामक एक स्त्री को मसमस के बस्तों में नग्न देखा था"। अर्थात् मसमस के कपड़े पहनने पर भी वह स्त्री गंगा स्त्री दीख पड़ती थी।

सूत जो यहाँ बनता था उसके १०५ गज लम्बे टुकड़े का बॉक केवल एक स्ती होता था। एक बार केवल आध सेर रई में २२० मीट्र लम्बा सूत काता गया था। एक मसमस का धान जो एक बांस की छोटी नदी से निकाला जाता था, वह अम्बारी सहित हाथी को पुरतः ठक सकता था। कितने ही मसमस के धानों का तोख सादे आठ तोख होता था। यह धान १० गज लम्बे और आठ गिरह चौड़े होते थे और जंगली में होकर सहज ही निकाले जा सकते थे।

हिन्दुस्तान से सूती कपड़ा बनाने की कला प्रथम ही प्रथम अर्थात् काल को गई। अंग्रेजी कपड़ा "Cotton" यही कपड़ा "कपड़न" का विमल

दुआ रूप है। मार्को पोलो कहता है कि यंग्ना-नदी के किनारे के एक प्रदेशों में कपास विपुलता से पैदा होता है। यहाँ कपास का भाव भी विपुलता से बनता है।" तेरहवीं सदी में सूत के कपड़ बनाने की कला चीन को गई और चीन से जापान गई। दसवीं सदी में कपड़ों को गई और चौदहवीं में स्पेन से इटली को गई। मुसलमानों के द्वारा अफ्रीका में प्रचार दिया। इस प्रकार इस कच्चा का प्रचार सारे संसार में हुआ, पर वह न मूलाना चाहिये कि इसका जन्म स्थान भारतवर्ष ही था। वेन प्रकृति इच्छितानेका इस बात को मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हैं।

नौवीं सदी में यहाँ कुछ अरब प्रवासी आये थे। उन्होंने यहाँ की सभी हुई मजदमनों की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि इस "विशुद्धता" के इतने मसाधारण सुन्दर नरक बनते हैं कि जितने कहीं नहीं केने कभी एक मजदमन का धान एक छोटी सी डिबिया में सभा सकता है।" अरबों कालों में मार्को पोलो नामक प्रवासी आया था, उसने लिखा है "मजदमनी-काल में सबसे उम्दा और सर्वाङ्ग सुन्दर ऐसी बहिषा मजदमनों बनती हैं कि किसी संसार के किसी भी देश में नहीं बनती।" मुसलमनों के शासन-काल में भी इस बनाने का उद्योग बड़ी तरकी पर था। सम्राट् अकबर ने भारत के शिल्प वाणिज्य को बड़ा प्रोत्साहन दिया था। स्वर्गीय बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने अपने "सम्राट् अकबर" नामक ग्रन्थ में लिखा है :—

"सम्राट् अकबर ने शिल्प की भी बहुत उन्नति की थी। भारत के सभी प्रकार के शिल्प को उत्साह प्रदान किया था। दूरी कालों के शिल्प बहुत से स्थानों पर राजकीय शिल्परामद्वारों में ऐसी सुन्दर इमारतें, तीर्थ और कन्दूकें लैखर होती थीं कि वैदिकिक अमल कालों को देखकर आश्चर्य होता था। सम्राट् ने भारत में रेसम और कर्मादि के कपड़ बनाने के काम को भी बहुत उन्नत अवस्था में पहुँचाया था। कश्मीर और काशी में शाल के (दुगाले) उद्योग की उन्नति के लिये बहुत से उद्योग अर्थकर्मचारी किये थे। लैखों राजकीय शिल्प-

शाखाओं में बहुत सी वस्तुएं राजकीय ध्यय और तत्वावधान से प्रस्तुत होती थीं।" बाइज़ाह शाहचर्हीं ने भी भारतीय शिल्प को अच्छा प्रोत्साहन दिया था। औरंगजेब ने यद्यपि हिन्दुओं पर कई प्रकार के जुल्म किये थे पर उसके जमाने में भी उद्योग धन्वों की हालत बड़ी चढ़ी थी। उस जमाने में कितनी बढ़िया मलमलें बनती थी, इसका परिचय निम्न लिखित दृष्टान्त से होगा। एक समय सम्राट् औरंगजेब की लड़की रोशनमारा अपने पिता के सामने डाके की बनी हुई मलमल की २० पट को सादी पहने हुए आई। वह मलमल इतनी बारीक थी कि बीस पट खगाने पर उसका बदन ज्यों का त्यों दीखता था। औरंगजेब बड़ा नाराज़ हुआ और गुस्सा खाकर कहने लगा:—“ऐ बेशर्म और बेइया! मेरे सामने नंगी क्यों आई है? मेरी भांखों की ओट से एक दम इतना साफ़!” इस बात से पाठक जानते हैं कि औरंगजेब के शासन-काल में भी यहाँ कितनी बारीक, और बढ़िया मलमलें बनती थीं।

इसके बाद भी यह उद्योग ज्यों का त्यों उन्नतावस्था पर बना रहा। कई अंग्रेज लेखकों ने मुकक़र्रत से यह स्वीकार किया है कि अठारहवीं सदी तक यह उद्योग बड़ी अच्छी तरह चलता रहा था। सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मि० वेन ने लिखा है कि सन् १७३५ तक रई के बख़ केवल प्रान्त विशेष ही में नहीं बनते थे, पर सारे हिन्दुस्थान में बनते थे। यहाँ रई उसी तादाद में पैदा होती थी, जिस तादाद में अन्न पैदा होता था। बंगाल उमदा और बढ़िया मलमलों के लिये मशहूर था। कारोमरक़ के किनारे का मुक़ बढ़िया चीटों के लिये प्रख्यात था। सूरत मज्जु कपड़ों के लिये प्रसिद्ध था। मच्छलीपट्टम में बढ़िया रुमास बनते थे। कृष्णावदी के किनारे के मुक़ में बढ़िया रंग तैयार होता था।

रई (Chintzes और gingham) के तैयार करने में मच्छलीपट्टम की बड़ी कामगरी थी। लंबे कपड़े और चीटि-चीट (pinafore coats) यहाँ से आते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ काले रंग के क

विविध भाँति के भारतीय वस्त्र एशिया और युरोप के बाजारों में मशहूर थे ।” यह अंग्रेज इतिहासवेत्ता बेनका कथन है । इससे पाठक समझ सकते हैं कि अठारहवीं सदी तक बने हुए माल की संसार भर में कितनी बड़ा थी और किस प्रकार भारत के उद्योगधन्धे उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचे हुए थे ।

बंगाल से रॉयल एशियाटिक सोसायटी का एक जर्नल निकलता है । इसमें बड़े ही प्रमाणाभूत अन्वेषणात्मक ऐतिहासिक लेख निकलते हैं । इसके सन् १८३७ के एक अंक में हिन्दुस्तान की बनी हुई मखमल के मूल्य पर डाक्टर वॉट साहब ने एक लेख लिखा था । उसमें आपने लिखा था कि सन् १७७६ में सबसे बढ़िया मखमल की कीमत २६ पौंड थी । एक पौंड लगभग १२) का होता था । इस हिसाब से ७४०) रुपये हुए । पाठक सोच सकते हैं कि हिन्दुस्तान में कितनी बढ़िया २ मखमलों तैयार होती थीं । क्या आजकल की यन्त्रों की बनी हुई बढ़िया से बढ़िया बंकाशावर की मखमल इसकी बराबरी कर सकती है ? हिन्दुस्तान की बनी हुई मखमलों और अन्य वस्त्रों की प्रशंसा कई अंग्रेजों ने मुफ्त कबूट से की है । मि थॉर्नटन कहते हैं:—

“The Indian Muslins are fabrics of unrivalled delicacy and beauty.” अर्थात् हिन्दुस्तानी मखमलों इतनी सुखाकम और सुन्दर होती हैं कि उनकी बराबरी नहीं हो सकती ।” मि० एडमिन्स्टन लिखते हैं:—

“The beauty and delicacy of which was so long admired and which in fineness of texture has never been approached in any country.” अर्थात् इन मखमलों के सुखाकमपन और सुन्दरता की बड़े अर्थों से तारीफ हो रही है । इनकी बनावट इतनी उमदा है कि कोई देश इनके बराबरी की

मकमलें तैयार नहीं कर सका। एन साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है:—

The exquisitely fine fabrics of cotton have attained to such perfection that the modern art of Europe with all the aid of its wonderful machinery has never yet rivalled in beauty the product of the Indian loom." अर्थात् रुई के सौंदर्यशाली वस्त्र इतनी पूर्ण अवस्था पर पहुँच गये थे कि यूरोप की आधुनिक कला, सब प्रकार की अद्भुत मशीनरी की सहायता होते हुए भी हिन्दुस्तान के चरखे से बने हुए वस्त्रों के मुकाबले के वस्त्र नहीं बना सकी। इस प्रकार अनेक पाश्चात्य सज्जनों ने वहाँ के बने हुए अपूर्व और अद्वितीय वस्त्रों की मुक्त कवच से प्रशंसा की है। वेन ने अपने इतिहास में लिखा है कि हिन्दुस्तान की इन निहायत नाजुक और बारीक मकमलों के लिये यूरोप में कई लोगों का यह ख्याल हो गया था कि इनकी बुनावट मनुष्यों के हाथ से नहीं हुई है, पर ये मकदो जैसे कीड़ों की बुनावट के फल हैं। -

हिन्दुस्तानी मकमलों का और रेशमी कपड़ों का इंग्लैंड और अन्य पाश्चात्य देशों में इतना व्यापक रूप से प्रचार हो गया था कि सन् १६६६ में एक प्रमेज लेखक ने इस बात पर बड़ा दुःख प्रकाशित किया है कि इंग्लैंड के सब लोग साधारणतया हिन्दुस्तान के बने कपड़े पहनने लग गये हैं। सन् १७०८ में डेनियल डेफो (Daniel Defoe) ने अपने एक समाचार-पत्र में इस आशय का एक लेख लिखा था:—

“इंग्लैंड के लोगों की प्रवृत्ति पूर्व के बने हुए वस्त्रों की ओर जाती है। हिन्दुस्तानी कीटों और कृपे हुए कपड़े पहने कपड़े आदि बनाने ही में काम में लिये जाते थे, पर अब हमारी महिलाएँ तक इन्हें पहनने लग गई हैं..... औरों की तो बात ही क्या, कुछ कपड़े क

की शरीर चीना सिल्क और हिन्दुस्तानी धीरों पहनना पसन्द करती है। इस वक्त चारों ओर हिन्दुस्तानी कपड़ा नजर आ रहा है। हमारे बेठक-खानों में, हमारे चेम्बर में, हमारे घरों में लगे हुए पर्दों में, हमारे किचन में और तकियों में, हमारे बच्चों व स्त्रियों की पोशाक में, चारों तरफ हिन्दुस्तान के बने हुए वस्त्र नजर आते हैं। प्रायः सब कपड़ा हिन्दुस्तान से आता है। (Almost every thing that used to be made of wool or silk relating either to the dress of our women or the furniture of our houses was supplied by Indian trade.)

कहने का मतलब यह है कि एक समय इङ्ग्लैण्ड आदि पाश्चात्य देशों के बाजार हिन्दुस्तानी पक्के माख से भरे रहते थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी हिन्दुस्तानी माख के व्यापार में विस्वायत में सैकड़ा ८५ तक माफ़ कमाती थी। इतने पर भी विस्वायत में हिन्दुस्तानी माख बहुत फस्ता बेचा जाता था। यह बात विस्वायत वालों को खटकने लगी। उन्होंने देखा कि विस्वायत में हिन्दुस्तानी कपड़े वगैरे का शौक बढ़ता जा रहा है, लोग हिन्दुस्तानी कपड़ों पर बेतहाशा खट्टू हैं और हिन्दुस्तानी माख का प्रचार बे रोक टोक बढ़ने दिया गया तो इङ्ग्लैण्ड का औद्योगिक प्रयुद्ध न हो सकेगा और हिन्दुस्तान माखामाख हो जायगा। इन्हीं सब बातों का विचार कर इङ्ग्लैण्ड की सरकार ने हिन्दुस्तानी माख पर बहुत कड़ा महसूल लगा दिया। सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक चिलसन लिखते हैं—

"The cotton and silk goods of India up to the period (1813 A. D.) could be sold for a profit in the British market at a price 50 to 60 percent lower than those fabricated in England. It consequently became necessary to protect the latter

by duties of 70 and 80 percent on their value. Had this not been the case, had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of Paisley & Manchester would have been stopped in their outset, and could scarcely have been set in motion even by power of steam. They were created by sacrifice of the Indian manufacture. Had India been Independent, she would have retaliated, would have imposed prohibitive duties upon British goods and would thus have preserved her own productive industry from annihilation. This act of self-defence was not permitted to her, she was at the mercy of the stranger. British goods without paying any duty and the foreign manufacturer employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended with equal terms." इसका सारांश यह है कि हिन्दुस्तान का सूती और

रेशमी माख सन् १८२३ तक ब्रिटेन के बाजारों में इंग्लैण्ड के बने हुए माख के मुकाबले में सैकड़ा पोढ़े १० या ६० रुपये सैकड़े कम मूल्य पर बेचा जा सकता है और इसीलिए विलायती माख की रक्षा के लिये ७० से ८० तक भारत के कपड़ों पर महसूल लगाना आवश्यक प्रतीत हुआ। अगर ऐसा न किया जाता, अगर हिन्दुस्थानी माख के रोक के लिये यह महसूल न लगाया जाता तो पेशवे (Paisely) और मैन्चेस्टर के कारखाने शुरू ही से बन्द हो गये होते और भाऊ की सक्ति से भी संभव ही फिर चले होते। वे भारत की कारीगरी और वाणिज्य का प्यंज करने ही बन्दे किये गये हैं या जिंदाबन्दे रखे गये हैं। अगर हिन्दुस्तान रखा

होता तो वह इसका बदला चुकाता और वह भी ब्रिटिश माछ के रोक के लिये महसूल लगाता और इस तरह अपने उद्योग धन्धों को नाश होने से बचा लेता । हिन्दुस्थान को आत्मरक्षा का मौका नहीं दिया गया । वह विदेशियों के दया का भिखारी था । ब्रिटिश माछ बिना किसी प्रकार के महसूल के उस पर छादा गया और विदेशी कारीगरों ने राजनैतिक अन्वय के शस्त्र का अवलम्बन कर इसे (भारत के उद्योग को) नीचे गिरा दिया गया और अंत में उसके बराबरी में लड़ा न हो सकने के कारण उसका गला घोट दिया ।”

पाठक ! एक अंग्रेज ही के लिखे हुए वृत्तान्त से अनुमान कीजिये कि हमारे उद्योग धन्धों और व्यापार के साथ इंग्लैंड ने कैसा सुलूक किया । हमारे यहाँ से जाने वाले माछ पर तो सैकदा ८० और पीछे जाकर ८५ तक कर बैठाया गया और वहाँ से आने वाले माछ पर नाम मात्र २॥ ६० सैकदा या कुछ भी कर न रखा गया । मसाला प्रान्त में क्वालि को नामक छीट का कपड़ा बनता था और बहुत तादाद में विक्रयत जाता था । परन्तु इस व्यवसाय को नाश करने के लिये भी पहले डेढ़ आने से तीन आने की मज महसूल बैठाया गया । जब इतने से भी काम न चला अन्व तो सन् १७२० ईसवी में कानून बनाया कि जो लोग विक्रयत में हिन्दुस्थानी क्वालिको (छीट) को बेचेंगे उनपर २० पौंड यानि २०० रुपया और जो खरीदेंगे उनपर पचास रुपया जुर्माना होगा ।

आजकल यह है कि इतने पर भी हिन्दुस्थानी माछ की आवाज न रुकी । इस पर और भी कड़े कानून बनाये गये ! हर तरह से हिन्दुस्थानी माछ को रोकने का प्रयत्न किया गया और ब्रिटिश माछ का हिन्दुस्थान में वे रोक टोक प्रचार होने दिया गया । इंग्लैंड की देखा देखी यूरोप के देशों ने भी हिन्दुस्थानी माछ को रोकने के लिये इसी प्रकार के कड़े कानून बनाये और उस पर इतना भारी महसूल लगा दिया कि वह बिक न जा सके । वेन ने लिखा है—

“Not more than a century ago, the cotton fabrics of India were so beautiful and cheap that nearly all the governments of Europe thought it necessary to prohibit or load them with heavy duties to protect their own manufactures.” अर्थात् हिन्दुस्थान के वस्त्र इतने सस्ते और सुन्दर थे कि कोई एक सदी का भी असा न हुआ होगा कि यूरोप के तमाम सरकारों ने अपने शिल्प की रक्षा के लिये हिन्दुस्थान के सूती वस्त्रों को रोकना या उन पर भारी महसूल लगाना आवश्यक समझा। इङ्ग्लैंड हिन्दुस्थानी वस्त्रों पर दिन प्रति दिन किस किस प्रकार महसूल बढ़ाता गया, इसकी एक तालिका हम यहाँ के लेख के आधार पर नीचे प्रकाशित करते हैं:—

सन् । सफेद कूटों प्रति सैकड़ा टेक्स । महसूलों पर की सैकड़ा टेक्स

	पौंड लि०	पौंड लि०
१७८७	१६—१०	१८—०
१७९७	१८—३	१९—१६
१७९८	२१—३	२२—१६
१७९९	२६—९	३०—३३
१८०२	२०—१	३०—१२३
१८०३	२६—१	३०—१८३
१८०४	६५—१२	३४—७
१८०५	६६—१८	३५—०
१८०६	७१—१३	३७—६
१८१६	८५—२	४४—६

उपरोक्त तालिका से पाठकों को यह माखूम हुए बिना न रहा होगा कि हिन्दुस्थानी कूटों पर ८५ प्रति सैकड़ा तक महसूल लगाया गया

या। इससे हिन्दुस्तानी वस्त्रों के उद्योग को किस प्रकार हानि पहुँची होगी इसका अनुमान पाठक स्वयं कर लें ? सचमुच हिन्दुस्तान के व्यवसाय का अत्याचार से गला घोंटा गया। इंग्लैण्ड के व्यवसायी लोग हिन्दुस्तानी माख पर भारी से भारी महसूल बगवाकर और हिन्दुस्तान में बिना महसूल दिये माख भेजने का प्रबन्ध कर इंग्लैण्ड के व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। उस समय अगर उन्हें किसी बात की चिन्ता थी तो यही थी कि किसी प्रकार हिन्दुस्तान में विजायती माख को खपत ज्यादा हो। हाउस आफ् कामन्स की सिलेक्ट कमेटी के सामने जॉन रेकिंग नामक एक अंग्रेज व्यापारी ने सन् १८१३ में अपनी गवाही में यह स्वीकार किया था कि हिन्दुस्तानी माख पर जो कड़ा महसूल और शोक लगाई गई है, उसका उद्देश्य हमारे उद्योग धन्धों को रक्ष करना है।

जान पड़ता है कि सन् १८१० में पार्लियामेण्ट की एक जांच कमेटी इसलिये बैठी थी कि वह इस बात की जांच करे कि इंग्लैण्ड के करीगरों के काम को किस प्रकार बढ़ाया जाय। यह बात उन प्रश्नों से साफ साफ मालूम होती है जो इसने उन लोगों से किये थे जो इसके सामने गवाही देने आये थे। वॉरनहेस्टिम्ज से यह प्रश्न किया गया था:—

“From your knowledge of the Indian character and habits, are you able to speak to the probability of a demand of European commodities by the population of India, for their own use?”

अर्थात् हिन्दुस्तानियों के स्वभाव तथा आचरण के सम्बन्ध में आप की किसनी जानकारी है, उसके अनुसार क्या आप कह सकते हैं कि हिन्दुस्तानी लोगों के लिये युरोप की बनी चीजें खरीदना संभव है कि नहीं ? इसी प्रकार के प्रश्न सर जान माल्कम, थामस मनरो आदि गवाहों से भी पूछे गये थे। इसके उत्तर में सभी ने प्रायः इस आशय के

व्यक्त करते थे "हिन्दुस्तान की बनी हुई चीजें ही हिन्दुस्तान की बहसियों को पूरी कर सकती हैं। हिन्दुस्तानी बिलकुल विश्वास प्रिय नहीं है। हिन्दुस्तानी मजदूर महीने में तीन या चार रुपये से अधिक पैदा नहीं कर सकते। हिन्दुस्तानियों में विलायती चीजों के आदर होने की सम्भावना नहीं है।" सर थामस मनरो ने इसी समय कहा था कि हिन्दुस्तानी माख विलायती माख की अपेक्षा कई गुना अच्छा होता है। एक हिन्दुस्तानी शाखको हम सात वर्ष से काम में ला रहे हैं और इतने दिन उपयोग में लाने पर भी उस में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

हिन्दुस्तान की कारीगरी को और वहाँ के व्यवसाय को नष्ट कर विदेशी विलायती माख की खपत बढ़ाने के लिये और भी कितने ही पृथिवित और लज्जादायक उपाय किये गये। पाठक यह सुनकर आश्चर्य करने कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत की कारीगरी पर भी कदा महसूल लगा दिया था। लॉर्ड बेंटिंग के समय में इस विषय पर जो अनुसन्धान हुआ था, उससे यह प्रगत होता है कि विलायत का कदा हुआ रूपदा भारत में केवल मात्र २१)६० प्रति सैकड़ा महसूल देकर केवल भारत का और भारत ही के बने हुए कपड़े पर भारत ही में १७१) प्रति सैकड़ा महसूल लगता था। देशी शरकर पर विलायती शरकर से इसी काल में ५) ६० अधिक महसूल लगता था। देशी चमड़े की चीजों पर इसी काल में १५) ६० प्रति सैकड़ा महसूल देना पड़ता था। इस प्रकार भारत में तैयार होने वाली कोई २२५ प्रकार की कारीगरी की वस्तुओं पर बड़ा ही अनुचित महसूल लाकर भारत का औद्योगिक संवर्धन प्रतिक्रम गया।

इससे ऊपर अब तक विशेष तौर से कपड़े ही का विवेचन किया है, पर इस वक्त इंग्लैण्ड की सरकार ने कपड़े के अतिरिक्त और भी कितनी ही हिन्दुस्तानी चीजों पर कदा महसूल लगाया था, उसका एक शीर्षक नीचे प्रकाशित करते हैं—

नाम वस्तु	महसूल	नाम वस्तु	महसूल
शिव कुवार	७०) से २८०)	बकरो के उनकौ चीजे	८४॥=)
हींग	२३३) से ६२२)	घटाई	८४॥=)
इलायची	१५०) से २६६)	मसखिन (तनजेब)	३२॥)
काफी	१०५) से ३७३)	क्याखिकों	८१)
काफी मिर्च	२३६) से ४००)	कपास का कपड़ा	८१)
चीनी	६४) से ३६३)	खाल	८१)
बाब	६७) से १००)		

रेशमी कपड़े की उस वक्त विलायत में जाने की बिलकुल मनाई थी। यदि कोई रेशमी कपड़ा विलायत में मंगाना था तो उसे विलायत के बंदर में उठने न देकर उसी घड़ी खौटते जहाज पर भारत में भेज दिया जाता था।

इन सब अत्याचारों और ज्यादतियों का फल यह हुआ कि दिन प्रतिदिन देशी शिल्प और व्यवसाय की जड़ कटने लगी और उसके स्थान में विलायती मासु की आमद बढ़ने लगी। इसका फल यह हुआ कि सन् १७६४ में जिस भारत में १५६ पौंड से अधिक विलायती सूती कपड़ा नहीं आया था वहीं सन् १८०६ में १ लाख १८ हजार ४ सौ पौंड से भी अधिक विलायती सूती कपड़ा आया। इसके आगे भी विलायती कपड़े की आमद उन दिनों में कैसी कैसी बढ़ती गई और भारत की कम होती गई, उसकी एक लाखिका नीचे प्रकथित करते हैं।

सन्	विलायत से आया	विलायत को गया
१८१४	८१,२०८ गज	१२६६६०८
१८२१	१६१३८,७२६	१३३४६२
१८२८	४२८२२,०७७	४२२६०४
१८३६	६१७७७,२७७	३०६००६

इस तालिका से पाठकों को मालूम हुआ होगा कि उस समय विद्यावती मास की आमद किस प्रकार बढ़ती गई और भारत की आमद किस प्रकार घटती गई। सन् १८३२ के बाद तो यह और भी अधिक तीव्र गति से बढ़ने लगी। इसके बाद भारत में किस प्रकार विदेशी कपड़ा आया सो पाठक देखिये।

सन्	रुपयों का कपड़ा आया
१८८४-८५	२४२६१०४८३
१९०३-०४	३०८४२८४६२
१९११-१२	४२८८८००००
१९१२-१३	५३३०४००००
१९१५-१६	३०७६२५०००
१९१७-१८	५६२१२८०००
१९१८-१९	६०२२४८०००

महायुद्ध के पहले के सालों का हिसाब देखने से मालूम होता है कि उस समय करोड़ों रुपयों का अनाथ सबाप कपड़ा आता था। महायुद्ध के कारण वह आमद महायुद्ध के पूर्व के वर्षों से बहुत कुछ कम हो गई थी, पर महायुद्ध समाप्त होते ही फिर किस प्रकार भारत में विदेशी कपड़ा और सूत बढ़ता जा रहा है वह उपरोक्त अंकों से स्पष्ट ज्ञात होता है। वद्यपि उपरोक्त अंकों में विद्यावती के सिवाय अन्य देशों से भी कपड़ा आया है पर औसतन सैकड़े पीछे ८० ह० का मास विद्यावती से ही आया है।

यह तो हुई भारत और इंग्लैंड के बीच के व्यवसाय की बात। इंग्लैंड की तरह अन्य पाश्चात् राष्ट्रीयों में भी भारत के मास की आमदनी कम होने लगी।

अमेरिका, डेनमार्क, स्पेन, पोर्चुगल, मोरिस तथा दक्षिण अफ्रिका के दूसरे देशों में भी भारत के मास की आमदनी कम होने लगी। सन्

१८०१ में भारत से अमेरिका १३६३३ गाँठें कपड़ा गया था, सन् १८२६ में यह संख्या घटकर केवल २५८ रह गई। सन् १८०० ईसवी तक डेनमार्क में प्रतिवर्ष कम केरा १७५० गाँठें कपड़ों की रफ्तानी होती थी, किन्तु सन् १८२२ के आगे यह संख्या केवल १५० रह गई। सन् १७६६ ईसवी में हिन्दुस्थान से ६७१४ गाँठें पोर्चुगाल गई थीं, पर सन् १८२० में यह नम्बर १००० ही रह गया। मुहम्मद रजाख़ाँ के जमाने में बङ्गाली जुलाहे ६ करोड़ बङ्गालियों की कपड़े सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति करके भी १५ करोड़ रुपये के कपड़े विदेशों को भेजते थे पर आज भोजना तो दूर रहा, करोड़ों रुपये के कपड़े विदेशों से यहाँ आते हैं और भारतवासियों की कल सम्बन्धी आवश्यकता अधिकांश रूप से विदेशी कपड़ों से पूर्ण होती है।

डाक्टर बुकानंद ने कम्पनी की आज्ञा से सन् १८०७ में उत्तर भारत की कारीगरी और वाणिज्य की दशा जानने के लिये पटना, शाहाबाद, वार्धे स्थानों में पर्यटन किया था। उनकी जाँच से मालूम हुआ कि उस समय वहाँ २४०० बीघे ज़मीन में रुई की और १८०० बीघे ज़मीन में ईला की खेती होती थी। वहाँ ३३०४३६ औरतें केवल सूत कातकर अपनी जीविका चलाती थीं। दिन भर में कुछ घण्टे काम कर ये १० लाख ८२ हजार ५ रुपये नफ़ा पाती थीं। अंग्रेज़ व्यापारियों की ज्यादातियों से महीन सूत की रफ्तानी रुकने के साथ ही साथ उनका व्यवसाय घटने लगा और उनके जीविका की जड़ कटने लगी। जुलाहे भी, वहाँ, कपड़े बुनकर वार्षिक स्वर्च का निर्वाह कर साढ़े सात लाख रुपया नफ़ा का पाते थे। फ़तुहा, गया नवादा आदि स्थान टसर के लिये मशहूर थे। शाहाबाद में कोई १५६५०० स्त्रियां प्रतिवर्ष १२॥ लाख रुपया सूत कात कर कमाती थीं। उस ज़िले में ७६५० करघे चलते थे। इसके अतिरिक्त कागज़, सुगन्धित वस्तुएं तेल, नमक आदि वस्तुओं का व्यवसाय भी बड़े जोर पर था। भागलपुर में चाँवल का भाव रुपये का ३७॥ सेर था। उस समय उस ज़िले में १२००० बीघे ज़मीन पर कपास की खेती होती

थी ! वहाँ उत्तर बुनने के लिये ३२७५ करघे और कपड़ा बुनने के लिये ७२७६ करघे चलते थे । गोरखपुर में जहाँ १७५६०० स्त्रियाँ चरखे से सूत कातती थीं, वहाँ ६११४ करघों पर भी वस्त्र बुने जाते थे । २०० से ४०० तक नावें भी प्रतिवर्ष बनती थीं । इन सबों के अतिरिक्त वहाँ नमक और शक्कर बनाने के भी अनेक कारखाने थे । दीनाजपुर जिले में २६००० बीघे पर पट्टाआ, २४०० बीघे पर रुई, २४००० बीघे पर ईख, १५००० बीघे में नील और १५०० बीघे में तमाखु की खेती होती थी । इस जिले में १३ लाख से भी अधिक गायें और बैल थे । ऊँची जातियों की बहुतेरी विधवायें और किसानों की स्त्रियाँ सूत कात कर खर्च के अतिरिक्त ६१५००० रुपये फायदे में पाती थीं । वहाँ ५०० रेशम व्यवसायियों के घराने १२००००० रुपये नफे के पाते थे । वहाँ जुलाई प्रतिवर्ष १६ लाख १४ हजार रुपये के कपड़े बुनते थे । मालदह जिले की मुसलमान स्त्रियों में सुई की कारीगरी का बहुत ही अधिक प्रचार था । सूत और कपड़े में भाँति भाँति के रंगों को चढ़ाकर हजारों मनुष्य अपना गुजर करते थे । इसके अतिरिक्त पूर्निया जिले में स्त्रियाँ प्रतिवर्ष लगभग ३ लाख रुपयों का कपास खरीद कर जो सूत कातती थीं, उससे उनको १३ लाख रुपये मिल जाते थे । वहाँ दरी, फीता आदि का व्यवसाय भी बड़ी तरकी पर था । अफसोस है कि कई प्रकार के कुटिल और अत्याचारी उपायों के द्वारा हमारा शिल्प-व्यवसाय मिट्टी में मिला दिया गया और हमारा देश, जो एक समय औद्योगिक संसार का शिरोमणि था इतनी अधोगति की स्थिति की पहुँच गया कि आज उसे अपनी साधारण आवश्यकता की पूर्ति के लिये दूसरों का मुँह ताकना पड़ता है । ७५ वर्ष में अर्थात् सन् १७५७ से १८२६ तक के अर्से में हिन्दुस्थान की औद्योगिक इमारत निर्दयता के साथ गिरा दी गई !

अब कि इस औद्योगिक इमारत को गिराने की कुटिल चालें चलीं जा रही थीं, उस वक्त हिन्दुस्थानी कारीगरों ने अपनी औद्योगिक रक्षा के लिये कम्पनी के अधिकारियों से बहुत प्रार्थनायें कीं और कहा कि जैसा सुल्क

विज्ञापित करने के साथ किया जाता है, वैसाही देशी मास के साथ भी किया जावे, पर उनकी बात स्वीकृत न हुई। सन् १६३१ के सेप्टेम्बर मास में बंगाल के १७२ सज्जनों ने विज्ञापित को निम्न लिखित आशय का प्रार्थनापत्र भेजा:—

“हम बंगाल के नीचे सही करने वाले, सूती और रेशमी कपड़ा बनाने वाले तथा इनका व्यवसाय करने वाले, श्रीमानों की सेवा में अत्यन्त नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के वस्त्र बंगाल में आजाने के कारण हमारा व्यवसाय नष्ट होला जा रहा है। ग्रेट ब्रिटेन का कपड़ा बिना किसी प्रकार के महसूल दिये ही कसरत से यहां आता है। हमारे व्यवसाय और उद्योग की रक्षा के लिये ग्रेट ब्रिटेन के बने हुए कपड़ों पर किसी प्रकार महसूल नहीं लगाया गया। इसके विपरीत बंगाल के बने हुए कपड़ों पर ग्रेट ब्रिटेन में अनाप सनाप महसूल लगाया गया है। हम श्रीमानों का ध्यान इन स्थितियों की ओर दिखाना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि साम्राज्य के किसी हिस्से के उद्योगधन्धों और व्यवसाय मार्ग में बाधा न डाली जावगी। हम भी श्रीमानों से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वेही हक दिये जावें जो अन्यत्र ब्रिटिश प्रजा को प्राप्त हैं और हमें आशा है कि बंगाल के बने सूती और रेशमी कपड़ों को विज्ञापित में बिना महसूल और रोक टोक के आने की इजाजत दी जावगी, जैसी ग्रेट ब्रिटेन के कपड़ों को बिना महसूल और रोक टोक के यहां आनेकी इजाजत है.....हमें पूर्व आशा है कि श्रीमान् अपनी उदारता को बढ़ावेंगे और जातिपांति, देश और रंग का पक्षपात न कर श्रीमान् हमें ब्रिटिश प्रजा के हक देंगे”। इस प्रकार के और भी कितने ही प्रार्थनापत्र भेजे गये थे, पर अफसोस है कि एक की भी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई हो भी कैसे सकती थी क्योंकि इससे अंग्रेज कारीगरों और व्यवसायियों के स्वार्थ में हानि पहुँचने का डर था:—

जब भारतीय शिल्प की जड़ प्रायः कट चुकी, जब यहां के वस्त्र-व्यवसाय मृतप्रायः स्थिति को पहुँच गये और जब भारतीय धन से विलायत मासामल हो चुका और वहां के कारखानों को उन्नति करने की काफी सुराह मिल गई, जब वाष्पीय बन्त्रों के आविष्कार से स्व सस्ता माल निकलने लगा तब इंग्लैंडवालों ने सन् १८३६ ई० में उदारनीति की घोषणा कर स्वतन्त्र व्यापार-नीति (Free-trade Policy) को अंगीकार किया। इससे भारत के बने माल पर जो अब तक महसूल देना पड़ता था वह बंद हो गया। यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि जब तक इंग्लैंड के उद्योग-धन्धे अपरिपक्व अवस्था में थे और दूसरे देशों के उद्योग धन्धे का मुकाबला न कर सकते थे, तब तक उन्होंने केवल संरक्षण नीति (Protection) का अवलम्बन ही नहीं किया था, पर विविध प्रकार के कुटिल मार्गों का भी अवलम्बन किया था, जिसका विवेचन हम ऊपर कर चुके हैं। इसके बाद तो भारत में चारों ओर विलायती माल दीलने लगा। भारत का वस्त्र व्यवसाय पहले ही नष्ट हो चुका था और इस वक्त वह ऐसी पंगु स्थिति में था कि वाष्पाय या वियुत् शक्ति के द्वारा चलनेवाली मशीनों से बने हुए वस्त्रों का किसी प्रकार का मुकाबला नहीं कर सकता था। इससे करोड़ों रुपये के विलायती वस्त्र भारत में आने लगे और भारत से इसके बदले में प्रचुर सम्पत्ति जाने लगी।

इस प्रकार विलायती सूत और वस्त्र का परिमाण बढ़ता गया। अगर कुद की बाधा न आती तो वह परिमाण कितना बढ़ जाता, इसकी कल्पना करना कठिन है।

जब इस प्रकार भारत का व्यापार धन विदेशों में जाने लगा तब कुद लोगों की आंखें खुलीं और उन्होंने फिर विलायत से कलें मंगा कर कपड़े बनाने का काम शुरू करने का विचार किया। कोई साठ वर्ष पहले की बात है कि कम्बई निवासियों ने इस प्रकार का

प्रयत्न करना शुरू किया। जब अंग्रेजों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि विलम्बित से भारत में कल आदि मँगाने के लिये अधिक महसूल देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर विदेश से कलें मँगाने का कारखाना खड़ा करने में कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं उसका अंदाज़ा भी पाठक लगा सकते हैं, इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी लोगों का ध्यान स्वदेशी कारोबार की ओर बढ़ने लगा और सन् १८८२ ई० में यह मिलें अच्छी तरह चलने लगीं और महीन चीतियां बनाने लगीं। पर अभाग्यवश इनका परिणाम यह हुआ कि भारत में महीन कपड़े बनाना असम्भव हो गया। एक बड़ी भारी विपत्ति का सामना और करना पड़ा। भारतवासियों की यह सफलता देख कर विलायती व्यापारियों के कान खड़े हो गये और उन्होंने भारत सरकार पर दबाव डाल कर भारत में आने वाली अमेरिका की खम्बी तन्तु वाली कपास की आमद रोकने के लिये उस पर २) फी सेंक का महसूल लगावा दिया और मिश्रकी रुई को भी भारत में आने से रूकवा दिया। इतना होने पर भी एक नयी विपत्ति और सामने आई। सरकार ने यह कह कर कि आमदनी से खर्च ज्यादा हो रहा है इसलिये सन् १८६८ ई० में एक कानून पास किया कि देशी माख पर प्रति सैंकड़े ३) ८० टैक्स लगाया जाय। इस पर देश में बड़ा असंतोष फैला और लोगों ने साफ़ साफ़ कहा कि भारत सरकार की यह नीति केवल विलायती कारखाने वालों की रक्षा के लिये है जिससे देश में स्वदेशी प्रचार के बढ़ने से वहाँ का माख महंगा न पड़े अतएव इसे रद्द करने के लिये जगह जगह प्रस्ताव पास हुए। पर खेद है कि सरकार ने लोगों की बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। इसका नतिजा यह हुआ कि स्वदेशी माख पहले की अपेक्षा और महंगा हो गया। यहाँ पर पाठकों को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि देश में बनी हुई किसी वस्तु या कपड़े पर जो देश ही में बेचा जाता हो टैक्स लगाने का नियम पराधीन भारत को जोड़ कर और किसी अन्य उपनिवेश में नहीं था।

ईस्ट इण्डिया कंपनी के शासन में समृद्धिशाली भारत दरिद्र हुआ ।



यह बात तो शायद कोई भी अस्वीकार न करेगा कि भारत की साम्प्रतिक और व्यापारिक कीर्ति सुनकर हमारे अंग्रेज व्यापारीगण यहाँ आये थे । उस समय भारत कितनी उन्नतावस्था पर पहुँच गया था, इस बात का पता उन्हीं के लेखों से चलता है । लार्ड क्लाइव, जिसे भारत में अंग्रेजी शासन के प्रथम संस्थापक होने का श्रेय प्राप्त है, मुर्शिदाबाद शहर की समृद्धि का वर्णन करते हुए लिखता है:—

“The city is as extensive, populous and rich as the city of London, with this difference that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last city.” अर्थात् “यह नगर लंदन की तरह विस्तृत, जनाकीर्ण और धनवान् है । इन दोनों शहरों में अन्तर केवल यही है कि पहले शहर (मुर्शिदाबाद) के लोगों के पास दूसरे शहर (लंदन) के लोगों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा सम्पत्ति है ।” सि० हावेल् ने रिफ़ॉर्म पेंफ़्लेट के “Tracts of India” नामक पुस्तिका में लिखा है:—

“In the year that Hyder established his sway over Mysore, Bengal, the brightest jewel in the Imperial Crown of the moguls, came into British possession. Clive described the new acquisition as a country of inexhaustible riches and one that

could not fail to make its new masters the richest corporation in the world. Bengal was known to last as the Garden of Eden the rich Kingdom Here the property as well as the liberty of the people are inviolate." अर्थात् जिस साल हैदरअली ने मैसूर पर अपना आधिपत्य जमाया उसी साल मुगल साम्राज्य का सर्वोच्चतम-रत्न-बङ्गाल-ब्रिटिश के अधिकार में आया। क्लाइव ने इस नये राज्य को "असूय सम्पत्ति का देश" तथा अपने नये स्वामियों को संसार में सबसे अधिक धनवान् बनाने वाला देश कहा है। पूर्व में बंगाल 'एडन का बगीचा' अर्थात् समृद्धि शाली देश के नाम से मशहूर था। यहां के लोगों की मिलिक्यत और स्वाधीनता अखण्ड थी। उस समय लोगों में कितनी सच्चाई और ईमानदारी थी उसका वर्णन आगे चल कर फिर इसी में किया गया है:—

"If a bag of money or valuables is lost in this district the man who finds it hangs on a tree and gives notice to the nearest guard" अर्थात् इस जिले में यदि किसी व्यक्ति को धन की तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की थैली भिन्न जाती है, तो वह उसे किसी वृक्ष पर लटकवा देता है और सबसे पासवाले पहरेदार को उसकी सूचना दे देता है।" अलीवर्दीखान के शासन-काल में बङ्गाल की कैसी स्थिति थी इसके बारे में स्टुअर्ट साहब 'History of Bengal' नामक ग्रन्थ में लिखते हैं:—

"Such was the state of Bengal when Alivardikhan..... assumed its government. Under his rule...the country was improved, merit and conduct were the only passports to his favour. He placed Hindus on an equality with musalmans, in

choosing ministers & nominating them to high military & civil command. The revenues instead of being drawn to the distant treasury of Delhi were spent on the spot."

इसका सारांश यह है कि अलीवर्दीखान के शासनकाल में देश की अवस्था बहुत उन्नत हो गई थी। उसने हिन्दू और मुसलमानों को एक निगाह से देखा और शासन विभाग और फौजी विभाग के बड़े से बड़े पदों पर नियुक्त करने में भी हिन्दू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं रक्खा। जो कुछ प्रजा से कर रूप में आमद होती थी वह वहीं पर खर्च की जाती थी और देहली के खजाने में नहीं भेजी जाती थी।

यह तो हुई बङ्गाल में अलीवर्दीखान के शासन काल की बात। इसके बाद, कोई दस वर्ष का भी अर्सा न हुआ होगा कि बङ्गाल में ईस्ट-इंडिया कम्पनी का शासन हुआ। तब से उसकी स्थिति में परिवर्तन होने लगा। इस समय का हाल-खुद लार्ड क्लाइव ने लिखा है। वह लिखता है:—

"Every ship for some time had brought alarming tidings from Bengal. The internal misgovernment of the province had reached such a pitch that it could go no further" अर्थात् "कुछ अर्से तक हर एक जहाज बङ्गाल से भयभीत करनेवाले समाचार लाता था। प्रान्त का मोतरी कुशासन ऐसी हद तक पहुँच गया था कि जिसके पार वह जा ही नहीं सकता था।" स्टुअर्ट महोदय ने भी इस समय की भीषण स्थिति का हृदय-भेदक चित्र लिखा है। उन्होंने कम्पनी के नौकरों के भीषण अत्याचारों को—उनकी रिशवतखोरी को—उनके स्वार्थ साधन के नीचातिनीच कृत्यों को—अपनी "History of Bengal" नामक ग्रन्थ में बड़ी सच्ची तरह दिखलाया है। उन्होंने एक जगह लिखा है:—

“The servants of the Company obtained for themselves a monopoly of almost the whole internal trade. They forced the natives to buy dear & sell cheap. They insulted with impunity the tribunals, the police and fiscal authorities.... Every servant of British factory was armed with all the power of the company..... Enormous fortunes were thus rapidly accumulated at Calcutta while thirty millions of human beings were reduced to an extremity of wretchedness..... Under their old masters... when evil became unsupportable, the people rose and pulled down the Government. But the English Government was not to be shaken off. The Government, oppressive as the most oppressive form of barbarous despotism, was strong with all the strength of civilization.” अर्थात् कम्पनी के नौकरों ने देश के आन्तरिक व्यापार को अपने मुट्ठी में कर लिया था। वे यहाँ के निवासियों को महंगे भाव में खरीदने और सस्ते भाव में बेचने के लिए मजबूर करते थे। वे अदालत, पुलिस और अर्थ-विभाग के अधिकारियों का स्वच्छन्दता से अपमान और बेहज्जती करते थे। ब्रिटिश फेक्टरी का प्रत्येक नौकर कम्पनी के सब अधिकारों से सज्जित था। इस प्रकार कलकत्ते में इन लोगों ने अपार सम्पत्ति इकट्ठी कर ली और तीन करोड़ मानव प्राणियों की चरम सीमा पर पहुँच गये। इन अमागीं के पुराने स्वामियों के राजत्व में जब शासन असहनीय हो जाता था, तब लोग उठते और वे उस सरकार को गिरा देते। पर अंग्रेज सरकार का शासन हॉबानोब नहीं किया जा सकता था। इस सरकार का शासन कानूनी स्वेच्छाचारी शासन के समान अत्याचारी होते हुए भी सम्यता की सर्वशक्ति के साथ सुदृढ़ था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में समृद्धिशाली भारत दरिद्र हुआ १८१

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आने के पहले अवध भी अत्यन्त वैभव-शाली अवस्था में था। लोगों पर बिना बोझ पड़े ही तीस लाख की की आमदनी हो जाती थी; पर जब इस पर भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नौकरों का हथखड़ा चलने लगा, तब इसकी अत्यन्त दुर्दशा हो गई। उसकी आमदनी आधी रह गई। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिङ ने लिखा था:—

“I fear that our encroaching spirit and the insolence with which it has been exerted has caused our alliance to be as much dreaded by all the powers of Hindustan as our arms. Our encroaching spirit, and the uncontrolled and even protected licentiousness of individuals, has done injury to our national reputation. Every person in India dreads a connection with us.”

इसका भावार्थ यह है कि हिन्दुस्थान के सभी राष्ट्र जितना हमारे बल से डरते हैं उतना ही हमारे साथ सन्धि और मैत्री करने से डरते हैं। इसका कारण यह है कि हस्तक्षेप करने का हमारा स्वभाव है, और हम इस स्वभाव का द्योतन जिस प्रकार करते हैं उससे दूसरों का बड़ा अपमान होता है। इस हस्तक्षेप करने की प्रकृति ने और कुछ व्यक्तियों की निरंकुश स्वेच्छाचारिता ने, जिनकी हमारे द्वारा रक्षा होती है, हमारी जातीय कीर्ति को बड़ी हानि पहुँचाई है। भारतवर्ष का प्रत्येक मनुष्य हमारे साथ सम्बन्ध करने से घबराता है।

Anquetil du Person नामक एक सज्जन ने "Gentleman's magazine" में सन् १७१२ में "Brief account of a voyage to India" नामक लेख प्रकाशित करवाया था उसमें उसने मराठा-राज्य का हाल लिखा था:—

“When I entered the country of the Marathas, I thought myself in the midst of the simplicity and happiness of the golden age, where nature was yet unchanged, and war & misery was unknown. The people were cheerful, vigorous and in high health and unbounded hospitality was an universal virtue; every door was open and friends, neighbours and strangers were alike welcome to whatever they found.” अर्थात् जब मैंने मराठों के मुल्क में प्रवेश किया, तब मैंने अपने आपको स्वर्णयुग की सादगी और सुख के मध्य में पाया । मैंने देखा कि वहाँ प्रकृति में अब तक परिवर्तन नहीं हुआ है । युद्ध और दुःख यहां अज्ञात हैं । भोग आनन्द चित्त सशक्त और स्वस्थ हैं । अजहद मिहमानदारी वहाँ सर्वसामान्य धर्म समझा जाता है । हर एक दरवाजा खुला है और मित्रों, पड़ोसियों और अपरिचित लोगों का भी, जहाँ वे जाते हैं, वहाँ स्वागत होता है । शिवाजी के खानदान में, आगे जाकर, माधवराव भी सिंहासनासीन हुए थे । उनके लिये ग्रैंट डफ अपनी “History of the Marathas” में लिखते हैं:—

“He is deservedly celebrated for his firm support of the weak against the oppressive, of the poor against the rich for his equity to all. अर्थात् उन्होंने ज़ुल्मी के विरुद्ध कमज़ोर को और धनवानों के विरुद्ध ग़रीब को जो दृढ़ सहारा दिया तथा सबके साथ जो निष्पक्षता का बर्ताव किया, इसके लिये उनकी प्रशंसा की जाती है और वे उसके पात्र भी हैं ।

इस समय हिन्दुस्थान के अन्य प्रान्तों से मराठों की सक्तनत की दृशा अधिक उन्नत थी । माधवराव के दीवान रामशाही शुद्ध चरित्र और सादे मिजाज़ के थे । उन्होंने प्रजा की स्थिति सुधारने में अपनी

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में समृद्धिशाही भारत दरिद्र हुआ १८३

सारी शक्तियों का व्यय किया। इन्हें लोभ छू तक नहीं गया था। रिश्वत का छींटा इन्हें बिल्कुल न लगा था। ये इतने निर्बोभी और सादे थे कि वे अपने घर में केवल इतना ही अन्न रखते थे, जो एक दिन के लिये काफी हो।

पेशवा के राज्य में नाना फडनवीस जैसे परम प्रजा हितैषी और अपूर्व प्रतिभा-सम्पन्न मुत्सद्दी हो गये हैं। बाजीराव की नाबाबगी में इन्होंने कोई पच्चीस वर्ष तक शासन किया। इनके शासन-काल में प्रजा कैसी सुखी और समृद्धिशाहिनी थी, इसका जिक्र सर जॉन मास्करम ने यों किया है:—

“It has not happened to me ever to see countries better cultivated and more abounding in all the produce of the soil as well as in commereial wealth than the southern Maratha districts.....Poona the capital of the Peshwa was a very wealthy commercial town.” अर्थात् मैंने दक्षिण मराठा प्रान्तों के समान कोई ऐसे देश नहीं देखे, जिनमें इनसे अच्छी खेती होती हो और जो खेती से उपजानेवाले पदार्थों से ज्यादा लबाब भरते हों या जिनमें इनसे ज्यादा व्यापारिक सम्पत्ति हो। तत्कालीन होकर राज्य की स्थिति के विषय में बयान करते हुए इन्हीं महाशय ने लिखा है:—

“I was surprised.....to find that dealing in money to large amounts had continually taken place between cities, where bankers were in a flourishing state, and goods to a great extent continually passed through the province. The insurance offices which exist through all parts of India.....had never stopped their operations.

I do not believe that in Malwa the introduction of our direct rule could have contributed more, nor indeed so much to the prosperity to the commercial and the agricultural interests, as the re-establishment of the efficient rule of its former princes and chiefs. With respect to the southern Maratha district of whose prosperity I have before spokenI dont think either their commercial or agricultural interests likely to be improved under rule. Their system of administration on the whole is mild and paternal." अर्थात् मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नगरों नगरों के बीच बहुत विशाल परिमाण में पैसे का व्यवहार सदा चलता रहता है। इहाँ के बैंक्स भी उद्योग की अवस्था में हैं। इस प्रांत में माछ का आवागमन बहुत बड़ी तादाद में सदा हुआ करता है। बीमा के आफिस, जो सारे हिन्दुस्थान में स्थित हैं, कभी अपना कारोबार बन्द नहीं करते। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि हमारे शासन ने इस प्रान्त की उद्योग में विशेष सहायता पहुँचाई हो। केवल यही नहीं पहले के राजाओं का शासन फिर स्थापित हो जाने पर किसानों और व्यापारियों की समृद्धि में जो वृद्धि हो सकती है, उतनी भी हमसे नहीं हुई। दक्षिण के मराठी मुल्कों के लिये मैं पहले कह चुका हूँ। मैं क्या कह नहीं कर सकता कि उनकी खेती सम्बन्धी और व्यापारिक स्थिति हमारे शासन में सुधर सकती है। उनकी (मराठों की) शासन-पद्धति नर्म और पितापुत्र की (Paternal) है।" आगे चलकर माछकम साहब ने राज्य की उस प्रशंसनीय सहायता का जिक्र किया है जो किसानों और व्यापारियों को उद्योग के लिये मुक्त हस्त से उदास्ता पूर्वक दी जाती थी। इन्हीं माछकम महोदय ने हमारे इन्धौर की परम पुस्तकीया

महारानी अहल्याबाई के दिव्य और रामराज्य की बड़ी ही प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि महारानी अहल्याबाई बड़ी ही प्रसन्न होती थी, जब वह अपने बहों के सर्राफों (Bankers) और किसानों को उन्नतावस्था में देखती थीं। कर्नल मालकम साहब ने श्रीमती महारानी अहल्याबाई के राज्यकाल में साहूकारों और किसानों की समृद्धिशाली अवस्था को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि मालवे में उनका आदर्श शासन था।

इसके अतिरिक्त बरार के मराठा राजा के राज्य की भी इस समय बड़ी समृद्धिशाली और उन्नतावस्था थी। युरोपियन प्रवासियों ने इस प्रान्त के उच्चशिक्षित जिलों का, औद्योगिक पुरुषों का, उपजाऊ भूमि का, भव्य मन्दिरों का और विशाल व शानदार इमारतों का बड़ा बड़का चित्र खींचा है।

वह तो हुई मराठों के राज्य की बात, अब दूसरी ओर मुकिये। रिफॉर्म पेंफ़्लेट में एक अंग्रेज़ की गवाही का उल्लेख है। वह इस प्रकार है—

“In passing through the Rampore territory, we, could not fail to notice the high state of cultivation to which it has attained when compared with the surrounding country. Scarcely a spot of land is neglected and although the season was by no means favourable, the whole district was covered with an abundant harvest. The management of the Nawab Fyzoolakhan is celebrated throughout the country. When works of magnitude were required the means of undertaking them were supplied by his bounty. Water-courses were constructed, the

rivulets made to overflow and fertilise the adjacent districts; and the paternal care of a popular chief was constantly exerted to afford protection to his subjects, to stimulate their exertions, to direct their labours to useful objects and to promote by every means the success of their undertaking.” अर्थात् रामपुर राज्य में से गुजरते हुए हम खेती की उस उच्च स्थिति को देखे बिना नहीं रह सकते, जो उसने आस पास के मुल्क की तुलना में प्राप्त की है। यहां शायद ही कोई जमीन का टुकड़ा बेकार पड़ा होगा। यद्यपि ऋतु अनुकूल नहीं थी, तो भी सारा जिला विपुल फसल से परिपूर्ण है। नवाब फैजुल्लाहों के प्रबन्ध की प्रशंसा सारे मुल्क में हो रही है। जब बड़े बड़े कामों के करने की आवश्यकता होती है, तब भी ये अपनी दानशीलता और उदारता का परिचय देते हैं। इन्होंने नहरें, तालाब आदि बनवाये, नालों की इस ढंग से व्यवस्था की कि वे आस पास के जिलों को उपजाऊ बनावें। इसके अतिरिक्त इस लोकप्रिय नवाब की पितृतुल्य चिन्ता हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा में—उनके कामों और प्रयत्नों में उत्साह पहुँचाने में—उनके परिश्रम को उपयोगी कामों में लगाने में और हर तरह से उनके कामों में सफलता प्राप्त करवाने में लगी रहती थी। अब येही अंग्रेज महाराज रोहिलों के शासन की अंग्रेजी शासन से तुलना करते हुए लिखते हैं:—

“If the comparison for the same territory be made between the management of the Rohillas and that of our own government, it is painful to think that the balance of advantage is clearly in favour of the former.” अर्थात् अगर रोहिलों के प्रबन्ध और हमारे सरकार के प्रबन्ध की तुलना की जावे तो, यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में समृद्धिशाही भारत दरिद्र हुआ १८७

रोहिलों का प्रबन्ध ही श्रेष्ठतर मालूम होगा। आगे चलकर फिर लिखा गया है:—

“While the surrounding country seemed to have been visited by a desolating calamity, the lands of the Rajahs Diyaram and Bhugwantsingh under every disadvantage of the season were covered with crops produced by better husbandry or greater labour.” अर्थात् जबकि आसपास के मुल्क पर नाश कारी विपत्ति आयी हुई दीखती है, पर राजा दयाराम और भगवंतसिंह का मुल्क, ऋतु की प्रतिकूलता होते हुए भी, फसल से भरा हुआ है, जो कि श्रेष्ठतर कृषि और विशेष परिश्रम से पैदा की गई है।” पाठक, उपरोक्त कथित आसपास का मुल्क ब्रिटिश शासन में था, इस बात को उपरोक्त लेखक ने आगे चलकर कहा है।

इस ओर तो अंग्रेज सज्जन एक देशी राजा के उदार और उच्चतम शासन के लिये प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत बङ्गाल की कैसी दुर्दशा हो रही है उसका वर्णन डाक्टर मार्शमन अपने ‘The friend of India’ नामक ग्रन्थ में लिखते हैं:—

“No one has ever contradicted the fact that the condition of the Bengal peasantry is almost as wretched and degraded as it is possible to conceive living in the most miserable hovels, scarcely fit for a dog—Kennel, covered with tattered rags and unable in many instances, to procure more than a single meal a day for himself and family. The Bengal ryot know nothing of the most ordinary comforts of life. We speak without exaggerat-

tion when we say that if the real condition of those who raise the harvest, which yields between three and four millions a year, were fully known, it would make the ears of one who heard thereof tingle. अर्थात् इस बात का अभी किसी ने खरबन नहीं किया है कि बंगाल के किसानों की दशा इतनी हीनतामय और पतित हो गई है कि जिसका दृष्टिकरण करना भी कठिन है। ये अत्यन्त दीन श्रेणी के शोषणियों में रहते हैं। ये शोषणियों इतनी तंग होती हैं कि यह एक कुत्ते के पिंजरे के लिये शायद ही काफी हो। ये बेचारे फटे दूटे चिथड़े पहने रहते हैं और इन्हें शायद एक वक्त भी मुरिकख से भोजन मिलता होगा। बंगाल के किसानों को जीवन की अत्यन्त साधारण आराम सामग्री मिलना तो दूर रहा, पर इसके विषय में वे जानते तक नहीं हैं। यह कहना कुछ अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि अगर इन लोगों की सच्ची हालत जानी जाय जो कि इस फसल को उत्पन्न करते हैं, जिससे तीस चाबीस लाख की साखाना आमदनी होती है तो सुनने वालों के कान खड़े हो जावेंगे।”

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के पहले जिस बंगाल को अंग्रेजों ने “एडन” का बगीचा कहा था, जिसे लार्ड क्लाइव ने “अटूट सम्पत्ति का देश” कहा था, उसी की उसके सौ वर्ष के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-काल में कितनी हीन और बुरी दशा होगई, इसको हमने अंग्रेजों के लिखे हुए प्रमाणों से दिखाया है। भारत के भूतपूर्व वाइसरॉय लार्ड कार्नवालिस ने ये उद्गार निकाले थे कि “लोग गरीब और हीन वृद्ध को प्राप्त होते जा रहे हैं।”



किसानों की दीन हीन दशा क्यों हुई ।



बह-तो इस ग्रन्थ के पूर्व अध्यायों के पढ़ने से मालूम हुआ होगा कि अंग्रेजी शासन के पहले यहां के किसान अच्छी स्थिति में थे । इस बात को कई अंग्रेज लेखकों ने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है । पर जब से ईस्ट इन्डिया कम्पनी के शासन का आरम्भ हुआ तब से इनकी अधोगति का सूत्रपात हुआ । ज़मीन का लगान बहुत बढ़ा दिया गया और किसानों पर तरह तरह के दूसरे जुल्म हुए । सर रमेशचन्द्र दत्त ने दिखाया है कि "हिन्दुओं और मुग़लों के शासन में जिस हिसाब से ज़मीन का लगान लिया जाता था, उससे कहीं ज्यादा प्रजा की दखिला बढ़ाने पर भी, अब वसूल किया जाने लगा । यहीं नहीं किन्तु बंगाल को छोड़कर अन्य प्रदेशों में जमीन का लगान क्रमशः बढ़ता ही चला आ रहा है । अधिक लगान देने ही के कारण लोगों की ऐसी दीनहीन दशा हो रही है । किसान लोग इस भय से खेती नहीं करते कि न जाने कब ज़मीन का लगान बढ़ा दिया जाय ।" आगे चलकर फिर सर रमेशचन्द्र दत्त ने बताया है कि सन् १७६२ ईस्वी से १८२२ तक सरकार ने बंगाल के जमींदारों की आमदनी पर सैंकड़े पीछे १० और उत्तर भारतवर्ष में सैंकड़े ८०) ६० कर लगाया था । मुग़ल शासन के समय भी इसी हिसाब से कर लेने की रीति थी । परन्तु वे लोग जितना लगान नियत करते थे उतना वसूल नहीं करते थे । इसके सिवा प्रजा की शिक्षण तथा वास्तव्य सम्बन्धी उन्नति करने की ओर उनकी विशेष धिँ रहती थी । महाराष्ट्र देश के राजा लोग भी राजकर वसूल करने में कठोरता नहीं करते थे; किन्तु अंग्रेज जितना कर चाहते थे, उतना कर्नाई के साथ वसूल करते थे ।" बह तो हुई स्वर्गीय सर रमेशचन्द्र

दत्त की उक्ति । अब हम इस सम्बन्ध में अंग्रेजों ही के प्रमाण देते हैं । बंगाल में बड़ी निर्दयता और क्रूरता के साथ लगान वसूल किया जाता था । ६ मई सन् १७७० को ईस्ट इण्डिया कंपनी के डायरेक्टरों ने जो पत्र लिखा था, उसमें नीचे लिखे आशय के वचन भी थे:—

“भयंकर अकाल का दृश्य उपस्थित हो रहा है । इससे जो मृत्युएँ हो रहीं हैं और जो भिखमंगी बढ़ रही है वह अचर्यानीय है । न्युनिया जैसे उपजाऊ प्रान्त के कोई १/३ लोग भूख के मारे तड़प तड़प कर मर गये ! अन्य प्रान्तों में भी ऐसी ही भीषण स्थिति उपस्थित हो रही है ।” इसी वर्ष ११ सितंबर को इन्हीं डायरेक्टरों ने फिर लिखा था, “इन अभागों भूखों मरनेवाले लोगों के दुःखों का जितना वर्णन किया जावे, उतना ही थोड़ा है” इसके उपरान्त १२ फरवरी को उन्होंने लिखा था:—

“Notwithstanding the great severity of the late famine and the great reduction of people thereby, some increase has been made in the settlements both of the Bengal and Bihar provinces for the present year.” अर्थात् पिछले अकाल की बहुत तेजी होते हुए भी और इससे लोगों की बहुत कमी हो जाने पर भी बंगाल और बिहार प्रान्तों के बंदोबस्त में जमीन का लगान वर्तमान वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है । १० जनवरी सन् १७७२ को इन्होंने लिखा था:—

“The collections in each department of revenue are as successfully carried on for the present year as we could have wished,” अर्थात् रेविन्यू के हर एक विभाग में वसूली उतनी ही सफलता के साथ की जा रही है, जैसी कि हमारी इच्छा थी ।

जब देश में चारों ओर अकाल के कारण हाहाकार मच रहा था; जब देश में चारों ओर मृत्यु का वीभत्स चित्र उपस्थित हो रहा था; जब मानवी दुःख अपनी अंतिम सीमा तक पहुँचा हुआ था, ऐसे समय में भी सख्ती के साथ किसानों से लगान वसूल किया गया था। सरकारी तौर से इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि सन् १७७० के अकाल में बंगाल की एक तिहाई १/३ जनता भूख के मारे प्राण त्याग करने को बाध्य हुई थी, अर्थात् उस समय कोई एक करोड़ आदमी भूख के मारे मर गये ! इतने पर भी लगान वसूल करने में कसर न की गई। उलटे इस साल ज्यादा लगान वसूल किया गया। उस समय के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था:—

“Notwithstanding the loss of at least one third of the inhabitants of the province, and the consequent decrease of the cultivation, the net collection of the year 1771 exceeded even those of 1768.” अर्थात् इस प्रान्त में एक तिहाई जनता के नष्ट हो जाने पर भी तथा खेती में बहुत कमी हो जाने पर भी सन् १७७१ में लगान की रकम सन् १७६८ की रकम से भी ज्यादा बढ़ गई।

इसके बाद जब मुगल बादशाह शाहआलम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल, बिहार और ओडिसा की दिवानी या रेविन्यू का शासन सौंपा तब लगान वसूल करने के लिये द्वैध पद्धति (dual system) काम में लाई जाने लगी अर्थात् उस वक्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा नियुक्त निरीक्षकों (Supervisors) की देख रेख में नवाब के नौकर भूमिकर वसूल करते थे जिससे प्रजापर बड़े जुल्म होते थे। इससे जमींदार और किसानों को बड़ा नुकसान पहुँचता था। इस समय से लगान निरन्तर बढ़ता ही चला गया। इससे सरकार की आमदनी में दिन पर दिन वृद्धि होने लगी। मि० शेर ने (जो पीछे

Lord Teignmouth के नाम से मशहूर हो गये थे) १८ जून सन् १७८६ में जो मतभेद पत्र लिखा था उसमें अपने दिखलाया था कि सन् १५८२ में टोडरमल ने ज़मीन का जो बन्दोबस्त (Settlement) किया था। उसमें केवल बंगाल में लगान के १०७०००० पौंड वसूल होते थे। सुखतान शुजा के ज़माने में जो बन्दोबस्त हुआ था, उसमें ज़मीन का लगान १३१२००० पौंड कृता गया था। जाफ़र ख़ाँ के ज़माने में जो बन्दोबस्त हुआ था उसमें यह रकम बढ़कर १४२१००० पौंड हो गई। शुजाख़ाँ के बन्दोबस्त में यह रकम १७२८००० तक पहुँच गई। ब्रिटिश शासन के शुरू होने के पहले के पाँच वर्षों का हिसाब देखिये :

सन्	ज़मीन वसूली
१७६२-६३	६४६०००
१६६३-६४	७६२०००
१७६४-६५	८१८०००
१७६५-६६	१४७००००

साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उक्त अन्तिम वर्ष में अर्थात् सन् १७६५-६६ में मुग़ल बादशाह के द्वारा दीवानी अधिकार ब्रिटिश को दे दिये गये थे। इस साल महम्मदरज़ाख़ाँ ने नवाब और कम्पनी के दुहरे हुकम (Dual authority) से लगान वसूल किया था। इसके बाद सन् १७६०-६१ में अंग्रेजों ने जो लगान वसूल किया था वह २६८०००० पौंड था अर्थात् जाफ़रख़ाँ और शुजाख़ाँ के वसूल किये हुए लगान से यह रकम लगभग दूनी थी और महाराजा नन्द-कुमार ने सन् १७६४ में जो लगान वसूल किया था, उससे यह तिगुनी थी। इतना ही नहीं, महम्मद रज़ाख़ाँ ने अंगरेजों की देख-रेख में जो लगान वसूल किया था उससे भी यह रकम लगभग दूनी थी। एक श्लोक ने किया है—

“It was Bengal which had suffered terribly from the rapacity of the early British administrators and if she has prospered under the permanent settlement, she has well earned that prosperity by her early losses.” अर्थात् वह बंगाल प्रान्त था जिसने पहले के ब्रिटिश शासकों के जुल्म से बहुत दुःख सहा और यदि उसने दवामी या स्थायी बंदोबस्त से उन्नति की है तो वह उसकी पहले की हानि का परिचय है ।

वह तो हुई बंगाल की बात । अब मद्रास प्रान्त की ओर आइये । ब्रिटिश शासन के पहले मद्रास प्रान्त की स्थिति कैसी थी, इसका सबूत उस गवाही से मिलता है जो १८८२ में मि० जार्ज स्मिथ ने पार्लियामेण्टरी कमेटी के सामने दी थी । इस सम्बन्ध में उक्त कमेटी के सामने इस आशय के प्रश्नोत्तर हुए थे ।

प्रश्न—आप हिन्दुस्तान में कितने दिन तक और किस हैसियत से रहे ?

उत्तर—मैं सन् १७६४ में हिन्दुस्तान पहुँचा और सन् १७६७ से सन् १७७६ के अक्टूबर मास तक वहाँ रहा ।

प्रश्न—जब आप पहले पहल मद्रास पहुँचे तब वहाँ की व्यापारिक स्थिति कैसे थी ?

उत्तर—उस समय मद्रास की अवस्था बहुत ही समृद्धिशीली की हिन्दुस्तान में वह व्यापार का केन्द्र था ।

प्रश्न—जब आपने मद्रास छोड़ा तब वहाँ की व्यापारिक अवस्था क्या थी ?

उत्तर—उस समय वहाँ बहुत ही कम या नाना मात्र का व्यापार चल रहा था ।

प्रश्न—जब आपने इस प्रान्त के कर्नाटक जिले को पहले पहल देखा, तब वहां के व्यापार और खेती की क्या स्थिति थी ?

उत्तर—उस वक्त कर्नाटक की खेती की दशा बहुत अच्छी थी और वह समृद्धि की अवस्था में था। वहां व्यापार भी बहुत बढ़ी चढ़ी हालत में था।

प्रश्न—जब आपने मद्रास प्रान्त छोड़ा तब वहां की खेती, जनसंख्या और देशी व्यापार की क्या हालत थी ?

उत्तर—खेती की दशा बहुत ही गिर गई थी और व्यापार को भी बड़ा धक्का पहुँचा था।

इन प्रश्नों से पाठक खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-काल में मद्रास प्रान्त के व्यापार और खेती की किस प्रकार अधोगति हुई थी।

मद्रास प्रान्त के तंजौर परगने की हालत के विषय में सन् १८८२ में 'Committee of Secrecy' के सामने मि० प्रेटी ने जो गवाही दी थी, उसका सारांश यह है:—

“तंजौर की वर्तमान स्थिति पर कुछ कहने के पहले मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि उसकी कुछ वर्षों की पहले की स्थिति पर भी कमेटी के सामने कुछ कह डालूँ। ज्यादा भरसक नहीं हुआ कि तंजौर परगना अत्यन्त समृद्धिशाली और उन्नत अवस्था में था। वहां पर खेती की सबसे अच्छी स्थिति थी। जब मैंने पहले पहल सन् १७६८ में उसे देखा था, तब उसकी हालत अब से बिल्कुल जुदा थी। तंजौर पहले बाहरी और अंतरंग व्यापार का केन्द्र स्थान था। वहां बम्बई और सुरत से रई आते थे। बङ्गाल से कच्चा तथा पक्का रेशम आता था। सुमात्रा मसाला आदि टापुओं से शकर आदि पदार्थों की आमदनी होती थी। पेरू से सोना, घोड़े हाथी और शहतीर आते थे। चीन से भी उसका व्यापा-

रिक सम्बन्ध था। उस जिले से भी मलमले, झींटे, रूमाल खीनखाब आदि कई प्रकार का बढ़िया माल बाहर जाता था। वहां की भूमि बड़ी उपजाऊ थी। संसार के बहुत कम देशों को इतनी नैसर्गिक सुविधाएँ होंगी, जितनी तंजौर को है। पानी की वहां पर बहुत विपुलता है। उस परगने का स्वरूप बड़ा ही सुन्दर है। उसमें बहुत विविधता हैं। अपने आकार प्रकार से वह इङ्गलैंडसा जान पड़ता है। पर दुःख है कि उसकी अवनति बड़ी शीघ्रता से हो रही है, डर हो रहा है कि कहीं उसकी विपुल समृद्धि के चिन्ह तक न मिट जायँ।

सन् १७७१ तक जैसा कि मुझे मालूम हुआ है वहां के कारीगर तरखी की हालत में थे, देश धन धान्य पूर्ण था। लोक-संख्या विस्तृत थी। खेती बड़ी अच्छी हालत में थी। वहां के निवासी धनवान् और परिश्रमी थे। पर उस साल के बाद से लेकर वहां के राजा के फिर गद्दीनशीन होने तक वह कई बार समर भूमि बना। वहां राज्य-क्रान्तियाँ हुईं। व्यापार कारीगरी और खेती की उपेक्षा की गई और तब से इसकी हालत गिरती गई।

अब एक बार बम्बई प्रान्त की सरकारी मालगुजारी की ओर दृष्टी डालनी चाहिये। महाराष्ट्र नरेशों के शासन-काल में इस देश की प्रजा से एक वर्ष में ८० लाख रुपये लिये जाते थे किन्तु जिस वर्ष अंग्रेजों ने इस प्रदेश में अधिकार किया उसके दूसरे ही वर्ष १ करोड़ १५ लाख रुपये वसूल किये गये। इसके कारण प्रजा पर कैसे अत्याचार होने लगे थे; इसका कुछ पता सरकारी रिपोर्ट से लग सकता है जो इस प्रकार है:—

Every effort was made, lawful and unlawful, to get the utmost out of the wretched peasantry, who were subjected to tortures, in some instances, cruel and revolting beyond description, if they

could not or would not yield what was demanded. Numbers abandoned their homes and fled into neighbouring native states; large tracts of land were thrown out of cultivation, and in some districts no more than one third of the cultured area remained in occupation."

अर्थात् अभाग्य किसानों के पास से यथा सम्भव धन वसूल करने के लिये न्याययुक्त और अन्याययुक्त सभी प्रकार के उपाय काम में लाये गये थे। जितना धन इन किसानों से मांगा जाता था, यदि वे उसे देना स्वीकार न करते थे या न देते थे तो उन पर कभी कभी अत्याचारीय अत्याचार किये जाते थे। इस प्रकार के अत्याचारों से पीड़ित होकर सैकड़ों किसान अपना अपना घर छोड़ कर समीप के देशी राज्यों में भागकर बस गये। सुविस्तृत भूमि बिना खेती के पड़ी रह गई और किसी किसी ज़िले में तो खेती होने योग्य भूमि के एक तिहाई भाग से अधिक भूमि में खेती ही नहीं हुई।

उड़ीसा में भी प्रजा का धन लूटने के लिये थोड़े प्रयत्न नहीं हुए हैं। सरकारी कागज़ पत्रों में ही प्रकाशित हुआ है कि सन् १८२२ ईस्वी में उड़ीसा के किसानों से सरकारी कर्मचारियों ने सैकड़ा पीछे ८३) रुपये के हिसाब से लगान वसूल करने की कोशिश की थी, किन्तु इस प्रकार धन की खींच अधिक दिनों तक न चल सकी। सन् १८३३ ईस्वी के पीछे यह खोग अपनी कमाई से सैकड़ा पीछे ७१) रुपये लगान में देने लगे। इस समय घट कर इसका परिमाण सैकड़ा पीछे ४५) रुपये रह गया है किन्तु बंगाल में दवामी बन्दोबस्त होने के कारण प्रजा को सैकड़ा पीछे १) रुपये ही लगान में देने पड़ते हैं। उड़ीसा के समान अवध प्रान्तों में भी १८२२ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नौकरों ने ज़मींदारों से सैकड़ा पीछे ८३) रुपये लगान लेने का कानून पास किया था— इसके परिणाम स्वरूप उस प्रान्त में चारों ओर हा हा कर मचने लग गया।

इस प्रकार राजधर्म का अपमान और प्रजा पर अत्याचार करके जो धन इकट्ठा हुआ करता था उसका बहुत थोड़ा भाग इस देश में खर्च किया जाता था और अधिकांश विलायत भेज दिया जाता था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सामीदार कर्मचारी और विलायती पार्लियामेंट-महासभा-के मेम्बर लोग इस प्रकार भारत से धन लूटकर अपनी दरिद्रता दूर करते थे। किसानों से जो धन मिलता उसे कम्पनी ले लेती और इस देश के धनी सौदागर तथा राजा महाराजाओं को दबाकर उनसे जबरदस्ती और अन्याय से जो धन लिया जाता उससे कम्पनी के नौकर मालामाल होते थे। खाली बङ्गाल देश में ही १७५७ ईस्वी से १७६५ ईस्वी तक में कम से कम ४६४०४६८०) रुपये घूस के लिये गये थे। पार्लियामेंट के मेम्बर कड़ी आलोचना न करें इसलिये कम्पनी और उसके कर्मचारी पार्लियामेंट के मेम्बरों को भी घूस देकर वश में कर लेते थे !

कई बार यह घूस का धन इकट्ठा करने के लिये ही प्रजा का धन लूटना आवश्यक समझा गया था। उस समय के इङ्ग्लैंड नरेश भी इस प्रकार घूस लेने से बचे नहीं थे। कहते हैं कि एकबार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कामों की जाँच करने का प्रस्ताव उठने पर स्वयं इङ्ग्लैंड नरेश ने सब गढ़बढ़ी शान्त करदी थी। मि० जी० क्लार्क (Clarke) अपने "British India and England's Responsibilities" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं:—

"Nor was the Company in good repute at home. An enquiry was set at foot, and it was found that the company had devoted in one year £.1,000,000 to bribery. But the House of Commons stifled enquiry. The recipients of bribes were amongst the highest classes and the king himself was said to have accepted a large sum.

अर्थात् कम्पनी की उसके खास निवास स्थान इङ्ग्लैण्ड में भी बड़ी बढ़नामी थी। एक जाँच शुरू की गई थी, जिसमें यह पाया गया था कि कम्पनी ने केवल एक साल में १,००,००,००० पौंड रिश्वत के दिये थे, रिश्वत लेनेवाले सर्वोपरि श्रेणी मनुष्यों में से थे। कहते हैं कि उस समय स्वयं राजा ने भी बहुत बड़ी रकम ली थी। नहीं कह सकते कि सुसभ्य और चरित्रवान् अंग्रेज जाति के इतिहास में इन घटनाओं का महत्व कहां तक है !

महमूद गज़नवी, नादिरशाह, अहमदशाह अब्दाली और मध्य भारत के पिढारी लोग भारतवर्ष के धनवानों को लूटकर कितने रुपये ले गये, इसका उल्लेख और हिसाब बालकों के पढ़ने के इतिहासों में और समय समय पर अन्य प्रकार से प्रकाशित हुआ करता है; किन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में भारतवर्ष के गरीब किसानों का कितना रुपया लूटा गया इसका हिसाब लगाना सहज नहीं है।

मिस्टर डिग्बी का कथन है—“अनुमान होता है कि प्लासी की लड़ाई के बाद प्रायः ५० वर्षों में भारतवर्ष से साढ़े सात अरब से पन्द्रह अरब ६० तक इङ्ग्लैण्ड में भेजे गये हैं।” मिस्टर कुक्स एडम्स “Law of civilisation and decay” नामक ग्रन्थ के २६३ वें पृष्ठ में लिखते हैं:—

“Possibly since the world began, no investment has ever been yielded the profit reaped from the Indian plunder” जब से दुनियाँ का आरम्भ हुआ है, तब से शायद ही पूँजी लगाने पर इतना लाभ नहीं हुआ है, जितना कि हिन्दुस्थान की लूट से हुआ है।

अब तक केवल इसी बात का वर्णन किया गया है कि अंग्रेजी शासन के आरम्भ काल से ही इस देश के किसानों का धन खींचने का

कार्य किस प्रकार किया गया था। सन् १८७६ ई० में बम्बई प्रान्त में अस्सी लाख रुपये लगान के वसूल होते थे। सन् १८८३ ई० में अंग्रेजों ने उसका परिमाण बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया। इसके उपरान्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी का मनमाना शासन दूर करके दयामयी महारानी बिकटोरिया ने भारत का शासन भार अपने हाथ में ले लिया। उनके शासन में शासन विभाग की और अनेक बातों में तो सुधार हुआ, किन्तु खेती करके जीनेवाली प्रजा के दुर्दिन तिस पर भी दूर नहीं हुए। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में बम्बई प्रान्त की प्रजा को डेढ़ करोड़ रुपये लगान में देने पड़ते थे। किन्तु इतने पर भी सरकारी कर्मचारियों का धन लोभ नहीं मिया ? अस्सी लाख के बदले दो करोड़ तीन लाख रुपये वसूल करने की व्यवस्था करके भी उन लोगों ने राज्य की आमदनी बराबर बढ़ाना जारी रखा। अतएव अधिक भार सहन न कर सकने के कारण सन् १८०० ई० में किसान लोग बागी हो गये; अनेक स्थान में लड़ाई भगड़े और शांति भंग होने के कारण अफसर चिन्तित हुए। तब इस विद्रोह की जाँच करने के लिये एक कमीशन बैठा। उस समय यह स्थिर हुआ कि खासकर बार बार ज़मीन का बन्दोबस्त करके बेहद लगान बढ़ाते रहने से ही (Extravagantly heavy assesment) यह विद्रोह खड़ा हुआ है।

इतनी गड़बड़ी होते हुए भी राजकर्मचारियों की खींच कम न हुई तीस साली बन्दोबस्त में जिन ज़मीनों का लगान निश्चित हो चुका था, उनमें से बहुतेरी भूमि की मियाद पूरी होने पर फिर से बन्दोबस्त करने की आज्ञा हुई थी। गत सन् १८८८ ईस्वी के ३१ मार्च तक २७७८१ ग्रामों में १३३६६ ग्रामों का नया बन्दोबस्त हो गया था। इन ग्रामों से पहिले १४४०००००) रुपये लगान में वसूल होते थे। अब नये बन्दोबस्त में १ करोड़ ८८ लाख रुपये वसूल करने की व्यवस्था हुई। शेष गांवों का नया बन्दोबस्त अकाल पड़ने के कारण कुछ समय

के लिये रोक दिया गया था, तो भी ७८ गाँवों का नया बन्दोबस्त करके (१०३१३०,) ६० लगान के बदले १३३१६०) ६० कर दिया गया। साँसक यह कि इस नये बन्दोबस्त में औसत ३० रुपये सैकड़ा लगान बढ़ा दिया गया है। इधर डायरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकार्ड्स एण्ड अग्रिकल्चर अर्थात् भूमि और कृषि-विभाग के अध्यक्ष महाशय की १८८० साल की जे रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें बम्बई प्रान्त के विषय में लिखा है:—

“Seventyfive percent of the cultivated area is under food grains. The reporting authorities agree that there is a large number of cultivators who do not get a full years supply from their land.” अर्थात् खेती होने योग्य भूमि के तीन चौथाई भाग में—रुपये में—बाढ़ आने अनाजों की खेती होती है; किन्तु सभी राजपुरुष एक मत होकर कहते हैं कि अधिकांश किसान खेती करके साल भर के खर्च के लिये भी अनाज संग्रह नहीं कर सकते।

डायरेक्टर साहब का मन्तव्य प्रकाशित होने पर भी जमीन का लगान बढ़ाया गया था। यदि अब भी अकाल के समय मृत्यु संख्या न बढ़े तो और क्या हो ! इस अवेसर पर इस देश की खेती के साधनों की दशा का भी वर्णन करना उचित है। सन् १८६४ ई० में सम्पूर्ण बम्बई प्रान्त में ८० लाख ८० हजार बैल भैंस आदि खेती के लिये उपयोगी पशुओं की संख्या थी, किन्तु सन् १६०१ ईस्वी में प्रकाशित हुआ कि उनकी संख्या केवल १२ लाख ७७ हजार रह गई है; अर्थात् छः वर्ष में कृषि के लिये उपयोगी पशुओं की एक तृतीयांश से भी अधिक घट गयी है। खेती करने के योग्य अथवा खेती होनेवाली भूमि का विस्तार देखते हुए पशुओं की यह संख्या बहुत ही कम है। बम्बई प्रान्त में एक एक बैल अथवा भैंसों को प्रति वर्ष ६० बीघे भूमि कमाने पड़ती है ! किसानों की इससे बढ़कर और शोचनीय दशा का प्रमाण

होगा ? मद्रास के किसानों की दशा का उल्लेख करते हुए सुप्रसिद्ध 'इंग्लिशमैन' पत्र के संपादक ने १७ फरवरी सन् १८८० ईस्वी के अंक में लिखा था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-काल में मद्रास प्रांत की भूमि से लगान वसूल किया जाता था । महारानी के शासन-काल में उससे दस लाख रुपये अधिक जाने एक तिहाई हिस्सा अधिक वसूल होता है । किसानों की सुख सन्पन्नता बढ़ाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं होती है उल्टे लगान की वृद्धि के साथ मद्रास प्रान्त में अकाल का प्रकोप भी बढ़ रहा है ।

बंबई की लेजिस्लेटिव कौन्सिल के सिविलियन समासद मिस्टर जी, रोजस ने सन् १८६३ ई० में भारतवर्ष के अगडर सेक्रेटरी महाशय को लगान वसूल करने की कड़ाइयों और अत्याचारों का वर्णन करते हुए दिखलाया था:—“सन् १८७६-८० ईस्वी से लेकर १८८६-९० ई० तक ११ वर्ष के बीच में लगान वसूल करने के लिये मद्रास के राजकर्मचारियों ने ८४०७१३ मनुष्यों को १६६३३६४ बीघे जमीन बेदखल करा कर नीलाम करवादी है । किन्तु इतने पर भी उनका पेट नहीं भरा । किसान लोग अपनी जमीन से बेदखल हो कर छुटकारा न पा सके । सरकारी लगान अदा करने के लिये उनको अपने घर, द्वार, विद्युत् कपड़े-लत्ते आदि तक बेचकर ८६३५०८१) रुपये सरकार को देने पड़े हैं !”

“ऊपर लिखी हुई प्रायः १६६२३६४ बीघे जमीन में से पौने बारह लाख बीघे जमीन सरीददारों के अभाव में सरकार को सरीदनी पड़ी है । यदि लगान का परिमाण अधिक न होता तो अवश्य ही उसके मोख देने के लिये सरीददारों को टोटा न रहता । जमीन के लगान की अधिकता के विषय में इससे बढ़कर प्रमाण और क्या हो सकता है ?”

मध्यप्रदेश की स्थिति के विषय में सन् १९०४ में मानवीय मिस्टर विपिन कृष्ण बसु महाशय ने बड़े खाट की लेजिस्लेटिव कौन्सिल-व्यवस्था-एक सभा—में कहा था:—“इस प्रदेश के किसी किसी जिले में गत दस

वर्षों के बीच में सैकड़े पीछे १०२) तथा १०५) के हिसाब से प्रजा का लगान बढ़ गया है। इन दस वर्षों में प्रजा अकाल आदि से बहुत ही तंग रही है। तो भी अफसर लगान बढ़ाने से बाज़ नहीं आते। यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि सरकार की तरफ से इस विषय का अब तक कोई ठीक प्रतिवाद नहीं किया गया है। मल्लार के भी कई परगनों में पिछले बन्दोबस्त के समय सैकड़े पीछे ८५ से १०५ रुपये तक लगान बढ़ गया है। अकेले तंजौर जिले में ही गत दस वर्षों में सरकारी आमदनी डेढ़ करोड़ रुपये बढ़ गई है।”

कर्नाटक की प्रजा के लगान की दर के विषय में भूमि और कृषि-विभाग के डायरेक्टर महाशय ने कहा था:—

“Despite its liability to famine it pays a higher land revenue than the Deccan or Kocan.” अर्थात् इस प्रदेश में दुभिच आदिकी अधिक संभावना रहने पर भी यहां के किसानों को दक्षिण विभाग के किसानों की अपेक्षा अधिक लगान देना पड़ता है।

केवल दक्षिण और मध्यप्रदेश में ही नहीं, एक बंगाल को छोड़कर, सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के सारे प्रदेशों में बीस अथवा तीस वर्षों में नया बन्दोबस्त होने के समय किसानों का लगान बढ़ा दिया जाता है और इस प्रकार सरकारी आमदनी बढ़ाई जाती है।

१९ वीं सदी के आरम्भ में अनेक बुद्धिमान शासनकर्ताओं ने बंगाल के समान सम्पूर्ण भारतवर्ष में दवामी बन्दोबस्त करा देने का प्रयत्न किया था। सन् १८७८ ई० में मद्रास में सर टामस मनरो ने प्रजा के साथ जो रैयतवारी बन्दोबस्त किया वह बंगाल के दवामी बन्दोबस्त के समान ही था। विलायत में जांच करने के लिये जो कमेटी बैठी थी उसमें गवाही देते समय आपने साफ़ साफ़ यह स्वीकार किया था कि बंबई प्रदेश में भी पहिले चिरस्थायी बन्दोबस्त प्रचलित था।

सन् १८०३ ईस्वी में जब अङ्गरेजों ने प्रयाग और अवध का सूबा अपने अधिकार में लिया तब वहां लगान के विषय में चिरस्थायी बन्दोबस्त करने की करार की बात सुनी थी, किन्तु पीछे के राज कर्मचारियों ने—विशेष कर रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों ने—धन के लालच में अन्धे होकर पिछले करार का उल्लंघन कर डाला और सभी विभागों में बीस अथवा तीस वर्ष के अंतर से बन्दोबस्त करके लगान बढ़ाने की व्यवस्था प्रचलित करदी। नहीं जानते, सरकार किस अवस्था में प्रजा पर लगान का कितना बोझ बढ़ावगी। सरकार से इस विषय में नियम स्थिर कर लेने के लिये कई बार प्रार्थनाएँ भी की गई थीं। इसके अनुसार प्रजाप्रिय लार्डरिपन महोदय ने कुछ नियम बनाये भी थे; किन्तु उनके भारतवर्ष से विदा होते ही राज कर्मचारियों ने पहले के समान यथेच्छाचार और धींगाधींगी का रास्ता खुला रखा। इस विषय के नियम बनाने में राज कर्मचारियों ने अब तक भी देखने में उदासीनता प्रकट नहीं की है कि जर्मिनदार लोग प्रजा से अधिक से अधिक कितना लगान ले सकेंगे और कैसी दशामें कितना लगान बढ़ा सकेंगे आदि जो हों परन्तु अब भी सरकार अरना लगान बढ़ाने के विषय में स्वयं किसी प्रकार के नियमों में बंधकर रहना नहीं चाहती। यही नहीं किन्तु यदि रेविन्यू विभाग के कर्मचारी अन्याय पूर्वक लगान बढ़ा दें तो उनके विरुद्ध अपील करने पर कुछ सुनाई ही नहीं होती। यदि प्रजा अधिक गड़बड़ मचाती है तो उन्हीं कर्मचारियों को फिर से विचार करने के लिये कहा जाता है जिन्होंने लगान बढ़ाया है। तब उस जांच का ध्यान रखकर किसी किसी का लगान नाम मात्र को कम कर दिया जाता है। कहना नहीं होगा कि ऐसे प्रसंगों में प्रजा के साथ प्रायः न्याय नहीं किया जाता। प्रजा की इस कठिनाई को दूर करने के लिये श्रीमान् बड़ौदा नरेश सयाजीराव गावड्याद महोदय ने अपने राज्य में नियम किया है कि बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारी यदि किसी पर अनुचित रूप से लगान

बढ़ा दें तो सुखमसुखा अदाखत में स्वतंत्र प्रकृति के विचारकों के पास उनके विरुद्ध अपील हो सकेगी। इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान गवर्नमेन्ट भी ऐसा निश्चय करदे तो गरीब किसानों के अनेक कष्ट दूर हो जावें, परन्तु न जाने क्यों ब्रिटिश गवर्नमेन्ट प्रजा की इस सुविधा की ओर ध्यान नहीं देती। इसीलिये जो कर्मचारी अन्याय करके लगान बढ़ाते हैं उन्हीं से अभागो प्रजा को सुविचार की प्रार्थना करनी पड़ती है।

सन् १९०२ के भारतीय बजट पर बहस करते हुए बड़े खात महोदय की व्यवस्थापक सभा के सभासद माननीय मिस्टर गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने किसानों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि यूरोप की अपेक्षा भारतवर्ष के किसानों से जमीन का लगान अधिक परिमाण में लिया जाता है। यूरोप के देशों के किसान जिस खेत में १००) की फसल उत्पन्न करते हैं उसके लिये कितना कर देते हैं, यह बात नीचे के हिसाब से मालूम पड़ेगी:—

देश का नाम	लगान फी सैकड़	दर
इंग्लैण्ड	"	८।)
फ्रान्स	"	४।।)
जर्मनी	"	३)
ऑस्ट्रिया	"	४।।=)
इटली	"	७)
बेल्जियम	"	२।।)
हॉलैंड	"	२।।)

यहां यह भी कह देना चाहिये कि जल-कर, पूर्ति-कर, चौकीदारी-टैक्स और स्टॉप-कर आदि भी इसीमें सम्मिलित हैं। फ्रान्स में सबक आदि सन्वन्धी टैक्स भी इसी में शामिल हैं। भारतवर्ष में ये सम्पूर्ण स्थानिक कर जमीन के लगान में शामिल नहीं किये जाते। ये सम्पूर्ण

कर स्वतंत्र रीति से देते रहने पर भी इस देश के किसानों को बहुत अधिक लगान देना पड़ता है। यदि सर रमेशचन्द्रदत्त महोदय के हिसाब की बात छोड़कर सरकारी हिसाब पर ही विश्वास करें तो भी मालूम होगा कि यूरोप के देशों के किसानों को सब तरह के टैक्स मिलाकर सैकड़ा पीछे ६) रुपये से अधिक सरकार को नहीं देना पड़ता, परन्तु भारत के किसानों को दरिद्रता के कीचड़ में फँसे रहने पर भी केवल ज़मीन का लगान ही सैकड़ा पीछे १५) रुपये और कहीं कहीं २०) रुपये तक देना पड़ता है। इस देश की ज़मीन की उपजाऊ शक्ति दिनोंदिन घटती जा रही है। किसानों के पशु आदि खेती के साधन क्रमशः शोचनीय दशा को प्राप्त हो रहे हैं। अति वृष्टि, अनावृष्टि तथा पत्थर-पाले आदि के उपद्रवों से भी उनके जाकों दम आ गया है। उनकी बुद्धि का ठिकाना नहीं है। तिस पर ऋण की बात का तो पूछना ही क्या है ? भारत के किसानों का प्रायः दो तिहाई भाग कर्ज के भयानक दलदल में फँसा हुआ है। इनके आधे भाग के किसानों के ऋणमुक्त होने की कुछ भी आशा नहीं है तो भी सरकार उनसे लगान की बहुत बड़ी रकम और अन्य कर लेने में संकोच नहीं करती। यही नहीं किन्तु मुद्रा शासन प्रणाली के कारण चाँदी का भाव घट गया है जिससे उनके संचित चाँदी के गहने आदि की कीमत भी घट गई है। इस प्रकार सब ओर से कर्मचारियों ने उन्हें टोटे में डाल कर बिना पंख का पखेरू बना रखा है; और उन्हें अभी और भी निर्बल करते ही जाते हैं।

इसके बाद सेटलमेन्ट विभाग का जुल्म है। बारबार ज़मीन की पैमाइश करके इस विभाग के कर्मचारी क्रमशः ज़मीन का लगान बढ़ाते जाते हैं। गत दस वर्षों में इन लोगों के प्रयत्न से बंबई, युक्तप्रान्त, मद्रास, अवध और मध्यप्रदेश में सरकारी लगान की सख्या १ करोड़ ४ लाख रुपये बढ़ गई है। इन सभी प्रदेशों में इन पिछले दस वर्षों में बारबार अकास, अनावृष्टि आदि बाधाएँ होने के कारण खेती के कामों

में अनेक विघ्न उपस्थित होते रहे हैं। ऐसी विपत्ति और दुःख के समय सरकार को उचित था कि उनका कर—भार कम करती। परन्तु ऐसे कुसमय में भी उसने प्रजा से १ करोड़ ४ लाख रुपये अधिक लेने की व्यवस्था की! इससे बढ़कर दुःख की बात और क्या होगी?" इन सब बातों को कहकर गोखले महोदय ने आगे कहा था "जब बजट में दिखलाया गया है कि अब से प्रति वर्ष खजाने में साढ़े सात करोड़ रुपयों की बचत हुआ करेगी तब ऊपर कहे हुए प्रदेशों के गरीब किसानों का लगान सैंकड़ा २०) रुपये के हिसाब से कम कर देने पर सरकारी खजाने में वार्षिक तीन करोड़ रुपयों की ही कमी होगी। जब इस प्रकार खजाना भरा पूरा है तब भी यदि सरकार वार्षिक तीन करोड़ रुपये का बोझ गरीब किसानों का कम न करे तो फिर कब करेगी? सरकार के इस थोड़े से ही स्वार्थ-त्याग से किसानों की स्थिति बहुत अधिक अच्छी हो जायगी।" कहना नहीं होगा कि सरकार ने गोखले महोदय के इस उचित अनुरोध को मानना ठीक नहीं समझा।

सन् १९०५ तक भारत सरकार कृषकों के लिये १० लाख रु० वार्षिक खर्च किया करती थी परन्तु अब २० लाख प्रति वर्ष खर्च करती है जो कि किसानों की दरिद्र अवस्था और संख्या देखने हुए कुछ भी नहीं है। अन्य देश वाले किस प्रकार किसानों के लिये खर्च करते हैं सो देखिये:—

नामदेश	वार्षिक खर्च
रूस	६ करोड़ रुपया वार्षिक
अमेरिका	३ करोड़ बीस लाख
इटली	४० लाख
स्वीडन	५॥ लाख
डेनमार्क	३० लाख
भारत	२० लाख

भारतवर्ष की साम्पत्तिक अवस्था ।



हमने इस ग्रन्थ के आरम्भ में प्राचीन भारत की साम्पत्तिक अवस्था का थोड़ासा दिग्दर्शन कराया है । उससे पाठकों को मालूम हुआ होगा कि प्राचीन काल में भारतवर्ष कितनी उच्च कोटि की समृद्ध अवस्था पर पहुँचा हुआ था । इसके बाद ही हमने उन कारकों को भी प्रकट करने की चेष्टा की है जिनसे भारतवर्ष आज दीन हीन दशा पर पहुँचा है ।

सर विलियम इंडर महोदय, जो भारतीय इतिहास के अत्यन्त नामाङ्कित ज्ञाता समझे जाते हैं, लिखते हैं:—

“Forty millions of the people of India were seldom or never able to satisfy their hunger.” अर्थात् भारतवर्ष के चार करोड़ मनुष्य कभी अपनी भूख बुझाने में समर्थ नहीं होंगे । “Prosperous British India” नामक सुप्रख्यात ग्रन्थ के लेखक मि० विलियम डिग्बी लिखते हैं:—

“40 Millions of people are in a state of chronic starvation, not knowing from January to December, what it is to eat and be satisfied; their worm of hunger dieth out.” अर्थात् चार करोड़ भारतवासियों को मुहूर्तों से भूखों मरना पड़ता है । वे जनवरी से दिसम्बर तक यह नहीं जानते कि पेट भर भोजन किस चिदिषा का नाम है । उनकी चूषा की दाह नहीं बुझती । उनकी भूख का कौड़ा नहीं मरता । मि० ए० ओ० ह्यूम, जो सन् १८६० में कृषि विभाग के सेक्रेटरी थे, लिखते हैं:—

“Except in very good seasons, multitudes, for months every year, can not get sufficient food for themselves and family.” अर्थात् बहुत अच्छी फसल के दिनों के सिवा लाखों मनुष्य महिनों तक अपने लिये या अपने कुटुम्ब के लिये पूरा भोजन नहीं पाते।” सर चार्ल्स ईड्रियट, जो कि आसाम के चीफ कमिश्नर थे, लिखते हैं:—

“I do not hesitate to say that half the agricultural population do not know from one year end to another, what it is to have a full meal.” अर्थात् मैं यह कहने में न हिचकूँगा कि आधे किसान साल भर में कभी यह नहीं जानते कि पूरा भोजन किस चिड़िया का नाम है! एक क्रिश्चियन समाचार पत्र ने लिखा था:—

“It is safe to assume that 100,000,000 of the population of India have an annual income of not more than 5 Dollar a head.” अर्थात् यह मान लेने में कोई हानि नहीं कि हिन्दुस्थान के दस करोड़ मनुष्यों की आमदनी प्रति साल प्रति मनुष्य ५ डॉलर से ज्यादा नहीं है।” मि० मैकडॉनल्ड ने कहा था:—

“From thirty to fifty million families live in India on an income, which does not exceed 3½d per day. In July 1600 according to the Imperial Gazzetier, famine relief was administered daily to 6,500,000 persons. The poverty of India is not an opinion, it is a fact. At the best of times the cultivator has a mill stone of debt around his

neck." अर्थात् भारत में तीन करोड़ से लेकर पांच करोड़ तक ऐसे कुटुम्ब हैं, जिनकी आमदनी ३॥ पेंस प्रति दिन से ज्यादा नहीं है ! सन् १९०० के जुलाई मास में इम्पीरियल गैभेटियर के अनुसार, कोई ६५००००० मनुष्यों को फेमीन रिलीफ से सहायता दी गई ! भारत केवल कहने के लिए ही नहीं बल्कि सचमुच बहुत दरिद्र है। इन्हीं महाशय ने अपने "The Awakening of India" नामक ग्रन्थ में लिखा है:—

"India is the home of poverty stricken." अर्थात् भारतवर्ष भूखों मरते हुए मनुष्यों का घर है।" सर विलियम इंटर ने सन् १८८३ में श्रीमान् वार्डसराय की कौंसिल में कहा था

"The Government assessment does not leave enough food to the cultivator to support himself and his family throughout the year" अर्थात् सरकार का लगान किसानों और उनके कुटुम्बों के बिये साल भर खाने के बिये पूरा अन्न भी नहीं छोड़ता। मि० हरबर्ट कॉम्पटन अपनी "Indian life" में कहते हैं:—

"There is no more pathetic figure in the British Empire than Indian peasant." अर्थात् ब्रिटिश साम्राज्य में हिन्दुस्थानी किसान के समाज हृदय को द्रवित करने वाला और कोई मनुष्य नहीं है।

मि० विलियम डिंग्वी महाशय ने अपने "Condition of India" नामक ग्रन्थ में एक अमेरिकन मिशनरी का मत उद्धृत किया है। उसका आशय यह है:—

"मृत वर्ष (सन् १९०१) सितम्बर मास में दौरा करते हुए मुझे बड़ा ही दुःखपूर्ण अनुभव हुआ। मेरे डेरे के आस पास दिन रात

हजारों भूखों मरते हुए मनुष्यों का कुंड लगा रहता था। मेरे मकानों में सिवा इसके और कोई शब्द ही नहीं आता था “हाय ! हम अन्न के बिना मर रहे हैं” ! सचमुच लोगों को दो दो तीन तीन दिन में एक वक्त भी मुरिकल्ल से भोजन मिलता था। मैंने तीन सौ आदमियों की आमदनी की जाँच की, जिससे मुझे मालूम हुआ कि प्रति मनुष्य की आमदनी औसतन तौर से प्रति दिन एक फार्दिग (आना) से भी कम है। मैंने कोंपड़ियों में जाकर इन्हें देखा तो मुझे मालूम हुआ कि बहुत से लोग बिलकुल सड़े हुए अनाज से अपना निर्वाह करते हैं। यह भी उन्हें दो तीन दिन में कभी एकाध बार नसीब होता है ! इस पर भी तारीफ़ यह कि यह साल (सरकार द्वारा) अकाल नहीं माना गया। अरे भाई ! ईश्वर के नाम पर यह तो कहो कि यह अकाल नहीं तो और क्या है ? हिन्दुस्थान के गरीब लोगों की अत्यन्त दरिद्रता असाधारण स्थिति उपस्थित करती है। इसमें जीवन जीतना दुःखी और संकीर्ण रहता है, वह अकल्पित है। कई कुटुम्बों के घर, सामान, बर्तन, वासन आदि सब मिला कर तीस रुपये मूल्य के भी नहीं होते। इनमें से बहुत से कुटुम्बों में प्रति मनुष्य पीछे औसत १॥) रुपये से ज्यादा आमदनी नहीं होती। किसी की तो औसत आमदनी इससे आधी होती है।”

उक्त पादरी साहब की बातें रत्ती रत्ती सच्च थीं। ऊपर हमारे बंधुओं की भीषण और परम करुणाजनक स्थिति का जो चित्र खींचा गया है, वह हमारी राय में फिर भी अपूर्ण है। जिन लोगों ने सन्वत् १९२६ का अकाल देखा है, वे जानते हैं कि उस समय जिधर देखिये उधर ही हजारों मनुष्य ऐसे दिखलाई पड़ते थे, जिनका पेट भूख के मारे बैठा जाता था, जिनकी आँखें बाहर निकल रही थीं, जो चलने में गिर पड़ते थे, जो अन्न के एक एक दाने के लिये कुत्तों की तरह लड़ते थे, जिनके बदन पर सिवा एक लंगोटी के और कुछ नजर ही नहीं आता था, जिन्हें खाने को गेहूँ की रोटी तो दूर रही, ज्वार मक्का की रोटी तक नहीं मिलती थी। हाय !

यहाँ तक देखा है कि सड़ी हुई ज्वार से खपरिया नामक जो सफेद धूल निकलती है, उसके लिये भी लोग तरसते थे ! कई अभाग्यवृत्तों की छाँटें पका पका कर खाते थे, और कुछ दिन तक उनसे अपना जीवन निर्वाह करते थे । यहाँ तक देखा गया है कि भूखी माँ दो वर्ष के बच्चे के हाथ से रोटी छीन कर खा रही है !! देहातों और कस्बों में मुर्दों के ढेर के ढेर खगे हुए हैं, जिन्हें सरकार उठाकर फिकवा रही है !! दो दो रुपयों में लोग अपने बच्चों को बेचते थे !! कहां तक कहें हमारी तो लेखनी काम नहीं करती ! इस प्रकार का कल्याणजनक दृश्य शायद ही कभी सभ्य संसार के इतिहास में उपस्थित हुआ होगा । सम्वत् १९५६ (सन् १९००) के अकाल का नाम सुनकर आज भी बहुत से लोगों के कलेजे धरते हैं । इस प्रकार कई भीषण अकाल पड़े, जिनमें लाखों मनुष्यों की जानें गईं !

कुछ वर्ष पहले मैं अपने एक बन्धु के विवाह में बुँदेलखण्ड गया था । वहां मैंने गरीबी का जो हृदय-द्रावक दृश्य देखा, वह मैं कभी नहीं भूल सकता । मैंने प्रत्येक नगर में हजारों भूखों मरते हुए तिनके जैसे दुबले पतले तथा कृश मनुष्य देखे । अन्न के कणों के लिये या रोटी के टुकड़ों के लिये सैकड़ों भिखमंगे हमेशा द्वार पर आते थे । उनको देखने से मालूम होता था कि दो दो तीन तीन दिनों में भी इन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता । मैंने एक बार एक दृश्य देखा, जो अबतक मेरे हृदय में अंकित है । मैंने देखा कि मेरे एक साथी ने ककड़ी के कुछ छिलके नाली में फेंके । उन्हें लेने को लोगों के मुँड के मुँड उमड़ पड़े और पेशाब तथा गंदी चीजों से भरी हुई नाली से उन छिलकों को उठाकर खा गये ! हाय कितना हृदय-द्रावक चित्र है ! गरीबी और भूखका इतना भयानक दृश्य शायद ही किसी सभ्य देश में उपस्थित होगा ।

इस प्रकार दरिद्रता के अनेक हृदय-द्रावक चित्र इस हतभाग्य देश में नित्य प्रति देखे जाते हैं। इस अभाग्य देश के करोड़ों मनुष्य किस प्रकार अपना गुजर करते हैं; किस प्रकार वे अपनी स्त्री पुत्रों और कुटुम्बियों का पालन करते हैं; वे क्या पहनते और ओढ़ते हैं; बीमारी के समय खाने पीने की तथा वैद्यकीय सहायता की उनके लिये कैसी व्यवस्था रहती है, इन बातों की सूक्ष्म जाँच करोड़ों किसानों और मजदूरों की झोंपड़ियों में जाकर की जावे और उसका फल प्रकट किया जावे तो हम समझते हैं एक ऐसा हृदय द्रावक और करुणाजनक चित्र सामने आवेगा जो इस युग की दरिद्रता के इतिहास में बेजोड़ होगा।

यह तो हुई निम्न श्रेणी के लोगों की बात। अब मध्यम श्रेणी के लोगों को लीजिये। इनकी भी स्थिति बुरी है। मैंने देखा है कि यद्यपि इस श्रेणी के कई लोग ऊपर से बने ठने हुए दीखते हैं पर इनके घरों की स्थिति का आप दिग्दर्शन करेंगे तो वहाँ भी आपको चूहे तक एकादशी करते हुए मिलेंगे। इस श्रेणी के बहुत से घरों में देखा गया है कि एक कमाता है और सारा घर खाता है। क्योंकि इस श्रेणी के लोगों की औरतें अपनी शान के खिहाड़ से कोई उत्पादक काम नहीं करतीं। शिक्षा के अभाव कारण उनका सारा जीवन चूहे चक्री ही की फिर में जाता है। यह बात इस श्रेणी के लोगों के लिये आर्थिक दृष्टि से हानिकर है। इसके सिवा इन लोगों में नौकरी पेशा लोग अधिक होते हैं जिन्हें शान से रहना पड़ता है और इस वक्त चीजों की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाने से इसमें तिगुना या चौगुना खर्च पड़ता है और आमदनी में दूनी तरकी भी नहीं हुई है। इससे इनकी स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। कई दृष्टियों से विचार करने पर इनकी स्थिति को भी अगर निम्न श्रेणी के लोगों की स्थिति के समान दरिद्रतायुक्त कहें तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी।

इन सब बातों से भारत की दरिद्रता का पता लगता है। इसके सिवा जब हम उसकी आमदनी के औसत पर विचार करते हैं तो इस

अभागे और कम नज़ीब देश की भीषण स्थिति का इरावना चित्र आँखों के सामने आ जाता है। सरकारी गणना के अनुसार प्रत्येक हिन्दुस्थानी की औसत आमदनी उस समय अधिक से अधिक प्रतिशाल ३०) थी। लॉर्ड क्रोमर ने जो कि भारत के अर्थ सचिव थे, सन् १८८२ में हर एक आदमी की औसत आमदनी २०) प्रति शाल अंदाज़ की थी। भारत के भूतपूर्व वाइसराय लार्ड कर्जन ने इसे ३०) प्रति वर्ष माना है। लॉर्ड जार्ज मिलटन ने जो कि भारत के स्टेट सेक्रेटरी थे, सन् १९०१ के अपने बजट सम्बन्धी व्याख्यान में हर एक हिन्दुस्थानी की आमदनी की औसत दो पाउण्ड अर्थात् लगभग ३०) कहा है। मि० विलियम डिग्बी ने अपनी गहरी जाँच के बाद इसका परिमाण केवल २७) ही स्वीकार किया है। कहने का मतलब यह कि हिन्दुस्थानियों की आर्थिक दशा कितनी हीन थी यह बात उपर्युक्त पारचात्य अर्थशास्त्र वेत्ताओं के मतों से स्पष्ट होती है। उस पर भी यहाँ एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है। वह यह कि यह औसत निकालने में करोड़पतियों और लखपतियों की आमदनी को भी हिसाब में लिया गया है। अगर इनकी आमदनी को एक तरफ़ रख कर केवल गरीब लोगों की आमदनी की औसत देखी जावे तो यह औसत बहुत ही कम निकलेगी।

हिन्दुस्थान की आर्थिक स्थिति कितनी शोचनीय है। गरीबी के कारण उसपर प्लेग आदि कैसी आफ़तें पड़ रही हैं। इसका चित्र खींचते हुए अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सन्डरलैण्ड लिखते हैं—

“The truth is, the poverty of India is something we can have little conception of, unless we have actually seen it, as alas, I have..... Is it any wonder that the Indian peasant can lay up nothing for time of need. The extreme destitution of the people is principally responsible for

the devastations of plague. The loss of life from this terrible scourge is startling. It reached 272,000 in 1901; 500,000 in 1902, 8,000,000 in 1903; and over 1,000,000 in 1904. It still continues unchecked. The vitality of the people has been reduced by long semi-starvation. So long as the present destitution of India continues there is small ground for hope that the Plague can be over come..... The real cause of famines in India is not lack of rain; it is not over-population, it is the extreme, the abject, the awful poverty of the people."

अर्थात् सच बात तो यह है कि हिन्दुस्थान की दरिद्रता की हमें बहुत थोड़ी कल्पना है। इसकी कल्पना हमें तब ही हो सकती है, जब हम इसे अपनी आँखों से देखें। हाय ! मैंने इस दरिद्रता के चित्र को अपनी आँखों से देखा है..... क्या यह बात प्राश्चर्यजनक नहीं है कि हिन्दुस्थानी किसान जरूरत के समय के लिये कुछ भी नहीं बचा सकता ? प्लेग से जो सर्वनाश होता है, इसके लिये खास तौर से जिम्मेदार लोगों की दरिद्रता है। प्लेग से जो जीव हानि होती है, वह भयानक है। सन् १९०१ में २७२,०००, सन् १९०२ में ५००,०००., सन् १९०३ में ८००,०००, और सन् १९०४ में १,०००,००० मनुष्य इस रोग से मरे। बहुत दिनों तक भूखे रहने की वजह से हिन्दुस्थानी लोगों की जीवनशक्ति (vitality) बहुत ही कम हो गई है, और जबतक यह दरिद्रता बनी रहेगी, तब तक वह आशा करने का बहुत कम अवसर है कि प्लेग का नाश हो सकेगा। हिन्दुस्थान में अकाल पड़ने का कारण वर्षा की कमी नहीं, बड़ी हुई जनसंख्या नहीं, पर वह लोगों की घोर (abject)

और भयानक दरिद्रता है ।” इङ्ग्लैंड के सुप्रसिद्ध साम्यवादी मि० हिरडमैन लिखते हैं—

“The agricultural population of India is the most poverty-stricken mass of human beings in the whole world. It constitutes four-fifths of the whole of the inhabitants of Hindustan.” अर्थात् हिन्दुस्थान के किसान सारी दुनियाँ के मानव प्राणियों में सबसे अधिक दरिद्रता-ग्रस्त हैं ।” इन्हीं हिरडमैन महोदय ने अपनी “Bankruptcy of India” नामक ग्रन्थ में इस आशय के वचन लिखे हैं:—

“हिन्दुस्थान के लोग दिन प्रति दिन ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं । उनके ऊपर कर का जो बोझ है वह केवल भारी ही नहीं पर दुःसह भी है । वहाँ अकाल बहुत पड़ते हैं । यहाँ का सुसङ्गठित विदेशी शासन इस गरीब देश से सम्पत्ति का विशाल प्रवाह खींच ले जाता है ।”

सन् १८८८ में लार्ड डफरिन ने हिन्दुस्थानियों की सम्पत्ति की जाँच (Confidential enquiry) की थी । इस जाँच के परिणाम कभी प्रकाशित नहीं किये गये, पर डिम्बी महोदय ने अपने सुप्रख्यात ग्रन्थ “Prosperous British India” में इसकी गुप्त रिपोर्ट के कुछ अंश प्रकाशित किये हैं । उसमें कमिश्नर मि० हैरिंगटन ने अपनी रिपोर्ट में अवध गेम्पेटियर के कर्ता मि० वेनेट का हवाला देते हुए लिखा है:—

The lowest depths of misery and degradation are reached by the koris and Chamars whom he describes always on the verge of starvation.” अर्थात् कोरी और चमार लोगों की गरीबी और अधोगति सबसे अधिक गहरी है । मि० वेनेट कहते हैं कि ये बेचारे हमेशा भूखों मरते हैं । मि० हैरिंगटन ने सन् १८७६ में “पायोनियर” में लिखा था:—

“It has been calculated that about 60 percent of the entire native population.....are sunk in such abject poverty that unless the small earnings of child labor are added to the scanty stock by which the family kept alive, some members would starve.”

अर्थात् इस बात का अंदाज़ किया गया है कि लगभग ६० प्रतिशत हिन्दुस्थानी इतनी घोर दरिद्रता में फंसे हुए हैं कि अगर उनकी छोटी आमदनी में बच्चों की मज़दूरी के पैसे न मिलाये जाएँ, तो उनके कुटुम्ब के कई लोग मूर्खों मर जायें। मि० ए० जे० लॉरेन्स जो कि प्रयाग के कमिश्नर थे, लिखते हैं कि हिन्दुस्थान के गरीब लोग हमेशा आधे पेट रहते हैं।



भारतीय जागृति की प्रथम ज्योति



गत अध्यायों में हमने भारत की पराधीनता के कारणों पर और और उसके कारण होने वाले विनाश पर कुछ प्रकाश डाला है। संसार परिवर्तनशील है और अन्धकार के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद अन्धकार, यह विश्व का अटल नियम है। इसी नियमानुसार घोर अन्धकार में गुजरते हुए भारतवर्ष में कुछ प्रकाश—मय ज्योतिषों प्रकट हुईं, जिन्होंने भारतवर्ष में नवीन जीवन के स्फुलिंग उत्पन्न किये। इन ज्योतिषों में सर्व प्रथम राजा राममोहनराय थे, जिन्होंने उस अन्धकार-मय युग में अलौकिक प्रकाश फैलाया था। उन्होंने विश्वप्रेम और सकल मानवजाति की एकता का संदेश दिया था। भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म की आत्मा को उन्होंने पहचाना था। पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का समन्वय कर एक नवीन संस्कृति को जन्म देना उनके जीवन का प्रधान ध्येय था। वे भारतीय समाज में एक सर्वांगीण क्रान्ति करना चाहते थे और इस महान् उद्देश की सिद्धि के लिये भारतवासियों के धार्मिक आचार विचार में क्रान्ति करना वे आवश्यक समझते थे। धर्म समाज का हृदय है और यदि समाज के सब व्यवहारों में सुधार, परिवर्तन अथवा क्रान्ति करना है तो पहले उसके हृदय में परिवर्तन होना चाहिये—अथवा डॉक्टर भाष्यकार के शब्दों में “पहले आत्मा की उन्नति होना चाहिये। विशेष कर उस समाज के सर्वांगीण सुधार पर तो यह न्याय और भी अधिक लागू पड़ता है जिसके सब व्यवहारों पर धर्म का नियन्त्रण रहता है।” यह विचारधारा राममोहनराय की प्रवृत्तियों के अन्तर्गत काम करती थी।

इसी विचार धारा से प्रभावित होकर उन्होंने ब्रह्म-समाज नामक एक नये समाज को जन्म दिया। ब्रह्म-समाज के सिद्धान्त उपनिषदों पर निर्भर थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपनिषद् ग्रन्थ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के समुज्ज्वल रत्न हैं और उन्होंने अपने अध्यात्म-दर्शन के अलौकिक प्रकाश से मनावजाति के ज्ञान पथ को आलोकित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य धर्मों से भी प्रकाश ग्रहण कर अपने सिद्धान्तों की दिव्यता को और भी अधिक समुज्ज्वल किया था। राजा राममोहनराय ने, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, उपनिषदों को ही अपना पथ प्रदर्शक बनाया था। उन्होंने मानवीय समानता के लिये जोरदार आवाज उठा कर भारतवर्ष में प्रचलित अछूत, अस्पर्श्यता का प्रबल विरोध किया था। आपका कथन था कि अस्पर्श्यता भारतीय समाज का एक ऐसा रोग है जो उसे रात दिन खाये जा रहा है और उसे खूब प्रस्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत के महान् आदर्श विश्व-कल्याण के रास्ते में भी यह एक बड़ा कष्टक है। उन्होंने भारतीय समाज को द्विभेद और खोसला करने वाले जाति भेद पर भी कठोर कुठाराघात करने का प्रयत्न किया। उन्होंने स्त्री जाति के उत्थान के लिये भी आवाज उठाई और विधवा विवाह, नारी समानता के आन्दोलनों का समर्थन किया।

कहने का सरांश यह है कि उन्नीसवीं सदी में उन्होंने एक ऐसे आन्दोलन को जन्म दिया, जिसके पीछे महान् नैतिक और आध्यात्मिक बल था। जिन कार्यों से भारतीय समाज अधोगति को पहुँचा था उन कार्यों पर, राजा राममोहनराय ने जोर का आघात किया और उसके सामने एक नया आदर्श रखा।

राजा राममोहनराय और उनके राजनीतिक विचार

जिस युग में राजा राममोहनराय ने जन्म लिया था, वह युग भारतवर्ष के लिये बड़ा अन्वकारमय था। मुगल साम्राज्य के अन्तिम

समय में देश में जो अराजकता फैल गई थी उससे देश जर्जरित हो गया था। घरेलू लड़ाइयाँ और पारस्परिक राग द्वेष की भावना ने भारतीय-समाज-शरीर को अधिक रोगग्रस्त कर दिया था।

इस कारण लोगों की राजनैतिक भावनायें नष्ट प्रायः हो गईं थीं। पर ऐसे समय में भी राजा राममोहनराय ने जनताके अधिकारों के लिये आवाज़ उठाई। राजा राममोहनराय पर ब्रिटिश विधान और उसके अन्तर्गत रही हुई नागरिक स्वाधीनता का बड़ा प्रबल प्रभाव पड़ा। उन्होंने वैयक्तिक नागरिक स्वाधीनता के लिये आवाज़ बुलन्द की।

राजा राममोहनराय और स्वतंत्रता प्रेम

राजा राममोहनराय मानवीय स्वाधीनता के कट्टर पक्षपाती थे। विचार-स्वातन्त्र्य, मुद्रण-स्वातन्त्र्य और धर्म स्वातन्त्र्य के वे कट्टर पक्षपाती थे। उनकी राजनीति बड़ी विशाल थी। जिस प्रकार उनके धर्म में विश्व-कल्याण की भावनायें थीं वैसे ही उनके राजनीति में भी विश्व-कल्याण की भावनाएं थीं। वे भारत का कल्याण चाहते थे पर इसके साथ ही साथ सकल मानव जाति के कल्याण की भावना भी उनके हृदय को अतृप्त किए हुए थीं। वे संसार में सच्ची स्वाधीनता को प्रस्थापित करना चाहते थे और एक ऐसे समाज को जन्म देना चाहते थे जिससे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को शोषण करने के बजाय एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक सहयोग रखे और अखिल मानवजाति का कल्याण साधन करे। महात्मा गांधी, श्री अरविन्द घोष, कविवर रवीन्द्रनाथ टैगौर आदि के विचार और राजा राममोहनराय के विचारों में इस सिद्धान्त में समानता थी कि राजनीति का सिद्धान्त सकल मानव जाति की कल्याण कामना को ध्यान में रखते हुए प्रस्थापित होना चाहिये।

राजा राममोहनराय और मुद्रण स्वातंत्र्य

राजा राममोहनराय ने मानवीय भावों के स्वतंत्र प्रकाशन पर बड़ा जोर दिया था। इसके लिये उन्होंने मुद्रण स्वातन्त्र्य का होना आवश्यक

समझ था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन सम्राट् को इस सम्बन्ध में जो मेमोरियल भेजा था, उससे उनकी मुद्रण-स्वातन्त्र्य सम्बन्धी गहरी लगन का पता लगता है। इस Memorial में उन्होंने दिखलाया था कि राजनीति के उदार सिद्धान्त मुद्रण स्वातन्त्र्य-का जोर से समर्थन करते हैं और यह तत्त्व शासक और शासितों दोनों के लिये महान् हितकर है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज कवि मिस्टन (Milton) की तरह उन्होंने यह प्रकट किया था कि किसी भी सभ्य शासन के लिये जो सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठता हो सकती है, या समाज की जो सर्वोत्कृष्ट प्रकाश और शुभ प्राप्त हो सकता है उसका सबसे प्रबल साधन मुद्रण-स्वातंत्र्य हैं। पर इस मुद्रण स्वातंत्र्य में कुछ मर्यादाएं होनी चाहिये। इसका पाया शुद्ध जन प्रेम और लोक कल्याण की भावना पर स्थिर होना चाहिये। पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजा राममोहनराय को इसमें सफलता न मिली। बल्कि इसके बाद सन् १८२३ ई० ईस्ट इन्डिया कम्पनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (Court of Directors) ने मुद्रण-स्वातन्त्र्य पर और भी अधिक बन्धन लगाने का विचार किया और भारत के तत्कालीन शासन को यह अधिकार दिया कि वह उचित समझने पर किसी भी द्वापेखाने का लायसेन्स वापस ले सकती है।

राजा राममोहनराय और कृषक

राजा राममोहनराय कृषकों के भी बड़े हितैषी थे। उन्होंने किसानों पर जमींदारों द्वारा होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध जोर की आवाज बुलन्द की। उन्होंने तत्कालीन सरकार को लिखा कि “वह सरकार का अधिकार और कर्तव्य है कि वह निस्सहाय किसानों की रक्षा करे। उनकी दशा अत्यन्त दयनीय है। सरकार किसानों को बहुत ही कम कानूनी संरक्षण देती है।” (Ram mohan Rai's works)

राजा राममोहनराय का हृदय किसानों की अत्यन्त दृष्टि, दयनीय दशा देख कर द्रवीभूत हो जाता था। वे लिखते हैं कि—“किसानों की

दशा इतनी दुःखपूर्ण है कि उसे देखकर मेरे हृदय को सबसे अधिक दुःख होता है। इस स्थिति को सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि जमींदारों से यह अधिकार कतई छीन लिया जाय कि वे माल गुजारी में किसी भी प्रकार की वृद्धि कर सकें। इस सम्बन्ध में अगर परम्परागत प्रथा को तोड़ना पड़े तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के कतई तोड़ देना चाहिये। किसी भी सम्यक् सरकार का यह कर्तव्य है कि वह न्याय की दृष्टि में रख कर ऐसी अन्यायकारी प्रथा को नेस्त नाबूद कर दे। किसानों की मौजूदा मालगुजारी में भी बहुत कुछ कमी होना चाहिये।”

राजा साहब से यह भी सुझाव रखा कि किसानों के लगे हुए कर में कमी होने से सरकार को जो क्षति होगी उसकी पूर्ति विद्यालय से आने वाली विज्ञान सामग्री पर कर लगाकर की जावे।

राजा राममोहनराय और अन्तर्राष्ट्रीय एकता

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, राजा राममोहनराय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और एकता के कट्टर हिमायती थे। उन्होंने ईसाई लोगों को अपील करते हुए भगवान् से यह प्रार्थना की थी “सर्वशक्तिमान् ईश्वर हमारे धर्म को ऐसा बनावे जिससे आपसी द्वेष भाव नष्ट हों और मनुष्य मनुष्य से घृणा करना बन्द कर दे। इतना ही नहीं, सारी मनुष्य जाति को एकता और शान्ति के पथ में ले जाने में यह धर्म सहायक हो।”

राजा राममोहनराय विश्वबन्धुत्व की उदार भावना के द्वारा संसार को प्रेम के एक सूत्र में बाँधना चाहते थे। वे भारत और ब्रिटेन के सम्बन्धों को भी प्रेम की नींव पर खगाना चाहते थे। उनका विचार था कि लोगों की साम्प्रतिक सुरक्षा, लोगों के लिए सब प्रकार के नागरिक अधिकारों का भोग, और जनमत का आदर आदि तत्त्वों के अवलम्बन से भारत और ब्रिटेन का सम्बन्ध अधिक मित्रतापूर्ण हो सकता है।


इसके अतिरिक्त उन्होंने तमाम यूरोपियन राष्ट्रों से यह अपील की थी कि वे आसपास के एशियाई राष्ट्रों को सुसंस्कृत और सुसम्भ्य करने का

महान् कार्य (Great mission) करें ।

राजा राममोहनराय और नारी-स्वातन्त्र्य

राजा राममोहनराय पुरुषों के साथ-साथ नारी-जागृति के भी प्रबल समर्थक थे । उन्होंने उन प्रथाओं का जोरदार विरोध किया जिनसे नारी-जाति पर अत्याचार होते थे । उन्होंने सति-प्रथा को रोकने के लिये जोरदार प्रभाव डाला । उन्होंने त्रिषुवा-विवाह के लिये आवाज बुलन्द की और उसे समाज-सुधार का एक अत्यन्त आवश्यक अङ्ग बतलाया ।

कहने का सार यह है कि भारतीय समाज को एक शक्तिशाली और आदर्श समाज बनाने के लिये जिन तर्कों की आवश्यकता थी, उनका उन्होंने जोरदार समर्थन किया ।



भारत में विचार-क्रान्ति का प्रारम्भ



राजा राम मोहनराय, जैसा कि हम गत पृष्ठों में कह चुके हैं, पौराण्य और पाम्नात्य संस्कृतियों के एकीकरण से एक नवीन संस्कृति को जन्म देना चाहते थे। इसके लिये उन्होंने शिक्षा प्रचार को सबसे अधिक उपयुक्त साधन समझा था। उन्होंने कलकत्ते में हिन्दू कॉलेज नामक संस्था खोलने में प्रमुख भाग लिया। इस कॉलेज ने कुछ ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी उत्पन्न किये, जिन्होंने भारतवर्ष की जागृतिकाव्य के आरंभ में, राजकीय क्रान्तिकारी विचारों को जन्म दिया। इन विद्यार्थियों में ताराचन्द्र चक्रवर्ती, दक्षिण निरंजन मुखोपाध्याय, रसिक कृष्ण मल्लिक, रामगोपाल घोष, प्यारी चन्द्र मित्र आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये सब युवक यूरोप के क्रान्तिकारक विचारों से बड़े प्रभावित हुए थे। सन् १८३६ ई० के मई मास में इङ्गलिशमैन नामक पत्र के संवाददाता ने हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों के राजनैतिक मत के लिये लिखा था:—

“राजनीति में ये सब युवक उग्र और क्रान्तिकारक विचार रखते हैं। ये बेन्थम (Bentham) के राजनैतिक सिद्धान्तों के अनुयायी हैं। टोरी (दक्षियान्सी) शब्द उनके लिये एक घृणा का शब्द है। उनके विचारानुसार हर एक सरकार को सहनशीलता का तत्व अपनाना चाहिये और लोगों में ज्ञान के प्रचार के द्वारा सुधार करना चाहिये। अर्थशास्त्र में ये ऐडम स्मिथ (Adam Smith) के अनुयायी हैं। उनका यह स्पष्ट मत है कि एकाधिकार की पद्धति (System of Monopoly), व्यवसायों पर लगाई जानेवाली रोक (Restraints upon Trade) और बहुतसे राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय कानून उद्योग-धन्धों को पंगु करते हैं, कृषि की उन्नति में बाधा पहुँचाते हैं और व्यापार के स्वाभाविक प्रवाह में

रोक लगाते हैं।" इसके अतिरिक्त इन नवयुवकों ने बंगाल की जनता में राजनैतिक भावनाओं का प्रचार करने में बड़ा काम किया। हिन्दू कॉलेज के इन युवकों पर अध्यापक हेनरी विवियन डेरोफियो (Henry Vivian Derozio 1809-1831) के व्यक्तित्व और शिक्षा का बड़ा प्रभाव पड़ा था। सन् १८२८ ई० में डेरोफियो हिन्दू कॉलेज का चतुर्थ अध्यापक नियुक्त हुआ और सन् १८३० ई० तक उसने उक्त कॉलेज में अध्यापक का कार्य किया। थामस एडवर्ड (Thomas Edwards) ने सन् १८८४ ई० में हेनरी वि० डेरोफियो की जीवनी लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा था—“वह एक आदर्श अध्यापक, प्रतिभाशाली संकलनकर्ता, उत्साही पत्रकार, दिव्य कवि और उच्च श्रेणी का तत्त्वज्ञानी था। वह इन्डियन गेज़ेट (Indian Gazette) का सहकारी सम्पादक था। वह पत्र अत्यन्त उग्र राजनैतिक विचारों का था। इसके अतिरिक्त डेरोफियो कलकत्ता लिटरेरी गेज़ेट (Calcutta Magazine) इन्डियन मेगज़िन (Indian Magazine), बङ्गाल एन्नुअल (Bengal Annual) में भी लेख दिया करता था। उसके विद्यार्थी उसे बड़ी श्रद्धा की नज़र से देखते थे और वे उसे बंगाल के सर्वोच्च निर्माणकर्ताओं में से एक मानते थे।”

सन् १८४२ ई० में उसकी मृत्यु पर उसके प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने बङ्गाल स्पेक्टर नामक पत्र में जो लेख लिखा था, उसमें निम्न-लिखित शब्दों में उसे स्मरण किया गया था।

“डेरोफियो ने भारतीय युवकों के मन पर अपना जीवन दायक सुसंस्कृत (Enlightening) और आनन्ददायक (Cheerful) प्रभाव डाला और उनके अन्तःकरण में उसने एक अमूर्त उत्साह की जो कि आज तक अपना प्रभाव बनाये हुये हैं। उसका नाम आज भी विद्यार्थीगण आदर से स्मरण करते हैं।

हमके आगे चलकर लिखा है कि “डैरोफियो जीवन के हर पहलू में स्वाधीनता का बड़ा पूजारी था। उसने अपने विद्यार्थियों के अन्तःकरणों को देश भक्ति की भावनाओं से ओत प्रोत कर दिया था।”

प्यारीचन्द्र मित्र ने अपने ग्रंथ *Life of David Hare* में डैरोफियो के सम्बन्ध में कहा है:—

“डैरोफियो अपने विद्यार्थियों को स्वतः विचार करने की शिक्षा देता था। वह उन्हें सत्य के लिये जीने और मरने की शिक्षा देता था। वह उनसे सब प्रकार के सद्गुणों का विकास करने और बुराइयों और पापों से दूर रहने की जोरदार अपील करता था। प्राचीन इतिहास ग्रंथों से न्याय-प्रेम, स्वदेश-भक्ति, परोपकार और आत्म-त्याग के उदाहरण देकर उन्हें इन गुणों को अपनाने का आग्रह करता था। उसकी शिक्षाओं से विद्यार्थियों के दिल हिल उठते थे और उन पर गहरा प्रभाव पड़ता था।”

डैरोफियो ने अपने विद्यार्थियों को बेकन, ह्यूम और टॉमस पेन आदि पाश्चात्य राजनीतिज्ञों के सिद्धान्तों का परिचय करवाया। राजनीति के इन महान् आचार्यों के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का इन युवक-हृदयों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के इतिहास ने भी उनके हृदयों में घोर आन्दोलन उत्पन्न किया। हिन्दू कॉलेज के कुछ विद्यार्थी भारतवर्ष में भी फ्रांस जैसी राज्य-क्रान्ति कर विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का स्वप्न देखने लगे। सन् १८४३ में “बंगाल हरकारू” नामक पत्र में उनमें से कुछ विद्यार्थियों ने अपने क्रान्तिकारी विचारों का प्रदर्शन किया। हम उक्त पत्र से कुछ उद्धरण देते हैं जिनसे पाठकों को उनके विचारों का कुछ दिग्दर्शन हीगा।

“अगर भारतवर्ष के निवासी फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का अनुकरण कर स्वाधीनता के फलों को उपभोग करने का सौभाग्य प्राप्त करें तो संसार की दृष्टि में वे स्वतंत्र मनुष्यों की तरह आदर की निगाह से देखे जायेंगे और पृथ्वी के राष्ट्रों में वे अपना योग्य स्थान प्राप्त कर सकेंगे।”

हिंदू कॉलेज के इन उत्साही विद्यार्थियों ने अपने विचारों का प्रदर्शन करने के लिए कई पत्रों का भी प्रकाशन शुरू किया जिनमें “हिन्दू पायोनियर” (Hindu Pioneer), “बंगाल स्पेक्टर” (The Bengal Spectator), “ज्ञानान्वेषण” और “पार्थेनन” (Parthenon) आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये घटनाएँ इसवी सन् १८२८ और १८४३ के बीच की हैं। कहने का मतलब यह है कि इसवी सन् १८२७ के गदर के पहिले भी भारत में स्वाधीनता के भावों का और विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का बीजरूप से उपक्रम होने लगा था। इसके अतिरिक्त हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने राजनैतिक और सामाजिक सुधार करने के लिए भी कुछ संस्थाएँ स्थापित की थीं जिनमें सब से पहली और मुख्य संस्था का नाम एकेडेमिक एसोसिएशन और इन्स्टीट्यूशन (Academic Association or Institution) था। इस संस्था का उद्देश्य विचार-स्वातंत्र्य, लेखन-स्वातंत्र्य, स्वदेश-भक्ति, शुद्ध ईश्वर-भक्ति, मूर्ति-पूजा और पुरोहितवाद का विरोध आदि तत्वों का प्रचार कर लोक-जागृति उत्पन्न करना था। इसवी सन् १८३८ में तारिणीचरण बन्धोपाध्याय, रामगोपाल घोष, रामतनु ब्राह्मिरी, ताराचन्द्र चक्रवर्ती और रात्रकृष्ण दे ने मिलकर “साधारण ज्ञानार्जन समिति” (Society for the acquisition of General knowledge) नामक संस्था कायम की जिसका उद्देश्य लोगों को देश की वास्तविक स्थिति का परिचय कराना, उपयोगी ज्ञान को फैलाना और लोगों में एकता और मातृभाव का प्रचार करना आदि था। रामगोपाल घोष इसके उपाध्यक्ष थे। महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर ने, जिनकी अवस्था इस समय केवल २१ वर्ष की थी, इसकी सदस्यता स्वीकार की थी।

इसवी सन् १८४२ और १८४३ में उक्त कॉलेज के विद्यार्थी ताराचन्द्र चक्रवर्ती ने “कवील” (The quill) नामक एक अंग्रेजी समाचार-पत्र का सम्पादन और प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्र में राजनीति के

अत्यन्त उग्र विचारों का प्रकाशन होता था ।

हिन्दू कालेज के विद्यार्थियों द्वारा प्रकाशित "हिन्दू पायोनियर" (Hindu Pioneer) नामक अंग्रेजी पत्र का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । इस पत्र का उद्देश्य हिन्दुओं को शासन-विज्ञान (Science of Government) की शिक्षा देना था* और उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान करवाना था ।

इन नवयुवकों की प्रवृत्तियां यहीं तक सीमित नहीं थीं । उन्होंने मानवी समानता के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का प्रचार किया और उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों के एकाधिकार का जोरदार विरोध किया । उनका यह विश्वास था कि अगर शासन-सत्ता अयोग्य हुई और न्याय-शासन में भ्रष्टाचार घुस गया तो लोगों के नैतिक गुणों का भी हास होने लगेगा, इसलिए इनका शुद्ध और निर्दोष होना आवश्यक है ।x

हिन्दू कालेज के विद्यार्थियों में रसिककृष्ण नामक सज्जन ने भी अपने राजनैतिक विचारों को निर्भीकता के साथ प्रकट किये थे । इन्होंने "ज्ञानान्वेषण" नामक मासिक पत्र में इसी सन् १८३३ के १२ अप्रैल के अंक में लिखा था:— "सरकार का प्राथमिक कर्तव्य निरपेक्ष और शुद्ध न्याय का शासन करना है, पर यह कार्य उसी सरकार द्वारा हो सकता है जिसका उद्देश्य शासितों के हित और कल्याण की रक्षा करना है । पर भारतवर्ष में यह स्थिति नहीं है । हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए जोरदार प्रयत्न करने चाहिए ।" इसके आगे चलकर उन्होंने लिखा था कि "ब्रिटिश भारत में जैसा शासन चल रहा है वह न्यायपूर्ण सिद्धान्तों के खिलाफ है क्योंकि ब्रिटिश भारत के शासकगण ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ को दृष्टि में रखकर काम करते हैं । वे केवल द्रव्य प्राप्ति की हीन

*Calcutta Quarterly Magazine and Review 1833

xIndia Gazette 12th April 1833

भावना के कशीभूत होकर काम करते हैं। उनका प्रत्येक कार्य स्वार्थ से परिपूर्ण रहता है। जब तक वर्तमान शासन-पद्धति रहेगी तब तक हमें सुधारों की कोई आशा नहीं है।" इस प्रकार रसिककृष्ण मल्लिक ने अपने विचार प्रदर्शित करते हुए ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन को खत्म करने के लिए अपनी आवाज़ बुलन्द की थी।



समाचार पत्रों का प्रकाशन

मानव अधिकारों का आन्दोलन

जनता की जागृति में समाचार पत्रों ने कितना हाथ बढ़ाया है, यह बात संसार के समाचार पत्रों के इतिहास के अवलोकन से स्पष्टतया प्रतीत होती है। हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने जनता में सामाजिक और राजनैतिक भावनाओं का प्रचार करने के लिये अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ किया। इनमें The Parthenon, (२) ज्ञानान्वेषण, Hindu, Pioneer, 'The Bengal Spectator' आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

पार्थेनन (The Parthenon) नामक पत्र का प्रकाशन ईसवी सन् १८३० की १५ फरवरी को आरम्भ किया गया। यह साप्ताहिक पत्र था। प्रगतिशील राष्ट्रीय और सामाजिक भावनाओं का प्रचार कर जनता को जागृत करना उसका उद्देश था। इसने स्त्री-शिक्षा पर भी काफी जोर दिया। हिन्दुओं में फैले हुए अन्ध विश्वासों को दूर करने के लिये इसने प्रबल आन्दोलन किया। यह शीघ्र ही बन्द होगया।

हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने "ज्ञानान्वेषण" नामक पत्र का प्रकाशन ईसवी सन् १८३१ में आरम्भ किया। यह पत्र ईसवी सन् १८४४ तक बराबर चलता रहा। रामकृष्ण मल्लिक, रामतनु लाहिडी, तारकचन्द्र बोस, रामगोपाल घोष, दक्षिण रंजन मुर्कजी आदि उक्त कॉलेज के विद्यार्थी नवयुवक इसके सञ्चालक थे। हिन्दुओं को शासन-विज्ञान (Science of government) और न्याय-विज्ञान (Jurisprudance) का ज्ञान करवाना और उनमें राजनैतिक भावनाओं का विकास करना इसका प्रधान उद्देश था (Calcutta quar-

terly Magazine & Review 1833 P. 417)

तीसरा पत्र जो हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रकाशित किया था, उसका नाम 'Hindu Pioneer' था। वह 'स्वतन्त्रता' और 'विदेशियों के अधीनस्थ भारत' आदि विषयों पर लेख प्रकाशित किया करता था। उसने अपने एक लेख में लिखा था:—“ब्रिटिश के अधीनस्थ भारत सरकार विशुद्ध रूप से अभिजात तन्त्रीय (Aristocratic) है। लोगों की शासन-तन्त्र में कोई आवाज़ नहीं है। देश के लिये क़ानून बनाने में उनका कोई हाथ नहीं रहता। देश के बड़े बड़े पदों पर केवल ग़ोरों का एकाधिकार (Monopoly) है। शासन का खर्च बहुत ही भारी है। यह स्थिति इतनी असहनीय है कि इसके खिलाफ़ जोरदार आन्दोलन करना प्रत्येक राष्ट्र-भक्त का धर्म है।”

“जिन हिंसात्मक साधनों से (violent means) से विदेशियों ने इस देश पर अपना आधिपत्य जमाया और यहां की जनता को शासन में हिस्सा लेने से च्युत किया, वह एक ऐसी स्थिति है जिसे कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां की जनता न केवल शासन में हिस्सा लेने से ही अलग कर दी गई है, पर महत्व के पदों से भी उसे च्युत कर ग़ोरों को आसीन कर दिया गया है।” (Hindu Pioneer” quoted in the Asiatic Journal of May-August 1838)

उपरोक्त पत्रों के सिवा हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने बज़ाल स्पेक्टर नामक एक चौथा पत्र निकाला। ईसवी सन् १८४२ में इसका प्रकाशन आरम्भ हुआ। यह राजनैतिक विचारों में ताराचन्द्र चक्रवर्ती का अनुयायी था।

कहने का सारांश यह कि ईसवी सन् १८५७ के भारतीय स्वातन्त्र्य युद्ध के पहले भी जन-अगृहीत के लिये समाचार पत्रों को जोरदार साधन समझा गया था। अब कुछ तत्कालीन विचार-क्रान्ति कारक सज्जनों का

वृत्तान्त भी सुनिचे ।

रसिक कृष्ण मल्लिक

रसिककृष्ण मल्लिक हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों में बड़े योग्य और प्रतिभाशाली थे । पण्डित शिवनाथ शास्त्री ने लिखा है कि रामतनु लाहिरी सरीखे उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण सज्जन रसिक को अपना गुरु मानते थे ।

ईसवी सन् १८३४ के पहले रसिक कृष्ण 'ज्ञानान्वेषण' नामक बंगला पत्र के सम्पादक थे । निर्भयता के साथ अपने राजनैतिक विचारों को प्रकट किया करते थे । उनके विचारानुसार उस प्रजा का नैतिक पतन अवश्यम्भावी है जो ऐसे शासन के अन्तर्गत रहती है, जो अयोग्य और अरुचम है तथा जो अष्टाचार पूर्ण है । आपने अपने पत्र में लिखा था,—

“जहां न्याय का मूल खोत भ्रष्ट हो, वहां समाज न तो नैतिक दृष्टि से पनप सकता है और न भौतिक दृष्टि से । इस प्रकार की भ्रष्ट न्याय-प्रणाली का परिणाम यह होता है कि धनिक लोग अपने अन्याय पूर्ण कृत्यों में भी सफलता पा जाते हैं और गरीब अन्याय की चक्की में पिसे जाते हैं ।”

“सरकार का प्राथमिक कर्तव्य जनता के लिये निष्पक्ष और विशुद्ध न्याय-प्रणाली की व्यवस्था करना है, पर यह व्यवस्था वही सरकार कर सकती है, जिसने लोक-कल्याण की भावनाओं में अपने आपको तन्मय कर दिया है । दुर्भाग्य से भारतवर्ष में यह स्थिति नहीं है ।”

“ब्रिटिश भारत का न्याय-शासन जिस तरह चल रहा है, वह हर दृष्टि से शासन विज्ञान के न्याययुक्त सिद्धान्तों के विरुद्ध है । व्यापारियों की एक-अमात शासक के रूप में हम पर थोपी गई है । वह अपनी व्यापारिक और स्वार्थी मनोवृत्ति के कारण ऐसे कानून और कियम कैसे बना सकती है, जिनसे हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके । वह तो अपने स्वार्थी की रक्षा करेगी और कम से कम स्वर्च में अपना शासन शकट

चलायगी। सारांश यह है कि ऐसी सरकार द्रव्य प्राप्ति के कुछ सिद्धान्त पर अपने शासन का पाया रखती है।”

“न्याय-प्रदान की हरएक व्यवस्था, जो इस समय प्रचलित है, सर्वांश रूप से स्वार्थ-भावना से प्रेरित है। इस बुराई को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि ईस्ट इण्डिया कं० के राजनैतिक अधिकार तोड़ दिये जावें। जब तक आधुनिक पद्धति का अमल दरामद रहेगा तब तक ये खराबियां बनी रहेंगी।” (“Gyananveshun quoted in the India Gazette of 8th Apl. 1833)

राजा राममोहन राय की भांति रसिक कृष्ण ने भी सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण करने की आवाज उठाई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि शासन-प्रबन्ध में भारतियों का पूर्ण सहयोग होना चाहिये और छोटे तथा बड़े पदों पर ज्यादातर भारतियों की ही नियुक्ति होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त रसिक कृष्ण ने जन-शिक्षा के प्रचार के लिये भी जोर की आवाज बुलन्द की थी। उन्होंने यह दिखलाया था कि सरकार का कोई शासन-तन्त्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि जनता शिक्षित न हो। अतएव यह आवश्यक है कि सरकार अपनी भरसक कोशिस लोगों में शिक्षा प्रचार के लिये करे और अपनी आब का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों के बौद्धिक विकास पर खर्च करे। इस कार्य की सिद्धि के लिये सरकार को चाहिये कि वह ज्ञान प्रचार के लिये अच्छी पुस्तकों का मुफ्त या कम से कम मूल्य में प्रकाशन करे। ज्ञान-प्रचार ही लोगों के चरित्र सुधार का सबसे अच्छा साधन है।

रसिक कृष्ण मल्लिक ने राजा राममोहनराय के समान किसानों के अधिकारों के लिये भी आवाज उठाई थी। बंगाल के कायमी बन्दोबस्त (Permanent Settlement) के विषय में उन्होंने लिखा था:—

“बंगाल का कायमी बन्दोबस्त, चाहे कितने ही अच्छे उद्देशों से किया गया हो, कई दोषों से युक्त है। इसका परिणाम यह होता है कि गरीब वर्ग के अधिकारों की इसमें पूर्ण उपेक्षा होती है।”

रसिक कृष्ण मल्लिक ने जमींदारों के अत्याचारों पर भी काफी प्रकाश डाला था और उन्होंने हमेशा किसानों के हितों के लिये आवाज़ उठाई थी। सारांश यह है कि १८२७ के गदर के बहुत पूर्व जिन युवकों ने मानव अधिकारों के लिये आवाज़ उठाई थी उनमें रसिक कृष्ण मल्लिक का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

ताराचंद चक्रवर्ती

ताराचंद चक्रवर्ती तत्कालीन बंगाल के नवयुवकों के सर्वमान्य नेता थे। इंग्लिश मैन (English man) आदि पत्रों ने भी आपकी इस स्थिति को स्वीकार किया था। शिवनाथ शास्त्री ने अपने रामचन्द्र खाहिड़ी के जीवन-चरित्र में इन्हें स्वतंत्रता व समानता का पूजारी कहा है। ब्रिटिश इन्डिया सोसायटी (British India society) के अध्यक्ष जार्ज थामसन (George Thomson) ने अपने २० अप्रैल १८४३ के अपने अध्यक्षता के भाषण में इनके स्फूर्ति दायक उत्साह, परोपकार भावना, प्रामाणिकता और विशुद्ध चरित्र की प्रशंसा करते हुए कहा था कि ताराचंद उन सब लोगों द्वारा पूज्य दृष्टि से देखे जाते हैं, जिनसे उनका परिचय था।

ताराचंद चक्रवर्ती बड़े राजनैतिक आन्दोलनकर्ता थे। इसके साथ ही साथ वे एक महान् विद्वान् भी थे। उन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेज़ी अनुवाद किया था और अंग्रेज़ी-बंगाली कोष का निर्माण किया था। वे इतिहास शोधक भी थे और ऐतिहासिक खोज में उस समय उन्होंने बहुत काम किया था। बंगाल स्पेक्टर (Bengal spectator) नामक पत्र में वे सम्पादकीय लेख लिखा करते थे।

ताराचंद के राजनैतिक विचार

ताराचंद प्रगतिशील राजनैतिक विचारों के थे। सन् १८४२ के सितम्बर मास में बङ्गाल स्पेक्टर (Bengal Spectator) नामक पत्र में उन्होंने लिखा था:—

“सरकार का कार्यक्षेत्र केवल शान्ति व व्यवस्था की रक्षा ही नहीं है वरन् नागरिकों के जीवन को समुन्नत कर उन्हें श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाना है। जिन अधिकारियों के हाथ में लाखों मनुष्यों के शासन का भार है, वे यदि मालगुजारी वसूल करने और साधारण शान्ति-रक्षा तक ही को अपनी हितकर्तव्यता समझते हैं तो वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। सुप्रभ्य सरकार का यह प्रधान धर्म है कि वह अपनी प्रजा के उठते हुए युवकों में गम्भीर और उपयोगी शिक्षा का प्रचार करे। लोगों में ज्ञान का प्रचार करना और उन्हें सुशिक्षित बनाना यही अच्छी सरकार का सर्वोत्कृष्ट आदर्श है। इसके अतिरिक्त व्यापार व उद्योग-धन्धों का विकास कर सरकार अपने साधनों को भी विकसित कर सकती है।”

“लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिये और सुख के विकास के लिये, सरकार को सत्ता देती है। इसलिये सरकार का यह कर्तव्य है कि जिन लोगों पर वह शासन करती है, उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध करे। यह शिक्षा केवल सैद्धांतिक ही नहीं होनी चाहिये पर फ्रान्स की तरह औद्योगिक भी होनी चाहिये।”

हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थी ही सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सरकारी पदों (Government Services) के भारतीयकरण के लिये आवाज़ उठाई थी। उनका कथन था कि शासन के छोटे और मोटे पदों पर भारतीयों ही का अधिकार है और उन्हीं की उन पर नियुक्ति होना चाहिये। ईसेवी सन् १८४३ की १८ अप्रैल को उन्होंने कलकत्ते के नगर-भवन (TownHall) में नागरिकों की एक सभा की और ईस्ट इण्डिया

कंपनी के सञ्चालक-मण्डल (Court of proprietors) के पास एक मेमोरियल भेजा, जिसमें इस बात का आग्रह किया गया कि भारतीय शासन के पदों पर अधिकांश रूप से भारतवासी ही रखे जावें। ताराचंद ने इस में प्रमुखता से भाग लिया और कहा कि उक्त मेमोरियल मि० जॉन सुखिवान के माफ़त भेजा जाय, जिन्होंने कि उनके हितों का समर्थन किया था। ताराचंद ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर ईस्ट इण्डिया कंपनी हमारी बात न सुने तो सम्राट् (Crown) और सुप्रीम कोर्ट के सामने हमें अपना मामला ले जाना चाहिये।

दक्षिण रंजन मुखोपाध्याय

(१८१४-१८७८)

दक्षिण रंजन मुखोपाध्याय ने ईसवी सन् १८३० से १८५७ तक बंगाल के सार्वजनिक जीवन में और ईसवी सन् १८६० से १८७४ तक अवध के सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार प्रमुखता से भाग लिया, उसका वर्णन उनके जीवनी-लेखक श्रीयुक्त मन्मथनाथ घोष ने बड़ी उत्तमता से किया है। पर दुःख इस बात का है कि उक्त जीवनी-लेखक ने दक्षिण रंजन के राजनैतिक विचारों पर प्रकाश डालने की चेष्टा नहीं की, अतएव 'बंगाल हरुकार' (Bengal Harukaru) नामक पत्र में उनके जो व्याख्यान छपे थे, उन्हीं के आधार पर उनके ये विचार यहां लिखे जाते हैं।

दक्षिण रंजन मानव-स्वाधीनता के सिद्धान्त के पूजारी थे। उन्होंने ईसवी सन् १८४३ के २ मार्च के अङ्क में जो लेख प्रकाशित किया था, उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि न्यायकारी परमात्मा ने सब मनुष्यों को उनके जन्माधिकार (Birth rights) की दृष्टि से समान उत्पन्न किया है। भारतवर्ष और अन्य देशों में मूलतः (Originally) लोगों में नैसर्गिक समानता (Natural equality) और पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसी समानता के भाव में जब विकृति आने लगी तब ही से भारत-

वर्ष का पतन शुरू हुआ। दक्षिण रंजन इस पतन का उत्तरदायित्व ब्राह्मण गुरुओं पर डालते हैं। उनका कथन है कि ब्राह्मणों ही ने भारतीय समाज में फूट और विभाजन (division) के बीज बोये और अखण्ड-समाज में धार्मिक साम्प्रदायिकता (religious sectarianism) उत्पन्न की, जिसका फ़िकार हमारा राष्ट्र होता रहा और आज वह उस दुर्दशा को प्राप्त हुआ। हमारे देशवासियों को चाहिये कि वह साहस पूर्वक राष्ट्र और समाज के जीवन से उन सब बुराइयों को निकाल दें, जो समाज के जीवन में घुन का काम करती हुई उसे क्षयग्रस्त कर रही हैं।

दक्षिण रंजन ने ईसवी सन् १८४३ में अपने एक लिखित भाषण में 'भारतीय समानता का नाश और उसके कारण होने वाला देश के पतन' पर जो विचार प्रदर्शित किये थे। उनसे उस समय बड़ी हलचल मची। दूरदूर तक उसका प्रभांव फैला। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार और विचारक हेनरी थॉमस बकले (Henry Thomas Buckle) ने अपने सभ्यता के इतिहास (History of Civilization) में उन विचारों को स्वीकार किया। बंकिमचन्द्र ने अपने लेखों में इस विचारधारा को ग्रहण किया। (A History of Political Thought Vol. I)

दक्षिणरंजन और पराधीनता का श्राप

दक्षिण रंजन राष्ट्रीय पराधीनता को एक महान श्राप समझते थे, उन्होंने अपने उक्त निबन्ध में इस बात को प्रकट किया कि यदि किसी राष्ट्र पर विदेशी राज्य करते हैं तो वे ऐसा किसी परोपकारी भावना से नहीं करते। स्वर्ण के लालच (Lust for gold) से प्रेरित होकर वे अन्यराष्ट्र को दासत्व की शृंखला में जकड़ते हैं। भारतवर्ष की गरीबी का कारण विदेशियों की अधीनता है। हमारे देश की साधन-सम्पत्ति (resources) इतनी विशाल है कि उससे देश की आवश्यकताओं की सभी प्रकार पूर्ति हो सकती है। पर इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि शासन स्वतन्त्र और उदार होना चाहिये।

दक्षिणरंजन ने न्यायालयों में उस समय फैली हुई रिश्वत खोरी का भी बड़ा विरोध किया था। उन्होंने लिखा था;—“इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि चपरासी से लगाकर सरिश्तेदार तक सब का अपना मूल्य होता है अर्थात् हर एक अपनी अपनी हैसियत के अनुसार रिश्वत लेता है।

बुराइयों के उपाय

दक्षिण रंजन ने उक्त बुराइयों के उपाय भी सूचित किये हैं। वे इस प्रकार हैं;—(१) सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण अर्थात् सरकारी पदों पर भारतवासियों का नियुक्त होना, (२) जनमत को सङ्कटित करना; (३) ज्ञान प्रचार द्वारा लोगों के अज्ञान का नाश करना।

ईसवी सन् १८४३ की ३ फरवरी को दक्षिणरंजन ने श्री कृष्णसिंह के बगीचे में जो व्याख्यान दिया था, उसमें उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था:—

“क्या यह उचित और न्यायसंगत नहीं है कि जो लोग इस देश में जन्म लेने के कारण, इस देश में परवरिश होने के कारण और इस देशमें शिक्षा पाने के कारण इस देश को भली प्रकार जानते हैं उन्हें वे विश्वास और उच्च वेतन के पद दिये जावें, जिनपर आज विदेशी एकाधिकार कर बैठे हैं।” (‘Bengal Haru Karu’ February 9. 1843)

राजा राममोहनराय की तरह दक्षिणरंजन इस बात को आवश्यक समझते थे कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय, उसके खिलाफ, जनमत को तैयार करना है। यह बात तब तक सम्भव नहीं हो सकती, जब तक लोग इस बुराई का भयङ्करोद्ग या सुधार करने को तैयार न हो जावें। इसके आगे चला कर आपने यह भी दिखलाया कि इङ्ग्लैंड की न्याय प्रणाली की विशुद्धता का कारण वहाँ का लोकमत है। यह बुराई जितनी जनमत के तैयार होने से दूर हो

सकती है, उतनी सरकार के प्रयत्न से नहीं। अगर लोग सत्य, प्रामाणिकता और न्याय का अनुकरण करने लगे तो इन बुराइयों का टिका रहना असम्भव हो जायगा। अच्छा से अच्छा शासन भी बिना लोकमत को सहायता के इन बुराइयों को दूर करने में असफल रहता है।

दक्षिणरंजन और लोकप्रतिनिधि सभायें

सन् १८७० ई० में दक्षिणरंजन ने लोक प्रतिनिधि-व्यवस्थापिका सभा का विधान बनाया। उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि हर एक प्रान्त में एक प्रान्तीय लोक प्रतिनिधि कौंसिल हो, जिसमें सरकार द्वारा मनोनीत और प्रजा द्वारा निर्वाचित सदस्य हों। ये प्रतिनिधि हर एक जिले के निर्वाचकों द्वारा चुने जावें। दक्षिणरंजन ने एक सुप्रिम कौंसिल की स्थापना की भी आवश्यकता बतलाई।

सारांश यह है कि सन् १८५७ के भारतीय विद्रोह के पहले दक्षिण-रंजन ने राजनीति के ऐसे तत्वों का प्रकाशन किया जो आज भी कई अंशों में अनुकरणीय हैं।

अक्षयकुमार दत्त

(१८२०-१८८६)

अक्षयकुमार दत्त का नाम हमारे बहुत से पाठक जानते होंगे। इनके कुछ ग्रन्थों का अनुवाद हिन्दी में भी हुआ है। ये बड़े दार्शनिक, विचारक और उग्र राजनैतिक नेता थे। इनके विचारों पर राजा राममोहनराय का काफी प्रभाव पड़ा था, यद्यपि इन्हें राजा साहब के सम्पर्क में आने का अवसर नहीं मिला था। जब ये दस वर्ष की बाल्यावस्था में कलकत्ते आये थे, तब राजा राममोहनराय इंग्लैंड के लिए प्रस्थान करें-
चुके थे। सन् १८३६ ई० में ये महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर के सम्पर्क में आये और तत्वबोधिनी सभा के सक्रिय सदस्य हो गये। इस समय इन्हें राजासाहब के दार्शनिक सिद्धान्तों के गम्भीर सागर में गोता खगाने

का अवसर मिला। आपने भारतवर्षीय 'उपासक सम्प्रदाय' नामक ग्रन्थ के दूसरे भाग में राजा साहब की महान सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की है और कहा है कि वे न केवल राजा थे पर देश के हृदय-सम्राट् थे। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि शास्त्रों के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रेम उन्हें राजासाहब से प्राप्त हुआ।

अक्षयकुमार दत्त ने सन १८४३ ई० से सन १८५५ई० तक तत्त्वबोधिनी पत्रिका का बड़ी बोधिता से सम्पादन और संचालन किया। उक्त पत्रिका में उन्होंने भारतीय राष्ट्र के उत्थान के लिये और गरीब किसानों के लिये बड़ी जोरदार आवाज़ उठाई। हिन्दू समाज की नव रचना पर भी उन्होंने कई लेख लिखे। पाश्चात्य और पौराणिक संस्कृति के सम्मेलन पर भी उन्होंने जोर दिया। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 'भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय' नामक ग्रन्थ की दूसरी जिल्द की भूमिका में लिखा है:—“अक्षयकुमार दत्त पहले लेखक थे जिन्होंने बंगाली युवकों को पाश्चात्य दृष्टिबिन्दु और मनोवृत्ति का परिचय कराया। वे नव बंगाल के प्रथम नैतिक आचार्य थे।

अक्षयकुमार दत्त ने एरिस्टॉटल (Aristotle), बेकन (Bacon), लॉक (Locke), कॉम्टे (Comte), लाप्लेस (Laplace) और माल्थस (Malthus) के ग्रन्थों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया। दत्त महोदय के ग्रन्थों में उक्त पाश्चात्य विचारकों की छाप स्पष्टतया दृष्टि-गोचर होती है। शिक्षा और शासन के सम्बन्ध में दत्त महोदय के विचार ग्रीक दार्शनिकों से प्रभावित मालूम होते हैं।

शासन-सत्ता और सरकार के सम्बन्ध में अक्षय कुमार दत्त के विचार प्रगतिशील थे। आपने धर्मनीति नामक ग्रन्थ में लिखा है कि सरकार लोगों की प्रतिनिधि है। उसे लोगों पर कर खगाने का कोई पुरतैनी अधिकार नहीं है। लोगों का अपने जायदाद और जीवन पर स्वाभाविक अधिकार है। सरकार केवल जान, माल, और प्रतिष्ठा की

रचा करने की दृष्टि ही से कर जगा सकती है। ब्रिटिश सरकार अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का पाखन नहीं करती। मुफ़्तस्तीब में प्रजा की जो दीन हीन दशा है वह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। [तत्त्वबोधिनी पत्रिका संख्या १२२]

अक्षयकुमार के मतानुसार सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत विशाल और विस्तृत है। वह न केवल जन समाज के जान माल की रक्षा करने और भौतिक प्रगति की ही जिम्मेदार है, पर लोगों की शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति का उत्तरदायित्व भी उसके कर्तव्य क्षेत्र में आता है। सरकार का आदर्श लोगों को आरोग्यशास्त्री, सुखी, समृद्धिशास्त्री और शिक्षित बनाना है। सरकार को चाहिये कि वह लोगों को भौतिक और मानसिक विज्ञान के ज्ञान से अर्बंकृत करे। इन सबका उपाय लोगों में बोध्य और गम्भीर शिक्षा का प्रचार करना है।

अक्षयकुमार और ब्रिटिश शासन

अक्षयकुमार के मतानुसार ब्रिटिश शासन में भारतवासियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का बहुत पतन हुआ। ग्रामों की निर्धन जनता जिस प्रकार का जीवन बिता रही थी वह ब्रिटिश शासन के लिये बड़ी कलंक की बात थी। उन्होंने तत्त्वबोधिनी पत्रिका में कई जोरदार लेखों के द्वारा, ग्राम जनता की गरीबी और उनके दुःखों का चित्र बड़ी मर्मस्पर्शी भाषा में चित्रित किया था और भारत की ब्रिटिश सरकार को इसके लिये बड़ा दोषी ठहराया था।

अक्षयकुमार का आदर्श

अक्षयकुमार के मतानुसार लोगों की नैतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति का सर्वोत्कृष्ट साधन उनकी दरिद्रता दूर करना था। उनका कथन था कि अपराध, अज्ञान, विमारियां और पाप आदि सब बुराईयों की जड़ दरिद्रता है। एक ही समाज के विभिन्न सदस्यों में आर्थिक असमानता

देख कर उन्हें महान् दुःख होता था। उन्होंने अपने लेखों में दिखलाया था कि प्रत्येक देश के पूँजीवादी यह चाहते हैं कि संसार की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का वे ही उपयोग करें और दूसरे लोग उनकी दासता करते हुए रूखे सूखे भोजन से निर्वाह करें। जिस समाज में बहुजन समाज थोड़े से धनिकों के आराम के लिये दिन रात जी तोड़ परिश्रम करने के लिये बाध्य होते हैं, वहाँ न तो सामाजिक प्रगति ही सम्भव है और न सामाजिक शान्ति ही। ईश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य बराबर हैं। मानव समाज की अत्याचार पूर्ण पद्धति ही बहुजन समाज को दरिद्रता और दुःखों में ढकेलने की जिम्मेदार है। इसलिये धनिकों को चाहिये कि वे मज़दूरों और गरीबों को उन्नति करने का मौका दें और उनमें ज्ञान प्रचार का प्रयत्न करें। सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह ऐसे कानून बनावे जिनसे श्रमजीवी और कृषक समाज अधिक से अधिक सुखी एवं समृद्धिशीली हो सके।”

अच्यकुमार के मतानुसार मन की निर्बलता, बालविवाह, मिथ्या विश्वास, नशा, जर्मीदारों और धनवानों के अत्याचार, अवर्षा, नदी की बाढ़ें आदि भारतियों की गरीबी के कारण हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बढ़ती हुई जन संख्या को भी इसका एक कारण माना है और माल्थस (Malthus) के सिद्धान्तानुसार सन्तानोत्पत्ति के नियन्त्रण पर भी जोर दिया है।

अच्यकुमार दत्त ने गरीबी दूर करने के कई उपाय सुझाये थे। वे इस बात के विरोधी थे कि धनिक वर्ग से बलपूर्वक सम्पत्ति छीन कर उसे गरीब कर दिया जाय। इसके विपरीत वे चाहते थे कि गरीबों को धनवान् बनाया जाय। इसके लिये उन्होंने निम्नलिखित उपाय सूचित किये थे:-

- (१) ऐसी शिक्षा का प्रचार जिससे गरीबों की नैतिक और सांसारिक उन्नति हो। यह शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होना चाहिये।
- (२) इस प्रकार के नियम (Laws) और प्रथाओं (Customs)

का निर्माण जिनके कारण गरीबवर्गों की सुख समृद्धि बढ़े ।

(३) श्रम बचानेवाले यन्त्रों का प्रचार जिससे देश में अन्न, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाहुल्य हो सके ।

अक्षयकुमार ने इस प्रकार एक ऐसे राज्य की योजना की थी जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर सके और सम्पत्ति का ब्योम्य विभाजन हो सके ।

अक्षयकुमार के अतिरिक्त प्रसन्नकुमार टेगोर, द्वारकानाथ टेगोर, देवेन्द्रनाथ टेगोर, रामगोपाल घोष, प्यारीचन्द्र मित्र, किशोरीचन्द्र मित्र, गोविन्दचन्द्र दत्त, गिरीशचन्द्र घोष और हरिशचन्द्र मुकर्जी आदि महानुभावों ने भी भारतवासियों के राजनैतिक अधिकारों के लिये आवाज़ उठाई थी । इन सब का परिचय देना स्थानाभाव के कारण सम्भव नहीं है । केवल १—२ एक दो महापुरुषों का परिचय देकर यह अध्याय समाप्त किया जायेगा ।

द्वारकानाथ टेगोर

(१७६४ से १८८६)

भारतवर्ष के सार्वजनिक जीवन में सन् १८३० ई० से सन् १८४६ ई० के काल में द्वारकानाथ टेगोर ने अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था । आप राजा राममोहन राय के दाहिने हाथ थे । द्वारकानाथ टेगोर के संस्मरण ग्रन्थ (Memoirs of Dwarkanath Tagore) में उसके खेलक भोळानाथचन्द्र ने लिखा है कि राममोहनराय के उदाहरण ने द्वारकानाथ के अन्तर्हित विचारों को अग्नि रूप में प्रस्फुटित किया और उन्हें एक बहुत जोशीला सार्वजनिक सेवक बना दिया । द्वारकानाथ टेगोर अपने समय के अत्यन्त नामाङ्कित सरदार (Most Illustrious Chieftain) कहे जाते थे । (The Bengal Haru Karu Feb. 7, 1883). उन्होंने सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में प्रशंसनीय

कार्य किया और लोगों में राजनैतिक-भावनाओं की जागृति की। ब्रिटिश शासन में लोगों के राजनैतिक अधिकारों पर जैसा कुठाराघात किया गया था उसका आपने विरोध किया था। सन् १८३६ ई० की १८ जून को कलकत्ते में जो सभा हुई थी, उसमें आपने निर्भीकता के साथ कहा था—“अंग्रेजों ने भारतवासियों का सर्वस्व ले लिया है। आज यह स्थिति है कि भारतवासियों का जीवन, उनकी स्वाधीनता व उनकी सम्पत्ति और उनका सब कुछ सरकार की दया पर निर्भर है।”

इसके अतिरिक्त द्वारकानाथ ने मुद्रण-स्वातन्त्र्य या समाचारपत्र स्वातन्त्र्य पर भी बहुत जोर दिया था। सर चार्ल्स मेटकॉफ के समक्ष में आपके प्रयत्नों की कुछ सफलता भी मिली थी। आपने उस समक्ष लिखा था:—“मुद्रण स्वातन्त्र्य (Freedom of the Press) इस विशाल देश के शासन करने में जिस प्रकार सरकार का सहायक होता है, वैसे ही यह लोगों को भी इस बात का विश्वास दिलाता है कि उनके शासकों की इच्छा न्यायपूर्वक राज्य करने की है और वे अपने कामों की आलोचना से नहीं डरते।”

द्वारकानाथ ने न्यायालयों और पुलिस में फैली हुई घूसखोरी का भी जोरदार विरोध किया था। उन्होंने पुलिस-सुधार समिति “Committee of Police Reform” के सामने गवाही देते हुए कहा था।

“मेरा खयाल है कि दरोगा से लेकर छोटे से छोटे चपरासी तक सब के सब लोग घूसखोर हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो बिना घूस दिये कराया जा सके। अमीर आदमी पैसे के जोर पर चाहे जो करवा लेते हैं और गरीब अत्याचार की चक्की में पिसे जाते हैं। जो सबसे अधिक धन देता है वह जीतता है। अगर किसी गांव के आसपास डकैती पड़ती है तो दरोगा और उसके आदमी अन्धाधुन्ध तोर से चाहे जिस आदमी को पकड़ लेते हैं और उन पर कई प्रकार के अपराधों का आरो-

पण कर देते हैं। इनमें कई निर्दोष आदमी फँस जाते हैं और दोषी छूट जाते हैं। घूस खोरी के कारण अन्याय की बोलबाला होती है।

महर्षि देवेन्द्रनाथ टेगोर

(१८१७-१९०५)

महर्षि देवेन्द्रनाथ टेगोर, द्वारकानाथ टेगोर के पुत्र और हमारे संसार मान्य कवि रवीन्द्रनाथ टेगोर के पिता थे। महर्षि ने देश के राज-बैतक जीवन के विकास के बजाय अध्यात्म जीवन के विकास पर अधिक जोर दिया था। अपने समय में बंगाल के आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये उन्होंने महान् प्रयत्न किये। वे वर्तमान बङ्गाल के निर्माताओं में से एक थे।

इसी प्रकार रामगोपाल घोष (१८१५ से १८६८), प्यारीचन्द्र मित्र (१८१४ से १८८३), किशोरचन्द्र मित्र (१८२२-१८७३), गोबिन्दचन्द्र दत्त आदि कई महानुभावों ने भारत में राजनैतिक सुधारों के लिये अपनी आवाज़ बुलन्द की थी।

शिवनाथ शास्त्री और अंग्रेजी शासन को उलटने का षडयन्त्र

सन् १८५७ ई० के कई साल पहले अंग्रेजी शासन को उलटने के लिये एक षडयन्त्रकारी दल का संगठन हुआ था जिसके प्रधान संचालक शिवनाथ शास्त्री थे। अंग्रेजी राज्य से भारत को स्वतंत्र करना ही इस दल का प्रधान उद्देश था। यह दल अल्पजीवी रहा और इस को कोई सफलता नहीं मिली।



दक्षिण भारत में प्रथम सुधार आन्दोलन



गत अध्याय में बंगाल में प्रारम्भिक राजनैतिक विचार-क्रान्ती पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। इस अध्याय में महाराष्ट्र की विचार-क्रान्ति पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है।

महाराष्ट्र में राजनैतिक सार्वजनिक जीवन का आरम्भ सन् १८३२ ई० के लगभग प्रारम्भ हुआ। इस समय श्री बालशास्त्री जाम्बेकर नामक एक सज्जन ने मराठी भाषा में 'दर्पण' नामक एक साप्ताहिक पत्र और "दिवदर्शन" नामक एक मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। मराठी भाषा में ये सबसे पहले नियत-कालिक समाचार पत्र थे। सन् १८४६ ई० में इन्हीं शास्त्री महोदय ने गंगाधर शास्त्री फडके से विधवा-विवाह के आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने श्रीमान् शेषाद्रि नामक एक गृहस्थ को इसाई धर्म से शुद्ध कर हिन्दू धर्म में दीक्षित किया और इस प्रकार उन्होंने शुद्धि-आन्दोलन का उपक्रम किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी दिखलाया कि बिना पाश्चात्य विद्या का प्रचार हुए हिन्दुओं का उद्धार होना दुःसाध्य है। शास्त्री महोदय ने सन् १८४२ ई० में एल्फिन्स्टन कॉलेज में प्रोफेसर का पद स्वीकार किया। सन् १८४६ ई० में ये परलोकवासी हुए। ३६ वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने पाश्चात्य विद्या का प्रचार, समाचार पत्रों का प्रकाशन, विधवा विवाह का प्रोत्साहन और पतित परावर्तन का समर्थन आदि अनेक कार्य किये।

श्री बाल शास्त्री की तरह श्री दादोबा पाण्डुरंग नामक एक सज्जन ने सन् १८४० ई० में "परमहंस मण्डली" नामक एक गुप्त संस्था की

स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य भारतवर्ष से जातिभेद को नष्ट कर देश में सार्वत्रिक एकता को स्थापन करना था। दादोबा का खयाल था कि जातिभेद से भारतवर्ष के टुकड़े होकर वह दीन-हीन हो गया है और उसे एक सबल राष्ट्र बनाने के लिये यह आवश्यक है कि जातिभेद बिलकुल नष्ट कर दिया जाय व सारे भारत को एकता के एक सूत्र में बांध दिया जाय। बाबा पदम जी ने अपने मराठी भाषा के आत्मचरित्र में इस संस्था के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसका सारांश नीचे दिया जाता है।

“इस मण्डली के उद्देश्य ये थे:—

- १) जाति भेद न मानना।
- २) विधवाओं के पुनर्विवाह को उत्तेजन देना।
- ३) मूर्तिपूजा न करना।

इनके अतिरिक्त अन्य धार्मिक विषयों पर इस मण्डली ने कोई विशिष्ट नीति स्वीकार नहीं की थी।

इस मण्डली के सदस्यों की संख्या जब तक बहुत बढ़ी न हो जाय तब तक इसकी कार्यवाहियों को गुप्त रखने का निश्चय किया गया था। हर सदस्य का यह कर्तव्य था कि वह इस मण्डली के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करे। इस मण्डली की बैठकें गुप्त हुआ करती थीं। मण्डली में प्रवेश करने वालों को उसके नियम पढ़ कर सुनाये जाते थे, और जब वे उन नियमों को स्वीकृत कर लेते थे, तब उनकी अंजली में जल डालते थे। इसके बाद एक दूध का प्याला अथवा के मुँह को धो कर उन्हें पिलाया जाता था। सभा के आरम्भ और अन्त में दादोबा पाण्डुरंग की रची हुई मराठी की प्रार्थना पढ़ी जाती थी।

हमारे पाठकों ने राजनैतिक गुप्त संस्थाओं का हाल तो अवश्य पढ़ा होगा पर सामाजिक सुधार के लिये स्थापित की जाने वाली अपने ढंग

की यह पहली ही संस्था थी। वद्यपि इसका उद्देश समाज सुधार था, पर यह अधिक प्रगति न कर सकी।

इसके बाद सन् १८४० ई० में बाल शास्त्री जाम्बेकर, दादोबा पांडुरंग, डॉक्टर भाऊदाजी आदि महाराष्ट्र विद्वानों ने समाज सुधार का कार्य किया। इसी समय सरदार गौपालराव हरि ने अपने “लोक-हितवादी” पत्र द्वारा समाज सुधार के आन्दोलन को बड़े जोर से चलाया। इस पत्र का जन्म सन् १८३४ ई० में हुआ था। लोकहितवादी ने सुझाया था:—

“हम सब गरीब-अमीरों को मिलकर रानी के पास एक अर्जी भेजनी चाहिए कि वर्तमान शासन पद्धति से हमें लाभ नहीं है और हमारे राज्य सम्बन्धी हक मारे जाते हैं। अंग्रेज भी वैसे ही मनुष्य हैं जैसे कि हिन्दू। इनका वर्तमान भेद मिटाकर इन्हें एक समान बनाने के लिये हिन्दुस्तान में पार्लामेंट स्थापित की जाय और इसकी बैठक बम्बई में हो। उसमें सब जातियों और स्थानों के समान प्रतिनिधि हों। तभी लोगों की दरिद्रता दूर होगी और अंग्रेजों का यह भ्रम भी दूर होगा कि भारतवासी मूर्ख हैं। इससे राज्य में उत्तम सुधार होंगे और लोगों को यह सहज दिखाई पड़ेगा कि राजा के शासन में क्या सुख था और लोकसत्तारमक राज्य में क्या सुख है।”

इस अवतरण से लोकहितवादी की बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, और देश सुधार की भावना का पता लगता है।

लोकहितवादी के समय में ही विष्णुबुवा ब्रह्मचारी ने “सुखदायक राज प्रकरण” नामक निबन्ध में समाजवाद का प्रतिपादन किया है। यह देख कर सब को आश्चर्य होगा। वे कष्ट ब्राह्मण थे और हमारी प्राचीन संस्कृति में से ही हमें अपने भावी अभ्युदय का मार्ग मिलेगा, ऐसा उनका खयाल था। वे कहते हैं:—

“सब लोग मिलकर सारी जमीन जोतें और बोवें और हर गांव में अनाज के कोठार रखे जायें और उनमें से ग्रामवासी पेट भर अन्न और

पशुओं के लिये आवश्यक घास दाना लेखिया करें। यह सब पैदावार एक के ही कब्जे में रहे और सब उससे आवश्यक सामग्री ले जावें। राजा को चाहिये कि वह सूत, ऊन, रेशम के कपड़े तैयार करावें और जिसको जिस कपड़े की आवश्यकता हो वह ले जाय। गहने भी घड़वा कर हर गांव में रखे जायें और सब स्त्री पुरुष उनका इस्तेमाल करें। हर प्रकार के शस्त्र, यन्त्र, और खेल प्रत्येक गांव में रहें। रेश और तार भी रहें। राजा, कारखाने के मालिक और किसान सब एक सा अर्हिसक भोजन करें और वह सबको एक ही कोठार से मिले। सबकी शादियां राजा विवाह विभाग के द्वारा वर वधू की इच्छा और रज़ामन्दी से करे और जिसको कोई स्त्री पसंद न हो या जिसे कोई पति पसंद न हो तो उसके लिये दूसरी स्त्री या पति का प्रबंध कर दिया जावे। अर्थात् स्वयंवर की प्रथा ढाली जाय। ५ वर्ष का बालक होते ही उसे राजा के ताबे कर दिया जाय। उसकी शिक्षा-दीक्षा और काम धन्धों का प्रबन्ध राजा करे। वृद्ध स्त्री पुरुषों को पेंशन मिले और इन भिन्न भिन्न विभागों के लोग पार्लामेंट के सदस्य हों।

कार्ल मार्क्स से अपरिचित विष्णुबुवा को ये कम्युनिज़्म के ढंग के विचार सूझे कैसे? इसका जवाब यह है कि एक बाह्य परिस्थिति को देखकर सात्विक व राजस अथवा परार्थी व स्वार्थी मन पर भिन्न-भिन्न परिणाम होते हैं। इन्द्रियों के द्वारा मन पर और बुद्धि पर होने वाले संस्कार एक से होते हैं परन्तु जिसकी बुद्धि स्वार्थ से मखिन हो गई हो उसे उनमें स्वार्थ का मार्ग सूझता है और जिसकी बुद्धि परार्थी बनी हुई है उसको उस स्थिति में परार्थ का मार्ग दिखाई देता है। ऐसी दशा में सन्यस्थ-वृत्ति और लोक कल्याण में ही आनन्द माननेवाले सात्विक शुद्ध मन में पूर्वोक्त सर्व-सुख और समान-सुख की कल्पना क्यों न जानी चाहिये। (आचार्य जावड़ेकर महोदय के आधुनिक भारत से सङ्कलित)

मार्क्स और भारतवर्ष



सन् १८४३ई० के लगभग समाजवाद (Socialism) के जनक महामति मार्क्स ने विदेशी राज्य द्वारा होने वाले भारत के विनाश पर अपने बहुमूल्य विचार प्रगट किये थे ।

सन् १८४३ ई० की १४ वीं जून को मार्क्स ने एंगल्स (Engels) को जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने निम्न लिखित भाव प्रगट किये थे:-

“England it is true, in causing a social revolution in Hindusthan, was actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is, can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? If not, whatever may have been the crimes of England, she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution.”

अर्थात् “वह सच है कि हिन्दुस्तान में इंग्लैण्ड के द्वारा जो सामाजिक क्रान्ति हुई है, उसमें उसकी घोर स्वार्थपरता छिपी हुई थी और उसे करने में उसने अपार मूर्खता का परिचय दिया था । लेकिन प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न यह है कि एशिया की सामाजिक दशा में किन मौलिक परिवर्तन हुए क्या मनुष्य-जाति अपना विकास कर सकती है ? अगर नहीं, तो इंग्लैण्ड ने चाहे जो भी पाप किये हों, वह इस परिवर्तन के लिये अनजाने में इतिहास का एक बना ।”

अमेरिका के न्यूयार्क हेरल्ड (New York Herald) और ट्रिब्यून (Tribune) ता ८ अगस्त १८५३ ई० में आपने लिखा था:—

“The British were the first conquerors, superior, and therefore inaccessible, to Hindoo civilisation. They destroyed it by breaking up the native communities, by uprooting the native industry, and by levelling all that was great and elevated in the native society. The historic pages of their rule in India report hardly any thing beyond that destruction. The work of regeneration hardly transpires through a help of ruins never the less it has begun.”

अर्थात् “अंग्रेज पहले विजेता थे जो विजितों से बड़े थे और जिन तक हिन्दुस्तानी सभ्यता की पहुँच न थी उन्होंने ग्राम-समाज की जड़ें हिला कर भारतीय उद्योग धर्मों को चौपट करके इस सभ्यता का नाश किया। भारतीय समाज में जो कुछ भी महान् और गौरव पूर्ण था, उन्होंने उसे धूल में मिला दिया। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में इस ध्वंस के सिवा और बहुत कम बातें देखने को मिलती हैं। खंडहरों के ढेर में नई नीवें नहीं दिखाई देतीं फिर भी नीवें डाली जा चुकी हैं।

इसी प्रकार मार्क्स ने न्यूयार्क के दैनिक ट्रिब्यून (Daily Tribune) पत्र के २५ जून १८५३ ई० के अंक में हिन्दुस्तान पर एक लेख लिखते हुए अपने निम्न लिखित विचार प्रकट किये थे:—

“There cannot remain any doubt but that the misery inflicted by the British on Hindustan is of an essentially different and infinitely more intensive kind than all Hindustan had to suffer before. I do not allude to European despotism, planted upon Asiatic despotism, by the British


East India company, forming a more monstrosous combination than any of the divine monsters startling us in the temple os Salsette.....

“All the civil wars, invasions, revolutions, conquests, famines, strangely complex, rapid and destructive as their successive action in Hindusthan may appear, did not go deeper than its surface. England has broken down the whole frame work of Indian society without any symptoms of reconstruction yet appearing. This loss of his old world with no gain of a new one, imparts a particular kind of melancholy to the present misery of the Hindoos, and separate Hindusthan ruled by Britain, from all its ancient traditions and from the whole of its past history.”

अर्थात् “इसमें सन्देह नहीं कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर जो मुसीबत डाली है, वह पहले की मुसीबतों से बिलकुल भिन्न और कहीं ज्यादा कठोर है। मेरा संकेत यूरोप की निरंकुश तानाशाही की तरफ नहीं है जिसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हिन्दुस्तान पर बाद दिया है, और जो एशिया की अपनी तानाशाही से गठ-बन्धन करके हिन्दुस्तान के राजसों से भी ज्यादा भयानक बन गई है।”

“हिन्दुस्तान में बहुत सी घरेलू लड़ाईयां हुईं, बाहर से हमले हुए, अकाल पदों और उनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उनका असर सतह से नीचे नहीं गया। आर्थिक व्यवस्था में उनसे कोई बड़ा परिवर्तन न हुआ अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानी समाज का तमाम ढाँचा तोड़ दिया है, लेकिन वे कुछ बना भी रहे हैं, इसका एक भी चिन्ह कहीं नहीं दिखाई देता।

हिन्दुस्तानियों की पुरानी दुनियां खो गई है और नई का कहीं पता नहीं है, और इसीद्वारे उनकी मुसीबत इतनी दर्दनाक है। अंग्रेजों की हुकूमत में हिन्दुस्तान का अपनी प्राचीन परम्परा और तमाम इतिहास से नाता टूट चुका है।”



सन् १८५७ ई० से पूर्व के सशस्त्र विद्रोह



सन् १८५७ ई० के पूर्व होने वाली विचार-क्रान्ति पर हम गत पृष्ठों में प्रकाश डाल चुके हैं। इस विचार-क्रान्ति के साथ ही उस समय भारत में कई स्थानों पर सशस्त्र विद्रोह हुए।

इस प्रकार का एक विद्रोह सहारनपुर ज़िले में हुआ, जिसमें खासी जन हानि हुई। दिल्ली डिविजन में और मुरादाबाद के मिराठ (Mirath) में भी कई छोटे मोटे विद्रोह हुए। सन् १८२४ ई० में भारतवर्ष में कई जगह विद्रोह की आग सुलगी। कई स्थानों से भारत से अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने के नारे सुनाई देने लगे। सन् १८२६-२७ ई० में उमाजी नायक के नेतृत्व में पूना में भयंकर विद्रोह हुआ, जिससे पूना घोर अशान्ति में पड़ गया। सन् १८३१-३३ ई० में बिहार में कोल लोगोंने विद्रोह का फन्दा उठाया, जिसके प्रभाव से ५००० वर्गमील का सारा देश विरान हो गया।

सन् १८४४ ई० में महाराष्ट्र के सावन्तवाड़ी राज्य में इस जोर से विद्रोह उठा कि अंग्रेजी सेनापति आउटरेम (Outram) को उसे दबाने के लिये १०,००० सैनिकों की फौज भेजनी पड़ी। सन् १८४८ ई० में कांगा, असवार और दातारपुर के राजाओं ने नूरपुर के वज़ीर के सहयोग से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़ी जोर की बगावत की और यह घोषित किया कि ब्रिटिश राज्य का ख़ाला हो चुका है।

कहने का अर्थ यह है कि १८५७ ई० के पहले देश में अशान्ति और असन्तोष का दौरा दौरा हो रहा था और भयंकर क्रान्ति के लिये भूमि तैयार हो रही थी।

प्रसिद्ध इतिहास लेखक सर जॉन मालकम Sir John Malcolm ने लिखा है :—

“देशभर में ऐसे गरती पत्रों (Circular letters) और घोषणाओं (Proclamations) का प्रचार हो रहा था, जिनमें यह कहा जाता था कि अंग्रेजों ने घोलेबाजी से इस देश पर कब्जा किया है और वे ऐसे अत्याचारी हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान की सम्पत्ति का शोषण किया, धर्म और शीति रिवाजों का नाश किया और हिन्दुस्तान को हर तरह से बरबाद किया। देशी सैनिकों को अंग्रेजों की हत्या करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता था। इस प्रकार के गरती पत्र बड़े उत्साह के साथ पढ़े जाते थे।”

इसके अतिरिक्त किसानों में भी अशान्ति के बादल मंडरा रहे थे। कर्नल माबेसन ने लिखा है—‘किसानों में अंग्रेजी राज्य के प्रति बुरी भावनाएं बढ़ रही थीं और इसीके परिणाम स्वरूप कई कृषक-विद्रोह हुए (Decisive battles of India) इस समय कई प्रान्तों में उस असंतोष की अग्नि प्रकट या अप्रकट रूप से सुलग रही थी और उसीने जाकर फिर भबङ्गर विद्रोह का रूप धारण किया जो १८२७ के विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है।



ईसवी सन् १८५७ का स्वातन्त्र्य-युद्ध



श्रीमान् विनायक दामोदर सावरकर ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “भारत का स्वातन्त्र्य युद्ध” (War of Indian Independance) में प्रबल युक्तियां और सुदृढ़ प्रमाणां से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सन् १८५७ का विद्रोह वास्तव में कोई आकस्मिक विद्रोह न था बल्कि वह भारतियों का स्वातन्त्र्य-युद्ध था, जिसे उन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिये सङ्गठित किया था।

१८५७ के स्वातन्त्र्य युद्ध की पृष्ठभूमि

ईसवीसन् १८५७ के स्वातन्त्र्य-युद्ध के विषय में लिखने के पूर्व उसकी पृष्ठ भूमि पर भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। हम गत पृष्ठों में यह दिखला चुके हैं कि ईसवी सन् १८५७ के पूर्व भारतवर्ष में अशान्ति और विद्रोह के बादल मंडराने लगे थे। कई स्थानों में उनका प्रत्यक्ष प्रकटीकरण भी होने लगा था।

भारतीय सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों में बड़ा भेदभाव रखा जाता था। दोनों के वेतनों में जमीन आसमान का अन्तर था। भारतीय सैनिक अधिक से अधिक सुबेदार के पद तक पहुँच सकता था, जिसका वेतन (१७४) ६० मासिक होता था। यह वेतन एक हल्के दर्जे के अंग्रेज रंगरूट को मिलने वाले वेतन से भी कम था। वजीरखां नामक एक भारतीय रिसालदार ने सर जॉर्ज केम्बेल से बड़े दुःख और विषाद के साथ कहा था “मैंने रिसालदारी से फौज़ी नौकरी शुरू की, अब भी रिसालदार हूँ और आगे भी रिसालदार ही रहूँगा। हिन्दुस्थान में काले आदमी के लिये पद

वृद्धि (Promotion) की कोई गुंजाइश नहीं है" (G. Cambell memoirs of my Indian career). इसके अतिरिक्त जो सबसे बुरी बात थी, वह यह थी कि हिन्दुस्थानी सैनिक की इज्जत पैरों तले रौंधी जाती थी। उसे बार बार अपमानित होना पड़ता था।

इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों को हिन्दुस्थान के बाहर भी साम्राज्यवादी युद्धों में लड़ने के लिये भेजा जाने लगा। ईसवी सन् १८२४ में बरकपुर के सैनिकों ने बर्मा जाने से इन्कार किया। इसका परिणाम क्या हुआ ? वे बेचारे गोखियों से उदा दिये गये !! साम्राज्य विस्तार के युद्ध में भाग न लेने के अपराध में उन्हें गोखियों का शिकार होना पड़ा !! इसके बाद गवर्नर जनरल ने फौजी भर्ती का एक्ट (Enlistment Act) पास किया, जिसके अनुसार उक्त एक्ट के अनुसार सेना में दाखिल हुए। सिपाही हिन्दुस्थान से बाहर जाने से इन्कार नहीं कर सकता था। अगर कोई इन्कार करते तो उनके सामने बरकपुर के सैनिकों के गोखी से उदाये जाने का उदाहरण मौजूद था।

सैनिकों के असन्तोष के बढ़ने के और भी कारण उपस्थित हुए। अवध प्रान्त को जिस निर्दयता और कृत्त कपट से अंग्रेजी राज्य में मिखाया गया, उसने सैनिकों की अशांति की ज्वाला को और भी बढ़ा दिया। अवध यू० पी० में सैनिकों का केन्द्रस्थल था। अवध के अंग्रेजी राज्य में चले जाने से ६०००० सैनिक बेकार हो गये। उनमें अंग्रेजों के खिलाफ द्वेषाग्नि भड़क उठी। वे भारत से अंग्रेजी राज्य को नैस्तनाबूद कर देने के लिये कटिबद्ध हो गये। वहां यह कहना आवश्यक है कि बंगाल सेना (Bengal Army) में ३/५ सैनिक अवध के थे।

इससे सिपाहियों की राष्ट्रीय भावना को भी बढ़ा धक्का पहुँचा। वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिये कृत-निश्चय हों गये।

अवध की तरह लॉर्ड डलहौजी ने अपनी कुटिल नीति से सतारा नागपुर, तंजौर, काँसी आदि अनेक देशी रियासतों को हड़प कर कृत्तिया

राज्य में मिला लिया था इससे ब्रिटिश के विरुद्ध और भी ज़ोर से अग्रगन्ति और असन्तोष फैला ।

इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने बाजीराव पेशवा के दसक पुत्र नानो साहब को मलनेवाली आठ लाख की पेंशन बन्द कर दी । बाजीराव की मृत्यु के बाद इस पेंशन पर नानासाहब का अधिकार था । भारत सरकार की इस कार्यवाही से असन्तुष्ट होकर नानासाहब ने लन्दन के कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स की सेवा में इस अन्वय के खिलाफ़ एक प्रार्थनापत्र भेजा पर उसका कोई फल न हुआ । तब निराश होकर नानासाहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध तख्तवार उठाने का विरचन किया ।

अवध की तरह मैनपुरी के राजा के १२८ गांव में से ११६ गाँव छीन लिये । यू० पी० के एक दूसरे आहुकदार के भी २१६ गाँव में से १३८ गाँव छीन लिये गये । इसी प्रकार कई अन्य राजा भी अपनी जमींदारियों से विहीन कर दिये गये । सर हेनरी कॉरेन्स ने लॉर्ड कैनिंग को लिखा था:—“यू० पी० के ताहुकदारों ने अपने आधे गाँव खो दिये । कुछ ताहुकदारों की तो सारी जमींदारी अंग्रेजों द्वारा हड़प ली गई । इतना होने पर भी किसानों को कोई राहत न मिली । भूमि कर अनाप-शनाप बढ़ा दिया गया । अन्य करों का दुःसह बोझ भी उनपर डाल दिया गया । इससे उनमें भी विद्रोह की भवानक अग्नि प्रज्वलित होने लगी । भारतवर्ष के प्रायः सारे प्रान्तों में अंग्रेजी राज्य के प्रति घृणा और द्वेष के भाव जाग्रत होने लगे । मुसलमानों में वह विद्रोहाग्नि और भी अधिक प्रबलता से प्रज्वलित होने लगी । ई० सन् १८५२ में पटना के मजिस्ट्रेट ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट में लिखा था:—“इस नगर में विद्रोहियों की संख्या बढ़ रही है । लोग खुबे तौर से राजविद्रोह का प्रचार कर रहे हैं । पुलिस भी इन विद्रोहियों से मिली हुई है । मौलवी अहमदउल्ला इन विद्रोहियों का नेता है । उसने ७०० आदिमियों को अपने घर में इकट्ठा कर उन्हें मुकामबंदे के लिये तैयार रहने का आदेश दिया है ।” (W. W. Hunter, Indian Mussalmans pp. 22-3.)

मुसलमानों का एक दूसरा नेता फैजाबाद निवासी मौलवी ब्रह्मद शाह ने अवध स्टेट्समैन और भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में तुफानी दौरा कर लोगों में विद्रोह की भयंकर भावनाएँ भरिं और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाने के लिये प्रोत्साहित किया। कहने का मतलब यह है कि क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या जमींदार, क्या किसान सबमें बड़ी प्रबल विद्रोह की भावना जागृत हो उठी थी। लोग विदेशी सत्ता से देश को मुक्त कर स्वदेशी सत्ता को फिर से प्रस्थापित करने के लिये बड़े बाल-बिध हो रहे थे। फौजों में भी वह विद्रोहाग्नि बड़े जोरों से भड़क रही थी। लोग ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे सब मिल कर विद्रोह का संझा उठावें।

विद्रोह का आरम्भ और विस्तार

भारतीय सैनिकों में असन्तोष की भावना का जागृत होना ही विद्रोह का मूल कारण था। यद्यपि कहीं २ पर सैनिक अंग्रेजों के प्रति स्वामि-भक्त भी रहे थे, किन्तु विद्रोह की ज्वाला को रोकने के लिये उनकी शक्ति पर्याप्त न थी। जैसे तो हिन्दू सैनिकों को छोड़कर मद्रास और बम्बई की सयस्त सेना अंग्रेजों के साथ थी और दक्षिण के छोटे-मोटे विद्रोहों से भी मामूली परेशानी के अतिरिक्त उन्हें कोई बड़ी हानि नहीं उठानी पड़ी थी। परन्तु बंगाल की सेना ने बड़ी वीरता और सफलता के साथ विद्रोह की अग्नि को भड़काया और धीरे-धीरे चारों ओर बगावत की भयंकर ज्वालाएँ धककने लगीं।

विद्रोह का ऐसा भयंकर रूप देखकर अंग्रेजी सरकार ने देहली, मेरठ स्टेट्समैन, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना, ज्योटा नागपुर, दक्षिणी बंगाल, बीमघ और अजमेर के कुछ जिलों में एवं उत्तर पश्चिमीय प्रांतों के कुछ क्षेत्रों में मार्शल लाॅ की घोषणा कर दी। इतने विस्तृत क्षेत्र में मार्शल लाॅ की घोषणा से ही विद्रोह के विस्तार का अन्दाज लगाया जा सकता है। ई० सन् १८५७ जून तक अवध में सिद्धित सैनिकों की

संख्या २५००० और देहली और देहली के आसपास ३०,००० तक पहुँच चुकी थी। देहली, रूहेलखंड, अवध और बुन्देलखंड ने विदेशी सत्ता को उखाड़ कर अपने आपकी मुक्त कर लिया। सर रिचर्ड टैम्पल ने जब विद्रोह के समाचार सुने तो वह शीघ्रता के साथ इटली से लौटकर आए। परन्तु उन्होंने पंजाब के समस्त रास्तों को पूर्ण रूप से बन्द रखा। जनरल हैवेन्मौक ने भी पेरिस से लौटते समय देखा कि देहली जाने के समस्त यत्न मार्ग अवरोध हैं और उन्हें विकस होकर जल मार्ग की शक्ति लेनी पड़ी।

कहीं कहीं तो विद्रोह ने विशाल जन-विद्रोह का रूप धारण कर लिया। भारत के चार बड़े प्रान्तों में—अवध, रूहेलखंड, बुन्देलखंड, सामर और नर्मदा के राज्यों में—समस्त जनता ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत का झंडा उठाना पश्चिमी बिहार, पटना, आगरा और मेरठ के कुछ भागों में जनता और सेना ने एक साथ विद्रोह किया।

रूहेलखंड में एक दिन के अन्दर २ विद्रोह की अग्नि ने भयंकर रूप धारण कर लिया। बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बुदौन और अन्य कई स्थानों पर सेना, पुलिस और जनता ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जमना के पश्चिमी किनारे के कुछ राज्यों में राजाओं ने अपनी जनता को अंग्रेजों के आधीन ही रक्खा, किन्तु दोआब के ग्रामीणों ने विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका। न केवल गंगा के किनारे के जिलों में ही, किन्तु गंगा और यमुना के बीच के समस्त जिलों में जनता विद्रोही हो उठी। अवध में विद्रोह का नेतृत्व सेना ने किया था। जिस जिले की सेना में विद्रोह की आग भड़कती वह जिला फिर अंग्रेजों के आधीन न रह पाता था। केवल दस दिन के अन्दर २ इन स्थानों से अंग्रेजी राज्य सत्ता का पूर्ण रूप से खोप हो गया, वहाँ तक उसके कुछ चिन्ह भी अशेष न रहे। सेना बगावत करती थी और जनता अंग्रेजी राज्य सत्ता के आधिपत्य को अस्वीकार कर बगावत में सम्मिलित हो जाती थी। स्वतंत्रता की लहर

समस्त अवध में बढ़ने लगी और उसका बच्चा-बच्चा देश का सैनिक बन बैस। कुछ ही समय में अवध के अन्दर सुवर्जित सैनिक ही सैनिक सृष्टिगोचर होने लगे। सिपाहियों और सैनिकों के अतिरिक्त जनता में से १००,००० लोगों ने सैनिकों का रूप धारण कर लिया था।

अबुलकस्त के दिवस में लॉर्ड कैम्ब्रिज ने लिखा था, "अबुलकस्त हमारे हाथों से जा चुका है और हमें उसे पुनः जीतना है।"

अंग्रेजों सत्ता को उखाड़ने में विद्रोहियों को कहां तक सफलता मिली इसका अन्दाज़ हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कबकत्ते की सरकार दूसरे प्रांतों से समाचार पाने में पूर्ण असमर्थ हो चुकी थी। देहली की विद्रोहियों की सबसे महत्वपूर्ण एवं शानदार विजय थी। इससे विद्रोहियों को कई प्रकार के शत्रु प्राप्त हुए किन्तु इन सबसे बढ़कर इस दिवस का मनोवैज्ञानिक प्रभाव था।

अंग्रेजों को देखती जीसते समस्त विद्रोहियों का बड़ा ज़बरदस्त मुक़ाबला करना पड़ा। जब अंग्रेज कितने ही असफल प्रयासों के पश्चात् देहली में घुस गये तो उन्होंने देखा कि विद्रोही एक एक इंच भूमि के लिये युद्ध करने को तुल्य बँटे हैं। जब अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से देहली पर अधिकार कर लिया तब भी आसपास के छोटे छोटे प्रांतों में युद्ध जारी रहा। आमोख लोग अपने बल्लियों पर खाल रक्त का घृणा सूचक चिन्ह लगाए रहते थे। बिहार में लोग अंग्रेजों की लगातार बढ़ी तरकीब के साथ कूठी सूचनाएँ देकर धोखा दिया करते थे। अवध के विद्रोही बिना खाल सामग्री के ही घूमा करते थे क्योंकि वहां की जनता उनके खाने का पूर्ण प्रबन्ध कर दिया करती थी। वह अपना सामान भी निर्भयता के साथ छोड़ दिया करते थे क्योंकि उसे कोई छूता तक न था। ज़रा-ज़रासी देर में सूचनाएँ मिलने के कारण वे अपनी और अंग्रेजों की स्थिति से पूर्ण रूप से परिचित रहते थे। उनके विरुद्ध किसी प्रकार के पड़यन्त्र की भी सम्भावना न रहती थी, क्योंकि इनके सुसंघटित अंग्रेजों के प्रत्येक

पदाव पर उपस्थित रहते थे। न केवल सैनिकों ने किन्तु पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों ने भी विद्रोह में भाग लिया था। अधिकारों का विरवास भी अंग्रेजी सरकार पर से उड़ गया था। इससे सरकार की आर्थिक स्थिति को बड़ा झटका लगा। उसे करीब १,५०,००,००० पौन्ड का घाटा उठाना पड़ा। व्यापार को भी काफी धक्का पहुँचा, क्योंकि इन्डिअन से आया वस्तुओं ही बन्द हो गयीं थी। फलस्वरूप वस्तुओं के दाम अत्यधिक रूप से बढ़ गये, किन्तु वह सब विद्रोह के अप्रत्यक्ष आवेग के सामने आश्चर्यजनक नहीं लगता था।

अंग्रेज लेखकों ने इस देश व्यापी विद्रोह को 'सैनिकों का बलवा' नाम देकर इसके महत्त्व को घटाने के प्रयत्न तो बहुत किये किन्तु भारतवर्ष के इतिहास में वह महत्त्व इस प्रकार घटाया नहीं जा सकता। सैनिकों के अतिरिक्त भी सभी वर्ग के लोगों ने इस में भाग लिया था। इसीलिये इस जन-विद्रोह को केवल सैनिकों का बलवा कहना उचित नहीं। अंग्रेजी शासन के प्रति असन्तोष की भावना से प्रेरित होकर ही जनता ने अंग्रेजी राज्य को आमूल रूप से नष्ट कर भारत को स्वतन्त्र करने का निरन्तर किया था।

जिस शीघ्रता और सफलता के साथ यह विद्रोह फैला उसने यह सिद्ध कर दिया कि विद्रोहियों को जनता की कितनी सहानुभूति एवं सहायता प्राप्त थी। जो लोग खुशकर विद्रोहियों का साथ न दे सकते थे उन्होंने भी अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नीति का अवलम्बन तो किया ही था। यहाँ तक कि जनरल ईबेन्सॉक अपनी सेना को पार करने के लिये कोई नाव और बाँक भी न पा सके थे। कानपुर में भी जब विद्रोही मजदूरों को विद्रोहियों का साथ न देने दिया तो वे रात को चुपचाप भाग निकले।

सन् १८५७ का यह किसी जाति विशेष अथवा किसी वर्ग विशेष द्वारा संघाहित किया हुआ न था, किन्तु यह तो देश-व्यापी विद्रोह था, जिसमें हिन्दू, मुसलमानों के साथ-साथ सिखों के अलावा भी अनेक जातियों

सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिये जान लड़ा दी थी। अंग्रेजों ने हिन्दू मुसलमानों को आपस में लड़ा कर इस विद्रोह को असफल करने की बहुत चेष्टा की किन्तु उनकी यह नीति सफल न हो सकी और उन्हें उल्टे मुँह की खानी पड़ी। इचिसन ने तो अपनी असफलता की स्वीकार करते हुए लिखा था,—“इस विद्रोह में हमारी हिन्दू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की नीति सफल न हो सकी।” अंग्रेजी सरकार इस पर जल्दी काम न पा सकी इसका मुख्य कारण यही था कि इसमें आदि से अन्त तक हिन्दू मुसलमानों ने एक दूसरे का साथ दिया था।

दिल्ली के नवाब खान बहादुर खान ने घोषणा की थी:—“समस्त मुसलमानों ने निश्चय किया है कि यदि हिन्दू अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में मुसलमानों की पूरी सहायता करेंगे तो मुसलमान गौ-हत्या बन्द कर देंगे और गौ-मांस को उतनी ही घृणा की दृष्टि से देखेंगे जैसे की हिन्दू देखते हैं।” नवाब ने हिन्दुओं के उत्तर की प्रतीक्षा भी न की और गौ-हत्या बन्द कर दी।

दिल्ली के मुसलमान बादशाह ने राज्य छोड़ने का जो प्रस्ताव पेश किया वह तो गौ-हत्या-निषेध से भी अधिक महत्त्व पूर्ण था। बादशाह ने अपने हाथ से एक पत्र जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर आदि के राजाओं को लिखा,—“फिरङ्गी लोग भारतवर्ष से खदेड़ दिये जाय वह मेरी आन्तरिक इच्छा है। मैं सारे भारतवर्ष को स्वतंत्र देखना चाहता हूँ। किन्तु यह बगावत तब तक पूरी तरह से सफल न होगी जब एक बोज़ व शक्तिशाली व्यक्ति इसके संघासन पर भार अपने उपर लेने को तैयार न हो जायें और अपनी पूरी शक्ति के साथ इसका संघासन कर समस्त भारतवासियों को एकता की डोर में न बांध दें। यदि अंग्रेज भारतवर्ष से चले जाय तो उसके पश्चात् मैं ही भारतवर्ष का राज्य करूँ, वह मेरी इच्छा नहीं है। यदि समस्त राजा लोग मिलकर यह भार लेने को तैयार हों तो मैं सहर्ष अपने राज्य के सारे अधिकार सौंपनेको तैयार हूँ।”

हिन्दू लोग भी मुसलमानों के साथ एकता स्थापित करने के लिये इतने ही उत्सुक थे। नानासाहब का मिजी सलाहकार भी एक मुसलमान व्यक्ति था। इस प्रकार हिन्दू और मुसलमानों ने साम्प्रदायिकता के समस्त बन्धनों को तोड़ दिया था और एक होकर विद्रोह का गून्डा उठाया था। उस समय समस्त देश के सामने एक ही उद्देश्य था— 'भारत की मुक्ति' और एक ही कार्य था— 'स्वतंत्रता प्राप्ति।' हिन्दू और मुसलमानों ने विद्रोह की सम्पूर्ण भावनाओं को त्याग कर केवल एक उद्देश्य से प्रेरित होकर देश की स्वतंत्रता के लिये रक्त बहाया था।

सिक्खों ने भी अंग्रेजों का साथ उसी समय दिया था जब कि विद्रोहियों के भाग्य का पासा पलट चुका था। किन्तु ऐसे सिक्खों की संख्या ही बहुत कम थी। चन्द सिक्खों को छोड़कर सारे भारतवासी विद्रोही हो उठे थे और वही अंग्रेजों की चिन्ता का मुख्य कारण था। यदि वह विद्रोह जन-विद्रोह न होकर सैनिक विद्रोह ही होता तो शायद इसका महत्व इतना अधिक न होता एवं अंग्रेजों द्वारा आसानी से दबा दिया गया होता। किन्तु उस समय तो जनता ही बागी हो उठी थी और अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था जनता के जोश को कुचलना। इसीलिये सिपाहियों की अपेक्षा जनता के साथ अधिक क्रूरता एवं नृशंसता का व्यवहार किया गया था।

विद्रोह केवल स्वराज्य प्राप्ति के लिये ही न हुआ था किन्तु धर्म की रक्षा भी उसका एक कारण था। विद्रोहियों की प्रत्येक टुकड़ी के साथ मौखिकी और पंडित उपस्थित रहते थे। फकीरों ने तो गुप्तचरों का काम बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि विद्रोह का एक पक्ष धार्मिक होते हुए भी हिन्दू मुसलमानों में किसी प्रकार का वैमनस्य उत्पन्न न हुआ। धार्मिक भावनाओं ने जनता की विद्रोही प्रवृत्तियों को उकसा तो अवश्य दिया किन्तु फिर भी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य धार्मिक न होकर राजनैतिक ही था। जहाँ कहीं भी विद्रोही विजयी होते थे वहाँ पर पुराने शासक फिर से नियुक्त कर दिये जाते थे।

ई० सन् १८२७ के स्वातन्त्र्य युद्ध में जिन वीरों ने मास्त-ब्यापी विद्रोह का संगठन किया और विदेशी सत्ता के नष्ट कर भारत में स्वातन्त्र्य स्थापना का आचोजन किया उनका परिचय देना यहां आवश्यक प्रतीत होता है ।

महारानी लक्ष्मी बाई

भारतीय विद्रोह के इतिहास में महागवी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्णचरों में लिखे जाने योग्य है । इस युद्ध में हिन्दुस्तान की जिस स्त्री-रत्न ने अपनी आखौकिक प्रतिभा और तेज से सारे देश को प्रभावित कर दिया था, उसके लिये अपना युद्ध अभिमान दिखाकर उसे इतिहास में गौरवशाही पद देना इतिहास-वेत्ताओं का प्रधान कर्तव्य है । इस ही वया महारानी के अनुपम गुणों के विषय में बहुत से ग्रंथों ने जो कुछ कहा है उससे प्रत्येक देशभक्त का मस्तक ऊँचा होना चाहिये । मार्टिन नामक इतिहासकार ने राजपूत वीरों की तुलना करते हुये महारानी की तेजस्वीता के विषय में कहा था—“In the prime of life, exceedingly beautiful, vigorous in mind and body Laxmibai had all the pride of the famous Rajput prince the Rana Umer (the opponent of emperor Janhagir) who 'rather than be less, cared not to be at all'”

रानी लक्ष्मी बाई अपनी युवावस्था में असाधारण सुन्दर थी; उनका मन उत्साह पूर्व और शरीर सुदृढ़ था और सुप्रसिद्ध राजपूत वीर महाराजा अमर सिंह (महाराजा प्रतापसिंह के पुत्र और जहाँगीर के प्रतिद्वन्द्वी) की तरह उनका भी झग्न था कि प्रायः भले ही चले जाँव पर अपनी मान शानि कभी नहीं छोड़े दूंगी ।

सर एडविन चार्लेस ने बड़े आचरज और आनन्द के साथ महारानी के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहा था:—“जिस लौ के विषय में यह मातृस

हुआ था कि वह राज-काज न चला सकेगी—वही स्त्री प्रचंड सेनाका आधिपत्य स्वीकार करने के लिये पूर्ण समर्थ हुई !” इतना ही नहीं किन्तु उसने महारानी की प्रशंसा कर उनकी तुलना इंग्लैंडकी बोडिसिया नामक वीर रानी से की है। रानी बोडिसिया प्राचीन काल में रोमन लोगों से लड़ी थी †। इङ्लैण्ड की सी० टॉरस नामक पार्लियामेण्ट के एक सभासदने महारानी का वर्णन करते हुए फ्रांस देशकी जॉन आफ आर्क नामक स्त्री-रत्नसे उनकी तुलना की है। वह वीर स्त्री १५वीं सदीमें हुई

† We found that the woman from whom we had taken, as incapable of government, the regency of a state, could at least command an army. Her name was the centre of the revolt in the North-west. She was the swarthy Bodicca of the Hindu and Mussalmen levies; by her adroit intrigues Gwalior was nearly lost, and central India with it. For weeks and months after Delhi fell, her wonderful power of generalship kept the British columns under Sri Hugh Rose at the strain of effort and endurance, till at last she led her troops in open battle against us at Kalpee. Defeated there, she made another masterly effort against us at Gwalior, and it was not the fault of this able and passionate woman that her army broke that day, and fled in utter confusion. Armed and dressed as a cavalry officer, she led, her ranks to repeated and fierce attacks, and when the camel corps, pushed at by Sri Hugh in person, broke her last line, she was among those who stood when hope was gone.

और बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रन्धकार ने बड़े अचरबके साथ कहा है कि 'तुम्हें और भयंकर युद्धमें कई घंटों तक घनघोर युद्ध परिश्रम करने पर भी महारानी किसी प्रकार रण से पीढ़े न हटती थीं!'† जन्टिन मेकाथॉन अपनी सत्य प्रिय मधुर वाणीसे प्रतापशाही वीर-मन्डलमें महारानी की गवना की है और उनका अभिनन्दन करते हुए कहा है*

† At the first note of insurrection in 1857, she took to horse, and for months in male attire headed bands, squadrons and at length formidable corps of the Mahrattaas, until she became in her way another Joan of Arc to her frenzied and fierce followers. No insurgent leader gave more trouble to the columns of Sir Hugh Rose; but not even in desperate and deadly fight, lasting for many hours, could she be persuaded to quit the field.

*Empire in Asia P. 376**

* One of those who fought to the last on the rebel side was the Ranee or Princess of Jhansi whose territory, as we have already seen, had been one of our annexations. She had plunged all her energies into the rebellion, regarding it clearly as a rebellion, and not a mere mutiny. She took the field with Nanasahib and Tantia Topee. For months after the fall of Delhi she contrived to battle Sri Hugh Rose and the English. She led squadrons in the field. She fought with her own hands. She was engaged against us in the battle for the possession of Gwalior. In the uniform of the cavalry officer she led charge after charge and was killed among those who resisted to the last. Her body was found upon the field scarred

कि वह रोजने उदार और विजयी बोद्धाकी तरह, बड़े आनन्द से, सम्मान-पूर्वक, महारानी की जो स्तुति की है वह 'गुर्बी गुब्ब बति' के न्यायसे बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है :—

“शत्रु-द्वन्द्व की ओरका सबसे उत्तम मनुष्य यदि कोई है तो वे ग्हांसी की महारानी बचमीबाई हैं।”

इस प्रकार जिनके विमल गुणों की सुन्दर सुगन्ध से पश्चिमी लोगों के अंतःकरण सन्तुष्ट होकर आनन्द से उल्लसित हों, उन अतुल्य पराक्रमी, वीर्यशालिनी महारानी बचमीबाई के समान दिव्य सौ-रस यदि हमारे आर्वाचित्त को सुशोभित करें और उनके अति उत्तम गुणों के प्रकाश से प्रत्येक देशनिष्ठ और स्वदेशाभीमानी पुरुष के अन्तःकरण में उनके विषयमें यदि अभिमान और पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो तो बड़े सौभाग्यनी बात होगी

महारानी बचमीबाई का नाम न केवल भारतवर्ष के इतिहास के पृष्ठों को, वरन संसार के विरत्व के इतिहास को गौरवान्वित करता रहेगा। जाने हुए इतिहास के पृष्ठों में हमें एक भी महिला के शौर्य और विक्रम का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसने बचमी बाई की तरह

with wounds enough in the front to have done credit to any hero. Sri Hugh Rose paid her the well-deserved tribute which a generous conqueror is always glad to be able to offer. He said in his general orders, that *the best man upon the side of the enemy was the woman found dead, the Ranee of Jhansi.*

History of our own times by Justin Mc Carthy M. P. 111.

सर इरोज़ सरीखे कुशल सेनापतियों और आधुनिक अस्त्रशस्त्रों से सुजित विशाल सेनाओं का अतुल्य वीरता के साथ मुकाबला कर प्राप्त में उनके झुके हुए हाथों और उन्हें संचित-परिचय आश्चर्यचकित कर दिया हो।

इस वीराङ्गना के पतिदेव झांसी के महाराजा गंगाधरराव का स्वर्ग-वास अल्पायु में हो गया था। मृत्यु के पहले उन्होंने दामोदरराव नामक एक निकटस्थ कुटुम्बी को दत्तक लिया था और उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का अपना कृतनिश्चय भारत सरकार पर प्रगट कर दिया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी की रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलावने की नीति का दौरदौरा था। इससे गंगाधर राव की प्रार्थना स्वीकृत न हुई और अंग्रेज सरकार ने झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलावने का निश्चय कर लिया।

गंगाधरराव की मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र केवल १८ वर्ष की थी। अपने जीवनसर्वस्व पति की अकाल मृत्यु से उसका हृदय लज्जरित हो गया था। पर वह एक 'महान्' वीराङ्गना थी। अंग्रेजों के इस अन्याय से उसके शरीर में क्रोधमग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसने प्राण रहते झांसी की रक्षा करने का संकल्प किया। उसने ब्रिटिश रेसिडेन्ट से साफ़ शब्दों में कहा कि "मैं प्राण रहते झांसी न दूंगी"।

बढ़ते बढ़ते बात बढ़ गई। अंग्रेजों ने सैनिक विद्या के पारंगत और अनुभवी सेनानायकों के नेतृत्व में एक विशाल सेना झांसी पर भेजी। लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध की तैयारी की। उसने अतुल्य पराक्रमी और अमृत वीरत्व से एक महान बलशाली शत्रुओं का ऐसा डट कर मुकाबला किया कि वे दौंतीं तले अंगुली दे गये। अंग्रेजी सेना के सैकड़ों सेनिकों को उसने धराशायी कर दिया। पर अंग्रेजों की विशाल सेना, उनके जनसंहारक आधुनिक अस्त्रशस्त्र और उनकी सैनिक चतुराई के कारण आखिर में झांसी का पतन हो गया।

इस समय झांसी पर मानीं विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। अंग्रेजी सेना

ने नगर में तहलका मचा दिया। किला शहर और राजमहल लूटने के बाद अंग्रेजी सेना ने म्हांसी के प्रसिद्ध महालक्ष्मी के मन्दिर पर धावा किया और वहाँ के सब आभूषण आदि लूट लिये ! तीन दिन तक गोरों ने शहर को खूब मनमाना लूटा !! सात दिन तक यह लूट अव्याहत रूप से चलती रही !! इस समय नगरवासियों पर भीषण अत्याचार हुए। इस बात को ज्ञे महोदय ने अपने Central India नामक ग्रन्थ में स्वीकार की है।

महारानी लक्ष्मीबाई म्हांसी के किले से निकल कर दूसरे दिन—पांचवीं अंग्रेज को—मांढेर नामक एक गाँव में पहुँची। वहाँ स्नानादि से निवृत्त होकर उन्होंने अपने पुत्र दामोदरराव को कुछ सिखाया पिछाया। इसके बाद वे कालपी की ओर जाने की तैयारी कर रही थीं कि इतने में लेफ्टिनेन्ट बोकर महारानी को पकड़ने के लिये अपनी सेना के साथ गाँव के समीप आ पहुँचे। उस समय महारानी के पास न तो सेना थी और न अपनी रक्षा का—एक तलवार के सिवाय—ग्रन्थ कोई साधन था। अतएव तुरंत बालक को अपनी पीठ पर बांध, हाथ में तलवार ले घोड़े पर सवार हो वे शत्रु से लड़ने को तैयार हो गईं। अंग्रेजी सवारों ने उन पर बड़े ज़ोर से धावा किया। यथार्थ में वही समय महारानी के बुद्ध-कौशल के परीक्षण का था। एक ओर बौकर साहब सरीसै अनुभवी अंग्रेज वीर अपने चुने हुए सवारों को साथ लेकर वायु-वेग से दौड़ते चले आ रहे थे और दूसरी ओर उनका सामना करके वहाँ से सुरक्षित रूप से भाग जाने का बस एक ब्राह्मण अबला कर रहीं थीं ! यह बड़ा ही आश्चर्य-जनक दृश्य था। यद्यपि ऐसे कठिन समय में जय-श्रावण की आशा करना महारानी के लिये एक असंभव प्रयत्न के समान था; तथापि उन्होंने अपने अलौकिक साहसा, दृढ़ निश्चय, अद्भुत शूरता और अद्वितीय रथ-कौशल से एक रथ-शूर अंग्रेज बौद्धा के भी दांत खट्टे कर दिये। ज्योंही बौकर साहब अपने घोड़े को दौड़ाते हुये लक्ष्मीबाई को पकड़ने के लिये आगे बढ़े, त्योंही लक्ष्मीबाई ने कुछ दूर हटकर पड़ते उनके पैर को रोक

और अपनी तलवार का एक हाथ ऐसी फुर्ती से चलाया की बौकर साहब घायल होकर झुटपटते हुए नीचे गिर पड़े। बस फिर क्या था, रानी ने उसी समय अपने घोड़े को वायु-गति से आगे दौड़ाया और लीला कालपी का रास्ता पकड़ा। बौकर साहब भी हतान्त होकर झांसी छोट गये।

महारानी लक्ष्मीबाई दिन भर घोड़ा दौड़ाती हुई रात के बारह बजे कालपी पहुँचीं। धन्य है ! जो स्त्री सदा राजकीय सुख, विद्यास और वैभव में रहती थी उसीने आज बिना कुछ खाये पीये पीठ पर लकड़के को बाँधे, २४ घंटे में १०२ मील का घोड़े पर प्रवास किया और मार्ग में अनेक आपत्तियों के आ जाने पर भी अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता से पालन किया ! इससे महारानी के साहस, मनोनिग्रह और घोड़े पर बैठने की शक्ति का वास्तविक परिचय मिलता है।

कालपी एक छोटासा शहर है। वह बमुना नदीके किनारे बसा हुआ है। बमुना के पश्चिमी किनारे पर एक मजबूत किला बना हुआ है। वह तीन ओर से मजबूत कोट से घिरा हुआ है। किले के पश्चिम की ओर एक मैदान है। उसके बाद शहर की आबादी है। वह शहर बहुत प्राचीन है।

कालपी में उस समय रावसाहिब पेशवा अपनी सेना सहित मुकाम किये हुए थे। उन्होंने वहाँ महारानी के रहने आदि का बोध प्रबन्ध कर दिया। उन्होंने महारानी के सामने इस बात पर खेद प्रकट किया कि वे झांसी के युद्ध में महारानी की कोई सहायता न कर सके। पर साथ ही में उन्होंने महारानी के आखौकिक वीरत्व के लिये उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप जैसी वीराङ्गना को धन्य है कि जिसने अपनी प्राचीन कीर्ति के अनुसार प्रबल अंग्रेजी सेना के साथ अतुल्य वीरत्व और पराक्रम से युद्ध किया।

रावसाहब पेशवा ने लांथाटोपी और महारानी लक्ष्मीबाई को अपनी सेना का मुख्य अधिकारी बनाया। कहने की आवश्यकता नहीं कि

काखपी में घनघोर युद्ध की तैयारी होने लगी ।

उधर अंग्रेज सर ह्यूरोजने म्हांसी का सुदृढ़ प्रबन्ध कर काखपी पर हमला करने के लिये अपनी फौज़ सहित कूच किया । रास्ते में उन्होंने कौच गांव पर हमला किया, जहां ५०० विद्रोही जमा हो रहे थे । अंग्रेजी सेना और विद्रोहियों में घमासान बढ़ाई हुई, पर आखिर विद्रोही टिक न सके और वहां का किला अंग्रेजों के हाथ पड़ गया ।

इस पराजय का समाचार जब काखपी पहुँचा, तब सब के कान खड़े हो गये । अधिक तैयारी और स्फूर्ति से अंग्रेजों का मुकाबला करने का विचार होने लगा । सैनिकों ने शपथ खाकर वह प्रतिज्ञा की कि या तो हम विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में प्राण दे देंगे ।

उधर ब्रिगेडियर स्टुअर्ट और लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्टसन की अधीनता में अंग्रेजी सेना काखपी विजय के लिये आगे बढ़ रही थी । उधर विद्रोही सेना ने एक गलती की । उसने अपने किलेबंदी में न रह कर आगे बढ़ कर शत्रु का मुकाबला किया । इससे उनकी फौज़ की रक्षा का स्थान छूट गया । अंग्रेजी सेना को यह अच्छा मौका मिला गया । वह अपने मौके पर आ बटी और तोपों की मार शुरू हो गई ।

काखपी की फौज़ ने अपनी जगह छोड़ दी, इस कारण इस तरफ की ग्रेडिन्स अंग्रेजी-सेना पर कुछ काम नहीं कर सकती थीं और अंग्रेजी-सेना की तोपें घड़ाघड़ा गोले बरसा कर विद्रोहियों को स्वाहा कर रही थीं । काखपी की फौज़ ने अपनी रक्षा के लिये बहुत प्रयत्न किया, और बड़े जोर शोर से अंग्रेजी फौज़ पर धावा किया । पर अपनी भूल के कारण उसे कुछ सफलता न हुई । उल्टी इन्हीं लोगों की अधिक हानि हुई । इस बीच में काखपी की फौज़ का अधिक जोर देखकर हैदराबाद की एल्टन भी अंग्रेजी फौज़ से आ मिली थी ।

इस प्रकार काखपी की सेना के अगले भाग का पराभव सुनकर सारी सेना बड़ी अभभीत हुई । सब लोगों में निराशा छा गई । सब-

साहब पेशवा, बाँदा ने नवाब आदि मुख्य-मुख्य योद्धा डर कर भागने का विचार करने लगे। इस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें घेरकर देकर कहा कि अब लोगों के लिये घबराने की कोई बात नहीं। अब ज़रा आप मेरा भी कौशल देखिये। इतना कह कर उन्होंने अपना घोड़ा बुलवाया और उस पर सवार होकर अपने लालवर्दी के सवारों को साथ लिये वे आगे बढ़ीं। अंग्रेजों के दाहिनी ओर जाकर उन्होंने बड़े वेग से उन पर धावा किया! उनके इस अचानक प्रचण्ड आक्रमण से अंग्रेजों की फौज एक दम पीछे हट गई। बड़े बड़े अंग्रेज शूरवीर कट कट कर धराशायी होने लगे! इस बार महारानी ने इतनी बुद्धिमानी और सुव्यवस्थित रीति से युद्ध किया कि उनके शौर्य के कारण "लाइट फील्ड" तोपों के गोले कुछ देर के लिये बिलकुल बन्द हो गये और उनके गोखन्दाब स्तब्ध होकर जैसे के तैसे खड़े रह गये! इतना ही नहीं, किन्तु महारानी उन तोपों से २० फीट के अन्तर तक मारती-काटती चली गईं। महारानी को इस विस्मय वीस्ता को देखकर कालपी की दूसरी सेनाओं का भी साहस बढ़ा और उन्होंने फिर बड़े वेगसे अंग्रेजी सेना पर चढ़ाई की। दोनों ओर से घमासान युद्ध मचा। जिस समय महारानी लक्ष्मीबाई अपने चपल घोड़े को बढ़ाती हुईं और अपनी तखवार के हाथ बड़ी चलाकी से चलाती हुईं अंग्रेजी तोपखानों पर चढ़ीं उस समय उनकी वह वीर-श्री, वह आवेश, वह मर्दुमी और बहादुरी देखकर पेशवाके दूसरे सेनानायक भी फड़क उठे! वे भी अंग्रेजी सेना पर इस प्रकार दूट पड़े जैसे जोके खेत पर टिड्डो दख दूट पड़ता है! उस समय जो घनघोर युद्ध हुआ उससे जान पड़ता था कि अब बलवाहर्षी की जीत होने में विश्वम्ब नहीं है। महारानी दाँतों से घोड़े की लगाम पकड़े, दोनों हाथों से सदासद तखवार चला रही थीं। उनका तेज और शौर्य मानो इस समय फूट निकलता था। वे प्रत्यक्ष चबिडका का अवतार जान पड़ती थीं! पेशवा की सेना भी बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी। इस लड़ाई में अंग्रेज वीरों के झुके लुट गये! तोपखानों के बचे बचाने गोख-

न्दाज हतवीर्य होकर भागने लगे । घोड़ों के ऊपर का तोपखाना फिसल गया; तोपखानों की व्यवस्था बिलकुल बिगड़ने लगी । इतने ही में ब्रिगेडियर स्टुअर्ट अपना घोड़ा बढ़ाते हुए तोपखाने के पास आये और गोलन्दाजों को उन्होंने खूब उत्साहित किया । वे बोग फिर से तोपें दागने लगे । जब सर ह्यू-रोज को यह समाचार ज्ञान पड़ा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने पेशवा की सेना साथ लेकर बड़े वेग से भागा किया है और अंग्रेजी तोपें बन्द कर दी हैं तब वे अपने साथ ऊँट सवारों की सेना लेकर बहुत जल्दी युद्ध-स्थल की ओर दौड़े और स्वयं सेनानायक बनकर उन्होंने काखपी की फौज पर बड़े जोर से हमला किया । बख्तरियों की सेना बहुत देर तक मस्त होकर अंग्रेजी-सेना से लड़ती रहीं; पर जब उस पर २६ वीं और २५ वीं बखतन के गुर-वीर सिपाही टूट पड़े तब उसके होश-हवास जाते रहे । सर ह्यू-रोज के ऊँट-सवारों ने बड़े जोर से विद्रोहियों पर गोखों की वर्षा की । काखपी फौज भागकर तितर-वितर होने लगी महारानी ने अपने सिपाहियों के साथ बढ़कर अंग्रेजी सेना की मार बन्द करके उन्हें पीछे हटाने का बहुत यत्न किया । पर पेशवा की फौज का साहस टूट जाने के कारण उन्हें और आगे बढ़ने की सहायता न मिली और निराश होकर पीछे खीटना पड़ा । इस प्रकार पेशवा की फौज के हताश हो जाने पर महारानी भी राब साहब पेशवा की छावनी में लौटा आईं । काखपी पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया । इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को प्रचुर परिमाण में युद्ध सामग्री मिली ।

राबसाहब पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई, बांदा के नवाब आदि प्रमुख नेता बड़ी युक्ति से काखपी से निकल कर गवाखिबर से ४६ मील की दूरी पर गोपालपुर नामक गाँव में चले आये । पेशवा के सेनापति तांत्या टोपी भी गोपालपुर में आकर इन लोगों से मिल गये । जब राब साहब पेशवा अपनी पराजय से खिन्न हो उठे, तब वीराङ्गना महाराणी लक्ष्मीबाई उनके डेरे पर गई और उनसे कहने लगी:—

“शाज तक जिन-जिन वीरों ने बहादुरी दिखावाई है उन सब को सुदृढ़ किशोरों का आश्रय लेना पड़ा है। छत्ररति श्री शिवाजी महाराज ने मुसलमानों को नीचा दिखाकर जो हिन्दू-राष्ट्र स्थापित किया था, वह भी सिन्धुगढ़, रायगढ़, तोरख आदि किशोरों के ज़ोर पर किया था। पहले पहल अपनी रक्षा के लिए उन्होंने प्रचंड और लड़ाई के बोम्ब किले बने। इसके बाद अपना पराक्रम और शूरता दिखाकर राजसूबा स्थापित की। इसलिए प्राचीन अनुभव से भी यही सिद्ध होता है कि बिना किशोरों के लड़ाई करना वृथा है। मॉरी और काबपी के समान जंगी किले हमारे आजीव थे, इसलिए इतने दिनों तक अंग्रेजी फौज के सामने हम लोग हार सके। परन्तु दुर्दैवके कारण अब ये किले हम लोगों के हाथ में नहीं रहे। इसलिए फिर एक प्रचंड किला हस्तगत करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस समय जी बचाकर जहाँ हम लोग भागकर जायेंगे, अंग्रेजी-सेना वहीं हमारे पीछे-पीछे पहुँचेगी और हमारा नाश किये बिना न छोड़ेगी। जो कुछ होना होगा सो तो होगा ही, उस पर कुछ ध्यान न देकर इस समय हमें कोई किला लेना चाहिए, और उसकी मदद से अंग्रेजों से लड़ाई करके विजय प्राप्त करना चाहिए, वही इस समय कर्तव्य है। महारानी खामीबाई की वह सलाह सबको पसंद आई। रावसाहब पेशवाने पूछा कि कौनसा किला हस्तगत करना चाहिए? महारानी ने कहा। इस समय मॉरी अथवा काबपीका किला लेने की आज्ञा करना जान-बूझ कर मनुष्यों के मुसलमें पढ़ना है। इसलिए म्हाकिशर पर लड़ाई करके बेंजिवा सरकार और उनकी फौज से सहायता लेनी चाहिए। वहाँ पहली किले का आश्रय मिलने पर फिर कुछ दिनों तक युद्ध बखोज और विजय पाने की अभिलाषा पूर्व होने की आशा बँवेगी”।

महारानी ने इस संकट के समय में जो वह बुद्धि सुझाई उसके किले कनक मैडेसन के समान अंग्रेज प्रबन्धकारों ने भी उनकी भूमि-भूमि प्रशंसा की है। मैडेसन ने रावसाहब पेशवा, बाँदा के नवाब, संतखटोपी और

उचीबाई, इन चारों सुखियों की बुद्धि-चतुरता की तुलना करके उन सब में महारानी को बड़ी बुद्धिमती और श्रेष्ठ बतलाया है। वे लिखते हैं:-

“बलवाइयों के जगुकों के लिए वह समय बड़े संकट और मार्के का था। पर जब कोई कठिन समय आ पड़ता है तब जैसे ही उपाय भी सूझ जाते हैं। वह उपाय बुद्धिमती महारानी के मस्तिष्क में आया। इस बात में सन्देह ही था कि यदि वह उपाय महारानी न हूँ निका-लती तो और किसी को सूझता था नहीं? इन चारों को पूर्व कृति को देखकर कहा जा सकता है कि रावसाहब पेशवा और बाँदा के नवाब को वह उपाय कभी नहीं सूझ सकता था, इसलिए इन दोनों के सम्बन्ध में विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं। उन दोनों में से किसी के कर्ताव और बुद्धि से ऐसा नहीं जान पड़ता था कि वे इस भयंकर प्रसंग को दूर कर सकते। अब बाकी दो में से हम थोड़ी देर के लिये तौत्याटोपी को भी छोड़ देते हैं। हम यह नहीं कहते कि तौत्याटोपी भी वह उपाय न हूँ पाते और हम यह भी नहीं कह सकते कि उनमें इस उपाय के हूँ निका-लने की बुद्धि न थी, पर तौत्याटोपी का स्वलिखित चरित पढ़ने से मालूम होता है कि उन्होंने वह बात स्वयं कबूल की है कि यदि महारानी उस समय न होती तो शायद वह उपाय और किसी को न सूझता। इस उपाय के हूँ निका-लने का सारा श्रेय महारानी को ही प्राप्त है। अब रही महारानी की बात सो इसमें सन्देह नहीं कि बड़े कामों के करने में जिस प्रकार के साहस और बुद्धिमानी की ज़रूरत पड़ती है वह सब उनमें थी। उन्हें अपने शत्रुओं के प्रति द्वेष-बुद्धि, बढ़ा-लेने की तीव्र इच्छा, हृदय के सदा जलते रहने और प्राधान्त हो जाने तक युद्ध करने की इच्छा आदि के कारण इस मार्ग का अवलम्बन करना पड़ा था। उनके मार्ग में जो आपत्तियाँ थीं उनको वे अच्छी तरह जानती थीं। वे ने भी जानती थीं कि पहली बार चाहे उनकी जीत हो भी जाय, पर अन्त में उनका पराभव निश्चित है। उनके साथियों में रावसाहब पेशवा

पर उनका वज़न अधिक था। उपयुक्त बातों से हम यह निश्चय-पूर्वक कह सकते हैं कि साहसी महारानी ने जो उपाय सुझाया उसका अवलम्बन उनके साथियों को गोपालपुर में करना ही पड़ा।”

महारानी को युक्ति रावसाहब पेशवा को बहुत पसंद आई। इसके लिये उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई की बड़ी प्रशंसा की। उस समय ताँत्याटोपी भी वहीं मौजूद थे। महारानी के कथन का उन्होंने पूर्ण-रूप से अनुमोदन किया। ताँत्याटोपी अनेक बार गुप्त रीति से ग्वाल्दियर गये थे, इस कारण उनको वहाँ के दरबार और सेना का हाल अच्छी तरह मालूम था। उनको यह मालूम हो गया था कि इस घावे में पेशवा को किस कदर बुरा प्राप्त होगा। महारानी का प्रस्ताव सबकी अनुमति से पास हो गया और ग्वाल्दियर पर चढ़ाई करने की तैयारी हुई। महारानी की यह युक्ति बड़ी चतुरता और महत्त्व की थी! जब पेशवा की फौज़ के सरदारों को यह बात मालूम हुई तब उन्हें भी कुछ विजय पाने की आशा और उत्साह हुआ। उन्होंने भी महारानी की बहुत तारीफ़ की और ग्वाल्दियर पर चढ़ाई करके वहाँ का क़िला जीतने की इच्छा प्रदर्शित की।

महारानी लक्ष्मीबाई की सलाह के अनुसार सब लोगों ने ग्वाल्दियर की ओर कूच किया। यहाँ पर पाठकों के जानने के लिये पहले सेंधिया-सरकार के दरबार की दृश्य का कुछ हाल लिखना आवश्यक जान पड़ता है।

उस समय जयाजीराव सेंधिया ग्वाल्दियर के महाराज थे। उनकी अवस्था उस समय २३ वर्ष की थी। सन् १८४४ ई० में जब अंग्रेजों और ग्वाल्दियर की लड़ाई हुई थी तब उसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। सेंधिया-सरकार ने तब उनसे सुलह कर ली थी। उसी समय से ग्वाल्दियर राज्य में अंगरेजी सरकार का अच्छी तरह प्रवेश हो गया; वहाँ के दरबार में उसका खूब दबाव हो गया। इस सुलह से ग्वाल्दियर का क़िला भी अंगरेजों के हाथ में चला गया था और सेंधिया सरकार का चढ़ाई का

सामान और सेना भी तितर-बितर हो गई थी। सन् १८२३ से यद्यपि महाराज जवाजीराव को रिबासत का पूरा अधिकार मिल गया था तो भी उसका कुछ इन्तज़ाम रेज़िडेंट के विचार से चलता था। महाराज की ओर से श्रीयुक्त दिनकरराव राजवाड़े राज-काज करते थे। वे राज-काज बड़े में बड़े निपुण और व्यवहार-दक्ष थे। उन्होंने रेज़िडेंट से मिलकर राज्य का अच्छा सुधार किया था।

इतना होने पर भी ग्वाल्द्वर में अन्दर ही अन्दर विद्रोह की अग्नि भड़क रही थी। इसका कारण यह था कि उस समय विभिन्न अन्तों से विद्रोह के समाचार आ रहे थे। मेरठ, दिल्ली आदि कई स्थानों में अंग्रेजों की बुरी तरह हार हुई थी। लोग अंगरेजी राज्य के नाश के स्वप्न देखने लगे थे। पर महाराज जवाजीराव अंगरेजों के पक्ष में थे। राव साहिब और लक्ष्मीकाई की किसी प्रकार सहायता न करना चाहते थे। इतना ही नहीं उन्होंने अंगरेजों का पक्ष लेकर अपने ही देशवासियों के खिलाफ़ तलवार उठाने का निश्चय किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों पक्षों में युद्ध ठन गया। इसमें महाराज सिंधिया की हार हुई और इन्हें अपने दीवान सर दिनकर राव राजवाड़े के साथ आगरा भाग जाना पड़ा।

इधर विद्रोही लोगों ने बड़े आनन्द के साथ शहर में प्रवेश किया। ग्वाल्द्वर के जो सरदार पेशवा के पक्ष में थे वे विद्रोहियों से आ मिले। ग्वाल्द्वर की फौज़ ने रावसाहब पेशवा को अपना स्वामी समझ कर उनके स्वागत के लिये तोपों की सलामो दी। पेशवा बड़े ठाट बाट और लबाजम्मा के साथ सिन्धिया के राज महल में पधारें और वहीं अपना डेरा डाला। महाराजी लक्ष्मीकाई छरकर के पास नवलसा नामक बाग में उतरी पेशवा के साथ के और दूसरे सरदार शहर के भिन्न भिन्न महलों में उतरे। कहने का मतलब यह है कि ग्वाल्द्वर के किले पर पेशवा की विजय पताका फहराने लगी।

शहर पर अधिकार होते ही तॉल्वाटोपी ने ग्वाल्दियर के किले की तरफ कुछ सेना भेजी। किले के अधिकारी तॉल्वा साहब से पहले ही से मिले हुये थे। इसलिए किले पर अधिकार करने में उन्हें कुछ प्रयास नहीं पड़ा। तॉल्वाटोपी की सेना के पहुँचते ही किले वालों ने दरवाज़े खोलकर सारा क़िला उनके स्वाधीन कर दिया। ग्वाल्दियर के समान जंगी और पहाड़ी क़िला तथा अगणित युद्ध सामग्री पाकर तॉल्वा को अत्यन्त हर्ष हुआ। उनको इस बात का गर्व हुआ कि ऐसे अजेय किले के अप्रतिम सम्पत्त्य के आगे अब हमारी बराबरी कौन कर सकता है ?

क़िला और शहर ले लेने पर विद्रोहियों ने ग्वाल्दियर में बड़ा उपद्रव मचाया। पहले तो रेंज़िडेंसी पर धावा करके उसे जला दिया और वहाँ का सारा माल असबाब लूट लिया। इसके बाद सैन्धवा-सरकार के पुराने राजमहल और उनके अंगरेज-हितैषी सरदारों के महलों पर उन्होंने धावा किया और उन्हें नष्ट करना आरम्भ किया। उन्होंने राज-महल के कमरे करके दीवान दिनकरराव, सरदार बलकन्तराव और माहुरकर के प्रधान दरबारी लोगों की हवेलियाँ मिट्टी में मिला दीं। इतना ही नहीं, किन्तु उन्होंने शहर लूटना भी आरम्भ कर दिया। परन्तु सौभाग्य से जब रावसाहब पेशवा ने इस बात का ख़त हुकम दिया कि शहर लूटने की कोई न लूटे और न कोई उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ दे, तब वहाँ जाकर वह लूट-भार बन्द हुई।

ग्वाल्दियर जीतने पर रावसाहब चैन की बन्ती बनाने लगे। उन्हें आशय यह ख़याल न रहा कि उनके प्रबल शत्रु अंगरेज उन पर बढ़ाई करने वाले हैं वे तो नित्य नये नये उत्सवों और आह्वान भोजनों में लीन हो गये। वे अपने कर्त्तव्य को बिलकुल भूल गये।

यह दशा देख कर महारानी लक्ष्मीबाई को अत्यन्त दुःख हुआ। उन्होंने रावसाहब से बारम्बार यही कहा कि आप इस समय तो यह कुछ साज बन्द कीजिये। यह समय उत्सव और आनन्द मनाने का नहीं

है। युद्ध के लिये तैयार होने का है। परन्तु रावसाहब पेशवा ने महारानी की बातों पर ध्यान न दिया। इस पर महारानी ने ज़रा ज़ोर देकर कहा—“आप इस मित्रत्व के आनन्द में मग्न हैं, पर वह बात अच्छी नहीं है। संधिया का सब खज़ाना और सेना आपके आधीन है। इसका यदि अच्छा उपयोग नहीं किया जायगा तो आपकी सब आशाएँ भूल में मिल जायंगी। अंगरेज लोग बड़े चाख़ाक और उछोगी है। इस बात का कुछ ठीक नहीं है कि वे कब हम लोगों पर चढ़ाई कर दें। यदि आप ऐसे ही अचेत पड़े रहे तो हमारा नाश होने में तनिक भी देर न लगेगी। इससे आप अब यह ऐश आराम छोड़िये और सेना की तैयारी में लगिये। फ़ौजी लोगों की तनख्वाह बढ़ाकर उन्हें उत्साहित करना चाहिये। वह समय व्यर्थ नष्ट करने का नहीं है। बड़ी कठिनता से कार्य-साधन के लिये अनुकूल समय मिला है; अतएव अब आपके सावधानी के साथ युद्ध की तैयारी में लग जाना चाहिये।” परन्तु ना समझी के कारण पेशवा के मन पर महारानी के इस उपदेश का कुछ असर न हुआ। वे बराबर उसी आनन्द में मग्न रहे। ब्राह्मण-भोजन भी वैसा ही ख़तरा रहा। तर्तुवाटोपी भी अपनी बलवान् सेना के घमंड में मस्त रहे। उन्होंने तो यहाँ तक समझ लिया कि अब हमारी सेना का सुकम्बला अभेज लोग कर ही नहीं सकते!

उधर सर ह्यू रोज और मिनेटियर जनरल मैपियर ग्वालिबर पर चढ़ाई करने की ज़ोर शोर से तैयारी करने लगे। तत्कालिन गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने उन्हें इसके लिये स्वीकृति भी देदी। १ जून १८२० को सर ह्यू रोज ने कावली से ग्वालिबर की ओर प्रस्थान किया।

इस समय इनके साथ मध्य भारत के पोलिटिकल एजेंट सर रॉबर्ट हेमिल्टन और ग्वालिबर के रेजीडेन्ट मेकफ़रसन भी थे। इनसे सर ह्यू रोज को बड़े मौके की सलाह मिला करती थी। ११ जून १८२० की हम्पीर के गांव में स्ट्रुमट की शहीदता में उन्हें एक और सेना मिल

गई। उन्होंने म्वाखियर के पास मुरार की छावनी पर हमला करने का निश्चय किया। अंगरेजों की इन सब गति विधियों से रावसाहब पेशवा बेखबर से रहे। अपने-विजयोत्सव के आनन्द में बाहरी परिस्थिति को भूल गये। जब अंगरेजी सेना निकट आ पहुँची तब इनकी नौद खुली और उन्होंने तात्याटोपी को लड़ाई की तैयारी करने का हुक्म दिया। फिर क्या था। राव साहब की फौज अंगरेजों का मुकाबला करने के लिये आगे बढ़ी। सर ह्यू रोज ने पहले से ही बड़ी फौजी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने रावसाहब की फौज पर बड़े जोरों से आक्रमण किया। राव साहब की फौज ध्वरा गई। हाँ वहाँ यह कहना आवश्यक है कि मुरार में महाराज सिंधिया की फौज पड़ी हुई थी। वह अंगरेजों से खार खाई हुई थी। उसने अंगरेजी सेना पर भयंकर गोला बृष्टि की। पर सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर सर ह्यू रोज ने पहले से ही अधिकार कर रखा था। इससे उक्त सेना को कामयाबी नहीं मिली और मुरार पर अंगरेजों का अधिकार आ गया।

म्वाखियर की लड़ाई और महारानी की अद्भुत वीरता

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं अंग्रेज सेनापति चारों ओर से म्वाखियर पर चढ़ाई कर उसे जीतने का प्रयत्न करने लगे। इधर राव साहब पेशवा भी फौजी तैयारी में मग्न हो गये। तात्याटोपी पहले ही से अपनी सेना का प्रबन्ध कर रहे थे। उन्होंने जगह जगह तोपों के भौचें लगा दिये। महारानी लक्ष्मीबाई भी फौजी पोशाक से सजकर तैयार हो गईं। वे अपनी सदैव की फौजी पोशाक धारण कर अपने उम्दा और चतुर घोड़े पर सवार हुईं और अपनी प्राण प्रिय रत्न जटित तखवार म्यान से निकाल कर एक युद्ध-पट्ट घोड़ा के समान अपनी फौज की कवायद लेने लगीं। उनका उस समय वह भव्य स्वरूप, वह गम्भीर स्वर और कहर स्वामिमान देखकर उनके सेनिकों के अन्तःकरण वीर भी से भर गए और सत्रुओं पर एक दफा धावा करके उन्हें नष्ट कर देने के

लिये उन्हें आवेश चढ़ आया। उस समय महारानी लक्ष्मीबाई का महा-लक्ष्मी के समान प्रखर जाज्वल्यमान स्वरूप और संग्राम में प्रतापान्नि की धूमधारा के समान फलकनेवाली उनकी तलवार की दिव्य चमक को देखकर किसका हृदय न धरा उठा होगा ?

कहने कि आवश्यकता नहीं कि इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस अलौकिक पराक्रम का प्रदर्शन किया, वह वीरत्व के इतिहास में स्वर्ण-अक्षरों से लिखने योग्य है। उन्होंने और उनकी वीर सेना ने शत्रु दल के सैकड़ों सैनिकों को धराशायी कर दिया। उन्होंने अपनी वीर सेना के हृदय में वीरत्व का अद्भुत संचार किया और उनकी नस-नस में चेतना और नवजीवन का संचार किया। कई बड़े-बड़े युद्धों में विजय पाये हुए अंग्रेज सैनिक भी महारानी के अपूर्व शौर्य और तेज को देख कर आश्चर्यचकित हो गये। महारानी ने युद्ध शौर्य की पराकाष्ठा दिखा दी। महारानी के वीर सवारों ने आवेश में आकर बड़ा भयंकर युद्ध किया। वे अपनी अपनी तलवारें म्यान से खींच कर, प्राणों का भय छोड़ कर, विजय श्री पाने की लालसा से, अंग्रेज शत्रुओं पर एकदम दूट पड़े। मना-मन तलवारें बजने लगीं। अंग्रेज वीर अपने प्राणों से निराश हो बैठे थे कि इतने में कर्नल रेन्स और कर्नल पेल्सीने ६२ वीं पलटन के बे-थके शूर और बम्बई की १० वीं नेटिव इन्फैंट्री को आगे कर एकदम झोंका देते हुए विरोधियों के पार्श्व भाग पर धावा बोल दिया। इधर के वीरों पर चारों ओर से मार पड़ने लगी। इसलिये उनको पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजों की विलक्षण युक्ति, कावेबाजी और अगणित सेना के आगे थोड़े से सवारों का पराक्रम कहाँ तक कामयाब हो सकता है ?

उधर सर ह्यू रोज ने मुरार की ओर से राव साहिब पेशावा की सेना पर चढ़ाई कर उनके दो मोर्चे छीन लिये। जब यह समाचार महारानी की सेना में पहुँचा, तब वहाँ कुछ घबराहट फैल गई। ताहम् भी महारानी और उसके सवार बड़े साहस से युद्ध करते रहे। यद्यपि अंग्रेजों की असह्य

मार के कारण इस और के बहुत से थोड़ा घायल होकर गिरपड़े थे, तो भी पीछे की पैदल सेना और तोपखाने पर महारानी को अन्तिम आशा थी। परन्तु अन्त में वह भी आशा-तन्तु टूट गया और इस निर्वाण के अवसर पर उन्हे केवल अपनी पानीदार तलवार को छोड़ कर दूसरा कोई आश्रय न रहा।

महारानी का अन्तिम युद्ध

महारानी लक्ष्मीबाई ने विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के साथ जिस अपूर्व वीरता और शौर्य के साथ युद्ध किया, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। महारानी का अन्तिम युद्ध ग्वाळियर में हुआ। अंग्रेजों की रण कुशल सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उनकी फौज तितर बितर हो गई। उनके साथ केवल उनके विश्वास पात्र कुछ नौकर और नौकरानियां थीं। वे अकेली अंग्रेजों की विशाल सुसज्जित सेना से तुमुब युद्ध कर रहीं थीं। उस समय महारानी ने जिस अद्भुत पराक्रम से युद्ध किया, उसकी मिसाल स्त्री-संसार के इतिहास में मिलना असम्भव है। अंग्रेजी सेना के पास भयंकर नरसंहारक अस्त्र-शस्त्र थे, विलक्षण रण कौशल था, और कई बड़े-बड़े युद्धों में विजय पाये हुए सेनापति थे। इन साधनों से युक्त अंग्रेजी सेना चारों ओर से आक्रमण कर रही थी। बख़्ति महारानी ने अपनी अद्भुत वीरता और शौर्य से युद्ध किया और कई अंगरेज सैनिकों को धराशायी कर दिया, पर अन्त में इस विशाल सेना के सन्मुख वह कब तक टिक सकती थीं। उन्होंने उस सैनिकव्यूह से निकलने की चेष्टा की, पर कई बार असफल रहीं। परन्तु अखिर में अपने प्राणों की परवाह न कर तलवार हिलाती हुई वे अपने थोड़े से अनुचरों के साथ उस व्यूह से बाहर निकल ही तो गईं। पर दुर्भाग्य ने यहां भी उनका पीछा न छोड़ा। जिनेडियर स्मिथ ने कुछ चुने हुए सवारों को चीते की तरह उनके पीछे दौड़ा दिया। वे सवार गोळियां चलाते हुए महारानी के पीछे दौड़े। महारानी के पीछे से गोळी लगी, जिससे वे कुछ

शिथिल हो गईं। इतने ही में वे सवार महारानी के पास पहुँच गये। फिर दोनों दलों में तुमुल्ल युद्ध होने लगा। यहां यह कहना आवश्यक है कि यहां महारानी की दासियों ने, जो पुरुष वेष में थीं, और उनके अनुचरों ने भी अपने प्राणों का मोह छोड़ कर अद्भुत वीरत्व प्रदर्शित किया था।

महारानी पर जो सवार वार कर रहे थे, उन्हें महारानी ने अपनी तलवार का मज़ा चखाया और अपना घोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। इतने में महारानी ने “बाई साहब मरी ! मरी !! मरी !!!” आदि चित्कार सुनी। यह आवाज़ उनकी एक दासी-सुन्दर-की थी। इन शब्दों के कानों में पड़ते ही महारानी को इतना दुःख हुआ मानों उनके हृदय में किसी ने शस्त्र प्रहार कर दिया हो। वे एक दम भोंके के साथ पीछे झूट पड़ीं और अपनी प्रिय दासी को स्वर्ग पहुँचाने वाले इस अंगरेज को उन्होंने उसी दम यमपुरी का मार्ग दिखा दिया और वे एकदम झूट कर आगे की ओर बढ़ने लगीं। देखते ही देखते उनका घोड़ा पीछे की सवारों की मार से साफ़ निकल जाता, मगर आगे एक छोटा सा नाला पड़ जाने के कारण वह अद्विखल घोड़ा वहीं अड़ गया। उन्होंने घोड़े को आगे बढ़ाने का बड़ा प्रयत्न किया पर सफल न हुईं। इतने में अंगरेजी सेना के वे कट्टर सवार वहां आ पहुँचे और बिजली की तरह वे महारानी पर दूट पड़े। महारानी ने अटल शौर्य और अपूर्व वीरत्व के साथ उन सवारों के साथ युद्ध किया और उनका पहला हमला बेकार कर दिया। महारानी ने कई थोड़ाओं को घायल किया, पर अन्त में गोलियों और तलवारों के घावों से जर्जरित होकर वे भी नीचे गिर पड़ीं। उनके विश्वासनीय अनुचर उन्हें उठाकर पास की एक कुटिया में ले गये। वहीं इस वीर रमणी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया और अमरत्व प्राप्त किया।

कर्मल मालेसन ने अपने ग्रन्थ “History of the Indian Mutiny” में महारानी के अपूर्व शौर्य व अद्भुत वीरत्व के लिये लिखा है—

“Among the fugitives in the rebel ranks was the resolute woman, who alike in council and in the field, was the soul of the conspirators. Clad in the attire of a man and mounted on horse-black, the Ranee of Jhansi might have been seen animating her troops throughout the day. When inch by inch the British troops pressed through the defile, and when reaching its summits, Smith ordered the Hussars to charge, the Ranee of Jhansi boldly fronted the horsemen. When her comrades failed her, her horse, in spite of her efforts, carried her along with the others. With them she might have escaped, but that her horse, crossing the canal near the cantonment stumbled and fell. A hussar close upon her track, ignorant of her sex and her rank, cut her down. She fell to rise no more. That night her devoted followers determined that the English should not boast that they had captured her even dead, burned the body”

अर्थात् “बलवाहियों की सेना से जो लोग भाग गये थे उनमें एक अत्यन्त धैर्यशीला स्त्री थी। वह युद्ध करने और सलाह देने में बलवाहियों की मुख्य आत्मा थी। मर्दानी पोशाक पहने घोड़े पर सवार हुई फ़ौसी की रानी अपनी सेना को उत्साहित करती हुई देख पड़ती थी।

जब अंगरेजी सेना जोर से एक एक इन्च आगे बढ़ रही थी और जब स्मिथ साहब ने अपने हुजस सवारों को फायर करने की आज्ञा दी तब फ़ौसी की रानी ने बड़ी बहादुरी और हिम्मत के साथ उनका सामना

किया। जब रानी के साथी साथ छोड़कर भाग गये, तब उनका घोड़ा उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें ले गया। उन लोगों के साथ भाग कर रानी भी बच सकती थीं, परन्तु उनका घोड़ा कन्ट्रोलमेंट के पास नाला पार करते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ा। ठीक उसी समय एक हुसार खुदसवार ने, जो रानी का पीछा करते हुए चला आ रहा था, उस को मार डाला। साथियों ने उनका शरीर उसी रात को अग्नि में भस्म कर दिया, जिससे अंगरेज लोग इस बात का घमंड न करने पावें कि उन्होंने भाँसी की रानी के मृत शरीर को छू लिया।”

पेशवा नाना साहिब

पेशवा नाना साहिब द्वितीय बाजीराव पेशवा के सब से बड़े दत्तक पुत्र थे। पेशवा की गद्दी तथा पेन्शन प्राप्त करने के अपने वैधानिक प्रयत्नों (Constitutional attempts) में असफल होकर आपने भारतवर्ष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिये सशस्त्र क्रान्ति का देशव्यापी संगठन किया। इस गुरुत्तर कार्य में आपको अपने छोटे भाई बाखाराव, भतीजे राव साहिब तथा प्रधान सेनापति तांतिया टोपी, भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई और अन्य कई राजाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। ई० सन् १८२७ के क्रांतिकारक युद्ध के आप ही प्रधान संचालक थे। जब क्रांतिकारी सेनाओं ने ब्रिटिश सेना को छिन्न भिन्न कर तथा उन्हें परास्त कर कानपुर पर अधिकार किया तब आपको पेशवा घोषित किया गया।

अन्त में जब दुर्भाग्य से युद्ध का पासा पलट गया और अंग्रेजों की सेनाओं से आपकी सेनाएँ परास्त हुईं, तब आपने पीछे हटने का निश्चय किया और अखिर में सेना के एक दल और अपने कुछ साथियों सहित आपने नेपाल राज्य की सीमा में प्रवेश किया। आगे जाकर आपकी क्या स्थिति हुई इसके लिये इतिहास अभी अन्वेषण में ही है। हाँ, कुछ वर्षों

के पहले पूना से निकलने वाले इतिहास संशोधक मंडल से प्रकाशित एक ग्रन्थ में आपके किसी सम्बन्धी का एक पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें यह प्रकट किया गया था कि नाना साहिब पेशवा नेपास में अपने परिवर्तित रूप में वास करते थे।

वीर सावरकर ने अपने 'War of Indian Independence' नामक अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में इनके विषय में जो कुछ लिखा है उसका संक्षिप्त सारांश नीचे दिया जाता है:—

“नानासाहब पेशवा ई० सन् १८२७ की क्रांति के मस्तिष्क थे। वे इस क्रांति के विचार को बहुत दिनों से परिष्कृत कर रहे थे। अपने उच्च श्रेणी के फौजदार की तलवारों, दूर से मार करने वाली आधुनिक रायफलें, विभिन्न आकार की बड़ी बड़ी तोपें जमा कर रक्खी थीं।”

“इसके अतिरिक्त आपने देहली से लगकर मैसूर के बीच में अनेक राजाओं के पास स्वतन्त्रता के इस युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिये राजदूत भेजे थे। आप स्वयं अपने ब्रह्मन्त राजमहल से बाहर निकल कर विभिन्न कदियों को मिलाएने में लग गये थे। अपने भाई बाला साहिब और सलाहकार अजिमुल्लाह के साथ इस क्रांति के संगठन के लिये यात्रा की और सब से पहले आप दिल्ली गये। वहां आप तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुरशाह से मिले। वहां की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद आप अम्बाला गये। अम्बाला से आपने लखनऊ के लिये प्रयाण किया। वहां आपने नगरवासियों में अटूट उत्साह और उत्तेजना का संचार किया। लखनऊ की उत्सुक जनता ने आपका एक अति विशाल जुलूस निकाला जिसमें क्रांतिकारक नारे लगाये गए। लखनऊ के बाद आपने काठपी की यात्रा की और वहां आपने जगदीशपुर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कुमारसिंह से भेंट की, जिनके साथ आपका घनिष्ट पत्र-व्यवहार था। इसी प्रवास में नानासाहब ने ट्रंक रोड पर पढ़ने वाली तमाम सैनिक छावनियों का निरीक्षण किया; कई महत्व पूर्ण स्थानों की यात्रा की

और देश के प्रधान प्रधान नेताओं से अपना सम्बन्ध स्थापित कर आपने अपने भावी युद्ध योजना का प्रोग्राम निश्चित किया। इसके बाद आप ई० सन् १८५७ की अंग्रेज के अन्त में ब्रह्मव्रत में पहुँच गये।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं यद्यपि आपको आरम्भ में सफलता हुई पर दुर्भाग्य से यह सफलता अधिक स्थिर न रह सकी।

ताँतिया टोपी

ताँतिया टोपी नाना साहिब की क्रांतिकारक सेना के प्रधान सेनापति थे। यह एक सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के सेना संचालक समझे जाते थे। छापा-मार युद्ध (Guerilla warfare) में तो यह बड़े सिद्धहस्त थे। एक अंग्रेज ने लिखा है—“अगर ई० सन् १८५७ की क्रांति को आधे दर्जन ताँतिया टोपी मिल जाते तो उक्त क्रांति का इतिहास ही बदल जाता और वह जुदे प्रकार से लिखा जाता।”

ताँतिया में एक महान् सैनिक प्रतिभा थी। तत्कालीन भारतीय सेनापतियों में सेना के संचालन में ये बेजोड़ थे। युद्ध करने की मराठा पद्धति के वह समर्थक थे। श्री सावरकर ने लिखा है:—

“अंग्रेजों से कम कट्टर शत्रु से इनका मुकाबला होता तो ये एक बड़े राज्य की नींव लगाते और मराठा शक्ति का पुनर्निर्माण करते।” आरम्भ में ताँतिया टोपी ने ब्रिटिश सेनाओं को करारी हार दी और उनके छुट्टे छुड़ा दिये। इस बात को कई अंग्रेज लेखकों ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। परन्तु पीछे जाकर कानपुर की लड़ाई में इन्हें परास्त होना पड़ा। इसके बाद ताँतिया टोपी ने अंग्रेजी सेना के फन्दे से बच निकलने के लिये स्थान स्थान पर जिस चतुर्गई के साथ प्रयाण किये वह सैनिक इतिहास की एक अद्भुत घटना थी। उन्हें चारों दिशाओं से अंग्रेजी सेना घेरने का प्रयत्न कर रही थी। अंगरेजों के कई कुशाह और नाम पाये हुए सेनापति ताँतिया टोपी की सेना को

नष्ट कर उन्हें गिरफ्तार करने में प्रयत्नशील थे। किन्तु तांतिया टोपी ने कई मास तक बड़ी कुशलता के साथ अपना बचाव किया। अन्त में निरुपाय होकर और बच निकलने की कोई सूत न देखकर इन्होंने अपने एक विश्वासनीय मित्र राजा मानसिंह के पास आश्रय ग्रहण किया जिसने इन्हें धोके से अंग्रेजों के हाथ समर्पित कर दिया !!

अंग्रेजों का फौजी अदालत में इनके विरुद्ध ब्रिटिश सम्राट् के खिलाफ युद्ध करने के अपराध का अभियोग चलाया गया और इन्हें उक्त अदालत से फाँसी की सजा मिली। बड़ी निर्भयता के साथ यह वीर सेनानी फाँसी पर लटक गया !! फाँसी के समय इन्होंने केवल यह इच्छा प्रदर्शित की कि इनके पिता को, जो कानपुर में रहते थे, सताया न जाय क्योंकि उनका इस विद्रोह में कोई हाथ न था।

कुमारसिंह

कुमारसिंह शाहबाद जिले के जगदीशपुर नामक ग्राम के जमींदार थे इन्हें जनरल आयर ने इनकी जमींदारी से च्युत कर दिया था। बेचारे कुमारसिंह एक लम्बे अर्से तक निराश्रय होकर जंगलों में घूमते रहे। कुमारसिंह एक बड़े वीर पुरुष थे और वृद्ध होते हुए भी जवानी का खून उनकी रगों में बहता था। वे अपने शत्रु से बदला लेने की ताक में थे। आपके भाई अमरसिंह और दो अन्य जमींदारों ने आपका साथ दिया। जंगलों में कुमारसिंह के छोटे बच्चे भी आपके साथ थे। भूख और प्यास का भी आपको सामना करना पड़ता था। इनकी कठिनाइयों का पार नहीं था। परन्तु इन सब कठिनाइयों ने उनके मुल्क को आजाद करने के निश्चय की ओर भी अधिक दृढ़ किया। श्री सावरकर ने इन्हें अपने ग्रन्थ में 'जंगल का राजा' कहा है।

कुमारसिंह और उनके छोटे भाई अमरसिंह ने एक सेना का संगठन कर जगदीशपुर को शत्रुओं के पंजे से मुक्त करने का प्रयत्न किया।

ये पश्चिमी बिहार के जंगलों में सोन नदी के किनारों पर घूमते-घूमते शत्रु की निर्बल बाजू को देखते रहते थे। इसी बीच में उन्हें यह खबर मिली कि अंग्रेजी और नेपाली सेनाएँ लखनऊ को नष्ट करने के लिये आज्ञामगढ़ से अग्रिम भेजी जा रही हैं। कुमारसिंह ने आसपास के गांवों में बिखरे हुए क्रांतिकारियों का संगठन कर उन्हें सैनिक रूप में सुसज्जित कर आज्ञामगढ़ पर हमला करने का निश्चय किया। ई० सन् १८५७ की १७वीं मार्च को बीवा गांव के क्रांतिकारी भी उनमें मिल गये और इस संयुक्त सेना ने अट्रोखिया के किले पर पड़ाव डाला। अट्रोखिया से अजीमगढ़ लगभग २५ मील है। जब अंग्रेजों को यह खबर मिली तब मीलमैन (Milman) नामक उनके एक सेना नायक ने ३०० पैदल और कुछ सवार सेना और दो तोपों के साथ अट्रोखिया की ओर कूच किया। आरम्भ में ऐसा मालूम होने लगा कि कुमारसिंह हार गये और अंग्रेज सेनापति अपनी भ्रामक विजय से मदोन्मत्त होकर बेपरवाह से हो गये। इसी बीच में कुमारसिंह और उनकी फौज ने किले से निकाल कर एक मदोन्मत्त सिंह की भांति अंग्रेजी सेना पर धावा बोल दिया और चारों ओर से अंग्रेजी सेना पर गोलियों की वर्षा की। ब्रिटिश सेना चारों ओर से घेर ली गई। वह बड़ी मुश्किल से पीछे हटने में समर्थ हुई। इसी बीच उन्होंने छापामार युद्ध में ब्रिटिश सेना को बहुत तंग किया। कुमारसिंह की वीर सेना ने ब्रिटिश सेना को कौंसिल तक खदेड़ दिया। कौंसिल में भी ब्रिटिश सेना को आराम न देने दिया गया। कुमारसिंह की सेना भूखे शेर की तरह यहां भी ब्रिटिश सेना पर आक्रमण कर बैठी। अंग्रेज सेनापति मिलमैन यहां से भी पीछे हटने को बाध्य हुआ। इस बीच में अंग्रेजी सेना के बहुत से सैनिक मारे गये और अभाग्य मिलमैन बड़ी कठिनाई से आज्ञामगढ़ पहुँचा। आज्ञामगढ़ में मिलमैन को कुछ हादस बँधा क्योंकि वहां उसकी सहायता के लिये बनारस से ३५० सैनिकों की एक फौज पहुँच गई। अब दोनों सेनाओं ने मिलकर

कुमारसिंह से बदला लेने का निश्चय किया। किन्तु कुमारसिंह ने इस नई सेना को भी इतने जोर की मार दी कि वह और उसका सेनानायक कर्नल डैम्स आजमगढ़ के किले में जाकर छिप गये। कुमारसिंह की सेना की एक टुकड़ी ने उक्त किले को घेर लिया और वह स्वयं अपनी दुश्मनी बजाते हुए रवाना हुए।

अजिमुल्ला खाँ

ई० सन् १८२७ के क्रांतिकारक युद्ध के प्रधान संचालकों में से एक यह थे। इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। श्री सावरकर के मतानुसार स्वातन्त्र्य युद्ध की पहली योजना जिन महान् मस्तिष्कों में आई थी उनमें इनका आसन बहुत ऊँचा था। क्रांति की योजना को जिन नेताओं ने विकसित किया था उनमें अजिमुल्ला खाँ की योजना अपना विशेष महत्त्व रखती थी।

अजिमुल्ला खाँ एक गरीब परिवार में उत्पन्न हुए थे। ये अपनी योग्यता और शक्ति से बढ़ते-बढ़ते नानासाहब के एक प्रत्यन्त विश्वसनीय सलाहकार के पद तक पहुँच गये। प्रारम्भ में आपने एक अंग्रेज के खानसामा का काम किया। इस हीन स्थिति में रहते हुए भी आपके हृदय में महत्वाकांक्षा की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। बबर्ची और खानसामा का काम करते हुये भी आपने अंग्रेजी और फ्रेंच सरीखी विदेशी भाषाएँ थोड़े से समय में सीख लीं और आप इन भाषाओं में धारा प्रवाहिक रूप से बोलने भी लगे। इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप कानपुर के एक स्कूल में भर्ती हो गये। आप अपनी असाधारण बुद्धि के कारण कुछ ही समय के बाद उस स्कूल के अध्यापक हो गये। इस समय आपकी विद्वता की ख्याति का समाचार नानासाहब के कानों तक पहुँचा और ब्रह्मवर्त दरबार के साथ आपका परिचय करवाया गया। नानासाहब को आपकी सलाहें बड़ी बुद्धिमतापूर्ण और कौमती मालूम हुईं। नानासाहब के दरबार में आपका प्रभाव बहुत बढ़ गया

और प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य में आपकी सलाह ली जाने लगी। ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण कार्य न होता था जिसमें आपकी सलाह न ली जाती हो। ई० सन् १८५७ में आप नानासाहब के प्रधान प्रतिनिधी के रूप में इंग्लैण्ड भेजे गये, जहां आपने ब्रिटिश सरकार के सामने यह दावा पेश किया कि नानासाहब बाजीराव के दत्तक पुत्र हैं और उन्हें बाजीराव के मृत्यु पत्र के मुताबिक वह पूरी पेन्शन मिलनी चाहिए जो बाजीराव को मिलती थी। यहां उन्होंने यह दावा पेश करने में बड़ी योग्यता का परिचय दिया, परन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। वहां उन्होंने बड़ा प्रभाव पैदा किया और कई महिलाओं के हृदय पर विशेष छाप डाली। यह बात उन पत्रों से मालूम होती थी जो ब्रिटिश महिलाओं ने अजि-मुल्ला खाँ को लिखे थे। इंग्लैण्ड से लौटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश राज्य को उखाड़ने के लिये एक महान् क्रांति के संगठन में अपना मस्तिष्क लगाया और प्रारम्भ में उन्हें सफलता भी मिली।

मौलवी अहमदशाह

ई० सन् १८५७ के स्वातन्त्र्य युद्ध में फैजाबाद के मौलवी अहमदशाह का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। आप बड़े प्रतिभाशाली वक्ता और कुशल सेना-नायक थे। आप ही की प्रतिभाशाली वक्तृता के कारण अवध में पहले पहल विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी और लोगों में नया खून दौड़ने लगा था। ब्रिटिश सरकार ने आपको गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी थी परन्तु विद्रोही सैनिकों ने उस समय आपको फांसी के तख्ते से हटा कर आपकी रक्षा की। इसके बाद कई अवसरों पर आपने अपनी वीरता और कुशलता का परिचय दिया। आप में नेतृत्व की बड़ी क्षमता थी और इसका परिचय उक्त क्रांति में समय-समय पर मिलता रहा।

आतङ्क का राज्य



जैसा कि हम गत अध्यायों में कह चुके हैं सन् १८२७ ई० की विद्रोहाग्नि प्रायः सारे भारतवर्ष में फैल रही थी। प्रारम्भ में विद्रोहियों की बड़ी विजय हुई। उन्होंने मेरठ, दिल्ली, कानपुर ग्वाल्नियर, आदि कई नगरों पर अपनी विजय पताका उड़ाई थी। कानपुर में तो नाना साहब को भारतवर्ष का पेशवा भी घोषित कर दिया था। ऐसा मालूम होने लगा था कि अब सारे भारतवर्ष पर स्वराज्य की विजय पताका फहराने लगेगी।

हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रारम्भिक विजय के बाद अंगरेजों से खार खाये हुए भारतीय विद्रोहियों ने कुछ ऐसे कार्य किये जिनका मानवता की दृष्टि से किसी प्रकार भी समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने न केवल अंग्रेज सैनिकों को, पर, अंगरेजों के कई स्त्री, बच्चों तक को कत्ल कर दिया और भी उनके हाथों कुछ ऐसे अत्याचार हुए जिनका समर्थन किसी भी प्रामाणिक इतिहासवेत्ता द्वारा नहीं हो सकता।

अपने देश को विदेशी-गुलामी से स्वतंत्र करने के लिये विद्रोह करने का प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी को जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे यह कार्य अहिंसात्मक विद्रोह के द्वारा किया जावे, चाहे हिंसात्मक विद्रोह द्वारा सम्पन्न किया जावे, पर मानवता के साधारण नियमों का परिपालन करना, प्रत्येक राष्ट्रवादी का प्रथम कर्तव्य है। हमारी प्राचीन संस्कृति ने, युद्ध में मानवता के तत्व को, प्रधानता दी थी। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने भी इस मानवता के तत्व को सर्वोपरि स्थान दिया था और इसी बात ने

उन्हें संसार का सबसे महान् पुरुष बनाया। मानवता के इसी तत्व के कारण महात्माजी मनुष्य जाति के सामने मानव संस्कृति का एक दिव्य दृष्टिकोण रखने में समर्थ हुए। हमारे कहने का आशय यह है कि सन् १८५७ ई० के विद्रोहियों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिये जो विद्रोह किया वह तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था और इसके लिये उन्हें इतिहास का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। पर इस पवित्र उद्देश की सिद्ध के लिये अंगरेज स्त्री बच्चों पर हाथ उठाकर उन्होंने जो मानवीय तत्व का अतिक्रमण किया वह किसी प्रकार भी समर्थनीय नहीं हो सकता।

हमने उपरोक्त पंक्तियों में यह दिखलाया है कि आरम्भ में देश की स्वतंत्रता के लिये विद्रोह का झंडा उठानेवाले वीरों को सफलताएँ हुईं। पर पीछे, कई कारणों से, अंगरेजी सशस्त्र सेना के मुकाबले में उन्हें परास्त होना पड़ा। इस पराजय के कारणों पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। यहां हम उन राक्षसी अत्याचारों पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं जो अंगरेजों और उनके सैनिकों ने बदले की भावना से प्रेरित होकर भारतवासियों पर किये थे। सु-संगठित अंग्रेज सरकार द्वारा ऐसा किया जाना किसी भी तरह समर्थनीय नहीं हो सकता। ब्रिटिश सरकार ने भी अत्याचारों की हद कर दी। मानवता के महान् तत्वों को, अपने आपको बहुत सभ्य समझने वाली एक सरकार द्वारा, कितनी बुरी तरह कुचला जा सकता है, यह उस समय की घटनाओं से प्रत्यक्ष होता है। फ्रांसी में विद्रोहियों के द्वारा ७५ अंग्रेज मारे गये थे। इसके बदले में २००० भारतवासियों को बड़ी निर्दयता से गोली से उड़ा दिया गया! इतना ही नहीं इस हत्याकाण्ड के बाद उक्त शहर बड़ी बेरहमी के साथ लूटा गया। फ्रांसी के इस हत्याकाण्ड व लूट का आँसू देखा वर्णन श्री विष्णु वासेकर ने “माफ़ा प्रवास” नामक अपने प्रवास वर्णन में किया है, जिसे पढ़कर शरीर में विषादपूर्ण रोमाञ्च हो जाता है।

दिल्ली में जब अंग्रेजों ने फिर से विजय प्राप्त की और दिल्ली पर

अपना अधिकार किया तब उन्होंने जैसा राक्षसी हत्याकाण्ड किया वह इतिहास के काले पृष्ठों में खिसा जाकर मानवता के इतिहास में सदा कलंक स्वरूप माना जायगा। इसमें शक नहीं कि जब दिल्ली में विद्रोहियों ने अधिकार किया, तब उन्होंने कुछ अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। उसका बदला बड़ी क्रूरता के साथ लिया गया। लगभग २६००० भारतवासी या तो गोली से उड़ा दिये गये, या कत्ल कर दिये गये, या फाँसी पर लटका दिये गये, या तोप के मुँह उड़ा दिये गये ! साधारण नागरिक तक भी इस राक्षसी हत्याकाण्ड के बलि पड़े ! चारों ओर अंग्रेज सेनिकों ने मारो ! मारो ! मारो ! की ध्वनि से सारे वातावरण को व्याप्त कर दिया। दिल्ली के तत्कालीन बादशाह बहादुरशाह के -२४- लड़कों को सरे आम फाँसी पर लटकाया गया और उनकी मुण्डकियों को शहर के बीच, प्रदर्शन के लिये रखा गया !!

लाहौर में विद्रोही फौजों द्वारा २ अंग्रेज मारे गये। इसका बदला भी बड़ी बेरहमी के साथ लिया गया। सैकड़ों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया !

इसी प्रकार कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों में भी हत्याकाण्ड संगठित हुए, जिसमें कई निर्दोष भारतवासी न केवल कत्ल ही किये गये पर उनके घर बार भी लूट लिये गये।

छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने केवल मात्र अपने हाथों से विद्रोह के झण्डे उठाये थे, गोली से उड़ा दिये गये ! कहीं कहीं तो लोग केवल इस बहाने फाँसी पर लटकाये गये कि उन्होंने ब्रिटिश सैनिक अफसरों से सलाम न की।

अंग्रेज सेनापति नैल (Neill) के सेनिकों ने उन सब विद्रोहियों को कत्ल कर दिया जो उनके हाथ पड़े। उन्होंने केवल इलाहाबाद में ही ६००० भारतवासियों को मौत के घाट उतार दिया !

उत्तर-पश्चिम प्रान्तों में अंग्रेज सैनिकों ने क्रूरता का ताण्डव नाच रचा। सैकड़ों भारतवासियों की निर्मम हत्या की गई। इसके फल-स्वरूप गांव के गांव बीरान हो गये।

इसके अतिरिक्त हिन्दु और मुसलमानों को भ्रष्ट करने की भी कोशिशें की गईं। फांसी लगाने के पूर्व मुसलमानों को सूअर का मांस खिलाया गया और हिन्दुओं के मुख में बलात् गौ-मांस घुसेड़ा गया। कहने का भाव यह है कि भारतवासियों पर विविध प्रकार के अमानुषिक अत्याचार किये गये। कहीं कहीं तो गांव के गांव जला दिये गये। अंग्रेजों का यह कोप विद्रोह में भाग लेनेवाले राजा और नबाबों पर भी पड़ा। म्नाफर के नबाब को सरे आम फांसी पर लटकाया गया। जनरल नैल (Neill) ने मेजर रिनाड (Renaud) को जो आदेश-पत्र भेजा उसमें कहा था—“फतेहपुर शहर पर आक्रमण कर वहाँ के तमाम पठानी मोहल्लों को उनके निवासियों सहित नष्ट करदो।”

मुस्लिम नेता गोली से उड़ाये गये

दिल्ली में वहां के प्रसिद्ध नेता व हकीम राजउद्दिन को गोली से उड़ा दिया गया। उनके छोटे भाई अहमदहुसेन खाँ भी उसी दिन गोली के शिकार हुए। टोंक के तल्लियार खाँ और उनके दो लड़के सरे आम फांसी पर लटकाये गये !!



विद्रोह की असफलता के कारण



भारतवर्ष का इतिहास अनेक दुःखान्त घटनाओं से परिपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना के अभाव इस देश के पतन के प्रधान कारण रहे हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वार्थ में राष्ट्रीय स्वार्थ को विलीन कर देना इस राष्ट्र की मुख्य निबलता रही है। युद्ध-कला में अन्य राष्ट्रों से पीछे रहना और इस सम्बन्ध में प्रगतिशील राष्ट्रों की घुड़दौड़ में आगे बढ़ने में असमर्थ रहना यह भी इस देश की एक विशेष कमजोरी रही है। सन् १८५७ ई० के विद्रोह के इतिहास का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि इन्हीं कमजोरियों के कारण उक्त विद्रोह असफल रहा। जब विद्रोह की चिनगारियाँ सारे भारतवर्ष में प्रज्वलित हो रहीं थीं तब कुछ राजाओं ने तथा कुछ जातियों ने अपने देशवासियों के खिलाफ—अपने राष्ट्र के खिलाफ—एक विदेशी सत्ता को सहायता करने में गौरव अनुभव किया था। इन्हीं की राष्ट्र विद्रोही प्रवृत्तियाँ उक्त विद्रोह को असफल करने में प्रधान रूप से कारणीभूत हुई थी। रसेल (Russell) ने अपनी डायरी (My Diary in India) में लिखा है:—

“Yet it must be admitted that, with all their courage, they (the British) would have been quite exterminated if the natives had been all and altogether hostile to them. The desperate defences made by the garrisons were, no doubt, heroic, but the natives shared their glory, and they by their

aid and presence rendered the defence possible. Our siege of Delhi would have been quite impossible, if the Rajas of Patiala and Jhind had not been our friends and if the Sikhs had not recruited in our battalions and remained quiet in Punjab. The Sikhs at Lucknow did good service and in all cases our garrisons were helped, fed and served by the natives, as our armies were attended and strengthened by them in the field. Look at us all, here in camp, at this moment ! Our outposts are native troops, natives are cutting grass for our horses and grooming them, feeding the elephants, managing the transports, supplying the commissariat which feeds us, cooking our soldiers' food, clearing their camp, pitching and carrying their tents, waiting on our officers, and even lending us their money. The soldier who acts as my amanuensis declares that his regiment could not have lived a week but for the regimental servants, Doli bearers hospitalmen, and other dependants. Gurkha guides did good service at Delhi and the Bengal artillerymen were as much exposed as the Europeans”

अर्थात् “यह बात स्वीकार करना पड़ेगी कि अगर देशी लोग सर्वोश में हमारे विरोधी होते तो ब्रिटिश का पूर्णरूप से सर्वनाश हो गया होता । हमारी रचक सेनाओं ने जान की बाजी लगा कर जिस प्रकार अपनी

रक्षा की वह निःसन्देह वीरतापूर्ण थी। पर इस वीरत्व के गौरव में देशी लोगों का हाथ था और उन्हीं लोगों की सहायता और उपस्थिति ने ही इस रक्षा-कार्य को सम्भव बनाया। हमारा दिल्ली का घेरा नितान्त ही असफल होता अगर पटियाला और फिन्ड के राजा लोग हमारे मित्र नहीं होते, सिक्ख हमारी फौजों में भर्ती न हुए होते और पंजाब शान्त न रहा होता। लखनऊ में सिक्खों ने हमारी अच्छी सेवा की और यहां के देशी लोगों ने हमारे दुर्गरक्षक सेनाओं की सहायता की, उन्हें खिलाया-पिलाया और उनकी सेवाएँ कीं। इस वक्त भी हमारे शिविर (camp) की ओर देखिये ! हमारी बाहरी चौकियों की रक्षा करनेवाली तो देशी सेना ही थी। इसके अतिरिक्त देशी लोग ही हमारे घोड़ों के लिये घास काटते थे, उन्हें अवेरते थे (Grooming), हमारे साथियों को खिलाते-पिलाते थे, हमारी बहिनों की व्यवस्था करते थे और हमारे खाने-पीने की सामग्री का प्रबंध करते थे, हमारे सिपाहियों का खाना पकाने थे, डेरों को साफ़ करते थे, तम्बू खगाते थे, हमारे अफसरों की सेवाओं में लगे रहते थे और हमें रुपया पैसा उधार तक देते थे। एक सिपाही ने, जो मेरे एक मुहरिर्न का काम करता था, कहा है कि “अगर फौज़ के देशी नौकर, डोली उठानेवाले अस्पताल के आदमी और दूसरे नौकरों का सहयोग न होता तो, हमारी फौज़ एक सप्ताह भी टिक नहीं सकती थी। गुर्खा मार्गदर्शकों ने दिल्ली में बड़ी अच्छी सेवाएँ कीं और बंगाल के तोपची यूरोपियनों की तरह विरोधी गोलाबारी के अभिमुख रहे।”

तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग (Lord Canning) ने अपने एक तार में लिखा था।

“If the Scindhia joins the mutiny. I shall have to pack off tomorrow.” अर्थात् “यदि सिंधिया सरकार बल्लही में शामिल हो जायेंगे तो फिर मुझको कल ही अपना डेरा-डंडा उठाना पड़ेगा।”

एक अंग्रेज ग्रन्थकार ने लिखा है:—

“Gwalior, while it thus continued in his hands, might have been regarded, as in one sense, the key of India, or rather, perhaps, as one link of a chain, which could not have given way in any part without ruining our power in India. If the ruler of Gwalior had either played us false, or succumbed to the strong adverse elements with which he had to contend, the revolt would almost certainly have been national and general instead of being local and mainly military, and instead of its fate being decided by those operations in the easily traversable Gangetic valley upon which public attention was concentrated, we should have had to face the war like races of Upper India combined against us, in a most difficult country and, in all probability those of the south also.....had Scindia then struck against us—nay, had he even done his best in our behalf, but failed—the character of the rebellion might have been changed almost beyond the scope of speculation.”

Memorials of Service in India”

“ग्वाळियर को एक प्रकार से हिन्दुस्तान की कुँजी समझना चाहिये अथवा यह कहना चाहिये की वह एक एसी श्रृंखला थी, जिसका यदि कोई भी भाग टूट जाता तो वह हिन्दुस्तान में हमारी युक्ति का नाश किये बिना नहीं रहता । ग्वाळियर के महाराज यदि हमें धोखा देते या

बलवाहियों के वश हो जाते तो यह बलवा केवल स्थानीय और फौजी सिपाहियों का न होकर सार्वत्रिक और राष्ट्रीय हो जाता। उस समय हमें गंगा नदी के उन प्रदेशों में ही जो आसानी से पार हो सकते हैं, लड़ना नहीं पड़ता, किन्तु उत्तरीय हिन्दुस्तान के कठिन प्रदेश में और युद्ध कुशल जातियों से करना पड़ता। यह भी सम्भव है कि दक्षिणी जातियों से भी युद्ध करना पड़ता, यदि उस समय महाराज सिधिया हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते। इतना ही नहीं, यदि वे अपनी पूरी शक्ति से हमारी ही ओर से शत्रुओं के विरुद्ध लड़ कर हार जाते तो भी इस बलवे का रूप इतना बदल जाता कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।”

अत्याचारों पर लॉर्ड केनिंग

ईसवी सन् १७२७ के सितम्बर मास में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग ने सम्राज्ञी विक्टोरिया को लिखा था:—“There is a rabid of indis-criminating vindictiveness.” अर्थात् विद्रोहियों से अन्धाधून्ध और उन्मत्तता से बदला चुकाया जा रहा है।” जब लॉर्डमहोदय से ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करने की बात कही गई, तब आपने कहा कि “ऐसा करके संसार के सामने मैं अपने देश को भयङ्कर रूप से बदनाम करना नहीं चाहता।



सन् १८५७ ई० के विद्रोह के बाद



यद्यपि सन् १८५७ ई० का विद्रोह दबा दिया गया, पर उसके कारण, भारतियों के हृदयों में अंग्रेजों के खिलाफ द्वेष की आग बराबर भड़कती रही। उक्त विद्रोह के समाप्त होने के कुछ ही समय बाद लन्दन के सुप्रसिद्ध पत्र टाइम्स को, उसके संवाददाता जी० डबल्यू० रसेल ने, उक्त पत्र को रिपोर्ट की थी, उसमें लिखा था “हिन्दुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच प्रबल द्वेष और दुर्भावना पैदा हो गई है और इन दोनों में विश्वास पैदा होने की सम्भावना नहीं है।”

उक्त विद्रोह के बाद छोटे मोटे कई विद्रोह हुए। सन् १८५८ ई० में सन्ताल लोगों ने (Santhals) विद्रोह किया जिसको दबाने में ब्रिटिश सरकार को पूरा १ वर्ष लगा। इन्हीं लोगों ने सन् १८७१ ई० में फिर विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेता भगीरथ था। इन्होंने सरकार को कोर देना भी बन्द कर दिया। सन् १८५६ ई० से लगाकर सन् १८६१ ई० तक निम्नस्थ बंगाल (Lower Bengal) एक प्रकार से विद्रोह का केन्द्र रहा। यह विद्रोह नील के विद्रोह (Indigo disturbances) के नाम से प्रसिद्ध है। कलकत्ता रिव्यू (Calcutta Review) नामक एक एंग्लो-इण्डियन पत्र में सन् १८६० ई० में लिखा था।” वह रैयत, जिन्हें हम रूसी दासों की तरह समझते रहे हैं, और जिनके लिये हम यह मानते रहे हैं कि ये जमींदारों के औज़ार हैं, वे आज अस्त्र में विद्रोह कर बैठे हैं। आज सारे निम्नस्थ बंगाल में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है।”

सन् १८२७ ई० में दक्षिण में कई जगह कृषक विद्रोह हुए। इनके परिणाम स्वरूप सरकार की ओर से कमीशन बैठाया गया जिसने इस विद्रोह के मूलभूत कारणों का पता लगाने की चेष्टा की। इस कमीशन की सिफारिश के अनुसार सन् १८७६ ई० में किसानों को राहत देने वाला एक कानून बना जिसके अनुसार भूमिकर घटाया गया और किसानों के लिये दौवानी कैद उठा दी गई। (Sentence for debt)

इसी बीच में मज़दूर वर्ग में भी जागृति की ज्योति दिखाई देने लगी। उसने मालिकों के अत्याचारों के खिलौफ़ संगठित रूप से आवाज़ उठाने का प्रयत्न किया। सन् १८७७ ई० में नागपुर में मज़दूरों की प्रथम हड़ताल हुई। इसके बाद सन् १८८२ ई० से सन् १८९० ई० तक लगभग २५ हड़तालें हुईं। सन् १८८४ ई० में श्री एन० एम० लोखण्डे (N. M. Lokhande) ने मील मज़दूरों का सबसे प्रथम एक संघ बनाया जिसका नाम मिल मज़दूर समिति (Mill hands Association) रखा गया। इसी संघ ने आगे जाकर विशाल और संगठित रूप धारण किया।

दक्षिण में जागृति

दक्षिण भारत में भी जागृति की ज्योति चमकने लगी। सन् १८७० ई० के बाद महाराष्ट्र के इतिहास को एक नई दिशा मिली और इसका प्रभाव सारे भारतवर्ष पर पड़ा। सन् १८७१ ई० में पूना में सार्वजनिक सभा स्थापित हुई। सन् १८७४ ई० में चिपलूणकर की निबंधमाला शुरू हुई सन् १८८० ई० में न्यू इंग्लिस स्कूल, केसरी, व मराठा का जन्म हुआ। सन् १८८५ ई० में "सुधारक" निकला। सन् १८९५ ई० में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक सभा हस्तगत की, आगरकर का शरीरा-अन्त हुआ और पूना के उद्धारक बनाम सुधारकवाद को गरम-नरम राजनैतिक वाद का रूप मिलने लगा। इस वर्ष महाराष्ट्र में जो दो नरम

नरम राजनैतिक दल बने, उन्होंने सारे भारत खण्ड में प्रचण्ड आन्दोलन खड़े किये और सन् १९२० ई० तक के उसके इतिहास पर अपनी छाप डाली। सन् १८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना होने के पहले ही दादाभाई और रानडे ने भारतीय राजनीति और अर्थनीति की नींव डाल दी थी।

यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जहाँ एक ओर रानडे अपने वैध-मार्गों से लोगों के अन्दर अखिल भारतीय संयुक्त राज्य, उत्तर-दायित्व के अधिकार, ब्रिटिश राष्ट्र के बराबर का दर्जा और भारतीय पार्लमेंट इत्यादि भावनाओं के बीज बोते रहे, वहाँ दूसरी ओर १८७६ में वासुदेव बलवंत फडके ने नगर, नासिक, खानदेश के रामोशी और भीलों की सहायता से लोक-सत्ता की स्थापना करने का एक क्रान्तिकारी प्रयत्न किया।

इसी बीच भारतवर्ष में कुछ राष्ट्रीय विभूतियों का उदय हुआ जिन्होंने भारत के राजनैतिक और सामाजिक गगन मण्डल में अलौकिक प्रकाश फैलाया। इनका उल्लेख आगे चल कर यथावसर किया जावेगा।



कांग्रेस की उत्पत्ति



यह बात सर्व विदित है कि भारत में राष्ट्रीय भावों का जन्म कांग्रेस के द्वारा हुआ। भारत को स्वाधीनता प्राप्त करवाने में यह महान् संस्था सबसे अधिक कारणभूत समझी जाती है। यद्यपि उसके पहिले भी ऐसी कुछ संस्थाओं का जन्म हुआ था, जिनका उद्देश भारत में सामाजिक और राजनैतिक क्रान्ती करना था। ई० सन् १८५२ में दादाभाई ने बम्बई में 'बॉम्बे असोसियेशन' की स्थापना की, उधर १८५१ में बंगाल में श्री० प्रसन्न कुमार टागोर, डा० राजेन्द्र लाल मित्र आदि ब्रिटिश इंडिया असोसियेशन नामक राजनैतिक संस्था स्थापित कर रहे थे। ऐसी ही एक संस्था—मद्रास नेटिव असोसियेशन—मद्रास में उदय हुई थी। पूना में एक डेक्कन असोसियेशन बनी। इस तरह १८५१—५२ में तीन बड़े इलाकों की राजधानियों में लोकसत्तात्मक राजनीति का जन्म हुआ।

पर उपरोक्त संस्थायें अधिक समय तक जीवित न रह सकीं। आगे चलकर कांग्रेस ही को भारतवर्ष की प्रधान राजनैतिक संस्था होने का औरत प्राप्त हुआ।

कांग्रेस की उत्पत्ति कौतूहल जनक है। इसकी उत्पत्ति एक विचित्र रूप से हुई। भारत के तात्कालिक वाइसराय लार्ड डफरिन ने मि० ह्यूम नामक एक अत्यन्त उदार और सहृदय अंग्रेज सज्जन से कहा कि भारत में एक ऐसी संस्था की जरूरत है जिससे भारत सरकार भारत की असली राय को जान सके और भारत में मंडराये हुए अशान्ति के बादलों को

मिटा सके। इस कार्य में लॉर्ड डफरिन की दूरदर्शितापूर्ण कूटनीति भरी हुई थी। अंगरेजों के विरुद्ध फैली हुई जनता की विद्रोही भावना के प्रवाह को वैध आन्दोलन में बदल कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत करना उनका उद्देश्य था। मि० ह्यूम एक सहृदय अंग्रेज थे। लोकमान्य तिलक तक ने उनकी प्रशंसा की है। पर यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि मि० ह्यूम भारत में सुराज्य (Good Government) स्थापित करना चाहते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने के वे पक्ष में थे। अंगरेज और भारतियों में सद्भावना पैदाकर अप्रत्यक्ष नीति से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव दृढ़ करने की उनकी इच्छा थी। तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करने से हमारी उक्त धारणा की पुष्टि होती है।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, उस समय भारत में अन्दर ही अन्दर अशान्ति के बादल मंडरा रहे थे। बहुत सम्भव था कि यह अशान्ति आगे चलकर सङ्गठित रूप धारण कर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिये बड़ा खतरा उपस्थित कर सकती। अंगरेजों की दूरदर्शितःपूर्ण राजनीतिज्ञता ने इस खतरे का अनुभव किया और उन्होंने इस खतरे को टाकने के लिये मि० ह्यूम जैसे एक लोकप्रिय सज्जन को साधन बनाया। मि० ह्यूम को भी वातावरण में विद्रोह की चिंगारियां दिखने लगीं। उन्होंने उस समय तैयार किये गये अपने एक स्मारपत्र (Memorandum) में लिखा था।

“मुझे सात बड़ी २ जिल्लें दिखाई गईं, जिनमें बहुत सी सामग्री इकट्ठा की गई थी। बर्मा, आसाम, और कुछ छोटे मोटे इलाकों को छोड़कर, बाकी देश के टुकड़ों के हिसाब से ये जिल्लें बनाई गयीं थीं। इनमें तरह-तरह के संवादों और रिपोर्टों का अंग्रेजी अनुवाद या सारांश जिल्लेवार, तहसीलवार परगनेवार, शहरवार और गांववार दिया हुआ था। कितनी बातें दर्ज की गयीं थीं, इसकी गिनती न थी। उस समय

कहा गया था कि ३० हजार से ऊपर संवाददाताओं की सूचनाएँ यहाँ एकत्र की गयी हैं। बहुत सी रिपोर्टें ऐसी थीं, जिनमें सबसे नीचे दर्जों के लोगों की बातचीत लिखी हुई थी। इनसे मालूम होता था कि वे गरीब आदमी अपनी मौजूदा हालत से निराश हो चुके हैं। उन्हें विश्वास हो गया कि वे भूखों मर जायेंगे। इसलिये वे कुछ कर डालना चाहते थे। वे सब एक दूसरे का साथ देकर कुछ कर डालने पर तुल गये थे और इस कुछ का मतलब था, हिंसा। बहुत सी रिपोर्टों में पुरानी तलवारें, भाले और बंदूकें जमा करने की बातें थीं। मौका पड़ने पर इनसे काम लिया जाता। लोगों ने यह न सोचा था कि शुरू में ही हमारी सरकार के खिलाफ बगावत होगी या सही माने में बगावत होगी भी। खयाल सिर्फ यह था कि छिटपुट अपराध किये जायेंगे, दुश्मनों की हत्या की जायगी, साहूकारों के यहाँ डकैतियाँ डाली जायेंगी और बाजार लूटे जायेंगे। 'सबसे नीचे दर्जों के लोग भूखों मर रहे थे। इसलिये डर यह था कि छिटपुट अपराधों को देखते हुए और भी हत्याएँ होने लगेंगी और एक ऐसी अशान्ति फैल जायगी कि सरकार और उच्च वर्ग से कुछ भी करते-धरते न बनेगा। यह भी खयाल था कि पत्ते पर जमा होने वाली पानी की बूंदों की तरह छोटे-छोटे गुट मिल कर बड़े-बड़े गुट बना लेंगे। देश के सभी छुंटे हुए बदमाश उनमें शामिल हो जायेंगे और कुछ पढ़े लिखे लोग उनके नेता बन जायेंगे। ये पढ़े लिखे लोग सरकार से बहुत ही नाराज थे, भले ही इसका कोई कारण न रहा हो। खतरा यह था कि बगावत शुरू होने पर ये लोग उसे एक सूत्र में बांध देंगे और राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में उसका संचालन करेंगे।"

मि० एन्ड्रुज और मुकर्जी ने "हिन्दुस्तान में कांग्रेस का जन्म और बढ़ती" में लिखा है:—

"१८५७ के बाद इतना खतरनाक वक्त पहले कभी न आया था, जितना कि कांग्रेस के जन्म लेने के पहले आया था। अंग्रेजी हाकिमों

में, ह्यूम ने, भावी संकट को देखा और उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने शिमला जाकर सरकार को समझाया कि हालत कितनी खराब हो गयी है। यह सम्भव है कि तेज दिमाग के वायपरॉय ने फौरन ही यह समझ लिया हो कि परिस्थिति कितनी गम्भीर है। इस तरह के अखिल भारतीय आन्दोलन के लिये यह समय बिल्कुल उपयुक्त था। किसान विद्रोह होता तो मध्यमवर्ग के लोग हमदर्दी करके उसका समर्थन करते। उसके बदले नये भारत का निर्माण करने के लिये नये उदीयमान वर्गों को अपने लिये एक मंच मिल गया। कुल मिलाकर यह अच्छा ही हुआ कि हिंसात्मक क्रान्ती रोक दी गई।”

उपरोक्त उद्धरण से पाठकों को इस अशान्त परिस्थिति का ज्ञान हुआ होगा, जो उस समय देश की थी। इसी परिस्थिति को शान्त काने के लिये तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों ने बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया। उन्होंने मिस्टर ह्यूम जैसे एक लोकप्रिय और सहृदय अंग्रेज अधिकारी को बीच में डालकर स्थानीय नेताओं के द्वारा एक ऐसे राजनैतिक संगठन का आयोजन किया जिससे उक्त लोग-सोभ वैध आन्दोलन में परिणत हो जाय। सन् १८८३ ई० के मार्च मास में मि० ह्यूम ने कलकत्ता विश्व-विद्यालय के स्नातकों (Graduates) के नाम एक गश्ती-पत्र (Circular letter) जारी कर यह अपील की कि वे एक ऐसे राजनैतिक संगठन बनाने में सहयोग दें जिसके द्वारा भारत-वासियों की मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक उन्नति हो सके। मि० ह्यूम ने उनसे यह अनुरोध किया कि केवल ऐसे ५० स्नातक मिलकर यह कार्य शुरू कर दें, जिससे आगे इसकी प्रगति सरल हो जाय। इसके बाद मि० ह्यूम ने अन्त में बड़े जोरदार शब्दों में उक्त विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपील की:—

“आप इस भूमि के जीवन भूत (नमक) हो। अगर आप में से ५० ऐसे युवक मिल जावें जिनमें स्वार्थत्याग की भावना हो, जिनमें

वास्तविक निःस्वार्थ और हार्दिक देशभक्ति हो, जो अपनी जीवन की शेष आयु को अपने देश की पवित्र सेवा में व्यतीत कर सकें, तो देश के लिये एक महान् भविष्य की आशा की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस राष्ट्र के पुत्रों को विदेशी शासकों की अधीनता में निस्सहायों की भांति पड़ा रहना पड़ेगा।”

“अगर देश के विचारक नेता इतने दीन हीन होंगे, इतने स्वार्थी और आप मतलबी होंगे कि ऐसे समय में भी वे जागृत न होंगे और अपने देश के लिये कुछ न कर सकेंगे तो कहना होगा कि वे हमेशा कुचले जाने के योग्य ही अपने आप को साबित करेंगे। हर एक राष्ट्र अपनी योग्यता के अनुसार ही अच्छा शासन पाता है।”

मिस्टर ह्यूम के प्रभावशाली शब्दों का अच्छा प्रभाव पड़ा और इण्डियन नेशनल यूनियन (The Indian National Union) नामक एक राजनैतिक संस्था का ईसवी सन् १८८२ में जन्म हुआ, जिसके प्रधान मंत्री मि० ह्यूम हुए। इसका पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था। परन्तु पूना में हैजे का प्रकोप हो जाने के कारण कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई नगर के गोकुलदास तेजपाख हाई स्कूल में २८ दिसम्बर १८८२ में हुआ। यह थोड़े से चुने हुये लोगों की सभा थी। सभापति थे, मि० उमेशचन्द्र बनर्जी और जिन लोगों ने कार्यवाही में भाग लिया उनमें से कुछ उल्लेखनीय व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं। बम्बई से दादाभाई नौरोजी, फ़ीरोज़शाह मेहता, काशीनाथ त्र्यंबक तैलंग, भवेरीलाल याज्ञिक, दीनशा ईदलजी वाच्छा, रहीमतउल्ला सैयानी, गोपाल गणेश आगरकर, और सर नारायण गणेश चंदावरकर, मद्रास से सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, दीवान बहादुर रघुनाथराव, पी० आनंद चार्लू, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर, रंगैया नाथडू और वीर राघवाचार्य, और कलकत्ता से बाबू नरेन्द्रनाथ सेन, यू० पी० से बाबू गंगाप्रसाद वर्मा, झांझ देश से मि० नरसिंह लू नाथडू, बिलारी के राव बहादुर

मुदल्यार, गूटी के दीवान बहादुर केशव पित्तलई और मधुलीपट्टम के राव साहब सिंहराज वेंकट सुब्बा रायडू पंतलू आदि उपस्थित थे। मि० ह्यूम छः वर्ष तक कांग्रेस के प्राण तथा सर्वस्व बने रहे और वे कांग्रेस के पिता कहलाने लगे। उन्होंने कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने के लिये सारे देश का भ्रमण किया और इसके लिये अपने पास से व्यय किया।

इस अधिवेशन के सभापति के पद से भाषण करते हुए श्री उमेशचन्द्र बेनर्जी ने कांग्रेस का उद्देश्य इस प्रकार बतलाया:—

(अ) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में देश हित के लिये लगन से काम करनेवालों की आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना।

(आ) समस्त देशवासियों के अन्दर प्रत्यक्ष मैत्री व्यवहार के द्वारा वंश, धर्म और प्रान्त सन्बन्धी तमाम पूर्व-दूषित संस्कारों को मिटाना और राष्ट्रीय ऐक्य की उन तमाम भावनाओं का, जो लार्ड रिपन के शासन काल में उद्भूत हुई, पोषण और परिवर्द्धन करना।

(इ) महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद जो परिपक्व सम्मतियाँ प्राप्त हों, उनका प्रामाणिक संग्रह करना।

(ई) उन तारीखों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देश-हित के कार्य करें

इस कांग्रेस के अधिवेशनमें पहला प्रस्ताव इस आशय का था कि शासन व्यवस्था की जांच के लिये एक रॉयल कमीशन मुकर्रर किया जाय। एक प्रस्ताव था धारा सभाओं में बड़ी तादाद में लोक नियुक्त-प्रतिनिधि लिये जाँय, बजट धारा सभाओं में पेश किये जाँय, आदि। एक प्रस्ताव के द्वारा इण्डिया कौंसिल रद्द करने की मांग की गयी थी। एक प्रकार से ये प्रस्ताव अनियंत्रित पद्धति को मिटाकर लोक प्रतिनिधियों

का प्रवेश शासन-कार्य में हो, इस दृष्टि से किये गये थे ।

उक्त-प्रस्तावों को तैयार करने के लिये बम्बई में एल्गिन्स्टन कॉलेज के प्रिंसिपल मि० वर्ड्सवर्थ के निवास-स्थान पर एक प्राइवेट सभा हुई थी, जिसमें सर विलियम वैडरवर्न, मि० रानडे और राय बाहादुर लाला बैजनाथ सरसे सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे ।

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ते में ऋषि कल्प दादभाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तीसरा मद्रास में, बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में हुआ । पहले अध्यक्ष ईसाई, दूसरे पारसी और तीसरे मुसलमान— यह देखकर नौकरशाही के मन में कांग्रेस के लिये द्वेष और डर पैदा होने लगा । मद्रास अधिवेशन के बाद कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर ह्यूम साहब ने तय किया कि उसे इंग्लैंड की 'पुंटी कार्न ला० लीग' की तरह लोगों में आन्दोलन करने वाली संस्था का रूप दिया जाय । उन्होंने अपने भाषणों में भारतमाता की पवित्र मूर्ति में रहने वाले प्रत्येक भारतीय से सहकारी, भाई और आवश्यकता पड़ने पर सैनिक बनने की आशा प्रकट की । कांग्रेस के द्वारा आन्दोलन और लोक जागृति करने की इस नीति से सरकार में और उसमें विरोध पैदा होने लगा । १८८६ में तो कलकत्ते में दूसरे अधिवेशन के बाद खुद लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक 'वन भोज' दिया था और मद्रास अधिवेशन में तो वहां के गवर्नर भी थे । परन्तु चौथे अधिवेशन के समय इलाहाबाद में मंडप के लिये जगह तक न मिल सके, ऐसी कर्करवाई सरकारी अधिकारियों ने शुरू कर दी । अधिवेशन में आने वाले प्रतिनिधियों पर रुकावटें लगाने और कार्य-कर्त्ताओं से जमानतें लेने की कर्करवाई शुरू की गई । पंजाब में ५—६ हजार लोगों से जमानती-मुचलके मांगे गये । इस विरोध से कांग्रेस की लोग-प्रियता बढ़ने लगी । इस अधिवेशन में १२४८ प्रतिनिधि आये थे ।

इस अधिवेशन के सभापति ने अपने भाषण में प्रतिनिधिक राज पद्धति का समर्थन किया था ।

अब अंग्रेज सरकारी अधिकारियों की आंखें खुलने लगीं । जहां उन्होंने कांग्रेस को अपनी रक्षा की ढाल बनाना चाहा था, वहां वह उल्टी विरोधी संस्था बनने लगी । इससे अधिकारियों के रुख में बड़ा परिवर्तन हो गया । कलकत्ते वाले अधिवेशन के समय यह हुकम निकाला गया कि सरकारी अधिकारी कांग्रेस में दर्शक के रूप में भी न जावें । इसके बाद कांग्रेस नर्म दल के हाथों में पड़ गई । कुछ वर्षों तक वह आन्दोलनकारी संस्था न रही । उसमें साधारण सुधारों के प्रस्ताव होते रहे और वह सरकार से निवेदन करने वाली संस्था मात्र रह गई । इसके बाद कांग्रेस में कैसे २ परिवर्तन हुए और वह किस प्रकार उग्र संस्था बनी तथा उसने किस प्रकार शान्तिपूर्वक बढ़ाई बढ़कर देश के लिये स्वाधीनता प्राप्त की, इसका उल्लेख यथावसर किया जायगा ।



महान् आत्माओं का उदय राष्ट्र—जागृति

ऋषि कल्प दादा भाई नौरोजी ।



कांग्रेस के प्रथम बीस वर्ष वाले काल के प्रमुख राजनैतिक नेताओं में दादाभाई नौरोजी का सर्वोच्च आसन है । इन्हें भारतीय स्वराज्य का प्रपितामह कहा जाता है । कांग्रेस से भी पहले के चाळीस वर्षों में उन्होंने अपने अथक परिश्रम से भारत में सुसंगठित सार्वजनिक जीवन का निर्माण किया, और कांग्रेस की स्थापना के बाद इक्कीस वर्ष तक वे राष्ट्रीय भारत के सर्वोपरि नेता रहे । इकसठ वर्ष तक इंग्लैंड में और भारत में, दिन और रात, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में, समान रूप से, बड़ी बड़ी निराशाओं का सामना करना और दिल न टूटने देना इन्हीं का काम था । दादाभाई नौरोजी ने ऐसे अविचल उद्देश्य के साथ, ऐसी पूर्ण निःस्वार्थता के साथ, और ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ मातृ-भूमि की सेवा की कि उसे देखकर अधिकांश युवकों को भी लज्जित हो जाना पड़ेगा । वर्षों तक वे इस देश के सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं में सब से अधिक संघत वक्ता थे, परन्तु पिछले वर्षों में बार बार की निराशाओं के फल-स्वरूप उनके भाषणों में बरबस काफ़ी कटुता आ गई थी । फिर भी इसमें संदेह नहीं कि उनकी आत्मा बड़ी ही कोमल और उदार थी । किसी के बाबत वह बुरा विचार रखना नहीं चाहते थे और उनके जीवन भर में उनसे व्यक्तिगत शत्रुता मानने वाला तो कोई नहीं हुआ । दादाभाई नौरोजी ने देश को सबसे पहले स्वराज्य का मंत्र दिया, और और अस्सी वर्ष की अवस्था तक वे राष्ट्र सेवा में तन्मय रहे । पराधीनता

के मोहान्धकार में पड़े हुए और उसी में आनन्द माननेवाले अपने अज्ञानी देश बान्धवों के अन्तःकरण का ज्ञान-प्रदीप उन्होंने प्रज्वलित किया। ब्रिटिश की आर्थिक लूट के कारण होने वाली भारत की दरिद्रता पर उन्होंने सबसे पहले प्रकाश डाला। दादाभाई का नाम भारत के इतिहास में अमर रहेगा और वह राष्ट्र को दिव्य प्रेरणा देता रहेगा।

महादेव गोविंद रानडे

सी० वाई० चिंतामणि के शब्दों में महादेव गोविन्द रानडे का स्थान दादा भाई नौरोजी से उतर कर था। रानडे एक महान् समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने महाराष्ट्र में एक नवीन चेतना फैलाई और वैध राजनैतिक आन्दोलन को जन्म दिया। लोकमान्य तिलक ने इनके विषय में कहा था:—“उस समय पूने की शिथिलता दूर करके उसमें नव-जीवन लाने का, दिन रात विचार करने और अनेक उपायों से उसे पुनः सजीव करने का विकट काम सबसे पहले रानडे ने ही किया। उनके कारण पूना बम्बई प्रान्त की “बौद्धिक और राजनैतिक राजधानी” बन गया था।

रानाडे अत्यन्त मेधावी, घोर परिश्रमी और बहुमुखी विद्वत्ता के व्यक्ति थे। वे गंभीर विचारक और उत्साही देशभक्त थे। यद्यपि जीवन भर उन्हें सरकारी नौकरी की बाधा रही, फिर भी वे सदा राजनीतिक, धार्मिक और उससे भी अधिक समाज-सुधार के कार्य में उत्साह पूर्वक लगे रहे। वे भारतीय अर्थशास्त्र के अधिकारपूर्ण ज्ञाता थे। वे महान् शिक्षाविद् थे, और अपने पास काफी बड़ी संख्या में आते रहने वाले युवकों के गुरु तथा उत्साह दाता थे। इन सब महान् गुणों के होते हुए भी रानाडे बड़े ही संकोची, सीधे सादे, शिष्ट और निरभिमान थे और उनमें वह धार्मिकता और विनम्रता भरी हुई थी जो सच्ची महानता के साथ सदा पाई जाती हैं। भारत के सार्वजनिक प्रश्नों में दिलचस्पी रखनेवाले विद्यार्थियों को रानडे का भारतीय अर्थ-शास्त्र, धार्मिक तथा समाजिक सुधार और मराठों के उद्भव सम्बन्धी लेख-माखानों को अवश्य पढ़ना चाहिये।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

बंगभंग के पूर्व ही सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की ख्याति चारों ओर फैल गई थी। ई० सन् १८८६ में कलकत्ते में होनेवाले कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में वे सम्मिलित हुए और थोड़े ही अर्से में उनकी गणना देश के मान्य नेताओं में होने लगी। सर हैनरी कांटन ने अपनी 'नवीन भारत' (New India) में लिखा था:—“मुल्तान से लेकर चटगाँव तक सुरेन्द्रनाथ बनर्जी अपनी वाग्शक्ति से विद्रोह खड़ा कर सकते तथा उसे दबा सकते थे। दो बार वे कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और दोनों बार उन्होंने अपनी स्मरणशक्ति का अद्भुत चमत्कार दिखाया। दोनों बार उनका भाषण काफी लम्बा था। भाषण करते समय उन्होंने उसकी छपी हुई प्रति हाथ में नहीं ली, परन्तु फिर भी उनके मौखिक भाषण तथा छपे हुए भाषण में एक शब्द का भी अन्तर नहीं पड़ा। भारत के कामों से वे चार बार इंग्लैंड गये और प्रत्येक बार उनके भाषणों की बड़ी प्रशंसा हुई।

बंग भंग आन्दोलन के विरुद्ध उन्होंने जोर की आवाज़ उठाई। उनके भाषणों ने सारे बंगाल को जागृत कर दिया। वे बंगाल के शेर कहे जाने लगे। अगर यह कहा जाय तो अत्युक्ति-न होगी कि बंगभंग के समय वे बंगाल के हृदय-सम्राट् थे। दुःख है कि पीछे जाकर वे नर्म दल के अनुयायी बन गये और नवयुवक बंगाल का नेतृत्व उनके हाथ से निकल गया।

बाल गंगाधर तिलक

गाँधीजी के पहिले राष्ट्र-जीवन में तिलक का सर्वोच्च स्थान था। वे राष्ट्र के हृदय-सम्राट् थे। उनका सारा जीवन अपने प्रिय राष्ट्र को स्वतंत्र करने के प्रयास में बीता। महामना मालवीय जी ने इस ग्रन्थकार द्वारा लिखे हुए “तिलक-दर्शन” नामक ग्रन्थ की भूमिका में लोकमान्य तिलक

का परिचय देते हुए लिखा है—“पिछले सत्तर वर्षों में हमारे देश में अनेक सुयोग्य देशभक्त नेता हुए हैं, जिनका नाम भारतवासी श्रद्धा और सन्मान के साथ स्मरण करते हैं और करते रहेंगे । इनमें सबसे अधिक आदर के योग्य दादाभाई नौरोजी हैं जिन्होंने साठ वर्ष से ऊपर तक अपने भारतीय भाईयों के मान और कल्याण के लिये लगातार आन्दोलन किया और जिनहोंने आधी सदी के अनुभव के उपरान्त सन् १९०६ की कांग्रेस में देश को यह मंत्र दिया कि स्वराज्य ही हमारे सब राजनैतिक अनादर और हानियों का मारक और सब सुख और सन्मान का एक निश्चित साधन है; और दूसरे अति सन्मानित पुरुष गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जिन्होंने देश की पबित्र सेवा में अपने को आहुत कर दिया । किन्तु बिना किसी और देशभक्त का कुछ भी अपमान किये यह कहा जा सकता है कि पिछले बीस वर्षों में भारत की सर्व साधारण जनता में जो मान और महत्व बालगंगाधर तिलक को प्राप्त था वह किसी दूसरी व्यक्ति को नहीं प्राप्त था । पिछले दो वर्षों में जबसे रौलेट ऐक्ट के विरोध में हमारे सन्मानित भाई मोहनदास कर्मचंद गांधीजी ने देश को सत्याग्रह का उपदेश किया और विशेष कर जबसे उन्होंने पंजाब और खिलाफत के संबंध के आन्दोलन में नई जान डाली तब से सर्व साधारण में उनका सबसे अधिक मान और महत्त्व है । किन्तु उसके पूर्व प्रायः बीस वर्ष तक देश में सबसे अधिक सन्मानित पुरुष बाल गंगाधर तिलक ही थे, और गांधीजी का महत्त्व बढ़ने पर भी तिलकजी का मान अत्यन्त विशाल बना रहा । उनके परलोक गमन का समाचार सुन कर जिस प्रकार समस्त भारतवर्ष ने शोक प्रकाश किया उससे यह बात निर्विवाद सिद्ध है ।

इस असाधारण मान का क्या कारण था ? वह अनेक कारणों का समवाय था । प्रधान इनमें उनकी गम्भीर, स्वार्थ रहित, भय रहित, धैर्य और उत्साह युक्त अविचल देशभक्ति थी ।

“एक धर्म एक व्रत नेमा । मन वच काय देश में प्रेमा ॥”

इसी भक्ति से उन्होंने चालीस वर्ष तक देश की अविच्छिन्न सेवा की । बाल गंगाधर तिलक एक ऊँची श्रेणी के विद्वान् थे । इनकी बुद्धि विचक्षण थी । उनकी वाक् शक्ति वैसी ही प्रबल थी, जैसी उनकी लेखनशक्ति प्रौढ़ थी । बी० ए० एल्ल-एल० बी० की परीक्षाओं को पास कर, वकालात करने के अधिकारी होकर एक ऐसे विद्वान, बुद्धिमान, स्वतंत्रता प्रिय नव-युवक का वकालात के प्रलोभनों से मुँह मोड़कर, निर्धनता से स्वयंवर करना, उनके मन के महत्व का प्रमाण है ।

“साधारण लोगों में ज्ञान का प्रचार करने के लिये तिलकजी और उनके साथियों ने “केसरी” और “मराठा” नामक दो पत्र निकाले । “मराठा” और “केसरी” के लेख बढ़े प्रौढ़ और निडर होते थे । उनके द्वारा दिन दिन महाराष्ट्र में अधिक जागृति होती गई । प्रजा के हित की बातों को प्रबल रीति से प्रकाश करने के कारण और अनेक उपायों से प्रजा में एक नये जीवन का संचार करने के कारण तिलकजी दिन दिन अधिकारियों की दृष्टि में खटकने लगे । १८६७ में जब प्लेग के कुप्रबन्ध के कारण पूना में एक अंग्रेज मारा गया, तब उनके ऊपर एक राजद्रोह का मुकदमा कायम हुआ । उसमें तिलकजी को अठारह महीने की सज़ा हुई । सात अंग्रेजी ज्यूर्स ने उनको दोषी बतलाया और दो हिन्दुस्थानी ज्यूर्स ने निर्दोष ठहराया । उनको सज़ा हुई । इससे सारे भारतवर्ष में उनके साथ सहानुभूति हुई, उनका मान महत्व अधिक बढ़ा । दूसरी बार तिलकजी पर अधिकारियों के प्रोत्साहन से ताई महाराज का मुकदमा हुआ, जिसमें उनकी अन्त में विजय हुई । तीसरी बार फिर एक रोजद्रोह का मुकदमा उन पर सन् १६०८ में दायर हुआ जिसमें उनको छः वर्ष की अति कठोर सज़ा हुई । चौथी बार सतारा के मैजिस्ट्रेट ने उनसे बीस बीस हजार की दो जमानतें माँगी, जिसमें भी “हार्डकोर्ट” में उनकी विजय हुई । इन सब संकटों में तिलकजी का धैर्य अविचल रहा । विरोधी के

सामने अथवा विपत्ति के सामने वे कभी नहीं झुके। सर्व साधारण को विश्वास था कि इन सब मामलों में तिलक महाराज निर्दोष थे और अधिकारियों ने उनकी स्वतंत्रता के दबाने के लिये उन पर वे मुकदमे कायम किये और उनको कठिन सजा दी गई।”

“विपत्ति में उन्होंने गीता के “दुस्तेष्वनु द्विग्नमनः सुस्तेषु विगत स्पृहः” स्थितधी मुनि का वर्णन चरितार्थ कर दिखाया। जितनी ही धीरता उन्होंने संकट में दिखाई उतना ही सर्वसाधारण का प्रेम और भक्ति भाव उनमें बढ़ता गया। तिलकजी का सनातन धर्म में प्रेम और अपने देश के प्राचीन गौरव का सदभिमान, उनके रहन सहन की सादगी, उनका स्वार्थ त्याग, उनका पवित्र चरित्र और उनका सुख में भी और संकट में भी अपने जीवन का प्रति दृष्ट देश की उन्नति के कार्य और विचार में अर्पित करना—इन गुणों ने लाखों प्राणियों के हृदय में उनका बड़ा उंचा आसन बना दिया। गवर्नमेंट के प्रतिनिधि उनके शत्रु सर वेल्डटाइन चिरोल्ड ने उनका प्रभाव तोड़ने के लिये जो एक भारी पुस्तक लिखी यह बात भी उनके महत्व बढ़ाने वाली हुई। तिलकजी का पांडित्य गंभीर था। ‘ओरायन’ और ‘वेदों में आर्यों का आर्कटिक होम’ आदि ग्रन्थों से उनकी बड़ी ख्याति हुई थी। किन्तु अन्त की छः वर्ष की सजा में, जो उन्होंने ‘भगवद् गीता रहस्य’ लिख कर अपना असामान्य पांडित्य प्रकट किया और उसमें अपने देशवासियों को और समस्त जगत को सदा के लिये गीता के लोक परलोक हितकारी उपदेशों से अभ्युदय और निःश्रेयस् साधन करने का उत्कृष्ट मार्ग दिखाया। यह उनका सब से भारी कार्य उनके यश को अनन्त समय तक जगत में जीवित रखेगा। ऐसे बहुगुण सम्पन्न महान् पुरुष संसार में कभी कभी जन्म लेते हैं।”

महामना मालवीयजी महाराज ने संहिस में लोकमान्य तिलक के जीवन के विविध पहलुओं पर बड़ा ही सुन्दर प्रकाश डाला है। वास्तव

में लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्र के जीवन थे। उन्होंने देश में नव-चेतना का संचार कर राष्ट्र की आत्मा को जागृत किया था। राष्ट्र में नवीन शक्ति का प्रादुर्भाव किया था। भारतीय स्वतन्त्रता का दिव्य संदेश दिया था। हम नीचे लोकमान्य तिलक के कुछ वचन उद्धृत करते हैं, जिनसे पाठकों को पता लगेगा कि भारत की स्वतन्त्रता के लिये उनके हृदय में कैसी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी।

“स्वराज्य प्राप्त करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं प्राप्त करके रहूँगा। जब तक यह भावना मेरे हृदय में जागृत है, तब तक मैं वृद्ध नहीं हूँ। इस इच्छा को शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा उड़ा नहीं सकती। अपने ही घर का प्रबन्ध करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई दूसरा उसका अधिकारी तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम नाबाख्श या पागल न हों। स्वराज्य प्राप्ति के लिये उद्योग करना ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना है। परमात्मा इस समय मेहरबान है और उसने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया है। इस समय जरूरत है कि हम आपस के जाति और विचार भेदों को भुला कर आगे बढ़ें और कर्तव्य के मैदान में निर्भय होकर आ डटें। चाहे मेरी निन्दा हो या प्रशंसा, आज मर जाऊँ अथवा नौकरशाही द्वारा कल मारा जाऊँ, मुझे उसकी परवाह नहीं। किन्तु मेरा यह सच्चा उद्देश्य कि:—“भारतीय स्वतन्त्र हों, नष्ट नहीं हो सकता। हे जननि भारत! तू ही सब सुखों का भंडार है। संसार में तुमसे बढ़कर कोई दूसरा देश नहीं है। मैं मर कर भी यही चाहता हूँ कि तेरी गोद में फिर आऊँ, जब तक मेरे दुःख दूर न हों, तू स्वतन्त्र न हो, तब तक यहीं यह जीवात्मा जन्म ले।”

“अगर स्वराज्य के अधिकार मुसलमानों को, राजपूतों को या छोटी से छोटी या अन्त्यज जाति को दे दिये जावें तो मुझे कुछ परवाह नहीं। क्योंकि उस समय यह हमारा आपस का मामला रहेगा। इस समय तो

सिर्फ एक ही फिक्र रहनी चाहिये वह यह कि नौकरशाही के हाथों से अपने हाथों में किस प्रकार सत्ता आ सकती है।”

“आपत्ति से डरना मनुष्यता को खो बैठना है। आपत्तियाँ हमें बढ़ा लाभ पहुँचाती हैं। कठिनाइयाँ हमारे हृदय में साहस तथा निर्भीकता उत्पन्न करती हैं, जिनसे सुरक्षित होकर हम भारी से भारी कष्टों का सामना आनन्दपूर्वक कर सकते हैं। वह जाति, वह राष्ट्र, जिसके मार्ग में कष्ट नहीं है, उन्नति नहीं कर सकता। इस लिये हमें कष्टों का स्वागत करना चाहिये।”

“देश के लिये जिसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया है, मेरे हृदय मन्दिर में उसी के लिये स्थान है। जिसके हृदय में माता की सेवा का भाव जाग्रत है; वही माता का सच्चा सपूत है। इस नश्वर शरीर का अब अंत होना ही चाहता है। हे भारत माता के नेताओं और सपुत्रों ! मैं अन्त में आप लोगों से यही चाहता हूँ कि मेरे इस कार्य को उत्तरोत्तर बढ़ाना।”

“राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य जो इस समय हमारे सामने है, इतना महान् और विस्तृत एवं इतना जरूरी है कि मेरी अपेक्षा कहीं अधिक उत्साह और साहस से भारत माता के सब पुत्रों को एक होकर उसका पालन करना चाहिये। यह एक ऐसा कार्य है कि जिसे हम आगे के लिये टाल नहीं सकते। भारत माता हममें से प्रत्येक को पुकार पुकार कर कह रही है “उठो, कमर कसो, और काम में लगजाओ। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको प्रार्थना करूँ कि माता की इस पुकार पर आपस का समस्त मतभेद भूल जाओ और राष्ट्रीय आदर्शों की प्रत्यक्ष मूर्ति बन जाने का उद्योग करो। माता के इस कार्य में न स्पर्धा है, न द्वेष है, और न भय है। ईश्वर हमें हमारे उद्योगों का फल प्रदान करेगा, और यदि उस सफलता को हम न भी प्राप्त कर सकें तो यह निश्चय है कि भारत की भावी सन्तान उसे अवश्यमेव प्राप्त कर लेगी।”

उपरोक्त उद्धरणों से पाठकों को लोकमान्य तिलक की स्वराज्य सम्बन्धी तीव्र भावनाओं का ज्ञान हुआ होगा। उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा और अपूर्व त्याग भावना से भारत में स्वराज्य की भावनाओं का जोरदार प्रवाह बहा दिया था। लोकमान्य के कट्टर विरोधी सर हेल्लेन टाइन चिरोल ने अपनी 'भारतीय अशांति' (Indian Unrest) नामक पुस्तक में लोकमान्य के विषय में लिखा है "If anyone can claim to be truly the father of Indian unrest, It is Bal Gangadhar Tilak" अर्थात् यदि भारतीय अशांति का कोई वास्तविक जनक होने का दावा कर सकता है तो वह बाळ गंगाधर तिलक है।"

महात्मा गान्धी ने लोकमान्य की प्रशंसा करते हुए लिखा था। "भारत का प्रेम लोक मान्य तिलक के जीवन का आसोच्छ्वास था। उनका धैर्य कभी कम न हुआ और निराशा उनको छू तक नहीं गई। उनके अलौकिक गुणों को धारण करना ही उनका स्मारक है।" श्री अरविंद घोष ने लोकमान्य तिलक को श्रद्धांजली देते हुए कहा था:—"उन्होंने विन्दु का सिन्धु बनाया और टूटी फूटी अपूर्ण सामग्री से स्वराज्य का एक विशाल भवन तैयार किया।"

वास्तव में लोक मान्य तिलक की तरह अलौकिक और सर्वगामिनी बुद्धिमत्ता रखने वाला महापुरुष सदियों में कहीं एकाध बार जन्म लेता है। वे अनुपम गणितज्ञ थे, कानून के पारदर्शी पंडित थे, राज नीति शास्त्र में तो वे पारंगत ही थे। Orion और arctic Home in the vedas आदि ग्रन्थों ने प्राच्य संशोधक के नाम से उनकी कीर्ति फैला दी। परन्तु उनके गीता रहस्य से इस बात का निश्चय हो जाता है कि उनका पूर्वी और पश्चिमी दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कितना गम्भीर था और उनकी प्रतिभा कितनी व्यापक और सूक्ष्म थी। इस ग्रन्थ ने संसार के साहित्य कोष की अपूर्व वृद्धि की है और लोकमान्य को आधुनिक काळ

का आचार्यत्व प्राप्त करा दिया है।

सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री सर सी० वाई० चिंतामणी ने अपने “भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष” नामक ग्रन्थ में लोकमान्य तिलक के विषय में विवेचन करते हुए लिखा है:—“लेकिन हर हालत में वे भारत की स्वतंत्रता के झंडे को निर्भीकता से ऊँचा उठाए रहे। जिस ध्येय को उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया था उसी की पूर्ति में उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह खपा दिया। उनके समय का कोई अन्य व्यक्ति उनसे अधिक बाद-दिवादों का केन्द्र नहीं बना। परन्तु इतिहासज्ञ को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि वे उन मनुष्यों में से एक थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस तथा आजीवन सेवा-कार्य से भावी भारत की नींव रखी थी। किसी का उनसे कितना ही मतभेद क्यों न हों, कोई भी जो भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का विचार करेगा, बालगंगाधर तिलक को अवश्य स्मरण करेगा और उन्हें नवीन भारत के राष्ट्र-निर्माताओं में निस्संदेह बहुत ऊँचा स्थान देगा।”

इस महान् देशभक्त का ईस्वी सन् १९२० में बम्बई में देहावसान हो गया। उस समय सारे भारत में शोक छा गया! सैकड़ों नगरों में हड़तालें और शोक प्रदर्शन हुए! बम्बई में लोकमान्य की अर्थी के साथ जो जुलूस था वह कई मील लम्बा था। महात्मा गांधी ने उस जुलूस में प्रमुखता से भाग लिया था।

गोपाल गणेश आगरकर

महाराष्ट्र में जिन महापुरुषों ने राजनैतिक और सामाजिक अभ्युदय में सबसे अधिक प्रमुखता से भाग लिया, उनमें श्री गोपाल गणेश आगरकर का आसन बहुत ऊँचा है। प्रारम्भ में वे लोकमान्य तिलक के सहयोगी थे, पर पीछे जाकर कुछ विषयों में दोनों में मत भेद हो गया। वे दोनों महापुरुष देश में स्वराज्य प्रस्थापित करने के विषय में एक मत थे।

विदेशी सत्ता से होनेवाले राष्ट्रीय पतन से दोनों ही सम दुःखी थे । पर कुछ विषयों में दोनों में मतभेद था । लोकमान्य तिलक विशुद्ध भारतीय संस्कृति के पक्ष में थे, और वे उसी के आधार पर स्वराज्य का भवन निर्माण करना चाहते थे । श्री आगरकर भारतीय संस्कृति के समर्थक होते हुए भी वे पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी नहीं थे । उनका विचार था कि पाश्चात्य संस्कृति में रहे हुए सुन्दर तर्कों को भारतीय संस्कृति में मिला कर उसे समृद्धिशाली बनाया जाय । श्री आगरकर के मतानुसार जीवित संस्कृतियों के सम्पर्क से भारतीय संस्कृति को अछूता न रक्खा जाय । जो कुछ अन्य संस्कृतियों में उत्कृष्ट तत्व हैं उन्हें ग्रहण कर आत्मसात् करने में कतई संकोच न किया जाय । विचार-स्वातन्त्र्य को प्रधानता दी जाय और जहाँ परम्परागत भावनाओं और युक्ति-वाद में संघर्ष हो वहाँ युक्ति-वाद को स्वीकार किया जाय ।

श्री आगरकर समाज-सुधारक के भी कट्टर पक्षपाती थे । ईस्वी सन् १८८८ के पहले वे केसरी के सम्पादक थे और उस समय उन्होंने प्रगतिशील राष्ट्रीयता (Progressive nationalism) और समाज सुधार के लिये जोरदार आवाज उठाई थी । ईस्वी सन् १८८८ में उन्होंने सुधारक नाम का दूसरा पत्र प्रकाशित किया । उसमें भारतीय समाज-सुधार पर गम्भीर और जोरदार लेख प्रकाशित होते थे । जिन कारणों से-जिन सामाजिक बुराइयों से-हिन्दू समाज निर्बल और जर्जरित हो गया है, उनके खिलफ़ उन्होंने अपने पत्र में बड़ा जोरदार आन्दोलन उठाया था । उनके लेखों में प्रगाढ़ विद्वता, भारतीय समाज की स्थिति का गम्भीर विश्लेषण, समाज निर्माण के उपयुक्त सुझाव रहते थे । वे कभी निडरता से सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते थे । स्त्री-पुरुषों की समानता, स्त्रियों की उच्च शिक्षा, प्रेम-विवाह, विधवा-विवाह, अछूतोद्धार आदि विषयों के पक्ष में उन्होंने अपनी जोरदार लेखनी उठाई, और प्रबल सामाजिक आन्दोलन आरम्भ किया । श्री आगरकर की प्रबल

महान् आत्माओं का उदय

अभिलाषा थी कि हमारा राष्ट्र एक महान राष्ट्र हो और अन्य संसार उसे आदर के साथ देखे। श्री आगरकर ने अपने एक लेख में जो महान् विचार प्रकट किये थे उनका सारांश हम नीचे देते हैं।

“हमारे प्राचीन ऋषियों की तरह हमें भी नई प्रथाओं और रिवाजों को जन्म देने का अधिकार है। हमारे प्राचीन आचार्यों की तरह, ईश्वर की कृपा से, हम भी इसके अधिकारी हैं। हमें भी सत्य और असत्य जानने की परमात्मा ने बुद्धि दी है। हमारे हृदय-अच्छूत भाईयों की दयनीय दशा को देखकर पसोजते हैं। विश्व संबंधी हमारा ज्ञान हमारे पूर्वजों से अधिक है। इसलिये हम उन्हीं प्रथाओं और उन्हीं आज्ञाओं को स्वीकार करेंगे जो हमारे समाज के लिये हितकारक होगी और हानिकारक प्रथाओं की जगह पर समाज-कल्याण कारी प्रथाओं को प्रस्थापित करेंगे। इसी विचारधारा को लेकर हम सुधार के पथ पर आगे बढ़ेंगे।” उपरोक्त वाक्यों में श्री आगरकर की प्रगतिशील भावना का दिग्दर्शन होता है। श्रीयुत आर० जी० प्रधान महोदय ने अपने ‘Indian Struggle for Swaraj’ नामक ग्रन्थ में लिखा है; “दूसरे प्रान्त की अपेक्षा सामाजिक सुधार में अगर महाराष्ट्र ने अधिक प्रगति की थी उसका कारण आगरकर के लेख थे। श्री आगरकर भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन में बुद्धिवादी और प्रगतिशील तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे।”

गोपाल कृष्ण गोखले

श्री गोखले महोदय की राजनैतिक विचार धारा यद्यपि लोकमान्य तिलक से भिन्न थी, पर इसमें सन्देह नहीं कि वे भी भारतीय राष्ट्र के एक महान् सेवक थे। आचार्य जावड़ेकर महोदय ने अपने “आधुनिक भारत” नामक ग्रन्थ में लिखा है:—“ईस्वी सन् १८६७ से अगले बीस वर्ष का आधुनिक भारत का इतिहास गोखले और तिलक इन दो महाराष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में काम करने वाले दो अखिल

भारतीय राजनैतिक पक्षों का इतिहास है, ऐसा कहने में कोई अन्याय नहीं है।" महात्मा गाँधी माननीय श्री गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में गोखले की महान् देश सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की है। महात्माजी उन्हें बड़ी श्रद्धा की निगाह से देखते थे।

गोखले महोदय का जन्म ईस्वी सन् १८६६ में रत्नागिरी जिले में हुआ। इनके माता पिता अत्यन्त गरीब थे। आपके बड़े भाई ने आपकी शिक्षा का प्रबन्ध किया। १८ वर्ष की उम्र में आपने बी० ए० की उपाधि प्राप्त की। उनकी छात्रावस्था निर्धनता और कठिनाई में बीती। उनकी अलौकिक प्रतिभा ने शीघ्र ही अपना प्रकाश फैलाना शुरू किया।

यद्यपि गोखले में इतनी योग्यता थी कि वे जीवन में बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर सकते थे, परन्तु बीस वर्ष की अवस्था पूरी होने के पूर्व ही उन्होंने गरीबी और त्याग का जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने जीवन के बीस वर्ष पूना के फर्ग्युसन कॉलेज की सेवा में दिये। इस महान् सेवा के लिये वे केवल नाम मात्र के लिये ७५) रु० मासिक लेते थे। गोखले महोदय के कारण इस कॉलेज की बड़ी प्रगति हुई। आपने इस कॉलेज के लिए बड़े परिश्रम से चन्दा इकट्ठा किया और उसकी नींव दृढ़ की।

गोखले महोदय ने महान् देश भक्त रानडे महोदय की शिष्यता स्वीकार की। श्रीमान् श्री निवास शास्त्री अपने अंग्रेजी ग्रन्थ "Life of Gopal Krishna Gokhale" में लिखते हैं:—"Ranade was great in every sense of the word and for fourteen years, Gokhale had the unique privilege of sitting at his feet, learning the great things of the world and profiting by the example of his experience, knowledge and industry" "हर दृष्टि से रानडे महान् थे।

चौदह वर्ष तक गोखले को रानडे के पैरों में बैठ कर संसार की महान् वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने का और उनके अनुभव, ज्ञान और उद्योग के उदाहरण से लाभान्वित होने का असाधारण अवसर प्राप्त हुआ।”

रानडे की प्रेरणा से गोखले ने पूना की सार्वजनिक सभा का मन्त्रित्व स्वीकार किया और वे उक्त सभा से निकलनेवाले त्रैमासिक पत्र का सम्पादन करने लगे। इसी अर्से में आपने आगरकर के सुधारक पत्र में भी समाज-सेवा पर लेख लिखना शुरू किया। इसके दो वर्ष बाद ही गोखले भारतीय राष्ट्रीय महासभा (Indian National Congress) के सेक्रेटरी हो गये। दिन ब दिन श्री गोखले की प्रतिभा चमकने लगी। ईस्वी सन् १८९६ में लॉर्ड वेल्बी की अध्यक्षता में लन्दन में एक कमीशन मुकर्रर हुआ। उसका उद्देश्य भारत की आर्थिक अवस्था की जाँच करना था। भारत से होम चार्जेज आदि के रूप में इन्वैड करोड़ों रुपया शोषण करता था। इस कमीशन के सामने गवाही देने के लिये बंगाल से मि० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, बम्बई से मि० वाद्या और मद्रास से मि० सुब्रह्मण्य अच्यर गये थे। श्री रानडे और श्री जोशी ने पूना की ओर से नवयुवक गोखले को गवाही देने के लिये लन्दन भेजा। उन्होंने भारत के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए जिस अपूर्व योग्यता से गवाही दी, उसका प्रभाव लन्दन के राजनैतिक क्षेत्रों में बहुत अधिक पड़ा। सर विलियम वेडरबर्न महोदय ने श्री गोखले के मुकाबले पर आकर कहा “You have done most splendidly. Your evidence will be much the best on our side. Let me congratulate you on the signal service which you have rendered to your country. Our minority report will be based practically on your evidence” अर्थात् आपने अपना काम सर्वोत्कृष्ट रूप से किया। आपकी गवाही हमारे पक्ष में सबसे अच्छी रही। आपने अपने देश की

जो महान् सेवा की है। उसके उपलक्ष्य में मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ। हमारी अल्पमत की रिपोर्ट (Minority Report) आपकी गवाही पर निर्भर रहेगी।” आगे चलकर मि० वेडरबर्न ने यह भी कहा कि कमीशन के अध्यक्ष लॉर्ड वेल्बी और वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी आपकी गवाही से अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं।

मि० केन (Caine) नाम के एक अंग्रेज सज्जन ने मि० गोखले को अपने एक पत्र में लिखा था।

“I have spent about seven hours in a careful study of your evidence. Permit me to say that I have never seen a cleverer or more masterly exposition of the views of an educated Indian reformer on all the subjects dealt with. And though I do not agree necessarily with all your views, it must of necessity have very great weight with the Commission. You and Wacha have rendered splendid and unique service to your country, for which your country men ought to be ever grateful”

“अर्थात् मैंने आपकी गवाही के ध्यानपूर्वक अध्ययन में लगभग सात घंटे व्यतीत किये और उससे मैं यह कहता हूँ कि सब सम्बन्धित विषयों पर एक शिक्षित भारतीय सुधारक ने जिस योग्यता और दक्षता से प्रकाश डाला वह अपूर्व और अद्वितीय था। यद्यपि मैं आपके सब विचारों से सहमत नहीं हूँ, पर मैं यह कह सकता हूँ कि आपकी गवाही का कमीशन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपने और बाबा ने अपने देश की अपूर्व सेवा की है जिसके लिये आपके देशवासी आपके सदा कृतज्ञ रहेंगे।”

भारत की व्यवस्थापिका सभा में (Indian Legislative

Assembly) उनकी योग्यता की बढ़ी धाक थी। अपनी मेम्बरी के प्रारम्भिक चार वर्ष तक तो वे लॉर्ड कर्जन जैसे योग्य व्यक्ति से प्रायः अकेले ही युद्ध करते रहे। स्वभावतः एक हठी साम्राज्यवादी तथा एक निर्भीक देशभक्त के पारस्परिक संबंध सदा स्नेहपूर्ण नहीं रह सकते थे, फिर भी लॉर्ड कर्जन के हृदय में उनके प्रति परम प्रशंसा तथा सम्मान का भाव था। एक बार उन्होंने मि० गोखले को पत्र में लिखा था कि:—“परमात्मा ने आपको असाधारण योग्यता प्रदान की है और आपने उसे समग्र रूप से देश की सेवा में अर्पित कर दिया है।” आज भी ऐसा कोई सार्वजनिक प्रश्न कठिनता से ही मिलेगा जिसके समझने में हमें मि० गोखले के किसी न किसी भाषण से कुछ प्रकाश न मिल सकता हो। वे देश के कार्य से कई बार इङ्गलैंड गये थे और वहाँ के सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं पर उनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि एक बार ‘नेशन’ के महान् संपादक मि० मैसिंघम ने कहा था कि गोखले की समृद्धता का बुद्धिमान राजनीतिज्ञ कोई इङ्गलैंड में भी न था और निस्संदेह वे मि० एस्किथ से भी महान् थे। देश-सेवा के अन्य अनेक कार्यों के अतिरिक्त मि० गोखले का एक कार्य भारत सेवक समिति की स्थापना थी, जिसके आदर्श से और उँचा आदर्श हो नहीं सकता। उसका ध्येय था:—‘मातृभूमि के प्रति ऐसी गंभीर तथा हार्दिक भक्ति कि जिसका विचार ही मनुष्य को उत्साह से भरदे।’ ये शब्द मि० गोखले ने भारत सेवक-समिति की स्थापना के छः मास पश्चात् कांग्रेस के काशीवाले अधिवेशन में सभापति के आसन से कहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बनाये जाने के समय उनकी अवस्था केवल ३६ वर्ष की थी। इतनी कम अवस्था में कोई अन्य व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ था। फिर भी कांग्रेस के सबसे अधिक बुद्धिमान तथा सबसे महान् अध्यक्षों में उनका स्थान है। गोखले महोदय के राजनैतिक विचारों से कोई सहमत हो या न हो, पर यह निर्विवाद है कि वे महान् देशभक्त थे। देश की भावना उनके रोम रोम में थी,

वे हरवक्त और हर स्थिति में देश की बात सोचते और देश के लिये परिश्रम करते थे। उनका हृदय विशाल था और वे अपने विरोधी के गुणों की भी प्रशंसा करते थे। उन्होंने प्रयाग में भारत सेवक समिति नामक एक महान संस्था स्थापित की जिसमें माननीय श्री श्रीनिवास शास्त्री तथा पं० हृदयनाथ कुँजरू जैसे महान् देशभक्त व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। इस समिति की प्रस्तावना में माननीय गोखले महोदय ने जो बचन लिखे हैं वे प्रत्येक देशभक्त और देश के लिये कार्य करनेवाले सज्जनों को अपने हृदय-पटल पर अंकित कर लेना चाहिये।

“अब समय आ गया है कि हमारे देशवासी यथेष्ट संख्या में देश के कार्य में उसी भावना से लग जायँ जिस भावना से धर्म का कार्य किया जाता है। देशप्रेम में हमारा हृदय इस प्रकार भर जाना चाहिये कि उसकी तुलना में और कोई भी वस्तु तुच्छ जचने लगे। ऐसा उत्साह पूर्ण देशप्रेम जो मातृभूमि की सेवामें त्याग का अवसर प्राप्त होने पर आनन्द का अनुभव करे, ऐसा निर्भीक हृदय जो कठिनाई अथवा संकट से भयभीत होकर अपने ध्येय से हटना न जानता हो, ईश्वरेच्छा में ऐसा दृढ़ विश्वास जिसे कोई भी वस्तु न हिला सके, इन साधनों से सुसज्जित होकर कार्यकर्ता को अग्रसर होना चाहिये और श्रद्धा पूर्वक उस आनन्द की खोज करनी चाहिये जो मातृभूमि की सेवा में अपने को खपा देने से प्राप्त होता है।”

महात्मा गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी भारतवासियों की अधिकार-रक्षा के लिये जो महान् आन्दोलन उठाया था उसमें गोखले ने हार्दिक सहयोग दिया था। उन्होंने भारतवर्ष के इस छोर से लगा कर उस छोर तक दौरा कर प्रभावशाली व्याख्यानों द्वारा महात्मा गाँधी और उनके आन्दोलन के पक्ष में लोकमत तैयार किया था। ईस्वी सन् १९१४ में इस महान् देशभक्त का स्वर्गवास होगया। स्मशान भूमि में स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धांजली अर्पण करते हुये लोकमान्य तिलक ने

इस महान् देशभक्त के जीवन का अनुकरण करने के लिये लोगों से अपील की थी।

मदन मोहन मालवीय जी

जिन महान् आत्माओं ने अपना सारा जीवन अपने प्रिय देश की सेवा में अर्पण किया, उनमें महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी का आसन बहुत ऊँचा है। महात्मा गाँधी तक उन्हें अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। यद्यपि महात्मा गाँधी और मालवीयजी में राजनैतिक मतभेद था, पर मालवीयजी की महान् सेवाओं की, उनके साधु जीवन की, उनके अलौकिक त्याग की महात्माजी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। पं० जवाहरलाल जी नेहरू ने अपनी “आत्मकथा” में लिखा है कि मालवीयजी से मतभेद रखनेवाले लोग भी मालवीयजी के साधु चरित्र के कारण उन्हें बड़ी श्रद्धा (Reverence) की दृष्टि से देखते थे।

मालवीयजी महाराज का जीवन त्याग, तपश्चर्या और देश सेवा का एक लम्बा इतिहास है। दया, सौजन्य, कोमलभाव और मधुरता आदि महान् गुण तो उनके जीवन के अंग बन गये थे। गरीब से गरीब आदमी की उन तक पहुँच थी और वे उसकी सेवा के लिये तत्पर रहते थे। मालवीयजी देश के लिये जीये और देश के लिये मरे।

अपनी युवक अवस्था से मालवीयजी ने देश सेवा का व्रत ग्रहण किया और आजन्म तक वे अपने प्यारे देश की सेवा करते रहे। दो बार वे कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और दिल्ली कांग्रेस के अन्तिम भाषण में उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये जो मर्मस्पर्शी अपील की उससे पंजाब में उपस्थित जनता के हृदय द्रवीभूत हो गये थे और हजारों की आंखों में आँसुओं की धाराएँ बह रही थीं।

मालवीयजी हिन्दी के जनन्य प्रेमी थे। उन्होंने दो बक्त हिन्दी साहित्य

सम्मेलन के पद को सुशोभित किया। उनका स्पष्ट मत था कि हिन्दी ही राष्ट्र भाषा होने के योग्य है।

मालवीयजी एक सच्चे ब्राह्मण थे। उनका जीवन ऋषि तुल्य था। भारतीय संस्कृति के वे अनन्य उपासक थे। हिन्दू धर्म की आत्मा को उन्होंने भली प्रकार समझा था। संस्कृत के वे अच्छे विद्वान थे। भारत के उच्च श्रेणी के वक्ताओं में उनकी गणना थी। द्वेष और अभिमान उनके पास फटकने तक न पाते थे। शत्रुओं से भी प्रेम करने की उनकी भावना थी। मालवीयजी महाराज ने देश को अनेक संस्थाएँ प्रदान की हैं, जिनमें काशी का हिन्दू विश्वविद्यालय सबसे महान् है। यह मालवीयजी के जीवन की महानता का अमर स्मारक है।

भारत हितैषी अंग्रेज

अंग्रेजों ने भारत को जिस प्रकार दासता की शृंखला में फँसाया था, उसका उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। इतने पर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ विशाल हृदय अंग्रेज भारत के हितैषी थे। उन्होंने भारत के साथ सदा सहानुभूति का व्यवहार रक्खा और भारत की आकांक्षाओं के लिये आवाज़ भी उठाई। इनमें मि० ड्यूम, रस विखियम वेडरबर्न, सर हेनरी कॉटन और मि० डिग्बी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आधुनिक युग में महामना एन्ड्रूज की भारत-सेवाओं से तो आधुनिक भारतीय समाज भली प्रकार परिचित है। महात्मा गांधी और विश्वकवि रवीन्द्रनाथ का तो आपके साथ आत्मीय संबंध था। एन्ड्रूज को महात्माजी बड़े प्रेम से चार्डी कहते थे। प्रवासी भारतियों के लिये एन्ड्रूज महोदय ने जो कुछ किया उसे भारतवासी सदा कृतज्ञता के साथ स्मरण करेंगे।

सर विखियम वेडरबर्न अपने को भारत का सेवक मानते थे। भारतवासी भी उन्हें अपना हितैषी मानते थे। उन्होंने बम्बई प्रान्त में एक

सिविलियन की हैसियत से सरकारी नौकरी की। इस अर्से में भारतवासियों के साथ उनका व्यवहार अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण रहा। पेंशन लेने के बाद ये २६ वर्ष तक जीवित रहे और यह सारा समय उन्होंने भारत की सेवा में बिताया। कहा जाता है कि उन्हें एक हजार पौंड सालाना की जो पेंशन मिलती थी, उसका अधिकांश भाग वे भारत के काम में खर्च करते थे। भारतवासियों ने भी इस उपकार का बदला उन्हें ईसवी सन् १८८६ में बम्बई वाली कांग्रेस का अध्यक्ष पद प्रदान कर चुकाया। श्री रानडे महोदय ने मि० गोखले से कहा था कि जितने अंग्रेजों से उनका परिचय हुआ था, उनमें कोई ऐसा नहीं था जिस की वैडरबर्न से तुलना की जा सकती हो। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि अंग्रेज कर्मचारी के वेष में वे सचमुच एक भारतीय देशभक्त हैं। मि० गोखले सर विलियम वैडरवर्न को अपने पिता की तरह मानते थे। सर वैडरबर्न को श्रद्धाञ्जली अर्पण करते हुए श्री गोखले ने कहा था:—“आधुनिक युग के इस महान् और आदरणीय अधि का चित्र इतना पवित्र, इतना सुन्दर और इतना उत्साह-प्रद है कि उसका शब्दों द्वारा बर्णन नहीं हो सकता। वह ऐसा चित्र है जिस पर प्रेम और श्रद्धापूर्वक विचार किया जाय और मौन-पूर्वक मनन किया जाय।”

सर वैडरवर्न के अतिरिक्त और भी कई भारत हितैषी अंग्रेज हुए हैं, जिनमें कांग्रेस के जनक मि० ह्यूम, सर हेनरी कॉटन, (आपको भारतीय कांग्रेस के सभापति होने का गौरव प्राप्त हुआ था), मि० सैमुअल स्मिथ मि० हरबर्ट राबर्ट्स, मि० विलियम डिग्बी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। आगे चल कर और भी कुछ ऐसे अंग्रेज महानुभाव हुए हैं जिन्होंने भारत की सेवाएँ की हैं और जिनका उल्लेख यथावसर होगा।

भारतवर्ष में धार्मिक और सामाजिक जागृति

आर्य समाज

स्वामी दयानन्द

राजनैतिक जागृति के साथ उस समय धार्मिक और सामाजिक जागृति की भी एक जबरदस्त लहर आई। राजा राममोहनराय और उनके बड़-समाज के सम्बन्ध में हम गत पृष्ठों में प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ हम एक ऐसी धार्मिक जागृति पर कुछ पंक्तियाँ लिखना चाहते हैं जिसने भारतवर्ष के धार्मिक और सामाजिक जीवन में क्रान्ति कारक परिवर्तन करने की चेष्टा की। इस महान् धार्मिक और सामाजिक जागृति के जनक स्वामी दयानन्द थे।

स्वामी दयानन्द का जन्म कठियावाड़ के मोरवी राज्य के एक गाँव में, ब्राह्मण कुल में, हुआ था। शिवरात्री के दिन शिवजी की मूर्ति पर चूहे की हरकत को देखकर बालक दयानन्द के हृदय में मूर्तिपूजा के विरुद्ध जोरदार विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। स्वामी दयानन्द का पूर्व नाम मूलशंकर था। इनके पिता शिवजी के परम भक्त थे। बालक मूलशंकर ने मूर्तिपूजा के विषय में तत्कालीन घटना को लेकर प्रश्न करना शुरू किया। पिता ने पुत्र के समाधान करने की बड़ी चेष्टा की, पर वे असफल रहे। मूलशंकर कुछ दिनों के बाद सत्य की खोज में

बाहर निकल पड़े और वे आबू, अरवली, गढ़वाल इत्यादि पर्वतों में घूम कर ऐसे गुरु की खोज करने लगे जो उन्हें सत्य तत्त्व का ज्ञान दे सकें। उन्होंने इस खोज में सहस्रों कोसों की पैदल यात्रा की। इस समय उन्होंने ऐसे ऐसे कष्ट भोगे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके पैर छालों से छलनी हो गये। उनका नंगा शरीर कांटों से लहू-लुहान हो गया। गढ़वाल के पर्वतों में अलखनन्दा नदी में एक बार वह हिम की अत्यधिक असह्य ठंडक के कारण बेसुध होकर गिर पड़े! पहाड़ी लोग आपको वहां से उठाकर लाये और किसी प्रकार आपकी प्राण रक्षा के हेतु बने। वे खुले मैदानों में सोये। हिंसक पशुओं से भरे हुए गहन और भयानक बनों में वृक्षों की शाखाओं पर बैठ कर रातें बिताईं। बन के फल-फूल और कन्द मूल खाकर पेट की ज्वाला बुझाई। इतना होने पर भी उन्हें कोई सच्चा गुरु व प्रथ प्रदर्शक न मिला।

अखिर छत्तीस वर्ष की उम्र में आपको पता चला कि मथुरा में स्वामी विरजानन्द नाम के अस्सी वर्ष के एक वृद्ध और प्रज्ञाचक्र सन्यासी रहते हैं, जो संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान् होने के साथ साथ वेदों के भी अद्वितीय ज्ञाता हैं। दयानन्द वहां पहुँचे और उन्होंने उक्त सन्यासी जी के सामने अपने हृदय की अभिलाषा प्रकट की। स्वामी विरजानन्द उन्हें पढ़ाने लगे। स्वामी विरजानन्द से नवयुवक दयानन्द ने वेदों का अध्ययन किया और योग की क्रियाएं भी सीखीं। जब आपका विद्याध्ययन समाप्त होगया तब आपने अपने पूज्य गुरुसे निवेदन किया कि "गुरु कर्ष! मेरे पास अपने आपको छोड़कर और कुछ भी नहीं है, जो मैं आपके चरणों में अर्पण कर सकूँ। आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं?" इस पर स्वामी विरजानन्द ने कहा:- "तब तुम अपने आपको ही गुरु दक्षिणा रूप में मेरी भेट चढ़ा दो। मैंने जो विद्या तुम्हें प्रदान की है उसको सफल करो। संसार वेदों की शिखा को भूल बैठा है, तुम फिर उसी शिखा का नये सिरे से प्रचार करो। एक बार फिर उन्हीं वेदों का डंका बजाओ।

अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके ज्ञान की ज्योति का प्रकाश करो। आर्य जाति की बिगड़ी हुई दशा को सुधारो। निन्द्य रीतियां और हानिकर कुप्रथाएं दूर करो। घरबार से मुक्त मोड़ लो। खुले मैदान तुम्हारे घर हों। भूमि को पलंग बनाओ और पत्थरों को तकिया जानो। अपना तन मन प्राण होम कर आर्य जाति का उद्धार करो। भारत देश का कल्याण करो। बस, मुझे यही गुरु दक्षिणा चाहिये। सांसारिक सुख-ऐश्वर्य अथवा धन रत्न की मुझको कामना नहीं है।” इस पर स्वामी दयानन्द का दिन्न भर आया और वे हाथ जोड़ कर अपने गुरु से निवेदन करने लगे।

“भेरे परम पूज्य, श्रद्धास्पद गुरुदेव ! दयानन्द अपने तन, मन, प्राण की दक्षिणा आपके चरणों पर चढ़ाता है। आशीर्वाद दीजिये कि मैं सफल मनोरथ होऊँ !” गुरु विरजानन्दजी ने आपको आशीर्वाद दिया और स्वामी दयानन्द वैदिक संस्कृति का संदेश लेकर बाहर निकल पड़े। उन्होंने धूम्रांधार प्रचार करना शुरू किया। भारतवर्ष में फैले हुये मिथ्या विश्वासों और रूढ़ियों के खिलाफ उन्होंने बड़े जोर से आवाज़ उठाना शुरू की। उन्होंने भारतवासियों को वेदों का संदेश दिया और उन्हें मानव ज्ञान का आदि स्रोत घोषित किया। भारतीय संस्कृति और भारतीय सम्यता ही मानव जाति का कल्याण कर सकती है, इस बात का उपदेश वे अपने व्याख्यानों में देने लगे। मूर्ति तथा अन्य प्रकार की बड़ पूजाओं के खिलाफ उन्होंने विद्रोह की उठाई। भारत में फैले हुये असंख्य जातिभेदों के खिलाफ उन्होंने युद्ध-घोषणा की। विधवा विवाह के पक्ष में जोरदार आवाज़ उठाकर उन्होंने एक महान् सामाजिक सुधार की नींव रखी। स्त्रियों और अछूतों पर होनेवाले अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त लोक-भावना उत्पन्न की। उन्होंने अनेक देवी देवताओं के बदले सिर्फ एक निरंजन निराकार ईश्वर की पूजा करने का आदेश दिया। उन्होंने भारतवासियों में राष्ट्रीयता के भाव भरे और स्वराज्य का मंत्र दिया। उन्होंने यह दिखलाया कि भारतवासी केवल सुराज्य नहीं चाहते, पर वे

स्वराज्य चाहते हैं। स्वराज्य ही वैदिक संस्कृति का आदेश है और हरेक देश के निवासियों का यह अधिकार है कि वे अपने देश का शासन आप संचालित करें। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानन्द ने पुरुष और स्त्रियों के समान अधिकारों की घोषणा की।

भारतवर्ष में ज्ञान की ज्योति चमकाने के लिये - वैदिक संस्कृति का प्रकाश फैलाने के लिये - और एक सुसंस्कृत समाज स्थापित करने के लिये स्वामीजी ने देश के सामने एक बड़ी योजना रखी। ईस्वी सन् १८७५ में बम्बई में स्वामीजी ने आर्य-समाज की स्थापना की, जिसके उद्देश्य वैदिक संस्कृति का प्रचार, जातिभेदों का नाश कर कर्मानुसार वर्णाश्रम पद्धति की स्थापना, अछूतोंद्वारा, और राष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना आदि थे।

जिन सामाजिक और धार्मिक कारणों से भारतवर्ष का पतन हुआ, उनको नाश करने में स्वामी दयानन्द ने बड़े जोर का प्रहार किया और उन्होंने भारतवर्ष में जो धार्मिक और सामाजिक क्रान्ति की उसने उस भूमिका को तैयार किया जिस पर आज स्वराज्य की इमारत खड़ी की जा रही है। भारतवर्ष के राष्ट्र निर्माताओं में स्वामी दयानन्द का नाम अपना विशेष स्थान रखता है।

भारतवर्ष के सड़े गले समाज को स्वामी दयानन्द ने एक नवीन शक्ति और नवीन संदेश से सजीव किया। चाहे कोई स्वामीजी के धार्मिक और सामाजिक विचारों से सहमत हों या न हों पर राष्ट्र और समाज उत्थान के लिये उन्होंने जो महान् कार्य किया, उसे इतिहास गौरवशाली शब्दों में स्मरण करेगा।

॥ स्वामी रामकृष्ण परमहंस ॥

जिस समय स्वामी दयानन्द अपनी मिशन का प्रचार कर रहे थे उन्हीं दिनों बङ्गाल में एक महान् आत्मा का उदय हो रहा था, जिसका नाम

श्री रामकृष्ण परमहंस था। श्री रामकृष्ण परम हंस बड़े सीधे सारे सभु थे। नाम मात्र की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, पर उनकी आत्मा में एक ऐसा ज्ञान-ज्योति प्रज्वलित हो रही थी जिसने कई बड़े २ हृदयों में प्रकाश डाला। स्वामी रामकृष्ण साम्प्रदायिक मतभेदों से बहुत ऊपर उठे हुए थे। आत्मसाक्षात्कार द्वारा अध्यात्मशक्ति का विकास कर मानवी एकता का संदेश देना, यह उनकी मिशन का प्रधान उद्देश्य था। पंडित जवाहर लालजी नेहरू ने इनकी असाधारण व्यक्तित्व, चरित्र और आकर्षण शक्ति की बड़ी प्रशंसा की है और यह भी लिखा है कि पाश्चात्य ज्ञान से शिक्षित मनुष्य भी उनसे बहुत प्रभावित होते थे। ❀

स्वामी रामकृष्ण सकल धर्मों की एकता के समर्थक थे। उनके विचारानुसार सकल धर्मों का अन्तिम उद्देश्य एक ही है, और यह वह परम तत्व है जो सारे विश्व में व्याप्त है और जिसका दिव्य प्रकाश तथा जिसकी दिव्य सत्ता विश्व का आदि कारण है।

स्वामी विवेकानन्द आपकी आध्यात्मिक शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि वे उनके शिष्य हो गये। स्वामी विवेकानन्द ने “मेरे स्वामी (My Master)” नामक ग्रन्थ में स्वामी रामकृष्ण के दिव्य जीवन पर बड़ा ही सुन्दर प्रकाश डाला है।

॥ स्वामी विवेकानन्द ॥

स्वामी विवेकानन्द स्वामी रामकृष्ण के प्रधान शिष्य थे। आपने अपने गुरु भाईयों की सहायता से रामकृष्ण मिशन नामक एक महान् संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य धार्मिक एकता द्वारा सकल जन कल्याण था। भारत के आध्यात्मिक भूतकाल में विवेकानन्द का बड़ा विश्वास था। वे भूतकालिक भारतवर्ष को वर्तमान काल के भारतवर्ष से जोड़ना चाहते थे। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति का

अधिक से अधिक अम्युदय कर पाश्चात्य संस्कृति के सुन्दर तत्त्वों के मिश्रण से उसे अधिक ऐश्वर्यशाली और प्रबल बनाने की उनकी अभिलाषा थी। पूर्व और पश्चिम का मधुर संयोग वे मानव जाति के विकास के लिये समझते थे। इस विचार धारा में स्वामी विवेकानन्द और कविवर रवीन्द्र नाथ एकमत थे।

स्वामी विवेकानन्द बंगाली और अंग्रेजी भाषा के बड़े प्रभावशाली वक्ता और लेखक थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। इसके अतिरिक्त पं० जवाहरलालजी के शब्दों में उनमें वैयक्तिक और प्रज्वलित शक्ति भरी हुई थी। भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिये उनकी बड़ी खालसा थी। उन्होंने जर्जरित हिन्दू समाज को नवजीवन का संदेश दिया और उसे अपने पैरों पर खड़े रहने का आदेश दिया।

ईस्वी सन् १८९३ में अमेरिका के चिकागो नगर में होनेवाले सर्व धर्म सम्मेलन (Parliament of Religions) में सम्मिलित होने के लिये स्वामीजी अमेरिका गये। पहले ही व्याख्यान में स्वामीजी के व्याख्यान का श्रोताओं पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। स्वामीजी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और अन्य नगरों से भी स्वामीजी के व्याख्यान सुनने के लिये फुंड के फुंड लोग आने लगे। जहां देखिये वहां स्वामीजी की चर्चा होने लगी। अनेकों सभा सोसाइटियों की ओर से स्वामीजी के पास निमंत्रण आने लगे। अमेरिका के समाचार पत्रों में स्वामीजी की बड़ी प्रशंसा होने लगी। बोस्टन नगर के "इवनिंग न्यूज़" नामक पत्र ने अपने ५ अप्रैल सन् १८९४ ई० के अंक में लिखा था,—“स्वामी विवेकानन्द सचमुच एक बड़े विद्वान् हैं। धर्म सम्मेलन में जितने व्याख्याता आये थे, उनमें उनकी उक्ति का कोई न था।” न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था,—“स्वामी विवेकानन्द वास्तव में एक महान् पुरुष हैं। उनके व्याख्यान सुनने के बाद हमारी यह धारणा हो गई है कि भारत जैसे शिथिल देश में राष्ट्रियों की भेदता किन्हीं जादूजी का काम है।

धर्म सम्मेलन के सभापति महोदय ने, जो हिन्दुस्तानियों को बिलकुल असभ्य समझते थे और जिन्होंने बड़ी कोशिश के बाद स्वामी विवेकानन्द का धर्म सम्मेलन का प्रतिनिधि होना स्वीकार किया था, लिखा था:—“सचमुच भारत धर्मों का जन्म देने वाला है। उस धर्म के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानन्द ने अपने व्याख्यानों से जनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव डाला है।”

स्वामीजी दो वर्ष तक अमेरिका में रहे और उन्होंने भारतीय संस्कृति का महत्व अमेरिकावासियों को समझाया।

ईस्वी सन् १८६१ में स्वामीजी ने इङ्ग्लैंड की यात्रा की। वहां भी आपके व्याख्यानों की धूम मच गई। लंदन नगर के प्रिन्सेज् हाब में स्वामीजी का आत्मज्ञान पर इतना सुन्दर और प्रभावशाली व्याख्यान हुआ कि हजारों श्रोतागण स्तब्ध रह गये। भाषण समाप्त होने पर सब दूर स्वामी की वाह-वाह होने लगी। दूसरे दिन लंदन के पत्रों में स्वामीजी की प्रशंसा में बड़े बड़े कालम रंगे गये।

लंदन के स्टैंडर्ड पत्र ने लिखा था:—“राजा राममोहनराय और केशवचन्द्र सेन के बाद स्वामी विवेकानन्द पहले ही हिन्दू हैं जिन्होंने प्रिन्सेज् हाब में अपने व्याख्यान के द्वारा लोगों पर इतना प्रभाव डाला। उनका भाषण बड़ा गम्भीर और मार्मिक था। एक दूसरे पत्र ने लिखा था:—“लंदन में अनेक जातियों के, अनेक व्यवसायों के मनुष्य मिलते हैं, पर इस समय इङ्ग्लैंड में उस तत्त्ववेत्ता से बढ़कर और कोई मनुष्य नहीं है जो हाब ही में शिकागो के धर्म सम्मेलन में हिन्दू धर्म की ओर से प्रतिनिधि था।”

स्वामी विवेकानन्द ने अद्वैत विचार धारा का प्रचार किया। इस विचारधारा के अनुसार ईश्वर एक है और विश्व के सकल चराचर प्राणी उसी विराट् स्वरूप के परमाणु भूत हैं। इसे दूसरे शब्दों में यों कह

स्वीजियेगा कि अद्वैत धर्म और विश्व बन्धुत्व पर्यायवाची शब्द हैं। स्वामी विवेकानन्द के मतानुसार अद्वैत धर्म ही मानवजाति का भावी धर्म होगा और उसी में सकल मानव जाति के कल्याण की भावना निहित है। मानव जाति के सामूहिक कल्याण की भावना को लेकर स्वामी विवेकानन्द ने संसार को एक संदेशा दिया और यह दिखलाया कि केवल मात्र बड़वाद को लेकर मनुष्य जाति मानवता के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकती। विश्व-कल्याण के लिये आध्यात्मिक मार्गों को ग्रहण करना पड़ेगा। स्वामीजी, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, आत्मवाद और अनात्मवाद की विचार-धाराओं के मधुर सम्मेलन से एक नवीन संस्कृति का निर्माण कर मनुष्य जाति के सामने एक नवीन आदर्श रखना चाहते थे।

स्वामी विवेकानन्द के उपदेश

स्वामी विवेकानन्द ने अपने लेखों तथा व्याख्यानों में मानव जीवन के विविध पहलुओं पर, तथा कई ऐहिक तथा पारलौकिक विषयों पर काफी प्रकाश डाला है। पर उनका सबसे बड़ा मन्त्र जो उन्होंने सिखाया है वह है:—“निर्भय होओ” “बलवान होओ”। उनके मतानुसार मनुष्य कोई अभागा पापी नहीं है, वह ईश्वरत्व का एक अंश है। संसार में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता और कमज़ोरी है। इसलिये निर्बलता को दूर कर बलवान और तेजस्वी होने के लिये स्वामी विवेकानन्द हमेशा उपदेश क्रिया करते थे, क्योंकि वे निर्बलता को पाप और अपराध समझते थे। इतना ही नहीं वे निर्बलता को मृत्यु समझते थे। वे कहा करते थे कि अगर हमारे देश को किसी बात की ज़रूरत है तो छोड़े के रगों (Muscles) की और फ़ौलादी नाडियों की (Nerves) और ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति की, जिसका कोई मुक़ाबला न कर सके, और जो विश्व के रहस्यों में प्रवेश कर अपने उद्देश्य की सिद्धि कर सके। स्वामी विवेकानन्द ने जादू टोना जंत्र मंत्र का विरोध किया है और कहा है कि चाहे इनमें सत्य हो, पर इन्होंने हमारा नाश कर दिया है।

विवेकानन्द ने राष्ट्र को डंके की चोट यह आदेश दिया है:—“तुम उन सारी बातों को विष की तरह बाहर निकाल फेंको, जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल और कमजोर बनाती हैं। ऐसी बातें, ऐसे तत्व जीवन हीन होते हैं। सत्य बलवान है, सत्य जीवन है, सत्य पवित्रता है और सत्य ही सकल ज्ञान है।

उपनिषदों की ओर जाइये। उनमें प्रकाश है, उनमें शक्ति है और उनमें प्रकाशमान तत्वज्ञान है। मिथ्या विश्वासों से दूर रहिये। मिथ्या विश्वासी मूर्खों की अपेक्षा मैं नास्तिकों को बहुत ज्यादा पसन्द करूंगा, क्योंकि नास्तिक फिर भी जिन्दा दिल होते हैं, और वे कुछ कर सकने की शक्ति रखते हैं।”

“पर मिथ्या विश्वास जहां मस्तिष्क में घुसा कि वह बुद्धि को नाश कर देता है, और जीवन पतन की ओर गति करने लगता है।”

स्वामी विवेकानन्द के विचारों का मूलभूत तत्व उपरोक्त पंक्तियों में आगवा है। उन्होंने सारे देश में घूमकर राष्ट्र को उक्त संदेश दिया था। स्वामी विवेकानन्द के संदेश में दिव्य उद्योति, दिव्य दर्शन और राष्ट्र की आत्मा को विकसित करने वाले तत्व हैं। इस महान् आत्मा का ईस्वी सन् १९०२ में ३१ वर्ष की अवस्था में शरीरान्त हो गया।



जागृति की लहर



गत अध्यायों में भारतवर्ष में उदय होने वाली राष्ट्रीय भावनाओं और उसके प्रधान नेताओं का विवरण हम दे चुके हैं। यह राष्ट्रीय भावनाएँ आगे चलकर एक ऐसी प्रबल राष्ट्रीय ज्योति और राष्ट्रीय शक्ति को जन्म देती है जिसका विकसित रूप आगे चलकर राष्ट्र की स्वतंत्रता में परिणित होता है।

कांग्रेस के जन्म के बाद दक्षिण भारत में एक जबरदस्त राष्ट्रीय लहर उठती है, जिसका प्रधान संचालन बाबू गङ्गाधर तिलक और उनके कुछ साथी करते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं तिलक भारतीय राष्ट्रीय शक्ति के आद्यजनक थे। अपने समय में उन्होंने स्वराज्य संग्राम में सबसे अधिक प्रमुखता का भाग लिया। आपके साथियों में श्री चिपलुनकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्री चिपलुनकर बड़े प्रभावशाली लेखक थे। उन्होंने अपनी ग्रन्थ माळा द्वारा देश को राष्ट्रीयता का संदेश दिया, और उसे अपने प्राचीन गौरव का भाग बरवाया। उनकी राष्ट्रीयता पर-राष्ट्र द्वेषी न थी। वे दूसरे देशों के गुणों को लेकर अपनी संस्कृति में उन्हें आत्मसात करने के पक्ष में थे, पर वे इस बात के विरोधी थे कि इस राष्ट्र को पश्चिमी सभ्यता के रंग से सांगोपांग रंग दिया जाय। अपनी भारतीय संस्कृति का भी उन्हें बड़ा अभिमान था और उनका विचार था कि यह संस्कृति, मनुष्य जाति को विकास का एक नया संदेश दे सकती है। इतने पर भी अन्य देशों की संस्कृति के पुष्टिकारक तत्वों को लेकर अपनी संस्कृति को संपुष्ट बनाने के पक्ष का उन्होंने हमेशा समर्थन किया था। सि० चिपलुनकर ईस्वी सन् १८८२ में केवल बर्तास वर्ष की अवस्था

में स्वर्गवासी हो गये। आपकी ग्रन्थमाला मराठी साहित्य में आज भी एक अनमोल निधि समझी जाती है।

श्रीमान् बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ाया और थोड़े ही समय में वे तत्काल राष्ट्र के एक अग्रगामी नेता समझे जाने लगे। हां! सामाजिक विषयों में लोकमान्य तिलक का दृष्टिकोण पौराणिक दृष्टिकोण के अनुकूल था वे सामाजिक सुधार में शासन के हस्तक्षेप को अनुचित समझते थे। इस विषय में तत्कालीन समाज सुधारकों से उनका बड़ा मतभेद था।

लोकमान्य तिलक ने भारतवासियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भली प्रकार समझा था। उन्होंने भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये गणपति उत्सव आदि धार्मिक पर्वों का आश्रय लिया। एशियाई राष्ट्रों की मनोवृत्ति में धार्मिक तत्व प्रबलता से बैठा हुआ है और इसके सहारे से राजनैतिक आन्दोलन को जीवन शक्ति मिल सकती है। इस भावना से प्रेरित होकर भारतीय पर्वों द्वारा राष्ट्रीय ज्योति को जागृत करने का उन्होंने उपक्रम किया। ईस्वी सन् १८८८ में आप पूना के सुप्रसिद्ध पत्र "केसरी" के संपादक हुए। इस पत्र का उस समय वही महत्त्व था जैसा कि लंदन में लंडन टाइम्स का है। लोकमान्य तिलक के हाथों में यह पत्र राष्ट्रीयता का एक बड़ा जबरदस्त साधन बन गया। राजनीति में इसकी जड़ें राष्ट्रीयता की दृढ़ भूमि पर स्थित थी। इस पत्र ने विदेशी सत्ता का जोरदार विरोध करना शुरू किया और लोगों में स्वदेश भक्ति, राष्ट्रीय सन्मान, राष्ट्रीय एकता, आत्म त्याग और अन्धाय के विरुद्ध खड़े रहने की शक्ति आदि आदि तत्वों को बढ़े जोर और के साथ प्रचार किया। इसके अतिरिक्त इस पत्र ने आन्दोलन करने की पाश्चात्य पद्धतियों की शिक्षा देना भी शुरू किया।

ईस्वी सन् १८९५ में लोकमान्य तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाने का भी उपक्रम किया। इस उत्सव ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता की ज्योति

को प्रज्वलित करने में सबसे बड़ा भाग लिया। इसके अतिरिक्त इन उत्सवों के द्वारा लोगों की धर्म-भावना और ऐतिहासिक विभूतियों के प्रति पूज्य भावना बढ़ाने का प्रयत्न किया। यह उत्सव सारे महाराष्ट्र में मनाये जाने लगे।

एशिया के राजनैतिक मंच पर कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिन्होंने भारतवासियों के आत्म-विश्वास को बढ़ाने में बड़ी सहायता दी। ईस्वी सन् १८६६ में हिन्दुस्तान पर दो महान् संकट आये। एक अकाल का और दूसरा प्लेग का। अकाल निवारण के लिये लोकमान्य तिलक ने निश्चय किया कि सार्वजनिक सभा द्वारा किसानों का लगान माफ़ अथवा स्थगित कराया जाय और इसके लिये उनमें जागृति की जाय। इसके द्वारा उन्होंने किसानों में अपने हकों का ज्ञान उत्पन्न करने और विधिविहित रीति से उन्हें सरकार से किस प्रकार बढ़ना चाहिये यह सिखाना शुरू किया। सार्वजनिक सभा के द्वारा हर गाँव में जाकर यह प्रचार किया गया कि पैदावार नहीं हुई है तो लगान मत जमा कराओ। इधर 'केसरी' के द्वारा भी इस संबंध में खूब हलचल शुरू की जिससे लोगों में हिम्मत आने लगी और किसान हजारों की तादाद में सभाओं में आने लगे। इस पर सरकारी अधिकारी तिलक महाराज को 'हिन्दुस्तान का पारनेल' कहकर उनकी निन्दा करने लगे। पर लोगों में इस आन्दोलन का अच्छा प्रभाव पड़ा और लोकमान्य तिलक का लोक सम्मान दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। उनके अनुयायियों की संख्या महाराष्ट्र में बढ़ने लगी। जिस तरुण, तेजस्वी और स्वात्याभिमानों राष्ट्रीय पक्ष का जन्म हाल ही में हुआ था, उसके वे अर्धयु माने जाने लगे। यह पक्ष सरकार से बड़ी शानवान के साथ बरतता था और सरकार जो काम लोक-हित के प्रतिकूल करती उनका सच्चा स्वरूप प्रकट करके उसकी वह कड़ी आलोचना करता था। हिन्दुत्व का इस पक्ष को बड़ा ही अभिमान था, और देश के लिये हर तरह का स्वार्थ त्याग करने के लिये

वह तैयार रहता था। अतएव यह पक्ष सरकार की आँखों में खटकने लगा। पर सरकार भी अन्दर ही अन्दर तिलक के महत्त्व को मानने लगी। तिलक के कट्टर विरोधी और तत्कालीन सत्कारी पक्ष के समर्थक सर शिरोड ने तिलक को नई राष्ट्रीयता के अवतार के रूप में स्वीकार किया था*।

ईस्वी सन् १८९७ में पूना में भयंकर रूप में प्लेग की बीमारी फैली। इसके एक ही वर्ष पहले, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, दक्षिण में अकाल पड़ चुका था। लोग पहले ही से परेशान थे और प्लेग की इस भयंकर बला के कारण लोगों के कष्ट बहुत ही अधिक बढ़ गये। उनके दुःखों का पारावार न रहा। सरकार ने प्लेग की रोक के लिए कारंटाइन आदि का जो प्रबन्ध किया वह इतना कष्टकर था कि इन संक्रमाओं की अपेक्षा तो लोग रोग से मर जाना अच्छा समझने लगे। कहा जाता है कि गोरे सोबजरो ने नगर के मकानों को धुलाते समय खियों तक पर अत्याचार और बलात्कार किये। माननीय मि० गोखले ने विधायक में इन अत्याचारों का जोरदार विरोध किया। कहने का सारंश यह है कि लोगों में त्राहि त्राहि मच गई। युवकों में विशेष उत्तेजना फैली आखिर चाफेकर नाम के एक महाराष्ट्र युवक ने ता० २७ जून १८९७ में उक्त प्लेग कमेटी के प्रेसीडेन्ट मि० रैंड का खून कर डाला! इस खून ने सारे हिन्दुस्तान में सनसनी फैला दी! सरकार के होश भी मुकाम पर न रहे। सरकार के दिल में यह बात जंच गई कि 'केसरी' के लेखों से ही लोगों को इस खून करने की उत्तेजना मिली। तिलक पर पहले से सरकार का रोष था ही, तिस पर भी अकाल के दिनों में उन्होंने प्रजा को यह स्पष्ट उपदेश दिया था कि यदि गुञ्जायश न हो तो 'लगान न दो'। शिवाजी उत्सव के बदीखत जो चैतन्य लोगों में उत्पन्न हो रहा था उसे भी सरकार सहन नहीं कर सकी। उसने सोचा कि इन सारी

आफतों की जड़ 'तिलक' है। अतएव उसने 'केसरी' के उन लेखों के सम्बन्ध में, जो खून के कुछ समय पहले प्रकाशित हुए थे, तिलक को ईस्वी सन् १८६७ की २७ जुलाई को गिरफ्तार कर लिया और बम्बई हाईकोर्ट में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जस्टिस स्ट्राची के इजलास में मुकदमा चला और उसमें छः यूरोपियन तथा तीन हिन्दुस्तानी मित्रकर १ पुरुषों की ज्यूरी थी। तिलक के बचाव में अन्यान्य कारखों के अलावा एक कारण यह भी पेश किया था कि मूल लेख मराठी में हैं। उनके अंग्रेजी अनुवाद में मूल लेख का अलखी रूप कायम नहीं रहता। इस दशा में यह निर्णय करने के लिये कि उनका पाठकों पर क्या प्रभाव होगा मराठी जानने वालों की ज्यूरी होनी चाहिए। परन्तु उनकी वह आपत्ति नहीं मानी गई। ज्यूरी में छः पुरुष मराठी न जानने वाले यूरोपियन थे, और उन्हीं का मताधिक्य था। यह बात याद रखने योग्य है कि शेष ३ ज्यूरों ने जो मराठी जानने वाले थे, तिलक को निर्दोष करार दिया और छहों यूरोपियनों ने उन्हें अपराधी ठहराया और जज स्ट्राची ने उन्हें १८ महीने की सजा ठोक दी।

भारतवर्ष के राजनैतिक विकास में यह घटना बड़ी महत्वपूर्ण समझी जाने लगी। नवयुवकों के तो तिलक मानों हृदय-सम्राट् हो गये। जिस अविचल धैर्य और शान्ति के साथ तिलक ने इस विपत्ति का सामना किया, उससे उनका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया।

इस समय लोकमान्य तिलक के कई मित्रों ने उन्हें यह सलाह दी कि वे माफी मांग कर छूट जावें, पर तिलक ने इस राय को न माना।

लोकमान्य ने अमृत बाजार पत्रिका के तत्कालिन सम्पादक बाबू मोतीलाल घोष को जो पत्र लिखा था, उसका कुछ अंश हम नीचे उद्धृत करते हैं:—“मित्र लोग माफी मांगने का अनुरोध कर रहे हैं। परन्तु मुझे तो निश्चय है कि मैं निर्दोष हूँ। इस दशा में माफी मांगकर अपमान पूर्वक अपने देश भाईयों में रहने की अपेक्षा कालेपानी को चला जाना

मुझे मंजूर है।”

लोकमान्य तिलक का हिमालय पर्वत की चट्टानों की तरह अविचल और दृढ़ निश्चय, उनकी अनुपम त्याग-भावना, उनकी देश के लिये कष्ट उठाने की अलौकिक शक्ति ने उन्हें राष्ट्र के देवता के रूप में पूजवाया और उनके इन महान् गुणों ने देश में नव चैतन्य और नवजीवन का संचार करने में बड़ा काम किया। तिलक राष्ट्र के एक महान् शक्ति के रूप में माने जाने लगे। उन्होंने अपने देशवासियों को मानव स्वाधीनता और मानव अधिकारों के लिये लड़ने की शिक्षा दी।

इसी बीच में कुछ ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ हुईं जिसने अन्य एशियाई राष्ट्रों की तरह भारतीय राष्ट्र पर भी आरोग्यशाली प्रभाव डाला। इस घटना में रूस जापान के युद्ध का समावेश होता है।

ईस्वी सन् १९०३ का रूस आजकल का रूस नहीं था। उस समय रूस की जनता जार के अत्याचारों से पीड़ित थी। लोगों में घोर असन्तोष छाया हुआ था। इसके विपरीत जापान बढ़ी तरफ़ी कर रहा था। औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति में वह यूरोप के प्रगतिशील राष्ट्रों की बराबरी करने लगा था। ऐसे समय में रूस जापान का युद्ध हुआ और एक छोटे से एशियाई राष्ट्र जापान ने विशालकाय यूरोपियन राष्ट्र रूस को बुरी तरह पछाड़ा। इससे यूरोपियन राष्ट्रों का एशियाई राष्ट्रों पर जो दबदबा था वह काफ़ूर हो गया, और एशियाई राष्ट्र भी पूर्ण स्वाधीन होने का स्वप्न देखने लगे। भारतवर्ष के राष्ट्रीय जीवन पर भी इसका काफ़ी असर हुआ और यहाँ के नवयुवकों में न केवल स्वाधीनता की भावना ही प्रबल हुई, पर वे इस राष्ट्र को अन्य प्रगतिशील और शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त करवाने में सचेष्ट हुए।

लॉर्ड कर्जन का आगमन



जैसा कि हम गत अध्यायों में देख चुके हैं भारतवर्ष प्रोग, अकाब और राजनैतिक दमन से दुःखी हो रहा था। ऐसे समय में भारतवर्ष में लॉर्ड एल्गिन की जगह पर लॉर्ड कर्जन वाइसराय बनकर आये। उन्न में अब तक के आये हुए वाइसरायों से ये सबसे छोटे थे। ये बड़े प्रतिभा-शाली और साम्राज्य-मनोवृत्ति के वाइसराय थे। इसके पहले विन्हायत में वे भारत के उपसचिव भी रह चुके थे। ये बड़े प्रभावशाली वक्ता थे। वे शासन सुधार करना चाहते थे और भारतवर्ष के कृषक समुदाय की प्रगति भी उनका लक्ष्य था। पर वे भारत की राजनैतिक आकांक्षाओं के कट्टर शत्रु थे। वे भारत की राजनैतिक स्वाधीनता की कल्पना तक न कर सकते थे। उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के अनुकूल जो मार्ग स्वीकार किया उससे देश में असन्तोष की जैसी ज्वाला भड़क उठी, उसका वर्णन अगले अध्यायों में किया जायगा।



बंगभंग



जैसा कि ऊपर कहा गया है, ईसवी सन् १८६६ में लार्ड कर्जन भारत के वाइसराय बनकर आये। उनका शासन काल भारतीय इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात करता है। इस समय तक का सारा राष्ट्रीय आन्दोलन शिक्षित हिन्दू युवकों तक ही सम्बद्ध था। बंगाल और महाराष्ट्र के हिन्दू इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए थे। बंगाल में दिन दिन राष्ट्रीय भावना फैलती जा रही थी। लार्ड कर्जन ने इस प्रगति को रोकने और उस पर अंकुश रखने के लिए दो उपाय किये। सबसे पहले उन्होंने, १९०४ में, विश्व विद्यालयों के लिये एक कानून बनाकर शिक्षा की बागडोर सरकार के हाथ में दे दी। इससे भारत के शिक्षित युवकों में असन्तोष फैल गया। इधर यह किया गया, उधर बंगाल में बढ़ती हुई जागृति का बल तोड़ने के लिये भेद डालकर शासन करने की नीति का व्यवहार किया गया। मुसलमानों के प्रभाव को बढ़ाकर जागृति एवं राष्ट्रवादी हिन्दुओं के मुकाबले में "बैलेन्स" (सन्तुलन) बनाये रखने के खयाल से १९०५ ईसवी में बंगाल को दो टुकड़ों में बाँट दिया गया। यद्यपि कहा यह गया कि शासन की सुविधा के लिये ऐसा किया जा रहा है।

लार्ड कर्जन के इस कुत्सित कार्य से सारे बंगाल में आग सी लग गई। बंगाल के छोटे छोटे गांवों तक में विरोध सभायें होकर बंगभंग के कुत्सित कार्य के प्रति घोर घृणा प्रकट की गई। सारे बंगाल के बंगाली मिल गये। उन्होंने निश्चय कर लिया कि लार्ड कर्जन बंगाल के दो टुकड़े कर सकते हैं, पर वे हमारे हृदय के दो टुकड़े नहीं कर सकते। इसी

दिव्य भावना को लिखे हुए उस वक्त सारा बंगाल एक हृदय सा हो गया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये सब बंगाली सपूत मिल गये। क्या श्रीमती, क्या गरीब, सब लोग एक हृदय से बंगभंग का विरोध करने लगे। सारे बंगाल प्रान्त में बा यों कहिए कि सारे भारतवर्ष में लॉर्ड कर्जन के इस कार्य से सनसनी फैल गई। सन् १६०३ के दिसम्बर मास से सन् १६०५ के अक्टूबर मास तक बंगाल में लगभग २००० सभाएं हुईं। पाठक यह सुनकर आश्चर्य करेंगे कि उस समय भी कुछ कुछ सभाओं में ५०००० आदमी तक इकट्ठा होते थे। हिन्दू और मुसलमान समान रूप से उत्साह प्रदर्शित करते थे। ढाके के स्वर्गीय नवाब सर सखीमुल्ला ने लॉर्ड कर्जन के इस कार्य को पाशविक व्यवस्था (Beastly arrangement) कहा था। सन् १६०५ की ११ वीं मार्च को डाक्टर रासबिहारी घोष के सभापतित्व में जो सभा हुई थी और जिसमें बंगाल के हजारों सपूत जमा हुए थे, उसमें लॉर्ड कर्जन के इस कुत्सित कार्य के प्रति तीव्र घृणा प्रकट की गई थी। ७ अगस्त को कलकत्ते में माननीय महाराजा सर मनीन्द्रचन्द्र नन्दी कासिमबाजार के सभापतित्व में जो सभा हुई, उसमें मानों सारे कलकत्ते का जन समाज उल्ट गया था। उसमें बंगभंग का धोर विरोध किया गया और इसके प्रतिकार के लिये स्वदेशी आन्दोलन का आरम्भ और विदेशी माल के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया। कविवर रवीन्द्रनाथ टैगौर के सुभाष पर १६ अक्टूबर का दिन राखी बन्धन के पर्व के उपलक्ष्य में सारे बंगाल में मनाया गया। इस दिन बंगाल भर में बंगालियों ने उपवास किये और शोक मनाया। उन्होंने एक स्वर से यह निश्चय किया कि चाहे लॉर्ड कर्जन बंगाल के टुकड़े कर दें, पर हम लोग न केवल बंगाल के बाह्य शरीर ही को मिला देंगे पर उसकी आत्मा को भी एक कर देंगे। संसार की कोई शक्ति हमें विभक्त नहीं कर सकती। बंगाल में इतना जोश फैला कि बिस्तरों पर पड़े हुए रोगी भी नवजीवन अनुभव करने लगे। कांग्रेस

के भूतपूर्व सभापति आनन्द मोहन बोस अपनी रोग शय्या से उठकर आराम कुर्सी पर बैठकर इन विरोध सभाओं में जाकर लोगों का उत्साह बढ़ाते थे। कहने का मतलब यह है कि इसके पहले भारत के ब्रिटिश शासन के इतिहास में ऐसा मौका कभी न आया कि किसी वाइसराय के कार्य पर इस तरह घृणा प्रकट की गई हो। लॉर्ड कर्ज़न को इससे बहुत बुरा मालूम हुआ। वे आग बबूला हो गये! अब वे यह प्रयत्न करने लगे कि किसी तरह हिन्दू और मुसलमानों में फूट पड़ जाय। इसके लिये कर्ज़न पूर्वी बंगाल को तशरीफ़ ले गये और मुसलमानों की बड़ी सभायें कर उन्होंने यह संदेश सुनाया कि बंगभंग केवल शासन के सुविधा के लिये ही नहीं किया गया है, पर इसका एक उद्देश्य यह भी है कि नया मुसलमानी प्रान्त कायम हो जाय और उसमें मुसलमानों की प्रधानता रहे। इससे मुसलमानों के चित्त पर कुछ असर हो गया। जिन नबाब सर सलीमुल्लाहों ने पहले लॉर्ड कर्ज़न के बंगभंग कार्य को "पाशविक व्यवस्था" कहा था, वे भी दूसरी ओर मुक गये। हां, कुछ दूरदर्शी और सुशिक्षित मुसलमान जटिल बने रहे और वे बंगभंग का बराबर विरोध करते रहे।

बंगभंग का आन्दोलन जोर शोर से चलता रहा। पहले सरकार के पास सैकड़ों आवेदन पत्र (Memorial) भेजे गये। एक आवेदन पत्र पर, जो स्टेट सेक्रेटरी को भेजा गया था, कोई ७०००० बंग निवासियों के हस्ताक्षर थे। पर सरकार ने बहुत दिनों तक चुप्पी साधी।

किसी का कुछ जवाब नहीं दिया। बंगालियों ने आन्दोलन बराबर शुरू रखा। अखिर में सन् १९०५ में अकस्मात् यह सूचना प्रकट हुई कि स्टेट सेक्रेटरी ने बङ्गभङ्ग को मंजूर कर लिया है, और भङ्ग किये हुए नये प्रान्त में उत्तरीय बङ्गाल के छः जिले मिलाये जायेंगे। सारे देश के मत का निरादर कर सरकार ने बङ्गभङ्ग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इससे बड़ी भारी आग भमक उठी। लोगों को मालूम होने लगा कि दिवंगों की आवाज़ की कहीं पर्वाह नहीं की जाती। प्रार्थनाओं से कुछ

खाम नहीं होता। जब तक मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा रहना नहीं सीखता, तब तक उसकी कोई कदर नहीं होती। सरकार के इस कार्य से बङ्गाल निवासी निराश न हुए। उनकी जीवन-शक्ति दूनी हो गई। उनमें अपूर्व उत्साह और अद्वितीय देशभक्ति की लहर बह चली। बाबू कृष्णकुमार मित्र ने बङ्गाल के सुप्रसिद्ध पत्र, 'संजीवन' में जोरदार लेख लिख कर बङ्गालियों से ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने के लिये अपील की। "इण्डियन असोसिएशन" में बङ्गाल के दस बारह नेताओं ने मिलकर बङ्गभङ्ग के विरोध में विदेशी माल का बहिष्कार करने का निश्चय किया। इसी साल की ७ अगस्त को कलकत्ते में एक बृहत् सभा हुई जिसमें स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात किया गया। इसके बाद बङ्गालियों का उत्साह अत्यन्त तीव्रता धारण करता गया। १६ अक्टूबर सन् १९०२ को बंगाल में जो अपूर्व दृश्य देखा गया, वह भारत के इतिहास में अनोखा है। कहा जाता है कि जब महाराजा नन्दकुमार को वारेन हेस्टिंग्स ने अन्धाय से फाँसी पर चढ़ाया था, उस वक्त को छोड़ कर ऐसा दृश्य कभी उपस्थित नहीं हुआ था। महाराजा नन्दकुमार को फाँसी हो जाने के बाद बङ्गाल के लाखों नर-नारी नंगे पैर और नंगे सिर इस लिये गङ्ग-स्नान करने गये थे कि उन्होंने एक निर्दोष ब्राह्मण को फाँसी पर लटकते हुए देखने का महापाप किया था। इसी प्रकार १६ अक्टूबर को हज़ारों-लाखों बङ्गाली राष्ट्रीय गीत गाते हुए नंगे पैर और खुले बदन बन्धुत्व की राखी बाँधते हुए तथा वन्देमातरम् की जय घोषणा करते हुए गङ्ग-स्नान के लिये जा रहे थे। बड़ा ही अपूर्व और हृदयस्पर्शी दृश्य था। जहाँ लॉर्ड कर्ज़न ने भाई-भाई को आपस में विभक्त कर देना चाहा था वहाँ उस दिन बङ्गाल के लाखों-करोड़ों सपूत एक हृदय और एक मन हो रहे थे। लाखों में प्रेमाश्रु लुटाकर एक दूसरे के गले लगा कर मिल रहे थे। वे ईश्वर और भारत माता के सामने हाथ कर के यह प्रतिज्ञा कर रहे थे कि हम सदा के लिये एक हो रहे हैं। संसार का कोई प्रलोभन अब हमें जुदा न कर

सकेगा। आज हज़ारों-लाखों बङ्गाली विदेशी माल का बहिष्कार कर रहे थे और स्वदेशी माल का व्रत ले रहे थे। इस अपूर्व सम्मेलन में स्त्री-पुरुष बच्चे सब शामिल थे। देश के नवयुवकगण भारतमाता के उद्धार के लिये चिंतन कर रहे थे। इतना अधिक उत्साह बढ़ा हुआ था कि बङ्गाल के कई प्रान्तों में अधिकारियों ने शान्ति भङ्ग होने के डर से असाधारण उपायों का (Extraordinary) अवलम्बन किया। बङ्गाली भाई भी इससे न डरे। उन्होंने निश्चय किया था कि अगर अधिकारी दमन-नीति का अवलम्बन करेंगे तो हम सत्याग्रह करेंगे। पर इस समय सब काम सकुशल और वैध रीति से हो गया। बङ्गाली बन्धुओं ने विभक्त बंगाल का नाम संयुक्त बङ्गाल रखा। कई वर्षों तक यह आन्दोलन बड़े ज़ोरों के साथ चलता रहा।

लॉर्ड कर्ज़न ने जो मन में विचारा था, कर डाला। लोकमत को उन्होंने बुरी तरह ठुकराया। एंग्लो इण्डियन पत्र, जो हमेशा भारतीय आकांक्षाओं का विरोध करते रहते हैं, उन्होंने भी लॉर्ड कर्ज़न के इस कार्यों को पसन्द नहीं किया।

बङ्ग-विच्छेद के सम्बन्ध में स्टेट्समेन पत्र के सम्पादक ने एक बड़ा ही अच्छा लेख प्रकाशित किया था। उसने भी इस कार्य की घोर निन्दा की थी। 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' ने ये भाव प्रकाशित किये थे:—

“One might well wish that Lord Curzon had not returned to India for the second time, for he could not have chosen a more effective way of wrecking his reputation than he has done.”

इसका भाव यह है कि अच्छा होता अगर लॉर्ड कर्ज़न दूसरी मर्तबा हिन्दुस्थान को लौट कर न आते। क्योंकि इससे वे अपनी इज्जत बरबाद करनेवाले मार्ग का अवलम्बन नहीं कर सकते। इसी प्रकार 'इङ्गलिशमैन', 'स्टेट्समैन', 'डेबी न्यूज़' आदि कई एंग्लो इण्डियन पत्रों ने लॉर्ड कर्ज़न

के इस अदूरदर्शी और स्वेच्छाचारी कार्य की तीव्र निन्दा की थी ।

लॉर्ड कर्ज़न के इस कुत्सित कार्य से केवल बङ्गाल में नहीं, सारे भारतवर्ष में आग लग गई । राष्ट्रीय दल की तो बात जाने दीजिये । मि० सुब्बा राव, माननीय मि० गोखले, माननीय मि० मुधोलकर जैसे नर्म नेताओं ने भी एक स्वर से लॉर्ड कर्ज़न के इस कार्य का तीव्र विरोध किया । माननीय मि० गोखले ने बङ्गभङ्ग का विरोध करते हुए कहा था:-

“ A cruel wrong has been inflicted on our Bengalee brethren, and the whole country has been stirred to its deepest depths in sorrow, and in resentment, as has never been the case before. The scheme of partition, concocted in the dark and carried out in the face of the fiercest opposition that any Government measure has encountered during the last half-a-century, will always stand as a complete illustration of the worst features of bureaucratic rule, its utter contempt for public opinion, its arrogant pretensions to superior wisdom, its reckless disregard of the most cherished feelings of the people, the mockery of an appeal to its sense of justice, its cool preference of service interests to those of the governed. ”

अर्थात्, “हमारे बङ्गाली भाइयों पर दुष्टतापूर्ण अन्याय किया गया है और सारा देश इतने गहरे दुःख और क्रोध से विकम्पित हो गया है जैसा कि वह कभी नहीं हुआ था । बङ्गभङ्ग की योजना अंधेरे में बनाई गई और जनता के अत्यन्त भयङ्कर विरोध के होते हुए भी अमल में लाई गई । गत अर्ध शताब्दी में सरकार का इतना भयङ्कर विरोध न

हुआ, जैसा कि इस समय हुआ। यह घटना नौकरशाही के निकृष्टतम स्वरूप का, उसके द्वारा किये गये लोकमत की अवहेलना का, उसके उच्च बुद्धिमत्ता के घमण्ड का, और उसके द्वारा लोगों के भावों को निर्दयतापूर्वक कुचलने की मनोवृत्ति का और शासित लोगों के बजाय सरकारी नौकरों के हितों को अधिक महत्व देने का स्पष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार देश के गर्म और नरम सब नेताओं ने एक स्वर से बङ्गभङ्ग का विरोध किया। सारे देश में राष्ट्रीय भावनाओं का मानो जबरदस्त प्रभाव आ गया। विजायत के भी कुछ उदार-हृदय सज्जनों ने इसका विरोध किया। लॉर्ड मेकडानरड ने तो बङ्गभङ्ग के कार्य के लिये यहाँ तक कह डाला था:—

“The hugest blunder committed since the battle of Plassy.”

अर्थात् “प्लासी के युद्ध के बाद की भूलों में यह सब से भारी भूल थी।”

पाल्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्डस् में भारत के भूतपूर्व वाइसराय मारक्विस ऑफ रिपन ने अपने बुढ़ापे में लॉर्ड कज़न के इस अदृष्टिपूर्व कार्य के खिलाफ जोर की आवाज़ उठाई थी। पर उस समय ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई खास असर न हुआ। तत्कालीन भारत-सेक्रेटरी लॉर्ड मार्ले ने बङ्गभङ्ग को एक निश्चित घटना (Settled fact) कह कर लोकमत की बड़ी अवहेलना की।

बन्दे मातरम् पर रोक

बङ्गाल के राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ-साथ सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय उपन्यासकार श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी का बन्दे मातरम् नामक राष्ट्रीय गीत भी बहुत लोक-प्रिय हो गया। इस गीत ने उस समय लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिये बड़ा काम किया। न केवल बङ्गाल ही में वरन् सारे भारतवर्ष में यह गीत गाया जाने लगा। इससे लोग राष्ट्रीय जीवन

की दिव्य प्रेरणा पाने लगे । यह बात भी तत्कालीन नौकरशाही को सहन न हुई और ईस्वी सन् १९०५ के नवम्बर मस में ले० गवर्नर फुल्लर के सेक्रेटरी ने हुक्म जारी किया कि “वन्दे मातरम्” का नारा न लगाया जाय । इसके सिवा स्वदेशी और बहिष्कार-आन्दोलन को दबाने के लिये गुरखों को बुला कर फौजी-शासन का दौर-दौरा शुरू किया ।

इसका विरोध करने के लिये ईसवी सन् १९०६ में बरीलाह में प्रांतीय परिषद् के अधिवेशन की आयोजना की गई । जब इसकी खबर अधिकारियों को लगी तो उन्होंने तुरन्त यह आज्ञा निकाली कि इसमें विद्यार्थी भाग न लें । जिन विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें जायेंगे उनको दी जाने-वाली सरकारी सहायता बन्द कर दी जायगी । लोगों ने इस अन्याय-मूलक आज्ञा को न मानने का निश्चय किया । परिषद् के सभापति के जुल्म में हजारों लोगों ने ‘वन्दे मातरम्’ का जयघोष किया और उसमें हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया । ‘वन्दे मातरम्’ का जयघोष होते ही सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी गिरफ्तार कर लिये गये । पुलिस की लाठियों से जुल्म-वालों के सिर फोड़े गये । इस पर लोकमान्य ने “केसरी” में लिखा था:—
“जिस प्रकार बाकायदा जुल्म लोगों पर किया जाता है उसी प्रकार शान्ति से, स्थिर भाव से और संकट के सामने हिम्मत न हार कर लोगों को दृढ़ निश्चय से जुल्मी हुकमों का प्रतिकार करना चाहिये । जुल्म आखिर जुल्म ही है, फिर वह बाकायदा हो या बेकायदा । जुल्म यदि बाकायदा है तो शान्ति और कष्ट-सहन के द्वारा दृढ़ निश्चय से उसका प्रतिकार करना चाहिये । बङ्गाल के लोगों ने इस को हुक्म न मान कर कष्ट सहन करने की अपनी इच्छा व स्वार्थ-त्याग के द्वारा यह दिखा दिया है कि यह आज्ञा अन्यायपूर्ण है ।

“इधर लोकमान्य तिलक ने लोगों में अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति का संचार किया, उधर बङ्गाल के तत्कालीन सुप्रसिद्ध नेता बाबू विपिनचन्द्र पाल ने ‘वन्दे मातरम्’ में यह जाहिर किया कि पूर्ण स्वत-

न्त्रता ही हमारा ध्येय है और सत्याग्रह अथवा निःशस्त्र प्रतिकार हमारा साधन । (१८ सितम्बर १९०६) । उसमें उन्होंने कहा है कि स्वतन्त्रता के ध्येय का अर्थ यह है कि विदेशी नियन्त्रण बिलकुल न रहे । यह बिलकुल विधि विहित ध्येय है । निष्क्रिय प्रतिरोध हमारा साधन है । इसका अर्थ यह हुआ कि हम सरकार को स्वेच्छापूर्वक किसी प्रकार की सहायता न दें । कौन कह सकता है कि ये साधन पूरी तरह विधि-विहित नहीं हैं ?”

कलकत्ते से निकलनेवाले ‘ वन्देमातरम् ’ नामक दैनिक पत्र ने यह स्पष्ट घोषणा की कि अगर ब्रिटिश शासन लोक-मत की उपेक्षा करता है और वह हमारे राष्ट्रीय आत्म-विकास के मार्ग में बाधक रूप होता है तो हमें ऐसे शासन से बिलकुल असहयोग करना चाहिए और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नवान होना चाहिए । बङ्गाल के एक दूसरे क्रान्तिकारक पत्र ‘ सन्ध्या ’ ने निर्भीकता के साथ लिखा था,—“ हम पूर्ण स्वाधीनता चाहते हैं । जब तक ब्रिटिश शासन का एक अंश भी बचा रहेगा तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते । स्वदेशी और बहिष्कार बिलकुल व्यर्थ और अर्थहीन है, अगर वे हमें पूर्ण स्वाधीनता तक पहुँचाने में सबल साधन न बन सकें ।”

कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश-शासन के प्रति घोर असन्तोष के बादल मँडराने लगे थे और ब्रिटिश शासन को उलटने के लिये क्रान्तिकारक षडयन्त्रों की सृष्टि होने लगी थी । कलकत्ता हाईकोर्ट के भूतपूर्व प्रधान न्यायपति सर लॉरेन्स जेकिन्स ने उस समय के क्रान्तिकारक वातावरण का जिक्र करते हुए लिखा था:—

“The leaders of the revolutionary movement seem to have advised a well-considerd plan for the mental training of their recruits. Not only did the Bhagavat Gita, the writings of Vivekanand,

the lives of Mazzinie and Garibaldi supply them with mental pabulam, but they prepared special text books containing distinctly revolutionary and inflammatory ideas. The most important of them, the "Mukti Kon Pathe" which means "what is the path of salvation", was a systematic treatise describing the measures which the revolutionaries should adopt in order to gain their ends. It condemned the low ideals of the National Congress, and while urging upon the young revolutionaries the desirability of joining the current agitations, exhorted them to do so with the ideal of freedom firmly implanted in their minds, as otherwise, real strength and training would never be acquired from them. It pointed out that it was not difficult to murder officials, that arms could be obtained by grim determination, that weapons could be prepared silently in secret places, and that young Indians could be sent to foreign countries to learn the art of making weapons. It advocated and justified the collection of money from society by thefts, robberies and other forcible methods. Above all it appealed to the revolutionaries to seek the assistance of Indian army. Although these soldiers, for the sake of their stomach, accept service in the Government of the ruling powers, still they are nothing but men made of

flesh and blood. They too know how to think; when, therefore, the revolutionaries explain to them the woes and miseries of the country, they in proper time, will swell the ranks of the revolutionaries with arms and weapons given them by the ruling power.....Aid in the shape of arms may be secretly obtained by securing the help of the foreign ruling powers.

अर्थात् क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेताओं ने अपने रंगरूयों की मानसिक शिक्षा के लिये सुविचार पूर्ण योजना बनाई थी। न केवल भगवद् गीता ही पर स्वामी विवेकानन्द के लेख और इटाली के देश भक्त माजिनी और गौरबाह्दी की जीवनियां भी उन्हें मानसिक भोजन देती थीं। इसके अतिरिक्त उक्त क्रान्तिकारक नेताओं ने इस प्रकार की विशिष्ट पाठ्य पुस्तकें तैयार की थीं, जिनमें क्रान्तिकारी और उत्तेजनात्मक भाव भरे हुए थे। इनमें सबसे अधिक महत्व पूर्ण "मुक्ति कौन पंथे" नामक ग्रन्थ था, जिसमें उन सब उपायों का सम्बद्ध विवेचन था जिन्हें अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये क्रान्तिकारियों को अपनाना चाहिए। इस ग्रन्थ में राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न आदर्शों के प्रति घृणा प्रकट की गई थी, और नवयुवक क्रान्तिकारियों को चालू आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिये आह्वान किया गया था। उसमें यह भी दिखलाया गया था कि अधिकारियों की हत्या करना मुश्किल नहीं है। दृढ़ निश्चय और प्रयत्न से हथियार प्राप्त हो सकते हैं, गुप्त स्थानों में अस्त्र-शस्त्र बनाये जा सकते हैं और हिन्दुस्थानी नवयुवक अस्त्र-शस्त्र बनाने की शिक्षा पाने के लिए विदेशों को भेजे जा सकते हैं। उक्त पुस्तक में चोरियों, दकैतियों, और अन्य हिंसात्मक उपायों द्वारा पैसा इकट्ठा करना भी न्यायोचित बतलाया गया था। इसके अतिरिक्त उसमें क्रान्तिकारियों से यह भी अपील की गई थी कि वे भारतीय सेना

से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यद्यपि यह सिपाही अपनी पेट के खातिर सरकार की सेवा स्वीकार करते हैं पर आखिर वे भी मांस और खून ही के बने हुए मनुष्य हैं। वे भी विचार करना जानते हैं। इसलिए यदि क्रान्तिकारी दल के लोग उन्हें देश के दुःख दर्दों को समझावेंगे तो वे योग्य समय पर क्रान्तिकारियों के दल में शासनशक्ति द्वारा दिये गये अस्त्र शस्त्रों सहित क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो जायेंगे।”

“इन सब बातों के अतिरिक्त इस पुस्तक में विदेशी राष्ट्रों से गुप्त रूप से शस्त्रादि प्राप्त करने का आदेश भी दिया गया था।”

कहने का मतलब यह है कि उस समय देश के नवयुवकों का खून जोश खा रहा था। राष्ट्र में और विशेषकर बङ्गाल में सशस्त्र क्रान्ति और गुप्त षड्यन्त्रों का जोशों से दौर-दौरा हो रहा था। विलायत में बसे हुए सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने इण्डियन सोश्याल-जाजिस्ट पत्र द्वारा जोर शोर से यह प्रचार करना शुरू कर दिया था कि हिन्दुस्थान में अब गुप्त रूप से तथा रूसी क्रान्तिकारियों के ढङ्ग पर आन्दोलन चलना चाहिए। इसी समय क्रान्तिकारी विचारों से ओत प्रोत भरे हुये श्री विनायक राव सावरकर श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा से विलायत में जा मिले और उन्होंने वहां भारतवर्ष में सशस्त्र क्रान्ति करने के लिये कुछ क्रान्तिकारक संस्थाओं की स्थापना की। उधर बङ्गाल में ‘युगान्तर,’ ‘सन्ध्या’ पत्रों के द्वारा गुप्त षड्यन्त्रों और सशस्त्र क्रान्ति का आन्दोलन फैलाया जा रहा था। वारीन्द्र कुमार घोष बङ्गाली युवकों का गुप्त रूप से संगठन कर रहे थे। अप्रैल १९०८ में बङ्गाल का पहला धड़ाका हुआ, जिस पर लेख लिखने के कारण लोकमान्य को सजा दी गई। सन् १९०८ से दो-तीन साल तक इस तरह एक ओर से गुप्त षड्यन्त्रकारियों तथा दूसरी तरफ से सरकारी आंतकवाद के दो दो हाथ हो रहे थे। इसका जिक्र हम एक स्वतंत्र अध्याय में करेंगे।

१९०७ की काँग्रेस



ईसवी सन् १९०७ का काँग्रेस अधिवेशन भारतवर्ष में जिस प्रकार राष्ट्रीय जागृति का सूत्रपात हो रहा था, उसका विविचन हम गत अध्यायों में कर चुके हैं। इस जागृतिका की लहर का प्रभाव काँग्रेस पर पड़ना भी अनिवार्य था। देश के नवयुवकों में नवीन खून का संचार हो रहा था। पिछले अनुभवों से लोगों में यह धारणा बलवती होती जा रही थी कि बिना पूर्ण स्वतन्त्रता के राष्ट्र की आत्मा का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, श्री अरविन्द घोष, श्री विपिनचन्द्र पाल आदि महान् नेता राष्ट्र की इस जागृत भावना का नेतृत्व कर रहे थे। वे काँग्रेस की प्रार्थना करने की नीति से ऊब उठे थे। वे उसे आगे बढ़ाना चाहते थे। वे चाहते थे कि काँग्रेस के पुराने नेताओं ने देखा कि सन् १९०७ की काँग्रेस में राष्ट्रीय दल आगे बढ़ना चाहता है, तब उन्होंने अनेक प्रकार की चाल बाजियाँ खेलना शुरू कीं।

काँग्रेस नागपुर में होने वाली थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय नागपुर में राष्ट्रीय दल के लोगों की ही विशेषता थी। चार्ले चर्चि गई और काँग्रेस का अधिवेशन सूरत में तबदील किया गया। नर्म नेताओं की अधिकता थी। कई भाड़े के डेक्कीगेट बना लिये गये थे। “वेन केन प्रकारेण” राष्ट्रीय दलवालों को गिराने की पूर्व से ही तैयारी कर ली गई थी। राष्ट्र की बढ़ती हुई आकाँक्षाओं को कुचलने का घृणित और नीच प्रयत्न पहले ही से कर रखा था। लोकमान्य तिलक, महात्मा अरविन्द घोष, बाबू विपिन चन्द्र पाल आदि राष्ट्रीय दल के नेताओं ने खूब प्रयत्न किया जिससे काँग्रेस में विघ्न न हो और देश की सच्ची

आकाँचाएँ कांग्रेस के सामने रखी जा सकें। पर उनकी एक न सुनी गई। उनके साथ सज्जनता का व्यवहार तक न किया गया। बेचारे लोकमान्य तिलक नर्म नेताओं से मिलने के लिये इधर उधर घूमते रहे। उन्होंने मेल करने का प्रयत्न किया पर किसी प्रकार सफल न हुए। कांग्रेस के पुराने लोगों ने सब मनमानी कार्रवाई कर ली। राष्ट्रीय दल की पूरी उपेक्षा की गई। अखिर को सबजेक्ट कमेटी में विशेष रूप से सर फिरोजशाह मेहता के अनुयायी भर दिये गये। इस कमेटी ने मनमाने रूप से डॉक्टर रास बिहारी घोष को सभापति चुन लिया। राष्ट्रीय दल की इच्छा थी कि लाला लाजपत राय, जो देश निकाले का दुःख भुगत कर आये हुए थे, सभापति बनाये जायँ, पर कांग्रेस के इन ठेकेदारों ने उनके इच्छा की तनिक भी पर्वाह न की। मतलब यह कि इन पुराने लोगों ने स्वेच्छाचारिता का पूरा परिचय दिया।

एक बात और ध्यान देने लायक है। राष्ट्रीय दल के नेताओं को कांग्रेस में प्लेटफॉर्म तक पर जगह न दी गई। राष्ट्रीय दल के नेता प्लेटफॉर्म के नीचे बैठाये गये। यहां तक कि भारतीय राष्ट्र के प्रधान सूत्रधार लोकमान्य तिलक, जिन्हें सारा राष्ट्र अपना उद्धार कर्ता समझता था और और अब भी समझता है, प्लेटफॉर्म पर न बैठाये गये। लोकमान्य तिलक जब अपना प्रस्ताव रखने के लिये प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगे तब एक गुँडे ने आकर उन्हें धक्का देना चाहा। स्वर्गीय मि० गोखले के मना करने पर वह गुँडा एक तर्क हुआ। लोकमान्य तिलक बड़ी मुश्किल से प्लेटफॉर्म पर चढ़ सके। प्रेसीडेन्ट ने उन्हें अपना प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा न दी। इस पर लोकमान्य ने प्रेसीडेन्ट से कह दिया कि आप वैध रीति से नहीं चुने गये हैं। इतने ही असें में चारों तरफ शोर गुल मचने लगा। जूते, पैजार तक का मौका आया। सर फीरोजशाह मेहता ने कांग्रेस में कई गुँडों की भर्ती कर रखी थी। वे लोग लोकमान्य पर झपटे। लोकमान्य के अनुयायियों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। इस गवकक का

था यों कहिये कि नर्म नेताओं की स्वेच्छाचारिता का यह परिणाम हुआ कि उस दिन अधिवेशन न हो सका। दूसरे और तीसरे दिन भी ज्यों ज्यों कार्यवाही कर ली गई। इस प्रकार नर्म दल के नेताओं की स्वेच्छाचार पूर्ण कार्यवाही से दस वर्ष तक कांग्रेस मृत्युशय्या पर पड़ी रही। दूसरे साल नागपुर में कांग्रेस होने वाली थी। पर स्वेच्छाचारी नौकरशाही ने नहीं होने दी।

इसके बाद सन् १९१६ तक कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनमें कुछ नर्म नेताओं और उनके चन्द अनुयायियों के सिवाय कोई नहीं जाता था। वह नाम मात्र की कांग्रेस रह गई थी। उसमें जीवन नहीं था। वह मृत प्रायः थी। देश की सच्ची आकाँक्षायें उसमें प्रकट नहीं की जा सकती थीं। जो लोग नेताओं की हाँ में हाँ मिलाने को राजी होते थे उन्हीं की कांग्रेस में गुजर होती थी। स्वतन्त्र विचार के लोग उसमें नहीं जा सकते थे। कांग्रेस डेल्हीगेट के रूप में जाने के पहले उनसे इस प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तख़त करवा लिये जाते थे कि हम कांग्रेस के अमुक अमुक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्यवाही करेंगे। ये उद्देश्य राष्ट्र के नहीं थे, नर्म नेताओं के थे। उस समय कांग्रेस मानसिक गुलामी के लिये अच्छा साधन बनी हुई थी। खैर, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सन् १९०६ की कांग्रेस को छोड़ कर सन् १९१६ तक की कांग्रेस नाटक का एक झूठा दृश्य था। उसमें वास्तविक राष्ट्रीय भावना नहीं थी। वास्तविक राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म सन् १९१७ में लखनऊ में हुआ। इसके आगे कांग्रेस का कैसा कैसा विकास होता गया, इसका वर्णन किसी अगले अध्याय में यथावसर करेंगे।



बङ्गभङ्ग के बाद ।

बङ्गभङ्ग ने भारतवर्ष को जगा दिया । इससे भारत को अपनी निःसहाय अवस्था का ज्ञान हुआ । उसमें नया जीवन और नयी स्फूर्ति का सञ्चार हुआ । उसके वायुमण्डल में राष्ट्रीय भावों के भाव मंडराने लगे । उसे मालूम होने लगा कि अपने देश का सूत्र अपने हाथ आये बिना कभी कल्याण नहीं हो सकता । देश की स्वतन्त्रता के भाव उठते हुए नवयुवकों के हृदय को फटकाने लगे । मतलब यह कि देश ने एक नये युग में प्रवेश किया । उसमें एक प्रकार की मानसिक क्रान्ति होने लगी । सारे देश में जीवनशक्ति की विद्युत् लहर चलने लगी । देश का नवयुवक समाज अपने प्यारे देश की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नवान होने लगा । पहले पहल उन्होंने स्वदेशी का शस्त्र धारण कर विदेशी माल का बहिष्कार करना शुरू किया । इसमें आंशिक सफलता भी हुई । पर देश के नवयुवक समाज को यह उपाय भी अपूर्ण जँचा । देश के स्वाधीन करने की अग्नि उसमें बढ़ी जोर से प्रज्वलित हो रही थी । इस कार्य की सफलता के लिये उन्होंने उस वक्त कुछ ऐसे मागों का अवलम्बन किया, जो पाश्चात्य थे, जो भारत के उच्च आदर्श के अनुकूल नहीं थे । यद्यपि भारत की नौकरशाही इनके इन कार्यों का जिम्मेदार थी, पर तो भी ये उपाय भारत के उच्चतम ध्येय के प्रतिकूल थे । ये उपाय प्रायः वही थे जो रूस के विप्लवकारियों ने, ज़ार के भयङ्कर अत्याचारों से तड़ आकर, अङ्गीकार किये थे । हम यहां संक्षेप से यह दिखलाना चाहते हैं कि भारत की नौकरशाही से तड़ आकर देश की स्वाधीनता के लिये हमारे कई नवयुवकों ने कैसे कैसे प्रयत्न किये । यहां हम यह संकेत कर देना उचित समझते हैं कि उनके वे उपाय असामयिक थे, क्योंकि भारत का आदर्श हमेशा से गुप्त षड्यन्त्रों से खिल्लाफ़ रहा है ।

बंगाल में क्रान्तिकारक उपाय ।



जब से बङ्गभङ्ग हुआ, तभी से बङ्गाल में एक क्रान्तिकारक दल उत्पन्न हुआ। यद्यपि इस दल का अन्तिम आदर्श स्वराज्य-प्रशंसनीय तथा पवित्र था पर उसकी प्राप्तिके मार्ग, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, ठीक नहीं थे। बङ्गभङ्ग के बाद ही से इस दल की ओर से कुछ कार्य होने लगे, पर सन् १९०८ के दिन ३० अप्रैल को जो बमकाण्ड हुआ उससे यह दल विशेष रूप से प्रकाश में आया। बमकाण्ड (Bomb-outrage) की घटना इस प्रकार है। ३० अप्रैल को एक गाड़ी पर मुज़फ्फरपुर में बम फेंका गया। इस गाड़ी में दो निर्दोष युरोपियन महिलाएँ बैठी हुई थीं। ये दोनों बम की शिकार बनीं। जाँच करने से मालूम हुआ कि बम फेंकने वालों का इरादा इन्हें मारने का नहीं था। वे मि० किंग्ज़फोर्ड की, जो कि कलकत्ते के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुके थे, हत्या करना चाहते थे। किंग्ज़फोर्ड के बदले दो निर्दोष महिलाओं की जानें गईं। इस भीषण हत्या के दो दिन बाद, इसी के सम्बन्ध में, दो नवयुवक पकड़े गये। एक ने अपना अपराध स्वीकार किया और उसको फाँसी की सज़ा हो गई!! दूसरे नवयुवक ने गिरफ्तारी के समय आत्महत्या कर ली !!

इस घटना ने कोहराम मचा दिया! अब बड़ी ज़ोर शोर से धर पकड़ होने लगी। २ मई को इसी हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में, पुलिस ने माथिक टोखा बाग़ की तलाशी लेकर, बम्ब, डिनामाईट आदि कुछ आपत्तिजनक चीजें प्राप्त कीं। ३४ मनुष्यों को भी उसने, इस सम्बन्ध में, गिरफ्तार किया। कहने की आवश्यकता नहीं की इनमें कई निर्दोष थे।

पीछे जाकर छुट भी गये । स्वनाम धन्य अरविन्द घोष जैसे महान् और दिव्य पुरुष को भी पुलिस ने इस भद्दे अपराध में गिरफ्तार कर लिया था । पीछे जाकर इनकी निर्दोषिता सिद्ध हुई और ये दोषमुक्त कर दिये गये । ३४ आदमियों में हाईकोर्ट के द्वारा केवल १५ अपराधी सिद्ध हुए । शेष छोड़ दिये गये । यह अभियोग अलिपुर अभियोग के नाम से मशहूर है और इसमें हमारे वर्तमान नेता देशबन्धु चितरंजनदास बैरिस्टर ने अभियुक्तों की ओर से जिस अद्भुत योग्यता और निःस्वार्थ भाव से पैरवी की, वह परम प्रशंसनीय है ।

इस अभियोग में नरेन्द्रनाथ गोस्वामी नामक नवयुवक सरकारी गवाह बन गया था । उसको जेल ही में अभियुक्त बा० कन्हैयालाल दत्त और सत्येन्द्रनाथ ने मार डाला । जेल में अभियुक्तों के हाथ पिस्तौल आदि कहीं से लगे, इस बात का पता पुलिस नहीं लगा सकी । कन्हैयालाल बड़ी निर्भीकतासे फाँसी पर चढ़ गया । सुप्रसिद्ध एङ्ग्लोइण्डियन पत्र पॉपुलीयर् ने उसकी तारीफ में एक लेख लिखा था । कन्हैयालाल का शव बड़ी धूमधाम से स्मशान पर पहुँचा । हजारों मनुष्य और बङ्गाली महिलाएँ शव के साथ थीं । कन्हैयालाल की राख लेने के लिये हजारों मनुष्य आतुर होने लगे । कन्हैयालाल के शव का यह अपूर्व सम्मान देख कर दूसरे अभियुक्त सत्येन्द्र का शव उसके कुटुम्बियों को नहीं दिया गया ।

१५ मई सन् १९०८ को कलकत्ते के ग्रे स्ट्रीट में बमकाण्ड हुआ । इसमें ४ आदमी जखमी हुए । इसके अतिरिक्त इस साल इस प्रकार की और भी कुछ छोटी मोटी घटनाएँ हुईं । रेल्वे पर भी कहीं कहीं बम फेंके गये । कुछ खुफिया पुलिस के अफसर भी षड्यन्त्रकारियों के शिकार बने ।

सन् १९०८ से सन् १९१४ या १९१५ तक बङ्गाल में कुछ ऐसे ढाके गिरे जिन्हें पुलिस राजनैतिक ढाके कहती थी । सन् १९०८ में ढाका

जिले के बरेइ ग्राम में एक भीषण डाका गिरा। कहा जाता है कि पचास आदमियों का एक मुण्ड रिवाल्वर्स और अन्य शस्त्र लेकर नांव में बैठकर उक्त ग्राम में आया और वहां एक धनिक के घर पर हमला किया। वे २१०००) या ३००००) का माल लेकर चंपत हुए। गांव के चौकीदार ने उन्हें रोकने की चेष्टा की। इस पर कहा जाता है कि वह मार डाला गया। गांव वालों ने उनका बहुत लम्बे दूर तक पीछा किया। उन्होंने इन गांव वालों पर भी गोलियां चलाईं। तीन आदमी जखमी हुए।

इसी साल के अर्थात् सन् १९०८ के ३० अक्टूबर को फ़रीदपुर डिस्ट्रिक्ट के नरिया जिले में एक और भीषण डाका पड़ा। इस गांव के पास ही नदी आ गई है। बड़ी दूर से कोई ४० या ५० सशस्त्र लोग नांव के द्वारा उक्त गांव पर बहूँचे। उन्होंने इस गांव में स्टीमर ऑफिस और तीन घरों को लूटा। इनका पता चलाने के लिये सरकार की ओर से १०००) का इनाम निकला। पर इसका कुछ फल नहीं हुआ। रॉलेट रिपोर्ट के लेखक इन दोनों डाकों का सम्बन्ध डाका समिति से बतलाते हैं ❀

इसी प्रकार इसी साल में बजितपुर, मैमनसिंह जिले आदि में भी कुछ इसी प्रकार के डाके गिरे। इनके सम्बन्ध में कुछ आदमी पकड़े गये और उनमें से कुछ को सज़ा हुई।

सन् १९०६ में भी यह अशान्ति बराबर बनी रही। १० फ़रवरी को सरकारी क्लीक मि० आशुतोष विश्वास मार डाले गये। ये नारायण गोस्वामी की हत्या के मामले में सरकार की ओर से पैरवी करते थे। हत्यारा पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा हुई। ३ जून सन् १९०६ को, षड्यन्त्री दल के द्वारा प्रियनाथ चैटर्जी का खून हुआ। कहा जाता है

❀ रॉलेट रिपोर्ट के लेखकों के मतानुसार यह समिति षड्यन्त्र कारियों की थी।

कि यह आदमी अपने भाई के बदले में ग़लती से मारा गया । इसके भाई ने एक मामले में सरकार की ओर से गवाही दी थी ।

इसी साल की १६ अगस्त को खुलना ज़िले के नेगला ग्राम में डाका पड़ा । ८ या ९ मुँह ढके हुए सशस्त्र ढकैत एक धनिक के घर में घुस पड़े और उसका बहुत सा माल लेकर चम्पत हुए । इस सम्बन्ध में कई संदेहास्पद लोगों की खाना तलाशी हुई जिनमें कुछ आपत्ति जनक साहित्य और विस्फोटक पदार्थ मिले । कुछ लोग गिरफ्तार किये गये और उन्हें सज़ा हुई ।

इसी साल के दिसम्बर मास में नासिक के कलेक्टर मि० जेकसन की हत्या हुई । इस सम्बन्ध में ७ आदमी गिरफ्तार किये गये, जिनमें से तीन को बहुत कड़ी सज़ा हुई । इसी सिलसिले में नासिक षड्यन्त्र का पता लगा जिसमें ३८ आदमी गिरफ्तार किये गये और २७ को सज़ा हुई ।

इधर तो भारत में, इस वक्त, यह काण्ड हो रहे थे और उधर विधायक में एक भारतीय विद्यार्थी के द्वारा सर कर्ज़न वाइली की हत्या हुई ।

गवालियर राज्य में भी एक षड्यन्त्र का पता लगा । इसमें कोई २२ ब्राह्मण गिरफ्तार किये गये । कहा जाता है कि ये नव भारत समिति नामक एक क्रान्तिकारक संस्था के सदस्य थे । इनकी जाँच के लिये एक खास अदालत बैठाई गई । अदालत द्वारा बहुत से नवयुवक दोषी पाये गये और उन्हें अज़हद कड़ी सज़ाएँ हुईं । बङ्गालमें वहाँके छोटे लाट सर एण्ड्रू फ़ेज़र की हत्या करने की एक नवयुवक विद्यार्थी ने असफल चेष्टा की । नवयुवक का निशाना चूक गया और लाट महोदय बाल बाल बच गये ! युवक पकड़ा गया और उसे दस वर्ष के कालेपानी की सज़ा हुई !



बंगाल में साहित्यिक जागरण



बंगाल में राजनैतिक जागृति के साथ साथ देश भक्ति पूर्ण साहित्यिक जागरण भी होने लगा । सुविख्यात उपन्यासकार बंकिमचन्द्र चटर्जी का 'आनन्द मठ' इस समय अत्यन्त लोकप्रिय हो गया, और देश भक्त बंगाली बन्धु-गण इससे प्रेरणा पाने लगे । इस ग्रन्थ का अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ । वन्देमातरम् गीत घर घर में गाया जाने लगा और वह राष्ट्र की आत्मा को देश भक्ति का दिव्य संदेश देने लगा । द्विजेन्द्रबाल रॉय के नाटक राष्ट्रीय भावना को फैलाने में बड़े सफल हुए और बंगाल का कोई ग्राम ऐसा न रहा जहाँ इस राष्ट्र गीत से देशभक्ति और राष्ट्रीयता का वातावरण फैला हो । इन नाटकों ने लोगों में इतनी उत्तेजना और जागृति फैलाई कि तत्कालीन सरकार ने इन नाटकों प्रकट करने का विचार किया । द्विजेन्द्रबाल रॉय के अतिरिक्त कवि सभ्राट् रवीन्द्रनाथ टैगोर, श्रीमती सरला देवी चौधरानो, मिस्टर ए० एफ० सेन और रजनीकान्त सेन आदि महान् साहित्यकारोंके ग्रन्थों और लेखोंने राष्ट्रीय ज्योति और राष्ट्रीय भावना फैलाने में विद्युत् सा काम किया । हिन्दू और मुसलमानों के वीरत्व को प्रकाशित करने वाले कई ग्रन्थ और काव्य प्रकाशित हुए और उन्होंने राष्ट्रकी आत्माको जागृत करनेमें और उसे नव-चेतन युक्त करने में अद्भुत काम किया । ऐसे राष्ट्रीय काव्य भी प्रकाशित किये गये जो भारतीय महानता और देश भक्ति के भावों से परिपूर्ण थे, और जिसमें राष्ट्र की आत्मा जागृत हो सकती थी । इस कार्य में बंगीय साहित्य परिषद् और राय बहादुर दिनेशचन्द्र सेन ने बड़ा काम किया । कलकत्ता युनिवर्सिटी पर इस बात के लिये बड़ा जोर डाला गया कि वह अपने पाठ्य क्रम में देशी भाषा को रक्खें । देशी भाषाओं के पत्र इस समय सूब चमके और उनका प्रचार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने

लगा। राष्ट्रीय भावनाओं को फैलाने में और राष्ट्रीय ज्योति को अधिक उग्रता के साथ प्रज्वलित करने में इन्होंने बड़ा काम किया। यह एक बड़ी जबरदस्त शक्ति हो गई।

राष्ट्रीय जागृति के साथ २ साहित्य और कला का विकास की बहुत जोरों से होने लगा। डॉ० अरुणोत्तम नाथ टैगोर और उनके भाई गजेन्द्र नाथ टैगोर, नन्दलाल बोस आदि कलाकारों ने भारतीय चित्रकला में नवीन जीवन डाला और उनकी कला न केवल भारतवर्ष में, पर संसार में, आदर की वस्तु हो गयी। संसार के कलाकारों को उन्होंने एक आदर्श पथ बतलाया। इन कलाकारों की चित्र-कला आदर्शवाद पर स्थित थी। मानव के आन्तरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रकट कर, सौंदर्य और ललितकला का वातावरण उत्पन्न करने में इसने बड़ी सहायता दी। राष्ट्रीय साहित्य के उत्पादन में श्री अरविंद घोष की दिव्य लेखनी ने भी बड़ा काम किया। अरविंद की मनोरचना आध्यात्मिक थी। उन्होंने अपने 'बन्देमातरम्' पत्र में तथा अन्य ग्रन्थों में यह दिखाया कि भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है और भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम का अन्तिम उद्देश्य मानव जाति का अखिल कल्याण है। वह अपने साथ सारी मनुष्य जाति को उठाकर उनकी आरम्भ तक को स्वतन्त्र करने की अभिलाषा रखता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी उस समय बङ्गाल ने बड़ी प्रगति की। सर जगदीश चन्द्र बोस ने वनस्पति में जीव होने के सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके भारत की प्राचीन मान्यता को सन्काई को प्रकट किया। इसी प्रकार सर पी० सी० रॉय ने रसायन-संसार में कई सार्क के अन्वेषण कर वैज्ञानिक संसार को नई देन दी।

कवि सम्राट् रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बङ्गाली भाषा में साहित्य और कला की कई मूल्यवान रचनाएँ कर राष्ट्र के सामने मानवता और देश भक्ति के उच्च आदर्शों को रक्खा।

कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक जागृति के साथ २ उस समय साहित्यिक जागरण भी बड़ी तीव्र गति से हो रहा था। —३६—

बङ्गभङ्ग के समय के भारतीय नेता ।



लाला लाजपतराय—लाला लाजपत राव 'पंजाब केसरी' के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी गणना लोकमान्य तिलकके समकक्ष नेताओं में होती थी। उन दिनों 'बाबू बाबू पाल' की कहावत मशहूर थी। बाबू से शाखा लाजपतराय, बाबू से बाबू गङ्गाधर तिलक और पाल से विपिनचन्द्र पाल का मतलब था।

लाला लाजपत राव अपने समय के महान् राष्ट्रीय नेता थे। पंजाब के सार्वजनिक जीवन पर तो उनका एकाधिकार था। आर्य समाज के लोके एक महान् नेता थे। लाहौर के सुप्रसिद्ध दयानन्द एंग्लोवैदिक कॉलेजके लिये उन्होंने बड़ा त्याग किया था। वे बड़े प्रभावशाली लेखक, समाज सुधारक और प्रभावशाली वक्ता थे। सुप्रसिद्ध पत्रकार सर जे. वाई० चिन्तामणी ने अपने 'भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष' नामक पुस्तक में लालाजी के सम्बन्ध में लिखा है:—

“वक्ता के स्वरूप में उनका स्मरण करते ही मुझे लॉर्ड जॉर्ज का स्मरण हो आता है। जनता में क्रोध की भावना उत्पन्न कर देने में दोनों की शक्ति एक ही जैसी थी। लाजपतराय के उर्दू भाषण जनता पर जैसा प्रभाव करने वाला प्रभाव डालते थे, वैसा प्रभाव डाल सकने वाले भाषण शक्ति बहुत कम सुने हैं। उनके कुछ उर्दू भाषणों की तुलना मि० लॉर्ड जॉर्ज के बन्दन की समाजों में दिये गये भाषणों से ही की जा सकती है। सन् १९१२ में पटना की कांग्रेस में एक ही विषय पर उनके लगातार तीन भाषण हुए थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कुछ विशेषता थी। मि०

गोखले उस समय प्रवासी भारतीयों की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिये दक्षिण अफ्रीका गये थे । उन्होंने उनके विषय में प्रस्ताव पेश करते हुए ४२ मिनट तक असेम्बली में भाषण दिया । मैंने उन्हें किसी अन्य अवसर पर इतने धारा प्रवाह, इतनी भावुकता, इतने जोश और इतने रोष के साथ बोलते हुए नहीं सुना । वैसे तो उनका प्रत्येक भाषण ही 'बुद्धि-विलास' का चमत्कार होता था, परन्तु यह विशेषरूप से उग्र था । मैंने उन्हें इतना उत्तेजित और कभी नहीं देखा था । उनके बाद पंडित मदनमोहन मालवीय ने हिन्दी में भाषण किया । उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों का ऐसा कारुणिक वर्णन किया कि प्रायः सभी श्रोताओं की आँखें भीग गईं । उनके इस भाषण का जिसके हृदय पर प्रभाव न पड़ा होगा उसका हृदय मानव का हृदय न रहा होगा । उनके बाद लाला लजपत राय का उर्दू में भाषण हुआ जो सबसे अधिक पुरुषत्व पूर्ण था । उसने लोगों की उत्तेजना को इतना जागृत कर दिया था कि मुझे उस समय यह विचार हुआ था कि अगर इस समय यहाँ कोई दक्षिणी अफ्रीका का गोरा होता, तो उसकी जान की खैर न रहती । लालपत राय पर सरकार की अकृपा काफ़ी रही । महायुद्ध के वर्षों में तथा उसके बाद कोई डेढ़ सप्ताह तक वे एक महीने अपने देश से निर्वासित ही रहे । जब उन्हें छोट आने की आज्ञा मिल गई, तो उन्होंने आते ही अपना सदा का काम शुरू कर दिया । अखिल योग तथा पार्लियामेंटरी कार्य-पद्धति के बीच वे बार-बार कभी इधर कभी उधर झुकते रहे । एक बात में उनका अपने कतिपय कांग्रेसी सहकारियों से सदा मत भेद रहा । उन्होंने हिन्दू हितों की कभी भेंट नहीं चलाई । वे हिन्दू-मुसलिम ऐक्य के लिये किसी से कम उत्सुक नहीं थे, परन्तु उनका यह विश्वास कभी न रहा कि हिन्दू हानि का भारी मूल्य चुका कर एकता को खरीदा जाय । उनकी मृत्यु कभी दुःख जनक परिस्थिति में हुई । लाहौर में साईमन कमिशन के विचार-सम्बन्धी प्रदर्शन में जाग खेते समय उन पर आक्रमण किया गया

जिससे उन्हें चोट आई और उसके बाद वे एक पख्तवार से अधिक जीवित न रहे। मैं उन लोगों में हूँ, जिनका विश्वास है कि यह घटना उनकी मृत्यु को खाने का कारण बनी।”

लाला लाजपत राय ने अपनी प्रभावशाली वक्तृता शक्ति और अपूर्व स्वार्थत्याग से भारतीय राष्ट्र के हृदय में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। भारतीय स्वतन्त्रता के लिये उनके दिख में बड़ी आग थी और वह आग समय समय पर उनके भाषणों द्वारा प्रकट होती थी। ई० सन् १९०७ में पंजाब में नहर आन्दोलन के सम्बन्ध में तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हें भारत से देश निकाला देकर मंडाले की जेल में रक्खा था। इससे देशभर में सरकार के खिलाफ गुस्से की एक ज्वरदस्त लहर चली। सारे देश ने लालाजी को निर्दोष समझ कर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की। देश में उनका मान सम्मान अधिक बढ़ गया। नर्म नेता मारननीय श्री गोखले तक ने लालाजी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए सरकार के इस कार्य की निन्दा की। उन्होंने सरकार की नीति को भारी भूल बतलाया। इतना ही नहीं गोखले महोदय लालाजी के सुझावों के लिये तन मन से प्रयत्न करने लगे। गोखले महोदय ने २४ मई १९०७ को जो अंग्रेजी पत्र लिखा था उसका सारांश हम नीचे देते हैं:—

“मेरे विचार में हमें तब तक चैन नहीं लेना चाहिये जब तक कि हम लालाजपत राय को मुक्त न करवा दें। मैं कल खास इसी उद्देश्य को लेकर माथेरान में सर फिरोजशाह मेहता से मिलने गया था। मेरी तीन घण्टे तक उनके साथ बातचीत हुई और इस सम्बन्ध में जो कदम उठाने चाहिये उसमें हम एकमत रहे। हाँ, यह बात ज़रूरी है कि जब तक पार्लियामेन्ट में भारत के सम्बन्ध में वादविवाद न हो तब तक हमें खबरना चाहिये। सम्भव है लॉर्ड मार्ले अपना कुछ वक्तव्य दें और वे

लाला लाजपतराय के म मले पर प्रकाश डालें । यह वादानुवाद हो जाने पर हम वॉयसराय की सेवा में एक मेमोरियल पेश करेंगे जिसमें धारा सभा के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों के, कांग्रेस के भूतपूर्व सभापतियों के और प्रान्तीय कन्फ्रेंसों के भूतपूर्व अध्यक्षों के हस्ताक्षर होंगे । मैं खुद विभिन्न प्रान्तों में जाकर इस मेमोरियल के लिये हस्ताक्षर प्राप्त करूँगा और फिर इसे पेश करने के लिये शिमला जाऊँगा । मैं सरकार के विभिन्न सदस्यों से मिलकर लालाजी की रिहाई के लिये प्रयत्न करूँगा । अगर हम इतने पर भी इसमें असफल हो गये तो तीन आदमियों का एक डेप्युटेशन इङ्ग्लैण्ड जावेगा और वह ब्रिटिश लोकमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करेगा । इस डेप्युटेशन में मि० आर० सी० दत्त, मि० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और मैं रहूँगा । अगर मद्रास से नवाब सैय्यद हमारे साथ जाने के लिये तैयार हुए तो हम उन्हें भी अपने साथ लेवेंगे ।”

“लाला लाजपतराय के देश-निर्वासन से देश इस क्षोर से लगाकर उस क्षोर तक फाँप गया है । मि० मॉर्ले के लिये लोग बहुत कधी और कठोर बातें कहने लग गये हैं । लाजपतराय का निर्वासन दुःख कारक-अत्यन्त दुःख कारक-घटना है । पर इस समय हम मज़बूर हैं ।”

श्री गोखले के प्रयत्नों से लाला लाजपतराय का छुटकारा हो गया । जब लाला लाजपतराय लौटकर आये तब भारत ने उनका हार्दिक स्वागत किया और सारे देश ने बड़े सन्तोष का अनुभव किया । वह फिर उसी जोश के साथ देशसेवा के पवित्र कार्य में लग गये । उन्होंने देश के राजनैतिक और सामाजिक विकास में जो महान् कार्य किया है वह भारत के इतिहास में अमर रहेगा ।

त्रिपिनचन्द्र पाल

बङ्गभङ्ग के समय त्रिपिनचन्द्र पाल भारत के सामान्य नेताओं में

थे। उस समय देश में नवचेतना और नवजागरण उत्पन्न करने में उनके प्रभावशाली भाषणों ने बड़ा काम किया। वे अपने समय में कांग्रेस के पहले दर्जे के वक्त्रों में माने जाते थे। विपिन बाबू का कांग्रेस से बहुत पहले सम्बन्ध शुरू हुआ था। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के नये सिद्धान्त का प्रचार करते हुए उन्होंने सारे देश में अपनी वक्तृता शक्ति का भिक्का जमा दिया था। कलकत्ता के अधिवेशन में उन्होंने बहिष्कार का जो उग्र और व्यापक अर्थ किया था, उसका पिछले सभी वक्त्रों ने विरोध किया। उन्होंने मद्रास में १६०० में जो भाषण दिये थे, एडवोकेट जनरल सर पी० भाष्यम आचंगर ने उन्हें भङ्गने वाले, राजद्रोह पूर्ण समझा था और वे मद्रास अहाते से निकाल दिये गये। लॉर्ड मिन्टों के समय उन्हें एक बार देश निकाला भी मिला था। एक दूसरे वक्त्र, जब 'वन्दे मातरम्' के सम्पादक की हितवृत्त से श्री अरविन्द घोष पर मुकदमा चल रहा था, उन्होंने यह ज्ञानकर गवाही देने से इन्कार कर दिया था कि उनकी गवाही अरविन्द के बहुत खिलाफ पड़ेगी। इस कारण ६ मास की सजा उन्होंने खुशी से भुगत ली। भारत छोड़ने के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया पर उन्होंने माफ़ी मांग ली। उनका आखिरी इतिहास राष्ट्रीय राजनीति में उनके उत्साह के निरन्तर पतन का इतिहास था। सबसे आखिरी बार पार्लामेण्टिक कार्य में लोगों ने उन्हें सन् १९२८ के सर्वदल सम्मेलन में चुना। वह हमें अवश्य स्वीकार करना होगा कि वह उन थोड़े से लोगों में थे जिन्होंने अपने भाषणों और 'न्यू इण्डिया' तथा 'वन्देमातरम्' के लेखों द्वारा उस समय के नवयुवकों पर जादू कर दिया था।

अरविन्द घोष

बंगभंग के समय जिन महान् नेताओं ने देश में जागृति की ज्योति को प्रकाशित किया था उनमें श्री अरविन्द घोष का आसन बहुत ऊँचा है। श्री अरविन्द घोष का जन्म छन्दन में हुआ था और वहीं उन्होंने

शिक्षा प्राप्त की थी । वे आई० सी० एस० की परीक्षा में चौथे की सवारी ठीक न करने के कारण असफल रहे । इसके बाद वे बड़ौदा कॉलेज के वाईस प्रिन्सिपल हो गये । पर ज्योंही उन्हें यह आत्मप्रेरणा हुई कि देश को उनकी सेवाओं की जरूरत है तो वे क्षेत्र में उतर पड़े । वे नौकरी छोड़कर कलकत्ता चले गये और राष्ट्रीय आन्दोलन को संचालित करने लगे । उनका प्रभाव दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा । जनता के वे हृदय सम्राट् हो गये । उन्होंने वन्दे-मातरम् नामक अंग्रेजी पत्र का सम्पादन किया और उसके द्वारा वे भारतीय स्वाधीनता का संदेश देने लगे । उनका अंग्रेजी भाषा पर अद्भुत अधिकार है और उनके लेखों को जो अर्द्ध-आध्यात्मिक शैली में होते थे तथा साहित्यिक छटा की दृष्टि से बड़े सुन्दर होते थे और राजनीतिक उत्तेजना से श्रोत प्रोत् रहते थे, पाठक बड़े प्रशंसात्मक भाव से पढ़ते थे । लेखों में लोकमत को उत्तेजित करने की शक्ति थी । श्री अरविंद घोष पर जो भयानक आरोप लगाए गए थे, उससे वे सौभाग्यवश मुक्त हो गये । उन्हीं के मुकदमे के अन्त में उनके वकील को, जो आगे चल कर स्वयं एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हुए, सारा देश जान गया । कहना न होगा कि हमारा अभिप्राय देशवन्दु सी० आर० दास से है । श्री अरविंद घोषने कुछ ही समय के उपरांत राजनीति से अवकाश ग्रहण कर लिया और वे मिट्टिया भारत से भी चले गए । धार्मिक तथा तत्त्वज्ञान संबंधी निगूढ विषयों की गहन व्याख्या में उन्हें अपने उपयुक्त कार्य मिल गया । उन्होंने इन विषयों की अपनी रचनाओं से भारतीय साहित्य की श्री वृद्धि की है और हमारा विचार है कि ये रचनाएं संसार की स्थायी साहित्य की विभूतियां हैं ।



सरकारी दमन

नेताओं का निर्वासन

लोक नेताओं का निर्वासन-ज्यों ज्यों बंगाल का आन्दोलन बढ़ता गया त्यों त्यों सरकार का दमन चक्र भी उग्र होता गया। ईस्वी सन् १९०८ में बंगाल के कई सार्वजनिक कार्यकर्त्ता, जिनमें बाबू अश्विनी-कुमार दत्त तथा बाबू कृष्णकुमार मित्र भी थे, निर्वासित कर दिए गए। यह कार्रवाई सन् १८१८ के रेग्युलेशन के अनुसार की गई थी, जिसे सर रासबिहारी घोष ने गैर कानूनी कानून कहा था। उसी महीने में क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट पास हुआ जिसके दूसरे भाग का संस्थाओं को गैर-कानूनी घोषित करने में व्यापक उपयोग हुआ है। सरांश यह कि सरकार ने शिकायतों को दूर करके नहीं बल्कि दमन के द्वारा आंदोलन का अंत करने की भारी कोशिश की।

दमन नीति का दारदौरा

संग्राम के बाद यहां राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता गया। ब्रिटिश सरकार ने भी निर्दयता पूर्ण दमन नीति से काम लेना शुरू किया। लोकमान्य तिलक को, जैसा कि हम गत अध्याय में लिख चुके हैं, कायना पत्र "केसरी" में प्रकाशित दो लेखों के कारण ६ वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई। अनेक क्रान्तिकारी फांसी पर लटकाये गये। अनेकों को काठोपानी की सजा हुई। अनेक समाचार पत्रों के सम्पादक राजस्व और स्वतंत्रता की आवाज़ उठाने तथा राष्ट्र भक्तों पर होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण जेलों में ठूस दिये गये और उनके साथ खूनी अपराधियों से भी अधिक कठोर व्यवहार किया

गया, इसका एक ज्वलन्त उदाहरण हम श्रीमती एनी बेसेन्ट के "न्यू इण्डिया" नामक पत्र से यहां देते हैं:—

"स्वराज्य के भूतपूर्व सम्पादक मि० रामचरणलाल की दुःखी अवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। नागपुर के सिटी मैजिस्ट्रेट ने आपकी सजा की मिबाद खत्म हो जाने पर भी और छः मास के कठोर कारावास का दण्ड दिया है। आपका अपराध केवल वही था कि आपने काम करने से इन्कार किया था। हमारे पाठकों को इस मामले का हाल मालूम होगा। इस हतभाम्य राजनैतिक कैदी के इतनी क्रूरता के साथ कोड़े मारते हैं कि वह बेहोश तक हो जाता है। जेल के डॉक्टर को यह कहना पड़ा है कि कोठों की मार के कारण कैदी चार दिन तक काम करने में असमर्थ होगा। छः दिन तक इस बेचारे के मार के निहान नहीं मिलेंगे! इसे फिर छः मास की कड़ी सजा हुई। वह देखिये एक राजनैतिक कैदी के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? क्या 'हाऊस ऑफ़ कॉमन्स' में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो इस मामले के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे और इस बात की जाँच करने के लिये जोर दे कि ब्रिटिश भारत राजनैतिक कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।"

भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर इण्डिया लॉर्ड मॉर्ले ने हालही में "My Recollections" नामक ग्रन्थ लिखा है। इसमें आपने अपना वह पत्र-व्यवहार भी प्रकाशित किया है, जो उनके और लॉर्ड मिन्टो के बीच हुआ था। इस पत्र व्यवहार से मालूम होता है कि लॉर्ड मॉर्ले भारत सरकार की उस भयङ्कर दमननीति के खिलाफ़ वे उस समय यहां काम में लाई जा रही थी। हम यहाँ केवल एक दो उदाहरण देकर यह दिखाना चाहते हैं कि उस समय की दमननीति को लॉर्ड मॉर्ले किस दृष्टि से देखते थे। आपने अपने एक पत्र में लॉर्ड मिन्टो को लिखा था:—

I must confess that I am watching with the

deepest concern and dismay the thundering sentences that are now being passed for sedition etc. I read today that stone throwers in Bombay are getting twelve month's. This is really outrageous. The sentences on the two Tinneveli men are wholly indefensible; one gets transportation for life, the other for ten years. I am to have the judgment by the next mail, and meanwhile think he has said enough when he tells me that "the learned judge was in no doubt as to the criminality of the two men." This may have been all right, but such sentences !! They can not stand. I can not on any terms consent to defend such monstrous things. I do therefore urgently solicit your attention to these wrongs & follies. We must keep order, but excess of severity is not the path of order. On the contrary it is the path to the bomb."

अर्थात् गजविद्रोह के लिये आज कल जो भयानक सजाएँ दी जा रही हैं, उन्हें मैं अत्यन्त विन्ता और भय के साथ देख रहा हूँ। मैंने आज पढ़ा है कि बम्बई में पत्थर फेंकने के अपराध में लोगों को बारह बारह मास की सजाएँ हुई हैं। दर असल यह बहुत सख्त है। तिननेली के दो मनुष्यों को अष्ठाक्षर जो आजन्म काले पानी और दस वर्ष की कड़ी सजाएँ हुई हैं, पूर्ण रूप से असमर्थनीय हैं। दूसरी डाक से मेरे पास इसका फौसला पहुँच जायगा। यह बात सत्य हो सकती है कि जज को इनके अपराधों के विषय में सन्देह न होगा। इस पर ऐसी सजाएँ ! इन सजाओं का समर्थन हो ही नहीं सकता ! मैं इस प्रकार की भयानक कार्यों का पक्ष नहीं ले सकता। अतएव मैं आपका ध्यान इन भूलों और

बेहूदगियों की ओर आकर्षित करता हूँ। हमें व्यवस्था रखना चाहिये, पर अधिक सख्ती व्यवस्था का मार्ग नहीं है। इसके विपरीत वह तो बम का मार्ग है। (अर्थात् लॉर्ड मॉर्ले के कथनानुसार ज़रूरत से ज्यादा सख्ती ही बम काण्ड का कारण होती है।)

इस प्रकार लॉर्ड मॉर्ले ने और भी अनेक अत्याचारों का वर्णन किया है। ये बातें ऐसे जैसे आदमी की नहीं, खास स्टेट सेक्रेटरी की हैं। पाठक सोच सकते हैं कि भारत सरकार की दमन नीति को जब खुद स्टेट सेक्रेटरी इस बुरी दृष्टि से देखते थे, तब साधारण भारतीय जनता किस दृष्टि से देखती होगी। अगर वह अपने नवयुवकों को झरा झरा से अत्याचारों पर इतनी भयानक सज़ाएँ भुगतते हुए देखती होगी तो क्या उसका खून नहीं उबल पड़ता होगा। यह मनुष्य स्वभाव है। इस क्रोध के जोश में हमारे कुछ कच्चे दिमाग नौज़वानों ने कुछ बेसमझी और और नादानों के काम किये तो इसके ज़िम्मेदार जितने वे नवयुवक हैं, उससे भी अधिक ज़िम्मेदार दमन का आश्रय लेनेवाली नौकरशाही भी। संसार का इतिहास हमें यह दिखाता है कि दमननीति ही क्रान्ति और राजविद्रोह के बीज बोती है। अतएव एक प्रख्यात अमेरिकन मि० शॉप का कथन है कि—“जो सरकार जितना अधिक दमन नीति का आश्रय लेती है, वह उतनी ही अयोग्य है। सबसे अच्छी सरकार वही है, जिसे सबसे कम शासन करना पड़े”।



माँएटेगु-चेम्सफोर्ड योजना



बङ्गवङ्ग के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन कुछ वर्षों तक जोर-शोर से चलता रहा। सरकार ने एक ओर तो भयङ्कर दमन नीति का आश्रय लिया और दूसरी ओर भारतवर्ष को कुछ नाम मात्र के सुधार देकर जनमत को सन्तुष्ट करना चाहा।

सन् १६०८ ई० के २७ नवम्बर को भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ़ मालें ने अपनी सुधार योजना प्रकाशित की। पार्लियामेण्ट ने यह योजना स्वीकृत कर ली। सन् १६०९ ई० के १५ नवम्बर को इस योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार का प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें यह कहा गया कि उक्त तिथि से उक्त सुधार कानून अमल में आजायगा और आते वर्ष से संशोधित धारा सभाएँ संगठित होकर अपना काम शुरू कर देंगी। इस प्रकार सन् १६१० ई० के १५ जनवरी को तत्कालीन वायसराय ऑफ़ मिल्स की अध्यक्षता में इस सुधार योजना के अनुसार बनी हुई धारा सभा का उद्घाटन हुआ।

यद्यपि इन सुधारों से राष्ट्रवादियों को कतई संतोष नहीं हुआ, पर उन्होंने यह समझ कर इन्हें स्वीकार कर लिया कि जितना प्राप्त हो उन्हें अंगीकार कर अधिक के लिये आन्दोलन करना चाहिये। इस सुधारों में कोई नया सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया था और न इनमें उत्तरदायी सरकार देने की ही योजना थी। हां, इनमें धारा सभा को अधिक व्यापक निर्वाचन के तत्व पर स्थापित करने की योजना थी। इसके अतिरिक्त यह योजना पार्लियामेण्टरी पद्धति का उपक्रम भी नहीं था। भारत सेक्रेटरी

का यह भी उद्देश्य नहीं था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से वास्तविक सत्ता भारतीय जनता को हस्तान्तरित की जावे। हां, इसमें चुनाव के तत्त्व को अवश्य स्वीकार किया गया था। कौंसिलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। उन का प्रश्न पूछ सकने का अधिकार पहले से अधिक विस्तृत कर दिया गया और उन्हें बजट के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश कर सकने का अधिकार भी दे दिया गया। प्रांतीय कौंसिलों में गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत भी कर दिया गया। दो वर्ष पूर्व दो भारतीयों की भारत-मंत्री की कौंसिल में प्रथम बार नियुक्ति हो चुकी थी और कौंसिलों के सुधार के साथ वायसरॉय तथा बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की कार्यकारिणी कौंसिलों में भी एक-एक भारतीय की नियुक्ति कर दी गई। बंगाल में भी कार्यकारिणी कौंसिल की स्थापना हो गई और उसमें भी एक भारतीय की स्थान दिया, पर यह तो सब केवल नाम मात्र के सुधार थे जिनमें भारत को कोई वास्तविक सत्ता नहीं दी गई थी।

सांप्रदायिक निर्वाचन का सूत्रपात

जिस सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव इन सुधारों में डाली गई, उनके जहरीले फल आज स्वतंत्र भारत बुरी तरह भोग रहा है। आज देश में जो हाहाकार मच रहा है उसका बहुत सा दोष सांप्रदायिक निर्वाचन की विषैली पद्धति पर है।

इन सांप्रदायिक निर्वाचनों का सूत्रपात लॉर्ड मिन्टो ने किया। सन् १६०६ का एकट अपने साथ एक ऐसी बुराई लाया जो तब से अब और भी बढ़ गई है। हमारा मतलब है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से। इसका श्रेय लॉर्ड मिन्टो को है। १ अक्टूबर, १६०६ को उनसे शिमला में भारत भर के मुसलमानों का एक प्रभावशाली डेप्युटेशन मिला जिस के नेता थे हिज़ हाईनेस आगा खां। डेप्युटेशन ने आश्चर्यजनक दावे पेश किये और स्पष्टतः पृथक्करण के सिद्धांत का राग अलापा। लॉर्ड मिन्टो

जो इन अत्यन्त अदूरदर्शितापूर्ण तथा ग़ैर-वाज़िबी मांगों का अपनी तथा सरकार की ओर से ऐसी शीघ्रता से समर्थन कर दिया कि संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अब तो यह बात सभी को मालूम है कि डेप्युटेशन वालों की सूझ बिल्कुल मौलिक नहीं थी,। उन्हें शिमला से इशारा मिला था। होम डिपार्टमेंट के चतुर कर्मचारियों ने जब देखा कि सुधारों का होना तो अनिवार्य है, उन्हें तो हम रोक नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा कि चलो देश के दो प्रमुख संप्रदायों के बीच भेद डाल दो। उनके दिल में यह विचार रहा होगा, और ग़ैर सरकारी अंग्रेज़ तो यह बात सुने तौर पर कहने में भी संकोच नहीं करते थे कि अगर हिन्दू और मुसलमान मिलकर एक हो गए तो फिर हम कहां रहेंगे? इस बुराई को भी बधशक्ति कम करने की लॉर्ड मॉर्ले ने कोशिश की। आपने १९०८ के ख़रीते में उन्होंने प्रस्ताव किया कि निर्वाचन तो संयुक्त रूप से ही हो, परन्तु मुसलमानों के लिये कौंसिलों में स्थान सुरक्षित कर दिये जायें। लेकिन इस प्रस्ताव के विरुद्ध क्रौरन हिन्दुस्तान में आन्दोलन खड़ा करा दिया गया। भारत-सरकार लॉर्ड मॉर्ले के प्रस्ताव के विरुद्ध थी और इस मामले में अपनी बात रखने पर तुली हुई थी। होम डिपार्टमेंट में उस समय एक अधिकारी थे जो जितने ही प्रतिक्रियावादी थे उतने ही कुशल थे। वे थे सर हर्बर्ट रिज़ले और मुसलमानों में भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपनी जाति के कल्पित लाभ के लिए सांप्रदायिक आंदोलन का संगठन करने में संकोच नहीं था। लॉर्ड मॉर्ले के प्रस्ताव के सरकारी विरोधियों के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी? आंदोलन विलायत तक भी जा पहुँचा, जहां उसके नेता आगाज़ां और स्वर्गीय मि० अमीर अली थे। हाउस ऑफ़ कॉमन्स में भी उनके समर्थक निकल आए जिनमें लॉर्ड रोनाल्डो (जो बाद में बङ्गाल के गवर्नर हुए और अब लॉर्ड जेम्स के नाम से प्रसिद्ध हैं) और सर विलियम जानसन-हक्स (बाद को लॉर्ड ब्रेंटफ़ोर्ड) मुख्य थे। आन्दोलन सफल हुआ और लॉर्ड मॉर्ले को

सूचना पढ़ा । भारतीय राजनीति के क्षेत्र में साम्प्रदायिक विषयों को समाप्त किया गया ।

उक्त सुधारों के द्वारा उन लोगों के लिये बंद कर दिये गये थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने भारत में नवजागृति का सन्देश फैलाने में हिस्सा लिया था । लोकमान्य तिलक के प्रधान सहकारी श्रीयुत नृसिंह चिन्तामणि के लिये बम्बई कौन्सिल के लिये उम्मीदवार हुए । तत्कालीन नम्बई सरकार ने उनकी उम्मीदवारी यह कह कर अस्वीकृत कर दी कि उनके पूर्व जीवन की घटनायें और कीर्ति सार्वजनिक हित में बाधक है । म्युनिसिपैलिटियाँ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी उक्त सुधारएक्ट की धारा का सहारा लेकर ऐसी व्यवस्था की गई जिससे उग्र राजनैतिक मतानुयायी उनमें प्रवेश न कर सकें ।

प्रेस एक्ट

मिथेमॉर्ले सुधारों के अनुसार बनी हुई केन्द्रीय धारासभा में जो सबसे पहले क़ानून बना वह भारतीय प्रजा के एक मौलिक अधिकार का घातक था । आधुनिक राजनीति के आचार्यों ने एक स्वर से मुद्रण-स्वातन्त्र्य को प्रजा का एक मूलभूत अधिकार माना है, पर यहां की नवोन्मिलित केन्द्रीय कौन्सिल में मुद्रण-स्वातन्त्र्य का घातक विधेय पेश किया गया । यह बड़ी ही तेज़ी से पास किया गया । श्रीयुत चिन्तामणि अपने "भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं:—“मुझे विश्वास सूत्र से मालूम हुआ कि विधेय जिस रूप में तैयार हुआ था वह और भी अधिक भयानक था । परन्तु क़ानून सदस्य ने उसे उस रूप में पेश करने के इन्कार कर दिया और जब उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी कौन्सिल में बहुमत अपने विरुद्ध पाया तो अपने पद से त्याग पत्र दे दिया ।

परन्तु न तो लॉर्ड मॉन्टे और न लॉर्ड मिन्टो ही मिस्टर सत्येन्द्रप्रसाद सिन्हा का सहयोग खो देने के लिये राजी थे और परिष्कार स्वरूप समझौता हो गया। भारत सरकार के कुछ आई० सी० एस सदस्यों ने मि० सिन्हा को इस बात के लिये कभी क्षमा नहीं किया। परन्तु मि० सिन्हा संशोधित बिल से अब भी असन्तुष्ट थे और उन्होंने कहा कि वे कौंसिल में बिल पर वोट देने के समय तटस्थ हो जावेंगे। परन्तु उन्हें समझाया गया कि उनका ऐसा करना उचित न होगा, खास कर इस बात का जिहाज रखते हुए कि भारत-मन्त्री तथा वाइसरॉय ने बिल में उनकी खातिर कुछ कुछ सुधार कर दिया था। प्रेस एक्ट के कारण लॉर्ड सिन्हा के सम्बन्ध में देश में इतनी गलतफहमी फैली और उन पर वर्षों तक इतने आरोप लगाए कि जब सन् १९१६ में मि० आईजे मार्टन का आत्मीय लेख प्रकाशित हुआ तो विख्यात के एक पत्र में ठीक ठीक बातें बता दीं जो कि मुझे श्री गोखले से उसी वर्ष (१९१६ में) मालूम हो चुकी थीं और बाद को मैं जिन्हें स्वयं लॉर्ड सिन्हा से भी सुन चुका था। फिर भी यह तो कहना ही सही कि एक्ट बड़ा कठोर था और उसके बारह वर्ष के जीवन में उ ससे क्या उत्पात हुआ। स्वतन्त्र तथा स्वस्थ समाचार पत्रों के विकास के लिये वह घातक ही था।”



प्रथम महायुद्ध का आरम्भ



सन् १९१४ ई० में यूरोप में मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भारत ने, यह समझ कर कि निकट भविष्य में उसकी राजनैतिक आकांक्षाएँ पूरी हो जावेंगी, ब्रिटिश सरकार की अर्थबल व जनबल से पूरी पूरी सहायता की।

सन् १९१५ ई० में बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन ; उसके अध्यक्ष लॉर्ड सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश सरकार भारत के सम्बन्ध में अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करदे। लोकमान्य तिलक ने भी यह स्पष्ट रूप से कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार भारत की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूर्ण करने का वचन दे तो भारत युद्ध में पूरी मदद दे सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार की नेक नीयती पर विश्वास कर भारत ने उसे तन, मन, धन, से हार्दिक सहायता दी। इस सहायता को ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। पर इसका नतीजा क्या हुआ ? युद्ध समाप्त होने पर भारत को स्वराज्य के बदले रोबेट एक्ट, पंजाब का मार्शल लॉ और उसके राष्ट्रीय हृत्प प्राप्त हुए। देश में बड़ी निराशा छा गई और कई ऐसे महाजुमान जो सरकार के समर्थक थे, वे भी इस बात को मानने लगे कि बिना स्वराज्य के भारत का निस्तार नहीं। रोबेट एक्ट के बाद भारत में जो आन्दोलन हुआ उसका वर्णन आगे होगा।

लोकमान्य तिलक का छुटकारा


सन् १९१४ ई० के जून मास में लोकमान्य तिलक मद्रास की

जेब से मुक्त कर दिये गये। आपको पूरी छः वर्ष की सजा काटनी पड़ी। लोकमान्य की मुक्ति से भारत के राष्ट्रीय दल में नवजीवन और नवचेतना आ गई। जेब से मुक्त होते ही लोकमान्य ने अपनी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को ज़ोर शोर से शुरू कर दिया। उन्होंने देश में घूम फिर कर लाखों मनुष्यों को स्वराज्य का सन्देश दिया और लोगों से अपील की कि वे इस महापवित्र उद्देश्य के लिये हर प्रकार का आत्मबलिदान करने के लिये तैयार रहें। राष्ट्र में फिर से नवजागृति का सूत्रपात हुआ और देश का वातावरण स्वराज्य की आवाज़ से गुञ्जायमान हो गया। उन्होंने, जैसा कि पूर्व कहा गया है, सरकार को यह विश्वास दिलाया कि अगर सरकार भारतीय लोकमत का आदर कर स्वराज्य प्रदान करने की स्पष्ट घोषणा करती है तो वह उसे हर प्रकार की सहायता करने को तैयार है। पर इसके लिये भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन बन्द नहीं किया जावेगा। सन् १९१५ ई० के मई मास में तिलक महोदय ने अपनी पार्टी की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें स्वराज्य के लिये आन्दोलन करने का प्रस्ताव हुआ।

श्रीमती बिसेन्ट और उनका स्वराज्य आन्दोलन

श्रीमती एनी बिसेन्ट ने समय समय पर भारतवर्ष की जो बहुमूल्य सेवाएँ की हैं उसे भारतवर्ष का इतिहास कृतज्ञता के साथ स्मरण करेगा। महात्मा गांधी ने श्रीमती बिसेन्ट की मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धा-भक्ति अर्पण करते हुए कहा था कि बिसेन्ट बिसेन्ट तब तक जीवित रहेगी, जब तक भारतवर्ष जिन्दा है। "Mrs Besant will live, as long as India lives" कहने का मतलब यह है कि श्रीमती बिसेन्ट ने भारत की विविध क्षेत्रों में महान् सेवाएँ की थीं। उनकी भारतीय आकांक्षाओं के साथ पूर्ण सहानुभूति थी। सन् १९१६ ई० में उन्होंने "होमरूल लीग" नाम की संस्था खोली और उसके द्वारा जोर और सँ स्वराज्य-आन्दोलन शुरू किया। सारे देश का ध्यान इस आन्दो-

खन की ओर आकर्षित हुआ और देश में श्रीमती एनी बिसेन्ट का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। इससे तत्कालीन मद्रास गवर्नर लॉर्ड पेन्टलैबड बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्रीमती एनी बिसेन्ट और उनके कुछ साथियों को नजरबन्द कर दिया। इससे देश में आग और भी अधिक बढ़की ओर स्वराज्य-प्रान्दोलन ने अधिक जोर पकड़ लिया। देश भर में सार्वजनिक सभाएँ हुईं और लॉर्ड पेन्टलैबड के इस कृत्य के प्रति घृणा प्रगट की गई। इसी समय लोकमान्य तिलक पर उग्र भाषण देने के उपलक्ष्य में पूना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जमानतें मांगी गईं। पर पीछे जाकर हाइकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उक्त आदेश रद्द कर दिया गया।



सन् १९१६ ई० की संयुक्त काँग्रेस



सन् १९०७ ई० में कांग्रेस में जो फूट पड़ी उसना उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। इसके बाद सन् १९१५ तक कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, उसमें इने गिने नर्म दर्जाय नेताओं की प्रधानता थी। कांग्रेस एक प्रकार से जीवन हीन हो गई थी। सन् १९१६ ई० में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें सब दल के नेता एकत्रित हुए। इस अधिवेशन में बड़ा जोश रहा और लोग नवजीवन का अनुभव करने लगे। इस अधिवेशन में सर्व सम्मति से भारत को शीघ्र से शीघ्र स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अतिरिक्त हिन्दू मुसलमानों के बीच समझौता भी हुआ। दुःख की बात है कि इस समझौते में पृथक् निर्वाचन का तत्त्व स्वीकार किया गया जिसका जहरीला प्रभाव देश आज बुरी तरह भोग रहा है।

सन् १९१८ ई० काँग्रेस

सन् १९१८ ई० में महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजी के सभापतित्व में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन बड़ी धूमधाम से हुआ। अन्ध के जुलूस में हजारों लोगों ने भाग लिया। इस कांग्रेस ने स्वराज्य की आवाज़ को और भी अधिक बुलन्द किया गया और इस महान् उद्देश की प्राप्ति के लिये देश को एक सूत्र में बन्धजाने का आदेश दिया गया। अधिवेशन के अन्तिम दिन हिन्दू-मुस्लिम एकता पर पंडित मालवीयजी ने जो मर्म और हृदयस्पर्शी अपील की उससे उपस्थित जनता के हृदय द्रवीभूत होगये और लोगों के दिल में यह भावना जोरों से काम करने

खगी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिये हिन्दू मुस्लिम एकता की बड़ी आवश्यकता है। इन्हीं दिनों देशीय राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिलकर राज-पूताना मध्यभारत नाम की एक संस्था कायम की। इसमें स्वर्गीय श्री गणेश शंकरजी विद्यार्थी, श्री चांदकरजी शारदा, श्री गणेश नारायणजी सोमानी, श्री इन्द्रजी विद्यावाचस्पति, नवल पंडित गिरधर शर्मा और इस ग्रन्थ का लेखक उपयुक्त था। इसका उद्देश देशी राज्यों में उत्तर दायित्व शासन प्राप्त करना था।



क्रान्तिकारी षड्यन्त्रों का इतिहास

बम्बई में क्रान्तिकारी दल



पश्चिमी भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलनों का सूत्रपात हिन्दुओं के ईश्वर गणपति और शिवजी की पूजा और स्मृति दिवसों से हुआ। कहा जाता है कि सन् १८१३ में बम्बई में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच जो झगड़ा हुआ उसके परचात् से सार्वजनिक रूप से गणपति पूजा होने लगी। इन उत्सवों पर लोगों को छाठी चलाने आदि की शिक्षा दी जाती थी। नवयुवक सड़कों पर सरकार विरोधी गीत गाते हुए इधर उधर चले। कुछ ऐसे पर्व भी इस समय बंटते थे जिनमें लोगों को धर्म के पर विदेशी शासन को दूर फेंकने के लिये कहा जाता था। इसी लिये ही शासक के परचात् कहीं न कहीं संवर्ष होने शुरू हुए।

रेन्ड की हत्या

सन् १८१० में, जब कि पूना में प्लेग जोरों पर था, लोकमान्य पं० कृष्ण गोसावरी तिलक ने अपने पत्र 'केसरी' में, जो पश्चिमी भारत का प्रमुख समाजवादी पत्र था, न केवल आधीनस्थ अधिकारियों पर प्रत्युत क्रान्तिक सरकार पर भी लोगों को आतंकित करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्लेग कमीशनर श्री रेन्ड को निरंकुश और स्वेच्छाचारी कहा।

२२ जनवरी को महासजी बिक्टोरिया की ६० वीं वर्ष गांठ मनाई गई और उसी रात्री को साफ़ेकर माहियों द्वारा प्लेग कमीशनर श्री रेन्ड और डेप्युटी-सेन्ट पेबेरेस्ट की, जब कि वह सरकारी भवन से उत्सव में भाग लेकर लौट रहे थे, हत्या कर दी गई। इसमें कोई भी शक नहीं कि अप-

राधियों का लक्ष्य मि० रैन्ड थे। लेफ्टिनेन्ट ऐपेरेस्ट की मृत्यु तो आकस्मिक हुई थी। श्री दामोदर चाफेकर पर मुकदमा चला और उन्हें राजद्रोह के अपराध में मृत्युदण्ड दिया गया। जेल में उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी उससे यह पता चलता है कि बम्बई में महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर तारकोल इन्हीं ने पोता था।

फरवरी १८६१ में चाफेकर दल ने पूना के चीफ कांस्टेबल के मकान का असफल प्रयत्न किया। बाद में उन्होंने दामोदर चाफेकर के साथ मिलकर में मदद देनेवाले दो भाइयों को मार दिया। इस सब के कारणों में चाफेकर दल के चार व्यक्तियों को ग्रायडंड और एक को दस वर्षों की कठिन कारावास दिया गया।

लोकमान्य तिलक पर भी १२ जून १८६७ के 'केसरी' के अंक राजद्रोहात्मक लेख लिखने के अपराध में मुकदमा चला और उन्हें १८ मास की सजा हुई।

१८९७ में पूना के पत्र

तिलक की गिरफ्तारी ने पूना स्थित पत्रों में प्रिण्टिंग विरोधी प्रयत्न को कम नहीं किया। सन् १८६८ में श्री शिवराम महादेव पारंगत ने मराठी में एक साप्ताहिक पत्र निकाला। उनकी साम्राज्य विरोधी नीति के कारण उन्हें सन् १८६६ में चेतावनी दी गई और दो बार उन पर मुकदमा चलाने का सोचा गया। अंत में जून १६०८ में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें १६ माह की सजा दी गई। दूसरा पत्र बिहारी था, जिसके विरुद्ध भी तीन बार राजद्रोहात्मक लेख छापने के कारण मुकदमा चला। सन् १६६८ से १६०६ तक 'केसरी' का सहत्व बढ़ता गया। सन् १६०७ में इसका प्रचार २०,००० प्रति तक पहुँच गया। उक्त पत्र में उस समय रूसी क्रान्ति के आचार पर अनेक लेख निकले।

लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के कार्य

इसी समय श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो काठियावाड़ के निवासी थे, लंदन में जाकर वहां पर भारतीय होम रूल समाज की स्थापना की और उसके द्वारा 'इण्डियन सोशलाजिस्ट' नाम का पत्र निकालना प्रारम्भ किया। सन् १९०५ में उन्होंने एक एक हजार की छः छात्रवृत्तियां भारतीय लेखकों एवं पत्रकारों के लिये, जो कि विदेशों में जाकर स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के लिये प्रयत्न करें, उद्घोषित कीं। इन्होंने श्री विनायक सावरकर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

श्री विनायक सावरकर

श्री विनायक सावरकर का जन्म २८ मई सन् १८८३ को नासिक जिले में हुआ। बचपन में इनकी रुचि साहित्य और काव्य की ओर अधिक थी। जब ये छोटे थे तब बम्बई और पूना आदि में हिन्दू मुसलमानों के झगड़े होते थे। उस समय इनकी विचारधारा में हिन्दूत्व की प्रबल भावना थी। जब ये केवल १५—१६ वर्ष के ही थे, तभी इन्होंने घर की देवी के आगे अपना सारा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिये अर्पण करने की प्रतिज्ञा की। मैट्रिक करते-करते सावरकर का नाम चारों ओर फैल गया। मैट्रिक करने के बाद ये फर्ग्युसन कॉलेज पूना में भरती हुए। वहां जाते ही वहां भी इन्होंने अपनी लहर फैला दी। सावरकर और उनके साथियों को कॉलेज के अन्य विद्यार्थी सावरकर संघ के नाम से पुकारने लगे। उसी समय वीर सावरकर लोकमान्य तिलक की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने उन्हें अपना 'राजनीतिक गुरु' माना। तिलक का कहना था कि स्वराज्य भीख मांगने से नहीं मिला करता। वह अपने पैरों पर खड़े होकर देश व्यापी कान्ति द्वारा प्राप्त होगा। इसी समय विदेशी कपड़ों की होखी करने के कारण श्री सावरकर कालेज से निकाले गये। बी० ए० करने के बाद इन्होंने बम्बई और महाराष्ट्र में

उपचार कार्य किया श्री शिवरत्न पंत परांजपे की साफरिफ पर श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इन्हें क्षमता दी और वे खंदन पहुंचे।

इण्डिया हाउस की हलचलें

श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा का इन्डियन हाउस सन् १९०६ तक साम्राज्य विरोधी शक्तियों का केन्द्र बन गया था। ब्रिटिश सरकार उनके विपरीत कोई कार्यवाही न करे, इस लिये वे तो खंदन से पेरिस चले गये थे। परन्तु उनका पत्र 'इन्डियन सोशियलिजिस्ट' खंदन से ही निकलता था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई १९०६ में उसके मुद्रक पर मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया। फिर भी पत्र का मुद्रण बन्द न हुआ। वह दूसरे स्थान में छपने लगा। सरकार ने उसके विपरीत भी कार्यवाही की और मुद्रक को एक वर्ष का कारावास दिया। इसके पश्चात् इण्डियन सोशियलिजिस्ट का कार्यालय खंदन से पेरिस चला गया। वहीं पर उसमें एक लेख निकला जिसमें रूसी ढंग पर राज्यक्रांति करने का आदेश दिया गया।

इसी समय बंगाल में मुजफ्फरपुर में श्री सुदीराम बोस ने बीमारी और कुमारी कैनेडी पर बम फेंका। वह समझ रहा था कि इस मादी में किङ्सफोर्ड नाम का एक अग्रिय मजिस्ट्रेट है।

दूसरी ओर खंदन में मई १९०८ में इण्डिया हाउस में भारतीय स्वातन्त्र्य युद्ध की स्मृति मनाई गई। करीबन १०० छात्रों ने इसमें भाग लिया। वहां से प्रकाशित 'भो शहीदों' नाम की एक पुस्तक बोदे ही दिनों बाद भारतवर्ष में आई। उन दिनों इण्डिया हाउस में जो भाषण दिये गये उनमें लोगों को बम बनाने और उन्हें प्रयोग में लाने की शिक्षा दी गई। सन् १९०९ में श्री विनायक सावरकर के हाथों में इण्डिया हाउस का नेतृत्व आ गया और वहां पर उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक 'भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध' का पाठ होने लगा। १ जुलाई १९०९ को श्री मदनमोहन मालवीय नाम के युवक ने कर्नाट सर विधिपाल कर्नाट

विस्वी को लन्दन के इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट में गोली का निस्ताना बनाया। इन्हीं दिनों उत्तेजना पूर्ण एवं साम्राज्य विरोधी रचनाओं लिखने के कारण श्री विनायक सावरकर के भाई श्री गणेश सावरकर को आजन्म कारावास की सज़ा दी गई। इसकी सूचना केबिब द्वारा श्री विनायक सावरकर को लन्दन में मिली। इससे वह बहुत ही उत्तेजित हुए पर यह कहना कठिन है कि एक ही साथ होने वाली सर विलियम कर्जन विली की हत्या और श्री गणेश सावरकर के आजन्म कारावास की घटनाओं में कुछ सम्बन्ध है अथवा नहीं। श्री मदनबाब धोंगरा की जेब में गिरफ्तारी के समय जो कागज़ात मिले उनमें साफ़ लिखा हुआ था कि मैंने अंग्रेजों के खून करने का स्वेच्छा से निर्याथ किया है। यह कार्य हिन्दुस्तानियों के साथ किये गये उनके बर्बता पूर्ण कार्य यथा देश निष्काशन एवं मृत्यु दंड आदि के विरोध में है। इन्हीं दिनों हिन्दुस्तान में भी लन्दन से भेजी हुई पिस्तौल से नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैकसन की—जिसने श्री गणेश सावरकर का फैसला किया था—हत्या कर दी गई। इस हत्या के सम्बन्ध में सात व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनमें तीन को फांसी देदी गई। इसी सम्बन्ध में और खानबीन करने पर जगह २ हथियार और पर्चे मिले जिनमें हिन्दुस्तान में अधिकारियों की हत्या का सुझाव रखा गया था। उनमें से एक पर्चे में यह स्पष्ट लिखा था कि इस प्रकार अलग अलग हत्या करने से ही जहाँ नौकरशाही का दिव्य कांपता है, वहाँ जनता राज्य-क्रान्ति के लिये खड़ी होती है। इस खानबीन से यह भी पता चला कि इस क्रांतिकारी दल की देश के अन्य हिस्सों में भी शाखाएँ हैं, जिनमें 'ग्वालियर षड्यन्त्र' काफी प्रसिद्ध है।

ग्वालियर में षड्यन्त्र

इस षड्यन्त्र का पता श्री गणेश सावरकर और नासिक स्थित गोली नाम के एक व्यक्ति के पत्र-व्यवहार से चला। इस पत्र-व्यवहार

से ग्वालियर में एक पठयन्त्रकारी दल का पता चला। वहाँ नवभारत समाज के २२ सदस्य और अभिनव भारत समाज के १६ ब्राह्मण सदस्य गिरफ्तार हुए। ये अभियुक्त अपराधी प्रमाणित हुए और उन्हें सजायें दी गईं। ग्वालियर नव भारत समाज के चौथे निबन्ध में स्वतंत्रता प्राप्ति के दो उपाय बताये गये थे। पहला शिक्षा द्वारा और दूसरा संघर्ष द्वारा। शिक्षा में स्वदेशी आन्दोलन, विदेशी चीजों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, भाषण आदि आते हैं तथा संघर्ष में अस्त्र शस्त्र की शिक्षा और प्रयोग आता है। यदि भारतवर्ष के ३० करोड़ व्यक्ति लड़ने को कटिबद्ध हो जायें तो कोई भी शक्ति उन्हें गुलाम नहीं बना सकती।

अन्यत्र

अहमदाबाद में जब लॉर्ड मिन्टो और लेडी मिन्टो जा रहे थे तब उन पर नवम्बर १९०६ में किसी ने बम फेंका। सन् १९०७ में सतारा में भी एक विद्रोही दल का पता चला। तीन ब्राह्मण युवक गिरफ्तार हुए जिनमें से एक बम बनाते हुए पकड़ा गया। सन् १९१४ में पूना में एक मराठा और एक ब्राह्मण के पास एक प्रेस पकड़ा गया जिससे साम्राज्य विरोधी विज्ञापियां प्रकाशित हुई थीं। उनमें से एक पत्र तो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंज पर जो बम फेंका गया था उसी के ठीक बाद १ जनवरी १९१३ का था।



बंगाल में क्रान्तिकारी आन्दोलन



बंगाल में राज्‍यक्रान्ति का आन्दोलन कैसे प्रारम्भ हुआ इसे जानने के लिए हमें उन प्रभावों की चर्चा करनी पड़ेगी जिससे इस आन्दोलन को बल व प्रेरणा मिली ।

वारीन्द्रकुमार घोष

सन् १९०२ में डॉ० के० डी० घोष के सुपुत्र श्री वारीन्द्रकुमार घोष, जिनका जन्म सन् १८८० में इङ्ग्लैण्ड में हुआ था, कलकत्ता आये । उनका उद्देश्य बंगाल में भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हटाने के लिये राज्‍यक्रान्ति करने का था । वह अपने उद्देश्य में सफल न हुए । निराश होकर सन् १९०५ में उन्हें बंदीदा लौट जाना पड़ा । इसके बाद सन् १९०४ में वे कलकत्ता आये और उन्हें बदली हुई परिस्थितियों में कुछ सक्रियता मिली ।

पृष्ठभूमि

बंगाल में उस समय तक श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द की विचार धारा की भी छाप पड़ चुकी थी । परमहंस ने शक्ति पूजा पर जोर दिया और स्वामीजी ने कर्मयोग द्वारा जीवन की साधना पर । दोनों के विचारों का सम्मिलित भाव यह था कि अपने पैरों पर आप खड़े होना तथा जीवन में शक्ति प्राप्त करो । चापि इन महान् पुरुषों का संदेश सारी मानवता के लिये था, पर बंगाल के घर घर में इनकी विचार धारा ने क्रांति के बीज बो दिये । ऐसे ही समय में जापान की रूस पर विजय हुई । इस विजय का सारे एशिया पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा । 'कुछ करो या मरो' की भावना सर्वत्र फैल

गई। बंगाल के जीवन और साहित्य पर वैष्णव भावना की छाप तो पहले से ही थी। गीता उनकी प्रिय पुस्तक थी। गीता में आत्मा की अमरता और अधिकारों के लिये युद्ध करने का संदेश है। फिर राष्ट्रीयता स्वाधीनता के संगम में बंगाल कैसे पीछे हटता। कितने शब्दों में स्वामी विवेकानन्द ने काली से शक्ति की भीख मांगी है।

“Oh India wouldst thou with these provisions only scale the highest pinnacle of civilization and greatness? Wouldst thou attain by means of the disgraceful cowardice, that freedom deserved only by the brave & heroic..... Oh thou Mother of strength, take away my weakness, take away my unmanliness, and make me a man” ओ भारत क्या हम इसी प्रकार उच्चति के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ सकेंगे? क्या हम अपने अपमानजनक ह्युवता से उस स्वतन्त्रता की प्राप्तिकेंगे जिसे उपभोग करने का अधिकार केवल वीरों और बहादुरों को है। ओ मां काली! हमें शक्ति दो और हमारी कमजोरियां दूर करो। हमसे कापुरुषता छीनलो और हमें मनुष्य बनाओ।

ऐसे ही उच्चैजित वातावरण में लॉर्ड कर्जन ने यूनीवर्सिटी बिल्ड बनाया। जब बंगाल के शिक्षित वर्ग में इसके पक्षविपक्ष में चर्चा हो ही रही थी उसी समय बंगाल के बंटवारे का प्रश्न खड़ा। उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांत के अन्तर्गत थे। लॉर्ड कर्जन व अन्य अधिकारी बंगाल के बंटवारे के लिये कटिबद्ध थे। कलकत्ते के राजनीतिक दल इसके धोर विरोधी थे। उनका पक्ष भी ठीक ही था। इस बंटवारे से एक बंगाली भाषाभाषी प्रान्त के दो टुकड़े कर दिये गये। समाचार पत्रों एवं लोक वेदाओं के विरोध के विपरीत भी जुलाई १९०२ में यह बंटवारा हो गया। इसके परिणामस्वरूप

बंगाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन को काफी बल मिला ।

बंग आन्दोलन

पत्रों, विज्ञप्तियों और भाषण द्वारा बंगाल और बिहार के बंटवारे का आन्दोलन काफी जोरों से चला । कार्यकर्ताओं द्वारा जनता को स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि किस प्रकार उनका शोषण हुआ है और उनसे कहा गया कि उस शोषण से बचने का उपाय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संगठित मार्चा या सशस्त्र विद्रोह ही है । विदेशी कर्कों का वहिष्कार व स्वदेशी का आन्दोलन खूब जोरों से चला । इसी समय मां काळी की उपासना के साथ साथ घर घर में बन्देम तगम् का प्रचार हुआ । ऐसे ही समय में श्री वारीन्द्र कलकत्ता वापिस आये । उन्होंने श्री अविनाश महाचारजी और भूपेन्द्रनाथ दत्त के सहयोग से युगान्तर पत्र निकाला । करीबन १॥ वर्ष चलने के पश्चात् यह पत्र उसके आधुनिक रूपों के हाथ में आगया । वरीन्द्र ने हथियारों को और खदकों को इकट्ठा करना प्रारम्भ किया । सर्व श्री उल्लासकर दत्त और हेमचन्द्रदास के यहां बस बनने लगे । इन सबों ने मिलकर अनुशीलन समिति नाम की एक संस्था बनाई, जिसकी एक शाखा बलकत्ता और दूसरी ढाका में थी । इस संस्था का नारा था 'Unrest must be created: Welcome therefore unrest whose historical name is revolt' अर्थात् असंतोष की उत्पत्ति अवश्य होनी चाहिये अतएव इसका स्वागत करो । इसका दूसरा नाम विद्रोह है ।

इसी समय (बोगीराज) अरविन्द घोस भी बड़ौदा से आकर इस संस्था में मिल गये । इसकी कार्यवाही का मुख्य पत्र युगान्तर था । इसकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी । अन्त में सन १९०८ में सरकार को इसे जप्त कर लिया । इस महायज्ञ में 'सन्न्या' पत्र ने भी अपनी आहुतियां दीं । छात्रों की संख्या में विज्ञप्तियां जनता में बांटी गईं । जिससे विद्रोह की आग चारों ओर फैल गई ।

लोगों को सशस्त्र क्रान्ति के लिये संगठित करने के लिये जिन पुस्तकों ने सहायता दी उनमें श्रीमद्भगवद्गीता,, विवेकानन्दजी के लेख व मैजिनी व गैरीवाल्डी का जीवन जीवन चरित्र मुख्य हैं। भवानीमन्दिर में काली की पूजा से बंगालियों को मानसिक, शारीरिक शक्ति की वृद्धि करने का संदेश मिला। दो अन्य पुस्तकें भी इस दशा में उल्लेखनीय हैं। उनमें से 'वर्तमान स्थानीति' और 'मुक्ति कौन पथे?' मुख्य थीं। पहली पुस्तक में कर्म करने और शक्ति की पूजा करने का आदेश दिया गया है। दूसरी पुस्तक में लुक छिप कर हथियार एकत्र करने तथा उनके प्रयोग करने की शिक्षा दी गई है। शक्ति व दबाव के द्वारा धन संग्रहित करने की प्रेरणा भी उक्त पुस्तक में दी गई। सैनिकों से दोस्ती करने व विदेशी सहायता से क्रान्ति का संदेश इन्हीं पुस्तकों द्वारा फैलाया गया।

क्रान्तिकारियों के कार्य

बंगाल में क्रान्तिकारी कार्यवाहियां सन् १९०६ में प्रारम्भ हुईं। प्रारम्भिक २ वर्षों में उनकी योजनायें सुसंगठित नहीं। हां, दिसम्बर १९०७ तक उनमें काफ़ी संगठन शक्ति आ गई। ६ दिसम्बर १९०७ को मिदनापुर के निकट बंगाल के गवर्नर की गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया। अक्टूबर १९०७ में ढाका जिले में एक आदमी के चुरा भोंक कर उसे लूटा गया। २३ दिसम्बर को ढाका के भूतपूर्व मजिस्ट्रेट श्री ऐलन के गोली मारी गई। ११ अप्रैल १९०८ को चन्द्रनगर के मेयर के मकान पर बम फेंका गया। ३० अप्रैल को मुजफ्फरपुर में एक बम से, जो मि० किंग्सफोर्ड के मकान पर फेंका जाने वाला था, श्रीमती और मिस कैनेडी, जो पास से ही जा रही थीं, घायल हुईं। पुलिस को पहले से ही पता चल गया था कि मि० किंग्सफोर्ड की हत्या होने वाली है। उन्हें एक किताब, जिसमें बम रखा हुआ था, भेजी भी गई थी। परन्तु उन्होंने उसे खोली नहीं। अन्यथा उन्हें पहले ही प्राणों से हाथ धोना पड़ता। इस सम्बन्ध में

दो नवयुवक गिरफ्तार हुए जिनमें से एक को फांसी दी गई तथा दूसरे ने गिरफ्तार होने पर आत्मघात कर लिया। जिस पुलिस सब इन्स्पेक्टर ने उसे पकड़ा था वह ६ नवम्बर को गोली से क्रान्तिकारियों द्वारा मार दिया गया।

अलीपुर षड्यन्त्र व अन्य हत्यायें

२ मई को पहले किये गये अपराधों के सिलसिले में कलकत्ते में जगह जगह पर तलाशियां हुईं और करीबन ३४ व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ्तार हुए। इनमें से एक नरेन्द्र गोसाईं मुखबिर बन गया। १५ व्यक्तियों पर राजद्रोह का अपराध प्रमाणित हुआ जिनमें श्री वारीन्द्र कुमार घोष भी थे। इस मुकदमें को अलीपुर षड्यन्त्र केस कहते हैं। जब मुकदमा चला ही रहा था तभी मुखबिर नरेन्द्र गोसाईं को गोली मार दी गई। १० फरवरी १९०६ को पब्लिक प्रार्थिक्यूटर तथा २४ जनवरी १९१० को डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को गोली से मार दिया गया। इस प्रकार से राजनीतिक अपराधों की संख्या बढ़ती गई।

१५ मई १९०८ को प्रेस्ट्रीट कलकत्ता में एक बम फटा जिससे चार व्यक्ति घायल हुए। उसी वर्ष दिसम्बर तक कलकत्ते के पास रेलगाड़ियों में बम फेंकने की चार घटनायें हुईं। २ जून १९०८ को ढाका जिले में करीबन ५० व्यक्तियों ने मिलकर एक सेठ के यहां से २५०००) नगद व ८३७) का जेवर का माल लूटा। उन्होंने देहात के चौकादार को गोली से मार दिया। तीन व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ्तार भी हुए, पर उनका अपराध प्रमाणित न हो सका। ऐसी ही दूसरी दकैती ३० अक्टूबर को फरीदपुर जिले में नदिया में हुई जिसमें सशस्त्र तीस या चाबतीस व्यक्तियों ने टिकिट घर व तीन मकानों को लूटा। (१०००) के इनाम की भी घोषणा की गई, पर अपराधियों का कोई पता न चला। इसके बाद तो १५ अगस्त १९०८ से १६ सितम्बर १९०८ तक मैमनासिंह जिले में वजीतपुर और

दुर्गली जिले में विधारी जिले में डकैतियां हुईं। इन दोनों स्थानों में नौजवानों ने पुलिस के आदमी बन कर घरों की तलाशियां लीं और फिर लूटना प्रारम्भ किया। इसी के कुछ दिनों बाद क्रान्तिकारी दल के सर्वे श्री सुकुमार, केशवदे और आनन्द प्रसाद घोष की हत्याओं की गईं। ऐसा सोचा जाता था कि ये लोग अनुशीलन समिति के बाबत कोई सूचना अधिकारियों को दे देंगे। ७ नवम्बर १९०८ बंगाल के गवर्नर सर एन्ड्रयू फ्रेजर को गोली मारने का प्रयत्न किया गया। अभियुक्त पकड़ा गया और उसे १० वर्ष की सज़ा हुई।

१९०९ के बाद

३ जून १९०६ को उसके भाई गणेश के धोखे में श्री प्रियनाथ चटर्जी की हत्या की गई। १६ अगस्त को खुलना जिले के नासंगा गांव में राजनीतिक डाका डाला गया। करीबन १०७०) नकद और जेवरात आक्रमणकारियों के हाथ लगे। ११ अक्टूबर १९०६ को ढाके के पास रेलगाड़ी पर हमला करके करीबन २३ हजार रुपये प्राप्त किये गये। १० नवम्बर १९०६ को ढाका जिले के राजनगर गांव में क्रान्तिकारियों ने एक मकान से २८ हजार रुपये लूटकर प्राप्त किये। ११ नवम्बर को उन्होंने त्रिपुरा के मोहनपुर शहर से करीबन १६ हजार रुपये प्राप्त किये। इन महत्वपूर्ण डकैतियों के अतिरिक्त १९१० की मुख्य घटना सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस सम्मुख आत्मम की हत्या है जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। उसप लिखी हुई डकैतियों की जांच के लिये मार्च १९१० से हाबड़ा पदमन्त्र केस चला जो अप्रैल १९११ में समाप्त हुआ। इसमें करीबन ६० व्यक्तियों के ऊपर आरोप था।

सन् १९१० के पूर्वार्द्ध में खुलना और जैसूर जिले में २ डाके ६ हजार के, १ ढाका २ हजार का तथा एक ढाका २००) का पकड़ा। सभी में नवखुबक क्रान्तिकारी थे। इसी वर्ष उन पर पदमन्त्र केस चला,

जिसमें चत्वारिस व्यक्तियों पर आरोप था, जिसमें से १५ व्यक्तियों को ७ से २ वर्ष तक की सख्त सज़ा दी गई। उन व्यक्तियों में से श्री प्रखिन बिहारी दास भी थे। इन सब मुकदमों का अपराधियों पर कोई भी प्रभाव न पड़ा और अपराधों की संख्या बढ़ती गई। १९१० के उत्तरार्ध में पांच डाके पड़े जिसमें मैमनसिंह और ढाके के डाकों में अस्त्रों की चोरी की गई। ढाका, फरीदपुर और बाकरगंज के डाकों में आक्रमणकारियों के हाथ क्रमशः (१५००); (१२६६०) और ४६३६८) लगे। इसी वर्ष प्रेस एक्ट बना जिसके अंतर्गत किये गये दमन के प्रतिरूप पत्रों द्वारा साम्राज्य-विरोधी प्रचार कम हो गया।

सन् १९११ में क्रान्तिकारियों द्वारा १८ घटनायें की गईं, जिनमें से १६ घटनायें पूर्वी बंगाल की थीं। इनमें डाक कर्मचारी पर आक्रमण, डकैतियां, मैमनसिंह के राजकुमार की हत्या आदि घटनायें मुख्य हैं। सब से बड़ी डकैती बाकरगंज जिले की थी, जहां (१०,२००) प्राप्त हुये। इनमें से जो डाक कर्मचारी पर हमला किया गया था वह सोन-मर्ग राष्ट्रीय स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा था। इस सम्बन्ध में १४ अध्यापक और लड़के गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से सात को सज़ा हुई। इस स्कूल ने क्रान्तिकारी आन्दोलन में काफ़ी हाथ बटाया। शेष दो घटनायें कलकत्ता की थीं। २१ फरवरी को कलकत्ता के शिरीषचन्द्र चक्रवर्ती नामक कांस्टेबिल को क्रान्तिकारियों ने गोली से उड़ा दिया। दूसरी घटना एक यूरोपियन की कार में एक २६ वर्ष के लड़के द्वारा बम फेंकने की थी। इस वर्ष के अंत में ही दिल्ली दरबार द्वारा पूर्वी और पश्चिमी बंगाल मिला दिये गये और इस प्रकार बंग के अंगभंग को लेकर जो आन्दोलन चला था, वह एक तरह से समाप्त हो गया।

सन् १९१२ की सब से मुख्य घटना वरिखाल पदयन्त्र केस है। डाक अनुशीलन समिति द्वारा बाकरगंज जिले में कुशनगल, काकुरिया और बीसगल आदि में डाले गये। नवम्बर १९१२ कोमिस्त्रा में डाके

हालते हुए १२ नवयुवक गिरफ्तार हुये जिनमें से दस को सजा मिली । नवम्बर २८ को श्री गिरीन्द्र मोहनदास को सन्दूक से गोळियां व कुछ ऐसे कागज़ात पुलिस को मिले जिससे ढाका अनुशीलन समिति के विधान और कार्यवाहियों का पुलिस को पता चला । इसी समय शारदा चक्रवर्ती तथा हैडकॉस्टेबिल रतिलाल की हत्या भी की गई । इसी वर्ष ढाका जिले के पानम गांव में डाकों द्वारा वागियों को २० हज़ार रुपये व नानगल बांड से १६ हज़ार रुपये प्राप्त हुये । इसके अतिरक्त और भी छोटे छोटे डाके डाले गये । अंतिम घटना १३ दिसम्बर को सिदनापुर में अ दुल रहमान की हत्या के लिए बम फेंकना था । लॉर्ड हार्डिंज पर दिल्ली में भी इसी समय बम फेंका गया ।

१९१३

१९१३ में क्रान्तिकारियों ने अपने कार्य को जोर शोर से प्रारम्भ किया । दो पुलिस के अधिकारियों की हत्या की गई । २८ सितम्बर की शाम को हैडकॉस्टेबिल हरिपद देव को गोळि से मार दिया गया । उसके दूसरे दिन मैमनसिंह शहर में इन्स्पेक्टर बंकिमचन्द्र चौधरी के मकान पर बम डाला गया जिससे उनकी हत्या हुई । सिलहट में मि० गार्डन की हत्या का प्रयत्न किया गया, पर आक्रमणकारी क्रान्तिकारी बम के फट जाने से स्वतः घायल हो गया । पैसे के लिये इस वर्ष दस डकैतियां डाली गईं । इनसे करीबन ६१,००० रुपये आक्रमणकारियों को प्राप्त हुए । इस वर्ष बरिसाल पदयन्त्र केस का फैसला सुनाया गया जिसमें २६ में से १४ अभियुक्तों को दो से १२ साल तक की सजा दी गई ।

१९१४

इस वर्ष की क्रान्तिकारी घटनायें तीन भागों में बांटी जा सकती हैं । पूर्वी बंगाल की, हुगली की और कलकत्ते के आस पास के २४ परगनों तथा कलकत्ते की पूर्वी बंगाल में जो घटनायें हुईं भी इनमें से मैमनसिंह

जिले में १७,७००) और २३,००० हजार रुपये के दो बड़े बड़े डाके पड़े। चिटगांव और ढाका जिले में सत्येन्द्र सेन और रामदास की क्रमशः हत्या की गई। कलकत्ता के आस पास डकैती की पांच घटनायें हुईं। उनमें से सबसे मुख्य रोड़ा एण्ड कम्पनी के यहां से पिस्तौलों की चोरी थी। उक्त कम्पनी में हथियारों की २०२ पेटियां आईं थीं। उसके एक कर्मचारी ने कस्टम्स से १६२ पेटियां तो कम्पनी में पहुँचा दीं। शेष दस पेटियां लेकर वह कभी नहीं लौटा। इन पेटियों के हथियार बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच में बाँटे गये और उनकी सहायता से बंगाल के सशस्त्र क्रांतिकारी आन्दोलन को बल मिला। कलकत्ते की हत्या की सबसे बड़ी घटना इन्सपेक्टर नृपेन्द्र घोष की हत्या थी। आक्रमणकारी व्यक्ति पकड़ा गया। पर दो बार जूरी लोगों ने उसे 'अपराध रहित' घोषित किया। इसी साल डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बसन्त चटर्जी की हत्या के दो बार असफल प्रयत्न किये गये।

१९१५

यह वर्ष कलकत्ते में क्रान्तिकारियों द्वारा किये गये अनेक कार्यों के उल्लेख आवश्यक है। कलकत्ते में चार डकैतियां ओटोमोबाइल टैक्सी की सहायता से डाली गईं। उनमें से गार्डन रीच की डकैती १८ हजार की, बेल्हीधर की २२ हजार की व कोरपोरेशन स्ट्रीट की २५ हजार की मुख्य थी। गार्डन रीच की डकैती श्री जतिन मुखर्जी और विपिन गंगुली के नेतृत्व में हुई जिन्होंने बर्ड एण्ड कम्पनी के एक कर्मचारी से, जो २० हजार रुपये लेकर जा रहा था, १८ हजार रुपये छीन लिये। उसी के एक सप्ताह बाद बाबूघाट में श्री जतीन मुखर्जी के नेतृत्व में एक चावल के दूकानदार के खजांची से २० हजार रुपये नगद छीन लिये गये। बाद में टैक्सी ड्राइवर की, संभवतः आज्ञा उल्लंघन करने के अपराध में, हत्या कर दी गई। इन डकैतियों के एक सप्ताह के ही अन्दर निरोद हवलदार और इन्सपेक्टर सुरेशचन्द्र मुखर्जी की हत्या की गई।

इन सबके पीछे श्री जतीन मुखर्जी का हाथ था। मार्च के अन्त में पुलिस को पता चला कि श्री जतीन बलासोर की तरफ गया है। वहीं पर पुलिस व क्रांतिकारियों की मुठभेड़ हुई जिसमें प्रसिद्ध क्रांतिकारी चित्रप्रिय मारे गये और श्री जतीन मुखर्जी घायल हुए। जतीनजी की मृत्यु कुछ ही समय बाद हो गई।

२१ अक्टूबर के बाद कलकत्ते में ऐसा कोई भी पंखवारा न गुजरा जब कोई न कोई कार्य क्रांतिकारियों ने न किया हो। कलकत्ते के क्रांतिकारियों ने कलकत्ते के आस पास के इलाकों में भी डांके डाले जिसमें नादिया जिले का डाका मुख्य है। इसमें उनके हाथ करीबन २१ हजार रुपये लगे और कांस्टेबल और तीन दूसरे व्यक्ति जान से मारे गये और ११ घायल हुए। इस काल की पूर्वी बंगाल की सबसे बड़ी घटना हरिपुर के जमींदार के यहां का डाका था, जहां डाकुओं ने जमींदार के दरबान को मार कर व तीन देहातियों को बुरी तरह घायल करके १८ हजार रुपये की रकम प्राप्त की। इसी के बाद ७ सितम्बर को मैमनसिंह जिले में चढ़कोना का बाज़ार लूटा गया। क्रान्तिदल ने पांच दुकानें लूटीं और २१ हजार रुपये का माछ ले गये। ऐसी ही एक डकैती २६ दिसम्बर को करटोखा में (त्रिपुरा जिले में) डाली गई जहां युवकों ने (१५०००) वसूल किये। इन प्रमुख डकैतियों के अतिरिक्त और भी बड़ी मोटी डकैतियां या हत्यायें की गईं। उनमें से मैमनसिंह जिले में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री जतीन्द्र मोहन घोष की हत्या मुख्य थी।

इस वर्ष उत्तरी बंगाल में, जो अब क शान्त रहा था, हिंसात्मक कार्यवाहियां हुईं। २१ जनवरी को २० और २५ नवयुवकों ने रंगपुर जिले के कुरोल गांव में डाका डालकर ५० हजार रुपये प्राप्त किये। ऐसी ही एक डकैती राजशाही जिले में डाली गई, जिसमें डाकुओं के हाथ २५ हजार रुपये लगे। इसी समय रंगपुर के एडिशनल सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस राय साहब नन्दकुमार बसु की हत्या का असफल प्रयत्न किया गया।

१९१६

१९१६ के प्रारम्भ में श्री पुलिन मुखर्जी, अतुल घोष और उनके अन्य साथियों द्वारा कलकत्ते में तीन डकैतियां डाली गईं जिनमें दो में वह असफल रहे तथा एक डकैती में उन्हें करीबन् ६००० प्राप्त हुये। इस साल की सब से प्रसिद्ध डकैती गोपीराय गहरी की थी, जहां से क्रान्तिकारियों को करीबन ११,५०० रुपये मिले। १६ जनवरी को कलकत्ते के काबोज स्ट्रेअर में सब इन्स्पेक्टर मधुसूदन भट्टाचारजी की हत्या की गई।

पूर्वी बंगाल में हत्याओं के अतिरिक्त त्रिपुरा में १४६८० व १७५०० की दो मुख्य डकैतियां, फरीदपुर में ४३,००० की, व मैमनासह में ८० हजार की डकैतियां डाली गईं। इसके अतिरिक्त अनेक हत्यार्यों भी की गईं।

१९१७

इस वर्ष की मुख्य घटनाओं में से रंगपुर जिले में २० जून १९१७ को २६४००), २७ अक्टूबर १९१७ को ढाका जिले के अब्दुल्लापुर शहर में २४,८५०) तथा त्रिपुरा जिले में ३ नवम्बर को ३३ हजार की डकैतियां डाली गईं। इसी साल अरमीनियन स्ट्रीट में बड़ावाजार में एक सुनार की दूकान पर ढाका डाला गया और करीबन ५,४,५६ रुपये का माल क्रान्तिकारियों ने लूटा। यहां यह देखने का है कि इस वर्ष बड़े आदमियों के यहां ही ढाके डाले गये और ढाकों में काफी बर्बरता से रकम वसूल की गई।

इस प्रकार से हम देखते हैं कि सन् १९०६ से १९१७ तक बंगाल में जो घटनायें घटीं वह काफी आतंक पूर्ण थीं। यदि इन क्रान्तिकारियों के पास अस्त्रों-शस्त्रों की व्यवस्था पूरी होती तो यह अपने उद्देश्य में कहीं अधिक सफल हुए होते। शस्त्रों के अभाव में इन्होंने सुसंगठित मोर्चे न खड़कर अलग अलग जो आतंकवादी कार्यवाहियां कीं उससे

वह अधिक सफल न हो सके। फिर भी इन्होंने विदेशियों के हृदय पर भारतीयों के स्वातंत्र्य प्रेम एवं उग्र राष्ट्रीयता की छाप लगा दी। इन क्रांतिकारियों का संगठन कैसा था, इस की चर्चा अगले अध्याय में की जायगी।



बङ्गाल में क्रान्तिकारी संगठन



गत पृष्ठों में हमने बंगाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा की है अब हम इस आन्दोलन के पीछे क्रान्तिकारियों का जैसा संगठन था, इसकी चर्चा करेंगे। यद्यपि विभिन्न क्रान्तिकारी दलों में तथा उनकी क्रिया-प्रणाली में अन्तर था, फिर भी उनमें काफ़ी समानता भी थी।

संगठन

नवम्बर १९०८ की ढाका अनुशीलन समिति के कार्यालय की जो तलाशी ली गई उससे पता चला कि क्रान्ति की दृष्टि से बंगाल प्रान्त के कई भाग कर दिये गये थे, जिनके अंतर्गत कई उपकेन्द्र थे और उन में कार्य की दृष्टि से योग्य व्यक्ति रखे गये थे। समिति में कार्य करने वालों को निम्न लिखित चार प्रतिज्ञायें करनी पड़ती थीं—

(१) आदि प्रतिज्ञा (२) अन्तिम प्रतिज्ञा (३) प्रथम विशेष प्रतिज्ञा (४) द्वितीय विशेष प्रतिज्ञा।

आदि प्रतिज्ञा:—इस के अनुसार 'मैं समिति से कभी अलग न हूँगा। मैं समिति के कानून माँऊंगा। मैं बिना प्रतिवाद के अधिकारियों की आज्ञा माँऊंगा। मैं दख के नेता से कुछ भी न छिपाऊँगा व सत्य के अतिरिक्त और कुछ न बोलूँगा' आदि प्रतिज्ञायें मुख्य थीं।

अन्तिम प्रतिज्ञा:—इसमें नीचे लिखि प्रतिज्ञायें थीं—

(१) 'मैं समिति की आंतरिक स्थिति के सम्बन्ध में किस से कुछ न कहूँगा।'

(२) मैं बिना दल के नेता को सूचना दिये इन्फर से उधर न जाऊँगा। मुझे जैसे ही समिति के झिंझाए किसी षडयन्त्र की सूचना मिलेगी, मैं जैसे ही उसकी सूचना परिचालक या नेता को दूँगा।”

(३) मैं कहीं भी हूँ परिचालक की आज्ञा पर तत्पर उपस्थित होंगा।

(४) मैंने जो कुछ इस समिति में पढ़ा है उसकी जानकारी मैं तब तक किसी को न दूँगा जब तक वह समिति का प्रतिज्ञाबद्ध सदस्य न हो जाय।

प्रथम विशेष प्रतिज्ञा:—(i) जब तक समिति का उद्देश्य न सिद्ध हो जाय, मैं समिति को छोड़ कर कहीं भी न जाऊँगा। मैं पिता माता, भाई बहिन किसी के स्नेह की चिन्ता न करूँगा और परिचालक की इच्छानुसार ही कार्य करूँगा। मैं स्थान और अस्थिरता को छोड़ कर सारा कार्य दत्तचित्त और गम्भीरता से करूँगा।

(ii) अगर मैं यह प्रतिज्ञा पूरी न कर सकूँ तो ब्राह्मण, पिता-माता और महान् देश भक्तों का अभिशाप जला कर मुझे खाक करदे।

द्वितीय विशेष प्रतिज्ञा:—(i) ईश्वर, अग्नि, माँ और नेता के सम्मुख (उन्हें साक्षी बनाते हुए) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सारा कार्य समिति के विकास के लिये करूँगा और इसके लिये अपने जीवन व सब कुछ को अर्पित कर दूँगा। मैं नेता की सारी आज्ञायें मानूँगा और जो नेता के विरोध में काम करेंगे, मैं उनके विरोध में काम करूँगा और उन्हें अधिक से अधिक जितनी चोट पहुँचा सकूँगा, पहुँचाऊँगा।

(ii) मैं समिति के आंतरिक रहस्य के सम्बन्ध में किसी से बातचीत न करूँगा और न समिति के सदस्यों से ही इस सम्बन्ध में कोई अन्यायपूर्ण बातचीत करूँगा।

ये प्रतिज्ञायें अधिकांश अवस्था में माँ काशी के सम्मुख देय-पूजा के बाद की जाती थी। सदस्यों के कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने

के लिये नियमावली होती थी, जिसमें उनकी शिक्षा, खाटी, खर्च और रहन सहन के सम्बन्ध में चर्चा रहती थी। २ सितम्बर १९०६ को नागला हकैती के सम्बन्ध में कलकत्ते में चोरबा गान स्ट्रीट में जो तलाशी की गई उससे पता चला कि क्रान्तिकारी रूसी तरीकों से परिचित थे। उन्हें छिप कर कार्य करने के तरीकों का भली प्रकार अनुभव था। उनका क्रान्तिकारी संगठन साधारण और विशेष विभागों में बँटा हुआ था। साधारण के अंतर्गत, दल का संगठन, प्रचार और आन्दोलन था। विशेष दल के अन्तर्गत क्रान्तिकारी कार्य आता था—यथा बम बनाना, पैसा एकत्रित करना तथा सशक्त कार्यवाही करना—आदि आदि। अनुशासन भंग करने पर मृत्यु दंड देने का नियम था। ये दल प्रान्त जिला, नगर, देहात आदि के सदस्यों में बँटे हुये थे।

२० फरवरी १९१३ को श्री रमेश आचारजी की तलाशी से जो कागज़ात मिले उनसे पता चला कि जिले में बँटे हुये क्रान्तिकारियों के केन्द्र के अधिकारियों को तीन माह के अन्तर्गत की गई अपनी सारी कार्यवाहियों की रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। अन्य क्रान्तिकारियों के पास से भी जो कागज़ात प्राप्त हुए, उनसे उक्तमत का ही समर्थन मिलता है। अधिकांश अवस्था में नवयुवकों व विद्यार्थियों को लेकर ही यह आन्दोलन चला और जोर पकड़ता गया।

शक्ति पूजा

अपने उद्देश्यों की सफलता के लिये क्रान्तिकारी शक्ति पूजा में विश्वास करते थे। सन् १९०५ में भवानी मन्दिर नाम की एक विद्वत्सि निकेली जिसमें क्रान्तिकारियों के उद्देश्यों की घोषणा की गई। भवानी मन्दिर, शहर के कोलाहल से दूर, किसी एकान्त स्थान में होते थे, जहाँ क्रान्ति के पूजारी ब्रह्मचारी और संन्यासी के रूप में शक्ति की आराधना करते थे। इन विचारों की उत्पत्ति बंकिम बाबू के सुपसिद्ध आनन्द मठ उपन्यास से हुई। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसकी पुष्ट

भूमि सन् १७७४ का सन्यासी विद्रोह है। इसमें सशस्त्रसन्यासियों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों से खुल कर मुठभेड़ की। इसी समय अस्त्र शस्त्र व उनकी शिक्षा सम्बन्धी बहुत सी पुस्तकें जगह-जगह क्रान्तिकारियों के पास से पकड़ी गईं।

निष्कर्ष

बसपि प्रांत में बरततत्र कई विभिन्न घटनायें घटीं, परन्तु ऐसा मानना कि उनमें कोई तारतम्य न था वा वह असम्बद्ध या अलग अलग ही थीं, सोचने की गलत दिशा है। उन सब घटनाओं के पीछे एक महान् क्रान्तिकारी ज्वाला सुलग रही थी जिसका उद्देश्य अपने देश को विदेशियों के पंजे से छुड़ाना था। इन क्रान्तिकारियों के जीवन में असीम साहस व आत्म-बलिदान की भावनायें थीं। मां शक्ति की पूजा और ब्रह्मचर्य की शपथ ने इन्हें इनके कार्य के लिये काफी सबल और उपयोगी बनाया था। ढाका अनुशीलन समिति और उत्तरी तथा दक्षिणी बंगाल की क्रान्तिकारी समितियां काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थीं। उनकी अनुशासन व संगठन व्यवस्था भी अच्छी थी। ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक श्री पुखिन बिहारीदास थे। १९०८ में यह संस्था गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी, पर फिर इसका दफ्तर कलकत्ते में खुला। वहाँ पर श्री मन्मथन सेन के नेतृत्व में यह संस्था काफी फूली फली। देश के अन्तर्भागों में क्रान्तिकारियों से संपर्क रखने में भी इस संस्था का हाथ था।

प्रचार-साहित्य

क्रान्तिकारियों का प्रचार-साहित्य बहुत अधिक था। जब मि० मॉन्टेगू भारतवर्ष में आये तब इन्होंने उनके विरुद्ध लोगों को उभारने के लिये एक विज्ञप्ति में कहा:—“अब हमें क्या करना चाहिये। हमारा कर्तव्य साफ है। हमें मि० मॉन्टेगू के आने जाने से कुछ मतलब नहीं। वह शान्ति से से आ-रहे हैं वह शान्ति से चले जायें। हमें इससे क्या? लेकिन सब से

पहले और आतंक की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिये। इस अपवित्र सरकार का अस्तित्व ही इतने में डाल दो। मृत्यु की छाया से अन्धकार में किये रहो और विदेशी सत्ता पर टूट पड़ो। जेल में मरने वाले अपने भाइयों को याद करो। जो दलदल में पड़े हुए हैं, उन्हें याद करो, जो मर चुके हैं यागल हो गये हैं, उन्हें याद करो। आँखें खोलो और काम करो।”

“हम तुम सबों को राष्ट्र और ईश्वर के नाम पर बुलाते हैं। सभी नव-युवक और वृद्ध, अमीर व गरीब, हिन्दू या मुसलमान, आओ। भारत की कौ इस स्वाधीनता की लड़ाई में सम्मिलित होओ। अपना रक्त बहा दो। देखो ! माता बुला रही है।”

क्रान्तिकारियों के पत्रों पर जो मुहर लगी रहती थी उस पर ‘जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ अंकित रहता था जिसका अर्थ है कि ‘माँ और राष्ट्र स्वर्ग से अधिक महत्वपूर्ण हैं।’

शिक्षालयों में भर्ती

बंगाल के क्रान्तिकारी दलों में स्कूल और कॉलेजों के नवयुवक सम्मिलित होते थे। इन दिनों इनके खुलने की भी मांग बहुत अधिक रही। तात्कालिक सरकार भी इन्हें विद्रोह का अड्डा समझती थी और इनसे सशङ्क रहती थी। यह विद्रोह की अग्नि समाचार पत्रों और विज्ञापनों के माध्यम से विद्यार्थियों में फैलाई गई। बहुधा क्रान्तिकारी या तो बाहर से किसी व्यक्ति को चुन कर शिक्षा के लिये स्कूल या कॉलेजों में भेज देते थे या फिर किसी स्कूल के प्राध्यापक के माध्यम से उसके अन्दर पढ़ने वाले विद्यार्थियों में क्रान्ति की भावनाएँ फैलाते थे। इन भावनाओं के फैलाने में वे गीता, स्वामी विवेकानन्द व श्रीरामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से काफी लाभ उठाते थे। काली की उपासना की भी सर्वत्र धूम थी। क्रान्तिकारी दल में जो विद्यार्थी चुने जाते थे उनमें से सबसे अच्छे के सम्पर्क जाते थे जो नाबालिग होते थे, उसके बाद वे जो अविवाहित होते

होते थे, उसके बाद वे जो विवाहित नवयुवक होते थे। सब से अन्त में वे जो बड़े और संसारी थे। इसके बाद उनका नम्बर आता था जो देश के लिये सब कुछ कुर्बान कर सकते थे। आखिर में वे लोग आते थे जो केवल आर्थिक सहायता कर सकते थे।

विदेशों में क्रान्ति की योजनायें

इस देश में जो क्रान्तिकारी दल अपना कार्य कर रहा था, उसका एक भाग विदेशों में भी हिन्दुस्थान की क्रान्ति के लिये सुसंगठित घरातल तैयार करने में व्यस्त था। उन दिनों इङ्ग्लैंड और जर्मनी के सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे थे। इसलिये 'शत्रु-के शत्रु मित्र होते हैं' इस सिद्धान्त पर यह दल जर्मनी और भारत के सम्बन्ध अच्छे करने में और जर्मनी से सम्मत्ता और स्वाधीनता के सिद्धान्त पर सहायता देने को प्रसूत था। उस दिनों अमेरिका में यह कार्य प्रसिद्ध क्रान्तिकारी खाला हरदयाल कर रहे थे जो बाद में जर्मनी में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री चैम्पेकर पिलहई के साथ मिल गये थे। इन लोगों का कार्य अधिकतर ब्रिटेन विरोधी प्रचार या उनके क्रान्तिकारी सैन्यसिस्कों, वटैविवा, शंकाई आदि में जर्मनी के राजदूतों के अंतर्गत काम करते थे। सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी राजा महेन्द्र प्रताप ने भी विदेशों में भारतीय क्रान्ति के लिये बड़ा काम किया। वे जर्मनी के केसर आदि से मिलकर इस क्रान्ति को संपुष्ट करना चाहते थे।

१९१५ के प्रारम्भ में बङ्गाल के कुछ क्रान्तिकारियों ने मिल कर जर्मनी की सहायता से सारे भारत में क्रान्ति करने व श्याम तथा अन्य स्थानों से बङ्गाल के क्रान्तिकारियों का सम्बन्ध जोड़ने का निश्चय किया। साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि डकैतियों द्वारा धन का संग्रह किया जाय। इसके पश्चात् कुछ डकैतियां डाली गई जिनमें अक्षयकांठ कारियों को ४० हजार रुपया मिला। जोलानाथ चटर्जी को विद्रोहियों से सम्पर्क साधने के लिये बैङ्गालंग भेजा गया। श्री जतीन्द्रनाथ सहरी, जो यूरोप से आकर लम्बई में उतरे, अपने साथ बङ्गाल के क्रान्तिकारियों

के नाम जर्मनी की सहायता का आरवासन लाये। उन्होंने दल की ओर से एक आदमी को बटेविया भेजने को कहा। इस पर श्री नरेन्द्र महाचारजी वहां भेजे गये। उन्होंने अपना जाली नाम सी० मार्टिन रखा। इसी वर्ष जतीन मुखर्जी क्रान्तिकारियों की ओर से कलकत्ते गये। चूकि मार्टिन रीच और बैलीघाट की टुकैतियों के कारण पुलिस की जाँच बढ़ी सरगर्मी के साथ हो रही थी इसलिये श्री जतीन मुखर्जी छिप गये।

जर्मनी की सहायता

बटेविया में श्री नरेन महाचारजी 'मार्टिन' जर्मन दूतावास में गये। वहां उन्हें पता चला कि भारतीय क्रान्तिकारियों की सहायता के लिये यहाँ से जहाज हुआ एक जहाज करांची पहुँच रहा है। उन्होंने उस जहाज को कलकत्ते भिजवाने के लिये कहा। फिर वह कलकत्ते के पास सुन्दर बन में उस जहाज का सामान खोने के लिये आये। उस जहाज में, कहा जाता है, ३० हजार रायफलों, ४०० राउन्डस कारतूस व २ लाख रुपये थे। फिर 'मार्टिन' ने कलकत्ते की एक दूकान हेरो एचड सन्स को तार दिया कि 'व्यापार अच्छा चल रहा है।' यह फर्म व्यापार को न होकर क्रान्तिकारियों का प्रमुख भद्रा था। उसके बाद तो बटेविया से करीबन ४३ हजार रुपया इस फ.म. के नाम आया। इन प्रवृत्तियों का पता पुलिस को किसी तरह चल गया।

वह अन्दर ही अन्दर जाँच करने में व्यस्त हो गई। हथियारों के आ जाने के पूर्व ही क्रान्तिकारियों के सामने यह समस्या उपस्थित हुई कि उनका उपयोग कैसे किया जाय। इस विचार-दिमर्ष में जतीन मुखर्जी, जदु गोपाळ मुखर्जी, नरेन्द्र महाचारजी, भोळानाथ और अतुल घोष ने प्रधानता से भाग लिया था। उन्होंने बङ्गाल को पूर्वी बङ्गाल, कलकत्ता और बाङ्गालोर नामक तीन भागों में बाँट दिया। इसके बाद बङ्गाल को बाहरी प्रान्तों से अलग करने के लिये उन्होंने आने वाली रेलगादियों के तीन प्रमुख पुल तोड़ने का निश्चय किया। श्री जतीन्द्र को मद्रास की पुल

तोड़ने का भार सौंपा गया। बङ्गाल नागपुर रेल का चक्रवर्तुर काका पुल तोड़ने का काम भोजानाथ चटर्जी के सुपुं द किया गया। ईस्ट इंडिया रेलवे का पुल तोड़ने का भार सतीश चक्रवर्ती को दिया गया। इसके अतिरिक्त नरेन्द्र चौधरी और फणीन्द्र चक्रवर्ती के जिम्मे पूर्वी बङ्गाल में विद्रोह करने का नेतृत्व दिया गया। नरेन्द्र महाचारजी और विपिन गांगूली को कलकत्ते और फोर्ट विलियम पर अधिकार करने का काम सौंपा गया। इसी समय क्रान्ति को सफल करने के लिये जहाज द्वारा जो जर्मन अफसर आये थे उन्हें नवयुवकों को फौजी शिक्षा देने का काम सौंपा गया। श्री जदुगोपाल मुकर्जी ने मावरिक नामक जर्मन जहाज द्वारा हथियार खाने का काम अपने जिम्मे लिया। ऐसी आशा थी कि मावरिक नामक जहाज जून के अन्तिम सप्ताह में आ जायगा, पर वह जहाज न आ सका। इससे क्रान्तिकारियों में बड़ी निराशा हुई। उन्होंने अपना संदेश बंकांग भेजा और वहां के क्रान्तिकारियों से वह अनुरोध किया कि वे योजना के अनुसार अवरव हथियार भेजें।

इसी बीच में पुलिस को पह्यन्त्र का पता चल गया और कलकत्ते तथा उसके आस पास घड़ पकड़ चालू हो गई। मार्टिन ने अपना नाम बदल कर हरीसिंह रख लिया और वह बटेकिया होता हुआ अमेरिका चला गया, जहां वह गिरफ्तार होगया। इसके बाद जर्मनी ने दो एक बार हिन्दुस्थान को हथियार भेजने की योजनाएं भी बनाईं पर वे कार्यान्वित न हो सकीं। इन सब ऋगकों को लेकर सैन फ्रांसिस्को में विदेशों में हिन्दुस्थान की आज़ादी के लिये काम करने वाले लोगों पर मुकदमा चला। इन्हीं दिनों संघाई म्यूनिसिपल पुलिस ने दो चीनी व्यक्तियों को भारतीय क्रांति कारियों के लिये हथियार ले जाते हुए पकड़ा। इन में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता श्री रासबिहारी बोस का भी हाथ था।

क्रान्तिकारियों की और जर्मनी की योजनाएं सफल न हुईं। इसका कारण यह था कि जहां जर्मनीवालोंको हिन्दुस्थानके सम्बन्ध में विशेष ज्ञान

न था, वहाँ क्रान्तिकारियों की बनाई हुई योजनाओं भी पूर्ण न थीं। इन सब षड्यन्त्रों को पकड़ने में पुलिस ने जो सामयिक चतुराई बतलाई उससे उनकी संगठन शक्ति का पता माली प्रकार लगता है। फिर भी क्रान्तिकारी खुप बैठनेवाले न थे। उन्होंने किस प्रकार आगे भी विदेशी सहायता का देश की स्वाधीनता के लिये उपयोग किया। इसका परिचय आगे के परिच्छेदों में मिलेगा।

अन्य प्रान्तों में क्रान्तिकारी षड्यन्त्र

बिहार

बंगाल और बिहार एक तरह से मिले हुए हैं। बवपि दोनों प्रान्तों की भाषाएँ अलग अलग हैं, परन्तु बङ्गभङ्ग आन्दोलन ने दोनों ही में एक साथ क्रान्ति की लहर फैला दी थी। सबसे पहले क्रान्तिकारियों का काम मुजफ्फरपुर की हत्याएँ थीं, जिसमें कलकत्ते से बढे हुए एक मजिस्ट्रेट का वध किया गया था। इसके बाद निमेष में एक महन्त के घर काका डाला गया और उसे मार डाला गया। इस अपराध में मोतीचन्द और माणिकचन्द नामके दो जैन युवक गिरफ्तार हुए और जोरावरसिंह नामक युवक फरार हो गया, जिसका पता सरकार अब तक न लगा सकी। उक्त दोनों नवयुवकों पर मुकदमा चला और इनमें एक को फाँसी की सजा हुई और दूसरा सरकारी गवाह बन कर छूट गया।

इन युवकों ने राजस्थान के प्रसिद्ध देशभक्त श्री अर्जुनदासजी सेठी की शिष्या-समिति में शिष्या पाई थी। इन्होंने इटाही के उस्तादजी मैजनी का जीवन चरित्र पढ़ा था और उन सब उपायों का अध्ययन किया था, जिसके द्वारा उक्त देशभक्त ने इटाही को स्वतन्त्र किया था।

इसी सिक्कसिद्धे में श्री अर्जुनदासजी सेठी की इन्दौर में गिरफ्तारी हुई। आप उस समय राय बहादुर सेठ कल्याणदासजी

की हाई स्कूल के हैड मास्टर होकर गये थे। यद्यपि आपके खिलाफ कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिसकी वजह से आप पर मुकदमा चलाया जा सके, तहाँ भी आपको पाँच वर्ष की लम्बी अवधि तक नज़रबन्द रक्खा। अखिर श्रीमती एनिबिसेंट की सिफारिश पर आप जेल से छोड़े गये।

इसके अतिरिक्त श्री सचीन्द्रनाथ सन्याल ने बांकीपुर (बिहार) में बनारस क्रान्तिकारी दल की एक शाखा खोली। इस शाखा के प्रधान संचालक श्री बंकिमचन्द्र मित्र थे जिन्होंने रघुवीरसिंह नाम के एक बिहारी युवक के हृदय में क्रान्ति और विद्रोह की भावनार्यें भरिं। बाद में रघुवीर की नौकरी प्रयाग में लग गई। वहाँ स्वतन्त्रता सम्बन्धी परचे बांटने पर उसे दो वर्ष की सज़ा दी गई। इसके बाद बिहार में कुछ क्रान्तिकारी उथल पुथल, भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों के आने से हुई। यह कार्यवाही केवल प्रचारात्मक ही थी। २० सितम्बर १९१४ को उड़ीसा के कटक जिले में कलकत्ते के क्रान्तिकारियों द्वारा एक इंदिया विद्यार्थी की सहायता से एक ढाका डाला गया। इसी के पास बालासोर जिले में पुलिस और प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री जतीन्द्रनाथ मुखर्जी की मुठभेड़ हुई, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रान्त में क्रान्तिकारी कार्यवाहियां अपेक्षा कृत बहुत ही कम हुई थीं। परन्तु इन घटनाओंने बीज रूप का काम किया। आगे चलकर हम देखेंगे कि सशस्त्र क्रान्ति में इस प्रान्त का हिस्सा किसी अन्य प्रान्त से कम न रहा।

युक्तप्रान्त

युक्तप्रान्त उत्तरी भारत का मध्यवर्ती प्रान्त हैं और वह सदैव अनेकों उलटपुलट का केन्द्र रहा है। हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बनारस, इला-बाद प्रयाग यहीं हैं। आगरा, लखनऊ, रामपुर मुगल संस्कृति व राजघराने के केन्द्र रहे हैं। १८५७ का प्रसिद्ध स्वतन्त्रता संग्राम—सच पूछा जाय तो—प्रधानतः इसी प्रान्त द्वारा लड़ा गया था।

इस प्रान्त में स्वतंत्रता का बीजारोपण प्रयाग के 'स्वराज्य' पत्र से हुआ। इसका संचालन व संपादन श्री शान्तिनाथरायण के हाथ में था जिन्हें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जेल में बन्द कर दिया गया था। पर इससे 'स्वराज्य' की प्रगति में अन्तर न पड़ा। उनके बाद आठ संपादकों ने इस पत्र का संपादन किया जिनमें से तीन संपादकों को राजद्रोह के अपराध में जेल की यातनायें भोगनी पड़ीं। इसके बाद कर्मयोगी निकला। इन दोनों पत्रों को १९१० के पूर्व ही सरकारी रोष का शिकार होना पड़ा। इससे दो वर्ष पूर्व अलीगढ़ में श्रीयुत होतीलाल वर्मा को आपत्तिजनक साहित्य रखने के अपराध में दस वर्ष का देश निकाला हुआ। युक्त प्रान्त के क्रान्तिकारी इतिहास की सब से बड़ी घटना बनारस षडयन्त्र केस था।

बनारस में बंगालियों की काफी संख्या है, इसलिये यह स्वाभाविक ही था कि क्रान्तिकारी कार्यवाहियों का प्रारम्भ यहीं से होता। सन् १९०८ में श्री सचीन्द्रनाथ सन्याल ने यहां अनुशीलन समिति नाम की एक संस्था खोली, लेकिन जब ढाका अनुशीलन समिति सरकारी रोष का शिकार हुई तो बनारस समिति ने अपना नाम बदल कर 'यंगमेन्स एसोसियेशन' रखा। गीता व काली पूजा के माध्यम से इस संस्था में क्रांति की भावनायें फैलाई जाती थीं। सन १९१४ के प्रारम्भ में श्री रासबिहारी जोस ने इस संस्था का संचालन अपने हाथ में लिया। वे वहीं बंगाली टोला में रहते थे। एक बार बर्मों को देखते हुए उनके तथा शचीन्द्र के चोट आई। यद्यपि उनके विरुद्ध चारण्ट था, पर उत्तरी भारत की पुलिस बनारस में उनका पता न लगा सकी। वहीं पर श्री रासबिहारी ने पंजाब, मध्यप्रान्त और बंगाल के क्रान्तिकारियों को लेकर देशन्यायी सशस्त्र क्रांति की एक योजना बनाई। महीने की २१ ता० विद्रोह के लिये विश्रित हुई, परन्तु एक आदमी के पुलिस से मिल जाने से कई गिरफ्तारियां हो गईं। श्री रास बिहारी ने कलकत्ते के क्रान्तिकारियों से अन्तिम

विदाई ली और दो वर्ष तक वापिस न आने को कहा। इसी समय श्री शचीन्द्र नाथ सन्ध्याल की भी गिरफ्तारी हुई और उन्हें दस वर्ष की सजा दी गई।

इसी समय अवध (फैजाबाद) में हवलदार हरनामसिंह की क्रान्तिकारियों से मिल कर काम करने के सम्बन्ध में गिरफ्तारी हुई। उसे गोजद्वोह के अपराध में दस वर्ष की सजा दी गई।

उक्त बड़ी घटनाओं के अतिरिक्त क्रान्तिकारी विद्वसियां बाँटने, युगान्तर के पर्चे चिपकाने, नाजायज हथियार आदि रखने के सम्बन्ध में युक्तप्रान्त में अनेक गिरफ्तारियां हुईं। सब मिलकर क्रान्तिकारी आन्दोलन की दृष्टि से युक्तप्रान्त के लिये यह काल प्रारम्भ युग था।

मध्यप्रान्त

सन् १९०६ में कलकत्ता में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें गरम व नरम दल का संघर्ष कुछ धीमा पड़ गया। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा बाँयकॉट आन्दोलन का समर्थन किया तथा दूसरे में औप-निवेशिक स्वराज्य की याचना की। अगला अधिवेशन नागपुर में होने का था। इस लिये राष्ट्रीय हलचलों और उदबल-पुथल का केन्द्र नागपुर बना। इसी समय तिलक विचार-धारा के समर्थक पत्रों का प्रान्त में प्रचार बढ़ा। इनमें 'हिन्दी केसरी' और 'देश सेवक' मुख्य थे। गरम दल का प्रभाव नागपुर में इतना बढ़ा कि कांग्रेस के नरम दल के समर्थकों ने कांग्रेस का क्षेत्र नागपुर से सूरत बदल दिया। फिर भी नागपुर और इसके आसपास में नवयुवक आन्दोलन जोर पकड़ता गया। सूरत जाते और वहाँ से लौटते हुए श्री अरविन्द घोष ने नागपुर में स्वदेशी और बाँयकॉट के पक्ष में व्याख्यान दिये। इसी समय मुजफ्फरपुर की बम की घटना घटी। नागपुर के पत्रों ने उसका समर्थन किया। इस पर उसके संपादकों को दंड दिया गया। बाद में सन् १९१६ में मध्यप्रान्त में

बनारस पढ्यन्त्रकेस के श्री नखिनीमोहन मुखरजी जी ने श्री रामबिहारी बोस की इच्छानुसार जबलपुर में फौजों से विद्रोह करवाना चाहा। पर वह भेद खुल गया और उन्हें बनारस पढ्यन्त्र केस में दंड दिया गया। इसके पश्चात् ढाका अनुशीलन समिति के श्री नखिनी कांत घोष तथा श्री विनायक राव कपिल ने प्रांत में क्रांति के बीज बोने चाहे, पर वे अपने प्रयत्न में असफल रहे। वह पकड़े गये तथा उन्हें सज़ा दी गई।

मद्रास

सन् १९०७ में मद्रास प्रान्त के लोगों में उत्तेजना की भावनायें श्री विपिन चन्द्र पाल नामक बङ्गाली पत्रकार और नेता के भाषणों से फैली। पाल के भाषण 'स्वराज्य स्वदेशी और बायकाट' विषयों पर थे। लाला लाजपतराय के पंजाब से निकाले जाने के दुःखद संवाद ने पाल को दक्षिण मद्रास का दौरा स्थगित करने पर विवश किया। पाल ने वापिस कलकत्ते लौट कर २५ मई को लोगों को गाँव गाँव में 'काली पूजा' करने के लिये जोर दिया। पाल के मद्रास प्रान्त से चले जाने के बाद वहाँ संघर्षों का तांता बन्धा! कई जगह पर्वे पकड़े गये और क्रांतिकारी भाषण दिये गये। इस सम्बंध में सर्व श्री सुब्रामातिया शिव और चिदंबरम पिलई गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही साथ तिरावेली में भयंकर संघर्ष हुआ जिसके कारण वहाँ पर सरकारी दफ्तर जला दिये गये। २७ व्यक्तियों को इन अपराधों पर सजा मिली। कई तामिल पत्रों के सम्पादकों एवं प्रकाशकों को राजद्रोहात्मक लेख लिखने के अपराध में सजाये दी गईं। ऐसे ही समय में मद्रास प्रांत में श्री नीलकंठ ब्रह्मचारी और उनके अनुयायी श्री शंकरकृष्ण अय्यर द्वारा ब्रिटिश सरकार के विपरीत पढ्यन्त्र की एक योजना बन रही थी। जून १९१० में शंकर ने नीलकंठ को अपने साले वांची ऐयर से मिलाया। बाद में वीर सावरकर के एक अनुयायी श्री बी० बी० एस ऐय्यर ने लोगों को लुक छिपकर हथियार बनाने और चढाने की शिक्षा देना प्रारम्भ किया। वांची

बी० बी० एस ऐयर से पाण्डीचेरी में मिला और वहां से शल्य-चिकित्सा पाकर उसने तिनारवल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मि० आस की हत्या करने की ठानी। १७ जून १९११ को मि० आस की हत्या कर दी गई। यह हत्या तथा मैमनसिंह जिले में सुबेदार राजकुमार की हत्या सम्राट् के राज्यारोहण दिवस पर ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिये की गई थी। इस सम्बन्ध में ६ व्यक्तियों को सजायें दी गईं।

प्रथम महायुद्ध और मुसलमान

जहां तक उक्त क्रान्तिकारी आन्दोलनों का सम्बन्ध है, मुसलमानों का उनमें बहुत कम हाथ रहा था। गत प्रथम महायुद्ध ने परिस्थिति बदल दी। इस युद्ध में टर्की सम्मिलित हो गया था, इस लिये धर्मान्ध मुसलमानों को टर्की का साथ देना चाहिये था। इस दृष्टिबिन्दु ने कई मुसलमान परिवारों को सशस्त्र क्रान्ति में सहयोग देने के लिये विवश किया। इसमें से उत्तरी पश्चिमी प्रान्त में मुजाहिरिन लोगों का आतंक प्रसिद्ध है। ये लोग भारत को दारु-उल-हर्व यानी 'दुरमन का देश' कहते थे; क्योंकि वहां के शासक अंग्रेज थे। इसलिये ये उनके खिलाफ लड़ना अपना धर्म समझते थे। सन् १९१५ में पंजाब के १५ लड़कों ने अपना कॉलेज छोड़ दिया और मुजाहिरीन दल में मिल कर काबुल पहुँचे। उनमें से दो तो भारतवर्ष लौट आये तथा दो को रूसी अधिकारियों ने पकड़ कर अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। इनके बयानों से पता चलता है कि इन्हें अंग्रेजों से बड़ी घृणा थी। वे सोचते थे कि टर्की और इस्लाम में जो युद्ध हो रहा है उसमें उन्हें धर्म के नाम पर टर्की का साथ देना चाहिये। इस घटना के साथ-साथ ऐसे अनेक व्यक्ति देखे गये, जिनका उद्देश्य उत्तरी पश्चिमी प्रान्त के लोगों को सहायता देना था।

अगस्त १९१६ में ही एक नये प्रयत्न का पता चला। हिन्दुस्तान

से बाहर जो मुसलमान लोग गये हुए थे, वे चाहते थे कि कोई बाहरी मुस्लिम राष्ट्र इस देश पर चढ़ाई करदे और यहां के मुसलमान बगावत करदें। इन लोगों में से मौलवी अब्दुल्ला का प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय है। वे सहायपुर जिले में देवबन्द स्कूल में मौलवी थे, परन्तु वहां पर उनका स्कूल के अधिकारियों से संघर्ष होगया। हिन्दुस्तान से बाहर जाकर मौलवी अब्दुल्ला ने टर्की और जर्मनी की सहायता से काबुल में भारतवर्ष से ब्रिटिश शक्ति को बाहर फेंकने के लिये एक योजना बनाई, जिसके अन्तर्गत राजा महेन्द्र प्रताप को भारतवर्ष का प्रधान बनाना निश्चित हुआ तथा अब्दुल्ला को प्रधान मन्त्री बनाना तय हुआ। जर्मनी के लोग तो उक्त योजना में असफल होकर १९१६ में ही काबुल से चले गये। इन भारतीयों ने रूस के जार को पत्र लिख कर भारतवर्ष पर चढ़ाई करने को कहा। ये पत्र तात्कालिक ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ लग गये। सन् १९१६ में मौलाना महमूद हसन और अब्दुल्ला के चार साथी पकड़े गये। इनकी योजनाओं में संगठन का अभाव था और बहुत कुछ इन योजनाओं की असफलता का कारण मौलवी अब्दुल्ला का चरित्र था, जो योजनायें तो जल्दी जल्दी बना लेता था परन्तु उनके पूर्ण करने की शक्ति उसमें अपेक्षाकृत बहुत कम थी।

बर्मा में विद्रोह

बर्मा में जो संघर्ष हुए उनका भारतीय क्रान्ति से सीधा सम्बन्ध न था। इतना अवश्य सत्य है कि बर्मा वालों की लड़ाई अपने अधिकारों की लड़ाई थी; फिर भी अमेरिका की गदर पार्टी व पंजाब में राज्य विप्लव से बर्मा वालों का संपर्क था। इन संपर्कों का पता सन् १९१६ में माण्डले की अदालत में चले हुए दो मुकदमों से चला। बर्मा में जब सैन्य लगा तो अमेरिका से प्रकाशित गदर पत्र की गुजराती, हिन्दी और उर्दू संस्करण की तमाम कॉपियां पकड़ी गईं। गदर के सभी अंकों में हिन्दू मुसलमान तथा सिक्खों से मिलकर अंग्रेज सरकार के उलटने

का संदेश था। इसी के साथ साथ टर्की के पत्र 'जाने-इ-इस्लाम' की भी कॉपियाँ पकड़ी गईं। इस पत्र की कॉपियाँ रंगून स्थित बलूची रेजीमेंट में भी बाँटी गईं। इसके पूर्व कि पलटने बगावत कर २०० के करीब क्लयन्त्रकारी पकड़े गये और उन्हें विभिन्न सजायें दी गईं। इसी समय सिंगापुर में Mujtaba हुसैन उर्फ मूखचन्द के प्रयत्नों से सिंगापुर में कौज़ी बगावत हुई।

इसी समय अलीमुहम्मद और कायमअली बर्मा से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयत्नों में लगे हुये थे। उन्होंने करीबन् १५ हजार रुपये एकत्रित किये और कुछ बन्दूकें भी एकत्रित कीं। इसी समय बंगकाक से गदर पार्टी के कुछ लोग बर्मा में आये और उन्होंने डफरिन स्ट्रीट में १६ नं० का मकान लिया। पुलिस को इसका पता चल गया। ऐसे ही समय सैनफ्रान्सिस्को से आये हुते गदर पार्टी के श्री सोहनबाब पाठक कौज़ी विप्राहियों को उमाड़ते हुये पकड़े गये। मुसलमानों का विचार बकरीद के अवसर पर कुछ उपद्रव करने का था, परन्तु अधिकारियों की कड़ाई से वह ऐसा न कर सके।

पंजाब में क्रान्तिकारी कार्यवाहियाँ

पंजाब भारत की वीरभूमि रही है। यद्यपि यहां की आबादी में मुसलमानों की अधिकता है, फिर भी यहां की सिक्ख जाति अपनी वीरता के लिये प्रसिद्ध है। जहां सिक्खों की अंग्रेजों के प्रति भक्ति प्रसिद्ध है, वहां पंजाब का भारत के स्वतंत्रता-संग्राम में कोई कम हिस्सा नहीं है। पंजाब में सन् १९०७ के आस पास से ही आग सुलग रही थी। वह आग सर डेनडिल इवेट्सन के अनुसार लाहौर, अमृतसर, फिरोज़पुर, रावलपिंडी, सिवालकोट, लाहलपुर आदि बड़े बड़े शहरों में विचारियों, क्लर्कों और पढ़े लिखे लोगों में थी। इस आतंकमय वायुमण्डल के कारण खासा बाजपतराय और अजीतसिंह गिरफ्तार कर लिखे गये और वे पंजाब से मण्डलाखे भेज दिये गये। यद्यपि इनके बाहर निर्वासन से आग कुछ समय

के लिये ठंडी पड़ी, परन्तु सन् १९०६ में फिर यह जोर से भभक उठी। लाहौर से काफ़ी क्रान्तिकारी विद्वत्सिंघां निकल रहीं थीं। श्री अजीतसिंह के प्रान्त निर्वासन की आज्ञा ६ माह बाद समाप्त होगई। उसके पश्चात् उनके भाई और लालचंद फलक और भाई परमानन्द पर राजद्रोह के सिलसिले में मुकदमें चले। भाई परमानन्दजी के पास लाला लाजपतराय जी के दो पत्र पकड़े गये जो उन्होंने भाई परमानन्दजी को, जब वे लन्दन में थे, लिखे थे। इन पत्रों में लाला लाजपतराय ने भाई परमानन्द जी से कुछ पुस्तकें भेजने व लंदन में श्रीकृष्ण वर्मा से (१०,०००) राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिये सुरक्षित रखने के लिये लिखा था।

दिल्ली षड्यन्त्र केस

दिसम्बर सन् १९१२ में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंज पर बम फेंका गया, जिससे उनका एक अंगरक्षक जान से मर गया। इसके कुछ दिनों बाद लाहौर में बम से एक सिपाही मारा गया। इस पर जो जांच हुई उससे कई नई बातों का पता चला। उनमें से श्री हरदयाल की क्रान्तिकारी कार्यवाहियां मुख्य थीं।

श्री हरदयाल दिल्ली शहर के रहने वाले व पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। वे सन् १९०५ में सरकारी छात्रवृत्ति पर ऑक्सफोर्ड पढ़ने गये, लेकिन उन्होंने वहां पर पढ़ना छोड़ दिया। वे वापस भारतवर्ष आये और 'विदेशी माल के बहिष्कार' आन्दोलन में शामिल हो गये। इसके बाद वह हिन्दुस्तान से बाहर अमेरिका चले गये और वहां के प्रसिद्ध 'गदर' दल का नेतृत्व उन्होंने अपने हाथ में लिया। हिन्दुस्तान में उनके अनुयाइयों व साथियों में से लाहौर के श्री दीनानाथ, दिल्ली के श्री अमीरचन्द, बंगाल के श्री चटर्जी तथा देहरादून के श्री रासबिहारी बोस थे। दिल्ली षड्यन्त्र केस में श्री दीनानाथ मुखरि बन गये तथा उनके रहस्योद्घाटन के फलस्वरूप सर्व श्री अमीरचन्द,

अवधबिहारी, बालमुकुन्द तथा बसन्तकुमार को फांसी दी गई। श्री रासबिहारी बस फरार होगये और उन्हें पुलिस न पकड़ सकी। इस अवसर पर श्री हरदयाल की कार्यवाहियों पर विचार कर लेना आवश्यक है।

श्री हरदयाल सन् १९११ में सैनफ्रांसिस्को पहुँचे। वहाँ उन्होंने 'गदर' नाम का पत्र निकाला और उसे हिन्दुस्तान में अपने साथियों द्वारा मुफ्त बँटवाना चालू किया। वहाँ उन्होंने युगान्तर आश्रम नाम से एक प्रेस भी खोला। 'गदर' पत्र कई भाषाओं में एक साथ कृपता था। इसकी पंक्ति पंक्ति में आग भरी रहती थी। जब जर्मनी ने इङ्ग्लैण्ड के विरुद्ध युद्ध-घोष किया तब गदर पार्टी ने इस उद्देश से आन्दोलन चलाना प्रारम्भ किया कि आज़ादी लेने का यह सबसे उपयुक्त अवसर है। उन्हें इस काम में सर्व श्री रामचन्द्र और मियाँ बरकतउल्ला से काफी सहायता मिली। बाद में अमेरिका की सरकार ने लाला हरदयाल को 'अवाञ्छनीय विदेशी' समझ कर अमेरिका से बाहर निकाल दिया। वे स्विट्जरलैण्ड चले गये। उनके जाने के बाद 'युगान्तर' आश्रम और 'गदर' पत्र श्रीयुत रामचन्द्रजी निकालते रहे।

बजबज का झगड़ा

उन्हीं दिनों पंजाबी सिक्खों को अधिक वेतन पाने की दृष्टि से मलाया और अमेरिका जाने की लगी हुई थी। अमृतसर जिले के सिक्ख गुरुदत्तसिंह एक जहाज भर कर यात्रियों को अमेरिका ले गये। वहाँ अधिकारियों ने इन यात्रियों को नियम के अनुसार तट पर न उतरने दिया। इससे जहाज के यात्रियों में काफ़ी रोष फैला। इसी बीच युद्ध छिड़ गया। यात्रियों को हांगकांग और सिंगापुर में भी न उतरने दिया। वे सब रोष में भरे हुये हुगली के पास २६ सितम्बर १९१४ को बज बज किनारे पर पहुँचे। बङ्गाल सरकार ने सिक्खों को रेल गाड़ी की

सफ़र से पञ्जाब जाने को कहा, परन्तु इन्होंने कलकत्ते शहर में प्रदर्शन करते हुये चलने को कहा। इस पर अधिकारियों व सिक्खों में झगड़ा हो गया। दोनों ओर के काफ़ी लोग हताहत हुए। १८ सिक्ख घायल हुये। गुरुदत्त के साथ २६ सिक्ख गायब हो गये। ३१ सिक्खों को जेल हुई। इस घटना के बाद कैनाडा, अमेरिका, हांगकांग, चीन आदि से तमाम सिक्ख भाग २ कर अपने देश आने लगे।

तत्कालीन भारत सरकार इससे सशक्त हो उठी, लेकिन सिक्खों का आना न रुका। उसने कुछ प्रतिबन्ध लगाये पर वह असफल रही। १६ अक्टूबर १९१४ की रात को फिरोज़पुर, लुधियाना लाइन पर चौकी मान रेलवे स्टेशन पर तीन या चार सशस्त्र व्यक्तियों ने आक्रमण किया। वे स्टेशन मास्टर को मार कर तथा सामान लूट कर भग गये। २६ अक्टूबर को कलकत्ते में कोमागाटामारू जहाज से जो प्रवासी सिक्ख उतरे सभी के सभी आतंकवादी थे। उनमें से एक सौ आदमी तो उसी समय गिरफ़्तार कर लिये गये। शेष का सम्बन्ध क्रान्तिकारी कार्यवाहियों से रहा। कई बार सरकारी खज़ाने के लूटने में उसकी पुलिस वालों से मुठभेड़ होती रही। पञ्जाब सरकार ने उसी समय केन्द्रीय सरकार से इन आतंकवादी कार्यवाहियों को रोकने के लिये एक आर्डिनन्स बनाने को कहा। यह सन्देशा ज्यों ही भेजा गया कि प्रान्त की स्थिति और भी बिगड़ने लगी। जगह जगह राजनीतिक डाके, हत्यायें आदि होने लगीं। ऐसे ही समय में वज़ाल की ओर से श्री विष्णु गणेश पिंगले नाम के एक महाराष्ट्र ब्राह्मण ने लोगों को बम बनाना सिखाने तथा सहायता का आश्वासन दिया। श्री रासबिहारी बोस भी बनारस से अमृतसर आ गये। २१ फरवरी को देश व्यापी क्रान्ति की योजना बनी। अर्थ की प्राप्ति के लिये कुछ राजनैतिक डकैतियां भी डाली गईं। एक भेदिये के द्वारा पता लगने से १६ फरवरी को ही श्री रास बिहारी बोस के मकान की तलाशी ली गई। सात प्रवासी भारतीय रिवाल्वर, बम, और क्रान्तिकारी

फरवरी के साथ पकड़े गये । श्री रास बिहारी बोस पकड़े न जा सके । २० फरवरी की सन्ध्या को एक हेड कांस्टिबल और एक पुलिस का थानेदार मारा गया । १४ और २० फरवरी को फरीदपुर और लायलपुर जिले में डाके डाले गये । इन सब का सम्बन्ध लाहौर षडयन्त्र केस से है ।

इस बीच पञ्जाब सरकार पत्र पर पत्र लिखकर केन्द्रीय सरकार से आर्डिनेन्स बनाने के लिये जोर देती रही । अतः बङ्गाल और पञ्जाब में उत्पन्न असाधारण स्थिति को सम्भालने के लिये विदेशी सरकार ने 'भारत सुरक्षा कानून' बनाया । इस कानून ने पुलिस और नौकरशाही को असाधारण अधिकार दे दिये जिससे सारे देश में दमन का दौरा चला और अनेकों देश भक्तों के साथ-साथ निरपराध निरीह नागरिकों को भी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं । इस कानून के अन्तर्गत बनाए हुए विशेष अदालतों में क्रान्तिकारियों के नौ गिरोहों का फैसला हुआ । इसके परिणामभूत २८ व्यक्तियों को फांसी दी गई और बहुतों को देश-निकासा हुआ । दो विद्रोही फौजों को फौजी अदालत के सुर्पद किया गया । इस उल्लेख में बेचारे वे नागरिक नहीं आते जिन्हें स्वदेश-प्रेम के अपराध में साधारण अदालतों द्वारा दण्डित किया गया था । यहां पर उनकी चर्चा नहीं की है जिन्हें भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत नज़रबन्द या नगरबन्द किया गया था ।

इसी समय समाचार पत्रों पर भी जर्मनी के पक्ष के और उभाड़ने वाले समाचार छापने पर रोक लगवाई गई । लोकमान्य तिलक व श्री विपिन चन्द्र पाख को पञ्जाब में आने से मना किया गया । सरकार को भय था कि कहीं क्रान्तिकारी आन्दोलन के कारण उनकी फौजों में भरती की संख्या कम न हो जाये । अगर सरकार ने दमन को इतने जोरशोर से न चलाया होता तो सम्भव था कि श्री रास बिहारी बोस द्वारा आयोजित स्वतंत्रता का यह महान् आन्दोलन सफल हो गया होता ।

क्रान्तिकारियों के चरित्र पर एक दृष्टि

हमने गत अध्याय में गांधी युग के पहले होने वाली अनेक क्रान्तिकारक प्रवृत्तियों का संक्षिप्त इतिहास देने की चेष्टा की है। हम यह स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार की क्रान्तिकारी प्रवृत्तियाँ भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं थीं। भारत सशस्त्र क्रान्ति के विरुद्ध नहीं है, पर गुप्त हत्याएँ, छुपे आक्रमण और डाके आदि कृत्यों को उसकी आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती। देश की स्वाधीनता के लिये, देश को विदेशी सत्ता से मुक्त करने के लिये, अहिंसात्मक या सशस्त्र क्रान्ति करना उसके आदर्श के विरुद्ध नहीं, पर यह खुले रूप से होना चाहिये।

बङ्गाल क्रान्तिकारियों के देवता स्वरूप देश बन्धु सी० आर० दास महोदय (Mr. C. R. Dass) ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि:—

I have made it clear, and I do it once again—that I am opposed on principle to political assassinations and violence in any shape or form. It is absolutely abhorrent to me and to my party. I consider it an obstacle to our political progress. It is also opposed to our religious teaching.

As a question of practical politics I feel certain that if a violence is to take root in the political life of our country, it will be the end of our dream of Swaraj for all time to come. I am, therefore, eager that this evil should not grow any further, and that this method should cease altogether as a political weapon in my country."

“अर्थात् मैंने यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया है और फिर भी यह प्रकट

करता हूँ कि मैं सिद्धान्त की दृष्टि से किसी भी तरह की राजनैतिक हत्याएँ और हिंसा के विरुद्ध हूँ। यह मेरे लिये और मेरे दल के लिये नितान्त अरुचिकर है। मैं इसे देश की प्रगति में बाधक समझता हूँ। यह हमारी धार्मिक शिक्षा के भी विरुद्ध है।

व्यावहारिक राजनीति के प्रश्न की दृष्टि से भी मेरा यह विश्वास है कि अगर हमारे देश के राजनैतिक जीवन में हिंसा ने जड़ जमा ली तो हमारे स्वराज्य के स्वप्न का सदा के लिये अंत हो जायगा। इस लिये मैं इस बात के लिये उत्सुक हूँ कि यह बुराई आगे न बढ़ने पावे और ऐसी कार्यवाही हमारे देश में राजनैतिक इधियार के रूप में काम में न ली जावे।”

महात्मा गांधी तो एक तरह से अहिंसा के अवतार ही थे। उन्होंने भी देश हित की दृष्टि से हिंसात्मक कार्यवाहियों को बन्द कर अहिंसात्मक युद्ध करने का आदेश दिया था। इतना होने पर भी हमें यह मुक्तकण्ठ से कहना पड़ेगा कि असामयिक साधनों के स्वीकार करने के बावजूद भी इन क्रान्तिकारियों के शरीर के परमाणु-परमाणु में देश सेवा और विदेशी सत्ता से अपने देश को मुक्त करने की तीव्र भावना भरी हुई थी। देश की स्वाधीनता उनके जीवन का मूल मन्त्र था और इसके लिये वे मृत्यु तक का आर्क्षिगन करने के लिये सदैव तैयार रहते थे। देश की पराधीनता से उनकी आत्मा घोर अशान्ति का अनुभव कर रही थी और भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कर उसे संसार के प्रगतिशील और स्वाधीन राष्ट्रों की बराबरी में बिठाने की उनकी उत्कृष्ट अभिलाषा थी। स्वार्थ और निजी अभिलाषा उनके पास फटकने भी न पाती थी। उनका केवल एक लक्ष्य था और वह था भारत की मुक्ति और भारत की स्वाधीनता। चाहे उन्होंने भूल भरे और असामयिक साधनों को स्वीकार किया हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष का भावी इतिहास उनके उद्देश्यों की महानता को, देश को स्वाधीन करने की उनकी महान्

अभिधाषा को, और उनके अनुपम त्याग को गौरवमय शब्दों में लिखेगा ।

भारत की सेवा का फल

प्रथम महायुद्ध में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की तन, मन, धन से जैसी बहुमूल्य सहायता की, उसको खुद मित्र-राष्ट्रों के सेनापतियों और राजनीतिज्ञों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है । भारतीय सेना ने फ्रान्स के रथ स्थल में पहुँच कर जर्मनी की बढ़ती हुई गति को अपने अपूर्व शौर्य से रोका । भारतीय सेना इतनी बहादुरी से मैदान में लड़ी कि इङ्ग्लैंड और फ्रान्स के सेनापतियों और मुत्सद्दियों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की । जनरल फ्रेन्च ने लिखा था:—

The Indian troops have fought with utmost steadfastness and gallantry, wherever they have been called upon." अर्थात् जब जब हिन्दुस्तानी सेनाओं का आह्वान किया गया, तब तब वह बड़ी महुँमी और बहादुरी से लड़ी । लॉर्ड हाल्डेन (Lord Haldane) ने कहा था:—

"Indian soldiers are fighting for the liberties of humanity as much as we ourselves. India has freely given her lives and treasure in humanities' great cause. We have been thrown together in this mighty struggle and have been made to realize our oneness, so producing relations between India and England which did not exist before. Our victory will be a victory for the Empire as a whole and could not fail to raise it."

अर्थात् हिन्दुस्तानी सिपाही मनुष्य जाति की स्वाधीनता के लिये

उसी प्रकार खड़े रहे हैं, जैसे कि हम। हिन्दुस्थान ने मुक्तहस्त से मनुष्य के इस महान् हित में अपना प्राण और धन दिया। हम इस महायुद्ध में एक साथ कन्धे से कन्धा मिलाये हुए हैं और इससे हमें एकता का बोध होने लगा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हिन्दुस्थान और इंग्लैंड के बीच का सम्बन्ध इतना दृढ़ हो गया है जितना कि पहिले कभी नहीं हुआ था। हमारी विजय सारे साम्राज्य की विजय होगी। भारत के तत्कालिक नायब स्टेट सेक्रेटरी मि० चार्ल्स राबर्ट ने हाउस ऑफ कॉमन्स में व्याख्यान देते हुए हिन्दुस्थान की बहादुर सेना की बढ़ी तारीफ़ की थी और हिन्दुस्थान की न्यायोचित आकांक्षाओं की पूर्ति का अभिवचन दिया था। युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रायः सब मुत्सद्दियों ने हिन्दुस्थान द्वारा की गई युद्ध की सेवाओं की बढ़ी प्रशंसा की थी और इस आशय के आश्वासन दिये गये थे कि विजय होने पर हिन्दुस्थान में नवयुग का प्रारम्भ किया जायगा। हिन्दुस्थान की न्यायोचित आकांक्षाओं को सफल करने की चेष्टाएँ की जायँगी। जिन उदार तत्वों के लिये ब्रिटिश राष्ट्र ने युद्ध में पैर रखा है, उन तत्वों का व्यवहार हिन्दुस्थान के लिये भी किया जायगा। हमारे पास स्थान नहीं है कि उन सबके वचनों को हम यहां दुहरावें। इंग्लैंड के प्रायः सब समाचार पत्रों ने हिन्दुस्थान की युद्ध में की गई अमूल्य सेवाओं की तारीफ़ करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य देने का ऐलान किया था। पर वे सब मीठी-मीठी बातें तब तक होती रहीं जब तक की हिन्दुस्थान की सहायता की आवश्यकता रही, जब तक कि युद्ध में विजय नहीं मिल गई। ज्योंही युद्ध में विजय मिली कि ब्रिटिश मुत्सद्दियों के दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर पड़ गया। मनुष्य जाति को स्वाधीन बनाने के बजाय मनुष्य जाति को गुलाम बनाने के विचार सोचे जाने लगे। कमजोर दिख प्रेसिडेन्ट विल्सन के चौदह तत्व ताक में रख दिये गये। पराधीन मनुष्य जाति ने यूरोप के इन कूट नीतिज्ञों (Diplomats) से बड़ा घोसा खाया। कई

स्वाधीन जातियों की स्वाधीनता नाश करने के प्रयत्न किये जाने लगे। स्वभाम्य-निर्णय तत्व केवल उन्हीं राष्ट्रों पर लगाया गया जो प्रबल थे या जिन पर यह तत्व लगाने से विजयी मित्रराष्ट्रों का स्वार्थ साधन होता था। शेष सब राष्ट्रों के भाम्य का फैसला इन विजयी गोरे राष्ट्रों ने अपने हाथ में रखा। दूसरों का "स्वभाम्य निर्णय" ये खुद करने लगे। संसार को इन से बड़ा भोखा हुआ। संसार की स्वाधीनता को ये पैरों-तले कुचलने लगे। तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर डाले गये ! मेसोपोटेमियां और अन्य कई देशों के ये, अपने आप बिना उन राष्ट्रों की सम्मति के, रक्त बन बैठे। मिश्र और भी ज्यादा पराधीनता की बेड़ी में कस दिया गया। जर्मनी और आस्ट्रिया की जो दशा की गई वह सब पर प्रकट है। अब हिन्दुस्तान को लीजिये। युद्ध के समय हिन्दुस्थान को जो बड़े बड़े आश्वासन दिये गये, वे पानी के बुलबुले की तरह सिद्ध हुए। हिन्दुस्तान को रिफॉर्म का ज़रासा टुकड़ा देकर संतुष्ट करना चाहा पर हिन्दुस्थान पर इस का कुछ असर नहीं हुआ। क्योंकि हिन्दुस्थान ने देखा इस ऐक्ट में कुछ गुंजायश नहीं है। हाँ, इसमें थोड़े से अधिकार हिन्दुस्तानियों को दिये गये हैं पर वे नाकुक के बराबर हैं। भारत सरकार के अधिकार और भी अधिक स्वतन्त्र हो गये इससे भारतवासियों को वे अधिकार नहीं मिले जिससे वे देश को कुछ न्वावहारिक लाभ पहुँचा सकें। इस ऐक्ट से भारत की आशाओं पर पानी फिर गया। उसे घोर रूप से निराश होना पड़ा। इस के लिये उसने विविध प्रकार की दमन नीतियों का अवलम्बन किया, जिसने भारत-वासियों के उठते हुए भावों को दबाने के लिये अमानुषिक उपायों का अवलम्बन किया। इससे कुछ नौजवानों का खून उबल पड़ा और कुछ विद्विष्ट मस्तिष्क नवयुवक उपद्रवी साधनों का अवलम्बन करने लगे। नौकरशाही जैसे जैसे अधिक कड़े उपायों का अवलम्बन करने लगी, वैसे वैसे ये भाव ज़ोर पकड़ने लगे। भारत की नौकरशाही ने इन उपद्रवों के मूल कारण पर विचार न कर दमननीति से इन्हें दबाना चाहा। पर उसे

प्रथम बड़े सफलता प्राप्त न हुई। भारत सरकार ने।
 सुझावों को 'दिरेन्स थॉफ़ इरिल्या ऐक्ट' का सहारा लेकर क
 प्रणाली नहीं बनाते बल्कि संशोधन की आवश्यकता में एक कमीशन
 के द्वारा ही यह भारत के इन उपद्रवों की जाँच करें और उन्हें मिट
 कोटवार उपायों की योजना प्रस्तुत करें। रोबर्ट कमीशन ने सु
 जाँच करने के लक्षण सब जाँच गुप्त रूप से की। उसने अपनी
 सुझाव पेश किये। वे सुझाव प्राथमिक स्वाधीनता ही नह
 ने। इस पर भारत में बड़ा आन्दोलन उठा। भारत सरकार ने
 रोबर्ट कमीशन की इन सुझावों के अनुसार यदि वे एक कमीशन
 को भारत की प्राथमिक स्वाधीनता का बड़ा फायदा होकर। वे
 प्रस्तुत करें। दिल्ली कांग्रेस में माननीय पं० महोदय का
 अपने भाषण में सरकार की सावधान किया कि वह रोबर्ट क
 सुझाव के अनुसार एक कमीशन के खतरे से बचे। कई सफल
 प्राप्त किये बने और समाचार पत्रों में बने और वे किन्हीं बड़े
 कमीटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर लोगों की
 आवश्यकता होने के लिये कानून बनाना ठीक न होकर।
 मिस्टर दास साहिब सापट्टे ने सन् १९१८ के सितम्बर में प्रस्ताव
 प्रस्तुत में प्रस्ताव किया कि सभी रोबर्ट कमीटी की रिपोर्ट में प्रस्ताव
 न किया जाय और उसमें जो बातें दी हुई हैं उनकी पूर्ण सुधि
 प्रस्तावकों की जाँच के लिये सरकारी और नैर सरकारी दोनों
 कमीटी बनाई जायें। पर सापट्टे महोदय का यह प्रस्ताव न
 माना। इससे पहले ही सापट्टे महोदय ने कोरिया में वह अपने
 रोबर्ट कमीटी के लक्षण समझी देने का जो के लक्षण प्रस्तु
 किये।

भी इस प्रस्ताव को असामयिक बतलाया था। सारे देश में रॉलेट कमिटी की सूचनाओं का एक स्वर से विरोध हुआ। चारों ओर से इसके विरोध की आवाज सुनाई देती थी। पर भारत की स्वेच्छाचारी नौकरशाही ने लोकमत की रत्तीभर पर्वाह न कर रॉलेट कमिटी की सिफारिशों के आधार पर कानून बनाने का निश्चय कर लिया और उसी के फलस्वरूप सरकार ने दो बिल तैयार कर प्रकाशित किये। सन् १९१६ की ७ फरवरी को ये दोनों बिल कौंसिल में पेश किये गये।

कौंसिल में सब के सब निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने एक स्वर से इनका विरोध किया। बाबू सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, सर गंगाधर चिट्तनीस, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू, मि० शफी जैसे सरकार के द्विभाषी और बर्म-दख के नेताओं ने भी इस बिल का घोर विरोध किया। माननीय पंडित मदनमोहन मालवीय और माननीय मि० श्री निवास शास्त्री ने तो इस बिल की इतनी धिज्जियाँ उड़ाई कि पूछिये मत। उन्होंने बड़ी योग्यता और धृता के साथ इसके विनाशक रूप को दर्शाकर इसकी अनुपयोगिता सिद्ध की। उन्होंने दिखलाया कि भारत की नागरिक स्वाधीनता किस प्रकार इन बिलों द्वारा नष्ट की गई है और किस प्रकार इन बिलों के कानून के रूप में परिणित हो जाने से भले और निर्दोष आदमियों तक की आफत में गिरने का अंदेशा रहेगा। उन्होंने यह दिखलाया कि इस बिल के पास करने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने साफ सङ्केत कर दिया था कि इन बिलों के पास हो जाने से हिन्दुस्तान में भीषण अभिजात्या चेत उठेगी, जिसे बुझाना मुश्किल हो जायगा। पर नौकरशाही ने चुने हुए प्रजा प्रतिनिधियों की राय की अवहेलना कर सरकारी सदस्यों की अधिक सम्मतियाँ प्राप्त कर उन बिलों को कानून का रूप दे दिया। इस पर देश में सनसनी छा गई। देश को मालूम हो गया कि उसी के राज्य कारोबार में उसके पुत्रों की राय की कोई कदर नहीं है। इस सनसनी में महान् तेजस्वी नेता महात्मा गाँधी ने प्रकट किया कि

संघटित बिड़ अन्यायपूर्ण है, न्याय और स्वाधीनता का हरण करने वाला है, लोगों के प्रारम्भिक स्वत्वों का, जिन पर कि जाति की रक्षा अवलम्बित है, घातक है। इसलिये अगर इन बिलों ने कानून का रूप धारण किया तो हम इन कानूनों को मानने से इन्कार करेंगे और इनके रिक्त भागों मुकर्रर की जाने वाली कमेटी के बतलाये हुए अन्य कानूनों की भी शान्ति के साथ अवज्ञा करेंगे। हम विश्वास से कहते हैं इस युद्ध में हम सत्य का अनुकरण करेंगे और किसी मनुष्य के आमाह और जिस्म पर इजा पहुँचाने से बरी रहेंगे।

गाँधी-युग का आरम्भ

भारत के राजनैतिक क्षेत्र में महात्मा गाँधी का प्रवेश एक नवीन का प्रारम्भ था। महात्मा गाँधी का जीवन सत्य और अहिंसा के तत्वों पर स्थित था। उन्होंने सकल मानवजाति के कल्याण को रक्षक संसार की राजनीति और समाजनीति के सामने एक कोष रखा था, जिससे मनुष्य जाति अखण्ड सुख और दिव्य फलों का आस्वादन कर सके। सत्य और अहिंसा के दिव्य त हमारे प्राचीन ऋषियों ने समाज नीति का पाया रक्खा था। गाँधी ने भौतिकवाद में डूबे हुए इस आधुनिक संसार के सम्मुख एक अलौकिक प्रकाश रखा जो मानव जाति को उन महान् उद्देश्यों पहुँचा सके जिसके लिये वह सदियों से तपस रही है।

आधुनिक संसार के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक इस समय घोर संघर्ष चला रहे हैं और इससे मानवीय आस्था में और अशान्ति व निराशा ब्याई हुई है उसके कारणों को महात्मा ने अपने अन्तर-दृष्टि से समझ कर, संसार के सामने सत्य और अहिंसा के एक न्यायक दृष्टिकोण रखा जिससे वह शान्ति का अनुभव कर सके संसार में विश्वमनुष्य का सुखद साम्राज्य जा जाने। अहिंसा गाँधी के शब्दों में, विश्व को सर्वोत्कृष्ट बच है। यह एक आत्मिक

या मैं कहिये, कि मानवीय आत्मा में जो ईश्वरीय तत्व है उसका यह प्रकाश है। जिस आत्मा में अहिंसा का प्रकाश रहता है वहाँ से कलम, बम, बोट आदि दुर्गुण दूर भाग जाते हैं। अहिंसा में वह विषुव बंदिनी जो शत्रुओं को मित्र बना देती है। यह उनका दक्षिण अक्षिण का प्रभव था। जनरल रिमथ उनके सब से कड़े विरोधी और समाजवादी दृष्टि में वे उनके परम मित्र हो गये।

अन्यत्र महात्मा गाँधी लिखते हैं:—

“जैसा मैं समझता हूँ, अहिंसा संसार में सब से शक्तिशाली बल है। यह संसार का सर्वोत्कृष्ट नियम (Law) है। मेरे आधी सदी के अनुभव हैं, मुझे कभी ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़ा जब मैंने अपने आपको निस्सहाय अनुभव किया हो या किसी भी परिस्थिति को मुझ में मैंने अपने आपको असमर्थ पाया हो।”

“मैं गत पचास वर्षों से विश्वकुल वैज्ञानिक नाप तोल से अहिंसा की उसकी सम्माननाओं का व्यवहार कर रहा हूँ। मैंने जीवन के अनेक पहलू में, चाहे वह घर सम्बन्धी हो, संस्था सम्बन्धी हो, या राज-सैनिक या आर्थिक हो, इसका प्रयोग किया है। मुझे एक भी उदाहरण ऐसा याद नहीं है जिसमें यह पैदा हुई हो। अगर इसमें कहीं कहीं कठिनाई हुई होगी तो उसका कारण मेरी अपूर्वताएँ हैं। मैं अपने विरोधियों का दावा नहीं करता, पर यह दावा अवश्य करता हूँ कि मैं सब से बड़ा शत्रु शोक हूँ और यह स्वयं ही ईश्वर का दूसरा नाम है। यह शत्रुत्व में मुझे अहिंसा का अस्त्रिका मिलता। अब मेरे जीवन का इस अस्त्र का प्रचार करना है। इस ज्येष्ठ दो साल तकने अहिंसा मेरे जीवन में और कोई रस नहीं है।”

“मैं कोई आदर्शवादी (Visionary) नहीं हूँ। मैं यह दावा करता हूँ कि मैं एक व्यावहारिक आदर्शवादी हूँ। अहिंसा का अस्त्र

अहि-मुन्निनों के दिने ही नहीं है। यह साधारण लोगों के दिने भी है। अहिंसा हमारी आत्मा का नियम है जैसा कि हिंसा हमारी पार्श्विक कृति का नियम है। मनुष्य ही प्रविष्ट इस बात में है कि वह उच्च नियम का और अधीन कृति का आह्वानकर्ता रहे।”

“इसी उद्देश्य से मैंने भारत के सामने आत्म-त्याग का प्राचीन नियम रखा है। सत्वाग्रह और उसकी असहयोग और अग्र चक्र (Civil Resistance) नाम की शाखाएँ आत्म-त्याग के नये नाम हैं। हमारे अहिंसा ने, जिन्होंने हिंसा के मध्य से अहिंसा के नियम का आविष्कार किया, न्यूटन से अधिक प्रतिभाशाली थे। वे वेदिकयुग से अधिक महान् प्रोद्धा थे। शस्त्रों का उपयोग जानते हुए भी उन्होंने अहिंसा को जान लिया था और जर्जरित संसार को उन्होंने सिखाया था कि उसकी मुक्ति हिंसा में नहीं, पर अहिंसा के शब्द में है।”

“मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष इस बात को पहचाने है, जिसका नाश नहीं हो सकता और जो प्रत्येक औचित्य विजय प्राप्त करेगी और सारे संसार के भौतिक पूर्ण सुकावला कर सकेगी।”

“अगर भारतवर्ष ने तखवार के सिद्धान्त (Sword) को अपनाया तो उसे अर्थिक सफलता ही प्राप्त होगी। भारत में भारतवर्ष मेरे हृदय का अभिमान न रहेगा। मैं अत्यन्त हूँ क्योंकि मेरा सर्वस्व ही वह है। मेरा यह परम कि भारतवर्ष के पास संसार के दिने मिशन (Mission) उसे यूरोप का अनुकरण न करना चाहिये। अगर भारतवर्ष तखवार के सिद्धान्त को स्वीकार किया तो मेरे दिने वह परीक्षा को नहीं होती। मुझे आशा है कि इस परीक्षा में अग्र उतरेगा। मेरे अहिंसा के सीमा अ

“मेरे सार्वजनिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि बदला लेने का सामर्थ्य रखते हुए भी मैंने बदला लेने से अपने आपको दूर रखा और अपने दूसरे मित्रों को भी ऐसा ही करने की सलाह दी। मेरा जीवन इसी सिद्धान्त के प्रचार करने के लिये है। मैं इसी महान् सिद्धान्त को भोरेस्टर, महावीर, बेलियन, जेसू, महम्मद, नानक जैसे संसार के सबसे महान् गुरुओं में पाता हूँ।”

“अहिंसा मेरे विश्वास की प्रथम धारा है और वह मेरे धर्म की अन्तिम धारा रहेगी। मैं जान बूझ कर किसी भी जीवित प्राणी को हानि नहीं पहुँचा सकता। अपने मानवी बन्धुओं को हानि पहुँचाने का तो मुझे ख्याल भी नहीं आ सकता, चाहे वे मुझे बड़ी से बड़ी हानि पहुँचावे।”

मेरा यह अटल विश्वास है कि भारतवर्ष मानव जाति को अहिंसा देगा, चाहे इसकी सफलता में सदियाँ लग जावें। पर जहाँ मैं पाया हूँ, इस महान् उद्देश की पूर्ति में वह संसार के देशों से प्रथम ही रहेगा।”

मैं तब तक जीवित विश्वास नहीं हो सकता जब तक कि जीवित विश्वास (Living Faith) न हो। अहिंसक ईश्वर कृपा व शक्ति के कुछ नहीं कर सकता। इसके बिना भय और बदले की भावनाओं से मुक्त होकर मरने का साहस कर सकता।”

“इस प्रकार का साहस मनुष्य को इस विश्वास से प्राप्त होता है कि ईश्वर सबके अन्तःकरण में बैठा है और ईश्वर की उपस्थिति में भय ठहर नहीं सकता। ईश्वर की सर्व-शक्तिमत्ता और सर्व व्यापकता का ज्ञान हमें अपने कथित विरोधियों के जीवन के प्राणों का आदर करने की सूचना देता है।”

“मेरी महत्वाकांक्षाएँ निबन्धित हैं। ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति नहीं दी है कि मैं संसार को अहिंसा के मार्ग पर चला सकूँ। पर मेरा यह विश्वास है कि उस परमात्मा ने मुझे भारतवर्ष के सामने अहिंसा का सिद्धान्त रखने के लिये साधन बनाया है। अब तक इस सम्बन्ध में जितनी प्रगति हुई है वह महान् है। पर अब भी बहुत कुछ करने को बाकी है।”

भीरूता और अहिंसा

महात्मा गांधी के अहिंसा सम्बन्धी विचारों का हमने संक्षिप्त में ऊपर दिग्दर्शन कराया है। उनकी राजनीति की नींव अहिंसा के महान् तत्त्व पर खड़ी हुई है। पर महात्माजी की अहिंसा वीरों की अहिंसा है। कायरों की अहिंसा नहीं। कायरों की अहिंसा भीरूता का पर्यायवाची शब्द है। भीरूता के स्थान पर, अपने अधिकारों की रक्षा के लिये, हिंसा का आशय लेना महात्माजी कहीं अच्छा समझते थे। हम इस सम्बन्ध में महात्माजी के विचार उद्धृत करते हैं।

“सारी जाति को नपुंसक बनाने के बजाय, मैं हिंसा (Violence) की ओर खिंच लेना हजार दुर्जे अधिक अच्छा समझता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि जहाँ मुझे भीरूता और हिंसा के बीच में चुनाव करना पड़ेगा तो मैं हिंसा के लिये सझाह दूँगा। भारतवर्ष विस्सहाय की भाँति अज्ञान अपने अपमान को कायरता से देखता रहे तो इसके बजाय मैं उसे अपनी प्रतिष्ठा और रक्षा के लिये लक्ष प्रयोग अच्छा समझूँगा। पर, हाँ, मैं अहिंसा को हिंसा के मुकाबले में अनन्त गुना उच्च मानता हूँ।”

मेरी अहिंसा यह नहीं कहती कि लोग अपने प्रिय जनों को करार किए बिना ही सभ के सामने कायर की तरह भग जायें। मैं कायर मनुष्य को अहिंसा का उसी प्रकार उपदेश नहीं दे सकता जिस प्रकार अग्ने के पुत्र को आतंकवादी देश देखने का दम नहीं दे सकता। अहिंसा वीरत्व

का सबसे बड़ा क्लेश है। जिन्हें लोगों ने हिंसा की पाठशाला में भिजा कर दिया है, उनके सामने चर्हिंसा की अड़ता प्रदर्शित करने में मुझे कतई कठिनाई नहीं होती। कई वर्षों तक मैं कायर रहा और तब मैंने हिंसा को अपने हृदय में बोध दिया। जबसे मैंने कायरता का त्याग किया है तबसे मैं चर्हिंसा की कोमल करने लगा हूँ।”

“चर्हिंसा अधिक से अधिक आत्मशुद्धि चाहती है।”

“चर्हिंसा बिना किसी अपवाद के हिंसा से उत्कृष्ट है। चर्हिंसक मनुष्य के पास जिसनी शक्ति रहती है, वह हिंसक मनुष्य से हमेशा महान् रहती है।”

“चर्हिंसा में पराजय नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। इसके विपरीत हिंसा का अन्तिम फल पराजय होती है।”

“चर्हिंसा का अन्तिम परिणाम निरचयात्मक विजय है।”

महात्मा गांधी और सत्याग्रह

महात्मा गांधी ने अत्याचार और अत्याचार के खिलाफ अपने के अपने अहिंसात्मक युद्ध कला का आविष्कार किया। उसका नाम सत्याग्रह है। सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिये जोरप्रहार करना है। दूसरे शब्दों में तो कहेंगे कि सत्य प्राप्त की लक्ष्य चर्हिंसात्मक साधनों के द्वारा अत्याचार और अत्याचार का विरोध करना ही सत्याग्रह है। महात्मा गांधी ने इस अहिंसात्मक युद्ध को अहिंसा आंदोलन के सामने रखा, और अहिंसा ही अहिंसा को कि वह अहिंसा के अभाव इस महान् युद्ध को अहिंसा ही अहिंसा के अभाव का विरोध कर संसार में सत्य और प्रेम का अहिंसात्मक स्थापित करें। यह हम सत्याग्रह के अर्थ में महात्मा गांधी के विचार-मार्ग को समझते हैं।

“अहिंसा ही अहिंसा का अहिंसात्मक विरोध है, जो अहिंसात्मक

करता है उसका भी कल्याण होता है और जिसके खिलाफ़ इसका उपयोग किया जाता है वह भी कल्याण का भागी होता है। बिना सून को एक बून्द बहाये यह दूरवर्ती परिणामों को पैदा करती है। इस तबवार को जङ्ग नहीं खगता और न इसे कोई चुरा सकता है।”

“जब सत्य के साथ अहिंसा का संयोग हो जाय तो आप संसार को अपने पैरों तले फुका सकते हैं। असल में सत्याग्रह और कुछ नहीं है, यह केवल अपने राजनैतिक और राष्ट्रीय जीवन में सत्य और विनयशीलता का प्रवेश है।”

“सत्याग्रही की तब तक विजय नहीं हो सकती जब तक हृदय में दुर्भावना का वास है, जो अपने आपको निर्बल अनुभव करते हैं वे प्रेम के लिये अयोग्य हैं। हम हर प्रातः काल यह निश्चय करें:—“मैं इस पृथ्वी पर किसी से भय न खाऊँगा। मैं सिर्फ़ ईश्वर से डरूँगा, मैं किसी के प्रति दुर्भावना न रखूँगा। मैं किसी के अन्याय के प्रति मिर न फुकाऊँगा। मैं सत्य के हाथ असत्य पर विजय प्राप्त करूँगा। असत्य का विरोध करने में मैं सब प्रकार के कष्ट सहन करने को प्रस्तुत रहूँगा।”

“सत्याग्रह पूर्ण आत्म शोधन, सर्वोपरि विनय-शीलता, सर्वाधिक सहनशीलता और अत्युज्ज्वल विश्वास का पर्यायवाची शब्द है।”

“सत्याग्रह सत्य की खोज और सत्य पर पहुँचने का विजय है।”

“यह एक ऐसा बल है जो नीरवता और दिलने में भीमी शक्ति से काम करता है। पर वास्तव में संसार में ऐसा कोई बल नहीं है जो इतना प्रत्यक्ष और त्वरित काम करने वाला हो।”

“सत्याग्रह सीधी कार्यवाही का शक्ति-शास्त्री साधन है। जब सत्याग्रही सब साधनों को अक्षमा चुके, तब उसे सत्याग्रह का अन्वेषण करना चाहिये।”

“सत्याग्रही को चाहिये कि वह जिस प्रकार अज्ञाई के लिये पैथर

रहे उसी प्रकार वह सुबह और शान्ति ब्रिये भी उतना ही उत्सुक रहे । सुबह के किसी भी सम्मान पूर्ण अवसर का उसे आह्वान करना चाहिये ।”

“सत्याग्रही की संहिता में पशुबल के सामने सिर झुकाने का कोई आदेश नहीं है ।”

“सत्याग्रह सौम्य है । वह किसी को चोट नहीं पहुँचाता । उसे क्रोध और द्वेष से दूर रहना चाहिये ।”

“सत्याग्रही को सत्य और अहिंसा धर्म पर विश्वास होना चाहिये । उसे मानवी प्रकृति की श्रेष्ठता में भरोसा होना चाहिये ।”

“सत्याग्रह में मक्कारी, धीकेबाजी और असत्य को स्थान न होना चाहिये । आज संसार में मक्कारी और असत्य की बोलबाला है । अगर मैं इनकी उपेक्षा कर चुप चाप बैठा रहूँ तो ईश्वर मुझे इसके ब्रिये बचाव तख्त करेगा ।”

“सत्याग्रह के ब्रिये पहली आवश्यक शर्त यह है कि सत्याग्रह करने वालों को इस बात का पूरा २ विश्वास हो जाना चाहिये कि क्या सत्याग्रहों के द्वारा या सर्वसाधारण जनता के द्वारा किसी भी रूप में हिंसा का प्रदर्शन न हो ।”

“सत्याग्रह हिंसामय वातावरण में नहीं पनप सकता । यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि हिंसात्मक कार्यवाही की उत्तेजना राज्य या किसी दूसरे एजन्सियों के द्वारा हुई है । इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्याग्रही के साधन समाप्त हो गये हैं । उसे सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा के अतिरिक्त दूसरे साधनों को खोजना चाहिये ।”

“सत्याग्रह एक पद्धति है जिससे कष्ट सहन द्वारा अपने अधिकार प्राप्त किये जाते हैं । सशस्त्र विरोध के यह प्रतिकूल है । अगर मैं कोई ऐसा काम करने से इन्कार करता हूँ, जो मेरी अन्तर्भात्मा के खिन्नकर है

तो मैं इसमें अपने आत्म बल का उपयोग करता हूँ। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि सरकार ने कोई ऐसा कानून पास किया है, जो मुझ पर लागू है पर जिसे मैं पसन्द नहीं करता। अगर ऐसे कानून को रद्द चाने के लिये हिंसा का उपयोग कर मैं सरकार पर दबाव डालता हूँ, तो कहना होगा कि मैं ऐसे बल का उपयोग करता हूँ जिसे शरीर-बल कहते हैं। इसके विपरीत अगर मैं उस कानून को न मानता हूँ, और कानून भङ्ग के लिये हर प्रकार की सज़ा भुगतने के लिये तैयार रहता हूँ, तो कहना होगा कि मैं अपने आत्मबल का उपयोग करता हूँ। इस प्रकार का कार्य आत्म-त्याग कहलाता है।”

“यह बात हर एक को स्वीकार करनी पड़ेगी कि, आत्म-बलिदान दूसरों के बलिदान की अपेक्षा अनन्त गुना महान् है। इसके अतिरिक्त इस बल का ऐसे कार्य में उपयोग किया जाय जो अन्याय पूर्ण है, तो इसमें वही आदमी कष्ट भोगेगा जो इसका उपयोग करता है। वह अपनी मूर्खों द्वारा दूसरों को कष्ट न पहुँचायेगा।”

“मैं अहिंसा को प्रेम की भावात्मक स्थिति समझता हूँ, जिसमें अप-कार का बदला भलाई से दिया जाता है।”

“मैं अहिंसा से तरबतर होना चाहता हूँ। अहिंसा और सत्य मेरे शरीर के दो फेंफड़े हैं। इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं हर चष अधिक स्पष्टता के साथ अहिंसा की महान् शक्ति को देखता हूँ।”

“मैं गत तीस वर्षों से सत्याग्रह का उपदेश और व्यवहार कर रहा हूँ। सत्याग्रह के सिद्धान्त, जैसा कि अब मैं जानता हूँ, क्रमशः विकास कर रहे हैं। सत्याग्रह शब्द को दक्षिण अफ्रिका में मैंने गाढ़ा था, उसका मूल अर्थ सत्य के लिये आग्रह करना है। इसे दूसरे शब्दों में सत्य-बल कह सकते हैं। मैंने इसे प्रेम-बल या आत्म-बल ही कहा है। सत्याग्रह के प्रयोग में मुझे यह मालूम हुआ है कि सत्य के अनुकरण करने में हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। इस सिद्धान्त का अर्थ सत्य का समर्थन करना

है, पर यह कार्य अपने विरोधी को कष्ट पहुँचा कर नहीं पर अपने आपको कष्ट पहुँचा कर करना चाहिये। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में ज़मीन आसमान का अन्तर है। जहाँ निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का हथियार है, वहाँ सत्याग्रह सबसे अधिक बलवान का हथियार है। सत्याग्रह में हिंसा का, चाहे व किसी रूप में हो, स्थान नहीं है।”

“डेनियल ने मेडेज और पशिचन के कानूनों को न माना, क्योंकि वह कानून उसकी अन्तरात्मा के खिलाफ़ थे और इस अवज्ञा के लिए उसने शान्तिपूर्वक दण्ड सहन किया। इसके लिये वह कहा जायगा कि उसने सर्वाधिक शुद्ध रूप में सत्याग्रह किया। सॉक्रेटिस ने ग्रीक युवकों को सत्य का उपदेश देने में मुँह न मोड़ा, और इसके लिये उसने बड़ी वीरता पूर्वक मृत्यु दण्ड सहन किया। इसलिये वह इस विषय में सत्याग्रही था; प्रह्लाद ने अपने पिता की आज्ञा की उपेक्षा की क्योंकि वह उसे अपनी अन्तरात्मा के खिलाफ़ समझता था। उसने बिना चूँ चाँ किये प्रसन्नता पूर्वक उन सब यातनाओं को सहन किया जो उसके पिता ने दी। इस अर्थ में वह सत्याग्रही था। मीराँबाई ने अपनी अन्तरात्मा की आज्ञा के अनुसार काम कर अपने पति को नाराज़ किया इसके लिये उसे बड़े २ अपमान और कष्ट सहने पड़े, पर वह अपने महान् उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न रही। अतएव मीराँबाई एक आदर्श सत्याग्रही कही जायगी। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि न तो डेनियल न सॉक्रेटिस न प्रह्लाद न मीराँ बाई उन लोगों के प्रति कोई दुर्भावना रखती थी, जिन्होंने उन्हें कष्ट पहुँचाया। डेनियल और सॉक्रेटिस अपने राज्य के आदर्श नागरिक माने जाते हैं और प्रह्लाद एक आदर्श पुत्र और मीराँ बाई एक आदर्श पत्नी मानी जाती हैं।”

प्रेम-तत्व

प्रेम का नियम-और कुछ नहीं है वह सत्य का नियम है। जहाँ सत्य नहीं है-वहाँ प्रेम का अस्तित्व नहीं हो सकता। सत्य रहित प्रेम मोह

होता है। दूसरे देशों को हानि पहुंचा कर अपने देश पर प्रेम करना, किसी युवक का युवती पर प्रेम करना या अपने अज्ञान पितामहों का अपने पुत्रों पर अंध प्रेम करना आदि बातें मोह में गिनी जाती हैं। प्रेम सब प्रकार की पशु प्रवृत्तियों से परे हैं, उसमें पक्षपात नहीं। वह एक ऐसा सिक्का है जिसके एक तरफ तुम्हें प्रेम दिखाई देगा और दूसरी तरफ सत्य। यह एक ऐसा सिक्का है जो हर जगह चलता है और जिसका मूल्य बखाना नहीं जा सकता।

गांधीजी और स्वराज्य

“स्वराज्य से मेरा मतलब उस राज्य से है जिसमें जनमत द्वारा सर्व जनहित के लिये शासन संचालित किया जाय।”

“बसन्त ऋतु की शोभा हर एक वृक्ष पर दिखाई देती है। उक्त ऋतु के आने पर सारी पृथ्वी यौवन की ताज़गी से भर जाती है। इसी प्रकार जब स्वराज्य का भाव समाज में वास्तविक रूप से अ्योत अ्योत हो जाता है, तो जीवन के हर विभाग में नवजीवन और शक्ति-आ जाती है। चारों ओर जीवन का प्रवाह बहने लगता है। राष्ट्र सेवक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं में जुटे हुये दिखाई देते हैं।”

“स्वराज्य एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र को, किसी भी हालत में, दान द्वारा नहीं मिल सकता। यह राष्ट्र के सर्वोत्कृष्ट रक्त के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्वराज्य अपरिमित कष्ट सहन और सतत परिश्रमका फल है। मैं स्वराज्य का अर्थ यह समझता हूँ कि हमारे देश के छुद्र से छुद्र मनुष्य स्वातंत्र्य प्राप्त करें। मैं केवल मात्र अंग्रेजों के बन्धन से भारतवर्ष को मुक्त करने ही में दिलचस्पी नहीं रखता, मैं हर प्रकार के बन्धन से भारतवर्ष को मुक्त करना चाहता हूँ।”

“मेरा स्वराज्य इसारी सभ्यता की प्रतिभा को अक्षुण्ण बनाये रखेगा,

मैं बहुत सी नई चीजों को अपनाना चाहता हूँ, पर उन सबकी स्थिति भारतीय धरातल पर होना चाहिये। मैं पश्चिम से उस हालत में उधार लेने के लिये तैयार हूँ, जब कि मेरा यह विश्वास हो जाय कि मैं उनकी रकम को ब्याज समेत लौटा दूंगा।”

‘स्वराज्य की यात्रा बड़ा कष्ट कर चढ़ाव (Painful Climb) है। इसमें प्रत्येक विगत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें विशाल संगठन शक्ति की जरूरत है। इसमें ग्रामीणों की सेवा के लिये ग्रामों में घुसने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि स्वराज्य में राष्ट्रीय शिक्षा अर्थात् जन समूह की शिक्षा और जनता में राष्ट्रीय भावना की जागृति की परम आवश्यकता है। यह कार्य जादू की छड़ी से शीघ्र सम्पन्न नहीं हो सकता। इसका धीरे २ विकास होता है। खूनी क्रान्ति इस कार्य को नहीं कर सकती।”

“आत्म-शासन (Self Government) का अर्थ है शासन तंत्र (Government Control) से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास, फिर चाहे वह शासन तन्त्र विदेशी हो या राष्ट्रीय हो।”

“मेरा स्वराज्य दूसरों की हत्या का परिणाम न होगा, वरन् वह आत्मत्याग का स्वेच्छापूर्वक कृत्य होगा। मेरा स्वराज्य अधिकारों का खून खराबी द्वारा अपहरण न होगा, पर उसमें अधिकार प्राप्ति कर्त्तव्य की सुन्दर और स्वाभाविक कृत्यों द्वारा होगी। इसमें चैतन्य प्रभु के डङ्ग की चेतना होगी। मैं जानता हूँ कि इस कार्य की सिद्धि के लिये हमें नवयुवकों और नवयुवतियों के ऐसे वर्ग की आवश्यकता है जिनका ज्येष्ठ और कुछ नहीं, केवल कार्य और राष्ट्र के लिये सतत कार्य है।”

जब तक आत्मत्यागी और दृढ़ प्रतिज्ञा कार्य कर्त्ताओं की बहुत बड़ी फौज तैयार न होगी तब तक मेरी राय में जन समूह की वास्तविक प्रगति होना असम्भव है। इस प्रगति के बिना स्वराज्य नाम की कोई

वस्तु सम्पन्न नहीं हो सकती। स्वराज्य की ओर हमारी उतनी ही अधिक प्रगति होगी जितने अधिक हमें ऐसे कार्यकर्ता प्राप्त होंगे जो गरीबों के हित के लिये अपना सारा का सारा सर्वस्व बलिदान कर देने के लिये प्रस्तुत होंगे।”

“अगर स्वराज्य हमें सम्भव नहीं बना सकता है, वह हमारी सम्म्यता को शुद्ध और सुदृढ़ नहीं कर सकता है तो वह किसी काम का नहीं। हमारी सम्म्यता का मूल तत्व यह है कि हम अपने तमाम कामों में, चाहे फिर वे सार्वजनिक हों या निजी हों, नैतिकता को सर्व प्रधान आसन दें।”

“मेरे स्वप्न का स्वराज्य जाति पॉति और धर्म-विभेद को नहीं मानता। न वह पडे लिखे या धनिक लोगों का ही एकाधिकार (Monopoly) है। स्वराज्य सबके लिये होना चाहिये, जिसमें पूर्व कथित मनुष्यों के अतिरिक्त लाखों करोड़ों भूखों मरते हुये निःसहाय दीन हीन और अन्धे लूतों के हितों का भी समावेश होना चाहिये।”

“राम राज्य से मेरा मतलब हिन्दू राज्य नहीं है। उससे मेरा मतलब ईश्वरीय राज्य से है। मेरे लिये राम और रहीम एक ही ईश्वर के नाम हैं। मैं और किसी ईश्वर को नहीं मानता। मैं केवल सत्य और धर्म के ईश्वर को मानता हूँ। मेरी कल्पना के राम, चाहे पृथ्वी पर रहे हों वा न रहे हों पर राम राज्य का प्राचीन आदर्श निश्चय ही सच्चे जनतंत्र का आदर्श है जिसमें छुद्र से छुद्र नागरिक शीघ्र से शीघ्र बिना किसी खर्चिखी कार्यवाही के न्याय प्राप्त कर सकता था। रामायण के कवि ने लिखा है कि कुत्ते तक राम राज्य में न्याय पाते थे।”

महात्मा गान्धी और जनतंत्र

अनुशासित और संस्कृत जनतंत्र संसार में सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। पक्षपात पूर्ण, अज्ञानता युक्त और भ्रम पूर्ण जन तंत्र देश को अन्वयस्था

और अन्वकार में डाल देता है।”

“श्रीरी कम्पना का जनतंत्र अपनी हुक्का को दूसरों पर भौतिक बल से ब्यादने का पूर्वतया विरोधी है।”

“आतंकवाद (Terrorism) में जनतंत्र की भावना नहीं पनप सकती। कुछ दृष्टियों से जनता का आतंकवाद सरकार के आतंकवाद की अपेक्षा जनतंत्र की भावना का विशेष विरोधी है, क्योंकि सरकार का आतंकवाद जहां प्रजातंत्र की भावना को दृढ़ करता है, वहां जन समूह का आतंकवाद जनतंत्र को मार डालता है। सच्चा जनतंत्र वादी है जो विशुद्ध अहिंसात्मक साधनों के द्वारा अपनी, अपने देश की और अंत में सारी मनुष्य जाति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।”

“जब लोगों के हाथ में राजनैतिक सत्ता आ जाती है तब लोगों की स्वतंत्रता में होनेवाली बाधा न्यूनतम हो जाती है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो राष्ट्र राज्य की बाधा बिना अपना काम सुचारु रूप से भली प्रकार चलाता है वही सच्चे अर्थ में जनतांत्रिक राष्ट्र है। जहां ऐसी परिस्थितियों का अभाव है, वहां का शासन नाम मात्र के लिये जनतांत्रिक कहा जा सकता है। मैं उसी हाकल में जनतंत्री होने का दावा कर सकता हूँ, जब मैं मनुष्य जाति के गरीब से गरीब मनुष्यों के साथ एक-दूसरे की भावना का अनुभव करने लगूंगा।”

महात्मा गांधी और भारत का महान् उद्देश्य

“मैं वह अनुभव करता हूँ कि भारतवर्ष का मिशन दूसरे देशों की अपेक्षा भिन्न है। भारतवर्ष संसार की धार्मिक प्रभुता के लिये योग्य है। प्रारम्भ-शुद्धि की प्रक्रिया में संसार में इसकी सानी का दूसरा उदाहरण नहीं है। भारत को प्रौढाद के शस्त्रों की आवश्यकता नहीं। वह दिव्य शस्त्रों (Divine Weapons) से लड़ा है। वह अब भी ऐसा कर सकता है। दूसरे राष्ट्र पशुबल के हिमायती हैं। यूरोप में चलने वाला

संसार मुक्त इच्छा न्यायतः दण्ड्य है। भारत-शासन के इस
एक विचार का अर्थ है। इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा हुआ
है जिससे यह प्रकट होता है कि शासन के सामने पशुवत मुक्त
है। कर्मियों ने शासन के गुण गये हैं और शक्ति ने इसके अन्त
में अपने अनुभव प्रकट किये हैं।”

“मैं भारतवर्ष को स्वतंत्र और शक्तिशाली देसना चाहता हूँ। मैं
चाहता हूँ कि वह महान् राष्ट्र संसार की महाई के लिये लोकात्
विशुद्ध शासनवाग करने के लिये हमेशा तैयार रहे।”

“मेरी महत्वाकांक्षा भारतीय स्वतंत्रता से बहुत ऊँची है। मैं और
की मुक्ति के द्वारा वास्तव कोष से कुचली हुई दुष्वी की निर्मूल शक्ति
को मुक्त करना चाहता हूँ।”

“मैं भारत के लिये ऐसे विधान के निर्माण की कोशिश करूँगा
जिससे भारतवर्ष सब प्रकार की दासता और संरक्ष से मुक्त हो। ऐसे भारत
के निर्माण के लिये प्रवर्तनीय होऊँगा जिससे गरीब से गरीब मनुष्य
वह अनुभव करे कि वह देश मेरा है और इसमें मेरे आभास की पूरी
कम है, तथा जिसमें छोटे और बड़े वर्गों का कोई भेद भाव नहीं है,
जिसमें सब शक्तियाँ पूर्ण एकता और प्रेम के साथ रहती हैं। ऐसे भारत-
वर्ष में अनुत्पन्न के लिए तथा मदक पेन और औद्योगिकों के लिये को
स्वाभ्य भ रहेगा। किन्तु वे ही अधिकार भोगेंगी जो पुनः को
चूँकि हम सारे कोष संसार के साथ शान्ति और अमन से रहेंगे, व
किसी का कोष करेगे और व किसी से कोषित होंगे, अनुत्पन्न होंगे
से कोटी श्रेष्ठ की अक्षरत होनी। सब ऐसे दिनों की, जो बाकों को
एक अन्तः, दिनों के विरोधी नहीं हैं, पूरी तरह से तथा की बावत
बाने फिर वे दिव देखी हों चहे विदेती। निजी रूप से मैं देखी को
विदेती के बीच के अन्त के भेद को अक्षर की परि से देखता हूँ। वह
मेरे स्वर्ग का भारतवर्ष है।”

हमने ऊपर महात्माजी के विभिन्न विचारों पर, उन्हीं के शब्दों में प्रकाश डालने की चेष्टा की है। उनके समग्र विचारों को लिखने के लिए यह ग्रन्थ की आवश्यकता है। अब हम अगले अध्यायों में महात्माजी के विचारों के विभिन्न आन्दोलनों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।



गांधीजी और उनके सत्याग्रह संग्रह



महात्मा गांधी के राजनैतिक विचार-धाराओं पर हमने साधनों का बड़ा किया है, जिससे हमारे पाठकों को गांधीजी द्वारा सत्याग्रह आन्दोलन की पृष्ठभूमि का कुछ ज्ञान हो सके। महात्मा गांधी सिद्धान्त यद्यपि भारतवर्ष के लिये नवीन न थे, पर उन्होंने उनकी नीति में प्रयुक्तकर राजनैतिक आन्दोलन को एक नवीन रूप दिया। अहिंसा का दिव्य सिद्धान्त भारत के ऋषियों ने कई हजार वर्षों से अविष्कृत किया था। पर जहाँ तक हमारा ज्ञान है महात्माजी ही वे हैं, जिन्होंने राजनैतिक व्यवस्था की प्राप्ति के लिये इस सिद्धान्त का सफलता पूर्वक प्रयोग किया और संसार के सम्मने एक नवीन युग खोला। अब हम उन सत्याग्रह आन्दोलनों पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं, जो महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में व्यापक सत्याग्रह आन्दोलन को प्रारम्भ करने से पहले संचालित किये थे।

महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में आने के पूर्व दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आन्दोलन का सफलता पूर्वक नेतृत्व किया था।

वहाँ प्रवासी भारतवासियों के प्रति गोरों के द्वारा जैसा अत्याचार और हीनता जनक व्यवहार किया जाता था वह मानवता का बड़ा अपमान था। नेतृत्व की कानूनी समिति (Law Society) ने गांधीजी को सलाह दी सवद देने से इसलिये इन्कार किया कि वे गोरों के अत्याचार से बचें। वहाँ भारतवासी लोग अत्याचारों पर साहस दिखाते थे न कि सत्याग्रह। पहले कानूनी-भारतवासियों को देखने के अर्थ में भारत के विभिन्न

काल में कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अगर वे किसी कानून विरुद्ध प्रसन्न हो जाते थे तो उनका रेलवे के उच्च अंशों के डिब्बों में बैठना सुरक्षित हो जाता था, क्योंकि गोरे मुसाफिर उन्हें इसके दर्जे के प्रकृति से और वे उनके साथ सफ़र करना अपना अपमान मानते थे। अगर कोई भारतीय मुसाफिर उच्च अंशों के डिब्बों में बैठ जाता तो वा गोरों द्वारा बाहर फेंक दिया जाता, या वह निम्न अंशों के डिब्बों में जाने के लिये मजबूर किया जाता। ट्रॉम गाड़ियों में भी हाजिर थी। काले आदिमियों के साथ गोरे लोग सफ़र करना अपना अपमान समझते थे; दक्षिण अफ्रीका प्रवासी भारतवासियों को गोरे प्रति बंद बंद पर अपमानित होना पड़ता था। वहाँ के गोरे को अपनी भारतीय अफ़ेक्ता का इतना अभिमान था कि वे काली जाती के लोगों को उच्च और घृणा की दृष्टि से देखते थे।

इसके अतिरिक्त भारतवासी और अन्य एशियाई देशों के लोगों के वहाँ ऐसे काले क़ानून बनाने गये जिन्हें आत्मसम्मान रखते कोई जाति सहन नहीं कर सकती। अगर कोई मूलपूर्व शर्तबद्ध (Indentured Indian) भारतवासी वहाँ दक्षिण अफ्रीका में अपना चाहता था तो उसे तीन पौंड का पोल टैक्स (Poll Tax) देना पड़ता था। इतना ही टैक्स उसे अपनी पत्नी और सोलह वर्ष की उम्र के ऊपर के पुत्र व पुत्रियों के लिये देना पड़ता था। वहाँ बिना कानून के कोई व्यापार नहीं कर सकता था, पर जहाँ यूरोपियों की व्यापार-काइसेस मिल जाते थे वहाँ भारतवासियों को इन्हें प्राप्त करने में कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसके सिवाय दक्षिण अफ्रीका प्रवासी भारतवासियों के लिये यूरोपियन भाषाओं में से एक भाषा सीखना भी लाज़मी था। जिस ऐक्ट के मातहत ये परीक्षाएँ की जाती थीं, उसका नाम शिक्षा संवन्धी परीक्षा का क़ानून (Education Tax Act) था। इसी सन् १९०६ में एशियावासियों के प्रति

के सिद्धांत का मोड़ बन ही रहा था कि इसी सन् १९०७ में वहाँ पर कानून और बना, जिससे नवीन भारतीय प्रवासियों के विषे — — — — — विषे प्रतीका के प्रवेष्ट द्वार बन्द कर दिये गये । इस कानून का नाम ट्रान्सवाल प्रवासियों का रजिस्ट्री कानून (Transval Immigrants Registration Act 1907) था ।

प्रवासी भारतवासियों की स्वाधीनता और मानवोचित अधिकारों का शान्त करनेवाले इन कानूनों के सिद्धांत चोर प्रसन्नोप की कृपा मरक उठी । एशियाटिक लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट (Asiatic Law Amendment Act) के अनुसार वहाँ प्रवासी भारतवासियों को वैसे ही व्यवहार किया जाता था, जैसे ब्रिटिश भारत में वहाँ लकी जातियों के साथ होता था । प्रवासी भारतवासियों की पुष्टि के करने काम की रजिस्ट्री करवानी पड़ती थी और उन्हें अपने अंगूठे का निशान (Finger Print) भी देना पड़ता था । प्रवासी भारतवासियों के राष्ट्रीय आत्मसम्मान को यह कानून चक्का पहुँचाने वाला था । महात्मा गांधी ने लिखा है ।

“ I have never known legislation of this nature being directed against free men in any part of the world..... There are some drastic laws directed against (so called) Criminal tribes in India with which this Ordinance can be easily compared. Finger prints are required by law from criminals. I was, therefore, shocked by this compulsory requirement regarding Finger Prints”.

अर्थात् संसार के किसी भी भाग में स्वतंत्र लोगों के सिद्धांत में ऐसा कानून नहीं है । भारतवर्ष में कथित अपराधी जातियों के सिद्धांत वही कानून है, जिसमें इस कानून की तुलना सहजता की जा

सकती है। अपराधियों ही से कानून के द्वारा इस प्रकार अंगूठे की छाप (Finger print) ली जाती है। अतएव, भारतवासियों से अंगूठे की छाप जबर्दस्ती लेने की इस आवश्यकता से मेरे हृदय को चलाक हुआ है।”

महात्मा गांधी ने, इस अपमानजनक कानून के खिलाफ, विद्रोह की चेष्टा उठाने का निश्चय किया। सन् १९०६ ई० २१ सितम्बर को एक जनसभा में, जिसमें लगभग ३००० भारतीय प्रतिनिधि थे, इस कानून के शान्तिपूर्वक जबर्दस्ती विरोध करने का प्रस्ताव पास हुआ। प्रत्येक भारतीय प्रतिनिधि ने यह सौगन्ध खाई की वह अपना सब कुछ न्योताकर कानून का विरोध करेगा। शान्तिमय प्रतिरोध करने के पहले प्रत्येक पत्रों, डेप्यूटेशनों और मुलाकातों द्वारा इस बात के प्रस्ताव किये गये कि किसी तरह यह मामला शान्तिपूर्वक निपट जाय। पर ऐसा नहीं हो सका। तत्कालीन औपनिवेशिक सेक्रेटरी मिस्टर डन्कन ने यह बात ही अनामक दिया कि अफ्रीका में यूरोपियों की अस्तित्व की रक्षा के लिए इस कानून की अनिवार्य आवश्यकता है।

सखीर ब्याचार होकर महात्मा गांधी को सत्याग्रह शब्द का अवलम्बन करना पड़ा। प्रवासी भारतवासी अंगूठे की छाप देने से साफ़ साफ़ इनकार करने लगे और इसके लिये मिलनेवाली सजाओं का वे सहर्ष अनुभव करने लगे। सन् १९०७ ई० के जुलाई मास में इस नये आर्डिनेंस के मुताबिक अफ्रीका की सरकार ने अनुमति पत्र कार्यालय (Perm offices) खोले। महात्मा गांधीजी ने इन कार्यालयों पर शान्ति पूर्वक धरना देने का निश्चय किया। १२-१२ वर्ष के लड़कों ने भी इस काम के लिये अपना नाम लिखाया। सरकार ने इन सत्याग्रहियों और उनके नेताओं गिरफ्तार करने का निश्चय किया।

सन् १९०७ के दिसम्बर मास में भारतीय समाज के प्रमुख व्यक्तियों कोर्ट के सामने उपस्थित होकर यह

का धारण करवायें कि उन्होंने अपने नाम की रजिष्ट्री क्यों न गांधी जी और अन्य कई प्रमुख सत्याग्रहियों को अपने नाम की रजि न करवाने की वजह से सजायें हुईं। पर ईस्वी सन् १९०८ की जनवरी को जनरल स्मट और भारतीय नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप गांधी जी और अन्य कुछ प्रमुख सत्याग्रही जेल से मुक्त किये गये। जनरल स्मट ने यह आश्वासन दिया कि अगर प्रवासी भारतवासी अपनी खुशी से अपने नाम की रजिष्ट्री कराना स्वीकृत कर देंगे तो वह कानून रद्द कर दिया जायगा। प्रवासी भारतवासियों का अपना पार्ट अदा किया, सत्याग्रही नेताओं ने अपने अनुयायियों के नाम रजि होने की जोखिम उठाकर भी यह शर्त मंजूर कर ली, पर जनरल स्मट ने अपने समझौते का पालन न किया और अपने दिये हुये वचन को खारिज कर दिया। उन्होंने ऑर्डिनेन्स रद्द नहीं किया। इतना ही नहीं गांधीजी के पत्रों का संतोष जनक उत्तर देना भी उचित न जनरल स्मट यहीं तक न रहे। उन्होंने एक दूसरा विश्व पैदल किये जिसमें जाने के लिये भारतवासियों के अफ्रीका प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस विश्व ने आगे चलकर कानून का रूप धारण कर लिया।

अब तो इन कानूनों के खिलाफ शान्तिमय संघर्ष करना आवश्यक हो गया। ईस्वी सन् १९०८ के १६ सितम्बर को जौहंसवर्ग में एक आरंभ का आयोजन किया गया और उसमें जनरल स्मट के साथ कि हुये समझौते के मातहत स्वेच्छा पूर्वक की गई, रजिष्ट्रीयों के दो प्रमाण पत्र (Certificates) बसा दिये गये।

और और के साथ सत्याग्रह संग्राम शुरू हो गया। इसमें सत्याग्रहियों को बड़े-बड़े दुःख और अत्याचार किये गये। सत्याग्रहियों को कठोर कारावास की सजायें दी जाने लगीं, कईयों को बेटों की सजा भी दी गई, और भी अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक अत्याचारों सत्याग्रहियों को सुनिश्चित किये। ई० सन् १९११ को हाईकोर्ट ने एक फैसले द्वारा

प्रवासी भारतवासियों के वैकल्पिक संबंधों को नाबाध बनाने के लिए, क्योंकि वे वैकल्पिक संबंध वहाँ के कानून के अनुसार न थे। यह एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय महिलाओं के अन्तःकरण को भारी चोट पहुँचाई। उन्होंने इसे भारतीय नारी के महान् आदर्श का घोर अपमान समझा; कहना न होगा कि इससे भारतीय महिलायें भी सत्तावादी संग्राम कर पड़ीं। फोनिक्स पार्क (Phoenix Park) की सत्र गाँधीयों के बीच सोबह सोबह की बेच में कानून तोड़कर ट्रांसवाल में प्रवेश करे। उन्हें गिरफ्तार कर कठोर कारावास का दंड दिया गया। कुछ दिनों के बाद वे, जो गिरफ्तार न हुईं थीं, मजदूरों में, तीन पाईस का दैनिक वेतन का पुष्पाधार प्रचार किया गया। यह आन्दोलन अत्यन्त उग्र रूप धारण करता गया। अक्टूबर ईस्वी सन् १९१३ की ६ मकर को दो हजार सैठीस मनुष्य, एक सौ सत्तावादी महिलायें और सत्तावादी बालकों ने कानून तोड़कर ट्रांसवाल की सीमा में प्रवेश किया। इसके बाद सत्तावादी नेता गाँधीजी, पोखक और अन्य कुछ सज्जन पकड़े गये। ट्रांसवाल में सत्तावादी द्वारा प्रवेश करनेवाले को पुरुष और बालक गिरफ्तार कर दिये गये और उन्हें सजायें हुईं। वे सानों में मजदूरी करने के लिये मजबूर किये गये। इस बीच में दक्षिण अफ्रीका की सानों में काम करने वाले भारतवासियों ने आम तौर से हड़ताल करना शुरू कर दिया। हड़ताल की बीमारी ज्व फैली। सत्तावाहियों को इस समय जो महान् कष्ट और बाधाएँ दी गईं वे वर्णनातीत थीं।

पर प्रवासी भारतवासियों के इस घोर कष्ट का परिचय करी दुनिया को होकर चालिये था। इस सत्तावादी सत्तावादी संग्राम से उनकी कानून तोड़ निकल हुई। अफ्रीका की यूनीयन सरकार ने तब जाकर अक्टूबर इस, भारत से एक कमीशन मुकर्र किया जिससे प्रवासी भारतवासियों के कष्टों का निराकरण हो। गाँधीजी और पोखक १८ दिसम्बर सन् १९१३ को लौट दिये गये। इसके कुछ दिनों बाद सारे के सारे सत्तावादी शुरू

दिये गये । सरकार ने तीन पौंड वाला प्रवेक-कर भी माफ़ कर दिया हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक विवाह भी कानूनी करार दे दिये और अधिवास के प्रमाण-पत्र को (Domicile Certificate) का रोकता का अखीरी प्रमाण मान लिया गया ।

इस तरह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला सत्याग्रह-संग्राम बड़ी सफलता के साथ समाप्त हुआ । यह संग्राम बराबर आठ वर्ष चला और इसने सामाजिक न्याय के लिये लड़ने की क्रान्तिकारक प्रणाली के एक नया आविष्कार मनुष्य जाति के सामने रखा । मानवी इतिहास इसने नया अध्याय आरम्भ किया ।

चम्पारन का सत्याग्रह

भारतवर्ष में, महात्मा गांधी ने, चम्पारन में पहले पड़क सत्याग्रह का प्रयोग किया । गांधीजी ने चम्पारन के न्यायालय के सामने इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया, वह बड़ा ही प्रेरणादायक (Inspiring) था । गांधीजी का कथन था:—

"That day was an unforgettable event in my life and a red-letter day for the peasants of Champaran and for me"

अर्थात् वह दिन मेरे जीवन में ऐसी घटना थी जो भूखी न्याय-सम्पत्ति और यही दिन चम्पारन के किसानों के लिये और मेरे लिये सम्बन्धीय दिन भी था ।

सन् १९१६ ई० की छलनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के समय गांधीजी को चम्पारन के किसानों के कष्टों का समाचार मिला । बिहार के एक कांग्रेस कार्यकर्ता-किशोर दादू ने गांधीजी को किसानों के इन कष्टों और चम्पारन की परिस्थिति का ज्ञान करवाया और उन्हें चम्पारन में जाने

विश्वविख्यात किया। सन् १९१० ई० के चम्रेल मास में महाराज
विचारन गये।

हिन्दू शास्त्रों के अनुसार, महाराज जनक की राजधानी
वह जिला बिहार का उत्तर-पश्चिमीय भाग है। निरन्तर एक सरी
के धूरीपिथन सेतीहर नील की खेती से बड़ा अर्थ लाभ कर रहे
थे। वहाँ के किसानों का शोषण कर रहे थे। वहाँ उन्होंने अपने
अपने हुए कानून के अनुसार नगबल के द्वारा बड़ा शक्तिपूर्वक
जमा रखा था। सरकारी कर्मचारी भी इनके प्रति सहानुभूति
रखते थे। स्थानीय नेताओं ने, किसानों के कष्ट-निवारण के दिने, जब कभी
उठते, वह सब कार्य गई। कानूनी कार्यवाही भी नाकारणर

। गोर सेतीहर बंगाल टिनेन्सी एक्ट और इस प्रकार के अन्य
कानूनों का सहारा लेकर गरीब किसानों का बेचबक

करे। किसानों का मुख्य कष्ट "तीन कठिया" नामक एक

। इस इकरार के अनुसार किसानों की धपनी ३/२० भाग
पर नील बोन पड़ता था, चाहे इसमें उन्हें लाभ हो या न

के शोषण को, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, बंगाल

के एक्ट के अनुसार कानूनी रूप दे दिया गया था। पीछे प्रायः

प्रायः देशों में जब रासायनिक रंगों का आधिकार हो गया और

नील की खेती और व्यवसाय हानिकारक होने लगा तब इन गोर

ने किसानों से बड़ा आग्रह किया कि वे चाहें तो नील की खेती

पर इसके बदले में उन्हें परिवर्द्धित भूमिकर देना पड़ेगा। धूरी-

सेतीहरों ने इस नवीन मांग का टिनेन्सी एक्ट की धारा के अनुसार

किया। कहीं कहीं इन गोर सेतीहरों ने किसानों से भारी रकम

नील बीने की शर्त से बरी कर दिया। किसानों से बड़ा

विषय अन्य कसूर करने में गोर सेतीहरों ने ऐसे ऐसे जुर्म किए

थे कि किसान उल्लेख इतिहास के काले पृष्ठों में लिखे जा सकते।

स्थान था। गाँवों को देखने के लिये वह रवाना होने ही वाले थे कि उन्हें दफ्ता १४४ का नोटिस मिला कि तुरन्त ही जिले से बाहर चले जाओ। गांधीजी भला इस हुक्म को कब मानने वाले थे! उन्होंने अपना कैसरेहिन्द का स्वर्णपदक, जो कि सरकार ने उन्हें लोकीपयोगी काम के लिये सरकार में दिया था, सरकार को लौटा दिया। मजिस्ट्रेट की अदाखत में आप पर दफ्ता १४४ भंग करने का मुकदमा चला। आपने अपने को अपराधी स्वीकार करते हुए एक विश्वचमक बयान अदाखत के सम्मुख दिया, जो उस समय अद्भुत और नई स्फूर्ति को लिये हुए था, हालांकि आज हम उससे भलीभाँति परिचित हो चुके हैं। सरकार ने अदालत में मुकदमा वापस ले लिया और उन्हें अपनी जाँच करने दी। इस जाँच में उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से कोई २० हजार किसानों के बयान कलमबन्द किये। उन्हीं बयानों के आधार पर गांधीजी ने अपनी माँग पेश की। अखिरकार सरकार को एक कमीशन नियुक्त करना पड़ा जिसमें जमींदार, सरकार और निम्नहरे गोरों प्रतिनिधि थे। महात्मा गांधी को किसानों की ओर से प्रतिनिधि रक्खा गया था। इस कमीशन ने जाँच के बाद एकमत होकर अपनी रिपोर्ट लिखी, जिसमें किसानों की लगभग सभी शिकायतों को जायज़ माना गया। उस रिपोर्ट में एक समझौता लिखा गया था जिसमें किसानों पर बढ़ाये गये करों को कम कर दिया गया था और जो रुपया गोरों ने नक़द वसूल किया था उसका एक भाग लौटा देना तय हुआ था। उसकी सिफ़ारिशों के बाद में क़ानून का रूप दे दिया गया था, जिसके अनुसार नीबू को पैदा करना या "तीन-कठिया" लेना मना कर दिया गया था। इसके कुछ दिनों बाद ही अफ़िकांस निम्नहरे गोरों ने अपने कारख़ाने बेच दिये, ज़मीन छोड़ी और वे ज़िला छोड़कर चले गये। आज उन स्थानों के, जो कभी निम्नहरे गोरों के मइस्र थे, खंडहर ही शेष हैं। वे लोग, जो अभी तक ज़मीन मीस्र हैं, नीबू का काम क़तई-नहीं कर रहे हैं। बल्कि दूसरे किसानों

गांधीजी और उनके सत्याग्रह संग्राम

की तरह खेती-बाड़ी करके वे अपना गुजर बसर करते हैं। उनकी यह गैर कानूनी आमदनी ही रह गई है और न प्रतिष्ठा - उनकी आमदनी का एक कारण थी।

वहां यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि चंपारन में आन्दोलन संचालित करते हुए भी महात्मा गांधी अपने रचनात्मक को न मूले। उन्होंने चम्पारन जिले के गाँव में छः प्राइमरी स्कूलों और उनमें ग्रामीणों के लिये वैद्यकीय सहायता (Relief) का भी प्रबंध किया। उन्होंने गाँव वालों को स्वच्छता रहकर आरोग्यशास्त्री जीवन बिताने का उपदेश दिया। जहां शिष्ट वर्ग उपलब्ध न थे, वहां उन्होंने उन्हें बाहर से बुलाकर शिक्षा का प्रबंध किया। मतलब यह है कि गांधी जी के साथ साथ ग्रामीण जीवन के सुधार का भी पावा रक्खा।

खेड़ा-सत्याग्रह

खेड़ा का जिला गुजरात प्रान्त में है। ईस्वी सन् १९१८ में इस जिले में फसल नष्ट हो गई और इस कारण वहां अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसान खोग फसल नष्ट हो जाने के कारण भूमिगत होने में असमर्थ थे।

गांधी जी के भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले भारतीय किसान यह नहीं जानते थे कि घोर से घोर अकाल के दिनों में भी वे सरकार के हकान लेने के अधिकार के संबंध में कुछ पुराण कह सकते हैं। उनके प्रतिनिधि सरकार के पास आवेदन एवं प्रार्थना कर सकते थे, स्थानीय कौंसिलों में प्रस्ताव करते थे। बस, वहीं तक उनका विशेष सम्बन्ध हो जाता था। १९१८ गांधी जी ने एक नये युग का भी मन्वेष किया। गुजरात के खेड़ा जिले में इस वर्ष ऐसा पुरा समय आया कि जिले भर की सारी फसल खराब हो गई। अतथा अकाल के सम्बन्ध

हो गई थी। किसान लोग महसूस करने लगे थे कि सबसभ को ऐसी
 व्यवस्था स्थापित होना चाहिये। ग्राम तौर पर ऐसे मौकों पर जो
 काम में लाये जाते थे, उन सबको अज्ञात या चुभ था।
 खेती हो चुके थे। किसानों का कहना था कि फसल रुपये में खरी
 गई है। दूसरी और सरकारी अफसरों का कहना था कि फसल
 ज्यादा हुई है और इसलिये किसानों को, कानून के अनुसार
 खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। किसानों की समस्या
 सामंजस्य से साबित हो चुकी थी, अतः गांधी जी के पास किसानों
 का यह सवाल देनेके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने
 ही स्वयं-सेवक और कार्यकर्ता बनने की भी अपील की और
 कहा कि वे किसानों में जाकर उन्हें अपने अधिकारों आदि का ज्ञान
 करावें। गांधी जी की अपील का असर तुरन्त ही हुआ। सबसे पहले
 ही स्वयं-सेवक बनने को आगे बढ़ने वाले सरदार बरखभ भाई पटेल थे।
 आपने अपनी खासी और बढ़ती हुई वकालत पर बात मार
 और सब कुछ छोड़कर गांधी जी के साथ फकीरी ले ली। सेवा का
 ही इन दो महान् पुरुषों को मिलाने का कारण बना। सरदार
 पटेल के सामाजिक जीवन में प्रवेश करने का बही श्री. कलेक्टर का
 ही अन्तिम निर्णय उसके अपने धर्म को गांधी जी के अर्थक्य का
 विचार। जैसे जैसे समय गया इनका सहयोग बढ़ता ही गया। किसानों
 के एक प्रतिनिधि-मंत्र पर हस्ताक्षर किये कि वे अपने को मुख्य कल्याण
 के लिए और अपने स्वामिमान को नष्ट करके खराबती बढ़ाया हुआ
 देने की अपेक्षा अपनी ज़मीनों को जल बनाने के लिये तैयार हैं।
 उनका यह भी कहना था कि हममें से जो लोग कुलहाल हैं, वे भी
 किसानों का अज्ञान दूर करने के लिये तैयार हैं तो अपना अज्ञान दूर
 करें।

अकस्मिकताओं की इस शिफ्त में एक अर्पण रूप से तिष्ठित किया
 गया। उन किसानों की जिज्ञासा उन्हें दी गई जो उन्होंने नहीं

कमी सुनी तक न थी। उन्हें यह बताया जाता कि
 कि आप सरकार के लगान लगाने के अधिकार पर
 जो हैं सरकारी अधिकार आपके मांडिक नहीं, नीकर
 अधिकार सरकारी का सारा भय अपने दिल से निकाल कर
 कार्य करने को, दमन और दबाव को और उससे भी
 उक्त सब को परवाह न करते हुए अपने हक पर दृष्ट रहना
 उन्हें बमरिक्ता के प्रारम्भिक नियमों को भी सीखाना था,
 जिसे बड़े से बड़ा साहस-कार्य भी आगे चलकर दृष्टि
 सकता है। गाँधीजी, सरदार पटेल तथा उनके अन्य
 वही बोमि था कि वे नित्यप्रति एक गाँव से दूसरे और
 में जाकर किसानों को वही उपदेश और शिक्षा दे
 सत्यवादी तथा अन्य वस्तुओं के कुकृतिये जाने, जुमाने और
 हथि को धर्मकों के मुकाबले में वे दृष्टापूर्वक दृष्ट रहे।
 किसे धन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर
 व्यापारियों ने चन्दा करके आवश्यकता से अधिक धन मेज दिया।
 सत्यवादी से गुजरात की सविनय-आन्दोलन का पहला संकट सत्यवादी को
 प्राप्त हुआ। किसानों के हृदय को मजबूत बनाने के लिये
 लोको को लड़ाई की कि जो लोको बैजा कुकृतिये किया
 कठोर कठोर वे ही आदि और स्वामी श्री मोहनदास
 काम में किसानों के अनुयायी बने। लोगों को अपने ऊपर
 और लोको की सजा को अभिवृत्त करने की शिक्षा प्रहस
 लोको अधिकार था, जो कि सत्यवादी का आवश्यक
 है। मोहनदास पाठ्या एक सैत की प्याज की प्रसन्न कठोर है
 उन्हें इस कार्य में कुछ किसानों ने भी मदद दी। उन सब
 सत्यवादी ही, कुकृतिये लोको और लोको सैत दिन की सजा
 लोको के लोको को एक मजबूत प्रयोग था। इन सब बातों की

के साथ करते थे। वे अपने नेताओं की जय-जयकार करते थे और जेल से छूटने पर उनके मुल्स निकालते थे।

इस झगड़े का बकायक ही अन्त हो गया। अधिकारियों ने शरीर प्राणों के लगान को मुस्तवी कर दिया। लेकिन उन्होंने यह कार्य किसी प्रकार को सार्वजनिक घोषणा किये हुये। उन्होंने को यह भी अनुभव न होने दिया कि यह उनके साथ किसी का समझौता करके हुआ है। चूंकि यह रिवाजत एक तो देर से दूसरे यह जाहिर नहीं होने दिया कि यह लोगों के आन्दोलन का स्वरूप है, तीसरे वह भी बिना मन के। इसलिये इससे बहुत कम को लाभ पहुँचा। यद्यपि सिद्धान्ततः सत्याग्रह की विजय हुई, कि भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूर्ण विजय थी। क्योंकि वह विजय के मुख्य कारणों से वंचित रही। लेकिन उसके अप्रत्यक्ष फल बहुत निकले। उस बढ़ाई से गुजरात के किसानों में एक महान् जागृति जाग पड़ी और वास्तविक राजनैतिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। इसी अपनी 'आज-कथा' में लिखते हैं :—

The lesson was indelibly imprinted on the public mind that the salvation of the people depends upon themselves, upon their capacity for suffering and sacrifice. Through the Kheda campaign, Satyagrah took firm root in the soil of Gujarat.

अर्थात् (सत्याग्रह के) इस सबक से लोगों के मन पर यह अमिट बात पड़ी कि उनकी मुक्ति उनके कष्ट-सहन और आत्मत्याग की योग्यता निर्भर है। सेवा के आन्दोलन से गुजरात की भूमि पर सत्याग्रह की नींव मजबूती से जमी।

यह पहला अवसर था जिसमें गांधीजी ने लोगों को कठिनप्राणों से कष्ट सहने के लिये आह्वान किया था, और उन्हें सत्याग्रह की

अहमदाबाद का सत्याग्रह

शिवा ही गई थी। इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद
राज्य को सत्याग्रह तत्व की शिक्षा देने की आवश्यकता समझी
उन्होंने यह महसूस किया कि सत्याग्रह के विधायक रूप की और
लोगों का ध्यान, जैसा चाहिये वैसा, आकर्षण नहीं हो रहा है। इस
उस समय उन्हें पर्याप्त मनुष्य न मिल सके। इसलिये
समय अधिक आगे न बढ़ सका।

अहमदाबाद का सत्याग्रह

भारतवर्ष में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा
पर मिल मालिक और मज़दूरों के मगदों को निपटाने की
अहमदाबाद में किया। कहा जाता है कि इतिहास में यह
या कि मानवीय जीवन के इन महान् तत्वों को औद्योगिक
निपटाने के लिये काम में लाया गया। इसके बड़े दूरवर्ती
निकले। अहमदाबाद का मज़दूर संघ उसी वक्त स्थापित
जिसने बड़े बड़े औद्योगिक तूफानों का सामना कर मिल मालिक
मिल मज़दूरों के मगदों का फ़ैसला करने में प्रशंसनीय कार्य किया
हिसार के सामने मज़दूर संघ का एक आदर्श रखा।

अब हम अहमदाबाद सत्याग्रह का कुछ विवरण देना चाहते हैं, जिन
सचान सचान महात्मा गांधी ने सफलता पूर्वक किया था।
और मज़दूरों के बीच में महंगाई और बोनस के संबंध में विवाद उत्पन्न
हुआ। दोनों पक्षों ने गांधीजी की सेवा में उपस्थित होकर यह
की कि वे मध्यस्थ होकर इस विवाद का फ़ैसला करें। महात्मा
जिने ज़म्मीरता पूर्वक सारे मामले का अनुसंधान किया
उन्होंने पक्षों को यह राय दी कि वे पक्षों के द्वारा इस मामले का
करवायें। दोनों पक्षों ने महात्माजी की राय को ध्यान देकर
किया। संघ की अंततः कुछ दिनों के बाद मिल मज़दूरों के मगदों
के संबंध में फ़ैसला कर दी। इससे मिल मालिक बड़े कोषित हुए

उन्हें एक समझौता तोड़ने का बहाना मिल गया। ईस्वी सन् १९१८ में फरवरी को उन्होंने मिनों में ताबाबन्दी (Lock out) कर दी। गांधीजी ने दोनों को समझाने का प्रयत्न किया, पर इसका कोई फल हुआ। जॉब करने पर गांधीजी को मालूम हुआ कि इसमें मजदूरों का स्थिति है। उन्होंने मजदूरों को सलाह दी कि वे अपने सत्ते में १९१९ की वृद्धि के लिये माँग करें। मिल मालिकों ने कौन सी सी से अधिक न देने का निश्चय कर लिया। इससे २६ फरवरी को मिनों ने हड़ताल कर दी और उसमें हजारों मजदूर शामिल हो गये।

मजदूरों से यह शपथ लिखवाई गई कि जब तक उन्हें अपने कमान में पैंतीस प्रति सैकड़ा की वृद्धि न मिलेगी तब तक वे काम पर न आवेंगे। मिनों के ताबाबन्दी के समय वे किसी प्रकार का उपद्रव न करेंगे और पूर्णरूप से अहिंसा का पालन करेंगे। वे किसी पर हमला न करेंगे और लूटमार से दूर रहेंगे। वे मिल मालिकों की ज़ाबदाद को नुकसान की हानि न पहुँचावेंगे। वे किसी प्रकार के अपशब्द अपने निकालेंगे। वे पूर्ण रूप से शांति की रक्षा करेंगे।

मिनों की ताबाबन्दी के समय गांधीजी और उनके सहयोगी तरह से मिल मजदूरों की सेवा करते रहे। उन्होंने मजदूरों के निवास-स्थान जाकर उन्हें सफाई और आरोग्यता की शिक्षा दी, और निरक्षरता संबंधी तथा अन्य सहायता दी। वे हर रोज व्यूलेटिन निकाल कर मजदूरों को अनुशासन की शिक्षा देते रहते थे। वे मजदूरों की समस्याएँ समझते और उनमें उनकी दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर चर्चा करते थे। वे मजदूरों को इस बात का आदेश देते थे कि मिनों के ताबाबन्दी के समय वे कुछ अन्य काम करें, और अपने पैरों पर खड़ा रहें। बहुत से मजदूरों को गांधीजीने अपने आश्रम पर मजदूरों के रूप में लाने जो उस समय बन रहा था। गांधीजीने मजदूरों को यह भी बताया कि अगर दुर्भाग्यवश उन्हें मृत्यु मरने का सामना

काम तो उनके साथ अन्त समय तक वे भी भूले रहेंगे और उनका साथ देंगे।

समय पन्द्रह दिन तक मजदूर बड़े साहस और हिम्मत के साथ मिली हिचकिचाहट के अपनी प्रतिज्ञा पर खड़े रहे। मैं मिला मजदूरों ने चाखबाजियों से काम लेना शुरू किया। उन्होंने मजदूर की अफवाहों जोर और से उड़ाना शुरू की कि मजदूर पस्त हो रहे हैं और उनका साहस नौ हो ग्यारह हो रहा है। इस पर महात्मा गांधी ने तुरन्त ही एक पैसा निर्धारित किया जो दोनों को बचा और आरक्षणकारक बना। महात्मा गांधीजी ने यह प्रकट किया कि इस मामले का सफलता पूर्वक फैसला न हो जायगा तब का त्याग कर देंगे। वे गांधी में भी सवारी न करेंगे। गांधीजी ने कहा है—मैं उन आदमियों में से हूँ जो इस बात का हिस्सा हैं कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिज्ञा का पालन चाहिये। मैं एक पक्ष के लिये भी इस बात को समझता हूँ कि जो पवित्र प्रतिज्ञा तुमने (मजदूरों) की है उसका पालन करो। जब तक तुम सत्रों को पैंतीस प्रति सैंकड़ा की वृद्धि तक तक न तो मैं अन्न का स्पर्श करूँगा और न मैं गांधी में

इससे बड़ी हलचल मच गई। मजदूरों की हिम्मत एक गांधीजी के इस उपवास से मिला मादिकों पर भी बड़ा वे आपसी समझौते के लिये अधिक उत्सुकता प्रकट करने लगे।

अब और यह तब हुआ कि प्रोफेसर प्रभु दोनों पक्षों की और समझने जायें और उनके फैसले को दोनों पक्ष मंजूर करें।

के बाद प्रभु महोदय ने मिला मजदूरों को उनके जुलाई मास के पैंतीस प्रति सैंकड़ा की वृद्धि देने का फैसला दिया। दोनों पक्षों ने फैसला स्वीकार कर लिया। इसी के फल स्वरूप मजदूरों का भी अन्तर्गत अन्त एक पैसा खादी संगठन हो गया जो अन्त २१ व

विपैक्टि से सुविधाएँ प्राप्त करना, नये से बचाता तथा सामान्य सुधार करना आदि हैं ।

गांधीजी का विशाल राजनैतिक क्षेत्र में उत्कर्ष

हमने गांधीजी के विचारों पर और उनके द्वारा किये गये सत्याग्रह-संग्रामों पर गत पृष्ठों में प्रकाश डालने की कोशिश की है । रौलेट विधियों के संबंध में भी पिछले पृष्ठों में कुछ लिखा जा चुका है । यह लिख माननी स्वामीनता के बड़े वातक थे । गांधीजी ने सत्याग्रह से तत्कालीन वाइसरॉय को एक पत्र लिखकर कहा था कि वे रौलेट रिपोर्ट को कानून का रूप न दें । कानून का रूप दिया गया तो वे इसके विरोध में सत्याग्रह करेंगे । वाइसरॉय ने गांधीजी की राय को स्वीकार नहीं किया । पर सत्याग्रहों में, जैसा कि हम गत पृष्ठों में देख चुके हैं, सरकारी विरोध बहुत कम से पास कर दिये गये, और उन्हें कानून का रूप दे दिया गया था ! गांधीजी ने स्ट कर इन विधियों का विरोध करने का निश्चय किया । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये गांधीजी ने देश में सत्याग्रह किया । अगस्त सत्र जगह धूमधाम से स्वागत हुआ । गांधीजी के लिये, अन्य नेताओं की अपेक्षा, अपरिचित व्यक्ति के रूप में भी देश ने उनका और उनके जैसे ही विचारधारा का काम का इतना स्वागत क्यों किया । भारत सरकार ने उस समय रौलेट रिपोर्ट में गांधीजी के तत्कालीन अज्ञात प्रभाव के कारणों को ध्यान में रखते हुए लिखा था:—

“मि० गांधी अपनी निश्चलता और ऊँचे आदर्शों के कारण और सर अलेक्जेंडर के अनुयायी समझे जाते हैं । अतीवों के लिये सत्याग्रह में उन्होंने जो बर्बाद खर्ची, उसके कारण उन्हें यह विश्वास है कि अतीवों में एक चार्जिंक और अतीवों ने अतीवों में एक खोस जात यह है कि इनके लिये

किसी सम्प्रदाय-विशेष के नहीं हैं। जब से वे अहमदाबाद में रहने लगे तबसे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं।”

“किसी भी व्यक्ति या जाति की रक्षा के लिये, जिन्हें कि वह कहते हैं कि उस पर अत्याचार हो रहा है, सदैव अपने हाथ में गदा तैयार रहने के कारण, वह अपने देशवासियों को और भी प्रिय ही। कम्बई अहाते भर में तो, क्या देहात और क्या नगर, अधिकांश अत्यधिक प्रभाव है और उनकी सब पर धाक है। उन्हें जिस आदर भाव से देखते हैं, उसके लिये “पूजा” शब्द का करना किसी बड़े शब्द का प्रयोग करना नहीं कहा जा सकता।

यह से उनका विश्वास आत्मबल में अधिक है। इसलिये बांधी का विकास हो गया है कि उन्हें इस शक्ति का प्रयोग सत्याग्रह के सिद्धांत-एक के सिद्धांत करना चाहिए, जिसे कि उन्होंने दक्षिण में सफलता पूर्वक प्रयुक्त किया था। २४ फरवरी को उन्होंने

कर दी कि यदि बिल पास किये गये तो वह अत्यन्त दैने। सरकार तथा बहुत से भारतीय राजनीतिज्ञों ने, इस बहुत चिन्तामयी दृष्टि से देखा। बड़ी कौंसिल के कुछ कार्यकर्त्तों ने तो सार्वजनिक रूप से कार्य के भयावह परिणामों का बताया था। श्रीमती बेसेन्ट ने तो, जिन्हें भारतीय मनीषिणी का

ज्ञान था, गांधी जी को अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक चेतावनी दी कि उन्हें कोई भी ऐसा आन्दोलन चलाया तो उससे ऐसी कठिनी उठेगी जिसे न जाने क्या क्या भयंकर बुराईयां हो सकती हैं। कि वह बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये कि गांधी जी के एक भाव में कोई भी ऐसी बात नहीं थी, जिससे कि उनके आन्दोलन का प्रयोग होने से पहले सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकती।

तो आक्रामकरी नहीं बल्कि रक्षात्मक पद्धति है। गांधी जी के विर पर पशुवत् की विन्दा की। उन्हें वह विचार था कि वह

गांधीजी का विशाल राजनैतिक क्षेत्र में उतरना

व्यवस्था के रूप में सत्याग्रह करके सरकार को इस बात के खिन्ने कर देंगे कि वह रौलेट-एक्ट का परित्याग करें। १८ मार्च को उ. वि. वि. के संबंध में एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित कराया, वह इस प्रकार है:

“सच्चे हृदय से मेरा यह मत है कि इण्डियन क्रिमिनल कॉन्वेंशन वि. वि. नं० १ और क्रिमिनल ऑर्डर-जेन्सी एक्ट वि. वि. नं० २ का न्याय पूर्ण है और न्याय और स्वाधीनता के सिद्धांतों के उल्लंघन के उन मौलिक अधिकारों का इनन होता है जिन पर भारत की और स्वयं राज्य की रक्षा निर्भर है। अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि इन विधियों को कानून का रूप तो जब तक इन्हें वापस न लिया जाय, तब तक हम इन कानूनों को भी, जिन्हें कि इसके बाद नियुक्त की जाने उचित समझेगी, मानने से नम्रता पूर्वक इन्कार कर देंगे। हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि इस युद्ध में हम ईमानदारी के अनुसरण करेंगे और किसी के जान-माल को किसी तरह पहुँचावेंगे।”

कहने का मतलब यह है कि गांधी जी ने अहिंसा के दिव्य की जनता के सामने रखकर सत्याग्रह संग्राम की घोषणा की। ३० मार्च सन् १९१६ को सत्याग्रह आरम्भ करने जारी किया। पीछे जाकर यह तारीख बदल दी गई और ६ अप्रैल को सत्याग्रह करने की तारीख निबत की गई। २३ मार्च को गांधीजी सारे भारतवर्ष के खिन्ने सत्याग्रह करने का कार्यक्रम प्रकाशित हुये लिखा था।

“Satyagraha is essentially a religious movement. It is a process of purification and It seeks to secure reforms or redress of grievance by self-suffering. The 6th of April (by which the Viceroy would have given his assent to the A

should be observed as a day of humiliation and prayer. The details of the programme were as follows. अखिल में सत्याग्रह एक धार्मिक आन्दोलन है। यह आत्म-शुद्धि और प्रायश्चित्त की प्रक्रिया है। इसमें सुधार और कष्ट निवारण के कार्यों आत्म-कष्ट के द्वारा संपन्न किये जाते हैं।" गांधी जी ने निम्न लिखित कार्य क्रम प्रकाशित किया था:—

२४ घंटे का उपवास रक्खा जाय। यह उपवास भूल इस्तेफा के रूपमें न हो। सविनय अवज्ञा (civil Disobedience) के लिये सत्याग्रहियों को बोम्ब बनाने को यह एक आवश्यक अनुशासन है। उस दिन सारा काम-काज बन्द रक्खा जाये।

उपरोक्त आदेश सर्वसाधारण के लिये थे, प्रतिज्ञाबद्ध सत्याग्रहियों के लिये सत्याग्रही कमेटी ने निम्नलिखित आदेश जारी किये थे।

(१) निषिद्ध साहित्य (Prohibited literature) का प्रचार गुप्त रीति से नहीं, पर खुले तौर से करना चाहिये। वह ऐसे साधारण से किया जाना चाहिये जिससे बेचनेवाले का सहज ही में पता चल सके।

(२) अगर निषिद्ध साहित्य की पर्याप्त संख्या में प्रतियाँ उपलब्ध न हों तो उनके अर्थ सर्वसाधारण को पढ़कर सुनाये जायें, या "हॉल" से उनकी नकलें कर उन्हें सर्व साधारण में बाँटी जायें।

गांधी जी ने स्वयं सत्याग्रही नामका गैर राजिद्वी मुद्रा सञ्चार पत्र निकालना शुरू किया, जिसमें सत्याग्रहियों के लिये इस बात के सुझाव थे कि उन्हें कैद और अपनी ज़ाबतद्व की जन्ती का बिना टाइटम-बैर बिना बचाव (Defence) किये किस प्रकार मुकाबला करना चाहिये।

दिल्ली का सत्याग्रह

जैसा कि ऊपर कहा गया है प्रारम्भ में सत्याग्रह की तैयारी

मार्च मुक़र्रर की गई थी। इस तारीख़ के बढ़ने की सूचना दिल्ली के नेताओं को न मिली। अतएव उन्होंने गांधी जी के पूर्व आदेशानुसार उसी दिन स्वामी श्रद्धानन्दजी के नेतृत्व में सत्याग्रह का प्रारम्भ कर दिया। स्वामी श्रद्धानन्दजी के त्यागमय जीवन का जनता पर बड़ा प्रभाव था। ३० मार्च को एक भारी जुलूस निकाला गया और दिल्ली में पूर्ण हड़ताल की गई। जुलूस पर गोली चलाई गई। स्वामी श्रद्धानन्दजी को कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने की धमकी दी। इस पर वे बड़े निडरता के साथ छाती खोल कर आगे हो गये और कहने लगे 'मारो गोली!' बस, गोरों की धमकी हवा में उड़ गई। स्वामी जी वीरतापूर्वक प्रदर्शन ने लोगों के हृदयों में नव जीवन फूंक दिया। हृदयों में नवीन स्फूर्ति और बल का संचार हो गया। पर पीछे जाते दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर कुछ मगड़ा हो गया जिसमें ५ मनुष्य मरे और अनेक घायल हुए।

देश व्यापी सत्याग्रह

जैसाकि ऊपर कहा गया है गांधी जी ने ३० मार्च को काशी में ६ अप्रेल को देशव्यापी सत्याग्रह करने का आदेश दिया था। के इस आदेश का सारे देश ने हार्दिक स्वागत किया। सारे देश में उत्साह और जीवन शक्ति का संचार हो गया। सैकड़ों किशट् सभायें हुईं। लाखों मनुष्यों ने इस कार्यक्रम से जागृत देश के कोने कोने में लाखों मनुष्यों के द्वारा महान् प्रदर्शन हुए।

गांधी जी की गिरफ्तारी

अपि महात्मा गांधी ने जनता से अपील की थी कि उनके आन्दोलन की सफलता उनके पूर्ण रूप से अहिंसक रहने पर निर्भर है और इस न सत्याग्रह आन्दोलन की जड़ सत्य और अहिंसा के दिव्य तत्व पर है।

हुई है, पर फिर भी उन दिनों देश के विभिन्न भागों में कुछ उपद्रव और हिंसा-कांड हुये। जाहौर में भी लूटमार हुई और गोली चली। कलकत्ते जैसे सुदूर स्थान से भी बुरे समाचार प्राप्त हुए। पंजाब की दुर्घटनाओं की बात सुनकर तथा स्वामी श्रद्धानन्द और डॉ० सत्यपाल के बुझाने पर गांधीजी ८ अप्रैल को दिल्ली के लिये चल पड़े। रास्ते में ही उन्हें हुक्म कि पंजाब और दिल्ली के भीतर प्रवेश न करो। उन्होंने इस हुक्म का मानने से इन्कार कर दिया। इस पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली से कुछ दूर पलवल नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में सवार कर उन्हें १० अप्रैल को बम्बई भेज दिया।

गांधीजी की गिरफ्तारी के समाचार से अहमदाबाद में कई उपद्रव हो गये, जिनमें कुछ अप्रेल और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जम-से-मारे गये। १२ अप्रेल को वीरमगाँव और नवियाद में भी कुछ उत्पात हुए। कलकत्ते में भी उपद्रव हुए थे। वहाँ गोली चली थी, जिससे ५ या ६ आदमी जम से मारे गये थे और बारह बुरी तरह घायल हुये थे। बम्बई पहुँचकर गांधीजी ने स्थिति को शान्त करने में बहुत काम किया। इन उपद्रवों के कारण उन्होंने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और उसके संबंध में कुछ सलाह देकर निकाला।



पंजाब में अमानुषिक अत्याचार जलियानवाला बाग का भयंकर हत्याकांड



महात्मा गांधी के आदेशानुसार ६ अप्रैल को पंजाब के प्रायः नगरों में संपूर्ण हड़ताल की गई थी। हड़तालों के साथ साथ जो-जो प्रदर्शन भी हुए उनमें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख आदि सब ऊड़े उल्लाह से भाग लिया था। हजारों लाखों नर-नारियों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। इस दिन किसी प्रकार का खगड़ा खलेका खगड़ा ने बड़ी शान्ति से काम लिया।

इसके बाद क्या हुआ ? ६ अप्रैल के दिन रामनवमी का बहकने की आवश्यकता नहीं की रामनवमी हिन्दुओं का त्यौहार है, पर इस वक्त इस त्यौहार का उपयोग हिन्दु-एकता के अपूर्व प्रदर्शन में किया गया। मुसलमानों ने भी अपने हिन्दू भाइयों के साथ इस त्यौहार को मनाया। सुप्रसिद्ध नेता डॉक्टर किचलू और डाक्टर सत्यपाल ने हिन्दू-मुसलमानों का आवृभाव बढ़ाने में बहुत काम किया। इस दिन भी वे हिन्दू-मुसलमानों की एकता के संगठन का कार्य कर रहे थे। अचानक इन दोनों महानुभावों ने नबी जान फूँक दी। आप दोनों महानुभावों के खिलाफ आन्दोलन में बड़ा भाग लिया। आप दोनों का प्रतिष्ठा ली थी। इन बातों से आप दोनों को जो मिला। जनता आपको बड़े भक्ति भाव से देखने लगी। आप दोनों के विरुद्ध अत्याचार की जनता का विरोध सच है।

पढ़ता था। २६ मार्च सन् १९११ को पंजाब सरकार ने आज़ाद-निकाह कर डॉक्टर सत्यपाल को सार्वजनिक व्याख्यान देने की मनाई कर दी। वे अगस्तसर में नज़रबन्द (Interned) कर दिये गये। जैसा कि हम ऊपर एक वक्त कह चुके हैं कि भारतवर्ष में कुछ प्रान्तों में ग़लती से मार्च को भी हड़ताल की गई थी। इस दिन अगस्तसर में भी ताल था। इस समय रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिये जो समाज भी उसमें सरकारी हिसाब के मुताबिक़ भी ३० या ३२ हजार मनुष्यों की भीड़ थी। इस समाज की सब कार्यवाही बड़ी शान्ति से चल रही हुई। इसमें जिन जिन वक्ताओं के व्याख्यान हुए, उन सबने इस आन्दोलन के शान्तिमय स्वरूप का उल्लेख किया। उदाहरण के लिये डॉक्टर किचलू ने अपने व्याख्यान को समाप्त करते हुए कहा था:—

“आप लोगों को चाहिये कि आप राष्ट्रीय हित के लिये देश माता की बेदी पर अपने स्वार्थों की बलि दे दें। आपके सामने महात्मा गांधी का सम्यक् पदा गया है। सब देशवासियों को विरोध के लिये तैयार हो जाना चाहिये। इसका मतलब यह नहीं है कि इस पवित्र नगर में खून की नदियाँ बहें। हमारा विरोध बिल्कुल शान्तिमय होना चाहिये। गांधी अपनी विवेक की आज्ञा पालन करने के लिये तैयार हो जाइये। इसके लिये अगर आपको जेल जाना पड़े, या नज़रबन्द होना पड़े तो इसकी बिल्कुल मत्त कीजिये। किसी को हज़ा और दुःख मत पहुँचाइये। गांधी शान्ति से जाइये। इस बाग में घूमिये। पुलिस के आदमी ब्रयल की शिखासवातक के प्रति कटु वचन मत बोलिये, जिससे कि उसकी शान्ति और आगे चल कर शान्ति भङ्ग होने का अवसर आवे।”

वक्ताओं से पाठकों को उक्त नेता के मनोभावों का पता लगता है। आपको यह ज्ञात हो सकता है कि डॉक्टर किचलू का उद्देश्य पवित्र और अहिंसात्मक था। पर पंजाब के तत्कालिक शासक और भीड़बाहर साहब को तो भारत में उड़नेवाली हवा तक में हाँक

विद्रोह और उत्पात के परमाणु दिखलाई पड़ते थे। हड़ताल की सफलता से उनका बचा खुचा खून भी सूख गया। वे इस आन्दोलन में अग्रगण्य उत्पात के बीज देखने लगे। आपने तत्काल ही सत्यवादी की तरह डॉक्टर किचलू को भी सार्वजनिक ध्यास्थान की तथा असह्यतर म्युनिसिपैलिटी की हद से बाहर जाने की तथा किसी समाचार पत्र में परोक्ष, अपरोक्ष रूप से लेख लिखने की मनाई दी। परिदृष्ट कोदमल, स्वामी अभयानन्द और परिदृष्ट दौनाभाय लिये भी ओडवावर की तरफ से ऐसे ही हुक्म निकले। इन आज्ञाकारण जनता के चित्त पर कुरा असर हुआ। पर इस वक्त भी अविचल शान्ति से काम लिया। उसने अपनी ओर से शांति करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। ६ अप्रेल को असह्यतर म्युनिसिपैलिटी के आदेशानुसार सम्पूर्ण हड़ताल हुई। इस दिन जो सभी उल्लस तो जनता मानों समुद्र की तरह उमड़ पड़ी। असह्यतर के इतिहास में उसने ऐसा अपूर्व दृश्य और उत्साह कभी नहीं देखा होगा, जिसका ६ अप्रेल को था उसके बाद में होने वाली समाचारों में देखा गया। समाचारों की मनोवृत्तियों को सूक्ष्म परोक्ष करने से मालूम होता है कि भारतीय राष्ट्र की आत्मा में अब जागृति के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। आन्दोलन की समा में सरकारी अन्दाज से १०००० मनुष्य थे। मि० जे० जी० ने समापति का आसन ग्रहण किया था। इस समा में सर्वप्रथम आशंका की गई थी कि वे डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यवादी के जो हुक्म निकले हैं उन्हें रद्द करदे। इस समा में कितने कम भाषण थे, वह बात नीचे लिखे हुए उद्धृत भाषणों से मालूम होगी, अपने भाषण में कहा था—

“उम्मे (डॉक्टर किचलू और सत्यवादी) लिखाफ केन्द्र नहीं करे है कि उम्मे सेलेक्ट एक्ट का उम्मे स्वच्छजनता को समग्रता।”

“गत रविवार के दिन से भी आज को समा अधिक सफलता को

अपने समारोह के साथ हुई। अपने विचारों को प्रकट करने का आपका उद्देश्य सफल हुआ है। इस वक्त लोगों को अपने मनोविकारों को छेड़ नहीं करना चाहिये। शान्ति से काम लेना चाहिये। महात्मा गांधी का उपदेश है कि इस युद्ध में हम शान्ति से दुःख और कष्ट सहें, और अपने आपको उपद्रवमय साधनों का तथा कटुता का व्यवहार करने से रोकें। अंग्रेजों की अखिरकार विजय होगी। कूट को हार मानना होगा। अगर अंग्रेज मन की शान्ति को बनाये रखेंगे, धीरज और सहनशीलता से काम लेंगे तो इस सभा का विशाल प्रभाव होगा। पर अगर थोड़ा भी उत्पात हो गया, अगर दो आदमी भी शान्ति छोड़कर आपस में लड़पड़े तो बुरा परिणाम होगा। इस लिये आप महाशयों से प्रार्थना है कि आप सभी शान्ति के साथ बिना किसी जुलूस के इस सभा से लौटें।”

९ अप्रैल सन् १९१९ के दिन, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, सम्पूर्ण देश का त्यौहार था। इस दिन नेतागण हिन्दू और मुसलमानों का सम्बन्ध और भी बढ़ रूप में देखना चाहते थे। यद्यपि रामनवमी धार्मिक त्यौहार था पर मुसलमानों के इसमें हिरसा लेनेसे इसे राष्ट्रीय महत्व भी प्राप्त हो गया था। इस दिन बड़ा आलिखान जुलूस निकला। जुलूस के साथ हजारों हिन्दु और मुसलमान थे। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल भी भी जुड़े जुड़े स्थानों से इस दर्शनीय जुलूस को देखा था। अपने इन दोनों नेताओं का दर्शन कर जनता आनन्द से उछल पड़ती थी, और आश्चर्य से आकाश को गूँजा देती थी। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने भी इस विशाल जुलूस को देखा था। वह जुलूस शान्ति पूर्वक निकल गया। किसी प्रकार का उत्पात नहीं हुआ।

सर माइकेल ओडवावर जैसे प्रजा द्रोही शासक के बजाय अगर उस समय पंजाब में कोई सहृदय और उदार अन्तःकारक का शासक होता तो वह अपने प्रान्त में राष्ट्रीय आत्मा की इस जागृति को देखकर अवश्य प्रसन्न होता। पर ओडवावर इस समरोह को देखकर

पंजाब में असाधारणिक अत्याचार

सम बतुला हो गये । उन्हें बड़ा क्रोध आया । वे सोचने लगे कि इनके हुकमों से लोगों का नर्म होना तो दूर रहा, वे अधिक साहसी जाते हैं । इसलिये, उसी समय, जब कि समारोह शान्ति पूर्वक हो रहा उन्होंने डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को निर्वासन (Deportation) की आज्ञा दी । अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने इन दोनों को मर्कों को बुलाकर वह हुकम उन्हें दे दिया । इसके बाद वे मंटर में कर किसी अनिश्चित स्थान में भेज दिये गये । वह स्त्रर तब सारे शहर में फैल गई । लोगों पर मानों बज्र गिर पड़ा । लोगों का समूह इकट्ठा होने लगा । वह समूह शोक मग्न लोगों का इकट्ठा होनेवाले सब लोग प्रायः नंगे सिर और नंगे पैर थे । — में कर्कों की तो बात ही, क्या पर लकड़ियां भी न थीं । लोगों समूह डिप्टी कमिश्नर के बजले पर अपने प्रिय नेताओं को धारणा करने जा रहा था । वह कुंड अमृतसर की खास खास सड़क से होता हुआ तथा नेशनल बैंक, टाउन हाब और क्रिश्चियन की इमारतों के पास से गुजरता हुआ डिप्टी कमिश्नर पहुँचना चाहता था । इस वक्त तक इस कुंड ने बड़ी शान्ति किया पर आगे जाकर फौजी (Picket) के द्वारा रेल्वे पुक कुंड आगे बढ़ने से रोक दिया गया । कुंड में के लोगों ने बड़ा डिप्टी कमिश्नर के पास फर्वाद करने जा रहे हैं । हमें जाने दीजिए रोक रहे हैं ? पर इनकी एक न सुनी गई । वह समूह जबरदस्ती का गया । ज्योंही वह आगे बढ़ने लगा कि फौजी सिपाहियों ने गोखियाँ चलादीं । इस समूह के कुछ आदमी मारे गये और कुछ हुए । अब तो वह समूह, जो बिलकुल शान्ति प्राप्त करने हुए आया, क्रोध से आवला सा हो गया । वहाँ वह स्थान में स्थान आवश्यक है कि फौजी सिपाहियों ने गोखियाँ चला दीं । असाधारणिक प्रसूद की असाधारणिक उपरवी समूह में परिवर्तित किया । क्रिश्चियन के इस इमारतों के पास से वह समूह जाने से बहार

१. ज्योंही यह खबर शहर में पहुँची कि फौज ने लोगों के शान्तिस्थल पर गोखियाँ चलाईं और इससे कितने ही आदमी मर गये, त्योंही शम्शेर की सेना के समूह के समूह भी उस मुन्ड में आ मिले। गोखियों से भारी-भरदार लोगों को देखकर शहर निवासियों की शान्ति भङ्ग हुई।

२. कुछ ही देर में एक बड़ा भारी मुन्ड फिर रेलवे पुल की चला। इस वक्त यह मुन्ड लकड़ियाँ आदि लिये हुए था। इस वक्त ने पुलों पर फौजी पहरा बैठा हुआ था। इसी बीच में वकील हुसैन सुनकर बाहर आये, और उन्होंने शान्ति स्थापित करने में डिप्टी कमिश्नर को अपने आप हो कर सहायता देने का वचन दिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि इस कार्य में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इन लोगों को शान्ति करने के लिये बीच में गिरने की आज्ञा देदी। इन वकीलों से पुलिस के डेप्युटी पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट मि० पोमर ने कहा कि भारी मुन्ड रेलवे गार्ड की तरफ गया है। इस पर कुछ वकील की तरफ गये और कुछ पुल के पास ही बने रहे। वकीलों ने गार्ड के पास के मुन्ड को समझा बुझा कर बिखेर दिया। पर पुल के पास स्थिति कुछ बेदव हो गई। वहाँ के मुन्ड को मिट्टी दिया और मि० मक़बूल महम्मद शान्ति पूर्वक बिखर जाने के लिये आगे बढ़े और साथ ही में वे अधिकारियों से गोखियाँ न चलाने के लिये आग्रह कर रहे थे। सफलता के कुछ चिन्ह दिखाई देने लगे थे कि मुन्ड ने कुछ लोगों ने फौज पर पत्थर फेंके। इस फौज ने तुरन्त गोखियाँ चलाईं। इससे मुन्ड में के बीस आदमी मर गये और बहुत कुछ लूट हुई। मुन्ड को समझाने वाले उक्त दोनों सज्जन गोखियों को चला करीब चले गये। फौजी अफसर ने इस बात पर दुःखी कहा कि उक्त दोनों सज्जनों के मुन्ड में होते हुए गोखियाँ चलाईं। पर इस गोखीकांड से मुन्ड का क्रोध आग की तरह भड़क उठा। अन्त में ही शान्ति। क्रोध से पागल हुये मुन्ड ने एकात्मक रूप

पंजाब में अमानुषिक अत्याचार

पर हमला किया और जब उसके मैनेजर मिस्टर थॉमसन ने मुन्ड रिग्हास्वर से गोली चलाई तो वह और भी पागल हो गया और मिस्टर थॉमसन को मार डाला। इतना ही नहीं, उनके शरीर को बँक कर उसे बैंक के सामान से जला दिया। सर्जेंट रोबेण्ट को कुद हुए मुन्ड ने रिगोपुल के पास मार डाला। टाउन हॉल को बॉफिस और मिशन हाक जला दिये गये। मगतनवाला स्टेशन का हिस्सा जला दिया गया। चार्लर्ड बैंक पर भी हमला किया गया उसे विशेष सुरक्षा नहीं पहुँचा। ठक बैंक के हिन्दुस्थानी कौश्यों ने भी को बचा लिया। मिस रोबुड नामक अंग्रेज़ महिला पर, जो साबुत कर का रही थी, क्रूरता-पूर्वक हमला किया गया। पर एक किशिका ने उसकी इस अफ़स से रक्षा की। इस सुरद में निःशस्त्र आदि वे जो मौका देखकर लूट ख़सोट से अपना मतलब बनाना चाहते हैं हम यह भी कह देना चाहते हैं कि बैंक का कुछ मास कुली खोशों के पास से भी बरामद हुआ। १० अंग्रेज के पाँच बजे के पहिले लूट ख़सोट आदि नशक कार्यों का अन्त हो गया था।

यहां यह कह देना आवश्यक है कि अमृतसर के प्रिय नेताओं ने निर्वासन का समाचार सुन कर अमृतसर की जनता को क्रोधित किया। क्योंकि यह निर्वासन बिल्कुल अन्धकारपूर्ण था। जनता का क्रोध अंग्रेजों के मोखियाँ चखाने से और भी अधिक बढ़ गया। जबती अंग्रेजों को यह बातें पता चलीं तब तो कहना ही पड़ा कि अफिकारियों ने अपने सहानुभूति हीन कर्तव्य से जनता को उपक्षित कर दिया। जनता शान्ति से खर्ब कर रही थी कि उस पर भी हमला करें। साथ ही में जनता की ज्यादातियों की भी निंदा किनें ही नहीं रहे सकते। उसने कुछ निर्दोष अंग्रेजों को जान से मारने का एक आदेश भी पर हमला करने का पाप किया। महारामा गाँव के अफिकारियों के अत्याचारों के साथ साथ अमृतसर की कति

बलवत्ता द्वारा की गई ज्यादतियों की भी तीव्र निन्दा की और इस विषय का प्रस्ताव पास करवाया।

इन अपराधों के लिये अगर हमारे अधिकारीगण न्याय बुद्धि से काम और अपराधियों को उचित दण्ड देते तो इसमें कोई एतराज नहीं पर दुःख की बात है कि अधिकारियों के मन में बदला लेने की भावना घुस गई। वे न केवल अपराधियों ही को, पर हज़ारों अपराधियों को ऐसी क्रूर निर्लज्ज और अपमानजनक सज़ा देने में उतारू। उन्होंने भय का ऐसा भयानक साम्राज्य स्थापित करना चाहा जिससे कोई भी हिन्दुस्थानी किसी भी अंग्रेज़ के सामने आंख उठा कर न देख सके। एक जिम्मेदार फौज़ी अफसर ने तो यहां तक कह डाला कि एक अंग्रेज़ के बराबर १००० हिन्दुस्थानियों की जानें हैं। इसका मतलब यह है कि प्रति अंग्रेज़ की जान के पीछे १००० हिन्दुस्थानियों संसार से उठा दिया जाय तो कोई हानि नहीं है। कुछ अफसर सारे नगर को मशीनगन्स से उड़ा देने की स्कीमें सोचने लगे। पर सिविल आकर यह प्रस्ताव रोकने पड़े। क्योंकि यह सोचा गया कि सिक्खों सुनहरी मन्दिर को बिना चोट पहुँचाये नगर पर गोलाबारी नहीं की जा सकती और जहाँ सिक्खों के मन्दिर को चोट पहुँची कि धर्म के नाम पर मरनेवाले सिक्खों में बड़ी अशान्ति छा जायगी और ऐसा बलवा मच जायगा जिसे सम्भालना भी कठिन हो जायगा। यद्यपि कुछ बुद्धिमानों की राय मानकर स्थानीय अधिकारियों ने नगर पर गोला बारी करने के प्रस्ताव को गिरा दिया पर बदला लेने की भांग उनमें ज्यों की त्यों बसती रही। ११ अगस्त को बदला लेने की नीति का अवलम्बन कर नगर की बिजली और पानी का सम्बन्ध तोड़ दिया। बिजली के बिना तो चल सकता है पर जल के बिना जनता की कैसी दुर्दशा हुई इसे उसका भगवान ही जानता था। जब तक मांसक खाई नहीं हुआ तब तक नगर में जल और बिजली का सम्बन्ध सीधे

पंजाब में अमानुषिक अत्याचार

दिया गया । ११ तारीख के सुबह १० बजे फौज़ की गोखियाँ मरे हुए लोगों के शवों को अन्वेषि क्रिया के लिये स्मशान में ले जाया । ज्योंही अधिकारियों ने यह सुना कि शवों के साथ हज़ारों आदमी जाने वाले हैं त्योंही डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने यह हुकम जारी किया:—

“The troops have orders to restore order in Amritsar and to use all force necessary. No gatherings of persons nor processions of any sort will be allowed. All gatherings should be fired on. Respectable persons should keep indoors untill order restored. Dead may be carried out for burial or burning by parties of not more than eight.”
 लोगों को हुकम है कि वे सब आवश्यक शक्ति लगाकर अमृतसर में शांति स्थापित करें । लोगों को कुण्ड बनाने की या किसी प्रकार के जुलूम निकालने की मुमनियत है । अगर लोग इकट्ठे होकर कुण्ड बनावें तो उन पर गोखियाँ चलाई जावेंगी । जब तक शान्ति स्थापित न हो तब तक भले आदमी घर के अन्दर रहें । मृत मनुष्यों के शव के साथ स्मशान या कबरीस्तान में आठ आठ आदमियों से ज्यादा न जावे ।”

बात यह है कि अधिकारियों में बदला लेने का भाव विष से अधिक तीव्र हो रहा था । उनकी मनोवृत्तियाँ बड़ी क्लुप्त हो रही थीं वे मौका ही देख रहे थे कि ज़रासा कारब मिला कि गोखियाँ जाय । लोगों ने अधिकारियों की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने अधिकारियों को ज़रासा भी मौका न दिया जिससे उन्हें गोखी चलाते ही बहाना मिल जाय । जालंधर से अमृतसर को सैनिक सहायता जा पहुँची । जालंधर का कमांडिंग ऑफिसर जनरल डायर भी जा पहुँचा । डिप्टी कमिश्नर ने डायर का हाथ उठ जनरल डायर को सौंप दिया । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि डिप्टी कमिश्नर का यह काम

के खिलाफ था। गैरकानूनी जमाव (unlawful assembly) को अटक करने के लिये जासा फौजदारी (Criminal procedure) के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह सैनिक सहायता ले। पर सैनिक अधिकार में नगर का शासन देने की बात कहीं नहीं है। परन्तु हम इस विषय पर अधिक लिखने के लिये असमर्थ हैं। कानून के विचारों का वह काम है और उन्होंने इस विषय पर अच्छा प्रकाश भी दिया है।

१२ अप्रैल सन् १९१८ को जनरल डायर अपनी फौज के साथ शहर में घुमा और उसने कोई एक दर्ज़न आदमियों को इस शक में गिरफ्तार किया कि उन्होंने दंगे में हिस्सा लिया है। इस पर भी लोगों ने किसी तरह का विरोध या क्रोध प्रकट नहीं किया। तारीख १३ तक इस प्रकार की कोई घोषणा शहर में नहीं की गई थी कि जनरल मार्शल लॉ के अन्दर आ गया है और इस पर अब मुल्की अधिकारियों के बजाय फौज़ी अधिकारियों का शासन रहेगा। १३ तारीख को जब तक जनरल डायर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार और पुलिस अफसरों के साथ शहर के कुछ हिस्सों में घुमा और उसने जनरल मार्शल लॉ पर यह घोषणा करवाई:—

(१) आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अमृतसर का कोई भी व्यक्ति निच के या किराये के वाहन (conveyance) में निज व्यक्तिगत चीजों से पास प्राप्त किये सिवा शहर से बाहर न निकले।

(२) अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर।

(३) मि० जे० एफ० रेहिल, पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट अमृतसर।

(४) मि० बेकेट, असिस्टेन्ट कमिश्नर अमृतसर।

इसके अतिरिक्त और ६ अफसरों की सही थी।

(५) शहर में रहने वाला कोई भी पुरुष रात के आठ बजे के बाद

घर छोड़ कर बाहर न निकले । अगर कोई आदमी भाठ बले के
सक पर मिलेगा तो वह गोली से मार दिया जायगा । कोई न-
सुलूस या जमान, जिसमें चार आदमी होंगे, गैरकानूनी समझ जाय
और वह आवश्यकता पदने पर शस्त्रों की शक्ति से बिलेर दिया

इस घोषणा-पत्र की जानकारी नगर में बहुत कम लोगों को हुई
अनरुह डायर ने भी हंटर कमेटी के सामने जो गवाही दी, उसमें
बहुत होता है कि घोषणा-पत्र का ज्ञान अधिकांश लोगों को न
था । ऐसी दशा में लोग अगर कोई समा करते तो इसमें उन
का क्या दोष था । इसके अलावा ल्यौहार की कज़ह से हजारों
बाहर से आये हुए थे, जिन्हें इस घोषणा का तनिक भी ज्ञान न
इसके अलावा एक लड़का टिन का डिलवा बजा कर जल्यावाले बाग
में खड़ा होने की घोषणा कर रहा था । इसे किसी ने न रोका,
और उसके साथी तो मौका ही देख रहे थे कि उन्हें
का मोबा सा भी बहाना मिल जाय । बेचारे लोगों को यह ज्ञान
न था कि हमारे साथ ऐसा सुलूक किया जायगा ।
नगर में लोग जमने लगे । उनमें अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्हें
अनरुह के क्रमन का कुछ भी इत्म न था । छोटे छोटे बच्चे,
उक हाग के पास खेल रहे थे, जल्यानवाले बाग की समा में उन
कोई पचीस इचार आदमियों का जमाव इकट्ठा होगया । बाहर
हुए सैकड़ों आदमी भी उसमें मौजूद थे । खुद पंजाब सरकार के
रिपोर्ट में प्रकटित किया है—

“There were a considerable number of
ants present at the Jalianwalla Bagh meeting
the 13th, but they were therefore other than
political reasons.” अर्थात् जल्यानवाले बाग में जो लोग

बाहर पचीस आदमियों का जमाव इकट्ठा हुए थे, पर उनके जमा

होने के कारण राजनैतिक न होकर कुछ और ही थे ।

अन्वानवाला बाग, जहां यह समा हो रही थी, शहर के मध्य में एक सुखा हुआ स्थान है । शहर के मकान ही इसकी चहार दीवारी बनाये हुए हैं । इसका दरवाजा बहुत ही सज्जा है, इतना कि एक गाड़ी उसमें होकर वहीं निकल सकती । बाग में जब बीस हजार आदमी इकट्ठे हो गये, जिसमें पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे भी थे, जनरल डायर ने अपने सैनिकों सहित उसमें प्रवेश किया । जिस समय ये लोग घुसे उस समय इंस्पेक्टर काम का एक आदमी व्याख्यान दे रहा था । बाग में घुसते ही जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया । जैसे कि इन्टर कमीशन के कामने अपनी गवाही में उसने कहा था—कि उसने लोगों को तितर-बितर होने की आज्ञा देकर तुरन्त गोली चलाने का हुक्म दे दिया । दूसरी पार उसने यह स्वीकार किया कि तितर-बितर हो जाने के हुक्म देने के तिन मिनट बाद ही उसने गोलियाँ चलवादी थी । यह बात तो स्पष्ट ही कि २० हजार आदमी दो-तीन मिनट में तितर-बितर नहीं हो सकते थे । और वे भी विशेष कर एक बहुत बड़ा दरवाजे में होकर । गोली तक तक चलती रही जब तक कि सारे कारतूस खत्म नहीं हो गये । कुछ सोझ सौ फेर किये गये थे । सरकार के स्वयं अपने बयान के मुताबिक चार सौ मरे और घायलों की संख्या एक और दो हजार के बीच में थी । गोली हिन्दुस्थानी फौजों से चलवाई गई थी, जिनके पीछे गारे सिपाहियों को लगा दिया गया था । ये सबके सब बाग में एक ऊँचे स्थान पर खड़े हुए थे । सबसे बड़ी दुःखद बात वास्तव में यह थी कि गोली चलाने के बाद सतक और इन लोगों को जो सख्त घायल हो गये थे, सारी रात ही पड़ा रहने दिया गया । वहां उन्हें रातभर न तो पानी ही पीने को मिला न कोई डॉक्टरों या कोई अन्य सहायता ही । डायर का कहना था, कि बाग को उसने प्रकट किया:—“चूँकि शहर फौज के कब्जे में दे जा गया था और इस बात की डोंडी पिटवा दी गई थी कि कोई भी

पंजाब में सामाजिक अत्याचार

सभा करने की इजाजत नहीं दी जायगी, तो भी लोगों ने उसकी सहायता करना की। इसलिये उन्हें एक सबक सिखा देना चाहा, ताकि वे उसकी खिला न उठा सकें। आगे चलकर उसने कहा:—मैंने और भी गोखी चलाई होती, अगर मेरे पास कारतूस होते। मैंने सोलह सौ बार ही गोखी चलाई, क्योंकि मेरे पास कारतूस खत्म हो गये थे।” आगे चलकर फिर उसने कहा—“मैं तो एक फौजी गाड़ी (ग्रामडेंकार) ले गया था लेकिन वहां जाकर देखा कि वह बाग के भीतर घुस ही नहीं सकती थी। इसलिये उसे वहीं छोड़ दिया था।”

हंटर कमेटी के सामने हायर से जो सवाब जवाब हुए, उनका अनुवाद हम ज्यों का त्यों नीचे प्रकाशित करते हैं।

लॉर्ड हंटर:—मैं समझता हूँ तुम जखानवाले बाग में जाने का रास्ते से घुसे।

जनरल:—हां।

लॉर्ड हंटर:—शायद तुमने अपनी मोटर गाड़ियां पीछे छोड़ दीं।

जनरल:—हां।

लॉर्ड हंटर:—kurkris से सुसज्जित गुरखा लोग तुम्हारे साथ क्या-क्या पीछे छोड़ दिये गये थे ?

जनरल:—वे बाग में साथ आये थे।

लॉर्ड हंटर:—तब तुम्हारे साथ ४० तो गुरखा थे और पन्धरीस पन्धरीस आदिमियों के लगभग दो कॉम्पन्ये ?

जनरल:—हां।

लॉर्ड हंटर:—जब तुम बाग में घुसे तब तुमने क्या किया ?

जनरल:—मैंने गोखियां चखाना शुरू कीं।

लॉर्ड हंटर:—क्या एकदम ?

जनरल:—हां, एकदम मैंने १० सेकण्ड (आध मिनट) में गुरखा

बिचार कर गोखियां चखाने का हुक्म दे दिया ।

लॉर्ड हंटर:—जाय में जमा हुआ समूह क्या कर रहा था ?

जनरल:—वहां लोग समा कर रहे थे । बीच में एक उठे हुए व्यक्ति खान पर एक आदमी खड़ा था । वह अपने हाथ घुमाता हुआ दीख सकता था । वह न्याखान दे रहा था ।

लॉर्ड हंटर:—क्या उस सभा में उस आदमी के व्याख्यान देने के अतिरिक्त और भी कुछ हो रहा था ?

जनरल:—नहीं, मैं इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सका ।

लॉर्ड हंटर:—जब तुम इस मुन्ड को बिखेरने लगे तो क्या उस वक्त वह मुन्ड कुछ करने को उतारू हुआ ?

जनरल:—नहीं साहब, लोग इधर उधर भागने लगे ।

लॉर्ड हंटर:—उस समय तक मार्शल ला जा रही नहीं हुआ था । मैंने क्या तुमने इस जोखिम भरे (Serious step) काम को के पहिले डिप्टी कमिश्नर से, जो कि मुल्की अधिकारी थे और जिनका काम शान्ति का जिम्मा था, सलाह लेना ठीक नहीं समझा ।

जनरल:—वहां उस समय डिप्टी कमिश्नर नहीं थे, जिनसे मैं सलाह लेता । मैंने इस सम्बन्ध में इसके आगे किसी से सलाह लेना आवश्यक भी नहीं समझा ।

लॉर्ड हंटर:—गोखियां चखाने से क्या तुम्हारा यह अभिप्राय था कि वह मुन्ड को बिखेर दो ?

जनरल:—नहीं साहब, मैं तब तक गोखियां चखाने वाला था कि मुन्ड बिखर न जाय ।

लॉर्ड हंटर:—क्या तुम्हारे गोखियां चखाते ही मुन्ड बिखरने लगा था ?

जनरल:—जी हाँ, तुरन्त ।

पंचांग में सामयिक प्रत्याहार

लॉर्ड हंटर:—क्या फिर भी तुम गोखियां चलाते ही रहे ?

जनरल:—हां ।

लॉर्ड हंटर:—जब तुमने सुरद के निखरने के चिन्ह देख लिये, फिर तुमने गोखियां चलाना बंद क्यों नहीं किया ?

जनरल:—मैंने अपना यह कर्तव्य समझा कि जब तक सुरद पूर्ण तरह से निखर जाय, तब तक गोखियां चलाता रहूँ । अगर मैं थोड़ी देर तक गोखियां चलाकर बंद रह जाता तो मेरा गोखियां चलाना न बंद होने का खतरा ही जाता ।

लॉर्ड हंटर:—तुम कितनी देर तक गोखियां चलाते रहे ?

जनरल:—दस मिनट तक ।

लॉर्ड हंटर:—क्या सभा में बैठे हुए लोगों के पास लकड़ियां थीं ?

जनरल:—मैं नहीं कह सकता कि उनके पास लकड़ियां थीं । मैं अनुमान है कि थोड़े लोगों के पास लकड़ियां होंगी ।

लॉर्ड हंटर:—तुम ने यह सलाह किस मुद्दे पर कर लियी कि तुमने सुरद को बंद करने का हुकम देते, उसे तुम्हारे गोखी चलाने के लिए और भी जगहदार कितनी ही देर तक चलाने सिवाय बाग नहीं छोड़ते ?

जनरल:—हां, मेरा समझ है कि वह निरंकुश संभव था कि सुरद को गोखी चलाने सिवाय भी मैं सुरद को बिखेर देता ।

लॉर्ड हंटर:—तुमने इस उपाय का क्यों नहीं अवलम्बन किया ?

जनरल:—ये सब वापस छोट कर आते और मेरी तरफ हलते, और इस तरह मैंने अपने आपको बेकूफ बनाया होता ।

लॉर्ड हंटर:—क्या सुरद बहुत ही घना (Dense) था ?

जनरल:—हाँ बहुत ही घना (Dense) था ,

लॉर्ड हंटर:—क्या तुमने चापलों की कुछ सहायता की ?

जनरल:—नहीं साहब, वहाँ मैंने कुछ सहायता न की। अगर जोय मुझसे बाद में कहते तो मैं कुछ करता। उस वक्त सहायता करने का मेरा काम न था। वह डाक्टरों का काम था।

वहाँ हमने लार्ड हंटर के साथ डायर के जो प्रश्नोत्तर हुए थे, उन्हें दिखे हैं। हंटर कमेटी के और सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में डायर ने कही हैं उनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर सेटलवाड के प्रश्नों उत्तर देते हुए डायर ने कहा था, कि तंग रास्ता होने के कारण मैं आरमर कार को भीतर न ले जा सका। अगर रास्ता चौड़ा होता तो उसे भीतर ले जाता और मशीन गन से लोगों पर गोले बरसाता।

लोगों को पूरी सजा देता। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाता कि वे देखते जाते। डायर की गवाही से उसकी राक्षसी करतूत यहीं तक पूरी नहीं होती। जहाँ लोगों का मुँड अधिक डट कर बैठा था वहीं लक्ष्यकर इसने गोखियाँ चलाईं। जब लोगों के मुँड के मुँड भगने लगे तो डायर ने लक्ष्य करके भगते हुए मुँडों पर गोखियाँ दाबीं। तब तक गोखियाँ चलाता रहा जब तक कि इसके पास का समाप्त न हो गया। अगर इसके पास अधिक गोखियाँ बाँकी

न मालूम वह पच्चीस हजार आदमियों में से एक भी आदमी किन्ना छोड़ता था नहीं। इस निर्दयी ने भगते हुए मनुष्यों और बच्चों दिशाख पर चढ़कर भगने वाले भयभीत मनुष्यों पर, दनाश्रुत मदन जैसे कई सुकुमार बच्चे इस हत्यार के शिकार किए। १९०० निर्दोष और निःशस्त्र मनुष्यों की जिस प्रकार उसने हत्याकी, वह सब कहना देने वाली है। संसार में आज तक जो महा भयानक हत्याकाण्ड हुए हैं उनमें जलानवाले बाग का हत्याकाण्ड बहुत ही निकट है। मि० सी० एफ० एन्ड्रू ने इस हत्याकाण्ड की तुलना मोन्टेनेग्रो हत्याकाण्ड से की है। आश्चर्य यह है कि पंजाब के तत्कालिक गवर्नर सर माइकेल ओडवायर ने जनरल डायर के इस पापविकृत हत्या

कायद को पसन्द किया और उसके पास तार भेजा कि सेफ्टिनिट
तुम्हारे इस कार्य को पसन्द करते हैं।

१४ अप्रैल को कोई दो बजे के अन्दाज़ पर स्थानीय प्रतिष्ठित सज्ज
तथा म्युनिसिपल कमिश्नरों आदि की कोतवाली में एक सभा की गई।
उनके सामने कमिश्नर ने निम्नलिखित आशय का व्याख्यान दिया—

“तुम लोग युद्ध चाहते हो या शान्ति। हम हर तरह से
हैं। सरकार सब तरह से सक्रियतावादी है। सरकार ने जर्मनी पर
आक्रमण की है और वह हर तरह से मुस्तीद है। आज जनरल
शहर उनके ताबे में है। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें उनका
मानना पड़ेगा।” इतना कह कर कमिश्नर साहब चले गये।

जनरल टायर अपने साथियों के साथ आया। वह और उसके साथ
से आग बबूला हो गये थे। उसने उद् में एक छोटा सा
बिस्का आशय यह है—

“तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिपाही हूँ।
चाहते हो या शान्ति। अगर तुम युद्ध चाहते हो तो उसके विषे
तैयार हो जाओ। अगर तुम शान्ति चाहते हो तो मेरा हुक्म
और हकानें खोल दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं गोली
मेरे विषे फ्रान्स का रथ मैदान और असृतसर एकसा ही है। मैं
आदमी हूँ और सीधे रास्ते जाने वाला हूँ। अगर तुम युद्ध
तो साक साक कह दो। अगर तुम शान्ति चाहते हो
खोल दो। तुम लोग सरकार के मित्रताक बोलते हो।
संग्रह में जिन लोगों ने शिवा पाई है वे राजद्रोह की बातें करते हैं
इन सब की रिपोर्ट करूंगा। मेरा हुक्म मानो। मैं और कुछ नहीं
मैंने तीस वर्ष तक क्रौज़ में नौकरी की है। मैं हिन्दुस्तानी
सिपाहियों को सब समझता हूँ। तुम्हें शान्ति रखना होगा। अगर तुम युद्ध
की शर्तों को तो जबरदस्ती मुहबाई जावेंगी। रायफलों का

किया जायगा। तुम मुझे बदमाशों का पता बताओ। मैं उन्हें गोली से मार दूंगा। मेरा हुक्म मानो और दुकानें खोल दो। अगर युद्ध ही तो वैसा कही।”

इसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब बोले। “अंग्रेजों को मार कर मने बहुत बुरा किया है। इसका बदला तुमसे और तुम्हारे बच्चों से ही जायगा।”

१३ अप्रैल को सब दुकानें खुल गईं। लोगों को आशा होने लगी अब मार्शलला उठा लिया जायगा और मुल्की शासन शुरू कर दिया जायगा। पर लोगों की वह आशा चोर निराशा में परिवर्तित हुई। अति-क्रूरियों की क्रोध-ज्वाला अब भी शान्त नहीं हुई थी। १ जून तक मार्शलला का कठोर एवं निर्दय शासन बना रहा। अमृतसर के लोगों को हर प्रकार का पाशाकिक कष्ट दिया जाने लगा। इसके कुछ नमूने हैं।

(१) जिस सड़क पर मिसल रोस्वुड पर हमला किया गया था वह लोगों को कोड़े मारने के लिये तथा उन्हें पेट के बल रेंगने के लिये बनाई गई।

(२) हर एक जादमी न केवल अंगरेज अफसरों ही से पर हर एक को सम्मान करने पर बाध्य किया गया।

कोई कोई अपराधी पर भी खुले आम कौड़ों की सजा दी

(३) सब बकीले दिनों किसी कारण के स्पेशल कान्स्टेबल बनाने और उनसे मामूली कुलियों सा काम लिया जाने लगा।

(४) बिना किसी अपराध के ही बहुत से लोग गिरफ्तार किये जाते और इलाक़ात में रखे जाने लगे। उनके साथ असमानुषिक व्यवहार करने लगा। उन्हें भयंकर बातनाएँ दी जाने लगीं।

(१) विशेषाचार्य न्यायालय (Special Tribunels) का गढ़ । इनमें जैसा न्याय होता था, वह हमारे पाठकों ही है ।

जब हम इन जातों का कुछ सुलझा करना चाहते हैं । हाथिंग, आदर याने पेट के बल रेंगने का हुकम दिया था । ये मिस रोखुड पर हमला किया गया था, उस गली में आते हिन्दुस्थानियों को पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता था । बुतरबु बायुर का वह हुकम था कि दोनों हाथ और घुटने टेक कर से निकलना जब पर इसका अमल दूसरी तरह से होता एक गली में रहने वाले मनुष्यों को उस गली में से होकर पड़ता था तो कीर्तों की तरह इनको पेट के बल रेंगना पड़ता था गली की लम्बाई १५० गज थी । किसी किसी मनुष्य को इस प्रकार पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता था । वह गली बड़ी (Dirty) थी । कहीं कहीं मैला भी पड़ा रहता था । ऐसी हालत हमारे भाइयों को उसमें पेट रगड़ कर गुजरना पड़ता था । क्या इस विमान का कुछ ठिकाना है ?

जब बड़े सुप्रतिष्ठित सज्जनों को इस प्रकार पेट के बल रेंग कर गली में से गुजरना पड़ा । जिनके मकान उस गली में थे और जाने के लिये दूसरा रास्ता नहीं था, उनके वास्ते किसी दूसरी जगह बाहर जाये के लिये पेट के बल रेंगने के सिवाय दूसरा था । वह सुसम्बत यहीं तक पूरी नहीं होती थी । कई रेंगने शिवाहियों की बूटों की ठोकें और घुस्से भी खाने पड़ते थे । जन्म समेटी के सामने अमृतसर के अक्रोम ठेकेदार खाला रेखोराम ने जी मना है, वह इस प्रकार है—

‘‘उस गली में एक जैन मन्दिर है, जिसमें उस समस्त कुछ जैन लोग रहते थे । खाला रेखोराम का मकान उक्त मन्दिर के पास था । जब वे

अपनी दुकान पर जाता था तब उसे पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता था। वह कहता है मैं-पेट के बल रेंग कर गली से जा रहा था कि उन्होंने मुझे से मुझे ठोकरें मारीं और संगीनों के ठोसे (Blows) दिये.....

दिन भोजन करने तक के लिये मैं घर नहीं गया..... पर आठ दिन भी मंगी टट्टी साफ़ करने के लिये नहीं आया। पानी भरने भी इन दिनों कोई नहीं आता था।" लाखा गखपतराय अपनी में कहते हैं कि उन लोगों को भी जो जैन मन्दिर में पूजा करने के आते थे पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता था। लाखा देवीदास बँकर गवाही में कहते हैं "मैंने इस गली से हाथ पैरों के बल जाना चाहा, पर मुझे संगीन दिखाया गया और मैं पेट के बल रेंगने को मिला गया।" कहानचन्द्र नामक एक मनुष्य, जो बीस वर्ष से जन्मा था, पेट के बल गिडोले की तरह चलाया गया और ऊपर से ठोकरों से भी पीटा गया। इस प्रकार पचासों निर्दोष आदमियों की दुर्गति हुई और और अपमान किया गया। अब दूसरे राक्षसी और पाशविक अत्याचारों को देखिये।

इसी गली में आम रास्ते पर एक मंच बनाया गया था, जहां बेचारे कोई अभागो हिन्दुस्थानी भाई नंगे कर कोढ़ों से पीटे जाते थे। पाठक आप यह न सोचिये कि ये बेचारे किसी अपराध के कारण पीटे जाते थे। नहीं, अगर कोई फ़ौजी अफ़सर या अंग्रेज़ से सम्बन्ध करने में शक़ती करता तो कभी कभी उस अभागो को सरे-आम यह भीषण यन्त्रणा सहनी पड़ती थी। मियां फ़िरोज़ुद्दीन आँनरेरी मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस-जॉइन्ट-सब कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा था:—

"सि० खोमर और जवरख को सम्बन्ध करते समय अगर कोई खदे नहीं होते तो उन्हें कोढ़ों की सज़ा मिलती। इससे खोग इतने मयमीत हो गये थे कि बहुत से तो सारे दिन खदे रहते जिससे कि उनसे किसी प्रकार की शक़ती होने न पाये और उन्हें ऐसी सज़ा न सुगतनी पडे।"

कोदों की सज़ा (Flogging) केवल घोर नहीं थी किन्तु वह अत्यन्त निर्दयता और पाशविकता से थी। जिन लोगों को यह सज़ा दी जाती थी उनके हाथ बांध दिये जाते और फिर उन्हें नंगे कर उनके जिस्म पर कोड़े उड़ते। हर एक के तीस तीस कोड़े लगते। सुन्दरलाल आर्यजी चौथे कोड़े के बाद बेहोश हो गया। उसके मुँह में वे जल छिड़का जिससे उसे फिर होश आ गया। फिर उसके कोड़े लगाते यह बिलकुल बेहोश हो गया। उसकी बेहोशी की इन दुष्टों ने कुछ साह न की और जब तक तीस का नम्बर पूरा न हुआ उसके ही गये। उसके बुरी तरह झून् बहने लगा। जब वह मंच से उभा तब वह बिलकुल बेहोश था। दूसरे लड़कों को भी निर्यन्त निर्दयता से कोदों से पीटा गया। बेहोशहो जाने पर भी-रहने पर भी, इन अभागों को वे राक्षस कोदों से मूढ़ते रहते निर्दयता-यह पाशविक दुष्टता-यहीं तक पूरी न हुई। अगर इस निर्दय मार से कोई इतना निर्बल और निःसंख हो सकता नहीं सकता तो पुलिस उसे घसीट कर ले जाती। कहां राक्षसी निर्दयता की भक्कर कहानी कहें। हमारी तो लेखनी कांपने है, और भाँखों के सामने काबले पीले आने लगते हैं।

इस निर्दयता से बचने के लिए सैनिक अफसरों से प्रार्थना करते हैं पर उतावले होते और जेल की सज़ा भुगतने के लिए तैयार कर वे राक्षस इनकी एक न सुनते और इनके नंगे बदन पर इतने कोड़े लगाते थे कि वे बेहोश हो जाते थे और उनके लज्जा था। ठंडे जल से इन्हें होश में लाकर फिर कोड़े लगाते थे। इन्होंने पतले लड़कों को भी इसी राक्षसी क्रूरता से पीटा-कहा कि राक्षस इन्हीं से पूजा गया कि सरे जमाने यह कोदों की सज़ा थी। तब यह दुष्ट नया जवाब देता है कि "असह्य पर असह्य"

समाने के लिए।" दूसरा साहब कर्नल फ्रेन्क जानसन इंटर कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहता है कि कोर्टों की यह सजा तो हमसे अधिक दयालुता पूर्ण थी। इसने कहा कि जेल की सजा से तो कोर्टों की सजा अच्छी है, क्योंकि जेल तो बहुत आराम की जगह है।

कहाँ तक कहा जावे? भयंकर अत्याचार किये गये। कहीं कहीं तो कोर्टों के गुदा द्वार में फन्चर तक ठोके गये। श्रीमती सरोजनी नायडू "द डेयर्स इन्डिया" में प्रकाशित एक पत्र से मालूम होता है कि कई आरक्षियों की कसहीन कर उनके साथ ऐसा खज्जा हाथक व्यवहार किया गया कि जिससे शैतान भी सहम जाय। लोगों से झूठी गवाहियाँ लिखाने के लिये उनपर घोर अत्याचार किये गये। एक उदाहरण लीजिये। सेठ गुल मोहम्मद नामक एक काँच का व्यापारी २० तारीख को गिरफ्तार किया गया। उससे झूठी गवाही देने के लिये कहा गया। इन्सपेक्टर जवाहिरलाब ने उसकी दाढ़ी फकड़ कर उसे झोर से थपप्रद धारी उसके होठ उड़ गये। उससे कहा गया कि इस प्रकार की झूठी गवाही "डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू ने ६ तारीख को इदतार के लिये मुझे उकसाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अंग्रेजों की देश से जाने के लिये वे बम का उपयोग करो"। सेठ गुल मोहम्मद ने इस प्रकार की मारपीट और झूठी गवाही देने से इन्कार किया। इस पर कुछ अंग्रेज इसे अफसर की देखभाल से कुछ दूर ले गये और उन्होंने उसे अफसर के कड़े सुलभिक झूठी गवाही देने के लिये बहुत कुछ प्रयत्न, पर उसने फिर भी ऐसा करने से इन्कार किया। इस पर उस अफसरों ने झुटिया के पाने के नीचे उसका हाथ रखा और उस अफसर के हाथ आगरी बैठ गये। जब इसके हाथ में बहुत दर्द होने लगा तब उसी तरह फिरबाने लगा, और कहने लगा मेरा हाथ छोड़ दो। जो कहते में करने के लिये तैयार हूँ। इसके बाद उक्त कांस्टेबल उसे के पास ले गये। वहाँ उसने फिर वही झूठी गवाही देने की

साफ़ इन्कार कर दिया। अतएव वह बंद कोठड़ी में रखा गया। वहाँ तक वह बेतों से, थप्पड़ों से झूब पीटा गया। उसे यहाँ तक धमकी दी कि अगर वह ऐसी गवाही न देगा तो आरोपी बना कर फौजी पर दिया जायगा। आठ दिन तक लगातार उसपर मार पड़ती रही। अन्त में बहुत तंग आकर वह झूठी गवाही देने को मंजूर हुआ। फिर वह मेजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया, जहाँ उसने "असत्य गवाही" जैसा उसे कहा गया था, दी। पर पीछे जाकर तारीख १६ जून को वह वह फौजी अदालत के सामने उपस्थित किया गया, तब उसने सब पीछे खींच दी। बाला रैजेराम से जो कि पेन्शनर है कहा गया कि जिस पर कुछ पर हमला करने का नाम बताओ। उन्होंने जवाब दिया मैं कुछ नहीं जानता। क्योंकि उस मौके पर मैं उपस्थित नहीं था। -- वह बेतों से पीटे गये, और उनकी कुछ हाडी उखाड़ ली गई। कहीं कहीं झूठी गवाहियाँ दिखाने के लिये लोगों पर ऐसे ऐसे भयंकर अत्याचार किये गये, उन्हें ऐसी ऐसी महा भीषण यन्त्रधारें दी गईं --

क्रिकेटे हुए भी शरीर को कँपकँपी छूट जाती है!

लाहौर में अत्याचार

पंजाब की दुर्घटना अगस्तसर तक ही सीमित न रही। लाहौर, मुज्जरानवाला और कसूर आदि स्थानों को भी कर्नल जो कोसवर्थ स्मिथ और कर्नल ओब्रायन तथा अन्य अधिकारियों के अत्याचारों और अमानुषिक कृत्यों का शिकार होना पड़ा था, जिनकी सूची सुनकर खून खौलने लगता है।

पार्लियामेंट के लिये तैयार किये गये स्वैत-पत्र की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अन्य स्थानों की अपेक्षा लाहौर में फौजी कानून का और था। अरफ़ू आर्बर ती तुरन्त ही जारी कर दिया गया था। और कोई व्यक्ति शाम के आठ बजे के बाद बाहर निकलता तो वह गोली से मार दिया जा सकता था। उसके बँत खगलने जाते थे, अतएव सुभाषा कोसवर्थ

बंद होती थी, या और कोई दण्ड दिया जाता था। जिनकी जो दुकानें बन्द थी उन्हें खोलने की आज्ञा दे दी गई थी। जो न खोले उसे का तो गोबी से उड़ाया जा सकता था और या उसकी दुकान खोलने के लिये सामान लोगों में मुफ्त बाँट दिया जाता था।

लाहौर का प्रौजी शासन ५ अप्रैल से लगाकर २६ मई तक कर्नल जॉनसन के हाथ में था। इसने इस वक्त जैसे जैसे अत्याचार किये उसके अन्तर्गत काँप जाता है। इसने लाहौर की जनता पर यह आरोप लगाया कि वह श्रीमान् सम्राट के खिलाफ युद्ध करना चाहती थी। पर इस कर्नल ही ने हंटर कमेटी के सामने यह स्वीकार किया कि लोगों ने कभी अस्त्रों का उपयोग नहीं किया। जिनके पास शस्त्र थे उन्होंने न तो आपसी उपयोग किया और न दूसरों ही से करवाया। फिर हम नहीं समझते कि लाहौर की जनता क्या घास के तिनकों को लेकर श्रीमान् सम्राट की सत्ता के सामने युद्ध करती। वह बात हम भारतवासियों की सीधी बुद्धि में तो नहीं आ सकती। कर्नल जॉनसन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इसकी व्याख्या कर सकते हैं। हमें दुःख है कि इस पशु कर्नल के विचारे निरपराध लाहौर निवासियों पर ज़रा ज़रा सी बात पर राक्षसी अत्याचार किये। जिन लोगों ने बड़ी शान्ति के साथ इसके कठोर आदेशों की आज्ञा-चुना की, जिन लोगों ने जान कर या बेजान कर उसका ज़रूरी किया हुआ Curfew Order तोड़ा उन्हें पब्लिक के सामने लोगों की सज़ा दी। उसने एक नोटिस जारी किया, जिसमें उसने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि अगर उसकी फ़ौज पर एक भी बम गिरा तो वह समझ जायगा कि उस स्थान के सौ गज़ की परिधि तक में वे सबेरे सब लोगों ने इसे गिराया और वह इन सबों को हुकम देगा अपने घरों को खाखी कर दें। इसके बाद वह इस परिधि के सब लोगों को नष्ट (abolish) कर दिया जायगा।

कर्नल जॉनसन ने शहर के कोई ६०० ताने अपनी फ़ौज के साथ

लिये और २०० तांगों को तो उसने तबतक अपने ताबे में रखे जब कि ब्रिटीश शासन जारी रहा। हिन्दुस्तानियों की जितनी मोटर गाड़ियाँ, वे सब की सब उसने अपने कब्जे में ले लीं। उसने सब दुकानें भोजनालय (लंगरखाने) बंद करवा दिये। अनाज के भाव नियंत्रित कर दिये। जिन लोगों के पास बन्दूक आदि शस्त्र रखने के लायसेन्स थे वे प्रायः सब रद्द कर दिये और सब लोगों की बन्दूकें प्रभृति शस्त्र जमा करवा लिये। उसने हिण्टी कमिश्नर के हुक्म को प्रोत्साहन देकर शाही मसजिद बंद करवा दी और हुक्म दे दिया कि जब तक कि हुंसी बंद मंज़ूर न कर लें कि उसमें कोई हिन्दू पैर न रखे ... तक वह न खोली जा सकेगी।

उसने समरी कोर्ट्स (Summary Courts) खोलीं :
 वर्ष २०० आदमियों पर मुकदमा चलाया जिनमें से २०१
 सजाएँ दीं। जेलखाने की सजा, बड़े बड़े जुमाने की सजाओं के अतिरिक्त
 कोर्टों से २०० कोर्टों का हुक्म हुआ। वह सजा ६६ आदमियों में
 ली गई। ज्यादा से ज्यादा तीस और कम से कम पांच कोड़े तक सजा
 आदमी को लगाये गये। इन लोगों के तब तक सरे आम कोड़े का
 कब तक कि सरे आम कोड़े न लगाने का इपर से हुक्म
 मिलेगा कार्यों पर कोर्टों की यह महा कठोर सजा
 थी। इसके पहिले डॉक्टरों से यह परीक्षा तक नहीं
 कि कौन मनुष्य कितने कोड़े बर्दाश्त कर सकता है।
 ब्रिटीश रॉकिंग के प्रश्न के उत्तर में कर्नाट ने साक़ शब्दों में यह
 कि कोर्टों की सजा सब सजाओं में द्वाबसुता पूर्व है।

इसने कई बड़े बड़े प्रतिष्ठित और मन्मान्य लोगों को गिरफ्तार
 करके ऐसी ऐसी दुर्दशा की कि जिससे इसकी पारिविक सुविधा
 सम्बन्धी चीजों की व्यवहार स्थिति का पता लगता है। मि.
 ए. ए. वे. कॉम्बे की पांच कोटी के सामने जो अत्याचार दिये हैं,

साथक है।

इसके सिवा इस कर्नल ने लोगों को दुःख देने का एक नया उपाय निकाला। जिन्हें यह कर्नल भले आदमी नहीं समझता था उनके घर के परे नोटिस चिपकवा देता और घर वालों को यह सूचना कर देता कि इस नोटिस की रक्षा के तुम ज़िम्मेदार हो। अगर नोटिस में किसी की फूट टूट हुई तो इसके ज़िम्मेदार घर वाले समझे जाकर उन्हें कोर दण्ड दिया जायगा। इसका मतलब यह हुआ कि चौदिस घण्टे के अन्दर उस नोटिस की रखवाही किया करें। कुछ कॉलेजों के भवनों पर भी उसने ऐसे ही नोटिस चिपकवा दिये थे और उनके लिये विद्यार्थियों को और सारे के सारे स्टाफ़ को ज़िम्मेदार कर दिया था। सनातन धर्म के अन्दर भी इस प्रकार का एक नोटिस लगाया गया था। उसे पढ़कर के किसी एक मनुष्य ने फाड़ डाला होगा, पर वह कर्नल ने इसके लिये उस कॉलेज के ५०० विद्यार्थियों को और प्रायः सब प्रोफ़ेसर्स को गिरफ़्तार कर लिया। इतना ही नहीं, इन विद्यार्थियों और प्रोफ़ेसर्स को फ़ौज की निगरानी में फ़ोर्ट तक (जो कि उक्त कॉलेज से तीन मील के फ़ासले पर है) जाने पर मजबूर किया। इस वक्त गरमी की सीज़न थी और सूर्य भगवान अत्यन्त प्रखरता के साथ तप रहे थे। ऐसी स्थिति में सिर पर बिस्तर लेकर इन ५०० विद्यार्थियों को और सब प्रोफ़ेसर्स को फ़ोर्ट तक जाना पड़ा था और दो दिन तक वहाँ हिरासत में रहना पड़ा था। मज़ा यह कि हंटर कमेटी के सामने जब इस बात से पूछा गया था कि क्या तुम्हारा यह कृत्य न्यायपूर्ण था, तब उसी बड़ी अकड़ के साथ कहा था "जी हाँ, बिलकुल न्याययुक्त था।" जो ही नहीं इसने वहाँ तक कहा था कि अगर मौज़ा पड़ा तो मैं फिर इसी तरह करूँगा। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि कर्नल ने जब तब दिया था जब इस बात को छः मास बीत चुके थे और जिसके भीषण अत्याचारों के लिये देश में हाहाकार मच चुका था।

बाहौर में अत्याचार

इसने सनातन धर्म कॉलेज की तरह छाहौर के दयानन्द एङ्ग्लो वैदिक कॉलेज, दयालसिंह कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के साथ भी बहुत झुलक किया। इसने बेनबेन प्रकारेण विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स को भीषण बन्धनबाएँ देना शुरू कीं। इसने हुकम जारी किया कि उक्त कॉलेजों के विद्यार्थी किसी निश्चित स्थान पर जाकर चार वक्त अपनी शिक्षाएँ। बेचारे विद्यार्थियों को चारों वक्त मिला कर प्रति दिन साइकल का चक्कर काटना पड़ता था। इन अभागों को सूर्य की कभी छूय में जाना पड़ता था। इन पर इस समय कैसी इस बात को इनका भ्रमचान ही जानता होगा।

कर्मल ने कई निर्दोष विद्यार्थियों को कॉलेज और स्कूल से निकाल दिये। कहनों को परीक्षा के खिये जाने से रूकवा दिये। कॉलेजों, प्रोफेसर्स और प्रिन्सिपलों को बुरी तरह से तड़किया। कई को बुरी तरह पीटवाया। वहाँ कहीं तक कहें, इस कर्मल ने छाहौर में मयदुर आतङ्क का साम्राज्य (Reign of terror) स्थापित करवाया।

इसने मयदुर अत्याचार किये। पाठक जानते हैं कि इस कर्मल ने ऐसा हुकम था कि चार आदमी से ज्यादा अमा होकर सड़क पर न चलें। बेचारे लोगों को यह खयाल न था कि यह हुकम विवाह की बरात पर भी लागू है। छाहौर में नगर के किसी मोहल्ले से एक बरात निकल रही थी जिसमें दस से ज्यादा आदमी थे। सब बराती और दुबहा गिजस्तार के किये भरे और पुरोहित तथा बरातियों को कोढ़ों की सज़ा मिली। इससे पाठक मोहल्ले काँ में होने वाले राक्षसी अत्याचारों का पता लगा सकते हैं। छाहौर प्रेमति नगरों में जो फौजी अत्याचारों का पता लगा सकते हैं, उसमें कई निर्दोष आदमियों की किसी कैसी मयदुर सजाएँ दी गई थी, उससे उल्लेख हम अगले किसी स्वतंत्र अध्याय में करेंगे।

कसूर में अत्याचार ।



बाहौर जिले में कसूर महत्व पूर्ण कसबा है । वस्त्र व्यापार का केंद्र है । वहां की जन संख्या ३४००० है । ६ अप्रेल को वहां हड़ताल नहीं हुई थी । दस तारीख तक वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई । ११ तारीख को महात्मा गांधी को पकड़े जाने का और डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तार होने का संवाद पहुँचा, इस खिसे वहां कुछ घंटों के खिसे हड़ताल रही । शाम के एक बजे वहां समा हुई । मामूली व्याख्यान हुए । उन में कोई बात ऐसी न थी जो राजद्रोहात्मक हो । सब दिविजनल आफिसर मिस्टर मार्सडन ने हंटर कमेटी के सामने यह कहा कि व्याख्याताओं को शीरअग्नेदार भाषण दिये और रॉलेट ऐक्ट के मतलब को उसके उचित अर्थ में नहीं समझाया, इससे जनता में जोश उमड़ गया ।

१२ अप्रेल को इस नगर में पूरी हड़ताल रही । हां, इस दिन लोगों का मिजाज़ ठीक वैसा न था जैसा कि ११ तारीख को था । इस दिन का कुछ बिगड़ा हुआ था । हंटर कमेटी के सामने दिये हुए कुछ मकालों के जवाबों से मासूम होता है कि वहाँ कुछ आदमी असहस्य से आये और जिन असहस्य की दुर्घटनाओं का हाल खूब बड़ाकर कहा । इससे लोग में उचेकित हो उठे । कुछ हलके दर्जे के लोग जमा होने लगे । वे स्टेपान और बड़े और उन्होंने स्टेपान को भाग लगाने का प्रयत्न किया । लोग भाग लगादी गई । पर इसी बीच में कसूर के नेता मौके पर आये और उन्होंने भाग रुकवा दी । इसके बाद लोगों का सुरह Signal की ओर बढ़ा, जहाँ कि एक ट्रेन आकर लगी थी । सुरह के कुछ सुरोपिण्यों पर आया किया पर वहां भी मि० गुलाम मोहिउद्दीन

कसूर में अत्याचार

प्रभृति नेताओं के आ पहुँचने पर इस कुँड का प्रत्यक्ष सफल न हो इसके बाद नेताओं ने इन युरोपियन लोगोंको सुरक्षित स्थानपर पहुँचा देने कहीं से आगे बढ़ी। दो युरोपियन सोलजर उसमें रह गये। सोलजरोँ ने समझा कि अब मगने में ही खैर है। वे ट्रेन से नीचे पर चारों ओर बावला सुन्ड मौजूद था। इन सोलजरोँ ने किन्हुद भाव से गोखियाँ चलाई। अब तो सुन्ड आम बबूला हो खलन्त दुल्ल और लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि इस बावली ने उन बेचारे निरपराध सोलजरोँ को बड़ी निर्दयता से मार डाला। जीवदया के उज्जवल आदेशों को सामने रखते हुए इस सुन्ड कुँड को ज़ोर के साथ बिकारते हैं, और मानते हैं कि इसने इन राशियों की हत्याकर पारलौकिक कार्य किया। निरपराधों के होकर वह सुन्ड रेवेन्यू ऑफिसों की ओर बढ़ा और इन सब आंग छागा दी। अन्त में पुलिस ने गोखियाँ चला कर इस बिकार दिया।

थोड़े ही घण्टों के बाद वह समझा हुआ जनता का जोर बन गया। इससे यह अनुमान करना मजबूत न होगा कि जनता का कोई किसी आकस्मिकता से इतना बढ़ गया था। उसके पीछे किसी बड़ा सुलक्षित घटबन्ध न था। अधिकारियों ने बिना किसी लक्ष्य के बहुत ही गिरफ्तारियाँ कर डाली। अब तक वहाँ के सब विद्वान् अफसर एक हिन्दुस्थानी थे। उनकी जगह पर मि० मार्सडन नामक अंगरेज भेजे गये थे। १६ तारीख को वहाँ मार्सडन लॉ ... गया था। मार्सडन लॉ का शासन शुरू शुरू में कर्नल मकर (C. Mackenzie) के जिम्मे किया गया। १६ तारीख से कसूर में यह सब शुरू हुई। पहले कसूर में मार्सडन लॉ की घोषणा की गई। उसके बाद ही सुपरिन्टन्डन्ट मि० चनपतराव गिरफ्तार किये गये। १६ तारीख को वहाँ मार्सडन लॉ ...

तक वहीं बतलाया गया कि ये जेल में क्यों रखे गये थे। इसी दिन १६ आदमी और गिरफ्तार किये गये। इसके दूसरे दिन तीन और तीसरे दिन चार गिरफ्तारियाँ हुईं। १६ अप्रेल को गिरफ्तारियों का क्रम बहुत बढ़ गया। इस दिन ४० गिरफ्तारियाँ हुईं। सब मिलाकर १७२ आदमी गिरफ्तार किये गये। इनमें ६७ छोड़ दिये गये। (Discharged), २१ अपराधी ठहराये गये। आश्चर्य यह है कि गिरफ्तार किये गये लोगों में मि० गुलाम मोहम्मद और मौलवी अब्दुल कादिर प्रसूति के सज्जन भी थे जिन्होंने स्टेशन पर मि० और मिसेस शेरबोर्न की (Mr. and-Mrs. Sherbourne) जानें बचायी थीं, और जिन्होंने जनता को अत्याचार करने से बहुत कुछ रोका था। बहुत से नेताओं के घर की जिना किसी प्रकार का कारख दिखलाये तलाशियाँ की गईं। १ मई सन् १९१६ को कसूर के सब लोग शनासत (Identification) के लिये रेडवे स्टेशन पर जाने के लिये बाध्य किये गये। ये अभागे लो सिर दिन के दो बजे तक सूरज की कबी धूप में बिना अन्न पानी के बैठाये गये। यह कार्रवाई केवल लोगों का अपमान करने के लिये की गई।

कसूर में ४० आदमियों को कोदों की सजाएं हुईं। सब मिलाकर ७१० कोड़े लगाये गये। कोड़े लगाने का मंच स्टेशन के प्लेटफार्म पर बनाया गया था। स्कूल के बच्चों को भी यह महा क्रूर कोदों की सजा दी गई थी। कहा जाता है कि एक स्कूल के हेडमास्टर ने यह रिपोर्ट की थी कि एक स्कूल के बच्चे बेतहाश होते जा रहे हैं और इसके लिये उसने लेखिका को सूचना भेजी थी। इस पर कर्मांडिंग ऑफिसर ने यह सूचना लिखी कि कुछ बच्चों को कोदों की सजा दी जावे। उक्त स्कूल के तथा अन्य स्कूलों के बच्चे जमा किये गये। हेडमास्टर से कहा गया कि वे इन बच्चों को चुन दें। हेड मास्टर ने ज: ऐसे बच्चे चुने जो उच्च जाति के होकर मज़बूत भी न थे। हेडमास्टर का यह चुनाव कर्मांडिंग ऑफिसर को अच्छा नहीं लगा, और मि० मार्सेडन से ज्ञान लिये

चुनने के लिये कहा। मार्सडन ने छः ऐसे लडके चुन दिये, जो कमर में कोड़े खाने के योग्य थे। इन्हें स्टेशन के दरवाजे के बाहर के अन्य लडकों के सामने कोड़े लगाये गये ! इंटर कमेटी के सम्बन्ध में जो प्रश्नोत्तर हुए, उन्हें हम यहाँ दोहराते हैं।

प्रश्न—रकूल के लडकों को कोड़े लगाने के विषय में तुम कहते हैं कि तुमने ऐसे ही लडकों को कोड़े लगाने का हुक्म दिया था जो सबसे कमबलत थे ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—उनकी बदकिस्मती इसी में थी कि वे बड़े थे।

उत्तर—अवश्यमेव।

प्रश्न—क्या वे बड़े थे इसलिये इन्हें इन कोठों की मार पड़ी ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—क्या तुम सोचते हो कि यह बात मुनासिब थी ?

उत्तर—हाँ, उस परिस्थिति में मैंने वही मुनासिब समझा। कमर में उसे मुनासिब समझना है।

पाठक ! ज़रा हम मयदूर अत्याचार का विचार कीजिये। क्या कोई मनुष्यत्व है कि चाहे जिन छः लडकों को चुन कर बिना किसी राय के उनको कोठों की भयङ्कर मार मारना।

अब आगे बढ़िये। आम रास्तों पर लोगों को फाँसी देने की टिकिया (Gallows) बनाई गई। इन लोगों ने पहिले ही से वे खाली थीं, क्योंकि इन फौजी शासकों को विश्वास था कि इन में बहुतसों को फाँसी लगेंगी। कितने अफसोस की बात है कि वे देने तक की जगह सरे आम रखी गई। हिन्दुस्तानियों का जितना भी भय है किना जा सके, वह करने में इन फौजी शासकों ने कुछ भी कसर

नहीं रखी। कहा जाता है कि सर माइकेल ओडवायर के हुकम से ऐसा किया गया था। पीछे जाकर फ़ौसी देने की ये टिकटिकिया (Gallops) अधिक रास्ते से हटा ली गईं। गुजराणवाला प्रान्त में अठारह आदमियों को फ़ौसी हुई! और भी अधिक आदमी फ़ौसी पर लटकाने जाते, पर सरकार देना चाहिये माननीय श्री० मोतीबाख़ नेहरू को, जिन्होंने लोकोटरी के पास तार पर तार भेज कर फ़ौसी की सज़ा रद्दवाई। भारत के मूलपूर्व वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड ने बार बार प्रार्थना करने पर भी सरकार का ध्यान नहीं दिया। इससे बेचारे कई लोगों की जानें मुफ़्त में गईं।

गुजराणवाला के अत्याचार

जब गुजराणवाला में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के देश निहाले का—अमृतसर के भीषण हत्याकांड का—झाहौर के निरापराधियों पर चलाये जाने का—तथा महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का संवाद, तब वहाँ की जनता बहुत उत्तेजित हो उठी। उसने हड़ताल करने का विचार किया। और भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिन्होंने भी में आहुति का काम किया। नेताओं ने जन-समूह को समझाने का बहुत प्रयत्न किया पर वे सफल मनोरथ न हुए। लोगों की भीड़ ने यह सुना कि क्रांती पुख के पास लोगों के मुँह पर पुलिस के गोदियाँ चलाईं तो वे क्रोध से पागल हो गये! फिर क्या था? वे तहसील, डाक बंगला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चर्च और रेलवे स्टेशन आगादी! इसके बाद कोई वेद बजे के अन्दाज पर लोग बिसर इसके बाद सरकार की मिलिक्वयत को कोई चुकसान नहीं पहुँचा। कर्नल ओब्रायन ने भी इंटर कमेटी के सामने यह स्वीकार किया था और उस वक़्त यह विचार किया था।

पर गुजराणवाला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने साहौर टेलीफोन देखा था। कहा जाता है कि साहौर में लेफ्टिनेन्ट ऐसी बुराहा भी पहुँची थी कि गुजराणवाला में उनके निस्वसनीय आवाहन मार डाले गये हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि वे तीन वायुयान साहौर से भेजने का हुक्म दिया। वे वायुयान तीन गुजराणवाला पहुँचे। उन्होंने गुजराणवाला पर बम बरसाना और जर्मों से डर कराना शुरू किया। कहा जाता है कि इन वायुयानों गुजराणवाला पर ३ बम डाले और मशीनगनों के १८० round भी इनमें से एक बम साबसा हाई स्कूल के हॉस्टेल पर गिरा, विद्यार्थी और कुछ अन्य मनुष्य घायल हुए। दो बम एक पास गिरे। दूसरा वायुयान सवा तीन बजे पहुँचा। इसने ३०० (round) किये। तीसरे वायुयान ने न केवल बम ही बल्कि मशीनगन के भी चार किये। इनसे सब मिलाकर ४० बम हुए, जिनमें १२ मर गये। मरे हुएों में एक स्त्री, एक बच्चा, एक बच्चे भी थे !! अन्य पास पास के गाँवों पर भी बम गये थे।

इसके अतिरिक्त कर्नल आवाहन ने इंटर कमेटी के सदस्यों में कहाया कि भौड़ जहाँ कहीं पाई गई, वहीं उसपर बम डालें। यह बात उन्होंने हवाई जहाजों के सम्बन्ध में कही थी। एक हवाई जहाज ने, जो कि लेफ्टिनेन्ट डॉइकिल्स के चारों में से एक में १० किसानों को एकत्र देखा। लेफ्टि० डॉइकिल्स उन्होंने उन पर मशीनगन से तब तक गोली चलाई तब तक नहीं मरे ! उन्होंने एक मकान के सामने आदिमियों के एक समूह देखा। वहाँ एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसलिए वहाँ उन पर एक बम गिरा दिया। क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह का विश्वास था कि वे लोग किसी शादी या मुद्दनी के लिये एकत्र नहीं

मे। मेजर कार्बी नामक एक फ्रीज़ी अफसर ने लोगों के एक दल पर इस लिये बम बरसाये कि उन्होंने सोचा कि लोग बलवाई हैं, जो शहर से भाग रहे हैं। इन महाशय के चित्त की हालत और विचारों का पता इनके सभ्य के और नीचे उद्धारियों से भले प्रकार चल जायगा।

“लोगों की भाँड़ दौड़ी जा रही थी और मैंने उनको तितर बितर करने के लिये गोली चलादी। ज्योंही भीड़ तितर बितर हो गई, मैंने गाँव की मशीनगन लगवादी। मेरा इयाल है कि कुछ मकानों में गोखियाँ हैं। मैं निर्दोष और अपराधी में कोई पहचान नहीं कर सकता। मैं दो सौ फीट की ऊँचाई पर था और वह भले प्रकार देख सकता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे उद्देश्य की पूर्ति केवल बम बरसाने से नहीं हुई।” —

“गोखियाँ केवल नुकसान पहुँचाने के लिये ही नहीं चलाई गई थीं, बल्कि गाँव वालों के हित के लिये चलाई गई थीं। कुछ को मार कर, सभ्यता; मैं गाँव वालों को फिर एकत्र होने से रोक दूँगा। मेरे इस — असर भी पड़ा था।”

“इसके बाद मैं शहर की तरफ मुँहा। वहाँ बम बरसाये और उन लोगों पर गोखियाँ चलाईं, जो भाग जाने की कोशिश कर रहे थे।”

कर्नल ओब्रायन ने एक यह हुक्म जारी किया था कि जब कोई हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज़ अफसर को मिले तो वह उसको सलाम करे, चाहे वह सवारी में जा रहा हो या घोड़े पर सवार हो तो उतर जाय, अगले हाथ लगाये हो तो उसे नीचे झुका दे। कर्नल ओब्रायन ने कमेटी के सम्मुख कहा था कि “यह हुक्म इसलिये अच्छा था कि लोगों को यह हो जाय कि हम उनके नये मालिक कैसे हैं।” लोगों के कोड़े गये, जुर्माना किया गया, और पूर्वोक्त राक्षसी हुक्म न मानने वाले अनेक प्रकार की सजायें दी गईं। उन्होंने बहुत से आदमियों को मार डाला था, जिन्हें बिना मुकदमा चलाये ही ६ हफ्तों

मुजफ्फरपुर के अत्याचार

तक जेल में रक्खा। एक बार उन्होंने शहर के बहुत से प्रमुख नागरिकों का बकायक पकड़ कर मालगाड़ी के एक डिब्बे में भर दिया! डिब्बे में उन लोगों को एक के उपर एक करके खाद दिया! सो न, जब कि वे कढ़ाके का धूप में कई मील पैदल चला कर लाये गये थे! कुछ लोगों के बदन पर तो पूरे कपड़े भी न थे। मालगाड़ी के डिब्बे में भर कर उन्हें लाहौर भेज दिया था। उन्हें पाखाना पेशाब तक करने की आज्ञा नहीं दी गई! इसी अवस्था में वे मालगाड़ी के डिब्बे में ३४ घंटे तक रक्खे गये! उनकी जो भ्रष्टानक दयनीय दशा हो गई, उसका वर्णन करके बताने की विशेष आवश्यकता नहीं! वे जिस समय महिलाओं में होकर ले जाये जा रहे थे उस समय उनके साथ साथ रस्ते चलने वाले और लोग भी योहीं पकड़ लिये जाते थे और इसलिये उनकी संख्या सदैव बढ़ती रहती थी। उनके हाथों में हथकड़ियाँ डालकर और जंजीरों से बाँध कर निकाला गया था। हिन्दू और मुसलमान दोनों जंजीरों में बाँध कर ले जाये गये थे।

कौड़ी अधिकारियों ने एक हुकूम जारी किया था, जिसके अनुसार स्कूल के लड़के बाध्य थे कि वे दिन में तीन बार परेड करें और गेटे को सज्जामी दें। यह हुकूम स्कूल की छोटी जमातों के बच्चों के लिये लागू था, जिनमें ५ और ६ बरस तक के बच्चे भी शामिल थे। यह बात तो सचमुच हुई थी कि इस परेड और सज्जामी की कितने ही बच्चे लू लगकर मर गये थे! इस बात को तो उन नै और स्त्रीकार किया है कि धूप के कारण बहुत से बच्चे बेहोश हो गये! इस बात का भी आरोप किया गया था कि कुछ मौकों पर स्कूल से यह कहलाया जाता था, "मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है।"

पंजाब के शेखपुरा-झाबलपुर आदि कई नगरों में मार्शल लॉ के समय में

बदे बदे भत्याचार किये गये, जिनका उद्देश स्थानाभाव के कारण बर्दा
करना सम्भव नहीं है।

मार्शल लॉ का लम्बे असें तक जारी रहना

यहां यह बात स्मरण रखने योग्य है कि पंजाब के प्रायः सब नगरों
में मार्शल लॉ तब जारी किया गया, जब उपद्रव और अशांति प्रायः
मित्त चुकी थी। इसके अतिरिक्त-उपद्रवों के मित्त जाने के बाद एक लम्बे
असें तक मार्शल लॉ जारी रक्खा गया। वाइसराय की कार्यकारिणी
कौंसिल के तत्कालीन एक सदस्य सर रॉकरनू नायर ने इसके विरोध में
एक-कौंसिल से इस्तीफा दे दिया।

फौजी अदालतें और नेताओं को अति कठोर सजाएँ

मार्शल लॉ के समय में फौजी अदालतें बैठी थीं। उन्होंने तो
करने में मजबूत हा दिया। जिन लोगों ने रॉजेट एक्ट के खिलाफ
बलाग दिये, जिन लोगों ने नर्म भाषा में अपना विरोध प्रकट किया,
लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें न केवल
पानी ही की सजा मिली, पर उनकी सब ज़ाबदाद जप्त
की भी हुकम हुआ।

हरकिशनदास, बाबा हुनीचंद, पं० रामभद्रदत्त चौधरी
को प्रतिष्ठित महाशयों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाकर उन्हें
पानी की सजाएँ हुईं! इतना ही नहीं, इसके साथ साथ
ज़ाबदाद जप्त करने की भी आज्ञा हुई। इन लोगों का
क्या था? इससे अधिक कुछ नहीं कि उन्होंने रॉजेट एक्ट का विरोध
सभाएँ की थीं और व्याख्याओं द्वारा लोगों को रॉजेट
का असहिष्णु प्रकट की थी। इसी को फौजी अदालतों के कमिश्नरों

महात्माजी द्वारा सत्याग्रह का स्थगितकरण

ने राबर्टोह समझ कर इतनी मजदूर सजाएँ देदीं। वहीर मोहम्मद तो फ्रांसी की सजा का हुक्म हुआ ! वरपि पीछे जाकर कई श्रीमान् सम्राट के घोषणा-पत्र के अनुसार छोड़ दिये गये । पर फौजी अदायतों का और उसमें बैठने वाले कमिश्नरों के दिख (Quality) का पता चलता है । इन मुकदमों की प्रिन्डी की जर्णल हुई थी । पर उसका जैसा नतीजा निकला वह हमारे पाठकों मन्ड ही है ।

कई ही दुःख की बात है कि इन अदायतों द्वारा दी गई कई खोंगों पर अमल में भी आ गईं ! कई फ्रांसी पर बटक चुके ! देवमण्ड सं. मोतीलाल नेहरू स्टेट सेक्रेटरी के पास तार नहीं देते और केईसी मि० प्रॉटियू इस्तफेप न करते तो और भी कई फ्रांसी हो जाती !! और सैकड़ों खोंग काळे पानी भेजे जाते । जाकर कुछ खोंग तो निर्दोष बतला कर छोड़े गये । इतने कई आई इन फौजी अदायतों के द्वारा दी गई सजाओं के कारखाने कठ जेलों में और काळे पानी में सकते रहे ।

॥ महात्माजी द्वारा सत्याग्रह का स्थगितकरण ॥

महात्मा गांधी एक उच्च आदर्श रखने वाले नेता थे । वे हिंसा के साक्षात् अवतार थे । वे किसी भी मूल्य पर इन अमान् सत्तों का त्याग करने के लिये प्रस्तुत न थे । लिये गये हिंसात्मक कार्यों का जवाब हिंसात्मक कार्यों के इनके सन्नत विरोधी थे । पश्चात् में जनता की तरफ से जो कार्यवाहियाँ हुईं, इसका उनके हृदय पर गम्भीर प्रभाव पड़ा और वे अन्त में सत्याग्रह संग्राम की स्थगित कर दिया । इस संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण किताब यह इस प्रकार का—

"I have greater faith in Satyagraha to day than before. It is my perception of the law of Satyagraha which impels me to suggest the suspension.....I understand the forces of evil.....Satyagraha had nothing to do with the violence of the mob at Ahmedabad and Viramgaon. Satyagraha was neither the cause nor the occasion of the upheaval. If anything, the presence of Satyagraha had acted as a check.....The events in the Punjab are unconnected with the Satyagraha movement.....Our Satyagraha must, therefore, now consist in ceaselessly helping the authorities in all the ways available to us; as Satyagrahis to restore order and curb lawlessness.....We must fearlessly spread the doctrine of Satya and Ahimsa and and not till shall we be able to undertake mass Satyagraha....."

अर्थात् पहले की अपेक्षा आज मेरा सत्याग्रह पर अधिक विश्वास है। सत्याग्रहत्व की भावना मुझे प्रेरित करती है कि मैं किलहाल सत्याग्रह को स्थगित कर दूँ..... मैं दुष्टता की कृषियों को पहचानता हूँ। अहमदाबाद और वीरमगाँव में जन समूह की हिंसात्मक कार्ययें हुये उनसे सत्याग्रह का कोई सम्बन्ध न था। सत्याग्रह का न तो सत्याग्रह कारण ही था और न अवसर ही। सत्याग्रह की उपस्थिति ने तो इसकी रोक ही का काम किया। पंजाब की का सत्याग्रह के आन्दोलन के साथ कोई सम्बन्ध न था। सत्याग्रहियों को चाहिये कि वे अपनी शक्ति पर सब तरह से शान्ति और अश्वयस्था को मिटाने के लिये अधिकारियों की शक्ति

सर सहायता करें। हमें निर्भयता के साथ सत्य और अहिंसा का प्रचार करना चाहिये तभी हम सामूहिक सत्याग्रह करने के लिये सक्षम हो सकेंगे।” महात्माजी ने सत्याग्रह बन्द कर विशुद्ध स्वदेशी का प्रचार और हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रचार पर अधिक जोर देने के लिये जवहार को प्रेषित की।

अत्याचारियों को पुरस्कार

जिन अधिकारियों का पंजाब के भीषण अत्याचारों में प्रधान हाथ था, उन्हें “प्रामाणिकता” का प्रमाण पत्र दिया गया और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जायगी। यहां तक कि भारतवर्ष के यूरोपियन समाज ने जल्थानवाले बाग के हाथारे-जनरल डायर-को एक तबवार और बीस हजार पौंड का पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

पंजाब के अत्याचार और जाँच समितियाँ

ज्योंही पंजाब में मार्शल लॉ उठा लिया गया और बाहर के आदमियों के लिये पंजाब का प्रवेश द्वार खुल गया, त्योही सुप्रसिद्ध काँग्रेसमैन और कुछ अन्य सज्जन पंजाब पहुंचे और उन्होंने अपने अत्याचार पीड़ित भाइयों की सेवा का काम शुरू किया। इसमें एक निवारण (Relief) का कार्य स्वर्गीय पं० मदनमोहन मालवीय और स्वामी अदानन्दजी ने संभाला। इसी समय कांग्रेस ने पंजाब अत्याचारों की जाँच करने के लिये एक जाँच समिति कायम की, जिसके प्रधान लालू लख पं० मोतीलालजी नेहरू थे। इस जाँच समिति में महात्मा गांधी और देतबन्धु सी० आर० दास ने काफी दिखचस्पी ली। देतबन्धु दास के लिये असृतसर का क्षेत्र सौंपा गया, और पं० जवाहरलाल नेहरू को उनकी सहायता के लिये भेजा गया। जैसा कि पं० जवाहरलालजी अपने “Mahatma Gandhi” नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में लिखते हैं— “देत

बन्धु दास के साथ और उनके नीचे काम करने का मेरा यह पहला मौका था और इस समय मुझे जो अनुभव हुआ उसकी मैं बहुत कद्र करता हूँ और देशबन्धु दास के लिये इस समय मेरा आदर भाव बढ़ा। जल्ल्यानवाले बाग के सम्बन्ध में और लोगों को पेट के बल रेंगने के सम्बन्ध में बहुत सी शहादतें हमारे सामने ली गईं। यह शहादतें कांग्रेस की जाँच समिति की रिपोर्ट में दर्ज की गईं थीं। हम इस बाग में कई दफ्ता करने और मामले के हर एक तफ़्तील की चिन्तापूर्वक जाँच की।” इसी समय पं० जवाहरलालजी का महात्माजी के साथ अधिक सम्पर्क हुआ और उनका महात्माजी की राजनैतिक अन्तरदृष्टि में विश्वास बढ़ा।

हंटर कमेटी

भारत सरकार ने मार्शल लॉ के शासन के सम्बन्ध में जाँच करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे। इसके भारतीय सदस्यों—सर चिम्पनलाल सीतलवादा, पंडित जगतनारायण और सर सुस्तान अहमद ने—कमेटी के अधिकांश सदस्यों से मत न मिलने के कारण अपनी अलग रिपोर्ट लिखी थी। कमेटी की रिपोर्ट पर जो कार्य-वाही की गई, वह नाकाफ़ी थी और उससे यद्यपि लोकमत को संतोष न हुआ, पर इसके सामने जल्ल्यानवाले काँड के प्रधान प्रवर्तक डायर समिति ने जो गवाहियाँ दीं उनसे उस हत्याकांड की और पंजाब में होने वाले अन्य अत्याचारों की भीषणता जनता के सामने आई। सारे भारतवर्ष में इस अत्याचार के खिलाफ़ बड़ी भीषण-क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी।



अमृतसर की कांग्रेस



पंजाब कांड के बाद अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पंडित जवाहरलालजी ने अपने "Mahatma Gandhi" नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में इसे प्रथम गांधी कांग्रेस (First Gandhi Congress) कहा है। लोकमान्य तिलक सरीखे देशमानीय नेता के उपस्थित होते हुए भी उस समय महात्मा गान्धी का विशाल प्रभाव देखा गया। देश का वातावरण महात्मा गांधी की जयध्वनि से गूँजने लगा। महात्मा गांधी का यह स्वभाव था कि वे मानव जीवन में रहे हुए अष्ट तन्वों ही पर अधिक जोर देते थे। यही कारण था कि पंजाब के बमहर्षण कांड के बाद भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उन्होंने अपना विश्वास न खोया और वे मान्टेग्यू चैम्सफोर्ड योजना में सहयोग देने ही में देश की भलाई समझने लगे। अमृतसर कांग्रेस में देशबन्धु दास सरीखे प्रभावशाली नेता के विरुद्ध होते हुए भी उन्होंने सहयोग नीति का समर्थन किया था। आचार्य जावड़ेकर अपने आधुनिक भारत नामक ग्रन्थ में लिखते हैं:—

"अमृतसर में महात्मा गांधी सहयोग नीति, देशबन्धु दास अडंगा नीति व लोकमान्य तिलक प्रतियोगी सहकारिता की नीति के पक्ष में थे। ये सब नेता इस बात पर सहमत थे कि नवीन कानून के अनुसार जो चुनाव हों उनमें भाग अवश्य लिया जाय। अतएव तीनों के लिए सन्तोषजनक शब्द-रचना उस प्रस्ताव में की गयी थी। यह इस प्रकार थी:—"

(क) यह कांग्रेस अपनी पिछले वर्ष की घोषणा को दुहराती है कि भारतवर्ष पूर्ण उत्तरदायी शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो बातें समझी या कही जाती हैं उनको यह कांग्रेस अस्वीकार करती है।

(स) वैद्य सुधारों के सम्बन्ध में दिल्ली की कांग्रेस द्वारा पाम किये गये प्रस्तावों पर ही कांग्रेस दृढ़ है और हमकी राय है कि सुधार-कानून अपूर्ण, असन्तोषजनक और निराशा पूर्ण है ।

(ग) आगे यह कांग्रेस अनुरोध करती है कि आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष में पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम करने के लिए पार्लियामेंट को शीघ्र कार्यवाही शुरू करनी चाहिये ।

(घ) यह कांग्रेस विश्वास करती है कि जब तक इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती तब तक, जहां तक सम्भव हो, लोग सुधारों को इस प्रकार कार्य में लावेंगे जिससे भारतवर्ष में शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम हो सके । सुधारों के संबंध में माननीय मान्टेग्यू साहब ने जो मिहनत की है उसके लिये यह कांग्रेस उन्हें धन्यवाद देती है ।

देसबन्दु दास, जो० तिलक व महात्मा गांधी तीनों ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया ।

कांग्रेस के इस अधिवेशन में जहां महात्मा गांधी ने पंजाब के अत्याचारों के लिये तत्कालीन भारत सरकार की निन्दा की, वहां उन्होंने अत्याचारों द्वारा की जानेवाली ज्यादतियों के प्रति भी अक्षि प्रकट की ।



गाँधीजी और अहिंसात्मक असहयोग



इस ग्रन्थ के गत अध्यायों में हमने गांधीजी द्वारा किये जाने वाले कुछ स्थानीय सत्याग्रह संग्रामों तथा रौलट बिल के विरुद्ध किये जाने वाले देश व्यापी सत्याग्रह पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है। अब सत्याग्रह के इतिहास में एक नये अध्याय का आरम्भ होता है और वह इस व्यापक रूप धारण करता है कि उसका प्रभाव बड़े बड़े नगरों तक ही सीमित नहीं रहता, पर वह झोंटे-झोंटे इलाकों तक में पहुँच जाता है।

महात्मा गांधी को लम्बे अर्से तक यह आशा बंधी रही कि ब्रिटिश सरकार पंजाब और खिलाफत के मामले में न्याय करेगी, पर असीरत उनकी यह आशा निराशा में परिणत हुई। ब्रिटिश सरकार ने इंटर कमेटी की बहुमत वाली रिपोर्ट को (इसके खिलाफियों में सब अंग्रेज थे) स्वीकार करली और इस कमेटी के भारतीय सदस्यों द्वारा लिखी गई रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दी। वहाँ तक कि जनरल टाचर द्वारा सैकड़ों विदोष, निरपराध मनुष्यों की निर्दयता पूर्वक हत्या करने के पापविकारों को केवल “निर्णय की भूल” (Error of judgment) कह कर मानवता का घोर अपमान किया गया।

उधर खिलाफत का अङ्ग भङ्ग कर मुस्लिम संसार को जो भारी अधिात पहुँचाया गया था, उसका कोई निवारण नहीं किया गया। खिलाफत के मसले को लेकर मि० मुहम्मदअली की अच्युतता में जो सिटिनेडबल लंडन गया था वह निराश होकर कोरे हाथ वापस लौट आया। इससे भारतीय मुसलमानों में भी अस्थान्ति और असंतोष की आग भड़क

उठी। वहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि अमृतसर काँग्रेस के पहले, नवम्बर १९१६ में, देहली में अ० भा० खिलाफत कमेटी की जो मीटिंग हुई थी। उसमें खिलाफत के मामले में न्याय न हुआ तो महात्माजी की सलाह से असहयोग करने का प्रस्ताव पास हो चुका था; अर्थात् महात्माजी पहले से ही असहयोग-संग्राम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब तक पंजाब व खिलाफत के विषय में सरकार अपनी नीति की घोषणा साफ़ तौर पर न करदे तब तक बड़ाई का बिगुल बजाना उन्हें ठीक न जँचता था। अन्त में जब सरकार की ओर से उन्हें पूरी निराशा हुई तब उन्होंने स्पष्ट रूप से असहयोग की घोषणा करदी। इस असहयोग आन्दोलन में मुसलमानों ने धर्म के तौर पर नहीं किन्तु नीति के तौर पर गांधीजी के अहिंसा-सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। १० मार्च १९२० को असहयोग की जो पहली घोषणा प्रकाशित हुई उसमें गांधीजी ने कहा था—“अगर हमारी मांगें मंज़ूर न की गयीं तो हमें क्या करना चाहिये, इसके बारे में दो शब्द लिखता हूँ। गुप्त या प्रकट रूप से सशस्त्र युद्ध करना एक जंगली तरीका है। आज वह अव्यावहारिक भी है, इसलिए उसे छोड़ देना उचित है। यदि मैं सबको यह समझा सकूँ कि यह तरीका हमेशा के लिये अनिष्ट है तो हमारी सब मांगें बहुत जल्दी पूरी हो जाँय। जो राष्ट्र हिंसा को छोड़ देता है उसमें इतना बल आ जाता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता, परन्तु आज तो मैं अव्यवहार्यता व निष्फलता के आधार पर हिंसा का विरोध कर रहा हूँ। हमारे सामने एक ही रास्ता है, असहयोग। वह सीधा व साफ़ मार्ग है। हिंसात्मक न होने से वह कारगर भी उतना ही होगा। सहयोग से जब अधःपात व अपमान होने लगता है या हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचती है, तब असहयोग कर्तव्य हो जाता है। जिन हकों को मुसलमान अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा समझते हैं उनके अपहरण को हम चुपचाप सहेंगे, ऐसा क्या इच्छा न बना सकेगा और इसलिए हमें पूरा असहयोग समझ में ला

सकेंगे। जिन्हें पद, पदवियाँ, तगमें मिलें हों वे उन्हें छोड़ दें। छोटी छोटी सरकारी नौकरियाँ भी छोड़ दी जायँ। हाँ, खानगी नौकरियों का समावेश असहयोग में नहीं होता। जो असहयोग न करें उनका सामाजिक बहिष्कार करना ठीक नहीं। स्वयं—प्रेरित असहयोग ही जनता की भावना व असन्तोष की कसौटी है। सैनिकों को फ़ौज़ी नौकरी छोड़ने के लिये कहना असामयिक है। वह पहली नहीं अखिरी सीढ़ी है। जब वायसरॉय, भारत मंत्री, प्रधान मंत्री कोई भी हमें दाद न देंगे तभी हमें उस सीढ़ी पर पाँव रखने का अधिकार होगा। असहयोग का एक-एक कदम हमें बहुत सोच-विचार कर उठाना होगा। अत्यन्त प्रखर वातावरण में भी हमें आत्म-सँयम रखना होगा। इसलिए हमें अहिंसे क्रम ही चलना होगा।”

इस घोषण पत्र में असहयोग-संप्राम का सारा कार्यक्रम बीज रूप में आ जाता है। कोई भी सरकार मुल्की व फ़ौज़ी व्यवस्था में प्रजा के सहयोग बिना एक कदम नहीं चल सकती और प्रजा द्वारा घोषित असहयोग में यदि मुल्की व फ़ौज़ी अफ़सर व नौकर शामिल हो गये तो फिर जनता जिस राज्य को नहीं चाहती वह नहीं टिक सकता और उसकी जगह नवीन राज्य स्थापना हो जाता है। निःशस्त्र राज्वा क्रान्ति की यह तात्त्विक उपपत्ति है। वह इस उद्देश्य में दी गई है। जब तक देश की जनता में यह आत्म-विश्वास नहीं पैदा होता कि हम अपने सङ्गठन के बल पर अपना राज्य चला लेंगे और देश में अन्वाधुन्धी न होने देते हुए शान्ति स्थापित कर सकेंगे तब तक प्रस्थापित राजसत्ता के पुलिस व फ़ौज़ी महक़मों के लोगों को असहयोग के लिये न पुकारना चाहिये; क्योंकि उसके अभाव में आदमी, गृहकलह व अराजकता फैलने की व जनतंत्र की शान्ति के बज़ाय सैनिकवाद व तानाशाही की मनमानी चल निकलती है, जिससे विदेशी सत्ता को लाभ मिलेगा व शान्तिमय क्रान्ति संभव न होगी। इसीलिए गांधीजी ने इस घोषणापत्र में कहा है कि

‘सैनिक असहयोग विरुद्ध अखिरी सीढ़ी है।’

गांधीजी ने ईस्वी सन् १९२० की पहली अगस्त को सत्याग्रह संग्राम की घोषणा करदी। इस देश व्यापी सत्याग्रह के सम्बन्ध में गांधीजी ने २८ जुलाई १९२० के “Young India” के अंक में लिखा था:—

“The first of August will be as Important an event in the history of India as was the 6th of April last year. The 6th of April marked the beginning of the end of the Rowlatta Act..... the power that wrests justice from an unwilling Government..... is the power of Satyagraha, whether it is known by the name of civil disobedience or non-co-operation..... As in the past, the commencement is to be marked by fasting and prayer... .. suspension of business and by meetings to pass resolutions—praying for the revision of peace terms and justice for the Punjab, and for inculcation of non-co-operation until justice has been done. The giving up of titles is to organize and evolve order and discipline., He again stressed the necessity of absolute non-violence.

अर्थात् भारतवर्ष के इतिहास में गतवर्ष की ६ अप्रेल की तरह इस वर्ष की पहली अगस्त भी एक महत्वपूर्ण घटना होगी। ६ अप्रेल को रौलट-एक्ट के अन्त का आरम्भ हुआ। जो शक्ति अनिच्छुक सरकार के हाथ से न्याय को हथियाती है वही सत्याग्रह की शक्ति है। चाहे फिर इस शक्ति को सविनय अवज्ञा कहा जाय चाहे असहयोग।

मृतकाय की तरह इसको प्रारम्भ करते समय उपवास और
 जाय, कारोबार बंद रखे जाय, और सभाओं में उनमें ऐसे प्रस्ताव
 किए जाय जिनमें (तुर्कों की) सुखह की शर्तों में संशोधन करने
 पंजाब के जिन न्याय प्राप्त करने की माँग हो और जिसमें तबतक
 से असहयोग करने का आदेश हो जब तक कि न्याय प्राप्त न
 उपाधियों का त्याग उसी दिन से शुरू हो जाना चाहिये.....
 सबसे बड़ी बात अनुशासन और सुव्यवस्था की स्थापना कर
 आगे चलकर महात्माजी ने इस लेख में पूर्ण अहिंसा की आवश्यकता
 बतलाने का प्रयत्न किया था।

इसके बाद ई० सन् १९२० के सितम्बर मास में कांग्रेस में
 का विशेष अधिवेशन हुआ। इससे अन्ततः भारत के सुप्रसिद्ध नेता
 राजपतराय थे। महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव के पक्ष
 विपक्ष में कई प्रभावशाली नेता थे। स्वर्गीय पं० मोतीलाल
 असहयोग के प्रस्ताव के समर्थकों में थे। देशबन्धु चित्तरंजनदास
 मदनमोहन मालवीय, मिसेज बेसेंट इस प्रस्ताव के विरोधियों
 कलकत्ता कांग्रेस के कुछ ही पक्ष में महात्मा गांधी के समर्थक नेता
 सितम्बर का स्वर्गवास हो चुका था। इसलिये यह केवल कांग्रेस
 का विषय रह जाता है कि अगर लोकमान्य जीवित रहते तो
 गांधी के असहयोग वाले प्रस्ताव का समर्थन करते या नहीं।
 चित्तरंजनदास और मालवीयजी का विरोध तार्किक दृष्टि से था।
 सत्त्वैतिक ध्येय में थे महात्मा गांधी के पूर्ण रूप से साथ थे।
 वे सितम्बर के प्रश्न के कारण महात्मा गांधी के प्रस्ताव का
 काम का निश्चय किया था। कुछ भी हो, महात्मा गांधी का
 कलकत्ते की कांग्रेस में बहुमत से पास हो गया। प्रस्ताव के पक्ष
 १९२० में पारित और विपक्ष में ८८९।

इसी सन् १९२० के दिसम्बर मास में कांग्रेस का अधिवेशन

महापुर में हुआ। यह पूर्व के अधिवेशनों से बड़ा था, और इसमें १९२२ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें १०५० मुसलमान निधि और १६१ महिला-प्रतिनिधि भी थे। इसमें भारी उत्साह और बहिष्कार के साथ महात्मा गांधी का असहयोग वाला प्रस्ताव पास हुआ। इन नेताओं ने कलकत्ता अधिवेशन में इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस वक्त इसका समर्थन किया। देशबन्धु चित्तरंजनदास के प्रस्ताव को रक्खा और बालू बालूपतराम ने इसका विरोध किया।

यह आन्दोलन प्रगतिशील अधिसात्मक असहयोग के नाम से महापुर में हुआ, इसमें यह कार्यक्रम निम्नतः हुआ—

उपाधियों व सम्मान-विशेषों को छोड़ देना।

सरकारी दरबार, उत्सव आदि समारंभों से असहयोग।

सरकारी व अर्द्ध-सरकारी पाठशालाओं का बहिष्कार व उनकी जगह राष्ट्रीय कालाश्री की स्थापना।

बच्चों का बहिष्कार व पंचायतों की स्थापना।

समाजों का व मतदान का बहिष्कार।

विदेशी माल का बहिष्कार।

महात्मा गांधी का अनुपम प्रभाव

महापुर कांग्रेस के समय महात्मा गांधी के प्रभाव में आकाश में जलता उन्हें अलौकिक महापुरुष समझने लगी। भारत के वे नेता माने जाने लगे। सारे देश का आकाश बस “महात्मा गांधी” से गूँजने लगा। भारतीय राष्ट्र के जीवन में नवचेतना आ गई। वे करोड़ों जनता उन्हें देवता की तरह समझकर उनके पथ पर चलने में अपना गौरव समझने लगी। पं० जवाहरलाल

ने उस समय का जिक्र करते हुये "Mahatma Gandhi" शब्द में लिखा है:—

And then Gandhiji came. He was like a powerful current of fresh air that made us sit ourselves and take deep breaths, like a light that pierced the darkness and r— scales from our eyes. like a whirlwind many things but most of all the working ple's minds.

पंडित जवाहरलालजी का उपरोक्त कथन अक्षर अक्षर वास्तव में महात्माजी ने देश को नवजीवन प्रदान किया है राष्ट्र जीवन के परमाणु को परिष्कृत कर दिया। देश को नवीन उत्साह की क्यु ज़ोर से बहने लगी। देश के मुक्त स्वयं देखने लगे। महात्माजी ने जो आदर्श स्वदेश के लिये उनसे वह आशा होने लगी कि इनके द्वारा भारत के साथ साथ मानव जाति को भी नवीन प्रकाश का संदेश निरस्त भारत के लिये तो उनका अहिंसात्मक संग्राम एक

सारे देश में अद्भुत जागृति हो गई। हिन्दू और मुसलमान एकता के प्रदर्शन हुए। हज़ारों की संख्या में अखिल जगह पंचायतें स्थापित हुईं। बेजवादा कांग्रेस के बाद कांग्रेस के सदस्यों की संख्या पचास लाख तक बढ़ गई। संग्राम लड़ाने के लिये महात्माजी ने "तिलक स्वराज्य फंड" किया, जिसके लिये उन्होंने एक करोड़ रुपये की जपान की सरकार ने मुक्त-हस्त से रकम दिया, और एक करोड़ के बड़े पैमाने का ऋण स्वीकार हो गया। महात्माजी के प्रिय का संग्राम की। देश में भीतर बाहर चर्चा चलने लगी।

गांधीजी और अहिंसात्मक असहयोग

की ली। स्कूलों के बहिष्कार में भी काफी सफलता मिली। अमुदाय बड़े उत्साह से असहयोग आन्दोलन में शामिल हुआ। कबीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, जिनमें पं० मोतीलाल नेहरू व देव बन्यु चितरंजन दास, जैसे भारत प्रख्यात वकील भी शामिल थे। संसार प्रख्यात कवि-सम्राट् रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी 'सर' की उपाधि त्याग दी। इस समय आपने वायसराय को जो पत्र लिखा, उसमें आपने स्पष्ट निर्देश किया कि राष्ट्र के इस भयङ्कर अपमान को देखते हुए कोई भी सरकारी उपाधि धारण करना एक लज्जा जनक वस्तु है। आपके कुछ अंश निम्नलिखित हैं। "The time has come, badges of honour make our shame glaring in incongruous context of humiliation, and, I for part, wish to stand, short of all special distinction by the side of my country men, who, for their called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings."

इसी प्रकार इसके कुछ समय पहले मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य जजिस्ट्रिस श्री सुब्रह्मण्य अय्यर ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति विल्सन को एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि वे भारत स्वराज्य दिखाने में अपने प्रभाव का पूरी तरह से उपयोग करें। इसी समय अय्यर महोदय ने के० सी० आई० ई० की उपाधि धारित किया।

इसने का मतलब यह है कि स्वराज्य को जल्दी हासिल करने जो सच्चा लड़ाई कार्यक्रम स्वीकार किया गया, उससे जन-आन्दोलन की लड़ाई से आगे बढ़ चला। गांधीजी ने निश्चित भविष्य वादा किया कि साक्षर भर में स्वराज्य मिल जायगा और इसके बिना ३१ दिसम्बर १९३० की तारीख भी उन्होंने निश्चित कर दी थी। इस समय उनके मतलब

ने इस भविष्यवाणी पर विश्वास कर लिया था। सितम्बर १९२१ के एक सम्मेलन में गांधीजी ने वहां तक कह दिया था कि "उन्हें मर के अन्दर ही स्वराज्य मिल जाने का हृदय विश्वास है। बिना पांचे ३१ दिसम्बर के बाद ज़िन्दा रहने की वे कल्पना भी नहीं

विवादाधीन लोगों को एक साथ में स्वराज्य प्राप्त करने की प्रायः असम्भव सी मालूम हुई, पर बहुजन समाज ने यह कर लिया कि स्वराज्य बहुत निकट था पहुँचा है और एक साथ में देश के मासिक बन बैठेंगे। इससे ई. सन् १९२० में देश के हिस्से में जन-संघर्ष के नये नये और पहले से ज्यादा उग्र रूप दिखाई देने लगे। मजदूरों में भी अश्रुत जागृति होने लगी। आसाम-ब्रह्मचर्य से असंतुप्त हड़ताल हुई। बङ्गाल के मीदनापुर जिले में अगान बन्दी का आन्दोलन जोर शोर से चला। पञ्जाब में सरकार के पिछु महन्तों के खिलाफ अकाली आन्दोलन ने उग्र रूप धारण किया। इसी समय से "सेवा दल" का संगठन शुरू हुआ। कांग्रेस या खिलाफत के मार्गित अधिसात्मक असहयोग के सिद्धान्त को मानते हुये इस दल का किया गया था, लेकिन बहुत से स्वयं सेवक बर्दी पहनते थे, अस्त्र धारते थे और लाइन बांधकर हड़ताल चलाते या खिलाफती कार्यों की दूकानों पर धरना देने या लोगों को समझाने जाते थे।

सरकार ने अपनी पूरी ताकत से सेवादल पर दमन चक चलाया। "सेवा दल" और "इन्डियन मैन" जैसे शब्द सत्कारी असवार और सचिवों को मिले कि सरकार तो झूठम हो गई है और "सेवा दल" ने फलकते पर काम करना शुरू किया है। उन्होंने इस बात की माँग की कि "सेवादल" के खिलाफ अस्त्र धारण की जानी चाहिये। सरकार ने स्वयं सेवक दलों की धरनाकार्य को रोक दिया। हज़ारों की तादाद में लोग फकट लिये गये। अकाली अगर्ह हज़ारों विद्यार्थियों और कारखानों के मजदूरों ने

सेवादल में भर्ती होकर पूरी की। मतलब यह है कि चारों ओर
 को भावना और देश को स्वतंत्र करने की अभिलाषा ने अपना
 दिकार जमा लिया। ब्रिटिश अधिकारियों को यह भय होने लगा कि
 स्वतंत्रता का यह आन्दोलन जगहों से जगहों में पहुँच गया तो
 सभी साक्षर भी इसे दबाने में असमर्थ होगी, और उन्हें अपने बारे-बिस्वा
 की-कर विनायक के लिये रवाना होने के लिये विवश होना
 इसलिये ए० मास्वीयजी को बीच में डालकर महात्मा गांधी और
 समझौता कराने का आवाज़न हुआ। महात्मा गांधी और
 वाइसराय के बीच में ए० मास्वीय जी ने मुलाकात करवाई। उस
 काई रीटिंग वाइसराय हुए थे। वह अप्रैल १९२१ की बात
 मुलाकात में वाइसराय को गांधीजी की सन्चाई और शुद्ध
 करने का अवसर मिला। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि
 आन्दोलन के खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिब न होगा।
 उन्होंने सखी माइयों के कुछ व्याख्यानों की ओर गांधीजी का
 विचार, जिनसे गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन सम्बन्धी
 किफ होता था। गांधी जी को बताया गया कि इन व्याख्यानों
 नानक हिंसा को सूक्ष्म रूप से उत्तेजना देने के पक्ष में लगता
 । गांधीजी को भी जँचा कि इन भाषणों का ऐसा अर्थ
 सकता है। इसलिये उन्होंने सखी माइयों को लिखा और
 वाइसराय का कठम्व निकलवाया कि उनका आशय ऐसा नहीं था।

२८, २९ और ३० जुलाई १९२१ को बम्बई में महासमिति की
 महासूच्य बैठक हुई। नेजवावा कार्यक्रम को देख में जो
 किनी की उससे चारों ओर सुनियां झाई हुई थीं। तिलक-स्वराज्य
 में निमित्त से अधिक १२ लाख रुपये आ गये थे। कांग्रेस
 प्रस्ताव आये के ऊपर पहुँच कर रह गई। मगर चले करीब २ बीस
 करने करने। इसके बाद जब बुनने तथा सादी सम्बन्धी विविध विचार

की ओर देश का ध्यान गया। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी की उत्पत्ति में सारी शक्ति खंगालने का प्रयत्न देश के सामने था। महा समिति ने यह भी सलाह दी कि "तमाम अंग्रेजी आगामी १ अगस्त से विदेशी कपड़ों का उपयोग छोड़ दें।" लखनऊ और अहमदाबाद के मिल माजिनों से अनुरोध किया गया कि वे अपने कपड़ों की कीमत मजदूरों की मजदूरी के अनुपात से रखें और न तो हो जिससे गरीब भी उस कपड़े को खरीद सकें और मौजूदा दरों से तो दाम हरगिज़ न बढ़ाये जायें।" विदेशी कपड़े मगाने वालों से कहा गया कि वे विदेशी कपड़ों के आर्डर न भेजें और अपने पास के मासों की हिन्दुस्तान के बाहर खपाने का उद्योग करें।



१९२१ का महान् आन्दोलन



ईस्वी सन् १९२१ में देश में जैसी अपूर्व और व्यापक जागृति हुई वह आगतवर्ष के इतिहास में एक अद्भुत घटना थी। राष्ट्र के वातावरण का परभाव पाम खु 'स्वराज और स्वाधीनता' के भावों से अनुप्राणित हो रहा था। राष्ट्र में नवचेतना का मानों समुद्र उमड़ आया था। महात्मा गांधी की लय जब्द्वार से सारा देश मूँचायमान हो रहा था। महात्मा गांधी देश के मानों एक कुत्री और सर्वोत्तम नेता के रूप में राष्ट्र का मान प्रदर्शन कर रहे थे। पं० जवाहरलालजी का यह वाक्य कि " भारत है " सब रूप में प्रकट हो रहा था। उनके अहिंसात्मक असहयोग से देश को अड़ से हिला दिया था। उन्होंने इस विराट् देश को कर उसे अपनी महान् शक्ति का मान करवाया था। न केवल ... क्षेत्र ही में पर धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी नवजागृति और जागृति की भावनाओं अपना अक्षिपत्य जमा रहीं थीं। सदियों से पद दखिल किसानों में भी नवचेतना का प्रकाश चमकने लगा था। जैसा कि ... कंवर कट चुके हैं बंगाल के मिर्नापुर जिले में कर बन्दी का आन्दोलन शुरू हो गया था। पञ्जाब में धर्माचार्यों के भोग विनाश और पतन ... जीवन के खिलाफ़ सिकसों ने जोर शोर का आन्दोलन शुरू कर ... विचार्योग्य हज़ारों की संख्या में स्कूल और कॉलेज छोड़कर गांधी के सत्याग्रह संग्राम के विजय मण्डपे के नीचे उभा ही रहे थे। संयुक्त प्रदेश में तीन किसान नेताओं के पकड़े जाने के कारण बड़े २ प्रदर्शन हो रहे थे। पुलिस को बरेली में प्रदर्शनकारी किसानों पर गोली चलायी पड़ी, जिनसे सात किसान मारे गये और कई घायल हुये। इस घटना के दूसरे ही मास में ७० हज़ार किसान असहयोग आन्दोलन

संघर्षित हुए। इसी समय पंजाब में सिक्ख किसानों ने भी बहुत बड़ी हड़त में इस महान् आन्दोलन में प्रवेश किया और नानकना साहब के आकांक्षित ने उनके निश्चय को और भी दृढ़ कर दिया। सिक्खों के इस आन्दोलन के कारण अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण-मन्दिर के महन्त को हटा दिया गया, और सुधारकों की समिति ने सिक्खों के उस पवित्र मन्दिर पर अपने हाथ में बिदा।

सिक्खों की धार्मिक दृष्टि में स्वर्ण मन्दिर से दूसरा नम्बर नानकाना के गुरुद्वारेका है। इस गुरुद्वारे के महन्त पर भी अत्याचार के बड़े आरोप ये ईस्वी सन् १८२१ के २ मार्च को इस महन्त के सिक्खों द्वारा प्रदर्शन किया गया। लगभग १२० सिक्ख जब पूजा करने के लिये उक्त गुरुद्वारे में घुसे तो उक्त गुरुद्वारे के दरवाजे बन्द कर दिये गये और उनमें से १०० सिक्ख बड़ी निर्दयता से कूट कर दिये गये! इतना ही नहीं इन सिक्खों के शव पैट्रीक टाक कर जला दिये गये!! इस महान् अत्याचार से सारे देश में घृणा और क्रोध की लहर बह चली। अकाबियों के आगे का तो पार न रहा। अगर महात्माजी का अहिंसात्मक कार्यक्रमों में न आता तो इन सिक्खों द्वारा क्या भयङ्कर बर्दा किया जाता और बड़े २ हत्याकाण्ड संगठित होते। इसके दूसरे ही साल अर्थात् ईस्वी सन् १८२२ के अगस्त मास में अपने अधिकारों की रक्षा के लिये मुसलमानों ने सिक्खों ने जो महान् संस्थाग्रह संग्राम संचालित किया वह अत्यन्त ही अत्यन्त था। इस समय विरोधियों द्वारा इन संस्थाग्रहियों पर अत्यन्त निर्दयता पूर्वक मार पड़ती थी कि वे बेहोश तक हो जाते थे। पर इनमें से भी उन्होंने अहिंसात्मक उपायों का अवलम्बन नहीं किया। वे महात्माजी के आदेशों पर शान्ति पूर्वक प्रतिरोध करते रहे। यहां यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि सिक्ख एक सैनिक जाति हैं और इस पर महात्माजी के अहिंसात्मक प्रोग्राम का जादू की तरह असर हुआ था। उन्होंने अत्यन्त से अत्यन्त आचान सहकर भी शान्ति पूर्वक

परिवर्तन दिया था उसकी प्रशंसा महामना पंडित महोदय ने
 मैग्नेटर गार्डियन नामक पत्र में की थी और यह दिखाया था कि
 सभ्यता के मनुष्यों पर भी गांधीजी ने अपने प्रेम और
 कितना प्रभाव डाला था।

जैसा कि ऊपर कहा गया है ईस्वी सन् १९२१ में स्वराज्य आन्दोलन
 ने बड़े जोरों से प्रगति की। जोग एक वर्ष में स्वराज्य मिशन की
 छाया से उन्मत्त हो रहे थे। तबक स्वराज्य फंड के लिये गांधीजी
 करोड़ की अपील की थी पर वह रकम इससे कहीं अधिक बढ़
 फंड में अमीर और गरीब दोनों ने मुक्तहस्त से दिया था।
 वे सोना चांदी और बहुमूल्य जवाहरात के जेवरों को गान्धी
 घरों में रखकर अपनी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रदर्शन किया। मिट्टी
 का बहिष्कार जोर जोर से होने लगा। विदेशी कपड़ों की बड़ी र
 हुई। बम्बई में समुद्र के किनारे विदेशी कपड़ों की जो महान्
 थी वह बम्बई के इतिहास में एक अपूर्व घटना थी। देश के कई
 इस प्रकार की होखियां हुईं। कुछ स्थानों पर पुलिस और जनता में
 जैद हुईं और पुलिस ने निरस्र जनता पर गोखियां चलाईं।

८ जुलाई को कराँची में खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ
 मुसलमानों ने अपने खिलाफत सम्बन्धी दावे पेश किये और
 इस किना कि कोई मुसलमान अंगरेजों की फौज में भर्ती न
 वह फौज की भर्ती ही में किसी प्रकार की सहायता दे।
 में बहुत गर्मागर्म भाषण हुए और सरकार को वहाँ तक
 कि अगर उसने तुर्की के प्रति न्याय न किया तो भारतवर्ष को
 सम्बन्ध तोड़ कर अपने आपको एक स्वतंत्र प्रजातंत्र घोषित कर
 इसके कुछ अर्से बाद २८ जुलाई को बम्बई में अखिल भारतीय
 कमेटी की बैठक हुई और उसमें प्रिंस ऑफ वेल्स की भेंट का
 करने का विचार हुआ। इस समय महात्मा गांधी ने अपने

बहु साफ़ तौर से प्रकट किया कि भारतवर्ष का प्रिंस ऑफ वेल्स से व्यक्तिगत रूप से कोई द्वेष नहीं है। इस बहिष्कार से वे उस राज्य पद्धति से विरोध करना चाहते हैं जिसने भारतवर्ष को इस हीनावस्था पर पहुँचा दिया है, और जिसने भारतवर्ष को बुरी तरह शोषित किया है। इसके अलावा के बाद सितम्बर मास में अली बन्धु और दूसरे कई मुस्लिम राजपुत्रों की भाष्य करने के उपलक्ष्य में गिरफ्तार किये गये। इस गिरफ्तारी से देश में और खास कर मुसलमानों में बड़ी सनसनी मच गई। तुर्क ही केन्द्रवर्ती खिलाफत कमेटी (Central Khilafat Committee) की बैठक बुलाई गई और उसमें वे ही प्रस्ताव दोहराये गये जिनके कारण उक्त नेताओं की गिरफ्तारियाँ हुई थीं। सारे देश में मुसलमानों ने सैकड़ों सभायें कीं। इन प्रस्तावों को दोहराया। अलीबन्धु को गांधीजी ने यह घोषणा की कि वे इस संवर्ष में मुसलमानों के साथ दूरी, और उनके साथ अपना मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और भी मजबूत करेंगे। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के ५० सदस्यों ने गांधीजी को इस घोषणा का समर्थन किया और यह प्रकट किया कि हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह असहयोग के विचारों को निर्मूलक प्रकट करे। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी प्रकट किया कि कोई भी भारतवासी ऐसे सरकार की नौकरी न करे जिसने की भारतवर्ष को नैतिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से इस हीनावस्था को पहुँचा दिया है। अलीबन्धुओं का कारागार में अभियोग चला और उन्हें तथा उनके साथियों को दो दो वर्ष की सजायें हुईं।

इन घटनाओं से देश में बड़े जोरों से विरोध की आग भड़क उठी। १० नवम्बर को दिल्ली में अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और उसने गांधीजी के उक्त घोषणा पत्र का फिर से समर्थन किया। कांग्रेस कमेटी ने हर एक प्रान्त को यह अधिकार दिया कि वह अपनी विधायी सभियों पर सविनय अवज्ञा शुरू कर सकता है। और इसका

प्रारंभ वह करबन्दी के आंदोलन से कर सकता है। कहने की
 वही कि एक महान् अहिंसात्मक संग्राम का सूत्रपात होने लगा। वे
 विद्युत् वेग से युद्ध की भावना फैल गई। चारों ओर अहिंसा
 बढ़ाई के लिये साधन जुटाये जाने लगे और वातावरण
 आने लगा।

प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन

ब्रिटिश सरकार ने यह समझकर कि भारतवासी स्वभावतः
 एक होते हैं, उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स को इसलिये भारतवर्ष भेज
 उनकी उपस्थिति से भारतवर्ष का कुछ वातावरण कुछ शान्त हो जाय
 ईस्वी सन् १९२१ के १७ नवम्बर को प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई उतरे। वहाँ
 बर्किंग कमेटी ने प्रिंस के बहिष्कार के आदेश जारी कर दिये।
 वह बहिष्कार जैसा चाहिये वैसा सफल न हुआ। वहाँ प्रदर्शन
 और सरकार के पक्षपाती लोगों में संघर्ष हो गया जिसने आगे
 दंगे का रूप धारण कर लिया।

इसके विपरीत कलकत्ते में इस बहिष्कार आन्दोलन को अपूर्ण
 जाता मिला। वह यहां तक कि स्टेट्समैन और इंकविजिस्मैन सरीखे
 इंग्लिश पत्रों ने यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस स्वयंसेवकों ने
 के कलकत्ते नगर पर अपना अधिकार कर लिया है, और
 अपनी सत्ता छोड़ दी है। उन्होंने सरकार से जोरदार शब्दों में
 रोष किया कि वे स्वयंसेवकों के सिद्धांत सख्त कदम उठावे। फिर
 का। चौबीस घण्टे के अन्दर २ कांग्रेस स्वयंसेवक मंडल और अन्य
 घोषित कर दिया गया। अन्ध प्रांतों में भी इस सम्बन्ध में
 अनुभव किया गया।

इसमें एक तरह से सरकार के इस दमन चक्र का स्वागत किया
 दमन शान्ति की भाग में भी का काम करता है। दमन शान्ति स्वाभाविक

कानून कान्ति की आग को बड़े जोर से प्रज्वलित करता है। नवम्बर १९४६ में इस दमन का मुक़ाबला करने के लिये तैयार हो गया। उसने निश्चय किया कि सरकार के इस चैलेंज का ज़वाब आन्दोलन की अग्र-पंक्ति बढ़ाकर दिया जाय। पर बङ्गाल के अनुभवी नेता देशबन्धु दास ने से काम लेना उचित समझा। उन्होंने यह मुनासिब समझा कि सफ़्त कदम को उठाने के पहले महात्मा गांधी और चर्किङ्ग कमेटी का साह मरविश कर लेना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त देश की परिस्थिति जान कर लेना भी आवश्यक है, जिससे यह मालूम हो जाय कि देश सरकार का सफ़्त अहिंसात्मक प्रतिरोध करने के लिये कहां तक तैयार है। बङ्गाल प्रान्त के विभिन्न भागों में गुप्त सक्चुर भेजे गये और इस बात की रिपोर्टें मँगवाई गईं कि प्रान्त सरकार के खिलाफ़ सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने के लिये कहां तक तैयार है। एक सप्ताह के अन्दर २ सय विज्ञों से उस्ताह दाबक समाचार मिले। यह मालूम होने लगा कि प्रान्त सविनय अवज्ञा के लिये बड़ा आतुर हो रहा है। नवम्बर के अन्त में बङ्गाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बन्द कमरे में बुलाई गई। इसमें जीव सौ सदस्यों ने भाग लिया। उसमें बड़ा अपूर्व जोश और उत्साह था। उसमें सर्व सम्मति से यह निश्चय किया गया कि सरकार के दमन नीति के जवाब में तुरन्त सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर दिया जाय और संकट कालीन अवस्था में कमेटी के सारे अधिकार कमेटी के प्रेसीडेंट देशबन्धु दास को दे दिये जाय। उन्हें गिरफ़्तार होने की हालत में अपना उत्तराधिकारी मनोनित करने का अधिकार भी दे दिया जाय।

कहने की आवश्यकता नहीं कि देशबन्धु चित्तरंजनदास ने आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया, और उन्होंने स्वयं सेवकों की भर्ती के लिये प्रयत्न की। उन्होंने यह भी प्रकट किया कि उनकी चम्पकी और पूरु भी स्वयंसेवकों में भर्ती होंगे जिससे कि दूसरे लोगों को उस्ताह मिले। कमेटी के कुछ सदस्यों ने यह अनुरोध किया कि जब तक एक ही

आदमी मौजूद है तब तक किसी स्त्री को सत्याग्रह में प्रियदर्शन देने की आवश्यकता नहीं, पर देश बन्धु अपनी बात पर अड़े रहे ही दिन देश बन्धु के पुत्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार गये और वे जेलखाने भेज दिये गये। इससे वातावरण में बढ़ी आ गई और स्वयं सेवक बड़े जोरों से भर्ती होने लगे। श्रीमती भी बारी आई और वे अपनी ननद श्रीमती उर्मिला देवी और अपनी सखी मित्र सुनीति देवी के साथ स्वयं सेवकों तथा स्वयं सेविकाओं नेतृत्व करती हुई सत्याग्रह के खिंचे बाहर निकल पड़ी। वे सब करवाँ गईं और उन्हें भी जेल भेज दिया गया। इससे सारी कोच और घुसा की बहर बह चली। क्या बूढ़े क्या युवक, क्या गरीब सभी बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस स्वयं सेवक दल होने लगे इसका असर न केवल साधारण जनता ही पर पड़ा पर और प्रौढ के लोग भी इस घटना से प्रभावित हुए। जब श्रीमती कैदियों की गाड़ी में जेल खाने ले जाई जा रही थी तब बहुत से पुलिस कांस्टेबल उनके पास आये और उनसे विनय पूर्वक नमस्कार कर कि हम सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ अपनी नौकरियों से देने की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी चेत्रों में भी सच्चाटा सरकार बड़ी भयभीत होने लगी। उसे डर होने लगा कि फौज और अन्य सरकारी नौकरों में असहयोग की भावना फैला और वे स्तीफा देने लगे तो शासन का चलना जमगा। मि० ए० ए० मलिक ने, जो नर्मदा के एक और जो पीछे जाकर भारत सेक्रेटरी की कौंसिल के सदस्य हो श्रीमती दास की मित्रवतारी के विरोध में नवर्नमेंट हाउस लगे। वातावरण इतना उल्टे जना मज हो गया था कि सरकार को डर और श्रीमती दास और उनकी सहयोगिनीयों को आधी रात के ही बाहर देना पड़ा। इसके दूसरे दिन इतारों विद्यार्थी और कैदियों

भारतवर्ष ने स्वयं सेवकों में अपने नाम दर्ज कराये। सत्याग्रह का जोर दिन-दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। थोड़े ही दिनों में कलकत्ते के बड़े बड़े जेल खाने कैदियों से खचाखच भर गये। सरकार ने कुछ कैम्प खोलवाने स्थापित किये और वे भी अति शीघ्र पूरे भर गये। अब जो सरकार ने सशक्त क्रम उठाने का निश्चय किया, और उसने १० दिसम्बर १९२१ को देशबन्धु दास और उनके सब साथियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इससे सारे देश में बड़ी सनसनी छा गई! लोग सत्याग्रह संग्राम को और भी तेज़ी से चलाने के लिये उत्सुक होने लगे।



अहमदाबाद की काँग्रेस



देश के इस उत्तेजन पूर्व कतावरण में, अहमदाबाद में, अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में जनता का जैसा दत्साह वह काँग्रेस के इतिहास में अद्वितीय और अपूर्व था। जनता के असङ्ख्य मानों उमड़ रहा था। लोग स्वराज्य की भावनाओं से रहे थे। देशबन्धु दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुये। उनके जेब चले जाने से इकीम अजमल खां साहब ने अध्यक्ष के को सुशोभित किया था। इस अधिवेशन में सारे देश को गया था कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह के सिधे तैयार रहे। देश के हर एक पुरुष और स्त्री से अपील की गई थी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक मंडल (National Volunteer Corps) भर्ती हों और सत्याग्रह संग्राम को अपनी सारी शक्ति सरकार के अन्याय पूर्व कानूनों को तोड़ें और स्वेच्छा से इस अधिवेशन ने महात्मा गांधी को देश का डिप्टीर नियुक्त किया उनके हाथ में सत्याग्रह संग्राम चढ़ाने की सारी सत्ता सौंप दी।

इस अधिवेशन में सुप्रसिद्ध मुस्लिम डॉक्टर मौजाना ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत की राष्ट्रीय महासभा (Indian National Congress) का अन्तिम लक्ष्य 'पूर्व स्वतन्त्रता प्रजासत्तव (Republic)' रखा जाय। महात्माजी की उस समय के सम्मति: यह प्रस्ताव असामयिक जवाब और उन्होंने इसमें किया। उन्होंने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा:—

It has grieved me because it shows lack of responsibility." अर्थात् इस प्रस्ताव ने मुझे दुःखित किया है, कि इसमें जिम्मेदारी का अभाव है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उन इस विरोध के कारण उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। वास्तविक बात कि बम्बई में 'प्रिंस ऑफ वेल्स' के आगमन के समय में जो कुछ हुआ हो गया था उससे महात्माजी की कोमल आत्मा को बड़ा पहुँचा था। महात्माजी अहिंसा के पुरोहिता थे। उनका रोम रोम का के महान् तत्वों से परिपुष्ट था। विरोधी द्वारा मजदूर से मजदूर विवक्षा होने पर भी अहिंसातत्व पर अटका रहना, वह उनका अपने कर्तव्यकर्त्तव्यों को आदेश था। अपने अनुयायियों या कार्यकर्त्तव्यों द्वारा इस महान् तत्व की अवहेलना उनके लिये असह्य गलती था। इस लिये लोगों की बढ़ती हुई उमंगों के बावजूद भी उन्होंने अहमदाबाद कांग्रेस में बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाना मुनासिब नहीं समझा। इससे लोगों को कुछ निराशा भी हुई।

अहमदाबाद कांग्रेस के बाद १ मास तक गांधीजी परिस्थिति का अध्ययन करते रहे। इस बीच में कई प्रान्तों और जिलों के कार्य पास आये और उनसे करबन्दी का आन्दोलन जोर शोर से करने का अनुरोध किया। मद्रास प्रान्त के गंदुर नामक जिले में महात्माजी की अनुमति लिये ही करबन्दी का आन्दोलन शुरू कर। महात्माजी को वह अनुशासन हीनता अच्छी न लगी। उन्होंने वह आदेश भिजवाया कि सारे कर ठीक मित्ती पर दे दिये जायें। बाद उन्होंने करबन्दी आन्दोलन के लिये गुजरात का बारदोली एक जिला चुना। वह जिला सरदार बख्शम भाई प्रभृति महात्मा सैनिकों द्वारा अहिंसात्मक असहयोग के लिये खास तौर से चयन किया गया था।

बारडोली का सत्याग्रह



गांधीजी ने भारतवर्ष में जिन जिन स्थानीय सत्याग्रहों का किया था, उनमें बारडोली का सत्याग्रह सबसे महत्व पूर्ण कारण है कि कुछ लेखकों ने उक्त सत्याग्रह को ऐतिहासिक है। जिन मुद्दों पर यह सत्याग्रह चलाया गया था, वे किसानों जीवनभूत थे। भारत की तत्कालीन नौकरशाही ने इस कुचक्रने के लिये हर प्रकार के दमनशील उपायों को काम में लाया ही उसे मालूम हो गया कि किसी भी प्रकार के कठोर व्यवहार की आत्मा को नहीं कुचला जा सकता।

ईस्वी सन् १९२२ में, जब कि सारे भारतवर्ष में असहयोग आन्दोलन पूरे जोर शोर के साथ चल रहा था, बारडोली का संघर्ष उग्र रूप धारण करता जा रहा था। महात्माजी और उनके अग्रद्वार चरमम भाई पटेल की यह अभिलाषा थी कि अग्रणी प्रोग्राम बारडोली के संघर्ष में व्यावहारिक रूप में लाया जाय और इसकी दुर्घटना न हुई होती तो उस समय सत्याग्रह का चलावने का सौभाग्य बारडोली को प्राप्त हुआ होता। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण महात्माजी को यह संग्राम अनिश्चित स्थिति स्थिति करना पड़ा। पीछे जाकर ईस्वी सन् १९२८ में फिर से करबन्दी का आन्दोलन शुरू किया, जो सत्याग्रह के अन्त में समाप्त होना पड़ा।

असहयोग की अवधि अपने हर एक ताबुके में प्रत्येक तीस वर्ष

का जमा बन्दी करती थी। इस जमाबन्दी के संशोधन में अक्सर भूमि-कर बढ़ाया जाता था। बास्डोली और चौरासी के तालुकों में सरकार ने १० फी सदी कर बढ़ा दिया। इसका जबरदस्त विरोध हुआ और सरकार को १० फी सदी से घटाकर २२ फी सदी करदी। पर किसानों को भी सन्तोष न हुआ। उन्होंने इस भूमिकर वृद्धि की खुली जाँच के लिए सरकार से अनुरोध किया। पर सरकार ने किसानों के इस विरोध को नकी।

सोच विचार के बाद किसानों ने संगठित रूप से इसका विरोध का निश्चय किया। उन्होंने सभायें करके इस प्रकार के प्रस्ताव पास किये कि अगर सरकार अपने निर्णय पर अड़ी रहे तो उसे कर देना बन्द जाय।

बारडोली तालुका की जन-संख्या लगभग अठ्ठासी हजार थी। इस जनवृद्धि के अनुसार इसकी भूमि कर सम्बन्धी आमदनी कुछ बढ़ाई जाय। हजार होती थी। गांधीजी ने सारी परिस्थिति को अध्ययन करके किसानों को आशीर्वाद दिया और उनके न्यायोचित संघर्ष के लिये शुभ कामना प्रकट की।

किसानों की प्रार्थना पर सरदार बल्लभ भाई पटेल ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया। उन्होंने किसानों में नया जोश फूँका और उन्हें यह आशुता दिया कि वे बड़ा आत्मत्याग और कष्ट सहन करके समाज-संग्राम में अन्तिम विजय प्राप्त करें। श्रीयुत महादेव भाई ने अपने "Story of Bardoli" नामक ग्रन्थ में बारडोली के संघर्ष का बड़ा-बड़ा चित्रण किया है, जिसका सारांश यह है।

सरदार बल्लभ भाई पटेल ने बारडोली तालुके का बड़ा ही सांगो-सुन्दर संगठन किया था। कई वर्षों तक इस तालुके के विभिन्न स्थानों पर उनकी स्थापित की हुई सार्वजनिक संस्थायें रचनात्मक कार्य

कर रही थीं। इन्हीं संस्थाओं के अन्तर्गत सोलह शिविर "C" कायम किये गये थे। इन शिविरों की आधीनता में २५० स्वयंसेवक लोकजागृति और सेवा का कार्य कर रहे थे। इन स्वयंसेवकों के विभिन्न विशिष्ट कार्य रखे गये थे। सरदार बल्लभभाई के इस अद्भुत समाधान ने बारडोही तालुका की सत्याग्रह के लिये पूरी तरह से तैयार कर दिया था। इस तालुके के वातावरण में संघर्ष, आत्मत्याग, निर्भयता और अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा आदि के तत्व पूर्ण रूप से भर गये थे। प्रत्येक दिन न्यूजेटिन प्रकाशित होते थे जिनमें सत्याग्रहियों के विभिन्न विचारों और आदेश रहते थे। किसानों से यह प्रतिज्ञायें ली गईं थीं कि वे पूर्ण रूप से अहिंसक रहेंगे, तथा वे इस पवित्र संग्राम की पर अपना सब कुछ न्यायावरण कर देने के लिये सहर्ष प्रस्तुत करेंगे। बारडोही में सारे तालुके के प्रतिनिधियों की एक परिषद् की गई थी जिसमें एक मत से यह तैयार किया गया कि सरकार को परिवर्तित कर दिया जाय और जब तक सरकार अपने पूर्व भूमिकर होने के लिये तैयार न हो जाय या वह एक निष्पक्ष न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का निपटारा करवावे तब तक यह कर बन्दी का आन्दोलन जोर जोर से चलाया जाय। यह निष्पक्ष इस्वी सन् १९२८ की २२ फरवरी को हुआ था।

इन्होंने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे सब के साथ सरदार द्वारा बुझाई गईं समाश्रितों में बड़े उत्साह के साथ समिद्धित हैं। सारे बारडोही तालुके का वातावरण विद्युन्मय हो गया था। शान्ति और भवजीवन और नवोत्साह के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। इस्वी सन् १९२२ के सत्याग्रह के दिनों की पुनरावृत्ति ही रही थी।

सरकार ने साम, दाम, दण्ड, भेद आदि सब उपायों का अवसरपूर्वक रूप से सत्याग्रह संग्राम को कुचलने की चेष्टा की पर लोगों के दृढ़ विचारों के सामने ये कामयाब न हुईं। उसके द्वारा किये गये हाठीचारों की सत्याग्रहियों ने अपने आत्मबल द्वारा बेकार सिद्ध कर दिया। और

खुशी से जेल जाने लगे और उसमें एक प्रकार के अपूर्व आनन्द का अनुभव करने लगे। इस पर सरकार की परेशानी बहुत बढ़ गई। वह वह लोगों की एकता को तोड़ने का प्रयत्न करने लगी। लोगों की जायदादों—इस बड़े पैमाने पर ज़ब्त की जाने लगी। तालुके के लोगों ने इन्हें जेल भेजकर कर दिया। इस पर सरकार ने बाहर से आदमी बुलाकर इन पर बोली बगवाना शुरू की। उसने १४०० एकड़ भूमि ज़ब्त कर उसे जीर्णोद्धार कर दिया। इतना ही नहीं सरकार ने पठानों को बुलाकर लोगों की तरह तरह के अत्याचार करवाये, पर अन्तता पहाड़ की चट्टान—उन्हें अपने दृढ़ निश्चय पर अटक रही और वह ठस की मस न हुई। अन्तता ने सरकार के प्रतिनिधियों का और उन लोगों का जिन्होंने जायदादें खरीदी थीं, पूर्णरूप से बहिष्कार कर दिया। वहाँ यह बात ज्ञान में रखने योग्य है कि गांधीजी के आदर्शानुसार इस बहिष्कार को अपने विरोधियों की भी साथ-सामग्री आदि जीवन निर्वाह की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया था।

सारे भारतवर्ष ने बारडोली के वीरों के इस महान् सत्याग्रह संग्राम में प्रति सहानुभूति प्रकट की। इस पवित्र संग्राम में वीर महिलाओं ने जेल ही वीरता पूर्ण मांग लिया जैसा कि पुरुषों ने किया था। अन्तता की आस सभा के कई सदस्यों ने बारडोली में किये जाने वाले कार्य के विरोध में अपने स्तीफे दे दिये। पार्लियामेंट में भी बारडोली के प्रश्न को लेकर काफी चर्चा हुई। वहाँ यह ज्ञान में रखना चाहिये कि सत्याग्रही विद्यार्थ अहिंसक और चट्टान की तरह दृढ़ रहे। आखिर उनकी विजय हुई। दोपहर पाँच मास के निरन्तर संघर्ष के बाद सरकार ने अपने घुटने टेक दिये। गवर्नर को इस सारे प्रश्न की जाँच करने लिये एक कमेटी बैठायी गयी। जिन लोगों की जायदादें जस की गई थीं उन्हें अपने अलखी मासको वापस-छोटा दिया गया। कमेटी ने अपनी जाँच के बाद यह पाया कि किसानों का उज्र सही है और उसने २२ फी सदी कर वृद्धि को रद्द कर दिया।

फेब्रुवरी 6th की सदी रख दिया ।

सत्याग्रह के इस महान् संग्राम ने संसार के सामने सत्याग्रह का महान् शक्ति को रक्खा । रैज्यत का संवर्ष न्याय के तत्व पर और उसने अहिंसा के महान् सिद्धान्त को शुरु से आखिर तक बूझे रक्खा । इस महान् ऐतिहासिक संग्राम की सफलता पर जो बर्ताने देते हुए स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी नायडू ने गांधीजी को का "Your dream was to make Bardoli the example of Satyagraha and Bardoli has itself in its own fashion interpreting and performing your dream."

गांधी जी के आन्दोलन का अद्भुत प्रभाव



सरकार का आसन हिला

महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन में जिस अहिंसालयक और अपूर्व शक्ति की लहर फैलाई उससे राष्ट्र की आत्मा में जैसी अद्भुत सजीवता आगई थी जो अन्ततः हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं । इस देशव्यापी आन्दोलन ने तत्कालीन सरकार के आसन को जड़ से हिला । इसी सन् १९२२ की १ फरवरी को तत्कालीन काङ्ग्रेस ने कोर्टों के पास खर्चन को निम्नलिखित तार भेजा था ।

lower classes in the towns have been se-
affected by the non-co-operation movement.

In certain areas the peasantry have been affected particularly in parts of Assam Valley, United Provinces, the Akali agitation..... has penetrated to the rural Sikhs. A large proportion of

Mohammedan population through out the country are embittered and sullen... ..grave possibilities.... ..The Government of India are prepared for disorder of a more formidable nature than has in the past occurred and do not seek to minimise in any way the fact that great anxiety is caused by the situation". नगरों की निम्न श्रेणियों अस्पृश्यता आन्दोलन से गम्भीरता पूर्वक प्रभावित हुई हैं। आसम, युज्यान्त प्रदेश और उड़ीसा आदि प्रान्तों में कृषक दल पर भी इस आन्दोलन का प्रभाव पड़ा है। अकाली सिक्खों के आन्दोलन ने ग्रामीणों में प्रवेश कर वहाँ के सिक्खों को प्रभावित किया है। सारे देश में सुखसमान जनता का बहुत बड़ा भाग कटुता और उदासी से भर गया है। स्थिति की सम्भावनायें गम्भीर हैं... । भारत सरकार मृत कालीन घटनाओं से अधिक संगीन और अशांति का मुकाबला करने के लिये तैयार है। पर वह स्थिति की गम्भीरता को कम न करते हुये यह प्रकट करती है कि स्थिति से भारी चिन्ता हो रही है।

ईस्वी सन् १९२२ में गांधीजी के आन्दोलन ने तत्कालीन सरकार के आसन को किस प्रकार डोलायमान कर दिया था, इसका उल्लेख तत्कालीन कम्बई के गवर्नर ने अपनी एक मुलाकात में प्रकट किया था। उस मुलाकात उन्होंने 'दियूई पिबर्शन' नामक एक अखबार नवीस की थी और जिसका उल्लेख स्वर्गीय सी० एफ० एच० मजूमदार ने "New epublic" नामक पत्र में इस प्रकार किया था।

He gave us a scare ! His programme filled our jails. You can't go on arresting people for ever, know-not when there are 319, 000, 000 of them. And if they had taken his next step and

refused to pay taxes ! God knows where we have been !

Gandhi's was the most colossal experiment in world history; and it came within an inch of succeeding. But he could not control men's passions. They became violent and he called off the dogs. You know the rest. We jailed him.

अर्थात् उन्होंने (गांधीजी ने) हमें आतंकित कर दिया था । सरकार ने हमारी जेलों को भर दिया था । आप हमें शांति बनाए रखने का काम जारी नहीं रख सकते । जब कि हमारे पास १,००,००,००० है । अगर लोगों ने उनके (गांधीजी के) आग्रह को ध्यान में रखा होता और कर देना बन्द कर दिया होता — असंभव है, हम आज कहीं होते ।”

“गांधीजी का प्रयोग, संसार के इतिहास में, कदा भी नही सफलता के विस्तृत नज़दीक चला गया था । (गांधीजी) लोगों के मनोविकारों को संशोधित नहीं करने पर उतर आये और इसलिये गांधीजी ने जीत लिया । बाकी हाल तुम्हें मालूम ही है । हमने उन्हें जीता ।”

उपरोक्त अवसरों से पाठकों को गांधीजी के आन्दोलन के प्रभाव का ज्ञान हुआ होगा और उन्हें यह बात भी पता चली होगी कि सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है, उस समय क्रान्ति के विस्तृत निकट पहुँच गया था ।

॥ गांधीजी का स्पष्टीकरण

हमारे गत पृष्ठों में दिखाया है कि गांधीजी अहिंसा के आन्दोलन के माध्यम से भारत के द्वारा भारत के अपने स्वराज्य

इसका आदर्श था। इससे मनुष्य जाति के सामने वे एक नया इति-
 कोष रखना चाहते थे। भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्श "अहिंसा"
 के द्वारा इस महान् राष्ट्र के लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर, वे मनुष्य
 जाति को एक दिव्य संदेश देना चाहते थे। वे स्वराज्य के लिये भी
 हिंसा के मार्ग को अपनाना अपने आदर्श के अनुकूल नहीं समझते थे।
 वे यह बात कर्त्तई नहीं चाहते थे कि राष्ट्र अहिंसा के दिव्य तत्व से
 विचलित हो। चोरी चोरा कारुड के बाद सत्याग्रह आन्दोलन को स्थगित
 करने के लिये उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने निम्न लिखित
 शब्दों लिखी थीं:—

"Let the opponent glory in our humiliation
 and so-called defeat. It is better to be charged
 with cowardice than to be guilty of denial of our
 oath of non-violence, and sin against God.....

would suffer every torture, absolute ostracism
 and death itself to prevent the movement from
 becoming violent or a precursor of violence."

अर्थात् हमारे विरोधी को हमारे मानमर्दन और कथित पराजय पर गौरव
 प्राप्त करने दीजिये। अहिंसा के अणु को भंग करने और ईश्वर के
 विरुद्ध पाप करने के बजाय भीरुता का आरोप सिर पर लें लेना ज्यादा
 अच्छा है। आन्दोलन को हिंसात्मक तथा हिंसा का परिपोषक
 होने के बजाय, मैं हर एक प्रकार की बंत्रणा, पूर्ण समाज बहिष्कार और
 दुःख सहन करने को तैयार हूँ।"

चौरीचौरा का कांड



सारे भारतवर्ष में असहयोग आन्दोलन ने जो विराट् स्वरूप लिया था, उसका उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। गांधी ने शमीरों के महलों से लगाकर गरीबों के झोंपड़ों — पूर्ण आधिपत्य जमा किया था। देश में चारों ओर नवजीवन का प्रकाश फैल रहा था। ईस्वी सन् १९२२ की पहली फरवरी को प्रकाशीन वाक्सरॉय लॉर्ड रीडिंग को यह चुनौती (Ultimatum) मिली थी कि अगर सरकार ७ दिन के अन्दर २ अथवा हदय करेगी तो वे बारडोली में करबन्दी का आन्दोलन शुरू कर देंगे। बारडोली के साथ २ ब्रह्मच, युक्तान्त और आंध्र देश भी इस आन्दोलन जोरशोर के साथ शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। महात्माजी की इस चुनौती से सारे देश में एक प्रकार की उत्साह थी। लोग उस क्षण के लिये बड़े उत्साह के साथ बाटें कि कब यह महान् आन्दोलन शुरू किया जाय। इतने में अकस्मात् क्राधात हुआ, जिसने देश के उभरते हुए समय के लिये पूरी तरह से मार दिया।

ईस्वी सन् १९२२ की ४ फरवरी को युक्तान्त के उभरते हुए अंग्रेजों को भौतिकी की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगाई २२ पुलिसमैनों को जला दिया ! जब इस दुर्घटना का समाचार आया तो गांधी को पहुँचा तब उनके कोमल हृदय को जो धक्का लगा, उससे वे अत्यन्त दुःखी होकर अस्मर्य हैं। उन्होंने तुरन्त ही बारडोली में बैठक बुलाई और इस दुर्घटना

बलपूर्वक करते हुए उक्त समिति से जोरदार शब्दों में अनुरोध किया कि वह अनिश्चित समय के लिये सारे देश में सत्याग्रह संग्राम को बन्द कर दे और कांग्रेस जन रचनात्मक कार्य में जुट जावे। कहने की आवश्यकता ही कि राष्ट्र के हृदय पर इस आदेश का असर कज्राघात सा हुआ। राष्ट्र में स्वराज्य की प्राप्ति के लिये जो अद्भुत विकलता उत्पन्न हो भी वह ठण्डी पड़ गई। राष्ट्र में घोर निराशा का साम्राज्य फैल गया। राष्ट्र की आत्मा कुछ समय के लिये अपने आपको पंगु अनुभव करती। सारे राष्ट्र की गतिविधियों पर मानों तुषार पात हो गया। महात्माजी पर लोगों का अपूर्व पूज्य भाव होते हुये भी लोगों की इसी तरह कार्यवाही पसन्द न आई। बाबू सुभाष चन्द्र बोस अपने "Indian Struggle" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—There was a regular revolt in the Congress Camp. No one could understand why Mahatma should have used an isolated incident at Chauri-Chaura for strangling the movement all over the country. Popular enthusiasm was all the greater because the Mahatma had not cared to consult representatives from different provinces and because the situation in the country, as a whole, was exceedingly favourable for the success of the civil disobedience campaign. To sound the order of retreat just when public enthusiasm was reaching the boiling-point was nothing short of a national calamity. The principal lieutenants of the Mahatma, Deshabandhu Das, Pandit Moti Lal Nehru and Lala Lajpat Rai, who were all in prison, shared the popular sentiment. I was with the Deshabandhu

चौरीचौरा का कांड

the time and I could see that he was himself with anger and sorrow at the Mahatma Gandhi was repeatedly was just beginning to forget the December der when the Bardoli retreat came as a sta blow. Lala Lajpat Rai was experiencing t feelings and it is reported that in sheer addressed a seventy page letter to the from prison. "अर्थात् सत्याग्रह के स्थगितकरण के

केन्द्र में निश्चित रूप से विद्रोह का भाव था। कोई यह बात समझ कि चौरीचौरा की एकांतिक घटना के कारण महात्मा आन्दोलन का क्यों गहरा घोट दिया। लोक-विरोध इसलिये भी कि महात्माजी ने विभिन्न प्रान्त के प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में सुझाविरा करने की भी चिन्ता न की और ऐसे समय में विचार कि सविनय अवज्ञा मंग करने के लिये अत्यधिक विवक्ति थी। ऐसे समय में पीछे हटने की आज्ञा देना, जब कि जन-उत्साह ज्वलंत अवस्था पर पहुँचा था, राष्ट्रीय दुर्भाग्य के सिद्ध और अविनाश है। महात्माजी के प्रधान साथी देसबन्धु दास और बाबा रामचन्द्र आदि ने, जो उस समय जेल में थे, जन-विरोध के साथ सहायता प्रकट की थी। मैं उस समय देसबन्धु दास के साथ था और मैंने देखा कि वे महात्माजी के इस प्रकार के कार्यों के कारण दुःखी और क्रोधित थे। वे महात्माजी द्वारा की गई दिसम्बर मास की मूख को मूख भी कहने से कि कस्टोडी की इस मूख ने उन पर क्राधात सा असर कि बाबा बाजपतराम के भी इस सम्बन्ध में कही भाव थे और उन सबके साथ जेलखाने से महात्माजी को ७० पृष्ठों का एक लिखा था।"

६० जवाहरलाल नेहरू ने Mathatma Gandhi नामक अपने क्वीन ग्रन्थ में चौरीचौरा कांड की वजह से आन्दोलन के स्थगितकरण के कारण जो गुस्से की लहर देश में बह गई थी उसका उल्लेख करते हुए लिखा है—“The sudden suspension of our movement after the Chauri Chaura incident was resented, I think, by almost all the prominent Congress leaders other than Gandhiji of course. My father (who was in jail at the time) was much upset by it. The younger people were naturally even more agitated. Our mounting hopes tumbled to the ground, and this mental reaction was to be expected. What troubled us even more were the reasons given for this suspension and the consequences that seemed to flow from them. Chauri Chaura may have been and was a deplorable occurrence and wholly opposed to the spirit of the non-violent movement; but were a remote village and a mob of excited peasants in an out-of-the-way place going to put an end, for some time at least, to our national struggle for freedom? If this was the inevitable consequence of a sporadic act of violence, then surely there was something lacking in the philosophy and technique of a non-violent struggle. For it seemed to us to be impossible to guarantee against the occurrence of some such untoward incident.”

अर्थात् चौरीचौरा दुर्घटना के बाद जिस प्रकार अकस्मात् हमारे आन्दोलन स्थगित किया गया, उसके प्रतिमें समझता हूं जो चौरीचौरा दुर्घटना

चौरीचौरा का कांड

कर और प्रायः सब प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने क्रोध का भाव प्रकट किया। मेरे पिता (जो उस समय जेल में थे) इससे बहुत क्रोधित हुए। दुकानों का तो और भी क्रोधित होना स्वाभाविक था। हमारी बदमाशियाँ मटियामेट हो गईं। हमें जो सबसे अधिक कष्ट हुआ वह कारखानों से हुआ जो इसके स्थगित करने के पक्ष में दिये गये थे। चौरीचौरा अवश्य ही एक शोकजनक घटना थी और सत्याग्रह की भावना निश्चिन्त विरुद्ध थी। परन्तु एक दूरवर्ती गाँव में एक उत्तेजित किसानों की भीड़ का, कोई कार्य हमारे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम का इस प्रकार अन्त कर सकता है, चाहे फिर वह थोड़े ही समय के लिये क्यों यदि इस प्रकार के यत्र तत्र हिंसात्मक कार्यों के परिणाम प्रकार की कर्षणवाही अनिवार्य हो तो निश्चयरूप से यह हिंसात्मक असहयोग के तत्वज्ञान और कक्षा में कहीं

पं० जवाहरलालजी नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र बोस ने उक्त में उस जन-घोम का प्रदर्शन किया है जो चौरीचौरा कांड के कारण हुआ। जैसे इन दोनों देश के कर्षणवाहियों ने महात्मा गांधी के प्रभाव को उनकी महान् तपस्वरूपों को खण्डित करते हुए उन्हें नाम से सम्बोधित किया है।

गांधीजी की गिरफ्तारी

जैसा कि ऊपर कहा गया है चौरीचौरा कांड के बाद गांधीजी को अकस्मात रूप से सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया। इससे उनके मन में और निराशा हुआ गई। जोर और उत्साह की जो शक्ति प्रज्वलित हो रही थी वह बुझ सी गई, या बौं कहिये कि बहुत मंद सी पड़ गई। ऐसे अवस्था में उनके देश के उत्कृष्ट नेताओं को

गांधीजी पर हाथ साफ करने का अच्छा अवसर देखा। लॉर्ड रीडिंग को चतुर राजनीतिज्ञ थे। वे इंग्लैंड के चीफ जस्टिस रह चुके थे। राजनीति के दावपंच खेलने में वे बड़े कुशल समझे जाते थे। अहमदाबाद कांग्रेस से ही गांधीजी पर उनकी बुरी दृष्टि थी। पर उससमय गांधीजी अद्वैत रूप से बढ़ रहा था। देश के कोने कोने में गांधीजी की प्रशंसा हो रही थी। ऐसे समय में गांधीजी को गिरफ्तार करना कोई भी खेद न था। सारे देश में भयङ्कर आग लग जाती। लॉर्ड रीडिंग अपने पूर्ववर्ती वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफ़ोर्ड से अधिक चतुर, दूरदर्शी और जन-जनोक्लान के जानकार थे। उनके सामने पञ्जाब का उदाहरण मौजूद था। उन्होंने उसे दोहराना न चाहा। उन्हें उस वक्त अनुभव अवसर मिला जब कि राष्ट्र का जोश ठंडा पड़ गया था। इसके अतिरिक्त भारत सेक्रेटरी मि० मॉन्टेग्यू के स्तीफ़ा देने के कारण ऊपर से दबाव रहते में स्कावट टालने वास्ता भी कोई न था। बस, फिर क्या था ? १९२२ की १० मार्च को महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिये गये।

महात्मा गांधी पर मुकदमा चला। यह मुकदमा ऐतिहासिक था। इस समय महात्माजी ने जो बकव्य दिया वह इतिहास की एक अमूल्य वस्तु होकर रहेगी। देशबन्धु चित्तरंजनदास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो भाषण दिया उसमें महात्माजी के इस अभिव्यक्ति की तुलना महात्माजी के अभिव्यक्ति के साथ की है। यहां यह कहना भी आवश्यक है कि अंग्रेज जज मि० ब्रूस्फ़ोर्ड ने भी महात्माजी के साथ अत्यन्त आदरपूर्ण व्यवहार किया, जिसकी प्रशंसा पं० जवाहरलालजी नेहरो ने भी कर दी है—The Judge, an English man, behaved with dignity and feeling. अर्थात् अंग्रेज जज का व्यवहार प्रतिष्ठा सूचक और भावुकतामय था। यह ऐतिहासिक मुकदमा १८ मार्च को अहमदाबाद में प्रारम्भ हुआ। सरोजिनी देवी ने उस नाम की एक छोटी पुस्तक की भूमिका में लिखा है,—“जिस समय गांधीजी को गिरफ्तार

कान्त और अजेय देह ने अपने मक, शिष्य और सहबन्दी
बेकर के साथ अदालत में प्रवेश किया तो कानून की निगाह में
कैदी और अपराधी के सम्मान के लिये सब एक साथ उठ खड़े हुए ।

इसके बाद ज्योंही अभियोग पढ़कर सुनाने गये, त्योंही गांधी
अपराध स्वीकार करने को खड़े हुए और बोले "अभियोगों में सज़ा
सज़ा नहीं है, जो ठीक है । बेकर साहब ने भी अपराध स्वीकार
है । जैसे तो तुरन्त ही सज़ा सुनकर मुकदमा खत्म हो सकता था, मैं
एडवोकेट जनरल ने पूरी सुनवाई पर जोर दिया । किन्तु जब संभवतः
हुए । वे केवल दण्ड का निश्चय करना चाहते थे ।

अपना लिखित बयान दिया । लेकिन उसके पढ़ने से
गांधी के, उन्होंने कुछ बातें और भी कही । उन्होंने कहा
"संविधान के साथ सम्बन्ध होने के बहुत पहले से मैं राज-
करता आ रहा हूँ ।" मद्रास, कर्नाट और श्रीरंगपट्टण में जो कुछ
उपस्थित सारी जिम्मेदारी गांधीजी ने अपने ऊपर ली और कहा- "मैं जानता
हूँ कि मैं अग्नि के साथ खड़ा हूँ और यदि मुझे छोड़ दिया जाय
तो मैं जो कुछ किया है फिर नहीं करूँगा । यदि मैं ऐसा न
करना प्रारंभ करता न करूँगा । वह तो मेरे लिये धर्म का ही
मुझे दोनों में से एक बात चुननी थी । या तो मुझे एक ऐसे
अपराधी की मानना पड़ता जिसने मेरे विश्वास के अनुसार मेरे देश को
बुरा होने वाली चिन्ता पहुँचाई है, या फिर मुझे उस समय अपने
साथियों के क्रोधोन्माद के झरने का सामना करना पड़ता, जब न
तो सच्ची बात जान आते । मैं जानता हूँ कि कमी र मैंने
संभवतः से काम किया है । इस पर मुझे बड़ा दुःख है और यह
मैं ज्ञान हूँ, जो कोई मायूसी ली सज़ा सुनने के लिये नहीं बल्कि
कमी सज़ा पाने के लिये । मैं दया की प्रार्थना नहीं करता, न
दण्ड का सामना ही पेश करने को तैयार हूँ । मैं जो एक लिये

जिसे जो कानून की निगाह में जानबूझ कर किया गया अपराध है, पर जो मेरे दृष्टिकोण से एक नागरिक का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है, बड़ी से बड़ी सज़ा चाहता हूँ और उसके आगे सिर मुकाने की तैयार हूँ। विचारक महोदय, आपके आगे केवल दो मार्ग हैं। या तो आप अपने पद को छोड़ दें, या यदि आप समझते हैं कि जिस शासन-व्यवस्था और जिस कानून के अन्वय में आप सहायता दे रहे हैं वह देश के लिये मंगलदायी है, तो मुझे बड़े से बड़ा दण्ड दें। मुझे यह आशा नहीं है कि आप अपना पद परिवर्तन कर सकेंगे। पर मेरा बयान समाप्त होते २ आपको कुछ आश्वासन अन्वय हो जायगा कि मेरे हृदय में ऐसी कौन सी ज्वाला चमक रही है जिसने मुझे इस भारी खतरनाक काम को करने के लिये तैयार कर दिया।”

इसके बाद गांधीजी ने अपना लिखित बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने विस्तृत रूप से उन कारकों को दोहराया जिनकी वज़ह से वे राज्याभिषेक से राज्याभिषेकी ही हुए थे।

जज महोदय ने अपना क़ैसबा सुनाते हुए कहा:—“मि० गांधी, आपने अभियोग की धाराओं को स्वीकार करते हुए मेरा कार्य अपेक्षाकृत सरल कर दिया है। पर फिर भी एक सबसे बड़ी कठिनाई है और वह है आपके अपेक्षाकृत दंड दूँड कर आपको देना। भारत में किसी अन्य जज को इतनी बड़ी कठिनाई का सामना न करना पड़ा होगा।..... वह भुलाया जा नहीं सकता कि अपने देश के करोड़ों निवासियों के हृदय में आपका श्रेष्ठ और प्रशस्त स्थान है। वे आपको सच्चे देशभक्त और महान् मेधा से दृष्टि से देखते हैं। वे भी जो आपसे राजनीति में मतभेद रखते हैं आपके आदर्शों और ऋषि-जीवन का जोहा मानते हैं।..... पर यहाँ कानून के निर्धारित नियमों के अनुकूल देखना मेरा कर्त्तव्य है।..... कदाचित् भारत में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें इस खेद न हो कि कोई भी सरकार आप ऐसी महान् आत्मा को

स्वतंत्र विचरण करने देना असंभव बना दे। पर है ऐसा ही।
जिसके पात्र हैं, और जो जनता के हित में है, इन दोनों में मैं सामंजस्य
स्थापित करने की चेष्टा कर रहा हूँ।”

“मैं सोचता हूँ कि आप अपने को तिब्बक की श्रेणी में रखा
अनुचित तो न समझेंगे।.....पर यदि किसी परिस्थिति ने
को इससे पहले ही आपको मुक्त कर देना समंभव किया, तो मुझसे भी
और कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न होगा।”

इस प्रकार गांधीजी को संबोधन कर उन्हें ६ वर्ष की सजा
आज्ञा सुनाई।

इस पर गांधीजी ने सहर्ष होकर कहा कि मेरे खिये वह परम सौ
की बात है कि सरकार मुझे ऐसा दण्ड देकर तिब्बक का स्थान दे
है। पर वह भी दण्ड मुझे बहुत हल्का मालूम होता है। मैं
वही दण्ड की आज्ञा करता था।”

गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद स्वराज्य पार्टी की स्थापना

महात्माजी की गिरफ्तारी के बाद मार्च महिने में आगे का
ते करने के खिये कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई।
एक कमेटी नियुक्त हुई। जिसका नाम 'सविनय अवज्ञा जांच कमेटी'
("Civil Disobedience Enquiry Committee")

गया। इसका उद्देश्य यह रक्खा गया कि वह सारे देश में दौरा कर
पता लगावे कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने के खिये देश
अनुकूल वातावरण है वा नहीं। इस कमेटी ने देश के बहुत जगह
दौरा किया और अपनी रिपोर्ट पेश की। इस कमेटी के सदस्यों में
महमूद रहन। इक़ीम अज़मल खां, पं० मोतीबाख़ नेहरू, सरदार विठ्ठल
बाई पटेल और देवबन्धु दास की बीजवा के अनुसार कौटिल्य प्रयोग

पक्ष में थे। इसके विपरीत श्री राजगोपाळाचार्य, डा० अनसारी और श्री के० आर० अय्यंगर कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध थे। इस कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के गया अधिवेशन के कुछ ही पहले प्रकाशित की गई थी।

इसी साल के अगस्त और दिसम्बर मास में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं। एक तो अखिल भारतवर्षीय मज़दूर महासभा (All India Trade Union Congress) का अधिवेशन देशबन्धु दास के समामित्व में हुआ। इस अधिवेशन में अण्णच की हेसिमल से भाषण देते हुए देशबन्धु दास ने यह प्रभावशाली घोषणा की कि हम लोग जिस स्वराज्य के लिये लड़ रहे हैं, वह किसी एक दल विशेष के लिये न होगा, पर वह भारत की सकल जनता के लिये होगा। दूसरी घटना कलकत्ते में युवक परिषद् (Young men's conference) थी, जिसने कलकत्ते युवक आन्दोलन का श्रीगणेश किया। इस कॉन्फ्रेंस में युवकों ने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि कांग्रेस से भिन्न उनका अपना एक स्वतंत्र युवक संगठन होना चाहिये।

नवम्बर के अन्त में कलकत्ते में अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई, जिसमें देशबन्धु दास और महात्मा गांधी के अनुयायियों की शक्ति की परीक्षा का नाप तोला हुआ। इसी साल के दिसम्बर मास में भी उच्चैर्जित वातावरण में गया में अखिल भारतवर्षीय महासभा (Indian National Congress) का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में महात्माजी के दल की बहुत बड़े बहुमत से विजय हुई। इसी महात्माजी के प्रधान अनुयायी श्री राजगोपाळाचार्य का प्रभाव बहुत बढ़ और वह गांधीवाद के प्रधान नेता माने जाने लगे।

अपि देशबन्धु चित्तचक्रवर्त्य उक्त कांग्रेस के समामिति थे, पर बीजनास की कांग्रेस ने बहुमत से अस्वीकृत कर दिया। इस पर देशबन्धु अपना भावी कार्यक्रम निश्चित करने के लिये अपने समर्थकों की बुलावाई और उसमें यह मिशन हुआ कि देशबन्धु कांग्रेस की

सदृशता से स्वीकारा देकर स्वराज्य पार्टी के नाम से — संगठन करें। इसके दूसरे दिन जब भावी कार्यक्रम को के सिधे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (All India C Committee) की बैठक हुई, तब पं० मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी के बनने की घोषणा की। देशबन्धु दास ने अपने से स्वीकारा दे दिया क्योंकि वे कांग्रेस के प्रस्ताव के योजना के अनुसार काम करना चाहते थे।

गया कांग्रेस के बाद स्वराज्य पार्टी की गतिविधि

गया कांग्रेस से स्वराज्य पार्टी के नेतागण अपने २ प्रान्तों की विविध कार्यक्रम लेकर लौटे। देशबन्धु चित्तरंजनदास पर प्रान्त और दक्षिण भारत में प्रचार और संगठन करने के काम का दायित्व रक्खा गया। पं० मोतीलाल नेहरू ने उत्तरीय भारत की सरदार विठ्ठलभाई पटेल ने बम्बई प्रान्त का काम अपने हाथ लिया। प्रचार कार्यों के सिधे समाचार पत्रों की बड़ी आवश्यकता है। उस समय देश के प्रायः सब समाचार पत्र गांधीवादियों के हाथ में इसलिये स्वराज्य पार्टी के नेताओं को भी कुछ नये पत्र प्रकाशित की तथा कुछ को अपनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। कलकत्ते 'कथा' नामक एक नया दैनिक पत्र, उक्त प्रान्त के युक्त नेता श्री० चन्द्र बोस के सम्पादन में प्रकाशित किया गया। मद्रास में स्वामी अयंगर का सम्पादन भाषा का दैनिक पत्र 'स्वदेश मित्रम्' स्वराज्य पार्टी का प्रमुख पत्र बना और इन्हीं महात्म ने अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसका उद्देश्य स्वराज्य पार्टी के उद्देश्यों प्रचार करना था। पूना का सबसे अधिक प्रभावशाली पत्र "केल" मद्रास में स्वराज्य पार्टी की नीति के प्रचार का सबसे जबरदस्त साधन था। बोलशान्क तिलक के स्वराज्य के बाद भी नृसिंह चिन्मय

केवल इस पत्र के सम्पादक थे, और वे स्वराज्य पार्टी के खास स्तम्भों में से एक थे ।

जब सारे देश में नेताओं के दौरों द्वारा तथा समाचार पत्रों द्वारा पार्टी के पक्ष में काफी प्रचार हो चुका तब ईस्वी सन् १९२३ के में पं० मोतीबाबू नेहरू के इलाहाबाद वाले आनन्द भवन में आगवादीयों की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें स्वराज्य पार्टी का विधान-कार्यक्रम निश्चित किया गया । जब कॉन्फ्रेंस की इस में पार्टी के विधान का प्रश्न उपस्थित हुआ तब वहाँ पार्टी के लक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ मतभेद उपस्थित हुआ । कुछ लोग औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में थे और युवकदल पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्ष में था । कांग्रेस की नीति, अन्तिम उद्देश्य के सम्बन्ध में, अस्पष्ट थी । उसने केवल यह प्रकट किया था कि स्वराज्य हमारा अन्तिम लक्ष्य है, पर स्वराज्य की स्पष्ट व्याख्या उसने न की थी । इस सम्बन्ध में स्वराज्य पार्टी के नेताओं ने अधिक व्यावहारिकता से काम किया । दोनों दलों में इस बात पर समझौता हो गया कि पार्टी का तत्कालिक ध्येय औपनिवेशिक स्वराज्य और अन्तिम ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता हो ।

एक अर्से तक स्वराज्यवादी दल और गांधीवादी अपरिवर्तन-वादीयों में विरोध चलता रहा । स्वराजिष्ठों ने पहले से अपनी स्थिति अधिक मज़बूत कर ली । महात्माजी की दूरदृष्टि ने देशहित के सिंहास से यह उचित समझा कि दोनों दलों के मेल ही में देश की अछाई रही हुई है । ईस्वी सन् १९२३ में उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को यह संकेत किया कि वे दोनों दलों के बीच समझौता करवा दें । फिर क्या था ? ईस्वी सन् १९२३ के सितम्बर मास के दिल्ली में होने वाले कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में दोनों दलों का समझौता हो गया, और यह तय हुआ कि कांग्रेस जनों को जाने वाले चुनावों में भाग लेने की इजाज़त दे दी जाय, और धारा सभाओं में सब मिल कर सम्भाग

गणतन्त्र के बाद स्वराज्य पार्टी की गतिविधि

का विरोध करें। हां, कांग्रेस एक संस्था के रूप में इसकी व जे।

दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन से स्वराज्य दल के लोग प्रसन्न होते। १ मास के कठिन परिश्रम के बाद उन्हें सफलता मिली। एक नये चुनाव होने में केवल दो मास बाकी रह गये थे। चुनावों के जीतने में विकट मिहन्त का सामना करना पड़ा। वीरों का साथ देता है; वह कहावत स्वराज्यवादियों पर प्रयुक्त परित्याग हुई। इन्हें बड़े विरोधी घाताक्रम में काम करना पड़ा। अखीर उन्हें अच्छी सफलता मिली। मध्यप्रांत, बंगाल में उनका अधिक बहुमत हो गया। केन्द्रीय धारा सभामें भी वे बची

जिस प्रकार स्वराज्यवादियों को प्रान्तीय कौंसिलों और धारा सभा में आशयहीत सफलता मिली, वैसे ही स्थानीय संस्थाएँ (यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्टबोर्ड आदि में) भी उन्हें बड़ी सफलता मिली। इन पर एक तरह से स्वराज्यवादियों का प्रभुत्व हो गया। इसी वर्ष १९२४ के जनवरी मास में महात्मा गांधी को आन्त्राशय (Appendicitis) का रोग मयङ्कर रूप से हो गया। कर्नल मेडॉक पूना के सासून अस्पताल में ले आये और वही कुशलता के ऑपरेशन किया। कर्नल मेडॉक ने इस समय जैसी उच्च कुशलता का परिचय दिया, उसकी प्रशंसा खुद महात्मा इस ऑपरेशन के बाद सरकार ने गांधीजी को बिना शर्त छोड़ने के कुछ दिन वे लुह (बम्बई) में रहे। वहाँ पं० मोतीलाल कपूर दास से धारा-सभा प्रकेश के सम्बन्ध में उनकी बहुतेरी बातचीत तो नहीं मिटा, लेकिन महात्माजी ने उन्हें वह आश्वासन दिया कि कांग्रेस ने धारा-सभा में जाने की मंजूरी दे दी है तो अब किस तरह आपत्ति नहीं करनी चाहिये, बल्कि भरसक सहायता करनी चाहिये। कर्नल मेडॉक ने यह मंजूर किया कि इस सब महात्माजी

कार्यक्रम में सहायक होने। बल्कि उन्होंने यहां तक लिखित अभिवचन दिया कि जब हमें यह प्रतीत होगा कि धारा-सभाओं से कुछ काम नहीं चलता तो हम उन्हें छोड़कर चले आवेंगे और महात्माजी के नेतृत्व में देश के नियमानुसार सविनय-अवज्ञा अथवा सत्याग्रह आन्दोलन में प्रयत्न करेंगे। १९२४ में बेळगांव के अधिवेशन में कांग्रेस ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। इससे महात्माजी की गैरहाजिरी में कांग्रेस में जो अशांति फैल गये थे, उनका फिर गठबन्धन हो गया। बेळगांव में महात्माजी का कांग्रेस के सभापति थे। उसके बाद थोड़े ही दिनों में उन्होंने बम्बई आकर देशबन्धु की सहायता से सत्याग्रह के दूसरे मोर्चे की तैयारी की थी। मगर दुर्भाग्य से १९२५ में देशबन्धुदास का देहावसान हो गया। इससे सारे देश में और विशेष कर बम्बई में जो दूसरे सत्याग्रह की तैयारी की जा रही थी, उसमें दिबाई आ गई।

देशबन्धु दास की शोकदायक और आकस्मिक मृत्यु से स्वराज्य पार्टी को जो अवरदस्त धक्का लगा, उसका अनुमान करना भी कठिन है। देशबन्धु की मृत्यु के बाद पं० मोतीलालजी नेहरू उक्त पार्टी के एक अग्रणी से सर्वाधिकारी नेता हुए। स्वराज्य-पार्टी की नीति मास्टेगू-सुभाषी के सम्बन्ध में यह थी कि जब तक सरकार कांग्रेस से इसके विषय में समझौता न करे तब तक मंत्रि-मंडल न बनाया जाय। १९२६ की प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास अंबंगर ने अपने भाषण में कहा कि मंत्री पद अस्वीकार करने की नीति सार्वजनिक या विद्या-शत नहीं है। देशबन्धु दास ने फरीदपुर में जो शर्तें रखी थीं, वे जब तक मंजूर नहीं जाय तब तक इस नीति में परिवर्तन करना न सम्भव है और न ही। धारा सभा में अज्ञान-नीति, बाहर रचनात्मक संगठन और अन्दर में सत्याग्रह ऐसा तिहराबल इस मांग के पीछे था। प्रत्येक मांग के पीछे एक शक्ति होनी चाहिये। उसकी परिबन्धि प्रत्येक प्रतिकार तक पहुँचाने। इसके बिना कांग्रेस का अनुशासन मानना और सत्कार

भारत कांग्रेस के बाद स्वराज्य पार्टी की गतिविधि

के समय महात्मा गांधी का नेतृत्व मँजूर करना आवश्यक था।
लेकिन स्वराज्य पार्टी ने कभी नहीं किया। यही कारण है कि महात्मा
और स्वराज्य पार्टी का सहयोग दिन २ छूट होता गया और
१९२६ में जब यह साबित हो गया कि मित्रिण प्रकार का सहयोग
विरोध के फल-स्वरूप स्वराज्य की मांग पूरी करने की तैयार नहीं
थी। अतः कांग्रेस में पं० मोतीलाल नेहरू ने महात्माजी को
आपसम को पूरा किया और भारत सभा के बहिष्कार का तथा
गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह करने का प्रस्ताव कांग्रेस में पेश हुआ।

इसी सन् १९२२ से लेकर १९२८ तक स्वराज्य पार्टी का
कार्य चलने २ ढंग से स्वराज्य की लड़ाई चलते रहे, पर प्रत्यक्ष
लड़ाई की शक्ति तब तक न आई जब तक कि सार्वजनिक
भारत में प्रचलित न किया। सार्वजनिक कमीशन के सम्बन्ध में
जगदीश प्रसाद में प्रकाश डालने की चेष्टा की जायगी।



राष्ट्रीय जीवन में सुस्ती

हिन्दू मुस्लिम दंगे

चौरीचौरा कांड के बाद सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित करने का वास्तविकी में जो निर्णय हुआ, उसका देश के बढ़ते हुए जीवन पर उस समय जिस घातक प्रभाव पड़ा था, उसका उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। कांग्रेस के सारे आन्दोलन में एक प्रकार की निर्जीवता सी छा गई थी। इसी सन् १९२४ में गांधीजी ने कहा था कि कांग्रेस अपने एक करोड़ मेम्बर बनाना चाहती थी लेकिन उसके दो लाख से ज्यादा मेम्बर नहीं हैं। इस राजनीतिक संस्कार के विरोध के सिवाय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उस साल गांधीजी न मेम्बरी के खिंचे सूत कातने की शर्त रखे। इसके अनुसार कांग्रेस कमेटीयों के चुने हुये सदस्यों को हर साल २००० गज सूत कातकर देना चाहिये था। १९२५ तक इस शर्त के अनुसार केवल १० हजार मेम्बर ही बन पाये। इसके बाद इस शर्त को कमिटीयों ने रद्द कर केवल हफ्ता पर छोड़ दिया गया। "बॉम्बे क्रॉनिकल" ने लिखा कि "चारों तरफ गतिरोध और जड़ता फैल गई है।" उसी साल खासा खाजपतराय ने भी उद्योग और परेशानी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था:— "देश की राजनीतिक हालत देखकर आश्चर्य और दुःख नहीं बढ़ता। लोगों पर परतहिम्मती आई हुई है। मादूम होकर हर चीज टूटकर बिखर रही है। राजनीतिक पार्टियों, लोगों के काम, इन सब में जैसे धुनसा जन गया है।" इस सुस्ती के कारणों में सामाजिक एक पखने लगी। "मुस्लिम लीग" फिर कांग्रेस

से अलग हो गई। उसके विरोध में "हिन्दू महा समा" हिन्दू-हितों को समर्थन करने लगी।

मनोविज्ञान का सिद्धान्त है कि जनता के बढ़ते हुए जोश पर रोक लगादी जाती है तो वह अपने असली मार्ग को छोड़ कर विकृत मार्ग में प्रवाहित होने लगता है। वही स्थिति उस समय हुई। उसके अथर्वज्ञ जोश हिन्दू-मुस्लिम दंगों में प्रकट होने लगा। ईस्वी सन् १९०६ के आई और जुलाई मासों में कलकत्ते में हिन्दू-मुस्लिम दंगों ने भीषण रूप धारण कर लिया। इन दंगों का आरंभ उस समय हुआ जब एक आर्य्यसमाजी जुलूस बाजा बजाते हुए एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था। आर्य्य समाजियों का दावा था कि वे कई वर्षों से यह निवास रहे हैं। इसके विपरीत मुसलमानों ने यह प्रकट किया जायों से हमारी नमाज़ में हरकत आती है। कई दिन तक वे चकते रहे और दोनों तरफ़ के कई आदमी मारे गये। अख़ीर ने एक कर समझौता कर लिया। कलकत्ते की तरह और भी कई शहर दंगे हुए, जिनमें कोहाट और मुजतान के दंगे विशेष हैं। कहने का मतलब यह है कि इन दंगों ने राष्ट्रीय कातावरण को गँदा कर दिया था।

उग्रवादी शक्तियों का उदय

इस समय के निराशासक कातावरण में आका की एक नई शक्ति जाई दी। सारे भारतवर्ष के नवयुवकों में प्रागृति की एक उत्पत्ति फैली। विभिन्न प्रान्तों में युवक आन्दोलन बने और शोर के साथ चले गये। पंजाब में युवकों ने "नवजीवन भारत समा" नाम का एक संस्था प्रचलन की और उसके मन्डे के नीचे उन्होंने अपना राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया। कई-बद कहना आवश्यक है कि अथर्वज्ञ-जोश

भीत युक्त इस सभा के सदस्य थे। मध्यप्रान्त के नागपुर नगर में नव-
 युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी पर सस्य सत्याग्रह का आन्दोलन शुरू किया।
 उन्होंने उद्देश्य उस सस्य कानून का भंग करना था जिसके अनुसार
 सस्य के बिये सस्यों के रखने की मनाई थी। इस आन्दोलन के
 अग्यारी थे, जो एक कांग्रेस के लोक प्रिय कार्यकर्ता थे और
 जनरल की उपाधि दी गई थी। सस्य प्रान्तों में भी युवाओं
 के संगठन जोर शोर से होने लगे। युक्त आन्दोलन के साथ
 आन्दोलन ने भी जोर पकड़ा। मजदूर आन्दोलन के साथ
 का प्रचार होने लगा। हिन्दुस्थान की राजनीति में नया
 नी बात थी और नौजवानों तथा गर्म दल के राष्ट्रवादियों पर इसका
 पड़ा। सन् १९२८ में हड़तालों की लहर आई और मजदूर-
 लों का काम जोरों से चल पड़ा। इसके पहले "मजदूरों-किसानों की
 वन युक्ति थी और सन् १९२६-२७ में वह राजनीति के मंच पर
 । सन् १९२८ की हड़तालों में ३, १६, ४७,००० दिनों का
 । पिछले पाँच वर्षों की सारी हड़तालों मिलाकर भी इतने
 नहीं हुए थे। बम्बई के सूती मजदूरों की लड़ाई "गिरामी
 युक्ति" कायम हुई। साधर में ६२,००० मजदूर उसकी
 ही गए। इस संख्या को सरकार ने भी माना था। देशभर
 में मजदूर-संघों के मेम्बर पहले से ७० फी सदी ज्यादा बढ़ गये।
 सस्य कमीशन के रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सबसे ज्यादा राजनीतिक
 मजदूर वर्ग ने किया। मजदूर-संघों में लड़ाई वर्ग-वेतना
 बढ़ गयी। सन् १९२६ की ट्रेड युक्ति कांग्रेस में नरम दल की
 हुई।

युक्त बना मजदूर आन्दोलन का प्रभाव कांग्रेस और राजनीति
 पर भी पड़ने लगा। ईस्वी सन् १९२७ के सन्त में ५० मजदूर
 के नेतृत्व अपने कोरेप के वेद वर्ग के समे प्रवास से वापस लौटे। लौटे

उन्होंने समाजवादियों और समाजवादी विचार-धाराओं से सम्पर्क किया था। ईस्वी सन् १९२७ के अन्त में मद्रास कांग्रेस के चुनावों में उग्र प्रवृत्तियों का बहुत कुछ झोंक देखा गया। इस अविवेक में कांग्रेस का ज्येष्ठ 'पूर्व-संस्थापक' घोषित किया गया। समग्र साइमन कमीशन के बहिष्कार का भी प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही तै किया गया कि एक सर्वदली सम्मेलन का हिन्दुस्थान के बिये विधान बनाये। कांग्रेस ने "साम्राज्य विरोधी लीग" में शामिल होना स्वीकार किया। बाबू नेहरू, श्री सुभाषचन्द्र बोस, जो नौजवानों के ज्ञान नेता - कांग्रेसी गर्मदल के अगुया थे, कांग्रेस के मंत्री बने।

आन्दोलन की उग्रता

ईस्वी सन् १९२६ के मध्य में अंधकार के बाद फिर कलकत्ता दिखलाई दी। श्री निवास अयंगर के प्रयत्नों से कलकत्ते में परिषद् (Unity Conference) हुई जिसमें इस बात का किया गया कि हिन्दू-मुस्लिम एकता फिर से स्थापित करने के सम्बन्धी उपायों को काम में लाया जाय। बंगाल में जहाँ कलकत्ते के रूप से छाये हुए थे, नये युग का प्रकाश फैला। अगस्त मास में बंगाल के चारा समा में मिनिस्ट्रों के अधिवेशन का प्रस्ताव लाया गया और इससे मिनिस्टर लीग सर्वकार से बाहर फेंक दिये गये। इसी समय कलकत्ते से ७० मील की दूरी में बंगाल बामपुर रेलवे के मजदूरों की बड़ी मारी इकट्ठा बामपुर की कर्मशॉप सबसे बड़ी थी। वहाँ मजदूरों का संगठन हुआ कि कम्पनी को उसके सामने मुठ्ठे टेकने पड़े और उपायों को संज्ञर करना पड़ा।

अगस्त मास में कलकत्ते में जो एकता परिषद् (Unity C

ference.) हुई उसने हिन्दू मुसलमानों के सम्बन्ध फिर से मैत्रीपूर्ण करने की कोशिश की और उसमें वह एक हद तक सफल भी हुई। इसके कुछ महीने बाद जब बंगाल कांग्रेस कमेटी की वार्षिक सभा हुई उसमें बत्साह के चिन्ह साफ़ साफ़ दिखलाई देने लगे।



साइमन-कमीशन का बहिष्कार



ईस्वी सन् १९२७ के नवम्बर मास में तत्कालीन काबसरॉय हर्विन ने भारतीय विधान कमीशन (Indian Statutory Commission) की नियुक्ति की घोषणा की। यह नियुक्ति गवर्नर ऑफ इण्डिया एक्ट १९१९ (Government of India 1919) के अनुसार की गई थी, जिसका आशय यह है कि हर — में भारत की राजनैतिक अवस्था की ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जाय। इस कमीशन ने सर जॉन साइमन (अध्यक्ष), विलियम डेविस, लॉर्ड स्ट्रेचकोन, एडवर्ड केडोगेन, मि० स्टीफन वाक्स, मेजर कर्नल लेनफॉक्स थे। कर्नल वाल्सा ने पीछे जाकर स्तीफ्रा दे दिया उनके स्थान पर मिस्टर वरनॉन हाटशॉर्न नियुक्त किये गये। कमीशन ७ सदस्य में दो मज़दूर दल के, एक उदार दल का और शेष दल के थे। कहने का मतलब यह है कि इसमें पार्लियामेंट के प्रतिनिधित्व था। इस कमीशन का कार्यक्रम यह रक्सा गया वह तत्कालीन भारतीय शासन की पद्धति का, भारत में शिफारशी प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की जाँच करे और इस बात का ज्ञानवे कि भारत उत्तरदायी शासन प्रणाली के कहां तक बीज्य है वहां की प्रचलित शासन प्रणाली में कौन-से सुधार अभीष्ट हैं।

इस कमीशन में एक भी भारतवासी न रक्सा गया। भारत शासन-प्रणाली निश्चित करने के लिये जो कमीशन सुकर्रि हो, वहां एक भी भारतीय प्रतिनिधि न हो, यह प्रजातंत्र के तत्व के खत थी। इससे भारतवासी बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने इसे बहिष्कार

प्रभाव प्राप्त। सब प्रांतीयों के और सब दलों के नेताओं ने
 विरोध किया। यह स्वाभाविक ही था कि कांग्रेस इस कमीशन
 (कमीशन) का विरोध करे। पर नरम दल के नेताओं
 बहिष्कार का समर्थन किया। सर तेज बहादुर सप्रू की
 में उदारदल वालों की दिसम्बर मास में इलाहाबाद में जो सभा
 यह कहा गया कि इस कमीशन में किसी भारतवासी का न
 भाग लेना ही जनता का और अपमान है और इसमें
 से उन्हें कुछ सामने की भावना काम कर रही है। इससे
 यह है कि इसमें भारतवासियों का उनके अपने निजी
 चयन बनाने के काम में सहयोग देने का अधिकार तक सीमा
 है। इसी साक्ष बगवई में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता
 से उदार संघ (Liberal Federation) का अधिवेशन
 उसमें श्री साहमन कमीशन के बहिष्कार का निश्चय हुआ।
 इसके दिसम्बर मास में कलकत्ते में मुस्लिम लीग का अधिवेशन
 एकता परिषद् की तरह हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रस्ताव

अतिरिक्त इस परिषद् में साहमन कमीशन के बहिष्कार
 और यह भी तब हुआ कि मुसलमानों के अपने लीग्स
 संयुक्त निर्वाचन पद्धति का तब स्वीकार कर लिया
 की आवश्यकता नहीं कि इसमें राष्ट्रीय मुसलमानों की
 हुई। इसका कारण यह था कि मि. मित्रा और जहाँ
 प्रयोग वाली मुस्लिम नेताओं ने इस परिषद् में भाग
 संयुक्त निर्वाचन पद्धति का समर्थन किया था। इसी मास में
 भारतवर्षीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन
 उसमें पहले तक कम्यूनिटी ने यह प्रस्ताव पास किया कि
 एक स्वतंत्र समाजवादी गणतंत्र (Independent Socialist

Republic) बनना चाहिये और इम्बेड के ब्रिटिश ट्रेड यूनिवर्सिटी बनना सम्भव तोड़ देना चाहिये। दिसम्बर मास के अंत में अणुधारा की अध्यक्षता में मद्रास में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्णरूप से बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ साथ इसमें यह भी निश्चय कि कांग्रेस की कार्यकारिणी एक सर्वदल सम्मेलन का आयोजन करे और उसमें यह भारतवर्ष के लिये एक ऐसे विधान का ढांचा तैयार करे जो सब दलों को स्वीकृत हो। इसी में एक प्रस्ताव यह भी पास हुआ जिसमें भारतवर्ष का अन्तिम ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता रक्षित गया।

साइमन कमीशन के उक्त-विरोधात्मक प्रस्ताव ने सरकार की ओरों। कमीशन के भारत आने के कुछ ही अर्से बाद जाने इसी १९२८ के फरवरी मास के बाद सर जॉन साइमन ने वाइसराय को सूझाया कि भारतवासियों के विरोध को कम करने के लिए एक आशुचक है कि कमीशन एक संयुक्त-स्वतंत्र परिषद् के विचार विमर्ष करे। इसमें कमीशन के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे हुए भारतीय प्रतिनिधि भी रहें। सर शंकरन नाथर के पत्र का उत्तर देते हुए सर जॉन साइमन ने यह भी लिखा कि भारतीय धारा द्वारा नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट भी कमीशन की रिपोर्ट के साथ ही जायगी। इतने पर भी सर्वदल के नेताओं ने यह बात स्वीकार नहीं की और उन्होंने दिल्ली से जो घोषणा-पत्र प्रकाशित किया, उसमें उन्होंने यह प्रकट किया कि साइमन कमीशन के प्रति उक्त लोगों का त्यौं रहेगा। भारतीय धारा समा में स्वयंसेवक छात्रा संघों ने साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव उपस्थित किया और यह पास हो गया। प्रान्तीय धारा समाजों में मध्य प्रान्त की धारा समा ने भी उक्त प्रस्ताव को कमेटी नियुक्त करने का विरोध किया।

कांग्रेस और उक्त दल के विरोध के बावजूद भी मध्यप्रान्त की

सभा को छोड़ कर अन्य प्रान्तों की धारा सभाओं ने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिये कमेटियां नियुक्त कीं ।

ईस्वी सन् १९२८ के फ़रवरी मास में साइमन कमीशन ने भारत भूमि पर पदार्पण किया । कांग्रेस कार्य समिति के आदेशानुसार सारे भारतवर्ष ने हड़तालों और बहिष्कार-प्रदर्शनों द्वारा उसका स्वागत किया । सारे देश में रोष और विरोध की लहर बहने लगी । जहां २ यह कमीशन गया वहां २ काले झंडों के साथ और विरोधी प्रदर्शनों के साथ इसका बहिष्कार किया गया । "साइमन पीड़े जावो" की बुखन्द आवाज हजारों लाखों मनुष्यों के मुँह से निकलने लगी । सरकार ने इन प्रदर्शनों का विरोध करने के लिये मुसलमानों और दक्षिण वर्गों के दख विशेष की प्रतिकिरोधी प्रदर्शन करने के लिये संगठित किया, पर इसमें उसे सफलता न मिली । बचपि कमीशन बहिष्कार का यह आन्दोलन अहिंसात्मक रहा गया था, तब भी सरकार ने उन स्थानों में, जहां कमीशन गया था, फ़ौज और पुलिस का कड़ा प्रबन्ध रक्खा था । कहीं कहीं सरकार ने बहुत कठोर हुमन नीति से काम लिया था । लाहोर में जब यह कमीशन आया, तब जनता के एक विशाल जुलूस ने, स्वर्गीय बाबा राजपतराय के नेतृत्व में, काले झण्डों से इसका स्वागत किया । पुलिस ने छाठियों और बेटमन् से इस जुलूस पर आक्रमण किया । बाबा राजपतराय इसमें बुरी तरह से घायल हुए और कहा जाता है कि इसी के परिणाम स्वरूप उनकी अस्वस्थता कुछ दुःखद सत्य हुई ! इससे सारे देश में शोक का सन्नाहण हो गया ! कमीशन के प्रति लोगों के घृणा भाव ने अत्यन्त मर्मभेदपूर्ण धारण कर लिया । वहां यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इससे नेतागण केवल कमीशन का बहिष्कार कर चुप न होगये, उन्होंने एक सर्वसम्मत विधान तैय्यार कर ब्रिटिश सरकार के चेल्सेज का जवाब देने का निश्चय किया । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ईस्वी सन् १९२९ के फ़रवरी और मार्च मासों में दिल्ली में सर्व दख सम्मेलन की बैठकें

महाराष्ट्र प्रान्तीय कॉन्फरेन्स का अधिवेशन

हूँ। इसमें सबसे जटिल समस्या हिन्दू, मुस्लिम, सिक्खों के प्रतिनिधि की थी। इसके बाद इसी साल के मई मास में फिर से बम्बई में सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, पर दुःख की बात है कि वह इस संबंध में कुछ प्रगति न कर सका। इस समय महात्माजी ने बड़ी बुद्धिमानी से इरविंता से काम लिया। उन्होंने सम्मेलन की असफलता को प्रकट करने के बजाय पं० मोतीबाबू नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी चुनवायी और उसका यह उद्देश्य रक्खा कि वह भारतीय विधान के सिद्धान्त को निर्धारित कर एक रिपोर्ट तैयार करे। इस कमेटी ने इच्छापूर्वक में पं० मोतीबाबू नेहरू के आनन्द भवन में अपनी कई बैठकों की। अगस्त मास में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नेहरू कमेटी रिपोर्ट के नाम से मशहूर है। इस पर पं० मोतीबाबू नेहरू, सर जमनालाल बहादुर सप्रू, श्री एम० एस अग्ने, सरदार मदनमोहन मालवीय, श्री सुभाषचन्द्र बोस के हस्ताक्षर थे। राष्ट्रीय स्तरों में रिपोर्ट का अच्छा स्वागत हुआ। महात्मा गांधी ने पं० मोतीबाबू के पास हार्दिक अभिनन्दन का संदेश भेजा। अगस्त में होने वाले बड़ के सर्वदल सम्मेलन में यह रिपोर्ट रखी गई और वह सर्व पास हो गई। वहां यह कहना आवश्यक है कि नेहरू कमेटी ने अत्यन्त विचारपूर्वक भारतीय विधान की धारा समाप्ति में हिन्दू मुस्लिम और प्रतिनिधित्व के प्रश्न को हल करने में बड़ी सफलता प्राप्त की। पीछे जाकर इसके सम्बन्ध में कुछ मतभेद हुए, जिनका उल्लेख किया जायगा।

महाराष्ट्र प्रान्तीय कॉन्फरेन्स का अधिवेशन

इसी सन् १९२८ के मई मास में पूना में महाराष्ट्र प्रान्तीय कॉन्फरेन्स का अधिवेशन हुआ। इसके सभापति के आसन को सुकल सुभाषचन्द्र बोस ने सुतोषित किया था। आने वाले मास

मजदूर संगठन और युवक संगठन की स्थापना पर बहुत जोर दिया। इसके अतिरिक्त आपने महिलाओं के स्वतंत्र संगठन की आवश्यकता पर भी काफी प्रकाश डाला। इसी समय बम्बई के युवकों ने बम्बई प्रांतीय युवक संघ (Youth league) की स्थापना की और वे अपने देश को स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होने के उपायों को सोचने लगे।

इसी वर्ष अर्थात् ईस्वी सन् १९२८ में बारडोली का सत्याग्रह संग्राम सरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में जोर शोर से चला और उसमें बड़ी शानदार सफलता मिली। इसी महान् विजय के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने श्री बल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की गौरवशाली उपाधि से विभूषित किया।

स्वतंत्रता-संघ की स्थापना

ईस्वी सन् १९२८ के अगस्त मास में नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये जो सर्वदल सम्मेलन हुआ था उस समय एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई। उक्त रिपोर्ट में साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में जो निर्णय दिया गया था, उसका नवयुवक दल ने हार्दिक स्वागत किया, पर उसमें औपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव था उसकी ओर उनकी स्वाभाविक अरुचि थी। नवयुवक समाज के नेता पं० जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र बोस यह न चाहते थे कि सम्मेलन में इस प्रश्न को उठाया जाय और उसकी प्रगति में बाधा डाली जाय; क्योंकि इससे कांग्रेस के दुरमनों को खुश होने का मौका मिलेगा। इससे उन्होंने यह उचित समझा कि नेहरू कमेटी की प्रगति में बाधा देने के बजाय Independence league कायम की जाय, जो देश को पूर्ण स्वतंत्रता करने के मार्ग में अग्रसर करे। इस सुझाव का सर्वदल वादियों ने हार्दिक स्वागत किया और देश में जगह जगह इस

संघ की शाखायें खुलने लगी और नवम्बर मास में दिल्ली में जो इस अधिवेशन हुआ उसमें इसके उद्देश्य साफ तौर से घोषित कर दिये गये

विद्यार्थी आन्दोलन

इसी समय विद्यार्थियों में भी जागृति की ज्योति फिर से चमकने लगी। साइमन कमीशन के बहिष्कार में विद्यार्थियों ने बड़े जोरशोर के साथ भाग लिया। इसके लिये कईयों पर कॉलेज और स्कूल के अधिकारियों ने अनुशासन की कार्यवाही की। बङ्गाल में विद्यार्थियों के आन्दोलन ने और भी अधिक जोर पकड़ा। इस समय विद्यार्थियों के यह महसूस होने लगा कि उनके हितों की रक्षा के लिये विद्यार्थी-संगठन की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के इस संगठन को पं० जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र बोस से बड़ा प्रोत्साहन मिला। कलकत्ता बङ्गाल के विद्यार्थियों की एक प्रथम कान्फ्रेंस हुई जिसके अध्यक्ष पद पर पं० जवाहरलाल नेहरू ने सुशोभित किया था। इसके बाद सारे देश में विद्यार्थी संगठन होने लगा और उसका परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थी गण्य एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर देश के स्वातंत्र्य संग्राम में उत्तम पूर्वक भाग लेने लगे।

मज़दूरों के असंतोष की वृद्धि; हड़तालें की बाढ़

विद्यार्थी-जगत् के असंतोष के साथ साथ मज़दूरों के असंतोष में भी उग्ररूप धारण कर लिया। लद्दापुर की महान् हड़ताल का ज़िक्र अन्त पृष्ठों में कर चुके हैं। सन् १९२८ ई० में जब जमशेदपुर के टाटारन और स्टील वर्क्स (Tata Iron and Steel works) में जबरदस्त हड़ताल हुई, जिसमें १८००० मज़दूरों ने हिस्सा लिया, यह हड़ताल कई मास तक चली। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गईं कि यहाँ इसका टूट जाने का डर होने लगा। आखिर मज़दूरों ने बानू सुभाषचन्द्र बोस से इसका नेतृत्व करने का आग्रह किया। इस पर बानू सुभाषचन्द्र

कानून ने इस हड़ताल के संचालन का भार अपने हाथ में लिया। अन्त में मित्र मज़दूरों और मालिकों में सम्मान पूर्ण समझौता हो गया, जिस में मित्र मज़दूर बड़े लाभ में रहे।

बम्बेपुर की हड़ताल से भी विशाल हड़ताल बम्बई में कपड़ों की मिलों में हुई, जिसमें ६०,००० मज़दूरों ने भाग लिया। यह हड़ताल अपनी प्रारम्भिक अवस्था में बड़ी सफल रही और इससे तत्कालीन मज़दूर तथा सरकार को बड़ी परेशानी हुई। इसके बाद कलकत्ते के पास निलुआ (Nilua) नामक स्थान में ईस्ट इण्डिया रेलवे के कारखाने में हड़ताल हुई, जिसमें १०,००० मज़दूरों ने भाग लिया। बम्बेपुर में टिन प्लेट कं० (Tin Plate Co.) के कारखाने में भी एक हड़ताल हुई जिसमें ४००० मज़दूरों ने हिस्सा लिया। बज्रकण के तेल और पेट्रोल के कारखाने के मज़दूरों में असंतोष बढ़ा और उन्होंने हड़ताल कर दी। इस हड़ताल में ६,००० मज़दूरों ने योग दिया। इसी वर्ष के लगभग कलकत्ते की जूट की मिलों में भी एक बड़ी जबरदस्त हड़ताल हुई जिसमें २००,००० मज़दूर शामिल थे।

बम्बई की जिस हड़ताल का जिक्र हमने ऊपर किया है, उसका अन्ततम साम्यवादी दल के वे युवक कर रहे थे, जिन पर पीछे जाकर भारत में एक बड़े षड्यन्त्र का अभियोग चला था और जो मेरठ षड्यन्त्र अभियोग (Meerut Conspiracy Case Trial) के नाम से मशहूर है। इस वक्त से साम्यवादी दल का जोर बहुत अधिक बढ़ने लगा। सन् १९२८ ईस्वी के आखिर में अरिवा में ट्रेड युनियन कांग्रेस (Trade Union Congress) का अधिवेशन हुआ, तब यह स्पष्ट हुआ कि मज़दूरों में उग्र पन्थियों (Leftists) और इनमें भी विशेषतः कम्युनिस्ट (Communists) का जोर बहुत बढ़ रहा है।

सन् १९२८ ईस्वी के दिसम्बर मास में समा समितियों की सम्मेलन का भाई। इस मास में अखिल भारतवर्षीय युवक कांग्रेस (All

संजुनों के अस्तित्व की वृद्धि

Indian Youth Congress), सर्वदल सम्मेलन (All-part Convention) और भारतीय राष्ट्रीय महासभा (I National Congress) आदि के अधिवेशन हुए। इनमें सम्मेलन के अध्यक्ष का आसन श्री के० एफ० नरिमान (K. Nariman) ने सुरभोजित किया था। श्री० नरिमान बम्बई के वकील थे और उन्होंने उक्त प्रान्त की बड़ी सेवाएँ की थीं।
बारा सभा के प्रथम स्वराजिस्ट सदस्य थे, जहाँ आपने सरकार से आलोचना मोर्चा लिया था। बम्बई में उस समय आप बड़े लोकप्रिय थे निहर और निःस्वार्थ देशभक्तों में आपकी गिनती की जाती थी।

इसी समय, कलकत्ते में राष्ट्रीय महासभा (Indian National Congress) का पं० मोतीबाबूजी नेहरू के समापनत्व में हुआ। वह अधिवेशन बड़े उत्साह और समारोह के साथ हुआ। जाता है कि पिछले सब अधिवेशनों से इस अधिवेशन में अत्यधिक प्रतिनिधि और दर्शक थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पं० मोतीबाबू नेहरू का इस समय जैसा भव्य स्वागत हुआ, वह अपूर्व था। इसमें पुराने कांग्रेस सदस्यों और उग्रवादियों में भारत के राजनैतिक लक्ष्य को लेकर बड़ा मतभेद उपस्थित हुआ। पुराने कांग्रेसियों ने नेहरू रिपोर्ट के स्वीकार करने पर जोर दिया और उग्रपन्थी इससे आगे बढ़ कर पूर्ण स्वाधीनता तत्कालिक प्राप्ति पर आग्रह करने लगे। इसके विपरीत महात्मा गांधी ने भी नेहरू रिपोर्ट की स्वीकृति पर जोर दिया। उनका प्रस्ताव "मौजूदा राजनैतिक स्थिति को देखते हुए नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कर लेना अभीष्ट है, बशर्ते कि ब्रिटिश सरकार १९२१ ई० की ३१ दिसम्बर के पहले पहले उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करदे। अगर उक्त तारीख तक वह ऐसा न करे तो कांग्रेस अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन को सक्रिय कर देश को करवन्दी आन्दोलन के दिने तैयार करे।" बाबू सुभाषचन्द्र बोस ने इस प्रस्ताव

पर एक संशोधन रखा कि कांग्रेस स्वतंत्रता से कम किसी भी प्रस्ताव पर सन्तुष्ट न होगी और स्वतंत्रता में ब्रिटिश के साथ सम्बन्ध विच्छेद भी आ जाता है। इस संशोधन का पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य उग्रपन्थियों (Leftists) ने समर्थन किया। पर यह संशोधन बहुमत से गिर गया। संशोधन के पक्ष में १०३ मत और विरोध में, १३५० मत मिले। बाबू सुभाषचन्द्र ने इस सम्बन्ध में यह शिकायत रही कि बहूपि कांग्रेस का बहु-संस्था संशोधन अर्थात् पूर्ण स्वतंत्रता के उप-प्रस्ताव के पक्ष में जो महात्मा जी के अनुयायियों ने इस प्रश्न को 'विश्वास' का प्रश्न बना दिया और यह प्रगट किया कि अगर महात्मा जी का प्रस्ताव गिर गया तो वे कांग्रेस से अक्सर प्रदह्य कर लेंगे। इससे लोग महात्माजी के प्रस्ताव पर अधिक मत देने पर मजबूर हुए। ❀

कलकत्ते की कांग्रेस जिस उत्साह और जोश के साथ आरम्भ हुई थी, पीछे जाकर उसमें शिथिलता आ गई। नवयुवकों को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास न होने के कारण बड़ी निराशा हुई। आरम्भ में आनन्द महोदय का जो शानदान स्वागत हुआ, वह कांग्रेस के इतिहास में अपूर्व था। पर जब कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हुआ तब कांग्रेस जनों के मुखों पर निराशा की छाया दिखलाई देने लगी।

कांग्रेस परदाल पर मजदूरों का अधिकार

कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक नई घटना हुई। जब कांग्रेस की कार्यवाही हो रही थी, उस समय करीब १०,००० मजदूरों के एक दल ने कांग्रेस परदाल में बलात् प्रवेश कर दिया और वे जोरों से पूर्ण स्वतंत्रता का नारा लगाने लगे। उन्होंने यह भी प्रगट किया कि कांग्रेस, मजदूरों के हितों के प्रश्न को भी, अपने हाथ में ले।

उग्रवादीदल और क्रान्तिकारी



जैसा कि गत पृष्ठों में दिखलाया गया है, उस समय में उग्रवादियों (Leftists) का जोर बढ़ता जा रहा था । के बड़े कार्यक्रम से उन्हें सन्तोष न था । उग्रवाद (Leftism) साथ क्रान्तिकारी भावनाएँ (Revolutionary Ideas) बढ़ती गईं । इस समय क्रान्तिकारियों द्वारा दो ऐसी घटनाएँ की जिन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही को धरों दिया । लाहौर में वहाँ के इन्स्पेक्टर मि० शॉन्डर्स (Mr. Shaunders) क्रान्तिकारियों को पकड़ कर दिये गये । कहा जाता है कि सन् १९२८ ई० में कांग्रेस के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था और जिसमें देश के नेता जवाहर लाल नेहरू वगैरह बुरी तरह घायल हुए थे, उसके विषय में शॉन्डर्स ही जिम्मेदार थे । दूसरी घटना, दिल्ली के असेम्बली की थी । इसमें असेम्बली के चालू अधिवेशन में जब डॉ० और इस सिलसिले में सरदार भगतसिंह और श्री० जयप्रकाश नारायण को पकड़ कर दिये गये थे । इस घटना ने सारे देश में सहसा और चारों ओर गिरफ्तारियोंकी भूमि बच गई । यह बरतक सन् १९२८ ई० के मध्य की है । यह क्रान्तिकारी पद्धत लाहौर पद्धत के समान है । इस पद्धत के प्रति देश के विद्वान् व्यक्तियों की अकेल दिकलपती ही थी, बल्कि सहायुगति भी थी । भगतसिंह पंजाब के सुबक आन्दोलन के प्रभावशाली नेता के जीवन भरत समा के वे मानें प्राप्त थे । गिरफ्तारी के बाद और लोग के समान उनकी जैसी सहायक गृहिणी रही, उससे राष्ट्र के सुबकों के हृदयों पर उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी थी ।

भगतसिंह उन वीर सरदार भजीतसिंह के भतीजे थे जो सन् १९०६ ई० में छाया छाजपतराय के साथ देश से निर्वासित किये गये थे ।

जाहौर षड्यन्त्र का अभिभोग खूब ज़ोर शोर के साथ चला । इस समय सरदार भगतसिंह और अन्य अभियुक्तों ने न्यायालय से यह मांग की कि राजनैतिक अभियुक्त होने के कारण जेल में वे अच्छा व्यवहार पाने के अधिकारी हैं, पर उनकी एक न सुनी गई । तब उन लोगों ने भूख हड़ताल करने का निश्चय किया । इन अभियुक्तों में कलकत्ते के जतीन्द्रनाथ दास नामक युवक भी थे । भूख हड़ताल के पहले इन्होंने अपने साथियों के सामने यह प्रकट किया कि खूब खींच समझ कर यह कदम उठाना चाहिये । एक बार कदम उठा लेने पर, जहाँ तक अपनी मांग पूरी न हो, पीछे पैर न हटाने का दृढ़ निश्चय कर लेना आवश्यक है । इस भूख हड़ताल पर सारे देश का ध्यान बड़ा गर्म हो गया । नवयुवक तो बहुत ही अधीर हो उठे । इस पर सरकार कुछ मुकी और वह अधूरा समझौता करने को तैयार हो गई । उसने उक्त अभियुक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आश्वासन दिया । पर ये अभियुक्त इस जिद्द पर अड़ गये कि हम केवल अपने लिये अच्छे व्यवहार की मांग नहीं करते, पर यह व्यवहार देश के सब राजनैतिक अभियुक्तों के साथ होना चाहिये । इस मांग पर गवर्नमेन्ट नहीं झुकी । सारे देश में इससे घोर आन्दोलन मच गया । युवक दक्ष उत्तेजित और अधीर होकर बदला लेने की सोचने लगे । असवारों में कड़े लेख निकले । सभाओं और प्रदर्शनों की धूम मच गई, जिनमें राजनैतिक कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सरकार से जोरदार मांग की गई । कलकत्ते में इस समय जो विशाल प्रदर्शन हुआ उनमें वहाँ के कई प्रमुख कांग्रेस नेता पकड़े गये । इनमें श्री सुभाषचन्द्र बोस का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इन सब पर राज्य-विद्रोह के मुकदमें चलाये गये ।

दिन पर दिन बीतते जागे। भूल हड़तालियों की दशा होने लगी। सारे राष्ट्र का हृदय पिघल गया, पर ब्रिटिश ने अपना दिल पत्थर का कर लिया। इधर सब भूल हड़ताल अपने प्रखर पर हड़ न रह सके। नौकरशाही के उक्त-अधूरे आग्राहकों पर कड़ियों ने भूल हड़ताल तोड़ दी। पर वीर जतीन्द्र अपने पर हड़ रहा। उसने आयरलेन्ड के वीर टेरेंस मेकेस्वीनी (T. Mc. Swiney.) की तरह अपने देश के सम्मान व स्वाधीनता लिये भूल हड़ताल में प्राण दे देना अपना कर्तव्य समझा। वह १९२६ ई० की १३ सितम्बर को वीरोचित मृत्यु से मरा और स्वाधीनता के इतिहास में उसने अपना नाम अमर कर दिया। देश ने इस वीर के महान् बलिदान के सामने अपना मस्तक बावु सुभाषचन्द्र बोस अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'Indian में लिखते हैं:—

“... But he died the death of a martyr. His death the whole Country gave him an ovation which few men in the recent history of India have received. As his dead body was removed from Lahore to Calcutta for cremation, people lined in their thousands and tens of thousands every station to pay their homage. His martyrdom acted as a profound inspiration to the youth of India and everywhere youth and organisations, began to grow up. Among the many messages that were received on the occasion, was one which touched the heart of every Indian. It was a message from the family of T. C.

ence Mc Swiney, the Lord Mayor of Cork, who had died a martyr under similar conditions in Ireland. The message ran thus: Family of Terence Mc Swiney have heard with grief and pride of the death of Jatin Das. Freedom will come.

अर्थात् वह (जतीन्द्रदास) शहीद की मौत मरा । उसकी मृत्यु के बाद सारे देश ने उसका जैसा जयजयकार किया, वैसा भारत के आधुनिक इतिहास में बहुत ही कम लोगों के लिये किया होगा । जब उसका एक अन्तिम संस्कार के लिये लाहौर से कलकत्ते ले जाया जा रहा था, तब उसको श्रद्धाञ्जलि अर्पण करने के लिये हर एक स्टेशन पर हजारों लोगों का झुण्ड इकट्ठे हुए थे । उसके बलिदान ने भारत के नवयुवकों में दिव्य प्रेरणा संचारित की और उसके फल स्वरूप हर जगह "युवक संगठनों" की बाढ़ आने लगी । इस अवसर पर जो बहुसंख्यक सन्देश मिले, उनमें एक सन्देश ऐसा था, जिसने हर एक भारतवासी के हृदय को पिघला दिया । वह सन्देश आयरलैण्ड के प्रसिद्ध वीर स्वर्गीय टेरेंस मेक्वीनि के कुटुम्ब की ओर से था । स्वर्गीय टेरेंस मेक्वीनि ने आयरलैंड में, जतीन्द्र की तरह मूल हड़ताल कर अपने प्राण त्याग किये थे । उनका संदेश यह था:—'टेरेंस मेक्वीनि के कुटुम्ब ने जतीन्द्र की मृत्यु के समाचार की विषाद और अभिमान के साथ सुना है । स्वतंत्रता आयेगी ।'

जतीन्द्र अपनी मृत्यु के समय २५ वर्ष का था । जब वह विद्यार्थी का रूप ही सन् १९२१ ई० के असहयोग आन्दोलन में उसने भाग लिया था, और इस सम्बन्ध में उसे कई वर्ष जेलखाने में काटने पड़े थे । कारागार से मुक्त होने पर वह फिर से कलकत्ते के कॉलेज में भर्ती हो गया और अपना अध्ययन चालू कर दिया । सन् १९२८ ई० में कलकत्ते के कांग्रेस अधिवेशन के समय उसने स्वयंसेवकों की विधा और संघर्ष की प्रशुभ भाग लिया था और अन्ततः स्वयंसेवक कोर (Bengal)

Volunteer Core) में वह मेजर (Major) के पर
 हुआ था। इस स्वयंसेवक दल की पीछे कई शाखाएँ खुलीं और
 जाता है कि इसकी उद्यति का प्रायः जतिन था। स्मरान में
 स्वयंसेवकों ने जतिन के शव पर सैनिक सम्मान प्रदर्शित किया

जतिन के महान आत्म-बलिदान का समाचार दिल्ली में
 पहुँचा जब कि घारा सभा (Assembly) का अधिवेशन
 सरकारी अधिकारियों के हृदय पर भी इस बलिदान का
 प्रभाव, मगर वह चुपक था। कूट नीति ने हृदय के भावों पर
 कर लिया। भारत सरकार ने राजनैतिक कैदियों के साथ
 धरम को विचारार्थ अपने हाथ में लिया। जब जन
 उद्वेगना कुछ शान्त हो गई तब सरकार ने इस सम्बन्ध
 प्रस्ताव उपस्थित किये। इस समय यह मालूम हुआ कि वे
 विभारी से भी बुरे हैं। शुरू में तो सरकार ने राजनैतिक कैदियों
 विभाग करने से इन्कार कर दिया। इससे लाहोर के मूख
 की मांग पर पानी फिर गया। सरकार ने श्रेणी-विभाग के
 प्रस्ताव किया कि भविष्य में कैदी लोग A, B & C ऐसे तीन
 में रहे जायेंगे। 'C' श्रेणी के कैदियों के साथ साधारण
 सामान व्यवहार किया जायगा। 'B' श्रेणी के कैदियों को 'C'
 कैदियों की अपेक्षा भोजन, पत्र-व्यवहार और मुलाकातों के
 कुछ अधिक सुविधाएँ रहेंगी। 'A' श्रेणी के कैदियों के साथ 'B'
 के कैदियों की अपेक्षा अधिक उत्तम व्यवहार किया जावेगा। वह
 विभाग कैदियों के सामाजिक पद (Social Status) के
 किया जावेगा।

जब इन नियमों को कार्यान्वित किया गया तब मालूम हुआ
 २२% राजनैतिक कैदी 'C' क्लास अर्थात् तृतीय श्रेणी में रहे जायेंगे
 और ३-४ की संख्या तक 'B' क्लास में और १ की संख्या 'A' क्लास

रखे जाते हैं। राजनैतिक क्षेत्रों में इससे यह समझा गया कि यह राजनैतिक कैदियों की एकता तोड़ने का एक कुशल षड्यन्त्र है, क्योंकि इससे अन्धकार बहुत ही थोड़े कैदियों के साथ किया जाता है। हाँ, इन नये से एक बात अवश्य हुई, वह यह कि यूरोपियन कैदी और भारतीय कैदियों के बीच का भेदभाव मिटा दिया गया। पर व्यवहार में कहीं कहीं फिर भी यह दिखावाई देता था।

युवकों और स्त्रियों में जागृति

जैसा कि गत पृष्ठों में कहा जा चुका है राजनैतिक आन्दोलन के साथ साथ, राष्ट्र के जीवन-भूत और भावी स्तम्भ युवकों और महिलाओं में भी जागृति की दिव्य ज्योति चमकने लगी। सन् १९२६ ई० में यह जागृति और भी अधिक तेजस्विता के साथ प्रज्वलित हुई। कलकत्ते में जो युवक सम्मेलन (Youth Conference) का अधिवेशन हुआ था उसकी सफलता ने और जतिन के बलिदान ने युवक आन्दोलन में नवजीवन और नवोत्साह का संचार किया। सन् १९२६ ई० में सारे वर्ष भर भारत के विभिन्न प्रान्तों में जोर शोर के साथ युवक संगठन होने लगे। पूना में पं० जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में महाराष्ट्र युवक सम्मेलन (Maharashtra Youth Conference) का अधिवेशन हुआ। अहमदाबाद में बम्बई प्रान्त के युवक सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। इसी वर्ष के सितम्बर मास में पंजाब विद्यार्थी सम्मेलन (Punjab Students Conference) का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति के पद को श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने सुशोभित किया था। इसके बाद मध्यप्रान्त के नागपुर नगर में वहाँ के युवकों का सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री० सुभाषचन्द्र बोस चुने गये। इसी प्रकार दिसम्बर मास में अमरावती शहर विद्यार्थी सम्मेलन का अधिवेशन हुआ जिसके सभापति के

युवकों और दिवों में जागृति

आसन को भी श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने सुशोभित किया था । प्रान्त में भी इस प्रकार के कई युवक सम्मेलन हुए । इसी वर्ष में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर लाहोर में अखिल भारतवर्षीय विद्यार्थी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके सभापति पं० मदनमोहन मालवीय थे ।

युवकों की तरह महिला समाज में भी जागृति को अर्ध ज्योति चमकने लगी । पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने "महात्मा गांधी" ग्रन्थ में लिखते हैं:—

"Many strange things happened in those but undoubtedly the most striking was the part played by the women in the national struggle. They came out in large numbers from the seclusion of their homes and, though unused in public activity thrust themselves into the heart of the struggle, picketing of foreign cloth and liquor shops they made their preserve. Enormous processions consisting of women alone were taken out in all cities and, generally, the attitude of the women was more unyielding than that of the men. Often they became Congress "dictators" in provinces and in local areas." अर्थात् "उन दिनों बहुत सी विचित्र घटनाएँ हुईं, पर हमारी महिलाओं ने इस राष्ट्रीय संघर्ष में जो भाग लिया वह निश्चय ही सबसे अधिक आकर्षक था । वे अपने घर के पर्दों से बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल आईं, और बसपि वे सार्वजनिक प्रवृत्तियों से अलग नहीं थीं, तो भी उन्होंने अपने आपको संघर्ष के बीच दाख किया । विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर घरना देने (picketing) के क

को उन्होंने युद्ध का अपना मोर्चा बनाया। भारतवर्ष के शहरों में केवल महिलाओं के बड़े बड़े जुलूस निकले और साधर रख तौर पर यह कहा देखा गई कि उनकी वृत्तियाँ पुरुषों से भी अधिक न झुकने की थी। कई जगह वे प्रान्तों और स्थानीय क्षेत्रों की 'डिक्टेटर्स' हुईं।"

गुजरात की महिलाओं ने गांधीजी के झण्डे के नीचे सत्याग्रह संग्राम में सबसे अधिक भाग लिया। बड़गाछ, यू० पी०, कम्बई प्रान्त ने भी गुजरात का अनुकरण किया। राजस्थान की कुछ पदेंनलीन महिलाओं ने भी इस महान् संग्राम में अपना सहयोग दिया। ईस्वी सन् १९२५ में बाबू सुभाषचन्द्र बोस की प्रेरणा से कलकत्ते में 'महिला राष्ट्रीय संघ' नाम की एक राजनैतिक संस्था स्थापित हुई और थोड़े ही दिनों में सारे देश में ऐसी संस्थाओं का जालसा बिद्ध गया। महिलाओं में जगमग उत्पत्ति हुई।

मजदूर आन्दोलन की प्रगति

इन्हीं वर्षों में, मजदूर आन्दोलन ने जैसी प्रगति की, उसका कुछ उल्लेख हम किसी गत अध्याय में कर चुके हैं। इस मजदूर आन्दोलन के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध कम्युनिष्ट ग्रन्थकर्ता श्री० रजनीपति इस ने अपने "India to-day." नामक ग्रन्थ में जो तथ्य पूर्ण परिचय लिखा है, उन्हें हम यहाँ उद्धृत करते हैं:—

"कई विभिन्न भाषाओं के बावजूद, लड़ाई के बाद हिन्दुस्तान के मजदूरों में धीरे-धीरे राजनीतिक चेतना फैलने लगी। शुरू की उद्यमनों के बाद मजदूरों में समाजवादी और कम्युनिष्ट विचार फैलने लगे। हिन्दुस्तान की कम्युनिष्ट पार्टी अभी बहुत कमजोर थी लेकिन १९२० से ही उसके लोगों के पास तक पहुंचने लगा था। १९२४ में श्रीपाद कृष्ण संपादक में कम्बई से "लोमसिस्ट" नाम की पत्रिका निकली। सामे चलकर वह ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सहायक जर्नल बन गई।

मजदूर आन्दोलन की प्रगति

(१९२७ में कॉ० डांगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के सम्मेलन चुने गये ।) । सरकार ने हमला करने में देर न की । विद्यमान खेबर पार्टी की सरकार थी, तभी १९२४ में डांगे, शौकत मुजफ्फर अहमद, और दास गुप्ता नामक चार कम्युनिष्ट कानपुर का मुकदमा चलाया गया और चारों को चार-चार साल सजा सुना दी गई । हिन्दुस्तान के राजनीतिक मजदूर आन्दोलन अग्नि-परीक्षा शुरू गई ।

“पर दमन से जागरण रुका नहीं । १९२६-२७ में विचार चारों ओर फैल रहे थे । मजदूर-किसान पार्टियों के मजदूर-वर्ग का राजनीतिक और समाजवादी संगठन शुरू हो गया इन पार्टियों ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लड़ाकू लोगों को किया, और कॉंग्रेस के गरमदली लोगों से उनका एका क्रावम करवायी, १९२६ में बंगाल में पहली मजदूर-किसान पार्टी कायम हुई इसके बाद बम्बई, संयुक्तप्रान्त और पंजाब में पार्टियां बनीं । १९२६ में सब पार्टियां “अखिल भारतीय मजदूर-पार्टी” में मिलकर एक इकाई पहला अधिवेशन दिसम्बर, १९२८ में हुआ । शुरू की उद्यमियों के बावजूद मजदूरों की नयी जागृति, जिसके पहले चिन्ह १९२६ में दिखायी दिये थे, इस प्रकार अपने राजनीतिक रूप में प्रकट हुई । सब नई बढ़ती हुई शक्तियों का पता चलता था ।”

१९२७ के अन्त में ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के कम्युनिस्ट सदस्य शापुरजी शामिल हुए । आगे चलकर इसी साल कानपुर में भी अधिवेशन हुआ जो कि जगह पता चला कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन में लड़ाकू नेताओं का राज सुनाई देने लगी है । और वह भी बहुत जल्द साफ हो देव की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन इन नेताओं के साथ है, बल्कि इन दिनों में देरी होने से १९२६ तक इस बात को

कहीं किया गया। बम्बई में पहली बार १९२७ का मई-दिवस मज़दूरों के त्यौहार के रूप में मनाया गया। यह इस बात का चिन्ह था कि अब हिन्दुस्थान का मज़दूर-आन्दोलन एक नई मज्जिल पर कदम रख रहा है और सचेत होकर अपने को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर-आन्दोलन से मिला रहा है।”

“१९२८ में मज़दूरों में बड़ी हलचल रही और उन्होंने आगे बढ़ना। पहले महायुद्ध के बाद से अब तक ऐसी प्रगति नहीं हुई थी। इस हलचल और प्रगति का केन्द्र बम्बई था। पहली बार मज़दूर-वर्ग का ऐसा नेतृत्व सामने आया जो कि कारखाने के मज़दूरों के नज़दीक था, जो वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त मानकर चलता था और जो राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में अटूट इकाई की तरह काम करता था। मज़दूरों ने हृदय से इसका स्वागत किया। फरवरी में साइमन कमीशन के खिलाफ़ मज़दूरों ने राजनीतिक हड़तालें और प्रदर्शन किये। इससे कुछ समय के लिये हिन्दुस्थान का मज़दूर-आन्दोलन, राष्ट्रीय आन्दोलन के आगे चलने लगा। कांग्रेस के नेता आन्दोलन के सुधारवादी नेता यह नहीं चाहते थे। मज़दूर आन्दोलन की इस सफलता से वे चौंक पड़े। बहुत से बम्बई के म्युनिसिपल-मज़दूर इस राजनीतिक कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये बर्खास्त कर दिये गये। परन्तु हड़ताल करने पर फिर उन्हें अपनी जगह मिल गई।

“मज़दूर संगठन भी बढ़ चला। बम्बई की मज़दूर सभाओं के मेम्बर १९२३ में ४८,६६६ थे। १९२६ तक, ३ साल में, उनकी संख्या बढ़कर २६,२४४ तक ही पहुँची। ई० १९२७ में सरकारी धर्मियों के अनुसार ७२,६०२ मज़दूर यूनियनों के मेम्बर बन गये थे। मार्च १९२८ में उनकी संख्या १२,३२१ और मार्च १९२९ में २,००,१२४ तक पहुँच गई। इन सब में बम्बई मिल-मज़दूरों की प्रसिद्ध “गिरणी-कामगार यूनियन” सबसे आगे थी। इस साल मून्डे की यूनियन के

१२४ मेम्बरों से शुरुआत की थी। सरकारी खेवर बजट के उसी साल दिसम्बर १९२८ तक इसके १४,००० मेम्बर बन १९२६ की पहली तिमाही तक मेम्बरों की संख्या ६५,००० — गई थी। उसी बीच बम्बई की पुरानी "सूती मजदूर-यूनियन" की तहाँ पड़ी रही। इस यूनियन की १९२६ में बुनियाद ण्ठी ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के मंत्री श्री एन. एम. जोशी के सुधार के पक्ष रही थी। उस पर सरकार और मिल-मालिक दोनों के बरत-हस्त था। फिर भी सरकारी ऑफिसों के अनुसार घण्टद्वार, में उसके ८,४३६ मेम्बर थे और उसी साल दिसम्बर तक वे ६,७४६ ही रह गये। इसने मजदूरों की पसंदगी जाहिर हो गई। "बीकानगर यूनियन" की शक्ति का कारण उसकी मिल-कमिटी जो मजदूरों के बिलकुल नज़दीक होती थी।"

"१९२८ की हदतालियों में ३,१५,००,००० मजदूरी के दिन हुए। पिछले ५ सालों में कुछ मिलाकर भी इतने दिन प्राचा न — इस बहर का केन्द्र बम्बई के सूती मजदूर थे, लेकिन यह बहर हिन्दुस्तान में फैल रही थी। कुछ मिलाकर उद्योग-धन्धों में मान्ये हुए। इनमें से १११ बम्बई में, ६० कानाड में, ८ उड़ीसा में, ७ मद्रास और २ पंजाब में हुए थे। ११० सगले और कनी धन्धों में हुए थे; १६ जूटकी मिल्हों में, ११ कर्कशोंपों में, ६ रेलवे और रेलवे की कर्कशोंपों में और १ कोयले की में हुए। इन सबसे बढ़कर बम्बई के सूती मिल-मजदूरों की थी जिसमें बम्बई के सभी १३ लाख कपड़ा-मजदूर कः महीने तरह के दबाव और सरकारी हिंसा का मुकाबला करते रहे। के इतिहास में यह सबसे बड़ी हदताल थी। उसकी शुरुआत महीने के दिनांक और मजदूरी में ७१ की सदी क्यौती के निरूपण की। जाने चलकर और बहुत सी मांगें रखी गयीं। सुधारकारी

के पहले हड़ताल का विरोध किया। श्री एन० एम० जोशी ने उन्हें समझौते की बातें कही थीं। लेकिन आगे चलकर ये लोग आन्दोलन में लीचे चले आये। हड़ताल को तोड़ने की हर प्रकार की कोशिश बेकार होने पर सरकार ने फासेट कमेटी बैठायी, जिसने ७॥ कटौती को वापिस लेने की सिफारिश की और मज़दूरों की कुछ दूसरी मांगों स्वीकार की।

कम्युनिस्ट और समाजवादी आन्दोलनों से सरकारी क्षेत्रों में बड़ी चिन्ता फैल गई। सन् १९२६ ई० में तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन के केन्द्रीय धारा सभा में भाषण करते हुए कहा कि “कम्युनिस्ट सिद्धान्तों के प्रचार से परेशानी पैदा हो रही है।” उन्होंने ऐलान किया कि सरकार उसका उपाय करेगी। सरकारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि “कम्युनिस्टों के प्रचार और प्रभाव से खास तौर से कुछ बड़े बड़े शहरों के औद्योगिक वर्गों में अधिकारियों को बड़ी चिन्ता हो रही है।”

१९२८-२९ का मज़दूर आन्दोलन

के उदारपंथियों ने वहीं राग अछाया। अगस्त १९२६ में मैचेल्स ने लिखा “पिछले २ वर्षों का अनुभव बताता है कि बड़े बड़े औद्योगिक मज़दूर पाप-गुण्य का विचार न करने वाले कम्युनिस्टों में बहुत जल्दी आ जाते हैं।”

इस गुहार में हिन्दुस्थान के कुछ अखबारों ने भी अपना स्वर उठाया। मई १९२६ में बाम्बे क्रानिकल ने घोषित किया कि “आज समाजवाद की फिज़ा है; सम्मेलनों में खास तौर से किसानों और श्रमिकों की सभाओं में महिनों से समाजवादी सिद्धान्तों का प्रचार किया जा रहा है।”

१९२६ में सरकार ने अपना अन्त संभाषण और वह मज़दूर आन्दोलन को कुचलने पर तुल गई। सितम्बर १९२८ में “पब्लिक सेफ्टीबिल”

पेश किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य यह था कि "हिन्दुस्थान में कम्युनिस्टों की कार्यवाही को रोका जाय।" केन्द्रिय कार्य समिति ने इस बिल को रद्द कर दिया। तब १९२६ के वसन्त में वायसराय ने बिल को ऑर्डिनेन्स का रूप दे दिया। मज़दूरों की जांच के लिए विटले-कमीशन बैठाया गया। ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट पास किया गया जिससे समझौता करने का सिद्धसिद्धा तैयार हुआ और दूसरों को इसदर्दी में हड़ताल करने की मनाई कर दी गई और जनता के आन्दोलन (पब्लिक यूटीलिटी सर्विसेज) में हड़ताल अधिकार को सीमित कर दिया गया। बम्बई में दंगों की जांच कराई गई और उसने सिफारिश की कि बम्बई में कम्युनिस्टों की प्रतिक्रिया बहुत सख्ती से काम लिया जाय। कमिटी ने यह सलाह उठाया कि ट्रेड-यूनियन ऐक्ट को सुधारा जाय जिससे कि रजिस्टर्ड यूनियनों में कम्युनिस्टों को कोई ओहदा मिलने ही न पाये।"

क्रान्तिकारी आन्दोलन

महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आन्दोलन के साथ साथ, क्रान्तिकारी आन्दोलन का भी कहींकहीं जोर बढ़ रहा था। प्रथम के बाद जब गांधीजी ने असहयोग संग्राम प्रारम्भ किया तब क्रान्तिकारी उनके अग्रगण्य के नीचे आ गये थे, पर चोराचोरी कांड जब महात्माजी ने सारे देश में चलते हुए सत्याग्रह संग्राम को शुरू किया, तब इन क्रान्तिकारियों में बढ़ी निराशा छा गई और अपने उपायों से देश को स्वतंत्र करने का निश्चय किया। चोराचोरी के बाद बङ्गाल में योगेश चटर्जी, शचीन्द्र सान्याल आदि नवयुवक क्रान्तिकारी दलों के संगठन में लग गये और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये उन्होंने हाके डाल कर धन एकत्रित करना शुरू किया।

संस्कृति के शंकराचार्य (Post office) को

समय विरेन्द्र घोष नामक नवयुवक पकड़ा गया और उसे आजीवन कारावासी की सज़ा हुई। चौबंगी में पुलिस कमिश्नर टेगार्ट की हत्या करने की कोशिस में गोपीनाथ साहा ने गलती से क्लिबवर्न कम्पनी के मि. डे को गोली मार दी। गोपीनाथ पकड़े गये और उन्हें बदस्तूर फाँसी हुई।

१९२२ में बखनऊ-सहारनपुर लाइन में काँकोरी स्टेशन के नजदीक मेल ट्रेन को रोक कर क्रान्तिकारियों ने सशस्त्र पुलिस के पहरे के बावजूद सरकारी खजाना लूट लिया। मथानक अन्धेरी रात थी, जिसमें बूढ़ाकान्धी भी हो रही थी। गाड़ी ज्योंही काँकोरी स्टेशन से थोड़ी दूर गई कि किसी ने ज़मीर खींचकर गाड़ी रुकवा दी और मुट्ठी भर नौजवानों ने पाँच मिन्टों के भीतर गाड़ और ट्राइकर को विस्तार दिखाकर खजाना लूट लिया और वे एक छहमें के अन्दर अन्धेरे में गायब हो गये।

इस सिद्धसिद्धे में कई नवयुवकों को गिरफ्तार किया गया और उन पर अभियोग चलाया गया। जो काँकोरी पञ्चम अभियोग के नाम से मशहूर है। यह अभियोग १८ मास तक लगातार चलता रहा। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र बाहिनी और रोशनसिंह को फाँसी की सज़ा हुई। अन्य अभियुक्तों में से शचीन्द्र नाथ सन्नाल को आजीवन कारावासी की सज़ा हुई। मन्मथनाथ गुप्त आदि को १४ वर्ष के कठिन कारावास की सज़ा हुई। योगेशचन्द्र चटर्जी, मुकुन्दीलाल, गोविन्द चरण काक, रामकुमारसिंह और रामकृष्ण खत्री को दस दस साल की सज़ा हुई। विष्णुशरण दुब्लिस, सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य को सात २ साल की सज़ा हुई। भूपेन्द्रनाथ सन्नाल, रामदुलारे त्रिवेदी और प्रेम कृष्ण खन्ना को पाँच पाँच साल की सज़ा हुई। इसके अतिरिक्त प्रणवेश चटर्जी को चार साल की सज़ा हुई। यद्यपि बनवारी लाल इक्याली गयाह बन गया था फिर भी उसको पाँच साल की सज़ा हुई। इसके अतिरिक्त जो Supplementary मुकदमा चला, उसमें अण्णादरसा को फाँसी हुई।

क्रान्तिकारी शब्दों का

सजा को सरकार ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ अपील की कि सजा बढ़ा दी गई। यानी बोधेशचन्द्र, श्रीमद चरक काक, मुकुन्दीखाल, सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य, दुर्लभ की सजा बढ़ा दी गई। जिनकी सजा दस साल की थी सजा कालेपानी की कर दी गई, और जिनकी सजा सात साल की थी दस साल की कर दी गई। मन्मथनाथ गुप्त की सजा जज ने यह कह कर नहीं बढ़ाई कि उनकी उम्र बहुत कम थी।

जनता की ओर से फांसी को रद्द करने के लिये घोर किया गया। केन्द्रीय धारा समा के सदस्यों ने तत्कालीन वायसराय पर दरवास्त पर दरवास्त देकर फांसी की सजा को माफ करने की प्रार्थना की, पर इसमें उन्हें सफलता न हुई। आखिर १७ दिसम्बर को गोंडा जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। इसके तीन दिन पहले, १४ दिसम्बर को, राजेन्द्र खाहिडी ने जो पत्र लिखा था उससे यह होता था कि वे मृत्यु से कितने निर्मोह थे। वह पत्र इस प्रकार

“कब मैंने सुना कि प्रिन्सिपल कौंसिल ने मेरी अपील अस्वीकार की आप लोगों ने हम लोगों की प्राण-रक्षा के लिये बहुत कुछ उठा न रखा, किन्तु मालूम होता है कि बलि-वेदी को हमारे लिये आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिथि और कुछ नहीं! इसलिये मनुष्य मृत्यु से दुःख और भय क्यों करे वह तो निस्तान्त स्वाभाविक अवस्था है। उतनी ही स्वाभाविक है प्रातःकालीन सूर्य का उदय होना। यदि यह सच है कि इतिहास ख्या करता है तो मैं समझता हूँ कि हमारी मृत्यु व्यर्थ न जायगी। मेरा नमस्कार,—अंतिम नमस्कार!”

आपका:—राजेन्द्र!

राजेन्द्र खाहिडी की तरह गोरेपुर जेल में पं० रामप्रसाद को १५ दिसम्बर को जेल में फांसी हुई। फांसी के दरवाजे पर

जब उन्होंने कहा—“I wish the downfall of British Empire” (मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ) । इसके बाद उनके सिर पर खड़े होकर प्रार्थना के बाद विश्वानि देव सक्तिदुरितानि... कादि मंत्र का जाप करते हुए गोरखपुर के गेब में वे फन्दे में झूठ गये । चौसी के वक्त जैब के चारों ओर बहुत कड़ा पहरा था । गोरखपुर की जनता ने उनके शव को लेकर आदर के साथ शहर में घुमाया । शहर में अर्थी पर इत्र तथा फूल बरसाये गये और जैसे लुटाये गये । धूम धाम से उनकी अन्त्येष्टि क्रिया की गई ।

चौसी के कुछ दिवस पहले उन्होंने अपने एक मित्र के पास एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होने लिखा था:—“१६तारीख को जो होने वाला है, उसके लिये मैं अच्छो तरह तैयार हूँ । यह है ही क्या ? केवल शरीर का विनाश मात्र है । मुझे विश्वास है कि मेरी आत्मा मातृ-भूमि तथा उसकी स्वतन्त्रि के लिये नये उत्साह और श्रोज के साथ काम करने के लिये फिर खीट आयेंगी ।”

इसके साथ ही उन्होंने एक भाव में कविता पढी और सबसे नमस्ते कहाया । वह कविता इस प्रकार है :

बदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रीं बार भी ।
तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में छाडूँ कभी ॥
हे ईश, भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो ।
कारण सदा ही मृत्यु का देशीय कारक कर्म हो ॥
मस्ते 'विस्मिन्न' रोशन कइरी अज्ञातक अत्याचार से ।
होंगे पैदा सैकड़ों उनकी रुधिर की धार से ॥
उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का ।
तब नाश होगा सर्वथा दुःख शोक के अकरोश का ॥

(श्री मन्मथनाथ गुप्त द्वारा लिखित अनेक प्रान्तिकारी चिट्ठा का

रोमा-चकारी इतिहास" से उद्धृत)

इसी प्रकार अराफाकुल्खा को फैजाबाद जेल में १३ फाँसी हुई ! वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ फाँसी पर झटकने पर झटकते समय उन्होंने उपस्थित जनता से कहा:—

"मेरे हाथ इन्सानी खून से कमी नहीं रंगे । मेरे ऊपर जो लगाया गया है, वह सख्त है । खुदा के बर्दा गुरा इन्साफ होगा ।"

अराफाकुल्खा की तरह रोहनसिंह भी फाँसी पर झटकने दिने अंशु का स्मरण करते हुए उन्होंने प्रार्थना की ।

कांकोरी पदमन्त्र के साथ साथ, कानपुर में कम्युनिस्टों — पदमन्त्र पकड़ा गया । इस पदमन्त्र में अशुभ दान, शोषण, मुज्रमनर अहमद, नखिनी बाबू आदि गिरफ्तार हुए । इन कम्युनिस्टों का अर्थ कि वे ब्रिटिश सरकार को उधर दे रहे हैं । इनको चार चार साक्ष की जेल हुई ।

मेरठ-अभियोग

हमने गत पृष्ठों में भारतवर्ष में होनेवाली मजदूर आगति का जिक्र किया है । राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ साथ मजदूर आन्दोलन भी पकड़ता जा रहा था । १९२६ ई० के मार्च मास में तत्कालीन सरकार ने मजदूरों के कई नेताओं पर यह अभियोग लगाया कि वे अशुभवादीयों के संकेत पर वे भारत में क्रांति फैला कर देना चाहते हैं । २० मार्च सन् १९२६ ई० को कानपुर, संयुक्त प्रान्त में ताज़ीरात हिन्द की १२१ अ० धारा के अन्तर्गत तत्कालीनी मजदूर आन्दोलन के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिये गये । जो लोग गिरफ्तार हुए, उनमें कांकोरी, रोहनसिंह, अशुभ दान, शोषण, मुज्रमनर आदि थे । उन्हें २१ जेल पकड़े गये थे । इनमें कांकोरी और रोहनसिंह पर कम्युनिस्ट अन्तर्गत

को उलट देने का अभियोग लगाया गया। इन अभियुक्तों में लन्दन के न्यूस्पाक (New Spark) के सम्पादक मि० एच० एल० हचिन्सन (Mr. H. L. Hutchison) भी थे। अभियुक्तों की सहायता के लिये एक सेन्ट्रल डिफेन्स कमिटी भी बनाई गई थी। इस मुकद्दमे की प्रारम्भिक तकलीफ में ही कई महीने बीत गये और बर्ष का अन्त आ पहुँचा। भारत और इंग्लैंड में इस मुकद्दमे ने बड़ा नाम पाया। मुकद्दमे के समय सरकारी प्रकाशन विभाग के पञ्चासक स्वयं उपस्थित रहते थे और मुकद्दमे सम्बन्धित प्रचार और प्रकाशन के काम की देख भाल रखते थे। यह मुकद्दमा मेरठ पदवन्त्र के नाम से मशहूर है इस मुकद्दमे में जो लोग गिरफ्तार किये गये थे, उनके नाम निम्नलिखित हैं:—

श्रीपाद अमृत डांगे—ट्रेड-यूनिवन कांग्रेस के सहकारी मंत्री, पदवन्त्र पदवन्त्र के अभियुक्त, गिरया-कामगार-यूनिवन के प्रधान मंत्री (अब अखिल भारतीय ट्रेड-यूनिवन-कांग्रेस के सभापति और बम्बई के बज्रदूतों के प्रतिनिधि एम० एल० ए०)।

किशोरीलाल घोष—बङ्गल ट्रेड-यूनिवन संघ के मंत्री।

श्री. आर. बगड़ी—ट्रेड-यूनिवन-कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य; अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य।

एस. बी. चाटे—ट्रेड-यूनिवन कांग्रेस के सहकारी मंत्री (१९२०) और बम्बई के यूनिसिपल कर्मचारियों की यूनिवन के उपसभापति।

श्री. एन. जोगलेकर—श्री. चाट्टे, पी. रेल्वेमेन्स यूनिवन के संगठन मंत्री; अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य।

एच. एच. भाववाला—अखिल भारतीय रेल्वेमेन्स फेडरेशन के संगठन मंत्री; गिरया कामगार-यूनिवन के भूतपूर्व सभापति।

शौकत उस्मानी—कानपुर-बदवन्त्र के प्रभियुक्त, बम्बई के एक मजदूर-पत्र के प्रपादक ।

मुञ्जकर अहमद—ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के उप-सभापति; बम्बई । मजदूर-किसान-पार्टी के मंत्री; कानपुर बदवन्त्र प्रभियुक्त ।

मिश्रिष स्प्रेट—ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी के भूतपूर्व सदस्य

नेन मैडले—मिशन की संयुक्त इञ्जीनियरिंग-यूनियन की बन्दन समिती के भूतपूर्व सदस्य; गिरखी-कामगार-यूनियन । जी. झाई पी. रेल्वेमेन्स-यूनियन की कार्यकारिणी-समिती के सदस्य; अखिल भारतीय रेल्वेमेन्स फेडरेशन के उपपदा बम्बई के सूती मिल मजदूरों की संयुक्त हफसाह कोषाध्यक्ष ।

एस. एस. मिरजकर—गिरखी-कामगार-यूनियन के सहकारी मंत्री ।

पूरन चन्द्र जोशी—संयुक्त-प्रान्त की मजदूर किसान-पार्टी के

ए. ए. आस्वे—गिरखी-कामगार-यूनियन के सभापति ।

जी. आर. कसले—गिरखी-कामगार-यूनियन के कर्मचारी ।

गोपाल बसक—१९२८ में सोशलिस्ट मोजवान सम्मेलन के सभापति

डा. मज्जाधर अधिकारी—बम्बई के समाजवादी पत्र " (चिन्तासी) के लेखक ।

एम. ए. मजीद—सिद्दाकृत आन्दोलन के समय १९२० में किन्तुल कोका, रुस गये और कपस आने पर एकडे पंजाब की कीर्ति-किसान पार्टी के मंत्री और मोजवान समा के अध्यक्ष ।

डॉ. एस. निम्बकर—कन्नड़ ट्रेड्स-कौन्सिल और प्रान्तीय कर्मिक-कमिटी के मंत्री; अखिल भारतीय मजदूर-किसान पार्टी के मंत्री; अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य ।

विश्वनाथ मुकर्जी—संयुक्त प्रान्त की मजदूर-किसान-पार्टीके समापति ।

केदारनाथ सहगल—पंजाब कांग्रेस कमिटी के समापति और पंजाब की सूबा कांग्रेस कमिटी के कार्य-मंत्री; अखिल भारतीय बौद्धवान-सभा के सदस्य ।

श्री रमण मित्र—बंगाल जूट-मजदूर-यूनियन के मंत्री ।

बंसी गीर्वाणी—बंगाल की किसान-मजदूर पार्टी के सहकारी मंत्री; प्रमुख ट्रेड-यूनियन कार्यकर्ता ।

गौरीशङ्कर—संयुक्त प्रान्त की मजदूर-किसान-पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य ।

शुभ हुदा—बंगाल ट्रांसपोर्ट-वर्कर्स-यूनियन के मंत्री ।

विनाय वैजर्जी—अखिल जूट-वर्कर्स-यूनियन के समापति; पहले सहगल की रेलवे हड़ताल के सिद्धसिद्धों में एक साथ की सजा पाये हुए ।

गोपबन्धु चक्रवर्ती—इस्ट इण्डिया रेलवे-यूनियन के कर्मचारी; सहगल रेलवे हड़ताल के सिद्धसिद्धों में ११ साथ की सजा पाये हुए ।

अखिल जोशी—प्रथम अखिल भारतीय मजदूर-किसान-संघके समापति ।

श्री. देसाई—कन्नड़ के समाजवादी पत्र "स्वाक" के सम्पादक ।

प्रसाद—बंगाल की किसान-मजदूर पार्टी के कार्यकर्ता ।

लक्ष्मणराव केंद्रे—भाती म्यूनिसिपल-कर्मचारी-यूनिअन के कार्यकर्ता ।

एच. एल. हचिन्सन—“न्यू स्पार्क” के सम्पादक ।

१२ वें अभियुक्त का नाम हेक्टर हचिन्सन था । वह एक सक्रिय कार्यकर्ता था । उन्होंने गिरफ्तारियों के बाद “न्यू स्पार्क” का कार्य सम्भाला । तब इन पर भी मुकद्दमा चलाया गया ।

पाठक देखेंगे कि गिरफ्तार व्यक्तियों में “अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस” के उप-सभापति, एक भूतपूर्व सभापति और दो मंत्री शामिल थे । इनके साथ बम्बई और बङ्गाल के प्रान्तीय ट्रेड यूनियन के मंत्री थे । ‘गिरबाई-कामगार-यूनिअन’ के सजी और ‘जी. आई. पी. रेल्वेमेन्स यूनिअन’ तथा कुछ दूसरी शैक्षिक पदाधिकारी पकड़े लिये गये थे । बङ्गाल, बम्बई और संयुक्त प्रांत का मजदूर किसान पार्टियों के मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी गिरफ्तार किये गये थे । इनमें तीन अभियुक्त अंग्रेज थे । ब्रिटेन के मजदूर संघ के वे तीनों प्रतिनिधि हिन्दुस्थानी मजदूरों के साथ-साथ कलकत्ता गये हुए और बाद में उनके साथ जेल गये ।

वह मुकद्दमा केसबर साठे तीन साल तक चलता रहा । इस कम्पली अवधि तक मजदूर वर्ग के वे नेता जेल में सदते रहे । फलतः आवश्यक है कि जिस समय वहाँ यह मुकद्दमा चल रहा था, तब बम्बई में मजदूर वर्ग की सरकार थी, जिसने इस मुकद्दमे की जिम्मेदारी स्वीकार की थी ।

सन् १९३३ ई० के जनवरी मास में अचानक सजावें सुनायी की मुजफ्फर अहमद को आठमास काछापानी, डांगे, चाटे, जोगलेकर, मि और खेट को १२ साल के खिने काछापानी, बँडले, गिरजा-दत्तानी को १० साल का काछापानी और इस तरह की सजावें सुनायी गयीं थी, जिसमें सबसे कम ३ वर्ष की कमी कैद थी । परन्तु

जेलों में आन्दोलन हुआ तो जमीन करने पर सजायें कम हो गईं ।

बम्बर अकाली आन्दोलन

इन्हीं दिनों में बम्बर अकाली आन्दोलन देवगढ़ आन्दोलन, देवगढ़ कल्याण, दक्षिणेश्वर का बम कारखाना आदि कई घटनाएँ हुईं, जिन सबका उल्लेख स्थानाभाव के कारण यहां करने में हम असमर्थ हैं ।

पुलिस अफसर की हत्या

कलकत्ते के पुलिस अफसर भूपेन्द्र चटर्जी ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, उन्हें सजा दिलवाने आदि में प्रमुख भाग लिया था । वे जेलों में जाकर, धमकाकर, डराकर व फुसलाकर नगरबन्दों को सुलझिब बनाने का प्रयत्न दिखाने की चेष्टा किया करते थे । दक्षिणेश्वर के कैदी इससे बड़ा झुठ मने और उन्होंने जेल में मराहरी के डों से इन पर आक्रमण कर, यही इनका काम तमाम कर दिया; इस सम्बन्ध में अचान्त हरि मित्र और प्रवीण चन्द्र चौधरी इन दो व्यक्तियों को फांसी हुई !

विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों की प्रवृत्तियाँ

भारत में स्वाधीनता प्राप्ति के लिये अहिंसात्मक तथा हिंसात्मक को भी आन्दोलन हुए उनका कुछ उल्लेख हम गत अध्यायों में कर चुके हैं । ऊपर भारतीय क्रांतिकारियों का एक दल विदेशों में भी भारतीय क्रांति की चेष्टा कर रहा था । उनमें राजा महेश्वरप्रसाद, लालकृष्ण, ओकेदुल्ला यिन्वी, मौलाना मोहम्मद हुसेन, मौलाना सादर-अली आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

इस विषय के विस्तृत वर्णन के लिये लेखक स्वतंत्र ग्रन्थ लिख रहा है ।

भगतसिंह की गिरफ्तारी और फाँसी

वीर भगतसिंह भारत के क्रान्तिकारियों के इतिहास में अपना विश्वस्मरणीय कर गये हैं। ये एक ऐसे युवक थे, जो वीरता की ये और जिनके शरीर के हर परमाणु में देश को स्वतंत्र करने की भावना व्याप्त थी। ये अपने देश के युवकों के हृदय तन्नाट हो गये थे। एक समय का जब कि सरदार भगतसिंह का नाम भारत के घर घर में व्याप्त हो गया था और नवयुवकों को अनुप्राणित करने में वह सबसे अधिक काम करता था। यह बात कही जा सकती है कि उनका मार्ग असामयिक था, उनके महान् आत्म-स्वाग और उनकी विशाल देशभक्ति निःसन्देह उनके जेबों की थी।

जैसा कि हम गत अध्याय में कह चुके हैं—कॉकोरो—काण्ड कुछ समय बाद ही, दिल्ली की केन्द्रीय धारा समा के अधिवेशन के अवसर पर, दर्याकों की गेजरी से, समा पर एक-बम फेंका गया, इससे आता का कुछ सदस्य घायल हुए। इस सम्बन्ध में श्री० भगतसिंह और श्री० बहुकरवरदत्त नामक दो युवक पकड़े गये और हत्या करने की कोशिश करने के अभियोग में इन दोनों नवयुवकों को आजीवन कारावासी की सजा हुई। सायमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के समय प्रदर्शन-का अवसर पर जो छाठी चार्ज किया था और उसमें देश भक्त छात्रा छात्र पतराय को जो गहरी चोट आई थी उसका उल्लेख गतपूर्व अध्याय में किया जा चुका है। इसी कारण से आगे चल कर इस महान् देश भक्त की हत्या हुई! इससे देश के नवयुवकों का खून उबल उठा। कुछ क्रान्ति-कारी नवयुवकों ने लाजा लाजपत राय पर हमला करनेवाले पुलिसि-अक्रसर शेन्डर्स को खत्म कर दिया था। इस सम्बन्ध में उन लोगों पर अभियोग चला, जो लाहौर पञ्चमन्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस मार्ग में सरदार भगतसिंह, राजगुरु और सुबोध को फाँसी की सजा हुई और अन्य कई अभियुक्तों को कड़ी सजाएँ दी गईं।

उन तीनों को फ्रांसी देने के विरुद्ध देश भद्र में प्रचण्ड आन्दोलन हुआ। असन्तोष इतना बढ़ गया था कि सरकार ने फ्रांसी के कई विमल पत्रों को यूरोपियन सिविल को घर से बाहर निकलने की मंजा कर दिया था।

भगतसिंह आदि को फ्रांसी न देने के लिये महात्मा गांधी ने भी बड़ी कोशिश की। लेकिन लॉर्ड ब्राई इर्विन ने उनही एक न सुनी और अन्त में उन्हें फ्रांसी पर बंदूक ही दिया गया। नौजवानों में इससे इतना ज्यादा असन्तोष फैला कि ब्राई इर्विन के प्राण लेने की कोशिश भी करने लगी। एक बार रेलवे लाइन पर हम टकरकर उनकी स्पेशल ट्रेन को ठकाने का प्रयत्न किया गया, मगर वे भाग्य से बच गये। फिर उनके दो भरदली घायल हुए।

इस कलकत्ते के मसुदा आन्दोलन के मध्य में हम बनारस का एक आन्दोलन पकड़ा गया। मसुदा आन्दोलन हम केंद्र बनाकर दिनों तक प्रचलित रहा और अन्त में निराशा से, सर्वोच्च बोध आदि कई स्थानों को लूटी सँभाले ली गई।

उसी समय इन्डियन भारत में भी क्रान्तिकारियों का एक दल संवर्धित हुआ था, जिसके नेता थे, श्री राम सख्त। इस दल ने पहिले तो पुलिस के एक आने को लूट लिया। पीछे छः बार इस दल के सदस्यों से पुलिस को लूटी मुटमौड़ हुई। अन्त में पुलिस से सम्मुख चलते हुए श्री राम सख्त मारे गये।



लाहौर काँग्रेस



देश की इन क्रांतिकारी घटनाओं और उग्र उत्तेजनाओं के मध्य में लवाहरबाबूजी नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी कार्यवाही में महात्माजी का बहुत बड़ा हाथ था। महात्माजी ने इस अधिवेशन में ट्रेन-बम की दुर्घटना में बच जाने के उपलक्ष्य में वायसरॉय लॉर्ड इरविन का अभिनन्दन करने का प्रस्ताव उपस्थित किया। इस प्रस्ताव का नवयुवकों की ओर से घोर विरोध हुआ। वे आवाजें उठाने लगे, पर अन्त में महात्माजी के अतुलनीय प्रभाव के कारण यह प्रस्ताव पास हो गया।

नवयुवक दल के नेता बाबू सुभाषचन्द्र बोस ने यह प्रस्ताव रखा कि एक समानान्तर सरकार प्रस्थापित की जाय और इसके लिये किसान कर्ताओं, किसानों और युवकों का संघटन किया जाय। पर यह भी पास न हो सका। इसी अधिवेशन में महात्माजी ने समिति के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। इस सूची में १२ थे, जिनमें श्री० श्रीनिवास आर्यंगर, श्री० सुभाषचन्द्र बोस और अन्य उग्रवादी दल के नेताओं के नाम नहीं रखे गये। इसका महात्माजी ने यह बतलाया कि कार्य कारिणी में एक मत और एक दिशा के आदमी होने चाहिये, जिससे कि कार्य सुचारु रूप से चल सके और कार्य में बाधा न आवे। इस पर भी नवयुवकों और उग्रवादियों की काफ़ी असन्तोष प्रकट किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस सूची में श्री० सुभाषचन्द्र बोस और श्री० श्रीनिवास आर्यंगर को

परिषद् में रहने ही चाहिये। पर अन्त में महात्माजी की सूची स्वीकृत नहीं गई। कहा जाता है कि उपस्थित जनता की यह भावना बन गई थी कि अगर यह सूची स्वीकृत न की गई तो महात्माजी यह समझेंगे उन पर कांग्रेस का विश्वास नहीं है और सम्भव है वे कांग्रेस से जुदा हो जायें। इससे कई लोगों ने विरोधी भाव रखते हुए भी उक्त सूची के अन्त में अपना मत दिया।

कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, वह यह है कि १२ दिसम्बर की राती रात के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पं० जवाहर लाल नेहरू ने कड़कड़ाती हुई ठंड में लाखों आदिमियों के समक्ष, अत्यन्तकार के बीच, स्वाधीनता का झण्डा फहराया। इस घटना से कांग्रेस के वातावरण में बड़ा जीवन्तता का गन्ना और राष्ट्र जीवन के सामने आकाश की ज्योति धमकने लगी।



१९३० का महान् स्वतंत्रता संग्राम



भारत के राष्ट्रीय इतिहास में इसी सन् १९३० का साल एक नए
सोमरबीच घटना रहेगी। पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने
मा Gandhi नामक ग्रन्थ में कहा है—

“That year 1930 was full of dramatic situations
and inspiring happenings; what surprised
was the amazing power of Gandhiji to
and enthuse a whole people. There
something almost hypnotic about it, and
remembered the words used by Gokhale about
how he had the power of making heroes out
clay. Peaceful civil disobedience as a tech
of action for achieving great national ends seem
to have justified itself, and a quiet confidence
grew in a the ‘country, shared by friend
opponent alike, that we were marching
victory. A strange excitement filled those
were active in the movement, and some of
even crept inside the jail” “Swaraj is
said the ordinary convicts, and they waited
merely for it, in the selfish hope that it a

them some good. The warders coming in contact with the gossip of the bazars also expected that Swaraj is near; the petty jail official grew a little more nervous अर्थात् ईस्वी सन् १९३० का साह नाटकीय स्थितियों और प्रेरणादायक घटनाओं से परिलक्षित था। इस पर भी जिस बात ने हमें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वह गांधीजी की खोंगों में प्रेरणा और उत्साह भरने की अद्भुत शक्ति थी। उनमें कुछ ऐसी चीज थी, जिसे मोहिनी कहा जा सकता है। गोल्ले के वे शब्द हमें याद हैं, जो उन्होंने गांधीजी के विषय में कहे थे कि उनमें मिट्टी से वीर बनाने की शक्ति है। राष्ट्रीय ध्येयों की पूर्ति के लिये एक कार्य प्रखारों के रूप में सक्रिय अवस्था आन्दोलन अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका था और देश भर में-मिट्टों और विभिन्नो दोनों के हृदयों में-यह जीव विह्वल उत्पन्न हो गया था कि हम-किन्हीं की ओर प्रगति कर रहे हैं। मिट्टों ने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था, उनमें एक प्रकार की विभिन्न उच्छेजना भर गई थी। यह उच्छेजना कुछ-कुछ जेलों तक पहुँच गई थी। संघर्ष के ही तक कहने लगे थे कि 'स्वराज्य आ रहा है।' और वे इस स्वार्थ-शब्द दृष्टि से कि उससे उनकी कुछ मलाई होगी, आशा में साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जेल के वाटर् भी अन्तर्गत चर्चाओं की सुन कर स्वराज्य के निकटतम आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जेल के छोटे कर्मचारी कुछ घबराके हुए से मात्तूम होते थे।

श्री सुभाषचन्द्र बोस ने अपने The Indian Struggle नामक ग्रन्थ में इस साह की तूफानी (Stormy) साह की उपमा दी हुई लिखा है—

"With the dawn of the new year there was
& confidence in every heart. People anxiously
looked to the Working Committee for

instructions as to what they were required to do for the early attainment of independence." अर्थात् देश के आरम्भ होते ही प्रत्येक हृदय में आशा और विश्वास का उदय होने लगा। लोग उत्सुकता के साथ कांग्रेस की कार्यकारिणी (Working Committee) के उन सुझावों की प्रतीक्षा करने लगे जिनमें शीघ्र ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये कार्य करने की पद्धति का उल्लेख हो।

कहने का भाव यह है कि देश का वातावरण बहुत ही गरम हो था। राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये लोग अर्थात् ही रहे थे। उन्हें था। महात्मा गांधी लोक-मनोविज्ञान के बड़े विशेषज्ञ थे। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्र की मनोवृत्ति का अध्ययन कर, लिखा था—

"Civil Disobedience alone can save the country from impending lawlessness and secret crime, since there is a party of violence in the country which will not listen to speeches, resolutions, or conferences, but believes only in direct action."

अर्थात् "देश को अराजकता और गुप्त अपराध से केवल मात्र सख्त अहिंसा आन्दोलन ही बचा सकता है। देश में हिंसा को अपना लेना एक दूरा है, जो भाषणों, प्रस्तावों और परिषदों की एक न सुनेगा। केवल सीधी कार्यवाही में विश्वास रखता है।

महात्माजी के उक्त बचनों से यह प्रकट होता है कि देश में हिंसा की मनोवृत्ति का प्राबल्य हो रहा था और देश एक दूसरे मार्ग को खोजने के लिये उत्सुक हो रहा था। महात्माजी ने राष्ट्र का हिसाब में भारत देश-हित की दृष्टि से अहिंसा नहीं समझा। अतएव उन्होंने ही के नेतृत्व का द्वार अपने हाथ में लिया और अहिंसामय युद्ध का मार्ग

को और से फूँका । आपने सन् १९३० ई० के आरम्भ में यह आदेश जारी किया कि एक मास की २६ तारीख को सारे देश में स्वतंत्रता-समस्या काय और महात्माजी द्वारा तैयार किया हुआ और कांग्रेस कार्यप्रणालि द्वारा मान्य "स्वाधीनता का घोषणा-पत्र" देश के हर एक पदा ज्ञाय और वह लोगों के द्वारा स्वीकृत किया जाय । इस पत्र में स्वाधीनता की घोषणा, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति राज्यभक्ति, स्वाधीनता के लिये धर्म युद्ध (Sacred fight) करने की थी । यह प्रतीक्षा इस प्रकार थी:—

स्वाधीनता का घोषणा-पत्र

भारतीय प्रजासत्तव भी अन्य राष्ट्रों की भाँति अपना जन्म-दिन मनाते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें, अपने परिधम का फल हमें मिले और हमें जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों, हमें भी विश्वास का पूरा मौका मिले । हम यह भी मानते हैं कि कोई सरकार ये अधिकार छीन लेती है और उसे सत्ताती है तो प्रजासत्तव सरकार के बदल देने या मिटा देने का भी पूरा अधिकार है । इसकी अंग्रेज़ी सरकार ने भारतवासियों का शोषण ही नहीं किया उसका आघार ही गरीबों के रक्तशोषण पर है और उसने धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का अपमान किया है । अतः हमारा विश्वास है कि भारतवर्ष को अंग्रेज़ों के हाथ से निष्छेद करके पूर्ण स्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिये ।”

“भारत की आर्थिक बरबादी हो चुकी है । जनता की आमदनी को हर एक रुपये से बेहिसाब कर वसूल किया जाता है । हमारी जीविक-साधन पैसे हैं और हमसे जो भारी कर लिये जाते हैं उनका भार हीसानीयों से अमान के रूप में और ३ की सदी गरीबों के हाथों के रूप में वसूल किया जाता है ।”

स्वाधीनता का बोधवा-पत्र

“हाथ-कटाई आदि ग्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं।
में कम में कम चार महीने किसान खोग बेकार रहते हैं। हाथ
गयी जाते रहने से उनकी बुद्धि भी मन्द हो गई है और जो
प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं उनके स्थान पर दूसरे देशों की
कचे उद्योग जारी भी नहीं किये गये हैं।”

चुँगी और लिफ्के की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि
किसानों का भार और भी बढ़ गया है। हमारे देश में बाहर
अधिकतर अंग्रेजी कारखानों से आता है। चुँगी के महसूल में
ग्राहक के साथ साफ़ तौर पर पक्षपात होता है। इसकी भाव का
बरीबों का बोका हलका करने में नहीं किया जाता, बल्कि एक
अपव्ययी शासन को क्रयम रखने में किया जाता है! विनिमय
भी ऐसे स्वेच्छाचारी ढंग से निश्चित की गई है, जिससे देश का
क्षय बाहर चला जाता है।

राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना अंग्रेजों के
घटा है उतना पहले कभी नहीं घटा था। किसी भी सुधार-बोका
जनता के हाथ में वास्तविक राजनैतिक सत्ता नहीं आई है।
से बड़े आदमी को विदेशी सत्ता के सामने सिर झुकाना पड़ता है।
एक आज़ादी से जाहिर करने और आज़ादी से मिचने बुझने
हक चीन किये गये हैं और हमारे बहुत से देशवासी निराश्रित
गये हैं। हमारी सारी शासन की प्रतिभा मारी गई है और
को गाँवों के छोटे छोटे चौहदों और मुँशीमिरी से
पड़ता है।”

“संस्कृति के सिंहासन से लिफा-प्रवाही ने हमारी चढ़ ही
और हमें जो लाजमी दी जाती है उससे हम अपनी मुजाब
को ही चार जाने गये हैं।”

“राजनैतिक दृष्टि से, हमारे इतिहास का

दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाती पर खड़ा मौजूद रहती है। हमारे हमारी प्रतिरोध की भावना को बड़ी बुरी तरह से फुसका दिया है। हमारे दिनों में यह बात बिना दी है कि हम न अपना घर सम्भाल पाएँ और न विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा ही कर सकते हैं। ही नहीं, चोर डाकू और कर्मचारियों के इच्छाओं से भी हम अपने और जान-माल को नहीं बचा सकते। जिस शासन ने का इस प्रकार सर्वनाश किया है, उसके शचीन रहना हमारी और भगवान् दोनों के प्रति अपराध है। किन्तु हम यह भी हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। हम जिसे हम सरकार से बधा सम्भव खेच्छा-पूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं क्राहन्ती तक के मचावेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम राजी राजी सहयोग और उच्छेजना मिलने पर भी हिंसा किये जगै, कर देना बन्द कर इस अमानुषी राज्य का नाश निश्चित है। अतः हम शपथपूर्वक हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के हेतु कांग्रेस समय-समय को आजायें देगी उनका हम पाबन करते रहेंगे।”

स्वतन्त्रता दिवस के बड़े उत्साह और समारोह के साथ जनता के आचार देश के कोने कोने से जाने लगे। सारे देश में अपूर्व उत्साह और जीवन की ज्योति फलकने लगी। वातावरण विद्युत्-मय हो गया। स्वराज्य के प्रति निश्चय आ जाने के लोग स्वयं देखने लगे। इतना उत्साहपूर्वक और जीवनप्रद वातावरण होने पर भी गांधीजी ने समझौते के द्वार खुले रखे। इसके लिये उन्होंने यहां तक कहा 'मैं पूर्ण स्वतन्त्रता के बड़े स्वाधीनता के सार (Substance of Independence) से भी सन्तुष्ट हो जाऊँगा।' इस उद्देश पर पहुँचने उन्होंने यह प्रकट किया कि प्रारम्भ में किन्हीं शिथिल आह्वानों के अन्तर्गत में कानून कायम रखेंगे। वे हमारे हैं—

स्वाधीनता का घोषणा-पत्र

- (१) सम्पूर्ण मदिरा-निषेध ।
- (२) विनिमय की दर घटाकर एक शिलिंग चार पेंस रख दी जाय ।
- (३) ज़मीन का ख़गान आधा कर दिया जाय और उस पर खेती-का नियन्त्रण रख दिया जाय ।
- (४) नमक-कर उठा दिया जाय ।
- (५) सैनिक व्यय में आरम्भ में ही कम से कम ५० फी सदी का कर दी जाय ।
- (६) ख़गान की कमी को देखते हुए बड़ी बड़ी नौकरियों के तैयार करने से कम आधे कर दिये जायें ।
- (७) विदेशी कपड़े के आयात पर निषेध-कर लगा दिया जाय ।
- (८) भारतीय समुद्रतट केवल भारतीय जहाज़ों के लिये सुरक्षित रखने पर प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाय ।
- (९) हत्या या हत्या के प्रयत्न में साधारण ट्रिब्यूनलों द्वारा सजा की हुईओं के सिवा, समस्त राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायें । उनके राजनैतिक मुकद्दमे वापस ले लिये जायें । १२४ अ० धारा ३ १८१८ का तीसरा रेग्यूलेशन उठा दिया जाय और सारे सिविल भारतीयों को छूट आने दिया जाय ।
- (१०) खुफ़िया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उस पर जनता का नियंत्रण कर दिया जाय ।
- (११) आत्म-रक्षार्थ हथियार रखने के आज़ा-पत्र दिये जायें और उन पर जनता का नियंत्रण रहे ।

सुना है, जब जनवरी १९३० ई० में ही श्री बोसजी ने भांगी रेग्ने मेन्डॉनल्ल साहब से सम्पर्क की माहौल करने उठाया था । तब भी गांधीजी ने उन्हें नहीं कट्टे कट्टे भी ।

महात्मा गांधी ने लिखा—“हमारी बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं को वह कोई पूर्व सूची नहीं है, पर देखें वायसराय साहब इन सीधी-सी किन्तु अत्यावश्यक भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति तो करके जायें। ऐसा होने पर सविनय अवज्ञा की बात भी उनके कान पर ही पड़ेगी और जहां अपनी बात कहने और काम करने की पूरी ताबी होगी, ऐसी किसी भी परिषद में कांग्रेस हृदय से भाग लेगी।”

अर्थ हुआ कि यदि ये मामूली और ज़रूरी माँगों पूरी न कीं तो सविनय अवज्ञा आन्दोलन किया जमगा।

गांधीजी ने यह भी कहा “अन्य देशों के लिये स्वतन्त्रता प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही रहें हों। परन्तु भारतवर्ष के लिये अहिंसात्मक आन्दोलन के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। परमात्मा करे, आप लोग आन्दोलन के इस मंत्र को सिद्ध और प्रकट करें और स्वाधीनता की ओर अग्रसर निकट आ रही है उसके लिये अपना सर्वस्व अर्पण करने का वह आपको बल और साहस प्रदान करे।”

कांग्रेस की कार्य-समिति ने महात्मा जी को सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन चलावने का नेतृत्व दे दिया। इतना ही नहीं, वे इस आन्दोलन के दायित्वा (Dictator) बना दिये गये। सारा देश उत्सुकता भरी दृष्टि से गांधीजी की ओर देखने लगा। लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रीय और विभिन्न प्रान्तों की धारा समाजों के सदस्यों ने हस्ताक्षर दे दिये। हां, अली-बन्धुओं ने अपने सहधर्मी मुसलमानों को यह अपील की कि वे इस आन्दोलन में कांग्रेस का साथ न दें।

सबसे केवल मात्र मुद्दीभर राष्ट्रीय मुसलमानों ने ही कांग्रेस का साथ दिया। अधिकांश मुसलमान इससे अलग रहे। मुसलमानों का यह दृष्टिकोण भी शेष सारे भारतवर्ष ने गांधीजी का साथ देने में बड़ी प्रेरणा प्रकट की। सीमा प्रान्त ने अखुल गवर्नर साहब के नेतृत्व में अपनी सारी सेवार्थ गांधीजी को अर्पण की। २७ फरवरी १९३० को

अपने हृदय-परीक्षण के बाद गांधीजी ने अपने आन्दोलन का अंकट किया। महात्माजी का यह कार्यक्रम बाबू सुभाषचन्द्र ने—
 में उनके नेतृत्व की प्रकाशमय सफलता थी और संकट के समय में
 जी अपनी राजनीतिज्ञता में कितने ऊंचे उठ जाते हैं, उसका यह एक
 मान उदाहरण था। २७ फरवरी के अपने बंग इण्डिया (
 India) के अंक में महात्माजी ने लिखा था—

“This time on my arrest, there is to
 mute passive non-violence, but non-violence
 the most active type should be set in motion so
 not a single believer in non-violence as a
 of faith for the purpose of achieving India's
 should find himself free or alive at the end
 effort... So far as I am concerned, my
 is to start the movement only through
 mates of the Ashrama (meaning his own &
 and those who have submitted to its disciplin
 assimilated the spirit of its methods.”

अर्थात् “इस वक्त मेरी गिरफ्तारी पर मूक, निष्क्रिय
 होनी चाहिये बल्कि वह अत्यन्त सक्रिय रूप की
 चाहिये, जिससे कि भारतीय स्वाधीनता के ज्येष्ठ को प्राप्त
 के लिये अहिंसा को धर्मतत्व के रूप में मानने वाला कोई
 अपने प्रयास के अन्तिम क्षण में या तो जीवित रहे या
 विसर्जन करदे।”

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरा विचार आश्रमवासियों
 उब खोमों को, जिन्होंने आश्रम की पद्धति की आत्मा को
 लेकर ही यह आन्दोलन चलाने का है। जाने बसकर महात्मा

भी प्रकट किया कि अहिंसा की शक्तियों को रोकने का हर तरह से प्रयत्न प्रयत्न किया जायगा, पर अब की बार जहाँ एक बार सविनय अवज्ञा शुरू हुई कि वह तब तक बन्द न की जायगी जब तक एक भी अहिंसक जीवित रहेगा।”

महात्माजी के इस अन्तिम आश्वासन से लोगों को बड़ा धर्च मिला। उन्हें यह विश्वास हो गया कि १९२२ में महात्माजी ने बारडोली आन्दोलन को जिस प्रकार अकस्मात् रूप से बन्द कर दिया था, वैसा ही होगा।



नमक-सत्याग्रह-आन्दोलन



जब महात्माजी की उक्त निम्नतम शर्तों को भी वाइसराय ने स्वीकार नहीं किया तब उन्होंने फिर से सत्याग्रह करने का निश्चय किया। इस के लिये सब से पहले उन्होंने नमक-कानून को तोड़ना अधिक उचित समझा, क्योंकि वे नमक-कर को गरीब जनता की दृष्टि से अत्यन्त प्रहितकर समझते थे। इस समय, अर्थात् २ मार्च सन् १९३० ई० उन्होंने वाइसराय को जो पत्र भेजा था, उसका कुछ अंश हम डॉ० बी० कृष्णमिसीतारामय्या द्वारा लिखित "कांग्रेस का इतिहास" नामक से उद्धृत करते हैं—“सविनय अवज्ञा शुरू करने में और जिस को उठाने के लिए, मैं इतने सालों से सदा हिचकिचाता रहा हूँ। उठाने से पहले, मुझे आप तक पहुँच कर कोई मार्ग निकालने का करने में प्रसन्नता है।”

“अहिंसा पर मेरा व्यक्तिगत विश्वास सर्वथा स्पष्ट है। ... मैं किसी भी प्राणी को दुःख नहीं पहुँचा सकता। मनुष्यों को पहुँचाने की बात ही नहीं, भले ही वे मेरा या मेरे स्वजनों का ही अहित कर दें। अतः जहाँ मैं ब्रिटिश राज्य को अभिशाप हूँ, वहाँ मैं एक भी अंग्रेज या भारत में उसके किसी भी उचित स्वामी को सुझान नहीं पहुँचाना चाहता।”

“परन्तु मेरी बात का अर्थ तात्पर्य न समझिए। मैं ब्रिटिश शासन को भारतवर्ष के लिए जरूर नाशकारी मानता हूँ। परन्तु केवल इसी कारण अंग्रेज-शासन को संसार की अन्य जातियों से बुरा भी

समझता। सौभाग्य से बहुत-से अंग्रेज मेरे प्रियतम मित्र हैं। जसके बात तो यह है कि अंग्रेजी राज्य की अधिकांश बुराइयों का ज्ञान मुझे स्पष्टवादी और साहसी अंग्रेजों की कलम से ही हुआ है, जिन्होंने काल को उसके सच्चे रूप में निररता-पूर्वक प्रकट किया है।”

“मेरा अंग्रेजी राज्य के बारे में इतना बुरा ज्ञान क्यों है ?

“इसलिए कि इस राज्य ने करोड़ों मूक मनुष्यों का दिन-दिन अधिकाधिक रक्त-शोषण करके उन्हें कंगाल बना दिया है। उब पर शासन और सैनिक व्यय का असहनीय भार लाद कर उन्हें बरबाद कर दिया है।”

“राजनैतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलामों से अच्छी नहीं है। हमारी संस्कृति को जड़ ही खोखली कर दी गई है। हमारे हितों को नष्ट कर हमारा सारा पौरुष अपहरण कर लिया गया है। हमारा आत्म-जब्त तो लुप्त हो ही गया था। हम सबको निःशस्त्र करके कार्यों की भांति निःसहाय और बना दिया गया।”

“अनेक देश-बान्धवों की भांति मुझे भी यह सुख-स्वप्न दृष्टि हुआ था कि प्रस्तावित गोलमेज-परिषद् शाब्द समस्या हल कर सके। परन्तु जब आपने स्पष्ट कह दिया कि आप या ब्रिटिश मंत्री-मण्डल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने का आश्वासन नहीं दे सकते, तब गोलमेज-परिषद् वह चीज नहीं दे सकती, जिसके लिए सिद्धि भारत ज्ञानपूर्वक और अशिद्धि जनता दिख-ही-दिख में कूटपटा रही है। पार्लियामेंट का निर्णय क्या होगा, ऐसी आशाएं उठाने ही न चाहिए। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि पार्लियामेंट की मंजूरी की आज्ञा में मंत्री-मण्डल ने किसी खास नीति को पहले से ही अंग्रेजों को दिया हो।

“दिल्ली की मुलाकात निष्फल सिद्ध होने पर मेरे और पण्डित

मोतीबाब नेहरू के लिए १९२८ की कलकत्ता-कंग्रेस के गंभीर पर धमक करने के सिवा दूसरा चारा ही नहीं था ।”

“परन्तु यदि आपने अपनी घोषणा में औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रयोग उसके माने हुए अर्थ में किया हो तो पूर्ण स्वराज्य के से चबराने की ज़रूरत नहीं । कारण, जिम्मेवार ब्रिटिश राजनीतिज्ञों क्या यह स्वीकार नहीं किया है कि औपनिवेशिक स्वराज्य व्यवहार पूर्ण स्वराज्य ही है, लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि राजनीतिज्ञों की यह नीयत ही कभी नहीं थी कि भारतवर्ष को ही औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय ।”

“परन्तु ये तो गईं गुज़री बातें हुईं । घोषणा के बाद अनेक ऐसी हुईं हैं जिनसे ब्रिटिश नीति की दिशा स्पष्ट सूचित होती है ।”

“दिवाकर की भांति अब साक़-साक़ जाहिर हो गया है कि जब ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अपनी नीति में ऐसा कोई परिवर्तन करने बिचार तक नहीं रखते जिससे ब्रिटेन के भारतीय व्यापार को पहुँचने की संभावना हो, अथवा भारत के साथ ब्रिटेन के सम्बन्ध और पूरी जाँच करनी पड़े । यदि इस शोषण की क्रिया किया गया तो भारत दिन-दिन अधिकाधिक निस्सत्त्व होता ही गिनामय की दर बात-की-बात में १८ पेंस कर दी गईं और देश करोड़ की हानि सदा के लिए हो गईं । अर्थ-सदस्य इस संकट समझते हैं और जब और-और दुराहूतों के साथ ब्रिटेन को मेटने के लिए सविनय किन्तु सीधा हमला किया तो आप चुप नहीं रह सकते । आपने भी भारतवर्ष को पीस पीस कर मचाही की ही दुहाई देकर उस उपाय को विफल करने की और ज़मींदार-वर्ग की मदद मांग ही ली ।”

“साहू के नाम पर काम करनेवालों को चुप भी समझ कर और दूसरों को समझाते रहना चाहिए कि स्वधीनता की इस लड़ाई

सुख था है। न समझने से स्वाधीनता इतने विकृत रूप में जा सकती है और यह खतरा हमेशा रहेगा कि भिन करोड़ों मूक किसानों और मजदूरों के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति का प्रयत्न किया जा रहा है और किया जाना चाहिए, उनके लिए वह स्वाधीनता कदाचित् निकम्मी सिद्ध हो। इस कारण मैं कुछ धरसे से जनता को वाञ्छित स्वाधीनता का सुप्ता अर्थ समझा रहा हूँ।”

“मुख्य-मुख्य बातें आपके सामने भी रख दूँ।”

“सरकारी आय का मुख्य भाग ज़मीन का ख़गान है। इसका बोझ बढ़ना भारी है कि स्वाधीन भारत को उसमें काफ़ी कमी करनी पड़ेगी। स्थायी बन्दोबस्त अच्छी चीज़ है, परन्तु इससे भी सुधी भर ज़मीर ज़मींदारों को लाभ है। ग़रीब किसानों को कोई लाभ नहीं। वे तो सदा से बेबसी में रहे हैं। उन्हें जब चाहा बेदखल किया जा सकता है।

“भूमिकर को ही घटा देने से काम नहीं चलेगा, सारी कर-बंदियाँ ही फिर से इस प्रकार बढ़ानी पड़ेगी कि रैयत की भलाई ही उसका मुख्य हेतु रहे। परन्तु मालूम होता है, सरकार ने जो तरीका जारी किया है यह रैयत की जान निकाल लेने को ही किया है। नमक तो उसके जीवन के लिए भी आवश्यक है। परन्तु उस पर भी कर इस तरह लगाया गया है कि वॉ दीखने में तो वह सब पर बराबर पड़ता है, परन्तु इस हृदय-हीन निष्पक्षता का भार सबसे अधिक ग़रीबों पर ही पड़ता है। बाद रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ है जो अलग-अलग भी और मिलकर भी, ज़मीरों से ग़रीब लोग अधिक मात्रा में खाते हैं। इस कारण नमक कर का बोझ ग़रीबों पर और भी ज्यादा पड़ता है। जो की चीज़ों का महसूल भी ग़रीबों से ही अधिक वसूल होता है। इससे ग़रीबों के स्वास्थ्य और सदाचार दोनों पर कुठाराघात होता है। इस कर के पक्ष में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूरी पक्षीय ही जाती है, परन्तु दर असल यह लगाया जाता है ज़ामंदी के लिए।”

नमक-सत्याग्रह-प्रान्दोलन

इसके आगे चलकर महात्माजी ने उन निराशाओं का जिक्र किया कि उन्हें ब्रिटिश सरकार से हुई, और यह प्रकट किया कि जब सत्याग्रह सिखा और कोई धारा नहीं है, क्योंकि सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य के किये भी तैयार नहीं है। वाइसरॉय ने महात्मा गांधी के इस पत्र पर बहुत ही संक्षिप्त उत्तर दिया और उन्होंने इस बात पर प्रकट किया कि गांधीजी कानून तोड़ने पर उतारू हो गये हैं।

नमक-सत्याग्रह की बात सुनकर कई लोग मज़ाक उड़ाने लगे। कलकत्ते के सुप्रसिद्ध इंग्लो-इण्डियन पत्र "स्टेट्स मैन" (Statesman) ने अपने मुख्य अग्र-लेख में तानाकशी करते हुए लिखा था:— "महज वह तक समुद्र के पानी को उबालते रहें जब तक भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य न मिले जाय।" कई कांग्रेसजनों ने भी नमक-सत्याग्रह की सफलता में बड़ा सन्देह प्रकट किया था।

दांडी का प्रयाण

आपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार, ६ अप्रैल सन् १९३० को, महात्मा गांधी ने समुद्र में स्नान कर, नमक-कानून को भंग करने लिये अपने ६३ साथियों के साथ दांडी को कूच किया। इस कूच-प्रयाण के शब्दों में, यह एक ऐतिहासिक भ्रमण और प्राचीन काल के राम और पारुहवों के वन-गमन की घटनाओं की प्रकृति को सज़ा करता था। श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने भी लिखा है— "The march to Dandi was an event of historic importance which will rank on the same level with Napoleon's march to Paris on his return from Elba or Mussolini's march to Rome when he wanted to seize political power."

अतः, महात्माजी की दांडी-कूच एक ऐतिहासिक भ्रमण।

बटना थी, जिसकी तुलना नेपोलियन के एडवा से वापस लौटने के बाद फेरिस की कूच के साथ, या मुसोलिनी की रोम कूच के साथ, जबकि वह राजनैतिक शक्ति इथियाना चाहता था, की जा सकती है।”

महात्माजी की इस कूच से देश के वातावरण में बड़ी चहल-पहल उत्पन्न हो गई। देश भर के समाचार-पत्रों ने इस कूच की छुटी-बूटी खबरों को बड़े व्यापक रूप से प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त, महात्माजी के २०० मील पैदल जाने से, रास्ते के ग्रामों में अद्भुत प्रतिक्रिया बमकने लगी। इसके साथ ही साथ सारे देश में नमक-सत्याग्रह शुरू हो गया। छोटे-छोटे गाँवों तक में नमक बना बना कर लोग नमक कानून तोड़ने लगे। कलकत्ते में तत्कालीन मेयर स्वर्गीय मि०

एम० सेन (J.M. Sen) ने राज्यविद्रोह का कानून (Law Sediton) तोड़ने का उपक्रम किया और वे खुली सभाओं में राज्य-विद्रोही साहित्य पढ़ने लगे। इसके साथ ही विदेशी वस्त्र और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भी जोर-शोर से होने लगा। शराब की दुकानों पर जोर-शोर से धरने देने का काम फिर से शुरू हुआ। दांडी कूच के कुछ दिनों बाद महात्माजी ने महिलाओं की सत्याग्रह में शामिल होने की उत्सुकता को देख कर १० अप्रैल १९३० के Young India में लिखा था:—

“The impatience of some sisters to join the good fight is to me a healthy sign.....In this non-violence warfare, their contribution should be much greater than men's. To call women the weaker sex is a libel. If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior.”

जबार्द “अच्छी लड़ाई में शरीक होने के लिये कुछ जगहों ने जो ब

इता-ग्रहण की है वह एक आरोग्यप्रद विह्व है। इस अहिंसात्मक युद्ध में उनकी देन मनुष्यों से अधिक महान् होनी चाहिये। महिलाओं को श्रमका कहना, उनका अपमान है। यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो स्त्री पुरुष की अपेक्षा बहुत ही अधिक उच्च है।”

इसके बाद, इसी लेख में महात्माजी ने महिलाओं से अपील की कि वे शराब व विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना (Picketing) करें। नशीली चीज़ों के रुक जाने से सरकार की आमदनी २२,००,००,००० पच्चीस करोड़ और विदेशी कपड़ों के रुक जाने ६०,००,००,००० साठ करोड़ रु० का घाटा होगा। उन्होंने महिलाओं से फुरसत के वक्त कातने और बुनने की भी अपील की, जिससे श्रमिकादी की उत्पत्ति बढ़ सके। इस कार्य में यदि उनका अपमान हो तो वे उसे अपने अभिमान की वस्तु समझें।

महात्माजी की इस अपील का देश में चारों ओर प्रचार किया गया और उसका जादू-सा असर हुआ। इसका असर उन महिलाओं पर भी हुआ जो पुराने विचारों की और रहस्य खान्दानों की थीं। पूज्य पंडित महात्माजी की धर्मपत्नी भी, जो पुराने विचारों की आदर्श महिला थी, इस संग्राम में कूद पड़ीं और प्रसन्नता-पूर्वक जेलखाने चली गईं। चारों तरफ से हज़ारों स्त्रियां देश की स्वतंत्रता की भावना को ही हुए संग्राम-क्षेत्र में उतर पड़ीं। शराब-बन्दी का आन्दोलन करनेवाली मिस मेरी केम्बेल भारतीय महिलाओं की इस स्फूर्तिमय जाग्रति व देश एकदम आश्चर्य-चकित हो गईं। उन्होंने २२ जून १९३१ के 'मैनेस्टर गार्डियन' नामक पत्र में दिल्ली की महिलाओं द्वारा किए जानेवाले सत्याग्रह-संग्राम का उल्लेख करते हुए लिखा था कि दिल्ली से १६०० महिलाएँ अपने देश की आज़ादी के लिए जेल जाने गईं।

इसके बाद के सुप्रसिद्ध मज़दूर नेता मि० एच० एन० ब्रैडशोर्ट और

मि० लॉर्ड स्लोकोहम ने कहा था कि अगर सविनय अवज्ञा-आन्दोलन से और कुछ काम न होता, तो भी उसने एक महान् कार्य किया होता। महिलाओं के इस अपूर्व उत्साह और आत्मत्याग ने पुरुषों में भी अद्भुत उत्साह और स्फूर्ति का संचार किया और वे भी लाखों की संख्या में देश की स्वतंत्रता के महान् संग्राम में कूद पड़े।

जैसे जैसे दिन बीतते गये, वैसे वैसे देश में अहिंसात्मक युद्ध और आत्म-त्याग की भावना ज़ोर पकड़ती गई। गांधीजी २ अप्रैल १९३० ई० को अपने लक्ष्य स्थान दांडी पहुँचे। वहाँ उन्होंने नमक बनाकर सरकार के अन्यायपूर्ण नमक-कानून को तोड़ा। सारे देश ने गांधीजी का अनुकरण किया। देश के कोने-कोने में हज़ारों स्थानों में नमक-कानून तोड़ा गया। इसके लिये लोग हर तरह की सजा भुगतने और कष्ट झेन करने को तत्पर हो गये। सरकार ने भी दमन का दौरा-दौरा शुरू किया और अपना ऑर्डिनेन्स-राज्य स्थापित किया। मार्च १९३० के पहले अज्ञात में, सरदार वल्लभ भाई गिरफ्तार किये गये और उन्हें तीन मास की सजा हुई।

बंगाल के सुप्रसिद्ध नेता श्री सेनगुप्ता गांधीजी के दांडी पहुँचने पर पहले ही गिरफ्तार कर लिये गये। इसी समय मेरठ चढबन्ध-केस भी ज़ोर-शोर के साथ चल रहा था। लगभग ६०,००० आदमी इस महान् संग्राम में आगे बढ़ते हुए गिरफ्तार हुए और वे प्रसन्नतापूर्वक जेलखाने चले गये। पुराने जेलखाने ठसाठस भर गये और नये जेलखाने हाथम किये गये। उनमें भी इतने सत्याग्रही पहुँचे कि तिलक रखने की जगह न रही।

नमक-सत्याग्रह के साथ कई प्रान्तों में अन्य प्रकार के सत्याग्रह भी आरम्भ हुए। मध्य-प्रान्त और बम्बई प्रान्त के कुछ हिस्सों में अंगरेजों के निषेधों के खिलाफ लोगों ने सत्याग्रह किया और उन्होंने टिप्पण करना शुरू किया। गुजरात, युक्त-प्रान्त और बंगाल के अनेक हिस्सों

में मुसिकर-बन्दी का आन्दोलन जोर-शोर से आरम्भ हुआ। सीमा-प्रान्त में वहाँ के सुप्रसिद्ध नेता अन्वुल्ल गणकारखाँ के नेतृत्व में सरकार-विरोधी आन्दोलन बड़ी प्रबलता के साथ चला। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि पठान जैसी लड़ाकू ज़ौम ने भी महात्माजी की आज्ञा को शिरोधार्य कर, अहिंसा का पूरी तौर से पालन किया। सीमान्त-गांधी अन्वुल्ल गणकारखाँ ने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं-सेवकों का एक दल संगठित किया। इस दलने उक्त प्रान्त में बड़ी मुस्तीदी से काम किया और पठानों में बड़ी जाप्रति फैलाई। हज़ारों लाखों पठान सत्याग्रह के विजयी झण्डे के नीचे जमा होने लगे। इससे भारत सरकार बड़ी परेशान होगई।

अब सरकार ने अमानुषिक दमन के द्वारा इस आन्दोलन को कुचलने का निश्चय किया। राष्ट्रीय सप्ताह के समय प्रदर्शनकारियों पर कई स्थानों में गोळियाँ चलाई गईं। पेशावर, मद्रास और कुछ अन्य स्थानों में भी गोळियाँ चलने के समाचार आये। रत्तागिरी, सिराहा, पटना, कलकत्ता, शोलापुर आदि सैकड़ों स्थानों से सरकारी दमन की खबरें मिलीं। सत्याग्रहियों पर लाठी-चार्ज किये गये जिससे कई सत्याग्रहियों की खोपड़ियाँ फूट गईं और उनसे खून की धाराएँ बह निकलीं। जेलों में भी सत्याग्रहियों पर लाठियों की वर्षा की गई। कहीं-कहीं पर भयंकर रूप से गोळियाँ चलाई गईं। सीमा-प्रान्त के मुख्य नगर पेशावर में प्रदर्शनकारियों पर २३ अप्रैल को इतने जोर से गोलीबार हुआ कि कई सौ आदमी मौत के घाट उतर गये। इस घटना का कारण यह हुआ कि सीमाप्रान्त के कुछ स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी से वहाँ शान्तिपूर्वक प्रदर्शन होने लगे। इससे तत्कालीन अधिकारियों ने अपने मस्तिष्क का संतुलन खो दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को भिखरने के खिंच-ससस-गाड़ियाँ (Armoured Cars) भेजीं, इन गाड़ियों में गोरे सैनिक थे। बिना सूचना के

हुए, वे गादियों भीड़ में घुस पड़ीं। गोखियों चलाई गईं, जिससे लौम आदमी भरे और कई घायल हुए। इससे भीड़ ने भी अपना संघर्ष को दिवा और उसने गादियों में भाग लगा दी। इस पर सैनिकों को भीड़ पर गोली चखाने का हुक्म दिया गया। भीड़ हटी नहीं और उसने अपनी छाती पर गोखियों की मार सही। इससे एक ही दिन में कई लौम आदमी मारे गये और कई सौ घायल हुए।

इस पर कांग्रेस की जांच-समितिले जांच करने के लिये श्री विठ्ठलभाई पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी को सरकार ने सीमा-प्रान्त जाने की अनुमति न दी। इस पर इसने सीमा-प्रान्त के निकटस्थ पंजाब प्रान्त के कुछ स्थानों में रह कर जांच का काम शुरू किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसको सरकार ने जमाना कर दिया।

इन्हीं दिनों में एक सनसनीखेज घटना हुई। सीमा-प्रान्त के सत्याग्रहियों पर गढ़वाली सैनिकों ने गोली चखाने से इन्कार कर दिया। इस पर इनके लख झीन लिये गये और फ़ौजी अदाखत द्वारा उन्हें जाम्नी और कड़ी सजाएँ दी गईं।

देश की उठती हुई क्रान्तिकारी भावनाओं को देखकर सरकार ने कानून ऑर्डिनेन्स एक्ट को फिर से कार्यान्वित कर दिया। १२१० को प्रेस एक्ट को लागू कर असुबहारों के गलों को चोट दिया। गांधीजी का Young India नामक साप्ताहिक पत्र साइक्लोस्टाईल पर निकलने लगा। इस समय गांधीजी ने लिखा था—“भारतवर्ष इस समय फ़ौजी शासन के पदों में रह रहा है। भारत मानों एक विशाल जेलखाना बन गया है।”

सरकार ने किसी कारणवश गांधीजी को एक मास तक गिरावारी कर दिया। अतएव गांधीजी ने सराही नामक स्थान पर कैद खगा कर

ग्रामीणों में प्रचार करना शुरू किया तथा उन्हें नमक कानून भंग करने के लिये उत्तेजित किया। इसके बाद उन्होंने वाइसरॉय को पत्र कर यह सूचित किया कि वे बरासना के नमक के झरोखे पर भाव्य पर अधिकार करने का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने उक्त पत्र में यह भी प्रकट किया कि नमक सार्वजनिक सम्पत्ति है और सरकार को उस पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके आंतरिक लोगों को बसक सुप्रसन्न मिलना चाहिये।

गांधीजी ने ताड़ के पेड़ों को काटना भी शुरू किया, जिनसे कर्नाटक बनाई जाती थी। स्वतः उन्होंने पहले पहल ताड़ के पेड़ की काटने की कुसहाड़ी मारी। इससे लोग बहुत प्रभावित हुए और उनका अनुकरण करने लगे। कर्नाटक में तो ताड़ के पेड़ों को काटने का सत्याग्रह ही आरम्भ हो गया।

देशव्यापी गति-विधियों के बाद ४ मई १९३० को आधी रात को समस्त एकाएक गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये और वे बरबदा जेल में भेज दिये गये। जब तक वे जेल में नहीं पहुँच गये, तब तक हुने-मिने आदमियों को ही उनकी गिरफ्तारी का समाचार मिला। चकते समस्त गांधीजी ने यह संदेश दिया—

“मरो पर मारो मत”

‘अन्दन टेलिग्राम’ के सम्पादकता ने गिरफ्तारी के दृश्य का बहुत सुन्दर वर्णन किया है—

“जब हम ट्रेन का इन्तज़ार कर रहे थे, वह समय कुछ अजीब लगता था, क्योंकि हम समझते थे कि वह दृश्य जिसके देखनेवाले केवल हम ही हो सकते थे, एक ऐतिहासिक वस्तु हो जायगी। यह एक अद्वैत ही गिरफ्तारी थी—कूट या सप, करोड़ों हिन्दुस्तानी गांधीजी को यह अनुभव हो सकता है कि सौ साल बाद भी

भारतवर्ष और उसका स्वतन्त्र्य-संग्राम

आत्मों के रूप में इस व्यक्ति की पूजा ३० करोड़ हिन्दुस्थानी न
हम इन विचारों को दूर न कर सके। लुबह इस अवतार को
और नज़रबन्द होते देखकर मन न जाने कैसा हो रहा था।”

गिरप्रतारी का असर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय भी हुआ।
देश में हड़ताल हुई। बम्बई की सारी मिर्चें बन्द हो गईं। G.I.P
B. B. & C. I. R. के कारखाने के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी।
के कपड़े के व्यापारियों ने ६ रोज़ की हड़ताल का ऐलान किया।
पुर में जोश अधिक बढ़ गया। ६ पुलिस चौकियां फूँक दी गईं।
की गोली से बहुत से भादमी मारे गये। कलकत्ते में भी गड़बड़

विदेशों में भी महात्माजी की गिरप्रतारी का असर पड़ा। पक्काना
रहनेवाले भारतीयों ने २४ घण्टे की हड़ताल की। सुमात्रा में भी
हुई। फ्रांस के तमाम अख़बार गांधीजी और उनके आन्दोलन
समाचारों से भरे थे। बॉयकॉट का असर जर्मनी में भी हुआ।
के मित्र-माखि़कों के भारतीय एजेंटों ने सामान भारत भेजने से
समाप्त कर दिया।

गांधीजी की गिरप्रतारी के बाद सत्याग्रह ख़दाने का नेतृत्व अण्णास
तैयबजी ने लिया और वे भी १२ मई १९३० को गिरप्रतार कर लिये
गये। अण्णास तैयबजी एक प्रतिष्ठित वृद्ध पुरुष थे, जो बंदीदा के दीवान
हू चुके थे। इनके बाद श्रीमती सरोजनी नाथडू ने नेतृत्व सम्भाला।

गांधीजी और दूसरों की गिरप्रतारी का समाचार सारे देश में विस्तृत
रूप से फैला। नमक-क़ानून तोड़ने की धूम ली मच गई। गुजरात,
बम्बई, महाराष्ट्र और कर्नाटक के धरासना, बादला, सिरोंडा और अमिचल
प्रदि के नमक के जड़ों पर धावे शुरू हो गये। धरासना पर जब धर
का उस समय उस स्थान पर कई विदेशी एजेंटों के संवाददाता भी

के । मिस्टर जेडसफोर्ड और मिस्टर स्कोकोहम ने धावा करने का अहिंसक स्वयंसेवकों की अपूर्व सहनशीलता और अनुशासन की प्रशंसा की थी । स्वयंसेवकों ने अपने रक्त से नये इतिहास का किताब था । धरासना पर जो धावा हुआ उसमें २५०० स्वयंसेवकों का भाग लिया । २६० पुलिस के छाठी प्रहार से बुरी तरह घायल हुए और इन्हीं से २ की तत्काह मृत्यु हो गई । वादजा के नमक के ढिपो पर १५००० मनुष्यों ने धावा किया, जिनमें स्वयंसेवक व गैर स्वयंसेवक दोनों थे । वहां १२० जन पुलिस की छाठियों की मार से ज़ख्मी हुए । ब्रिजफ़ोर्ट में १०,०००—१५,००० मनुष्यों ने नमक के ढिपो (Salt Depot) पर धावा बोला और वे सैकड़ों मन नमक उठा कर लिये ।

इन धावों में स्वयंसेवकों ने अपने अहिंसा-व्रत का पूरी तरह से पालन किया और पुलिस की ओर से मक्हूर उत्तेजना होने पर भी उन्होंने पर हाथ नहीं उठाया ।

“न्यू फ्रीमैन” (New Freeman) के संवाददाता मिस्टर मिचल ने धरासना के रोमान्चकारी दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है—

“During eighteen years of reporting..... I never witnessed such harrowing scenes as Dharasana. Sometimes the scenes were so that I had to turn away momentarily. One interesting feature was the discipline of the volunteers. It seemed they were thoroughly imbued with Gandhi's non-violent Creed.”

अर्थात् “अठ्ठारह वर्ष के मेरे संवाददाता के जीवन में मैंने जैसे-जैसे अहिंसक धारणा का अनुभव किया, जैसे और कहीं नहीं देखा । कभी-कभी

इस इतने दुःखद होते थे कि मुझे उनसे अपना मुँह फिरा लेना पड़ता था। इसमें बड़ी विचित्र बात स्वयंसेवकों का अनुशासन थी। ऐसा माना जाता था कि इन स्वयंसेवकों ने गांधीजी के अहिंसा-धर्म को पूर्ण रूप से आत्मसात् कर लिया है।”

मि० हुसैन, श्री के० नटराजन्, श्री० जी० के० देवघर आदि ने स्वयंसेवकों आंखों से इन नृशंस अत्याचारों को देखकर बह वक्तव्य दिया:—

“सत्याग्रहियों को तितर-बितर करने के लिये यूगोपबन्धन घुड़सवार अपने हाथों में लाठी लेकर तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए निकल जाते थे। वे लोग आसपास के गांवों तक में घावा करते थे। गांवों की गलियों तक में तेज़ी से घोड़े दौड़ाये जाते थे। इस प्रकार मर्द, औरत, बच्चे तक छोटे-बड़े बच्चे भी भगाये जाते थे। लोग भाग कर मकानों में छिप जाते थे। अगर वे छिप नहीं पाते थे तो लाठियों से दुरी तरह पीटे जाते थे।”

इतने पर भी लोगों ने बड़ी सहनशीलता से काम लिया। उन्होंने गांधीजी की अहिंसा-नीति को न छोड़ा। कई वक्त स्वयंसेवकों के साथ ही साथ बेचारे निर्दोष दर्शक भी पुलिस की लाठियों के शिकार बनते थे।

भयंकर दमन नीति

सरकार ने इस समय भयंकर दमन नीति से काम लेना शुरू किया। इसने लोकों कांग्रेस कमिटियों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। देश में चारों ओर लाठीचार्ज और गोलीबारी की घूम मच गई। केन्द्रीय धारा समा में मि० एस० सी० मित्र के प्रश्न के उत्तर में मि० एस० जी० हेग ने बतलाया कि केवल अंग्रेज और मई मास में १६ स्वयंसेवकों को ज़ख्मी चलाई गई, जहाँ १११ मारे गये और ४२२ घायल हुए। इससे पाठकों को यह झट्ट हो जाना कि अहिंसात्मक आन्दोलन की

कुचलने के लिये कितनी कठोर दमन-नीति से काम लिया गया था ।

इसी समय मि० स्त्रीकोहम नामक एक अंग्रेज़ सज्जन ने गांधीजी और सरकार के बीच समझौता कराने का प्रयत्न किया । उन्हें गांधीजी से मिलने की इजाज़त मिल गई और वे सरकार का प्रस्ताव लेकर गांधीजी के पास पहुँचे । पर उनका प्रयत्न सफल न हुआ । इसके बाद जून, जुलाई और अगस्त मास में सर तेज़बहादुर सप्रू और मि० सुकुमार शिव जयकर ने समझौते के कई प्रयत्न किये । पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधीजी से परामर्श करने के लिये बरबस जेल ले जाये गये, पर इस बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला । मिस्टर होरेस एलेक्ज़ेण्डर ने भी समझौते का प्रयत्न किया, पर वे भी असफल हुए ।

असहयोग का यह महान् आन्दोलन ४ मार्च १९३० ई० से ४ मार्च १९३१ ई० तक चलता रहा । भारत के राष्ट्रवादियों ने इसमें अपने ही की स्वाधीनता के पवित्र उद्देश को लेकर बड़े बड़े कष्ट सहन किये और वे हिंसात्मक मार्ग से बचासंभव दूर रहे । इसके विपरीत, ब्रिटिश सरकार ने तमाम आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर भारत — आत्मा को कुचलने का निश्चय किया । उसने ऑर्डिनेन्स, छाठीपाक, गोलीबारी और अन्य आतंकवादी उपायों से काम लेने में कोई कसर उठा न रखी । हमारी महिलाओं ने बहुत बड़ी तादाद में इस आन्दोलन में भाग लिया । हजारों की संख्या में वे जेल गईं, छात्रियों के प्रहारों को उन्होंने सहन किया । कई महिलाओं को पुलिस ने रात के बरत घनघोर जंगलों में ले जा कर छोड़ दिया ।

इस एक वर्ष में नमक-कानून तोड़ा गया, नमक के गोदामों को हिंसात्मक धावे किये गये, सरकार के ऑर्डिनेन्स तोड़े गये । भारत वर्ष के कुछ भागों में कर-बन्दी के आन्दोलन हुए, प्रेस-कानून भंग — अखबार और पर्चे निकाले गये, विदेशी वस्तुओं व वस्तुओं का

क्रिया गया, सरकार के साथ असहयोग किया गया और धरत-समीक्षा का बहिष्कार किया गया। इस वर्ष भर के महान् आन्दोलन ने एक प्रकार की नैतिक विजय प्राप्त की और इससे लोगों में आत्म-विश्वास उत्पन्न हुआ तथा वे सत्याग्रह की अपूर्व शक्ति को समझने लगे।

चटगांव के अस्त्रागार पर सशस्त्र आक्रमण

धर महात्माजी का अहिंसात्मक आन्दोलन जोर-शोर से चल रहा था और उधर बंगाल में क्रांतिकारियों का जोर बढ़ रहा था। भारत के ब्रिटेनी शासन को नष्ट करने के लिये बंगाल के नवयुवक हिंसात्मक और सशस्त्र क्रान्ति के आयोजन कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में जिस अन्धाधुन्धी के साथ अपना दमन-चक्र चला रखा था वह इस क्रान्ति की ज्वाला को सुलगाने में वी का काम कर रहा था। वर्ष १९१० ई० की १८ अप्रैल को बंगाल के चटगांव नगर में करीब ७० नौजवानों ने मिलकर एक साथ पुलिसस्टाइन, टेडीफोन एक्सचेंज और एफ० आई० हेड कार्टर्स पर आक्रमण कर दिया। वे चार टुकड़ों में बँटे थे। यह कब्जा करने का काम ६ बज कर ४५ मिनट से १० बज कर ३० मिनट के अन्दर करीब पौन घण्टे में हुआ। सबसे पहले टेडीफोन और तार, जो चटगांव से ढाका तथा कलकत्ता का सम्बन्ध जोड़ते थे, काट डाले गये और उनमें आग लगा दी गई। एक टुकड़ी जब वह काम कर रही थी तो दूसरी टुकड़ी ने रेल की कुंज काटने काट दी। जो दस एफ० आई० हेडकार्टर्स में गया था, उसने सन्तरी में एक सन्तरी तथा एक सिपाही को वहीं का वहीं मार डाला। वहाँ पर जितनी भी राइफ़्लें, पिस्तौलें आदि मिलीं उनको उन्हीं के अपने कब्जे में कर लिया और एक बंक्सगन भी ले ली। पुलिस स्टेशन वाली जो टुकड़ी थी वह सबसे बड़ी थी। उसने पुलिसस्टाइन सन्तरी को मार डाला, मैगज़ीन लूट ली और वहाँ आग लगा दी।

इन क्रांतिकारियों के नेता सुबंसेन, अम्बिका चक्रवर्ती, और गणेश घोष आदि थे। इस क्रांतिकारी दल को लूट में इशियार मिल चुके थे। इन लोगों का उद्देश्य था कि यदि समूचा भारत हो सके तो उसका एक अंग चटगांव ही, स्वतंत्र कर दिया जाय उद्देश्य से इस दल के लोगों को सैनिक शिक्षा दी गई और पूरी तैयारी करके इन्होंने आक्रमण किया था। इस दल का अपना मुख्यालय भी था।

१२ बजे के लगभग शम्शागार लूटने का समाचार पाकर मजिस्ट्रेट महोदय अपनी मोटर में बैठ कर घटनास्थल पर आये, वहाँ आक्रमणकारियों की ओर से उन पर भी गोशिका चलाई गईं। वहाँ तो साफ़ बच गये लेकिन उनका ड्राइवर घायल हुआ और एक कोली वहीं मर गया।

इस बीच में अन्य उच्च अधिकारियों को अपनी तैयारी के काफ़ी समय मिल चुका था। उन्होंने गुस्ता सैनिकों और मशीनगनों साथ लेकर आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, लेकिन वे सब को उपर की ओर पढ़ने वाली पहाड़ियों की तरफ़ खिसक गये। उनका पीछा करती हुई आगे बढ़ी और एक बड़ा सा घेरा डालकर उनके ऊपर चढ़ने लगी।

क्रान्तिकारियों ने जलालाबाद पहाड़ पर अपना सदर मुकाम बना २२ अप्रैल को फ़ौज के सिपाहियों ने चारों ओर से पहाड़ पर कोशिश की। सवेरे से शाम के २ बजे तक लड़ाई होती रही क्रांतिकारी इस समय में सहीद हुए। फ़ौज के भी लगभग २० काम आये। इस लड़ाई में जो युवक मारे गये उनके नाम ये हैं—

- (१) श्री० नरेशराय (आयु २१ वर्ष) (२) श्री० विठ्ठल महाराज (आयु २० वर्ष) (३) श्री० पुष्पिन विनास घोष (आयु १८ वर्ष)

(४) श्री० जतीमवास (आयु १८ वर्ष) (५) श्री० हरगोपालदास (आयु १८ वर्ष) (६) श्री० मधुसूदन दत्त (आयु १७ वर्ष) (७) श्री० नरेशराय (आयु १७ वर्ष) (८) श्री० मोती (आयु १७ वर्ष) (९) श्री० कम्मू (आयु १७ वर्ष) (१०) श्री० गोके (आयु १७ वर्ष) (११) श्री० प्रवासनाथ दास (आयु १६ वर्ष) (१२) श्री० विक्रम (आयु १६ वर्ष) (१३) श्री० दस्तीदार (आयु १६ वर्ष) (१४) श्री० त्रिपुरासेन (आयु १५ वर्ष) (१५) श्री० हरिगोपाल दास (आयु १५ वर्ष) ।

कई युवक भाग निकले । फौज ने उनका पीछा किया । दोनों पक्षों का झुकाविला और युद्ध बराबर होता रहा जिसमें एक-एक स्थान पर अनेक क्रान्तिकारी शेर रहे । खेत रहने वालों की संख्या ४० के लगभग पहुँच गई थी और सब की आयु ऊपर वर्खान किये गये नवयुवकों के समान ही थी ।

अन्त में इस दल के प्रमुख कार्य कर्ता गेरेन घोष इत्यादि भी पकड़ लिये गये । श्री० अनन्तसिंह ने स्वयं आत्म-समर्पण कर दिया । इस प्रकार ३० आदमियों पर ट्रिब्यूनल अदालत के सामने चटगांव क्लबागार केस चलाया गया । अदालत ने १२ आदमियों को काले पानी का, दो व्यक्तियों को दो दो वर्ष के कारावास का और ६ व्यक्तियों को बौद्ध देने का हुक्म दिया ।

इतने पर भी वहां शांति नहीं हुई । करीब ६ महीने बाद २५ सितम्बर १९३२ ई० को कई क्रान्तिकारियों पहाड़ तली के यूरोपियन क्लब पर आक्रमण किया । एक यूरोपियन मारा गया और १३ घायल हुए । क्रान्तिकारियों की नेत्री कुमारी प्रीतिबता बहुत घायल हो गई, मगर अपने को उन्होंने पुलिस के हाथों निःप्रतार नहीं होने दिया और गोली खाकर वहीं आत्म-हत्या कर ली ।

नौ महीने बाद, गाहराखा नामक गांव में गुरखा फौजी सिपाहियों

ने सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिखा। कुमारी कल्पना दत्त, मण्दिदत्त शान्ति चक्रवर्ती फोजी घेरे को तोड़ कर भाग गईं। कुछ दिनों कल्पनादत्त, मण्दिदत्त और तारकेश्वर दस्तीदार गिरफ्तार कर लिखे गये।

अब दूसरा चटगाँव पडवन्त्र केस चला। इस बार सूर्यसेन और तारकेश्वर दस्तीदार को फाँसी और कल्पनादत्त को आजीवन कैद की सजाएँ मिलीं।

किन्तु इतने पर भी क्रान्तिकारियों का एक दम स्वातन्त्र्य नहीं मिल सका। कहा जाता है कि गुप्तचर विभाग का आसामनुल्हा चटगाँव की जनता पर भयानक अत्याचार कर रहा था। पकटन के मैदान में एक दिन हरिपद भट्टाचार्य नामक १५ वर्ष के बच्चे ने उसे गोली मार दी। हरिपद पकड़ा गया।

क्रिकेट के मैदान में, अंग्रेजों पर कुछ लड़कों ने बम फेंके। इस पर अंग्रेजों ने गोखियाँ चला कर दो लड़कों को मार डाला। इस सिलसिले में कृष्ण चक्रवर्ती और इरेन्द्र चौधरी को फाँसी हुई।

कहने का तात्पर्य यह है कि देश पर महात्मा गांधी का अखंड प्रभाव होने पर भी तथा अहिंसा के दिव्य और महान् सिद्धान्त का प्रभाव होने पर भी देश में कहीं कहीं ऐसी घटनाएँ होती रहीं जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं।



प्रथम गोल्डमेज कॉन्फरेन्स



उधर भारतवर्ष में अहिंसारमक आन्दोलन का जोर बढ़ रहा था और
यही समसनीसैज घटनाएँ हो रही थीं, उधर सरकार ने सन्दन में प्रथम
गोल्डमेज कॉन्फ्रेंस करने का आयोजन किया। स्वयं श्रीमान् सक्काट ने
इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और प्रधान मंत्री ने अध्यक्ष का पद
भरवा किया। इस कॉन्फ्रेंस में इङ्ग्लैंड के तीनों राजनैतिक दलों के
प्रमुख व्यक्ति और भारत की प्रमुख जातियों तथा कांग्रेस के अतिरिक्त अनेक
दलों के सदस्य मौजूद थे। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि वे
प्रमुख देसवासियों की ओर से निर्वाचित नहीं किये गये थे वरन् सरकार
ने उन्हें नामझूद किया था। इस कॉन्फ्रेंस के समय इङ्ग्लैंड में मजदूर
हड़त का मन्त्रिमण्डल था जो भारत के प्रति कुछ सहानुभूति रखता
था। इससे भारत के सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री० सी० वाई० चिन्तामणि ने
अपने "Eighty Years of Indian Politics" नामक ग्रन्थ में
बहु अनुमान लगाया है कि अगर इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रतिनिधि
भाग लेते तो कुछ सफलता हो सकती थी।

कुछ भी हो यह कॉन्फ्रेंस बिना किसी परिधाम के समाप्त हो गई।

य कोई निर्वाचन किया न कोई सिफारिश ही की। कॉन्फ्रेंस की
प्रतिनिधियों ने कुछ सिफारिशें अवरण की थीं। सर चिन्तामणि के
अपार पाकिंवायेक्ट उन्हें स्वीकार कर लेती तो वे भारत को
पर अग्रसर करने में कुछ सहायक होतीं, परन्तु वे स्वीकृत

गांधी-इर्विन पैक्ट

प्रथम गोलमेज परिषद् के बाद २५ जनवरी १९३१ ई० को गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य जेब से छोड़ दिये गये। मि० श्रीनिवास शास्त्री ने गांधीजी से अनुरोध किया कि वे डॉ० इर्विन का मुलाकात के लिये जिनसे। डॉ० इर्विन ने गांधीजी को मुलाकात का प्रस्ताव दिया। इसके बाद गांधीजी और डॉ० इर्विन की निरन्तर मुलाकातें हुईं और आखिर २ मार्च को दोनों के बीच एक हुआ, जो गांधी-इर्विन पैक्ट के नाम से मशहूर है। इस समझौते सम्बन्ध में जो सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई वह निम्नलिखित है—

सरकारी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये कौंसिल सहित गवर्नर का निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया जाता है—

(१) वाइसराय और गांधीजी के बीच जो बातचीत हुई परिणाम स्वरूप, यह व्यवस्था की गई है कि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन बन्द हो, और सम्राट्-सरकार की सहमति से भारत-सरकार द्वारा प्रत्येक सरकारों भी अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करें।

(२) विधान-सम्बन्धी प्रश्न पर सम्राट्-सरकार की अनुमति यह तब हुआ कि हिन्दुस्थान के वैयक्तिक मामलों की उसी योजना — जिन्कार किया जायगा जिस पर गोलमेज परिषद् में पहले विचार हुआ है। यदि जो योजना बनी थी, संघ-संसद उसका एक प्रतिनिधि — इसी प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप और भारत के इतनी ही (विशेष), वैयक्तिक मामलों, कल्पसंस्कृत भाषियों की स्थिति तथा अन्य वैयक्तिक मामलों और जिम्मेदारियों की अदायगी जैसे विषयों के प्रतिनिधि का संरक्षण भी उसके अन्तर्गत प्राप्त है।

की है उसके अनुसार ऐसी कार्रवाई की जावगी जिससे शासन-कार्य की योजना पर बाधे जो विचार हो उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि हों सकें ।

(1) यह समझौता उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है जिनका सविनय अहिंसा-आन्दोलन से सीधा सम्बन्ध है ।

(2) सविनय अहिंसा अमली रूप में बन्द करदी जावेगी और (बन्दों में) सरकार अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करेगी ।
 यह अहिंसा-आन्दोलन को अमली तौर पर बन्द करने का मतलब उन हलकों को बन्द कर देना, जो किसी भी तरह उसके बल आधी हों, सासकर नीचे लिखी हुई बातें:—

(अ) किसी भी कानून की धाराओं का संगठित अंग ।

(ब) जमान और अन्य करों की बन्दी का आन्दोलन ।

(ग) सविनय अहिंसा-आन्दोलन का समर्थन करनेवाली खबरों के पत्रों का प्रकाशित करना ।

(घ) मुल्की और फौजी (सरकारी) नौकरों को या गाँव के अधिकारियों को सरकार के खिलाफ़ अथवा नौकरी छोड़ने के लिये उभाड़ना ।

(3) जहाँ तक विदेशी कपड़े के बहिष्कार का सम्बन्ध है, दो प्रश्न उठते हैं—एक तो बहिष्कार का रूप और दूसरा बहिष्कार करने के इस विषय में सरकार की नीति यह है—भारत की माछी हासल करने के लिये आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति के हितार्थ होने वाले आन्दोलन के अङ्गरूप भारतीय कच्चा-कौशल को देने में सरकार की सहमति है और इसके लिये किये जाने वाले आन्दोलन से समझाने-बुझाने व विज्ञापनबाज़ी के उन उपायों में । कच्चे का कोई इरादा नहीं है, जो किसी की वैयक्तिक स्थिति

गांधी इर्विन समझौता

में बाधा न उपस्थित करें और जो कानून व शान्ति की रक्षा के न हों। लेकिन विदेशी भाख का बहिष्कार (सिवा कपड़े के, विदेशी कपड़े शामिल हैं,) सविनय अवज्ञा-ग्रान्दोखन के दिनों के सम्बन्धतः नहीं तो प्रधानतः—जिटिश भाख के विरुद्ध ही काम मचा है, और वह भी निश्चित रूप से राजनैतिक उद्देश्य की दिने दबाव डालने की गुरज से।

(७) विदेशी भाख के स्थान पर भारतीय भाख का व्यवहार और शराब आदि गलीली चीजों के व्यवहार को रोकने के दिने बाधे जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में तब हुआ है कि ऐसे हैं नहीं दिने जायेंगे जिन्से कानून की नर्बादा का भंग होता विवेकिता उग्र न होगा और उसमें जबरदस्ती, धमकी, रकावट विरोधी प्रदर्शन करना, सर्वसाधारण के कार्यों में खलल डालना किसी उपाय को अर्थ नहीं किया जावगा, जो साधारण अनुसार कुर्म हो। यदि कहीं इन उपायों से काम दिना गया तो की विवेकिता तुरन्त रोक दी जावेगी।

(८) गांधीजी ने पुलिस के आचरण की ओर सरकार काकर्षित किया है और इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट अभियोग भी हैं, जिनकी सार्वजनिक जांच कराई जाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार को ऐसा करने में कड़ी दिक्कत पवती है और उसके ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा ही इसका आजिमी नतीजा वह होगा कि एक दूसरे पर अभियोग लगाये जाने लगेंगे, जिन्से पुनः शान्ति स्थापित होने पवेगी। इन बातों का समझ करके गांधीजी इस बात पर काम करने के लिए राजी हो गये हैं।

(९) सविनय अवज्ञा-ग्रान्दोखन के बन्द दिने जाने पर भी जो कुछ करेगी वह इस प्रकार है—

(१०) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के विफलिते में जो विशेष कानून (ऑर्डिनेंस) जारी किये गये हैं, वे वापस ले लिये जायेंगे।

ऑर्डिनेंस नं० १ (१९३१), जो कि आतंकवादी-आन्दोलन के सम्बन्ध में है, इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता है।

(११) १९०८ के क्रिमिनल-ऑफ-अमेण्डमेण्ट एक्ट के मातहत जो गैर कानूनी करार देने के हुकम वापस ले लिये जायेंगे, वे सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिद्धसिद्धे में जारी किये जायेंगे।

जर्मनी की सरकार ने हाल में क्रिमिनल-ऑफ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत जो हुकम जारी किया है वह इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता है।

(१२) १. जो मुकद्दमे चल रहे हैं उन्हें वापस ले लिया जायगा, वे सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिद्धसिद्धे में चलाये गये होंगे और ऐसे अपराधों से सम्बन्धित होंगे जिनमें हिंसा सिर्फ नाम के लिए होगी या ऐसी ही मोस्साहन देने की बात होगी।

२. वही सिद्धान्त ज़ान्ता फ़ौजदारी की ज़मानती धाराओं के मातहत चलने वाले मुकद्दमों पर लागू होगा।

३. किसी प्रान्तीय सरकार ने बकायत करनेवालों के खिलाफ सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिद्धसिद्धे में 'सीगल प्रेक्ट्रानर्स एक्ट' के तहत मुकद्दमा चलाया होगा या इसके लिए हाईकोर्ट से दरखास्त मिली तो वह सम्बन्धित प्रदायत में मुकद्दमा छोड़ने की इजाज़त के लिए दरखास्त देगी, बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति का कथित अपराध हिंसात्मक या हिंसा को उत्तेजना देनेवाला न हो।

४. सैनिकों या पुलिसवालों पर चलने वाले हुकम-ठट्टी के मुकद्दमों, कोई हों तो, इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आयेंगे।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन

(११) १. वे कैदी छोड़े जायेंगे, जो सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सिद्धसिद्धे में ऐसे अपराधों के लिए कैद भोग रहे होंगे जिनमें नाशक बम की हिंसा को छोड़कर और किसी प्रकार की हिंसा या हिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो ।

२. पूर्वोक्त १. क्षेत्र में आनेवाले किसी कैदी को यदि साथ में कोई का कोई ऐसा अपराध करने के लिए भी सजा हुई होगी कि जिसमें नाशक बम की हिंसा को छोड़कर और किसी प्रकार की हिंसा या हिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो, तो वह सजा भी रद्द कर दी जायगी या यदि इस अपराध सम्बन्धी कोई मुकद्दमा चल रहा होगा तो वापस ले लिया जायगा ।

३. सेना या पुलिस के जिन आदमियों को हुकमतख्ती के सजा हुई है—जैसा कि बहुत कम हुआ है—वे इस माफ़ी के क्षेत्र में नहीं आयेंगे ।

(१४) जुमाने, जो बसूल नहीं हुए हैं, माफ़ कर दिये जायेंगे । इसी प्रकार जमानत फौजदारी जमानती धाराओं के मातहत निकले हुए जमानत-जप्ती के हुकम के बावजूद जो जमानत बसूल नहीं हुई होगी उन्हें भी माफ़ कर दिया जायगा ।

जुमाने या जमानतों की जो रकमें बसूल हो चुकी हैं, चाहे वे भी कानून के मुताबिक हों, उन्हें वापस नहीं किया जायगा ।

(१२) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिद्धसिद्धे में किसी स्थान के निवासियों के खर्च पर जो अतिरिक्त-पुलिस तैनात की गई होगी उसे प्राथमिक सरकारों के निश्चय पर उठा लिया जायगा । इसके अलावा की गई रकम, असादी खर्च से ज्यादा हो तो भी, खोटाई जायगी, लेकिन जो रकम बसूल नहीं हुई है वह माफ़ कर दी जायगी ।

(१६) (ब) वह बख-सम्पत्ति, जो गैर-कानूनी नहीं है और

सविनय अवज्ञा-ग्रान्दोलन के सिद्धसिद्धे में ऑर्डिनेन्सों तथा कौजरी-कानून की धाराओं के मातहत अधिकृत की गई है, यदि अभी तक सरकार के कब्जे में होंगी तो खौट दी जायगी।

(ब) लगान या अन्य करों की वसूली के सिद्धसिद्धे में जो एक सम्पत्ति ज़म्त की गई है वह खौटा दी जायगी, जब तक कि ज़िले के कलेक्टर के पास वह विश्वास करने का कारण न हो कि कलैक्टर अपने ज़िम्मे निकलती हुई रकम को उचित अवधि के भीतर-भीतर चुका देने से जान-बूझ कर हीसा-हवासा करेगा। यह निर्णय करने में कि उचित अवधि क्या है, उन मामलों का ज्ञान खयाल रक्खा जायगा जिनमें ट्रेन्झर-ड्रॉय रकम अदा करने के लिए राजी होंगे पर सचमुच उन्हें उसके ज़िम्मे समय की आवश्यकता होगी, और ज़रूरत हो तो उनका लगान या लगान-व्यवस्था के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार मुक्तवी कर जायगा।

(स) नुकसान की भरपाई नहीं की जायगी।

(द) जो एक सम्पत्ति बेच दी गई होगी या सरकार-द्वारा अंतिम रूप से जिसका भुगतान कर दिया गया होगा, उसके लिए हर्जाना नहीं जायगा और न उसकी बिक्री से प्राप्त रकम ही खौटाई जायगी, इस मूरत में कि जब बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम उस रकम हो जिसकी वसूली के लिये सम्पत्ति बेची गई हो।

(१) सम्पत्ति की ज़म्ती या उस पर सरकारी कब्जा कानून के नहीं हुआ है, इस बिना पर कानूनी कार्यवाही करने की हरेक को छूट रहेगी।

(२) जिस अवज्ञा-सम्पत्ति पर १९३० के नवें ऑर्डिनेन्स कब्जा किया गया है उसे ऑर्डिनेन्स की धाराओं के अनुसार [किया जायगा]।

(ब) जो ज़मीन तथा अन्य अचल-संपत्ति लगान या अन्य किसी क़ानून के सिद्धसिद्धों में ज़ब्त या अधिकृत की गई है और ज़ब्त के क़ानून में है, वह सौदा दी जायगी, बशर्ते कि ज़िले के कलक्टर के वह विश्वास करने का कारण न हो कि देनदार अपने ज़िम्मे निकली को उचित अवधि के भीतर-भीतर चुका देने से जान बुझकर हीला-हवाला करेगा। यह निर्णय करने में कि उचित अवधि क्या है, उन ज़मानों रखा जायगा जिनमें देनदार लोग रकम जमा करने स्वामन्द होंगे पर सचमुच उन्हें उसके खिसे समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका लगान भी लगान-व्यवस्था के सिद्धान्तों के अनुसार मुक्तवी कर दिया जायगा।

(स) जहाँ अचल संपत्ति बेच दी गई होगी, जहाँ तक सम्बन्ध है, वह सौदा अन्तिम समझा जायगा।

नोट:—गांधीजी ने सरकार को बतलाया है, जैसी कि सरकार मिला है और जैसा कि उनका विश्वास है, इस तरह होने किसी में कुछ अवश्य ऐसी हैं जो और क़ानूनी तरीके से और हुई हैं। लेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धी जो जानकारी है इससे हुए वह इस धारणा को मंज़ूर नहीं कर सकती।

(द) संपत्ति की ज़बती या उस पर सरकारी कब्ज़ा ज़ब्त-अनुसार नहीं हुआ है, इस विना पर क़ानूनी कार्रवाई करने का क़ानून को छूट रहेगी।

(१८) सरकार का विश्वास है कि ऐसे मामले बहुत कम जिनमें क़ानून की धाराओं के अनुसार नहीं की गई है। मामलों के खिसे, अगर कोई हों, प्रान्तिक सरकारें ज़िन्दा काम विश्वासे जारी करेंगी कि स्पष्ट रूप से इस तरह की जो सामान्य आदि उसकी वे तुरन्त जांच करें और अगर वह साबित हो

कि और-क्रान्तीयुक्त है तो अविलम्ब उसको रफ़ा-दफ़ा करें ।

(१६) जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफ़ा दिया है उनके रिक्त-स्थानों की जहाँ स्थायी-रूप से पूर्ति हो चुकी होगी वहाँ सर-कारपुराने (इस्तीफ़ा देने वाले) व्यक्ति को पुनः नियुक्त नहीं कर सकेंगे । इस्तीफ़ा देने व ले अन्य लोगों के मामलों पर उनके गुण-दोष की पूर्ण-प्राम्तिव सरकारें विचार करेंगी, जो फिर से नियुक्ति की दरखास्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों व ग्रामीण अधिकारियों की पुनःनियुक्ति-कार्य में उदार-नीति से काम लेंगी ।

(२०) नमक-व्यवस्था सम्यन्धी मौजूदा क़ानून के मंग को मजबूत करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, न देश की वर्तमान आर्थिक परि-स्थिति को देखते हुए नमक-क़ानून में ही कोई खास तबदीली की जा सकती है ।

परन्तु जो लोग ज्यादा गरीब हैं उनके महायत्नार्थ, इस सम्बन्ध में कार्य होने वाली धाराओं को वह (सरकार) इस तरह निरस्त कर देने की तैयार है, जैसे कि अब भी कई जगह हो रहा है, जिससे जिन जगहों में नमक बनाना या इकट्ठा किया जा सकता है उनके आसपास के इलाकों के गांवों के बाशिन्दे वहाँ से नमक ले सकेंगे, लेकिन यह सिर्फ उनके अपने उपयोग के ही लिए होगा, बेचने या बाहर के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं ।

(२१) यदि कॉंग्रेस इस समझौते की बातों पर पूरी तरह काम-न कर सकी तो, उस हालत में, सरकार वह सब कार्रवाई करेगी जो उनके परिहास-स्वरूप, सर्व-साधारण तथा व्यक्तियों के संरक्षण एवं शान्ति और व्यवस्था के उपयुक्त परिपालन के लिये आवश्यक होगी ।

इसकी सन् १९३१ के ४ मार्च की रात को २॥ बने एक सामान्य-विचार-संघीनी वाइसरॉय भवन से बाँटे और उन्होंने सभी व्यक्तियों

कार्य-समिति को सुनाईं। यह समझौता १५ दिन के गम्भीर वाद के बाद तैयार हुआ था। श्रीयुत डॉ० पट्टाभिषीतारामय्या के में इस समझौते में गांधीजी और लॉर्ड इर्विन के श्रेष्ठतम गुणों का प्रदर्शन हुआ था।

५ मार्च की शाम को गांधीजी ने अमेरिकन, अंग्रेज और भारतीय पत्रकारों के सामने एक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने लॉर्ड इर्विन के सौजन्य की, उनके अपार धैर्य की और उनके अपूर्व शिष्टाचार की प्रशंसा की और उन सारी परिस्थितियों का वर्णन किया, जिनके यह समझौता सम्पन्न हुआ।

समझौते की प्रतिक्रिया

गांधी-इर्विन पैक्ट से, जहाँ तक हमारी जानकारी है, जनता में संतोष उत्पन्न हुआ। नरमदल के नेताओं में इससे हुई। संसार के सबसे बड़े साम्राज्य के प्रतिनिधि के साथ एक भारतीय नेता का बराबरी के नाते से समझौता करना आधुनिक भारतीय इतिहास में एक नई बात थी। कुछ क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रनीति की यह विजय थी। बम्बई की कांग्रेस सरकार के भूतपूर्व गृहमंत्री और गुजरात के सुप्रसिद्ध लेखक श्री के० एम० मुन्शी ने "I follow the Mahatma" नामक ग्रन्थ में लिखा है:—

"It was the greatest event in Indian history centuries. An Indian representing the whole India had entered into an agreement with the representative of the greatest empire in modern times." अर्थात् सदियों में भारतीय इतिहास में यह सबसे बड़ी घटना हुई, जब कि सारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भारतीय आधुनिक समय के सबसे बड़े साम्राज्य के प्रतिनिधि के साथ समझौता करने में प्रवृत्त हुआ।

गरमदल के राष्ट्रनेताओं ने और खासकर स्वतन्त्रता के लिये अर्धीरातियों ने इसे पसन्द नहीं किया। नवयुवक-समाज के हृदय-सम्राट् सुभाषचन्द्र बोस को इस समझौते से बड़ी अरुचि हुई। पंडित नेहरू अपने "Mahatma Gandhi" नामक अंग्रेजी लिखते हैं:—

"On the night of the fourth of March we till midnight for Gandhi's return from the 'oy's House. He came back about 2 a m we were wakened and told that an agreement been reached.

We saw the draft. I knew most of the clauses, they had been often discussed, but at the top, clause 2 with its reference to safeguards, gave me a tremendous shock. I was wholly unprepared for it. I said nothing then, and we all retired." अर्थात् "४ मार्च को आधीरात तक हम वाइसरॉय-भवन से गांधीजी के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। वे लगभग रात के २ बजे आये और हमें जगा कर बतलाया गया कि समझौता हो गया है।"

"हमने समझौते के मसौदे को देखा। मैं उसकी बहुत सी धाराओं को जानता था, क्योंकि उनके विषय में अक्सर वादानुवाद हुआ करता था। किन्तु ठीक शीर्ष स्थान ही में धारा २ को देखकर मुझे जबरदस्त लगा। उसमें संरक्षण आदि का उल्लेख था। मैं उसके लिये तैयार न था। फिर भी उस वक्त मैंने कुछ भी न कहा और सोने के लिये चले गये। आगे चलकर फिर नेहरूजी इसी प्रकार लिखते हैं:—

“The question of our objective of independence also remained? I saw in that clause 2 of the instrument that even this seemed to be jeopardized. Was it for this that our people have behaved gallantly for a year? Were all our brave deeds to end in this? The independence resolution of the congress, the pledge of January 26 so often repeated? So I lay and pondered that march night, and in my heart there was a great emptiness as of something precious gone almost beyond call.”

अर्थात् “हमारे लक्ष्य—स्वतंत्रता—का प्रश्न भी था। मुझे की घारा २ से मालूम पड़ा कि इस से वह लक्ष्य भी खतरों में पड़ गया इसी के लिये हमारे लोगों ने सारे वर्ष भर तक इतनी लड़ाई लड़ी थी? क्या हमारे सारे वीरता भरे शब्दों और यहीं अन्त होने वाला था? क्या इसी के लिये स्वतंत्रता दिवस २६ जनवरी पास किया गया था और क्या इसी के लिये २६ जनवरी इतनी बार दुहराई गई थी? मार्च मास की उस रात को इन्हीं बातों पर विचार करता रहा और मुझे अपने हृदयमें बड़ी का अनुभव होने लगा, मानों कोई बहुमूल्य वस्तु चली गई जिसके वापस मिलाने की आशा नहीं है।

सरदार वल्लभभाई पटेल इस समझौते के ज़मीनों सम्बन्धी भी सहमत न थे।

कहने का भाव यह है कि गांधी-इर्विन समझौते को कुछ अनन्य भावों ने भी नापसन्द किया था। पर जैसा कि हम पहले ज़िक्र करें, सर्वसाधारण जनता ने इसे महात्माजी की विजय

जी। इस बात को "India Today" के लेखक सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट प्रवक्ता श्री आर० रजनी पामदत्त तक भी स्वीकार करते हैं। आप लिखते हैं:-

The fact that British Government had been compelled to sign a public treaty with the leader of the national Congress, which it had previously declared an unlawful association and sought to smash, was undoubtedly a tremendous demonstration of the strength of national movement. This fact produced at first a widespread sense of elation and victory, except among the more politically conscious sections, who understood what had happened and saw that all the struggle and sacrifice had been thrown away at the negotiating table.

अर्थात् "ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जिसे उसने पहले कानूनी संगठन करार दिया और नष्ट करने का प्रयत्न किया नेता के साथ एक सार्वजनिक समझौता (संधि) करने को बाध्य हुई. यह बात निःसंदेह राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति का अत्यन्त शक्तिशाली (महान्) प्रदर्शन था। इस बात ने सर्व प्रथम हर्ष और विजय की व्यापक भावना को जन्म दिया, किन्तु अधिक सचेतन राजनैतिक दृष्टि वाले इस प्रकार की भावना से दूर रहे क्योंकि जो कुछ हुआ था उसे समझ गये थे और उन्होंने देखा कि सारा संघर्ष और बलिदान आगे की बहस में ही विलीन हो गया था।"

कराँची की कांग्रेस



गांधी-इर्विन समझौते के कुछ ही समय बाद कराँची में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। कांग्रेस के सुबे अधिवेशन में उक्त समझौते का प्रस्ताव रखने का काम पं० जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। कहना न होगा कि नेहरूजी के सामने बड़ा घर्म-संकट उपस्थित हुआ। उनके मनोजगत में द्वन्द्व होने लगा। उन्होंने अपने इसी मनोद्वन्द्व (Mental Conflict) की अवस्था में उक्त प्रस्ताव रखा।

के अलौकिक प्रभाव और महान् व्यक्तित्व के कारण उक्त प्रस्ताव बड़े बहुमत से पास हो गया। समझौते के कट्टर विरोधी सुभाषचन्द्र बोस तक ने इसका विरोध करना उचित न समझा। इसका कारण उन्होंने यह बतलाया कि ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता के भंग होने का डर था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के प्रतिनिधियों का बहुत बड़ा हिस्सा समझौते के पक्ष में था। इसमें उग्रवादियों (Leftists) की हार और गांधीजी की भारी विजय हुई। पं० नेहरू अपने "Mahatma Gandhi" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं:—

"The Karachi congress was an even greater personal triumph for Gandhiji than any previous congress had been. The President, Sardar Va" Bhai Patel, was one of the most popular and forceful men in India with the prestige of victorious leadership in Gujrat, but it was the Mahatma who dominated the scene."

अर्थात्, “कराँची की कांग्रेस गांधीजी के लिये पहले की सब कांग्रेसों की अपेक्षा सबसे बड़ी वैयक्तिक विजय थी। कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वरसभ भाई पटेल भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय और सक्रिय शान्दी व्यक्तियों में से थे, जिन्हें गुजरात के विजयी नेतृत्व का गौरव प्राप्त था। पर इसमें सारे दृश्य का प्रभुत्व महात्माजी कर रहे थे।”

कांग्रेस के इस अधिवेशन में गांधी-हर्विन समझौता और द्वितीय गोब्लमेज़ कॉन्फ़ेन्स के प्रस्ताव मुख्य थे, जो बहुत बड़े बहुमत से पास हो गये। गांधीजी द्वितीय गोब्लमेज़ कॉन्फ़ेन्स के लिये भारतवर्ष की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि चुने गये।

इसके अतिरिक्त इस अधिवेशन में जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ, वह जनता के मौलिक अधिकारों के विषय में था। उपवादी एक इस प्रस्ताव को पाल करवाने में अधिक उत्सुकता प्रकट कर रहा था। उसे पिछले दिनों की कुछ घटनाओं से यह आशङ्का होने लगी थी कि कांग्रेस अपने ‘पूर्ण स्वाधीनता’ के आदर्श से धीरे-धीरे खिसक कर ‘औपनिवेशिक स्वराज्य’ की ओर गति कर रही है। स्वयं पं० जवाहरलाल नेहरू इन मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव में बड़ी दिलचस्पी प्रकट कर रहे थे। उनके विचारानुसार यह एक ऐसा विषय था जिसपर राष्ट्र को अपने विचार स्पष्टता प्रकट कर देने चाहिए थे और सर्वसाधारण में इस विषय का ज्ञान फैलाने के साधन भी उपस्थित किये जाने चाहिए थे।

एक और प्रस्ताव जिस पर कांग्रेस ने विचार किया, वह बन्दिनों की रिहाई के बारे में था। उस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि बन्दिनों की रिहाई के सम्बन्ध में सरकार केवल कंजूसों जैसी नीति ही नहीं बरत रही है, वरन् उन बादों से भी मुक्त नहीं है और उन कर्तों को भी तोड़ रही है, जो उसने समझौते के सिद्धसिद्धि में की थीं। इसलिये वे अपना यह दृढ मत प्रकट किया कि “बदि सरकार और के समझौते का उद्देश्य ग्रेट-ब्रिटेन और भारत में सम्भावना-

बढ़ाना है और यदि वह समझौता ग्रेट ब्रिटेन की शासनाधिकारियों की वास्तविक इच्छा को प्रकट करता है तो सरकार को चाहिये सब राजनैतिक बन्धियों, नजरबन्दों तथा विचाराधीन बन्धियों समझौते की शर्तों में नहीं भी आते हैं, रिहा करदे और राजनैतिक अबोधताओं को हटा ले जो सरकार ने भारतीयों पर वे भारत में हों या विदेशों में, उनके राजनैतिक विचारों का कारण लगा रखी हैं।”

कांग्रेस ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि “बदि प्रस्ताव के अनुकूल कार्य करेगी तो जनता का वह रोष जो फौंसियों के कारण उत्पन्न हो गया है, कुछ कम हो जावगा।”

भगतसिंह को फौंसी

सरदार भगतसिंह की क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों और उन पर गये आरोपों का गत पृष्ठों में उल्लेख किया जा चुका है। महात्मा ने सरदार भगतसिंह और उनके साथियों की फौंसी को रूकवाने का प्रयत्न किया, पर वे सफल न हो सके। करौंची कांग्रेस अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले ही, सरदार भगतसिंह और उनके साथी, राजगुरु और सुखदेव, फौंसी पर खटका दिये गये थे। कांग्रेस में शोक की घनघोर घटा ब्याई हुई थी, और तत्कालीन सरकार के इस क्रूर के खिन्नाफ सारे देश में क्रोधाग्नि प्रबल रूप धौंष-धौंष जल रही थी। डा० वी० पट्टाभिषीतारामय्या का विचिक्कुल सत्य है कि “उस समय भगतसिंह का नाम भारत उगुना ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय था जितना गांधीजी का।” वे अपने एक प्रस्ताव में सरदार भगतसिंह और उनके साथी और काश्म त्याग की बड़ी प्रशंसा की।

विद्यार्थीजी का बलिदान

कांग्रेस के इसी अधिवेशन में कानपुर के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय

“प्रताप” के सम्पादक श्री० गणेश शंकरजी विद्यार्थी की कानपुर में मुसलमानों द्वारा हत्या होने का समाद मिला। इससे भी कांग्रेस में महाशोक का वातावरण छा गया। विद्यार्थीजी हिन्दू-मुस्लिम एकता के कट्टर पक्षपाती थे, और वे हिन्दुओं की क्रोधाग्नि से मुसलमानों की रक्षा करने गये थे, पर मुसलमानों के झुण्ड ने बड़ी निर्दयता के साथ उनकी हत्या कर डाली। उनकी खाश भी बड़ी छिन्न-भिन्न अवस्था में मिली।

गणेशजी के बलिदान से सारे देश में शोक छा गया। राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेवाएँ सदा स्मरणीय रहेंगी। उन्होंने “प्रताप” के द्वारा देश की राष्ट्रीय भावना में प्राण फूँकने का बृहत् कार्य किया था। देशी राज्यों की प्रजा के लिये भी उन्होंने अपनी आवाज़ बुलन्द की थी। उनका सौजन्य और उनका महान् त्याग राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा।



द्वितीय गोलमेज कान्फ्रेन्स और गांधीजी

जैसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैं महात्मागांधी को कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज कान्फ्रेन्स के लिये चुना था। महात्माजी ११ सितम्बर को मार्सेल्लोज़ टापू में पहुँचे और वहाँ से उनके कुछ कार्य मित्र, छन्दन तक उनके साथ हो लिये। वे १२ सितम्बर से लगभग १ दिसम्बर १९३१ तक छन्दन में रहे और उन्होंने गोलमेज कान्फ्रेन्स में १२ भाषण दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने संघ-निर्माण-समिति (Federal Structure Committee) के सामने ८ और अल्पसंख्यक-समिति (Minorities Committee) के सामने दो भाषण दिये। १५ सितम्बर को संघ-निर्माण-समिति के सामने भाषण देते हुए उन्होंने कहा था:—

“...Time was when I prided myself on being and being called a British subject. I ceased for many years to call myself a British subject; I would far rather be called a citizen than a subject. But I have now aspired—and I aspire—to be a citizen, not in the Empire but in the Commonwealth, in a partnership, If God will an indissoluble partnership, but not a partnership superimposed upon one nation by another.”

अर्थात्, “एक वक्त था जब मैं अपने आपको ब्रिटिश नागरिक

कहलाने में अभिमान का अनुभव करता था। कई वर्षों से मैंने अपने आपको ब्रिटिश प्रजाजन कहना बन्द कर दिया है। अब मैं ब्रिटिश प्रजाजन के बजाय विद्रोही कहलाना अधिक पसन्द करूंगा। अब मैं प्रजाजन्म के बजाय एक समानतंत्र (कॉमन वेल्थ) या ऐसी साकेदारी का नागरिक होने की आकांक्षा रखता हूँ जो कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर छादी न गई हो; और सम्भव हो तथा ईरवरीय हो तो वह साकेदारी अभंग हो।”

द्वितीय गोबमेज परिषद् के प्रतिनिधियों और अन्य बातों को देख महात्माजी का रहा सदा आशावाद भी खतम होने लगा। उन्हें पर भी दुःख हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अधिक की प्रतिनिधि संस्था न मानकर अन्य दलगत संस्थाओं को एक संस्था मानली थी।

इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजनैतिक चतुरता से परिस्थिति उत्पन्न की जिससे साम्प्रदायिक समस्या सुलझने में उलझ गई। सन् १९३१ के ८ अक्टोबर को महात्मा गांधी समस्या पर बोलते हुए गोबमेज परिषद् से निराश्रय होकर प्रकट किये थे—

“It is with deep sorrow and deeper humiliation that I have to announce utter failure on my part to secure an agreed solution of the Communal problem through informal conversation among the representatives of different groups. I say that the conversations have to our utter failure failed is not to say the whole truth. Causes were inherent in the composition of Indian deligation. We are almost all not

elected representatives of the parties or we are presumed to represent, we are held in nomination of the Government. Nor are those whose presence was absolutely necessary for an agreed solution to be found here."

अर्थात्, "मैं गहरे दुःख और अधिक गहरे अपमान के साथ यह करता हूँ कि मैं विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ अनिश्चितता के द्वारा साम्प्रदायिक समस्या का सर्वसम्मत हल निकालने में रहा हूँ। पर यह कहना कि ये वार्तालाप असफल हुए हैं, सर्वांग-बर्ही है। भारतीय प्रतिनिधियों का जिस प्रकार संबोधन किया गया है, इस असफलता के कारण निहित है। जिन दलों या पार्टियों के प्रतिनिधि मनि गये हैं, उनके हम प्रायः सब ही चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। वहाँ हम सरकार द्वारा मनोनीत होकर आये हैं। वहाँ वे लोग मौजूद हैं जिनकी उपस्थिति सर्वसम्मत हल निकालने में आवश्यक थी।

कहने का भाव यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में महात्माजी को नहीं मिला। अल्पदल की कमेटी की दूसरी बैठक होने के पहले ही इस की जातियों के प्रतिनिधियों ने आपस में मेल-जोल समझौता कर लिया जो "अल्पदल का समझौता" (Minority Pact) के नाम से प्रसिद्ध है। यह समझौता ब्रिटिश सहमति से किया गया था। इसमें सिक्कों ने भाग नहीं लिया। समझौते में दखिल जातियों के लिये चारा समाजों में विशिष्ट स्थान रखे गये और उनके लिये भिन्न निर्वाचन पद्धति भी आई। १९३१ की १३ नवम्बर को प्राइम मिनिस्टर मि० रेड्डी की अध्यक्षता में अल्पदल कमेटी (Minorities Committee) की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समझौता भारतवर्ष के ११,२०,००,००० आदिमियों को

मि० रेण्डे मेक्डानल्ड ने महात्माजी के द्वारा गत बैठक में की गई आलोचना का जवाब देते हुए यह प्रकट किया कि साम्प्रदायिक समस्या के हल न होने से भारतवर्ष के विधान-निर्माण की प्रगति में बाधा आ रही है। इस पर महात्मा गांधी ने बड़े जोरदार शब्दों में कांग्रेस महोदय को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस न केवल ब्रिटिश भारत की वरन् सारे भारतवर्ष की ८५% जनता का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि कांग्रेस किसी भी ऐसे हल को स्वीकार करने के लिये तैयार है जो हिन्दू मुसलमान और सिक्खों को मान्य हो, पर वह किसी ऐसे विशिष्ट संरक्षक में सहयोग न देगी जो किसी अन्य अल्पसंख्यक दल को दिया जायगा। महात्माजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार साम्प्रदायिक समस्या का निश्चित निर्णय करने के लिये एक न्याय-समिति (जुडीशियल ट्रिब्यूनल) ज़रूर करदे।

ईस्वी सन् १९३१ की १३ अक्टूबर को संघ-निर्माण समिति (Federal Structure Committee) के सामने महात्माजी ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court for India) के सम्बन्ध में कांग्रेस का दृष्टिकोण रक्खा। आपने इस बात पर जोर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय (Federal Court) का अधिकार-क्षेत्र बहुत व्यापक और विशाल होना चाहिये। उसका अधिकार-क्षेत्र केवल संघीय कानूनों (Federal Laws) तक ही सीमित न होना चाहिये। १७ नवम्बर १९३१ को महात्माजी ने कांग्रेस की यह मांग रक्खी कि फ़ौज और वैदेशिक मामलों पर स्वराज्य-सरकार का पूर्ण अधिकार होना चाहिये।

सन् १९३१ की १६ नवम्बर को गांधीजी ने उक्त संघ-निर्माण समिति के सामने ब्रिटेनवासियों के लिये रक्खे गये व्यापारिक अधिकार कानूनों में विरोध किया और यह बतलाया कि वे

संरक्ष्य भारतवासियों के हितों के लिए बातक हैं। उन्होंने जातीय बात की घोर निन्दा की और फ़ौजदारी मुकद्दमों में यूरोपियनों को जाने वाले विशेषाधिकारों का घोर विरोध किया।

२५ नवम्बर को गोलमेज परिषद् के सामने अपना दूसरा भाषण देते हुए महात्माजी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की भावी राष्ट्रीय सरकार भारत के विदेशी कर्ज की जिम्मेदारी लेने के पहले उसकी निष्पक्ष जांच को आवश्यक समझेगी। इस संबंध में उन्होंने कराँची कांग्रेस द्वारा नियुक्त "भारत के सरकारी कर्ज की जाँच-समिति" (Public Debt Enquiry Committee) की रिपोर्ट उद्धृत किया। गांधी जी ने १ शिलिंग ६ पैसे की विनिमय दर मुक़रर करने का विरोध किया और कहा कि भारतवासियों की माँग के अनुसार दर १ शिलिंग ४ पैसे होनी चाहिये। आगे चलकर गांधीजी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था के अधिकार के विषय में बोलते हुए यह प्रकट किया:—

"I would want complete control of the Indian finance if India was really to have responsibility at the centre. In my opinion, unless we have control over our own purse, absolutely unrestricted, we shall not be able to shoulder the responsibility, nor will it be a responsibility worth the name."

"अगर भारत को केन्द्रबर्ती शासन में वास्तविक उत्तरदायित्व प्राप्त हो तो मैं भारत की अर्थ-व्यवस्था (Finance) पर पूर्ण अधिकार चाहूँगा। मेरी राय में अगर हमें अपनी थैली पर पूर्णतया बाधा रहित अधिकार न होगा तो हम उत्तरदायित्व का बोझ उठाने में समर्थ न होंगे और न ऐसा उत्तरदायित्व अपने नाम को ही सार्थक करेगा।"

इसी दिन एक दूसरे भाषण में महात्माजी ने यह प्रकट किया कि

गांधीर बिचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि प्रान्तीय स्वातन्त्र्य और केन्द्रीय उत्तरदायित्व (Provincial autonomy and Central responsibility) साथ-साथ चलने चाहिये। क्योंकि विदेशी हुकूमत द्वारा शासित सुदृढ़ केन्द्रवर्ती शासन और सुदृढ़ प्रान्तीय स्वातन्त्र्य परस्पर विरोधी तत्व हैं।

केन्द्रवर्ती शासन के उत्तरदायित्व पर भाषण देते हुए गांधीजी ने कहा—

“I want that responsibility at the centre that will give me, as you all know, control of the army and finance. I know that I am not going to get that here and now and, I know there is not a British man ready for that. Therefore, I know I must go back and yet invite the nation to a course of suffering.”

“अर्थात्, “जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं ऐसा उत्तरदायित्व चाहता हूँ जिसमें फौज और अर्थ-व्यवस्था पर अधिकार रहे। मैं जानता हूँ कि वहाँ अभी मुझे वह न मिलेगा और मैं यह भी जानता हूँ कि कोई ब्रिटिशजन इसके लिये अभी तैयार नहीं है। इसलिये मैं समझता हूँ कि मुझे वापिस जाना चाहिये और राष्ट्र को कष्ट सहन करने के लिये आमंत्रित करना चाहिये।”

३० नवम्बर को गांधीजी ने गोखलेज-परिषद् के सामने ब्रिटिश अधिकारियों को सम्बोधन करते हुए कहा—“आपने वर्यपि कांग्रेस को आमंत्रित किया है पर आपने उसके उस दावे को अस्वीकृत कर दिया है कि वह सारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करती है।” सम्बन्धित समस्या का निष्कार करते हुए गांधीजी ने यह अप्रिय सत्य कहा—“उक्त विदेशी सत्ता की कीमत हमें सब तक वह बलि बलि और बलि

को बचाती रहेगी और कभी सच्चा हल न निकलने देगी। वह परिस्थिति उत्पन्न करती रहेगी जिससे उन जातियों में सच्ची मित्रता संबंध स्थापित न हो सके। राष्ट्रीय मांग का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा:—

“Call it by any name you like, a rose smell as sweet by any other name, but it must be the rose of liberty that I want and not the product.”

अर्थात्, “उसे आप जिस नाम से चाहें पुकारिये, गुलाब का स्वाद रखने पर भी वह उसी प्रकार मीठी सुगंध देता रहेगा, स्वतंत्रता का होना चाहिये, जिसे मैं चाहता हूँ। वह अंगरेजों न होना चाहिये।” इसके बाद गांधीजी ने स्वतंत्रता की इच्छा करते हुए गद्गद् स्वर से कहा, “I want to become a liber with the English people; but I want to precisely the same liberty that your people enjoy”

अर्थात्, “मैं अंग्रेज जनता के साथ भागीदार होना चाहता हूँ। पर मैं ठीक वही स्वतंत्रता चाहता हूँ जिसका तुम्हारे लोग हैं।” भारतीय छात्रकवादियों का जिक्र करते हुए गांधीजी ने कहा, “आप उन बेटों को नहीं देख रहे हैं जिन्हें छात्रकवादी कहते हैं।” आखिर गांधीजी ने अत्यन्त भावुकता के उपस्थित सदस्यों को संबोधन करते हुए ये उद्गार प्रकट किये, “मैं अपनी सारी शक्तिमत्त यह कहना चाहता हूँ कि मैं अपने देश के लिये समानता ही चाहता हूँ। मैंने कभी और सोचना का विषय न होना कि मुझे फिर से कभी-कभी प्रकट करना पड़े। पर अगर आप में से गुजरने ही नहीं सिद्धि उत्पन्न हुई तो मैं इसकी सच्ची भावना और सच्ची

स्वीकार करूँगा, और मैं यह समझूँगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह ठीक है और जो कुछ मेरा देश कर रहा है वह अपने अधिकारों का रक्षा के लिये कर रहा है।”

गाँधीजी ने भारतीय स्वतन्त्रता के लिये जोरदार आवाज़ उठाई और उनसे करते बना वह उन्होंने किया, पर वे सफल न हुए। इसका यह था कि इस समय मज़दूर-दल के मंत्रि-मण्डल का अन्त हो था और उसके स्थान पर नई सरकार बन चुकी थी जो कहने भर में तो 'संयुक्त' थी, परन्तु वास्तव में अनुदार दल की ही थी। इस बार काँग्रेस में ब्रिटिश सरकार का जो प्रतिनिधि-मण्डल था, उसका पिछले सालवाले प्रतिनिधि-मण्डल से बहुत भिन्न था। मि० वैजवुड का स्थान सर सैमुअल होर ने ग्रहण कर लिया था। इन दोनों नामों से ही यह प्रकट हो जाता है कि ब्रिटेन के लड़ में कितना आ गया था। कुछ मिला कर दूसरी काँग्रेस पहली काँग्रेस जैसा अधिक असंतोषजनक रही। पहली काँग्रेस मज़दूरों की सरकार तथा मि० वैजवुड बैन जैसे भारत-मंत्री के समय थी, और उसके बाद एक ओर तो सत्याग्रह-आन्दोलन रोक दिया गया तथा दूसरी ओर राजनैतिक क़ैदी छोड़े गये थे। दूसरी काँग्रेस अनुदार दल की सरकार तथा सर सैमुअल होर जैसे भारत-मंत्री के समय में हुई और उसके बाद एक ओर तो फिर से सत्याग्रह का प्रारम्भ हुआ और दूसरी ओर दमन—सन् १९३० से भी अधिक भयानक दमन—कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त उस समय की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति वर्तमान समय अनुकूल न थी। वर्तमान स्वतन्त्रता प्राप्ति में जहाँ हमारे राष्ट्रिय आत्म-त्याग ने काम किया वहाँ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति—बहुसूत्र्य सहायता की। यह एक वास्तविक सत्य है जिसकी इतिहासकेता उपेक्षा नहीं कर सकता।

महात्माजी का भारत आगमन



गोलमेज़ परिषद् से असफल होकर सन् १९३१ ई० की २८ दिनांक को खाड़ी हाथ महात्माजी बम्बई पहुँचे। बम्बई में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने उनके भव्य स्वागत की तैयारियाँ कर रक्की थीं। इस बम्बई में उनका जो शानदार स्वागत किया गया वह ऐसा था जिससे उनके सत्राटों का मस्तक भी झुक जाय। उनका जुलूस बम्बई के इतिहास में एक अपूर्व घटना थी। जनता ने छात्रों की तादाद में अपने प्रिय नेता को हार्दिक स्वागत किया। उसी दिन शामको आज़ाद मैदान में एक सार्वजनिक व्याख्यान हुआ जिसमें जनता का समुद्र उमड़ पड़ा था। कहा जाता है कि २ लाख से ऊपर उत्सुक जनता इस भाषण को सुनने के लिये एकत्रित हुई थी। महात्मा गाँधीजी ने अपने व्याख्यान में गोलमेज़ परिषद् में उन्हें जो कड़े अनुभव हुए, उनका वर्णन किया। परिषद् के प्रतिरुद्ध इस भाषण में उन्होंने अपनी यह भयंकर प्रतिज्ञा दोहरायी—

“हिन्दू जाति से जातूतों को जुदा करनेवाले किसी भी प्रयत्न को बरदास्त नहीं करूँगा, बल्कि मौका पडने पर उसके विरोध में अपनी जान तक दे दूँगा।”

गाँधीजी से मिलने के लिये और उन्हें अपने-अपने प्रान्त की मुक्तता या सुनाने के लिये निम्न-निम्न प्रान्तों से अनेक प्रतिनिधि जावे हुए थे। गाँधीजी बराबर तीन दिन तक उनकी बातों को सुनते रहे और अपनी अनुपस्थिति में उत्पन्न हुई परिस्थिति का प्दानपूर्वक सम्बन्ध करते रहे। इन प्रतिनिधियों से उन्हें मालूम हुआ कि देश में चारों ओर भयंकर दुर्गम स्थिति प्रचलित है। इन लोगों का बोलचाल ही रहा है। इस समय संसदीय

दुर्विन ने अक्सर प्रहृष्य कर लिया था और उनके स्थान पर डॉ. विधिगडन भारत के गवर्नर जनरल का काम कर रहे थे। उन्होंने गाँधी-दुर्विन सम्झौते की शर्तों को ताक में रख कर भयंकर दमन के द्वारा स्वातन्त्र्य-आन्दोलन को कुचलने का निश्चय कर लिया। पंडित जवाहर-लाल नेहरू महात्माजी का स्वागत करने बम्बई जा रहे थे कि रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

इस बीच देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। खेती की पैदावार के भाव गिर जाने से किसानों की आर्थिक अवस्था बहुत ही गिर गई थी। इतने पर भी सरकार कर बढ़ाने पर तुली हुई थी। इन सब बातों से उन्हें परिचित कराया गया। उन्हें बतलाया गया कि युक्त-प्रान्त और सीमा-प्रान्त में भी ऑर्डिनेन्स जारी कर दिये गये थे। आरज़ी सुबह के दिनों में राज्य का गाढ़ा इन ऑर्डिनेन्सों से ही ढंका जा रहा था। गाँधीजी मज़ाक में कहा करते थे, "यह तो डॉ. विधिगडन का दिया नये साख का तोहफ़ा है।" पर वह एक कलामाजी की धाँसि शान्ति के लिये अपनी पूरी कोशिश किये और ही देश को नई ज़ुबानों में ढालनेवाले पुरुष न थे। सुबह से लेकर शाम तक गाँधीजी का सारा समय तमाम प्रान्तों से आये हुए शिट-मचडलों से मिश्रण में ही बीता था, जो सरकारी अफ़सरों द्वारा प्रत्येक प्रान्त में किये गये अत्याचारों की कथाएँ सुनाते थे। देश में भयंकर मन्दी और घोर संकट था। फिर भी कर्नाटक को इतने लम्बे समय तक युद्ध में खगे रहने पर भी कोई रिहायत नहीं दी गई। आन्ध्र में खगान बढ़ाया जानेवाला था। मद्रास के गवर्नर ने तो यहाँ तक धमकी दे रखी थी कि अगर लोग प्रत्येक होने की बात करेंगे जो ऑर्डिनेन्स जारी कर दिये जायेंगे। इस की दुःख-गाथाएँ गाँधीजी को सुनाई जा रही थीं। उन्हें भी अपने ही की कहानी लोगों को सुनानी थी, जो उन पर खन्दन में लीटते थे। जोधपुर-परिषद् में जाना ही नहीं चाहते थे। जो बातें इस परिषद्

में होनेवाली थीं उनकी छाया जुलाई और अगस्त में ही नज़र आने लगी थी। पर कांग्रेस की कार्य-समिति ने इस बात पर ज़ोर नहीं जाना ही चाहिए। सम्मेलन का अंग होने पर भी बाद में परिषद् में जाने से इन्कार करने का मौका मिल गया था। पर सरकार चाहती थी कि उन्हें किसी प्रकार जहाज़ पर चढ़ा कर स्थानांतरित कर ही दिया जाय।

इन सारी परिस्थितियों को सुन कर गाँधीजी बहुत दुःखित हुए। उन्होंने तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड विंस्टनचर्च को निम्न-लिखित लिखा और उनसे मुलाक़ात देने के लिये अनुरोध किया।

“I was unprepared on landing yesterday to find the Frontier and the U. P. Ordinances, shootings in the Frontier and arrests of various comrades in both and on the top, the P. Ordinance awaiting me. I do not know what I am to regard these as an indication that our relations between us are closed or whether you expect me still to see and receive guidance from you as to the course I am to pursue in the Congress.”

अर्थात्, “कक जहाज़ से उतरने पर मुझे माखूम हुआ कि फ्रान्स और युक्कप्रान्त में ऑर्डिनेन्स जारी कर दिये गये हैं। मैंने जो लिखा वहाँ चढ़ाई गई है। मेरे समकक्ष साथी गिरफ्तार किये गये हैं और सबसे बढ़कर, बंगाल का ऑर्डिनेन्स मेरी राह देखने में इन्कार करने के लिये तैयार न था। मेरी समझ में नहीं आता कि इन्कार यह समझें कि हमारी पारस्परिक मित्रता का सम्मान करना यह कि आप सब भी मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे

और इस परिस्थिति में मैं कांग्रेस को क्या सलाह दूँ, इस विषय में आपसे
सलाह और मार्ग-प्रदर्शन प्राप्त करूँ ।

वाइसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी ने ३१ दिसम्बर को महात्माजी के उत्तर
का जम्मा-चौड़ा जवाब दिया, उसका एक अंश यह है—

“His Excellency feels bound to emphasise that
he will not be prepared to discuss with you any
measures which the Government of India, with
the fullest approval of His Majesty's Government,
found it necessary to adopt in Bengal, the
United Provinces and the North-West Frontier
Province.”

अर्थात्, “श्रीमान् वाइसरॉय इस बात पर जोर देने के लिये बाध्य
हैं कि वे आपसे किसी भी ऐसी कार्रवाई के विषय में बातचीत
करने के लिये तैयार नहीं हैं, जो कार्रवाई भारत सरकार ने श्रीमान्
सम्राट की सरकार की पूर्ण अनुमति से बंगाल, उत्तर-प्रान्त और सीमा-
प्रान्त में करना आवश्यक समझा है ।”

वाइसरॉय का यह उत्तर मिलने पर पहली जनवरी १९३२ की
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई और उसमें जो प्रस्ताव पास हुए
उसका कुछ अंश निम्नलिखित है—“कार्यसमिति ने महात्माजी की
सुझाव-संग्रह का इसका उत्तर और बंगाल तथा उत्तर-प्रान्त में जारी किये गये
सुझाव-संग्रह कॉमिश्नों के कारण देत में पैदा हुई परिस्थिति पर
विचार किया । साथ ही सरकारी अधिकारियों द्वारा साम्य अनुसंधानकार
की, औरकामी साहब, पं० जगन्नाथराव नेहरू तथा दूसरे अनेक लोगों की
सलाहियों और सीमाप्रान्त में विदेशी लोगों पर पहाई जाने वाली
शुल्कों, सिविल डिप्लोमेटी की शोक बाध के नारे गये तथा किये गये

कायब हुए, के कारण पैदा हुई परिस्थिति पर भी विचार किया। कार्य-समिति ने महात्मा गांधी के तार के जवाब में वाइसरॉय शारर को लिखे तार को भी देख लिया।”

कार्य-समिति का यह मत है कि वे तमिल घटनाएँ और दूसरे प्रांत में घटी हुई अन्य छोटी-मोटी घटनाएँ तथा वाइसरॉय साहब का मत, वे सब सरकार के साथ कांग्रेस का सहयोग तब तक के लिये निरालोच्य असम्भव बना रहे हैं, जब तक कि सरकार की नीति में कोई सामान्य परिवर्तन नहीं हो जाता। वे कार्य और वाइसरॉय का तार साफ-साफ जाहिर करते हैं कि नौकरशाही हिन्दुस्तान की जनता के हाथों में आने की हुकूमत सौंपना नहीं चाहती, बल्कि उनके द्वारा वह उछटे लोकस्वता को मिटा देना चाहती है। उनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार एक ओर जहां कांग्रेस से सहयोग की उम्मीद करती है, दूसरी ओर उस पर विश्वास भी नहीं करना चाहती।

“बंगाल में हाक ही में श्रौतकवादी घटनाएँ हुई हैं, उनको जिन करने में कांग्रेस किसी से पीछे नहीं रही है। पर साथ ही वह दूसरा किये गये श्रौतकवाद की निन्दा भी उतने ही जोर के साथ करती है। सरकार की यह दमन-नीति हाक ही में जारी किये गये और कानूनों से प्रकट है। जमीन-समी तुमिलुना में दो सचिवों को हत्या हुई है उससे शत्रु को नीचे देखना पड़ा है, ऐसी शत्रु है। वे कार्य ऐसे समझ-झाल और पर और भी हानिकारक हैं, जो केवल कांग्रेस के लिये, जो कि उसकी सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था स्वतंत्र-प्राप्ति के लिये प्रहिस से काल खोने को बचन-बद्ध हो चुकी है, पर कांग्रेस कार्य-समिति कोई कारण नहीं देखती कि यह सब क्या पर, किन्तु कुछ लोगों के कारण पर, बंगाल ऑर्डिनेन्स जैसे कि एक कानून जारी करके हमारा लोगों को दूँटित किया जाव।”

“इसका प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव ही है हम अपराधी के श्रेष्ठ कारणों का

को कि प्रकट हैं, इलाज करना। यदि बंगाल प्रॉटिनेन्स के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है तो युक्त-प्रान्त और सीमा-प्रान्त के प्रॉटिनेन्सों के लिये तो उससे भी कम कारण है।”

“कार्य-समिति की राय है कि युक्त-प्रान्त में किसानों को छूट दिखाने के लिये कांग्रेस द्वारा अवलम्बित उपाय उचित हैं और उचित प्रमाणाधिक किये जा सकते हैं। कार्य-समिति का यह निश्चय मत है कि गम्भीर आर्थिक संकटों से पीड़ित लोग, जैसा कि स्वीकार किया जा चुका है कि युक्त-प्रान्त के किसान पीड़ित हैं, यदि अन्य वैध साधनों से राहत पाने में असफल हों, जैसे कि वे युक्त-प्रान्त में असफल हुए हैं, तो उन सबका यह निर्विवाद अधिकार है कि वे जमान देना बन्द कर दें। महात्मा गांधी से कातचित करने और कार्य-समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिये बम्बई आते हुए युक्त-प्रान्त की प्रान्तीय समिति के सभापति श्री शेरवाणी तथा महासभा के कार्य-संचालक प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू को निम्नलिखित करके तो सरकार अपने प्रॉटिनेन्स द्वारा कल्पित सीमा से भी आगे बढ़ गई है, क्योंकि इन सज्जनों के बम्बई में युक्त-प्रान्त के किसानों के आन्दोलन में भाग लेने का तो किसी प्रकार कोई प्रयत्न नहीं।”

“सीमा-प्रान्त के संबंध में स्वयं सरकार की बताई बातों से भी न तो प्रॉटिनेन्स जारी करने और न खान अब्दुलगाफ्फार खां और उनके साथियों को गिरफ्तार करने तथा जिना युक्त-प्रान्त चलावे वेब में स्थान का कोई आधार दिखाई देता है। कार्य-समिति इस प्रान्त में गिरफ्तार किये गये लोगों पर की गई गोलीबारी को निन्दुर और अमानुषिक समझती है और वहाँ की जनता को उसके साहस और सहन-शक्ति के लिये प्रशंसा देती है। कार्य-समिति की ज़रा भी संदिग्ध नहीं है कि यदि सरकार की जनता भारी उच्छेकवा दिये जाने पर भी अपनी अहिंसा-धर्म्यता रक्ष सकेगी तो उसका एक और उसके एक भारत की

स्वतंत्रता के कार्यों की प्रगति में सहायक होंगे।”

“कार्य-समिति भारत-सरकार से मांग करती है कि जिन कारणों से वे ऑर्डिनेन्स पास करने पड़े हैं और सामान्य अदायगी व्यवस्था-तंत्र को एक ओर रख देने तथा इन ऑर्डिनेन्सों अन्तर्गत और बाहर ओ कार्रवाईवां हुईं, उनके औचित्य के संबंध में एक सुनौ और निष्पक्ष जांच करावे। यदि उचित जांच-समिति पेश करने की सब सुविधाएँ दी जायें, तो वह इस समिति के अग्रिम पेश करके सहायता देने के लिये तैयार रहेगी।”

आगे चलकर कार्य-समिति ने इस बात पर अक्रसोस प्रकट कि सरकार ने देहली समझौते को बार-बार भंग किया, और यह भी कि अगर सरकार की ओर से कांग्रेस की मांग का समुचित जवाब मिला तो वह समिति राष्ट्र की अद्रअवस्था (Civil disobedien) का आन्दोलन करने के लिये आह्वाण करेगी।

इस दिन महात्मा गांधी ने वाइसरॉय को दुबारा पत्र भेज अद्रुरोध किया कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और अद्रुत के मुखाक़ात (Interview) का अवसर दें। गांधीजी ने पत्र के साथ कार्य-समिति के प्रस्ताव की नक़ल भी भेजी और यह भी सूचित किया कि अगर श्रीमान् वाइसरॉय मुझसे मिलना सम्मत् हों तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का कार्य बातचीत। समय तक स्थगित रक्खा जायगा।

ईस्वी सन् १९३२ की २ जनवरी को वाइसरॉय ने सूचित किया कि अद्रअवस्था की धमकी के साथ मुखाक़ात देने वाइसरॉय किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकते। इस पर वाइसरॉय को लिखा कि प्रामाणिक विचारों के प्रकाशन को अद्रना एक दम ग़ुलत है।

इस प्रकार गांधीजी और काइसराब की सुझावगत संबंधी विचार-बढ़ी का अन्त हुआ ।

२ जनवरी को भारत सरकार ने अपनी नीति और प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य प्रकाशित किया ।

गांधीजी और सरदार पटेल की गिरफ्तारी

किस क्या था ? सरकार ने बार करना शुरू कर दिया, गांधीजी और सरदार पटेल गिरफ्तार कर लिये गये । इतने ही पर सरकार को संतोष न हुआ । उसने सैकड़ों हज़ारों कांग्रेस कमेटियों, राष्ट्रीय स्कूलों, किसान कमेटियों, सेवा-दलों और इस प्रकार की अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं को गैर-कानूनी घोषित कर दिया । उनके भवनों और कार्यालयों पर अधिकार कर दिया । इतना ही नहीं, इन कार्यालयों का सामान और जावदारों भी ज़ब्त कर नीबाम कर दी गईं । कांग्रेस के कोचों पर भी अधिकार कर दिया गया । लोगों को यह सूचित किया गया कि वे कांग्रेस को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता न दें और न कांग्रेस स्वयं-सेवकों को अपने घरों में आश्रय दें । अगर वे ऐसा करेंगे तो दंड के पात्र होंगे । राष्ट्रीय साहित्य ज़ब्त किया गया, राष्ट्रीय समाचार-पत्र बंद कर दिये गये, दूकानदारों और व्यापारियों को समस्त हिदायतें दी गईं कि वे कांग्रेस स्वयं-सेवकों के कहने पर अपना दूकानें बंद न करें ।

इसके अतिरिक्त एक सप्ताह के अंदर-अंदर कांग्रेस से संबंध रखने वाले हजारों देशभक्त मनुष्य गिरफ्तार कर जेलों में डूँप दिये गये । सर-सरकारी अफसरों के अनुसार जमाती में १४५०० और फरकी में १५५०० लोग गिरफ्तार और कांग्रेस स्वयं-सेवक गिरफ्तार किये गये । अफसरों को उपायन था गईं । अफसर गिरफ्तारियाँ होती रही, सब किये एक-दूसरे से जगह-जगह-जगहों को कठोर करावाय की हुईं । इससे चौमुनी संस्था अर्थात् पाद-काय-मनुष्य-मनुष्य

बाड़ी-प्रहारों के शिकार हुए। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने अहिंसात्मक प्रतिकार को पूरी तरह कुचला देने का दृढ़ संकल्प कर लिया। गुजरात के रास ग्राम में और कर्नाटक के श्रीकीर्ति और सिद्धपुर नगरों में करबंदी का आन्दोलन प्रारंभ किया और उन्हें पीरतम दमन का सामना करना पड़ा। ईस्वी सन् १९३० और ३१ में जैल दमन किया गया था उससे इस साल का दमन अत्यधिक भयंकर था।

३००४

अहिंसात्मक युद्ध का जोर



ज्यों ज्यों सरकारी दमन बढ़ता गया त्यों त्यों भाइयों (Disobedience) का जोर भी बढ़ता गया। सरकारी दंडों को भी समाप्त और परिशुद्ध होती रहीं। पुलिस के प्रतिबंधों को तोड़कर हजारों की संख्या में लोगों ने जुलूस निकाले, ब्रिटिश बैंक और ब्रिटिश बीमा कंपनियों के जोर-शोर के साथ पिकेटिंग किया जाने लगा। ग्राम रास्तों को खोजा-खोजा ही जाने लगी और भयंकर मात्र सहकर स्वयं-सेवक सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न करने लगे। सरकारी कानून को तोड़कर सारे देश

बनाया जाने लगा। कांग्रेस के उन मकानों पर जिन पर सरकार ने कब्जा कर लिया था, अहिंसात्मक धावा कर फिर से अधिकार करने के प्रयत्न किये जाने लगे। ज़ान्ता फौजदारी की १४४ दफ़ा की सुबे आग बरसाती की जाने लगी। चौकीदारी टैक्स देने से लोगों ने इन्कार कर दिया। ताड़ी के पेड़ हज़ारों की संख्या में काटे जाने लगे। राष्ट्रीय जीवन की ज्योति को प्रबल और स्थिर रखने के लिए मरदा दिवस, गांधी दिवस, मोतीलाल दिवस, शहीद दिवस, शोलापुर दिवस, स्वतंत्रता दिवस, आदि एवं सरकारी आज़ाबों का उत्खंडन कर बड़ी धूमधाम से मनाये जाने लगे। नमक के गोदामों पर ज़ोर-शोर से अहिंसात्मक हमले होने लगे। १२ मई को वाड्या के नमक के गोदाम पर बड़े ज़ोर-शोर के साथ आक्रमण हुआ। २१ मई को सारे देश में बड़ी धूमधाम के साथ स्वदेशी दिन मनाया गया, जिसमें "भारतीय माक सूरीदो" के नारे ज़ोर-शोर से लगाये गये। ४ जुलाई को अखिल भारतीय बंदी-दिवस मनाया गया और उसमें राजनैतिक कैदियों के अमानुभूति प्रकट की गई। ८ अप्रैल को अलाहाबाद में राष्ट्रीय दिवस के उत्साह के साथ मनाया गया और पं० मोतीलालजी नेहरू की और हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर पं० जवाहरलालजी नेहरू की अगुआई में कांग्रेस का एक जुलूस निकाला गया, जिस पर जिनके छाठियां बरसाईं और उसके फलस्वरूप श्रीमती नेहरू भी घायल हुईं। जिस डाक्टर ने उस समय श्रीमती नेहरू की परीक्षा की उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था:—

"Her injuries were caused by something like this. She has received half a dozen injuries, including a bad cut on her head which caused bleeding."

"उनके घाव छाठी जैसी किसी चीज से हुए हैं। उनके

कोई आधे दर्जन घाव लगे हैं, जिनमें सिर पर का एक बुरा है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा खून बहा था।”

श्रीमती नेहरू के घाव होने के समाचार से सारे देश में भारी लहर बह गई। एक सम्माननीय महिला के ऊपर इस होनेवाले अत्याचारों को लोग घृणा के साथ धिक्कारने लगे।

इन्हीं दिनों में सरकारी रोक के होते हुए भी लोगों ने मोहन माखवीय के समापतित्व में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन का निश्चय किया। महामना माखवीयजी तो अलाहाबाद से हुए रास्ते ही में गिरफ्तार कर लिये गये। पुलिस की कड़ी बावजूद भी विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधि सैकड़ों की संख्या पहुँच गये। चांदनी चौक के घंटाघर के पास अहमदाबाद के दास अमृतलाल की अध्यक्षता में अल्प समय के लिये कांग्रेस सत्र हुआ। अधिवेशन के प्रस्ताव, जो पहले से ही छपा लिये जनता में बाँटे गये। कांग्रेस के इस अधिवेशन में फिर से का प्रस्ताव पास हुआ और कांग्रेस कार्य-समिति के मद्रासवादी से शुरू करने के प्रस्ताव का सर्वानुमति से समर्थन हुआ। इतना पर पुलिस मौके पर पहुँची और उसने छाठियां बरसा कर तितर-बितर कर दिया, और बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस गिरफ्तार कर लिया।

पं० मदनमोहन माखवीयजी ने इस समय, अर्थात् इस्वी की २ मई को, गत चार मास की कांग्रेस प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने एक बह्य प्रकाशित किया, जिसका सारांश निम्नलिखित है—

“२० अप्रैल तक गत चार मासों में समाचार-पत्रों की अनुसार ६६६२६ व्यक्ति, जिनमें २८२२ स्त्रियाँ और बहुत से गिरफ्तार किये जाकर विविध प्रकार की कारावास की सजाओं से

हुए। इनमें उन लोगों की संख्या सम्मिलित नहीं है जो दूरस्थ ग्रामों में अपने देश के लिये संघर्ष करते हुए गिरफ्तार होकर दंडित हुए। कांग्रेस के अनुमान के अनुसार अस्सी हजार आदिमियों से ऊपर उक्त खंडों में गिरफ्तार हुए। जेल ठसाठस भर गये, और कई साधारण क़ैदी इसलिये छोड़ दिये गये कि राजनैतिक क़ैदियों के लिए जगह हो जाय। इनमें उन लोगों को भी मिला देना चाहिए जिनकी गत १० दिनों में देहली कांग्रेस के अधिवेशन के समय गिरफ्तारियाँ हुईं। समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार उक्त चार मास में पुलिस ने २१ स्थानों में गोळियाँ चलाईं, जिसके फलस्वरूप बहुसंख्यक आदमी मारे गये। इसके अतिरिक्त ३२५ स्थानों में निरस्त्र जनता की भीड़ पर लाठीचार्ज हुए। ६३३ घरों की गुलाबियाँ हुईं। १०३ मनुष्यों की जायदादें ज़ब्त कर ली गईं। समाचारपत्रों के गळे इस प्रकार घोट दिये गये जैसे पहले कभी नहीं होते गये थे। १६३ ऐसे मामलों के समाचार मिले, जिनमें छापाखाने पर हुए आक्रमणों से ज़मानतें माँगी गईं, समाचारपत्रों के कार्यालयों तलाशियाँ हुईं तथा समादकों और समाचारपत्रों के प्रबन्धकों की हत्या हुई। कई समाचारपत्र बंद कर दिये गये। बहुसंख्यक प्राथमिक समाएँ और अहिंसक स्त्री-युक्तों के जेलस लाठी-चार्जों के द्वारा, और कहीं-कहीं गोलीबारी के द्वारा बिखेर दिये गये।" (Indian Recorder)।

मद्रासना माळवीवली दास कथित प्रत्याचारों के अतिरिक्त और भी कई प्रत्याचार हुए। करांची, सीमाप्रान्त तथा हरीपुरा के जेलों में राजनैतिक क़ैदियों को क़ों क़ों सजाएँ दी गईं, जिनमें से कुछ केसों तक पहुँचे। बंगाल के राजशाही जेल में राजनैतिक क़ैदियों को कई प्रकार के अतिरिक्त संश्रयाएँ दी गईं। राजमंदरी जेल में लाहौर पदचक्र केस के क़े के क़ेड़े लगाए गए, बिलारी जेल में राजनैतिक क़ैदियों पर हमले किये गये। अजमेर जिले के देवली ग्राम के बंदी-विधिर

(Detention Camp) में जेल के गार्डों द्वारा राजनैतिक पर हमले हुए, जिनके कारण बहुत से नज़रबंद कैदी घायल हुए। सरकार के तत्कालीन गृह-सचिव एच० जी० हेग ने भारत सभा एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रकट किया कि बंगाल में सभाओं या समूहों को बिखेरने के लिये सत्रह बार, युक्तप्रान्त में सात बार, तीन बार, मद्रास प्रान्त में एक बार और सीमा-प्रान्त में एक बार चलाई गईं। बम्बई प्रान्त में गोबीबारी से ३४ आदमी मारे गये १६ घायल हुए। कहने का भाव यह है कि भारतीय राष्ट्र पूर्ण आत्म-संयत्न और कष्ट-सहन के साथ अपनी स्वाधीनता की लड़ाई कर रहा कि इस बीच में महात्मा गांधी के उपवास के कारण इस लड़ाई फिर से शिथिलता आ गई, और देश की प्रवृत्ति एक दूसरे प्रश्न की ओर मुड़ी।

महात्मा गांधी का अनशन

११ मार्च को गांधीजी ने सर सेमुअलबहोर को पत्र लिखकर प्रकट किया कि १९३१ के १३ नवम्बर को गोकुलमेठ परिषद् के होने का कदा था कि अगल दक्षित जातियों को उनके प्रधान अंग हिन्दुओं से पृथक् निर्वाचन का अधिकार देकर उनसे अलग कर दिया गया। अपने प्राणों की बाज़ी लगाकर भी इसका विरोध करना। मैं जब अपने इस कथन पर दृढ़ हूँ और अगल ऐसक किया गया तो मैं सख्त पर्व

उपवास कर अपने प्राण दे दूंगा। इसके जवाब में १३ अगस्त को सर
 सेमुअलहोर ने महात्माजी को जवाब देते हुए लिखा कि ब्रिटिश सरकार
 इस विषय पर अन्तिम निर्णय पर पहुँचने के पहले पूर्ण रूप से विचार
 करेगी। पर इन सब आश्वासनों के होते हुए भी १७ अगस्त १९३२ को
 प्रधान मंत्री का साम्प्रदायिक निर्णय प्रकाशित हो गया। इस निर्णय में
 दलित जातियों के लिए पृथक् निर्वाचन और विशिष्ट सीटों की व्यवस्था
 थी। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि गांधीजी दलित जातियों के सबसे
 बड़े मित्र थे। उनके शरीर के अशु-अशु में दलित जातियों का हित
 समाया हुआ था। वे अक्सर भगवान से प्रार्थना करते थे कि मृत्यु के बाद
 मेरा जन्म दलित कुटुम्ब में हो। उन्होंने ही इन्कार नाम हरिजन रखा
 था, जो बड़ा आदर सूचक है। वे हिन्दू जाति को बराबर कोस करते थे
 और कहा करते थे कि अकूत या दलित जाति हिन्दू समाज के लिए
 एक कलंक की वस्तु है। पर वहाँ उन्होंने दलितों या हरिजनों के पृथक्
 निर्वाचन का जो विरोध किया, इसका कारण यह न था कि वे अपने
 मान्योचित अधिकारों से वंचित रहना चाहते थे। उन्होंने इस विरोध
 किया कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने हिन्दू जाति की एकता को नष्ट
 करने के लिए ऐसा किया था। इसीसे उन्होंने बरवदा जेल में ब्रिटिश
 सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया।
 बस फिर क्या था ? गांधीजी के प्राणों को बचाने के लिए हिन्दू जाति के
 नेता दौड़ पड़े। पं० मदनमोहन मालवीयजी, सर तेजबहादुर सप्रू, श्री
 एस० जी० राधा, ने बड़ी दौड़-धूप करना शुरू कर दिया। मालवीयजी
 ने नेताओं की बैठक बुलाई। विज्ञापन में एडव० झू, लैंग्सवरी तथा पोलार्ड
 ने और मचना शुरू किया। सारे देश ने २० सितम्बर को हरिजन-निर्वाचन
 । गांधीजी को छोड़ देने की बात हुई, परन्तु गांधीजी ने किसी
 पर अनशन छोड़ने से इन्कार कर दिया। पूरा में कमेन्स
 । श्री राजगोपालाचारी, श्री सुब्रीसाह मेहता, पं०

ने उपवास खोल दिया। इससे भारत राष्ट्र एक महान् चिंता से युक्त हुआ।

इस समझौते से पृथक् निर्वाचन का प्रायः अन्त ही गया। प्रत्यक्ष मंत्री के निर्वाचन के अनुसार हरिजनों को जितना प्रतिनिधित्व मिलेगा उसकी मात्रा में भारी वृद्धि हो गई। महात्माजी के इस उपवास से हिन्दू जाति में अपने एक दक्षित अंग के प्रति सहानुभूति के भाव उदय होने लगे। हरिजनों में भी आत्म-विश्वास का भाव पैदा हुआ और वे यह समझने लगे कि हमें भी अन्य जातियों की तरह मानवाधिकार प्राप्त होने चाहिएँ।

एकता सम्मेलन

ईशवी सन् १९३२ के २६ सितम्बर को महात्माजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये अपील की। महात्माजी ने इस अपील को कार्यान्वित करने के लिए एकता-परिषद् का आह्वान किया। सदस्यसंख्या एक वर्ष की पहली नवम्बर को बलाहावादा में कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता में एकता-परिषद् की बैठक हुई, जिसमें हिन्दू और मुसलमानों के बहुसंख्यक प्रतिनिधि शामिल हुए। यह परिषद् सद्भावनापूर्ण वातावरण में आरम्भ हुई। हिन्दू-मुस्लिम समझौते की बातचीत में संतोषकारक प्रगति हो रही थी कि उसमें कुछ विज्ञ उपस्थित हुए। एक तो यह कि मुसलमानों के एक दल विशेष ने इस एकता के प्रयत्न का खीन विरोध करना शुरू किया और दूसरा यह कि कांग्रेस का प्रश्न हल न हो सका, क्योंकि यूरोपियन लोग अपनी किती सीटों को छोड़ने के लिए तैयार न थे। मुसलमान भी २१ फ्री सीटों के लिए अड़े हुए थे। पूरा तथा स्थायी समझौता हो सकना तो कठिन दिखाई दिया, परन्तु अनेक बातों के संबन्ध में सद्भावनापूर्ण समझौता हो गया और एक कमेटी बंगाल विधायक बातों का निर्वाचन करने के लिए

कलकत्ता गई। जिन बातों पर समझौता हो गया था उनमें यह भी कि केन्द्रीय धारा सभा में ब्रिटिश भारत के मुसलमानों की प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। समझौते की एक और बात थी कि सिंध को एक पृथक् प्रांत बना दिया जाय, परन्तु उसके लिए भारत सरकार की ओर से सहायता न दी जाय और वहाँ के संस्थक हिन्दुओं की रक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी जाय। ये समझौते की यह बात जाहिर हो गई और जब सम्मेलन की की कलकत्ता में बैठकें हो रही थीं, तभी सर सैमुअल होर ने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय कर लिया केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों को ३३ प्रतिशत प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलेगा और सिंध को पृथक् प्रांत भारत-सरकार से आर्थिक सहायता भी दी जायगी। हिन्दुओं की व्यवस्था की कोई बात नहीं कही गई। इस घोषणा का असर हुआ और जो कमेटी कलकत्ता में समझौता कराने का प्रयत्न रही थी, उसका फौरन ख़ातमा हो गया। एक सम्प्रदाय को समझौते की आवश्यकता ही क्या रह गई थी ?

तीसरी गोलमेज कान्फ्रेंस

इसी वर्ष अर्थात् ईस्वी सन् १९३२ में एक और गोलमेज हुई। यह कान्फ्रेंस १० नवम्बर को आरम्भ होकर २४ समाप्त हो गई। आखिरी दिन का अधिवेशन सर्वसाधारण के हुआ था। इस कान्फ्रेंस में इंग्लैंड के मजदूर दल ने सहयोग न किया क्योंकि यह प्रगतिशील नीति से और भी पीछे हट रही थी। जब तक प्रदत्तों की संख्या बहुत कम कर दी गई थी और उसमें कट का जोखनाका रहा। पिछली दो कान्फ्रेंसों के जिन परिणामों की स्थिति अधिकांशों को बांझनीय नहीं माना हुई, उन्हें अब के परिणामों को बांझनीय नहीं माना। सर सैमुअल होर को माननीय भीति

समझी जैसे सज्जनों को भी निमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं महसूस की। इस कार्यक्रम से जैसे निष्कर्षों की धारा की जा सकती थी, वे भी वे थे। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

- (१) जहां तक ब्रिटिश भारत का सम्बन्ध है, भारतीय संघ की सभा (Federal Legislature) में मुसलमानों का प्रति-
३३ प्रतिशत रहेगा ।
- (२) भारतीय संघ (Federation) कब स्थापित होगा, इसकी कोई निश्चित मिति प्रकट करना संभव नहीं है ।
- (३) सिंध और उड़ीसा पृथक् प्रान्त होंगे ।
- (४) रक्षा बजट को स्वीकृत करने में धारा सभा के मत की आवश्यकता न होगी ।
- (५) यदि भारत के बाहर भारतीय हितों के अतिरिक्त भारत की का उपयोग किया जावगा तो उसमें संघ के मंत्रि-मंडल और की धारा सभा का निर्वाच किया जावगा, पर सम्राट् को इस बात पूर्व अधिकार रहेगा कि वे भारत के बाहर भी भारतीय सेनाओं का उपयोग कर सकेंगे ।



आतंकवादी आन्दोलन का जोर



हमने गत पृष्ठों में १९२६ तक की कुछ प्रमुख क्रान्तिकारी घटनाओं का उल्लेख किया है। ईस्वी सन् १९३० से ३२ तक कई घटनाएँ हुईं। २ अगस्त सन् १९३० ई० को फाँसी के कमिश्नर को मारने का असफल प्रयत्न किया गया, जिसके लिए लक्ष्मीकान्त की गिरफ्तारी हुई। ईस्वी सन् १९३० में लाहौर शहर और आसानी के बीच में दो क्रान्तिकारियों और पुलिस के बीच लड़ाई, जिसमें विश्वेश्वरनाथ नामका एक युवक मारा गया। २३ १९३० को लाहौर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सरकारी सड़कका मचा दिया। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर पंजाब विश्वविद्यालय से दीवान्त भाष्य देकर लौट रहे थे कि उन पर हरिकिशन नामक एक युवक ने पिस्तौल चलाकर उन्हें घायल कर दिया। इसी समय पुलिस इन्स्पेक्टर चन्दनसिंह को भी गोली मारी गई, जिससे कुछ समय पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई। इस अपराध के लिये ६ जून १९३१ को हरिकिशन को फाँसी दी गई। ६ अक्टूबर १९३० को बनारस में कारियों के एक दल ने साजंघट ट्रेडर और उनकी पत्नी पर गोली चर उन्हें घायल कर दिया। ३० अगस्त १९३० को चटगांव सोलह वर्षीय युवक ने पुलिस इन्स्पेक्टर खानबहादुर असदुल्लाह की गोली चलाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि चटगांव काकागार कांड को अधिक बढ़ाने में इस युवक का हाथ था। इस समय हरिपद भट्टाचार्य था, जिसे आजम्म काठे पानी की सजा हुई थी सन् १९३० की १७ जून को डा० नारायण बैनर्जी आदि पर मृत्यु का फैसला हुआ, जिसमें १० अभियुक्तों को सजा हुई।

कलकत्ते के खुफिया विभाग के इन्स्पेक्टर जनरल पर गोपीमोहन का हि नामक एक क्रांतिकारी के आक्रमण का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। इसके बाद १५ अगस्त १९३० को अनुजसिंह गुप्ता और दिनेश मंडुवा नामक दो क्रांतिकारी युवकों ने मि० ट्रेगर्ट की गाड़ी पर दो बम फेंके। बाध-बाध बच गये, अनुज वहीं गोली से मार दिया गया और दिनेश को आजन्म काले पानी की सजा हुई। ता० २६ अगस्त सन् १९३० को ढाका में बंगाल के पुलिस जनरल इन्स्पेक्टर मि० लौमैन इविनसकृष्ण बोस नामक एक बंगाली युवक ने गोखिर्वा चलाई जिससे उनका काम तमाम हो गया। ८ दिसम्बर १९३० को कलकत्ते की राइटर्स बिल्डिंग में (जहाँ सरकारी दफ्तर है) जेल के इन्स्पेक्टर जनरल मि० सिम्पसन पर कुछ क्रांतिकारी युवकों ने ६ गोखिर्वा दाग कर उन्हें मार डाला।

यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि इस बिल्डिंग में कदा प्रवेश ही हुए भी वे युवक एक बड़े पुलिस अफसर की हत्या करने में सफल हुए। इन्हीं युवकों ने जुडीसिबल सेक्रेटरी मि० नेलसन पर भी गोखिर्वा चलाई, पर वे बच गये। इनमें से दो युवकों ने आत्महत्या कर ली और उनको सजाएँ हुईं। बंगाल सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ईस्वी सन् १९३० में १० राजनैतिक हत्याएँ हुईं और उनके कारण २१ क्रांतिकारी फाँसी पर लटकाने गए। २ जनवरी सन् १९३१ को कानपुर में ज्योतिबकुमार नामक एक क्रांतिकारी ने टीकाराम नामक पुलिस इन्स्पेक्टर पर गोली से वार किया पर वे बच गए। ईस्वी सन् १९३१ में बिहार के पूर्णिया शहर में पुलिस ने बम का एक कारखाना पकड़ा। इस कारखाने पर बम फेंका गया, जिसके कारण एक सब-इन्स्पेक्टर मारा गया।

व्यक्तियों पर मुकद्दमा चला जिन्हें विभिन्न प्रकार की सजाएँ दी गईं। इसी साल अर्थात् ईस्वी सन् १९३१ में बिहार में मोतीहारी जिले में कुछ युवकों पर क्रांतिकारी व्यक्तियों के आरोप

लगाये गये थे। बिहार के हाजीपुर गाँव में एक ट्रेन-डकैती भी जिसका संबंध क्रान्तिवारियों से था। १ अगस्त १९३१ को बिहार नगर में एक बम फटा, जिससे रामबानू नामक एक व्यक्ति सफ़्त हुआ। इसी साल २२ जुलाई को पूना में बम्बई के स्थानापन्न सर जॉर्ज हार्सन पर वासुदेव बलवन्त नामक एक महात्मा दो गोळियाँ चलाईं, पर गवर्नर महोदय ईश्वर की कृपा से बच गये। इस युवक को ८ वर्ष की सजा हुई। ७ अप्रैल सन् १९३१ को मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट जेम्स पैडी पर प्रदर्शकों ने गोळियाँ दागी। इससे कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। २० अक्टूबर १९३१ को बंगाल के चौबीस परगनों के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज मि० ए० डर्नी की अदालत में विमलदास नामक एक क्रान्तिकारी ने जमानत माँगी। विमल भी वहीं गोली से मार दिया गया! कहा कि इसी ने मिदनापुर के मजिस्ट्रेट मि० जेम्स पैडी की हत्या की। अगस्त १९३१ में ढाका के कमिश्नर मि० एलेकज़ेंडर कैसल ने युवक को गोली से वार किया। २८ अक्टूबर १९३१ को ढाका के मजिस्ट्रेट मि० ए० डर्नी पर दो युवकों ने गोली चलाई। २९ अक्टूबर १९३१ को बंगाल यूरोपियन एसोसिएशन के मि० विक्टरिन्स पर विमलदास नामक एक क्रान्तिकारी युवक ने दो गोळियाँ चलाईं जिनसे उनको साँचा चोट चलाई। इस अभियोग में विमलदास को १० साल की सजा। २४ दिसम्बर १९३१ को कुमारी शान्ति घोष और कुमारी सुनीति श्री नामक दो क्रान्तिकारी युवतियों ने मि० बी० जी० स्टीवेन्स मजिस्ट्रेट पर उनके कमरे में गोळियाँ चलाईं जिनसे मि० स्टीवेन्स की मृत्यु हो गई। वह पहला जयसर था कि युवतियों ने इस क्रान्तिकारी प्रवृत्ति में भाग लिया। १ फरवरी सन् १९३२ को विमलदास नामक एक छात्र ने बंगाल के गवर्नर पर कलकत्ता विधानसभा के भवन में २ गोळियाँ चलाईं। गवर्नर महोदय गिरफ्तार

में दीवान्त भाष्य दे रहे थे और उक्त वीणादास उपाधि-पत्र देने आई हुई थीं। गवर्नर महोदय तो बाह-बाह बच गये पर सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक डा० दिनेशचन्द्र सेन को साधारण चोट आई। वीणादास गिरफ्तार कर ली गई और उसे भारी सजा दी गई। ३० अप्रैल सन १९३२ को बंगाल के मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मि० इगनस को दो नवयुवकों ने उन्हीं इस्तर में गोखिर्वाँ चलाकर मार डाला। इनमें से एक घातक पकड़ा गया। इसी समय के लगभग कोमिबा के अतिरिक्त पुब्लिस सुपरिन्टेण्डेंट मि० एलिसा की भी हत्या की गई।

आतंकवादियों की इन कारवाइयों को रोकने के लिए सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाये। बंगाल के कई जिलों में, जहाँ आतंकवाद का दौर-दौरा था, सरकार ने फौजें तैनात कीं। नागरिकों पर कठोर नियंत्रण खगाए गये।

मिदनापुर और चौबीस परगना के जिलों पर सामूहिक जुमाने लगे। अंदाजान टापू, जहाँ पहले काले पानी की सजा पाये हुए कैदी रहते थे, फिर से खोला दिया गया। इसका जनता ने घोर विरोध पर सरकार ने एक न सुनी।

मज़दूर कॉन्फ्रेंस

इसी वर्ष अर्थात् ईस्वी सन् १९३२ में दो महत्वपूर्ण मज़दूर कॉन्फ्रेंसों के अधिवेशन हुए। १२ जुलाई को पहला अधिवेशन इरिडवन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का हुआ, जिसकी अध्यक्षता मि० वी० वी० गिरी ने की। इसमें जो प्रस्ताव पास हुए उनमें से एक भारत के भावी शासन में मज़दूरों की स्थिति के संबंध में था। दूसरा अधिवेशन आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का १२ सितम्बर को भी था। इसका समापन १९३२ में हुआ। इस अधिवेशन में साम्प्रदायिक विरोध और छोटाया पैक्ट का घोर विरोध किया गया, और कहा गया कि वे के लिए बड़े घातक हैं।

ईस्वी सन् १९३३ का राजनैतिक आन्दोलन



ईस्वी सन् १९३३ के आरम्भ में राजनैतिक आन्दोलन की विधि पूर्व वर्ष की तरह जोर-शोर के साथ चलती रही। २६ जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सिर्फ एक कलकत्ता नगर में गिरफ्तारियाँ हुईं। पुलिस को समाजों और प्रदर्शनों को भंग किए कई बार लाठीचार्ज करना पड़ा। हुगली जिले के बदनाम का ग्राम में कांग्रेस जुलूस को भंग करने के लिए पुलिस ने गोदियाँ गुजरात के बोरसद नामक नगर में स्वतंत्रता दिवस प्रदर्शन के में महात्मा गांधी की धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी महिलाओं एक जुलूस का नेतृत्व करती हुई गिरफ्तार की गईं। उन पर चलाया गया और उन्हें ६ मास की सजा हुई।

श्वेतपत्र

१० मार्च ईस्वी सन् १९३३ को ब्रिटिश सरकार को जोर से के वैधानिक सुधारों के संबंध में एक श्वेतपत्र प्रकाशित हुआ। श्वेतपत्र की आयोजना इतनी प्रतिक्रियापूर्वक तथा असंतोषजनक कि भारत के प्रत्येक उपनिवेशीय राष्ट्र ने उसे स्वीकृति के लिए अनुरोध बतलाया। प्रायः सभी भारतीय नेताओं ने उसकी स्वीकृति के लिए विरोध किया। उसमें और गोबिन्द कान्हेन्दे की कमेटी की

विचारियों में कोई सादर्य ही नहीं दिखाई पड़ता था। सुझाई १९१०

भारतीय व्यवस्थापिका सभा में भाषण देते हुए डॉ. हर्विन ने जो कुछ कहा, उसका एक अंश निम्नलिखित आशयका था:—

“ब्रिटिश सरकार का यह विश्वास है कि कान्फ्रेंस के मार्ग से पर पहुँच सकना संभव है जो दोनों देशों और सभी राज-
तथा हितों को सम्मानपूर्वक मान्य हो सकें। इस प्रकार किसी भी समझौते पर कान्फ्रेंस पहुँच सकेगी, उसी के आधार पर सरकार प्रस्ताव तैयार करके उन्हें पार्लियामेंट के सम्मुख लेगी। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह नहीं है कि कान्फ्रेंस वाद-विवाद ही हो कर रह जाय, बल्कि यह है कि दोनों देशों को मिल कर ऐसा समझौता कर सकें जिसके आधार पर सम्मुख उपस्थित करने के लिए निश्चित प्रस्ताव तैयार हों।”

— की बात है कि ब्रिटिश सरकारने उक्त आश्वासन की ओर कुछ न दिया। गोलमेज़ कान्फ्रेंस में भारतीय सदस्यों द्वारा प्रकट विचारों की अवहेलना की गई। इस पत्र की आयोजना में भारतीयों की हार्दिक आकांक्षाओं को निर्दयतापूर्वक कुचला गया। आयोजना पर विचार करने के लिए पार्लियामेंट की एक सिबेकट कमेटी की गई और उसके साथ कुछ भारतीयों को भी नामज़द कर दिया गया, जो गवाहों से ज़िरह करने में तो भाग ले सकते थे, परन्तु कमेटी के वाद-विवाद तथा विचार-विनिमय में नहीं। ब्रिटिश भारत के भारतीय प्रतिनिधियों ने मिलकर हिज़ हाइनेस आगाखान के नेतृत्व में एक संयुक्त वक्तव्य कमेटी के विचारार्थ पेश किया और सर तेजबहादुर से एक दूसरा वक्तव्य। इन सज्जनों के वक्तव्यों में कोई गौरव नहीं पेश की गई थी। परन्तु कमेटी ने उन्हें ऐसी बेपरवाही जैसे वह कोई पागलों का प्रस्ताव हो। कमेटी ने

से जो प्रस्ताव पास किये वे प्रायः वही थे जो स्वतंत्रपत्र में किये जा-
 यहाँ कहीं उसने उससे भिन्न मत प्रकट किया, वह भारत के
 होकर और भी प्रतिकूल था। कांग्रेस के नये प्रस्तावों में सबसे
 आपत्तिजनक बात यह थी कि केन्द्रीय धारा सभा के सदस्यों का निर्वाचन
 सीधा वोटों द्वारा न होगा। और सम्प्रदायवादियों तथा प्रतिष्ठित
 व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी सार्वजनिक संस्थाओं तथा सभी व्यक्तियों
 कांग्रेस की रिपोर्ट की कड़ी से कड़ी निन्दा की।

कलकत्ते में कांग्रेस का विशेषाधिवेशन

देश की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों पर विचार करने के लिए ईस्वी सन्
 की ११ अप्रैल को पं० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में
 में कांग्रेस का विशेषाधिवेशन करने का आयोजन किया गया।
 सन् १९३२ के कांग्रेस अधिवेशन की तरह सरकार ने इस अधिवेशन
 भी प्रतिबंध लगा दिया। कांग्रेस के मनोनीत अध्यक्ष पं०
 तथा उसके अन्य मुख्य संचालक श्री एम० एस० जय, डा०
 डा० सैयद मुहम्मद आदि गिरफ्तार कर लिये गये। इनकी
 के बाद ज़ीमती जे० एम० सेनगुप्ता ने २५०० कांग्रेसजनों के
 विविध स्थान में पहुँच कर कांग्रेस के अधिवेशन की रसम पूरी —
 उनके सभापतित्व में सभा की गई। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव
 हुए उनमें मुख्य मुख्य ये थे—

१. कांग्रेस का ज्येष्ठ पूर्ण स्वाधीनता है।
 २. इस ज्येष्ठ को प्राप्त करने के लिए भद्रप्रवृत्ता आन्दोलन कर
 ३. विदेशी वस्त्र और सब प्रकार के अतिरिक्त मादक का
- करना। इसके अतिरिक्त इसमें स्वतंत्रपत्र के प्रति और विरोध का
 कल हुआ।

यह सभा समाप्त भी न होने पाई थी कि पुलिस का एक बल

कीके पर आ पहुँचा और उसने श्रीमती सेनगुप्ता और अन्य २५ कांग्रेसजनों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें ४० महिलाएँ थीं। पुलिस को इन गिरफ्तारियों से ही सन्तोष न हुआ, उसने सभा की भी छाती बुरा भंग कर दिया। पं० मालवीयजी ने इस समय की देश की उठती भावनाओं पर प्रकाश डालते हुए जो वक्तव्य प्रकाशित किया था, सारांश निम्नलिखित है:—

“गत पन्द्रह मास में लगभग १०००२० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, जिनमें कई हजार स्त्रियाँ और बच्चे भी थे। वह एक खुला रहस्य है कि जब सरकार ने दमन का प्रारम्भ किया था तब उसने यह सोचा था कि वह छः सप्ताह के अन्दर कांग्रेस को कुचला देगी। १५ मास बीत गये हैं, पर वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई है। और १५ मास निकल जाने पर भी, मुझे आशा है, वह सफल न होगी।” कहने का अर्थ यह है कि मालवीयजी सरीखे कांग्रेस के सबसे पुराने और गंभीर के उक्त वक्तव्य से यह स्पष्टतया मालूम होता है कि राष्ट्र उस अपने देश की स्वाधीनता के लिए हर प्रकार का आत्म-त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार था। देश में उत्साह की आंधी आ रही थी, इतने ही में कुछ घटनाएँ ऐसी हुईं जिनके कारण इन प्रवृत्तियों का एक समय के लिए दिशापरिवर्तन हो गया।



महात्मा गांधी का २१ दिन का उपवास



राष्ट्र की इन्हीं प्रवृत्तियों के बीच एकाएक यह समाचार मिला कि महात्मा गांधी ने ८ मई १९३३ को अपनी आत्म-शुद्धि के लिए २१ दिनों का उपवास आरम्भ कर दिया है। इस उपवास को आरम्भ करने पहली महारमाजी ने जो वक्तव्य दिया वह निम्नलिखित है:—“वह अपनी और अपने साथियों की शुद्धि के लिए, जिससे वे हरिजन-कार्य में अधिक सतर्कता और सावधानता के साथ काम कर सकें, हृदय से की गई प्रार्थना है। इसलिए मैं अपने भारतीय तथा संसार भर के मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना करें कि मैं इस अभि-परीक्षा को सफल पार करूँ, और चाहे मैं मरूँ या जिरा, मैंने जिस उद्देश्य से उपवास किया है वह पूरा हो। मैं अपने सनातनी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रार्थना करें कि इस उपवास का परिणाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम से कम वह सुनहरी ढकना जिसने सब को डक है, हट जाय।” उन्होंने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा “किसी धार्मिक आन्दोलन की सफलता उसके आयोजकों की बौद्धिक या भौतिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आत्मिक शक्ति पर निर्भर करती है, और उपवास इस शक्ति की वृद्धि करने का सबसे अधिक सुनिश्चित उपाय है।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं महारमाजी के जीवन का आध्यात्मिक भारत की आध्यात्मिक वृत्ति थी, जिसे आत्मिक के भौतिकवाद के से समझना बहुत ही मुश्किल है। वे अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते

कौन-कौन महत्त्व देते थे और उसी के अनुसार कार्य करते थे। भारत के प्राचीन ऋषि-मुनियों में भी इस प्रकार की बातें पाई जाती थीं। पर साधारणतया उस समय महारमाजी की यह कार्यवाही पसन्द नहीं की गई। गांधीजी ने उपवास आरम्भ करने के पहले पं० जवाहरलाल नेहरू को एक तार भेजा था जिसे पढ़कर पंडितजी का हृदय द्रवीभूत हो गया, और उन्होंने गांधीजी को निम्नलिखित तार भेजा:-

"Your letter What can I say about matters, I do not understand? I feel lost in strange country where you are the only familiar landmark and I try to grope my way in the dark, but I stumble. Whatever happens, my love and thoughts will be with you."

आपका पत्र मिला। उन मामलों के संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ, किहूँ मैं खुद नहीं समझता? इस अज्ञात देश में, जहाँ आप ही एक मात्र परिचित मार्ग दर्शक हैं, मैं अपने को खोया हुआ सा पाता हूँ। मैं अंधकार में अपने मार्ग को ढूँढ़ने का प्रयत्न करता हूँ किन्तु डोकर-डोकर गिर पड़ता हूँ। जो हो, मेरा प्रेम और मेरे विचार आपके साथ होंगे।" इसके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू ने गांधीजी को एक दूसरा तार भेजा—

"Now that you are launched on your great enterprise, may I send you again love and greetings, and assure you that I feel more clearly that whatever happens, it is well, and whatever you win."

६. "जब तक कि आपने अपना महान् उपवास आरम्भ कर दिया—"

है, मैं आपकी अपना प्रेम और सहायता भोगता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब मैं और भी अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव करता हूँ कि जो कुछ होगा अच्छे के लिए ही होगा, और जो कुछ होगा उसमें आपकी विजय होगी।”

महात्माजी ने इस उपवास को सफलता के साथ पूरा किया। उपवास करने के पहले ही दिन वे जेल से छोड़ दिये गए, और उन प्रादेशानुसार दूःसप्ताह के लिए सविनय अवज्ञा का आन्दोलन कर दिया गया। (Autobiography of Pundit Jawahar Lal Nehru)

बाबू सुभाषचन्द्र बोस ने अपने “The Indian Struggle” नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में लिखा है कि महात्माजी के इन उपवासों को विदेशों में भारत के खिलाफ काफ़ी प्रचार किया गया। इस समय सुभाषचन्द्र बोस १४ मास की कठोर सज़ा पूरी कर स्वास्थ्य-क्षम लिए आस्ट्रिया की राजधानी विएना (Vienna) में पहुँचे थे। उन्होंने इन आलोचकों को सुना था, जिनमें यह दिसलाया कि भारतवर्ष में अछूतों के प्रति कितना निर्भ्रम और निर्दय व्यवहार जाता है, और उनके मानवोचित अधिकारों पर कितना कुठाराघात होता है। इसके लिये महात्माजी के उपवास का उदाहरण दिया

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, महात्माजी ने पहले पहल के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया था, पर वह उन्होंने यह अवधि दूःसप्ताह के लिए अर्थात् जुलाई के और बढ़ा दी। वह आन्दोलन स्थगित करने के समय उन्होंने सरकार से यह अनुरोध किया कि वह अपने द्वारा जारी दिन-दमनीयरी ऑर्डिनेन्सों को वापस ले ले, और सविनय आन्दोलनों को मुक्त कर दे। पर सरकार ने उनकी पकड़ न सुनी।

श्री सुभाषचन्द्र और श्री विठ्ठलभाई का वक्तव्य

जब भारतवर्ष में ये घटनाएँ घट रही थीं तब श्री सुभाषचन्द्र बोस, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यूरोप के विपना नगर में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। इसी समय भारतीय धारा-सभा के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री विठ्ठलभाई पटेल अमेरिका में भारत के पक्ष में प्रबल प्रचार करते हुए स्वास्थ्य लाभ करने के लिए विपना पहुँचे। इन दोनों देशभक्तों को महात्माजी का अविश्वस्य अवज्ञा आन्दोलन बंद करने का कार्य पसंद न आया। इन्होंने निम्नलिखित संयुक्त वक्तव्य निकाला:-

"The latest action of Mr. Gandhi in suspending Civil Disobedience is a confession of failure..... We are clearly of the opinion that Mr. Gandhi as a political leader has failed. The time has come for a radical reorganisation of the Congress on a new principle, with a new method, in which a new leader is essential."

अर्थात्, "भद्र अवज्ञा आन्दोलन को बंद करने का गांधीजी का सब निरर्थक कार्य असफलता की स्वीकृति है।....." हमारा निरिधत मत है कि राजनैतिक नेता के रूप में गांधीजी असफल हो चुके हैं। वह समझ आ गया है जब कि नवीन सिद्धान्त के आधार पर नवीन पद्धति को ग्रहण कर, कांग्रेस का सर्वथा मौखिक प्रकार का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिसके लिए एक नये नेता की आवश्यकता है।"

इहने का मतलब यह है कि महात्माजी के कुछ अनन्य भक्तों ने जो अबज्ञा आन्दोलन के स्थगित करने को पसंद नहीं किया।

पं० जवाहरलाल नेहरू को भी उनका यह कार्य नहीं रुचा, _____ के अनेक चमत्कारपूर्ण कार्यों से प्रभावित हो चुके थे,

इसलिए यद्यपि उनकी बुद्धि महात्माजी के इस प्रकार के पुराने कार्यों का साथ नहीं देती थी पर उनका हृदय उनका साथ देता वे अपने "Mahatma Gandhi" नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में लिखते हैं-

"But Congress at present meant Gandhi. What would he do? Ideologically he was sometimes amazingly backward, and yet in action he had been the greatest revolutionary of recent times in India. He was a unique personality, and it was impossible to judge him by the usual standards, even to apply ordinary canons of logic to him. But, because he was a revolutionary at heart and was pledged to political independence for India, he was bound to play an uncompromising role till that independence was achieved. And in this very process he would release tremendous mass energies and would himself, I half hoped, advance step by step toward the social goal."

अर्थात्, "वर्तमान समय में कांग्रेस का अर्थ ही गांधीजी है। हमें ? विचार-धारा की दृष्टि से कभी-कभी वे आश्चर्यजनक विचित्रे हुए मालूम होते थे। पर क्रियात्मक रूप में भारतवर्ष आधुनिक समय के सबसे बड़े क्रान्तिकारी थे। उनका व्यक्तित्व था और उन्हें साधारण मापदंडों से जांचना असम्भव था; यहाँ तक कि उन पर तर्कशास्त्र के साधारण नियम भी लागू नहीं किये जा सकते थे। पर चूँकि वे मूल में क्रान्तिकारी थे और भारतीय स्वतंत्रता के प्रतिज्ञाबद्ध थे, अतएव जब तक स्वाधीनता की प्राप्ति न हो जाय, तब वे अपने पक्ष पर अटक रहने के लिए बाध्य थे। मुझे आशा थी

कि वे इसी प्रक्रिया में जनता की महान् शक्ति को प्रस्फुटित कर लें और धीरे-धीरे सामाजिक सचब की ओर खुद भी आगे बढ़ेंगे ।

पूना काङ्ग्रेस

इसी वर्ष अर्थात् ईस्वी सन् १९३३ के जुलाई मास में पूना में उन प्रमुख कांग्रेसजनों का एक सम्मेलन हुआ जो जेल से बाहर थे । इसमें अधिकांश भारतवर्षीय कांग्रेस समिति के बहुत से सदस्यों ने भाग लिया । इसमें एक दल तो भद्र श्रवणा का आन्दोलन स्थगित करने के पक्ष में था और दूसरा दल उक्त आन्दोलन को और भी अधिक जोर-शोर और तेजी से चलााने के लिए आग्रह कर रहा था । पहले दल का इसमें बहुमत था और वह स्वराज्यवादियों की नीति को पुनर्जीवित करके सारा समाजों के अंदर सरकार से टक्कर लेने की योजना का पक्ष समर्थन कर रहा था । बहुत वाद-विवाद के बाद सारा मामला गांधीजी के विचार के ऊपर छोड़ दिया गया । गांधीजी ने एक वक्ता वाइसरॉय से मिलकर समझौता करने का निश्चय किया । उन्होंने वह भी प्रकट किया कि अगर इस समझौते में असफलता हुई तो वे अपने विश्वसनीय साथियों के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की आयोजना करेंगे । गांधीजी ने यह भी प्रकट किया कि वातावरण अनुकूल न होने के कारण इस वक्ता को सामूहिक सत्याग्रह छोड़ देना पड़ेगा । पूना काङ्ग्रेस के बाद गांधीजी ने वाइसरॉय से मुलाकात के लिए अनुरोध किया, पर इसमें उन्हें सफलता न मिली । वाइसरॉय ने बड़ा रुखा सा जवाब दिया ।



व्यक्तिगत सत्याग्रह



व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम योग्य व्यक्तियों का सत्याग्रह (Quality Satyagraha) है। महात्मा गांधी के मतानुसार इस सत्याग्रह में वे ही लोग सम्मिलित हो सकते थे जिन्होंने सत्याग्रह महान् तत्त्व को आत्मसात् कर लिया था और जिन्होंने इसकी शिक्षा ली थी। इसी सिद्धान्त के आधार पर महात्माजी ने व्यक्ति-गत सत्याग्रह की आयोजना की। कार्यवाहक-सभापति की आज्ञानुसार सारी संस्थाएँ और युद्ध-समितियाँ उठा दी गईं। इस सत्याग्रह के संबंध में डॉ० बी० पट्टाभि सीतारामय्या द्वारा लिखित और श्री हरिमन्ड उपाध्याय द्वारा अनुवादित " कांग्रेस का इतिहास " नामक ग्रन्थ में जो कुछ बर्णन दिया गया है उसका कुछ अंश नीचे उद्धृत किया जाता है—

“ गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ इस प्रकार किया कि उनके पास जो वस्तु सबसे अधिक मूल्यवान् थी उसका परित्याग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने उस कष्ट में भाग लेने की चेष्टा की जो आन्दोलन के दौरान में हज़ारों प्राणियों ने सहा था। उन्होंने साक्षर आश्रम तोड़ दिया और आश्रम के निवासियों को और सारे काम कर-युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सारा आश्रम छोड़ कर दिया और उसकी जंगम सम्पत्ति कुछ संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दी। वह किसी दूसरे से जगान आदि न दिखाने चाहते थे; इसलिए वह जमीन, इमारत और खेती सरकार को देने की तैयार हो गये। सरकार की ओर से केवल उस पत्र को पहुँच में आ चुका था ही गई।”

साबरमती आश्रम का दान

जब सरकार ने गांधीजी का दान स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने आश्रम को हरिजन-आन्दोलन के निमित्त अर्पण कर दिया। इस संर्ष में गांधीजी का वह वक्तव्य बाद आता है जो उन्होंने १९३० में दांडी यात्रा के अन्तसर पर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक स्वराज्य न जायगा, तब तक वह आश्रम को अर्पण न जायेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और एक बार को छोड़कर, जब वह एक बीमार मित्र को देखने गए थे, १२ मार्च १९३० के अन्तसर में फिर कदम न रक्खा। इस प्रकार आश्रम को हरिजन संघ को अर्पण कर उन्होंने पार्थिव-जगत से बांध रखने वाली इस अन्तिम प्रतिज्ञा को, जिसके प्रति सम्भव था उसके इच्छ में मोह बना रहता, त्याग दिया।

अगस्त १९३३ को गांधीजी रास नामक गांव की, जो १९३० में श्री कल्याणभाई की गिरफ्तारी के बाद से प्रतिष्ठित हुआ था, करने वाले थे। पर एक दिन पहले ही आधी रात के समय उनके ३४ आश्रम-वासियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गांधीजी बार अगस्त की सुबह को छोड़ देने गये और उन्हें गांव की सीमा छोड़कर पूना जाकर रहने का नोटिस दिया गया। इस आज्ञा की निश्चय ही अवहेलना की गई और रिहाई के आगे की के भीतर गांधीजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें साब्र मर की सजा दी गई। "उनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद ही अन्तिम अर्पण सारे प्रान्तों में आरम्भ हो गया और पहले ही १२ प्रान्तों में गिरफ्तार हो गये। कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भी उन्हें से मात्र करते समय अपने १३ साथियों के साथ १२ अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये, और उनके बाद उनके उपराधिकारी अन्तसर १३ अक्टूबर की बारी आई। परन्तु उन्होंने गिरफ्तारी के बाद

जाया जारी की कि कार्यवाहक अध्यक्ष का पद और क्विटेडों की लि
 का सिद्धसिद्धा तोड़ दिया जाय, जिससे युद्ध सचमुच व्यक्तिगत
 का रूप धारण करले। गांधीजी ने जो मार्ग दिखाया था —
 १९३३ के अगस्त से १९३४ के मार्च तक देश भर में कांग्रेस
 अगातार चलते रहे और सत्याग्रहियों के अटूट तांते ने उ
 जारी रक्खा। ”

गांधीजी का फिर से अनशन

जैसा कि पहले कहा गया है गांधीजी को व्यक्तिगत सत्याग्रह
 के उपवास में एक वर्ष की सज़ा हुई और वे बरबदा की जेल
 दिने गये। पहले की तरह उन्हें इस बार जेल में हरिजन कार्य का
 की सुविधाएँ न दी गईं। गांधीजी इस बात पर अड़ गये
 पहले की तरह हरिजन कार्य की सुविधाओं के बिना ज़ोर देने
 सरकार भी अपनी ज़िद पर अड़ गई। इस पर गांधीजी ने
 उपवास करना शुरू कर दिया। एक सप्ताह के उपवास के बाद
 हाकत बहुत सारा हो गई और ऐसा मालूम होने लगा
 उपवास में उनके शरीर का अन्त हो जायगा। उन्हें स्वयं
 र्वाय होने लगे। उन्होंने अपने पास का कुछ सामान
 दाहनों को दे दिया। इधर सरकार भी चिन्तित हुई। वह
 कही कि अगर बंदी अवस्था में गांधीजी का देहान्त हो गया
 दुनिया में उसकी बदनामी होगी। इसलिए उसने उन्हें जेल
 निरन्तर किया। कहा जाता है कि बीकानेर सी. एच. एम्. ए. का

के इन्वास का हाथ सुनकर विखायत से भारत आये और उन्होंने गांधीजी को छुड़ाने का तफ़्फ़ल प्रयत्न किया। पं० जवाहरलालजी ने भी इस वक़्त गांधीजी की जान बचाने का बहुत कुछ श्रेय एण्ड्रूज महोदय को दिया।

इसी समय अलाहाबाद में पं० जवाहरलालजी की माता सफ़्त हो गईं। उनकी अवस्था चिन्ताजनक होने से पंडितजी को ने जेल से छोड़ दिया। वे अपनी माता के पास कुछ दिन ठहर गांधीजी के पास पूना चहुँचे। उस समय गांधीजी बहुत दिखलाई दिये, यद्यपि उनका स्वास्थ्य धीरे २ सुधर रहा था।

जेल से बाहर आकर गांधीजी ने यह घोषित किया, "चूंकि अगस्त १९३३ में मुझे एक साल की सज़ा हुई थी, और मैं उस अवधि के ही जेल से छोड़ दिया गया हूँ, अतः एव मैं एक वर्ष पूरा होने तक, ईस्वी सन् १९३४ के अगस्त मास तक, सत्याग्रह न करूँगा।"

ईस्वी सन् १९३३ के जुलाई मास में जब महात्माजी ने व्यक्तिगत करना शुरु किया था, उस समय उन्होंने यह प्रकट किया था कि कांग्रेस को इस समय जो असफलता हो रही है उसका कारण उसकी शुल कार्यवाही है। इसके अतिरिक्त महात्माजी का यह भी उद्घोष हो चला था कि कांग्रेस-संगठन में अनैतिकता का दौरा हो रहा है। वही कारण था कि कांग्रेस के तत्कालीन कार्यकारी समिति की कच्चे महोदय ने महात्माजी के संकेत पर देश के कांग्रेस संगठनों में अंग कर दिया था। इससे देश में बड़ी निराशा छा गई थी। देश की निराशामय-स्थिति में फिर से जीवन खाने के लिये डा० अन्सारी

— बी० सी० राय ने ईस्वी सन् १९३४ के मार्च मास में अपने शरों के कांग्रेस सदस्यों की एक परिषद् बुलाई, इस समय पं० मेहरू कलकत्ते में राजविद्रोहात्मक भाषण देने के कारण

ईस्वी सन् १९३४ के जनवरी मास में फिर से जेलखाने में बंद दिने का वे। इसलिप् उनकी उपस्थिति और प्रभाव का यह परिष्द् फायदा उठा सकी। तो भी इस परिष्द् में अगले चुनावों को खदने के लिए स्वराज्यपार्टी को फिर से जीवित करने का प्रस्ताव पास हुआ। सरकार के ऑर्डिनेन्सों के कारण और जनता के मंद उत्साह के कारण सकिन्क अवज्ञा का अन्दोलन सफलता पूर्वक खदाने के लिए परिस्थिति अनुकूल न थी। इसके दूसरे ही मास बिहार के रांची नगर में बड़े पैमाने कांग्रेस जनों को एक सभा की गई, जिसमें दिल्ली परिष्द् में प्रस्तावों पर स्वीकृति की मोहर खगाई गई। वहाँ इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर देना आवश्यक है कि दिल्ली काङ्ग्रेस के पहले पूना के भी नृसिंह चिंतामणि केलकर और बम्बई के श्री जमनादास मेहता प्रयत्न से बम्बई में डिमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी की काङ्ग्रेस हुई जिसमें अगले चुनावों को खदने का निश्चय किया गया था। जाता है कि इस काङ्ग्रेस का समर्थन महात्मा के कई ज़िखों ने किया था।

ईस्वी सन् १९३४ के मई मास में तीन वर्ष के अरसे के बाद बिहार के पटना नगर में अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी की बैठक खुलाई गई। इस समय महात्मा गांधी ने भी कई परिस्थितियों के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धारासभा-प्रवेश के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। इसी बीच में सरकार ने भारत की धारा सभा को नवम्बर मास में आम चुनाव (General election) करने की घोषणा कर दी।

अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी ने इसी बैठक में यह निश्चय किया कि कांग्रेस के निर्वाचनों का अधिकार स्वराज्य पार्टी को देने के बजाय यह स्वतः ही अपना एक पार्लियामेंटरी बोर्ड स्थापित करे जो इन निर्वाचनों के संबंध में निर्बांध करे। इसके अतिरिक्त कांग्रेस कमेटी

वे सविनय अवज्ञा का आंदोलन को रोकने का प्रस्ताव पास किया और महात्माजी को यह अधिकार दिया कि वे जब उचित समझें तब स्वयं अहिंसात्मक सत्याग्रह कर सकते हैं। महात्माजी ने भी इस समय यह कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अवज्ञा की जिम्मेदारी को ले सकते हैं।

साम्प्रदायिक निर्णय पर मतभेद

मेकडॉनल्ड के प्रधान मंत्रित्व में ब्रिटिश सरकार ने जिस प्रकार साम्प्रदायिक निर्णय किया, उससे हिन्दुओं पर घोर अन्याय हुआ। ब्रिटिश इस निर्णय ने जैसा विषवपन और जैसा सत्यानास उसे भारत की आनेवाली पीढ़ियों तक घृणा के साथ स्मरण। भारत की एकता को तोड़ने का यह एक घृणित पदचक्र था। इसी घृष्टि अंग्रेज कूट नीतियों और सम्प्रदायवादी मुसलमानों ने की। अंग्रेज इतिहासकार मि० एडवर्ड टॉमसन ने लिखा है—

During the round table conference there was an obvious understanding and alliance on the more intransigent Muslims and certain equally undemocratic British Political circles. This alliance is constantly asserted in India to be a real block to progress. I believe I could prove

that this is largely true. And their is no that in former times we frankly practised "divide and rule" method in India.

अर्थात्, "गोलमेज़ परिषद् के समय अधिक दुराग्रही और कुछ जनतंत्रविरोधी ब्रिटिश राजनैतिक क्षेत्रों के बीच प्रयत्न हो गई थी । इस मैत्री का प्रभाव भारत की प्रगति के रास्ते में रोड़े के रूप में पड़ा । मैं विश्वास करता हूँ और साथ ही मैं यह कर सकता हूँ कि यह बात बहुत ग्रंथों में सच है । इसमें कोई शर्त कि पूर्व समय में भी हमने भेद नीति (Divide and rule) से सुखे तौर पर काम किया था ।"

कलकत्ता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष, सारा सभा में राष्ट्रीय दल (Nationalist Party) के श्री. एन. वैनर्जी अपने "मुख्यम पोलिटिक्स" नामक लिखते हैं:-

"By the Communal Award an attempt was made to create divisions among the different sections of the people of India."

अर्थात्, "साम्प्रदायिक निर्णय के द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न वर्गों को बाँटने का प्रयत्न किया गया है ।" आगे चलकर इन्हीं अपने इसी ग्रन्थ में लिखा है कि यह सारा पद्धति भारतवर्ष को के लिए गुलाम बनाये रखने के लिये किया गया था ।

उत्कलखीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड (Lord Birkenhead) ने उत्कलखीन वाइसरॉय लॉर्ड इर्विन को जो पत्र लिखा था, कुछ अंश यह है:-

"We have always relied on the non-boycott Moslems, on the depressed community,

business interests and on many others to break down the attitude of boycott."

अर्थात्, "हम लोग बहिष्कार न करने वाले मुसलमानों, दलित जातियों और व्यापारी स्वार्थी तथा इसी प्रकार के अन्य समुदायों पर की मनोवृत्ति को भंग करने के लिये निर्भर रहे हैं।"

इसी विषय पर मि० एटली ने भाषण देते हुए जो कुछ कहा था आशय यह है:—“आखिरकार, साम्प्रदायिक निर्णय का आचरण चलाऊ ही नहीं होना चाहिये। इस निर्णय ने मुसलमानों के पक्षपात किया है और हिन्दुओं के साथ अन्याय किया है। साम्प्रदायिक निर्णय तो केवल इसलिए होना चाहिए कि विभिन्न अल्प-संख्यकों को उचित संरक्षण (Protection) मिल सके, लेकिन साम्प्रदायिक पृथक्-निर्वाचन से घोर साम्प्रदायिकता बढ़ेगी। संयुक्त निर्वाचन से ही साम्प्रदायिकता के विष को बढ़ने और फैलाने से रोकना संभव है।

लॉर्ड स्ट्रेबोल्सकी ने अपने भाषण में कहा:—“जिस साम्प्रदायिक मत की चर्चा आज हम इतने ज़ोरों से सुन रहे हैं उसका नाम भी एडमिन्ड चेम्सफोर्ड सुधारों के पहले नहीं सुना जाता था। आज जब कि हम एक हल ढूँढने का प्रयत्न कर रहे हैं तो दूसरी ओर से कुछ दुश्मनी के लिये विभिन्न दलों को खड़ा कर साम्प्रदायिक समझौते को असंभव बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि वे आपस में समझौता नहीं कर सकते तो क्या किया जाय? अगर वे आपस में नहीं मिल सकते क्या वह हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उनके ऊपर हल की छाप ही दें, वह निर्णय जो कि हमेशा के लिए उन दोनों को खलग कर देगा? मैं बहुत गम्भीरता पूर्वक यह सवाल पूछ रहा हूँ। क्या हम संयुक्त निर्वाचन के लिए उन पर ज़ोर नहीं

इसी प्रकार श्री सुभाषचन्द्र बोस सरीखे उग्र नेताओं तक ने इस निर्वाचन को हिन्दुओं के लिये घोर अन्याय युक्त बतलाया था। यहाँ न बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि श्री जिन्ना ने ईस्वी सन् १९२३ के मार्च में होने वाले मुस्लिम लीग के अधिवेशन में समझौते के लिए जो १४ मुद्दे रखे थे, वे प्रायः सब के सब इस साम्प्रदायिक निर्वाचन में स्वीकृत कर लिये गए थे।

भारत के राष्ट्रीय अन्दोलन का संचालन प्रायः हिन्दू ही कर रहे थे। वे हिन्दू युवक ही थे जो भारत की स्वाधीनता के लिए फाँसी खा चुके थे और जिन्होंने काले पानी के घोर दुःखों को सहना था। हिन्दुओं ने इस राष्ट्र में स्वाधीनता की ज्योति को जगाया था और उसके बड़े से बड़ा आत्म-त्याग किया था। अतः एव, देश में फूट राष्ट्रवादी हिन्दुओं को कमजोर करने का ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों का महयंत्र था। इसी नीचतम उद्देश्य को लेकर ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों ने जर्मन् के महान् सिद्धान्तों का किस प्रकार घात किया, पता निम्नलिखित तथ्यों से चलेगा।

बंगाल और पंजाब में यद्यपि मुसलमानों का बहुमत है पर और मुसलमानों की संख्या में ज्यादा अन्तर नहीं है। इसलिए इन में अल्प मत को मताधिक्य (Weightage) मिलाना चाहिए। जैसा कि हिन्दू बहुमत वाले प्रान्तों में मुसलमानों को मिला पर हिन्दू अल्पमतवाले इन दो प्रान्तों में ऐसा नहीं किया गया।

बंगाल में मुसलमान १४.८ प्रतिशत और हिन्दू ४४.८ प्रतिशत यूरोपियन केवल ०.०१ प्रतिशत थे। मुसलमानों को १४.८ होने की हाजत में चारा सभा में २१० सीटों में से १११ सीटें हिन्दुओं को ४४.८ प्रतिशत होने की हाजत में ८० सीटें प्राप्त हुईं। इसे दूसरे शब्दों में बौ कहा जा सकता है कि इस साम्प्रदायिक के अनुसार जहाँ मुसलमानों को कुछ सीटों में से ४७.६ प्री

मात्र हुई, वहां हिन्दुओं को ३२ फी सदी प्राप्त हुई। संख्या और न्याय की दृष्टि से हिन्दुओं को ११२ और मुसलमानों को १३७ सीटें प्राप्त होनी चाहिए थीं। जहां दोनों का यह अन्तर संख्या के मान से २५ होना चाहिए था, वहां यह ३६ रक्खा गया। अगर मि० मेगाडाल और न्यायप्रिय होते तो हिन्दू और मुसलमानों की सीटों को का अनुपात बराबर रखते। यहां एक मज़ेदार बात और भी मैं रखने योग्य है और वह यह है कि बंगाल में यूरोपियन लोगों की संख्या अत्यन्त अल्प अर्थात् ०.०१ प्रतिशत थी, पर उन्हें ११ सीटें दीं, अर्थात् उन्हें ११०००० फी सदी अधिक मताधिक्य (Weight) दिया गया। इनका सारा भार भी हिन्दुओं पर पड़ा। उन्हें वास्तविक अधिकार से हाथ धोने के लिये मजबूर होना पड़ा। भारत पंजाब की थी। वहां भी हिन्दुओं को वेहद नुकसान पड़ा।

अब आप उन प्रान्तों की बात खोजिए जहां हिन्दू बहुमत में थे मुसलमान अल्पमत में। हम नीचे बिहार, युक्त-प्रान्त, उड़ीसा, मद्रास और बम्बई प्रान्तों को लेते हैं, जहां हिन्दुओं का और मुसलमानों का अल्पमत था।

प्रान्त	पारा सभा की सीटों की कुल संख्या	मुसलमानों की सीटें	मुसलमानों की संख्या का अनुपात	सुस्थित प्रतिक निश्चित का अनुपात
बिहार ...	१५२	३६	१२	२५-६
युक्त-प्रान्त ...	२२८	६४	१२	२८-०
... ..	६०	४	२	६-६
मध्य प्रान्त ...	११२	१४	२	१२-२
मद्रास ...	२१२	२८	८	१३-०
बम्बई ...	१७२	२६	१०	१६-२

साम्प्रदायिक निर्वाच पर मतभेद

उपर्युक्त तार्किकता से पाठकों को यह पता चलेगा कि हिन्दू मत वाले प्रान्तों में मुसलमानों को कितना अधिक मताधिक्य मिला था, और मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्तों में हिन्दुओं को तो दूर रहा, अपनी संख्या के अनुपात से भी कम सीटें मिलीं।

अब केन्द्रीय धारा सभा को खोजिएगा। भारतवर्ष में की संख्या २४ फ्री सीटें थीं और उन्हें ३३ फ्री सीटें थीं।

कहने का मतलब यह है कि मेगडॉनल्ड के इस साम्प्रदायिक जनतंत्र के सिद्धान्त का पुरी तरह घात किया। मुसलमान अल्पसंख्यक मतवाली जातियों को जनतंत्र के सिद्धान्त के निर्वाचनाधिकार पाने का पूरा-पूरा हक था। पर इसका यह मतलब नहीं कि एक बहुत बड़े बहुमत वाले दल को अल्पमत वाले दल पर विजय कर दिया जाय और अल्पमत वाले दल को बहुमत वाले दल से। यह एक ऐसा अन्वय था, जिसका समर्थन किसी भी जनतंत्र राजनीति से नहीं किया जाता। इस निर्वाच ने भारतीय समाज में अंधकार विष का काम किया, जिसके कुफल आज भी हम को भोग रहे हैं।

साम्प्रदायिक निर्वाच का विरोध

कांग्रेस कार्य-समिति की पटनावाली बैठक के बाद बम्बई कांग्रेस में उसकी बैठकें हुईं। इस समय इस साम्प्रदायिक निर्वाच का विरोध और कांग्रेस के सदस्यों में बड़ा मतभेद उपस्थित हुआ। महात्मा जवाहरलाल नेहरू, आनंदबेन साठवीस और श्री जे. ए. महादेव ने इस बात पर जोर दिया कि रीपब्लिक की तरह इस साम्प्रदायिक निर्वाच पर भी चुनाव का मत ही माना जाना चाहिए। पर कार्य-समिति के अन्य सदस्यों ने, जिनमें श्री जे. ए. महादेव शामिल थे।

होकर इस बात का आग्रह किया कि कांग्रेस न तो इस निर्णय को स्वीकार करे और न अस्वीकार ही करे। सुभाष बाबू ने लिखा है:—

“The rest of the Working Committee, under the influence of the Moslem members, maintained that the Congress should neither accept nor reject the Communal Award, though they admitted that the Award was thoroughly obnoxious.”

अर्थात्, “कार्य-समिति के शेष सदस्यों ने मुस्लिम सदस्यों से प्रभावित होकर इस बात का समर्थन किया कि कांग्रेस को न तो साम्प्रदायिक निर्णय को स्वीकार करना चाहिए और न अस्वीकार ही, यद्यपि उन्होंने यह मंजूर किया कि यह निर्णय पूर्णरूपेण घृणास्पद था। आगे चलकर सुभाष बाबू फिर लिखते हैं:—

“Whatever the reason may be, the fact remains that today they are holding a pistol at the Working Committee, and because of their insistence, the Committee has been forced to take up this ridiculous attitude of neither accepting nor rejecting the Award.”

अर्थात्, “चाहे कुछ भी कारण हो, पर वह एक वास्तविक तथ्य है कि वे (मुस्लिम सदस्य) आज कार्य-समिति की ओर पिस्तौल धरने हुए हैं, और उनके आग्रह के कारण कार्य-समिति साम्प्रदायिक निर्णय को न तो स्वीकार करने और न अस्वीकार करने के हारवाक्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुई है। आगे चलकर सुभाष बाबू ने इस विन्यासकारी निर्णय के प्रति और भी तीव्र घृणा प्रदर्शित

साम्प्रदायिक निर्णय पर मतभेद

की है, और उन्होंने कांग्रेस कार्य-समिति की इस निर्बंध प्रति हार्दिक दुःख प्रकट किया है।

पं० मालवीयजी और अण्णे महोदय के इस्तीफ़े

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, साम्प्रदायिक निर्णय को कांग्रेस कार्य-समिति में तीव्र मतभेद उपस्थित हुआ। पं० और अण्णे महोदय ने कांग्रेस कार्य-समिति और पार्लियामेण्टरी इस्तीफ़े देकर कांग्रेस के अन्तर्गत राष्ट्रीय दल (Congress Nationalist Party) को संगठित करने का आयोजन किया, और उद्देश्य यह रक्खा गया कि वह साम्प्रदायिक निर्णय और विरोध करे। इस दल ने १६ अगस्त १९३४ को कलकत्ते में पं० मोहन मालवीय के सभापतित्व में अपनी कान्फ़रेन्स का किया। इसके स्वागताध्यक्ष सुप्रसिद्ध रसायनशास्त्री और सर पी० सी० रॉय थे। इस निर्णय से बंगाल के हिन्दुओं — अन्वेषण हुआ था, इसलिए उस वक्त इस अधिवेशन को सफलता मिली।

समाजवादी दल की स्थापना

इसी अरसे में अर्थात् मई १९३४ में भारतवर्ष में समाजवादी दल (Socialist Party) की स्थापना हुई मई १९३४ को पटना में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता अधिवेशन हुआ। इसके बाद अनेक प्रान्तों में इसकी अनेक स्थापित हुईं। इस दल की स्थापना पर महात्मा गांधी ने जो प्रकाशित किया था उसकी कुछ पंक्तियाँ हम नीचे उद्धृत हैं। समाजवादी दल का स्वागत किया है, जिसमें मेरे आदर्शीय और आत्म-त्यागी साथी मौजूद हैं। यह सब होते बनना जो प्रामाणिक कार्यक्रम हुआ है, उससे कि।

मतभेद है। किन्तु मैं उनके साहित्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रचार को अपने नैतिक प्रभाव से नहीं रोकना चाहता। मैं उन सिद्धान्तों को स्वतंत्रता के साथ प्रकट करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे उनमें से कुछ सिद्धान्त मुझे कितने ही नापसन्द क्यों न हों।”

कांग्रेस से गांधीजी का अवसर ग्रहण

ईस्वी सन् १९१४ की ८, ९ और १० सितम्बर को वर्षा में कांग्रेस कार्य-समिति और कांग्रेस पार्लियामेण्टरी बोर्ड की बैठकें हुईं। उनमें कांग्रेस के दो दलों में सभ्यता कराने के प्रयत्न हुए, पर उनमें सफलता न मिली। इसी समय यह मालूम हुआ कि गांधीजी देश की सक्रिय राजनीति से विराम लेने की बात सोच रहे हैं। साम्प्रदायिक निर्णय को लेकर कांग्रेस में जो दो दल हो गये थे उनसे गांधीजी को बड़ा आघात पहुँचा था। उस समय गांधीजी के कट्टर अनुयायी श्रीराजगोपाळाचार्य ने ७ सितम्बर को इस संबंध में जो वक्तव्य प्रकाशित किया था, उसका कुछ अंश इस प्रकार है:-

“गांधीजी के कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ने की अफवाह का कारण यह है कि गांधीजी सब प्रकार के हिंसा के तर्कों से कांग्रेस को शुद्ध करके उसके विधान में सुधार करने का विचार कर रहे हैं.....। अगर कांग्रेस आनेवाले अधिवेशन के बाद उनके सुधारों को स्वीकृत न करेगी तो वे शुद्ध अहिंसात्मक कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना एक स्वतंत्र संगठन आरम्भ करने के लिए प्रस्तुत हो जायेंगे।”

राजाजी के इस वक्तव्य के प्रकाशित होने के ठीक दस दिन बाद स्वयं गांधीजी ने एक वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने कांग्रेस से अपने अवसर ग्रहण करने की अफवाह का समर्थन किया। हाँ, उन्होंने यह भी प्रकट किया कि मित्रों के अनुरोध से आनेवाले बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन तक वे अपने इस विचार को कार्यान्वित न करेंगे। गांधीजी ने उसी समय कांग्रेस में फैले हुए अष्टाचार पर भी दुःख प्रकट किया और उन्होंने कांग्रेस-विधान में निम्न-लिखित संशोधन करने का आग्रह

किया । हम गांधीजी के शब्दों में ही उन संशोधनों को बहां दोहराते हैं:-

“ मैं चाहता हूँ कि मैंने जिन सब विषयों की चर्चा की है उनको कार्यरूप में परिणत कराने के लिए कुछ प्रस्ताव विषय-समिति में पेश करके कांग्रेस के भाव की परीक्षा करूँ । पहला संशोधन जो मैं पेश करूँगा, वह यह होगा कि 'उचित और शान्तिमय' शब्दों के बदले 'सत्यतापूर्ण' और 'अहिंसात्मक' शब्द रखे जायँ । मैं ऐसा न करता, 'अगर उचित और शान्तिमय' के बदले इन दो विशेषणों का मेरे सरल भाव से प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध तूफान न खड़ा कर दिया जाता । अगर कांग्रेसी वस्तुतः हमारे ध्येय की प्राप्ति के लिये सच्चाई और अहिंसा की आवश्यकता समझते हैं, तो उन्हें इन स्पष्ट विशेषणों को स्वीकार करने में हिचक न होनी चाहिए । ”

“ दूसरा संशोधन यह होगा कि कांग्रेस की मतधिकार योग्यता चार आने के बदले हर महीने कम से कम १५ नम्बर का अच्छा बटा हुआ २००० तार (एक तार=४ फुट) सूत हर महीने देने की रखी जाय, और वह सूत मतदाता खुद चरखे या तकली पर कात कर दें । अगर किसी मेम्बर की गरीबी साबित हो तो उसकी कातने के लिए काफ़ी रूई दी जाय, ताकि वह उतना सूत कातकर दे सके । इसके पक्ष और विपक्ष की दलीलें यहां दोहराने की जरूरत नहीं है । ”

“ तीसरा संशोधन जो मैं पेश करना चाहता हूँ, वह यह होगा कि किसी ऐसे कांग्रेसी को कांग्रेस के निर्वाचन में मत देने का अधिकार न होगा जिसका नाम ६ महीने तक बराबर कांग्रेस रजिस्टर पर न रहा हो, और जो पूरी तरह से आदतन खादी पहननेवाला न रहा हो । ”

बम्बई का कांग्रेस अधिवेशन

ईस्वी सन् १९१४ के अक्टूबर मास की २६, २७ और २८ तारीख को देश रत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में बम्बई में कांग्रेस का

अधिवेशन हुआ। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि साढ़े तीन साल के अरसे के बाद कांग्रेस का यह नियमपूर्वक अधिवेशन होने जा रहा था। गांधीजी के कांग्रेस से अवसर ग्रहण करने का प्रश्न भी इसमें उपस्थित होनेवाला था। कांग्रेस के अन्तिम लक्ष्य के संबंध में देश के राजनैतिक दलों में जो मतभेद हो रहा था, उसके संबंध में भी इस अधिवेशन में विचार किया जाने वाला था। साम्प्रदायिक निर्णय और श्वेतपत्र के संबन्ध में भी इसमें फ़ाक्री वादानुवाद होनेवाला था। इन्हीं सब बातों को लेकर चारों तरफ़ से लोग इसमें शामिल होने के लिए जमा हो रहे थे। इस अधिवेशन में काफ़ी गरमागरम बहस हुई। इस अधिवेशन में यह निर्णय किया गया कि कौंसिलों के चुनावों में भाग लिया जाय। कांग्रेस में अपने चुनाव बढ़ाने और उस संबंध की तमाम कार्यवाही करने के लिए एक पार्लियामेण्टरी बोर्ड भी बना दिया गया। इसी समय कांग्रेस में रचनात्मक कार्यक्रम की ओर भी ध्यान दिया गया और ग्राम-उद्योगों को उन्नत करने की ओर भी ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिवेशन में निम्न-लिखित प्रस्ताव भी पास किया गया—“कांग्रेस का कोई भी सदस्य किसी पद या किसी भी कांग्रेसी कमेटी के चुनाव के लिए खड़ा न हो सकेगा, यदि वह पूरे तौर से हाथ की कती-बुनी खादी आंदोलन न पहनता हो।” बम्बई कांग्रेस में सबसे पहली बार श्रम-मताधिकार का प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था:—

“कोई भी व्यक्ति किसी भी कांग्रेस कमेटी की सदस्यता के लिये उम्मीदवार बन कर खड़ा होने का हकदार न होगा, यदि उसने चुनाव की नामज़दगी की तारीख़ को समाप्त होनेवाले ६ महीनों में कांग्रेस की ओर से या कांग्रेस के लिए लगातार कोई ऐसा शारीरिक श्रम न किया हो जो प्रति मास मूल्य में अच्छे कते हुए १० नंबर के २०० गज़ सूत के बराबर हो। कार्य-समिति समय समय पर प्रान्तीय कांग्रेस

कमेटियों तथा अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग संघ से सलाह लेकर यह निर्धारित करेगी कि कताई के अतिरिक्त दूसरा कौन सा धर्म स्वीकार किया जायगा।” गांधीजी की अलहद्गी ने इस बात का तकाजा किया कि गांधीजी में विश्वास का एक प्रस्ताव पास किया जाय; तत्संबंधी प्रस्ताव इस प्रकार था:-

“ यह कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर प्रकट करती है। उसका यह दृढमत है कि कांग्रेस से अलग होने के निश्चय पर उन्हें फिर विचार करना चाहिए। लेकिन चूँकि उन्हें इस बात के लिए राजी करने के सब प्रयत्न निफल हुए हैं, यह कांग्रेस अपनी दृष्टि के विरुद्ध उनके निर्णय को मानते हुए राष्ट्र के लिए की गई उनकी बेजोड़ सेवाओं के प्रति धन्यवाद प्रकट करती है, और उनके इस अस्वासन पर संतोष प्रकट करती है कि उनका परामर्श और पथ-प्रदर्शन आवश्यकतानुसार कांग्रेस को प्राप्त होता रहेगा।”

गांधीजी का अवसर ग्रहण

ईस्वी सन् १९३४ में बम्बई आभिवेशन के समय गांधीजी ने कांग्रेस से अवसर ग्रहण कर लिया। इतना ही नहीं, वे कांग्रेस के चार आने-वाले सदस्य भी न रहे। कांग्रेस के नेता अपनी विकट समस्याओं को सुलझाने में, उनके अवसर ग्रहण करने की स्थिति में भी, उनसे पथ-प्रदर्शन ग्रहण करते रहते थे। अवसर ग्रहण के काल में गांधीजी ने अपनी सारी शक्तियों को हरिजन-उद्धार, शिचा-प्रचार और छादी-प्रचार आदि रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगाया। इस समय भी उन्होंने देश की ठोस सेवाएँ कीं और राष्ट्र के जीवन का निर्माण करने में महान् कार्य किया।

अन्य राजनैतिक दलों की प्रवृत्तियाँ

इसी साल, अर्थात् ईस्वी सन् १९३३ के दिसम्बर मास में, सि० ने०

एन० वसु की अध्यक्षता में मद्रास में लिबरल फेडरेशन (Liberal Federation) का अधिवेशन हुआ, जिसमें श्वेत-पत्र और साम्प्रदायिक निर्णय पर घृणा के प्रस्ताव पास किये गये । अखिल भारतवर्षीय महिला-कान्फ्रेंस का अधिवेशन कलकत्ते में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ, जिसमें भारतवर्ष के सब प्रान्तों की महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस कान्फ्रेंस में समाज-सुधार और स्त्री-शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पास हुए । जिनेवा की अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी में अपना प्रतिनिधि रखने के विषय पर भी इसमें विचार हुआ । कानपुर में मजदूर-संघ कांग्रेस (Trade Union Congress) का अधिवेशन हुआ, जिसमें मजदूरों के कष्ट-निवारण के संबंध में प्रस्ताव पास हुए । इसी अधिवेशन में बम्बई की कपड़े की मिलों के मजदूरों के कष्टों पर विचार किया गया, और यह निर्णय किया गया कि अगर सन्तोषकारक समझौता न हो तो मजदूर अपनी मांगों को स्वीकृत कराने के लिये आम हड़ताल कर दें । इस पर बम्बई में बड़ी जबरदस्त हड़ताल हुई और इस हड़ताल के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए अन्य स्थानों में भी मजदूरों की हड़तालें हुईं । बम्बई की हड़ताल के उपलक्ष्य में मजदूरों के कई अग्रगण्य नेता गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिये गये । पंजाब में भी दमन का दौर-दौरा शुरू हुआ । वहाँ की 'क्रांति' नामक मजदूर संस्था और कृषक दल गौर कानूनी घोषित कर दिये गए । बंगाल में भी सरकार ने क्रांति-कारियों की आतंकवादी प्रवृत्तियों को कुचलने के लिए सख्त क्रम उठाये । जब आतंकवादियों को हथियार करने के प्रयत्न में तथा हथियार और विस्फोटक-द्रव्य रखने के अपराध में मृत्यु-दंड दिये जाने की योजना की गई ।

प्रान्तों में कांग्रेस सरकारों की स्थापना

ई० सन् १९३२ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्वेतपत्र (White Paper) के आधार पर ही नया 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट' पास किया, जिसमें फ़ैडरल शासन और प्रान्तीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था थी। इसी को 'भारतीय शासन विधान' के नाम से पुकारा जाता था। इसी विधान के अनुसार ईस्वी सन् १९३७ में धारा-सभाओं के द्वितीय साधारण चुनाव किये गये। ११ प्रान्तों में से ५ प्रान्तों में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। दो प्रान्तों में किसी एक दल के मिल जाने से उनका भारी बहुमत हो जाता था। कांग्रेस को ऐसी मजबूत स्थिति हो गई थी कि उन प्रान्तों में उसे मंत्रि-मंडल बनाने के लिये अल्पमत के सहयोग की आवश्यकता ही न थी।

इतने पर भी कांग्रेसी प्रान्तों ने प्रारम्भ में अपने मंत्रिमंडल बनाने से इन्कार किया। इसका कारण यह था कि प्रान्त के गवर्नरों को अस्वार्थिक अधिकार दिये गये थे। उन अधिकारों के अनुसार वे कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के शासन-कार्य में बहुत-कुछ हस्तक्षेप कर सकते थे। इस प्रकार सरकार ने पहले-पहल गुड़िया मंत्रि-मंडल बनाये, जो इपर-उपर के अल्पमत वाले दलों में से बनाये गये थे। पर वे अपना काम न चला सके। इस पर वाइसरॉय ने कांग्रेस को यह अशवासन दिया कि गवर्नर उनके शासन-कार्य में किसी विशिष्ट अवसर को छोड़ कर हस्तक्षेप न करेंगे, और उनका कार्य सुचारु रूप से चलने देंगे।

मन्त्री मण्डलों के मिनिस्ट्रों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ अपना कार्य शुरू किया। कांग्रेस आदर्शों को कार्यान्वित करने के लिये और प्रगतिशील शासन के द्वारा अधिक से अधिक लोकहितकारी कार्यों को सफलता पूर्वक करने के लिए वे बड़े आतुर हो रहे थे। इस बात को इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध विधान-शास्त्री मि० क्रूप लैंड ने अपने "Indian Politics" नामक ग्रन्थ के दूसरे भाग में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं:—

"In the early days of their career most of the Ministers and their official subordinates were working under peculiarly and on ous conditions. In the first place, Ministers had committed themselves to a heavy programme of reform both by legislation and in the conduct of the executive machine and they were naturally anxious to press on with it as quickly as possible. For many months the lights in their various departments were burning well into the night."

"अपने कार्य-काल के आरंभ में नये मंत्रिमण्डल और उनके मातहत अफसर विशिष्ट प्रकार कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। विधान-निर्माण और शासन-तंत्र संचालन के कार्य द्वारा सुधार के भारी कार्य क्रम को सफल बनाने के लिए वे प्रतिज्ञा बद्ध थे। अतएव वे स्वभावतः ही कार्य को आगे बढ़ाने में बड़े आतुर हो रहे थे। उनके कई विभागों में कई मस तक रात में भी काफ़ी समय तक दीपक जलते रहते थे।"

कहने का मतलब यह है कि हमारे कांग्रेस मंत्रियों ने उस समय लोक-सेवा को अपना प्रधान लक्ष्य बनाकर बड़ी लगन के साथ कार्य

किया। परिश्रम से वे कभी न अधाये।

जैसी कि हमारे मंत्रि-मंडलों से आशा थी, उन्होंने शासन-रुद्ध होते ही बहुत से प्रतिबंधक और दमनकारी कानूनों को रद्द किया, कम्युनिस्ट और दूसरी राजनैतिक संस्थाओं पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाया और अखबारों से ली गई जमानतों को वापस लौटाया। राजनैतिक कैदियों पर चलाये गए मुकद्दमों को स्थगित किया या वापस लिया। बम्बई के १९३२ वाले आकस्मिक अधिकारों के कानून को और ईस्वी सन् १९३० के बिहार उद्दीसा के सार्वजनिक सुरक्षा कानून को रद्द किया। प्रायः सब कांग्रेस-शासित प्रान्तों के राजनैतिक कैदी मुक्त कर दिये गए। मद्रास में फरवरी १९३८ तक सब के सब राजनैतिक कैदी मुक्त कर दिये गए। बम्बई में भी ऐसार्ही हुआ। उक्त वर्ष के जून मास तक वहाँ भी सब राजनैतिक कैदी छोड़ दिये गये। युक्त-प्रान्त और बिहार में ईस्वी सन् १९३८ के फरवरी मास तक बहुत से कैदी छोड़ दिए गये। इस समय तक किन्हीं विशिष्ट कारणों से २५ राजनैतिक कैदी युक्त प्रदेश में और २३ कैदी बिहार के जेलखानों में रह गये। इन लोगों ने भूख हड़ताल कर दी, कांग्रेस का उग्रदल इन दोनों प्रान्तों की सरकारों पर जोर डालने लगा कि वे इन कैदियों को तुरन्त मुक्त कर दें, चाहे इनकी राजनैतिक विचार धारा कैसी ही क्यों न हो। उधर उक्त प्रान्तों के गवर्नर इनकी मुक्ति के मार्ग में अड़ंगा लगा रहे थे, और इस बात पर जोर दे रहे थे कि कैदियों को उनके अपराधों की पात्रता की जांच कर छोड़ना चाहिए। कांग्रेस के हाई-कमांड ने भी ने भी मंत्रिमंडल को इन कैदियों को छोड़ने की प्रेरणा की। युक्त-प्रान्त के प्रधान मंत्री पं० पन्त महोदय ने साहस पूर्वक इन १५ कैदियों को भी जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। बिहार के के मंत्री-मंडल ने भी आपका अनुकरण किया।

इन दो प्रान्तों के मंत्री मंडलों की इस कार्यवाहीसे भारत सरकार बड़ी

चिन्तित हुई, उसने यह समझा कि अगर युक्त-प्रात और बिहार के क्रान्तिकारी कैदी भी छोड़ दिये जायेंगे तो उसका असर बंगाल और पंजाब पर भी पड़ेगा, जिनकी सीमाएँ इन दोनों प्रान्तों से मिली हुई हैं। इस समय बंगाल और पंजाब के कई क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी कैदियों ने भूख हड़ताल भी कर रखी थी। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने यह प्रकट किया कि कांग्रेस प्रान्तों के राजनैतिक कैदियों को छोड़ने का प्रश्न अन्त-प्रान्तीय महत्व रखता है और इस लिये उन्होंने युक्त-प्रान्त और बिहार के गवर्नरों को यह आदेश दिया कि वे अपने मंत्री-मंडल द्वारा पास किये गये क्रान्तिकारी कैदियों को छोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार न करें। इस पर दोनों कांग्रेस प्रान्तों के मंत्री-मंडलों ने स्तीफे दे दिये।

इसी समय हरीपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। युक्त-प्रान्त और बिहार के मंत्रिगण उक्त अधिवेशन में पहुँचे। वहाँ इस बात पर गरमा गरम बहस हुई और उग्रवादी कांग्रेस वनों ने इस बात पर जोर दिया कि राजनैतिक कैदियों की मुक्ति का प्रश्न व्यापक होना चाहिए। उसकी परिधि अहिंसात्मक आन्दोलन वाले कैदियों तक ही परिमित न रहनी चाहिए। उग्रवादी और क्रान्तिकारी कैदियों को भी इस बंधन-मुक्ति में शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें इस बात की भी चर्चा हुई कि उक्त-दोनों कांग्रेस प्रान्तों की सहानुभूति में अन्य कांग्रेसी प्रान्तों के मंत्री-मंडल भी इस प्रश्न को लेकर स्तीफा दे दें।

माहात्मा गांधी ने भी इन प्रश्नों में दिखचरपी ली। वे इसके पहले ही बंगाल के गवर्नर से राजनैतिक कैदियों को छोड़ने की क्रमवर्धमान नीति संबंध में लिखा पढ़ी कर रहे थे। गवर्नर ने उक्त दोनों प्रान्तों के मंत्री-मंडलों के स्तीफे स्वीकार नहीं किये। इसी बीच में वाइसराय ने भी एक वक्तव्य निकाला, जो काफी सौम्य था और जिसमें समझौता करने का भाव झलकता था। इस पर दोनों प्रान्तों के मंत्रिगणों ने अपने

स्तीफे वापस ले लिये। अब सवाल यह रह गया कि सब बचे हुए कैदी एक साथ छोड़े जाय या क्रमागत रूप से मुक्त किये जावें। युक्त-प्रान्त में १५ कैदियों में से १२ कैदी १ मास के अन्दर अन्दर छोड़ दिये गये और शेष ३ कैदी मार्च मास के अन्त में छोड़ गये। बिहार में १० कैदी तत्काल छोड़ दिये गये और एक को छोड़कर शेष सब मार्च के मध्य में मुक्त कर दिये गये।

युक्त-प्रान्त और बिहार कांग्रेस मंत्रि-मंडल बनने के बाद जो कैदी छोड़े गये उनमें मेरठ घड्यंत्र के कैदी भी थे। इसी समय गद्वाल के वे फौजी कैदी भी मुक्त कर दिये गये जिन्होंने कांग्रेस प्रदर्शन कारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया था।

कांग्रेस सरकारों के अन्य सुधार:-

प्रान्तीय कांग्रेस सरकारों का सबसे पहला ध्यान भारतीय राष्ट्र की रीढ़ किसानों के सुधार की और गया। ईस्वी सन् १९३६ के लखनऊ वाले कांग्रेस के अधिवेशन में यह कहा गया था कि देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या किसानों की घोर दरिद्रता, उनकी कर्जदारी और बेकारी है। ईस्वी सन् १९३७ में कांग्रेस ने अपने निर्वाचन-चोफ्फा-पत्र में यह साफ़ तौर से प्रकट किया था कि कांग्रेस का उद्देश्य कृषि-सुधार और कृषकों की उन्नति है, इसके अतिरिक्त भूमि-कर और अन्य प्रकार की लागों को कम कर किसानों के बोझ को अधिक से अधिक घटाना यह कांग्रेस कार्य-क्रम का प्रधान अंग रहेगा। कांग्रेस भूमिपर किसानों का स्वामित्व समझेगी। भूमि-कर की ग़ैर वसूली पर किसानों को दीवानी क़ैद में न डाला जायगा। बिहार में १९११ के बाद भूमि-कर में जितनी वृद्धि हुई थी वह सब रद्द कर दी गई। जमींदारों के अधिकार बहुत कुछ कम कर दिये गए, बेगार प्रथा को ज़ुर्न करार दे दिया गया। किसानों पर की जाने वाली कुर्कियों कम कर दी गईं। किसानों से खिवा जाने वाला सूद बहुत कम कर दिया गया। खेती की वैज्ञानिक पद्धतियों

को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे की खेती की पैदावार बढ़ सके। ऐसी व्यवस्थाएँ की गईं जिनसे किसान अपने भूमि के अधिकार से च्युत न किया जा सके। मि० आर कूपलैंड सरीखे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ने भी कांग्रेस सरकारों के इन सुधारों की प्रशंसा की है और लिखा है:-

“It can certainly be said that the Congress Governments did a great deal to improve and secure the status of many millions of agricultural tenants”.

“यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है कि करोड़ों किसानों की दशा सुधारने में कांग्रेस सरकारों ने बहुत कुछ कार्य किया।”

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतें क्रियम कर कांग्रेस सरकारों ने ग्राम-स्वराज्य पद्धति के महान् आदर्श को कार्यान्वित करने का प्रशंसनीय कार्य किया। अकेले बम्बई प्रान्त में १५०० ग्राम पंचायतें क्रियम की गईं।

शराब-बंदी या मद्य निषेध

महात्मा गांधी ने अपने कई व्याख्यानों और लेखों में राज्य के आदर्श को प्रकट करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि किसी भी सम्य सरकार का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह जनता के नैतिक चरित्र के धरातल को ऊंचा उठावे। इस कार्य में उन्होंने शराब-बंदी या मद्यनिषेध को भी प्रमुख स्थान दिया था। उन्होंने इसके की चोट यह प्रकट किया था कि मद्य प्रचार से होने वाली सरकारी आमदनी अनैतिक और अधार्मिक है।

उस समय की हमारी प्रान्तीय सरकारों ने महात्माजी के इस उच्च आदर्श को पालन करने का भरसक प्रयत्न किया। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रान्तीय सरकारों की आमदनी में

का १० फी सदी हिस्सा आवकारी से प्राप्त होता था। बम्बई में २३ फी सदी, मद्रास में २५ फी सदी और युक्त-प्रान्त में १३ फी सदी आमदनी आवकारी से उपलब्ध होती थी।

सरकार के सामने सुधार की नई नई योजनाएँ थीं और इन्हें सफल करने के लिए बहुत बड़े खर्च की आवश्यकता थी। शासन-संचालन में आर्थिक दृष्टि से इस शराब बंदी के कार्य से सरकार के सामने निःसंदेह नई समस्याएँ और नई कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। शराब बंदी से एक बहुत बड़ी आमदनी तो कम हो ही गई, पर इसे कार्यान्वित करने के लिए जो खर्च होने लगा उसका भी बहुत बड़ा भार शासन पर पड़ने लगा। अकेले बम्बई प्रान्त की बात लीजिये, शराब बंदी के आरम्भिक कार्य में ही उक्त सरकार को ३० लाख रुपया खर्च करना पड़ा। जब यह स्कीम सारे बम्बई प्रान्त में लगाई गई तो उसे १ करोड़ ५० लाख का नुकसान होने लगा। संयुक्त प्रान्त, बिहार, मद्रास आदि प्रान्तों को भी इस कार्य में बहुत बड़ा आर्थिक बलिदान करना पड़ा, पर महात्माजी के आदर्श को सामने रख कर उन्होंने इस कार्य को किया।

दलित जातियां या हरिजन

महात्मा गांधी ने राष्ट्र के करोड़ों हरिजनों के उधार के कार्य को अपने रचनात्मक कार्य का प्रधान अंग बना रखा था। महात्माजी के पूर्व वर्ती सुधारक राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द ने भी इनके सुधार के लिए जोरदार आवाज उठाई थी और आर्यसमाज ने इस दशा में प्रशंसनीय कार्य भी किया था, पर महात्माजी ने इस कार्य को विशाल पाये पर करने का आयोजन किया। हमारी उस समय की प्राग्तीय सरकारों ने भी महात्माजी के आदर्शों का अनुकरण कर इस दशा में आगे बढ़ने का साहस पूर्ण कार्य किया। हरिजनों को उधार उठाने के लिए उनमें शिक्षा-प्रचार का अच्छा आयोजन किया गया।

हरिजनों को साधारण स्कूलों में भर्ती होकर उच्च जाति के हिन्दुओं के साथ बराबर बैठने का अधिकार दिया गया। बम्बई में सब हरिजन-पाठशालाएँ साधारण पाठशालाओं में परिणत कर दी गईं, जिससे कि हरिजनों में रही हुई लघुता की भावना मिट जावे और साधारण विद्यार्थियों में उन्हें बराबरी का समझने की भावना उत्पन्न हो। बिहार, उड़ीसा और मद्रास की स्कूलों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए यह शर्त आवश्यक रखी गई कि वे अन्य विद्यार्थियों को तरह हरिजन विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से सुविधाएँ रखें। कई प्रान्तीय सरकारों ने और खास कर संयुक्त प्रान्त की सरकार ने हरिजन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें छात्र-वृत्तियाँ दीं, उनकी फीस माफ की गई, इतना ही नहीं उन्हें पाठ्य पुस्तकें तक सरकार की ओर से दी गईं। इसके अतिरिक्त हरिजनों की अस्पृश्यता दूर करने के लिए उन्हें मंदिर-प्रवेश के अधिकार दिये गये। इसके लिए कुछ प्रान्तों ने विशिष्ट एक्ट भी पास किये थे।

प्रान्तीय सरकारें और शिक्षा-प्रचार

कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों ने शिक्षा प्रचार की ओर भी समुचित ध्यान दिया। उन्होंने उस समय की वर्तमान शिक्षा-पद्धति में कई त्रुटियाँ और दोष देखे। विदेशी सरकार के द्वारा हमें जो शिक्षा दी जाती थी उसका हमारे निरर्थक प्रति के व्यावहारिक जीवन के साथ नाम मात्र का संबंध था। नैतिक चरित्र का विकास करने वाला सामग्री का भी उसमें अभाव था। महात्मा गांधी ने इन्हीं त्रुटियों को दृष्टि में रख कर ऐसी शिक्षा-योजना बनाई जिसमें विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ साथ उन्हें ऐसी शिक्षा दी जा सके जिसका संबंध शारीरिक श्रम और उत्पादन-कार्य से हो, ताकि वे आगे चलकर अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने की योग्यता प्राप्त कर सकें। इस शिक्षा-योजना का नाम "वर्धा योजना" (Wardha Scheme) है। इसका दूसरा नाम

बुनियादी तालीम (Basic Education) हैं। गत बीस वर्षों में अमेरिका और ब्रिटेन में इस प्रकार की शिक्षा ने काफी तरक्की की थी। इस योजना के संबंध में युक्त-प्रान्त के शिक्षा-विभाग की ईस्वी सन् १९३८ की रिपोर्ट में लिखा था:—

“This scheme is not a political stunt or a party slogan, but an adaptation to Indian needs of educational changes which have won acceptance in Europe and America and have revolutionised the elementary stage of education in England.”

“यह योजना केवल राजनैतिक (Stunt) या किसी दल का चारा ही नहीं है पर यह उन शिक्षा संबंधी परिवर्तनों का भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलीकरण है, जिन्हें यूरोप और अमेरिका ने अपनाया है, और जिसने इंग्लैंड की प्रारम्भिक शिक्षा में कान्तिकारी परिवर्तन कर दिये हैं।

युक्त-प्रान्त, बिहार और बम्बई की सरकारें इस बुनियादी शिक्षा के प्रचार में अग्रगामी थीं। बिहार में ईस्वी सन् १९३८ के अंत में तत्कालीन शिक्षा सचिव डा० सैयद महमूद की अध्यक्षता में “बुनियादी शिक्षा समिति” (Basic Education Board) का निर्माण हुआ। पटना का ट्रेनिंग स्कूल इस शिक्षा प्रचार का केन्द्र बना और ईस्वी सन् १९३६ के आरम्भ ही में बिहार की कांग्रेस सरकार ने प्रयोग के लिए बुनियादी शिक्षा की २० पाठशालाएँ (Basic schools) खोलने की मंजूरी दी। इस शिक्षा-पद्धति के लिए अध्यापकों को भी शिक्षा देने का प्रबंध किया गया। युक्त-प्रान्त ने भी इस दिशा में उत्साह पूर्वक आगे कदम रक्खा। वहां के सुयोग्य प्रधान मंत्री तथा शिक्षा-मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पन्त और श्री सम्पूर्णानन्दजी ने इसमें बड़ी दिलचस्पी ली। अलाहाबाद में पटना की तरह ईस्वी सन् १९३८ के

अगस्त मास में बुनियादी शिक्षा के लिए एक कॉलेज (Basic Training College) खोला गया, और पचासों बेसिक स्कूलों की भी स्थापना की गई। इस शिक्षा-पद्धति के लिए अध्यापक तैयार करने की भी योजना बनाई गई और उसे कार्यान्वित किया गया। बम्बई की कांग्रेस-सरकार ने भी इस ओर प्रशंसनीय कदम रक्खा और उसने बुनियादी शिक्षा की ८७ पाठशालाएँ खोलीं। शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों के समय में प्रशंसनीय उन्नति हुई, जिसका यहाँ उल्लेख करना स्थानाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारों की प्रशंसा

प्रान्तीय कांग्रेस-सरकारों ने अपने कार्यकाल में जिस योग्यता से शासन-शक्ति को संचालित किया तथा समाज-सुधार के कार्य में उन्होंने जिस तेज़ी के साथ आगे कदम रखने का प्रयत्न किया, उसकी प्रशंसा बड़े बड़े अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने भी की है। मि० कूपलैण्ड अपने “इंडियन पॉलिटिक्स” (Indian Politics Part, 2 page 156) नामक ग्रन्थ में लिखते हैं:—

“The achievements of the Congress regime in the field of social reform were its most remarkable feature and they were the direct result of the full popular government established by the new constitution.”

“कांग्रेस-शासन ने समाज-सुधार के क्षेत्र में, जो सफलताएँ प्राप्त कीं, वे बहुत ही अद्भुत थीं और नये विधान ने जो लोकप्रिय सरकार स्थापित की थी उसका ये प्रत्यक्ष परिणाम थीं।

आगे चलकर यही महाशय फिर लिखते हैं:—

“Among the Congress Ministers and members

of the legislatures and their supporters at large, there was a genuine zeal for social reform. It was not only that the party had pledged itself at the polls and wanted to satisfy the electorate on whom the continuance of its power depended; it wanted no less to satisfy itself. A new spirit of public service was abroad. In evoking it and enabling it to fulfil itself in action, democratic self Government was shown its best side."

“ कांग्रेस मंत्रियों, धारा सभाओं के सदस्यों और उनके साहसियों में समाज-सुधार के लिए सच्ची लगन थी। इसका कारण केवल नहीं था कि वे अपने मतदाताओं को, जिन पर उनकी स्थिति अवलंबित थी, सन्तुष्ट करना चाहते थे, वरन् वे अपना भी आत्म-सन्तोष चाहते थे। सार्वजनिक सेवा का नवीन भाव उदय हो रहा था और उसको कार्यान्वित करने में जनतंत्रात्मक स्वशासन अपने सर्वोत्कृष्ट पक्ष को प्रकट कर रहा था।

भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिंक्लिथगो ने ईस्वी सन् १९३३ के १७ अक्टूबर वाले अपने वक्तव्य में कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा था—

“That they have done so, he said, on the whole with great success.no one can question.

सर्वांगीन दृष्टि से, उन्होंने (कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों ने) अपना कार्य बड़ी सफलता के साथ सम्पन्न किया।इसमें कोई संदेह नहीं।

कृषक तथा मज़दूर आन्दोलन



जैसा कि गत पृष्ठों में दिखलाया जा चुका है, कांग्रेस के जन-आन्दोलन के साथ कृषक तथा मज़दूर-आन्दोलन भी किसी न किसी रूप में चलते रहे। ये आन्दोलन महात्माजी के अहिंसात्मक आन्दोलन की परिधि में रहते थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कभी-कभी इन आन्दोलनों में अहिंसा-तत्व का उल्लंघन भी होता था। इनमें यह भी देखा गया कि मज़दूरों या किसानों पर प्रभाव रखने वाले कुछ कार्यकर्त्ता इनके अज्ञान का फ़ायदा उठाकर इन्हे पथभ्रष्ट कर देते थे, जिससे आन्दोलन की शुद्ध मर्यादा का कभी-कभी भंग हो जाता था।

कांग्रेस मंत्रि-मंडल के समय में भी कृषक और मज़दूर आन्दोलनों ने ज़ोर पकड़ा था, यद्यपि कांग्रेस सरकारों ने इन दोनों दलों की भलाई और सुभार के लिये हर प्रकार के प्रयत्न किये।

ईस्वी सन् १९३७ और ३८ में कई कांग्रेस मंत्रि-मंडलों के प्रान्तों में कृषक और मज़दूर आन्दोलन की आग भड़की थी। बिहार ने इसमें सर्व प्रथम भाग लिया था। कृषक और मज़दूर नेताओं ने कांग्रेस मंत्रि-मंडलों की नीति के प्रति असन्तोष प्रकट करना शुरू कर दिया। कृषकों और मज़दूरों में यह प्रचार किया जाने लगा कि देश में रूस की तरह कृषकों और मज़दूरों का राज्य होना चाहिए, जमींदारी प्रथा का एकदम नाश हो जाना चाहिए। कृषकों और मज़दूरों की कौंसिलें बनानी चाहिए और उन्हीं के द्वारा देश का शासन-सूत्र संचालित होना चाहिये। यह आन्दोलन ईस्वी सन् १९३८ में और भी बढ़ा। इसने

बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया। कई स्थानों में दंगे हुए। ईस्वी सन् १९३६ में इस आन्दोलन ने और भी अधिक अग्रसर रूप धारण किया। कृषक स्वयं-सेवक खाल रुंदा उठाते हुए प्रान्त भर में घूमते रहे और कृषक और मज़दूर-राज्य के बारे में खगालते रहे।

संयुक्त-प्रान्त में भी इस समय कृषक-आन्दोलन जोर-शोर से चलने लगा। लोग कांग्रेस सरकार से अनुरोध करने लगे कि चुनाव के समय आप लोगों ने प्रान्त भर में भूमिकर कम से कम कर देने का तथा जमींदारों प्रथा का उन्मूलन करने का जो वचन दिया था, उसे पूरा कीजिये। आन्दोलन का जोर इतना बढ़ा कि ईस्वी सन् १९३७-३८ में मिनिस्ट्रों को प्रान्त में दौरे करने पड़े और उन्होंने किसानों को सारी परिस्थिति समझा कर उन्हें शांत रहने का अनुरोध किया। ईस्वी सन् १९३८ की पहली मार्च को लगभग १० हजार किसानों ने लखनऊ में जमा होकर सचिवालय (Secretariat) को घेर लिया। इस समय प्रधान मंत्री ने बड़ी चतुराई और बुद्धिमता के साथ उन्हें समझाया और उनके कष्टों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए उन्हें यथा-शक्ति दूर करने का आश्वासन दिया। कृषकों का यह विशाल कुंड प्रधान मंत्री-महोदय से आश्वासन पाकर वापस खोत गया। बम्बई प्रान्त और मध्यप्रान्त में भी कृषक-आन्दोलन हुए, पर उन्होंने इतना उग्र रूप धारण न किया।

मज़दूर आन्दोलन की उग्रता

कांग्रेस मंत्रि-मंडल के समय में, अर्थात् ईस्वी सन् १९३७ के नवम्बर मास में, अहमदाबाद में ४० हजार मिला मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। यहां यह कह देना आवश्यक है कि अहमदाबाद का यह दूर-संबंध महात्मा गांधी की प्रेरणा से बना था, और उसके तत्कालीन मंत्री श्री गुलज़ारीलाल नंदा बड़े योग्य व्यक्ति और मज़दूरों की समस्याओं के बड़े विशेषज्ञ थे। मज़दूरों के हितों की भावना से वे अत्यंत-प्रोत्सुह थे।

इस संघ ने मज़दूरों का पक्ष लेकर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ सफलता के साथ लड़ीं और मज़दूरों के हितों की रक्षा की। किन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है, मज़दूरों की अज्ञता का फ़ायदा उठाकर और उन्हें सोने के पहाड़ दिखला कर उनकी भावनाओं को उत्तेजित कर देना विशेष कठिन काम नहीं है; यही इस समय किया गया। फिर भी कांग्रेस नेताओं की सहायता से स्थिति को काबू में किया गया और वहाँ की स्थिति को नाजुक होने से बचा लिया गया।

ईस्वी सन् १९३७ के अगस्त मास में संयुक्त-प्रान्त के कानपुर नगर में मज़दूर आन्दोलन ने बड़ा उग्र रूप धारण किया। हम आन्दोलन के नेता और प्रेरक कम्युनिस्ट थे। संयुक्त-प्रान्त के सुबोन्ध प्रधान मंत्री श्री गोविन्दबल्लभ पन्त ने बीच में पड़कर मित्र माझिकों और मज़दूरों में समझौता करा दिया, पर इस समझौते ने केवल अस्थायी सुलह का काम दिया। इसी साल के सितम्बर मास में कानपुर में मज़दूरों की दूसरी हड़ताल हुई, जिसमें १० हजार मज़दूरों ने भाग लिया, पर कुछ सप्ताह के बाद पं० नेहरू की अपील पर वह हड़ताल भी समाप्त हो गई। कुछ दिन तक शांति रही पर वह शांति १६ मई १९३८ को अंग हो गई। इस दिन १६ हजार मज़दूरों ने हड़ताल की, और आगे चलकर इसमें ४२ हजार मज़दूर और शामिल हो गये। शीघ्र ही कानपुर की सब मिर्छें बंद हो गईं। बम्बई की तरह संयुक्त-प्रान्त की कांग्रेसी सरकार ने मज़दूरों की शिकायतों तथा कर्षों की जांच करने के लिये एक जांच कमेटी नियुक्त की और उसकी रिपोर्ट के अधिकांश को उसने स्वीकृत कर लिया।

यद्यपि कांग्रेस सरकार ने उक्त कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था पर मित्र माझिक उससे सहमत न हुए। इस पर मित्र माझिकों और मज़दूरों में बड़ा खम्बा-चौड़ा वादानुवाद हुआ और आखिर जून मास में मित्र माझिकों को मुकुर समझौता कराया पड़ा।

इसी समय कुछ आतंकवादियों ने विद्यार्थियों को भड़काना भी शुरू किया। उनमें "The war Bugle" "The Echo of Revolution." नामक पुस्तिकाएँ बाँटी गईं। उच्छेजनात्मक भाषण भी दिये गये, जिससे विद्यार्थियों में काफी उत्तेजना फैली। ईस्वी सन् १९३६ के जनवरी मास में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने पुलिस के व्यवहार से क्रोधित हो पुलिस पर हमला किया, पुलिस कैम्प को जला दिया और कुछ कांस्टेबलों को घायल कर दिया।

साम्प्रदायिक दंगे

कांग्रेस मंत्रि-मंडलों ने साम्प्रदायिक एकता और शांति के लिये पूरे पूरे प्रयत्न किये, उन्होंने बड़ी निष्पक्षता से काम किया, पर फिर भी देश के दुर्भाग्य से उस समय भी यह देश साम्प्रदायिक वैमनस्य से मुक्त न रहा। ईस्वी सन् १९३७ के अक्टूबर मास से लगाकर ईस्वी सन् १९३६ के सितम्बर मास के अंत तक हिन्दू-मुस्लिम दंगों की संख्या २७ के लगभग थी। इनमें १५ बिहार में, १४ संयुक्त-प्रान्त में, ११ मध्यप्रान्त में, ८ मद्रास में, ७ बम्बई में, १ उड़ीसा में और १ सीमा-प्रान्त में हुआ। इनमें लगभग १७०० आदमी घायल हुए और १२० की मृत्यु हुई। इसी समय ग़ैर कांग्रेसी प्रान्तों में भी काफ़ी हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए। सब मिलाकर इनकी संख्या २८ थी, जिनमें १७ पंजाब में, ७ बंगाल में, १ आसाम में और १ सिंध में हुआ। इनमें ३०० मनुष्य हताहत हुए और ३६ की मृत्यु हुई।



१९३८ का कांग्रेस अधिवेशन

ईस्वी सन् १९३८ में नवयुवकों के हृदय सत्राट् श्री सुभाषचन्द्र बोस के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के हरीपुरा नामक ग्राम में हुआ। यह ग्राम सरदार पटेल का नूतन निवासस्थान था। यद्यपि हरीपुर एक छोटा गांव था तथापि वहां कांग्रेस का अधिवेशन बड़े समारोह और धूमधाम के साथ हुआ। उत्साह का मानों समुद्र उमड़ रहा था। इस अधिवेशन में संघ-योजना (Federation) को स्वीकार न करने का प्रस्ताव पास किया गया।

त्रिपुरी का कांग्रेस अधिवेशन

हरीपुरा अधिवेशन के बाद दूसरा अधिवेशन त्रिपुरी में करने का निश्चय हुआ। इसकी अध्यक्षता के लिए श्री सुभाषचन्द्र बोस का नाम फिर से रखा गया। यह बात कांग्रेस के सत्तारूढ़ महानुभावों को पसन्द न आई। उन्होंने सुभाषचन्द्र बोस पर बहुत कुछ जोर डाला। पर वे अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने यह स्पष्टता कहा कि जन्तंत्र के सिद्धान्त के अनुसार मुझे खड़ा रहने का हर हालत में अधिकार है। श्री बोस के विरोध में डॉ० बी० पट्टाभि सीतारामय्या खड़े किये गये। यहां यह कहना आवश्यक है कि कांग्रेस के सारे शक्तिशाली नेताओं ने श्री बोस का विरोध और श्री पट्टाभि का जोरदार समर्थन किया था। महात्मा गांधी सरीखी महान् विभूती भी श्रीपट्टाभि के पक्ष में थी। इतने पर भी चुनाव में श्री बोस विजयी हुए; इससे उनकी महात्मा लोक प्रियता का पता लगता है और यह मालूम होता है कि भारतीय राष्ट्र के हृदय में इस देशभक्त युवक नेता के प्रति कितना महान् आदर और सम्मान था। श्री बोस अपने विश्वासों और मतों पर

हिमाचल की तरह दब रहे और उन्होंने बड़े से बड़े प्रभावों से अभ्यन्त-रहित रहकर अपने सिद्धान्तों के साथ समझौता करने की कमजोरी कभी न दिखावाई।

द्वितीय महायुद्ध और कांग्रेस की नीति

ईस्वी सन् १९१६ में यूरोप का द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ। इस-लैंड और फ्रान्स ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी। वहाँ यह बात स्मर्य रहने योग्य है कि इसके पहले कांग्रेस इस बात का प्रस्ताव पास करती आ रही थी कि वह किसी साम्राज्यवादी युद्ध में अपना सहयोग और सहायता न देगी। भारतवर्ष उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की आधीनता में था, इसलिए इंग्लैंड के साथ साथ ब्रिटिश राज्य-प्रति-निधि वाइसरॉय ने भारतवर्ष की ओर से उसके छोड़-प्रतिनिधियों की स्वीकृति बिना ही जर्मनी के खिलाफ युद्ध-घोषणा कर दी। इससे स्थिति बड़ी पेचीदा हो गई। इसी सन् १९३२ के 'भारत एक्ट' के मुताबिक इस समय प्रान्तों में भी कांग्रेस मंत्री-मंडल शासन कर रहे थे, उनकी स्थिति बहुत कठिन हो गई।

सरकारवादी वाइसरॉय लॉर्ड विनचिथगो ने इस बात के बिना जर्मनी की। इस समय राष्ट्र के सामने एक प्रकार की समस्या खड़ी हो गई। युद्ध में एक तरफ साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं और दूसरी तरफ नाजीवादी शक्तियाँ। नाजीवादी शक्तियों के साथ प्रगतिशील विचार-धारा का सहयोग न था, क्योंकि वे एकाधिकार (Dictatorship) पर निर्भर थीं। इंग्लैंड आदि के बिना यह कहा जाता था कि वर्यपि वे साम्राज्यवादी शक्तियाँ हैं, पर फिर भी इनमें कुछ जनतंत्र का सिद्धान्त मौजूद है। इसलिए प्रगतिशील राजनैतिक दलों की भावना उस समय जर्मनी की

अपेक्षा इंग्लैंड के साथ कुछ अधिक थी। डॉ० राजेन्द्रप्रसाद अपने "Mahatma Gandhi and Bihar" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं:—

"There are many amongst congressmen and in the country at large who sympathized with England. But it was difficult for anyone to render help on behalf of the people, particularly because India had been made a belligerent without her consent and because, in world war, promises and pledges given during the war had not been kept and fulfilled. Lord Linlithgow invited Mahatma Gandhi who expressed his sympathy and even offered unconditional support by which he really meant moral support and not actual help in the conduct of the war with men, money and material."

"अर्थात्, कांग्रेसी लोगों में और देश में भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, जो इंग्लैंड के साथ सहानुभूति रखते हैं। पर किसी के लिये भी जनता की ओर से सहायता देना कठिन था। इसका कारण खास तौर से यह था कि भारतवर्ष को उसकी स्वीकृति के बिना ही युद्ध-रत राष्ट्र (Belligerent) बना लिया गया था, और इसके अतिरिक्त प्रथम महायुद्ध में जो वचन और अश्वासन दिये गए थे उनका भी पालन नहीं किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो ने महात्मा गांधी को निमंत्रित किया था, जिन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट करने के साथ साथ बिना कर्तव्य ही सहायता देने का भी अभीवचन दिया था। पर इस सहायता से उनका मतलब नैतिक सहायता से था, न कि ऐसी सहायता से जिसमें युद्ध संचालन के लिए दिये गये जन, धन और युद्ध सामग्री का समावेश हो। कांग्रेस की कार्य-समिति ने बड़े वादानुवाद के बाद यह ही कहा कि ब्रिटिश सरकार से अपने युद्ध के उद्देश्य साफ करने के

लिये कहा जाय और उससे यह भी अनुरोध किया जाय कि वह यह बतला दे कि नई व्यवस्था में भारतवर्ष की क्या स्थिति रहेगी । अगर वह ऐसा करने से इन्कार करे तो कांग्रेस के प्रान्तीय मंत्रि-मंडल हस्तीका दे दें । इसके अतिरिक्त कांग्रेस के सामने यह भी सवाल था कि अहिंसात्मक नीति स्वीकार करने की हालत में वह किसी हिंसात्मक युद्ध में सहयोग दे सकती है या नहीं । अगर वह भी मान लिया जाय कि कांग्रेस अपनी पूर्व-नीति और प्रस्तावों से बाहर जाकर लड़ाई में मदद भी करे, तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को स्वतंत्रता देकर उसे अपने अन्तिम राजनैतिक लक्ष्य पर पहुँचाने में सहायता देगी ? जब तक लोगों को यह विश्वास न हो जाय कि युद्ध में दी गई सहायता के बाद उन्हें स्वाधीनता मिलेगी तब तक वे इस सहायता के कार्य में पर्याप्त उत्साह नहीं दिखा सकते ।

महात्मा गांधी का दृष्टि-कोण इस संबंध में यह था कि अगर भारत ने अपनी करोड़ों जनता का नैतिक सहयोग मित्र शक्तियों को दिया तो वह मित्र राष्ट्रों की विजय के लिये एक बड़ा नैतिक धरातल उत्पन्न कर देगा । महात्मा गांधी किसी सौदेबाज़ी पर यह नैतिक सहायता देना न चाहते थे । उनका खयाल था कि यह कार्य बिना किसी कर्तव्य के होना चाहिए । इससे भारतवर्ष के पक्ष में इस प्रकार का वातावरण पैदा हो जायगा जो स्वाधीनता को अपनी ओर खींच लगाया ।

कांग्रेस कार्य-समिति का दृष्टिकोण महारमाजी से कुछ भिन्न था । वह ब्रिटिश सरकार की ओर से युद्ध के उद्देश्यों के संबंध में और भारत की स्वाधीनता में उन उद्देश्यों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जायगा, इस संबंध में स्पष्ट घोषणा का होना आवश्यक समझती थी । ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की स्पष्ट घोषणा की मांग को स्वीकार नहीं किया और इसके फलस्वरूप प्रान्तीय मंत्रि-मंडलों ने त्याग-पत्र दे दिये । कुछ मास तक वाइसरॉय और गवर्नर इस बात की प्रतीक्षा करते रहे

कि कायद परिस्थिति की जटिलता को देखकर कांग्रेस अपने पूर्व-निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार होकर पुनः शासन का भार सम्भाल ले, पर उसने ऐसा न किया। इस पर १९३२ के भारतीय संविधान की धारा के अनुसार गवर्नरों ने अपने अपने प्रान्तों का शासन-भार अपने ऊपर ले लिया; क्योंकि इसके सिवा उनके पास दूसरा धारा ही न था। कांग्रेस का देश में भारी बहुमत था, देश का अत्यधिक जनमत उसके साथ था, इसलिए कांग्रेसी प्रान्तों में दूसरे दल के मंत्रि-मंडल का बनना सम्भव न था। अगर गवर्नर धारा सभाओं को तोड़ कर दूसरा चुनाव करने का निर्णय करते तो भी उन चुनावों में कांग्रेस ही की भारी विजय होती और उसी का बहुमत होता। इसलिये वह उपाय भी नाकामयाब होता। इन्हीं सब बातों का विचार कर गवर्नरों ने प्रान्तीय शासन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, और ईस्वी सन् १९४६ तक सर्वसत्ताधारी रूप में वे अपना शासन-कार्य चलाते रहे।

वद्यपि गवर्नरों ने सम्पूर्ण शासन भार अपने हाथ में ले लिया तथापि ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस कार्य-समिति अपने अपने ढंग से इस बात का प्रयत्न करती रही कि दोनों में सम्मान पूर्वक समझौता हो जाय। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के कुछ मास के बाद कांग्रेस कार्य-समिति ने, अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के समर्थन पर, दुबारा फिर यह प्रकट किया कि अगर केन्द्रवर्ती शासन में लोक प्रतिनिधित्व की वास्तविक सत्ता दी जाय और इसी अरसे में बोम्बे वैधानिक परिवर्तनों का आश्वासन दिया जाय तो कांग्रेस युद्ध में सक्रिय सहायता देने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार है। महात्मा गांधी जनता की ओर से इस प्रकार का आश्वासन देने के लिए तैयार न थे और उक्त उद्देश्य के लिये होने वाली उक्त-अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में वे शामिल न हुए। उनका कांग्रेस कार्य-समिति से मौखिक अस्वीकार था, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार न किया,

अतएव कांग्रेस कार्य-समिति और महात्मा गांधी के बीच के मतभेद का प्रश्न ही न रहा ।

महात्मा गांधी और कांग्रेस स्थिति को ज्यों की त्यों रखने देने के पक्ष में न थे । आखिर महात्मा गांधी की सहाह से अखिल भारत-वर्षीय कांग्रेस कमेटी ने यह निश्चित किया कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के दृष्टिकोण की उपेक्षा करती है और उसने बिना जमानत लिये भारत-वर्ष को युद्ध में घसीटा है, ऐसी दशा में कांग्रेस को युद्ध-प्रकार के विज्ञाप प्रचार करने के अपने अधिकार को काम में खाना चाहिए ।

अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि वे सविनय अवज्ञा का आन्दोलन शुरू कर दें महात्मा जी ने उक्त-कमेटी की यह बात स्वीकार कर ली । पर इस समय उन्होंने विरोध-साधकानी से काम लेना उचित समझा । वे इस आन्दोलन को विशुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलन रखना चाहते थे । इस समय उनके मतानुसार इस आन्दोलन का विशुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलन की मर्यादा से थोड़ा भी बाहर चला जाना देश के लिये अमंगलकारी था । इस लिये उन्होंने इसे सामूहिक आन्दोलन के बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में खाना अधिक उचित समझा ।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

जैसा कि पहले कहा गया है महात्माजी ने कई परिस्थितियों की दृष्टि में रखकर इस समय सामूहिक सत्याग्रह के बजाय वैयक्तिक सत्याग्रह को ही उचित समझा । इस समय ब्रिटिश सरकार बिना राष्ट्र की स्वीकृति के और बिना राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का आश्वासन दिये सेना में लोगों की भर्ती कर रही थी और युद्ध की सहायता के लिये भारतवासियों से धन संग्रह भी कर रही थी । महात्माजी ने इस कार्य के विज्ञाप आवाज उठाना इसलिये मुनासिब समझा कि यह सत्य

कार्य-भारतीय लोक-प्रतिनिधियों की बिना सम्मति के किया जा रहा था और कांग्रेस की मांग की उपेक्षा की जा रही थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा लोगों में साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ प्रचार करने का खास कार्यक्रम रक्खा गया था।

इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिये महात्माजी ने श्री विनोबा भावे का चुना महात्माजी ने श्री विनोबा को सर्व प्रथम सत्याग्रही चुनने के संबंध में अपने साप्ताहिक पत्र 'हरिजन' में जो लेख लिखा था उसमें उन्होंने श्री विनोबा की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उनके उन गुणों का उल्लेख किया था, जिनका एक सच्चे सत्याग्रही में होना आवश्यक है।

श्री विनोबा भावे बड़ोदा के निवासी हैं। इन्होंने ईस्वी सन् १९१६ में इन्टर मीडियेट क्लास में अध्ययन करते हुए कालेज छोड़ा था। इसके बाद आप तपस्त्रयी करने हिमालय पहाड़ पर चले गये थे। आपने मराठी भाषा में गीता का बड़ा सुन्दर अनुवाद किया था। इसके बाद आप महात्माजी के सम्पर्क में आये और इन्होंने अपने उच्च जीवन के द्वारा महात्माजी के हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला। आपका जीवन तपस्वी जीवन था और वह एक सच्चे सत्याग्रही के योग्य था। डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या अपने "Gandhi and Gandhism," के प्रथम भाग में लिखते हैं:—

"Individual civil dis-obedience had begun in the person of Vinoba Bhave a satyagrahi of 32 years standing, a scholar of wide learning, an asectic of stern discipline, a devotee of khadder and village industries and the foremost amongst the disciples of Gandhi. In simple yet effective language; in measured and unfaltering tones,

Vinoba has delivered his four speeches against participation in war effort."

इसका आशय यह है कि श्री विनोबा भावे से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया था। श्री विनोबा भावे ३२ वर्ष की प्रतिष्ठा के सत्याग्रही थे। वे बहुश्रुत विद्वान्, कठोर अनुशासन का पालन करने वाले तपस्वी, खहर और देहाती उद्योगधंधों के भक्त और गांधीजी के सबसे अग्रगण्य शिष्य थे। उन्होंने सरल तथा प्रभावशाली भाषा में, नपे-तुले तथा धाराप्रवाही शब्दों में युद्ध-प्रयास में सम्मिलित होने के खिलाफ चार भाषण दिये। विनोबा भावे गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें ३ मास की सादी सज़ा दी गई। अब तक श्री विनोबा भावे का नाम देश के इने-गिने आदमी ही जानते थे, पर इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद उनकी ख्याति सारे देश में फैल गई और वे एक बड़े विशुद्ध सत्याग्रही समझे जाने लगे। डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या अपने उक्त अंग्रेज़ी ग्रन्थ में आगे चलकर फिर लिखते हैं:—

"Today his name is familiar to millions of his contemporaries in India and tomorrow his name will be revered by posterity as that of the chosen disciple of Mahatma Gandhi for the purest sacrifice at the altar of the motherland."

"आज उनका नाम भारतवर्ष के उनके समकालीन लाखों-करोड़ों आदमियों में प्रख्यात है, और कल उनका नाम आनेवाली संतान महात्माजी के चुने हुए सत्याग्रही के रूप में और अपनी मातृभूमि के लिये सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध आत्म-बलिदान करने वाले के रूप में बड़े आदर के साथ लेगी।"

ता० २१ अक्टूबर ईस्वी सन् १९४० को श्री विनोबा भावे सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर लिये गए। उनके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू

की जारी थी, मगर वे पहले ही गिरफ्तार किये जा चुके थे। इसलिए उनके बाद गांधीजी ने एक साधारण व्यक्ति श्री ब्रह्मदत्त से सत्याग्रह करवाया। इस सत्याग्रह में ब्रिटिश सरकार के युद्ध-प्रयत्न में सहायता न करने के विषय में तथा सत्याग्रह ही युद्ध का मुकाबला करने का सबसे बड़ा साधन है, आदि भावों को लेकर जो नारे और भाषण तैयार किये गए थे, उन्हीं का प्रचार जनता में करने का सत्याग्रहियों को आदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया गया था कि प्रत्येक सत्याग्रही अपने सत्याग्रह करने की मिति और स्थान की सूचना मजिस्ट्रेट को दे दे।

जो सत्याग्रही गिरफ्तार न किये जायें, उनके लिये यह आदेश था कि वे युद्ध के विरुद्ध नारा लगते हुए और युद्ध-प्रयास में सहायता देने के विरुद्ध प्रचार करते हुए दिल्ली पहुँचें।

इसके अतिरिक्त गांधीजी ने धारा सभाओं के सब निर्वाचित सदस्यों को तथा अन्य संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्याग्रह करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी आदेश था कि जो सत्याग्रही जेल से छूटकर आयें, वे फिर से सत्याग्रह कर जेल जायें।

इस प्रकार वैयक्तिक सत्याग्रह करते हुए तीस हजार से ऊपर सत्याग्रही जेल गये। इनमें ११ कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्य, १०६ अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, २२ केन्द्रवर्ती धारा-सभा के सदस्य, २६ भूतपूर्व प्रन्तीय कांग्रेस मंत्री और ४०० प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्य थे।

क्रिप्स-योजना



ईसवी सन् १९४२ के ११ मार्च को ग्रेट ब्रिटेन के तत्कालीन प्राइम-मिनिस्टर मि० चर्चिल ने भारतवर्ष को क्रिप्स मिशन भेजने की घोषणा की थी। उस समय की परिस्थितियों पर पहले कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। जापान ने उस समय मलाया और बर्मा के कुछ हिस्से को जीत कर उस पर अधिकार कर लिया था। १५ नवम्बर को सिंगापुर का पतन होकर उस पर जापान का विजयी झंडा फहराने लगा था। ७ मार्च को ब्रिटिश सेना जापानी सेना द्वारा परास्त होकर रंगून खाली करने के लिये बाध्य हुई थी। अंग्रेजों के भारतवर्ष पर अधिकार करने के बाद, इतिहास में, यह पहला अवसर था कि इस देश पर भूमि और समुद्र से बाह्याक्रमण होने का भय सिर पर नाच रहा था। इसके अतिरिक्त भारत की आन्तरिक स्थिति भी खराब हो रही थी। कांग्रेस और सरकार का संघर्ष बड़ा तीव्र रूप धारण कर रहा था। सरकार के दमनकारी उपायों से स्थिति सुधरने का बजाय बिगड़ती जा रही थी। सरकार और भारतीय नेताओं के सामने बड़े जटिल प्रश्न उपस्थित हो रहे थे। क्या बाह्याक्रमण का मुकाबला भारतवर्ष अपने संयुक्त मोर्चे के द्वारा कर सकेगा? क्या जनता और तत्कालीन अंग्रेज सरकार एक दिल होकर इस आपत्ति का मुकाबला करेंगे? ये प्रश्न उस समय देश के विचारवान् लोगों की ज़बान पर थे। इसके अतिरिक्त युद्ध की व्यूह-रचना की दृष्टि से उस समय भारतवर्ष का बड़ा महत्त्व था। अगर यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कि भारतवर्ष पर सारे ब्रिटिश साम्राज्य का जीवन निर्भर था। इन्हीं सब बातों की दृष्टि में रख कर मि० चर्चिल ने एक सुधार-योजना के साथ क्रिप्स मिशन को भारत-वर्ष भेजा था।

क्रिप्स महोदय एक उच्च श्रेणी के ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हैं। आप उस समय रूस के राजदूत बनाकर भेजे गये थे जिस समय रूस की प्रवृत्ति जर्मनी के पक्ष में और ब्रिटेन आदि के विरुद्ध थी। रूस का रेंडियो मित्र-देशों के विरोध में जोरदार प्रचार कर रहा था। ऐसी स्थिति को क्रिप्स महोदय ने अपनी राजनैतिक प्रतिभा से बदल दिया। उन्होंने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे उस समय रूस केवल ब्रिटेन आदि का मित्र ही नहीं बन गया, किंतु उसके और जर्मनी के बीच में युद्ध ठन गया। इससे कुछ समय के बाद युद्ध की परिस्थिति बिल्कुल बदल गई और युद्ध के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया। अगर ऐसा न होता तो आज संसार के मानचित्र का दूसरा ही रूप होता।

क्रिप्स को भेजने में ब्रिटिश सरकार ने यह भी सोचा कि क्रिप्स ब्रिटिश समाजवादी दल के नेता होने से वे सम्भवतः भारतीय लोकमत पर अधिक प्रभाव डाल सकेंगे। इसके अतिरिक्त मि० क्रिप्स भारत के प्रधान नेता पं० जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। इससे पूर्व जब आप भारतवर्ष आये थे तब आप पंडितजी के पास ही मेहमान के रूप में ठहरे थे। इन्हीं सब बातों को सोचकर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने क्रिप्स के नेतृत्व में अपना मिशन भेजा था।

ईस्वी सन् १९४२ के २३ मार्च को क्रिप्स महोदय अपने मिशन के साथ हवाई जहाज़ से नई दिल्ली उतरे। तुरन्त आप वाइसरॉय भवन में पहुँचे और वहाँ आप दो दिन तक ठहरे। वहीं आप प्रान्तीय गवर्नरों से मिले, जो आपसे मिलने ही के लिए अपने अपने प्रान्तों से आये हुए थे। इसके अतिरिक्त आप वाइसरॉय की कार्यकारिणी सभा के सदस्यों से मिले और उन्हें अपनी सुधार-योजना से अवगत कराया। २५ मार्च को आप क्वीन विक्टोरिया रोड नं० ३ वाले अपने मुकाम पर पहुँचे और वहाँ आपने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अब्दुलक़लाम आज़ाद से भेंट की। मौलाना साहब के बाद आप

मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना साहब से मिले । दोनों ही को आपने अपने प्रस्तावों के मसविदों की प्रतियाँ दीं और उनके महत्व को समझाया । कहने का मतलब यह है कि आप सारे सप्ताह भर विभिन्न राजनैतिक और साम्प्रदायिक दलों के नेताओं से मिलते रहे । देशी राज्यों के प्रजा-प्रतिनिधियों से भी आप मिले । सभी को आपने अपने प्रस्तावों की प्रतियाँ दीं ।

सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के भारत पहुँचने तक यहाँ के समाचारपत्रों में उनके प्रस्तावों के संबंध में कोई खास आलोचना न हुई थी । अगर हुई भी थी तो बहुत ही कम । पर ज्योंही सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत पहुँचे और लोगों ने उनके प्रस्तावों के संबंध में उदती हुई खबरें सुनीं तो उनके खिलाफ कई प्रकार की आलोचनाएँ निकलने लगीं । लोगों को मालूम हुआ कि सर स्टेफोर्ड की योजना यदि कार्यान्वित की गई तो भारतवर्ष एक संयुक्त संघ के बजाय कई संघों में विभाजित हो जायगा और उसकी एकता बुरी तरह से छिन्नभिन्न हो जायगी । इसके अतिरिक्त उनके प्रस्तावों में भारतवर्ष को जो कुछ दिया जाने वाला था वह युद्ध के बाद था । इसलिए महात्माजी ने इस योजना को अगली मिती की हुंडी (Post-dated cheque) कहा था ।

२१ मार्च को सर स्टेफोर्ड ने समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया और अपनी योजना की प्रतियाँ उनके हवाले कीं । इस समय चारों ओर से सर स्टेफोर्ड क्रिप्स पर प्रश्नों की महरियाँ धरसने लगीं । सर स्टेफोर्ड, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, बड़े राजनीतिज्ञ, गम्भीर विद्वान् और सभा चतुर थे । उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी प्रस्तावित योजना का समर्थन किया । इतना ही नहीं उन्होंने उपस्थित प्रेस प्रतिनिधियों को अपने उत्तरों से बहुत कुछ सन्तुष्ट भी किया । मि० सुब्रह्मण्य अपने "Why Cripps Failed" नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में लिखते हैं:—

“He then answered the hundreds of searching questions showered at him from all sides. It was a gallant attempt to stem the tide which had already started flowing against him, and it was a tribute to his ability and agility that he very nearly succeeded in convincing his audience that the scheme was, after all, not so bad as the forecasts had made it out to be. The provinces had indeed for the first time, secured the right to stay away from federation, and even form an alternative federation of their own. Defence, it was true, continued to be reserved as the responsibility of his Majesty's Government. But the scheme had some attractive features. With further elucidation on obscure points, some difficult negotiations and even hard bargaining, it was thought, it might be licked into acceptable shape. This was the first reaction in the country to the Draft Declaration.”

अर्थात्, “चारों तरफ से होनेवाले सैकड़ों छानबीन भरे प्रश्नों की बौझाओं का उन्होंने उत्तर दिया। वह कार्य चारों तरफ से आने वाले एक विरोधी तूफान का धीरत्व-पूर्ण मुकाबला था। इसके अतिरिक्त यह उनकी योग्यता और कायतलन्तः के लिए एक बड़ी प्रशंसा की बात थी कि वे आने भ्रोताओं को इस बात का विश्वास दिलाने में करीब करीब सफल हो गये थे कि उनकी योजना इतनी खराब नहीं थी जितनी कि उसके संबंध की भविष्य वाणियों में बतलाई गई थी। अवश्य ही,

प्रान्तों ने इस योजना के अनुसार पहली बार संघ से अलग रहने का अधिकार प्राप्त किया था और इतना ही नहीं उन्हें अपना वैकल्पिक संघ बनाने का अधिकार भी दिया गया था। यह सच है कि देश-रक्षा के कार्य का उत्तरदायित्व श्रीमान् मन्नाट की सरकार के लिए ही सुरक्षित रखा गया था। किंतु इस योजना के कुछ आकर्षक पहलू भी थे। कुछ अस्पष्ट मुद्दों के स्पष्टीकरण से, कुछ कठिन समझौतों से तथा मुश्किल शर्तों से, आदान प्रदान से, यह विषय भी स्वीकार करने योग्य बनाया जा सकता था। यह प्रस्तावित मसविदे की घोषणा की, इस देश में होनेवाली, प्रथम प्रतिक्रिया थी।”

क्रिप्स के प्रस्तावित मसविदे में मूल-योजना और उसकी प्रस्तावना थी। प्रस्तावना में कहा गया था कि भारत के भविष्य के संबंध में ब्रिटिश सरकार जो बतल देती आ रही है उसको अब उक्त सरकार दायित्वान्वित करना चाहती है। वह स्पष्ट शर्तों में यह अज्ञासन देना चाहती है कि भारतवर्ष में स्वशासन की सिद्धि के लिये वह जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहती है। उसका उद्देश्य यह है कि भारतवर्ष में ऐसे संघ का निर्माण किया जाय जिसका सम्बंध ब्रिटिश संयुक्त-राज्य और उसके उपनिवेशों से हो, और जो सामान्य रूप से सम्राट् के प्रति निष्ठा रखता हुआ हर बात में उनके बराबरी का दर्जा रखता हो। साथ ही अपने घरेलू या बाहरी मामलों में वह किसी भी रूप में इनके आधीन न हो।

मूल योजना में इस समस्या के दो पहलुओं पर विचार किया गया था। एक तो यह कि महायुद्ध समाप्त होने के बाद नये संघ का किस प्रकार निर्माण किया जाय और दुसरा यह कि देश की रक्षा के लिये लोगों का किस प्रकार प्रभावोत्पादक सहयोग प्राप्त किया जाय। इसमें यह भी कहा गया था कि युद्ध बंद होने के बाद तुरंतही एक विधान-सभा का संगठन किया जाय, जो देश के लिये विधान बनाने का कार्य

करे। यह विधान-सभा युद्ध के बाद होने वाले चुनावों में निर्वाचित प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो, अर्थात् इसके सदस्य प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जायें। धारा सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्रान्तीय धारा सभाओं के कुल सदस्यों की संख्या की $\frac{1}{10}$ हो। देशी राज्य भी ब्रिटिश भारत की तरह अपनी संख्या के अनुपात से विधान सभा के लिये अपने प्रतिनिधि नियुक्त करें। ब्रिटिश भारत के सदस्यों की तरह ही उनके अधिकार होंगे।

इसके अतिरिक्त क्रिप्स योजना में प्रान्तों को यह अधिकार दिया गया था कि अगर कोई प्रान्त संघ में सम्मिलित न होना चाहे तो वह अपनी पूर्व-स्थिति में रह सकता है, पर इसके लिये ६० फ्री सदी जनता का मत होना चाहिये। इस योजना की दूसरी धारा में श्रीमान् सम्राट की सरकार और विधान-सभा के बीच होने वाली संधि का जिक्र किया गया था। इसमें ब्रिटिश सरकार के हाथ से भारतवासियों के हाथ में दिये जाने वाले सम्पूर्ण उन्नरदायित्व की शर्तों के उल्लेख के साथ साथ जातीय और धार्मिक अल्प-संख्यक समुदायों (Minorities) की रक्षा का उल्लेख भी किया गया था, और कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने पहले ही से इस संबंध में उन्हें जो अभिवचन दिये थे, उनके परिपालन का आश्वासन इस संधि में रहेगा। इस संधि के अनुसार भारतीय संघ के लिए इस बात में कोई रुकावट न डाली जायगी कि वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अन्य सदस्य-राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार अपना सम्बंध रख सके।

क्रिप्स के प्रस्तावों में भारत के नवीन यूनियन को यह भी अधिकार दिया गया था कि अगर वह चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य से जुदा हो सकता है। बातचीत के दौरान में एक अवसर ऐसा आया जब ऐसा मामला होने लगा कि भारत के नेता इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेंगे। पर

ऐसा न हुआ। इसका कारण यह था कि एक ती इन प्रस्तावों में बर्णित सुधार तत्काल कार्यान्वित न होने वाले थे। दूसरा यह था कि प्रान्तों को प्रधान संघ से उनकी इच्छानुसार अलग होने का जो अधिकार इन प्रस्तावों में दिया गया था, वह हमारे नेताओं को उस समय मान्य न था।

ब्रिटिश सरकार इससे पहले भारत को दिये गये वचन तोड़ चुकी थी, इसलिये हमारे नेताओं को इस बात का संदेह था कि अपना काम निष्काबने के बाद ब्रिटिश सरकार भारत को स्वराज्य देगी या नहीं।

इतने पर भी यह बातचीत, जैसा कि पहले कहा गया है, सम्मति के बहुत कुछ निकट पहुँच गई थी। पर आखिर देश रक्षा (Defence) और मध्यवर्ती सरकार (Interim Government) के संगठन के प्रश्नों को लेकर मतभेद उपस्थित हो ही गया और बातचीत टूट गई। सर स्टेफोर्ड भारत छोड़कर चले गये। उनके प्रस्तावों को न केवल कांग्रेस ही ने किन्तु अन्य दलों ने भी अस्वीकृत कर दिया था।

“भारत छोड़ो” आन्दोलन



सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के इस प्रकार चले जाने से भारत के वातावरण में क्रोध और अशान्ति की ज्वाला बड़े जोरों से भड़क उठी। हमारे राष्ट्रीय नेता स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये आखिरी कदम उठाने को प्रस्तुत हो गये। महात्मा गांधी ने इन दिनों में ‘हरिकन’ में जो लेख लिखे, उनमें से स्वतन्त्रता की ज्वालाएँ निकल रही थीं। डा० राजेन्द्रप्रसाद ने

अपने "Mahatma Gandhi and Bihar" नामक ग्रंथ में लिखा है-

"In those days Gandhi's writings were emitting fire and the whole country was on the tiptoe of expectancy of great things to happen."

अर्थात्, "उन दिनों गांधीजी के लेख भाग बरमा रहे थे, और सारा देश महान् घटनाओं की प्रतीक्षा कर रहा था।" ७ और ८ अगस्त १९४२ को बम्बई के गोवालिया टैंक मैदान के एक विशाल कुसज्जित भवन में दिन के २ बजकर ४५ मिनट पर स्वतंत्रता के महान् प्रश्न पर अन्तिम विचार करने के लिये अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। इसमें उक्त कांग्रेस समिति के २५० सदस्य और लगभग १० हजार दर्शक उपस्थित थे। महात्मा गांधी दिन के ठीक ३ बजे सभा-भवन में पधारे और उपस्थित विशाल बवता ने तुमुल जय-ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया। सारा राष्ट्र इस समय नवजीवन से अनुप्राणित हो रहा था, और वह बड़ी तृप्त-पूर्व दृष्टि से बम्बई के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था।

इस समय कांग्रेस महासमिति ने उस ऐतिहासिक प्रस्ताव पर विचार किया जो "भारत छोड़ो" के नाम से प्रसिद्ध है। वह एक लम्बा और विस्तृत प्रस्ताव था जिसमें भारत की स्वतंत्रता को क्रौर्य स्वीकार करना केवल भारत के ही हित में नहीं, बल्कि संयुक्त-राष्ट्रों के हित की सफलता के लिये भी भारत से ब्रिटिश राज्य उठा लेने के लिये विचार-पूर्वक दिये गये थे। उसमें कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश राज्य के जारी रहने से भारत का पतन हो रहा है, वह कमज़ार बनता जा रहा है और उसकी अपनी रक्षा करने तथा विश्व-स्वतंत्रता के पक्ष में योग देने की शक्ति दिन-पर-दिन घटती जा रही है।".....

आगे चलकर इसी प्रस्ताव में इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि ब्रिटिश शक्ति भारतवर्ष से हट जाय और भारतीय स्वतंत्रता की

घोषणा होने पर स्वतंत्र भारत में एक ऐसी कामचलाऊ सरकार (Provisional Government) बन जाय जो प्रमुख विभिन्न दलों के सहयोग से निर्मित हो और जिसका मुख्य कार्य अपनी समस्त संघर्ष और अहिंसात्मक शक्तियों से तथा मित्र-राष्ट्रों के सहयोग से भारत की रक्षा करना तथा बाह्य आक्रमण का विरोध करना हो। यह सरकार विधान-परिषद् की योजना तैयार करेगी और वह विधान-परिषद् भारत के सभी वर्गों द्वारा स्वीकृत किये जाने योग्य विधान बनायेगी। यह विधान एक संघीय विधान होगा जिसकी विभिन्न इकाइयों को अधिक से अधिक स्वराज्य और अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे। स्वतंत्रता भारत को एक योग्य बना देगी कि वह जनता की संयुक्त इच्छा-शक्ति और बल की सहायता से आक्रमण का सफलता पूर्वक विरोध कर सके।”

आगे चलकर महासमिति ने भारतीय स्वतंत्रता का आदर्श रचते हुए अपने प्रस्ताव में कहा:—

“The freedom of India must be the symbol of and prelude to this freedom of all other Asiatic nations under foreign domination. Burma, Malaya, Indo-China, Indonesia, Iran and Irak must also attain their complete freedom.”

अर्थात्, “भारतीय स्वतंत्रता विदेशी सत्ता की अधीनता में रहने वाले तमाम एशियाई देशों की स्वतंत्रता की प्रतीक और सूचक होनी चाहिए। बर्मा, मलाया, इंडो-चाइना, इंडोनेशिया, ईरान और इराक आदि को भी अपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए।”

इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि संसार की भावी शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्थित प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि स्वतंत्र राष्ट्रों का एक विश्व संघ (World federation) स्थापित किया

जाय। इसके बिना आधुनिक संसार की समस्याओं का हल नहीं हो सकता।

इस प्रकार का विश्व-संघ अपने घटक राष्ट्रों (Constituent Nations) की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा; एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर होने वाले आक्रमण और शोषण को रोकेगा; राष्ट्रीय अल्प संख्यक दलों (National minorities) की रक्षा करेगा; पिछड़े हुए प्रदेशों और लोगों की प्रगति में सहायक होगा और सब की भलाई अर्थात् सर्वोद्यम के लिये संसार के साधनों का उपयोग करेगा। इस प्रकार का विश्व-संघ स्थापित होने पर सब देशों में निरस्त्रीकरण सम्भव हो सकेगा, जल-सेनाओं और हवाई सेनाओं की आवश्यकता न रहेगी और विश्व-संघ की रक्षाकारी शक्ति संसार-शक्ति को स्थापित करेगी और आक्रमणों को रोकेगी।

इन प्रस्तावित आदर्शों के साथ साथ ही कांग्रेस की महासमिति ने भारतीय स्वाधीनता के अपने अखंड अधिकार को प्रकट करते हुए इसकी प्राप्ति के लिये विशाल पाये पर सामूहिक अहिंसात्मक सत्याग्रह करने का निश्चय किया और यह प्रकट किया कि गत २२ वर्षों के शांतिमय संघर्ष से राष्ट्र ने जो शक्ति संचित की है, उस सारी शक्ति को वह संगठित रूप से इस संघर्ष में लगादे। यह संघर्ष गांधीजी के नेतृत्व में चलाया जाय। इसके लिए महासमिति ने गांधीजी से प्रार्थना की कि वे इस महान् संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण करें।

इसके अतिरिक्त कांग्रेस महासमिति ने लोगों से अपील की कि वे भारतीय स्वतंत्रता के पवित्र उद्देश्य के लिये इस संघर्ष के कारण आने वाली तमाम कठिनाइयों और झतारों को बड़ी बहादुरी और सहन-शीलता के साथ सहन करें।

इस महान् संघर्ष के संचालन में एक समय ऐसा आ सकता है कि एक क्षण से हियापत्तें प्राप्त न हो सकें, और कांग्रेस कमेटियों की

कार्यवाहियां बन्द हो जायं। ऐसी स्थिति में हर एक पुरुष और स्त्री अपना नेतृत्व स्वयं करें और वे तब तक आगे बढ़ते रहें जब तक राष्ट्र की स्वाधीनता और मुक्ति न मिल जाय। अंत में कांग्रेस महासमिति ने भारतवर्ष के भावी शासन के संबंध में अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा कि समूहिक संघर्ष से वह अपने लिए अधिकार प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखती बल्कि वह सारे देश के लिए यह आकांक्षा रखती है।

महासमिति के इस प्रस्ताव के समर्थन में सबसे पहले मौलाना आज़ाद बोले। उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में यह प्रकट किया कि 'भारत छोड़ो' के नारे का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता से न तो कम है और न ज्यादा। इसका मतलब भारतवासियों के हाथ में पूर्ण राज्यसत्ता का हस्तान्तरित होना है। इसके लिये वे ब्रिटिश और संयुक्त राष्ट्रों (United Nations) से यह आखिरी अपील कर रहे हैं। अगर उनकी आंखें अंधी नहीं हैं और कान बहरे नहीं हैं तो वे इस मांग को स्वीकार करें।

मौलाना साहब के बाद पं० जवाहरलाल नेहरू उठे और उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा—“जो कदम हमें उठा रहे हैं उसे पीछा हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर हमारे विपक्षियों में सद्भावना हो तो सब मामला ठीक हो जायगा और युद्ध की सारी गति-विधि में परिवर्तन हो जायगा। कांग्रेस तुफानी महासागर में कूद रही है; या तो वह भारत की स्वतंत्रता को लेकर निकल आयेगी या वह रसातल में ही चली जायगी। यह लक्ष्य आखिरी दम तक लड़ी जायगी।”

पं० जवाहरलाल के बाद सरदार पटेल बोले और उन्होंने ब्रिटिश सरकार की भारतीय नीति पर कड़े आक्षेप किये। सरदार पटेल के बाद महात्मा गांधी उठे और ताश्चिबों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने बड़े गम्भीर स्वर से बोलना शुरू किया—

“अगर आप स्वराज्य और स्वतंत्रता चाहते हैं; अगर आप दिख से यह महसूस करते हैं कि जां कृष्ण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वह सही और ठीक है, तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इस तरह आप मुझे पूरा सहयोग दे सकते हैं।”

आगे चल कर महात्माजी ने फिर कहा “दूसरी बात जो मैं आप से कहना चाहता हूँ, वह यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिये। कांग्रेस महा समिति के सदस्य पार्लियामेण्ट के सदस्यों की तरह हैं। कांग्रेस सारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। वह अपने जन्म-काळ ही से किसी विशिष्ट प्रान्त की नहीं, किन्तु सारे राष्ट्र की है। यही कारण है कि आप लोगों की ओर से मैं यह दावा पेश करता आ रहा हूँ कि आप न केवल कांग्रेस के रजिस्टर्ड सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं वरन् सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।”

दूसरे दिन ८ अगस्त १९४२ को कांग्रेस महासमिति की दूसरी बैठक हुई, जिसमें उक्त प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमत से पास हुआ। केवल ३० मत प्रस्ताव के विरोध में आये। इस प्रस्ताव में जो संशोधन रखे गये, वे या तो वापस ले लिये गये या अस्वीकृत हो गये।

प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद राष्ट्र को सम्बोधन करते हुए महात्मा गांधी गम्भीरता-पूर्वक बोले—“मैं इस संबंध में आपका नेतृत्व करने का कार्य अपने कंधों पर लेता हूँ। वह कार्यभाग मैं आपके कमाण्डर की हैसियत से नहीं वरन् आपके एक विनीत सेवक की हैसियत से लेता हूँ। जो सबसे अच्छी सेवा करता है वही मुखिया बनता है। मैं इस दृष्टि से राष्ट्र का मुख्य सेवक हूँ, और इसी दृष्टि से अपने इस कार्य को और इस पद को देखता हूँ।”

इसके बाद महात्मा गांधी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि “अगर सारे संयुक्त राष्ट्र मेरा विरोध करें; अगर सारा भारतवर्ष भी मुझे

वह विश्वास दिखावे कि मैं शकती पर हूँ, तो भी मैं आगे बढ़ता हुआ
बचा जाऊँगा। मेरा वह कार्य न केवल हिन्दुस्तान के लिये होगा किन्तु
सारे संसार के लिये होगा।”

अन्त में गांधीजी ने अत्यन्त मर्मस्पर्शी शब्दों में श्रोताओं को
सम्बोधन करते हुए कहा:—

“Here is a Mantra—a short one—that I will
give you. You may imprint it on your hearts and
let every breath of yours give expression to it.
The Mantra is this “We shall do or die.” We shall
either free India or die in attempt. We shall not
live the perpetuation of slavery. Every true Con-
gressman or woman will join the struggle with an
inflexible determination not to remain alive to see
the country in bondage and slavery. + + + +
Let everyman and woman live every moment of
his or her life hereafter in the consciousness that
he or she eats or lives for achieving freedom and
will die, if need be, to attain that goal. With God
and your own conscience as witness that you will
no longer rest till freedom is achieved and will be
prepared to lay down your lives in the attempt to
achieve it. He who loses his life shall gain, he
who will seek to save it shall lose it. Freedom is
not for the faint hearted.”

अर्थात्, “वहाँ एक छोटा सा मन्त्र है जो मैं आपको देता हूँ। इसे
आप अपने हृदयों पर अंकित कर लीजिये और इसे आप अपने हृदय

स्वास-प्रवास द्वारा प्रकट कीजिये। वह मंत्र यह है, "हम करेंगे या मरेंगे।" या तो हम भारत को स्वतंत्र करेंगे या इसके प्रयत्न में मर जायेंगे। हम गुलामी को देखने के लिये ज़िन्दा न रहेंगे। हर एक कांग्रेसी स्त्री-पुरुष को यह अटल निश्चय कर लेना चाहिये कि वह अपने देश को बन्धन या दासता में देखने के लिये ज़िन्दा न रहेगा।" + हर एक स्त्री और पुरुष को अपने जीवन की इस भावना में जीना चाहिये कि वह स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये जीता है और वक्त-आने पर उस महान् उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मरने को तैयार है। अपनी अन्तरात्मा को साक्षी रख कर, ईश्वर के सामने वह प्रतिज्ञा ले लीजिये कि आप तब तक चैन न लेंगे जब तक कि स्वतंत्रता की प्राप्ति न हो जाय और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये आप अपने प्राण न्यौतान कर देने को तैयार रहेंगे। इस महान् उद्देश्य की सिद्धि के लिये जो अपना जीवन-दान देगा वह अपना इष्ट सिद्ध करेगा और जो इस महान् कार्य में अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा वह उसे खो देगा। स्वतंत्रता दुर्बल हृदय के लिये नहीं है।"

८ अगस्त १९४२ को "भारत छोड़ो" का उक्त प्रस्ताव कांग्रेस महासमिति द्वारा बहुत बड़े बहुमत से पास हो गया, पर महात्माजी ने संघर्ष शुरू करने के पहले फिर भी वाइसरॉय को समझौते का एक मौका और देना चाहा। उन्होंने वाइसरॉय को मुलाकात के लिये लिखा और यह आशा प्रकट की कि अगर वाइसरॉय की ओर से अनुकूल प्रतिक्रिया हुई तो उसके आधार पर फिर से समझौते की बातचीत करने में उन्हें कोई आपत्ति न होगी। पर इसमें गांधीजी सफल न हुए।

भारत सरकार ने महासमिति के जैलेंज को स्वीकार कर लिया। उन्होंने समझौते के द्वार बन्द कर दिने और आत्मसंघर्ष के तमाम कांग्रेसी नेताओं को जेलों में टूँस देने का निश्चय कर लिया।

महात्माजी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी

१ अगस्त की सुबह के लगभग ५ बजे बिदला-भवन में जहाँ महात्माजी ठहरे हुए थे, पुलिस से भरी हुई ३ मोटरकारें पहुँचीं । पुलिस कमिश्नर मि० बटलर अपने साथ महात्मा गांधी, स्वर्गीय श्री महादेव भाई देसाई और मीरा बहन की गिरफ्तारी और नज़रबन्दी के तीन वारण्ट लाये । महात्मा गांधी ने बिस्तर में ही अपनी प्रार्थना की । महात्मा गांधी के पूछने पर मि० बटलर ने उनसे कहा कि आप अपनी तैयारी में आधा घंटा ले सकते हैं और इस समय में अपने निले के नियमानुसार बकरी के दूध और फलों के रस का कलेवा कर सकते हैं । बिदा होते समय महात्मा गांधी को माला पहनाई गई और उनके ललाट पर तिलक किया गया । इसके बाद वे और उनके साथी पुलिस की मोटर में सवार होकर रवाना हुए ।

इसी दिन सुबह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी नाथू और कांग्रेस महासमिति के अन्य सदस्यगणों की भी गिरफ्तारियाँ हो गईं । सारे भारतवर्ष में, १ अगस्त को, सूरज निकलने के पहले, हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियाँ हो गईं । दमन के दौरदौरे ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया । उधर जनता का आन्दोलन भी देश व्यापी हो गया । ज्योंही नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार पहुँचे कि सारे देश में बड़ी ज़बरदस्त आग भड़क उठी । यह आग बम्बई से शुरू होकर धाँय-धाँय करती हुई मद्रास, मध्यप्रान्त, बिहार, यू० पी० और बंगाल तक पहुँच गई । इसने शहरों की सीमा की पार कर देहातों तक अपना प्रभाव डाला । कई कस्बों और गाँवों में सरकारी ऋंठी के बजाय कांग्रेस के तिरंगे ऋंडे उड़ने लगे । पुलिस चौकियाँ और अन्य सरकारी इमारतें जलाई गईं । रेलवे की सड़कें तोड़ी गईं । तार काटे गये और विभिन्न प्रान्तों में कई स्थानों पर पंचायती

राज्य कायम किये गये। ऐसा मालूम होने लगा मानो ब्रिटिश सरकार का राज्य उठ गया है और जनता का राज्य कायम हो गया है।

ब्रिटिश शासन को पंगु बनाने के लिये रेलवे लाइनों को काफ़ी क्षति पहुँचाई गई। ईस्ट इंडियन रेलवे को भारी क्षति पहुँची और उसकी गाड़ियों का चलना बहुत दिनों तक रुक गया। बी० एच० एन० डब्ल्यू० रेलवे का तो सारा कारोबार ही रुक गया। जनता ने इस पर अधिकार कर लिया। कई स्थानों में इन्जिन पर तिरंगे फलके लगा दिये गये और सैकड़ों आदमियों को बग़ैर टिकट बिठाकर गाड़ों और ट्राइवर को गाड़ी ले जानी पड़ी। पूरे बिहार प्रान्त और यू० पी० के पूर्वी जिलों में इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा। बंगाल सारे उत्तरी हिन्दुस्तान से बिलकुल अलग हो गया।

युक्तप्रान्त और बिहार में इस आन्दोलन ने बड़ा उग्र रूप धारण किया। कहा जाता है कि युक्तप्रान्त के बलिया नगर में सरकारी अधिकारियों ने आत्म-समर्पण कर दिया और वहाँ जन-राज्य का कब्जा बढने लगा। जेल और कचहरियों पर जनता ने अधिकार कर लिया। यू० पी० की सैकड़ों पुलिस चौकियों और थानों पर कुछ समय के लिये जनता का अधिकार हो गया था।

श्रीयुक्त जेमचन्द्र "सुमन" अपने "कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास" नामक ग्रन्थ में बलिया के अगस्त आन्दोलन के संबंध में लिखते हैं—
 "अगस्त आन्दोलन में बलिया का सबसे प्रमुख हाथ है। ६ अगस्त को वहाँ के समस्त कार्यकर्त्ता गिरफ़्तार कर लिये गये। १० अगस्त से १२ अगस्त तक बलिया में भारी दमन के बावजूद भी हड़ताल रही। लोग जुलूस निकालते रहे। १२ अगस्त से सारे जिले में तार काटने, रेल की पटरियाँ उखाड़ने, पुल तोड़ने और यातायात के साधन नष्ट करने का काम आरम्भ हो गया। १४ तारीख की शाम तक पूरे बलिया जिले का सारा प्रान्त से संबन्ध विच्छेद हो गया। १६ अगस्त को जिले

कांग्रेस के उपरान्त पर कांग्रेस का फिर से अधिकार हो गया। १६ अगस्त को कांग्रेस के हुक्म पर सारे बाज़ार खुले। पुलिस ने शासन-सत्ता की प्रतिष्ठा सामाप्त होते देखकर गोली चलादी। फलस्वरूप १६ अगस्त को ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार का शासन समाप्त हो गया। जनता ने कलकत्ती, खज़ाने और जेल पर कब्ज़ा कर लिया। ज़िले के सब कांग्रेसी लेख से रिहा कर दिये गये। २० अगस्त को चित्तू पांडे की अध्यक्षता में नवीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। इस सरकार के अधीन ग्राम-पंचायतों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया। २२ अगस्त तक ब्रिटेन में जनता की सरकार चलती रही। अस्तु, २२-२३ की रात को गोरी पल्टन ने ब्रिटेन में प्रवेश किया, लूट, फूँक और मारपीट का दौरा शुरू हो गया। सारे ज़िले पर लगभग १२ लाख रुपये जुर्माना किया गया और २६ लाख से भी अधिक जबरदस्ती बसूला गया। ४६ आदमी मारे गये, १०५ मकान फूँक दिये गये और लगभग ३८ लाख रुपये की हानि समस्त जिले को उठानी पड़ी।”

ब्रिटेन की तरह जौनपुर, गाज़ीपुर, आजमगढ़, बनारस आदि में भी वही हुआ। लगभग १० दिन तक ऐसा मालूम होता था कि कांग्रेसी शासन की व्यवस्था बिल्कुल टूट गई है। उसकी पुलिस और फ़ौज में इस आन्दोलन का सामना करने का बल नहीं रह गया है।

यू० पी० की ही भांति बिहार में भी, पूरी तीव्रता के साथ, यह आन्दोलन चला। बिहार के प्रत्येक ज़िले में आन्दोलन की लहरें पहुँची और लगभग सब जगह पुलिस और शासक कुछ दिन तक आन्दोलन पर अधिकार नहीं पा सके। बिहार के इस संघर्ष के संबंध में डॉ० राजेन्द्रप्रसाद अपने “Mahatma Gandhi and Bihar” में लिखते हैं:—

“One special feature of this movement was interruption of all communications. This was most

wide-spread and effective. In Bihar, for weeks trains did not run, telegraph and post offices did not function and British rule became confined to district towns in a great part of the province. Railway lines and telegraph wires were torn up, railway stations damaged and police stations actually taken possession of by the people in many districts of Bihar and the eastern part of the United Provinces.

अर्थात्, "यातायात के साधनों को नष्ट करना इस आन्दोलन का खास लक्ष्य था। यह कार्य बहुत ही व्यापक और प्रभावशाली था। बिहार में कई सप्ताह तक रेलगाड़ियों का चलना बंद रहा। तार और डाक आनों का काम बंद हो गया। प्रान्त के जहुन बड़े हिस्से में ब्रिटिश राज्य केवल जिले के नगरों तक ही सीमित रह गया। रेलवे लाइनें और तार तोड़ दिये गये। रेलवे स्टेशनों को तोड़ फोड़ के द्वारा नुकसान पहुँचाया गया। बिहार के बहुत से जिलों में और युक्त-प्रान्त के पूर्वीय हिस्सों में पुलिस थानों पर वास्तविक रूप से जनता ने अधिकार कर लिया।"

युक्तप्रान्त और बिहार की तरह बंगाल के मिदनापुर जिले के समलूक सब डिविजन में इस आन्दोलन ने भयंकर रूप धारण किया। वह प्रदेश विस्फोट का केन्द्र बन गया। "भारत छोड़ो" के प्रस्ताव तथा नेताओं की गिरफ्तारी ने इसमें आग लगादी। सारे जिले में और अशांति व्याप्त हो गई, बड़े बड़े जुलूस निकाले गये और विशाल प्रदर्शन किये गये। इन प्रदर्शनों में दस दस हजार आदमियों तक की भीड़ ही आती थी। इसके अतिरिक्त बड़ी बड़ी सभाएँ कर लोगों ने ब्रिटिश शासन के समाप्त होजाने, तथा देश के पूर्ण स्वतंत्र हो जाने की घोषणाएँ कीं।

२८ तारीख की रात को तमलुक तथा पंचकुरा की मुख्य मुख्य सड़कों को अवरोध करने के लिए बड़े बड़े पेड़ काट कर उन पर गिरा दिये गये। कुराघाटी से बालूघाट जानेवाली सड़क को भी यही हालत हुई। ३० छोटे छोटे पुल तोड़ डाले गये और अनेक स्थानों पर सड़कें काट डाली गईं। २७ मील तक तार तथा टेलीफोन का लगाव भी तोड़ डाला गया और १६४ खंभे उखाड़ डाले गये। कोशी तथा हुगली नदियों में चलने वाली नावें तोड़ फोड़कर नदी में डुबा दी गईं। इसके अतिरिक्त इस सब-डिविजन में निम्नलिखित स्थान जला दिये गये तथा नष्ट कर दिये गये, १ शाना, दो पुलिस नाके, दो सब-जिल्दी ऑफिस, तेरह पोस्ट ऑफिस, नौ यूनिशन बोर्ड ऑफिस, दस पंचायत ऑफिस, बारह शराब की दुकानें, चार डाक बंगले तथा महिषादल राई के तेरह ऑफिस। ३२० चौकीदारों की बरदियां जला डाली गईं। तेरह सरकारी अफसरों को गिरफ्तार किया गया, उनमें पुलिस अफसर भी थे। अपने सरकारी पदों से इस्तीफा देने की प्रतिज्ञा करने पर इन्हें छोड़ दिया गया और उनके घर पहुँचने का किराया दे दिया गया। उनमें से किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। जू: राइफलों तथा कुछ लखवारों विद्रोहियों के हाथ लगीं।

सरकार की ओर से प्रकाशित पुस्तिका "Some facts about the Disturbance in India 42-43" में इसके संबंध में निम्नलिखित बातें कहीं गईं हैं:—

'बंगाल प्रान्त के मिदनापुर जिल्ले में विद्रोहियों के कारकलाप से प्रकट होता था कि उनके कार्य पूर्व-निश्चित-योजना के अनुसार चल रहे थे। उनके पीछे गंभीर विचारशीलता तथा दीर्घ-दृष्टि नज़र आती थी। नेतावनी भेजने के उनके तरीके सर्वथा मौलिक थे। किसी बात को फैलाने तथा किसी गुप्त योजना को कार्यान्वित करने के उनके दृढ़ स्पष्टतया पूर्वनिश्चित संकेतों के अनुसार थे। युक्त-प्रान्त, बिहार तथा

बंगाल की तरह दक्षिण भारत में भी अगस्त क्रान्ति की ज्वाला बड़े जोरों से भभक उठी। बम्बई प्रान्त के सतारा नामक नगर में जनता ने एक समानान्तर 'पत्री सरकार' की स्थापना कर ली थी, जिसमें लगभग ७०० गांव थे। इस सरकार का एक गुप्तचर विभाग भी था और एक क्रांतिकारी भी थी। ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर जो-जो दमन किये वे बड़े रोमांचकारी थे।

भारत की राजधानी दिल्ली में भी इस भाग की छपटें पहुँचीं। १९ अगस्त को जनता के एक मुन्ड ने रेखवे अकाउंट्स क्लीयरिंग ऑफिस, जो 'पीली कोठी' के नाम से प्रसिद्ध था, जला दिया। इनकम टैक्स के दफ्तर और पोस्ट ऑफिसों को भी चति पहुँचाई गई। जनता का रोष जब बढ़ता ही गया तो विवश होकर अधिकारियों ने गोरी पब्लिकन बुलाई। उसने अन्धाधुन्ध गोलियों की वर्षा की, जिससे सब और घातक फैल गया।

ब्रिटिश भारत की तरह देशो रियासतों में भी यह आन्दोलन चला। डकीसा प्रान्त की रियासतों में तो इस आन्दोलन ने बढ़ा ही उग्र रूप धारण किया। ग्वालियर कोचीन, ट्रावनकोर, कोल्हापुर, मिरज, मैसूर, भोपाळ, इन्दौर, कोटा, तालचर आदि रियासतों में बड़े जोर के आन्दोलन हुए। इन में हजारों लाखों आदिमियों ने हिस्सा लिया। इन्दौर के मंडलेश्वर नामक नगर के जेल को तोड़कर वहाँ से कई बंदी नेता बाहर निकल आये, जो पीछे से फिर गिरफ्तार कर लिये गये। कोटा में शहर पर जनता ने कब्जा कर लिया। जनता ने शहर की दीवारों पर कब्जा करके उसका रास्ता बंद कर दिया। शहर की दीवार के पास जो तोपें रक्खी थीं उन पर भी जनता ने अधिकार कर लिया। यह सारा कार्य राज्य के तत्कालीन दीवान की अदृष्टिपूर्वक नीति के कारण हुआ। वैसे, वहाँ के महाराजा और प्रजा के बीच आत्मीयता का संबंध था। पीछे जाकर महाराजा की सद्भावना-पूर्ण

नीति के कारण राज्य और पञ्चा में समझौता हो गया ।

मेवाड़ में भी इस आन्दोलन की ज्वालाएं पहुँचीं । जनता ने महाराजा साहब से अनुरोध किया कि वे ब्रिटिश सरकार से अपना संबंध तोड़ दें और अपने राज्य में जिम्मेदार सरकार स्थापित कर दें । वहाँ २०० गिरफ्तारियाँ हुईं । उदीसा की ताऊचर रियासत में आन्दोलन ने भीषण रूप धारण किया । इस रियासत में खुला विद्रोह हुआ और बहुत दिन तक चलता रहा । वहाँ रेल की लाइनें काट दी गईं, वास्तविकता के साधनों पर जनता ने कब्ज़ा कर लिया, सरकारी इमारतों पर तिरंगे झंडे उड़ाने लगे और सब धानों पर जनता का अधिकार हो गया । इतना ही नहीं, वहाँ जनता ने एक समानान्तर सरकार भी कायम कर ली, जिसके अधीन गाँव के मुखिया, चौकीदार आदि ने काम करना शुरू कर दिया । पीछे जाकर इस रियासत में भयंकर दमन शुरू हुआ और मकानगन तक से काम लिया गया । हवाई जहाज़ से बम तक फेंके गये । इस दमनचक्र से यह आन्दोलन समाप्त हो गया । उदीसा की मैकनाम रियासत में २ सितम्बर को लोगो के मुन्द ने विष्णुपट्ट नायक नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में चाँदपुर थाने पर आक्रमण कर पुलिसवालों की सब बंदूकें छीन लीं ।

कहने का मतलब यह है कि भारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में क्रांति की यह उग्राखा बड़े जोरों से भभक उठी थी । कई स्थानों में सरकारी इमारतों पर काँप्रेसी झण्डे लहराने लगे और थोड़े समय के लिये ऐसा वास्तुम होने लगा मानो लोगों ने अपना शासन कायम कर लिया है । कई स्थानों में समानान्तर सरकारें स्थापित कर ली गईं । वह सारा काम बोग्ग नेतृत्व के अभाव में हुआ । इसलिए इसका प्रभाव अल्पस्थायी रहा ।

भीषण दमन-चक्र

तत्कालीन भारत सरकार भी इस परिस्थिति से अनजान न थी ।

इस समय सुभाषबाबू के नेतृत्व में एक बड़ी और सुसंगठित सेना भारत की सीमाओं पर पहुँच चुकी थी। ब्रिटिश सरकार उसके मुकाबले को तैयारी कर रही थी। भारतवर्ष के बाहर भी चारों ओर युद्ध की ज्वाला सुलग रही थी। भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन सारी परिस्थितियों का मुक़बला करने के लिये ज़बरदस्त सैनिक संगठन कर रक्खा था। उसने अपने इन सारे साधनों को और शक्ति को उक्त अगस्त-आन्दोलन का दमन करने में ख़गा दिया। चारों ओर गोलीबारी और छाठीचार्ज का दौर-दौरा हो गया। कुछ स्थानों में वायुगनों द्वारा जनता की भीड़ पर बम भी बरसाये गये! कुछ स्थानों में मशीनगनों के द्वारा निःशस्त्र जनता को भूना गया! जनता के घर जलाये गये! उन्मत्त-सैनिकों ने लूटमार की और कई स्थानों में स्त्रियों के सतीत्व का अपहरण तक किया! क्रुम और अत्याचारों से देश का वातावरण व्याप्त हो गया। अखंड भार० भार० दिवाकर अपने "Satyagraha, its Teachnique and History" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

"It is estimated that more than 2000 unarmed and innocent people were shot down and about 6000 injured by the police and military, tens of thousands wounded by lathis; about 1,50,000 were jailed and about 15 lakhs of rupees were imposed as collective fines. There is no record of tortures, burning of houses, looting and other atrocities by the police and the military"

अर्थात्, "अनुमान किया जाता है कि दो हजार से ऊपर निरस्त्र लोग पुलिस द्वारा गोलीबारी से मार डाले गये और छः हजार आदमी ज़ख्मी किये गये! लाखों आदमी छाठियों से घायल किये गये, १,५०,००० आदमियों को जेल की सज़ाएँ हुईं और १५ लाख रुपये

का सामूहिक जुमाना किया गया। इसके अतिरिक्त लोगों को पुलिस और फौज के द्वारा जो तरह तरह की यातनाएँ दी गईं, उनके अन्धकार उखाड़े गये और अन्ध अत्याचार किये गये, उनका ठीक ठीक रिकार्ड नहीं है।”

डॉ० पद्मभिलीतारामय्या अपनी “60 years of congress” नामक पुस्तिका में लिखते हैं:—

“Government was not over-scrupulous in their reprisals. Houses were burnt, crowds were shot at and in five cases—three in Bengal, one in Bihar and one in Orissa—machineguns were fired from aeroplanes and unfortunately in one instance the fire was directed against a gang of innocent Railway workmen. It would take a volume to describe the charges of atrocities and crimes levelled against each other by the people and the Government.”

“सरकार ने बदला लेने में किसी भी प्रकार की सावधानी से काम नहीं लिया। घर उखाड़े गये, जनता की भीड़ पर गोळियों बरसाई गईं। तीन पाँच स्थानों में—बंगाल में, ३—बिहार में १ और उड़ीसा में १ पर वायुयानों से मशीनगनों द्वारा गोळे बरसाने गये। दुर्भाग्य से एक स्थान पर विरपराध रखने मजदूरों के एक कुँड पर इस प्रकार की गोलाबारी की गई। लोगों द्वारा सरकार पर और सरकार द्वारा लोगों पर जो आरोप और प्रत्यारोप किये गये हैं, उनका बर्दाव करने के लिये एक बड़े रोजे की आवश्यकता होगी।”

कहने का मतलब यह है कि सरकार ने अपनी पूरी शक्ति से साम

आन्दोलन को कुचला। बंगाल के मिदनापुर नामक नगर के आन्दोलन का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। यहाँ पर भयंकर दमन-चक्र शुरु हुआ। जनता पर बड़े बड़े अत्याचार किये गये। बंगाल के तत्कालीन अर्थमंत्री श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने इन अत्याचारों के विरोध में अपने पद से स्तीफा दे दिया। अपने स्तीफे के संबंध में उन्होंने ६ नवम्बर सन् १९४२ को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर को जो पत्र लिखा था। उसका एक अंश इस प्रकार है:—

“But in Midnapore repression has been carried on in a manner which resembles the activities of the Germans in occupied territories. Hundreds of houses have been burnt down by the police and the armed forces. Reports of outrages on women have reached us. Muslims have been instigated to loot and plunder Hindus houses; The protectors of law and order have themselves carried on similar operations.”

अर्थात्, “मिदनापुर में जिस प्रकार का दमन किया जा रहा है उसकी तुलना जर्मनों द्वारा अधिकृत प्रदेशों में किये जानेवाले दमन से की जा सकती है। पुलिस और सशस्त्र फौज के द्वारा सैकड़ों घर जला दिये गए। स्त्रियों पर होनेवाले अत्याचारों के समाचार भी हमारे पास पहुँचे हैं। मुसलमानों को हिन्दू घरों को लूटने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कानून और व्यवस्था के रक्षकों ने स्वयं इस प्रकार की कार्यवाहियाँ कीं।”

बंगाल में, जैसा कि डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने लिखा है, घोर दमन के द्वारा जनता की आत्मा को कुचलने का प्रयत्न किया गया।

बंगाल की तरह युक्तप्रान्त में भी अमानुषिक दमन प्रारम्भ हुआ। बलिया की क्रान्ति का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, पर वह क्रान्ति अल्पस्थायी रही। इस क्रान्ति को कुचल देने के लिये भारत की अंग्रेज़-सरकार ने मि० स्मिथ और कर्नल नेदरसोल के नेतृत्व में एक सेना भेजी। उसने सबसे पहले उन आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारियाँ की, जो इस क्रान्ति का नेतृत्व कर रहे थे। इस सेना ने बलिया के नागरिकों पर बड़े बड़े अत्याचार किये। जो लोग क्रान्ति के मददगार थे उनके घर तक जलाये गये। उनके मकान लूटे गये। चौक में लोगों को नंगा कर उनको बेंत लगाये गये! बलिया शहर में गोखी चन्नी त्रिसे ९ आदमी मारे गये। बलिया के रसड़ा नामक थाने में तीन आदमियों को बाड़े में बन्द कर उन्हें गोखियों से मार डाला गया। बैलिया थाने के हाते में शान्त भाव से बैठी हुई जनता पर गोखियां चलाई गईं। २२ आदमी मारे गये। कौशल्याकुमार नामक एक युवक मुरदा फहराते हुए संगीन से मार डाला गया! लूट-खसोट, मारपीट का बाज़ार गरम हो गया। लोगों के खुले आम बेंत लगाये गये! किरचें भोंकी गईं! हाथी के पाँव में बांध कर लोग घसांटे गये!

बलिया की तरह गोरखपुर, आजमगंज, मधुवन, गाज़ीपुर, महमदाबाद, शेरपुर आदि स्थानों में भी जतना की भीड़ पर गोखियां बरसाई गईं और तरह तरह के अत्याचार किये गये। गाज़ीपुर में बहुत से आदमी पैकों से छटका कर मारे गये, कोदों से पीटे गये और स्त्रियों के गहने छीने गये। इतना ही नहीं स्त्रियों के साथ बड़े अमानुषिकतापूर्ण दुष्कर्म किये गये! बनारस में २३ स्थानों पर २०२ बार गोखी चलाई गईं, जिससे १८ आदमी मरे और ८५ घायल हुए। ७ आदमियों को कोड़े लगाये गये, १८ को सार्वजनिक रूप से बेंतों से पीटा गया और ११७ को निर्वासित किया गया। औरतों को घने में बन्द कर उनके साथ बलात्कार किया गया! दाईं हाथ से चपक

का सामूहिक जुमाना किया गया।

पुच्छप्रान्त और बंगाल की तरह मध्यप्रदेश, बिहार, बम्बई प्रान्त, गुजरात, आदि भारत के विभिन्न प्रान्तों में अमानुषिक दमन के द्वारा लोक-आन्दोलन को कुचलने का प्रयत्न किया गया और उसमें सरकार को अस्थायी सफलता भी हुई।

होम मेम्बर का वक्तव्य

ईस्वी सन् १९४२ के आन्दोलन के संबंध में तत्कालीन होम मेम्बर ने जो वक्तव्य दिया उससे निम्नलिखित बातें मालूम हुईं:—

- (१) ६०२२६ आदमी गिरफ्तार किये गये।
- (२) पुलिस और फौज की गोदियों से ६४० आदमी मारे गये।
- (३) पुलिस और फौज की गोदियों से १६३० आदमी जस्मी हुए।
- (४) १८००० मनुष्य भारत रक्षा कानून के मातहत मज़बूत किये गये।

इसके अतिरिक्त होम मेम्बर के वक्तव्य से यह भी मालूम हुआ कि ६० स्थानों में फौज बुलाई गई और २३८ अवसरों पर पुलिस का फौज को गोदियां चलायी पर्वी तथा ५ स्थानों में वायुबानों द्वारा जनता की भीड़ पर गोले बरसाये गये। ऊपर हमने सरकारी वक्तव्य के अनुसार मरे हुए और घायल व्यक्तियों के आंकड़े दिये हैं, पर लोगों का अनुमान इससे बहुत ज्यादा रहा है।

जीयुत तारिमी सरकार ने अपने "India in Revolt" नामक ग्रन्थ में मृत और घायलों की संख्या २५००० से ऊपर बताई है।

शासन को हिला दिया

ईस्वी सन् १९४२ को इस महान् आन्दोलन ने देशव्यापी रूप धारण कर ब्रिटिश शासन को हिला दिया था। इस आन्दोलन ने ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह विश्वास करा दिया कि भारतवर्ष अब संगीनों के कब्जे पर गुलाम नहीं रक्खा जा सकता। उस समय राष्ट्र के सब कर्णधार नेता जेलों में बन्द थे और इसलिये इस आन्दोलन का जैसा चाँहि वैसा बोम्ब नेतृत्व न हो सका। महात्माजी के अहिंसात्मक सिद्धान्त का कहीं कहीं अतिक्रमण किया गया और इसके फलस्वरूप यत्र तत्र कुछ हिंसाकाण्ड भी हुए। पर ये हिंसाकाण्ड उन हिंसाकाण्डों के मुकाबले में कमजोर थे जो तत्कालीन नौकरशाही के द्वारा संगठित किये गये थे तो भी हमारे प्रधान नेताओं ने उन पर दुःख प्रकट किया। अगर उस समय हमारे बड़े बड़े नेता बाहर होते तो सम्भव था कि जनता द्वारा अहिंसा के सिद्धान्त का इतना अतिक्रमण न हुआ होता।

बंगाल का भीषण अकाल

ईस्वी सन् १९४२ में बंगाल में बड़ा भीषण अकाल पड़ा, जिसने लाखों मनुष्यों की बली ली! कहा जा सकता है कि यह अकाल मनुष्य-कुल पर। अगर तत्कालीन बंगाल सरकार और उसके अधिकारीगण प्रकाशित की भावनाओं से अनुप्राणित होकर बोम्ब प्रकण्ड करते तो यह बला बहुत कम होकर लाखों मनुष्यों की प्राणरक्षा हो सकती थी।

जैसा कि हमारे पाठक जानते हैं, इस्त्री सन् १९४२ में ब्रह्मा अंडेजों के हाथ से निकल गया और उस पर जापानियों का अधिकार हो गया। हजारों लाखों शरणार्थी ब्रह्मा से भागकर बंगाल आने लगे। सरकार ने बंगाल को "भय का क्षेत्र" (Danger Zone) समझ कर वहाँ से अनाज हटाना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी से किश्तियों और यातायात के साधनों के हटाये जाने से यातायात में बड़ी गड़बड़ हो गई। इन सब विचारीत परिस्थितियों के अतिरिक्त उस समय बंगाल में बड़ा तूफान भी आया जिसमें हजारों आदमी बेघरवार हो गये! और एक लाख पशु मर गये ब्रह्मा से चावलों की आयात बन्द हो जाने से भी बंगाल की मुसीबतें और भी बढ़ीं। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अगर बंगाल सरकार योग्य प्रबन्ध करती और पूजापति अपने नीचतम स्वार्थ का त्यागकर मानवहित की भावना से प्रेरित होते, तो हमारा विश्वास है कि बंगाल पर आई हुई यह विपत्ति इतना उग्र रूप धारण न करती।

भारत के तत्कालीन स्टेट सेक्रेटरी मि० एमरी ने "हाउस ऑफ कॉमन्स" में वक्तव्य देते हुए यह प्रकट किया था कि बंगाल में इस अकाल के कारण प्रति सप्ताह एक हजार मनुष्य भूख से मरते हैं और उन्होंने जनवरी में अपने बयान में यह कहा था कि इस अकाल के कारण लगभग १० लाख मनुष्य अपनी संसार-यात्रा संवरण करने के लिये बाध्य हुए। पर उस समय जिन राष्ट्र-सेवक लोगों ने अकाल-ग्रस्त बंगाल में दौरा किया उनके कथन के आधार पर डॉ० एम० एस० नटरंजन एम० ए०, पी० एच० डी० ने अपनी "Famine in Retrospect" नामक पुस्तक में यह अनुमान लगाया है कि उस समय बंगाल में अकाल से मरनेवाले लोगों की संख्या ५,००,०० प्रति सप्ताह से कम नहीं। इसके कुछ उदाहरण आपने अपनी पुस्तिक में दिये हैं। बंगाल के बार्दियुर नामक मुकामफसल के गांव में, वहाँ की जनसंख्या केवल २५०००

थी, औसतन २६७ आदमी प्रति सप्ताह मरते थे। तमलुक के उपविभाग में लगभग ६० हजार मनुष्य काल कवलित हुए और मृत्यु संख्या का परिणाम और भी बढ़ता जा रहा था नंदीग्राम नामक नगर में, जहाँ की जनसंख्या १४७, ६४६ थी ४३००० मनुष्य मूल से तड़फ तड़फ कर प्राण देने को विवश हुए ! कलकत्ता नगर की मृत्यु संख्या साधारण तौर से २५० प्रति दिन थी, वह इस अकाल के समय बढ़कर २००० प्रतिदिन हो गई। गांव के गांव बीरान हो गये ! उक्त-लेखक महोदय ने अनुमान लगाया है कि इस अकाल ने ३५,००,००० आदमियों से कम की बलि न ली।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के (Anthropology Department) ने बहुत खोज-पड़ताल के बाद अकाल से होने वाली मृत्यु संख्या को लगभग ३५,००,००० ही बतलाया है। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है—

“The probable total number of deaths above the normal comes to well-over three and a half million.”

बंगाल की तरह उड़ीसा प्रान्त में भी अकाल ने बड़ा भीषण रूप धारण किया। उड़ीसा कांग्रेस पार्टी की केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य श्रीयुक्त बी० दास ने अपने भाषण में कहा था।

“To save Bengal the Indian Government Committed another disastrous crime against the Oriyas last May, in declaring free trade which brought about the famine conditions in Orissa.”

अर्थात्, “गत मई मास में बंगाल को बचाने के लिये भारत सरकार ने खुले न्यापार की घोषणा कर एक भयंकर अपराध किया जिसने उड़ीसा प्रान्त में अकाल की स्थितियाँ उत्पन्न कर दीं।” दास

महोदय ने साथ ही यह भी प्रगट किया कि उक्त प्रान्त को अतिरिक्त अन्न उत्पन्न करनेवाला प्रान्त (Surplus Province) घोषित कर, उड़ीसा सरकार ने एक महापाप किया। इसका परिणाम यह हुआ कि न तो बंगाल को बचाया जा सका और उड़ीसा को अप्रतिहत हालि पहुँची। उड़ीसा प्रांत के बालसौर और गंजम जिलों में अन्नस्राव ने बड़ा ही भयानक रूप धारण किया।

माननीय मि० कुंजरू ने १६ नवम्बर १९४३ को राज्य-परिषद् (Council of State) में भाषण देते हुए कहा था।

That deaths had occurred in both these districts which had not been allowed to be reported in the newspaper by the Government."

अर्थात्, "इन दोनों जिलों में मृत्युएँ हुईं। सरकार ने उनकी रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित न होने दीं।

दक्षिण भारत के कई जिलों में भी उस समय अकाल की विभीषिका ने अपना उग्र रूप धारण किया था। २३ जनवरी १९४३ ईस्वी को पं० हृदयनाथ कुंजरू ने अपने वक्तव्य में कहा था :—

"It makes one shudder to think that from malabar to Travancore about ten million peoples have been in a state of semi-starvation."

अर्थात्, "यह विचार कर हृदय कांप जाता है कि मलबार् से ट्रवन्कोर तक के प्रदेशों में १,००,००,००० मनुष्य आधे भूले खाते हैं।

व्याधियों की वृद्धि

बड़े मनुष्य में रही हुई रोग-प्रतिकारक शक्ति का बहुत बड़ा क्षय हो जाता है। इससे बीमारियाँ जोर पकड़ती हैं और मनुष्य-जन्य में

ब्याधियों की वृद्धि

बड़ी वृद्धि हो जाती है। बंगाल और महाभार आदि प्रांतों में मलेरिया की भीषणता के साथ-साथ हैजा, मलेरिया आदि बीमारियों से भी हजारों ब्यक्तियों के प्राण लेना शुरू किया। बंगाल के बरहमपुर नामक छोटे इजार की बस्तीवाले कस्बे में, उस समय मलेरिया से १०० ब्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसी प्रकार बंगाल के फरीदपुर नामक नगर में वर्ष १९४३ ई० के जनवरी से सितम्बर मास तक के नौ महीनों में ३०,००० मनुष्य मलेरिया से मरे। चटगांव में ३,००० आदमी हैजा और मलेरिया के शिकार हुए। मोघालाही जिले में, जिसकी जन संख्या लगभग २१,००,००० है, २ साल मनुष्य उक्त बीमारी से काह के गाह में मरे गये! और अन्य २ साल इन्हीं बीमारियों से पीड़ित थे। फरीदपुर जिले में २ मास में २४९६०१ मनुष्य मलेरिया से पीड़ित हुए उनमें से ३०,०२७ आदमियों की मृत्यु हुई। बंगाल मुस्लिम कॉमिटी (Relief Committee) के तत्काहीन चौधरी मौज़्ज़म हुसेन M. L. C. ने अपने २१ दिसम्बर के पत्र में कहा था कि मुंशीगंज (जिला दाका), नील फररी (जिला रंगपुर) और कबड़ी (जिला मुरशिदाबाद) नामक नगरों में २०,००० मनुष्य भूख और मलेरिया के बन्धि चड़े। इन्हीं महोदय के बरीसाह ज़िला के बोखा नामक सब-डिविज़न में मलेरिया से मरने वालों की संख्या ४०,००० बतलाई है। इस संख्या का समर्थन कलकत्ता के तत्काहीन मेयर सैयद बद्रुज़्ज़ोहा (Syed Badruzzoha) ने भी किया था। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि मुंशीगंज के कबड़ी सब-डिविज़न की लगभग ४,००,००० की जन संख्या २०,००० मनुष्य मलेरिया और दूसरी बीमारियों के शिकार हुए।

शाबद उक्त महाशयों का कथन अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाय,। फिर हम बंगाल की सेना के तत्काहीन ऑफिसर कमांडिंग जनरल स्टुअर्ट के ४ दिसम्बर १९४३ के दिन ब्रॉडकास्ट किये हुए बयान का एक संत बड़ा उदाहरण करते हैं—

“That the reports you have seen in the newspapers of the numbers requiring medicinal treatment and clothing are not exaggerated. Malnutrition, coupled with advent of the cold weather and shortage of personal clothing and blankets, has made a large percentage of the poorer classes easy victim of malaria, cholera and pneumonia, which are rampant throughout a large number of districts. Quite recently I paid surprise visits to a number of out-of-the-way villages on the banks of Brahmaputra river and its tributaries. The distress in these villages was acute. The people had died and are still dying from the results of malnutrition & Malaria.”

अर्थात्, “समाचारपत्रों में आपने वैद्यकीय चिकित्सा और वस्त्र आदि देने वाले बहुसंख्यक लोगों की जो रिपोर्ट देखा है उनमें अतिशयोक्ति नहीं है। अपर्याप्त पोषण सर्द हवा और वस्त्र व कम्बल की कमी ने सहज ही बहुसंख्यक गरीब लोगों को मलेरिया, हैजा और न्यूमोनिया का शिकार बना दिया। कई जिलों में ये बीमारियां फैली हुई हैं। अभी-अभी मुख्य रास्तों से दूर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर बसे हुए गांवों का मैंने अकस्मात् दौरा किया, तो मुझे इन गांवों का कुछ बहुत ही उग्र मालूम पड़ा। लोग अपर्याप्त पोषण और मलेरिया से पहले मर चुके हैं और अब भी मर रहे हैं।

बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री जे. के. मित्र ने अपने एक वक्तव्य में कहा था:—“ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा नगर मृत्यु भरे हुए अर्धनग्न मनुष्यों की शिकारगाह बन रहा है। इस काम में

इतारों मनुष्य अन्न की तलाश में आये हुये हैं। मुफ़्तसल की स्थिति कलकत्ते से भी भयंकर है। लोग अत्यन्त गरीब होने के कारण अपने मृत प्रियजनों की दाह-क्रिया करने में भी अशर्मा हो रहे हैं। वे काले को नदियों और नालों में फेंक देते हैं। बंगाल के बहुत से सुन्दर जलो-सयं और नाले उन इतारों मनुष्यों के शवों से भर गये हैं, जो भूख और भूखजनित रोगों के शिकार हुए हैं। उन्हें कौवे और गीद खारहे हैं! बहुत से सुन्दर क्षेत्र खिन्न भिन्न और सड़ी हुई बाशों और मुर्दों की खोपड़ियों से भर गये हैं और अपना बीभत्स रूप प्रकट कर रहे हैं! मानवता के इतिहास में ऐसे करुणापूर्ण और हृदयद्रावक दृश्य क्वचित ही देखने को मिले होंगे।”

भूखे माता-पिता द्वारा बच्चों की बिक्री

इस विराल अकाल ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि माताएँ अपनी गोद के लाइले बच्चों को चन्द रुपयों में ही बेच देती थीं। कलकत्ते के प्रसिद्ध पत्र 'स्टेट्समैन' ने इस प्रकार की हृदयद्रावक घटनाओं के कई उदाहरण दिये थे। उसने लिखा था कि वर्धमान में एक स्त्री ने अपनी तीन माह की लड़की को ₹ २० में बेचने का निश्चय किया था। एक रास्ते चलते हुए आदमी को इस दृश्य पर दया आ और उसने कुछ रुपये देकर बच्ची की रक्षा की। 'युनाइटेड प्रेस' ने रिपोर्ट की थी कि तीन वर्ष से लगाकर तेरह वर्ष की लड़कियाँ सैकड़ों की में कैश्याओं के हाथ बेची जा रही थीं। इनका मूल्य एक से दो रुपये तक होता था। कई स्थानों पर ऐसे उदाहरण देखे गये कि केवल एक कद के भोजन के लिये स्त्रियाँ अपने सतीत्व को भ्रष्ट करने को तैयार हुईं। मिसेज़ रेड ने लिखा है कि पूर्वीय बंगाल के चांदपुर आदि स्थानों में भूखों मरती हुईं स्त्रियाँ अपने लाइले बच्चों को थोड़े से पैसों में बेचती हुईं देखी गईं थीं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिसेज़ रेड ने अपनी

मौखी से देखे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि बंगाल का यह अकाल इतना भीषण और हृदयद्रावक था कि इसकी तुलना संसार के बुरे से बुरे अकालों के साथ की जा सकती है।

इस अकाल का कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के बड़े-बड़े जिम्मेदार अधिकारियों की स्वार्थान्धता और घोर अभ्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त पूँजीपतियों की नीचतम स्वार्थ जिप्सा और जोभवृत्ति ने भी हजारों हजारों लोगों को इस निकृष्टतम अवस्था में पहुँचाने में सहायता की थी।

यह अकाल मनुष्यकृत था और उसकी जिम्मेदारी तत्कालीन बंगाल सरकार और स्वार्थान्ध पूँजीपतियों के सिर पर थी। बंगाल सरकार ने इस कार्य में अपराधजन्य उपेक्षा (Criminal negligence) की। महात्मा गाँधी ने पच्चीस जनवरी १९४२ के 'हरिजन' में सरकार की बैतावनी देते हुए लिखा था:—

"The greatest need of the immediate present is to feed the hungry and clothe the naked. There is already scarcity in the land both of food and clothing."

अर्थात्, "वर्तमान समय की सबसे बड़ी तात्कालिक आवश्यकता भूखों को खिलाना और नंगों को कपड़ा देना है। देश में इस समय भूख और बख दोनों की कमी है।"

बंगाल प्रांत सभा के सदस्य माननीय मि० बी० आर० सेन ने अपने वक्तव्य में कहा था, "इसी सन् १९४२ के अन्त में स्थिति बड़ी खराब हो गई थी, और खावक का भाव युद्ध के पहिले के समय से कम गुणों का बन गया था। इतनी भयानक स्थिति होने पर भी सरकार की धीरे न सुली।"

इस सारे काण्ड में सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों की केवल क्षाधरवाही न थी, वरन् उसकी स्वार्थान्विता ने भी स्थिति को बिगाड़ने में बड़ा काम किया था। बंगाल का अकाल ब्रिटिश शासन का एक कासा बनता था।

महात्मा गांधी का उपवास

गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी आगाखॉ पैलेस में रखे गये थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सती साध्वी कस्तूरबा और उनके पुत्रतुल्य शिष्य महादेव भाई देसाई थे। दोनों ही का वहां देहांत हो गया। इससे महात्माजी के हृदय को बड़ा आघात पहुँचा।

नवंबर-नदी में छः मास रहने के बाद महात्मा गांधी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बिनब्रिथगो को पत्र लिखने के बाद दस फरवरी १९४३ को इक्कीस दिन का उपवास करना आरम्भ किया। यह उनका चौदहवां उपवास था, जो उन्होंने अपनी ७६ वर्ष की अवस्था में आरम्भ किया था। इस उपवास की ख़बर यूरोप और अमेरिका के पत्रों में भी खूब हुई थी। सारे भारतवर्ष में चिन्ता की लहर बह गई थी। लोगों को सन्देह था कि इतनी वृद्धावस्था में महात्माजी की जीवन-नौका उपवास के इस संकट से पार हो सकेगी या नहीं। पर तत्कालीन भारत सरकार उस की मस न हुई। पर ईश्वर की कृपा से महात्माजी का यह उपवास ३ मार्च १९४३ को समाप्त हो गया। इसके बाद कई मास के मास गुजर गये, पर ब्रिटिश की न्यायबुद्धि जागृत

व हुई। लहदव संसार की सहानुभूति, इसमें सन्देह नहीं, भारतीय आकांक्षाओं के साथ थी। अमेरिका के समाचार पत्रों ने महारमाजी के आन्दोलन और भारतीय राजनैतिक आकांक्षाओं के प्रति पूर्ण सहानुभूति प्रकट करते हुए, भारत सम्बन्धी ब्रिटिश नीति के परिवर्तन पर बड़ा जोर दिया था। अमेरिका के तत्कालीन प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट के वैयक्तिक प्रतिनिधि मि० विखियम फिलिप्स भारतवर्ष आये और उन्होंने महारमाजी से जेल में भेंट करने की इच्छा प्रदर्शित की, पर भारत सरकार ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दी। मि० फिलिप्स ने रूजवेल्ट को भारत के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने भारत की तत्कालीन स्थिति के संबंध में अच्छा प्रकाश डाला। पर रूजवेल्ट महोदय अपने देश की कई समस्याओं में उलझे रहने के कारण भारत को कोई क्रियात्मक सहायता न दे सके। हां, चीन ने भारत के प्रति सहानुभूति का भाव दिखाया, पर उसकी निज की स्थिति बहुत कमजोर होने के कारण वह कुछ सहायता न कर सका। रूस ने जोरदार शब्दों में भारतीय राजनैतिक आकांक्षाओं के लिये आवाज उठाई, पर विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण वह भी किसी प्रकार की प्रत्यक्ष सहायता न कर सका। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय सहानुभूति से भारत को तत्कालीन प्रत्यक्ष लाभ न हो सका, पर इससे ब्रिटिश सरकार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य पड़ा। कहा जाता है कि शिमला की कॉन्फ्रेंस इसी अप्रत्यक्ष प्रभाव का फल था।

गांधीजी की बीमारी

ईस्वी सन् १९४४ के मई मास में गांधीजी भयंकर रूप से बीमार हुए। उनकी स्थिति बड़ी चिंताजनक हो गई, इससे भारत सरकार ने १ मई सन् १९४४ को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया।

उन्होंने जेल से छूटते ही यह घोषित किया कि ८ अगस्त १९४२ के कांग्रेस प्रस्ताव में भारत के लिए जो राष्ट्रीय मांग रखी गई थी, वह

जब तक कायम है। लंदन के न्यूज क्रॉनिकल के संवाददाता मि० जेन्स को मुलाकात देते हुए गांधीजी ने यह प्रकट किया कि एक प्रस्ताव के आधार पर वे ब्रिटिश सरकार से समझौते की बात करने के लिए तैयार हैं।

इसी बीच लॉर्ड बिनबिथगो के स्थान पर लार्ड होवल्ड भारत के वायसरॉय के पद पर अधिष्ठित हुये। प्रारम्भ में उन्होंने ने श्री कर्पू राव अन्नापना शुरू किया, जो उनके पूर्ववर्ती वायसरॉय ने अन्नापना था। उन्होंने १२ अगस्त १९४४ को गांधीजी को जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने यह प्रकट किया कि भारतीय स्वाधीनता के लिए केवल कांग्रेस और मुस्लिमलीग का समझौता ही पर्याप्त नहीं है, वरन् उसके सिवा अन्य पार्टियों का सर्वसम्मत समझौता भी आवश्यक है।



गांधी जिन्ना वार्तालाप के पूर्व की स्थिति

गांधी-जिन्ना वार्तालाप के विषय में लिखने के पहले यह आवश्यक है कि उस समय की परिस्थिति पर कुछ प्रकाश डाला जाय । इस वार्तालाप के समय कई मुस्लिम बहुमत प्रान्तों में जिन्ना साहब की स्थिति बिलकुल ढांवाडोल हो रही थी । पंजाब की यूनिशन पार्टी ने बहुत बुरी तरह से जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग को श्रौंचे मुँह गिराया था और पंजाब के मुसलमानों पर जिन्ना साहब का प्रभाव शून्यवत् हो रहा था । वहीं हाल बंगाल का था । बंगाल के मुसलमानों पर वहाँ के तत्कालीन मुस्लिम नेता श्री फज़लूलहक़ का सबसे अधिक प्रभाव था । ये मि० जिन्ना के विरोधी थे और यही कारण था कि उस समय पंजाब की तरह बंगाल में भी मि० जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग का प्रभाव नाम मात्र को शेष रह गया ।

भारत के उत्तर पश्चिम प्रान्त में ख़ाँ बन्धुओं की निःस्वार्थ सेवा ने वहाँ के मुसलमानों को मन्त्र-मुग्ध कर रखा था । उस प्रान्त में ख़ाँ बन्धुओं के जाज्वल्यमान् प्रकाश के आगे जिन्ना साहब की लीग बिलकुल किसाव और निष्प्रभ हो रही थी । ख़ाँ बन्धु सच्चे और कट्टर कांग्रेसवादी थे । उनका वहाँ के मुसलमानों पर अद्भुत् प्रभाव था । महात्माजी के सिद्धान्तों के द्वारा उन्होंने मुसलमानों को, वहाँ के पठानों को, अहिंसा-लक्षक नीति अपनाने में बड़ी सफलता प्राप्त की थी । यही कारण था कि एक प्रान्त “कांग्रेसी प्रान्त” हो गया था ।

ऐसे सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अगर कांग्रेस, लीग सरीखी घोर

साम्प्रदायिक संस्था को निःसत्व कर राष्ट्रीय मुसलमानों की शक्ति बढ़ा कर, एक राष्ट्रवादियों का सुदृढ़ संगठन करने में अपने प्रभाव का उपयोग करती तो आज देश के ये दुर्भाग्यपूर्ण टुकड़े न हुए होते और आज लाखों करोड़ों मनुष्यों को बेघरवार होकर इस प्रकार की भयानक अप-त्तियों का सामना न करना पड़ता। दुःख इस बात का है कि उप-समय भारत के एकराष्ट्रवादी जनो के संगठन का प्रयत्न और राष्ट्रीय मुसलमानों को उत्तेजना देकर, भारत की राष्ट्रीय शक्ति को एकता के सूत्र में सम्बद्ध करने के बजाय, हमारे देश के नेताओं ने मुस्लिम लीग जैसी घोर साम्प्रदायिक संस्था को जनतन्त्र के सिद्धान्त की अवहेलना कर सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया। देश के लिये यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और इसका कुफल आज सारा देश जिस प्रकार भुगत रहा है, वह प्रत्यक्ष है। हमें आश्चर्य होता है कि विशुद्ध जनतन्त्र के पोषक हमारे सन्मान्य और पूज्य नेताओं ने ऐसी गंभीर भूल कैसे की। हम यह स्वीकार करते हैं कि मुस्लिमों को उनके न्यायोचित अधिकार प्रदान करना प्रत्येक देशहितैषी का कर्तव्य है। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि जो नागरिक अधिकार इस देश में पैदा होनेवाले एक हिन्दू को प्राप्त हैं, वही एक मुसलमान को भी प्राप्त होने चाहिये, और दूसरे सभ्य और उन्नत देशों में विशुद्ध जनतन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार अल्पसंख्यकों (Minorities) विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वे वहाँ के मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को अवश्य दिये जाने चाहिये। पर तीन चौथाई संख्यावाले एक बहुमत समाज को शासन संगठन में अल्पमत में परिवर्तित कर एक चौथाई अल्पमत समाज को बहुमत में परिणत कर देना जनतन्त्र के महान् सिद्धान्त की बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण अवहेलना थी। स्वनामधन्य बाबू सुभाषचन्द्र बोस (नेताजी) तथा अन्य कई निर्भीक और देश भक्त महानुभावों ने इस नीति को देश के लिये और राष्ट्र के लिये आत्मघातक बतलाया था। वहाँ तक कि सन् १९४६ ई० में खेरड

काँग्रेस के अध्यक्ष श्री कृपलानी महोदय ने अपने समापति के भाषण में बड़े जोरदार शब्दों में कहा था:—

“The Congress must yield to the demands of the minorities, Muslims or any other, but not at the expense of the good of the nation. Such yielding in the past has largely been responsible for our present troubles. Also when facts are conflicting and confusing, it is best to fall back upon basic moral principles. Some compromise may be made only when there is no doubt about facts. The basic principles involved in the communal conflict are those of nationalism and democracy. Nationalism, historically, is a greater principle than communalism and democracy, higher than sectional domination. In whatever, therefore, we do, we must not allow the communal and undemocratic principles to triumph over nationalism and democracy. Viewed thus I have doubt that the Congress was wrong in accepting separate electorates which are anti-national and undemocratic. I believe much of our troubles could have been avoided had we boldly refused to accept the undemocratic and anti-national principle of separate electorates. The communal conflict has to day not only a serious but a vicious aspect. It is quite possible that to avoid immediate trouble we may

महात्मा गांधी का उपवास

accept principles that cut at the root of national-ity and democracy. If we do so, we shall not only be betraying the nation, but ultimately the Muslim and other communities. I hope our elders will guard themselves and the country against being coerced or cajoled into making any anti-national and undemocratic compromises in the future."

अर्थात्; "कांग्रेस को मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यकों को मान्य स्वीकार करनी चाहिये। पर यह कार्य राष्ट्र के हित के बलिदान पर नहीं होना चाहिये। भूतकाल में इस प्रकार की मांगों को स्वीकार करना ही बहुत कुछ वर्तमान विपत्तियों का कारण है। इसके अतिरिक्त जब तत्काल परस्पर विरोधी और व्याकुलतामय हों तब मौखिक नैतिक सिद्धान्तों को अपाचार बनाना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। हां, समझौता केवल मात्र स्वीकार करना चाहिये, जहाँ तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ सन्देह न हो। साम्प्रदायिक संघर्ष में हमें राष्ट्रीयता और जनतन्त्र के सिद्धान्तों से काम लेना चाहिये। ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रीयता की साम्प्रदायिकता की अपेक्षा महान् सिद्धान्त है और जनतन्त्र वर्गागत प्रमुख से महान् है। इस दृष्टि से विचार करने पर, मैं यह बात निःसन्देह कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने प्रथम निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करने में गलती की थी, जोकि अराष्ट्रीय और जनतन्त्र के सिद्धान्त का विरोधी है। मेरा विश्वास है कि हमारी बहुत सी आपत्तियाँ टल गईं होतीं, अगर हम प्रथम निर्वाचन जैसे अजनसन्नात्मक और अराष्ट्रीय तरज को स्वीकार करने से इनकार कर गये होते। वर्तमान साम्प्रदायिक संघर्ष ने न केवल गम्भीर रूप धारण कर लिया है वरन् उसने एक पापात्मक स्थिति प्राप्त कर ली है। यह निश्चय है कि कर्काशीन विपत्ति को टाकने के बिना हम

ऐसे सिद्धान्त को स्वीकार कर लें जो राष्ट्रीयता और जनतन्त्र की जड़ ही को काट देता हो। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम न केवल राष्ट्र के प्रति ही विश्वासघात करते हैं पर हम मुस्लिम और अन्ततः दूसरी जातियों को भी धोका देते हैं। मुझे आशा है कि हमारे बड़े लोग भविष्य में अराष्ट्रीय और अजनतन्त्रीय समझौता करने के फेर में न पड़ेंगे।”

दूसरी बात यह है कि जिस मुस्लिम लीग और उसके नेता श्री जिन्ना के साथ कांग्रेस ने समझौता करने की इतनी उत्सुकता प्रकट की, वे भारतीय स्वाधीनता के लिए इतने उत्सुक न थे। मुस्लिम लीग के जिन्ना अब पहले के राष्ट्रवादी जिन्ना न थे, जिन्होंने एक समय लोकमान्य तिलक को अपना सहयोग देकर स्वतन्त्र भारत के लिये अपनी आवाज बुलन्द की थी। जिन्ना साहब की पूर्वकी राष्ट्र प्रवृत्तियों के लिये देश को उनके प्रति बड़ा आदर था। वे राष्ट्र के कर्णधारों में से एक थे, पर पीछे जाकर, वैसा कि हम पहले कह चुके हैं, उनमें बड़ा परिवर्तन हो गया। दुःख की बात है कि एक राष्ट्रवादी नेता एक घोर सम्प्रदायवादो मुस्लिम लीग के नेता के रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने देश की आजादी के मार्ग में रोड़े भटकाने में कोई कसर न रखी। इतना ही नहीं, वे अपने इस काम में बाहर से भी प्रेरणा पाने लगे। यहां हम इस सम्बन्ध में एक रहस्य पर प्रकाश डालना चाहते हैं जो लूईस फीशर ने (Hindustan Standard) नामक पत्र में लेख लिखकर प्रकट किया था। इसी प्रकार लन्दन के “Daily Herald” में पार्लियामेंट के मेम्बर मि० माइकल फूट (Michal Foot) ने जो लेख लिखा था, उसका एक अंश यहां उद्धृत किया जाता है:—

“Winston Churchill remains the implacable enemy of India's independence. He has never dis-
garded his views. Many members of his party differed

with him on the question of Indian freedom, but Churchill's imperialistic policy dominates.

"Mohamed Ail Jinnah has not in recent years given any proof of a devotion to the cause of India's liberation from foreign rule. Nor has the Muslim League over which he presides. Landlords, who bulk large in the counsels of the League stand to loose by the establishment of a new India, which would certainly alter the present land tenure to the disadvantage of landlords, Muslims, as well as Hindus, and to the advantage of all peasants.

"What could be more natural, therefore, than that Churchill and Jinnah should have been in correspondence, in recent months, over the fate of India? They have quietly exchanged letters and messages. It was shortly after the receipt of one such secret commuincation from Churchill that the Muslim League reconsidered its acceptance of the British Cabinet Mission's long-term proposals and decided instead to boycott the coming Assembly which is to draw up a constitution for a new free India.

जर्नाल, विन्सटन चर्चिल भारतीय स्वाधीनता के घोर कट्टर रहे हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना अभिप्राय कभी नहीं छुपाया। उनके पक्ष के बहुत से सदस्य भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न पर उनसे मतभेद रखते हैं, पर चर्चिल की साम्राज्यवादी नीति ही की दोषवादी है।"

“मुहम्मद ज़ाही जिन्ना ने इन वर्षों में विदेशी शासन से भारत को मुक्त करने के उद्देश्य में किसी प्रकार का अनुराग नहीं दित्वाया। इसी प्रकार मुस्लिम लीग ने भी, जिसके वे अध्यक्ष हैं, इस सम्बन्ध में कोई अनुराग प्रकट नहीं किया। भू-स्वामी या जमींदारों की, जो कि मुस्लिम लीग में बहुतायत से हैं, नवभारत के निर्माण से, बहुत कुछ स्वार्थहानि होना सम्भव है। नवभारत निर्माण से मुसलमान और हिन्दू जमींदारों की वर्तमान भूमि भोगावधि में निश्चय पूर्वक परिवर्तन होगा, जो किसानों के लिये लाभदायक होगा।”

“अतएव इससे अधिक और क्या प्राकृतिक हो सकता है कि भारत के भाग्य निर्माण के सम्बन्ध में चर्चित और जिन्ना का पत्र व्यवहार रहा हो। उन्होंने चुपचाप पत्रों और सन्देशों का व्यवहार किया हो। चर्चित से इस प्रकार का एक गुप्त संदेश पाकर मुस्लिम लीग ने मित्रिष्ठ कैबिनेट मिशन के दीर्घ काखीन प्रस्ताव की अपनी स्वीकृति पर पुनर्विचार करने का निश्चय किया और यह तय किया कि भावी विधान सभा का, जो कि स्वतंत्र भारत का विधान बनाने के लिये बनाई जावगी, बहिष्कार किया जाय।”

कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग जैसी सम्प्रदायवादी और देश को पराधीन रखने का पक्ष्यन्त्र करने वाली एक संस्था से कांग्रेस का तथा उसके नेताओं का जनतन्त्र के पवित्र सिद्धान्त को ताक में रख कर समझौता करने के लिये खालाशित होना एक गम्भीरपक्ष भूख थी।

सन १९४४ ई० की १० जुलाई को मध्य प्रान्त के पंचगवी नामक हिंदू स्थान के दिखसुश मुकाम से महात्मा जी ने मि० जिन्ना को गुणगती पत्र में एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने श्री जिन्ना को भेंट के लिये अनुरोध किया और यह लिखा कि जहाँ आप चाहें वहाँ हम लोग मिर्छे। पत्र के जवाब में महात्मा जी ने लिखा कि आप मुझे भारतीय मुसलमानों और मुसलमान का हुरमन न समझें। मैं हमेशा आपका और मनुष्य जाति का

जिन्दा और सेवक रहा हूँ । आप मुझे निराश न करेंगे ।

जिन्दा महोदय ने २१ जुलाई १९४४ ई० को इस पत्र का जवाब महात्मा जी को दिया । इसमें उन्होंने महात्माजी को यह सूचित किया कि वे महात्मा जी से अगस्त मास के मध्य में बम्बई में अपनी कोठी पर मिल सकते हैं ।

मूलतः १६ अगस्त प्रथम मुखाकात के लिये मुक़र्रर हुई । पर जिन्दा महोदय की बीमारी के कारण , उक्त तारीख की मुखाकात स्थगित कर दी गई । अतएव ६ सितम्बर को प्रथम गांधी जिन्दा मुखाकात और २७ सितम्बर को आखिरी मुखाकात हुई । इस बीच में गांधीजी और जिन्दा साहब में १४ मुखाकातें हुईं । मगर इनका कोई फल नहीं हुआ । जहाँ जिन्दा साहब सम्बन्धता, संस्कृति, आचार विचार, धर्म, इतिहास और परम्परा की दृष्टि से हिन्दू और मुसलमानों को विभिन्न राष्ट्रों के रूप में स्वीकार करने पर अपना सारा जोर लगा रहे थे , वहाँ गांधीजी इस बात पर बड़ी हिचकाहट पैदा कर रहे थे और वे इस द्विराष्ट्र सिद्धान्त को देश के लिये बड़ा झतरनाक समझते थे । गांधीजी ने २२ सितम्बर १९४४ ई० जिन्दा साहब को जो पत्र लिखा उसका एक अंश यह है:—

“..... The more I think about the two nation's theory the more alarming it appears to be. The book recommended by you gives me no help. It contains half-truths and its conclusions or inferences are unwarranted. I am unable to accept the proposition that the Muslims of India are a nation distinct from the rest of the inhabitants of India. Mere assertion is no proof. The consequences of accepting such a proposition are dangerous in the extreme. Once the principle is admitted there

would be no limit to claims for cutting up India into numerous divisions which would spell India's ruin.....'

अर्थात् "जितना अधिक मैं द्वा राष्ट्र सिद्धान्त पर विचार करता हूँ उतना ही अधिक वह मुझे भयावह मालूम पड़ता है। आपने इस सम्बन्ध में, मुझसे जिस पुस्तक की सिफारिश की है, उससे मुझे कोई मदद नहीं मिल सकती। उसमें तो अर्द्ध-सत्य भरे हुए हैं और उसके नतीजे और अनुमान अनधिकृत हैं। मैं इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि भारतवर्ष के मुसलमान भारत के अवशेष निवासियों से एक भिन्न राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं। केवल दृढ़ वचन (Assertion) ही किसी बात का प्रमाण नहीं होता। इस प्रकार के तथ्य को अर्थात् द्वा राष्ट्र सिद्धान्त भी स्वीकार करना अत्यधिक भयावह है। अगर एक मर्तवा यह तत्व स्वीकार कर लिया गया तो भारतवर्ष के विभाजन के लिये अनगणित द.वे उपस्थित होंगे और उससे भारत का नाश हो जायगा।"

गांधीजी के इस पत्र का जितना ने बड़ा कड़ा और रूखा जवाब दिया और यह साफ संकेत किया कि अगर समझौता हो सकता है तो मुस्लिम लीग के सहैर अभिवेशन के प्रस्तावानुसार द्वि राष्ट्र के सिद्धान्त पर ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त जितना साहब ने कांग्रेस को सार्व-देशिक प्रतिनिधि संस्था मानने से भी इन्कार किया और कहा कि कांग्रेस केवल सवर्ण हिन्दुओं (Caste Hindus) की प्रतिनिधि सभा है न कि सारे हिन्दुस्तान की। जहाँ गांधीजी ने अपने पत्र-व्यवहार में अपनी स्वाभाविक नम्रता और विनयशीलता का परिचय दिया, वहाँ जितना साहब ने कड़े से कड़े शब्दों का उपयोग किया और गांधीजी के पत्रों में प्रकृत भावों को परस्पर विरोधी बतलाया।

गांधीजी ने अखिरी राजगोपालाचारी के फार्मूले पर, जिसका सर्व्व मान लिया गया है, सहमत होकर उसके आधार पर समझौता

करने के लिये जिन्ना साहब से अनुरोध किया पर उन्होंने गांधीजी के इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। आखीर गांधी जिन्ना का हाथ पकड़ा, जैसा कि दूरदर्शी राजनीतिज्ञों का अनुमान था, पूरी तरह से असफल हो गया। २८ सितम्बर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अपना वक्तव्य देते हुए, गांधीजी ने अपनी इस असफलता पर प्रकाश डाला। ४ अक्टूबर १९४४ को जिन्ना ने महात्माजी के वक्तव्य का कड़े शब्दों में विरोध किया। कहने का भाव यह है कि गांधीजी के बहुत अधिक मुक जाने पर भी जिन्ना साहब उस से मस न हुए और वे अपने विचार पर हिमालय की चट्टान की तरह अटल रहे।

राजाजी का फार्मूला

श्री राजगोपालाचार्य राष्ट्र के प्रधान कर्षधारों में से एक हैं। वे बड़े राजनीतिज्ञ और शासनगुरु हैं। गांधीवादियों में उनका उच्च स्थान रहा है, यद्यपि कभी कभी गांधीजी से उनका मतभेद भी रह चुका है। हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धी उनके फार्मूला का उल्लेख यथा अवसर हम करते आये हैं। अन्य महान् नेताओं की तरह उनके उद्देश्य पर आप्तेप न करते हुए, हमें यह कहने के लिए विवश होना पड़ता है कि देश हित के दूरवर्ती परिणामों को देखते हुए उनका यह फार्मूला देश के लिये हितकर नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने इस फार्मूला में एक प्रकार से देश के विभाजन को स्वीकार किया है। इस फार्मूला के सम्बन्ध में श्री राजगोपालाचार्य "Gandhi Jinnah Talks" ग्रन्थ की अपनी भूमिका में लिखते हैं।

"Since April 1942, I strove to find a just and acceptable solution which would bring the Muslim League and the Congress together and enable them jointly to assault the Imperialistic citadel. I have

worked hard without fear or favours. I have tried to understand the case of the Muslim and the case of the Congress and to be just to both parties. This claim may not be accepted either by the Muslim league leader or by the leaders of Hindu communalists. But I believe that impartial judges will see some justice in the claim."

"At one time I felt that the congress failed to see the reasonableness and the restraint of the Muslim claim and I fought hard and persistently to make the Congress and Mahatma Gandhi perceive what I felt was just in the demand of the League and whilst I was convinced must be conceded in order to make any progress in the struggle for Indian Independence. When in march 1943 Gandhiji accepted my proposal, I thought the battle was over. But then the position was reversed and it was Mr. Jinnah whose consent I could not get to the only possible settlement conceivable in the terms of the Muslim League demand."

अर्थात् "अप्रैल १९४२ ई० से मैं ऐसे न्यायपूर्ण और स्वीकार करने योग्य समाधान के लिये कोशिश कर रहा था जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को परस्पर मिखा दे जिससे कि वे दोनों मिखकर साम्राज्यवादी दुर्ग पर आक्रमण करने में समर्थ हो सकें। मैंने इसके लिये बिना किसी भय वा पक्षपात के परिश्रमपूर्वक कार्य किया। मैंने मुसलमानों और कांग्रेस के मसले समझने की और दोनों दलों के प्रति न्यायपरायण रहने

राजाजी का फार्मूला

की कोशिश की। मेरा यह दावा, मुस्लिम लीग के नेता वा हिन्दू साम्प्रदायवादिबो के नेता, चाहे स्वीकार न करें, पर मैं यह विश्वास करता हूँ कि निष्पक्ष न्यायकर्ता इस दावे में कुछ न्याय-तत्व देखेंगे।”

“एक समय मुझे वह भी मालूम होने लगा कि कांग्रेस, मुस्लिमों के दावे के औचित्य को समझने में असफल रही है और मैं कांग्रेस और महात्मा गांधी को लीग की मांग के औचित्य का विश्वास दिखाने के लिये निरन्तर कठोर संघर्ष करता रहा और इस बात का प्रथम करता रहा कि लीग की यह मांग, जिसके औचित्य में मुझे विश्वास था, भारतीय स्वाधीनता की प्रगति के लिये स्वीकृत कर ली जाय। जब मार्च १९४३ ई० में गांधी जी ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ली तो मैंने समझा खड़ाई खत्म हो चुकी। पर इसके बाद स्थिति बदल गई और मैं सि० जिन्ना की, इस संसद के सम्मेलन के लिये जो कि मुस्लिम लीग के मांग की दृष्टि से बहुत कुछ बुद्धिमत्त था, सम्मति प्राप्त न कर सका।”

उपरोक्त अवतरण से पाठकों को श्री राजगोपाखाचार्य की मनोवृत्ति का सहज ही में पता चल सकता है। इसी मनोवृत्ति को लेकर राजाजी ने भारत विभाजन का जो फार्मूला तैयार किया था वह निम्न लिखित है—

(१) आज़ाद हिन्दुस्थान के विधान के सम्बन्ध में नीचे लिखी बातों को ध्यान में रख मुस्लिम लीग भारतीय स्वतन्त्रता की मांग को स्वीकार करती है। वह बीच के समय फार्मूला के लिये अस्थायी सरकार के बनाने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी।

(२) युद्ध समाप्त होने पर एक कमीशन बिठाई जायेगी जो कि भारत के उन उत्तर-पश्चिम और पूरबी क्षेत्रों की सीमा बाँचेगी जिनमें मुसलमान आबादी बहुसंख्यक है। ऐसे सीमाबद्ध क्षेत्रों में, बाकिंग मताधिकार के आधार पर तमाम बसने वालों का मतसंग्रह किया जायेगा। अथवा इसी प्रकार का कोई और ढंग निर्यात आयोग जिससे हिन्दुस्तान से अलग प्रान्त

पूर्व 'स्टेट' कायम करने के प्रश्न पर मत जाना जा सके। अगर बहुमत चाहता है कि हिन्दुस्तान से अलग प्रभुत्व-पूर्ण 'स्टेट' कायम की जाय तब इस निर्णय को अमल में लाया जायेगा, लेकिन उस समय सीमान्त के ज़िलों को अधिकार रहेगा कि वे किस 'स्टेट' में शामिल होना चाहें, हो सकें।

(३) हर एक पार्टी को जन-मत संचय के पूर्व प्रचार करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

(४) अलम होते समय रक्षा, माण्ड्य और यातायात तथा दूसरे आवश्यक मामलों के सम्बन्ध में आपसी समझौता हो जायेगा।

(५) आबादी का स्थान-परिवर्तन पूर्ण स्वेच्छा पर निर्भर होगा।

(६) ऊपर बिली बातें तभी लागू होंगी जब कि ब्रिटेन भारत के शासन के लिये पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी दे दे।



मुस्लिम-राजनीति



जैसा कि हमारे इतिहास के पाठकों को ज्ञात होगा कि ईस्वी सन् १८५७ के राष्ट्रीय विद्रोह में हिन्दू और मुसलमान दोनों ने हिस्सा लिया था। उक्त विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार का ध्यान मुसलमानों को दमन करने में विशेष रहा था। ब्रिटिश की कूटनीति हमेशा यह रही थी कि हिन्दू-मुसलमानों में कभी हिन्दुओं को बढ़ावा दे देना और कभी मुसलमानों को। "फूट डालो और राज करो" यह उनकी नीति का प्रधान सूत्र रहा था। ईस्वी सन् १८५७ के बाद भारत के कुछ अहिंसकवादी व्यक्तियों में भारत की स्वतन्त्रता की भावना जागृत हुई थी। प्रारम्भ में वर्तमान मुस्लिम राजनीति के जनक और अहमद-मुस्लिम विचारधारा के उत्पादक सर सैय्यद अहमदने बंगाल के अहिंसकवादी और भारत की स्वतन्त्रता की भावना रखने वाले बंगाली राजनीतिकों की ही प्रेरणा की थी, उसके सम्बन्ध में मि० अहमद लिखित "मुसलमानों का जीवन-सुसुत्र-नाम" नामक ग्रन्थ का प्रथम प्रबन्ध श्री. एल. कुन्जी ने अपने "मुस्लिम पॉलीटिक्स" नामक ग्रन्थ में दिया है, जिसका अनुवाद यहाँ प्रस्तुत है।

"He thought that it was through them (Bengalis) that there was great improvement in education and spread of the ideas of patriotism and freedom in the country. He used to say that they were the head and crown of all the people of India and he felt pride for them."

अर्थात् उनके विचारानुसार बंगालियों ही के द्वारा देश में मित्र-प्रचार और स्वदेश-भक्ति और देश की स्वाधीनता के भावों का प्रचार हुआ। वह कहा करते थे कि बंगाली भारतवर्ष के लोगों के शिरोमणि हैं और वे उनके लिए अभिमान अनुभव करते थे।

सरसैय्यद अहमद के उन दिनों के भारतीय-राष्ट्र के सम्बन्ध में जो विचार थे, उक्त ग्रन्थ में उन पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है।

“The word nation is applicable to people who live in a country... Remember that the words Hindu and Musalman denote religious faith, otherwise, Hindus, Musalmans and even Christians, who live in this country, all constitute, on this account, one nation. Now the time is gone when only on account of difference in religion the people living in a country should be regarded as of two different nations” (Ahmed Tufail: Musalman Ka Roshan mustaqbal P. 283)

अर्थात् “राष्ट्र शब्द उन लोगों को लागू होता है जो देश में रहते हैं। बाद रखो हिन्दू और मुस्लिम शब्द धार्मिक विश्वास के सूचक हैं। जैसे हिन्दू मुसलमान और वहा तक कि ईसाई भी जो इस देश में रहते हैं, एक ही राष्ट्र को बनाते हैं। अब वह समझ चला गया अब एक ही देश में रहने लोग धर्मभेद के कारण दो अलग राष्ट्र कहनायें, (तुर्क और मुसलमानों का रोजन मुस्तकबल)।

आगे चलकर एक दूसरे अवसर पर सर सैय्यद अहमद ने फिर कहा था:—

In the word nation, I include both Hindus and

Mohamedans, because that is the only meaning I can attach to it. With me it is not worth considering what is their religious faith, because we do not see any thing of it. What we do see is that we inhabit the same land, are subject to the rule of the same governors, the fountains of benefit for all are the same and the pangs of famine also we suffer equally. These are the different grounds upon which I call both these races, which inhabit India by one word, i.e. Hindumeaning to say that they are inhabitants of Hindusthan." (Mehta and Patwardhan The Communal Triangle in India P.23)

अर्थात् मैं राष्ट्र शब्द में हिन्दू मुसलमान दोनों को शामिल करता हूँ मैं इसका केवल मात्र यही अर्थ समझता हूँ। मेरे किले इस बात का कोई मूल्य नहीं कि उनके धार्मिक विश्वास क्या हैं। हमें जो कुछ देखना है, वह यह है कि हम एक ही जमीन पर बसते हैं, एक ही प्रकार के शासकों के अधीन हैं, हमारे सब के हित का मूलस्रोत एक ही है और अकाल के समय हम सब एक सा ही कष्ट उठाते हैं। इन्हीं विभिन्न मुद्दों के ऊपर मैं इन दोनों जातियों को हिन्दू यानी हिन्दुस्थान के निवासी समझता हूँ।

सर सैय्यद अहमद ने, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, पारम्भ में हिन्दू मुस्लिमों को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करते हुए हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए गौहत्या का भी-निषेध किया था। उन्होंने एक अवसर पर कहा था :—

"Slaughtering cows for the purpose of annoying Hindus is the height of cantankerous folly. If fri-

endship may exist between us and them, that friendship is far to be preferred to the sacrifice of cows" (Cumming sir John: Political India P. 89)

अर्थात् "हिन्दुओं को ब्याधा पहुँचाने के लिए गौवध करना भयंकर है। अगर हम में और उनमें मित्रता रहे तो गौ बलिदान की अपेक्षा उस मित्रता को अधिक पसन्द करना चाहिए।"

सर सैय्यद अहमद के उक्त विचारों के उद्धरणों से पाठकों को उनके प्रारम्भिक विचारों का कुछ ज्ञान हुआ होगा।

पर पीछे जाकर ब्रिटिश की "भेद डालो और राज करो," (Divide and rule) की नीति ने काम किया और सर सैय्यद अहमद अपने विचार बदलने के लिये बाध्य हुए। मि० बेक नामक एक अग्रगण्य व्यक्ति ने सर सैय्यद के विचारों को बदलने में बड़ा काम किया। उसने उन्हें एक राष्ट्रीय मुसलमान से एक कट्टर मुसलमान में बदल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन सर सैय्यद अहमद ने एक इफ़ा जो यह सिखा था कि—

"No nation can get respect and honour so long as it does not attain equality with the ruling race and does not take part in the Government of its own land." (Ahmed Sir Syed: Tabzibul Akhlaq)

अर्थात् कोई राष्ट्र जब तक शासक जाति के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त न करवे और वह अपने देश के शासन में हिस्सा न ले सके, तब तक वह प्रतिष्ठा और आदर प्राप्त नहीं कर सकता, वही सर सैय्यद अहमद यह सोचने लगे कि ब्रिटिश के साथ रहने ही में मुसलमानों की मुक्ति निश्चर है। इतना ही नहीं, इसी सन १८८० में, लखनऊ में होने वाली

मुस्लिम शिक्षा-परिषद में आपने जो भाषण दिया उसमें भारतवर्ष के लिये निर्वाचन पद्धति का सख्त विरोध किया। आपने उस आन्दोलन का भी विरोध किया जो भारतवर्ष में सिविल सर्विस परीक्षा का केन्द्र स्थापित होने के लिये किया जा रहा था। आपका यह खयाल था कि भारतवर्ष में यह परीक्षा शुरू हो जाने से बहुत से निम्न श्रेणी के लोग इसमें घुस जायेंगे और यह बात भारत के लिये अहितकर होगी। कहने का मतलब यह है कि आधुनिक मुस्लिम मनोवृत्ति के जन्मदाता सर सैय्यद अहमद मि० बेक की प्रेरणा से पूरे २ प्रतिक्रियावादी बन गए। राष्ट्र के सामूहिक हित के बजाय केवल मात्र मुसलमानों का हित ही उनका अन्वेष्यबिन्दु बन गया। वे यहाँ तक कहने लगे कि भारतवर्ष जनतन्त्र शासनप्रणाली के लिये उपयुक्त नहीं है।

“The introduction of the democratic institutions was unsuited to India, because the people living in India do not belong to a single nation., (Tufail Ahmed: Musalmanon Ka Roshan Mustaqbel)

सर सैय्यद अहमद को अपने हाथ का खिलौना बना कर बेक (Beck) ने हिन्दू मुसलमानों में फूट डालने का जोरशोर से प्रयत्न शुरू कर दिया। उसने मुसलमानों को गलत सलत समझकर हिन्दुओं के विरुद्ध उनके दुस्प्रसन्न ब्रेना शुरू किया। उसने मुसलमानों के दिमाग में यह बात भरने की कोशिश कि हिन्दू बहुमत में हैं, इसलिये भारत का शासन हिन्दुओं का राज्य होगा और मुसलमानों के अधिकार उनके शासन में पैरो तले रोधे जायेंगे। हिन्दू राज में गौकशी बंद कर दी जायगी। इस तरह उसने लाखों मुसलमानों के हस्ताक्षरों से युक्त एक आवेदन पत्र ईस्वी सन १८६० में पार्लियामेन्ट को भेजा (Tufail Ahmed)

मि० बेक ने उचरीय भारत में एक संस्था कायम की जिसका नाम “Anglo-Oriental Defence Association of Upper In-

dia" था। खुद बेक इस संस्था का सेक्रेटरी बना। इस संस्था के उद्घाटन के समय उसने जो भाषण दिया, उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है।

"During the last few years two agitations are growing in the country; one is the Indian National Congress and the other is the movement against slaughter of cows. The first of these movement is against Englishmen and the second against the Muslims. The aim of the Congress is the transfer of political power from the hands of the British to some groups amongst the Hindus, weakening of the army and reduction in the cost of its maintenance. The Muslims can have no sympathy with such objects (Tufail Ahmed)

अर्थात् गल थोड़े से वर्षों देश में दो आन्दोलन चल रहे हैं। एक आन्दोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है और दूसरा गौबध के विरुद्ध है। इनमें पहला आन्दोलन अंग्रेजों के खिलाफ़ है और दूसरा मुस्लिम के खिलाफ़ है। कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश के हाथों से हिन्दुओं के कुछ हकों में राजसत्ता का हस्तान्तर करना, शासक जाति को कमजोर करना, लोगों को बन्धनादि देना और फौज का खर्चा घटा कर उसे कमजोर करना है। मुसलमानों की इन उद्देश्यों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है।

बेक ने हमेशा हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट डालकर अंग्रेजी राज्य को मज़बूत करने के विविध षड्यंत्र रचे। वह मुसलमानों में यह भांति उत्पन्न करने लगा कि हिन्दु मुस्लिम एकता के बजाय अंग्रेज मुस्लिम एकता मुसलमानों के हित के लिये ज्यादा श्रेयस्वर है। उसने अपने व्याख्यान में कहा था :—

"It is imperative for the Musalmans and the

British to unite with the object of fighting them and the introduction of democratic form of Government should be opposed as it is unsuited to this country. We must carry on propoganda for the spread of loyalty to the Government and Anglo-Muslim unity." (Tufail Ahmed)

अर्थात् " मुसलमानों और अंग्रेजों को उनसे (हिन्दुओं) लड़ने के लिये एक हो जाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त-भारत में जनतंत्र का भी विरोध होना चाहिये, क्योंकि वह इस देश के लिये अनुपयुक्त है । हमें सरकार के प्रति राजभक्ति का भाव फैलाने के लिये और अंग्रेज मुस्लिम एकता के लिये प्रचार-कार्य करना चाहिये । "

बेक ने मुसलमानों की ओर से इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सर्विस परीक्षा की व्यवस्था होने के खिलाफ भारतीय मुसलमानों की ओर से इंग्लैंड को एक आवेदन पत्र भेजा । ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे अपने फायदे की चीज समझ कर स्वीकार कर लिया । इस पर मुस्लिम रक्षक समिति ने (Mohamedan Defence Association) ने एक प्रस्ताव पास किया और इस कार्य के लिये ब्रिटिश अधिकारियोंको धन्यवाद दिया और प्रकट किया कि भारत में सिविल सर्विस परीक्षा का होना ब्रिटिश राज्य की हदता को हानि पहुंचाना है ।

कहने का अर्थ यह है कि—अलीगढ़ कॉलेज के मुस्लिम राजनितिज्ञ राष्ट्र के हित-शत्रुओं के हाथों में खेले और उन्होंने अपने देश और जाति की सामूहिक हित कामना के बजाय जातिगत पुद्ग स्वार्थों को अधिक महत्व देकर राष्ट्र में फूट के बीज बोये । वे बेक के हाथ के सहज ही में लिये गए गये । बेक ने अंग्रेज जाति के हित के लिये इस की एकता को तोड़ने का भीषण पक्यंत्र किया । ईसवी सन् १८६५ में इंग्लैंड में व्यापार देरी हुए उठाने कहा था:—

While Anglo-Muslim unity was possible, Hindu Muslim unity was impossible."

अर्थात् अंग्रेज-मुस्लिम एकता सम्भव है पर हिन्दू-मुस्लिम एकता असम्भव है, (Tufail Ahmed)

ईस्वी सन् १८६८ में आधुनिक मुस्लिम मनोवृत्तियों के जनक सर सैय्यद अहमद का शरीरान्त हो गया। सर सैय्यद अहमद ने राष्ट्रीय एकता के बजाय केवल मात्र मुस्लिम स्वर्थों का पक्ष समर्थन कर संकीर्ण साम्प्रदायिक भावना को जन्म दिया। उन्होंने मुसलमानों से यह कहा कि पहले तुम मुसलमान हो और तुम्हें अपने संगठन पर सबसे अधिक जोर देना चाहिए। सर सैय्यद अहमद की मृत्यु के दूसरे ही साल ईस्वी सन् १८६९ में बेक का भी देहान्त हो गया। उसकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड के पत्र ने उसको श्रद्धांजली अर्पण करते हुए लिखा था:—

"An English man, who was engaged in building up the Empire in a far off land and died like a soldier doing his duty."

अर्थात् (मि०बेक) एक पंजा अंग्रेज था जिसने सुदूरवर्ती भूभाग पर साम्राज्य संगठन करने का कार्य किया और वह एक सिपाही की तरह अपना कर्त्तव्य करते हुए मरा।

उपरोक्त विवरण से पाठकों को सर सैय्यद अहमद और बेक की प्रवृत्तियों का ज्ञान हुआ होगा। इन्हीं प्रवृत्तियों के वातावरण में सर सैय्यद अहमद द्वारा अलीगढ़ कॉलेज की नींव डाली गई और उसका लक्ष्यबिन्दु विशाल राष्ट्रीय भावना रखने के बजाय संकीर्ण जातीयता का संगठन था।

लार्डबिन्दो की कूटनीति

मुम्बयार् अफ्रीकामवासी नेता स्वामी भवानी दयालजी ने हा०

सूर्यदेव शर्मा और श्री श्रीकारनाथ दिनकर लिखित "फकिस्तान" नामक ग्रन्थ पर एक तथ्यपूर्ण भूमिका लिखि है, उसमें उन्होंने भूतपूर्व वाइस-रॉय लार्ड मिन्टो की उस कूटनीति पर प्रकाश डाला है, जो हिन्दू और मुसलमानों को जुदा करने के बिये खेळी गई थी। स्वामी जी की सर अली इमाम के साथ ईस्वी सन् १९३१ में जो बातचीत हुई थी, उस पर प्रकाश डालते हुए श्री स्वामी जी ने अपनी उक्त भूमिका में लिखा है " सन् १९३१ में जब मैं प्रत्यागत प्रवासियों के संबन्ध में भारत का दौरा करते हुए पटना गया था तो वहां स्वर्गीय सर अली इमाम के सभापतित्व में मेरा व्याख्यान हुआ था,। उस समय सर अली इमाम लण्डन की मौजूदगी में जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके घर पर मुलाकात होने पर उन्होंने " सर्चलाईट " के सम्पादक श्री मुरखी मनोहर प्रसाद की मौजूदगी में मुझ से जो कुछ कहा था उससे लॉर्ड मिन्टो की कूट नीति पर काफी प्रकाश पड़ता है" ।

"मेरे वह पूजने पर कि वे कब विधायक के बिये रवाना हो रहे हैं, जवाब मिळ कि " मुझसे मुल्क और कौम के साथ मूळ से एक गुनाह हो गया है, उसी के प्रायश्चित के बिये मैं राउन्ड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ" ।

" गुनाह ? कैसा गुनाह ?" मैंने आश्चर्य से पूछा। उत्तर में सर अली इमाम ने जो कहानी सुनाई, वह उन्ही की जवानी सुनिये: "लॉर्ड मिन्टो ने सर ब्रायल्लॉ बोरह के साथ मुझे भी तार देकर कलकत्ता बुलाया गया था और मुल्क की मौजूदा हालत की तस्वीर खींच कर हमें यह समझाया कि हिन्दुओं की राष्ट्रीयता अंग्रेजों के बिये उतनी खतरनाक नहीं है, जितनी कि मुसलमानों के बिये। यदि हिन्दुओं की राष्ट्रीय तन्मत्ता पूरी हो गई तो अंग्रेज तो अपना बोरिया बांध कर इंग्लैंड चले जायेंगे, पर मुसलमान कहाँ जायेंगे ? उनके तो इर हालत में नहीं रहना होगा। इसलिये ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों के बिये फिक्र ही रही है। अगर जल्दी कोई

उपाय न हुआ तो मुसलमानों की खैर नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत के बाद इस देश पर लोकतंत्र के अनुसार हिन्दुओं के बहुमत की सरकार बनेगी और मुल्क की हुकूमत में अल्पमत मुसलमानों का कोई हक और अधिकार न होगा। उनको पुरत-दर पुरत के लिये हिन्दुओं की गुलामी करनी पड़ेगी और उनकी ठोकरें खानी पड़ेंगी। इस सुझाव से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि मुसलमान हिन्दुओं से अलग-अलग एक राष्ट्र (कौम) होने का दावा करें और इस हेतु से लेगिस्लेटिव कौंसिल में मुसलमानों के लिये अलग मत देने और चुनाव करने की मांग पेश करें। इससे उनकी सिवासी हकीमत हमेशा के लिये बकरार रहेगी। अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं है। मुसलमान नेता एक डेपुटेशन लेकर मेरे पास आवें और मेरे कथनानुसार मांग पेश करें। बाकी सब काम मैं बना लूंगा।”

लार्ड मिन्टो के प्राइवेट सेक्रेटरी कर्नल डल्लोप स्मिथ और अलीगढ़ कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपाल मि० आर्चिबाल्ड ने गुप्त मंत्रणा कर इस पद्धति की सृष्टि की थी।

ईस्वी सन् १९०६ के १० अगस्त को प्रिन्सिपाल आर्चिबाल्ड ने अलीगढ़ कॉलेज के तत्कालीन सेक्रेटरी नवाब मोहसिन उल्ल-मुल्क को इस सम्बन्ध में जो चिट्ठी लिखी थी, उसका कुछ अंश यहां उद्धृत किया जाता है:—

“Col. Dunlop Smith Private Secretary to the viceroy, has written to me that the viceroy is agreeable to receive a deputation of Muslims and has advised me to send a formal letter requesting a permission to wait on the Viceroy. In this connection I shall like to make a few suggestions.

The first point is the sending of the petition.

I think that it will be enough if it is signed by some Muslim leaders.

The second point is who should be the members of the deputation. They should consist of the representatives of all the provinces.

The third point to be considered is the text of address. I would suggest here that we begin with a solemn expression of loyalty. We should offer thanks to the Government for its decision to take a step in the direction of self-government and open the door to offices for Indians. But our apprehension should be expressed that the principle of election, if introduced, would prove injurious to the interest of the Muslim minority. It should respectfully be suggested that the system of nomination or representation by religion be introduced. But in all these matters I must remain in the background, and this move should come from you. You know how anxious I am for the good of the Muslims and I would, therefore, render all help with the greatest pleasure. I can prepare for you the draft of the address. If it is prepared in Bombay I can go through it as you are away. I know how to phrase these things in proper language. But Nawab sahib, please remember that if we want to take any great and powerful action in the short time at our

disposal we must act quickly." (Tufail Ahmed)

"अर्थात् काइसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी कर्नल डनलप स्मिथ ने मुझे लिखा है कि काइसरॉय मुसलमानों के डेपुटेशन का स्वागत करने के लिये मंजूर है। और उन्होंने मुझे इस के लिये इजाजत लेने के लिये एक औपचारिक पत्र लिखने की सलाह दी है। मैं इस सम्बन्ध में आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

पहला सुझाव आवेदन पत्र भेजने के संबंध में है। मेरी राय में इस आवेदन पत्र पर कुछ मुस्लिम नेताओं के हस्ताक्षर होना काफी है।

दूसरा सुझाव यह है कि इस डेपुटेशन में कौन सदस्य होने चाहिए। सब प्रान्तों के प्रतिनिधियों का यह डेपुटेशन बनना चाहिए।

तीसरा सुझाव अभिनन्दन पत्र के मजमून के संबंध में था। इसके संबंध में मेरा सुझाव यह है कि हमें इसे राज्य-भक्ति के पवित्र उद्गारों के साथ शुरू करना चाहिए। हमें सरकार को स्वराज्य की ओर कदम उठाने के लिये तथा भारतवासियों के लिये पदों के द्वार खोल देने के लिये धन्यवाद देना चाहिए। हमें यह भी भय प्रकट कर देना चाहिए कि अगर निर्वाचन का तत्व स्वीकार कर लिया गया तो वह मुस्लिम अल्प संख्यक जाति के लिये हानिकारक होगा। हमें आदर के साथ उसमें यह सुझाव रखना चाहिए कि मनोनीत करने की पद्धति और धर्मानुसार प्रतिनिधित्व ही हितकर है।

इन सब बातों के पेश करने के लिये मुझे अप्रकट रूप से पीछे रहना चाहिए और यह सब प्रस्ताव प्रस्ताव द्वारा सामने लाये जाने चाहिए। आप जानते हैं मैं मुसलमानों की भलाई के लिये कितना चिन्तित हूँ और उन्हें मदद करने में मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। मैं आपके लिये एक अभिनन्दन पत्र का मसविदा भी तैयार कर सकता हूँ। मैं योग्य भाषा में विषय को जमाना जानता हूँ। नवाब साहब, आप कृपा कर वह स्मरण रखिये

कि अगर हम थोड़े समय में वही और शक्तिशाली कार्यवाही करना चाहते हैं तो हमें फ़टपट कर्मक्षेत्र में जुट जाना चाहिए ।” यह आवेदनपत्र तैयार किया गया और ईस्वी सन् १९०६ की पहली अक्टूबर को हिज हार्नेस आगाखां के नेतृत्व में लोर्ड मिन्टो से मुसलमानों का एक डेपुटेशन मिला । मौलाना मोहम्मद अली ने ईस्वी सन् १९२३ की कोकोनन्दा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के नाते से जो भाषण दिया था, उसमें इस डेपुटेशन की कार्यवाही को Command performance कहा था । इस डेपुटेशन के स्वागत के संबंध में लोर्ड मिन्टो ने अपनी डायरी में जो कुछ लिखा है उसका एक अंश नीचे उद्धृत किया जाता है:—

The Mohamedan population, which numbers 62 millions, who have always been intensely loyal, resent not having proper representation and consider themselves slighted in many ways; preference having been given to the Hindus. The agitators have been most anxious to foster this feeling and have naturally done their utmost to secure the co-operation of this vast community. The younger generation were wavering, inclined to throw in their lot with advanced agitators of the Congress... The Mohamedans decided before taking action, that they would bring an address before the Viceroy, mentioning their grievances. The meeting was fixed for today and about to delegates from all parts of India have arrived. The ceremony took place this morning in the Ball room. The girls and I went in by a side door to hear the

proceedings while Minto advanced up to the room and took his seat on the dais. The Agha Khan was selected to read the very long but excellent address stating all their grievances and aspirations. Minto then read his answer..... "You need not ask my pardon for telling me that representative institutions of the European type are entirely new to the people of India I should be very far from welcoming all the political machinery of the western world among the hereditary traditions and instincts of Eastern races ... The pith of your address, as I understand it, is a claim that any system of representation, whether it affects a Municipality, a District Board or Legislative Council, in which it is proposed to introduce or increase an electoral organisation, the Mohamedan community should be represented as a Community. You point out that in many cases electoral bodies, as now constituted, cannot be expected to return a Mohamedan candidate, and that if by chance they did so, it could only be at the sacrifice of such candidate's views to those of a majority, opposed to his own community, whom he would in no way represent and you justly claim that your position should be estimated not merely on your numerical strength,

but in respect to the political importance of your community and the service it has tendered to the Empire, I am entirely in accord with you."

यह बड़ा ही घटनापूर्ण दिवस था, जैसा कि कुछ लोगों ने मुझ से कहा कि भारतीय इतिहास का यह युग परिवर्तनकारी दिन था। भारतवर्ष के सब वर्गों और धर्मों के लोगों में जैसी अशान्ति और असंतोष छा रहा है, उससे हम सब लोग परिचित हैं। मुसलमानों, जिनकी आबादी लगभग छः करोड़ बीस लाख है और जो हमेशा बहुत ही राज्यभक्त रहे हैं, इस बात पर क्रोध प्रकट करते हैं कि उन्हें योग्य प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उनका कई तरह से निरादर किया गया। हिन्दुओं के प्रति अधिक अन्याय दिखलाया गया। आन्दोलनकर्ताओं ने बहुत ही चिन्ता के साथ इस भावना को उत्तेजित किया है और उन्होंने इस विशाल जाति का सहयोग प्राप्त करने के लिये स्वाभाविक रूप से भरसक प्रयत्न किया है। मुस्लिमों की नक्युवक पीढ़ी साधारणतया हिचक रही थी। वह कांग्रेस के प्रगतिशील आन्दोलनकर्ताओं के साथ अपना किस्मत लगा देना चाहती थी। मुसलमानों ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के पहले यह निश्चय किया कि वे बाइसरायों की सेवा में अभिनन्दन पत्र भेंट करेंगे, जिसमें कि उनके कर्तव्य का उल्लेख होगा। उनकी मीटिंग आज के लिये मुक़र्रर है और सारे भारतवर्ष के प्रान्तों से उनके लगभग ७० प्रतिनिधि यहाँ पहुँच गये हैं। उनका उत्सव आज सुबह नाचघर (Ball Room) में हुआ है। लड़कियाँ और मैं बाजू के दरवाजों से कार्यवाही की सुनने के लिये गईं, जहाँ मिन्टो उच्चासन (Dais) पर बैठे हुए थे। आगाखाँ उस बहुत बड़े और उत्कृष्ट अभिनन्दन को, जिसमें उनके कपटों और आर्म्बराओं उल्लेख था, पढ़ने के लिये चुने गए। मिन्टो ने इसके बाद अपना उत्तर पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा—

“आपने जो मुझ से यह कहा कि भारतवर्ष के लोगों के लिये यूरोप के

ङंग की प्रतिनिधि संस्थाओं बिलकुल नहीं हैं। इसके लिये आपको मुझसे
 चर्चा माँगने की आवश्यकता नहीं। मैं पूर्वीय देशों के व्यक्तियों की परम्प-
 रा और स्वाभाविक वृत्ति को देखते हुए उनमें पाश्चात्य देशों का राजनैतिक
 तंत्र प्रचलन करने की भावना का स्वागत नहीं कर सकता। आपके अभि-
 नन्दन पत्र का सारभूत तत्व, जैसा कि मैं समझा हूँ, यह है कि आप दावा
 करते हैं कि प्रतिनिधित्व की क़िली भी प्रख्याली में, चाहे वह म्यूनिचिपैलिटी,
 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या धारासभा से संबंध रखती हो, जाति की दृष्टि
 से मुसलमानों का योग्य प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आपने यह निर्देश
 किया है कि निर्वाचित संस्थाओं में, जैसाकि वर्तमानों का उनका संगठन है,
 मुसलमान उम्मेदवारों के निर्वाचित होकर आने की उम्मीद नहीं है।
 अगर अवसरवश इस प्रकार का कोई उम्मीदवार चुनकर भी आजावे तो
 उसे बहु संख्यकों के प्रति अपने मत का बख़िदान करना पड़ेगा, जो कि
 उसकी कौम के खिलाफ़ होगा। इस तरह वह उम्मीदवार अपनी कौम का
 प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। आपने अभी जो यह दावा किया है कि
 आपकी स्थिति की गणना आपके संख्या-बल पर नहीं लगाना चाहिए, पर
 आपकी कौम के महत्व और उसने साम्राज्य की जो सेवा की है उस पर
 लगाना चाहिए। मैं आपके मत से पूर्णतया सहमत हूँ।" जेडीमिन्टो ने
 अपनी डाबरी में एक ब्रिटिश अफसर के उस पत्र का उल्लेख किया है जो
 उनके पति लॉर्ड मिन्टो को उसी दिन मिला था। इस पत्र में
 लिखा था:—

I must send your Excellency a line to say
 that a very big thing has happened today. A work
 of statesmanship that will affect India and Indian
 history for many a long year. It is nothing less
 than the pulling back of 62 millions of people
 from joining the ranks of the seditious opposition.

(Lady Mintc's Diary).

मैं आप श्रीमान् को यह लिखता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी बर्बादी हुई है। यह एक ऐसी राजनितिज्ञता का काम है, जो बहुत वर्षों तक भारत-वर्ष और भारतवर्ष के इतिहास को प्रभावित करेगा। इस कार्य से राजनि-द्रोहियों की विरोधी कक्षा से छः करोड़ बीस लाख मनुष्यों को हमने बाहर अपनी घोर खींच लिया है।

इंग्लैण्ड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मि० रेमजे मेकडॉनल्ड ने अपने "The Awakening of India नामक ग्रन्थ में लिखा है:—

"The Mohamedan leaders are inspired by certain Anglo-Indian officials and, these officials have pulled wires at Simla and in London and of malice afore-thought sowed discord between Hindu and Mohamedan communities" (The Awakening of India).

अर्थात् इन मुसलमान नेताओं को पंग्लो इण्डियन अफसरों के द्वारा प्रेरणा मिली थी और इन अफसरों ने शिमला और लंदन से पक्षपात का जादू रचा था और उन्होंने बड़ी दुर्भावना से हिन्दू और मुसलमानों में फूट के बीज बोए।

इसके परिणाम स्वरूप कुछ मुस्लिम नेता संकीर्ण जातीयता के पुद्ग भावों के सहज ही बहिदान पड़ गये। मुस्लिम नेताओं की संकीर्ण भावनाओं का ब्रिटिश कूट नीति ने पूरा पूरा फायदा उठाने का प्रयत्न किया। इसी संकीर्णता के परिणाम स्वरूप ईस्वी सन् १९०६ में काँग्रेस से पृथक् मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके उद्देश्य को श्री हुमायूँ कबीर ने अपनी पुस्तक "Muslim Politics" के पृष्ठ २ पर बड़े सुन्दर शब्दों में वर्णन किया है। वे लिखते हैं:—

“Founded in 1906 A. D. by a group of well-to-do and aristocratic Musalmans, it was intended to keep the Muslim intelligensia and middle classes away from the dangerous politics into which the Indian National congress was just then embarking. It raised the cry of special Muslim interests and pleaded that these could not be safeguarded except by co-operation with the British.”

अर्थात् “घनी और उच्चवर्ग के मुसलमानों के एक दल द्वारा सन् १९०६ में स्थापित की गई मुस्लिम लीग का उद्देश्य यह था कि पढ़े लिखे और मध्यमवर्ग के मुसलमानों को उस खतरनाक राजनीति से दूर रखना जाय, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय प्रवेश कर रही थी। उसने विशेष मुस्लिम हितों की रक्षा की आवाज़ उठाई और कहा कि ब्रिटिश के साथ सहयोग किये बिना मुस्लिम अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती”।

ईश्री सन् १९२३ में अंजुमन इस्लामियां, डेरा ग़ाज़ीख़ान के प्रभाव सरदार मोहम्मद खां गुल ने सीमा प्रान्तीय जांच कमेटी के सामने साक्षी होते हुए कहा था:—“इनके (मुसलमानों के) विचार में हिन्दू मुस्लिम एकल वास्तविक रूप में कभी नहीं हो सकती। इसका कभी घटित होना सम्भव ही नहीं। हम समझते हैं कि सीमाप्रान्त पृथक् ही रहना चाहिए। बड़ अंग्रेज़ी राज्य और इस्लाम के बीच की कड़ी रहनी चाहिए। यदि आप वास्तव में मुझ से पूछें कि आपकी सम्मति क्या है तो मैं अंजुमन के सदस्य के नाते कहूंगा कि हम लोग हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग-अलग ही देखना चाहेंगे। तेईस करोड़ हिन्दू लोग दक्षिण में रहें और आठ करोड़ मुसलमान उत्तर में रहें। कन्याकुमारी अन्तरीप से लेकर आगरे तक का सारा भाग हिन्दुओं को दे दिया जाय और आगरे से पेशावर तक का सब भाग मुसलमानों को दे दिया जाय। कहने का अभिप्राय यह है कि हिन्दू मुसलमान अपने-अपने

स्थान परिवर्तन करलें। वे एक देश को छोड़कर दूसरे स्थान में जा बसैं।

उन्होंने का मतलब यह है कि ब्रिटिश कूटनीति और साम्प्रदायिकता मुस्लिम नेताओं की संकीर्ण भावना और स्वार्थी भावना ने देश की एकता को तोड़ने का निकृष्टतम कार्य किया, जिसका कुफल आज कगोदों भारत-कासी भुगत रहे हैं।

मुस्लिम राज्यसंघ की कल्पना

ऊपर की पंक्तियों में भारत की एकता को तोड़कर उसे निर्बल बनाने की ब्रिटिश कूटनीति पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। ब्रिटिश कूटनीति के साथ २ इस कार्य में उन मुस्लिम नेताओं की इस भावना ने भी सहायता पहुँचाई है, जो एशिया में एक सुविशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे।

मि० सैय्यद जमालुद्दीन ने, जिनकी मृत्यु सन् १८६० में हुई थी, मुस्लिम विश्व-संघ (PanIslamism) की योजना बनाई थी, जिसके अनुसार कासीका के पश्चिमी तट पर स्थित मास्को देश से लेकर एशिया के पूर्वी हीम समूह और हिन्द-चीन तक समस्त मुस्लिम राज्यों के संगठन का प्रयत्न किया गया था, जिसके अनुरूप ही आगे चलकर सुप्रसिद्ध कवि डा० मोहम्मद इक़बाल ने लिखा था:—

“चीनों काय हमारा, हिन्दोस्तां हमारा।

मुस्लिम हैं हम, बतन है सारा जहाँ हमारा” ॥

ईस्वी सन् १९३० को इलाहाबाद में होने वाले मुस्लिम लीग के अधिवेशन के प्रचारक पद से भाषण देते हुए उन्होंने कहा था:—

Personally I would go further than the demand embodied in it (The resolution of the all parties

Muslim conference, Delhi, 1928). I would like to see the Punjab, North west Frontier Province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single state. Self-Government within the British Empire or without the British Empire, the formation of consolidated North-west Indian Muslim State appears to me to be the final destiny of the Muslims at least of the North west India."

“ अर्थात् व्यक्तिगत रूप से मैं सर्व दल मुस्लिम कॉन्फेन्स दिल्ली के सन् १९२८ के प्रस्ताव में की गई मांगों से आगे बढ़ जाना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है कि पंजाब, सीमाप्रान्त, सिन्ध, बलोचिस्तान को एक राज्य में संगठित देखूँ । हमारा यह स्वराज्य चाहे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हो, चाहे उसके बाहर, पर उत्तरी-पश्चिमी भारतीय संगठित मुस्लिम राज्य मेरे लिये मुसलमानों का अन्तिम ध्येय है । यदि सबका नहीं तो उत्तर पश्चिमी भारत के मुसलमानों का तो है ही ” ।

पाकिस्तान की उत्पत्ति

अंग्रेजी के सुप्रख्यात विश्व कोष में पाकिस्तान पर एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है, जिससे मालूम होता है कि पाकिस्तान की आदि कल्पना का जन्म एक पंजाबी मुसलमान रहमतअली के मस्तिष्क से हुआ था । मि० रहमतअली के मित्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे । कहा जाता है कि पाकिस्तान में वे अफगानिस्तान, काश्मीर, सिन्ध और बलोचिस्तान को शामिल करना चाहते थे । पीछे जाकर उनकी इस कल्पना में परिवर्तन हुआ और पाकिस्तान का अर्थ पवित्र भूमि से लगाया जाने लगा ।

२८ जनवरी १९२३ ईस्वी को चौधरी रहमतअली ने “Now or Never” (अभी या कभी नहीं) नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की

जिसमें सबसे प्रथम पाकिस्तान की योजना का प्रतिपादन किया गया। उसी पहले ही पुस्तक में मुसलमानों को एक पृथक् राष्ट्र (Nation) कहा गया और जैसा कि हम पूर्व में लिख आये हैं, भारत के उत्तरी-पश्चिमी भागों की सिखाकर पाकिस्तान बनाने का यह आयोजन किया गया। इस पुस्तक का ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों और अन्य अधिकारियों में बहुत प्रचार किया गया। इस प्रचार और प्रोपेगैंडहा के लिये एक साधारण विचारार्थ इहमत्तखली के पास जन कहां से आता था, इस विषय पर डॉ. शौकत-उल्लाह अन्सारी ने अपनी पुस्तक "Pakistan" के पृष्ठ १३३ पर लिखा है।

At that time it was generally believed among Indian students at Cambridge that Ch. Rahamat Ali who was not pursuing any specific course of studies and had no ostensible means of support, but at the same time had ample funds for his somewhat luxurious entertainments of celebrities and propagandist activities, derived his inspiration and funds from the India office. This seems to be confirmed by the fact that although in India no one had heard or talked of Pakistan and the Muslim delegation (to the Round Table conference) showed no interest in it, yet the Diehard Press and the Churchill Lloyd Group raised eloquent and.....questions were asked in the Houses at parliament on several occasions "

इसका "उस समय कैम्ब्रिज के भारतीय विद्यार्थियों का समझना यह था कि चौधरी इहमत्तखली को, जो कि न तो कोई विशेष कार्य

कर रहे थे और न जिनके पास अपने व्यय चलाने के लिये स्पष्ट साधन थे, लेकिन फिर भी जो प्रोपैगेंडा और मजेदार दावतों आदि में खूब रुचि उठाते थे, इन सब बातों के लिये प्रेरणा और धन (कल्पन) के भारतीय कार्यालय से मिलता था। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है की यद्यपि तब तक भारत में पाकिस्तान का नाम न ही किसी ने सुना था और न कोई उसकी चर्चा थी और न गोलमेन काँग्रेस के मुखिम प्रतिनिधियों ने उसके प्रति कोई रुचि दिखाई थी, तो भी इङ्ग्लैण्ड का चर्चित खान अब दख और कट्टर पंथी प्रेस उसका बड़ा चढ़ा कर बर्णन कर रहे थे और पार्लियामेन्ट की दोनों सभाओं में उस पर अनेक बार प्रश्न किये गये थे।”

कृष् भी हो, पाकिस्तान की योजना ने जोर पकड़ा और हमारे कांग्रेस के नेताओं की कमजोरी और मुस्लिम संतुष्टिकरक नीति के कारण वह योजना दिन का दिन बलवती होती गई और अंत में फलरूप में प्रकट होकर उसने देश पर जो महान् विपत्ति डलाई उसका उदाहरण संसार के इतिहास में मिलना मुश्किल है। जो कांग्रेस नेता साम्प्रदायिकता के नाम से नाक मसोसते थे उन्होंने मुस्लिम साम्प्रदायिकता के सामने सिर झुका कर एक महान् अनर्थ को परिपुष्ट किया।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि पाकिस्तान की योजना को फलने फूलने के लिये क्षेत्र मिलता गया। ईस्वी सन् १९३८ के अक्टूबर मास में मि० जिन्ना के सभापतित्व में सिन्ध प्रान्तीय मुस्लिम लीग ने करांची में भारत में दो राष्ट्र (Two Nations) के सिद्धान्त को माना और माँग की कि भारत को दो भागों में बाँट दिया जाय। एक हिन्दू राष्ट्र-संघ और दूसरा मुस्लिम-राष्ट्र संघ।

२२ अक्टूबर सन् १९३३ ई० में मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी ने कहा कि कांग्रेस समस्त भारत की प्रतिनिधि संस्था नहीं है किन्तु समस्त भारत के मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था केवल मुस्लिम

लीग है।

२९ मार्च सन् १९४० ई० को लाहौर में मुस्लिम लीग ने अपने वार्षिक अधिवेशन में भारत के विभाजन का (दूसी ज़बान में पाकिस्तान) का प्रस्ताव पास किया और फिर १ सितम्बर सन् १९४० ई० को लीग की वार्षिक कमेटी ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि

“The partition of India is the only solution of the most difficult problem of India's future Constitution.

अर्थात् भारत के भावी विधान की सबसे कठिन समस्या का एक मात्र हल भारत का विभाजन है।

२२ फरवरी सन् १९४१ ई० को मुस्लिम लीग की वार्षिक कमेटी ने अपने उसी प्रस्ताव को फिर दुहराया और अन्त में अप्रैल सन् १९४१ में डॉ० इन्डिया मुस्लिम लीग ने अपने मद्रास के अधिवेशन में पाकिस्तान को मुस्लिम लीग का मुख्य ध्येय मान लिया। वहाँ मुस्लिम लीग का ध्येय तब तक A Federation of free democratic states था, वहाँ अब इन शब्दों को दूर हटाकर उसमें पाकिस्तान को अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया।

यही नहीं, मुस्लिम-लीग इसके बाद कांग्रेस को केवल हिन्दू-संस्था कहने लगी और उसका ध्येय हिन्दू राज्य की स्थापना बताने लगी जैसा कि उसने अपनी दिल्ली वार्षिक कमेटी की बैठक में २२ फरवरी सन् १९४२ ई० के प्रस्ताव में किया है। इसी प्रकार २० अगस्त सन् १९४२ के प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस का उद्देश्य तो 'Establishing a Congress Hindu domination in India' है। आगे और भी स्पष्ट किया है—

“The present Congress Movement is not dire-

cted for securing independence for all but for the establishment of a Hindu Raj and to deal a death blow to the muslim goal of Pakistan”

अर्थात् वर्तमान कांग्रेस आन्दोलन सबकी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये नहीं है। किन्तु वह तो हिन्दू-राज्य की स्थापना करने और मुसलमानों के पाकिस्तान के ध्येय को नष्ट करने के लिये है।”

उपरोक्त-अवतरणों से पाठकों को ज्ञात हुआ होगा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक साधारण विद्यार्थी की कल्पना ने आगे चलकर हिन्दुस्तान के विभाजन द्वारा एक सबसे बड़ा मुस्लिम राज्य स्थापित कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी कूट नीति के द्वारा इस दृष्टि को फलने फूलने में अप्रत्याश रूप से काफी सहायता पहुँचाई। भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बर्केंहेड ने तत्कालीन कानून-मन्त्री इरविन को जो पत्र लिखा था, उसमें इसका रहस्य भली प्रकार प्रकट होता है। उक्त-पत्र में लिखा गया था:—

We have always relied on the non-boycotting Moslems, on the depressed community, on the business interests and on many others to break down the attitude of boycott. You and Simon must be the judges whether or not it is expedient in these lines to make a breach in the wall of antagonism.” (Birkenhead: The Last Phase)

अर्थात् इस बहिष्कार की प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिये हमें मुसलमानों, दलित वर्गों और व्यवसायिक वर्गों पर निर्भर रहे हैं। आप और सायमन इस बात के निर्णायक (Judges) हो सकते हैं कि बहिष्कार की दीवार में छेद करने के लिए यह आवश्यक है या नहीं।”

हि० जिन्ना और पाकिस्तान

हि० जिन्ना पहले राष्ट्रवादी मुसलमान थे। चाप उन लोगों में से थे, जो लोकमान्य तिलक के दाहिने हाथ समझे जाते थे।

प्रारम्भ में चाप पाकिस्तान के विरोधी थे, रहमत-उल्ला के प्रस्ताव की आपने मज़ाक तक उड़ाई थी। पर पीछे अखिर अखिर पाकिस्तान की योजना के प्रधान नेता बन गये। चाप में यह परिवर्तन क्यों हुआ, इस विषय पर स्वर्गीय डा० सच्चिदानन्द सिन्हा द्वारा संपादित "हिन्दुस्तान रिव्यू" (H. Reviv) के इस्को सन् १९७३ के सितम्बर मास के अंक में प्रकाश डाला गया है।

डा० सिन्हा ने उक्त लेख में ए० अकादमिकाजी केरु की जिन्ना परिवर्तन संबंधी निम्नलिखित प्रकल्प का खंडन किया है। ए० अकादमिकाजी केरु का वह कथन इस प्रकार है—

"Jinnah left the congress not because of any difference of opinion on the Hindu, Moslem question but because he could not adapt himself to the new and a more advanced ideology, and even more so because he disliked the crowd of sun dressed people talking in Hindustani who filled the Congress. His idea of politics was of a superior variety, more suited to the legislative chamber or to a committee room. For some years he fell completely out of the picture and even decided to leave India for good. He settled down in England and spent several years there."

अर्थात् जिन्ना ने इल्लिये कांग्रेस की न छोड़ा कि उनका हिन्दु

मुख्यम प्रश्न पर कोई मतभेद था, वरन उन्होंने कांग्रेस को इसलिये छोड़ा कि वह उसकी प्रगतिशील विचारधारा के अनुकूल अपने आपको न बना सके। इसके अतिरिक्त इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि वे फटे टूटे कपड़े पहने हुए और हिन्दुस्तानी बोझने वाले लोगों के उन मुँहों को नापसंद करते थे जिन्होंने कांग्रेस को भर रखा था। उनकी राजनीति संबंधी भावना ज्ञान शौकत वाली थी जो विधान-भवन या समिति भवन के लिये विशेष उपयुक्त थी। कुछ वर्ष तक वे बिलकुल तस्बीर के बाहर हो गये। यहाँ तक कि उन्होंने भारतवर्ष को हमेशा के लिये छोड़ने का निश्चय किया। वे इङ्ग्लैंड में जाकर कस मचे और उन्होंने वहाँ कई वर्ष बिताये।”

जिन्ना-परिवर्तन के संबंध में पं० जवाहरलाल नेहरू के अनुमान के साथ स्वर्गीय डा० सिंहा ने अपना मतभेद प्रकट किया था। डॉ० साहब का कथन है कि पं० जवाहरलाल ने जो कुछ लिखा है वास्तविकता उस से विपरीत है। प्रारम्भ ही से मि० जिन्ना की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह रही थी कि वे जीवन के हर क्षेत्र में प्रथम और सर्वोपरि नेता के रूप में रहें। ईस्वी सन् १९२० में राजनैतिक कार्यान्वयन में महात्मा गांधी के उतर पड़ने से और देशभर में उनका व्यापक और असाधारण प्रभाव फैल जाने से, जिन्ना साहब की महत्वाकांक्षा के सफल होने के चिन्ह दिखलाई न पड़ने लगे।

ईस्वी सन् १९२० के दिसम्बर मास में नागपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में महात्माजी के असहयोग का प्रस्ताव का विरोध करते हुए श्री जिन्ना महोदय ने गांधी जी को “महात्मा गांधी” कहने के बजाय “मि० गांधी” संबोधित किया। इस पर जनता में बड़ा ही हल्ला मच गया। सारी जनता चिढ़ाने लगी कि “मि० गांधी” नहीं “महात्मा गांधी” कहो। जिन्ना उस से मस न हुए और जनता के विरोधी नारे बरतने लगे रहे। मि० ए० ए० स्टूफ ने ‘Inceet’।

Jinnah नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में इस घटना का विशद विवेचन किया है। और डा० सिन्हा ने भी जिन्ना साहब की मूल प्रकृति को देखते हुए अपने लेख में इसका समर्थन किया है। मि० रउफ ने यह दिखाया है कि इस घटना का मि० जिन्ना के चित्त पर बड़ा कड़ असर हुआ और इसी कारण उन्होंने इंग्लैंड में बसकर प्रिवी कौंसिल में वकालत करने का निश्चय किया। वे कई वर्ष तक वहां रहे और भारतवर्ष में अपने अवसर को देखते रहे। कुछ वर्षों के बाद मुस्लिम लीग में फूट पड़ी और जिन्ना साहब की उस पर अधिकार जमाने का अवसर मिल गया। परिस्थितियों ने उनका साथ दिया और वे भारत के अधिकांश मुसलमानों के नेता माने जाने लगे।

उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि सर मुहम्मद इक़्बाल के विचारों का प्रभाव जिन्ना पर पड़ा। सर इक़्बाल ने जिन्ना साहब को यह ज्ञान दिया कि जब तक मुसलमानों का अलग स्वतंत्र राष्ट्र वहां स्थापित न होगा तब तक उनका उद्धार होना असम्भव है। उन्हें बहुमत वाले गैर मुस्लिमों की आधीनता में रहना पड़ेगा। सर मुहम्मद इक़्बाल ने जिन्ना साहब को जो पत्र लिखा था उसका एक अंश निम्नलिखित है—

“The congress derides the political existence of Muslims in no unmistakable terms. The other political body (the mahasabha whom I regard as the real representative of the masses of the Hindus) has declared more than once that a united Hindu Muslim nation is impossible in India. In these circumstances, it is obvious the only way to peaceful India is a redistribution of the country on the lines of racial, linguistic and religious affinities. Many British statesmen also realize this.

I remember, Lord Lothian told me that my scheme was the only possible solution of the troubles of India. I agree with you that our community is not yet sufficiently organised and disciplined. But I feel that it would be highly advisable for you to indicate in your address at least the line of action that Muslim of North West India would be finally driven to take."

अर्थात् कांग्रेस मुसलमानों के राजनैतिक अस्तित्व की मुझे शर्तों में मनाक उदाती है। दूसरी राजनैतिक संस्था ने (महसिमा) जिसे मैं हिन्दू कम समाज की वास्तविक प्राथमिक संस्था समझता हूँ, एक से अधिक एक यह घोषित किया है कि हिन्दू-मुसलमानों का संयुक्त राष्ट्र बनना असंभव है। ऐसी परिस्थितियों में शान्त भारत (Peaceful India) बनने के लिये केवल एक ही रास्ता रह जाता है और वह यह है कि जातीयता, भाषागत और सांस्कृतिक आचार पर भारत का पुनर्विभाजन कर दिया जाय। बहुत से ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी इस बात को महसूस करते हैं। मुझे स्मरण है कि डॉट्टे क्रोथिवन ने मुझ से कहा था कि आपकी स्वीम ही भारतीय उद्योगों को ठीक करने का एकमात्र संभव हक है। मैं आपके साथ इस बात से सहमत हूँ कि हमारी टीम अभी तक पूरी तरह से सुसंगठित और अनुशासित नहीं हुई है। मेरे विचार से आप के लिये यह बोम्ब होगा कि आप अपने भाषण में उत्तर पूर्वीय भारत के मुसलमानों के लिये ऐसे कार्य-क्रम का संकेत कर दें जिससे आखिर में वे स्वीकार कर लें।

इसके बाद इस विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए सर इकबाल ने आगे यह कह दिया:—

"To my mind, the new constitution with its

idea of a single federation, is completely hopeless. A separate Federation of Muslim Provinces, reformed on the lines suggested above is the only course by which we can secure a peaceful India and save muslims from the domination of Non-muslims. Why should not the muslim of north-west India and Bengal be considered as nations entitled to self-determination ?

“ मेरे ख्याल में नया विधान’ जिसमें एक संघ राज्य की कल्पना का समावेश है, बिल्कुल ही निराशाजनक है। मुस्लिम प्रान्तों का संघराज्य जैसा कि ऊपर सुझाया गया है शान्तिमय भारत के निर्माण का एक मात्र रास्ता है और वही रास्ता मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के प्रभुत्व से बचा सकता है। उत्तर पश्चिम भारत और बंगाल के मुसलमान आत्मनिर्णय का अधिकार-प्राप्त स्वतंत्र राष्ट्र क्यों न समझे जायें”।

जिन्ना साहब के जीवनी लेखक ने लिखा है कि मुहम्मद अली जिन्ना के मन पर इक़बाल के उक्त पत्रों ने बड़ा प्रभाव डाला। इसके कुछ वर्षों बाद ही जिन्ना साहब ने अपने एक वक्तव्य में कहा था:—

“We are different in everything. We differ in our religion, our civilisation and culture, our history, our language, our architecture, our music, our jurisprudence and laws, our food, our society, our dress-in every way we are different. We can't get together in the ballot box.”

हम हर बात में जुड़े हैं, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता और संस्कृति,

हमारा इतिहास, हमारी भाषा, हमारा वास्तुशास्त्र, हमारा संगीत, हमारा न्याय विज्ञान (Jurisprudence), हमारे कानून, हमारा भोजन, हमारा समाज और हमारी पोशाक हर बात में हम (हिन्दुओं) से भिन्न हैं । हम मतपेटिका (Ballot Box) में एक नहीं हो सकते ।

बह मि० जिन्ना के दो राष्ट्रवाद की घोषणा थी, जिसको बिना समझे बूके ज्ञानों मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया । इसके आगे चलकर ईस्वी सन् १९४० के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में द्विराष्ट्रवाद अर्थात् मुसलमानों के लिये स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करने की आवाज़ जोर से बुलन्द की गई । इसके बाद इस विषय को लेकर लीग ने घोर आन्दोलन किया । कांग्रेस नेता जैसे जैसे दबते गए और जैसे जैसे वे जिन्ना की तलवार के सामने अपना सिर झुकाते गये, वैसे वैसे जिन्ना साहब अकड़ते गये । बिहार के सुप्रसिद्ध नेता स्वर्गीय श्री० सच्चिदानन्द सिद्ध ने लिखा है:—

“Such was the manifesto of Jinnahs totally false two nation theory-wrong in almost every detail, but which was swallowed avidly, without test or analysis for want of capacity by millions and millions of Muslims all over India-particularly strange to say in the Muslim minority provinces and embodied in a resolution at the session of the League, held at Lahore in 1940 which was shouted at the pitch of their voice as their war-cry and slogan by the Muslim Leaguers, until the congress leaders fed up with the situation and frightened by the League's threat of a civil war, yielded assent to Lord Mount Batten's suggestion

in 1947 to the formation of Pakistan.”

इस प्रकार का जिन्ना का विद्वान्त अल्प द्दिराङ्गवाद सिद्धान्त का यह घोषणापत्र था। हर बात में यह गलत था, पर उसे सारे हिन्दुस्तान के लाखों करोड़ों मुसलमानों ने बिना उसकी परीक्षा और विश्लेषण किये बड़ी न्यग्रता से निगल लिया था। वहाँ यह बात सास और से विचित्र थी कि अल्प संख्यक मुस्लिम प्रान्तों के मुसलमानों ने इसमें अग्रगण्य हिस्सा लिया और ईस्वी सन् १९४० के मुस्लिम लीग के अधिवेशन के प्रस्ताव में इस सिद्धान्त को ग्रन्थित कर दिया। मुस्लिम लीगर्स ने ऊँची आवाज से इसे युद्ध का नारा बना लिया। कमिश्नर नेताओं ने लीग की गृहयुद्ध की धमकी से भयभीत होकर अखीर ईस्वी सन् १९४७ की डॉर्ट माउन्ट बेटन की पाकिस्तान निर्माण योजना को चुक कर स्वीकार कर लिया। इसका विस्तृत विवेचन आगे पढ़ना किया जायगा।



देसाई-लियाकत-समझौता



गांधी-जिन्ना वार्ताबाप के असफल होने के बाद जनवरी १९४४ में देसाई-लियाकतअली समझौता हुआ। देसाई से मतलब श्री स्वर्गीय भूला भाई देसाई से है, जो कांग्रेस के दृष्टि कोण को प्रकट करते थे मुस्लिम लीग की ओर से तत्कालीन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और वर्तमान पाकिस्तान के प्राइममिनिस्टर से है। दोनों नेताओं ने कांग्रेस-लीग एकता कराने के समझौते के एक मसविदे पर दस्तखत किए। इसके पहिले श्री भूला भाई देसाई ईस्वी सन् १९४४ में दो बार वायसराय से मिले थे। इसी बीच उन्होंने वर्धा में गांधी जी से और एक बार मुस्लिम-लीग पार्टी के उपनेता व अपने मित्र लियाकतअली खॉं से भी मुलाकात की थी। २२ अप्रैल १९४५ को श्री भूलाभाई देसाई ने पेशावर में सीमाप्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन में अपनी योजना के सम्बन्ध में रहस्योद्घाटन किया। अगस्त, १९४२ के बाद भारत के किसी भी प्रांत में होने वाला यह पहला राजनैतिक सम्मेलन था।

सम्मेलन में उपस्थित किए गए मुख्य प्रस्ताव में कांग्रेस के नेताओं की रिहाई तथा केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का अनुरोध किया गया था। प्रस्ताव पर भाषण करते हुए श्री भूलाभाई देसाई ने कहा कि केन्द्र में अंतर्काळीन-सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव पहले से ही ब्रिटिश सरकार के सम्मुख उपस्थित हैं। आपने मांग की कि ब्रिटेन को घोषणा कर देनी चाहिए कि भारतीय सरकार और उसके प्रतिनिधियों का पद अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य सरकारों व उनके प्रतिनिधियों के समान होना।

देसाई और लिवाकत वाली समझौते की शर्तों में निम्न लिखित थी ।

‘कांग्रेस और लीग इस बात को स्वीकार करती हैं कि वे केन्द्रीय-शासन में अन्तर्काळीन सरकार बनाने में सहमत होंगी’

‘इस प्रकार की सरकार का संगठन निम्न लिखित होगा ।

(१) केन्द्रीय-शासन में कांग्रेस और लीग द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या समान होगी । जो लोग इसमें मनोनित किये जायेंगे उनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य हों ।

(२) इसमें अल्पसंख्यक दलों के प्रतिनिधि भी रहेंगे । (खास तौर से परिगणित जातियाँ और सिक्खों के)

(३) इसमें प्रधान सेनापति भी रहेंगे ।

वह अन्तर्काळीन सरकार वर्तमान भारतीय शासन एक्ट के अनुसार बनाई जायगी और उसी के अनुसार उसका ढांचा रहेगा । वहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अगर अन्तर्काळीन केबिनेट अपना कोई विशेष प्रस्ताव धारा सभा में पास न करवा सके तो वह गवर्नर जनरल तथा वायसरॉय द्वारा उनके समरक्षित अधिकारों के बल पर उसे पास नहीं करवायेगी ।

(४) केन्द्र में सरकार बन जाने के बाद उन तमाम प्रांतों में भी जिनमें धारा ३३ के अनुसार शासन चलाया जा रहा है, कांग्रेस और लीग के संयुक्त मंत्रिमण्डल बनाए जायेंगे ।

उपरोक्त समझौते से यह पता चलेगा कि हमारे कांग्रेस के नेता लीग जैसी साम्प्रदायिक संस्था के सामने जनतन्त्र के उच्च सिद्धान्तों का परिष्कार कर किस प्रकार झुकते रहे । जब कांग्रेस हिन्दू, मुस्लिम, इंसाई आदि सब समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का उचित दावा करती है, तब केवल मात्र मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक साम्प्रदायिक संस्था के प्रतिनिधियों अर्थात् मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की संख्या किसी शासन संस्था में किस बाब से बराबर हो सकती थी, यह

समझ में नहीं आता। इस पर भी तुरा यह कि कांग्रेस के मनोनीत सदस्यों में एक मुसलमान का होना भी आवश्यक समझा गया था। क्योंकि कांग्रेस हिन्दुओं की तरह मुस्लिमों की प्रतिनिधि संस्था होने का भी दावा करती थी। इसलिये कांग्रेस की ओर से जनतन्त्र के सिद्धान्त की दृष्टि से एक मुसलमान का होना आवश्यक था। पर इस सारी कार्यवाही में बड़े बहुमतवाले हिन्दु समझ के अधिकारों की किस तुरी तरह से अवहेलना की गई थी, यह बात विशुद्ध जनतन्त्र आदर्शों की दृष्टि से शक्य है। उस समय कुछ नेताओं के इस भूलभरी कार्यवाही के विरोध में कोई आवाज उठाता तो वह 'सांग्रदायिक' शब्द से कदापि किपा जाता था।

तत्कालीन नायसरॉय स्वर्गीय वेवेक महोदय देसाई-बिबाकतमजी के समझौते का उक्त प्रस्ताव लेकर बिबायत गये और उन्होंने वहां के प्रिटिब अधिकारियों से इस विषय पर काफी वादानुवाद किया। १४ जून १९४२ को वाबसराय ने कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई की शोषणा की और अपने ब्राडकास्ट भाषण में उन्होंने केन्द्रीय सरकार को काम करने के लिये हिन्दू मुस्लिम प्रतिनिधियों की संस्था में समानता की। गांधीजी इस पर कुछ चौंके और उन्होंने १२ जून १९४२ को एक बकन्व देकर यह प्रकट किया कि अगर कांग्रेस जीग समानता की चर्चा (PARITY) के स्थान पर हिन्दू-मुस्लिम समानता का प्रश्न उठाया गया तो सारा प्रस्ताव बेकार हो जायगा। इसके बाद १० जून को जो पत्र गांधीजी ने वाबसराय को लिखा था उसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था:—“बदि सर्व्व हिन्दुओं और मुसलमानों की समानता के प्रस्ताव में परिवर्तन नहीं किया गया, तो आप अनजाने में परन्तु विरच्य ही सम्मेलन का उद्देश्य असफल कर देंगे। हां, कांग्रेस और जीग की समानता समझ में आती है।”

शिमला कॉन्फ्रेंस



भारतवर्ष की सब राजनैतिक पार्टियों में समझौता करने के लिये शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसका उद्देश्य यह था कि यह वायसराय को इस बात का परामर्श दे कि उनकी नई कार्यवाहियों में अधिक से अधिक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किस प्रकार प्राप्त किया जाय। इस कॉन्फ्रेंस में प्रान्तीय सरकारों के प्रधान मंत्री और केन्द्रवर्ती धारा सभा के कांग्रेस पार्टी के और मुस्लिम लीग के नेता, राष्ट्रीय दल के नेता और यूरोपियन ग्रुप के नेता निमंत्रित किए गए थे। भारतवर्ष के दो प्रधान संगठन-कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रधान नेताओं के रूप में महात्मा गांधी और मि० जिन्ना को निमंत्रित किया गया था। परिगणित जातिवर्गों की ओर से मि० शिवराज को और सिक्खों की ओर से मास्टर तारासिंह को निमंत्रित किया गया था। यहां यह कहना आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों ने इस कॉन्फ्रेंस को सफल कर एक सर्व सम्मत समझौता करने का बड़ा प्रयत्न किया, पर मि० जिन्ना के इस आग्रह के कारण इसमें सफलता न मिली। इस कॉन्फ्रेंस की असफलता को लार्ड वेवेल ने अपने १४ जुलाई के भाषण में स्वीकार किया था। इस कॉन्फ्रेंस की असफलता के सम्बन्ध में कांग्रेस के प्रेसिडेंट डा० पद्मभिसितारमैय्या अपने '60 years of Congress' नामक ग्रन्थ में लिखते हैं कि—

That the responsibility for its failure lay upon Mr. Jinnah, who refused to furnish his list of nominees to the Executive Council and who in

the alternative did not agree to the names included therein by Lord Wavell himself for the League, was made unequivocally clear by the Viceroy in his valedictory address delivered on 14th. July. It was well that the Viceroy declared his dissent from Jinnah's claim that the League alone should represent the Muslims. It was really a pity that the parties assembled in Simla from the League and the Congress could not agree upon a joint list of names for the Executive Council, for that would have meant a joint programme, concerted action for the attainment of independence and possibly joint electorates in the near future. It would have meant clearly one composite nationalism, one common plan of emancipation and one combined effort which was bound to succeed. When this failed, separate lists also failed of their purpose.

अर्थात् इस कॉन्फ्रेंस की असफलता की जिम्मेदारी मि० जिन्ना के सिर पर पड़ती है। क्योंकि उन्होंने कार्य-कारिणी कौन्सिल के लिये अपने मनोनीत सदस्यों की सूची देने से इन्कार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए बोर्ड वेवल द्वारा सुझाए गए नामों को भी स्वीकार करने में अपनी असहमति प्रकट की। इस बात को वायसर्ज ने अपने १४ जुलाई वाले भाषण में स्पष्टता प्रकट किया है। वाइसराय ने जिन्ना के इस दावे को अस्वीकार कर दिया था कि सिमला में कांग्रेस और लीग की जो पार्टियाँ इकट्ठी हुईं थीं वे कार्य-कारिणी कौन्सिल

के लिए सदस्यों की एक संयुक्त सूची बनाने में असमर्थ रहें। अगर वह सूची बन जाती तो स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये और सम्भवतः निकट भविष्य में संयुक्त निर्वाचकों को चुनने के लिये एक संयुक्त कार्य-क्रम बन गया होता और सबोंने मिलकर अपने महान् उद्देश्य की सिद्धी के लिए कार्य किया होता। इससे सावधान राष्ट्रीयता, और राष्ट्र मुक्ति की एक सर्व सामान्य योजना का निर्माण होता जो अवश्य ही सफल होती पर वह असफल होगई और इससे इस उद्देश्य के लिए बनाई गई विभिन्न सूचियां असफल रहें। जार्ज वेवल् ने, जैसाकि हम ऊपर कह चुके हैं, इस असफलता की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ली और उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद पहली और दूसरी अगस्त १९४२ को अपने प्रान्तीय गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस की।

कहने का मतलब यह है कि मि० जिन्ना अपने आग्रह पर चढ़े रहे और वे उस समय अन्तर्काळीन सरकार बनाने के लिए सहमत न हुए। वे इस बात पर जोर देते रहे कि जब तक लीग के बाहरी लक्ष्य अधि-वेष्टन के प्रस्तावानुसार मुसलमानों को स्वभाग्य-निर्वाण का अधिकार न दिया जायगा तब तक वे अन्तर्काळीन सरकार के बनाने में अपनी स्वीकृति न देंगे। वाइसरॉय ने जिन्ना को यह विश्वास दिखाया कि अन्तर्काळीन सरकार की स्थापना से पाकिस्तान सम्बन्धी उनके आग्रह में कोई फर्क न पड़ेगा। इस पर मि० जिन्ना इस बात पर जोर देने लगे कि अन्तर्-काळीन सरकार में हिन्दुओं और मुसलमानों की बराबर संख्या रहे। वे मुसलमानों के १/३ प्रतिनिधित्व से असहमत रहे।

उन्हें यह समझाया गया कि हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या का अनुपात २२ और ६० है। ऐसी स्थिति में दोनों का प्रतिनिधित्व बराबर होना अवतन्त्र के सिद्धान्त की अवहेलना है। पर वे उस से मस न हुए। वे वाइसरॉय के ऊपर वहां तक दबाव डालने लगे कि अगर कांग्रेस तक प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं करती है तो कार्य-कारिणी कौन्सिल

में सभी मुसलमान सदस्य मनोनीत कर दिये जावें। पर वाइसराय ने इस बात की स्वीकार न किया। इसका विरोध न केवल कांग्रेस ही ने किया वरन् पंजाब की यूनियनिष्ट पार्टी के नेता मलिक बिज़र हयातख़ां तक ने किया। वाइसराय ने इसपर कॉन्फ़ेन्स की असफलता की घोषणा कर दी। उस समय ऐसा मालूम होने लगा मानों जिन्ना साहब का देश की वैधानिक प्रगति में रोड़े अटकाने का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया हो; क्योंकि उनके आग्रह के कारण शिमला कॉन्फ़ेन्स ठप करदी गई।



ब्रिटेन में मजदूर राज्य की स्थापना

इसी बीच इंग्लैंड में पार्लियामेन्ट का चुनाव हुआ। जिसमें चर्चिल पार्टी की करारी हार हुई और मजदूर पार्टी की अस्थायिक बहुमत से विजय हुई। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि चर्चिल पार्टी के अनुदार दल की अपेक्षा मजदूर दल की भरतवर्ष की राजनैतिक आकांक्षाओं के साथ सब नुभूत होना स्वाभाविक था, यद्यपि लोगों को मजदूर पार्टी की प्रमादिकता पर भी कुछ न कुछ सन्देह था। पर उसकी पिछली कार्यवाहियों से यह स्पष्टता सुचित होता है कि भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के लिये अपने प्रमादिकता से कार्य किया। उसने यह समझ लिया कि जब भारतवर्ष को वास्तव की गल्लियाँ में ऊँचे रखना असम्भव है और इंग-

लैंड और भारतवर्ष के हित में यही उचित है कि भारतवर्ष को स्वतन्त्र कर दिया जाय, जिससे दोनों देशों में शत्रुता का वातावरण हटकर मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित होजाय ।

इसी समय अर्थात् अगस्त १९४२ को जापान की पराजय होकर मित्र राष्ट्रों की सर्वाङ्गीन विजय हुई । अब ६३ धारा का खाल रखना मजदूर सरकार ने उचित न समझा । वह भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के प्रश्न को हल कर देना चाहती थी । उसने वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल को विचार विमर्श के लिये इंग्लैंड को निर्मंत्रित किया ।

लॉर्ड वेवेल इंग्लैंड में मंत्रीमंडल से सलाह माँगकर भारत-वर्ष खौट आए और उन्होंने निम्नलिखित घोषणा की ।

- १ केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा सभाओं के चुनाव, जो युद्ध के कारण स्थगित कर दिए गए थे, आगामी शीत काल में किए जावें ।
- २ श्रीमान् सन्नाट् की सरकार उक्त चुनावों के समाप्त होने पर विधान निर्माणाकारी सभा की योजना करेगी ।
- ३ निर्वाचनों के बाद तत्काल ही प्रान्तीय धारा-सभाओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर यह निश्चय करेगी कि १९४२ की घोषणा में कथित प्रस्ताव (क्रिप्स के प्रस्ताव) उन्हें स्वीकृत हैं या नहीं । उनकी स्वीकृत या संशोधित योजना किस रूपमें बनाई जावें ।
- ४ भारतीय देशी राज्यों के साथ विचार विमर्श कर यह निर्णय किया जावे कि विधान निर्माणाकारी सभा में किस प्रकार वे अपना योग दे सकते हैं ।
- ५ ब्रिटिश सरकार भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच होने वाली सन्धि के मुद्दों पर विचार करने के लिए अग्रसर होगी ।

भारत के तत्कालीन स्टेट सेक्रेटरी लॉर्ड पैथिक लारेन्स ने अपने

ब्रादर कास्ट के भाषण में कहा था:—“ईस्वी सन् १९४६ का वर्ष भारत-वर्ष के इतिहास में एक निर्णायक वर्ष था।” उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष को स्वतन्त्रता देने का निश्चय कर लिया है और चुनाव के पश्चात् वाइसराय ऐसी कार्य-कारिणी कोन्सिल बनावेंगे जिसमें सब राजनैतिक दलों का सहयोग होगा।

तत्कालीन केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा सभाओं के निर्वाचनों में कांग्रेस को अपूर्व सफलता मिली। यहाँ तक कि वह उत्तर पश्चिम प्रान्त में, जहाँ मुसलमानों की संख्या ६२ फी सदी है, अपना मन्त्रीमंडल बनाने में बड़ी सफलता पूर्वक समर्थ हुई। सिन्ध, पंजाब और बंगाल को छोड़कर अन्यत्र सब प्रान्तों में कांग्रेस ने अपने मन्त्रिमंडल बनाए। सिन्ध और पंजाब में संयुक्त मन्त्रिमंडल बने, जिनमें मुस्लिमलीग का प्रतिनिधित्व न हो सका। कहने का मतलब यह है कि निर्वाचनों में कांग्रेस की शानदार विजय हुई और मुस्लिम लीग अन्य प्रान्तों की तो बात ही क्या खास मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्तों में भी, सिवा सिन्ध प्रान्त के, अपना मन्त्रिमंडल बनाने में कामयाब न हो सकी।



केबिनेट-मिशन



जैसा कि पहले बिल चुके हैं ब्रिटेन के चुनाव में चर्चित पंजी अनुदार दल की पराजय होकर मजदूर दल की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति से बाध्य होकर भारत में अपना केबिनेट-मिशन भेजने का निश्चय किया। इस मिशन के भेजे जाने के समय १५ मार्च सन् १९४६ को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० एटली ने अपने एक वक्तव्य में कहा था:—

‘My colleagues are going to India with the intention of using their utmost endeavours to help her to attain her freedom as speedily and fully as possible. What form of Government is to replace the present regime is for India to decide; but our desire is to help her to set up forthwith the machinery for making that decision.....’

‘I hope that the Indian people may elect to remain within the British Commonwealth. I am certain that she will find great advantages in doing so.....’

‘But if she does so elect, it must be by her own free will. The British Commonwealth and Empire is not bound together by chains of external compulsion. It is a free association of free

peoples. If, on the other hand, she elects for independence, in our view she has a right to do so. It will be for us to help to make the transition as smooth and easy as possible."

“मेरे सहयोगी भारतवर्ष को यथा-सम्भव शीघ्र से शीघ्र और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के उनके प्रयत्न में उन्हें पूर्ण रूप से मदद देने की भावना से भारतवर्ष जा रहे हैं। वहाँ के वर्तमान शासन के बदले में कौनसा शासन स्थापित हो, इसके निर्णय करने का काम खुद भारतवर्ष का होगा।”

“मुझे आशा है कि भारतवर्ष ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने का निर्णय करेगा। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने में उसका बड़ा खाम है।”

“पर अगर वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहना पसंद न करें तो वह यह निर्णय भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर सकता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और साम्राज्य शाह्य बख्शाकार की शृङ्खला द्वारा संगठित नहीं है। वह स्वतंत्र लोगों की स्वतंत्र संसद है। अगर वह पूर्ण स्वतंत्रता को पसंद करता है तो हमारी राय में उसे ऐसा करने का अधिकार है। हमारा काम उसके इस संक्रान्ति मार्ग को यथा संभव सरल और मंजुल बनाने में सहायता देने का है।”

उक्त-वर्षों को प्रकट कर ब्रिटेन की मजदूर सरकार ने भारत सिक्रेटर लार्ड पेथिक बॉरेन्स, सर स्टेफ़ॉर्ड क्रिप्स, मि० वी० वी० एलेक्जेंडर का एक केबिनेट मिशन भारत को भेजा।

१२ मार्च को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अपना वक्तव्य देते हुए केबिनेट-मिशन ने यह प्रकट किया कि वे खुले दिख से विष्णु होकर नहीं जाते हैं। उन्होंने अपने आप को किसी मत विरोध से बद्ध नहीं किया है। दूसरे सवाह उन्होंने लार्ड वेवेल और प्रान्तीय गवर्नरों से

विचार विमर्श किया। पहली अप्रेल से उन्होंने भारतीय नेताओं से वादानुवाद करना शुरू किया और यह वादानुवाद १७ अप्रेल तक चालू रहा। इस दर्मिबान में केबिनेट-मिशन ने ४७२ भारतीय नेताओं से भेंटकर विचार विमर्श किया। कहने का मतलब यह है कि लगभग १ मास तक केबिनेट-मिशन ने भारतवर्ष की प्रत्येक राजनैतिक विचार धारा के प्रतिनिधियों से मिलकर देश के भावी शासन के सम्बन्ध में खूब विचार विमर्श किया। मिशन के एक सदस्य लॉर्ड पैथिक बारेंस ने एक वक्तव्य में कहा—“जैसे मैं और मेरे साथी भारत की भूमि पर पदार्पण करते हैं, हम इस देश की जनता के लिए ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश राष्ट्र का एक संदेश लाए हैं और वह संदेश मैत्री तथा सद्भावना का है। हमें विश्वास है कि भारत एक महान् भविष्य के द्वार पर खड़ा है। इस भविष्य में वह स्वयं स्वाधीन रहकर पूर्व में स्वाधीनता की रक्षा करेगा और संसार के राष्ट्रों के मध्य अपने विशेष प्रभाव का उपयोग करेगा।”

“हम सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर आए हैं। हम लॉर्ड वेविल के साथ भारतीय नेताओं तथा भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करके यह निश्चय करना चाहते हैं कि अपने देश के शासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की आपकी जो आकांक्षा है उसे आप किस प्रकार पूरी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जिम्मेदारी का हस्तांतरण हम इस भंति करें, जिससे यह कार्य हमारे लिए सम्मान और अभिमान का कारण बन जाय।”

“ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश राष्ट्र की यह इच्छा है कि जो भी वचन दिए गए हैं उन्हें बिना किसी अपवाद के पूरा किया जाय और हम आपको विश्वास दिखाने हैं कि अपनी बातचीत के मध्य हम ऐसी कोई बात न कहेंगे जो स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत की मर्चा के विरुद्ध हो।”

“इस तरह अपने भारतीय सहयोगियों के समान ही हमारा लक्ष्य होगा और आगामी सप्ताहों में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ेंगे।”

केबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव राष्ट्र के विभिन्न दलों के नेताओं के सामने रखे, जिनका सारांश निम्नलिखित है:—

“प्रान्त निम्न तीन समूहों (ग्रुपों) में रखे जायेंगे:—‘ए’—मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, बिहार, मध्य प्रान्त, उड़ीसा। ‘बी’—पंजाब सीमा-प्रान्त, सिन्ध, ‘सी’ बंगाल, असाम। ‘ए’ में १६७ ग्राम और २० मुस्लिम प्रतिनिधि रहेंगे। ‘बी’ में ६ ग्राम, २२ मुस्लिम और ४ सिख प्रतिनिधि रहेंगे। ‘सी’ में ३४ ग्राम और ३६ मुस्लिम प्रतिनिधि रहेंगे। रिवाजतः ६३ प्रतिनिधि भेजेगी, किन्तु चुनाव का तरीका अभी निश्चित होना बाकी है। इन कुल ३८५ प्रतिनिधियों में दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा कुर्ग और ब्रिटिश बिलोचिस्तान के एक एक प्रतिनिधि को जीतना चाहिए। ये ३८६ प्रतिनिधि शीघ्र ही नई दिल्ली में एकत्र होकर अपने अध्यक्ष तथा पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे और एक सलाहकार समिति भी नियुक्त करेंगे। इसके बाद वे नवीन भारत की नींव रखने का कार्य हाथ में लेंगे।

“प्रारम्भिक कार्यवाही के लिए एकत्र होने के बाद प्रतिनिधि तीन भागों (सेक्शनों) में बँट जायेंगे जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। वे अपने समूह के प्रान्तों के लिए विधान तैयार करेंगे। वे यह भी निश्चय करेंगे कि इन प्रान्तों के लिए समूह (ग्रुप) विधान की व्यवस्था की जाय अथवा नहीं और अगर ऐसा किया जाय तो समूह को किन दिखियों का प्रबंध लोपा जाय। इसके सब सदस्य फिर एकत्र होकर भारतीय संघ का विधान तैयार करेंगे।

इस प्रकार में प्रांतीय व्यवस्थापिका तथा विधान-परिषद् के सदस्यों

का चुनाव करेगी। इस प्रकार बंगाल से वहाँ की व्यवस्थापिका सभा ग्राम सीटों के लिए २७ और मुस्लिम सीटों के लिए ३३ मुसलमानों का चुनाव करेगी। व्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य ३३ मुसलमानों का और अन्य सदस्य बाकी २७ सीटों के लिए अन्य सदस्यों का चुनाव करे। उड़ीसा में वहाँ की व्यवस्थापिका सभा ६ ग्राम सीटों के लिए ही प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, क्योंकि इस प्रान्त में मुस्लिम सीटें नहीं हैं। सिंध में व्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य तीन मुस्लिम प्रतिनिधियों का और शेष सदस्य एक गैर-मुस्लिम सदस्य का चुनाव करेंगे। संयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य ८ प्रतिनिधियों का और शेष सदस्य ४० गैर-मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। पंजाब के अंक में ८ गैर-मुस्लिम, १६ मुस्लिम और ४ सिख हैं। सिखों को प्रतिनिधित्व केवल वहीं दिया गया है। उनका चुनाव व्यवस्थापिका सभा के सिख सदस्य करेंगे।

चुनाव की पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की रहेगी, जिसमें एककी हस्तांतरित मत-प्रणाली को आधार माना जायगा।

प्रारम्भ में मुस्लिम लीग के नेता मि० जिन्ना ने केबिनेट-मिशन के प्रस्तावों को ठीक समझा और उन्होंने उनमें पाकिस्तान को बीज रूप में देखा। पर पीछे जाकर मुस्लिम लीग और उसके नेता मि० जिन्ना ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। २६ जुलाई सन् १९४६ ई० में कम्बई में लीग की जो बैठक हुई, उसमें एक प्रस्ताव पास कर केबिनेट-मिशन की दीर्घ और अल्पकालीन दोनों प्रकार की योजनाओं को अस्वीकृत कर दिया। इतना ही नहीं उसने अपनी इसी बैठक में पाकिस्तान के उद्देश्य की सिद्धी के लिये-सीजी कार्यवाही की नीति का अनुसरण करने का निश्चय किया। भविष्य में होने वाली घटनाओं का कुछ संकेत जिम्मेदार मुस्लिम लीगी नेताओं के भाषणों से मिल सकता था। उदाहरण के लिए मुस्लिम लीग सभा के एक सदस्य सर फिरोज खान ने

कहा था:—

“We are on the threshold of a great tragedy, because neither Hindus nor the British realize the depth of our feelings.....Even if we have to die fighting we shall see that our children will never be slaves of Akhand Hindustan.....If the British Cabinet Mission in conspiracy with Banias leaves India with a piece of paper signed between them for peace in this country, that will be as short-lived as the one Mr. Chamberlain negotiated with Hitler at Munich. If Britain puts us under a Hindu raj, let us tell Britain that the destruction and havoc that the Muslims will do in this country will put into the shade what Chengiz Khan did.”

अर्थात्, “हम एक बड़े संकट के द्वार पर हैं। क्योंकि न तो हिन्दू और न अंग्रेज ही हमारी भावनाओं की गहराई को समझ रहे हैं। यदि हमें लड़ते लड़ते मर भी जाना पड़े तो भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे बच्चे कभी अखंड हिन्दुस्तान के गुलाम न हों। यदि ब्रिटिश मंत्रिमंडल मिशन बनियों के साथ साजिश करके देश की शान्ति के लिए केवल उन दोनों के हस्ताक्षरवाला एक कागज़ का टुकड़ा बौद्ध जाय, तो वह शान्ति उतनी ही अल्पस्थायी होगी जितनी कि मि० चेम्बरलेन के द्वारा म्यूनिच में हिटलर के साथ की गई संधि। यदि ब्रिटेन हमें एक हिन्दू राज्य के अधीन रखता है तो हम ब्रिटेन से कह देना चाहते हैं कि सुसंभवतः लोग इस देश में जो सर्वनाश और विध्वंस करवायें, उसके समाने चीनवासी के द्वारा किया गया विध्वंस भी फीका

पढ़ जायगा ।”

श्री जिन्ना ने अपने व्याख्यान में लीग की सीधी कार्यवाही का समर्थन करते हुए कहा था:—

“That the time has now come for the Muslim nation to resort to direct action to achieve Pakistan.”

अर्थात्, “अब समय आगया है कि पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए मुस्लिम राष्ट्र सीधी कार्यवाही को अंगीकार करे ।”

अली खान सर मि० जिन्ना ने फिर कहा:—

“By this resolution recommending direct action, the League was bidding “good by” to constitutional methods, the direct action was not to get out of the slavery under the British but against “the contemplated future of caste-Hindu domination.”

अर्थात् “यह प्रस्ताव, जिसमें सीधी कार्यवाही की सिफारिश की गई है, उसके अनुसार लीग आन्दोलन की सारी वैधानिक पद्धतियों से अखीरी दुआ सखाम कर रही है । सीधी कार्यवाही का उद्देश्य केवल ब्रिटिश की गुलामी से मुक्त होना ही नहीं है, वरन् सषर्ब हिन्दुओं की गुलामी से भी छुटकारा पाना है ।” इसी प्रकार के विचार अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी प्रकट किये थे । मि० सोहराव्ददी ने कहा था कि मुसलमान “मृत राष्ट्र नहीं है और उनके द्वारा जो प्रतिरोध होगा वह केवल शब्दों द्वारा न होगा ।” कम्बई के मि० इस्माइल चुन्दरीगर ने बड़े जोश के साथ यह प्रकट किया था कि ब्रिटिश को यह कोई अधिकार नहीं है कि वह मुसलमानों को पंसे खोंगों के आधीन करे, बिनापर उन्होंने लैकड़ों वर्षों

तक राज्य किया था। मुहम्मद इस्माइल ने यह घोषित किया कि भारतीय मुसलमान 'जोहाद' अर्थात् 'पवित्र युद्ध' के लिए कर्म-क्षेत्र में उतर रहे हैं। शौकत हैयातुल्ला ने कहा कि मुसलमानों को अगर अवसर दिया जाय तो वे अपनी वीरता के हाथ दिखाने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग के अग्रणी मास १९४२ के अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया था:—

“The Muslim nation will never submit to any constitution for a United India and will never participate in any single constitution making machinery set up for the purpose.”

It demanded that the zones comprising Bengal and Assam in the North-East and the Punjab, the N. W. Frontier Province, Sindh and Beluchistan in the North-west of India.....where the Muslims are in a dominant majority, be constituted into a sovereign State” ; that “two separate constitution making bodies be set up by the peoples of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing their respective constitution. The League promised its co-operation in the formation of an Interim Government at the centre only when its main demands were conceded.”

अर्थात् मुस्लिम राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के किसी विधान को स्वीकार न करेंगे और वे यह इस उद्देश्य के लिए बनाए हुए किसी विधान-संग्रह को अस्वीकार करेंगे। उसका यह दावा है कि बंगाल, आसाम, पंजाब,

सीमाप्रान्त, सिंध, बिखोचिस्तान आदि प्रान्तों में, जहां मुस्लिम बहुमत है, एक पूर्ण प्रभुता प्राप्त मुस्लिम राज्य का संगठन किया जाय और पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के दो भिन्न विधानों को बनाने के लिए दो विभिन्न विधान सभाओं का निर्माण किया जाय ।



केबिनेट मिशन और अन्तर्काळीन सरकार



केबिनेट-मिशन ने अपने वक्तव्य में भारतवर्ष में अन्तर्काळीन सरकार की स्थापना के लिए उत्सुकता प्रकट की । मि० जिन्ना इस बात पर जोर देते रहे कि अन्तर्काळीन सरकार के संगठन में हिन्दू और मुसलमानों की संख्या बराबर रहे । उन्होंने १२ जून को वाईसरॉय की जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि केबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए यह सबसे अधिक आवश्यक है कि अन्तर्काळीन सरकार में हिन्दू और मुसलमानों की संख्या में समता (Parity) का सिद्धान्त स्वीकार किया जाय । इसके सिवा केबिनेट मिशन की योजना स्वीकार करने के लिए मुस्लिम लीग अपना अन्तिम निर्णय प्रकट नहीं कर सकती ।

कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम खाजाद ने १३ जून को वाइसरॉय को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने समता (Parity) के सिद्धान्त का विरोध किया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था:—

“My committee regret that they are unable to accept your suggestions for the formation of the Provisional National Government. These tentative suggestions emphasise the principle of “Parity” to which we have been and are entirely opposed. In the composition of the cabinet suggested by you there is “parity” between the Hindus including the scheduled castes and the Muslim League, that is the number of the caste Hindus is actually less than the nominees of the Muslim League. The position thus is worse than it was in June 1945 at Simla, where, according to your declaration then, there was to be “parity” between caste Hindus and Muslims, leaving additional seats for the scheduled caste Hindus. The Muslim seats then were not reserved for Muslim League only but could include non-League Muslims. The present proposal thus puts the Hindus in a very unfair position and at the same time eliminates the non-League Muslims. My committee are not prepared to accept any such proposal. Indeed we have stated repeatedly we

are opposed to "parity" in any shape or form.

अर्थात् "मेरी कमेटी इस बात पर दुःख प्रकट करती है कि वह काम चलाक़ राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिये, आपके सुझाव स्वीकृत करने में असमर्थ है। ये प्रयोगात्मक सुझाव 'सम संख्या' के प्रतिनिधित्व पर जोर देते हैं, जिनके कि हम पूर्णतया विरोधी हैं। आपके सुझाव के मुताबिक मन्त्रिमंडल के निर्माण में परिगणित-जातिवाँ और हिन्दुओं की सम संख्या मुस्लिम खीग के प्रतिनिधियों के बराबर रखी गई है अर्थात् सवर्ण हिन्दुओं की संख्या मुस्लिम खीग के मनोनीत सदस्यों से भी कम रखी गई है। यह स्थिति १९४२ के जून मास की स्थिति से भी खराब है, जिसमें आपने यह घोषणा की थी कि सवर्ण हिन्दू और मुसलमानों के बीच समसंख्या "Parity" होनी चाहिए और अतिरिक्त स्थान परिगणित सवर्ण हिन्दुओं (Scheduled caste Hindus) के लिए छोड़ देना चाहिए। उस समय की योजना में मुस्लिमों के स्थान (Seats) केवल मुस्लिम खीग ही के लिए रक्षित नहीं रखे गए थे, पर उनमें गैर-खीगी मुसलमान भी शामिल किये गए थे।"

इसी पत्र में आगे चलकर मौलाना साहिब ने यह प्रकट किया कि कमेटी की राय में मिर्जापुरी सरकार (Coalition Government) की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसका दृष्टिकोण और कार्यक्रम (Programme) समान रहे, इसके अतिरिक्त मौलाना साहिब ने अपने पत्र में गुटबाजी (Grouping) का विरोध करते हुए यह प्रकट किया कि देश का बहुत बड़ा जन समाज इस प्रकार की गुटबाजी (Grouping) के खिलाफ़ है और वह इसपर अपना तीव्र क्रोध प्रकट कर रहा है। सीमाप्रान्त और आसाम ने इस प्रकार की अनिवार्य गुट-बाजी के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है। सिक्ख इस गुट-बाजी में आपने आप को अकेला पाते हैं और उनमें इसके खिलाफ़ भार आन्दोलन उठ रहा है। सिक्ख खीग पंजाब में अल्प-संख्यक होने

के कारण इस गुटबाजी के कारण बहुत ही निःसहाय हो जावेंगे। हम भी उनके इस विरोध के साथ सहानुभूति रखते हैं। क्योंकि हम खुद भी इस प्रकार की प्रान्तों की गुट-बाजी को अपने मौखिक सिद्धान्तों के खिलाफ समझते हैं।”

मौलाना आज़ाद ने युरोपियनों को दिये जाने वाले प्रतिनिधित्व के विशेषाधिकारों का भी विरोध किया।

इस प्रकार पत्र व्यवहार और वादानुवाद के होते हुए भी कांग्रेस और लीग एक मत न हो सकी और तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड वेविल ने इन दोनों महान् राजनैतिक दलों में समझौता न होने के कारण अपनी असफलता की घोषणा की और इस सफलता की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। १५ जून को वाइसरॉय ने श्री जिन्ना को यह सूचित किया कि कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ अन्तर्कालीन सरकार के निर्माण में उनकी जी बातचीत हो रही थी वह असफल होगई है और वे इस सम्बन्ध में कुछ अपना वक्तव्य प्रकाशित कर रहे हैं।

१५ जून का वाइसरॉय ने मौलाना आज़ाद को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने यह प्रकट किया कि:—“हम भारतीय स्वाधीनता के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हर सम्भव उपाय को काम में ले रहे हैं। हमने यह पहिले ही प्रकट कर दिया है कि सबसे पहिले भारतवासियों के प्रतिनिधियों के द्वारा नये विधान बनने की आवश्यकता है।”

“केबिनेट मंत्रि-मंडल और मैं गुट-बाजी के सिद्धान्त के सम्बन्ध में आपकी जो आपत्तियाँ हैं, उनसे सभी परिचित हैं, मैं आप पर यह प्रकट कर देना चाहता हूँ कि १६ मई के केबिनेट-मिशन के वक्तव्य में प्रान्तों की गुटबाजी को अनिवार्य नहीं रक्खा गया है। उसने इस बात को प्रान्तों के प्रतिनिधियों के विचार पर छोड़ा है, हाँ, उसमें जो व्यवस्था रखी गई है वह यह है कि कुछ विशिष्ट प्रान्तों के प्रतिनिधि गठन अपने

वर्गगत रूप में विचार-विमर्श करने के लिए मिलें और वे यह निर्णय करें कि वे अपने गुट बनाना चाहते हैं या नहीं। व्यक्तिगत प्रान्तों को इतना होने पर भी यह स्वतन्त्रता रहेगी कि वे चाहें तो गुटबाजी से अपने आपको अलग करवें।”

जैसा कि ऊपर दिसाया गया है अन्तर्काळीन सरकार के निर्माण के सम्बन्ध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई समझौता न हो सका। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश शासकों ने बीच में हस्तक्षेप कर अपना निर्णय १६ जून को दे दिया। उनके द्वारा प्रस्तावित अन्तर्काळीन सरकार के निर्माण में पाँच कांग्रेस के प्रतिनिधि, पाँच मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि और चार अल्पसंख्यकों (Minorities) के प्रतिनिधि रखे गये। अल्पसंख्यकों में सिख, ईसाई, हरिजन और पारसी का समावेश था। हरिजनों का प्रतिनिधि कांग्रेस का प्रतिनिधि मान लिया गया। इस प्रकार इस अन्तर्काळीन सरकार में कांग्रेस के छः प्रतिनिधि रखे गये।

अन्तर्काळीन सरकार के इस प्रस्तावित निर्माण का चारों ओर से घोर विरोध होने लगा। २४ जून को कांग्रेस ने इस योजना का बहिष्कार कर दिया, पर उसने संविधान सभा में सहयोग देना स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की कार्य-समिति ने अपने २६ जून के प्रस्ताव में केबिनेट मिशन की योजना पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट घोषणा की कि कांग्रेस का ध्येय तुरन्त पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति करना है और इसके बिचे मिशन की योजना पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस समिति के उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित संविधान सभा में प्रवेश करने का निर्णय इस उद्देश्य से किया गया कि उसमें आकर स्वतन्त्र और संयुक्त जनतांत्रिक भारतवर्ष के बिचे संविधान बनाया जाय। इस प्रस्ताव में यह भी साफ़ कर दिया गया कि कानूनी परामर्श से अनुमोदित मिशन की योजना की अपनी व्याख्या को लेकर कांग्रेस संविधान सभा में प्रवेश कर रही है और वह

प्रान्तों की अनिवार्य गुटबन्दी को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है।

इस घोषणा के बाद कैबिनेट मिशन और वाइसरॉय ने अन्तर्काशीन धात्री सरकार (Interim Caretaker Government) का निर्माण किया, जिसमें सरकारी अधिकारी ही रखे गये।

२६ जून को कैबिनेट मिशन भारत से रवाना होगया। इसके बाद कांग्रेस और लीगियों में कलहकल चबती रही। देश में साम्प्रदायिक विद्वेष की आग और भी जोर से भड़कने लगी। मुस्लिम लीग ने अपनी सीधी कार्यवाही का कार्यक्रम भंगकर रूप से आरंभ कर दिया। इससे कलहकल और बंगाल में जैसी खून खराबी हुई, उसका विस्तृत उल्लेख आगे चलकर किया जायगा। बिहार में भी यह आग जोरों से भड़की। मुस्लिम लीग की आक्रमणवादी नीति का जोरशोर से प्रयोग होने लगा। इससे साधारण जनता ही क्या, पर सरदार पटेल जैसे गांधीवादी नेता भी विचलित हो गये और उन्होंने मेरठ कांग्रेस के अपने भाष्य में बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि तख्तवार का जवाब तख्तवार से दिया जायगा।

कहने का भाव यह है कि देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ और अराजकता का दौरा दौरा होगया। इससे ब्रिटिश सरकार ने राज-वैतिक समझौता करने में फिर से उत्सुकता दिखावाई। इसी सन् १९४६ के अगस्त मास में पंडित नेहरू के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने एक नवीन अन्तर्काशीन सरकार का निर्माण किया। इसमें मुस्लिम लीग का सहयोग न था। अक्टूबर मास में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होगये। यह नवीन अन्तर्काशीन सरकार मिल-जुलकर काम करने में सक्षम न हो सकी। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधिमण्डल इस सरकार की सहयोग देने के बजाय इसके पक्ष में तरह-तरह के आरोप उठाते गये। ऐसा भाव्युक्त होने लगा भावों यह नवीन सरकार

थोड़े ही समय में अपना अन्तिम स्वास लेकर काबु कब्जित हो जायगी।

ईस्वी सन् १९४६ के दिसम्बर मास में ब्रिटिश सरकार ने सन्धन में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन किया। इसमें एटली, वेवेल, नेहरू और जिन्ना ने भी भाग लिया। पर इस सम्मेलन में भी भारतीय गति-रोध का कोई हल नहीं निकला। इस सम्मेलन में यह घोषित किया गया कि "अगर ऐसी संविधान सभा, जिसमें भारतीय बहुजन समाज का प्रति-निधित्व नहीं है, कोई संविधान बनावे तो भीमान् सन्नाट की सरकार उसे देश के अनिच्छुक हिस्सों पर जबरदस्ती लागू नहीं कर सकती"।

इस घोषणा से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की देश को विभाजन करने की अप्रत्यक्ष मनोकामना पर प्रकाश गिरता है। इससे मुस्लिम लीग की अड़ंगा खगाने की नीति को बल मिला।

पर इसके साथ ही भारतीय स्वाधीनता के आन्दोलन ने भी जोर पकड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने भी ब्रिटिश सरकार को भारतीय नेताओं के साथ समझौता करने के लिये बाध्य किया।

ईस्वी सन् १९४७ के फरवरी मास में ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय किया कि भारतीय समस्या का सीमांतिकीय हल किया जाय। तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड वेवेल को वापस बुला लिया गया और उनके स्थान पर लॉर्ड माउन्टबेटन को हिन्दुस्तान का वायसरॉय और गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। लॉर्ड माउन्ट बेटन गिसन्देश लॉर्ड वेवेल से अधिक दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ और विकट परिस्थिति को संभालने में दक्ष थे। उन्होंने भारतीय नेताओं से अधिक से अधिक अपना आत्मियता का सम्बन्ध बढ़ाया। गांधीजी, नेहरूजी और सरदार पटेल पर उन्होंने अपने सौजन्य और राजनीतिज्ञता की छाप रखी। इसी बीच में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मन्त्री मिस्टर एटली ने २० फरवरी को

वह घोषणा की:—

“His Majesty's Government wish to make it clear that it is their definite intention to take the necessary steps to effect the transference of power into responsible Indian hands by a date not later than June, 1948.”

अर्थात्, “श्रीमान् सम्राट् की सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि वह जिम्मेदार भारतीय हाथों में इसी सन् १९४८ के जून मास तक राज्यसत्ता का हस्तांतरण कर देने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी।”

लॉर्ड माउन्टबेटन ने भारत में पदार्पण करते ही यह प्रकट किया कि वे यहाँ राज्यसत्ता हस्तान्तर करने आये हैं, और वे इसे पूरा करके ही वापिस लौटेंगे। उन्होंने कैबिनेटमिशन की योजना को विकसित कर अपनी योजना बनाई, जो इसी सन् १९४७ के जून मास में प्रकाशित की गई। यह योजना इसी १९४७ के अगस्त मास में अमल में आने वाली थी। इस योजना में भारत के विभाजन की कार्य-प्रणाली और भारत को शीघ्रातिशीघ्र राज्यसत्ता हस्तान्तरण करने की योजना सम्मिलित थी। माउन्ट बेटन की योजना को भारतवर्ष के दोनों राजनैतिक प्रमुख दलों ने स्वीकार कर लिया। बहापि पं० नेहरू ने इस योजना पर प्रसन्नता प्रकट न की जैसा कि उन्होंने उस समय कहा था:—

“It is with no joy in my heart that I commend these proposals.”

अर्थात्, “मैं इन प्रस्तावों की शिफारिश प्रसन्नता के साथ नहीं कर

सकता हूँ।” किन्तु वे इस योजना का विमल करके हुए कहा था कि:—

We can not say or feel that we are satisfied

or that we agree with some of the matters dealt with by the plan."

अर्थात्, "हम यह नहीं कह सकते कि हम योजना में कथित कुछ विषयों से हम सन्तुष्ट या सहमत हैं।

सरदार बख्शेव सिंह ने सिक्खों की ओर से कहा कि:—

"It would be untrue if I were to say that we are altogether happy. The British plan does not please every body, not Sikh community any way.

अर्थात्, "अगर मैं यह कहूँ कि हम इस योजना से सन्तुष्ट हैं तो यह गलत होगा। ब्रिटिश योजना प्रत्येक को सन्तुष्ट नहीं करती। वह सिक्ख समाज को भी किसी तरह सन्तुष्ट नहीं करती।

उद्य दल के भारतीय राजनीतिज्ञों ने माउन्ट बेटन योजना को निराशा जनक बतलाया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने वक्तव्य में कहा था:—

"The new British plan for the dismemberment of India is a desperate move against the freedom movement."

अर्थात्, "भारत के अंग-विच्छेद के सम्बन्ध की ब्रिटिश योजना स्वतन्त्रता के आन्दोलन के विरुद्ध एक गहरी चाल थी।"

ब्रिटेन के प्रायः सभी राजनैतिक दलों ने इस योजना का स्वागत किया था। चर्चित है, जो कि भारतीय आकांक्षियों के हमेशा विरोधी रहे हैं, इस योजना की बड़ी सराहना की और उन्होंने तत्कालीन प्राइममिनिस्टर मि० एटली का माउन्ट बेटन को भारतवर्ष का वायसरॉय बनाने के उपरान्त में अभिनन्दन किया। जेम्स के सुप्रसिद्ध पत्र 'टाइम्स' ने लिखा कि माउन्ट बेटन की योजना का इंग्लैंड के

जैसा भव्य स्वागत हुआ है, उससे प्राइमिनिस्टर के गांधी में आनन्द के कारण सुखी जा गई है।

इंग्लैण्ड के उदार दल के सुप्रसिद्ध पत्र 'मैनचेस्टर गार्डियन' ने लिखा था कि जब से पार्लियामेंट का आरम्भ हुआ है तब से चर्चिष्ठ और पटली कभी इतने एकमत न हुए, जितने कि इस समय हुए हैं। लंदन के 'डेवेली हेराल्ड' पत्र ने लिखा था कि लंदन नगर उक्त योजना को अपना आशीर्वाद दे रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय संसार में भी इस योजना का अच्छा स्वागत हुआ। अमेरिका और अन्य देशों के समाचार पत्रों ने इसका स्वागत किया। डॉ. उग्र और कम्युनिस्ट समाचार पत्रों ने इसका विरोध किया। राष्ट्र की एजन्सी ने उस समय जो तार भेजा था उसमें कहा गया था—

"Left wing newspapers have been unfavourable in all countries."

अर्थात्, सब देशों के उग्रदल के समाचार पत्र उस योजना के प्रतिकूल हैं। सोवियेट समाचार पत्रों ने यह प्रकट किया था कि ब्रिटेन भारत वर्ष को जो स्वतन्त्रता दे रहा है वह नाम मात्र की असत्य स्वतन्त्रता है।

यद्यपि पं० जवाहरलाल नेहरू को इस योजना से विशेष सन्तोष न हुआ था, पर परिस्थितियों का विचार कर सामूहिक रूप से भारतीय नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया। महत्त्वा गांधी ने भी इस योजना को कार्यान्वित करने की राय दी।

इस योजना के अनुसार देश का जिस प्रकार विभाजन हुआ, उस पर आपको चककर रह जायेंगे। इस योजना की जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने के लिये १२ अगस्त १९४७ को इस योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान के दो नए अधिराज्य (Dominions)

घोषित कर दिये गये ।

भारतवर्ष के स्वतन्त्र अधिराज्य की स्थापना से देश में चारों ओर आनन्द और उत्साह का साम्राज्य छा गया । सारे संसार ने इस महान् दिवस के उपलक्ष्य में भारतवर्ष का हार्दिक अभिनन्दन किया । अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस आदि संसार प्रायः सभी राष्ट्रों के शासकों ने तार भेज कर भारत का अभिनन्दन किया । संसार के कोने कोने से इस अवसर पर भारत के प्राहममिनिस्टर पं० जवाहरलाल नेहरू के पास हजारों की संख्या में बधाई के तार पहुँचे ।

भारतवर्ष में भी चारों ओर अद्भुत आनन्द, उत्साह और उमंग का समुद्र उमड़ पड़ा । स्थान-स्थान पर हजारों लाखों मनुष्यों ने गिहक कर अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हर्षोल्लास किया । भारत के इतिहास में सैकड़ों वर्षों के बाद यह महान् अवसर आया और इसने अंतर्राष्ट्रीय संसार में भारत को अपने शोभ्य स्थान पर बैठाया ।



संविधान सभा का संगठन



भारत वर्ष के लिए एक सर्व सामान्य संविधान बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा के निर्माण के लिए पहले पं० जवाहरलाल नेहरू ने आवाज उठाई थी। ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन ने भी इसकी आवश्यकता का अनुभव किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतन्त्रता के बिल (Indian Independence Bill) के द्वितीय वाचन के समय ब्रिटिश प्राइममिनिस्टर मि० एटली ने कहा था:—

“इस बिल का उद्देश्य केवल ब्रिटिश सत्ता का त्याग ही नहीं है, वरन् इसका उद्देश्य भारत को स्वातन्त्रता प्राप्त करने में सहायता देने का ब्रिटिश का जो महान् उद्देश्य है, उसकी सिद्धि करना है।” आगे चल कर मि० एटली ने फिर कहा:—“इस बिल का उद्देश्य पूर्ववर्ती बिलों से भिन्न है। इस बिल के द्वारा भारतवर्ष के प्रतिनिधियों को वह अधिकार प्राप्त होगा, जिसके द्वारा वे अपना संविधान आप बना सकें और संक्रमण काल की कठिनाइयों को पार कर सकें।” कैबिनेट मिशन ने भी संविधान सभा की योजना रखी। उसके अनुसार इस्वी सन् १९४३ में संविधान सभा का संगठन हुआ, पर उस समय इस सभा को पूर्ण प्रभुता (Sovereignty) प्राप्त न थी, उसका कार्य-क्षेत्र आधारभूत सिद्धान्तों (Basic principles) और कार्य विधि (Procedure) तक ही सीमित था। इस्वी सन् १९४७ के भारतीय स्वतन्त्रता एक्ट ने इसे पूर्ण प्रभुता के अधिकार प्रदान किये और उसे समान प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया। पं० जवाहरलाल नेहरू ने इसके उद्देश्य प्रकट करते हुए कहा:—

“This constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an Independent Sovereign Republic and to draw up for her future governance a Constitution;”

अर्थात् वह संविधान सभा अपने दृढ़ और पवित्र निश्चय के साथ भारत को स्वतन्त्र और पूर्णप्रभुताप्राप्त जनतन्त्र घोषित करती है और उसके भावी शासन के लिए एक संविधान बनाने का प्रस्ताव करती है। कैबिनेट मीशन ने भी संविधान-सभा के उद्देश्यों और संगठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखे, वे निम्न लिखित थे।

१—विधान-सभा में ३८६ सदस्य होंगे। इसमें से २६२ सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रान्तों से चुने जायेंगे। इनका चुनाव सीधा जनता द्वारा न होगा। चुनाव का आधार साम्प्रदायिक होगा, जिसके अनुसार प्रन्तीय सभाओं में जो मुस्लिम, सिख और अन्य गुट हैं, उन्हें आकादी के अनुसार सीटें दी जायेंगी। देशी राज्यों को १३ सीटें दी जायेंगी। देशी राज्यों के प्रतिनिधि कैसे चुने जायेंगे, वह आपस में बातचीत करके तय किया जायगा।

२—प्रान्त तीन गुटों में बांटे जायेंगे।

क—वह गुट जिसमें हिन्दू बहुमत के इलाके होंगे; (माद्रस, बम्बई, गुजरात, बिहार, मध्यप्रान्त और उड़ीसा)।

ख—वह गुट जिसमें उत्तर-पश्चिम का मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका होगा, (अर्थात् पंजाब, सौराष्ट्र-प्रदेश, सिंध और बिलोचिस्तान)।

ग—एक दूसरा गुट उत्तर-पूर्वी मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों का होगा (बंगाल और आसाम)। इन गुटों के प्रतिनिधि अलग अलग चिन्तित तब करेंगे कि इस गुट के सूबों का विधान क्या होगा। नया विधान बन जाने पर और उसके अनुसार पहला चुनाव हो जाने पर ही प्रान्तों को

अधिकार होगा कि वे गुट के बाहर निकल सकें ।

३—अल्प संख्यक लोगों के लिये एक सलाहकार समिति होगी ।

४—यूनिवर्सल की संविधान सभा तय करेगी कि यूनिवर्सल का संविधान क्या होगा । जिन प्रस्तावों में बड़ी सामग्रदाधिक समस्याओं का उल्लेख होगा, उन्हें पास करने के लिये मौजूदा प्रतिनिधियों का बहुमत और दोनों अमातों में से दोनों का वोट देना जरूरी होगा ।

उपरोक्त सुझावों के अनुसार संविधान सभा का संगठन हुआ, जिसमें पहले पहल काँग्रेस और लीग दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे । पीछे जाकर, पाकिस्तान बन जाने पर, इसमें काँग्रेस का प्रतिनिधित्व खत्म रहा ।

इसके उद्देश्य भी बहुत व्यापक होगये, जिनका उल्लेख पं० जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देशों में किया था ।

इस संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बिहार के सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध नेता डा० सच्चिदानन्दसिंह थे । पीछे जाकर इसके अध्यक्ष पद को भारत के अत्यन्त लोकप्रिय नेता डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने सुरभीत किया ।

इस संविधान सभा ने विभिन्न वैधानिक समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न कमेटीयाँ कायम कीं । इन कमेटीयों ने विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्टें संविधान सभा में पेश कीं और उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर विधान का मसौदा बनाने का निश्चय किया गया । ईस्वी १९४७ के २६ अगस्त को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास कर संविधान का मसौदा तैयार करनेवाली (Drafting committee) कमेटी नियुक्त की ।

विभिन्न उपकमेटीयों द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर संविधान सभा को निर्णय दिए उन्हीं को आधारभूत रखकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी

को भारत वर्ष के लिए संविधान तैयार करने का काम सौंपा गया। इस कमेटी के द्वारा संविधान का जो मस्विदा या प्रारूप बनाया गया उसमें तीन सौ पन्द्रह धाराये (Articles) और आठ परिशिष्ट थे। यह संविधान सभा के सामने रक्खा गया और सदस्यों द्वारा इस पर काफी विचार-विमर्श और वादानुवाद होने के बाद कई संशोधनों के साथ यह पास हुआ। इसी सन् १९४६ के २६ नवम्बर को यह अन्तिम संविधान के रूपमें प्रकाशित हुआ। इसी सन् १९५० की २६ जनवरी से राज्य शासन में इसका व्यावहार आरम्भ हो गया। भारतीय राज्यशासन का यह संविधान मूलभूत जीवन है और उसी के आधार पर सारे शासन की नींव रखी गई है।

भारत का यह संविधान संसार के अन्य सब राष्ट्रों के संविधानों से बड़ा है। इसमें २२ अनु्याय और ८ परिशिष्ट हैं। इस संविधान में भारत को एक पूर्ण प्रभुताप्राप्त प्रजान्तरीय जनतन्त्र (Sovereign Democratic Republic.) घोषित किया गया है। इसका स्वरूप जनतन्त्रात्मक है। न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व आदि महान् तत्व, जो प्रजातन्त्र के खास लक्षण हैं, इस संविधान के लिये जीवनभूत माने गए हैं। इस संविधान के द्वारा जो राज्यसंस्था कायम की गई है, उसकी आधारभूत नींव प्रजातन्त्र या लोक राज्य के महान् सिद्धान्तों पर अवलम्बित है। भारतवर्ष के इस लोक-तन्त्रात्मक राज्य का संचालन वयस्क मतधिकार, मौलिक मानव-अधिकार और स्वतन्त्र न्याय-पद्धति आदि महान् सिद्धान्तों के आधार से किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में यह स्पष्टतया घोषित कर दिया गया है कि उक्त संविधान भारतीय लोगों के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। संविधान सभा ने अपने उद्देशजन्य प्रस्ताव (objectives Resolution) द्वारा यह स्पष्टतया प्रकट कर दिया है कि केन्द्रीय सरकार और प्रांतों की पूर्णप्रभुता का आधार जयता पर रहेगा। कहने

का सत्त्वर्ष यह है कि लोगों के द्वारा प्राप्त सत्ता पर यहां के जनतन्त्र का आभार रहेगा और उसका संचालन वैधानिक सरकार के द्वारा किया जावगा ।

यह संविधान केन्द्र (centre) और राज्यों (States) में संसदीय शासन (Parliamentary Government) प्रस्थापित करेगा । इसमें एक वैधानिक राष्ट्रपति होगा जो अपने मंत्रिमंडल के परामर्श पर कार्य करेगा । राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ।

मंत्रिमंडल में उस दल या संयुक्त दल के नेता रहेंगे, जिस दल को प्रारम्भ का बहुमत प्राप्त होगा ।

मंत्रिमंडल में प्रधान मंत्री की बड़ी अधिकारयुक्त स्थिति रहेगी । वह अपने मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है और उनमें अधिकार विभाजन कर सकता है । वह किसी मंत्री को पदच्युत कर सकता है । कहने का भाव यह है कि मंत्रिमंडल राज्य की नौका का संचालक है ।

मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व सामूहिक होगा । वह सामूहिक रूप ही से कार्य करेगा ।

मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में जनता के मौलिक-अधिकारों पर बड़ा जोर दिया गया है । ईस्वी सन् १९३२ का भारत सरकार के अधिनियम (Government of India Act) में मौलिक अधिकारों का समावेश न था । साईमन कमीशन और संयुक्त पार्लियामेंटरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में संविधान पत्र में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने का विरोध किया था । साईमन कमीशन ने लिखा था:—

"We are aware such provisions have been

inserted in many constitutions, notably in those of the European states formed after the war. Experience, however, has not shown them to be of any practical value. Abstract declarations are useless, unless there exist the will and the means to make them effective."

अर्थात् हमें ज्ञात है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएँ बहुत से संविधानों और सास कर उन राज्यों के संविधानों में सम्मिलित की गई है, जो राज्य युद्ध के बाद बने हैं। पर अनुभव ने उन्हें किसी व्यावहारिक उपयोग का नहीं पाया है। कोरी घोषणाएँ तब तक बेकाम रहती हैं जब तक कि उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उद्द संकल्प और साधन उपस्थित न हों। इसके विपरीत दूसरा मत यह था कि संविधान पत्र में मौखिक अधिकारों का जोड़ा जाना अनहित की दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि वे राज्य के आधारभूत तत्व हैं। इनके द्वारा राज्य को अपने अधिकारों के प्रयोग में नैतिक मर्यादाएँ प्राप्त होती हैं। यह अधिकार मानव की भलाई और विकास के लिए आवश्यक हैं। जिस विधान में इन अधिकारों की गारन्टी दी गई है उसे सम्य संसार आदर की दृष्टि से देखता है। भारतीय संविधान ने भी इन अधिकारों को सम्मानपूर्वक स्थान दिया है। वे अधिकार ये हैं:—

१—समानाधिकार (Right of Equality)

२—स्वातन्त्र्य-अधिकार (Right of Freedom)

३—धर्म स्वातन्त्र्य का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

४—संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights)

१—सम्पत्ति का अधिकार (Right to property)

६—संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

इन अधिकारों का विस्तृत विवेचन भारतीय संविधान में किया गया है। यह दुःख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे जासकों और अधिकारियों द्वारा इन अधिकारों की कई बार अवहेलना हुई है, जिसकी आलोचना कई वक्त हाईकोर्टों के जजों को भी अपने फैसलों में करनी पड़ी है।

देश-विभाजन

देश-विभाजन की कल्पना पर हम गत अध्यायों में प्रकाश डाल चुके हैं। संदम में एक साधारण मुस्लिम विद्यार्थी के द्वारा किस प्रकार पाकिस्तान की कल्पना का जन्म हुआ और पीछे मि० जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा किस प्रकार उसका विकास हुआ इस पर पहले काफी लिखा जा चुका है।

रूस के सर्वाधिकारी स्टालिन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ "Marxism and the national and colonial question" में यह लिखाया है कि किसी देश के सीमास्थित प्रान्तों को केन्द्र से अलग कर पूर्ण स्वायत्त शासन दे देने से उस देश को बाह्य आक्रमण का भय बढ़ जाता है और उसकी स्वतन्त्रता हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाती है। कामरेड स्टालिन ने अपने उक्त ग्रन्थ में लिखा है कि:—

"The demand for the secession of the border regions from Russia as the form that should be given to the relations between the centre and the border regions must be rejected, not because it

is contrary to the very definition of the establishment of an alliance between the centre and the border regions, but primarily because it is fundamentally opposed to the interests of the peoples both of the centre and the border regions."

अर्थात्, सीमाप्रान्तीय प्रदेशों की रशिबा से जुदा होने की मांग ठुकरा देना चाहिए। इसका कारण यह है कि यह न केवल केन्द्रवर्ती शासन और सीमा प्रान्तीय शासन की मैत्री के विरुद्ध है वरन् यह केन्द्रवर्ती और सीमाप्रान्तीय प्रदेशों के हित के भी विरुद्ध है।"

हेरोल्ड छास्की ने भारत विभाजन के संबन्ध में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा था कि:—

"In the present world conditions you cannot have Balkanizaion of India which complete sovereignty of separate Muslim majority provinces as embodied in the Pakistan demand will mean."

"अर्थात्, संसार की वर्तमान परिस्थितियों में आप भारतवर्ष के बाह्यकन प्रदेश की तरह टुकड़े-टुकड़े कर नहीं रह सकते। पाकिस्तान की मांग में प्रन्थित पूर्ण प्रभुता प्राप्त जुदे मुस्लिम बहुमतवाले प्रान्तों को अलग करने का अर्थ भारत के टुकड़े करना है।

कहने का मतलब यह है कि संसार के विचारशील लोग किसी भी राष्ट्र के विभाजन को उसके लिए महान् अनर्थकारी समझते हैं। क्योंकि इससे देश की स्वतन्त्रता हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाती है।

भारतवर्ष और द्विराष्ट्र-सिद्धान्त

मि० जिन्ना के 'द्विराष्ट्र-सिद्धान्त' पर पिछले पृष्ठों में प्रकाश डाला

जा चुका है। मि० जिन्ना ने मुस्लिमों की संस्कृति, परम्परा, रीति-रिवाज और धर्म की भिन्नता पर जोर देते हुए मुस्लिमों के लिए हिन्दुओं से भिन्न राष्ट्र कायम करने के लिए घोर आन्दोलन किया और पाकिस्तान की स्थापना की। पर वास्तव में हिन्दू और मुस्लिम भिन्न भिन्न धर्म के अनुयायी होते हुए भी भिन्न राष्ट्र नहीं थे। भारतीय मुसलमानों की ६०% फौसदी जन संख्या में वे लोग हैं जो पहिले से हिन्दू थे, और जिनके पूर्वजों को राजनैतिक मजबूरियों के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा था। सुप्रसिद्ध इतिहास वेत्ता प्रोफेसर सुदानन्द ने लिखा है।

“Moreover, say what you will, a large number, in fact the largest portion of the Mohamedan population are Hindu converts to Islam.” (quoted by Dr. S. Sinha in his some eminent Bihar contemporaries)”.

अर्थात्, आप चाहे जो कहें, पर मुसलमानों की अधिकांश संख्या-वास्तव में सबसे बड़ी संख्या-उन हिन्दुओं को है जो धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म के अनुयायी बना लिये गये थे।

पर इन सब ऐतिहासिक तथ्यों को एक तरफ रख कर मुस्लिम लीग और उसके नेता देश के विभाजन पर अड़े रहे और अन्त में देश का विभाजन हुआ, और उसके साथ ही देश में जो दूर्भाग्य पूर्ण जो घटनाएँ घटीं वे मानव इतिहास में सदैव के लिए कलंक रूपी मानी जावेगी ! अब हम देश विभाजन की व्यवहारिक कार्य पद्धति पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है।

देश-विभाजन की व्यवहारिक कार्य पद्धति

जो जिन्ना ने पाकिस्तान सीमा की जो मनोचष्टि की थी, उसमें

पंजाब, उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रान्त, बिहारविस्तार, सिंध, बंगाल और आसाम का समावेश होता था। ईस्वी सन् १९४३ की २३ सितम्बर को मुस्लिम लीग के तत्कालीन सेक्रेटरी मि० खियाकतअली खान ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये थे। इसके दो वर्ष पश्चात् अर्थात् ६ नवम्बर ईस्वी सन् १९४५ को मि० जिन्ना ने अमेरिका के एसोसियेटेड प्रेस के संवाददाता को बकवब देते हुए प्रकट किया था।

“Geographically Pakistan would embrace all of the north-west India, on the eastern side of India would be the other portion of Pakistan composed of Bengal and Assam provinces.”

“अर्थात् भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान में सारे उत्तर-पश्चिम हिन्दुस्तान का समावेश हो जाता है। भारतवर्ष के पूर्वीय भाग में पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा होगा, जिसमें बंगाल और आसाम का समावेश होगा।”

मुस्लिम लीग विभाजन की उक्त योजना पर जोर देती रही। उसके नेताओं ने इस योजना के कार्यान्वित नहोने पर भयंकर गृहयुद्ध की घमण्डियों की पर इसमें वे सफल न हो सके। पंजाब और बंगाल के हिन्दू बहुमत जिलों और मुस्लिम बहुमत जिलों को दो विभिन्न गुटों में बांट कर उक्त दो प्रान्तों के विभाजन की योजना कार्यान्वित करने के लिए तत्कालीन भारत सरकार ने ३० जून १९४७ को दो कमीशन मुकद्दिर किये और भारत के दो प्रमुख राजनैतिक दलों के नेताओं को सलाह के अनुसार उचड़ी कर्तें विभक्त कर दीं।

पंजाब कमीशन में सर सिरिख रैडनिशक (जज्यज), मि० जस्टिस दीन मोहम्मद, मि० जस्टिस मुहम्मद मुनीर, मि० जस्टिस मेहरचन्द महाजन, मि० जस्टिस तेजासिंह (तेजसिंह) सदस्य गण्य कानिष्ठ थे। उक्त

कि बंगाल कमीशन में अध्यक्ष महोदय और मि० जस्टिस बी० के० मुकर्जी, मि० जस्टिस सी० सी० विश्वास, मि० जस्टिस अबू साबेह मुहम्मद अकरम और मि० जस्टिस एस० ए० रहमान शरीक थे। उक्त दोनों सीमा कमीशनों को यह हिदायत दी गई थी कि वे एक दूसरे से बने हुए मुस्लिम या गैर-मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों को निश्चित कर उसी आधार पर सीमाओं की रेखा खींचें। उन्हें यह भी आदेश दिया गया था कि ऐसा करने में वे दूसरी बातों का भी ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आसाम के सिलहट जिले के विवाद-ग्रस्त प्रदेश के संबंध में सर्व जनमत ग्रहण (Plebiscite) का परीक्षण यदि उक्त जिले के पूर्वोक्त बंगाल में मिलाये जाने के पक्ष में हों तो बंगाल सीमा कमीशन को चाहिए कि वह सिलहट जिले मुस्लिम बहुमत वाले भागों तथा आसाम से बने हुए जिलों के परस्पर मिले हुए मुस्लिम बहुमत वाले भागों का भी निर्धारण करे। इन कमीशनों को अपना निर्णय देने से पूर्व अनेक तथ्यों और परस्पर विरोधी विचारों के घने जंगल को पार करना पड़ा। प्रारम्भिक बैठकें हो जाने के बाद सीमा कमीशनों ने विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं को अपनी मांगें और मत पेश करने के लिए निमंत्रित किया और पीछे से सुबे इज़्जारास में उनके दावों को सुना। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और सिक्खों ने विभाजन के संबंध में अपने भिन्न भिन्न वक्तव्य दिए।

भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों के परस्पर विरोधी दावों और मांगों के कारण कमीशनों को निःसन्देह बड़ी जटिल समस्या का सामना करना पड़ा। बंगाल के अनेक प्रदेश विवाद का विषय बन गये थे। बंगाल के बारह जिलों के दो विभाग बिना किसी विशेष विवाद के गैर मुस्लिम बहुमत वाले और मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेश स्वीकार कर लिये गये थे। गैर मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों में मिर्जापुर, बांकपुर, हुगली, दार्जिलिंग, और कटकान थे।

इसके वीपरीत बुखिम बहुमत वाले प्रदेशों में चटगांव, नौसादाही टिपेरा, द्वाका, मैमनसिंह, पबना, और बोगरा थे। इनके अतिरिक्त बंगाल के शेष पन्द्रह जिलों के लिए, जिनमें कलकत्ता भी शामिल था, विरोधी दलों ने अपने अपने दावे पेश किये। इसी तरह पंजाब के पांच भागों में से सारा छाहौर, मुजतान और आखनवर तथा अंबाला डिविजन में तोपर तहसील का एक भाग अगड़े को अड़ बन गए।

स्वयं कमीशन के सदस्यों में ही मतभेद होने से कार्य और भी बिटल हो गया। सर सिरिल रेडक्लिफ ने गवर्नर जनरल को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि—

“सदस्यों में परस्पर इतना अधिक मतभेद है कि ‘सीमा-निर्धारण’ की समस्या का सर्वसम्मत हल प्राप्त करना असंभव है।” अन्यतम्यों के अर्थ विषयक मतभेदों के कारण कमीशन के लिए सर्वमान्य हल निकालना असंभव हो गया। ऐसी परिस्थिति में कमीशनों के सदस्यों ने अंत में यह तय किया कि अजब यह महोदय भारत स्वतन्त्रता एक्ट के अन्तर्गत स्वयं अपना निर्णय दें, जो उन्होंने १७ अगस्त १९४७ को प्रकट किया।

रेडक्लिफ़ महोदय का निर्णय

भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारोंने पहले ही उस निर्णय की सम्झ में जाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। चाहे फिर यह निर्णय कुछ भी हो। तदनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों ने रेडक्लिफ़ महोदय के निर्णय को विषमनुसार कियान्वित करने का विरह्व किया। फिर भी दोनों में से एक भी एक निर्णय से संतुष्ट न हुआ। भारत सरकार के असंतुष्ट होने के विशेष कारण थे। इसलिये उसने घोषित किया कि “यह निर्णय असंतोषजनक और अन्वय पूर्व होने के कारण

वह नोबल उपायों से इसकी शर्तों में संशोधन करना चाहती है।" भारत सरकार का ता० ७ सितम्बर १९४७ का विशेष घोषणा-पत्र (Gazette Extraordinary.)]

सीमा-विभाजन के सम्बन्ध में स्वयं कमीशन के सदस्यों में मतभेद था। इससे भारत और भी जटिल हो गया। सर सिरिल रेडक्लिफ ने मन्त्रपरामर्श को अपनी जो रिपोर्ट भेजी, उसमें इस मतभेद का स्पष्ट उल्लेख था। कमीशन के कुछ सदस्यों का यह मत था कि कमीशन को आसाम का कोई भी सुस्तिम बहुमत वाला प्रदेश जो देसा भूमि-खण्ड जो पूर्वीय बंगाल से छगा हुआ हो, आसाम से अलग कर पूर्वीय बंगाल में जोड़ देने का अधिकार प्राप्त था। इस दृष्टिकोण का कारण यह था कि उन सदस्यों ने "आसाम से छगे हुए जिले" इन शब्दों का अर्थ लगाया, 'आसाम के वे जिले जो पूर्वीय बंगाल से जुड़े हुए हों।'

दूसरों का यह मत था कि आसाम के हिस्सों को उससे अलग कर पूर्वीय बंगाल में मिला देने का कमीशन को दिया गया अधिकार सिद्धांत जिले तथा उससे छगे हुए आसाम के अन्य परस्पर जुड़े हुए सुस्तिम बहुमत वाले प्रदेशों (यदि कोई हों) तक ही सीमित था। अन्वय महोदय इस दूसरे दृष्टिकोण से सहमत थे। बहुत वाद-विवाद के बाद अन्त में कमीशन ने यह निर्णय किया कि उसका काम सिद्धांत और उससे छगे हुए आसाम के जिलों को, सुस्तिम और गैरसुस्तिम बहुमत वाले (एक दूसरे से छगे हुए) प्रदेशों के आकार पर, पूर्वीय बंगाल और आसाम के बीच में बांट देना है।

सर सिरिल रेडक्लिफ का यह उपाय था कि सिद्धांत का विभाजन करने के लिए एक मूल्यांकन को अद्य-वद्य होना आवश्यक है। इस मूल्यांकन के बीच से एक रेखा खींची, और पूर्वीय बंगाल के

नये प्रान्त को इस रेखा के उत्तर और पश्चिम के प्रदेश देना विरहित किया। फिर भी भारत और पाकिस्तान की सरकार सिविलिट जिसे सम्बन्धी रैडविकरक निर्वाचन के अर्थ के बारे में सहमत नहीं हैं और यह मामला अभी तक संयुक्त सीमा-कमिशन के बाह्य-विचार का विषय बना हुआ था। हाक ही में भारत सरकार ने इस निर्वाचन के अनुसार पाकिस्तान में गये हुए कुछ प्रदेश के वापस मिलने की मांग की है।

मुस्लिम लीग ने वृन्धिय और सब विविजन के आधार पर ही मकदो तैयार किये और भागीरथी तथा ब्राह्मणी नदियों को सीमा रेखा मान लेने की मांग पेश की। वास्तव में इसने कर्दवान जिन्हे को कोर कर लगभग सारे पूर्वीय बंगाल के प्रान्त की मांग की। इससे विरहित कांग्रेस ने पश्चिमी बंगाल के लिए कुछ ७७,४४२ वर्गमील में से ३१,१४४ वर्गमील क्षेत्रफल के प्रदेश को मांग की। सिन्धु महासभा ने इस में फरीदपुर और माकदा जिलों के कुछ और भी हिस्से मांगे। सिन्धु रैडविकरक निर्वाचन में पुराने बंगाल प्रान्त का लगभग ३१-४ प्रतिशत क्षेत्रफल और ३१-१ प्रतिशत जन-संख्या पश्चिमी बंगाल को देना निर्वाचन किया गया। बंगाल की कुछ मुस्लिम जन-संख्या में से ११-०६ प्रतिशत पश्चिमी बंगाल में और ८१-१७ प्रतिशत पूर्वीय बंगाल में रही, जबकि बंगाल के इन दोनों भागों में गैर-मुस्लिम जनता क्रमशः ६८-३२ और ११-०८ प्रतिशत थी। साथ कर्दवान विविजन और सबकाही विविजन का दाखिलिग जिन्हा पश्चिमी बंगाल में शामिल किये गये। मदिया, जेखोर, दीनाजपुर, जलपाईगुडी और माकदा के पांच जिले दोनों प्रान्तों के बीच में बाँट किये गये।

पंजाब—

पंजाब के संबंध में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिक्खों की मांगें बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की थीं। कांग्रेस ने अपनी मांगें सिक्खों

सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की रक्षा, युद्ध और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा तथा आर्थिक सुखवधा आदि के विचारों के आधार पर की थी। इस लिए उसने पूर्वीय पंजाब के लिए चिनाब नदी से पूर्व के भाग के लिए मांग पैदा की। इसके अतिरिक्त सिक्खों ने अपने पवित्र मंदिरों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया तथा कांग्रेस द्वारा मांगे हुए हिस्सों में उन्होंने मौंटगोमरी और लाहौर के जिले तथा मुल्तान डिविजन के खानवाह, विहारी और मैदसी सब डिविजन भी जोड़ दिये। इसके विपरीत मुस्लिम लोग ने न केवल रावल्पिंडी, मुल्तान और लाहौर के तीन डिविजनों की मांग की, किन्तु जालंधर और अंबाला डिविजनों की भी तेहसीखें भी मांगीं। पश्चिमी पंजाब के उस हिस्से की, जिसके लिए मुस्लिम लोग ने अपना दावा पेश किया था, कुछ जनसंख्या २ करोड़ ४२ लाख थी, जिसमें से ६१-८६ प्रतिशत मुसलमान थे। अश्वर महोदय के कथनानुसार एक ओर ब्यास और सतलज तथा दूसरी ओर रावी नदों के बीच का प्रदेश ही वास्तव में विवाद का मुख्य विषय था। नहरों तथा सड़कों और रेलों के जाल के कारण, जो लाहौर और अमृतसर की भौगोलिक स्थिति के कारण वहां धीरे धीरे बिड़ गया था, सीमा-विचारण का कार्य अत्यन्त कठिन हो गया।

फिर भी रैड विडफ-निर्याय में एक रेखा खींच दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप १३ जिले, जिन में पूरे जालंधर और अंबाला डिविजन, लाहौर डिविजन का अमृतसर जिला, गुरदासपुर जिले की तीन तेहसीखें (पाठनकोट, गुरदासपुर और बताला (Batala) तथा लाहौर जिले की कसूर तेहसीख का एक हिस्सा शामिल थे, पूर्वीय पंजाब को देना निश्चित हुआ।

सचाचार पत्रों की समालोचनाएँ

भारतीय समाचार पत्रों ने रैडविडफ-निर्याय की बड़ी तीव्र समालोचना की। "अमृत बाजार पत्रिका" ने उसे "खीलों हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद

के द्वारा हिन्दू और मुसलमानों को अलग-अलग गढ़ें बनाकर" कहा। "हिन्दुस्तान स्टैटस" ने उसे "अत्यंत असंगत, अनियमित और स्वैच्छाचार पूर्ण" कह कर उसकी तीव्र निंदा की। "हिन्दू" ने लिखा कि "वह गैर मुस्लिमों के लिए अन्याय पूर्ण है"। फ्री प्रेस जर्नल ने लिखा— "यह समय में नहीं आता कि सर रैडक्लिफ ने अपना निर्णय ऐसी गैर जिम्मेदारी के साथ क्यों दिया। इस निर्णय ने तो फलान्त की जनसंख्यात्मक रचना के सिद्धान्त को ही, जो विभाजन का आधार था, बदल दिया है। इसकी सारी जिम्मेदारी सीमा कमीशन के दूसरे सदस्यों पर है, जिन्होंने अपने मतभेदों के कारण अध्वच महोदय की पूर्वधारणाओं और सिफ़ा कल्पनाओं को खुल कर खेचने का अवसर दिया है।" डीटर के मतानुसार "वह निर्णय बंगाल और पंजाब के हिन्दुओं के लिए उसी तरह अन्यायपूर्ण है, जैसे कि ब्रिटिश शासन-सत्ता के पिछले सभी निर्णय रहे हैं।" मुस्लिम लीग के पत्र 'डॉन' ने अपने "सीमा विषयक हत्या" शीर्षक संपादन लेख से लिखा कि पाकिस्तान एक अन्यायपूर्ण निर्णय और अज्ञानपूर्ण पक्षपात के कारण ऐसे व्यक्ति से उगा गया है, जिस से तटस्थ होने के कारण न्याय की आशा की गई थी।" किंतु इन सब विरोधों के होते हुए भी सभी इस बात पर सहमत थे कि कम से कम अभी तो शान्ति पूर्वक इस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए और पीछे से वापस में बातचीत के द्वारा आवश्यक परिवर्तन होते रहेंगे।

कमीशन के निर्णय से असन्तोष

यद्यपि देश में शान्ति-स्थापना की दृष्टि से राष्ट्र-नेताओं ने रैडक्लिफ कमीशन के निर्णय को स्वीकार कर लिया था, पर उससे किसी भी समुदाय को सन्तोष न हुआ। बंगाल के हिन्दुओं की शिकायत थी कि इस निर्णय के अन्तर्गत पश्चिमीय बंगाल का लगभग ४००० वर्गमील क्षेत्रफल कम होगया है। उन्होंने सुझाव दिये, जो एक हिन्दू बहुमत

कहा जिहा था, पूर्वीय बंगाल में मिला दिने जाने का विरोध किया। जनता के पहाड़ी इलाकों के, जिनकी १० प्रतिशत जनता गैर-मुस्लिम थी, जिन जाने पर मोघ प्रकट किया। दार्जिलिंग और जहांगीरपुरी के लोगों को शेष पश्चिमी बंगाल से बिलकुल अलग होजाना भी उनके असंतोष का कारण था। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप जनसंख्या का अत्यन्त अन्वयपूर्ण विभाजन हुआ। क्योंकि जहाँ कुछ मुस्लिम जनसंख्या का १६% भाग पश्चिमी बंगाल में रह गया था, वही पूर्वीय बंगाल में हिन्दुओं तथा अन्य गैर मुस्लिमों की जन संख्या का ४२% भाग पूर्वीय बंगाल में रहा; अर्थात् पश्चिमीय बंगाल में मिलने मुसलमान थे उससे लगभग तिगुने अर्थात् ४२% हिन्दू तथा गैर मुस्लिम पूर्वीय बंगाल में रहे। दूसरे शब्दों में तो कहिए कि पूर्वीय बंगाल में वद्यपि हिन्दू अल्प संख्या में थे, पर फिर भी उनकी और मुसलमानों की संख्या में नाम मात्र का ८% प्रतिशत अन्तर था। इसके विपरीत पश्चिमीय बंगाल में मुसलमान बहुत ही अधिक अल्पमत में थे, अर्थात् उनकी और हिन्दुओं की संख्या में ८३% का फर्क था। यह फैसला भी तौम आलोचना का विषय बन गया था।

मुसलमानों को रेडविस्त्रीय निर्णय से इतना अधिक क्षाम होजाने पर भी सन्तोष न था। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और नदिबा के कुछ हिस्सों के अपने हाथ से निकल जाने का उन्हें बड़ा अफसोस था। उन्होंने वहाँ तक धमकी देदी थी कि अगर पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान की सीमा विषयक हत्या को स्वीकार भी कर लिया तो जनता उसे कदापि स्वीकार न करेगी।

कहने का मतलब यह है कि रेडविस्त्रीय निर्णय ने किसी दल को संतुष्ट न किया। उसने हिन्दुओं पर चौर अन्वय किया। इतना ही नहीं बल्कि जनता की आर्थिक व्यवस्था पर तथा रेडों और सड़कों के बाँटा-

बात के साधनों पर भी, जिनका केन्द्र कलकत्ता नगर था और जो एक संयुक्त आधार पर बने हुए थे, कुठाराघात किया।

इस विभाजन से सारा औद्योगिक बलबल पश्चिमीय बङ्गाल के अन्तर्गत आगया। जूट, रुई, शक्कर, खोहा, फौजाद, तथा कागज़ के कारखाने पश्चिमी बंगाल में रह गये। इसके अतिरिक्त कोयले, लोहे और अन्य खनिजों की खानें पश्चिमी बंगाल के हिस्से में आईं।

इसके विपरीत गन्ना, पाट, सरसों और सम्भवतः चावल की फसलों दृष्टि से वह घाटे में रहा।

अब पूर्वीय बंगाल की बात लीजिए। कृषि के विचार से पश्चिमीय बंगाल की अपेक्षा उसकी स्थिति अधिक उत्तम है। उसका कृषि-प्रदेश पश्चिमीय बंगाल की अपेक्षा लगभग दूना है। वह बंगाल के कुल जूट का ७० प्रतिशत उत्पाद करता है। उसमें हुगली के अतिरिक्त सभी बड़ी नदियां हैं। वहां पश्चिमी बंगाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है और वहां सिंचाई की सुविधाएँ भी अधिक उत्तम हैं। इस प्रकार वहां की भूमि पश्चिमी बंगाल की अपेक्षा अधिक उर्वर और उपजाऊ है। पकी हुई बंजर (ऊसर) भूमि का अनुपात तुलनात्मक दृष्टि से कम है। जहाँ पश्चिमी बंगाल में शहरी जनसंख्या अधिक है, जहाँ के लगभग २२ प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं वहां पूर्वीय बंगाल में यह संख्या केवल ४ प्रतिशत है।

शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल अधिक उन्नत (समृद्ध) है। कलकत्ता विश्वविद्यालय, विश्वभारती, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, बंगाल इन्जीनियरिंग कॉलेज आदि सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थाएँ तथा संस्कृति के केन्द्र हूरी यान्तमें हैं। कलकत्ता बंगाल प्रांत का सबसे बड़ा नगर है। यह एक बहुत बड़ा व्यापार-संस्थापक का केन्द्र और अत्यन्त उन्नत नगर है। यहां उच्च

के सभी देशों के लोग दिखाई पड़ते हैं। पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थियों और अतिरिक्त सरकारी नौकरों के कारण पश्चिमी बंगाल की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई थीं और अब उन लोगों के लिए भोजन, मकान, नौकरी आदि की व्यवस्था करने की बड़ी भारी समस्या पश्चिमी बंगाल के सामने खड़ी हो गई थी।

भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल को रेडक्लिफ-निर्णय से भारी नुकसान हुआ है। उसके दो टुकड़े हो गये। इससे उनका और आसाम के साथ का सीमा सम्पर्क असंभव हो गया है और इस सीमा के प्रदेश के बाताबात के साधनों की नवीन व्यवस्था अत्यंत आवश्यक हो गई। बाहर के आक्रमणों से रक्षा की दृष्टि से पूर्वी बंगाल पर अधिक भारी जिम्मेदारी आ पड़ी। क्यों कि वह सब तरफ विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है और पश्चिमी पाकिस्तान से केवल समुद्र और आकाश-मार्ग से ही जुड़ा हुआ है।

पंजाब में जनता की प्रतिक्रिया:—

पंजाब की गैर-मुस्लिम जनता और विशेष रूप से सिक्खों में इस निर्णय ने घोर असंतोष उत्पन्न किया, क्योंकि इससे उनका जातीय सुसंगठन क्षिन्न-भिन्न हो गया। वे अपने पवित्र मंदिरों और धार्मिक स्थानों से वंचित हो गये तथा शेलपुरा, लायलपुर और मोंटगोमरी की नहरों की बस्तियाँ (Canal colonies) और लगभग आधा मजहा-को सिक्खों की मातृभूमि है—उनके हाथ से जाते रहे। इन नहरों की बस्तियों को उन्होंने अपने पचास वर्ष के अथक परिश्रम से तैयार किया था। इस निर्णय ने प्रान्त के २६:४४ के आकार पर विभाजन कर उन लोगों की मांग की भी सर्वथा उपेक्षा की। इसी तरह हिन्दू लोग भी काश्मीर और उसके आसपास के जिलों के अपने हाथ से चले जाने के कारण अत्यंत असंतुष्ट हुए, क्योंकि वह प्रदेश उनकी खेती-बाड़ी, सामा-

बिक और राजनैतिक कार्य-कलाप तथा व्यापार, बीमा कंपनियों और बैंकों का केन्द्र था। मुसलमानों ने भी अपनी ओर से इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाई कि मंडी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पश्चिमीय पंजाब के ही हाथ में न रही और प्रकल्पित पश्चिमी पंजाब की (.....) चार तेइसीखें भी उससे अलग कर दी गईं और उनके बदले में कोई भूमि पश्चिमी पंजाब को न दी गई।

विभाजन के परिणामस्वरूप पूर्वीय पंजाब को संयुक्त पंजाब की पांच नदियों में से तीन पर अधिकार प्राप्त हो गया तथा पूरे प्रान्त की लगभग ४५ प्रतिशत जनसंख्या, ३८ प्रतिशत क्षेत्रफल, और ३१ प्रतिशत आमदनी उसके हिस्से में आई। इसके विपरीत पश्चिमी पंजाब में लगभग २५ प्रतिशत जनसंख्या, और ६२ प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित हुआ और पुराने प्रान्त की लगभग ६६ प्रतिशत आमदनी पर उसका अधिकार हो गया। संयुक्त पंजाब की मुख्य मुख्य नहरें, नहरों से सिंचित उपजाऊ भूमि का करीब ७० प्रतिशत भाग और उसमें होनेवाली भारी आय पश्चिमीय पंजाब को मिली। उसे प्रधान जंगल, खनिज पदार्थ और रबड़ के सामान, डाकटरी और-फाड़ के औजार तथा खेज के सामान आदि के कारखाने प्राप्त हुए। शीशम के पेड़ और प्रान्त के बातायात के संयुक्त साधनों का बहुत बड़ा भाग उसके हिस्से में आया। प्रान्त का एक मात्र विश्वविद्यालय, प्रधान शिक्षण-संस्थाएँ, अस्पताल तथा खेतीबाड़ी और शिल्प संबंधी संस्थाएँ प्राप्त करने का उसे सौभाग्य मिला। इस काय पश्चिमी पंजाब तुलनात्मक दृष्टि से अधिक बड़ा, समृद्ध और जनजात पैदा करने वाला प्रान्त है और वहाँ जनसंख्या का घनत्व प्रति मील केवल २५५.२ है जब कि पूर्वीय पंजाब में ३३८ है।

विभाजन के बाद सामूहिक रूप में लोगों के स्थानान्तरित होने (देशान्तरगमन) के कारण पूर्वीय पंजाब में मजदूरी और सामान की

कमी हो गई और पश्चिमी पंजाब को शिल्प, व्यवसाय और शिक्षण सम्बन्धी प्रतिभा की कृति हुई। अनेक प्रकार के उद्योगों के संबंध में ऐसा हुआ कि लगभग सारी श्रमिक जनता एक ओर चली गई जब कि व्यापारी, उद्योगपति और विक्रेता आदि दूसरी ओर चले गये। इस प्रकार दोनों प्रान्तों को नुकसान हुआ; किन्तु छोड़कर चले जाने वाले गैर-मुस्लिम लोगों की विशाल स्थावर जंगम संपत्ति, उपजाऊ भूमि, फारखाने और व्यापारिक पेढियाँ पश्चिमी पंजाब को प्राप्त होने से उसे अधिक लाभ रहा।

पूर्वी पंजाब को अपना नया जीवन अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में आरम्भ करना पड़ा। राजधानी के अभाव में प्रान्तीय मंत्री-मंडल के बिना बिल्कुल स्थान विश्रित करने में बड़ी कठिनाई हुई। व्यापक अन्वयस्था और इच्छित आतायात साधनों के अभाव के कारण कमी कमी प्रान्त की सारी आसन्न-व्यवस्था के उच्छिन्न हो जाने का भय प्रतीत होने लगा। कानून और व्यवस्था को कायम रखने वाले महकमों को भी भारी जवाब देना पड़ा। पुलिस के मुसलमान बौकरों ने, जो संख्या में ६० प्रतिशत थे, शुरू से ही स्पष्ट रूप से अपना विरोध प्रकट किया और अन्त में सशस्त्र का आश्रय ले लिया। पूर्वीय पंजाब की सरकार को, पश्चिमी पंजाब से सामूहिक रूप में आनेवाली विशाल जनसंख्या और अतिरिक्त सरकारी नौकरों के वहाँ चले आने के कारण भयंकर उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त मुसलमान किसानों के प्रान्त छोड़ कर चले जाने से तथा दंगों से होने वाली आर्थिक हानि के कारण प्रान्त की आमदनी में भारी घाटा हुआ। कुछ बातों में दोनों प्रायद्वीप पर विभाजन के एकसे असर हुए हैं। पुलिस का सर्च बढ़ जाने के बिना दोनों प्रायद्वीपों को जनता को स्थानान्तरित करने और लाखों शरणार्थियों को पीड़ा बसाने और उनके कारण पहुँचाने के कार्य में बड़ा भारी कार्य करना पड़ रहा है। दोनों प्रायद्वीपों में कौसी दंगे हुए, भारी भार

काट मची। रेलवे लाइनों, तार आदि काट डाले गये। व्यापार बर्बाद हो गया तथा हुकोगों के जान मान हुकी भारी हानी हुई। स्वतंत्रता के स्वर्ण-प्रभात में ही उत्पात खुदे हो गये तथा गरीब, अमीर, स्त्री, बूढ़ों, बच्चों सब का सम्मिश्रित कल्याण-कंदन सुनाई पड़ने लगा! यह सब धार्मिक और साम्प्रदायिक जोश के अन्धे पागलपन का परिणाम था, जिसका बीज 'दो राष्ट्र' वाले विषाक्त सिद्धान्त के द्वारा बोया गया था।

साम्प्रदायिक-उपद्रव

देश विभाजन के बाद लोगों को यह आशा हो चकी थी कि मुस्लिम लीग को उसकी स्वयंसृष्टि का पाकिस्तान मिल गया है और इसलिये अब साम्प्रदायिक उपद्रवों का अन्त हो जायगा। उभय देशों में हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रेम से रहने लगेंगे। पर लोगों की यह आशा दुःशा में परिचित हुई। हाँ, भारत में महात्मा गांधी अपनी सारी शक्ति खर्च करके हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने प्रार्थना के समक्ष अपने दिष्ट गये भाषणों में हिन्दुओं से बार बार यह प्रार्थना की कि वे अत्याचार का बदला अत्याचार से न लें, वरन् वे भारत में रहने वाले मुसलमानों को अपना भाई समझकर उनकी जान और शान्त की रक्षा करें। मानवता के इसी महान् उद्देश्य की रक्षा के कारण उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा!

कहने का मतलब यह है कि जहाँ भारत के सर्व प्रधान नेता मानवता के महान् सिद्धान्त का सन्देश दे रहे थे, वहाँ मुस्लिम-लीग के नेता 'द्विराष्ट्र-सिद्धान्त' को लेकर देश में घोर हिंसा का प्रचार कर रहे थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के दूबारे ही दिवस अर्थात् १६ अगस्त १९४६ को मुस्लिम-लीग ने "सीधी कार्यवाही" की घोषणा करदी। इससे सारे देश में जो शकून और अत्याचार हुए, उसका उदाहरण इतिहास में मिलता

मुश्किल है। सबसे पहले यह आग कलकत्ते में भड़की और इसके परि-
णाम स्वरूप हजारों नागरिकों की क्रूरता-पूर्वक हत्या की गई! मुस्लिम
लीग की सीधी कार्यवाही ने कलकत्ते में दो दिन तक भय और अत्याचार
का साम्राज्य कायम कर दिया! कलकत्ते के सुप्रसिद्ध एडवोकेट-इन्डियन
पत्र Statesman ने १८ अगस्त १९४६ के अंक के अपने सम्पादकीय
लेख में लिखा था कि:—

“It was obvious from an early hour, that some of those who were set on disrupting the city's peace were privileged. The bands of ruffians rushing about in lorries, stopping to assault and attack and generally spreading fear and confusion, found the conveyances they wanted. On a day when no one else could get transport for their lawful avocations, these men had all they wanted; it is not a ridiculous assumption that had been provided for in advance.”

अर्थात् प्रातःकाल से ही यह स्पष्ट था कि जो लोग शहर की शान्ति भंग करने पर उतारू हो रहे थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। बदमाशों के मुण्ड के मुण्ड कारियों में इधर उधर चारों ओर चक्कर काट रहे थे और वे जहाँ तहाँ अपनी कारियों को रोक कर लोगों पर आक्रमण कर भय, आतंक और व्यव्रता फैला रहे थे। इन्हें अपनी इच्छानुसार वाहन मिल जाते थे। जिस दिन किसी को भी अपने उचित कार्य के लिए सवारी मिलना असम्भव था, उस दिन इन आद-
मियों को जो कुछ वे चाहते थे सब मिल जाता था। यह अनुमान करना असंभव न होगा कि उन्हें पहले से ही सारी सामग्री दे दी गई थी।

स्टेट्समैन के उक्त उद्धार से मुस्लिमलीग की शरारतमयी कार्यवाही पर काफ़ी प्रकाश गिरता है। वहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस समय यह राष्ट्रपति कांस्टेबल हो रहा था उस समय बंगाल में मुस्लिमलीग का मंत्रिमंडल था, जिसने सुबह कर गुन्दों की मदद की और उन्हें हिन्दुओं पर आक्रमण और विविध प्रकार के अत्याचार करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया।

क्रिया की प्रतिक्रिया होना प्राकृतिक नियम है। दो तीन दिन के बाद हिन्दुओं ने भी अपना संगठन किया और उन्होंने गुन्दों का डटकर मुकाबला किया। पीछे जाकर उन्होंने अपनी ~~आपत्तियाँ~~ करते हुए इन गुण्डों की मरम्मत भी की।

बंगाल के अन्य जिलों में उपद्रव

कलकत्ते के कुछ समय बाद मुस्लिमलीग ने पूर्वी बंगाल और नोआखाली में अपनी सीधी कार्यवाही (Direct Action) का दौरा शुरू किया। रक्तपात, लूटखसोट, आगजनी, स्त्रियों का सतीत्व हत्या, जबरदस्ती धर्म-परिवर्तन की अत्याचार पूर्ण कार्यवाहियाँ शुरू हो गईं। चारों ओर हाहाकार मच गया ! इन अत्याचारों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित After Partition नामक ग्रन्थ में लिखा है—

Some time after the great Calcutta Killing, the champions of Direct Action were active in a quiet and peaceful districts of East Bengal, Noakhali, where the Hindus were a mere handful, barely 18% of the total population. The depredation started on October 10, 1946, and over 700

villages including some in the bordering district of Tipperah and Sandwip Island in the Bay of Bengal were subjected to looting and arson. Forcible conversion, abduction and rape of women completed the tragedy. The attack was launched at the same time on the same day and in the same fashion on all the main villages; large mobs armed with deadly weapons, in many cases fire-arms, surrounded the localities where the Hindus lived.

अर्थात् कलकत्ते के महान् हत्याकाण्ड के कुछ समय के बाद 'सीधे कार्यवाही' के योद्धाओं ने पूर्वीय बंगाल, नोआखाली, जहां हिन्दुओं की संख्या मुद्दी भर अर्थात् १८ फी सदी थी, अपनी गतिविधि प्रकट की। १० अक्टूबर १९४६ को लूटमार आरम्भ हुई! सात सौ गांवों में, जिनमें टिपारा और सन्द्वीप जैसे बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती द्वीप भी सम्मिलित थे, लूटमार और आगजनी का दौरा दौर होगया! बलात् धर्म परिवर्तन, स्त्रियों का अपहरण, बलात्कार, आदि ने इस दुस्वान्तक नाटक की पूर्ति की। यहां यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही समय में सब ग्रामों में एक साथ हमले हुए। हथियार बन्द लोगों के बड़े बड़े मुन्डों ने घातक हथियारों और आग्नेयास्त्र अर्थात् बन्दूकों के साथ गांवों के उन सब मुहल्लों को घेर लिया, जहां हिन्दू बसे हुए थे।

उपरोक्त अवतरण से पाठकों को उन राक्षसी अत्याचारों का ज्ञान होगा जो उस समय निर्दोष हिन्दुओं पर किए गए थे। सैकड़ों हजारों हिन्दुओं की निर्मम हत्याएं की गईं! सैकड़ों स्त्रियों का सतीत्व अपहरण किया गया और उनकी तरह तरह से बेइज्जती की गई! हिन्दुओं के घर बलात्कार और बन्दी सम्पत्ति लूटी गई। छोटे छोटे बच्चे भी इन आतंकाहियों के शिकार हुए! हिन्दुओं में खारों और हाहाकार मच गया।

और जिस सरकार (मुस्लिम लीगी सरकार) की ओर वे अपनी रक्षा के लिए देख सकते थे, वह उनकी रक्षा की बजाय भद्रक सिद्ध हुई। विनाश, लूटमार, बलात्कार और आगजनी की घटनाओं से सारा वायुमंडल परिष्कृत हो गया।

इन दारुण दृष्यों की कथाएँ सुनकर मानवता के अवतार महात्मा गांधी का हृदय द्रवीभूत होगया। वे पूर्वीय बंगाल पहुँचे और उन्होंने नोआखाली जिले का, अपने कुछ साथियों के साथ, नंगे पैर दौरा किया। वहाँ हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि महात्मा गांधी की रक्षा के लिये तत्कालीन मुस्लिम-लीग के प्रधान मंत्री ने योग्य प्रवृत्त किया। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का प्रभाव उन संकटग्रस्त जिलों की जनता पर आदर्श पड़ा, और वहाँ के वायुमंडल में कुछ सुधार अवश्य हुआ।

बिहार में साम्प्रदायिक उपद्रव

क्रिया की प्रतिक्रिया होना, यह प्रकृति का अटल नियम है। ईस्वी सन् १८१५ में दक्षिण प्रदेश में हिन्दू-मुस्लिमों के जो दंगे हुए थे, उनके कार्यों और उपायों पर प्रकाश डालते हुए लोकमान्य तिलक ने अपने सुप्रसिद्ध पत्र 'केशरी' में एक लेखमाला प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम समस्थानों पर राजनैतिक दृष्टि से बहुत ही गम्भीर और वास्तविक प्रकाश डाला था। वे कोरे आदर्शवाद के गमन-मार्ग में न उड़े, पर वास्तविकता की कठोर भूमि पर खड़े रहकर उन्होंने सत्स्थाओं का विरलेष्य किया था। उन्होंने इस क्रिया प्रतिक्रिया पर व्यावहारिक और कानूनी दृष्टि से विचार करते हुए यह दिखलाया था कि मूल अत्याचार कर्ता जिसका अपराधी होता है, उतना वह व्यक्ति नहीं होता जो अपने पर या अपने समाज पर किए गए अत्याचारों का प्रतिक्रिया के रूप में बदला चुकाता है। यद्यपि इसमें भी अत्याचार और ज्यादतियाँ होती हैं, जिनका न्याय और मानवता की दृष्टि से समर्थन नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात यह है कि हममें मूल अपराधी बच जाते हैं और कई निपराध मनुष्यों को केवल एक समाज विशिष्ट के सदस्य होने के कारण दुःख और कष्ट उठाने पड़ते हैं।

बंगाल में हिन्दुओं पर जो भयंकर अत्याचार हुए, उनकी प्रतिक्रिया बिहार में हुई, जहाँ कि हिन्दुओं की बहु संख्या है। यहाँ हिन्दुओं ने बंगाल का बदला चुकाने के लिये मुसलमानों पर आक्रमणादि किये। हिंसा काण्ड भी हुए। पर बिहार के अति सम्मानीय और प्रिय नेता डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद और उनके अन्य साथियों ने अपनी जान हथेली में रख कर मुसलमानों की रक्षा की। पं० जवाहर लाल नेहरू भी उस समय वहाँ पहुँचे और उन्होंने उपद्रवों को शान्त करने की भरपूर चेष्टा की।

यहाँ यह देखना चाहिये कि जहाँ ज़ीगी सरकार ने हिन्दुओं पर अत्याचार करवाने में मुस्लिम उपद्रवकारियों की अप्रवृत्त साहायता की, वहाँ हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बिहार में मुसलमानों की पूरी पूरी रक्षा की।

सीमाप्रान्त और पंजाब के उपद्रव

बिहार के उपद्रव के बाद उत्तर पश्चिमीय सीमाप्रान्त और पश्चिमीय पंजाब में, जहाँ हिन्दू अल्प संख्या में थे, भयंकर उपद्रव हुए। हिन्दुओं, सिक्खों की सैकड़ों हजारों की संख्या में निर्दयता पूर्वक हत्याएं की गईं! इन हत्याओं के स्त्रियाँ और बालक भी बलि पड़े थे। हिन्दुओं और सिक्खों के धर्म-मन्दिर और मकान जलाए गए! स्त्रियों के साथ बलात्कार और अन्य विविध अत्याचार किये गये! स्त्रियाँ सैकड़ों और हजारों की संख्या में उड़ाई गईं, और उनमें से अधिकांश मुसलमानों के साथ विवाह करने में बाध्य की गईं। यहाँ के भीषण अत्याचार जोआन्नाली से भी अधिक बढ़ गए! सारा वायुमंडल हाहाकार और क्रूर क्रंदन से व्याप्त हो गया! भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

'After Partition' नामक पुस्तिका में लिखा है ।

"The Bihar trouble, on the other hand, was followed by riots and mass murders in the North-West Frontier Province and west Punjab, where the Hindu and Sikh minorities were subject to sufferings similar to those of Noakhali. From the facts available, it would be justified to assure that the disturbances in the Punjab were carefully planned as part of a well-planned conspiracy to install the Muslim League Ministry in the Punjab. This was looked upon as first step towards the establishment of Pakistan".

"अर्थात् पंजाब के उपद्रव के बाद ही उत्तर पश्चिमीय सीमाप्रान्त और पश्चिमीय पंजाब में दंगे और सामूहिक हत्या काण्डों का दौर दौरा हुआ । इन प्रान्तों में हिन्दू और सिक्खों की अल्प संख्या (Minorities) थी और उन्हें नौआखली की तरह कष्ट उठाने में बाध्य होना पड़ा था । इस सम्बन्ध में जो तथ्य उपलब्ध हुए हैं, उनसे यह अनुमान करना उचित होगा कि पंजाब के उपद्रव, मुस्लिमलीगी मंत्रि-मंडल को पंजाब में प्रतिष्ठित करने के लिये, एक सुयोजना पूर्ण षड्यंत्र का साधनता पूर्वक किया गया एक हिस्सा था । पाकिस्तान स्थापित करने की ओर आगे बढ़ाया हुआ यह पहला कदम समझा गया था । "

यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इन राष्ट्र-घातक दुर्घटनाओं से प्रभावित होकर हमारे नेताओं ने देश विभाजन की योजना को विषाद पूर्ण हृदय के साथ स्वीकार किया । परिस्थिती इतनी विगड़ चुकी थी कि डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी जैसे अखण्ड भारत के समर्थकों ने भी देश विभाजन के कार्य को स्वीकार किया था । महात्मा गांधी के हृदय-

मन्दिर में तो इस विभाजन से अन्धकार सा छा गया था ! उनका यह विषाद और घोर आत्मिक-यन्त्रणा उनके लेखों और व्याख्यानों में प्रकट होती है ।

हमें दुःख के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि कांग्रेस ने अनसन्त्र के विशुद्ध और उच्च सिद्धान्त की उपेक्षा कर और अपनी सीमा से बाहर जाकर मुस्लिम लीग और मि० जिन्ना को संतुष्ट करने की नीति को अपनाया और योग्य अवसर आने पर राष्ट्रीय मुसलमानों को प्रोत्साहन देने के बजाय, एक कट्टर साम्प्रदायिक संस्था मुस्लिमलीग से जोड़ तोड़ करने की चेष्टा की । यही नीति देश विभाजन का मुख्य कारण बनी । दूसरी बात यह है कि मुस्लिमलीग और उसके नेता मि० जिन्ना साहिव ने देश के सामूहिक हित के बजाय अपने कौमी हित को सर्वोपरि महत्व दिया और उन्होंने एक कौम को दूसरी कौम के खिलाफ खड़ा कर देश के वातावरण को जातीय द्वेष से परिप्लुत किया । यह देश के विभाजन का सबसे बड़ा कारण था ।

पूर्वीय पंजाब में साम्प्रदायिक उपद्रव

पश्चिमीय पंजाब के उपद्रवों और अत्याचारों की पूर्वीय पंजाब में भी, जहाँ मुस्लिम अल्प मत में थे, प्रतिक्रिया शुरू हुई । यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उस समय उक्त प्रान्त में हिन्दुओं द्वारा मुसलमानों पर जो ज्यादतियाँ हुईं, मानवता की दृष्टि से उनका समर्थन नहीं किया जा सकता । पर इन उपद्रवों के सम्बन्ध में पाकिस्तान समाचार पत्रों और रेडियों द्वारा जो समाचार प्रकाशित किये गए, वे अतिरंजित थे । भारत सरकार द्वारा प्रकाशित *Alter Partition* नामक पुस्तिका

है—

"The riots in west Punjab had their natural percussions in East Punjab of which exagger-

ated reports were published in the Pakistan Press and broadcast by the Pakistan radio. These reports were completely silent about the fact that the happenings in East Punjab and Delhi were a direct reaction of the West Punjab atrocities. Their effect was to further intensify the force of destruction in West Punjab."

अर्थात् परिचयीय पंजाब के दंगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया पूर्वीय पंजाब में हुई, जिनके अतिशयोक्ति पूर्ण विवरण पाकिस्तान के समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा पाकिस्तान रेडियो द्वारा ब्राडकास्ट किये गए। इन विवरणों में यह बात कतई न-दिल्लवाई गई कि पूर्वीय पंजाब और देहली में होने वाली घटनाएँ परिचयीय पंजाब में होने वाले अत्याचारों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया थी। उनका परिणाम यह हुआ कि परिचयीय पंजाब की विनाशक शक्तियों को और भी उत्तेजन मिला।

पं० नेहरू की पूर्वीय पंजाब में यात्रा

ईस्वी सन् १९४७ के १७ अगस्त को भारत के प्रधान मंत्री पं० नेहरू अकस्मात् रूप से पूर्वीय पंजाब गए। अम्बाला में उन्होंने पूर्वीय और परिचयीय पंजाब के मुल्की और कौजी अफसरों की कॉन्फ्रेंस की, और इसके बाद वे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री सि० खिवाजा के साथ लाहौर पहुँचे, जहाँ उन्होंने घटनाओं का विचलनोपस्थि रण प्राप्त किया। पं० नेहरू ने स्थिति का वर्णनवेचन कर कहा—

"We heard ghastly tales and we saw thousands of refugees, Hindu, Muslim, and Sikh. Ang social elements were abroad, defying all authority and destroying the very structure of society."

अर्थात् हमने भयानक कहानियाँ सुनीं और हिन्दू, मुस्लिम, तथा सिक्ख शरणार्थियों को हजारों की संख्या में देखा। समाज विद्रोही तत्व खुले तौर से घूम रहे थे और वे हुकमत की अवहेलना कर सोसाइटी के ढाँचे तक को नष्ट कर रहे थे।

इस्वी सन १९४७ के २४ अगस्त को पंडितजी ने पूर्वीय पंजाब का दूसरा दौरा किया और उन्होंने जगह जगह भाषण देकर लोगों से शान्त रहने की अपील की। उन्होंने यह स्वीकार किया कि पूर्वीय पंजाब से उपद्रवों के समाचार आ रहे हैं और वहाँ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। पर इसका हवाज बदला लेने से न होगा। अगर पश्चिमीय पंजाब में पूरी शान्ति हो गई तो हम अपनी शक्तियों को पश्चिमीय पंजाब के अल्प दल वालों की रक्षा में लगावेंगे।

दिल्ली में साम्प्रदायिक उपद्रव

इस्वी सन १९४७ के सितम्बर मास के प्रारम्भ ही से दिल्ली का वातावरण अत्यन्त उत्तेजनामय हो रहा था। जैसे जैसे शरणार्थी हजारों की संख्या में पश्चिमी पंजाब से दिल्ली आकर अपने अपार कष्टों की कहानी सुनाते थे, वैसे वैसे इस उत्तेजना की ज्वाला अधिक से अधिक प्रज्वलित होती थी। भारत के उपप्रधान मंत्री सरदार पटेल ने वायु मंडल में उत्तेजना के भावों को देखा और उन्होंने लोगों से शान्ति रक्षा की अपील करते हुए कहा:—“मैं यह पूर्णरूप से जानता हूँ कि शरणार्थियों को जिन दुःखद घटनाओं का सामना करना पड़ा है, वे इतनी क्रूरता और अत्याचार पूर्ण हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्हें, उनके कुटुम्बियों और सम्बन्धियों को ऐसे घोर नरक का दारुण दुःख बटाना पड़ा है, जिससे यह मालूम होता है कि मानव जंगली पशु की वृत्ति में किस प्रकार परिणत हो जाता है। इतना होने पर भी मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप बदले की भावना न रखें। क्योंकि

इससे सरकार की शक्तियां शरणार्थियों की सहायता के बजाय शान्ति रक्षा के काम में लगेंगी ।

४ सितम्बर १९४७ को दिल्ली की स्थिति और भी बिगड़ी और वहाँ आगजनी और छुरेबाजी की घटनाएँ हुईं । इससे सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा और नगर की शान्ति रक्षा के लिये सैना बुलवानी पड़ी । ५ सितम्बर को सारे शहर में उपद्रव फैल गये और वातावरण अत्यन्त विह्वल हो गया । ६ सितम्बर शनिवार को जहाँ तहाँ आगजनी और छुरेबाजी की घटनाएँ होने लगीं । दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने परिस्थिति को सम्भालने के लिए सख्त कदम उठाए । सरदार वल्लभभाई पटेल ने ब्राडकॉस्ट द्वारा दिल्ली के लोगों से अपनी की कि वे शान्ती रक्षा के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा दें । १५ सितम्बर तक शहर में शान्ती स्थापित होगई ।

इसी समय पुलिस ने मुसलमानों के एक शस्त्रगार का पता लगाया और यहाँ मुसलमानों ने पुलिस और फौज का कई घंटों तक सशस्त्र मुकाबला किया ।



लौकिक राज्य



ईस्वी सन् १९४७ की २६ सितम्बर को पं० जवाहर लाल नेहरू ने एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए लोगों को उनकी संस्कृति और सम्बन्ध का स्मरण दिलाया और कहा कि मुस्लिम लीग ने देश की असीम हानि की है और इससे लोगों के कुछ दल विशेष हिन्दू राज की मांग करने लगे हैं। पर ऐसा करना मुस्लिम-लीग की विजय है।

ईस्वी सन् १९४७ के १२ अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पण्डित जी ने यह वक्तव्य दिया:—

“So far as India is concerned we have very clearly stated both as Government and otherwise that we can not think of any state which might be called a communal or religious State. We can only think of a secular non-communal democratic State, in which every individual, to whatever religion he may belong, has equal rights and opportunities.”

‘अर्थात् जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है हमने सरकार और अन्य दृष्टियों से यह साफ़ तौर से प्रकट कर दिया है कि हम किसी ऐसे राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, जिसे साम्प्रदायिक या धार्मिक कहा जाय। हम केवल मात्र लौकिक, साम्प्रदायिक जनतन्त्रात्मक, राज्य ही के विचार में सोच सकते हैं, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे फिर वह किसी भी

धम का अनुयायी हो, स्मान अधिकार और अवसर प्राप्त हो सकें"।
आगे चलकर फिर पण्डितजी ने कहा:—

"We want a secular democratic State. That has been the ideal of the Indian National Congress ever since it started 65 years ago & we have consistently adhered to it."

अर्थात् 'हम कौटुम्बिक जनतन्त्रात्मक राज्य चाहते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस का ६५ वर्ष से अर्थात् अपने जन्म काल से यही आदर्श रहा है और हमने हमेशा उसका पालन किया है।'

पाकिस्तान में हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार

पाकिस्तान में हिन्दुओं पर जैसे अत्याचार हो रहे थे, उनका उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। इन अत्याचारों की विभीषिका दिन व दिन बढ़ती ही गई। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'After Partition' नामक पुस्तिका में इन अत्याचारों में सम्बन्ध के लिखा है:—

"Across the border, life was becoming impossible for the non-Muslim minorities. Assurances of safety and security were offered to the minorities by the leaders of Pakistan, but these assurances were devoid of any reality and were made to mislead international opinion. Even agreements made with the Government of India regarding evacuation by the two Dominions were being flouted by Pakistan. The refugees, for instance, were being searched and personal effects like sewing machines

crockery, ornaments and even wearing-apparels were being seized. In West Panjab and N. W. F. Province the non-Muslims were being subjected to all manner of indignities and the Government did nothing to improve the situation. According to official reports received by East Panjab Government, 'females were separated from their males at Jhelam. Males were all herded together and cut down with axes and saws, as orders were issued not to waste a round on Kaffirs. The women-folk were then allotted so many to each group of Pathans.' In Gujrat area the number of abducted girls was estimated at 4,000. At certain places general-traffic in women proceeded and abducted women were sold in the open market. Refugee trains were attacked, passengers killed, girls forcibly taken away and property looted, practically, every day. Miss Mridula Sarabhai, who did rescue work in West Panjab, herself noticed quite a number of girls being taken away by Pathans from trains.

जिसे भारत-सीमा के उस पार गैर-मुस्लिम अल्पदलवालों का जीवन असह्य हो रहा था। पाकिस्तान के नेताओं द्वारा उक्त अल्पदलवालों को अल्पदल और सुरक्षा के आश्वासन दिये जा रहे थे। पर यह आश्वासन किसी भी प्रकार के सत्य से विहीन थे, और वे अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन को गंभीर रूप से खिंच रहे थे। भारत सरकार के

साथ दो अधिराज्यों द्वारा रिकीकारण के विषयों में जो समझौते हुए थे, उनकी पाकिस्तान द्वारा अवहेलना हो रही थी। उदाहरण के लिए शरणार्थियों की जामा तबाशी ली जा रही थी, और उनका वैयक्तिक सामान—जैसे लीने की मशीनें, बानि मीने के बर्तन और पहिने के जेवर आदि छिन लिए जाते थे। पश्चिमीय पंजाब और उत्तर-पूर्वीय प्रदेश में गैर-मुस्लिमों को सब प्रकार की बेइज्जतियों का शिकार होना पड़ता था, और सरकार इस स्थिति को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं कर रही थी। पूर्वीय पंजाब की सरकार को इस सम्बन्ध में जो विवरण प्राप्त हुए थे, उनमें लिखा था कि—“केलम में स्त्रियां उनके मंदों से जुदा की जाती हैं। मंदों को एक साथ इकट्ठा कर उन्हें कुल्हाड़ियों और करौतों से काट डाला जाता है। इसके बाद स्त्रियों की पठानों के दलों के सुपुर्द कर दिया जाता है। गुजरात में अपहरण की हुई स्त्रियां बेची जा रही थी या उन्हें खुले बाजार में नीलाम किया जा रहा था। शरणार्थियों की रेलगाड़ियों पर हमले किए जा रहे थे और मुसाफिरों की कत्ल किया जा रहा था। इसके बाद लड़कियों को जबरदस्ती अपहरण किया जाता था और सम्पत्ति लूटी जाती थी। यह घटनाएँ निरन्तर होती थीं। कुमारी मृदुला सारोभाई ने, जो पश्चिमीय पंजाब में कई निवारण के कार्य कर रही थी, पठानों द्वारा कई लड़कियों का अपहरण होते देखा था।”

कहने का भाव यह है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं पर उस समय जैसे राक्षसी अत्याचार हुए, उनका उदाहरण इतिहास में मिलना कठिन है। मानवता का पतन किस सीमा तक हो सकता है, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है।

देश-विभाजन

और विशाल जन समूह का आवगामन



देश विभाजन के बाद लोगों को शान्ति-स्थापना की आशा हो चली थी, पर देश के परम दुर्भाग्य से यह आशा घोर दुराशा में परिणत हुई। मुस्लिम लीग की 'सीधी-कार्यवाही' के कार्यक्रम से पाकिस्तान में हिन्दुओं पर भौषण अत्याचार होने लगे और उनका वहां रहना असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने यह उचित समझा कि पाकिस्तान से हिन्दुओं को सुरक्षित रूप से भारत में लाया जाय। उसने अपना कार्यक्रम आरम्भ कर दिया और रेल्वे, मोटरकारियों और वायुयानों के द्वारा नित्यप्रति लगभग ५० हजार से ऊपर की संख्या में हिन्दू पंजाब से भारतवर्ष लाए जाने लगे। इसके अतिरिक्त तीस तीस चालीस-चालीस हजार के हिन्दुओं के बड़े बड़े क़ाफ़िले लायलपुर और मान्टगुमरी जिलों से नित्य प्रति दो-दो सौ मील का कठिन प्रवास कर भारतवर्ष की सीमा में आने लगे। ईस्वी सन् १९४७ के १८ सितम्बर से लगा कर २९ अक्टूबर तक अर्थात् ४२ दिनों में गैर-मुस्लिमों के ८४६००० स्त्री पुरुष सैकड़ों, हजारों बैलगाड़ियों और दोरों के साथ फौज के संरक्षण में भारतवर्ष आए। इनके अतिरिक्त २७ अगस्त से ६ नवम्बर के बीच में भारत सरकार ने ६०३ ट्रेने दौड़ाई, जिनके द्वारा २७६६३६८ शरणार्थियों ने पाकिस्तान से आकर भारतवर्ष में प्रवेश किया। ४२७००० गैर-मुस्लिमों और २१७००० मुसलमान शरणार्थियों को क्रम से सैनिक वाहन के द्वारा पाकिस्तान से लाया गया तथा पाकिस्तान पहुँचाया गया।

१५ सितम्बर से ७ दिसम्बर तक २७५०० शरणार्थियों की हवाई विमानों द्वारा भारत लाया गया। भारत सरकार के हवाई विमानों ने शरणार्थियों को यहाँ लाने में ६६२ उड़ानें कीं। ६००००० गैलन पेट्रोल इन उड़ानों में खर्च हुआ।

६ जनवरी १९४८ में अर्थात् करांची के उपद्रवों के पहले से ही हिन्दू और सिक्खों का रिक्तीकरण (Evacuation) शुरू हो गया था। ५ जनवरी १९४८ तकव हवाई विमानों, जहाजों और रेलों के द्वारा ४७८००० हिन्दू और सिक्ख सिंध छोड़कर भारतवर्ष आए। सारी जहाजी ताकत इन्हें लाने में खर्च की गई।

दिसम्बर १९४७ के मध्य तक सैनिक रिक्तीकरण-संगठन के प्रबन्ध में पश्चिमीय पंजाब और उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रान्त से हिन्दुओं और सिक्खों के बड़े बड़े जत्थे भारतवर्ष आते रहे। हाँ, सिन्ध से आने वाले शरणार्थियों की गतिविधि अपेक्षाकृत धीमी-रही। इसका कारण यह था कि सिंध सरकार ने सिंध छोड़ कर आनेवाले शरणार्थियों के लिए अनुमति पत्र (Permit) का लेना आवश्यक कर दिया था। उन्हें इनकम टैक्स अधिकारियों, तहसीलदारों, म्युनिसिपैलिटियों और मुल्की अधिकारियों से यह प्रमाणपत्र लेना पड़ता था कि सम्बन्धित शरणार्थियों पर खानगी किसी प्रकार का कर्ज नहीं है। उनकी और इनकमटैक्स, म्युनिसिपैलिटि-टैक्स या अन्य किसी प्रकार का सरकारी कर बकाया नहीं है। उनसे इस बात की जमानत भी मांगी जाती थी कि उनकी तरफ किसी बैंक का बकाया नहीं है और उनके पास मुस्लिमों के जेवर गिरवी नहीं है।

शरणार्थियों का स्वागत

भारतवर्ष में आए हुए शरणार्थियों का यहाँ की जनता ने उस समय हार्दिक स्वागत किया। विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता के द्वारा

शरणार्थियों के भोजन का प्रबन्ध किया गया। भारत सरकार ने भी प्रारम्भ में काफी दिखचस्पी ली और उसने पूर्वीय पंजाब, देहली, युक्तप्रदेश, बम्बई, राजपूताने के राज्य आदि में एक सौ साठ केम्प खोल कर १२,५०,००० शरणार्थियों का प्रबन्ध किया, जिनका रोजाना खर्चा लाखों रुपया प्रतिदिन था। ईस्वी सन् १९४७, ४८ में केन्द्रीय सरकार ने शरणार्थियों के कष्ट निवारण के लिए १० करोड़ रुपया अपने बजट में स्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त प्रान्तों और देशी राज्यों के केम्पों में, वहां की सरकारों ने भी इस कार्य में लाखों रुपए खर्च किए। कुरुक्षेत्र की शरणार्थी केम्प का चार्ज ईस्वी सन् १९४७ के नवम्बर मास में केन्द्रीय सरकार ने ले लिया। इस केम्प में ३०००० शरणार्थी थे। सिन्धी शरणार्थियों के लिए भी प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार ने प्रबन्ध किया। इसके २ माह पश्चात् यह प्रबन्ध सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों और राज्यों के हाथ सौंप दिया गया। शरणार्थी केम्पों का अधिकतम खर्च भारत सरकार ने सहन किया।

विभिन्न शरणार्थी केम्पों में १८०१५४८ तम्बू भारत सरकार द्वारा शरणार्थी शिविरों को दिए गये। इसके अतिरिक्त मुसलमानों द्वारा खाबर्त किए गए घरों, धार्मिक स्थानों और स्कूलों और कॉलेजों को इमारतों में शरणार्थी ठहराए गए। कई शरणार्थी अपने रिश्तेदारों के यहां भी ठहरे।

भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच यह समझौता हुआ था कि शरणार्थियों के आवागमन के समय हर एक सरकार अपनी अपनी राज्य सीमा में सब शरणार्थियों के लिए खाद्य और जीवन की अन्य आवश्यक सामग्री की पूर्ति करेगी। भारत सरकार ने अपना यह वचन पूरी तरह से पालन किया। उसने शरणार्थी-शिविरों में ठहरे हुए मुस्लिम और गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को समन्वय से भोजन दिया। इतना ही नहीं, उसने दोनों प्रकार के शरणार्थियों के लिए डॉक्टरी

क्रिस्टिना का भी प्रबन्ध किया। पर पाकिस्तान सरकार ने इस ओर विश्वकुल ध्यान न दिया।

भारत सरकार का शरणार्थियों के कार्य में भारी खर्च होने लगा। अकेले कुरुक्षेत्र के शिविर में लगभग तीन हजार मन आटा रोज खर्च होता था। कुछ सार्वजनिक संस्थाओं ने भी इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पंजाब और सिंध के शरणार्थियों की सुरक्षा और प्रबन्ध में बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया। भारतवर्ष के अन्य स्थानों में भी यह संस्था शरणार्थियों की सहायता में अपनी शक्ति लगाती रही।

पंजाब में बहुत ही सख्त ठंड गिरती है। थके थकाए और मांटे शरणार्थियों की इस ठंड से रक्षा करने के लिए सरकार के पुनर्वास महकमों के द्वारा पूर्वी पंजाब, दिल्ली और कुरुक्षेत्र में हजारों की संख्या में ब्लांकेट भेजे गए। पश्चिमी पंजाब के शिविरों में ठहरे हुए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए दस हजार ब्लांकेट हवाई विमानों द्वारा पहुँचाए गए। भारतीय शरणार्थी शिविरों में ठहरे हुए शरणार्थियों में लाखों गज विभिन्न प्रकार के वस्त्र बांटे गए। इतना ही नहीं, बने बनाए शर्ट, जर्सी और पाजामें भी बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों में बांटे गए।

७ जनवरी १९४८ तक १५ लाख बने बनाए वस्त्र वितरण किए गए। इसके अतिरिक्त कुछ संस्थाओं ने घर घर से वस्त्र इकट्ठे कर शरणार्थियों में तकसीम किए।

कहने का भाव यह है कि संसार के इतिहास में इतना विशाल जन-परिवर्तन कभी न हुआ। सरकारी प्रबंध में कई त्रुटियाँ होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस महान् और कठिन समस्या का उस समय उसे सामना करना पड़ रहा था, वह अपने ढंग की बेजोड़ थी। जिस समय इस विशाल जन-समूह का परिवर्तन हो रहा था उस समय सरका

कार का शासन-तन्त्र देश के विभाजन के कारण खिन्न भिन्न हो रहा था और इससे सरकार की कठिनाइयाँ अनन्त गुणी बढ़ गई थीं। पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा था:—

“In future history it will be said that vast and colossal as this problem was, something which might shake the very foundations of Government and the social order, the people of India stood up to it bravely, tackled it and, I hope, ultimately solved it to the advantage of the Nation.”

अर्थात् भावी इतिहास में यह कहा जायेगा कि जो समस्या देश के सामने उपस्थित हुई थी, वह इतनी प्रकण्ड और विशालकाय थी कि उससे शासन की नींव और सामाजिक व्यवस्था खिन्न भिन्न हो सकती थी। भारतवर्ष के लोगों ने इसका बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और इसे हाथ में लेकर राष्ट्र के लाभ में इसे हल किया।”

महात्मा गांधी का शान्ति संदेश

जब साम्प्रदायिक उपद्रवों ने देश के वातावरण को विचुम्ब कर रखा था और पाकिस्तान की घटनाओं से भारतीयों के मन स्वाभाविक रूप से बदला लेने की ओर प्रवृत्त हो रहे थे, उस समय महात्मा गांधी भारतीय जनता को अहिंसा के दिव्य सिद्धान्त का संदेश दे रहे थे। वे लोगों को अत्याचार का बदला अत्याचार से न लेकर प्रेम के दिव्यास्त्र द्वारा अपने विरोधियों को जीतने का पाठ पढ़ा रहे थे। वे लोगों को समझा रहे थे कि देश के पार पाकिस्तान में मुसलमानों के द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला भारतीय मुसलमानों से देना न्यायसंगत नहीं है।

महात्मा गांधी आदर्शों के उच्च स्तर पर खड़े रह कर भारतीय जनता को मानवता का संदेश दे रहे थे और उसमें देवत्व की भावना का विकास करने का प्रयत्न कर रहे थे। यद्यपि देश के वातावरण को पूरी तरह से शान्त करने में वे सफल न हुए, पर फिर भी उन के उपदेशों के कारण देश की शान्ति-स्थापना में बड़ी सहायता मिली। दिल्ली में प्रार्थना के समय दिए गए उनकी भाषणों से कई लोगों का हृदय-परिवर्तन हुआ और उनमें मानवता का विकास हुआ।

२ अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म-दिन सारे देश में बड़ी धूम धाम से मनाया गया और उनके अहिंसा के दिव्य सिद्धान्त का प्रचार किया गया।



देशी राज्यों का विलीनकरण



भारतवर्ष की ५०० से ऊपर रियासतों का विलीनीकरण सरदार पटेल ने जिस राजनीतिज्ञता के साथ किया, वह भारतवर्ष के इतिहास में एक विशेष स्थान रखेगा ।

सन् १९४७ ई० के जुलाई मास में पार्लियामेन्ट ने जो भारतीय स्वातंत्र्य एक्ट स्वीकृत किया उसकी एक धारा यह है:—

“The suzerainty of His Majesty over the Indian states lapses and with it, all treaties and agreements in force at the date of the passing of this Act between His Majesty and the rulers of Indian States, all functions exercisable by His Majesty at that date with respect to Indian states, all obligations of His Majesty existing at that date towards Indian States or the rulers thereof and all powers, rights, authority or Jurisdiction exercisable by His Majesty at that date in or in relation to Indian states by treaty, grant, usage, sufferance or otherwise.”

इसका आशय यह है कि श्रीमान् सम्राट् की भारतीय रियासतों पर जो प्रभुत्ता थी, उसकी समाप्ति हो चुकी है । इसके साथ ही वे सारे सन्धिपत्र व समझौते भी, जो भारतीय राज्यों और श्रीमान् सम्राट् के

बीच इस एक्ट के पास होने तक अन्तर्ल दगमद में थे, समाप्त हो चुके हैं। श्रीमान् सम्राट् को भारतीय राज्यों तथा उनके शासकों पर सन्धि-पत्र, अनुदानपत्र, लोक व्यवहार और संनति द्वारा जो अधिकार, स्वत्व और अधिकारक्षेत्र प्राप्त थे, उन सबकी भी समाप्ति हो चुकी है।”

भारतीय स्वातंत्र्य एक्ट (Indian Independence Act) द्वारा भारत सरकार को रियासतों के विलीनीकरण का अधिकार प्राप्त हो जाने पर भी, यह कार्य बड़ा प्रचंड और अनेक उलझनों से युक्त था। पर सरदार पटेल ने इसे बड़ी दूरदर्शिता और राजनीतिज्ञता से हल किया। १५ अगस्त १९४७ ई० को सरदार पटेल के इस कार्य के लिये लॉर्ड माउन्टबेटन ने संविधान सभा में कहा था:—

“It was tackled successfully by the far-sighted statesman, Sardar Vallabhbhai patel.”

अर्थात् “दूरदर्शी राजनीतिज्ञ सरदार पटेल ने सफलता के साथ इस समस्या को सुलझाया।”

स्टेट मिनिस्ट्री

एक दो देशी राज्यों को छोड़कर प्रायः सभी देशी राज्य भारतीय संघ के साथ सम्बन्धित थे। अतएव उनका विलीनीकरण भारतीय संघ में हुआ। इसके लिए भारत सरकार ने सरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में एक अलग विभाग खोला, जिसका नाम स्टेट्स मिनिस्ट्री विभाग रक्खा गया।

सरदार बल्लभ भाई पटेल ने देशी राजाओं से अपील की कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित हो जावें और संविधान में अपने राज्य के प्रतिनिधि भेजें। उन्होंने राजाओं से यह अनुरोध किया कि वे प्रगतिशील समय के साथ अपनी गति करें और अपनी सर्वोपरि सत्ता को अपनी

प्रजा की सर्वोपरि सत्ता में परिणत करदें। जनतन्त्रात्मक राज्य में सर्वोपरिसत्ता का आधार 'लोक' होते हैं, व्यक्ति विशेष नहीं। कहने का भाव यह है कि जहां सरदार पटेल अपनी युक्ति-प्रयुक्तियों से राजाओं के अन्तःकरण-परिवर्तन की सफल चेष्टा कर रहे थे, वहां देशी राज्य के प्रजाजन भी अपने राज्यों में घोर आन्दोलन कर भारतीय संघ में सम्मिलित होने का अपना दृढ़ निश्चय प्रकट कर रहे थे। थोड़े से राजाओं को छोड़कर प्रायः सभी राजाओं ने समय की गति को पहचान कर सरदार पटेल के अनुरोध के प्रति अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया प्रकट की। लार्ड माउन्ट बेटन के शब्दों में यह कार्य राजाओं की राजनीतिज्ञता और दूरदर्शिता का सूचक था।

१५ अगस्त १९४७ ई० तक १३६ सन्ध्यामी वाली रियासतों ने प्रवेश पत्र (Instrument of Accession) पर अपने हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में सम्मिलित होगये। सिर्फ दो रियासतें हैदराबाद और काश्मीर उस समय संघ में सम्मिलित न हुईं। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार किया। इससे वहां के प्रजा-जनों में घोर आन्दोलन हुआ। वहां यह कहना आवश्यक है कि जूनागढ़ रियासत का भारत के साथ सन्निकट सम्बन्ध था और उसका भारतीय संघ में भी शामिल होना ही योग्य था। इसके अतिरिक्त नवाब ने वहां के प्रजा-जनों की सम्मति भी न ली थी। अतएव जूनागढ़ के प्रजाजनों ने नवाब के इस कार्य का घोर विरोध करना शुरू किया।

सारे प्रजा जनों ने नवाब के खिल्लाफ़ विद्रोह का झण्डा उठाया। नवाब भयभीत होकर अपनी रियासत का चार्ज दीवान और पुलिस कमिश्नर को सौंपकर पाकिस्तान भाग गए। प्रजा का आन्दोलन दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया। दीवान और पुलिस कमिश्नर स्थिति को न सम्हाल सके। अतएव उन्होंने राजकोट के रेजिनल कमिश्नर से यह प्रार्थना की कि वे राजकोट का शासन सूत्र सम्हालने के

लिए भारत सरकार से अनुरोध करें।

६ नवम्बर १९४७ को जूनागढ़ का शासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और ईस्वी सन् १९४८ के १२ फरवरी से लगाकर २४ फरवरी तक वहां का सर्वजनमत प्रहण किया गया। कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर सारे जन समाज ने जूनागढ़ के भारतीय संघ में विलीन होने के पक्ष में अपना मत दिया। खास जूनागढ़ नगर में, जहां के मतदाताओं की संख्या २००५६६ (२१६०६ मुसलमान और १७८६६६ गैर मुस्लिम) थीं और जहां १६०८७० मतदाताओं ने अपने मत डाले, १६०७७६ मत भारतीय संघ में विलीनीकरण के पक्ष में थे। केवल ६१ मत पाकिस्तान के पक्ष में गए। इससे जनतन्त्र के महान् सिद्धान्त के अनुसार जूनागढ़ राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया।

देशी राज्य और उत्तरदायित्व पूर्ण शासन

भारतीय स्वाधीनता के साथ देशी राज्यों की प्रजा में भी स्वतन्त्र होने की भावना ज्वलन्त रूप से जागृत हो उठी। कई राजाओं ने समय की गति को पहचान कर अपनी प्रजा को उत्तरदायित्व पूर्ण शासन प्रदान कर दिया। कुछ राजा हिचकते रहे। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन राजाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि—

“It has already become obvious that if a Ruler lags behind in the movement for the establishment of full responsible Government, he will do so to his disadvantage and to the disadvantage of his people;”

अर्थात् यह बात स्पष्ट है कि उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित करने

में यदि कोई राजा पीछे रहेगा तो वह अपना और अपने लोगों का अहित करेगा ।

देशी राज्यों का विलीनीकरण

देशी राज्यों का विलीनीकरण भारतीय इतिहास की एक अत्यन्त महत्व पूर्ण घटना है । जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं कि सरदार पटेल की बड़ी दूरदर्शिता और राजनीतिज्ञता ने एक रक्तहीन क्रान्ति के द्वारा इस कार्य को बड़ी सफलता के साथ सुसम्पन्न किया । विलीनीकरण की योजना के अनुसार २३ रियासतें जिनका क्षेत्रफल २३६२३ वर्ग मील और जिनकी जन-संख्या ४०.५ लाख के ऊपर थी, उन्हीसा प्रान्त में विलीन कर दी गईं ।

दो रियासतें, जिनका क्षेत्रफल ६२३ वर्गमील, कुल लोक-संख्या २,००,००० लाख और वार्षिक आमदनी ४,३६ लाख थी, बिहार प्रान्त में विलीन कर दी गईं । १५ रियासतें मध्यप्रान्त में विलीन कर दी गईं । इनका क्षेत्रफल ३१८०६ वर्गमील, लोक संख्या ३८,३४ लाख और वार्षिक आमदनी ८८,३१ लाख थी । तीन रियासतें, जिनका कुल क्षेत्रफल १४४४ वर्गमील, कुल लोक संख्या ४.८३ लाख और कुल वार्षिक आमदनी ३०.८१ लाख थी मद्रास में विलीन कर दी गईं ।

३ रियासतें, जिनका क्षेत्रफल ३७० वर्गमील, लोक संख्या ८.६७ लाख और कुल वार्षिक आमदनी ८.०५ लाख थी, पूर्वीय पंजाब में सम्मिलित कर दी गईं । ३०५ रियासतें, जिनका कुल क्षेत्रफल ३४,८६४ वर्गमील, लोक संख्या ४३.१७ लाख और वार्षिक आमदनी ३०७.१५ लाख थी, बम्बई प्रान्त में विलीन कर दी गईं ।

जिन रियासतों का विलीनीकरण सम्भव नहीं हुआ, उनके संघ (Union) बना दिये गये । इस प्रकार का सबसे पहला रियासती संघ सौराष्ट्र का बना जिससे ४४६ रियासतें सम्मिलित हुईं और

उसके राजप्रमुख नवानगर के महाराजा बनाये गये। इस संघ (Union) का क्षेत्रफल ३३६४६ वर्गमील, लोक संख्या लगभग ३२.०६ लाख और वार्षिक आय ८ करोड़ है। इसका उद्घाटन १५ फरवरी १९४८ ई० को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दूसरे राज्य संघ निम्न प्रकार से बने:—

संघ	सम्मिलित रियासतें	क्षेत्रफल	जन संख्या	वार्षिक आय
		(वर्गमील)		रु०

मध्य-	४ रियासतें,	७,२८६	१८.३८ लाख	१८३,०६ लाख
	(अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करोली)			

राजस्थान	१० रियासतें	२६,६७७	४२.६२ लाख	३१६.६७ लाख
	(कोटा, बांसवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी डूंगरपुर, झालावार, किशनगढ़, प्रतापगढ़, टोंक और उदयपुर)			

पूर्वी पंजाब	८ रियासतें	१०,०००	३५ लाख	१ करोड़
--------------	------------	--------	--------	---------

व पटियाला
(PEPSU)

मध्यभारत	२२ रियासतें	४७,०००	७२ लाख	८ करोड़
----------	-------------	--------	--------	---------

विन्ध्यप्रदेश	३५ रियासतें	२४,५६८	३५.६६ लाख	२४३.३ लाख
---------------	-------------	--------	-----------	-----------

हिमाचल प्रदेश	२४ रियासतें	११,२५४	१०.४६ लाख	६१.०४ लाख
---------------	-------------	--------	-----------	-----------

उपरोक्त विवरण से रियासती संघों और प्रान्तों में सम्मिलित होने वाली रियासतों का साधारण विवरण दिया गया है। इस पर यहाँ कुछ अधिक प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है।

छोटी रियासतों का विखिनीकरण सबसे पहले उड़ीसा की रियासतों से प्रारम्भ हुआ। उड़ीसा की २३ रियासतों के शासकों ने दिसम्बर

१९४७ ई० में होने वाली कटक कान्फ्रेंस में सरदार पटेल के अनुरोध से अपनी रियासतों को उड़ीसा में विलीन करने की स्वीकृति दी। इसके कुछ दिन बाद में ही मध्यप्रान्त के छत्तीसगढ़ जिले की १४ रियासतों के शासकों ने सरदार पटेल के अनुरोध को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी रियासतों को १ जनवरी १९४८ ई० को मध्यप्रान्त में विलीन कर दिया। इस वक्त उड़ीसा की मयूरभंज नामक एक बड़ी रियासत का विलीनीकरण नहीं हुआ। १ फरवरी १९४८ ई० को कुछ अन्य छोटी रियासतों ने भी विलीनीकरण की स्वीकृति दे दी। मकराई रियासत मध्य प्रान्त में सम्मिलित हो गई।

२२ फरवरी १९४८ ई० को बंगनपाल नामक एक छोटी रियासत मद्रास प्रान्त में विलीन हो गई। लोहारू और पाटोदी रियासतों का पूर्वीय पंजाब में विलीनीकरण हो गया। ३ मार्च १९३८ ई० को पुद्दूकोटा नामक की एक बड़ी रियासत मद्रास प्रान्त में विलीन हो गई।

इसी बीच कोल्हापुर को छोड़कर दक्षिण की २६ रियासतों ने बम्बई प्रान्त में विलीन होने का निश्चय प्रगट किया। इसके पहले, इन रियासतों में से ८ ने अपना एक नया संघ बनाया था। इसके बाद बड़ौदा को छोड़कर, गुजरात की १८ रियासतों ने बम्बई प्रान्त में विलीन होने की स्वीकृति दी।

हिमाचल प्रदेश में देहरीगढ़वाल को छोड़कर पूर्वी पंजाब की सब पहाड़ी रियासतें सम्मिलित कर दी गईं और यह प्रदेश एक चीफ कमिश्नर के आधीन रखा गया।

इस वक्त तक जिन छोटी रियासतों का विलीनीकरण होना बाकी था, वे सन्दूर (मद्रास), देहरी गढ़वाल, बनारस, रामपुर (उत्तर प्रदेश) जैसलमेर (राजपूताना), कूच बिहार मशीपुर और खासी हिल स्टेट (आसाम) आदि थीं। पीछे जाकर बची हुई सब रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गईं।

कच्छ की बड़ी रियासत का शासन-भार हिन्दू सरकार ने सीधा अपने हाथ में ले लिया ।

राजस्थान संघ १५ मार्च १९४८ ई० में पहले पहल कोटा में बना, जिसमें कोटा, बांसवाड़ा, शाहापुरा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़ और टोंक की रियासतें शामिल हुईं । १२ अप्रैल सन् १९४८ ई० को इस संघ का उदयपुर में पुनर्संरुद्ध हुआ और इसमें मेवाड़ शामिल कर लिया गया । उदयपुर के महाराजा साहिब इस पुनर्संरुद्ध राज्य के राज्य प्रमुख बने । इस पुनर्संरुद्ध संघ का उद्घाटन पं० जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर में किया ।

मध्यभारत में जो रियासती संघ बना, वह सबसे अधिक विशाल काय है । इसके राज्य प्रमुख महाराजा साहिब ग्वालियर हैं । इसमें ग्वालियर, इन्दौर, भोपाळ, रतलाम, जावरा, सैलाना, नरसिंहगढ़, राजगढ़, आदि २२ रियासतें हैं । इसका क्षेत्रफल ४८,००० वर्गमील, जनसंख्या ७०,००,००० से ऊपर और वार्षिक आय १ करोड़ से अधिक है । इसका उद्घाटनोत्सव २८ मई १९४८ ई० को ग्वालियर में पं० जवाहरलाल नेहरू ने किया था ।

मत्स्यसंघ—इसका उद्घाटन १७ मार्च १९४८ ई० को भरतपुर में श्री० एन० वी० गाडगिल ने किया । इस नये संघ में धौलपुर, भरतपुर, अजमेर और करौली की रियासतें सम्मिलित हुईं । इसके राज्यप्रमुख महाराजा धौलपुर बनाये गये ।

पूर्वीय पंजाब—१५ जुलाई १९४८ ई० को पटियाला में सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर कमलों से इस संघ का उद्घाटन हुआ । इसमें पटियाला, कपूरथला, नाभा, फिन्ड, करीदकोट, माखेरकोटला, कलसिया, नकागढ़ नामक रियासतें सम्मिलित हुईं । महाराजा पटियाला आजीवन के लिये इसके राज्यप्रमुख और महाराजा कपूरथला आजीवन के लिये उपराज्य-प्रमुख बनाये गये ।

हैदराबाद की समस्या



भारत को अखिराज्य का पद प्राप्त होने पर हैदराबाद की समस्या उसके सामने उपस्थित हुई। यहाँ यह प्रकट करना आवश्यक है कि हैदराबाद अपने इतिहास में कभी स्वतंत्र नहीं रहा। मुगल बादशाहत के समय इसकी उत्पत्ति हुई और वह उसके आतहत होकर रहा। उसके बाद उसने ब्रिटिश सरकार की आधीनता स्वीकार की। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में इन्हीं वर्तमान निज़ाम ने सिर उठाया और वे स्वतंत्रता का दावा करने लगे। इस पर लॉर्ड रीडिंग ने इन्हें खूब फिटका और यह प्रकट किया कि हैदराबाद ब्रिटिश के बराबर की नहीं और वह ब्रिटिश सरकार की एक आतहत रिवाजत है। वस, निज़ाम यह फिटकी और अपमान सह कर चुप हो लिये।

जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब यह स्वाभाविक था कि जो सम्बन्ध निज़ाम का ब्रिटिश सरकार के साथ था, वही सम्बन्ध स्वतंत्र भारत के साथ भी रहे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी निज़ाम इस पर राजी नहीं हुए। कई मास तक वे भारतीय संघ में प्रवेश करने का विचार्य नहीं कर सके। संघर्ष को टालने के लिये भारत सरकार ने २६ नवम्बर १९४७ ई० को निज़ाम के साथ एक ब्यास्थित समझौता (Stand still Agreement) किया। इस समझौते में यह प्रकट किया गया कि जब तक निज़ाम के साथ अन्तिम समझौता न हो, तब तक इस ब्यास्थित समझौते का दोनों ओर से पालन होता रहे।

उस अस्थायी समझौते से यह आशा हो चली थी कि भारतीय

अधिराज्य और हैदराबाद के बीच मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे, पर दुर्भाग्य से ऐसा न हो सका। वर्तमान निजाम की मुस्लिम परस्त नीति मशहूर रही है। इसके अतिरिक्त रियासत की साम्प्रदायिक नीति से प्रोत्साहन पाकर हैदराबाद में 'मज़लिस ई० इतिहाद-मुसलमीन' नामक एक मुस्लीम साम्प्रदायिक संस्था का जन्म और विकास हुआ। इसकी अधीनता में एक शिक्षाक्षी सैनिक स्वयं-सेवक दल था, जो रजाकार के नाम से मशहूर था। इस दल ने साफ़ तौर से यह घोषित किया कि हैदराबाद राज्य की प्रभुता (Sovereignty) वहाँ की २०,००,००० मुस्लिम प्रजा में स्थित है और निजाम उसके प्रतीक (Symbol) हैं। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि हैदराबाद की कुल जनसंख्या १,६३,००,००० है, जिसमें मुसलमान केवल १२ प्रतिशत हैं। अगर निजाम न्याय दृष्टि से विचार कर भारत सरकार के साथ समझौता कर लेते तो यह संघर्ष टल गया होता। पर इस समय निजाम ने जो रुख अद्वितीयार किया वह हैदराबाद और वहाँ की प्रजा के लिये बहुत ही अहितकर सिद्ध हुआ। रजाकारों द्वारा रियासत की हिन्दू जनता पर भयंकर अत्याचार, लूट मार आदि होने लगे। इतने पर भी भारत सरकार ने एकाएक कड़ा कदम डठाना उचित न समझा और निजाम के साथ मैत्री-पूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने का पूरा पूरा प्रयत्न किया। पर उक्त मज़लिस की घोर साम्प्रदायिक नीति के कारण सफलता न मिल सकी। पं० जवाहर लाल नेहरू ने हैदराबाद को चेतावनी देते हुए कहा था कि उसे यह सोच लेना चाहिये कि वह समय की प्रबल धारा के खिलाफ़ खड़ा नहीं हो सकता और मध्ययुगीन सामन्तशाही शासन को चालू रखना उस स्थिति में उसके लिये विस्कुल असंभव है, जब कि भारत के अन्य प्रान्तों और राज्यों में लोग उत्तरदायित्वपूर्ण शासन का उपभोग कर रहे हैं।

रजाकारों के अत्याचार और उपद्रव दिन पर दिन बढ़ते गये। वे

और उनके नेता दिल्ली पर निजाम था आसफशाही का मन्डा उठाने का दुःस्वप्न देखते रहे। भारत की सीमा पर भी उनके आक्रमण होने लगे भारत सरकार के लिये यह स्थिति असह्य हो गई। इस पर भारत सरकार ने हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई करना निश्चित किया। ११ सितम्बर १९४८ ई० को भारतीय फौज ने हैदराबाद की सीमा में प्रवेश किया। हैदराबाद की सेना और रजाकारों द्वारा किया गया मुकाबला अल्पन्त निर्वल सिद्ध हुआ। ५ दिन की कशमकस के बाद रजाकारों और हैदराबाद की सेना ने पूर्णरूप से पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद की सैनिक शक्ति के सम्बन्ध में हैदराबाद के छायाकबली मन्त्रिमंडल ने प्रचार के द्वारा जो आतंक उत्पन्न कर रखा था वह कपोल-कल्पित सिद्ध हुआ। भारतीय सेना ने बहुत ही सरलता के साथ विजय प्राप्त कर ली।

भारत सरकार ने वहाँ का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और उसने मेजर जनरल जे० एन० चौधरी को वहाँ का मिजिस्ट्री-गर्नर और श्री० डॉ० एस० वावले को प्रधान शासक नियुक्त किया। सैयद कासिम रिज़वी, जो इन रजाकारों का नेता था और सब बुराइयों की जड़ था, गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय वहाँ जो शासन है वह भारत सरकार की देख रेख में चलता है।

काश्मीर

काश्मीर पर कबालियों का आक्रमण—काश्मीर और जम्मू की रियासतें, भौगोलिक दृष्टि से, भारत व पाकिस्तान की सीमाओं से मिली हुई हैं। भारत के साथ उसका सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध अविकर रहा है। महाराजा काश्मीर ने दोनों अधिराज्यों (Dominions of India and Pakistan) के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्ध रखते हुए स्वतंत्र रहने का निश्चय किया। पर इसमें उन्हें सफलता न मिली।

भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के निकटवर्ती प्रदेश के कबाय-
खियों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इनके इस आक्रमण में पाकिस्तान का भी
अप्रत्यक्ष हाथ था। इन अफ्रीदी कबायली आक्रमणकारियों के पास नये
से नये हंग के सैनिक शस्त्रास्त्र थे। पहले पहल ये काश्मीर के पूर्व जिंघे
में घुसे और फिर स्वाबकोट और हजारा जिंघो पर इन्होंने आक्रमण
किया। महाराजा काश्मीर के पास इतनी फौजी शक्ति नहीं थी कि
जिससे इनका सफलता पूर्वक सामना किया जा सके। इससे ये आक्रमण-
कारी आगे बढ़ते ही गये और काश्मीर की राजधानी श्रीनगर के निकट
तक पहुँच गये। काश्मीर के डोंगरे सैनिकों ने इनका बड़ी बहादुरी
से मुकाबला किया, पर ये संख्या में बहुत कम होने के कारण आक्रमण-
कारियों का गति रोध न कर सके। इन आक्रमणकारियों के सफल हमलों
के कारण एक समय यह आशंका होने लगी थी कि कहीं ये सारे काश्मीर
पर छा न जायें।

महाराजा काश्मीर ने इन आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में
अपने आप को असमर्थ पाकर, २४ अक्टूबर १९४७ ई० को भारतीय
संघ में प्रवेश करना स्वीकार कर लिया और उन्होंने भारत
सरकार से यह प्रार्थना की कि वह सैनिक सहायता भेज कर काश्मीर की
रक्षा करे। इसी समय महाराजा ने काश्मीर की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के
अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला के प्रधान मन्त्रित्व में काश्मीर को उत्तरदायित्व
शासन प्रदान करने की घोषणा की।

भारत सरकार ने भारत के अधिराज्य में काश्मीर का प्रवेश स्वीकार
कर लिया और साथ ही, उसने यह मन्तव्य भी स्पष्ट रूप से प्रकट कर
दिया कि शान्ति और व्यवस्था कायम हो जाने पर काश्मीर की जनता
का मत ग्रहण कर काश्मीर का राजनैतिक भविष्य निश्चित किया जायगा।
इसी बीच में भारत सरकार ने महाराजा की सैनिक सहायता की अपील
को स्वीकार कर काश्मीर प्रदेश की सुरक्षा और लोगों के आनन्द की

रक्षा के लिये, काश्मीर को अपनी सेना भेजी। आरंभ में भारत सरकार को यह सेना वायुयानों द्वारा भेजनी पड़ी।

भारतीय सेना के काश्मीर पहुँचने पर उसका कबायली आक्रमण-कारियों के साथ डट कर मुकाबला हुआ। पाकिस्तान की सीमा काश्मीर से लगी होने के कारण उक्त कबायलियों को पाकिस्तान से हर प्रकार की सहायता प्राप्त करने में सुविधा होती थी। ये लोग पाकिस्तान की सीमा में जाकर आश्रय ग्रहण कर लेते थे। पाकिस्तान ने इन्हे काश्मीर में जाने के लिये खुला रास्ता दे रखा था। इस पर भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह अनुरोध किया कि वह कबायली आक्रमणकारियों को अपनी सीमा से न गुज़रने दे। ऐसा करना अन्तर्राष्ट्रीय नियम और शील के विरुद्ध है। पर पाकिस्तान सरकार ने अपनी तटस्थता की नीति बतलाते हुए इस कार्य में टालमटोल की और कबायली आक्रमणकारी पाकिस्तान के रास्ते से होकर काश्मीर पर बराबर आक्रमण करते रहे।

भारतीय क्रौञ्च ने, काश्मीर के पहाड़ी प्रदेश से अनभिज्ञ और अनिश्चय होते हुए भी, बड़ी बहादुरी से इन आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और इन्हें काश्मीर के बहुत से प्रान्तों से निकाल बाहर किया। कहा जाता है कि अगर भारतीय सेना की गतिविधि इसी प्रकार चलने दी जाती और भारत सरकार सुरक्षा कौंसिल के चक्र में न पड़ती तो अगले एक मास में ही काश्मीर इन कबायलियों से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया होता और आज जिन अन्तर्राष्ट्रीय उल्लंघनों का सामना करना पड़ा रहा है, उनसे देश बच जाता।

कुछ भी हो, यह मामला सुरक्षा परिषद (Security Council) में रखा गया और उसने बहुत वादानुवाद के बाद यह कक्षक प्रकाशित किया कि जम्मू और काश्मीर में शान्ति की पुनर्स्थापना के लिये भारत और पाकिस्तान की लड़ाई बन्द करने का भरसक प्रयत्न करें। सुरक्षा

कौंसिल ने अपने ५ सदस्यों का एक कमीशन भी इस कार्य के लिये नियुक्त किया ।

कमीशन ने भारत और पाकिस्तान में दौरा किया और उसने शान्ती रक्षा और व्यवस्था की स्थापना तथा सर्व जनमत ग्रहण पर जोर देते हुए दोनों अधिराज्यों की सरकारों से युद्धबन्दी (Cease fire) का अनुरोध किया । भारत सरकार ने यह अनुरोध सहर्ष स्वीकार कर लिया । पर पाकिस्तान सरकार ने उस समय ऐसा करने से इन्कार कर दिया । पीछे जाकर उसे भी यह आदेश स्वीकार करना पड़ा ।

सुरक्षा परिषद् ने इस मामले में जैसा पक्षपातपूर्ण रुख स्वीकार कर रखा है, वह प्रायः सब पर प्रकट है । मामला अभी तक सट्टाई में पड़ा हुआ है । भारतवर्ष और आक्रमणकारियों को एक स्तर में रखा कर शुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से उसने जैसा अन्याय किया है, उस पर इस समय यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं ।

महात्मा गाँधी की हत्या

विश्वभर में शोक की काली घटाएँ



हम गत पृष्ठों में महात्मा गांधी के उन व्याख्यानो और भाषणों की ओर संकेत कर चुके हैं, जो महात्मा गांधी अपनी प्रार्थनाओं के बाद दिल्ली में दिया करते थे। इन भाषणों में वे अहिंसा और विश्वप्रेम का संदेश देते हुए हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते थे। वे लोगों को यह संदेश देते थे कि अत्याचार को बदला अत्याचार से न लो धरन् प्रेम और अहिंसा की ईश्वरीय शक्ति के द्वारा अत्याचारियों के हृदय-परिवर्तन करने का प्रयत्न करो। संसार में प्रेम-साम्राज्य स्थापित कर इसे स्वर्ग बनाने की चेष्टा करो। अत्याचार का बदला अत्याचार से लेना यह मानवता के दिव्य सिद्धान्त के विरुद्ध है। अगर मुसलमान पाकिस्तान में हिन्दुओं पर अत्याचार कर पशुता का परिचय देते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम यहां के मुसलमानों पर अत्याचार करें और अपनी पशु-प्रकृति को प्रकट करें। इन्हीं भावों को लेकर महात्मा गांधी मानव प्रकृति को देवी प्रकृति में परिवर्तित करने की चेष्टा कर रहे थे। मानवीय विकास के उच्चतम धरातल पर आसीन होकर वे विश्वबन्धुत्व और अहिंसा के महान् सिद्धान्त द्वारा जनता के आत्मिक धरातल को ऊँचा उठाने का प्रयत्न कर रहे थे।

जिस समय महात्मा गांधी भारतीय जनता को विश्व प्रेम का दिव्य संदेश दे रहे थे उस समय पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों पर भयंकर और अमानुषिक अत्याचार गुजर रहे थे। हिन्दुओं और सिक्खों में हाहाकार मच

रहा था। ऐसे ऐसे क्रूरता और दुष्टता के कार्य हो रहे थे जिनकी कल्पना करने से भी मानवी-अन्तःकरण घोर विषाद के वातावरण से अन्धकार-मय हो जाता है। इन अत्याचारों की प्रतिक्रिया कहीं कहीं भारतवर्ष में भी हो रही थी। साधारण मनुष्य-प्रकृति अपने पर या अपने समाज पर किए गए अत्याचारों से विचित्र हो उठती है। क्रिया की प्रतिक्रिया होना विज्ञान और दर्शनशास्त्र का सिद्धान्त है। इस प्रतिक्रिया का प्रभाव उस समय भारतवर्ष पर भी हो रहा था। बदले की भावनाएँ उग्र रूप धारण कर रही थीं। यद्यपि महात्मा गांधी के दिव्य संदेश से इस प्रतिक्रिया का प्रभाव कुछ अंशों में निर्बल हो रहा था, पर फिर भी कई लोगों के अन्तःकरण में इसने अपना आधिपत्य जमा लिया था। महात्मा गांधी के विश्व-प्रेम के संदेश उनके अन्तःकरणों को शान्त करने के बजाय विचित्र कर रहे थे। श्री चांदीवाला ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि उस समय महात्मा गांधी को बहुत से ऐसे पत्र मिलते थे जो क्रोधयुक्त भावों से भरे रहते थे और उनमें उनके लिये बुरी से बुरी गालियाँ लिखी रहती थीं।

कहने का भाव यह है कि महात्मा गांधी के उपदेशों का दो विभिन्न मनोवृत्तियों पर दो प्रकार के विभिन्न प्रभाव पड़ रहे थे। एक मनोवृत्ति, जहां उनके उपदेशों से विश्व-प्रेम की ओर गति करती हुई साम्प्रदायिक एकता को देश के लिए हितकर समझने लगी थी, वहां दूसरी मनोवृत्ति पर इसका उलटा असर हो रहा था। यह दूसरी मनोवृत्ति महात्मा गांधी पर मुस्लिम पक्षपात का आरोप लगाकर उनको कोसा करती थी और उनके उपदेशों को देश के लिए अहितकर समझती थी। पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं ने इस दूसरी मनोवृत्ति को काफी सहायता पहुँचाई।

मनोविज्ञान का नियम है कि प्रेम से प्रेम की उत्पत्ति होती है और घृणा से घृणा की। हाँ, महापुरुषों के आत्मिक संदेश घृणा को प्रेम में परि-

वर्तित कर देते हैं। पर यह बात सर्वांश में होना सम्भव नहीं। भगवान् बुद्धदेव, महात्मा ईसा सरीखे महापुरुषों ने जहाँ संसार को बदल दिया। वहाँ उनके भी विरोधी होने के उल्लेख मिलते हैं। महात्मा गांधी के लिए भी यही बात कही जा सकती है।

महात्माजी के दिव्य उपदेशों का कुछ लोगों पर उल्टा असर हो रहा था। वे महात्माजी को हिन्दू जाति का विरोधी और मुसलमानों का पक्षपाती समझने लगे थे। ऐसे लोगों के भी दो वर्ग थे, एक नम्र और एक उग्र। इनमें से दूसरे वर्ग के लोगों का एक छोटा सा विशेष संगठन बना, जिसने महात्मा गांधी की हत्या का षड्यन्त्र रचा था। नाथूराम गोडसे, इसी षड्यन्त्र का मुखिया था।

बम्बई सरकार और सरदार पटेल को अपनी खुफिया पुलिस द्वारा इस प्रकार के षड्यन्त्र का कुछ संकेत मिला था। उन्होंने महात्मा गांधी से कई बार यह अनुरोध किया कि वे प्रार्थना के समय पुलिस का प्रबन्ध रखने में आपत्ति न करें। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के कुछ समय पहले भी इस बात पर जोर दिया था। पर महात्मा गांधी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और प्रार्थना के समय पुलिस का रखना उन्होंने पसन्द न किया।

सन् १९४८ की ३० जनवरी की शाम को, महात्मा गांधी दिल्ली के बिहला भवन के मैदान में, प्रार्थना करने के लिये, अपने नियत स्थान पर पहुँचे। ज्योंही वे प्रार्थना करने के प्लेटफॉर्म पर पहुँचे कि मुण्ड में से एक युवक महात्मा गांधी की ओर बढ़ा और कहने लगा "बापू" आज आप को देर हो गई है" और वह इस तरह मुँहने लगा मानो वह बापू के चरणों को छूना चाहता है। पर उसने इस समय जो कार्य किया उससे विश्वभर की मानवता का अन्तःकरण दहल गया। इसी समय उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर,

बापू पर तीन चार किये ! "बापू" 'हरे राम हरे राम' कह कर बेहोश
 हांकर जमीन पर गिर पड़े ! साग उपस्थित समाज हक्का बक्का रह गया ।
 चारों ओर हाहाकार मच गया और लोग बापू की ओर दौड़ने लगे ।
 कई लोगों ने, अपनी जान की परवाह न कर, हत्यारे की पिस्तौल सहित
 पकड़ लिया । लोग बापू को उठा कर बिड़ला भवन में ले गये । बाहर
 लोग बापू के जीवन रक्षा की भगवान से प्रार्थना करने लगे । बापू के
 शिष्य प्रशिष्य और कुटुम्बी आँसों में आँसू भर कर धड़कते हुए हृदय के
 साथ, बापू के शरीर के आस पास बैठ गये । चिकित्सकगण बापू को
 बचाने की भरसक चेष्टा करने लगे । बापू के हृदय की गति अधिकाधिक
 मन्द होती गई और अन्त में बापू का यह नश्वर शरीर पंचतत्व को
 प्राप्त हो गया ! उनकी आत्मा ने दिव्य लोक को प्रयाण किया । यह
 समाचार बिजली की तरह सारी दिल्ली में फैल गया और फिर सारे
 संसार को इस समाचार ने शोक और विषाद से आवृत कर दिया ।

सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शोक
 के गम्भीरतम भावों को लेकर बिड़ला भवन पहुँचे । आप लोगों के बाद
 कांग्रेसनेता गण, जो कि उस समय दिल्ली में थे, कैबिनेट के सदस्यगण,
 विदेशी राजदूत, महात्मा गांधी के भक्त और कुटुम्बी जन तथा विशाल
 जन समूह देखते देखते इकट्ठा हो गया । पं० जवाहर लाल नेहरू को
 ज्योंही यह खबर लगी त्योंही उनके शरीर का परमाणु परमाणु शोक से
 विह्वल हो गया और वे शीघ्र से शीघ्र बिड़ला भवन पहुँच कर बापू
 के शरीर के पास बैठ गये ।

दूसरे दिन बापू की अन्त्येष्टि क्रिया होने वाली थी, अतएव भारतवर्ष के
 निकटस्थ और दूरस्थ देशों से लाखों लोग अपने प्रिय बापू के शवके दर्शनों
 के लिये ट्रेनों, मोटरकारों और वायुयानों के द्वारा दिल्ली पहुँचने लगे ।

बापू का शरीर एक बड़ी गाड़ी में रखा गया और वह फूलों से ढक
 दिया गया । बापू का मुखमण्डल वैसा ही प्रकाशमान दिखलाई देता था

जैसा कि वह उनकी जीवित अवस्था में भान होता था ।

स्वर्गीय गांधी जी को श्रद्धांजलियाँ

महात्मा गांधी के स्वर्गवास के समाचार से न केवल भारतवर्ष के कोने कोने में, वरन् अखिल भूमण्डल पर शोक और विषाद की घनघोर घटाएँ छा गईं ! सारे संसार ने उन्हें जो श्रद्धांजलियाँ अर्पित कीं, वे संसार के इतिहास में अद्वितीय और अभूतपूर्व थीं । संसार का कोई कोना ऐसा न था, जिनमें इस महापुरुष की मृत्यु के ऊपर शोक न मनाया गया हो ।

महात्मा गांधी किसी देश विशिष्ट के नहीं पर संसार के महापुरुष थे । उनका विशाल हृदय अखिल मानवजाति के कल्याण और हित का प्रतीक था । उनके स्वराज्य का आदर्श अत्युच्च और दिव्य था । वे चाहते थे कि भारतवर्ष स्वराज्य प्राप्त कर, संसार को दिव्य संदेश दे और मनुष्य जाति को ऊँचा उठावे । विश्वशान्ति के वे पृष्ठपोषक थे । उनके हृदय से बहने वाला आत्मिक भरना मनुष्यजाति में शान्ति का संचार करता था । ऐसे महापुरुष की मृत्यु के ऊपर सारे संसार का शोकग्रस्त होना स्वाभाविक ही था । उनके स्वर्गवास से विश्व की ज्योति बुझ गई, यद्यपि भारतीय दर्शन के अनुसार उनकी अमर आत्मा मनुष्य जाति को अमर प्रेरणा देती रहेगी और उसके मार्ग को प्रकाशमान करती रहेगी । पं० जवाहरलाल नेहरू ने उनकी मृत्यु पर अपने व्याख्यान में विषादपूर्ण हृदय से कहा था:-

“हमारे जीवन का प्रकाश चला गया । चारों ओर अन्धकार छाया हुआ है ! मैं भी ठीक नहीं जानता कि आपसे क्या और कैसे कहूँ । हमारा प्यारा नेता, जिसे हम बापू के नाम से पुकारते थे, हमारे राष्ट्र का पिता, आज हमारे साथ नहीं है । अब हम उसे न देख सकेंगे । अब हम उसके उपदेश के लिए और उससे शान्ति पाने को उसके पास न दौड़ सकेंगे

यह भयंकर आघात केवल मेरे लिए ही नहीं है, पर इस देश के लाखों करोड़ों मनुष्यों के लिए है। किसी उपदेश के द्वारा इस आघात के प्रभाव को कम करना आपके और मेरे लिए कठिन है।”

“मैंने कहा कि प्रकाश चला गया। पर नहीं मैं गलती पर हूँ। क्यों कि जो प्रकाश इस देश में चमक रहा था वह साधारण प्रकाश नहीं था। जिस प्रकाश ने कई वर्षों तक इस राष्ट्र को प्रकाशित किया वह प्रकाश आगे के हजारों वर्षों तक इस देश को और प्रकाशित करता रहेगा। संसार इस प्रकाश को देखेगा और संसार के अनन्ता अनन्त हृदयों को शान्ति देता रहेगा। यह प्रकाश तात्कालिक वर्तमान ही पर नहीं, पर सुदूर भविष्य पर अपना प्रभाव डालता रहेगा। यह एक उस जीवित और सत्य अमर पुरुष का प्रतिनिधित्व करता रहेगा, जिसने, हमें अविनाशी सत्य के दर्शन करवाये, जिसने हमें भूलों से बचाया और जिसने इस प्राचीन देश को स्वाधीनता प्राप्त करवाई।”

आगे चलकर अपने भाषण का अन्त करते हुए पंडित जी ने कहा कि “हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना यह है कि हम सत्य के लिए और उस आदर्श के लिए, जिसके लिए हमारे देश का यह महापुरुष जिन्दा रहा और मरा अपने आप को समर्पित कर दें। वही सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना है जो हम उस महापुरुष के लिए और उसकी पवित्र स्मृति के लिये कर सकते हैं।

सरदार पटेल ने दुःखित हृदय से कहा:—“मेरे प्यारे भाई जवाहर लाल अभी आपके सामने बोझ चुके हैं। मेरा हृदय विषाद से भरगया है! मैं आप से क्या कहूँ। मेरी जिन्हा स्तब्ध होगई है! यह दिन शोक, शर्म और मानसिक यन्त्रणा का है! आज मैं दिन के ४ बजे गांधी जी के पास गया था और उनके पास लगभग १ घंटा तक ठहरा था। पाँच बजे उन्होंने अपनी घड़ी निकाली और मुझे स्मरण दिलाया कि उनकी प्रार्थना का समय हो गया है। वे सदा की तरह ठीक समय पर अपने प्रार्थना

करने के स्थान के लिए निकले । मैं मुश्किल से घर पहुँचा ही था कि किसी ने मुझे यह दुःखद समाचार दिया कि प्रार्थना स्थान पर गांधी जी पर एक हिन्दू युवक ने ३ वक्त गोलियाँ चलाई । मैं तत्काल बिड़ला भवन पहुँचा और गांधी जी के पास बैठ गया । यद्यपि उनकी आँसु उस समय बन्द हो चुकी थीं पर उनके चेहरे पर पहिले की तरह एक अपूर्व शान्ति झलक रही थी । उनका मुखमण्डल दया, करुणा और चमत्कृतता का दर्शन दे रहा था । थोड़े समय में गांधी जी ने अपना अन्तिम श्वास लिया और उनकी जीवनयात्रा समाप्त होगई ! कुछ समय से गांधीजी एक इतनाश मनुष्य से दिखलाई पड़ते थे और उन्होंने आखिर में उपवास का आश्रय ग्रहण किया था । अच्छा होता, अगर उपवास के समय ही उनकी जीवन बीजा समाप्त होगई होती, पर हमारे भाग्य में लज्जा और मानसिक यन्त्रणा (Agony) भुगतना लिखा था । गत सप्ताह एक हिन्दू युवकने बम से उन पर आक्रमण करने की कोशिश की और वे इससे बच गए । जान पड़ता है कि अखिर उनका वक्त आ गया और सर्व शक्तिमान प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया ।”

“मित्रों ! यह वक्त क्रोध करने का नहीं है । यह वक्त ऐसा है जिसमें हमें अपने हृदय-शोधन की आवश्यकता है । अगर हम इस वक्त क्रोध के वशीभूत होंगे तो इसका यह अर्थ होगा कि हम अपने प्रिय गुरु के उपदेशों को उनकी मृत्यु के बाद इतनी शीघ्रता से भूल गए । मुझे कहने दीजिए कि हमने अपने महान् गुरु के पद-चिन्हों पर चलने में उनके जीवन काल ही में हिचकिचाट से काम लिया । मैं आपसे विनय पूर्वक प्रार्थना करूँगा कि आप इस समय के हिंसा पूर्ण आवेशों से बचिए । अपने गुरु के उपदेशों पर बलिये । हम लोगों के लिए सबसे कठिन परीक्षा का यह समय है । हमें अपने महान् गुरु के योग्य शिष्य होने का प्रमाण देना है । हमारे कंधों पर इस समय बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है । गांधी जी शक्ति के स्तम्भ और हमारे राष्ट्र की प्रेरणा के स्रोत थे ।

उनकी मृत्यु से हम जैसे उनके निकटस्थ साथियों को ऐसी जबरदस्त हानि हुई है कि जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। गांधी जी बर्षापि चले गए हैं, पर वे हमारे हृदयों में हमेशा के लिए वास करते रहेंगे।

“बर्षापि गांधी जी का भौतिक शरीर कल दिन के ४ बजे भस्मीभूत हो जायगा, पर उनकी अविनाशी और अमर शिक्षाएँ हमारे हृदयों को हमेशा प्रकाशित करती रहेंगी। मुझे तो ऐसा प्रभाव होता है कि गांधी जी की अमर आत्मा अब भी हम पर मंडरा रही है और वह भविष्य में भी हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करती रहेगी। वह पागल युवक, जिसने उनकी हत्या की है, गलती करता है, अगर वह यह समझता है कि उसने उन्हें मारकर उनके महान् मिशन का अन्त कर दिया है। शायद ईश्वर को यह मंजूर हो कि गांधी जी की मृत्यु के द्वारा ही उनके मिशन की पूर्ति और श्री वृद्धि हो।”

“मुझे विश्वास है कि गांधीजी के इस महान् बलिदान से हमारे देश के लोगों की अन्तरात्मा जगोगी और प्रत्येक भारतवासी के हृदय में इससे उच्च प्रेरणा का संचार होगा। मैं आशा करता हूँ और साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमें गांधी जी का जोवनोद्देश्य पूर्ण करने की शक्ति दे। इस गम्भीर घड़ी में अपने हृदय को सब विचल करने से काम न चलेगा। हम सब एक होकर खड़े रहें और बहादुरी के साथ उस राष्ट्रीय आपत्ति का सामना करें जो हम पर आ पड़ी है। हम सब फिर इस बात की प्रतिज्ञा करें कि हम गांधी जी की शिक्षाओं और आदर्शों के अनुसार अपने जीवन को बनावेंगे।

राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने गांधी जी के स्वर्गवास पर ब्रॉडकास्ट करते हुए कहा था:—

“गांधी जी का भौतिक शरीर अब हमारे बीच में नहीं है। आज उनके वे पवित्र चरण नहीं हैं, जिन्हें हम श्रद्धा के साथ स्पर्श करते थे।

आज उनके वे हाथ नहीं हैं जो हमारी पीठ को थपथपाते थे और हमें आशीर्वाद दिया करते थे। उनकी आंखें जो दया और करुणा से परिपूर्ण थीं, अब हमारी ओर प्यार का संकेत न कर सकेंगी। पर जैसा कि उन्होंने हमें सिखलाया था कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। यद्यपि उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया है, पर वह हमारे अच्छे बुरे कार्यों को बराबर देखती रहेगी। हमें उस कार्य को पूरा करना है, जिसे उन्होंने अधूरा छोड़ा है और इसी से हम उनकी पवित्र स्मृति का सन्मान कर सकते हैं। उनके महान् कार्य और उनका अद्वितीय व्यक्तित्व उनकी स्मृति को सदा सर्वदा के लिए अमर रखने को पर्याप्त है और उनके स्मारकों की कोई आवश्यकता दिखलाई नहीं पड़ती। पर मनुष्य को अपने संतोष के लिए भी कुछ करना पड़ता है। इसलिए यह सुझाया गया है कि वह सब रचनात्मक कार्य, जो गांधी जी की सबसे प्रिय वस्तु थी, पूरी शक्ति और भक्ति के साथ चलाया जाय। इसी रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा गांधी जी का प्रेम और अहिंसा का महान् सिद्धान्त फूलेगा फूलेगा और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर हम उनकी महान् शिक्षाओं को जीवित रख सकेंगे।”

ऊपर हमने भारत के तीन प्रधान नेताओं ने महात्मा गांधी को जो श्रद्धाञ्जलियाँ भेंट कीं, उनका उल्लेख किया है। भारत के नेताओं ने महात्मा गांधी की स्वर्गीय आत्मा को श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पण कर अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया था। जिनका महात्मा गांधी के साथ मतभेद था, उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा की गई राष्ट्र और मानवजाति की महान् सेवाओं के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पण कीं।

विदेशों में महात्मा गांधी को श्रद्धाञ्जलियाँ

ब्रिटिश सम्राट्, इंग्लैंड के प्राइमिनिस्टर, अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्राध्यक्ष तथा संसार के सब राष्ट्रों के शासक, संसार के महान्

नेताओं और विचारकों ने इस महान् विभूति की स्वर्गीय आत्मा के प्रति अत्यन्त पूज्य और अदारभाव के साथ अपनी अदाअलियाँ अर्पित की थीं।

गांधी हत्याकाण्ड का मुकद्दमा

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रार्थना के समय महात्मा गांधी की पिस्तौल द्वारा हत्या करनेवाले का नाम नाथूराम गोडसे था। वह 'हिन्दुराष्ट्र' नामक पत्र का सम्पादक और शनिवार पेठ पूने का रहने वाला था। गोडसे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बड़ी सरगमों के साथ उस षड्यन्त्र का पता लगाने की चेष्टा की जो महात्मा गांधी की हत्या के लिये रचा गया था। पुलिस ने नारायण आष्टे, विष्णु अरकरकर, मदनलाल पहवा, शंकर किरतम्बा, गोपाल, वी गोडसे, श्री विनायक सावरकर, दत्तात्रेय पचुरे को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया। इनके ऊपर मुकद्दमा चलाने के लिए गृहविभाग की मिनिस्ट्री ने बम्बई जन सुरक्षा कानून १९४७ की दसवीं और न्याहरवीं धारा के अनुसार एक विशिष्ट न्यायालय ता० १३-५-१९४८ को कायम किया। इस न्यायालय की बैठकें दिल्ली के लास किले के ऊपर होने लगीं। सरकार को ओर से मि० सी० के० दफ्तरी एडवोकेट जनरल बम्बई पैरवी करने लगे। अभियुक्तों को ओरसे मि० वी० वी० ओक, मि० के० एच० मंगले, मि० एन० डी० डांगे, मि० बी० बनर्जी, मि० मनिषा, मि० एल० बी० भोपटकर, मि० जमनादास मेहता, मि० मन्पतराव, मि० इनामदास, आदि एडवोकेट्स और वकील पैरवी कर रहे थे। बहुत लम्बे अर्से तक वह मुकद्दमा चलने के बाद विशिष्ट न्यायालय के जज श्री आत्माचरय ने नाथूराम गोडसे और नारायण आष्टे को मृत्यु दंड और अन्य अपराधियों को अपने अपने अपराधों की गम्भीरता के परिमाणानुसार विभिन्न सजाएँ दीं। विष्णु कर्करे, गोपाल गोडसे, दत्तात्रेयपचुरे को आजन्म कारावास की सजाएँ और मदनलाल और शंकर किरतम्बा को सात सात

वर्ष की सजाएँ दीं। शंकर किशतय्या के लिए न्यायालय ने सज़ा में कुछ कमी करने की सिफ़ारिश की। वीर सावरकर के विरुद्ध कोई प्रमाण न मिलने से वे दोषमुक्त कर दिए गए। जज ने अपने फैसले में उनके लिए लिखा था :—

“He is found 'not guilty' of the offences as specified in the charge, and is acquitted thereunder. He is in custody and be released forthwith unless required otherwise.”

अर्थात् चार्ज में उल्लेखित अपराध में वे (सावरकर) अपराधी नहीं पाये गए, अतएव वे मुक्त किये जाते हैं। वे अभी हिरासत में हैं और उन्हें अब छोड़ दिया जाय, अगर उनकी किसी दूसरे मामले में आवश्यकता न हो।

न्यायालय ने दिगम्बर बज्जे को सरकारी गवाह बनने के उपलक्ष्य में मुक्त कर दिया। अपील में स्वाखिबर के डा० पचुरे भी मुक्त कर दिए गए।



भारत का समान-तन्त्र (Commonwealth) का सदस्य होना



इसवी सन् १९४६ के अप्रैल मास में लंदनमें अधिराज्यों (dominions) के प्रधान मन्त्रियों की कान्फ्रेंस हुई। इसमें भारत के प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू भी शामिल हुए। बहुत वादानुवाद के बाद उन्होंने भारत के सर्वोच्च सत्ताधारी स्वतन्त्र जन-तन्त्र (Sovereign independent Republic) घोषित करते हुए, राष्ट्रों के समान-तन्त्र की (Commonwealth of Nations) सदस्यता स्वीकार की। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई, उसमें लिखा था:—

“The Government of India have declared and affirmed India's desire to continue her full membership of the Commonwealth of Nations and her acceptance of the king as the symbol of the free association of its independent member nations and as such the head of the Commonwealth.”

अर्थात् “भारत सरकार ने राष्ट्रों के समान-तन्त्र की सदस्यता को चालू रखने और सम्राट् को स्वतन्त्र सदस्य-राष्ट्रों की स्वतन्त्र पार्षद (Association) का प्रतीक और प्रधान (Head) स्वीकार करने की भारत की इच्छा को घोषित और परिपुष्ट किया है।”

भारत सरकार के इस कार्य की, देश में, अनुकूल और प्रतिकूल आलोचनाएँ हुईं। उपद्रव ने (Leftists) इसकी कड़ी समालोचना की। श्री पामदत्त ने अपने 'India to day' नामक ग्रन्थ में लिखा था:—

“With this London Declaration subsequently ratified by the Indian Assembly, India was formally linked with the camp of Anglo-American imperialism.”

“अर्थात् लंदन की घोषणा और भारतीय व्यवस्थापिका सभ द्वारा उसके अनुमोदन के कारण भारत एङ्ग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवाद के शिबिर से सम्बन्धित होगया है”।

बम्बई की कॉंग्रेस-सरकार के भूतपूर्व गृह मंत्री तथा भारत सरकार के वर्तमान कृषि-मंत्री श्री के० एम० सुंशी ने ईस्वी सन् १९४७ के १८ नवम्बर को “भारत और संसार की राजनीति” पर व्याख्यान देते हुए कहा था:—

“As to international alignment, Britain, what ever our memories of her past rule, has been, is a staunch friend. We are tied to her by bonds of over a century of close association. The U. S. A. the great democracy is the world's unquestionable leader at the moment. Even the future of the U. N. O. is in her hands. It can help to build a powerful world federation of free nations only in close association with the U. S. A. In such association with Britain and the U. S. A. only will India find the strength she wants.”

“अर्थात् जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय पंक्तिकरण का सम्बन्ध है, ब्रिटेन हमारा पक्का मित्र रहा है और है, चाहे फिर उसके भूतकाबीन शासन के सम्बन्ध में हमारी कैसी ही स्मृतिबाँ रहीं हों। हम एक शताब्दी से ऊपर उसके निकटवर्ती साहचर्य में रहे हैं। अमेरिका का संतुफराष्ट्र एक महान् प्रजातन्त्र है और वह इस समय संसार का निःसन्देह नेता है। यू० एन० ओ० का भविष्य भी उसके साथ में है। वह स्वतन्त्र राष्ट्रों का शक्तिशाली संसार-संघ अमेरिका के संयुक्त प्रदेश के निकट सहयोग ही से बन सकता है। भारतवर्ष, ब्रिटेन और अमेरिका के संयुक्त प्रदेश के साथ रहकर ही वह शक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसे वह चाहता है”।

हमने ऊपर भारत के ब्रिटिश समान-तन्त्र में शामिल होने के पक्ष और विपक्ष में होने वाले आलोचनाओं के दो उदाहरण दिए हैं। इससे पाठकों को दोनों प्रकार की मत-धाराओं का परिचय हो जायगा।

भारत सर्वोच्चसत्ताधारी स्वतंत्र जन-तंत्र।

(Independent Sovereign Republic)

जैसा कि हम किसी पूर्व अध्याय में कह चुके हैं, सन् १९४६ ई० में कैबिनेट मिशन की योजनानुसार, संविधान सभा संगठित की गई थी। पर, इस समय वह सर्वोच्चसत्ताधारी संस्था (Sovereign Body) न थी। उसके अधिकार सीमित थे। सन् १९४७ ई० के स्वतंत्रता अधिनियम (Independence Act) ने इसे सर्वोच्च-सत्ता समर्पित की। संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाने के जो उद्देश रले, उसके सम्बन्ध में पं० जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा, उसकी प्रथम धारा यह है—

1. “This Constituent Assembly declares its firm

and solemn resolve to proclaim India as an Independent Sovereign Republic and to draw up for her future Government a Constitution;

अर्थात् यह संविधान सभा भारत को सर्वोच्चसत्ताधारी स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने तथा उसके शासन के लिये संविधान बनाने का दृढ़ और पवित्र संकल्प करती है । ”

इसी उद्देश को लेकर, संविधान सभा ने वैधानिक, समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये विभिन्न कमिटियों का (Committees) निर्माण किया । इन कमिटियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश कीं, जिनके आधार पर, संविधान का मस्विदा बनाने का निश्चय हुआ । मस्विदा बनाने वाली कमिटी (Drafting Committee) २६ अगस्त १९४७ ई० के संविधान सभा के प्रस्तावानुसार बनाई गई । उसे यह काम सौंपा गया कि वह विभिन्न कमिटियों द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अपना मस्विदा तैयार करे । यह मस्विदा तैयार किया गया और संविधान सभा के सदस्यों ने इसमें कुछ संशोधन और परिवर्तन किये ।

२६ नवम्बर १९४६ ई० को उक्त संविधान मस्विदा संशोधित हो कर संविधान सभा द्वारा अन्तिम रूप से पास होकर भारतीय संविधान के रूप में परिष्कृत हो गया । २६ जनवरी १९५० ई० को उक्त भारतीय संविधान के अनुसार आज भारत सर्वोच्च सत्ताधारी स्वतंत्र जनतंत्र के रूप में अपना अस्तित्व रखना है और संसार के स्वतंत्र राष्ट्रों में इस महान् राष्ट्र का एक विशिष्ट राष्ट्र हो गया है ।

२६ जनवरी १९५० ई० को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री० सी० राजगोपाळाचार्य ने अपने पद से अवसर ग्रहण किया और उनके स्थान पर भारत के तब हुए नेता डा० राजेन्द्रप्रसाद इस महान्

जनतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति (President) के सर्वोच्च पद पर आसीन किये गये । इस समाचार से सारे देश में बड़ी प्रसन्नता हुई और अपनी एक प्रिय और महान् नेता को राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित होता हुआ देख कर भारतीय जनता को अत्यन्त सन्तोष हुआ । डा० राजेन्द्र प्रसाद सर्व प्रिय नेता और अज्ञातशत्रु हैं । उनका सारा जीवन देश की माहन् सेवाओं में बीता है और उनकी विनयशीलता अनुकरणीय है ।






954

India's History —

Struggle for Freedom





"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

**GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.**

**Please help us to keep the book
clean and moving.**
